एक महाअभियोग

(वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा)

एडमण्ड बर्क कृत

Impeachment of Warren Hestings

का हिन्दी अनुवाद

एक महाअभियोग

(वारने हेस्टिग का मुकदमा)

●

अनुवाद : ओंकार शरद

●

प्रकाशक

साहित्य भण्डार

५०, चाहचंद, इलाहाबाद-२११००३

●

मुद्रक

अशोक प्रिंटिग वर्क्स

७१८ दारागंज, इलाहाबाद-२११००६

●

आवरण व सज्जा : इम्पैक्ट, इलाहाबाद

●

मूल्य : दो सौ पचास रुपये

वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा

भारतवर्ष को पराधीनता की जंजीर में जकड़ने की जो इमारत बनाई गई, और दो सौ वर्षों तक जिस पर यूनियन-जैक फहराया गया, उसकी नींव की पहली ईंट रखने वाला वारेन हेस्टिंग्स ही था। भारत का पहला अंग्रेजी गवर्नर जनरल। तब भारत सोने की चिड़िया था, जिसे योरुपीय साम्राज्यवादी देश इंगलैंड बहेलिया की ललचाई निगाह से देख रहा था। व्यापारी बन कर आयी ईस्ट इन्डिया कम्पनी का दीवाला पीट चुका था और अंग्रेजी सरकार ने शासन की बागडोर उससे छीन कर अपने हाथों मे सम्हाल ली थी। सन् १७७२ मे ब्रिटिश पार्लमेंट ने इसी आशय का एक कानून भी पास कर लिया था। इसी कानून के अनुसार शासन-सूत्र गवर्नर जनरल को सौंपा गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन कर दिये गये और गवर्नर जनरल का खास मुकाम कलकत्ता बनाया गया।

अंग्रेजो की नजर में वारेन हेस्टिंग्स बहुत योग्य समझा जाता था। इसकी भी अपनी एक कहानी है।

वारेन हेस्टिंग्स लड़कपन मे ही अनाथ हो गया था। वह ऊँची शिक्षा न पा सका। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का वह अपना सपना भी पूरा न कर सका और उसकी अधूरी- शिक्षा वेस्टमिंस्टर मे हुई। वह सबसे पहले ईस्ट इन्डिया कम्पनी मे एक क्लर्क बना कर भेजा गया था। लेकिन जब कम्पनी के पांव डगमगाये तो उस स्थिति का लाभ उठा कर उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। सिराजुद्दौला के दरबार में वह अंग्रेज-प्रतिनिधि बना कर भेजा गया, पर शीघ्र ही मीरजाफर के समय में रेजीडेन्ट बना दिया गया। इस बीच वह भारत के तत्कालीन नवाबों की संकटकालीन स्थिति का लाभ उठा कर चुपचाप अतुल सम्पत्ति इकट्ठा करता रहा। सन् १७६४ मे इंग्लैंड आ कर वह वहीं बसने का प्रयत्न करने लगा। उसके पास भारत में जोड़ी हुई अपार सम्पत्ति थी। सन् १७६८ में उसे मद्रास के गवर्नर की कौंसिल का सदस्य बना कर पुनः भारत भेजा गया। लेकिन भारत की धरती पर पाँव रखने के पूर्व ही वह कलकत्ता का गवर्नर बन गया और सन् १७७२ में गवर्नर जनरल।

गवर्नर जनरल बन कर उसने अपनी जो कौंसिल बनाई, उसके चार सदस्य थे। बारवेल, जनरल क्लावरिंग, कर्नल मानसन और फिलिप फ्रेन्सिस। इनमें बार-

वेल को छोड़ कर बाकी तीन तो भारत के बारे में अजनबी थे और कुछ भी न जानते थे। इन तीनों को हेस्टिंग्स के काम करने के ढंग पसन्द न थे और जल्दी ही उनका उससे झगड़ा हो गया। विवश हो कर हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा देने का निश्चय कर के इंग्लैण्ड पत्र भी लिख दिया। लेकिन वह बड़ा शौभाग्यशाली था। भाग्य की ही बात थी कि तभी सन् १७७४ में अवध के नवाब व मराठों में ठन गई। हेस्टिंग्स ने तत्काल ही नवाब से संधि करके उसे सहायता देने का आश्वासन दिया। नवाब भी तब परेशान थे और चाहते थे कि चाहे अंग्रेजी पलटन की ही सहायता से सही, किसी भी तरह रोहिला राज्य पर अधिकार हो जाय। अंग्रेजों की सहायता से अवध को जीत हुई। इसी बीच कौंसिल में हेस्टिंग्स के विरोधी तीनों सदस्यों ने प्रमाण दिए और हेस्टिंग्स पर नवाब से घूस लेने का अभियोग लगाया। हेस्टिंग्स और कौंसिल के अन्य सदस्यों में जोरों की ठन गई। लेकिन बीच में कर्नल मानसन इंग्लैंड लौट गया और नवम्बर १७७७ में जनरल क्लावरिंग की मौत हो गई और घूसखोरी के अभियोग का मामला आगे न बढ़ सका।

सन् १७७७ में ही बम्बई पर मराठों ने हमला किया और मद्रास पर हैदर अली चढ़ बैठा। अंग्रेजों से उसने पूरा कर्नाटक छीन लिया। इन हमलों का सामना करने में हेस्टिंग्स को यद्यपि लोहे के चने चबाने पड़े पर उसने बम्बई को बचा लिया और मद्रास हाथ से जा ही रहा था कि तभी एक दैवी मार हुई और हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई और मद्रास भी बच गया। लेकिन बम्बई और मद्रास को बचाने में अंग्रेजी सरकार का खजाना खाली हो गया था। अभी तक बनारस के राजा कम्पनी के कर्जदार थे और विवश हो कर उन्हें सन् १७७८, १७७९ और १७८० में अवध की लड़ाई के समय अंग्रेजों की आर्थिक सहायता करनी पड़ी। इस बार भी हेस्टिंग्स ने उन्हें रुपयों के लिए तंग करना शुरू किया। राजा कुछ दे न सके। तब हेस्टिंग्स ने उन पर पाँच लाख पौंड का जुरमाना किया। राजा जब जुरमाना न दे सके तो हेस्टिंग्स ने बनारस पर पलटनी धावा किया और उन्हें हरा कर बनारस में यूनियन-जैक फहराया।

बनारस के बाद अवध। अवध का नवाब नाबालिग था। अवध की बेगमों को सता कर हेस्टिंग्स ने अमानुषिक कृत्यों द्वारा उनसे पाँच लाख पौंड वसूले, इसमें से अधिक रकम वह स्वयं हड़प गया।

सन् १७८० में दीनाजपुर के राजा की मृत्यु के पश्चात हेस्टिंग्स ने देवी सिंह नामक एक धोखेबाज व बदमाश आदमी को वहाँ का राजा बनाया, जो वास्तव में हेस्टिंग्स का दलाल था और उसके माध्यम से हेस्टिंग्स ने काफी धन यहाँ से भी हड़पा।

भारत में हेस्टिंग्स ने इस प्रकार जो मनमानी मचा रखी थी, उसकी खबरें बराबर इंग्लैंड पहुँचती रहीं। विवश हो कर उच्चाधिकारियों ने हेस्टिंग्स पर रोक लगानी चाही। हेस्टिंग्स ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया। हेस्टिंग्स के विरुद्ध कई

जाँच समितियों ने छानबीन की। इंग्लैंड की पार्लमिन्ट में हेस्टिंग्स के कारनामों को ले कर काफी बहसें हुईं। भारत में हुए अत्याचारों का मामला तूल पकड़ गया। मिस्टर एडमंड बर्क ने प्रमाण-रूप में बड़े कागज-पत्र पेश किये। बर्क ने हेस्टिंग्स पर बाइस-सूत्री अभियोग लगाये। हेस्टिंग्स को पार्लामिन्ट की अदालत में अपराधी के रूप में हाजिर होना पड़ा।

१३ फरवरी सन् १७८८ को वेस्टमिनिस्टर हॉल में इस महाअभियोग के सम्बन्ध में ऐतिहासिक मुकदमा प्रारम्भ हुआ और अप्रैल सन् १७९५ तक यह मामला चला। पूरे सात वर्ष।

मुकदमे के प्रारम्भ में हेस्टिंग्स को सर्वप्रथम अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। जजों के समिति के अध्यक्ष थे लार्ड थरलो। अपराधों की सूची पढ़ने में ही दो दिन लगे। बनारस, अवध की बेगमों, घूसखोरी, जालसाजी, कागज बनाना, गलत दस्तावेज तैयार करना और गलत ढंग से उपहार स्वीकार करना, सरकारी सम्पत्ति का गबन। सब कुछ भयानक था!

कई खंडों में मिला कर हेस्टिंग्स पर १२१ अभियोग लगाए गये। हेस्टिंग्स ने अपने प्रभाव व दौलत के कारण सैंकड़ों ऐसे गवाह पेश किये जो भारत हो आए थे। भारत से लौटा हर पदाधिकारी हेस्टिंग्स के एहसानों के बोझ से दबा था, अतः हर एक ने हेस्टिंग्स का ही पक्ष लिया।

१६ जून सन् १७८४ को बर्क ने अन्तिम वक्तव्य दिया और इसके बाद सदा के लिए पार्लमिंट को तिलांजलि भी दे दी।

पार्लमिंट में जब मत लिए गए तो हेस्टिंग्स के पक्ष में छब्बीस और विपक्ष के छः मत मिले। पार्लमिंट ने हेस्टिंग्स को बेकसूर माना। अन्त में २३ अप्रैल सन् १७९५ को पूरे सात साल तक चलने वाले इस मुकदमे का अन्त हुआ। हेस्टिंग्स को मुक्ति मिली।

सारी दुनिया को पार्लमिंट के इस फैसले पर आश्चर्य हुआ था। प्रश्न था कि इतने प्रमाणित सुबूतों के रहते हुए भी हेस्टिंग्स कैसे निर्दोष सिद्ध हुआ।

सरकारी वकील ने मुकदमे की पैरवी का बिल बनाया ६१६९५ पौंड। अदालत ने १६९८६ पौंड को मान्यता दी। प्रतिवादी पक्ष का ७१०८० पौंड खर्च हुआ।

मुकदमे में हुए व्यय को लेकर भी खूब चखचख रही। इतना व्यय करने की क्या हेस्टिंग्स की स्थिति थी? लेकिन कम्पनी के डाइरेक्टरों ने हेस्टिंग्स को उसके कार्यों के लिए ४००० पौंड प्रतिवर्ष की पेंशन बांध दी और यह पेंशन अपनी जेब में रख कर हेस्टिंग्स जा कर गांव में रहने लग गया।

सन् १८१३ में जब कम्पनी और अंग्रेजी सरकार के बीच नए समझौते की बात चल रही थी तब वारेन हेस्टिंग्स की फिर आवश्यकता पड़ी इस समय हेस्टिंग्स

की आयु ८१ वर्ष की थी। उसे सम्मानपूर्वक पार्लामेंट में लाया गया और पूरी पार्लामेंट ने उठ कर उसका स्वागत किया और हर्ष-ध्वनि की।

सन् १८१८ में हेस्टिंग्स की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के साथ ही बर्बरता, अत्याचार और अपहरण की एक लम्बी कहानी का भी अंत हो गया।

हेस्टिंग्स के मुकदमे के समय इतने अधिक जो अभियोग लगाए गए थे, उनमें कहाँ तक सत्यता थी और कहाँ तक उन्हें मान्यता मिली, यह आँखों से देखते हुए भी लोग किसी निर्णय पर क्यों न पहुँच सके? हेस्टिंग्स द्वारा असहाय भारतीय नवाबों, राजाओं तथा विधवा बेगमों पर किये गये अत्याचार को जी-जान लड़ा कर बर्क व उसके साथी सिद्ध क्यों न कर सके? यह तमाम प्रश्न उत्तर-विहीन ही रह गए। और इससे इतना तो सिद्ध अवश्य हुआ कि अंग्रेजी समाज व शासन की चोटी पर बैठने वाले, विश्व में न्यायप्रियता के लिए विख्यात अंग्रेजों पर हेस्टिंग्स का बुरी तरह प्रभाव था; इतना कि उसके मामले में अंग्रेजी स्वार्थ-लाभ को ही दृष्टि में रखा गया और भारत में मानवता की जो हत्याएँ हुईं, उन पर ध्यान न देना ही कूटनीति समझी गई। नैतिकता की बात को भी न्यायप्रिय कहे जाने वाले अंग्रेजों ने 'इंग्लैंड की साम्राज्य-विस्तार की नीति' के पक्ष में एक ओर हटा कर न्याय की दृष्टि से हेस्टिंग्स को निर्दोष तो सिद्ध किया ही, बल्कि उसकी सेवाओं के प्रति समस्त अंग्रेज जाति ने सम्मान भी प्रदर्शन किया। बर्क की सेवाओं की उपेक्षा की गई और मानव-न्याय के प्रति अवहेलना दिखाई गई।

एडमंड बर्क के अथक परिश्रम और मानवता के प्रति न्याय की स्थापना के अटूट प्रयास के फलस्वरूप सात वर्षों तक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चलने वाले विश्व रंगमंच पर इतने बड़े 'महाअभियोग' के मुकदमे का अंत में एक नाटक, एक दिखावा सिद्ध हुआ, क्योंकि न्याय का नाटक करके अंग्रेजों ने मानवता के प्रति अन्याय किया।

इसी मुकदमे में एडमंड बर्क की [illegible] वक्तृताओं का अक्षरशः वर्णन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही मूल अंग्रेजी में यह ग्रन्थ अप्राप्य सा रहा और [illegible] की भी अवहेलना की गई और इसे अच्छी तरह प्रकाश में नहीं लाया गया। क्योंकि इस ग्रन्थ में अपनी वक्तृताओं में बर्क महोदय ने भारत में हेस्टिंग्स के अमानुषिक व्यवहारों और घृणित कारनामों का तथा अंग्रेजी राज्य की स्थापना में किए गये अनैतिक कृत्यों का पूरा-पूरा हवाला दिया है। भला अंग्रेज क्यों चाहते कि विश्व की नई पीढ़ी अंग्रेजी राज्य की नींव में पड़ी निर्दोष भारतीय जनता की हड्डियों को पहचान लेती! परन्तु इतिहास-चक्र की बड़ी निर्मम गति है। इतिहास न तो किसी को क्षमा करता है, न किसी के साथ पक्षपात! इतिहास से अधिक न्याय-प्रिय और कौन हो सकता है? दो सौ वर्ष पूरे होने न होते अंग्रेज-राज को भारत से अपना बोरिया-बिस्तर समेटना ही पड़ा।

विश्व-जागरण के साथ भारत में भी नई जागृति फैली। राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का मूल्य भारत ने भी समझा और सात समुद्र पार से आ कर दिल्ली पर फहराने वाला यूनियन जैक पुनः लंदन वापस चला गया और दिल्ली पर राष्ट्रीय पताका फहरा उठी। इसी का प्रारम्भिक इतिहास इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ताकि भारतवासी और समस्त संसार के स्वातंत्र्य-प्रिय नागरिक यह देखें कि अन्याय व अत्याचार की नींव पर खड़ी अंग्रेजी साम्राज्य की इमारत कितनी जल्दी गिर कर चकनाचूर हो गई।

प्रस्तुत ग्रंथ तो मूल अंग्रेजी में है, हिन्दी में इसका अनुवाद प्रस्तुत कर के हिन्दी जनता के लिए सुलभ करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसे मैं अपने लेखकीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर मानता हूँ।

इस ग्रंथ के अनुवाद को मूल के निकट रखने का पूरा प्रयत्न मैंने किया है फिर भी पाठकों को जो भी त्रुटियाँ दिखें, उसे वे मेरी असमर्थता समझ कर क्षमा करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है।

अंत में मैं पुनः कहूँगा कि इसमें ग्रंथ की समस्त कमियों का भागी मैं हूँ और समस्त उपलब्धियों के अधिकारी पाठकगण हैं।

—ओंकार शरद

अभियोग लगाने वाले और अभियुक्त

एडमण्ड बर्क

फिलिप फ्रंसिस

चार्ल्स जेम्स फाक्स

वारेन हेस्टिंग्स

न्यायावतार एडमण्ड बर्क
और सात साल चलने वाला मुकदमा

एडमण्ड बर्क की जीवन-कथा न्याय व मानवता के लिए अथक संघर्ष की कहानी है। एक अंग्रेज विद्वान ने ठीक ही कहा है, 'मानवीय न्याय की स्थापना में बर्क ने अपना जीवन लगा दिया। आज तक उस न्यायावतार का स्थान कोई नहीं भर सका।'

लगभग दो शताब्दी पूर्व इंग्लैंड की पार्लमिंट में जब इस अवतारी पुरुष की ओजपूर्ण वक्तृताओं के माध्यम से उसकी वाणी गूँजती थी तब विश्व-राजनीति में न्याय का सिर बहुत ऊँचा उठता था। इंगलैंड का टोरी दल उसे योरप का रक्षक कहता था। और आज तक विश्व में उस जैसा दूसरा राजनीतिक-दार्शनिक पैदा नहीं हुआ। उस जैसा विचारक, चिंतक, वक्ता और लेखक भी दूसरा नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति में इतने सद्गुणों की एक साथ कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बर्क को सारा विश्व इतिहास-पुरुष मानता है। बर्क का समस्त जीवन न्याय व सत्य की स्थापना के प्रयास में ही बीता। वह जीवन को उसके पूर्णरूप में ही देखता था। उसमें दूसरों को प्रेरित करने की अद्‌भुत क्षमता थी। उसको रचनाओं को पढ़ कर मैकाले ने कहा था, 'कितना प्रसंशनीय ! मिल्टन के बाद दूसरी महान प्रतिभा !'

एडमंड बर्क के संबंध में कोई प्रामाणिक तथ्य ज्ञात नहीं है। अब तक विद्वानों ने उसके जन्म का वर्ष १७२८ या १७२९ माना है। संभव है इसमें एक-दो साल का अन्तर हो। फिर भी माना गया है कि बर्क का जन्म १२ फरवरी १७२९ को डबलिन में हुआ था। उसके पिता मुख्तार थे और माता धार्मिक प्रवृत्तियों की महिला थीं। माँ का ही प्रभाव था कि अपने समस्त जीवन में बर्क गिरजाधर का सच्चा प्रेमी रहा।

१७४१ में बर्क को सर्वप्रथम बार स्कूल भेजा गया। १७४८ में डबलिन के ट्रीनेटी कालेज से वह ग्रेजुएट हुआ।

अपने विद्यार्थी जीवन के संबंध में बर्क से स्वयं लिखा है, 'मैं प्रतिदिन तीन घन्टे पुस्तकालय में बिताता था। मैं इसे जीवन का सुगम मार्ग मानता था। मैं इतिहास में अधिक रुचि रखता था, क्योंकि इतिहास के माध्यम से ही मैं अपने स्वदेश से घनिष्ट परिचय प्राप्त कर सका।

बर्क ने १७५० में वकालत पास की और उसी वर्ष लन्दन आया।

बर्क अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और पिता से उसकी कभी पटती न थी। वकालत के प्रारंभ में जीविका भर की आय भी न हो पाती थी, और पिता खर्च को भी रुपये न देते थे। अतः विवश हो कर बर्क को वकालत के साथ-साथ लिखने का कार्य भी करना पड़ता था।

१७५६ में बर्क की शादी हुई। लेकिन बर्क की शादी के संबंध में भी कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते कि सचमुच ही उसकी शादी कब और कहाँ हुई। १७५६ का वर्ष अनुमान से निश्चित माना जाता है। बर्क के श्वसुर आयरलैंड के निवासी और प्रसिद्ध डाक्टर थे। किंवदन्ती है कि बर्क उनके पास चिकित्सा के लिए गए थे और उनकी बेटी से प्रेम करने लगे। इस संबंध में एक दूसरी भी कहानी है कि बर्क ने डाक्टर के घर पर ही एक कमरा ले रखा था और उनके यहाँ रहते हुए ही बर्क ने डाक्टर की बेटी को पत्नी रूप में ग्रहण किया। लेकिन बर्क की पत्नी थी बड़ी सुशीला और मधुर तथा समझदार स्वभाव की।

शादी के वर्ष ही बर्क ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। उसके लेख प्रमुख पत्रों में स्थान पाने लगे। वह अधिकांश गम्भीर दार्शनिक विषयों पर आलोचनात्मक लेख लिखता। अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक बासवेल और जानसन व गोल्डस्मिथ उसके समकालीन थे।

तीस वर्ष की अवस्था में ही बर्क का नाम उस युग के महान लेखकों में लिया जाने लगा।

१७५९ में बर्क का परिचय लार्ड चार्लमाउन्ट ने विलियम गेरार्ड हेमिल्टन से कराया। हेमिल्टन अपने समय में पार्लमेंट के भाषणकर्ताओं में बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध था। १७६१ में हेमिल्टन, लार्ड हेली फाक्स का निजी सचिव बन कर आयरलैंड गया और उसी के साथ बर्क भी गया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने तभी लिखा था, 'यदि एडमंड बर्क उसी देश में रह जाता जहाँ निरर्थक ही नियति ने उसे पहुँचा दिया था तो शायद वह इतिहास बदल देता।'

'आयरलैंड से ही १७६१ में वह पार्लमेंट का सदस्य चुना गया। बर्क दो वर्ष, १७६१-६३ तक आयरलैंड में रहा। इसी बीच राजनैतिक सिद्धान्तों में मतभेद के कारण हेमिल्टन से उसकी मित्रता समाप्त हो गई। इसी बीच इंग्लैंड की राजनीति दिन-प्रति-दिन नए मोड़ लेने लगी। प्रधान मंत्री पिट की मर्यादा नष्ट हुई। फिर बूट का चुनाव हुआ। इसी बीच बर्क की मित्रता लार्ड राकिंघम से हो गई जो बाद में प्रधान मंत्री बना। १७६६ के सत्र के प्रारम्भ में ही बर्क ने पार्लमेंट में प्रथम भाषण किया। जिसे सुन कर मि० पिट ने बड़ी प्रसंशा की।

१७६८ की १ली मई को बर्क ने एक पत्र में अपने संबंध में लिखा, 'मैंने एक छलांग लगाई। अब तक मैं जो कमा कर इकट्ठा कर सका था और अपने मित्रों की

सहायता से मैंने एक मकान खरीद लिया है। इस मकान के साथ छः सौ एकड़ जमीन भी जुड़ी हुई है। लन्दन से चौबीस मील दूर बकिंघमशायर में। यह बड़ा ही रमणीक स्थान है। और यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं सब काम-काज छोड़ कर किसान बन जाऊँगा और खेती-बारी करूँगा ? इस पत्र से ज्ञात होता है कि इस समय तक बर्क अपने जीवन की सीधी राह न चुन सका था। वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट न था। यों तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी महान विचारक कभी भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहता और सदा ही जीवन की प्रगति के लिए वह नए रास्ते ढूंढ़ता रहता है। यही स्थिति बर्क की भी थी।

इन दिनों इंगलैंड के शासन की स्थिति गड़बड़ थी। स्काटलैंड निवासियों और अंग्रेजों में आपसी घृणा अपनी चरम सीमा पर थी। लार्ड बूट को प्रधान मंत्री पद से अलग हो जाना पड़ा था। इन्हीं दिनों अमरीकी उपनिवेश को ले कर पार्लमेंट में बड़ी चख-चख रहती थी। नवयुवक बर्क ने सर्वप्रथम बार वैधानिक मामलों पर बड़ी विद्वतापूर्ण और असाधारण भाषण किए। लोगों को सर्वप्रथम बर्क की असाधारण वक्तृताशक्ति का अंदाज मिला। उसने शासन की दुर्व्यवस्था पर आक्रमण करते हुए कहा था—"जनता के लाभ और शासन की व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि सरकार अपने उद्देश्य को महान और उच्चतम रखे।'

अमरीकी उपनिवेशों को ले कर पार्लमेंट में झगड़ा चल ही रहा था और बर्क अपने कानूनी सिद्धान्तों द्वारा बराबर पार्लमेंट में शासकीय मर्यादा और सरकारी स्वरूप पर भाषण कर रहा था कि १७७२ में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बीच संबंध बुरी तरह बिगड़ गए। संसद-सदस्यों में इस मामले को ले कर कई दल बन गए और आपसी तनाव भी बहुत बढ़ गया। तभी पार्लमेंट में एक प्रस्ताव आया कि बर्क को भारत भेजा जाय और वहाँ वह सभी सरकारी विभागों का निरीक्षण करे और कम्पनी के कर्मचारियों के आचरण को ठीक करने के लिए जो भी उचित समझे कदम उठाए। उसे शासकीय व्यवस्था ठीक करने का पूरा अधिकार दिया गया। लेकिन बहुत सोच-विचार के बाद, बर्क ने यह भार अपने ऊपर लेने से इन्कार कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया, इसके कारण नहीं ज्ञात हो सके। ऐसा अनुमान किया जाता है कि पार्लमेंट के तत्कालीन राकिंघम दल का वह योग्यतम व्यक्ति था और उसके भारत जाने से इंगलैंड में यह दल नष्ट हो जाता, इसलिये उसने देश छोड़ना उचित नहीं समझा।

१७७३ में बर्क फ्रांस गया। वहाँ उसने फ्रांस की तत्कालीन स्थिति का खूब गहराई से अध्ययन किया। बर्क प्रतिदिन पेरिस की अदालतों में जा कर वहाँ के मुकदमों की कार्यवाहियों का खूब गहराई से अध्ययन करता। बर्क के मन में अपने देश इंगलैंड को कानून व न्याय की दृष्टि में बहुत ऊपर उठाने का सपना पल रहा था। पूरे एक वर्ष बर्क फ्रांस में रहा।

१७७४ में जब ब्रिटेन में जन चुनाव हुआ तो बर्क ब्रिस्टल से पार्लमिंट का सदस्य चुना गया। इस चुनाव में बर्क को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। एक बार तो दो सौ सत्तर मील का चुनाव दौरा उसने चौवालिस घन्टों में पूरा किया और पूरे चुनाव तक वह एक घन्टे को भी सो न सका था। इस बार छ वर्षों तक वह पार्लामेंट में ब्रिस्टल का प्रतिनिधि रहा। यह छ वर्ष बर्क के जीवन के बड़े संघर्षपूर्ण बीते। यह वही काल था जब इंगलैंड और अमरीकी उपनिवेशों में लगातार गृह-युद्ध होते रहे। इंगलैंड के राजा जार्ज तृतीय और प्रधान मंत्री लार्ड नार्थ की स्थिति बड़ी डाँवाडोल हो गयी थी। बर्क ने देश भर में घूम-घूम कर एक ही बात कही, 'जनता को राजा और पार्लमिंट में पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। बिना राजा और पार्लमिंट को दृढ़ बनाए, शासन और प्रजातंत्र न चल सकेगा और प्रजातंत्र की रक्षा करना जनता का काम है।' बर्क के भाषणों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। १७८० में ब्रिस्टल में बर्क का जो भाषण हुआ उसमें उसने विरोधियों को बड़ा तीखा उत्तर दिया। उसने कहा, 'यह सच है कि देश के प्रति प्रेम और देश की स्वतंत्रता, शान और सम्मान से बड़ा और कोई विचार संभव नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी 'देशभक्त' हैं जिनकी स्वतंत्रता, शान और सम्मान से ही संबंधित है। जब तक कुछ लोग उनके अधीन न हों वे अपनी स्वतंत्रता ही नहीं समझते। लोगों पर व्यक्तिगत रूप से शासन करने को ही वे अपनी स्वतंत्रता मानते हैं। अमरीकी उपनिवेशों में होने वाले उपद्रवों का कारण ऐसी भावनाएँ ही रही हैं।'

अमरीकी गृह-युद्ध को ले कर पार्लमिंट में उसके जो प्रसिद्ध भाषण हुए उनमें कुछ महत्वपूर्ण भाषण ये हैं, १९ अप्रैल १७७४ को अमरीकी करों संबंधी, २२ मार्च १७७५ को अमरीकी समझौता संबंधी और १७७७ में ब्रिस्टल संबंधी। इन भाषणों को जब पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया तो ये पुस्तकें अंग्रेजी साहित्य की स्थायी निधियाँ मान ली गईं। और बर्क का नाम शेक्सपियर, मिल्टन और बेकन के साथ लिया जाने लगा।

इन्हीं भाषणों के बीच बर्क ने दो निम्नलिखित वाक्य ऐसे भी कहे जो विश्व की जनतांत्रिक परंपरा के लिए वेद-वाक्य बन गए—

'जब समस्त जनता का प्रश्न सामने हो तब किसी भी व्यक्ति विशेष का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, न कोई मुझे पथ-भ्रष्ट कर सकता है।'

'जब समस्त जनता की चीत्कार और पुकार मेरे कानों में गूँज रही हो तब तक मैं ऐसे किसी भी वक्तव्य को नहीं सुन सकता जिसका जनता से संबंध न हो।'

१७८० के आपपास यह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा कि इंगलैंड के तत्कालीन मंत्रियों और अधिकारियों ने शासन व्यवस्था को बिल्कुल प्रभावहीन और हास्यास्पद स्थिति में ला दिया है। फल वही हुआ जिसकी बर्क को आशंका थी। समस्त देश में अराजकता व उपद्रव का वातावरण फैल गया। बर्क प्रारम्भ से ही मंत्रियों का

पक्ष लेता था, अतः उपद्रवी जनता उससे नाराज थी। एक दिन उपद्रवी भीड़ ने बर्क के घर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल ही पलटन और पुलिस पहुँच गई। पर बर्क ने पुलिस व पलटन को उपद्रवी जनता पर शक्ति का प्रयोग करने से रोका। बर्क ने अपने आवश्यक कागज-पत्रों को सम्हाला और पुलिस के साथ क्रुद्ध जनता के बीच आ खड़ा हुआ। उसने अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग किया और कुध भीड़ को शान्त कर दिया। जनता से सरकार को जितना भय लगता है उतना बर्क को कभी नहीं लगा। बर्क अपने को सदा ही जनता का आदमी और जन-साधारण ही मानता था।

१७८२ में लार्ड नार्थ का मंत्रिमंडल समाप्त हुआ। राजा ने लार्ड रार्किघम को प्रधान मंत्री नियुक्त किया। बर्क इस मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। बर्क, फाक्स दोनों मंत्री बनाए गए। शेरीडन को उप-मंत्री बनाया गया। बर्क को चार हजार पौंड प्रतिवर्ष का पारिश्रमिक मिलना निश्चित हुआ। लेकिन बर्क के भाग्य में मंत्री-पद बहुत दिनों के लिए न था। चार महीने के बाद ही लार्ड रार्किघम की मृत्यु हो गई। जो नया मंत्रिमंडल संगठित हुआ उससे फाक्स और बर्क की पट न सकी और किसी तरह बीस महीने मंत्री पद का भार ढो कर बर्क ने मुक्ति ली। पर वह पार्लमेंट का सदस्य बना रहा।

१७८३ के अंत में पार्लमेंट में 'इंडिया बिल' पेश हुआ। कई जाँच समितियों की रिर्पोटें पेश की गई और सभी में यही बताया गया कि भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट और असम्मानीय है। फाक्स और बर्क ने भारत संबंधी मामले को खूब आगे बढ़ाया। सरकार ने इस मामले को एक हद तक दबाना चाहा, पर बर्क के आगे उसकी एक भी न चली।

१ दिसम्बर १७८३ को पार्लमेंट में भाषण दे कर बर्क ने 'इंडिया बिल' का समर्थन किया। लेकिन सरकार की टालू नीति के कारण भारत का मामला पूरे छः वर्ष तक झमेले में पड़ गया था।

१७८५ में यह मामला फिर प्रकाश में आया। इसी वर्ष वारेन हेस्टिंग्स भारत से लौट कर इंग्लैंड आया। बर्क कई वर्षों से भारत में हो रही घटनाओं पर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि गड़ाये था। भारत में हो रहे अत्याचारों और अपहरण की लम्बी श्रृङ्खला की प्रत्येक घटना के प्रति वह सदा जागरूक रहा। जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस आया तो बर्क को लगा कि इस मामले पर चोट करने का यही सर्वोत्तम अवसर है। उसने जून १७८५ को पार्लमेंट में यह सूचना दी कि अगामी किसी तिथि को वह भारत से तत्काल वापस आए इस उच्चाधिकारी के आचरणों के संबंध में वक्तव्य देगा।

यहाँ यह बात स्मरणीय है कि भारत के साथ इंगलैंड का गहरा आर्थिक संबंध बन चुका था और इसी कारण इस मामले के प्रति सरकार का पक्षपातपूर्ण

व्यवहार था और 'इंडिया बिल' को घपले में डालने का प्रयास चल रहा था और सरकार के इस रूख के समर्थन में पार्लमेंट के अधिकांश सदस्य थे, यानी इसे दबाने का ही बहुमत था। लेकिन बर्क ने एक उच्चाधिकारी के आचरण की बात उठा कर एक प्रकार से तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मंत्रिमंडल के स्वार्थों पर तथा वैधानिक अन्याय व भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया था। लोगों ने पुन: हेस्टिंग्स के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाही को फाक्स के 'इंडिया बिल' के संघर्ष का एक अंश माना। लेकिन बर्क इन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और भारत के मामले को वह बराबर महत्व देता रहा। बर्क ने भारत सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण कागज-पत्र पार्लमेंट के सामने रखे। हैदर अली द्वारा कर्नाटक को छीनने की बात को उसने अंग्रेजी सरकार की असफलता और अयोग्यता बतायी। इसके भीतर भी उसे भ्रष्टाचार के कुछ कारनामे छिपे दिखाई पड़े। अत: जब गुप्त तथ्यों को उद्घाटित करते हुए बर्क ने अपना भाषण दिया तो लोग आश्चर्यचकित रह गये। बर्क को भारत के प्रति संवेदनशील दृष्टि के साथ ही राजनीतिक सिद्धांत भी जुड़े थे। राजनीतिक सिद्धांतों के लिए तो वह पहले से ही संघर्ष करता रहा है। १७८० में उसने 'गुलामों के व्यापार' पर सिद्धांतवश प्रहार किया था।

बर्क बड़ा सिद्धांतवादी और सत्यप्रिय व न्यायनिष्ठ राजनीतिक विचारक था। राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग उससे देखा न गया। हेस्टिंग्स के राजकीय अन्यायों व अपराधों के कारण अंग्रेजी राज्य व ब्रिटिश चरित्र का जितना हनन हो रहा था, उससे उसके दिल में हाहाकार मचा था। भारत में हेस्टिंग्स के चौदह वर्ष के शासन-काल में उसे सर्वत्र अपराध ही अपराध दिखाई पड़ा। उसका दिल किसी प्रकार यह मानने को तैयार न था कि राजाओं व नवाबों का यह प्रतिष्ठित देश, पुरानी धार्मिक परम्पराओं का यह देश, जहाँ के निवासी मानवता के लिए जीते हैं और मरने पर भी संतोष अनुभव करते हैं, वहाँ के करोड़ों किसानों और लाखों सम्मानित परिवारों, वहाँ के धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों और मुसलमानों को, अवध के वैभव को, बनारस की पवित्रता को और ईश्वर के उस सुन्दर निर्मित बाग को अंग्रेजी राजकीय लालसा के लिए नष्ट कर दिया जाय।

बर्क के प्रयत्नों के बाद भी पार्लमेंट किसी प्रकार भी हेस्टिंग्स पर महाअभियोग का मामला चलाने को तत्पर न थी, जब तक कि पिट इसके लिए सम्मति न देता और पिट ने अचानक इस मामले को चलाये जाने के लिए सम्मति कैसे प्रदान की, यह आज तक इतिहास का एक रहस्य ही बना हुआ है।

पार्लमेंट कभी भी महाअभियोग का यह मामला चलाने की सम्मति न देती यदि बर्क वहाँ न होता और अपनी सूझ-बूझ, तर्क और शक्ति तथा ज्वलंत प्रतिभा का उपयोग न करता और उसे फाक्स, शेरिडन, विढंम, ग्रे जैसे सहयोगियों का सहयोग न मिला होता।

१७८६ में बर्क को किसी प्रकार हेस्टिंग्स के विरुद्ध अपराध आरोपित करने की सम्मति प्राप्त हुई। फरवरी १७८८ में वेस्टमिंस्टर के ऐतिहासिक हॉल में यह विश्वविख्यात तथा ऐतिहासिक महाअभियोग का मामला प्रारंभ हुआ। बर्क के वक्तव्यों के समय वेस्टमिंस्टर हॉल का दर्शनीय दृश्य होता। अदालत में खामोशी छायी रहती। सभी बेंचें व गैलरियाँ सम्मानित व्यक्तियों से भरी रहतीं। सभी स्तब्ध बैठे रहते। सन्नाटा ऐसा कि कागजों के पन्नों को उलटने से सिर्फ खस-खस आवाज ही सुनाई पड़ती। और कोई ध्वनि नहीं। सभी की आँखें बर्क पर टिकी रहतीं।

कटघरे में, एक समय भारत में आतंक की मूर्ति बना वारेन हेस्टिंग्स खड़ा था, अपराधी के रूप में।

उस युग के तीन राजनीतिक विचारकों—एडमण्ड बर्क, चार्ल्स जेम्स फाक्स और शेरीडन—ने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अन्याय, क्रूरता, अपहरण, नारी अपमान और कुशासन के बीस गंभीर अपराध लगाये थे।

यह कोई साधारण या मामूली मुकदमा न था, किसी एक व्यक्ति के अपराधों का विचार नहीं होना था। इससे ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा जुड़ी थी। यह ऐसा गंभीर मामला था कि इसके परिणामस्वरूप इंगलैंड की तत्कालीन सरकार का अंत हो सकता था।

इस मामले को ले कर समस्त इंगलैंड की जनता बुरी तरह उत्तेजित थी।

सन् १७५७ में प्लासी की लड़ाई में क्लाइव की विजय से भारत की लाखों वर्ग मील जमीन के अंग्रेज मालिक बने थे और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बंगाल में पाँव जमे थे, कम्पनी ने अथाह दौलत कमायी थी, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा धन इकट्ठा किया था कंपनी के अंग्रेज नौकरों ने, सो भी अनुचित कार्यों व लूट-खसोट से। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर कम्पनी का शासन था और इंगलैंड की सरकार बंगाल में चल रहे शासन के प्रति बेखबर थी, इसी का लाभ उठा कर कम्पनी के अंग्रेज कर्मचारियों ने हर तरह से मनमानी कर के व्यक्तिगत रूप से सम्पति जुटाई और खुल कर भ्रष्टाचार का सहारा लिया, भारत की गरीब जनता को बेरहमी से चूसा, और कम्पनी का भी दिवाला निकाला।

यह सब तब हुआ जब वारेन हेस्टिंग्स कम्पनी का सर्वोच्च अधिकारी और बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त था। ब्रिटिश सरकार की नजर में वह एक महान शासक और योग्यतम व्यक्ति माना जाता था। लेकिन वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत थी। वास्तव में लंदन की सरकार को, जिसका हेस्टिंग्स प्रतिनिधि था, अँधेरे में रख कर वह मनमानी करता था। घूसखोरी, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेइमानी उसके गुण थे। वह कम्पनी के नाम पर बंगाल को लूट कर अपनी व्यक्तिगत सम्पति बनाने में ही अपने पूरे कार्यकाल में व्यस्त रहा। कम्पनी द्वारा निर्मित काउंसिल में एक सदस्य फिलिप फ्रांसिस था, जो हेस्टिंग्स के पापों का खुल कर विरोध करता

था। स्वाभाविक था कि उसे हेस्टिंग्स अपना शत्रु समझता। उसे हेस्टिंग्स ने अपनी शक्ति भर तंग किया लेकिन उस पर वह प्रभाव न डाल सका, तब १७८० में हेस्टिंग्स ने फ्रांसिस के साथ द्वन्द्वयुद्ध किया। वह स्थान आज भी कलकत्ता में देखा जा सकता है।

इस द्वन्द्वयुद्ध में फ्रांसिस घायल हुआ। उसे लोग उठा के ले गये। चिकित्सा हुई और वह मरने से बच गया। बाद में हेस्टिंग्स ने उससे समझौता करना चाहा, पर फ्रांसिस ने हेस्टिंग्स से बात भी नहीं की। वह अपने सीने में प्रतिशोध की आग दबाए इंगलैंड वापस आ गया। उसने इंगलैंड में हेस्टिंग्स के असली आचरण की वहाँ के प्रभावशाली लोगों में खुल कर चर्चा की।

हेस्टिंग्स १७८५ में इंगलैंड वापस आया। उसे आशा थी कि भारत में उसने जो कुछ किया, जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत की जड़ जमाई, उसके लिए इंगलैंड उसकी प्रशंसा करेगा और इनाम देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही।

फ्रांसिस पहले ही इंगलैंड आ कर हेस्टिंग्स के खिलाफ वातावरण बना चुका था। वह बर्क से मिल कर सब बातें बता चुका था। बर्क विश्व भर के पीड़ित मानव का रहनुमा माना जाता था, वह उस समय ब्रिटिश पार्लमेंट में विरोधी नेता था।

बर्क ने पार्लमेंट में मामला उठाया। सारे इंगलैंड में उत्सुकता की लहर दौड़ गई, हर व्यक्ति इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा।

इसीलिए १७८८ में वेस्टमिंस्टर में लोगों की भारी भीड़ जुटी। मुकदमा सुनने व देखने आने वालों में शाही परिवार के लोग थे, लार्ड थे, बड़े घरों की महिलाएँ थीं, सैनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे। लगता है कि बर्क का जन्म इसी महान काण्ड को पूरा करने को हुआ था। जब इस मामले को ले कर बर्क के भाषण हुए और उसने राजकीय स्वार्थ के अनगिनत नग्न तथ्य उपस्थित किए तो उससे सभी श्रोता जैसे निर्जीव से हो गए। लोग अपराध और अन्याय के किस्से सुन कर दंग रह गये। श्रोताओं के बीच बैठी कोमलांगी अंग्रेज स्त्रियाँ चीख-चीख कर बेहोश हो गई और बेहोशी में ही उन्हें हॉल के बाहर पहुँचाया गया। भाषण के बीच-बीच में ऐसे अनेक अवसर आए जब अत्याचार, अपहरण और अपराध का घृणित वर्णन करते-करते बर्क की वाणी स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती थी।

बर्क के इन भाषणों को सुनने के लिए एकत्रित श्रोताओं में कई महान व्यक्ति भी बराबर आते थे। उनमें एक उल्लेखनीय नाम है—फैनी बर्नी का। वह स्त्री बर्क के भाषणों से बुरी तरह प्रभावित हुई। सुनते-सुनते वह इतनी उत्तेजित हो जाती कि विढ़म को अपनी कुर्सी से उठ कर, आ कर उसे समझाना और सांत्वना देना पड़ता। उसने कहा भी था—'बर्क की भाषण-शक्ति ने मुझे बेचैन कर दिया है। जब वह वर्णन करता है तो लगता है कि नपे-तुले शब्दों का झरना बह रहा है। अबाध गति से बिना रुके। जब वह भारत की नर-हत्या व अन्य अपराधजन्य

घटनाओं का वर्णन करता है तो मैं इतनी विचलित हो जाती हूँ कि हेस्टिंग्स के प्रति मेरे मन में संवेदना के स्थान पर घृणा का साम्राज्य छा जाता है। मेरा यहाँ बैठा रहना कठिन हो जाता है। हेस्टिंग्स को देख कर मेरी आँखें बरसने लगती हैं। अब हेस्टिंग्स का अपराध छिप नहीं सकता। अत्याचार, अन्याय, अपहरण का ऐसा मामला फिर संसार में दुहराया न जाएगा।'

१७९५ में, छः वर्ष के बर्क के अथक परिश्रम के बाद लार्ड-जजों ने अपने फैसले व विचार सुनाने की हामी भरी। लेकिन हुआ क्या? इस नाटक का पटाक्षेप किस प्रकार हुआ? क्या किसी को आशा थी कि हेस्टिंग्स यों मुक्त कर दिया जायगा? १७८१ की जाँच कमेटी की रिपोर्ट से आज तक बर्क ने इस संबंध में चौदह वर्ष तक परिश्रम किया था। बर्क ने कहा था, 'यदि मुझे कोई पुरस्कार दिये जाने को बुलाया जाता, कि बिना किसी व्यवधान के मैंने जो चौदह वर्ष परिश्रम किया, उसका भला क्या पुरस्कार हो सकता है? मैं केवल यह माँगता कि चौदह वर्ष का और समय मिले तो मैं एक क्षण को रुके बिना पूरे चौदह वर्ष तक लगातार इस सम्बन्ध में बोल सकता हूँ।'

फैसले में तो बर्क की हार अवश्य हुई पर दूसरे दृष्टिकोण से यह बड़ी विजय भी रही। दो सौ वर्ष पूर्व वेस्टमिंस्टर हॉल में हुए महाअभियोग के उस मामले से सारे विश्व की आँखें खुलीं। राजनीतिक परम्परा को एक मान्यता मिली, स्वस्थ राजनीतिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा बढ़ी। एक विश्वव्यापी महाअभियोग के लिए एक व्यक्ति का दण्डित होना या न होना उतना महत्व नहीं रखता जितना यह कि ब्रिटेन जैसे महादेश की न्यायप्रियता के चेहरे पर से एक झूठा आवरण सदा के लिए हटा दिया गया और सो भी बर्क जैसे न्यायावतार अंग्रेज पुरुष के हाथों। बर्क ऐसा जनवादी व्यक्ति था कि वह अपना पुरस्कार पा जाता, यदि भारत व ब्रिटेन दोनों के हितों के लिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजय न पा कर पराजय पाते। कम से कम अंग्रेज जाति पर शर्म की यह कभी न मिटने वाली मुहर तो न लगाती! और आज कोई विश्वास न करता कि क्लाइव ने एक दूसरे व्यक्ति को अमीचन्द बनाया और उसे इसके लिए पुरस्कृत किया गया और ऐसे ही कार्य के लिए नन्दकुमार को इम्पे ने फाँसी पर चढ़ा दिया, यह भी कोई न मानता कि जालसाजी एक महान पाप है और जिसके लिए हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश फौज तक का व्यापार कर डाला।···हेस्टिंग्स को मुक्ति मिली और वह राजकीय सम्मान का भागी हुआ। लेकिन उसके महाअभियोग का मामला विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया। यह सिद्धान्त भी प्रतिष्ठित हुआ कि कोई उच्च जाति किसी पर राज्य करे तो नैतिक आचरण की अवहेलना न करे।

किसी भी शक्तिशाली व घमण्डी राज्य के आचरणों के विरुद्ध आवाज उठाने का जो परिणाम होता है वह बर्क को भी भोगना पड़ा। जब उसने वेस्ट-

मिंस्टर में हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाअभियोग का मामला उठाया तब बर्क अपनी आयु के साठवें वर्ष के पास पहुँच चुका था। इस मामले में उसकी समस्त शक्ति का व्यय हो गया। इस मामले के बाद वह भीतर से जैसे निर्बल व शक्तिहीन हो गया था।

हेस्टिंग्स के मुकदमे के परिश्रम और उसके परिणाम के बाद बर्क के मन में एक अप्रत्यक्ष निराशा ने घर कर लिया था। थोड़े दिनों उसने आराम करना चाहा, पर इसी बीच फ्रांसीसी राजक्रांति के कारण उसे पार्लमेंट में और अधिक कार्य करना पड़ा। इन बातों का उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक ही था।

बर्क जीवन भर सिद्धान्तों के लिए लड़ता रहा। ऐसी लड़ाइयों में आदमी अकेला ही रहता है। बर्क के भी अनुयायी न थे।

जब हेस्टिंग्स का मुकदमा समाप्त हुआ तो वह १७९४ का वर्ष था। बर्क तक पैंसठ साल का वृद्ध हो चुका था। इसी वर्ष बर्क के युवा पुत्र को ईश्वर ने उससे छीन लिया। बर्क ने अपने बेटे पर बड़ी आशाएँ केन्द्रित कर रखी थीं। बेटे की मृत्यु से उसका दिल व शरीर दोनों टूट गए। बर्क ने इन्हीं दिनों लिखा—'तूफान मेरे सिर के ऊपर स्थायी रूप से छा गया है। मैं उखड़े वृक्ष सा धराशायी होकर पड़ा हूँ। मेरे ऊपर आरोपित समस्त सम्मान आज बिखर गए हैं और मैं जड़हीन वृक्ष सा गिर पड़ा हूँ· मैं अकेला हूँ, नितांत एकाकी। अब द्वार पर शत्रुओं का सामना करने को मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। मैं अब निरीह हूँ। जो अब तक मेरे पीछे थे वे अब मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं।'

इसके बाद बर्क केवल तीन वर्ष और जीवित रहा। राज्य की ओर से बर्क को बारह सौ पौंड प्रतिवर्ष की पेंशन बाँध दी गई। अपना व्यक्तिगत अहित करके ब्रिटिश राज्य की तीस वर्ष की सेवाओं का उसे उसकी वृद्धावस्था में यही राजकीय पुरस्कार मिला। नाम के लिए उसकी सेवाओं के सम्मानार्थ पार्लमेंट ने भी एक प्रस्ताव पास किया। राजा की ओर से उसे २५०० पौंड प्रतिवर्ष की पेंशन बँधी। किवंदतियों के अनुसार कहा जाता है कि बर्क ने अपनी पेंशनें २७००० पौंड पर बेंच दी थी।

बर्क समझ गया था कि उसके जीवन का परदा अब गिरने वाला था। इन दिनों जो भी बर्क से मिलता, यह समझ जाता कि बर्क के जीवन का अंत अब निकट है। बेटे की मृत्यु ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अंतिम दिनों में बर्क ने बेकन्सफील्ड के निकट अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला।

९ जुलाई १७९७ को अड़सठ वर्ष की आयु में बर्क ने जीवन लीला समाप्त [illegible]

[illegible] जीवन भर, बर्क के संघर्ष के दिनों में उसके एकमात्र सहयोगी फाक्स ने

प्रस्तावित किया कि बर्क के शव को भी वेस्टमिंस्टर एबे में महानों के बीच दफनाया जाय। लेकिन मृत्यु के पूर्व ही बर्क ने कह दिया था कि उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह दफनाया जाय, अतः उसके प्रिय स्कूल के पास बेकन्सफील्ड में ही उसके शव को सदा के लिए कब्र में लिटा दिया गया। विद्वता और महानता का एक इतिहास दफना दिया गया।

बर्क का जब देहांत हुआ, उस समय संभवतः ब्रिटेन को उसकी सब से अधिक आवश्यकता थी। इंगलैंड व योरप का इतिहास इस समय करवट ले रहा था। नाविक विद्रोह हो गया था। पलटन में भी असंतोष था। आयरलैंड में विद्रोह की चिनगारियाँ फूटने लगी थीं और समस्त वातावरण ज्वालामुखी सा हो रहा था।

□ □ □

बर्क एक महान वक्ता था। बर्क एक महान लेखक था। बर्क एक महान शैलीकार था। बर्क एक महान राजनीतिज्ञ था। बर्क एक महान विचारक था। बर्क एक महान मानव था।

महानता का स्वरूप देखना हो तो बर्क का जीवन देखें। न्यायावतार को देखना हो तो बर्क को देखें। सत्य, न्याय और सिद्धान्त को मिला कर यदि मानव शरीर दिया जाय तो बर्क की प्रतिमा बनेगी।

बर्क ने केवल भारत के प्रति ही अपनी अगाध मानवता का परिचय नहीं दिया, बल्कि पूरा ब्रिटिश राष्ट्र उसके एहसानों से दबा है। उसने ब्रिटेन को राजनीतिक सिद्धान्त दिये; उसने उसे राजनीतिक धर्म का पाठ पढ़ाया।

जब तक विश्व में राजनीतिक मान्यताएँ रहेंगी, बर्क अमर रहेगा।

एक महाअभियोग

[वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा]

पहले, दूसरे व तीसरे दिन की कार्यवाही[1]

[१५ फरवरी सन् १७८८]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान ! मिस्टर वारेन हेस्टिग्स पर अभियोग लगाने के अधिकारी सज्जनों का आदेश है कि मैं सर्वसाधारण के सामने वे सभी कारण स्पष्ट करूँ जिनके आधार पर संसद सदस्यों ने उन पर इतने अभियोग लगाये हैं। मुझे आदेश है कि सर्वसाधारण की दृष्टि से ही उन प्रमाणों, परिणामों, प्रकृति और अपराधों के परिणामों को भी सिलसिलेवार पेश करूँ जिनका अभियोगी, वे उसे मानते हैं। मुझे यह भी आदेश दिया गया है कि मैं उस स्थिति की सफाई भी पेश करूँ जिसके कारण विवश होकर मिस्टर हेस्टिग्स पर अभियोग लगाया गया, जो अपने आप में बहुत स्पष्ट व अभियोग सिद्ध करने में सहयोगी हैं। साथ ही उन अधिकारी सज्जनों ने यह भी चाहा है कि मैं वे सभी विस्तृत प्रमाण भी उपस्थित करूँ जिससे अपराध के शिकार और सम्बन्धित जनों के कानून, रीति, रिवाज, विचार और संस्कार पर मिस्टर हेस्टिग्स के अपराधों का प्रभाव पड़ा है।

आप के सामने बिखरे यह बहुत से प्रमाण व साक्ष्य दूसरे अन्य महानुभावों द्वारा आपके सामने पेश किये जाएँगे, जो अधिकारपूर्वक, अधिक सफाई से, बेहिचक, बेशक और निश्चय ही अधिक योग्यता से इस अभियोग के विभिन्न प्रमाणों पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे। श्रीमान, आप के सामने मुझे योजनाबद्ध प्रमाण पेश करने हैं, उस अभियोग की महत्ता बताने के लिए जो आप के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है।

श्रीमान, इस परिस्थिति को मैं बड़े महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से ही देखूँगा क्योंकि इस घटना से राज्य की प्रतिष्ठा और कई राष्ट्रों का भाग्य जुड़ा है और दोनों सदनों के बीच इस सबम्न्ध में तनिक भी मतभेद नहीं है कि इस पवित्र, आवश्यक व ऐतिहासिक मुकदमे के प्रारम्भ से ही संसद ने स्वस्थ रुख अपनाया है।

---

१. यह मुकदमा १३ फरवरी सन् १७८८ को ही प्रारंभ हो गया था। प्रारंभिक दो दिनों तक केवल अभियोग लगाए गए और तीसरे दिन १५-२-१७८८ को मि० बर्क का वक्तव्य प्रारंभ हुआ।

श्रीमान, ऐसे भी लोग हैं जो वस्तुतः हमारे दस्तावेजों, इतिहास और जनता के प्रति न्याय के नाम पर बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक बात है कि कुछ लोगों का यह मत है कि संसद के निर्णय या फैसले से भारत में हुए व्यभिचार पर परदा पड़ेगा एवं उन्हें निराशा ही होगी। उन्हें अपनी हर आशा के लिए निराशा ही मिलेगी, जिन्होंने मुकदमे की सचाई से आँखें मोड़ ली हैं। हमारे संसद-सदस्य न इस असम्मान के भागी बनेंगे न इस लज्जाजनक घटना के। आज इस महाराष्ट्र पर जो छींटें पड़ रहे हैं उन्हें सर्वोच्च अदालत धो देगी। भारत के प्रति न्याय ही किया जायगा। यह भी सत्य है कि श्रीमान व अन्य माननीय न्यायाधीश इस महापुण्य व महाफल के भागी होंगे, क्योंकि प्रत्येक संसद-सदस्य जानता है कि जो प्रतिष्ठा आपके द्वारा स्थापित होगी वह हमारे लिए महान सिद्ध होगी।

श्रीमान, मैं स्वीकार करूँगा कि इन्हीं आशाओं पर संसद-सदस्यों ने आपके सामने प्रार्थना की है, क्योंकि वे भयभीत व चिंतित हैं। हम लोग साधारणजन हैं और हम लोग केवल खतरे की विवशता से प्रभावित नहीं होते बल्कि उस अभिमान के प्रति भी आस्थावान होते हैं जो हमने अपने ऊपर ओढ़ा है। श्रीमान, आज का यह कानूनी अभियान केवल इसलिए नहीं है कि अपराधी निरपराध या दण्डित सिद्ध होता है, बल्कि इससे लाखों-करोड़ों दुखी व पीड़ित मानव प्रसन्न होंगे।

श्रीमान, आप इस मुकदमे की प्रगति में देखेंगे कि यह लम्बे, सिलसिलेवार, योजनावद्ध हीन-आचरण का क्रम ही नहीं बल्कि उसी आधार पर ऐसा जाल भी वुना गया है जो अपनी वकालत स्वयं करता है। आप दोनों पर दृष्टि रखेंगे। भारत में हुई घटनाओं पर आप जो अपना निर्णय देंगे उसके आधार पर ही भविष्य की सरकार की रूपरेखा बनेगी और इस क्षण की जो मुहर उस पर लगेगी वह शाश्वत होगी।

ब्रिटिश राज्य के बहुत महत्वपूर्ण भाग, भारतवर्ष के ही संबंध की यह बात न होगी बल्कि इस निर्णय से ब्रिटिश राष्ट्र की प्रतिष्ठा व इज्जत भी बनेगी। इस निर्णय से हम निश्चित करेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत अपराधों को जनता के प्रति अत्याचार व राज्य की प्रतिष्ठा की सीमा में बाँधा जाता है या नहीं, अथवा राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर लगाए गए धब्बे को कैसे पोंछा जाता है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश राज्य की प्रतिष्ठा, न्याय और मानवतावादी दृष्टिकोण पर पड़ रहा है।

श्रीमान, एक पहलू और भी है। हमने पहले जो दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपने राज्य और राष्ट्रीय चरित्र के संबंध में अपनाये हैं, उससे भी महत्वपूर्ण एक पहलू और है। वह है प्रत्येक ब्रिटेन-निवासी की भावना का और हमारे संविधान का जो इस मुकदमे से पूरी तरह सम्बन्धित है। संविधान का भविष्य में प्रयोग और उसकी प्रतिष्ठा एवं ऐसे बड़े मुकदमों के प्रति उसका दृष्टिकोण जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर किए गए अपराध शामिल हों और जिसके विरुद्ध संसद

में सदस्यों ने आवाज उठाई है, वह आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। न्यायाधीशों की पंचायत देखेगी (मेरा विश्वास है कि अवश्य देखेगी) कि छोटे अपराधों व मुकदमों के लिए जहाँ वह बहुत महान है वहीं इस मुकदमे के सिलसिले में उसकी भी परीक्षा हो जाएगी क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण मुकदमे का अंत संविधान को भूल कर नहीं किया जा सकता। हमें अपने को कदापि धोखा नहीं देना चाहिए। अपने महत्व के बिना कोई चीज खड़ी नहीं रह सकती। यदि संविधान के महत्व को भूल कर न्याय किया जा सकता है तो हर महत्वपूर्ण चीज छिपी रह जाएगी। मुकदमे की कार्यवाही वह सीमेंट है जो सब चीजों को एक में जोड़ती है और यह सिद्ध होगा कि असली इंगलैण्ड क्या है। इस अदालत की मर्यादा है कि समस्त साम्राज्य के हर भाग का हर नागरिक उचित न्याय पाता है। हम यहाँ इसी न्याय को संविधान का सहारा देते हैं। हमारा संविधान बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बंधन से कोई नागरिक किसी भी स्थिति में नहीं बच सकता। राष्ट्र के कानून को हर एक को प्रतिष्ठा देनी ही होगी। साम्राज्य में शासन की बागडोर सम्हालने वाली शक्ति आज स्वतः न्याय के तराजू पर तौली जा रही है। दूसरे, संविधान अच्छे नागरिक बना कर अच्छे बनते हैं। अच्छे गवर्नरों के लिए यह एक सहारा है। आज इस न्यायालय मे अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करने वाले कूटनीतिज्ञों की दूसरे कूटनीतिज्ञों द्वारा आलोचना व भर्त्सना हो रही है। वह कानून के संकुचित दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र के विस्तृत और महान दृष्टिकोण से। जिन लोगों ने अपनी शक्ति का गलत व अनुचित उपयोग करके कानून की आत्मा का हनन किया है वे इस न्यायालय से कभी भी रक्षा की आशा न करें। जिन्होंने भी राष्ट्र के पैमाने पर अपराध किए हैं वे उसके परिणामों से भी नहीं बच सकते। अतः श्रीमान, आपके न्याय की रक्षा व प्रतिष्ठा करना हमारा ध्येय है, क्योंकि आपका न्याय बड़ा मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है और किसी मूल्य पर भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं गिरती है। इस बड़े मुकदमे के बड़े अंत के लिए आप जैसे न्यायाधीशों को बड़े अधिकारों से सुसज्जित किया गया है। लेकिन आप इसमें संकोच न करेंगे, बल्कि उसके पूरक बनेंगे।

हो सकता है यह सामयिक सुविधा हो या प्रतिदिन के मुकदमों से इसकी भिन्नता के कारण हो, लेकिन यह एक सत्य है कि पूरे तिरसठ वर्ष के बाद, अधिकारों के अनुचित उपयोग व राजकीय शक्ति के अनुचित प्रयोग का यह पहला महत्वपूर्ण मामला इस न्याय-पंचायत के सम्मुख उपस्थित है। इसके पूर्व सन् १७२५ में लार्ड मैकलेसफील्ड का मामला आया था। लेकिन तब से अब तक राष्ट्र के संविधान में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज जब सम्पूर्ण योरप संभवतः एक प्रकार के संक्रामक रोग के किटाणुओं से भर गया है और आज के हर आदमी के मस्तिष्क पर से प्राचीन मान्यताओं व आदर्शों का प्रभाव समाप्त हो रहा है, साथ ही नई मान्यताओं व आदर्शों के प्रति वह शंकालु है जैसा कि हर नई वस्तु के साथ होता है, तब हम बहुत सतर्क

व उत्सुक हैं कि हम प्राचीन व नई दोनों से अच्छाइयाँ ले सकें और संसदीय कार्य-प्रणाली की नवीनता हमारे लिए उपयोगी ही सिद्ध हो ।

श्रीमान, इन भावनाओं से बुरी तरह प्रभावित संसद सदस्यगण भी अपने आचरण के प्रति बहुत सतर्क हैं । इन सार्वजनिक मुकदमे के प्रति उन्होंने न तो अपना उत्साह भंग किया है और न तो न्यायालय के प्रति ही शंका उपजने दी है और न्याय के अंतिम क्षणों तक वे इसी धैर्य व संयम से काम लेंगे ।

पिछले चौदह वर्षों से अधिक समय से ही भारत में होने वाली घटनायें संसद के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रही हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने हर तरह की वैधानिक छूट देने में उदारता दिखाई है, इसके पहले कि न्याय का दरवाजा खटखटाया गया । सन् १७७४ में तब भारत में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए हमने एक संसदीय कानून पास किया जैसा कि वहाँ से प्राप्त समाचारों के आधार पर करना आवश्यक था । और जब उस कानून का भी पूरा व उचित फल न निकला जिसके प्रति हम बहुत बड़ी आशा रखते थे, तब सन् १७८२ में उच्चस्तरीय प्रस्तावों को भी पास किया । इससे भी इच्छित फल न निकला । हमने देखा कि हमारी जाँचों, रिपोर्टों एवं कानूनों का कोई फल नहीं निकल रहा है । हमने जिन चीजों को रोकना चाहा उनमें बढ़ती हुई, रहस्य खुले । हमने देखा कि पाप खुले आम होने लगे और कानूनी शक्ति सिर छिपाने लगी और सर्वत्र जैसे अराजकता छाने लगी । हमने देखा कि राज्य व संसद की ओर से कानून की रक्षा करने को अधिकारी नियुक्त किए गए लोग ही आगे बढ़ कर, निडर होकर, हर अपराध व षड़यंत्र के साथ जुड़े हैं, तब राष्ट्र के न्याय का तकाजा हुआ कि हम इकट्ठे होकर निर्णय करें । अधिक शांत बैठना शायद अपराध का भागी बनने जैसा ही था या दूसरे शब्दों में अपरधियों का साथ देना था ।

हमने देखा कि महानता के प्रति काम किए बिना यह कार्य संभव न था । अंत में एकमात्र रास्ता अपनाना पड़ा कि संसद ही न्याय का भार भी सँभाले और संसद ही वकालता भी करे । लेकिन हर कदम उठाने में हम सतर्क रहे । हमने ऐसा अभियोग, ऐसा अभियोगी और ऐसे गवाह व प्रमाण, ऐसी पैरवी का उपाय खोज निकाला कि न्याय का कहीं से हनन न हो, चाहे हमारे पूर्वजों के समय की कोई ऐसी घटना या नजीर हमें सहायता व मार्गदर्शन के लिए न मिले ।

पहले मुकदमे के ढंग के विषय में मुझे श्रीमान को सूचना देनी है कि चौदह वर्षों से हो रहे व्यभिचारों को दृष्टि में रख कर, उनकी अच्छी तरह जाँच कर के, इस कार्यवाही के पूर्व, हर परिस्थिति पर ध्यान देकर हमने देखा कि कहीं से संबंधित अभियोग को छोटा किया जा सके और अंत में हार कर हमने मुकदमा चलाने का फैसला किया । आज के पूर्व इतिहास, कागजातों व दस्तावेजों में कोई ऐसा उदाहरण न मिला कि मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रति कुछ भी पक्षपात किया जा सकता । इसके पूर्व

अभियोगी के पक्ष को मजबूत करने वाले हर तरीके से उसकी रक्षा की हमने कोशिश की। मुकदमे के प्रारम्भ में अभियोगी ने अपनी बात करनी चाही। उसकी बातें सुनी गईं और उसने संसद की अदालत के सामने बेकार के व गलत दस्तावेजों व कागजों को पेश किया जो हमारी मेजों पर अभी भी पड़े हैं। ये सभी कागजात उसी के पेश किए हुए हैं, उसी के हाथ के लिखे। हर संसद-सदस्य ने इनकी खूब बारीकी से जाँच की है। इन्होंने इसमें कुछ न पाया, सिवा इसके कि अभियोगी ने जो सिद्धान्त बनाए हैं वे निर्मूल हैं और विवश होकर हमने आपके अदालत की शरण ली।

जहाँ तक अभियोग का प्रश्न है, हम लोगों ने पहले ही अभियोग की मौलिक रूप-रेखा और उसकी तमाम परिस्थितियों पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। अभियोग की सचाई पर भी पूरी तरह जाँच-पड़ताल कर ली है। और अब हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि जिन अभियोगों के लिए अभियोगों के अपराधी को यहाँ कटघरे में खड़ा किया है, वे अपने आप में पूरे है। वे भूल-चूक या छोटी गलतियाँ नहीं हैं कि जो अच्छे व भले आदमियों से भी होनी संभव हैं। ये अपराध बड़े घातक और मानवता के लिए जहर हैं। हमारे संसद-सदस्य बड़े विशाल हृदय के लोग हैं और इतने गंभीर अपराध न होते तो वे यह परिस्थिति न पैदा होने देते। वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हर बड़े काम में और शासन चलाने में कुछ न कुछ कड़ाई व अत्याचार आवश्यक होते हैं। वे जानते हैं कि मौके पर गम्भीरता व आवश्यकता के कारण ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो न्यायसंगत नहीं माने जाते। हम लोग जानते हैं कि हमें आदमियों पर ही राज्य करना है पर जिन पर राज्य किया जाय उनके साथ भी आदमियों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रीमान, आपके सामने आने के पहले इन सारी बातों पर हमने विचार कर लिया है और जो अभियोग इन दस्तावेजों में हैं वे गलतियाँ, लापरवाही या चूकें ऐसी नहीं हैं जो प्रत्येक मानव के लिए सम्भव है। मिस्टर हेस्टिंग्स के अपराध अपने आप में केवल अपराध नहीं है बल्कि हठधर्मी के अपराध हैं। वे कानून के प्रति अपराध है। कानून हमारे लिये जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके अपराध केवल अपराध की परिभाषा में ही नहीं आते बल्कि वे सचमुच अपराध की सीमा के बाहर के अपराध हैं।

जहाँ तक अभियुक्त का प्रश्न है वह अभियोग का मूर्तिमान स्वरूप बन गया है। अभियुक्त भी अभियोग की तरह ही महान है। हम लोगों ने किसी गरीब या गुमराह व्यक्ति को अभियुक्त नहीं चुना है, बल्कि उसे ही चुना है जिसे शक्ति भी हमने ही दी थी। अतः हमारा काम कम कठिन नहीं है। आपके सामने हमने किसी अनजाने अपराधी को नहीं उपस्थित किया कि वह अभियोग लगाने वालों से शक्ति में कहीं भी कम हो, बल्कि श्रीमान्, हमने आपके सामने भारत के सबसे बड़े अधिकारी व शासक को ला खड़ा किया है। आपके सामने एक महान राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि, पूर्वी भू-खण्ड के सर्वोच्च अधिकारी, भ्रष्टाचार का सरदार व राज

जिसके साये में भारत में सभी धूर्तता, सभी हत्यायें, सभी जुर्म पनपे, ऐसे को उपस्थित किया है। श्रीमान्, ऐसे ही व्यक्ति को आपके सम्मुख उपस्थित किया है। ऐसे व्यक्ति को जिस पर यदि न्याय का कठोर व निश्चित हाथ पड़े तो आप को बहुत से उदाहरण खोजने की आवश्यकता न होगी।

यह है अभियुक्त और यह है उसका अभियोग। अब श्रीमान्, मैं थोड़े से शब्दों में उन प्रमाणों के बारे में भी कहूँगा जिन्हें एकत्रित करके आपके सामने रखा गया है, जो इन अपराधों की पुष्टि करते हैं और जो किसी भी माने में अपराध से कम वजनी नहीं हैं। इनमें अधिकांश वे कागजात हैं जिन पर अभियुक्त के अपने हस्ताक्षर हैं। इनमें अभियुक्त के अपने हाथ के लिखे पत्र हैं। हम मुख्य रूप से इन्हीं पर निर्भर हैं। लेकिन हम आपके सामने जीवित गवाह भी पेश करेंगे जो अधिकार पूर्वक घटनाओं पर कुछ कह सकेंगे।

जब अभियोगी की असाधारण शक्ति पर आप गौर करेंगे, जब आप गौर करेंगे कि अशिथिल तत्परता से सारे असली दस्तावेजों का नष्ट किया जाना, जब आप गौर करेंगे कि लगभग सभी जीवित गवाहों पर उसका कितना भयंकर प्रभाव व प्रभुत्व है, जब आप गौर करेंगे अभियोग स्थल की दूरी कितनी अधिक है, तब आप देखेंगे श्रीमान् कि आपको और सारी दुनिया को विश्वास और आश्चर्य भी होगा कि इतने अधिक, इतने साफ, इतने ठोस और इतने योग्य प्रमाणों को हमने उसके विपक्ष में एकत्रित किया है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि दस प्रमाणों में नौ ऐसे प्रमाण हैं जो अभियोगी को कानून की मर्यादा को भंग करने वाले सिद्ध करते हैं। लेकिन श्रीमान् देखेंगे कि हम जो भी दावा कर रहे हैं, एक ब्रिटिश नागरिक को हैसियत से। आप किसी भी प्रमाण या बात से बँधे नहीं हैं। आप अपनी राय कायम करने को स्वतन्त्र हैं।

ईश्वर बचावे कि सदस्यों से जो भी बातें प्रमाण रूप में प्राप्त हों वह प्राकृतिक व स्वाभाविक हों। अगर वे गलत प्रमाणों पर अड़े तो इसके अर्थ होंगे कि जिस न्याय की वे दुहाई देते हैं उसी की मर्यादा भी भंग करते हैं। इस प्रकार वे राष्ट्र के सामने एक गलत नमूना पेश करेंगे जिससे उनका अपना ही अहित होगा।

दूसरी ओर श्रीमान्, आपकी विद्वता पर हमें बड़ा भरोसा है और आप की पारिवारिक उच्चता और महानता का परिणाम है कि विश्व के इतने बड़े भाग का न्याय आपके हाथों सुरक्षा पा रहा है। श्रीमान् के अधिकार में असीमित शक्ति है और आपके हाथों में एक इतना बडा मामला है जिसकी सीमा भी असीम है। यह एक जिले, एक नगर अथवा एक प्रदेश का प्रश्न नहीं है। यह तो पदच्युत राजकुमारों, निरीह जनता, पीड़ित राष्ट्र, दूसरी भाषा-संस्कृति और जाति के लोगों पर किए गए अत्याचार का मामला है। इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए आपको इस राजकीय मुकदमे का फैसला कर के नया आदर्श स्थापित करना है।

यह सर्वविदित है कि प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से हजारों उपायों से असीमित धन भारत से इंगलैण्ड आया है। फिर अन्य राष्ट्रों की तरह यह राष्ट्र भी धन की लोलुपता में पतन के मार्ग पर जा रहा है। हमलोगों की जानकारी में भारत से इंगलैण्ड में कम से कम चार सौ लाख रुपया तो आया ही है। अब पवित्र न्यायालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस महान राष्ट्र की न्याय पंचायत से गलत फैसला होना असंभव है, लेकिन यह तो संभव है ही कि अन्य दबावों द्वारा तथ्य छिपाये जाँय या गलत प्रमाण ही पेश किए जाएँ। अतः इसकी सतर्कता बरतनी है कि पूरी कार्यवाही में कहीं भी छल-प्रपंच की गंध भी न आने पावे। ईश्वर मदद करे, जब आप युग के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे का फैसला करने जा रहे हैं, आप योरप के सम्मुख एशिया का मामला सुनने जा रहे हैं, इस बात की अणुमात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए कि तनिक भी पक्षपात किसी के प्रति हो सकेगा और न्याय की हानि होगी। दूर, बहुत दूर बैठी जनता के विश्वासों की हमें रक्षा करनी है जिन्होंने सब कुछ आपकी मरजी पर छोड़ रखा है।

मैं यह किसी भय, सन्देह या संकोच से नहीं कह रहा हूँ कि इस मामले में श्रीमान् जो करेंगे वह अंतिम व श्रेष्ठ होगा। लेकिन हमें उन अफवाहों के प्रति अपने कान खुले रखने होंगे जो सारी दुनिया में गूँजेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि पेकिंग से पेरिस तक यही आवाज गूँजे कि इंगलैंड का न्याय धनी व शक्तिशाली व गरीब व दुखी के लिए बराबर है। मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि इंगलैंड का न्याय दुनिया में सबसे ऊँचा है। मैं जानता हूँ कि अपने देश में तथा दूसरे देशों में भी यह हवा फैली है कि हम पूरब में अपना राजकीय फैलाव करना चाहते हैं, अतः हमारे दृष्टिकोण में स्वार्थ की मात्रा है, लेकिन दुनिया देखेगी की इतने पर भी हमारे न्यायालय पर किसी अनुचित बात का प्रभाव नहीं पड़ता। हम नगरपालिका से लेकर महासाम्राज्य तक के मामले में कोई अन्तर नहीं रखते।

यही एक बात है जिससे गम्भीर लोगों के मन में शंका होने लगती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। जब ऐसी दो विचारधाराओं का टकराव होता है तब अच्छी विचारधारा की ही विजय होती है। हाँ, जब ऐसे अवसरों में जनता की आशा के विपरीत न्यायालय का फैसला होता है तो सभी कहते हैं—इससे तो अच्छा था कि न्याय पंचायत ही न होती। मेरी तुच्छ राय में सभी अभियोग लगानेवालों को यह उत्तर देना ही हजार बार अच्छा होगा जो एक ब्रिटिश राजदूत को एक विदेशी ने एक व्यापारी के मुकदमे में दिया था—"मेरे दोस्त, क्या नहीं जानते कि मेरी जनता डाकुओं का गिरोह है और मैं उनका सरदार हूँ ?"

इस मामले के फैसले से ऐसी सब बातों का मुँहतोड़ जवाब मिल जायगा। आप श्रीमान् को न्याय की जो शक्ति प्राप्त है उसके उचित उपयोग से साम्राज्य

की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस साम्राज्य की प्रजा का विश्वास बढ़ेगा। आपके फैसलों को किसी भी कानून की चुनौती स्वीकार्य न होगी। विदेशों में हमारे न्याय के प्रति गलत अफवाहें फैलाई गई हैं और वे मानवतावादी, सहज, प्रतिष्ठित और महानता से भरे आपके फैसले से ध्वस्त हो जायेंगी।

इतना कहने के अलावा हमें आदेश है कि हम इस मुकदमे की पैरवी के साथ अभियोगी पर लगाए गए अभियोग, जिन पर अपराध का प्रभाव पड़ा है, और जुटाई गई गवाहियों के बारे में भी बतायें। अब मैं अपने हिस्से में पड़े काम की ओर बढ़ता हूँ।

श्रीमान् इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा आए दिन स्थानीय अदालतों में चलता रहता है। इसका कई चीजों से सम्बन्ध है। यह कई स्थानों पर कई महत्वपूर्ण विषयों से भी सम्बन्धित है। प्रतिदिन के साधारण जीवन में होने वाले नित्यप्रति के साधारण मामलों, जिनसे आप पूरी तरह से परिचित हैं और जिनकी कानूनी गठन व बन्धन के भी आप आदी हो चुके हैं, उनसे यह मामला बिलकुल भिन्न है। यहाँ जो चीजें आप देखेंगे वे जैसे एक नई व दूसरी दुनिया की चीजें लगेंगी। आज के मामले के फैसले के लिए आपको भी बिल्कुल नया ही रास्ता खोजना व अपनाना पड़ेगा। विषय चूंकि बिल्कुल नया है, यह बात स्पष्ट कर देने की है कि इसमें बड़ी-बड़ी पेचीदा बातें मिली हुई हैं और हमारा स्पष्टीकरण भी सम्भवतः संक्षिप्त होगा, अतः आप श्रीमान्, जो कानून के प्रत्येक पहलू से अच्छी तरह परिचित हैं फिर भी न्याय के नाम पर आपको धैर्य रखना होगा और मेरा विश्वास है कि आप कुछ घंटे मुझे स्पष्टीकरण में लगाने पर आपत्ति नहीं करेंगे जिसके लिए ब्रिटेन ने चौदह वर्ष प्रतीक्षा की और भारत की जनता ने पूरे तीस वर्ष तक प्रतीक्षा की।

श्रीमान्, मिस्टर हेस्टिंग्स ने जिस अधिकार का दुरुपयोग किया है वह अधिकार उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने दिये थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्वयं भी दो अधिकारों के अन्तर्गत काम कर रही है, वे अधिकार उसे दो अलग शक्तियों से मिले हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूरवर्ती हैं। पहले अधिकार व शक्ति का माध्यम ग्रेट ब्रिटेन के बादशाह का वह राज-पत्र है जो संसद द्वारा कानून बना कर उसे दिया गया था। दूसरे अधिकार व शक्ति का माध्यम मुगल बादशाहों द्वारा प्राप्त अनेक राज-पत्र हैं, साथ ही उन लोगों के भी अनेक अधिकार-पत्र हैं जिनके राज्य में कम्पनी कार्य करती थी, विशेषकर वह राज-पत्र जिसके आधार पर सन् १७६५ में उसे बंगाल, बिहार व उड़ीसा के राज्यों का स्वत्वाधिकारी बनना पड़ा। इन्हीं दो शासन-पत्रों व अधिकार-पत्रों द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी और उनके तमाम कार्य-कर्ता कार्य करने के अधिकारी हुए।

जहाँ तक पहले अधिकार का सम्बन्ध है, यह ब्रिटिश सरकार का राजपत्र

है, जिससे कम्पनी जनता की एक संस्था के रूप में हर जन-कार्य करने की अधिकारिणी बनी ! इसी राजपत्र द्वारा उन्हें यह भी अधिकार मिला कि वे दूसरे राज्यों से सम्पर्क स्थापित करके उनके राज्यों में कारबार कर सकें। यह राजपत्र उनके अधिकारों की बुनियाद व जड़ होने के कारण, राजपत्र देने वाले को कम्पनी के हर काम का जिम्मेदार ठहराता है। यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोत्तम व शक्तिमान से यह राजपत्र मिला है अतः पूरी कम्पनी और कम्पनी के सभी नौकर व कर्मचारी, सहयोगी, अधिकारी भी इस साम्राज्य के न्याय के जिम्मेदार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने महत्वपूर्ण अधिकार दे देने के कारण इस साम्राज्य ने कहीं से अपने अधिकारों में ढील नहीं दी है, बल्कि दूसरे शब्दों में ईस्ट इंडिया कम्पनी की जिम्मेदारी इससे और भी अधिक बढ़ गई है क्योंकि अधिकार देने वाले को साम्राज्य की पवित्रता व महानता भी उस राजपत्र के साथ उसे मिली है। विदेशों में यह झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके कर्मचारियों के कारनामों पर यहाँ कोई विचार न होगा। मैं आशा करता हूँ कि श्रीमान् इस मामले के द्वारा यह दिखा देंगे कि इस साम्राज्य ने पूरी जिम्मेदारी के बिना किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया।

जहाँ तक दूसरे अधिकारों का संबंध है, कम्पनी ने वे अधिकार मुगल साम्राज्य से कई राजपत्रों द्वारा, दूसरे बादशाहों और उनके प्रतिनिधियों से, विशेष कर सन् १७६५ के मुगल राजपत्र द्वारा प्राप्त किए, जिसके द्वारा उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। उस राजपत्र द्वारा वे नए प्रबंध के अधिकारी के रूप में कार्य करने के अधिकारी बने। अगर मुगल साम्राज्य शक्तिशाली रहता तो इस राजपत्र द्वारा भारत के ही कानून और रीति-रिवाज उन्हें मानने पड़ते और हर काम में उनका लाभ भी निश्चित रखना पड़ता। जब कम्पनी ने भारत में वह ऊँचा पद प्राप्त किया तो अँगरेजी कम्पनी मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख अंग बन गई। जब ग्रेट ब्रिटेन ने कम्पनी को यह पद स्वीकार करने की सलाह दी और जिससे बाद में लाभ भी उठाया, ग्रेट ब्रिटेन ने इसकी सारी जिम्मेदारी भी ली। एक प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन उस राज्य के साथ सहयोगी हो गया और फलस्वरूप हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो गई कि वहाँ की जनता की सुरक्षा, उनके कानून और अधिकारों की रक्षा का भार वहन करें। इस प्रकार दो भिन्न माध्यमों से प्राप्त दो जिम्मेदारियाँ एक हो गईं। इसलिए भारत की जनता व ब्रिटेन की जनता का प्रश्न एक बना कर इस न्यायालय में उपस्थित किया गया है, क्योंकि जिन अधिकारों के कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ा है, वह अधिकार भी इसी संसद का ही दिया हुआ है।

यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि जब इस कम्पनी के अधिकार व साम्राज्य के राज-पत्र की बात करते हैं, जिसके दुरुपयोग का अभियोग मिस्टर हेस्टिंग्स पर

है, तो बहुत थोड़े शब्दों में ही कम्पनी के संविधान की भी चर्चा कर दी जाय। श्रीमान् से विनम्र निवेदन है कि आपको, मुझे सूचित नहीं करना है, न बताना है, बल्कि परिस्थितियों का फिर से हवाला देना है, आपको स्मरण दिलाना है, इसलिए मैं जरा विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ।

श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रारम्भ महारानी विक्टोरिया के राज-काल के अंतिम दिनों में हुआ, जो काल ब्रिटेन के लिए योजनाओं का काल था और चौतरफा व्यापार की प्रगति व खोज पर ही सारा जोर दिया जाता था। उसी समय कम्पनी की बुनियाद पड़ी और उसे साम्राज्य के लिए व्यापार व प्रतिष्ठा बढ़ाने का अधिकार मिला। क्योंकि राज्य की प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि बढ़ाए बिना केवल व्यापार बढ़ाने की बात तब भी और आज भी राज के लिए गलत सौदेबाजी होती। उस राजपत्र में कम्पनी को जो अधिकार दिए गए वह केवल व्यापाराने थे। चूंकि व्यापार का क्षेत्र बहुत दूर था और वहाँ का रास्ता ऐसे खूंखार व सशस्त्र राजाओं के राज से होकर था जहाँ राजा के अलावा वहाँ की प्रजा भी सशस्त्र थी, अत: आवश्यक समझा गया कि कम्पनी के अधिकारों को बढ़ाया जाय। पहला अधिकार जो उन्हें मिला, वह था जलयान व जहाजों की मिलकियत, दूसरा अधिकार फौजी कानून का तथा तीसरा अधिकार था दीवानी और फौजदारी अदालतें कायम करने का, जिनके अधिकार क्षेत्र उनके अपने कारखानों तक थे और जिसके आश्रित थे कम्पनी के लोग ही। और दूसरी प्रगति की सीढ़ी थी, सब से बड़ा अधिकार, युद्ध और शान्ति का अधिकार। यह अधिकार इसके पूर्व किसी को भी नहीं मिले थे। राजाओं और अन्य उच्चतम अधिकारियों को भी नहीं, जो ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिले। कम्पनी ने चार्ल्स द्वितीय के राजकाल के अन्त के लगभग यह अधिकार पाया और राज्य क्रांति के बाद संसद द्वारा उन अधिकारों को कानूनी ढाल भी मिल गई। अब इस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी केवल एक साधारण व्यापारी कम्पनी भर नहीं रह गई जो केवल ब्रिटेन का व्यापार बढ़ाती बल्कि इसे तो राज की सभी जिम्मेदारियाँ देकर जैसे पूरब की ओर भेजा गया। उसी समय से कंपनी एक सहयोगी राजकीय शक्ति बन गई। इस प्रकार के प्रबन्ध से परिस्थिति ने स्वाभाविकता से भिन्न रूप लेना शुरू किया। एक नया प्रबन्ध हुआ। जिसका किसी भी भविष्यवक्ता राजनीतिज्ञ को ज्ञान न था। अब तो आधुनिक युग में ऐसे प्रबन्ध कई सुनने में आए, पर प्राचीन युग में तो एक भी उदाहरण नहीं मिलता। कम्पनी का प्रारम्भ हुआ था व्यापार से और अंत राज्य से। सच है कि जहाँ भी साम्राज्य द्वारा युद्ध और शांति का अधिकार दिया गया, वहाँ परिस्थिति व समय ने सदा एक दूसरे पर विजय पानी चाही। कम्पनी के लिए उनका प्रमुख कार्य व्यापार धीरे-धीरे ढीला हो गया और राज-काज प्रमुख हो गया। समय का फेर है कि कानून, कला, धन और फौज में योरप जितना बढ़ता

गया, एशिया उतना ही घटता गया और आज स्थिति यह आई कि तैमूरलंग की तैयार की हुई फौजी-परम्परा पर व्यापारी संस्था ईस्ट इंडिया कम्पनी एक साम्राज्य बन कर छा गई। जो शक्ति बड़ी व्यापारी बनी थी, वही राज्य की मालिक बन बैठी।

इस परिस्थिति में भी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपना व्यापारी रूप बनाये रखना चाहा। इसके समस्त राजकीय कार्य व विदेशी सम्बन्ध आज भी व्यापारी सिद्धान्तों व व्यापारी ढंग से चलाए जाते हैं। यानी स्थिति यह है कि एशिया में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक व्यापाराना स्वांग भर रह गया। समस्त राजकाज बनिया की गद्दी सा हो गया है। कागजातों को देख कर जहाँ तक मैंने समझा है कि सारा ढाँचा व्यापाराना है और सारे सिद्धान्त भीतर से राजनीतिक हैं।

कम्पनी की कार्यप्रणाली, अनुशासन और कार्यों को श्रीमान के सामने बताना आवश्यक है। ताकि आपके सामने स्पष्ट हो जाय कि अधिकार का अनुचित उपभोग कैसे हुआ और उसका प्रभाव क्या रहा? सर्वप्रथम जो भी कम्पनी की नौकरी कर के विदेश जाते हैं वे उस संस्था में क्लर्क के रूप में घुसते हैं और मुंशी नाम से पुकारे जाते हैं। दूसरी सीढ़ी यह है कि उन्हें पाँच वर्ष के लिए काम पर रखा जाता है। तीसरी सीढ़ी पर तीन वर्ष की तरक्की मिलती है। फिर इसके बाद छोटे मुनीम व बड़े मुनीम के नाम पर तीन वर्ष और काम मिलता है। बड़े मुनीम की यह पदवी कम्पनी की नौकरियों में बडी ऊँची है।

कम्पनी ने प्रारम्भ में कई स्थानों पर कारखाने खोले जो आगे चल कर प्रेसी-डेंसी व कौंसिल बन गईं। फिर जैसे-जैसे कम्पनी की शक्ति व प्रतिष्ठा बढ़ी वैसे-वैसे कम्पनी के व्यापार पर राजनीति छाती गई। यह रूप १७७३ तक चला। जब कानून बना, कम्पनी की नौकरियों व उपाधियों के नियम बने। मिस्टर हेस्टिंग्स व मि० बारबेल को और चाहे जो भी अन्य उपाधियाँ रही हों पर संसद के कानून के अनु-सार उन्हें अधिकार दिया गया और इसका आधार था पुराने कानून की पुरानी मान्यताएँ।

श्रीमान देखेंगे कि निश्चित सीढ़ियों द्वारा इस ऊँची पदवी या कुर्सी पर पहुँचने के लिए ग्यारह वर्ष की सेवाएँ आवश्यक हैं। अतः आपको आश्चर्य होगा कि उन ग्यारह वर्षों के बहुत पहले ही बहुत से अधिकारी ऊँची कुर्सी पर पहुँच कर भी स्वदेश वापस आये, अपने साथ मर्यादा और भविष्य के लिए बहुत सा धन लेकर। आपको गौर करने पर बहुत-सी बातें मालूम होंगी, जब हम मिस्टर हेस्टिंग्स के खिलाफ प्रमाण उपस्थित करेंगे कि नियमों को किस प्रकार बेरहमी से तोड़ा गया। यद्यपि मैं इससे इनकार नहीं करूँगा कि ऐसे राजकाल में जब किसी अनोखी प्रतिभा का प्रयोग करना होता है तो ये बातें अपने आप कहीं-कहीं टूटती हैं, पर मैं इतना कहूँगा कि इसके लिए जो सिद्धान्त बनाए गए थे वे बहुत ठोस थे और बहुत समझ-

बूझ कर बनाए गए थे। इन सिद्धान्तों में इसकी बराबर छूट थी कि व्यापार की दृष्टि से अधिक आर्थिक लाभ देने, नियम व व्यापार को मर्यादा देने वाले योग्य व्यक्तियों को अधिक प्रश्रय दिया जाय। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स को सरकार ने क्या ऐसा प्रश्रय दिया, यह तो देखना व जाँचना पड़ेगा। १७८१ में उसने जो नए दफ्तर बनाए उनमें अपने मन के मुताबिक भरती की, यह सब मनमाने ढंग से किया गया। अतः फल यह हुआ कि बहुत से कच्चे दिमाग के लोग ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार बना दिए गए जहाँ न्याय करने के लिए अनुभव व मानसिक संतुलन की बड़ी आवश्यकता थी। अतः परिणाम भी वैसे ही हुए।

आगे बढ़ने के पहले इतना मैं अवश्य कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी को जो अधिकार दिए गए वे सिद्धान्त के भीतर रहते हुए भी भिन्न थे। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी ब्रिटिश राष्ट्र की शाखा न थी, यह केवल प्रतिनिधिमंडल थी। जब व्यापारी चीन में गए, जब अरब व तातार के लोग हिन्दुस्तान गए, जब नारमन इंगलैंड पर आ चढ़े, तब सभी अपने राष्ट्र के लिए अंकुर बन कर गए। कंपनी भी भारत में राष्ट्रीय उपनिवेश नहीं थी। भारत में गए अंग्रेज केवल नौकरी के लिए गए। उन्होंने अफसरों की बिरादरी बनाई। अतः जहाँ तक अंग्रेजी राष्ट्र का संबंध है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। फिर भी भारत में अंग्रेज अफसरों पर कोई बंधन न रह गया। श्रीमान जानते हैं कि किसी राष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यापारी संस्था स्वयं उसकी मालिक बन जाए। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सब चीजों पर अपना मनमाना अधिकार जमाया।

दूसरी परिस्थिति यह बनी कि छोटे मुनीम, बड़े मुनीम व मुंशी के नाम पर सभी राजकाज के अधिकारी बन गये। समस्त योरप में राजकाज व राजकीय प्रतिष्ठा के चलाने के ढंग का बिल्कुल उलटा भारत में हुआ। राज्य की प्रमुख सत्ता के अधिकारी मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो न्याय के भी जिम्मेदार थे, सरकारी प्रतिष्ठा व अपने हाथों को घूसखोरी से रंग डाला। न्याय या कानून के नाम पर अत्याचार व राजकीय अमानुषिक व्यवहारों को बढ़ावा दिया। राजकीय धनों की वसूली करके राजकीय कोष में जमा करने के बजाय उसे छोटे-बड़े अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत कोषों में रखा। कम्पनी के एक प्रमुख कर्मचारी ने मुझे बताया कि कम्पनी की फौज का संगठन मराठा फौज के आदर्शों पर किया गया। यानी बहुत कम तनख्वाह और लूट-पाट की पूरी छूट। इसी तरह मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी तनख्वाह के अलावा गलत व अनैतिक तरीकों से जो धन प्राप्त किया, जुटाया, अपना व्यक्तिगत लाभ किया, वह एक बड़े राजद्रोह से किसी प्रकार कम नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स अकेले इसके जिम्मेदार न रहे हों।

एक और बात जो इस संदर्भ में ध्यान देने वाली है, वह यह है कि कम्पनी ने अधिकांश कम उम्र के जवानों को ही जिम्मेदार नौकरियों पर रखा। थोड़े शब्दों

में इस विषय में यही कहा जायगा कि कच्ची उम्र में उन्हें आजादी दी गई, आजादी के साथ शक्ति का नशा भी दिया गया। बिना अध्यापक के स्कूली लड़के, बिना अभिभावकों के बच्चे, और उन पर कोई बंधन न हो, और सारी बुराइयों के अनुभव का उन्हें अवसर मिले, तो जो हो सकता है, वही हुआ।

एक चीज और ध्यान देने की है कि कम्पनी के इन कर्मचारियों ने उन सभी उच्चतम कानूनी शक्ति का उपयोग किया जो अब श्रीमान कर रहे हैं। और उन्होंने कानूनी शक्ति का प्रयोग बिना कानून का ककहरा जाने हुए किया। कम्पनी की नौकरी के लिए एक प्रकार से यह नियम सा बन गया है कि कानूनी कार्य करने वाले जिन पर सबों की दृष्टि जमी रहती है, वे कानून न जानने वाले ही हों। कम्पनी ने अपने निम्न कोटि के कर्मचारियों को अदालत की मजेस्ट्रेटी या दीवानी कचहरी की ऊँची कुर्सी दी और कभी इसकी जाँच न की कि जिन्हें कानूनी कार्य का भार दिया जा रहा है वे कानून समझते भी हैं या नहीं, या केवल नौकरी समझ कर ही न्याय भी करते हैं। जब कोई नौजवान अपनी अशिक्षा व अनुभवहीनता के कारण अपने को अयोग्य सिद्ध करता तो उसे तत्काल किसी दूसरे कार्य पर लगा दिया जाता। फिर किसी दूसरे नौजवान को उस स्थान पर अनुभव प्राप्त करने को बैठा दिया जाता और भारत के खर्चे पर वह अनुभव प्राप्त करता और जब तक वह अपने को इस कुर्सी के योग्य बनाता तब तक वह किसी अन्य विभाग में जा चुका होता।

संसद के सामने अपने बचाव के सिलसिले में मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं विलाप कर रहा था अपनी स्वयं की स्थिति पर। उसे तो और भी शोक करना चाहिए। वह कहाँ तक सफाई देगा अपने लिए पर, उसके कारनामों की जाँच करते समय हमलोग सभी तथ्यों पर जोर देंगे। हमने जो कानून बनाए हैं और कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को जितनी अधिक आजादी दे रखी है उनसे कानून की बड़ी अवहेलना हुई है और राष्ट्र की बदनामी भी। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं श्रीमान से यह कहना चाहूँगा कि कम्पनी के कर्मचारी केवल काम करने की भावना से वहाँ नहीं गए थे बल्कि एक बड़े अपराध के भागीदार बनने गए थे। वे हर कदम पर ऐसे ही कारनामों द्वारा अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते थे।

कर्मचारियों की सौदेबाजी की यह योजना सम्भवतः इतनी घातक न होती यदि उसमें न्याय का पक्ष भी होता और संयम से काम लिया जाता। कम्पनी की अपने कर्मचारियों को आज्ञा थी कि वे किसी प्रकार का लाभ न उठावें। सदन के कानून की वहाँ पूरी तरह अवलेहना हुई। स्पष्ट कानून था कि व्यक्तिगत व्यापार व लाभ की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। परन्तु जो भी कानून से टकराता है वह कानून की गम्भीरता का शिकार भी होता है। फल होता है, जो भी कानून द्वारा निर्धारित सीधी लाइन से एक इंच भी हटता है, वह भी जो अनुचित रूप से एक दमड़ी भी लेता है, उसकी

कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। कम्पनी के उच्चासन पर बैठा महान अधिकारी कानून को अपने हाथ में रखता है। उसके पास छोटे अपराधों के अपराधियों को कड़ी सजा देने की शक्ति भी सदा बनी रहती है। मिस्टर हेस्टिंग्स की शक्ति का यही सब से बड़ा स्रोत है। जब से पार्लियामेंट ने उसे ऊँचा ओहदा दिया तब से कम्पनी के कर्मचारियों के किसी वर्ग से भी उसके विरुद्ध शिकायत सुनने को नहीं मिली। और उसकी ढिठाई भी देखिए कि वह शान से अपने पक्ष में यही बात सिद्ध करना चाहता है कि उस पर कोई अभियोग नहीं है। ऐसे में कोई अभियोग लगाया भी कैसे जा सकता है? सेना व फौज के संयम की भावना भी रोकेगी, जहाँ एक भेदिया सबसे नीच व भ्रष्ट चरित्र माना जाता है, उसको सभी नीची व घृणित दृष्टि से देखते हैं, जैसे वह सबों का शत्रु हो। फिर शिकायत करने की हिम्मत भी कौन कर सकता है? पूरी व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त व अनियमित है। प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे अभियोगों में सना हुआ है, और जैसा मैंने कहा है बड़ा अभियोगी सदा ही छोटे अभियोगी को कुचलता रहता है। अगर आप मिस्टर हेस्टिंग्स के पत्र-व्यवहार की जाँच करें तो आप पावेंगे कि कई स्थानों पर उसने स्वीकार किया है कि कम्पनी का सारा ढाँचा ही ऐसे अपराधों और मानवीय व्यभिचार से भरा पड़ा है। लेकिन जिस गन्दी संस्था का उसने वर्णन किया है उसके प्रति उसके व्यवहार को आप देखें तो पावेंगे कि वह योजनाबद्ध ढंग से यह सब कर रहा था।

पूरे चौदह वर्ष तक वह कम्पनी का सर्वोच्च अधिकारी था और एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ उसने व्यभिचार रोकने का प्रयत्न किया हो, या एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि ऐसे किसी व्यभिचार के लिए उसने किसी को सजा ही दी हो। ऐसा लगता है कि संगठन में जो कुछ भी जिस तरह भी हो रहा था सब उसी के इशारे पर व उसकी देख-रेख में ही हो रहा था। यदि उसकी देख-रेख में सब न होता तो उससे कोई न कोई अवश्य शिकायत करता। फिर उसके विरुद्ध शिकायत करने का प्रश्न ही कहाँ उठता था क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सिर कुचल देने की शक्ति तो उसमें थी ही और यह दूसरे छोटे अधिकारियों के लिये सहम जाने वाला उदाहरण होता। अतः उसके अधीन यह संगठन पूरी तरह कई प्रकार की धूर्तताओं, अपराधों व व्यभिचारों की मिली-जुली संस्था बन गया। जिस संस्था का प्रधान व रक्षक मिस्टर हेस्टिंग्स था और उस सर्वव्यापी पाप-कांड को उसने अपनी रक्षा का माध्यम बनते न देखा, न भारत के लाभ में ही उपयोगी पाया, तब वह और आगे गया। श्रीमान, हमलोग सिद्ध करेंगे कि जब कम्पनी लज्जा व शर्म के दलदल में फँसी थी और विवश होकर कंपनी के कई कर्मचारियों को उसे नौकरी से निकालना पड़ा तब मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने अधिकारों के विरुद्ध, न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध आचरण किया और सरकार छोड़ने के पहले उसने जो भी आचरण दिखाए और उसके अंतिम कार्य सामने आए वह तो बड़े ही लज्जाजनक थे। जैसे उसने

अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कंपनी द्वारा निकाले गए अधिकारियो को पुन. कार्यभार संभालने की आज्ञा दी और उन्हे उन पर लगाए गए अभियोगो से मुक्त कर दिया।

पूरे चौदह वर्ष तक इस पापयुक्त संगठित नाटक को रच कर मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या-क्या नही किया ? फिर भी कंपनी के सिर पर आज भी बैठने का हौसला वह रखता है और आशा करता है कि कानून को धर्म मानने वाले लोग उसके गैर कानूनी कार्यों की तारीफ करे। आप मुकदमे के दौरान मे देखेगे कि जब उसके विरुद्ध घूसखोरी, व्यभिचार और खोटे कामो का अभियोग लगाया गया तब उसने केवल एक रास्ता अपनाया कि हर घूसखोरी, व्यभिचार व खोटे काम के प्रश्न के उत्तर मे या तो बहुत कम बोलता था या बिल्कुल चुप रहता। उसका नित्य प्रति का यह काम हो गया था कि वह कम्पनी के डायरेक्टरो के दफ्तर मे प्रतिदिन जाता। भारत से योरप आने वाले कम्पनी के हर कर्मचारी के बारे मे पता लगाता और यह भी पता लगाता कि यहाँ आकर उसने उसके खिलाफ कोई शिकायत तो नही की। उसने अपने को एक ऐसी स्थिति मे लाकर खडा कर दिया जिससे उसके चरित्र का हर अग उजागर हो गया और अपने कार्यो की पैरवी करने की उसकी स्थिति नही रह गई। वह अपने ही अपराधो के चक्रव्यूह मे स्वय अपने को इस हद तक फँसाता गया कि मुक्ति के लिए उसका प्रयत्नशील होना असभव हो गया।

कंपनी के कर्मचारियो मे एक व्यक्ति और है जिसको अभी तक मैने दूर रखा था, पर उसे मुझे सबसे पहले ही सामने लाना चाहिए था, क्योकि जैसा अब मै करूँगा, अन्त मे उसे सामने लाऊँगा, मे स्वीकार करता हूँ कि मै घाटे मे ही रहूँगा क्योकि ऊपर से देखने मे तो वह सारे प्रपंच मे बहुत छोटा लगता है पर वह सबसे अधिक प्रमुख है और उससे मिस्टर हेस्टिंग्स की स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी।

मैने श्रीमान को यह बताया कि किरानी और व्यापारी न्याय का कार्य करते थे, मत्रीपद और खजाने की व्यवस्था सम्हालते थे। लेकिन उससे भी अधिक महत्व-पूर्ण कुछ लोगो का भी वर्णन मुझे करना पडेगा, जिनका हल्का सा जिक्र आया है पर जिन पर पूरी तरह प्रकाश नही पडा है, वह दल हे बनियो का। जब कम्पनी की सीमा केवल व्यापार तक हो सीमित थी, और कमचारी उस देश से बिल्कुल अपरिचित थे तो जिन लोगो के माध्यम से वे लोग वहाँ के निवासियो से सम्पर्क बनाते थे, वे बनिया नामक विशेष जाति या दल के है और आदिवासियो के बीच व्यापार करते है। भारत के आदिवासियो के बीच व्यापार अनोखे ढंग से बिखरा हुआ होता है। आज जब बनियो की व्यापार-पद्धति बिल्कुल बदल गई है तब भी उनका यही नाम प्रचलित है। ये ही दीवान या मुख्तारआम होते है। केवल व्यापार ही नही, ये बनिये योरोपीय साहबो के घरो के भी मुख्तारआम होते है। वे स्वभाव से ही बड़े कंजूस होते है। वे निर्मम और दूसरो को सताने मे पक्के होते है। उन्हे

दासत्व की शिक्षा मिलती है। इसीलिये निर्मम कामों में वे चतुर हैं। वे सभी उपाय काम में लाते हैं और हर प्रकार की बेइमानी करने में संकोच नहीं करते, वे मुसीबत के मारे लोगों को खोज कर उनकी विवशता से लाभ उठाते हैं। वे स्वयं भी काफी सताए जाते हैं लेकिन कष्टों से सबक लेने के बजाय उससे लाभ उठाने की शिक्षा लेते हैं। वे इतने चतुर हैं कि इंगलैण्ड में जो कुछ भी होता है, उसकी उन्हें पूरी खबर रहती है। जिस क्षण भी कम्पनी का कोई कर्मचारी भारत पहुँचता है और यह पता लग जाता है कि इंगलैन्ड में उसके सम्बन्ध शक्तिशाली हैं, उस पर वे इस तरह से अधिकार जमा लेते हैं जैसे उसके पुश्तैनी सम्बन्धी हैं। उन्हें भारत के बारे में सब कुछ मालूम होता है। उनके पास धन होता है और धन कमाने का गुण भी। जो लोग इंगलैण्ड से भारत आते हैं उनके पास इसमें से कुछ भी नहीं होता, वह तो जैसे नंगे ही दुनिया में प्रवेश करते हैं, जन्म पाने की ही तरह। बनिया उन पर अधिकार जमा कर अपने हथकंडे का प्रयोग करता है। कभी-कभी ये हथकंडे वह अंग्रेज मालिकों पर भी चला देता है। उससे वे एक प्रमाण-पत्र इस आशय का तत्काल प्राप्त कर लेते हैं कि वह किस योरोपियन से सम्बन्धित है। और इतना लिखने में कोई भला क्यों हिचके ? उस क्षण में फिर अंग्रेज नहीं बल्कि वह बनिया मालिक बन जाता है। प्राय: असली मालिक को बनिये के हाथ में ही बँध जाना पड़ता है। हम जानते हैं कि इस देश से नौवजवान कैसे बाहर भेजे जाते हैं। यह सुन कर हम कितने प्रसन्न होते हैं जब कोई अंग्रेज नौजवान अपने परिवार या मित्रों के लिए बोझ नहीं रह जाता। बनिये यह सब जानते हैं। वह नौजवान अंग्रेज को खूब रुपये देते हैं। वह अंग्रेज नौजवान पर वैसा ही अधिकार रखते हैं जैसा हर साहूकार अपने कर्जदार पर। उसकी आँखों के सामने व पीठ पीछे भी बनिया अनेक प्रकार के अपने लाभ के कार्य करता है और अफसर शिकायत नहीं कर सकता। फिर बनिया लूट-खसोट करता है और अपने मालिक को भी उसकी खुशी भर देता है। अगर अंग्रेज कभी मुँह भी खोलता है तो बनिया अपने रुपये वापस लेने के लिए न्याय का सहारा लेता है। इससे बनिया की शक्ति सदा बढ़ती ही रहती है। जब हम लोग यहाँ बैठ कर इस बात पर अभिमान करते हैं कि पूर्व में ब्रिटिश शक्ति बढ़ रही है तब हमारे आधे से अधिक कर्मचारी वही लूट-पाट के भागीदार बन कर ब्रिटिश न्याय के मुँह पर कालिख पोतते हैं। उन्होंने वहाँ खड़ी इमारत को गिरा दिया है, देश को बरबाद कर दिया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, और धोखाधड़ी की है। सच तो यह है कि भारत में ब्रिटिश अधिकारी तमाम अत्याचारों के हथियार बन गये हैं। इसी प्रकार मिस्टर हेस्टिंग्स के भी कई अधिकारी हथियार बने हैं।

ये बनिये जो आज दीवान बने हैं पर अब वे अपने को ऊँचा उठाने में प्रयत्नशील हैं। ये चरित्रहीन होते हैं और किसी भी गंदे काम में इन्हें संकोच नहीं

होता। इसी चरित्र को मिस्टर हेस्टिंग्स ने बढ़ावा दिया, उसे पक्का किया है।

मैंने बनियों का जो चरित्र-चित्रण किया है उसमें एक बात ध्यान में रखना होगा। अंग्रेज अफसरों के नौकर बनियों और उच्च आसनो पर बैठे बनियों में अंतर है। इसमें एक अपने मालिक का आश्रित होता है और दूसरा मालिक पर आश्रित होता है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने बनियों को ही आगे रखा है। उसने ऊँचे घरानों म बनियों को प्रवेश कराया, उन पर रुपये खर्च किए, उन्हें ऊँची नौकरियाँ दीं और उन्हे जज तक बनाया।

इस प्रकार कंपनी का कामकाज अब बनियों के ही हाथ मे है। ऐसों में कलकत्ता के किरानी, खजाँची आदि हैं। अब श्रीमान देखेंगे की प्रारंभ में वहाँ के बनियो की स्थिति को विस्तार से बताने की क्यो आवश्यकता थी। आप देखेंगे कि सच तो यह है कि वहाँ कोई अंग्रेज अपने से कोई काम नही करता। कम्पनी का कर्मचारी किसी बनिये या दूसरे काले दलाल के माध्यम से घूस लेता है। उन्ही के माध्यम से न्यायालयों में गलत न्याय भी करता है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने भी सारे पाप इन्हीं के माध्यम से किए है पर वह किसी पर भी विश्वास नही करता, यह मैं आपको दिखाऊँगा।

कंपनी के कर्मचारियों व उनके व्यापार का हमने श्रीमान के सामने विस्तृत वर्णन किया है। अब मैं आपके सामने उपस्थित करने की आज्ञा चाहूँगा एक ऐसे संगठन को, जिसे कंपनी के व्यापारियों द्वारा उस कानून के अधीन बना कर आदमी के बुद्धि की सीमा का दर्शन कराया गया है। कम्पनी ने अपना मौलिक न्याय रखा है कि सब बाते लिखा-पढ़ी में ही रहें। श्रीमान आगे देखेंगे कि भारत के राजकाज का असली ढंग क्या है। कम्पनी की सरकार लिखा-पढ़ी की सरकार है।

सबसे पहले अंग्रेज वहाँ अपने कर्मचारियों को एक डायरी या रोजनामचा लिखने को कहते हैं जिसमें उनके हर व्यक्तिगत व सार्वजनिक कामो का लेखा-जोखा होता है। वे पत्रों का एक रजिस्टर रखते है जिसमें हर पत्र का हवाला होता है। वे माँगने पर वह रजिस्टर पेश कर देते है जिसमें व्यापारी की ही नही, व्यक्तिगत बातें भी लिखी रहती है। दूसरे हर स्थानों में, संसद में, प्रीवी काउंसिल में, मंत्रि-मंडल में, यह होता है कि पूरी वार्तालाप न लिख कर केवल फैसले व प्रस्ताव ही लिखे जाते हैं।

श्रीमान, इन लिखित कागजों, पत्रों से सिर्फ यही नहीं पता लगता कि कंपनी के कर्मचारी व उनके नौकर कैसे थे बल्कि इससे उनकी अनैतिकता का भी पता चलता है, उसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। हर जगह अनभिज्ञता बहुत स्पष्ट, आसान व सीधी होती है, वहीं अपराध बहुत स्पष्ट, उलझा हुआ और टेढ़ा होता है। अपराधी व्यक्ति अपने वक्तव्य से सदा ही विरोधाभास, असत्य भाषण और

उलझन में फंस जाता है। इससे न्याय को दण्ड देने में आसानी होती है, यदि कागज-पत्रों में अदल-बदल करने में समय बग्वाद न किया जाय। वे कागजात वहाँ से उड़ा दिए गये हैं। वे सब योरप में हैं, वे कंपनी के रजिस्टरों में सुरक्षित हैं। शायद अब वे सब संसद की निगाहों के सामने है।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने पूरब मे बन रहे सरकारी महल के ढांचे को ढहाने में ही अपनी शक्ति लगाई। सबसे पहला काम इस दिशा में उसने यह किया कि कंपनी की तनख्वाह पर ऊँचे कर्मचारियों को अपने अधीन में किया। उसने जनता व अधिकारी वर्ग को दूर-दूर रखने का प्रयत्न किया। फिर उसने राजकार्य की गुप्त बातों को सदा सार्वजनिक बनाया। फल यह हुआ कि कंपनी के डायरेटरों व ऊँचे कर्मचारियों में विश्वास कम हुआ और एक दूसरे से वे दूर हुए।

उसकी हर हरकत का विस्तृत बयान न कर मै केवल यह बताऊँगा कि उसने सरकारी दस्तावेजों को बदला, भ्रष्ट किया। उसने व्यक्तिगत गुप्तचर रखे, जासूस रक्खे, जो उसके अनुकूल कार्य करते थे, उन जासूसों की लिखी चिट्ठियाँ व कागजात वह अपने हाथ में रखता था और डायरेक्टरों तक जो कागजात आते थे, वे असली के केवल लिफाफे ही होते थे। जिनका न तो कोई उपयोग होता था, न कोई महत्व।

यह सब उसके कुछ ढंग है जिनसे उसने एक अच्छे शासन को बदनाम किया। लेकिन और भी मामले है जिन्हें इस अदालत के सामने लाना है, जिसमें उसने जड़ पर ही कुल्हाड़ी चलाई है। अपनी शक्ति व अधिकार दूसरों को देकर, जो काम उसे स्वयं अपने से करना था और जिन्हें उसने अधिकार सौंपा था वे उतनी कड़ाई से कभी न कर सकते जितनी कि वह करता। उसने राजस्व के लिये एक विभाग का संगठन किया जिसमे ऐसे लोग थे जिन्होंने कम्पनी के राजस्व का एक बड़ा भाग ही गायब कर दिया। स्थिति तो यह है कि उसे भी नही पता, न हम ही पता लगा सकते है कि अब तक कितना धन इस प्रकार गायब हुआ। इस प्रकार सरकारी कागजातो को गायब करने की उसने कोशिश की। यदि कुछ कागजात बच न जाते तो आज कुछ भी अन्दाज न लगता, तब सब जानने के लिये वहाँ के निवासियों की फुसफुसाहट पर ही निर्भर होना पड़ता। इस प्रकार मिस्टर हेस्टिंग्स को जो सरकार की प्रतिष्ठा नष्ट करने, मनुष्यता को नीचा गिराने में प्रवीण सिद्ध हुआ, आज सार्वजनिक मुकदमे में अभियोगी के रूप में न खड़ा होना पड़ता, बल्कि वह सरकार से उच्चतम प्रतिष्ठा पाने का हकदार होता और घूसखोरी, छोटे कार्यों, अमानुषिक अत्याचारों की कहानी पर पवित्र न्याय का परदा पड़ जाता।

मिस्टर हेस्टिंग्स जानता है कि आज उसके कारनामों के सम्बन्ध मे क्या जनमत है। अपने बचाव के लिए वह संसद के सम्मुख इन्कार करता है। कई अन्य कागजातों व दस्तावेजों में व अपने हाथों के लिखे प्रमाणों द्वारा मुकदमे में खड़े

होने से इन्कार करता है। वह अपने ही विचारो से बँधने से इन्कार करता है। वह जानता है कि वह और उसके दस्तावेज दोनो एक साथ भले नही बने रह सकते। वह जानता है कि दस्तावेज के जो भी भाग अभी तक बचे है, जिन्हे वह नष्ट करने म सफल नही हो सका, वे ही उसे नष्ट कर देने को काफी है। वह सम्भव-असम्भव की स्थिति पैदा कर के उससे लाभ उठाना चाहता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि श्रीमान यह सिद्ध कर देगे कि विधान को नष्ट करने वाले, दस्तावेजो को नष्ट करने वाले अपने ही हस्ताक्षरो मे बँध जाते है, और कम्पनी के इस अविश्वासी नोकर को आप वही पदवी दे जो अन्य अवसर पर ऐसे अविश्वासी के लिए उचित है।

मुझे जो आदेश दिये गए है उनके अनुसार श्रीमान की सेवा मे मुझे कम्पनी के विधान के बारे मे बताना आवश्यक हे। मै विधान के वाह्यरूप की नही, आन्तरिक आत्मा की बाते करूंगा। इसमे जो अभाव है, उन पर प्रकाश डालूंगा। मै बताऊँगा कि उन अभावो का मिस्टर हेस्टिंग्स ने कैसे लाभ उठाया और विधान की अच्छाइओ को कैसे नष्ट किया। आप जो बाते जानते ह अगर उनके ही विस्तारपूर्वक वर्णन म मैने समय नष्ट नही किया है तो मै आपके सम्मुख यह बताने की आज्ञा चाहूँगा कि जन-अधिकार का कैसा नाश किया गया, जिसे कम्पनी ने मुगलशाही राजपत्र द्वारा सन १७६६ मे भारत के निवासियो पर प्राप्त किया था।

श्रीमान, आप ही अधिक न्यायपूर्वक मिस्टर हेस्टिग्स द्वारा किए गए अधिकारो के दुरुपयोग को देख सकेगे कि किन व्यक्तियो के अधिकारो की किस प्रकार हत्या हुई है। आप श्रीमान के सम्मुख अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं जितना भी सभव होगा सक्षेप मे यह बात उपस्थित करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इस विषय मे आप सतर्क रहे कि इसके पूर्व के विवादग्रस्त अभियोग स्थापित करने के अलावा विषय को स्पष्ट करने मे सफल रहे हैं और जो नियमपूर्वक आरोप के साथ साथ प्रमाण भी बनेंगे।

मै जानता हूँ कि पचायत न्यायालयो मे मामले के प्रारम्भ मे वकीलो को काफी छूट इस बात की दी जाती है कि विस्तार पूर्वक वर्णन कर के आरोप लगा सके। ऐसे मामलो मे उन्हे विषय तक ही पूरी तरह सीमित रहने की पाबदी नही बरतनी पडती। क्योकि अदालत और हाकिम इन्ही बातो से मामले की योग्यता की जाँच करते हैं।

लेकिन मै प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान यह जान ले कि आपके सबंध मे जितनी ऊँची धारणा मनुष्य की कल्पना मे सभव है, रखते हुए और ग्रेट ब्रिटेन की ससद की महानता जिसका मैं आज यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, की मर्यादा की रक्षा करते हुए मैं यहाँ जो भी तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत करूँगा उनके सम्बन्ध मे प्रमाण, जन-धारणा, जनता की गवाही, दस्तावेज, मौखिक गवाही जो केवल मौखिक रूप म

प्रस्तुत की जा सकती है, और इतिहास के प्रमाण भी पेश करूँगा ।

श्रीमान, दो विभिन्न प्रकार के लोग भारत में निवास करते हैं । एक ही देश में दो भिन्न प्रकार के लोग बसते हैं । दोनों की भिन्नता उनके चरित्र, जीवन, मानस, निर्णय और रहन-सहन में इतनी स्पष्ट है जैसी दो बहुत दूर के देशों के निवासियो में होती है । इन दोनों विभिन्न प्रकार के लोगो के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक राजपत्र प्राप्त किया जिसे उस देश की सरकार से कानूनी तौर पर कम्पनी ने पाया था । यह राजपत्र अपने आप कम्पनी ने स्वीकार किया था जो, हम पर लादा नही जा सकता, जिसे कम्पनी के प्रमुख व प्रधान अधिकारियों ने स्वीकार किया था और मुझे यह कहने में खेद हो रहा है कि उसकी ही सबसे अधिक अप्रतिष्ठा कम्पनी के प्रमुख व प्रधान अधिकारियो ने ही की ।

श्रीमान, पहले एक तरह के लोग वे है जो हिन्दुस्तान के असली निवासी है, जो युगो-युगो से उसके निवासी रहे है और उस देश के मालिक रहे है । जो रहन-सहन, धर्म, रीति-रिवाज और मान्यता द्वारा वहाँ के आदिवासी है और दूसरे देश के निवासियो से बहुत कम मेल खाते है । ऐसे लोगो को हिन्दू कहते है । उनकी सरकार के नियम स्थानीय है । उनके कानून, उनके अचारण, उनके धर्म सभी स्थानीय है ।

उनके अधिष्ठाता का किसी को पता नही । उसका केवल एक ही सिद्धात था कि वह इन लोगो को धरती से जोड कर रखता था । आगे चल कर भारत के इन निवासियो मे अव्यवस्था भी आई । भारत के ये आदिवासी हम लोगो के सामने स्वभाव से बहुत कोमल हें बल्कि स्त्रैण्य कोमलता के निकटतम है, स्वभाव से दयालु, पर ये मन से बड़े अनिश्चयवादी होते है । वे दूसरी जाति वालो से मिलना-जुलना पसंद नही करते । कोई भी हिन्दू उनसे खानपान का सम्बन्ध नही रखता । उनसे तो हमारा मेल-जोल कभी किसी भी स्थिति में संभव ही नहीं है । उस देश और हमारे बीच बड़ा समुद्र है । हम यदि इस दूरी को मिटा कर उनसे मिलना भी चाहे तो उन्हें यह मान्य न होगा । उनके बीच के ऊँची जाति के लोग भी किसी भी मूल्य पर समुद्र पार नही कर सकते और उनकी रूढ़वादिता के कारण उस देश और यहाँ के बीच सीधा व सरल संपर्क बन ही नहीं सकता । इसी कारण श्रीमान, यह कई गुणा अधिक आवश्यक हो जाता है कि जब वे हम तक आ नही सकते तो जो लोग उनके बीच जाते है उन पर पूरा ध्यान रक्खा जाय । अगर हम ऐसे देश के निवासियो पर राज्य करने का निश्चय करें तो हम उन्हें उन्ही के नियमों से बाँध सकते है न कि अपने नियमों से । अपने विचारों के सीमित घेरे में हम उन्हें बँधने को विवश नही कर सकते, क्योंकि उनमें कोई बदलाव लाना असंभव है । हमारे चरित्र में ग्रहण करने की शक्ति अधिक है अतः हमीं उनमें, उनके जैसे हो कर मिल सकते है । हम जानते है कि मानव स्वभाव में सम्मति व सलाह मानने की प्रकृति है ।

श्रीमान के सामने यह बताना आवश्यक है कि आदिकाल मे ही ये आदिवासी कई वर्गो मे विभाजित है। वे सभी वर्ग जन्मजन्मान्तर के हैं। उनके परिवारिक वर्ग अनेक जाति में विभाजित है। इन हिन्दू लोगों मे जो ऊंचे जाति में पैदा होते हैं वे निम्न जाति से कभी मेल नही खाते। वे चार वर्गो में विभाजित है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्गों मे भी अनेक आंतरिक व छोटे-छोटे उपवर्ग है। इनमें शाश्वत कटघरे बने है। उच्चतम कभी निम्नतम तक नही जा सकता, न निम्नतम कभी उच्चतम तक पहुंच सकता है। इनमे हरेक की अपनी उपयुक्त बिरादरी, स्थान, परिस्थितियाँ और उपयुक्त धर्म भी है। हर वर्ग व जाति के रीति-रिवाजो मे पूर्णतया अंतर है, उनके आदर्शो तक मे अंतर है। एक व्यक्ति जो ऊँची जाति मे पैदा होता है उसकी अपनी पूर्व-मान्य व निश्चित स्थिति बनी होती है। ब्राह्मण जो उच्चतम वर्ग का है वह अपनी जाति खोता है तो अपने से नीचे वर्ग मे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वर्ग मे सम्मिलित नही हो सकता बल्कि वह प्रत्येक वर्ग से बाहर निकाल फेंका जाता है। प्रतिष्ठा व आदर की उच्चतम शिखर से वह घृणा व अनादर के पाताल में आ जाता है। प्रतिष्ठा मे घृणा व पवित्रता से अपवित्रता तक गिराया जाता है। उसके लिए जीविकोपार्जन के लिए कोई भी सम्मानित मार्ग खुला नही मिलता। उसकी संतान उसकी अपनी नही रह जाती। उसके पूर्वज भी उसका नाम नही ले सकते। उसका दाम्पत्य-सूत्र टूट जाता है। इस आपत्ति और भयानक बहिष्कार मे कुछ ही जीवित रह पाते है। एक भारतीय के लिए उसका धर्म ही उसका सर्वस्व है।

ऐसे लोगो से व्यवहार रखना सचमुच कितना कष्टसाध्य है? इस मुकदमे के बीच श्रीमान आश्चर्य से देखें कि इनके साथ मिस्टर हेस्टिंग्स ने कैसा व्यवहार रखा और इसके लिए उन्ही की जाति के कुछ लोगो को चुन कर उनका कैसा प्रयोग किया? इस मुकदमे के सिलसिले मे यह प्रमाणित करूंगा कि उसने अपने घरेलू और निम्नकोटि के नौकरो, हतभागे नराधम आश्रित दुरात्मा मूढ अनजाने मूर्खों को अपने घूसखोरी व व्यभिचार के हथकंडे व साधन मे ऊँची पदवियो पर बैठाया। मैं कहूँगा कि धर्म के उच्चतम सिहासन पर ऐसो को बैठाया गया जो जाति, परिवार, प्रतिष्ठा मे कही भी योग्य न थे। उसके इस आतंकपूर्ण अत्याचार से साम्राज्य में कोई व्यक्ति चूँ भी नही कर सकता था। इसी विश्वास व अभिमान मे वह कहता था—किसे शिकायत है मुझसे? नही, हममे से कोई आप से शिकायत करने की हिम्मत नही कर सकता। आतंक से काँपता हिन्दू कहता—'नही! आपके नीचे श्रेणी के नौकरो के हाथो मे हमारा धर्म है।' मैं श्रीमान को अधिक उदाहरण देकर परेशान नही करूंगा। उदाहरणार्थ कन्तू बाबू और गंगा गोविन्द सिंह जिनके नाम से श्रीमान बाद में पूर्ण परिचित होगे, का स्मरण ही काफी होगा जिनकी मुट्ठी में पूरे बंगाल के लोगों का धर्म व चरित्र बँधा था। उनके द्वारा उसने सभी शिकायतों से अपने

को सुरक्षित रखा ।

श्रीमान, इस जाति के लोग ही हिन्दुस्तान के आदिवासी है। ऐसे दूसरे उदाहरण दुनिया में नहीं है । उनके अपने देश में कुछ गलत नियम हो सकते है, रहे हों। उनकी स्वभावगत व राज्यगत भूलों के होते हुए भी दो ऐसे गुण उनमें थे, जिनके कारण वे भी आदर के पात्र हैं—एक, उनकी शक्ति और दृढ़ता; और दूसरी, उच्चतम नैतिक और सुसभ्य व्यवस्था । उनकी दृढ़ता के प्रमाण में उनकी राजनीतिक एकसूत्रता को हम स्वीकार कर सकते हैं, जो हमें इतिहास ने बताया है । वे अपने अतीत व प्राचीनता के प्रति बड़े दृढ़ हैं । उनकी अपनी जड़ें उनकी ही धरती में बहुत गहरे तक समायी हैं, शायद इसीलिए कि अपनी धरती को छोड़ कर किसी और की धरती में वे कभी नहीं फैली । उनका रक्त, उनकी मान्यताएँ, उनके देश की धरती, मिल कर एक ठोस चीज बनती है । उनमें कहीं मिलावट नही, कहीं उलट-फेर नहीं, उनके धर्म में कोई बदलाव नही, उनके राज्य ने कभी दूसरों पर अतिक्रमण या आक्रमण नहीं किया । इसलिए वे कभी विदेश में नही फैले, बल्कि अपने घर मे ही अपनी शक्ति बढ़ाते रहे । मुसलमानी व पुर्तगाली आक्रमण, तातारी व अरबी कठोरता, अनेक विदेशी हमलों, असंख्य शत्रुओं द्वारा हमलो के बाद भी उनका अस्तित्व नहीं मिटा ।

श्रीमान, मैं कह चुका कि उनके सिद्धान्त क्या है, उनके नियम, धर्म व समूह रचना क्या है और उनकी शक्ति और दृढ़ता कैसी है । मैंने वे उदाहरण भी दिए और परिस्थितियाँ भी बताई हैं जिनमें मानवता का कोई भी वर्ग अपनी निर्बलता को यथोचित समझता है । आज जब उनका देश दूसरे ढंग से पराधीन कर लिया गया है तब भी वे जीवित है । इतना ही उनके अस्तित्व के लिये गहरा प्रमाण है कि उनमें कोई शक्तिशाली प्रभाव है ।

उन आदिवासी हिन्दुओं की दूसरी विशेषता उनकी उच्चतम नैतिक व सुसभ्य व्यवस्था है । धार्मिक व नागरिक व्यवस्था, जिन दोनों के मेल से वे लोग प्रसन्न हैं, उन्नतिशील है। हर प्रकार की जाँच—पड़ताल से यह सिद्ध हो गया है कि जहाँ भी हिन्दू धर्म स्थापित है वहाँ राष्ट्र उन्नतिशील है । आज भी इस बात को प्रमाणित करने को कई सूत्र बचे हैं । श्रीमान की वैधानिक जाँच के लिये जो देश आज विषय बना है वही एक उदाहरण है, जो पूरी सरकार व शासन व्यवस्था बदल जाने पर भी, विदेशी हस्तक्षेप व अधिकार होने पर भी जीवित है । मैं आपके सम्मुख हिन्दू शासन व्यवस्था के बारे में कम्पनी के एक बहुत पुराने कर्मचारी द्वारा लिखी एक पुस्तक से सुनाऊँगा, जिसकी प्रामाणिकता पर सन्देह नहीं किया जा सकता और इस शासन व्यवस्था के ध्वंसात्मक कारनामें ही, उसकी पुस्तक के विषय है ।

लेखक मिस्टर हालवेल ने बंग-देश को कई प्रान्तों में बाँटा । वह समझता है कि इससे सरकार को लाभ हुआ । वह समझता है कि देश झुकने व टूटने को

तैयार है, वह देश के राजस्व को बदल देने की आशा करता है और सबका मालिक ब्रिटेन को बनाना चाहता है। अन्त में वह वर्दवान प्रान्त मे आता है।

"सच यह है कि इतने अच्छे, भले व सुखी लोगों को सताना या पीड़ा पहुँचाना अन्यायपूर्ण व क्रूरता है। क्योंकि इस जिले में सुन्दरता, पवित्रता, दयालुता, ममता और दृढता वैसी ही है जैसी प्राचीन भारतीय सरकार के समय में थी। यहाँ किसी की जमीन जायदाद या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कोई छू नही सकता। यहाँ सामूहिक या व्यक्तिगत कोई लूटमार नही होती। यात्री चाहे उसके पास सामान हो या न हो, उसे तत्काल ही सरकार का संरक्षण मिलता है। सरकार द्वारा उसे सुरक्षा के लिये बिना खर्च सिपाही मिलते हे। यात्री जहाँ-जहाँ भी जाता है, अपने-अपने हद के सिपाही उसकी सुरक्षा का भार ग्रहण करते है और पहले का सिपाही उससे दूसरे हल्के तक सुरक्षित पहुंचाने की लिखित रसीद प्राप्त करता है। सभी रसीदे राजा तक पहुँचाई जाती हैं।

इस प्रकार यात्री चाहे सारा देश घूमे, उसे कही खाने-पीने में कुछ भी नही खर्च करना पड़ता, न ठहरने व सवारी का ही खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वह बीमारी के अलावा किसी अन्य कारणवश एक स्थान पर तीन दिन से अधिक ठहरे तो उसे अपने सम्बन्ध मे बहुत कुछ बताना पड़ता है। यदि उस जिले मे कुछ खो जाय जैसे रुपयो की थैली या दूसरी कीमती चीजे तो उसे जो भी पाएगा, पास के पेड मे लटका देगा तथा पास की चौकी मे खबर देगा और वहाँ का अधिकारी डुगडुगी पिटवा कर उसकी घोषणा करेगा।"

श्रीमान, यह हिन्दू धर्म वालो की सज्जनता के उदाहरण है। लेकिन लगातार विदेशी हमलो ने यह सब बन्द करा दिया। १७५६ तक कही-कहीं ये उदाहरण मिलते रहे। कुछ तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यभार संभालने तक भी मिले है। यही हाल था बलवन्त सिह के सुखी राज्य बनारस का। चेत सिंह के दिनो मे सन् १७८१ तक बनारस की भी यही हालत रही।

हिन्दुस्तान के आदिवासियो के रहन-सहन की एक रूपरेखा मैने खीची। मैं श्रीमान पर ही यह छोड दूँगा कि ऐसी सुव्यवस्थित परम्परा का आपके गवर्नरो ने जो अपमान किया, उसके लिये आप क्या निर्णय करेंगे। मेरा विश्वास है कि मैंने विषयान्तर नही कहा, बल्कि पुरानी हिन्दू जाति के राजकाज के विषय के जो तथ्य थे उन्हें उचित रीति से उपस्थित किया है।

मैं इस देश के अतीत को छ भागों मे बाटूंगा। ये हिन्दू जिनका हमने वर्णन किया है वे प्रथम भाग माने जायेंगे।

दूसरे भाग का सम्बन्ध इस देश व बड़े पैमाने मे विश्व पर आये संकट से है। मेरा आशय है हजरत मुहम्मद के समय से। यह दूसरा युग अरबो का युग है। इन्होने भारत मे आकर अपना महान व स्थायी प्रभाव छोड़ा। बहुत पहले ही

इन्होंने सारे देश पर मुस्लिम शासन फैलाया। विशेषकर बंगाल में, जो हमारी आज की जाँच का भी प्रमुख विषय है। मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार अनेक वर्षों तक रहा। तैंतिस बादशाहों ने ताज पहने और उतारे। बंगाल में उनका शासन उनके पैगम्बर के युग के थोड़े बाद ही प्रारम्भ हो गया था।

ये लोग जब पहले पहल भारत में बसे तब साम्राज्य विस्तार के साथ-साथ उन्होंने तलवार की शक्ति से उस देश की संस्कृति व रीति-रिवाज बदलने की चेष्टा की। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनके अत्याचार अपने आप थक गए और विवश लोगों की धार्मिक भावना को न बदल सके। निराश होकर व थककर उन्होंने वहाँ के आदिवासियों को शांत रहने को छोड़ दिया, मुस्लिम धर्म ने प्रचार के लिये शक्ति का प्रयोग बन्द करके लालच दिखाने का मार्ग अपनाया और हिन्दू धर्म से च्युत या निम्नतम श्रेणी के लोगों को नये धर्म के रंग में रंगना प्रारम्भ किया। अतः हिन्दू धर्म से बहिष्कृत लोग ही मुस्लिम धर्म के अनुयायी बने। बहुत पुराने ढंग से राज्य चलाने वाले सामन्तशाही राजाओं को भी उन्होंने देखा और जहाँ कहीं भी ऐसी परिस्थिति दिखाई दी कि उनकी अधीनता उनको स्वीकार्य नहीं है, वहाँ उन्होंने अपना हाथ नहीं फैलाया और उनकी स्वतन्त्रता बनी रहने दी।

अरबों के समय में मुस्लिम लोगों ने कभी भी हिन्दू राज्यों के राजे, जमींदार व सामन्तों को नष्ट न किया न उन्हें उजाड़ा। वे अपनी भूमि पर पूर्ववत जमे रहे। उनमें से कई आज हमारे मुकदमे में प्रमुख पात्र हैं।

फिर तीसरा युग आया। इस तीसरे युग को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने प्रार्थना पत्रों में इनका काफी उल्लेख किया है। जैसे तातारों का हमला या तैमूरलंग का युग। इन तातारों ने हिन्दुओं के खंडहर पर कभी अपना महल नहीं बनाया। उनका हमला और उनकी जीत का सीधा सम्बन्ध मुसलमानों से है। क्योंकि तैमूरलंग ने हिन्दुस्तान पर हमला किया, उसी प्रकार, जैसे उसने अन्य देशों पर चढ़ाई की। उसे तो मुस्लिम धर्म का एक सुधारक ही कहा जाएगा। वह तो पैगम्बर का अवतार व उत्तराधिकारी बन कर आया। उस युग के सभी मुस्लिम बादशाहों पर उसने अपनी शक्ति आजमाई। वह उन्हें विधर्मी, पतित, मर्यादाभ्रष्ट और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले मानता था। अपनी जीत को उत्सव का रूप देने के लिये वह जीते देश के लोगों से मिल-जुल कर रहता था। इस तरह तैमूरलंग के पास न तो समय था, न साधन, न इच्छा कि वह वहाँ के प्राचीन राजाओं को पदच्युत करे।

श्रीमान देखेंगे कि मैं केवल वह स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिनके कारण बार-बार इस देश में उथल-पुथल हुये। मैं अत्याचारी व चढ़ाई करने वालों की क्रूरता का इतिहास नहीं बता रहा हूँ। सचमुच इतिहासकार तो प्राप्त सूचनाओं और सूचना स्रोतों के प्रति बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। वे हमें सिर्फ यह बताते हैं कि तैमूर-

लंग ने भारत पर विजय प्राप्त की और लगभग एक वर्ष में ही पूरी लड़ाई जीत ली। यह बात चौदहवीं शताब्दी के अन्त की है। इतिहास में केवल घटनाओं का ही क्रमबद्ध उल्लेख होता है। मैं बहुत विनीत होकर यहाँ आपके सम्मुख उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, उन्हीं मिस्टर हालवेल की पुस्तक का यह अंश सुनाऊँगा—"जब हिन्दू राजाओं व हिन्दुस्तान के सामंतों ने तैमूरलंग के सामने आत्मसमर्पण किया है तब मुख्य नियम के अनुसार बादशाह को राजा चेत सिंह की लड़की से शादी करनी चाहिए थी, ताकि आगरा के हरम से सीधा संबंध रहता है ओर नातेदारी के नाते बादशाह हिन्दुओं से कभी जसरा (एक प्रकार का कर) न लेता था।"

वह एक विजेता था, प्रसिद्ध विजेता, सद्भावना का प्रचारक, जिस देश को जीतता वहाँ के निवासियों के ऊँचे लोगों के साथ रक्त का नाता जोड़ता जिसका परिणाम होता कि उसके बाद उसी देश के लोग उसके राजा होते। उसके साथ सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह हुई कि उसने हिन्दुओं से वह कर ही नहीं लिया जो हर गैर-मुस्लिम पर लगता था। हिन्दू राष्ट्र को उसने कभी विजित नहीं माना। देशी राजाओं को मुगल सरकार से संबंध रखने की छूट थी। हिन्दुस्तान की राज्य-व्यवस्था समझने में हम अधिकतर भूल करते हैं। वहाँ हर राजा का उत्तराधिकारी उसी के परिवार का होता है। जैसा राजा चेतसिंह के मामले में है। इन बातों से पता चलता है कि तैमूरलंग चाहे तातार या विजेता के नाम से प्रसिद्ध हो, पर वह लुटेरा कभी न था। जिन राजाओं ने उसके आगे आत्मसमर्पण किया वह किसी गुलाम का आत्म-समर्पण न था बल्कि सब कुछ बड़े सम्मानपूर्वक ही था। तैमूरलंग अन्य मुसलमान विजेताओं से बिल्कुल भिन्न था जो केवल तलवार के बल पर सब करते थे।

तब हिन्दुस्तान कई स्थानीय राजाओं का प्रजातंत्र देश था और तैमूरलंग उनका सरदार। इसके विपरीत यदि चेतसिंह जैसा कोई अधीन राजा बहुत अधिक रकम की माँग पूरी न कर सके या लूट को कमाई मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए अनुचित जुर्माने की रकम न दे सके और उसकी सामर्थ न देख कर बल-पूर्वक जुर्माना वसूला जाय, ऐसे लोग मिस्टर हेस्टिंग्स की दृष्टि में जीने के भी अधिकारी न थे। तब देश के राजाओं के पास हथियार होते थे, सुरक्षा के लिए उनके किले होते थे, अपनी सेना होती थी। अपने व शाही खजाने के लिए जनता से धन इकट्ठा करने के संबंध में न्याय व निर्णय के वे स्वयं राजा होते थे।

मिस्टर हालवेल ने इस सिद्धान्त पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है जो आगे चल कर पूरे राज्य के लिए कानून बना।

श्रीमान देखें कि अपना साम्राज्य संगठित करना, उसने छोटे राजाओं के अधिकार छीनने से अधिक आवश्यक समझा। तैमूरलंग देशी राजाओं की प्रतिष्ठा करता था न कि हेस्टिंग्स की तरह उनका सदा अपमान करता था।

तैमूरलंग के राज के समय का यह नियम मुझे अब आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हम अब चौथे युग यानी अकबर के राज में आते हैं। बंगाल पर अधिकार पाने वालों में अकबर तैमूरलंग के बाद उसका सर्वप्रथम उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। उसकी जीत के प्रति भक्ति प्रकट करना उचित है। अकबर ने भी अपने पूर्वज तैमूरलंग की तरह देशी राजाओं पर विजय प्राप्त की न कि देश पर। सच पूछा जाय तो हिन्दुस्तान उस तरह जीता गया राज्य न था जैसा अन्य देशों के साथ होता है। आदिवासी, बड़े लोग अपने-अपने स्थान पर पहले की तरह राजा बने रहे। यह भी सत्य है कि मुगल साम्राज्य के ताज के लिए व उत्तराधिकार के लिए बार-बार युद्ध हुए। उनमें भीतरी व्यक्तिगत संघर्ष भी हुए। कुल मिला कर तैमूरलंग के बारे में कहा जा सकता है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने फारस, टर्की, जहाँ भी हमले किए, वहाँ के राजाओं के लिए अपना महल तक त्याग दिया, उसकी जगह हिन्दुओं के साथ बड़ी सुरक्षा व पक्षपात का व्यवहार रहा।

पाँचवाँ युग परेशानियों का युग है। यह युग है बंगाल के स्वतन्त्र सूबों का युग। इनमें से पाँच सूबों का गवर्नरों व प्रतिनिधियों द्वारा राजकाज चलता था, सन् १७१७ से। बाद में वे ही स्वतंत्र हो गए थे। जब तैमूरलंग के उत्तराधिकार का झगड़ा मचा; देश में मुर्शिद कुली खाँ आया, यहाँ का धन उठा ले गया, सिंहासन उलट गया और केवल प्रमुख व्यक्तियों की हत्या ही नहीं की बल्कि राजधानी में रहने वाले हर व्यक्ति को मारा। यह झटका देश बरदास्त न कर सका और सूबों को स्वतंत्र हो जाने दिया। लेकिन सूबों की स्वतन्त्रता ही उनके सर्वनाश का कारण बनी। अलीवर्दी खाँ ने अपने मालिक की हत्या कर के बंगाल के बाहर की शक्तियों को बंगाल पर चढ़ जाने का रास्ता खोल दिया। विशेषकर मराठों के लिए जो कई वर्ष से देश में उपद्रव मचाए थे। आगे चल कर उनकी हार व पराजय की कीमत दी गई, जो विश्वास है कि ५,०००,००० पौंड से कम न थी। इस सौदे में अलीवर्दी खाँ ने एक उजड़े राज्य के खंडहर का स्वामित्व पाया और शांति व विपन्नता अपने पोते सिराजुद्दौला के लिए छोड़ा। सन् १७५६ में सिराजुद्दौला के पतन के बाद छठाँ व अंतिम युग आता है—ब्रिटिश साम्राज्य का युग।

पाँचवें युग में मुझे श्रीमान के सम्मुख यही बताना है कि इस युग के अंतिम चरण में हर हिन्दू सरदार अपने अधीन भूमि का राजा बन गया था। क्योंकि अलीवर्दी खाँ एक क्रूर शासक था और कठोरता से एकता लाने का उसका प्रयास सफल रहा है। उसके पास एक सौ हजार घुड़सवार फौज थी। फिर भी उसके अधीन राजा अपना राज्य, अपने किले, अपनी जमींदारी सुरक्षित रख सके थे। यह युग १७५६ तक रहा।

इतिहास के इन तमाम अध्यायों द्वारा मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि आपके मन पर यह सत्य जम जाए कि इन तमाम युगों व सरकारों के अदल-बदल से,

शक्तियो के उलटफेर से हिन्दू राज्य व हिन्दू शासन की आत्मा किसी न किसी रूप मे जीवित रही और उसका अंत व नाश केवल मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा ही हुआ।

श्रीमान, भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व के सभी युगो का मैने वर्णन किया है। मिस्टर हेस्टिंग्स भारत मे रहता था। वह कम्पनी का एक नौकर था। उसकी शिक्षा दोनो युगो के बीच की है। वह पुरानी चाल-ढाल का आदमी है। जहाँ तक बंगाल मे ब्रिटिश शासन का संबंध है, वहाँ के हर बडे-छोटे कामो के बीच वह रहा और वहाँ की हर बुराई मे प्रमुख भाग लेता रहा, जिसके कारण वह अपनी सरकार बना सका। यद्यपि वह वहाँ की राजसत्ता के बदलाव यानी पूर्वी से पश्चिमी राज्य स्थापित होने के समय उपस्थित था और भयानक बुराइयो के पनपने का भी यही समय था, अत यदि १७५६ से बाद तक होने वाली घटनाओ का सविस्तार वर्णन आपके सम्मुख न रखा जायगा तो उस समय की परिस्थिति व प्रकृति को समझना कठिन होगा। यदि मुझे यह बताने की श्रीमान द्वारा आज्ञा मिले और यह पता चले कि श्रीमान भारत की दुर्दशा की कहानी जानना चाहते है, यदि आपकी इच्छा हो कि १७५६ मे हेस्टिंग्स की सरकार यानी १७७१ तक के सारे व्यापार पर से मै परदा हटाऊँ, आप जानना चाहे कि किस हद तक उसने अनुचित लाभ उठाया, किस हद तक उसने बुराइयो को प्रश्रय दिया और यदि समझे कि यह वर्णन करना समय गँवाना न होगा, तो मै बहुत सक्षेप मे इसका वर्णन करूँगा कि उस समय सन् १७५७ और मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकार के बीच कितनी प्रमुख घटनाएँ घटी। मुझे प्रसन्नता ही होगी यदि मै अपने प्रयास मे सफल हो सकूँ तो आप श्रीमान भी मानसिक रूप से पूरे मुकदमे को सुनने को तैयार हो जाएँगे। तब श्रीमान को बिलकुल स्पष्ट रूप से सरकार के नाम पर होने वाली सभी बुराइयाँ दिखेगी जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी सरकार बनाई और तब हम सभी मुकदमे की प्रकृति तक, तह तक आसानी से पहुँच सकेगे। मेरा विश्वास है कि इसमे रास्ता साफ ही होगा और आपके न्याय को सरलता प्राप्त होगी।

अत. मै अब अपनी बात यहाँ पर बंद करना चाहूँगा, जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने नौकरी की और बाद मे राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया। और यही श्रीमान, मै रुकता हूँ और आपकी सुविधानुसार आज्ञा पाकर इस घटनापूर्ण इतिहास की बात आगे चलाऊँगा।

चौथे दिन की कार्यवाही

[१६ फरवरी सन् १७८८]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, कल आपके सम्मुख मुझे जो भी कहने की सुविधा तथा सम्मान प्राप्त हुआ और आज जो कह कर मैं आपका समय नष्ट करूँगा, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, पूरी योग्यता से जैसा मैं चाहता हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं जो कहूँ, वह पूर्ण सत्य हो तथा आधारपूर्ण हो।

सर्वप्रथम, मैं आज्ञा चाहूँगा कि मैं जो कहने को उचित समझूँ, प्रारंभिक रूप में वह श्रीमान के सामने सारी घटनाओं का सच्चा चित्र प्रस्तुत कर सके। घटनाएँ व वह हथकंडे जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनाये व प्रयोग में लाये और उनसे जो परिणाम निकले तथा मैं चाहता हूँ कि जो अपराध लगाऊँ वे प्रमाणित हों और स्पष्ट हों। मैं जैसा पहले कह चुका हूँ और जो भी कह चुका हूँ वे अपराध अरोपित करने में सहायक होंगे और अभी तक उन्हें केवल परिस्थिति के सही चित्रण का ही रूप दिया गया है। आप श्रीमान आशा करेंगे कि अपराध आरोपित करने में जो ठोस प्रमाण व कारण हों, सामने आवें और हर अपराध से संबंधित गवाहियाँ पेश करने को प्रस्तुत रखी जायें। इस प्रकार श्रीमान अपराध व ऐतिहासिक महत्व को अलग-अलग से जान व देख सकेंगे। जैसे उदाहरणार्थ, कल मैंने श्रीमान के सम्मुख कर्मचारियों की क्रूरता व अनुचित कार्यों का वर्णन किया था, जिसके फलस्वरुप देश में विघटन हुआ, बाहरी शक्तियाँ आईं, उनके लिए मैं किसी आंशिक रुप में भी मिस्टर हेस्टिंग्स को दोषी नहीं ठहराना चाहता। इस संबंध में मिस्टर हेस्टिंग्स पर जो आक्षेप आता है वह यह है कि इस प्रकार की घटनाओं को चुपचाप देखना, बढ़ावा देना तथा उसका उपयोग करना।

जब मैंने श्रीमान के सामने कोई बुराई या बुराई का साधन प्रस्तुत किया है, जो कम्पनी के विधान के अभाव व त्रुटियों के कारण है—तो इसके लिए मैं मिस्टर हेस्टिंग्स को अपराधी नहीं ठहराता, न वह उन अभावों या बुराइयों का किसी प्रकार भागी है। मैंने यह प्रदर्शित करने के लिए ही सब कहा कि उसने, उसे जो शक्ति दी गई थी उसका दुरुपयोग करने में उन बुराइयों का अनुचित उपयोग करके उनसे लाभ उठाया। यदि आगे चल कर मैंने यह कहा है कि साधारण रूप

में कम्पनी की नौकरी कानूनी दृष्टि से अयोग्य थी तो इसके यह अर्थ नही कि ये अयोग्यताएँ मिस्टर हेस्टिंग्स के कारण है। लेकिन मैंने इसे एक सत्य तथ्य के रूप मे कहा है और दिखाया है कि किस प्रकार और किस रूप में उसने धोखेधड़ी, व्यभिचार और व्यक्तिगत इच्छाओ व आकांक्षाओ की पुष्टि के लिए इन अयोग्यताओ मे लाभ उठाया और सुधार के नाम पर एक गैर-कानूनी, पक्षपातपूर्ण कार्य किया, जिसने कुछ विशेष प्रिय लोगो को अत्यधिक प्रश्रय दिया और कम्पनी का पक्ष न देखा वरन पतित व गंदे तरीको को घटाने के स्थान पर बढाया और कम्पनी पर बहुत भारी और जानलेवा खर्चे का भार लादा, ऊँची तनख्वाहो व भत्तो के नाम पर।

श्रीमान को यह बात मस्तिष्क मे रखने की विनम्रता पूर्ण प्रार्थना करके मै विश्वास करता हूँ कि मेरे बार-बार याद दिलाने की आवश्यकता न होगी कि ये बहुत स्पष्ट व जरूरी घटनाएँ वे न भूले, जिनका मैने कल प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया था—जिनके फलस्वरूप आज इस मुकदमे की आवश्यकता पडी है।

श्रीमान, साम्राज्य प्राप्त करना सरल है, पर शासन अच्छा शासन चलाना सचमुच कठिन है। बडे साम्राज्य द्वारा जिन्हे राजकीय अधिकार दिए जाते है उन्हे दोषी ठहराना, जनता के सम्मुख ऐसे उदाहरण कम ही है। हम लोग अपनी जीत के अहंकार मे ही चूर रहे। हमारा साम्राज्य एक वीभत्स रूप ग्रहण कर चुका है। लेकिन हम जग गए है, हम अपने कार्य-कलापो की अच्छी तरह जाँच करेगे, अपने अनुचित कार्यों के लिए प्रायश्चित करे, अपनी शक्ति से उत्तम मदान्ध करने वाला उपाय खोज निकाले, यह इस युग की महत्वपूर्ण बात होगी। राष्ट्र के लिए एक बडी बात होगी।

विश्व के इतिहास मे सन् १७५६ का वर्ष एक महान व स्मरणीय वर्ष है—इसने एक पश्चिम राष्ट्र को एक साम्राज्य बना दिया। नया राज्य, नये नियम, नई कार्य प्रणालियाँ, नई संस्थाएँ, नए विचार, नए कानून की एशिया के हृदय में स्थापना हुई।

श्रीमान, अगर एशिया के उस भाग मे, जिसकी स्थानीय व अपनी सरकार टूट चुकी थी, ऐसे क्षण मे जब कि वहाँ की सरकार उलझन व अधिकार के गढे मे गिर चुकी थी तब उस अन्धकारपूर्ण वातावरण मे यदि पश्चिम से यह चमकदार सितारा न उगता और वहाँ शांति, व्यवस्था एव वहाँ के निवासियो की सुरक्षा का प्रबंध न करता तो वह दुखी व टूटा देश नष्ट हो जाता। मानवता के लिए यह एक महान कार्य हुआ है।

निश्चय ही जब नया साम्राज्य बनता है तो नया युग प्रारम्भ होता है। यदि वहाँ उचित व्यवस्था होती तो एक नया राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटिश राज्य जैसे उन्नतिशील राज की सब अच्छाइयाँ प्राप्त करता। यदि ऐसा होता (खेद है, ऐसा न हुआ) तो आप आज के संकट से बच जाते। आशा की जाती है कि वह विश्व का श्रेष्ठतम

देश बनता जिसका धर्म उच्चतम है—तो हम योरप को प्रतिष्ठा दे पाते। न्याय व धर्म को प्रतिष्ठा दे पाते।

श्रीमान, लेकिन हुआ सब उलटा। अब अपनी बीती पहले की भूलों को सुधारना अपना काम है। कल जहाँ मैने इतिहास का सूत्र छोड़ा था वहीं से प्रारम्भ करता हूँ। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खाँ का दत्तक पौत्र (नाती) था। अलीवर्दी खाँ एक क्रूर और आतंककारी नवाब था। जिसके राज्य हस्तगत करने की कहानी मैं बता चुका हूँ। सिराजुद्दौला बड़ी कच्ची उम्र में और अनुभवहीनता के साथ उस राज-सिंहासन पर बैठा। यह अपहरण था फिर भी बहुत हरियाली थी, खुशहाली थी देश में, यद्यपि देश ऐसा शासक पाकर बहुत उलझन का अनुभव कर रहा था। कोई परम्परावादी शासन होता है तो उसमें विश्वास व स्थायित्व होता है, जिसकी यहाँ नितांत कमी थी। सिराजुद्दौला के पास स्थायित्व के नाम पर केवल एक बड़ी फौज थी। लेकिन इस नवाब व इसके पूर्वजों का तो एकमात्र ध्येय था कि वह केवल धन इकट्ठा करते, जिस प्रकार भी संभव होता। लेकिन जैसा कि हर, सब भारतीय राजा के साथ है कि वे धन प्राप्त करने में जितने प्रवीण है, जितना ही धन वे पाते हैं, उतना ही राज्य में गरीबी बढ़ती जाती है। फल यह होता है कि उनकी फौज को वेतन भी न मिल पाता, मिलता तो नियमपूर्वक नहीं और फौज में अनुशासनहीनता, अवज्ञा और बेइमानी बढ़ती जाती थी। इन परिस्थितियो मे एक नौजवान शासक ने जो स्वयं भी अनुभवहीन था, विवश होकर कलकत्ते में हमारे निर्मित छोटे से व्यापारी किले पर हमला करने का निश्चय किया। वह अपने प्रयास में सफल भी हुआ, क्योंकि ऐसे प्रयत्न मे सफलता निश्चित भी थी। क्योंकि जब कानून और न्याय का आसरा छोड कर हर छोटा-छोटा कर्मचारी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था तो परिणाम उसका उलटा होना स्वाभाविक ही था।

जब यह घटना घटी, उसी समय अन्य घटनाएँ भी घटी। इस क्षणिक और निर्बलता ने एशिया में महान ब्रिटेन की शक्ति का प्रदर्शन भी किया। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व से ही फ्रांसीसी और अंग्रेजों की फौज ने कारोमंडल के किनारे पर यूरोपीय अनुशासन की शक्ति व योग्यता का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया था। इसलिए कि हम लोग प्रति क्षण फ्रांस से युद्ध की आशंका रखते थे अतः वहाँ भी हमारा सह-योग संभव न हो सका। तब के मदरास के गवर्नर लार्ड पिजोर जो एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य का पहरेदार था जिसने कम्पनी की फौज को इकट्ठा किया और तब वहाँ खड़े जहाजो को सहायतार्थ कलकत्ता भेजा। इतिहास के इस परिच्छेद को संक्षेप में समझने के लिए मै कहूँगा कि क्लाइब की सैन्य-योग्यता, वाट्सन की योग्यता, सन्तोष व साहस, मीरजाफर की गद्दारी और प्लासी के युद्ध ने तत्काल हमारे पक्ष में होकर एक राज्य का आधिपत्य और समस्त राजस्व का अधिकारी बनाया। हमने मीरजाफर से संपर्क स्थापित किया और उसे वायसराय की गद्दी की लालच दी।

हमने उसे उस सिंहासन पर बैठाया भी। जिससे हमे खूब धन प्राप्त हुआ। हमने कंपनी के लिए १,०००,००० पौड पाया और अन्य मदो मे २,२३०,००० पौड। हमने कलकत्ता शहर भी पाया, और इससे लगा चौबीस परगना का इलाका भी।

इस लाभ प्राप्ति की परिस्थितियो के वर्णन को मै टाल गया। हर साम्राज्य के प्रारभ मे बडी पवित्रता के कार्य करने पडते है। साम्राज्य स्थापन का सर्वप्रथम कार्य होता है, क्रान्ति। जिससे शक्ति की स्थापना होती है। दूसरा कार्य होता है अच्छे कानून का निर्माण, अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रबध, जिससे साम्राज्य को स्थायित्व मिले। मुझे कहते हुए दुख होता है कि भारत मे हमारे आदमियो ने इसके बिलकुल विपरीत ही आचारण किया। इस अवसर पर कुछ व्यक्तियो से प्राप्त' धन की बडी रकम भी प्राप्त हुई, सौभाग्य का जो भंडार खुला, उसमे पता लगा कि बंगाल मे क्राति तो बडी सरलता से हो गई। क्योकि वहाँ बडी सरलता से काम करने वाली खाने मिली, पोतोमी और मैक्सिको की खानो से भी अधिक उपयोगी। यह देखा गया कि वहाँ काम करना बडा सरल है। क्लाइव ने यह गहरी खाई खोद कर पानी निकाला तो अपने उत्ताराधिकारियो की सुविधा के लिए पुल भी बना गया जिस पर अधा भी सरलता से चल सकता था। यही क्राति फलदायी सिद्ध हुई। जब लार्ड क्लाइव अपने देश मे जीवन का सुख बिताने के लिए इगलैड वापस आया तो वहाँ बचे लोगो ने इस क्राति की प्रतिक्राति की योजना बनाई। लार्ड क्लाइव का नवाब मीरजाफर अपनी मसनद के सहारे बैठा और दूसरी क्रॉति के सूत्रपात मे लग गया। पहले मे सब व्यवस्थित को अव्यवस्थित करने वाली क्राति, नए झगडो व युद्ध की क्रांति मे परिवर्तन हो गई।

बगाल मे भीतरी क्राति के लिए इससे अधिक उपयुक्त अवसर दूसरा न था। वहाँ के निवासियो के सिर पर बैठाया गया गवर्नर अब सिहासन पर था। देश के ऊँचे लोग, हिन्दू व मुसलमान दोनो परेशान थे, असंतुष्ट, अवज्ञाकारी, हथियारो से भी लैस, जो हमारे द्वारा चुने गए नवाब को मानने से इन्कार करते थे। मराठो द्वारा एक आक्रमण के फलस्वरूप ही कलकत्ता व मुर्शिदाबाद के खजाने खाली हो गए। अब पूरी व्यवस्था एक परिवर्तन चाहती थी। नए परिवर्तन की योजना बनी, सरकार बेच देने की बात चली। इस उलटफेर व अव्यवस्था के कारण बहुतो की तो बन आई। इसी अव्यवस्था को सॅभालने के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई और फलस्वरूप सदन के सदस्यो का उस पर ये अभियोग कि शक्ति का दुरुपयोग, घूस और कीमती उपहारो की प्राप्ति, कम्पनी के कागजातो मे जालसाजी, राजकीय पत्रो का दबाना, असम्बन्धित लोगो से संबंध और षडयंत्र और अंत मे कम्पनी के डायरेक्टरो द्वारा अनैतिक कार्यो को मान्यता देना आदि आज सामने आये। मै इस दूसरे प्रकार के उलटफेर व परिवर्तन के सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से कहूँगा।

इस प्रबंध के तत्काल बाद, जब मीरजाफर को वायसराय की गद्दी पर

बैठाया गया, मुगल शासन की साँस चलना शुरू हुई, तब उस गद्दी का उत्तराधिकारी उन लोगों के हाथों से भाग निकला जिन्होंने उसके बाप को कैद कर रखा था। उसने बंगाल व बिहार के अनेक सरदारों को इकट्ठा किया और उनका सरदार बन बैठा। इससे नई शक्ति के कान खड़े हुए। नवाब मीरजाफर और कलकत्ता की प्रेसीडेन्सी ने मिल कर उमसे मोर्चा लिया। नवाब का बड़ा लड़का, उसका उत्तराधिकारी और प्रधान सेनापति मेजर सलाद ने कलकत्ता की सरकार के मातहत अंग्रेजी फौज का नेतृत्व सम्हाला। मिस्टर हालवेल अस्थायी रूप से प्रेसीडेन्सी का अधिकारी था। मिस्टर वंसी टार्ट किसी भी समय उसके स्थान पर आ सकता था। वारेन हेस्टिंग्स नामक लगभग सत्ताइस वर्ष का नौजवान बंगाल के नये नवाब मीरजाफर के दरबार में कंपनी का रेजीडेंट था।

इस अवसर पर मिस्टर हालवेल जिसकी हबिस को कलकत्ते की कालकोठरी की घटना भी कम न कर पाई थी, ने सोचा कि ऐसे मौके पर एक घंटे की बरबादी करना भी अनुचित है।

श्रीमान्, मीरजाफर के महल में, दरबार में, और परिवार में एक चलतापुरजा, चतुर, साहसी और भयंकर व्यक्ति था जिसका नाम था कासिम अली खां। वह मीरजाफर का दामाद था जिसने इस नातेदारी का एक ही लाभ उठाया कि उसी नवाब को सिंहासन से उतार करके मार डाला। यह वही व्यक्ति था जिसके पास बैठकर वारेन हेस्टिंग्स ने राजनीति की पहली शिक्षा पायी थी। उसके व्यवहारों को वह सदा उदाहरण रूप मे मानता रहा।

कलकत्ता-स्थित कौंसिल दो भागों मे विभक्त थी। एक साधारण कौंसिल और दूसरी कोई चुनी कमेटी, जिन्हें अंग्रेजों ने इसलिए रखा कि राजनीति की बातें वे कर सकें। लेकिन बातें करने के अलावा इस कमेटी को और कोई अधिकार न थे। इसके फलस्वरूप कमेटी में असंतोप फैला और कमेटी ने कौंसिल की अवज्ञा करके राजनीतिक निर्णय लेने प्रारम्भ कर दिए।

मिस्टर हालवेल के पास तो केवल अस्थायी शक्ति थी अतः अपनी स्थिति पर उसे भी सदा असंतोष रहता था। दूसरी क्रांति की जो योजना बनी इसमें हालवेल का प्रमुख हाथ था। मिस्टर वंसी टार्ट के भारत आने के पहले वह अपनी योजना को सफल कर लेना चाहता था जिससे कि सफलता का सारा श्रेय उसी के सिर रहे। लेकिन रेजीडेन्ट इस योजना को आगे बढ़ने देने में बाधा डाल रहा था। वह चाहता था कि स्थायी गवर्नर जो किसी दिन भी आ सकता है, उसकी स्वीकृति भी ले ली जाय, क्योंकि राजकाज का सारा उत्तरदायित्व तो उसी का होगा। इस आपसी मतभेद के कारण बहसें हुईं। हालवेल ने मेजर सलाद को अपनी योजना लिख भेजी जिसके सहयोग के बिना सफलता संभव न थी। लेकिन मेजर सलाद का भिन्न मत था, वह विलम्ब करना चाहता था। लेकिन उसने बड़े ठोस व संतोष-

जनक कारण रखे कि इस योजना में बहुत खतरे व अन्याय की संभावना है। हालवेल ने फिर भी अपनी योजना की योग्यता बताई तब मेजर सलाद ने दो चीजो की आवश्यकता पर गौर किया; एक यह कि योजना को पूरी तरह नष्ट न किया जाय जिसे वह आशिक रूप मे स्वीकार भी करता था, पर केवल टालना चाहता था और दूसरे वह नवाब को सुरक्षा का आश्वासन देकर उसमे मित्रता भी बनाए रखना चाहता था।

लेकिन जो योजना टल गई थी मिस्टर हालवेल ने फिर उसे बढाना चाहा। मिस्टर वंमी टार्ट किमी भी समय आ सकता था और नवाब को मेजर सलाद की बरबादी मे बचाना भी चाहता था। तभी मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी, की ओर फौज बढने लगी। उमी समय आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसके बराबरी का उदाहरण न अतीत मे है और न भविष्य मे मिलेगा।

घटना की कहानी तीन मुहरो की कहानी के नाम से विख्यात है। सन् १७७३ मे ईस्ट इडिया कम्पनी की पहली रिपोर्ट के दस्तावेज नं० १० में इसका उल्लेख है।

सन् १७६० मे नवाब के विरुद्ध सभी अधिकारी थे। उस समय नवाब का बेटा मीरन जो नौजवान, कम उम्र, दृढ चरित्र. शक्तिशाली और राज-नीति के दाँव-पेच को समझने वाला था, अपने पिता की फौज का नेतृत्व कर रहा था। जैसा कि मुझे मेजर सलाद के पत्र से पता लगा, १५ अप्रैल १७६० के लगभग नवाब अपने खेमे मे आया। उसको बडी आत्मग्लानि थी और उसके हृदय के भीतर जो योजना हलचल पैदा कर रही थी जिसे छिपाये रखना असम्भव हो रहा था, साथ ही बता देने का खतरा भी वह नही उठाना चाहता था। मेजर ने उसे इस स्थिति में देखा तो बडी नम्रता से एक सच्चे मित्र के नाते से उसका बोझ बँटाने को तैयार हो गया और नवाब ने उसे अपना रहस्य बता दिया। उसने बताया कि उसके पास सूचना आई है कि वर्तमान मुगल बादशाह उसके सम्मुख आत्म-समर्पण करना चाहता है। बस शर्त यह है कि अंग्रेज कप्तान से उसे प्रतिष्ठा व सम्मान मिले व जीवन के लिए कोई भय न हो। बिना इतने आश्वासन के वह हाथ न आवेगा। यह आश्वासन ही कठिन था क्योंकि यदि यह बात मान ली जाती तो सब योजना बेकार हो जाती।

अंग्रेज कप्तान ने आश्चर्य से यह सब सुना। उस पर कोई भावात्मक प्रभाव न पड़ा। वह ऐसे बड़े कामो का अभ्यासी था, क्रान्तियो मे अभ्यस्त था, लेकिन उसने कहा कि जब तक अपने गवर्नर व अपने प्रधान से पूछ न ले वह अपनी ओर से हाँ नही कह सकता। यह वार्तालाप सुबह हुई थी। उसी सुबह जब वातावरण गर्म था, मेजर सलाद ने सारी घटना का हाल मि० हालवेल को लिख भेजा। उसने

लिखा कि उसने गुप्त रीति से जो पता लगाया है वह यह कि मुगल बादशाह किसी भी मूल्य पर नवाब के सम्मुख आत्मसमर्पण करने को तैयार नही है। शाम तक भी उसकी राय न बदली। उस शाम को मेजर सलाद नवाब के खेमे मे आया। सुबह की चर्चा फिर चली।

शाम की बैठक में कई लोग सम्मिलित हुए, जिसमे कंपनी की ओर से मेजर सलाद, मिस्टर लुशिंगटन, मिस्टर नॉरम और नवाब के दरबार का राजदूत वारेन हेस्टिंग्स। नवाब के पक्ष मे नवाब खुद तथा उसका बेटा मीरन, एक फारसी सचिव, नवाब का प्रमुख अंगरक्षक आदि थे। शाम के नाटक के यही लोग साक्षी थे। नवाब व उसके पुत्र के लिए समय गँवाना संभव न था। विवश होकर उन्होने एक छोटी सी योजना स्वीकार कर ली। एक व्यक्ति जिसका नाम था कोनरी, ने नवाब के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि अपने मालिक के अधिकार की रियासत का एक बडा भाग व एक लाख रुपया उसे मिलने का निश्चय हो तो बादशाह के बडे शाहजादे को जिंदा ही नवाब के हाथो सौप देगा। और अगर यह सभव न होगा तो इसी इनाम पर वह उसकी हत्या करा देगा। परन्तु हत्यारे को नवाब व उसके बेटे पर इतना विश्वास न था कि उसका इनाम मिल ही जाएगा, अत वह चाहता था अंग्रेज कप्तान सलाद उनके इकरारनामे पर हस्ताक्षर करे और मोहर लगाए। इस सौदे मे मिस्टर हेस्टिंग्स ने बिचवई की। मेजर सलाद बिना किसी कठिनाई के ही इसके लिए तैयार हो गया। और निश्चय के अनुसार इस हत्या की योजना बन गई। लिखा-पढी हुई, इकरारनामा तैयार हुआ और नवाब के बेटे मीरन ने मुहर लगाई। अब सबसे आवश्यक मुहर की प्रतीक्षा थी। एक झंझट मची। मेजर सलाद की मुहर नही मिल रही थी। कही और से मुहर लाने के लिए मिस्टर लुशिंगटन को भेजा गया। अंत मे मुहर आई और हत्या व खून का औजार पूरी तरह तैयार हुआ। तीन मुहरे उस इकरारनामे पर लगी।

किसी कारण से इस तीन मुहरो की बात बहुत हद तक छिपाई गई थी। लेकिन मिस्टर हालवेल जब घर वापस आया तो डायरेक्टरो को उसने विस्तृत सूचना दे दी। डायरेक्टरो की परिषद ने ७ अक्टूबर १७६१ को लिखा (घटना के लगभग एक वर्ष के बाद) कि नवाब से मिल कर मेजर सलाद ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है जिसमे एक लाख रुपये देने का वायदा है, शाहजादा की हत्या करने के लिए कुछ काले आदमियो को देने का। जिस कागज को तत्कालीन पटना के सरदार को हस्ताक्षर करने को दिया गया था लेकिन उसने इन्कार कर दिया। डायरेक्टरो ने इस पर एक जाँच कमेटी बैठाया। परिणाम यह हुआ कि जाँच तो ठीक से न हुई, पर प्रत्येक दोषी ने एक दूसरे पर दोष मढ़ कर उसे दोषी घोषित करना शुरू किया। जब ४ अक्टूबर १७१२ को अदालत की आज्ञानुसार मामला उठाया गया, तब एक कौंसिल बनी जिसमें पीटर मेयूर,

वारेन हेस्टिंग्स और वाट्स थे। वारेन हेस्टिंग्स अपनी नौकरी की लंबी अवधि के कारण अब तक रेजीडेन्ट बन चुका था। यही एक उलझन पैदा हुई। हेस्टिंग्स ही दुभाषिया बना, पर उस पर सबो को विश्वास न था। मिस्टर लुशिंगटन की गवाही की बात आई और उस पर भी अविश्वास के दो कारण थे। एक तो हत्या की योजना के दस्तावेज पर उसके भी हस्ताक्षर थे, दूसरे पटना के समझौते में भी शामिल था। अतः उस पर और हेस्टिंग्स दोनों के नामो पर आपत्ति थी। अब प्रश्न था कि किस प्रकार रास्ता निकले। झूठ का सहारा लेकर रास्ता निकला। मिस्टर लुशिंगटन और मजर सलाद के बीच वार्ता हुई और लुशिंगटन ने स्पष्ट कह दिया कि पटना का समझौता झूठा है और हेस्टिंग्स का उसमे कोई नाता न था। इस घोषणा के बाद फिर कोई बाधा न रह गई। ऐसा प्रबंध किया गया कि मिस्टर हेस्टिंग्स जज बना दिया गया। जब मिस्टर हेस्टिंग्स से पटना समझौते की बात पूछी गई तो उसने स्पष्ट कह दिया कि उसे कुछ मालूम नहीं, न याद है।

मिस्टर हेस्टिंग्स को न्यायाधीश बना कर अदालत पूरी की गई। मेजर सलाद ने अपना प्रतिरक्षात्मक बयान प्रारम्भ किया। कैप्टन नॉक्स ने बताया कि हत्या की योजना का उसने विरोध किया था, कि ऐसे नौजवान को जो तैमूरलंग का वंशज और तत्कालीन बादशाह का उत्तराधिकारी हो जिससे कम्पनी को राजपत्र मिला है, इस प्रकार मारना अनुचित व अमानुषिक है। पूरे मुकदमे मे केवल यही बात ऊपर आई कि कैप्टन नाक्स इस योजना का विरोधी था।

मेजर सलाद ने कहा कि नवाब मिस्टर हालवेल द्वारा अपने विरुद्ध रचे गए व्यूह से परिचित था अतः यह सिद्ध करने को उसने अपनी मुहर लगाई कि अंग्रेज अधिकारी उसके साथ है। उसने बयान मे कहा कि वह जानता था कि ऐसी कोई हत्या होनी संभव नहीं है। मुहर लगाने के एक दिन बाद उसने एक पत्र मे लिखा—मै समझता हूं कि इसमे कुछ न होगा फिर भी एक बार कोशिश करने मे नुकसान ही क्या है?- वह हत्या के इस खेल मे अनुभव लेना चाहता था, फिर भी उसे विश्वास था कि कुछ न हो सकेगा। बाद में उसने स्वीकार किया, ' मेरे हाथ गंदे हो सकते है, कसूरवार हो सकते है, पर मेरा दिल साफ है।'' इसके अर्थ है कि अगर वह यह विश्वास करता कि सचमुच कुछ हो सकता है तो वह इस लज्जाजनक कार्य का विरोध करता, लेकिन उसने कामिल को हत्यारो के अधिकार मे डाल दिया— इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके हृदय की निर्मलता और कम्पनी के मामलो का इतना उलझा होना, तथा उसका यह घोषित करना कि मिस्टर हालवेल की नीयत नवाब की ओर से खराब थी उस योजना को स्वीकार करके भी टालता रहा। श्रीमान देखेगे कि जैसा उसने कहा है इस बातचीत या परिषद की सभा मे यह बाते नही आई, न किसी पत्र मे लिखी गई, न किसी प्रकार प्रकट हुई।

व दूसरे वर्ष मुकदमे के पहले कही भी प्रगट नही हुई। इस अवसर पर भी मिस्टर हेस्टिग्स की स्मृति ने साथ नही दिया। उसे एक भी घटना याद नही है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसकी नवाब से कभी इस विषय मे कोई चर्चा भी हुई।

श्रीमान ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का बयान मुन लिया। मै एक बात और कहने की आज्ञा चाहता हूँ जो मैं कहना भूल गया था, कि नवाब जो स्वयं इस योजना का प्रमुख अंग था जाँच के समय कलकत्ता मे एक कैदी या निर्वासित का जीवन बिता रहा था। उमका मुशी उसके साथ था। उसके गुप्तचर वहाँ थे।

जिस आवश्यकतावश मैने आपके सामने यह सब रखा वह यह जोर देकर कहने के लिए कि इसकी एक नई जाँच होनी चाहिए। मैने तीन मुहरो की कहानी बता कर श्रीमान का समय नष्ट किया है, पर यह केवल उस समय के कम्पनी के कार्यकलाप को बताने के लिए था। यह बताने को था कि तब कर्मचारीगण कैसी राजनीति से काम लेते थे।

अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस चर्चा को यही ममाप्त करता हूँ। जैसा कि हमने देखा, तीन मुहरो का यह मामला नवाब का डर भगाने के लिए था। यह मच है कि उसको निडर बनाना था, लेकिन श्रीमान देखेंगे कि मेजर मलाद ने उसके डर को दूर करने के लिए जो योजना बनाई थी वह नवाब के राज्य की हत्या थी, खून और अत्याचार मे मनी अफीम की गोली, जिमसे उसके चक्रव्यूह मे फँस कर मरने के सिवा उसके पास कोई चारा न था, क्योंकि उसकी शाही मुहर उसके हत्यारो के हाथ सौप दी गई थी और मेजर के परम विश्वासी पात्र हालवेल और हेस्टिग्स ने उसके साथ साँठ-गाँठ करके जो योजना बनाई उसके फलस्वरूप नवाब को ऐसी परिस्थिति मे ला कर खडा कर दिया जिसमे उसकी हत्या परम आवश्यक हो गई, जैसा कि आप सभी घटनाओ मे प्रत्यक्ष देखेंगे। उनकी योजना आगे बढी। लेकिन किसी नवाब को हटाना या क्राति कर देना उतना मरल नही था। जिसके बेटे जवान हो और अपनी सेना का नेतृत्व करने के योग्य हो उसके महल को सरलता से नही गिराया जा मकता था। जुलाई महीने के आमपास योजना पूरी तरह पक गई और बहुत आगे भी बढ गई थी। मिस्टर हालवेल बहुत उतावली मे था क्यो कि मि० वन्सी टार्ट किसी भी क्षण आ सकता था।

मै नही जानता कि मै जो बात बताने जा रहा हूँ, यद्यपि वह दस्तावेज मे लिखी है, वह ममस्त गभीर वातावरण मे एक प्रकार से नाटकीय लगेगी। लेकिन उसमे वास्तविकता तो है ही। तमाम झंझटे, उलझने और उनका सुलझाव सभी कुछ तो प्रत्येक पक्ष के लोगो ने बयान मे स्वयं ही लिखाया है। इस माहमिक, जल्दबाज, वेताब योजना बनाने वाले कामिम अली खाँ की यही इच्छा थी, जो अपने स्वार्थ-साधन या निश्चय की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने से नही हिचकता था। वह चाहता था कि नवाब जाफर अली का मिपहमालार या मुख्तारआम नियुक्त हो

जाय। इस स्थान व ओहदे की प्राप्ति और अपने जीवनकाल मे ही नवाब की हत्या करके उसकी गद्दी पर अधिकार करना ही उसका एकमात्र ध्येय था। उसकी यही योजना थी कि पहले तो उसे सिपहमालार की जगह मिले जिससे कि वह सेना पर अधिकार जमा सके, फिर नवाब का उत्तराधिकारी बने। नवाब के यो तो कई बेटे पर थे, सबमे बडा बेटा ही रास्ते का काँटा था।

लेकिन सब ओर स की गई जल्दबाजी ने एक समस्या उपस्थित कर दी। यह कठिनाई बहुत ही असाधारण और ऐसे ढग से दूर की गई जैसा उदाहरण दुनिया मे दूसरा न मिलेगा। इतिहास मे ऐसी असाधारण घटना दूसरी नही है। तीसरी जुलाई का, ऐन मौके पर, बडे गभीर क्षणो मे, जब शहजादा मीरन, जो अभी-अभी जवानी की ड्योढी पर पाँव रख रहा था, जिसका जीवन फूल की तरह हँस रहा था, जो बहुत निडर, तेज उद्योगी था, अपने तबू मे सो रहा था, अचानक, किसी को तनिक भनक भी नहीं, कोई शब्द भी नही, कि बिजली चमकने जैसे क्षण भर म मार डाला गया। श्रीमान इस प्रकार पेचीदा व कडी गाँठ काट डाली गई। पलक झपकते से क्षण मे शहजादे की हत्या हो गई और घोषित किया गया कि बिजली गिरने से वह मर गया है। मिस्टर लुशिगटन (जिनका बयान आप सुन चुके है) बडे सबेरे ही, डरता हुआ, काँपता हुआ मेजर सलाद के सम्मुख उपस्थित हुआ और बडी सतर्कता से उस घटना का वर्णन किया जिसे सुन कर बाद मे वे सब खुशी से फूले न समाए। लेकिन इस दुर्घटना से पैदा होने वाले खतरे की खबर भी मेजर तक तत्काल पहुँचाई गई जिसे सुन कर वह सचमुच बडा ही भयभीत हुआ। भय यह था कि अपने सरदार व सिपहसालार की हत्या से कही सेना विद्रोह न कर दे। भय का यह जो नाटक रचा गया, जो मेरी समझ से बिल्कुल असभव था और केवल मनगढन्त था, उससे मेजर सलाद सात दिनो तक बेचैन रहे। अपनी समझ मे भयप्रद स्थान से सेना को हटा दिया गया।

तब, उस समय, लगता है कि कलकत्ता मे ऐसे कम बुद्धि वाले लोग भी बसते थे जो यह विश्वास करते थे कि इस बिजली गिरने मे मानवीय सहयोग भी है, जो बिजली बडे मौके से गिरी और जिसका गिरना बडा सौभाग्य भी माना गया। मैं समझता हूँ कि उनकी बात चाहे न मानी जाय, पर कासिम अली खाँ और कुछ अग्रेजो का हाथ इस घटना मे अवश्य था।

मीरन जो एक बाधक या अडचन था, उससे यो छुटकारा पाने के बाद ही मिस्टर वन्सी टार्ट अपने काम पर आ उपस्थित हुए। मै विश्वास करता हूँ कि वह अच्छी नीयत वाला आदमी था और उस समय इस घटना से संबंधित उसे जो अनेक जाँच-पडताल करनी पडी उससे वह घबडा गया। कुछ दिनो बाद उसने मेजर सलाद को बुला भेजा। मेजर ने जाँच-पडताल मे पूरा सहयोग देने का वचन दिया। उन्होने कासिम अली खाँ और मिस्टर हेस्टिग्ज को बुलवाया। उन्होने जो कार्य किया वह

यह कि कार्यभार दो व्यक्तियो पर डाल दिया— एक मिस्टर हालवेल पर और दूसरा जिसका बयान हम लोग सुन चुके है, एक अरमीनियन था जिसका नाम था खोजा पेत्रुस, जिसने एक दूसरी मनोरंजक घटना द्वारा अपना कार्य दिखाया। हालवेल व पुत्रुस में आपसी समझौता हो गया। हालवेल जिस क्षण राज्य का मंत्री बनाया गया, क्रांति पूरी हो गई। कासिम अली खाँ को सेना की अध्यक्षता या मरदार का पक्ष प्राप्त हुआ और उत्तराधिकार भी। सब अधिकार उसके हाथ मे दे दिये गये और उसने कम्पनी को जो सुविधाएँ प्रदान की उसे आप बाद मे सुनेंगे। कासिम अली खाँ ने हालवेल के साथ नवाब की हत्या की योजना बनाई। हालवेल ने हत्या का कार्यक्रम पूरा होने तक के लिए सभी कामकाज रोक दिए। अन्ततोगत्वा सब काम योजनापूर्वक शुरू हुआ। एक संधि हुई। फलस्वरूप कम्पनी को तीन बड़े प्रांत मिलने की बात निश्चय हुई। श्रीमान, इस सौदेबाजी मे आप एक बड़ी रोचक बात देखेंगे कि उस समय के जो भी कम्पनी के अधिकारी थे वे सर्वप्रथम तो कम्पनी के लाभ का ध्यान रखते थे, बाद में व्यक्तिगत लाभ की बात। जैसे कम्पनी को बड़े-बड़े घूस उनके माध्यम से मिले और बड़े घूस के साथे मे व्यक्तिगत छोटे पैमाने के घूस स्वीकार किए गए। बंगाल प्रान्त के तीन बहुत अच्छे दक्षिणी प्रान्त —बर्दवान मिदनापुर और चटगाँव—प्रान्त मे काट कर कम्पनी को दिए गये। इसके अलावा कलकत्ता मे और भी बहुत से छोटे-मोटे गुप्त रूप से समझौते हुए। कासिम अली खाँ को सेना की प्रधानता और राज्य का उत्तराधिकार मिला और उसने उन व्यक्तियों को जिन्होंने उसके लिए इतना कार्य किया था दो लाख पौंड दिया। देश के प्रति उचित कार्य करने का यह पुरस्कार था। इन्हीं आपसी समझौतों व संधियों के अनुसार एक शिष्ट मंडल का निर्माण हुआ जिसमे प्रमुख रूप मे मिस्टर वंसी टार्ट व मेजर सलाद थे, उसे मुर्शिदाबाद भेजा गया। यह एक नियम था कि नया गवर्नर नवाब के पास जाकर उसे सम्मान दे। इसके विस्तार मे जाकर श्रीमान का मै समय नष्ट न करूँगा। मिस्टर हेस्टिंग्स इस समय दरबार मे था और उसने सब तैयारी कर ली थी, जमीन तैयार कर ली थी। उन्होंने सर्वप्रथम नवाब को समझाया और इस बात पर तैयार करना चाहा कि वह कासिम अली खाँ को राज-भार सौंप दे। लेकिन वृद्ध नवाब ने बड़े व्यंगात्मक ढंग से कहा, "वह मेरी क्या कीमत लगाता है ? मै पहले तो अपनी रक्षा करना चाहूँगा। बोलो मेरी क्या कीमत लगाई है ?" लेकिन वे सब अपने निश्चय के बड़े पक्के और सजग थे। जब नवाब ने देखा कि वे सब निश्चय करके आए है कि उसे कासिम अली खाँ के ही हाथों सौंप देंगे तो उसने तत्काल आत्मसमर्पण कर दिया। वे उसकी बात समझ गये। नवाब ने नाव पकड़ी, अब एक क्षण भी वह वहाँ न रहेगा, अपनी रक्षा के लिए तत्काल कलकत्ता पहुँचना आवश्यक था। लेकिन नवाब के जीवित रहने से एक तो कासिम अली खाँ को विवश होकर उचित व्यवहार करना पड़ेगा और फिर भविष्य मे उसका और भी अधिक उपयोग हो सकता है कि

आवश्यकता पडने पर उसे उस व्यक्ति के हवाले किया जाय जो निश्चय ही उसकी हत्या कर दे जो अपने ससुर की हत्या मे सफल न हो सकने के कारण आज भी बडा नाराज था। इस नाटक का मूल्य उन्हे लगभग दो लाख पौंड मिला। इस भीतरी दाँव-पेच भरे समझौते ने सब कुछ हल कर दिया और इस प्रकार देश मे दूसरी क्राति समाप्त हुई। सचमुच रक्तहीन क्राति, लेकिन इस धोखेबाजी, इस धूर्तता मे वहाँ हमारे व्यापार को बडा घातक धक्का लगा जिसमे मि० हेस्टिंग्स का भी बडा भाग था।

मिस्टर हेस्टिंग्स का मित्र, शहजादा कासिम अली खाँ यह जानता था कि जो राज दे सकते है वे ही ले भी सकते है। गद्दी पर बैठते ही उसने जनता की धारणा व अन्य कार्यो द्वारा यह प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया कि उसकी राजनीति का झुकाव उनकी ही ओर प्रमुखता मे रहे जो उसके इस भयकर उपहार के देने वाले थे। उसने उन लोगो मे सम्पर्क बढाया जो मिस्टर हेस्टिंग्स के अत्याचारो से दबे थे और अपनी सुरक्षा चाहते थे, और उन लोगो मे जो धनी व बडे जागीरदार थे। वह मुर्शिदाबाद से मुगेर चला गया ताकि हमारे अधिकारियो की दृष्टि से दूर रह सके। उसने ऊपर से तो अपने वचन का पालन किया, पर भीतर से ईमानदार न था, क्योकि उसके पास धन की कमी थी। उसका खजाना खाली था, उसने ऊट-पटाँग समझौते करने प्रारम्भ किए। उसे जो भी प्रान्त दिए गए थे एक प्रकार से उसने उनकी चीर-फाड प्रारम्भ कर दी जिससे कि उसका खजाना जल्दी से जल्दी भर जाए और इसके लिए ऐसे-ऐसे प्रयत्न उसने किए जिनके उदाहरण दूसरे न थे और जिन्हे केवल भयानक व लज्जाजनक ही कहा जा सकता है। इसका वर्णन मैंने इसलिए जानबूझ कर किया क्योकि मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने पक्ष मे पेश कागजातो मे जिन्हे आदर्श माना है वे कागज ससद के सामने पेश किए है। कासिम अली खाँ ने पहले तो लोगो की जमीने लूटी फिर धनी लोगो के धन पर हाथ लगाया। उस देश मे उस समय एक धनी व्यक्ति था जिसे जगत सेठ कहते थे। इस जगत सेठ के परिवार की कई शाखाएँ थी जो इतने बडे-बडे बैंको का कार्य करते थे जैसा ससार मे नही सुना गया। वे जनता से राजस्व लेते थे और उनका व्यापारिक सबंध समस्त एशिया मे था। लोगो का कहना है कि जगत सेठ को कई शाखाओ को मिला कर उनकी हैसियत साठ या सत्तर लाख अशर्फियो से कम न था। कासिम की ललचाई दृष्टि इन्ही पर थी। हालवेल यद्यपि नही चाहता था फिर भी इस व्यापारी प्रतिष्ठान के प्रमुख लोगो की हत्या हुई, उनके बड़े-बडे खजाने लूटे गए और इस प्रकार जनता के राजस्व की जड ही उखाड दी गई। इसी समय कासिम अली खाँ उन सबो पर अपना खूनी पंजा फैलाता जा रहा था जो उसके विरोधी थे। सबसे पहले उसके शिकार वे देशद्रोही हुए जो अंग्रेजों के मित्र थे। इनमे से अनेक की उसने हत्या की। उन दिनो बिहार प्रात मे एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामनारायण। उस पर अंग्रेजों

को बड़ा विश्वास था लेकिन पाँच हजार सोने की मुहरें या लगभग आठ हजार अशर्फियाँ लेकर कौंसिल के एक सदस्य मिस्टर मैकग्वेयर ने उसे सबसे पहले तो गिरफ्तार करके जेल में डाला, फिर सताया, लूटा और अंत में कासिम अली खाँ से उसकी हत्या करा दी। इस तरह कासिम अली खाँ अपनी मनमानी करता रहा और हमारी सरकार चुपचाप देखती रही। मैं आपके सम्मुख केवल उदाहरण रखने के लिए एक देशवासी के बारे में बताऊँगा, जिसकी मिस्टर हेस्टिंग्स के मित्र मि० सौट से तनातनी हो गई थी, जो घटना कम्पनी के दस्तावेजों में दर्ज है। इस देशवासी के धन व घर पर उसकी कुदृष्टि थी। झगड़ा केवल यह था कि कोई उसे लूटना चाहता था और वह अपनी रक्षा करना चाहता था। विवश होकर उसने नवाब से शिकायत की जो उन दिनों पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन था। उसने भी उस अभागे को अपने घर की रक्षा करने के अपराध में तोप के मुँह पर बाँध कर उड़ा देने की सजा दी। संक्षेप में, श्रीमान मैं सब बताने में असमर्थ हूँ कि जिसे मिस्टर हालवेल व मिस्टर हेस्टिंग्स ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया था वह कितना अत्याचारी था।

व्यापार के माध्यम से दुनिया का हर देश उन्नति करके धनी हो रहा था, पर बंगाल को वह बरबाद ही कर रहा था। पहले तो कम्पनी, जब उसे देश में राज्य या शक्ति नहीं मिली थी, अधिक लाभजनक स्थिति में थी। कम्पनी का सारा सामान बिना किसी कर व चुंगी के आता-जाता था। कम्पनी के नौकरों को व्यक्तिगत रूप से भी व्यापार करने की छूट थी, लेकिन शक्ति पा कर कम्पनी व्यापार से अधिक लूटपाट की भागी बनी। व्यापारी बन कर वे सब जगह जाते और वे चीजें अपने निश्चित किए मूल्य पर बेचते और देशवासियों को उनकी चीजें भी अपने ही मूल्य पर बेचने को विवश करते। इस व्यापाराना क्रम में फौजी व्यवहार अधिक था। देशवासी अपनी अदालतों से सुरक्षा की माँग करते थे। अंग्रेज व्यापारियों की यह सेनाएं अपनी यात्रा में तातारों से अधिक भयानक लूटपाट करतीं। वे जो व्यापार करते, उसमें लूटपाट अधिक होता। इस प्रकार यह अभागा देश कई टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। बात यहाँ तक बिगड़ी कि और कोई चारा न देख एक शिष्टमंडल नए नवाब की नई राजधानी मुंगेर गया कि राज्य की ओर से अत्याचारी लुटेरों से सुरक्षा का प्रबन्ध हो सके। उस समय के कम्पनी के संचालक मिस्टर वन्सी टार्ट ने लगभग १७६३ ई० में जो कासिम अली खाँ का घोरतम मित्र था, एक संधि की जो मुंगेर संधि के नाम से प्रसिद्ध है। उस संधि को देख कर उसमें कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। लेकिन तब बंगाल में कोई भी यह विश्वास करने को तैयार न था कि संधि से कोई लाभ भी हो सकता था। कौंसिल की राय के बिना ही संधि की गई थी, अतः कम्पनी के अधिकारियों में दो मतों के कारण दो दल हो गए। कागजातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि दोनों दलों में समझौता कराने में ३०,००० पौंड खर्च हुए थे। कासिम अली खाँ ने एक परवाना निकाला कि उसके

मित्रों मिस्टर वंसी टार्ट और मिस्टर हेस्टिंग्स के व्यापार के लिए कोई साधारण नियम मान्य नहीं हैं। इससे संधि का प्रभाव उलटा पड़ा। कासिम अली खाँ ने अपने आतंक का उपयोग करके विरोध को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया, पर अंत में लड़ाई छिड़ ही गई। यह लड़ाई छिड़ी कैसे ? कासिम अली खाँ ने पहले तो अपने आतंक का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप अपने ससुर की उसे हत्या करनी पड़ी और अंत में यह स्थिति आई कि जहाँ अंग्रेज मिलता मारा जाता। इसके फलस्वरूप कम्पनी के लगभग दो सौ या तीन सौ व्यक्ति तथा उनके लोगों का पटना में कत्लेआम किया गया। उनकी बोटी-बोटी काटी गई, कुएँ में ढकेला गया और देश की धरती में अंग्रेजी खून सुखाया गया। अतः उसके विरुद्ध तत्काल युद्ध छेड़ दिया गया। इस युद्ध से समस्त देश में आग लग गई। दूसरी शक्तियाँ भी सामने आने लगीं। ज्यों ही कासिम अली के विरुद्ध युद्ध छिड़ा, यह आवश्यक हो गया कि दूसरे दबाव का प्रबन्ध कर लिया जाय।

यह तीसरी क्रांति थी। कासिम अली के आदमी एक और प्रतिक्रांति चाहते थे। कम्पनी के कर्मचारी कासिम अली को गद्दी से उतार कर सत्ता दूसरे के हाथ में देना मंजूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया ? उन्होंने देखा, कासिम अली के उदाहरण से, इस गद्दी को अच्छी रकम से बेचा जा सकता है। इस गद्दी के लिए दो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे। एक तो बंगाल का बड़ा शक्तिशाली मुसलमान मोहम्मद रजा खाँ जो कट्टर धार्मिक, कानूनदां और मुस्लिम सभ्यता का नमूना था।

दूसरा व्यक्ति था राजा नंदकुमार। गद्दी पर बैठे शहजादे को नंदकुमार से तनिक भी परेशानी न थी, क्योंकि वह जानता था कि हिंदू होने के नाते नंदकुमार सूबेदार का कार्य पूरा कर ही नहीं सकता।

कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिल के सामने नीलामी शुरू हुई। मोहम्मद रजा खाँ ने बढ़ कर बोली बोली। नंदकुमार उससे भी आगे बढ़ा। लेकिन अंग्रेजों ने पक्षपात किया और मोहम्मद रजा खाँ से २२०,००० पौंड के बराबर धन लेकर कौंसिल ने उसे नायब सूबेदार की पदवी दी। नंदकुमार पर वे सभी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। उसने भी इनका कस कर लोहा लिया। उसने भी खूब घूस दी, हथकण्डे खेले, पर अंत में हार ही गया। जिसने भी उससे रुपये लिए बदले में उसका साथ न दिया। यह एक प्रकार से घूसखोरी की, पक्षपात की लड़ाई थी। कलकत्ता से अभागे नवाब के पास एक शिष्ट-मंडल भेजा गया कि नंदकुमार का वह समर्थन करे और अपनी गद्दी मोहम्मद रजा खाँ को सौंपने में हर संभव बहाने व अडंगों का प्रयोग करे।

अब एक नया चक्र चला। इससे बंगाल का प्रान्त कई दलों में विभक्त हो गया और निश्चय ही नंदकुमार वाला दल सबसे कमजोर था। सबसे दुखी व्यक्ति

था मीरजाफर अली खाँ जो नन्दकुमार का साथी था और मोहम्मद रजा खाँ से लड़ते हुए संघर्ष में मरा तथा जो कलकत्ता की रोज बदलने वाली राजनीति व चक्र का शिकार हुआ। उन तमाम महान व्यक्तियों, जिन्हे हमने अपमानित, पदच्युत और नष्ट किया उनकी तरह ही उसने भी अपने को नष्ट करने का साधन खोज लिया था—अफीम और शराब! उसका हट्टा-कट्टा शरीर जल्द ही कष्ट से मुक्त हो गया। कई पत्नियो और रखेलियो के बच्चो व नाती-पोतो को छोड़ कर वह मरा। बूढे नवाब की मौत के बाद मुहम्मद रजा खाँ को नायब नवाब घोषित किया गया, काफी रुपया प्राप्त किया गया और यह चक्र भी समाप्त हुआ।

श्रीमान, यहाँ घूसखोरी, लूटपाट, छल द्वारा अपहरण का नया ढंग चालू हुआ जिसे नही भुलाया जा सकता। क्रांतियो, राजनीतिक कुचक्रो की अब आवश्यकता न थी। उत्तराधिकार के प्रश्न ने उनका स्थान ले लिया। नवाब की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए कोई नियम नही हो सकता था। अभी तक यह उत्तराधिकार मुगल राजाओ द्वारा निर्वाचन से होता था। नियम व कानून से जो ब्याही पत्नियाँ होती उनकी संताने ही स्वाभाविक रूप से गद्दी की उत्तराधिकारी थी, लेकिन इस व्यवस्था मे भी उलझन पैदा की गई और छल द्वारा अपहरण का रास्ता खोला गया। इस उत्तराधिकार को भी बेचा जाने लगा और मुन्नी बेगम नामक एक वेश्या, जिसके बारे मे आगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, का बडा लड़का उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन जल्दी ही उसे कब्र में पनाह लेनी पड़ी। फिर उस अभागी गद्दी का उत्तराधिकारी बना उसी वेश्या का द्वितीय पुत्र और उसे भी उत्तराधिकार मे कब्र ही मिली। हर बार उत्तराधिकार की बिक्री हुई और उत्तराधिकार के इस चक्र में बंगाल मे कुछ ही वर्षो में सात शहजादो की छः बार बिक्री हुई। अंतिम शहजादा नाबालिग था—एक अवैध पत्नी की अवैध संतान। नाबालिग होने पर भी उसे ही चुना गया क्योंकि कोई उचित संतान बची ही न थी। उसके समस्त अधिकार जब्त रखे गये, एक लाख साठ हजार रुपये की वार्षिक पेंशन भर मिली। वह अब भी जीवित है और वारेन हेस्टिंग्स की सरकार के अंत तक गद्दी पर रहा क्योंकि वह उसके लिए लूटपाट व घूसखोरी का एक आधार था।

मुन्नी बेगम की संतानो ने अपने पिता का अनुसरण किया। उन्होंने हर प्रकार से नंदकुमार का अहित किया और बन्दी बना कर कलकत्ता ले गए। नंदकुमार ने अपनी स्थिति जानते हुए भी हेस्टिंग्स के विरुद्ध आवाज उठाने मे सर्वप्रथम वीरता दिखाई। वह जानता था कि जिस व्यक्ति से वह टकरा रहा है वह कितना शक्तिशाली व क्रूर है, फिर भी कौंसिल के सामने लिखित रूप में उसने हेस्टिंग्स पर घूसखोरी का अपराध लगाया। अपने बयान की भूमिका मे उसने स्वयं द्वारा दिए गए घूस का पूरी तरह प्रमाण के साथ वर्णन किया और इसे भारतीय होने के नाते अक्षम्य अपराध माना। स्पष्ट रूप मे लिखा है कि मिस्टर हेस्टिंग्स उसे समाप्त करने की खुले-

आम चेष्टा कर रहा था, जिसके लिए उसने मोहन प्रसाद नामक एक व्यक्ति से साठ-गाँठ की। मै श्रीमान से यह नाम याद रखने की प्रार्थना करूँगा जो नंदकुमार का भीतर ही भीतर भयानक शत्रु था, बहुत ही साधारण व्यक्ति, जिसका घर छीन कर नंदकुमार ने उसे अनाथ बनाया था। उसे ही मिस्टर हेस्टिंग्स ने बाद मे अपनी सहायता के लिए बुलाया। अन्ततोगत्वा १७७५ ई० मे न्यायप्रिय अंग्रेज जजो की आज्ञा द्वारा, जिन्हे संसद ने भारत मे न्याय की रक्षा के लिए भेजा था, उनकी अवहेलना करके नंदकुमार को फाँसी दे दी गई।

श्रीमान देखेगे कि छोटे-छोटे पदो के लिए घूसखोरी ने नवाबो की बिक्री तक का व्यापार चालू करा दिया। इस खरीद-बिक्री के फलस्वरूप देश कई टुकडो मे बंट गया और चौतरफा भयानक आग फैली। बंगाल की तरह उत्तर भारत का आधा हिस्सा भी हमारे लिए कष्ट का साधन बन गया। आमदनी के सभी रास्त बन्द हो गए। यह सब मिस्टर हेस्टिंग्स की गदी गुटबाजी का ही परिणाम था। इस गड़बड़ी का सीधा प्रभाव सेना व राष्ट्र के भविष्य पर पडा। अदमसेर और मोनरो द्वारा दिखाई गई अंग्रेजी सैन्य निपुणता से पराजित होकर कासिम अली तीस लाख रुपये, जवाहरात आदि लेकर हमारे हाथ मे निकल भागा। अपनी कूटनीतिक योग्यता तथा धन के कारण वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जा मिला। मुगल भी इस युद्ध मे कूदे और बगाल के एक भाग मे घुस आए। दूसरी ओर से बनारस का राजा बलवन्त सिह घुसा। कई हेर-फेर के बाद, जैसा मैने पहले कहा है, हमारी सैन्यशक्ति क्षीण हो गई। उसके पश्चात तो अनेक प्रकार की असफलताएँ कई बार देखने को मिली।

जब भारत मे ये घटनाएँ घट रही थी तब लन्दन मे बैठे कम्पनी के डायरेक्टर-गण मूक दर्शक की भाँति सब केवल देख व सुन रहे थे। उन्हे मालूम था कि भारत-वर्ष, कम्पनी के लिए एक बड़ा बाजार, व्यापार के लिए खुल रहा था तभी हर प्रान्त के बीच गृहयुद्ध छिड गया। जिस गति से यह युद्ध फैला वह आश्चर्यजनक प्रगति थी।—जैसे जंगल मे आग का फैलना। श्रीमान, कम्पनी को व्यापार मे अधिक अपने अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया था। तथा जब कम्पनी ने देखा कि वह पतन के गहरे गढे मे डूबती जा रही है और जिन लडाइयो को वे विजय समझते है, वह उनके लिए पतन की ही सीढी सिद्ध हो रही है तो विवश होकर उन्होंने कोई सुविधाजनक रास्ता या एक बन्दोबस्त खोजने का प्रयास आरम्भ किया। कम्पनी के डायरेक्टरो ने लार्ड क्लाइव से अपने मनमुटाव को मिटाया और उसे फिर भारत भेजा। यह बात सन् १७६५ के लगभग की है। क्लाइव अपने यश, शक्ति, अधिकार और तेज मस्तिष्क द्वारा कम्पनी की सरकार को स्थायित्व और शक्ति देने मे प्रयत्नशील हुआ। वह सारी शक्ति से वहाँ बिखरी बुराइयों को मिटाने मे जुट गया। सारी गड़बड़ियो की जड-अव्यवस्था, सैद्धान्तिक खोखलापन, उपहार व घूस की प्रथा को मिटाना चाहा

जिनके कारण ही यह सब झंझटें हुई थीं। उसने उपहार व घूस के स्थान पर अधिकारियों को इनाम देने की प्रथा चालू की जिससे अधिकारियों में संतोष की किसी प्रकार की कमी न हुई, न सम्मान पर चोट पहुँची। यह एक आपसी समझौता था। चीज वही थी, बस रूप बदल गया था। आप श्रीमान उसे चाहे जो नाम दें या जो समझें पर यह इनाम भी दुख का ही पुरस्कार था, सताए गए लोगों द्वारा इनाम।

डायरेक्टरों की परिषद ने आदेश भेजा कि कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए जाएँ और उपहार लेने की एकदम मनाही कर दी गई। लार्ड क्लाइव भी बड़े उपहार लेने में प्रवीण था। पर यह संकट का समय था और अधिक खतरे नहीं उठाए जा सकते थे, अतः कंपनी ने अपने को अपने निश्चय पर अडिग रखा। उन्होंने क्लाइव को सुधार करने के लिए भेजा था। अब परिणाम चाहे जो भी होता पर निश्चय बदलने की संभावना न थी अतः क्लाइव से सुधार की ही आशा की गई। क्लाइव को देश में फैले असंतोष को समाप्त करने को भेजा गया था, अत. यह आवश्यक था कि उसे किसी प्रकार भी पूर्ण अधिकार से वंचित न रखा जाय। उन्होंने क्लाइव को इतने अधिक अधिकार के साथ भेजा जितना उसके पूर्व कम्पनी के किसी भी अधिकारी को प्राप्त नहीं हुए थे। अपने कार्यों में कहीं-कहीं क्लाइव ने भूलें भी की, लेकिन न्याय की शक्ति के भरोसे मैं कहना चाहूँगा कि क्लाइव ने जो योजना बनाई और जो रास्ते अपनाए वे साधारण रूप से महान व सूझ-बूझ के थे। उसने एक महान नींव पक्की की। सर्वप्रथम उसने कासिम अली की लड़ाइयों के कारण टूटे इलाकों को जोड़ा। कम्पनी के कार्यकलापों में भीतरी स्तर पर सुधार किया। फिर वह उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ा और उसने अपनी सैनिक, राजनीतिक व नागरिक योग्यता के अनुरूप ही योजना बनाई। उसने कम्पनी के नौकरों में नए सिरे से उत्साह का संचार किया, उनकी प्यास को सीमा में बाँधा, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाई। यह प्रचार किया कि भारत के निवासी यह समझें कि वह कुछ लेने नहीं आया है। वह युद्ध में सम्मिलित हर राजा से मिला और उनके साथ मित्रतापूर्ण समझौते किये। अंग्रेजी सेना द्वारा अपने राज्य से निष्कासित व पराजित शुजाउद्दौला को पुनः अवध ले जाकर बसाया और सम्मान दिया। सारे एशिया को उसके जिस व्यवहार से महानतम आश्चर्य हुआ वह था, पराजित राजाओं को फिर से गद्दी पर बैठना। उसकी इस राजनीतिक उदारता ने एशिया भर के मस्तिष्क से अंग्रेजो के प्रति भय व शंका मिटाने में सफलता पाई। इसके अलावा क्लाइव ने अपने मित्र राजाओं और मित्रों के प्रति भी बड़ी सद्भावना दिखाई। उसने युद्ध में लड़ने वाले बनारस के राजा बलवन्त सिंह का विशेष सम्मान किया। उसने शुजाउद्दौला के भय से उसे मुक्त किया। मुगलों ने भी राजा बलवन्त सिंह से हमारे हस्तक्षेप को मान्यता दी। क्लाइव ने एक तरह से राजा बलवन्त सिंह को पुनः स्वतंत्र किया।

मुगल, जिन्हे भारत मे मुस्लिम धर्म का प्रधान व बादशाह माना जाता था आज अपनी अवनति की स्थिति मे थे, उन्हे भी सभी मान्यता दे, इसका उसने प्रबन्ध किया। इस प्रकार हर प्रकार से सम्बन्ध दृढ किए गये, तथा शत्रुओं के मन से द्वेष भाव दूर हुआ। सारे एशिया मे सद्भावना की लहर दौडी।

जहाँ तक बगाल प्रदेश का सबध है, उसने कम्पनी को वहाँ का शासन नही लेने दिया, ऐसा हालवेल कभी न करता बल्कि प्रयत्न करके उसे प्राप्त करता। क्लाइव ने मुसलमानो को सतुष्ट करने के लिए वहाँ का शासन सूबेदार के ही हाथो मे रहने दिया। उसने वहाँ की दीवानी प्राप्त की। भारत की राजनीति मे नियम व कानून के अन्तर्गत हस्तक्षेप प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम उपाय था। इससे बगाल को वैधानिक रूपरेखा प्राप्त हुई। दीवानी प्राप्त होने मे कम्पनी के हाथो मे राजस्व का पूरा भार आ गया और कर की वसूली भी। इस शातिपूर्ण व शासकीय चरित्र से कम्पनी लोगो की दृष्टि मे अत्याचारी न बन कर सहायक बनी बल्कि किसी हद तक निवासियो की रक्षक भी। प्रत्यक्ष रूप से अधिक न दिखने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से, एक प्रकार से सारा कार्य भार अपने ही हाथ मे आ गया। इस प्रकार सुदृढ नीव पर सरकार का क्रमश निर्माण होता रहा। जनता के मस्तिष्क मेअब कोई तनाव नही रह गया था। कम्पनी की अपनी कार्य-सीमा बढती रही। सेना को अप्रत्यक्ष ही रखा गया। राजकीय सत्ता चतुर्दिक छाती रही। खजाना तो कम्पनी ही के हाथ मे रहा और अप्रत्यक्ष मे सेना की नस भी कम्पनी के हाथ म रही, क्योकि सेना को खर्च के लिए धन तो कम्पनी से ही लेना पडता था। कम्पनी का राजस्व पन्द्रह लाख तक पहुँच गया। वस्तु-स्थिति असल मे यह थी कि नवाब केवल नाममात्र को था और उसके हाथ मे कोई वास्तविक शक्ति न थी। लेकिन अदालत की मर्यादा पूर्ववत रखी गई। मुसलमान, खासकर उनके सम्मानित लोगो को पूरी प्रतिष्ठा दी जाती थी, क्योकि जो चक्र पहले चला था उसमे साधारण जन की अपेक्षा वे ही अधिक सताए गए थे। इस प्रकार ५००,००० पोड का राजस्व मिलने लगा। कम्पनी ने, इसलिए कि कही किसी प्रकार की कानाफूसी भी न हो, अत लार्ड क्लाइव के जरिये धन के खर्च की देखभाल का भार मुहम्मद रजा खाँ को सौपा और उस कपनी का उच्चतम नायब अधिकारी बनाया, क्योकि इसके पूर्व वह नवाब का मुख्तारआम था। हर वस्तु पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए मुर्शिदाबाद मे एक अग्रेज रेजीडेट रखा गया। ऊपर से देखने मे कम्पनी केवल राजस्व की जिम्मेदार थी पर रेजीडेट के माध्यम से सारे कामो की अधिकारी बन बैठी।

समस्त एशिया मे यह राष्ट्र यदि सुयश के सर्वोच्च शिखर पर था तो इसी समय। लेकिन जैसा मैने कहा है कुछ वास्तविक व बडी भूले भी हुई। इस योजना को बनाने के बाद क्लाइव अभाग्यवश उस देश मे अधिक दिनो तक न रह सका ताकि सुधार सबंधी जो नए ढंग उसने अपनाए थे उन्हे पुष्ट कर पाता और उसे

जल्दी ही इंगलैंड वापस आना पड़ा। उसके बाद सरकार शक्तिशाली ढंग व अधिकार के साथ बनाए गये समझौते को अधिक बल न दे सकी और हर ओर से फिर गंदगी भीतर भरने लगी। इतिहास का दूसरा प्रमुख युग अब आया। क्लाइव के उत्तराधिकारी (मेरा आशय गवर्नर वेरेल्स्ट से है जो सचमुच इतना योग्य व ईमानदार व्यक्ति था जैसा कि कम्पनी का कोई अधिकारी कभी न था) की वह धाक व प्रतिष्ठा न थी कि वह बागडोर संचालित कर पाता और फलस्वरूप कई तरह की बुराइयाँ और शिकायतें फिर पैदा हो गईं। हर जिले मे निरीक्षक बहाल किए गए, जो स्थानीय कलक्टरों पर पाबन्दी रखने और ज्यों ही शिकायत की कोई बात पैदा होती उसकी सूचना देने। लेकिन जो लोग शिकायतें दूर करने को रखे गये थे वे खुद दोषी व अपराधी बन गए। फिर भी शिकायतें उस प्रकार की न थी जैसे मिस्टर हेस्टिंग्स के वापसी के बाद बढ़ी थी—जैसे आपसी झगड़े न थे, शक्ति का दुरुपयोग न था, राजस्व के वसूली की सख्ती न थी, पुराने घरों को तोड़ने की बात न थी, ऐसा कुछ नही था। फिर भी शिकायतें और बुराइयाँ इतनी तो थी ही कि कम्पनी को १७६९ में एक कमीशन भेजने की विवशता हो गई, जिसमें मिस्टर बन्सी टार्ट, मिस्टर फोर्ड और मिस्टर स्क्राफटन थे। उस कमीशन का दुर्भाग्यपूर्ण अंत तो सारी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन मै इतना अवश्य कहूँगा कि उस समय उपहार के नाम पर धन को हड़पने की शिकायत बड़े जोरों पर थी परन्तु कमीशन के मातहत जो निरीक्षक थे उन्हे भेंट या उपहार द्वारा रकम लेने की कड़ी मनाही थी। लेकिन तब तक बात इस बुरी तरह उलझ गई थी और मामला इतना बिगड़ चुका था कि कम्पनी दूसरे प्रबन्ध के लिए सोचने को विवश थी कि ये शिकायतें किसी तरह दूर की जाये। तभी संसद ने उस कमीशन पर हाथ रखना आवश्यक समझा। अतः मामला अपने हाथ में लेने व दूसरा कमीशन नियुक्त करने, जो वैधानिक हो (जिसमें मिस्टर हेस्टिंग्स एक था) का प्रबंध हो रहा था कि वहाँ अच्छी सरकार बनाई जा सके। यहाँ मैं श्रीमान से अवश्य कहूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जाफर अली खाँ की पदच्युति व पुनरागमन के बाद और लार्ड क्लाइव के आने के पूर्व, थोड़े दिनो के लिए अपने को इससे अलग कर लिया जिससे कि प्रतिष्ठा के साथ इंगलैंड वापस जाये और वहाँ जान-पहचान व मित्रों के बूते पुनः नई शक्ति व नए अधिकार के साथ वापस आए। वह निश्चय ही पहले से अधिक शक्ति लेकर भारत आया। पहले तो कौंसिल की सदस्यता प्राप्त की, फोर्ट सेंट जार्ज का, फिर फोर्ट विलियम का सर्वोच्च अधिकारी बना। उस पर कम्पनी ने अपना समस्त भार सौंप दिया। यह सबों को बड़ा शुभ लगा भारत को भी, इंगलैंड को भी।

मिस्टर हेस्टिंग्स के निर्देशन में चलने वाली यह सरकार जब स्थापित हो गई तब भी मुर्शिदाबाद ही स्थानीय सरकार की राजधानी बनी रही और सब वसूली वहीं से होती थी। यहाँ कम्पनी दरबार में केवल एक रेजीडेंट रख कर संतुष्ट न थी,

जो इस देश में राज्य पर अधिकार पाने की पहली सीढ़ी थी। श्रीमान को इन सीढ़ियों का महत्व समझ लेना चाहिए जिसके लिए ही हमने आपको कष्ट दिया है ताकि आप जान लें कि किन सीढ़ियों का प्रयोग कर कम्पनी ने शासन स्थापित किया। दूसरा कदम था हर प्रान्त में देखभाल के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति, जिससे कि स्थानीय कलक्टर पर दृष्टि रखी जा सके। तीसरा कदम था मुर्शिदाबाद में राजस्व के लिए एक कौंसिल की नियुक्ति जो मुहम्मद रजा खाँ पर देखभाल रख सके। १७७२ में मिस्टर हेस्टिंग्स ने उस कौंसिल को अलग करके मिटा दिया और राजस्व का सारा कामकाज व प्रबंध कलकत्ता उठा लाया। कम्पनी के आदेशानुसार मुहम्मद रजा खाँ को उसके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया और उसके जो कारण बताये गये वे अभी श्रीमान के सम्मुख उपस्थित किए जायेंगे। अंत में वहाँ के निवासियों के हाथ में दीवानी पूरी तरह छीन ली गई और उसे भी कलकत्ता स्थित सर्वोच्च कौंसिल के हवाले कर दिया गया। यह स्थिति या यही प्रबन्ध १७८१ तक रहा जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक नया चक्र चलाया कि सर्वोच्च कौंसिल के हाथ से भी यह छीन लिया गया जिससे कम्पनी के आदेशों, संसद के कानून और स्थानीय कानूनों की पूरी तरह अवहेलना की गई और सारा अधिकार एक कौंसिल को सौंप दिया गया—जिसके दूसरे अर्थ थे कि सारी शक्ति, सारा अधिकार उसके अपने हाथ में थे।

अब श्रीमान समस्त चक्र को देखें। मैंने उन सभी की चर्चा की। मैं समझता हूँ कि मैंने इन परिस्थितियों तथा तथ्यों का भी पूरा हवाला दिया है जिनके कारण सबों का निर्माण हुआ, जिनके कारण तमाम दोष पैदा हुए, यों तो प्रत्येक चक्र का कुछ न कुछ तो दुष्परिणाम होता ही था। आपने देखा कि स्थानीय शासन क्रमशः विनाशशील होता गया। अंत में वह सर्वनाश के ए. र पर आ गया, लेकिन व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं बन पाया, जैसा कि उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने बना लिया था और जिसे वह चाहते देते रहते थे। वहाँ अंगरेजी शासन पनपा, जिसके सर्वेसर्वा मिस्टर हेस्टिंग्स थे और उन्हें यह अधिकार संसद के एक कानून द्वारा प्राप्त हुआ था। पहले वह कम्पनी की कौंसिल का अध्यक्ष भी रह चुका था। यह दोनों बड़े पद उसे केवल शिकायतें व परेशानियों को दूर करने के लिए ही दिए गये थे। शक्ति व अधिकार के इन दो अवसरों पर, कौंसिल के अध्यक्ष व गवर्नर जनरल के पदों पर ही उसने वे अपराध किए जिसके फलस्वरूप वह आज अभियुक्त बना है। उससे संबंधित इतिहास घटनाओं से भरा है जिसका सिलसिला उसके अध्यक्ष बनने से ही प्रारम्भ होता है और हमें यह भी देखना है कि उस अध्यक्ष की कुर्सी और गवर्नर जनरल के पदों को उसने कैसा निभाया।

किसी भी गवर्नर की योग्यता की परख करने की पहली कसौटी है उनकी कुछ परीक्षाएँ जिनमें वे अपनी क्षमता दिखा सकें और यहाँ, श्रीमान, हमारी धारणा है कि जब कोई अंग्रेज गवर्नर विदेश में भेजा जाता है तो उसका दायित्व होता है कि इस देश के न्याय व कानून की आत्मा की रक्षा करते हुए वह जनता की भलाई का

ही ध्यान रखे और सिद्ध करे कि हमारे कानून द्वारा जनता में सुव्यवस्था, खुशहाली और शांति बढ़ती है। यही वे मूलगत सूत्र थे जिस पर मिस्टर हेस्टिंग्स को चलना था और इसी आचरण व उसके परिणाम का यहाँ आज हिसाब-किताब होगा।

किसी भी गवर्नर को जो शक्ति व अधिकार का मालिक बन कर जाता था, उसे भी नियम से बँध कर चलना पड़ता था। उसने नियम का बन्धन माना या भंग किया इसका निर्णय कर सर्वोच्च न्यायालय उसे पदच्युत भी करता था। वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी बुद्धि से दूसरे नियम या सिद्धांत भी अपनाता तो भी यह देश उसे अपने ही कानून के अनुसार चलने को विवश करता। इस देश का कानून यह मानता है कि यह महान अपराध, अपने पद का दुरुपयोग, किसी भी छोटे न्यायालय में विचार के लिए काफी है। न्याय के लिए छोटी या बड़ी अदालत की शक्ति में कभी अंतर नही माना जाता। और आप श्रीमान की योग्यता तो सर्वविदित महानतम योग्यता है, आप तो जाँच करने व अपराधी को दण्ड देने की पूरी शक्ति के अधिकारी है। सबसे पहले मैं श्रीमान से उनके आदेशानुसार निवेदन करूँगा जिनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, उन सिद्धान्तों के बारे मे जिनके आधार पर अपने बताए अनुसार मिस्टर हेस्टिंग्स के बयानों में इसके अलावा कुछ मनोरंजन नहीं है। आप श्रीमान को अपराधों के लम्बे सिलसिले और उनकी रक्षा के लिए सरकारी पक्षपात की ओर ध्यान रखना होगा। सभी तथ्य वह स्वयं सामने ला चुका है और स्वीकार भी किया है। उसने उन्हें बहुत दुस्साहस से और अपमानजनक रूप से, स्वतंत्र जनता के प्रतिनिधियों के चेहरे पर जैसे फेंक कर मारा है और उन पर विस्तारपूर्वक विचार किए बिना हम छोड़ नहीं सकते।

मुझे आदेश है कि उन्हीं परिस्थितियों के चित्रण व सिद्धान्तों का विरोध करूँ जिनके आधार पर उसने अपने बचाव का चौखटा तैयार किया है। क्योंकि यदि उसके बताए कारण उचित व योग्य है, तो वे यदि हमारे लगाए अपराधों को जड़ से नहीं उखाड़ पाते तो कम से कम काफी हद तक निराधार बनाते है। श्रीमान, हमारा कहना है कि एक ब्रिटिश गवर्नर की हैसियत से मिस्टर हेस्टिंग्स को ब्रिटिश सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए था। ईश्वर रक्षा करे, यदि कोई ऐसा मामला आये जहाँ केवल आत्मा का राज्य हो, आत्मा ही जीवन का संचालन करे तो हम कहेंगे कि वह आत्मा न्याय की हो, सुरक्षा की हो और वह सभी ब्रिटिश शक्ति के आधीन लोगों में हो।

लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने श्रीमान से बताया है, अपने बयान में, कि एशिया में किए गए कार्यों में वही नैतिकता नहीं चलेगी जो योरप के लिए आवश्यक है।

श्रीमान, इस सिद्धान्त का हम मूलरूप से विरोध करते हैं, अस्वीकार करते हैं। मुझे अधिकार व आदेश दिया गया है कि मैं इसे अस्वीकार करूँ। उसका यह कहना कि उसका तात्पर्य यही है कि योरप व एशिया में किए जाने वाले एक ही

कार्य के दो स्तर होंगे, हम श्रीमान से बताना चाहेंगे कि इस विचारधारा के महानुभावों ने भौगोलिक नैतिकता की मनचाही रचना की है जिससे मानव के कर्तव्य. व्यक्तिगत व सार्वजनिक दोनो रूपों में इस बात से परिचालित नही होते कि वे ब्रह्माण्ड को चलाने वाले सर्वशक्तिमान से किस हद तक संबंधित है, या मानवता से उनका क्या नाता है, बल्कि इस बात के कि हवा-पानी, भूमध्य रेखा से दूरी, जीवन की बराबरी नहीं बल्कि अक्षांस की बराबरी, जैसे कि भूमध्यरेखा पार करने के बाद मानव की मृत्यु का मूल्य कीड़े की मृत्यु जैसा ही है या योरप व एशिया के जीवन-मूल्यों में अंतर है, मानवता में अंतर है।

हम बार-बार भौगोलिक-नैतिकता के सिद्धांत का विरोध करते है। मिस्टर हेस्टिंग्स अपने को इस परदे के नीचे नही छिपा सकेंगे और मैं समझता हूँ कि श्रीमान इस बात पर जोर देने व विस्तार देने के लिए मुझे बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करने की आज्ञा न देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यह तो आवश्यक समझते ही है कि अपने तर्क के महत्व को सिद्ध करने के लिए घोषित करें कि नैतिकता के नियम व सिद्धांत सभी जगह एक है और कही भी ऐसा कानून नहीं है जो बलात्कार, छल, अपहरण, घूसखोरी–योरोप, एशिया, अफ्रीका व समस्त संसार मे सभी जगह एक ही अर्थ रखता है। यह मैं पूरी शक्ति से कहता हूँ।

श्रीमान के सम्मुख मिस्टर हेस्टिंग्स जो उपस्थित हुआ है वह ब्रिटिश गवर्नर की हैसियत से ब्रिटिश पंचायत के सामने उत्तर देने के लिए नही, लेकिन एक सूबेदार (गवर्नर) की स्थिति में वह कहता है—"मेरे पास प्रयोग के लिए पंचायत का अधिकार था, मैंने इस अधिकार का उपयोग किया, मैंने जनता के रूप मे गुलामो को पाया है। वे गुलाम ही है। वे अपने स्वभाव व प्रकृति के गुलाम है और यदि वे ऐसे हे तो उन्हें ऐसा बनाने की मेरी जिम्मेदारी नही है। अभाग्यवश मुझे प्राप्त पंचायत-अधिकार का उपयोग करना पड़ा जैसा मैंने आवश्यकतानुसार किया है, यह मेरे मन के विरुद्ध था, लेकिन करना पडा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस देश मे और कोई शक्ति प्रयोग नही की जा सकती।" यदि उसका कथन सत्य है तो केवल अदालत के लिए एक सफाई है। लेकिन मुझे आशा है और विश्वास है कि श्रीमान उस कानून व संस्था के आधार पर निर्णय न करेंगे जिन्हें नही जानते जो आपकी जानकारी के कानून व संस्था के मूलगत विरोधी है। आप के ही कानून के अन्तर्गत शक्ति व अधिकार पाकर मिस्टर हेस्टिंग्स भारत भेजे गये थे। श्रीमान, कृपया ध्यान से वह सब सुनें जो हमने सुना है और वह सब महत्वहीन ही है तो सारी मान्यतायें, सारे कानून और उसके अन्तर्गत किए गए काम यही सिद्ध करेंगे कि इंगलैंड के न्यायप्रिय महानुभाव अपनी प्रजा व जनता के साथ तनिक भी सहानुभूति व मानवता का व्यवहार नहीं करते। ऐसे ब्रिटिश

गवर्नर की कल्पना कीजिए जो आपके सम्मुख ब्रिटिश नागरिक के रूप में अभियुक्त बन कर आवे और कहे कि वह पंचायती अधिकार के बल पर सिद्धान्त बना कर शासन चलाता है। उसकी यही तो सफाई या बयान है कि उसने पंचायती अधिकार से वहाँ शासन चलाया और इसे वह पूर्व के लिए निश्चित सिद्धान्त मानता है। यह सफाई का बयान बहुत जिद्दी ढंग से कहा गया है और इस प्रकार इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि सभी सिद्धान्त कर्म से जुड़े हुए हैं अतः सिद्धान्त एवं कर्म को साथ रख कर निर्णय करना होगा।

अब यदि श्रीमान मुझे आज्ञा देंगे तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण पेश करूँगा जहाँ पंचायती अधिकार द्वारा अपने बनाये सिद्धान्तों द्वारा कर्म किए गये। उसके अपने सिद्धान्त ही उसके कर्म की नींव बने। साम्राज्य जो वहाँ स्थापित थे आज ढह कर हमारे पाँवों के नीचे पड़े हैं। उस प्रकार के साम्राज्य के साथ व्यापार करने का अधिकार हमें संसद द्वारा बनाए गये कानून से मिला था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कोई वकील नहीं हूँ, अतः उस ढंग से बात नहीं कह पाता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि बनारस का राज्य अपने साम्राज्य में मिलाने के लिये अलग से संसद ने कोई आज्ञा नहीं दी थी या कानून नहीं बनाया था। लेकिन कौंसिल के बहुमत से कम्पनी उस साम्राज्य की मालिक है। अतः यह सज्जन इसलिए कि वकील नहीं हैं और कानून के पंडित का चोंगा पहनने का उन्हें अधिकार नहीं है अतः अपने को अपने दायित्व से भी अनजान सिद्ध करना चाहते हैं। क्या अपनी जिम्मेदारी व दायित्व जानने के लिए भी कानून का पंडित होना आवश्यक है? अब, यदि श्रीमान कानून का अपमान होने दें, कानून को टूटने दें, ऐसे लोगों द्वारा जो कानून से अनभिज्ञ हैं तो मुझे डर है कि लम्बे चोंगे पहनने वाले किसी और के नहीं अपने ही पेशे के प्रति अन्याय करेंगे। अतः वह ऐसे कानून का सहारा लेता है जिसे वह जानता है, वह कानून है पंचायती अधिकार द्वारा प्राप्त शक्ति का। क्या इसे भी कानून की संज्ञा दी जाएगी? वह कहता है, "वहाँ, बनारस का राज्य जो हमें प्राप्त हुआ यह भी यदि कानूनी कार्य है या कानून की सीमा के भीतर है और वह कानून वहाँ के रीति-रिवाज मुगलों द्वारा प्राप्त थे न कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून से। यदि भविष्य में संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून यह आज्ञा दे कि बनारस का राज्य स्वतंत्र है तो मुझे डर है कि यह राज्य प्राप्त करना लाभदायक सौदे के स्थान पर बोझ बन जायगा। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि वहाँ के अपने अर्जित सभी राज्य एक ही प्रबन्ध के आधीन एक सूत्र में नहीं बाँधे जा सकते तो इस साम्राज्य की रूपरेखा गैरकानूनी होगी।"

"हिन्दू जाति के लोग जिन्होंने अपने ऊपर विजय पाने वालों के साथ कभी एकरूपता नहीं बनाई, उन्हें शक्ति के दबाव से शांत रखा गया। भारत में ऐसे साम्राज्य के कोई अर्थ नहीं हैं। क्योंकि इस प्रकार की शासन-व्यवस्था से हम कभी

वहाँ अपनी शक्ति का अंदाज नहीं लगा सकते, केवल कुछ ऊपरी परिणाम ही देखने को मिलेंगे और यही अव्यवस्था आज वहाँ एक जैसी है, काबुल से आसाम तक। एशिया का समस्त इतिहास ही ऐसी अव्यवस्था तथा पंचायती अधिकार का जीता-जागता नमूना है। यह सब मैं कौंसिल को दिए गये कागजातों में सशक्त शब्दों में कह चुका हूँ। जब १७७५ में नये वजीर के साथ संधि हो रही थी और मैंने चेतसिंह को स्वतंत्र बनाना चाहा क्योंकि भारत में आश्रित होने के अर्थ हैं लाखों तरह के संकट, जिनमें से कई का मुझे सामना करना पड़ा, जिनका वर्णन अभियोग-पत्र के प्रथम भाग के नवें कालम में किया गया है। मैं उन शक्तियों को जानता हूँ जिन पर भारत का साम्राज्य टिका हुआ है और खतरे स्पष्ट हो चुके है। मैं जानता हूँ कि एशिया के इतिहास में व मानवता की प्रकृति में ऐसे अस्थायी राज्य के लोग हर समय विद्रोह के लिए सतर्क रहते है और साम्राज्य चलाने में सदा ही विद्रोह का दमन आवश्यक है। एक जमींदार एक भारतीय नागरिक है, और इस तरह उसे हर साधारण व्यक्ति जानता है। बलवंत सिंह यदि बना रहता और चेतसिंह, जब तक जमींदार रहा इसी चरित्र का शिकार रहा। मेरा उनके बनने या बिगड़ने मे कोई सहयोग न था। जिन्होंने उन्हे जमींदार बनाया, उन्होंने ही उसे असीमित शक्ति भी दी। अलीवर्दी खाँ व कासिम अली खाँ अपने जमींदारों का सदा ही विद्रोह या युद्ध के लिए प्रयोग करते रहे।"

उपर्युक्त बयान द्वारा श्रीमान ने उन सिद्धान्तो के बारे में सुन लिया जिनके आधार पर मिस्टर हेस्टिंग्स एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करता था! उसके शब्दों म वहाँ के जमींदारों व राजाओं की स्थिति व उनके निकम्मेपन की बात सुनी गई। आपने पंचायती अधिकार पर उसके भाषण को सुना जिसे वह एशिया की प्रकृति के लिए आवश्यक बताता है। उसके अन्तर्गत आपने उसकी सफाई व प्रार्थना भी सुनी और इसे न्यायसंगत बनाने के लिए उसके कार्यकलाप की कहानी भी सुनो उसने उन व्यक्तियों की भी चर्चा की है जिन पर वह राज्य चलाने के लिए आश्रित था और उन्हें वह आदर्श मानता है। सर्वप्रथम तो श्रीमान को आश्चर्य होगा, उसके राज्य चलाने के उस ढंग पर, जिसकी चर्चा वह इतने दम्भ और मूर्खतापूर्ण ढंग से करता है जैसे वह हमारे सम्मुख किसी विदेशी राज्य व्यवस्था पर निबंध पढ़ रहा हो जिसके अच्छे व बुरे से उसका कोई संबंध ही न हो। उसने तब जो रास्ता अपनाया या वह समझता है, उसने बनाया, उन्हें ही वह अपने अपराध से छुटकारा पाने का साधन भी समझता है। उसने महान पवित्र परम्परा का उल्लंघन किया, दमन, लूट, बन्दी बनाने, राज्य हड़पने, को अपनी खुशी व इच्छा पर निर्भर रखा, जनता के साथ जिस दुर्व्यवहार के हम उसे दोषी कहते हैं उसे वह महान कार्य समझता है। उसका कहना है कि लूट, अतिक्रमण, दमन उसका अधिकार है, तो फिर राष्ट्र का संविधान ही इसका उत्तर दे।—

कहता है, उसने अपनी ओर से उन्हे गुलाम नही बनाया, वे स्वयंम् ही गुलाम प्रकृति के है, अत: उनके साथ गुलामों का व्यवहार किया गया ।—कहता है, जनता विद्रोह का अवसर खोजती थी अत. दमन ही एकमात्र साधन था—कहता है कि राज्यच्युत होना भारत के राजकीय प्रकृति का अग है । यानी सरकार ही मब कुछ है, जनता कुछ भी नही । कहता है कि वहाँ के धनी लोग व जमीदार बड़े निम्नस्तर का जीवन बिताते है और उनमे लाखो बुराइयाँ है ।

यदि ये बाते सच है तो मिस्टर हेस्टिग्स जो भी कहना चाहते है, उनका बयान उमके विरुद्ध ही है ।—बहस की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि मे भी ।

शायद आप सोचे, कि पंचायती अधिकार के सिद्धान्त पर काम करने तथा अपने कर्मो को उसी के आधार पर पुष्टि दे, जिसे कोई अन्य पुष्टि की बात नो दूर, मान्यता भी नही दे सकता, वह यह भी सोचे कि जिनके माथ उसने अनधिकारी व्यवहार किये वह न्यायसगत भी थे ।—बिल्कुल उल्टी बात है। उमने उनकी परिस्थिति को भया नक बताकर उन पर हजारो सकट पैदा किये, ढाए और उनकी जिन्दगी को खतरे की जिदगी बना दिया । फिर भी कहे कि अगर पचायती अधिकार अमान्य किया जायगा तो मुव्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था आ जायगी और इसके साथ हा कहे कि जनता के तमाम धार्मिक अधिकार ममाप्त किये जायँ, सभी नागरिक संस्थाएँ, भूमि-व्यवस्था और लोगो मे एकरूपता लाई जाय, इसके अर्थ है कि पंचायती अधिकार द्वारा आप सभी कानून, अधिकार और लोगो के राजनीतिक सिद्धान्त का हनन कर दे और उन्हे एकरूपता के लिये विवश करे और एकरूपता पर अपना पचायती अधिकार बनावे ।

लेकिन इससे अधिक मिथ्या और कुछ नही कि एशिया के किसी देश मे अनियंत्रित राज्यक्रम हो जिमकी हमे सूचना है । यह किमी मुमलमान राज्य के विधान के लिए सभव नही हे । लेकिन मान भी ले कि ऐसा हो भी नो क्या श्रीमान ममझते है कि वह राष्ट्र या कोई भी आदमी यह मह सकेगा कि एक अँग्रेज गवर्नर इन सिद्धान्तो के आधार पर अपनी वकालत करे । या यदि वह अपन को इन्ही सिद्धान्तो द्वारा बचाना चाहे नो निर्णय पर मतभेद होगा क्योकि भारत मे किसी भी व्यक्ति को किमी भी तरह मुरक्षा का विश्वास नही है । यहाँ उसने अपनी धारणा घोषित की हे कि वह अनियत्रित राज्यक्रम वाला शासक है लेकिन उसे पंचायती अधिकार प्रयोग करने पड़े, और उसके हर कारनामे व अपराध केवल उसी से छिपाये जा सकते है । "मै जानता हूँ", उसने कहा है, "कि एशिया का विधान उसकी कार्यप्रणाली है ।" अब श्रीमान क्या सुनेंगे कि किसी व्यक्ति के व्यभिचार व अपराधी कार्यो मे सरकार के सिद्धान्त बने है ? नही; यह आपके लिये बडी प्रतिष्ठा व गौरव की बात होगी कि आप शक्ति पाये

लोगों को शिक्षा दें कि पहले कार्य में ही उन्हें सिद्धान्तो को मान्यता देनी है, न कि अपराध करके उसमे सिद्धान्त बनाए जायें। यह क्या कभी सुनने में आया, या ऐसी कल्पना भी क्या की गई कि एक गवर्नर में इतनी शक्ति हो कि वह सभी बुराइयों को प्रश्रय देता जाय, सभी बुराइयाँ, सभी अत्याचार, लूटपाट, व्यभिचार, घूसखोरी और हर प्रकार के लुटेरे, डाकू, झूठे और छोटे लोग सभी अधिकारी बनाए जायें, एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक और इसे अंग्रेजी गवर्नर अपनी योग्यता समझे ? मेरा विश्वास है कि इसके पूर्व दुनिया के इतिहास में ऐसी अमानुषिक बात कभी आई ही नही।

उसे पंचायती अधिकार प्राप्त था ! श्रीमान, ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास देने को यह अधिकार नही था, बादशाह के पास भी देने को पंचायती अधिकार नही है, श्रीमान के पास भी नहीं है, न इस समस्त संसद के पास है। इसमें से किसी की पंचायती अधिकार देने की स्थिति नही है। क्योंकि पंचायती अधिकार एक ऐसी चीज है जो न तो कोई व्यक्ति रख सकता है न किसी को दे सकता है। कानूनी मान्यताओं से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार शासन कर सकता है, न तो कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छानुसार शासित हो सकता है। हम सभी शासन के अन्तर्गत पैदा हुए है, सभी एक सी स्थिति लेकर पैदा हुए है। ऊँच और नीच, शासक और शासित, सभी महान शक्ति के अन्तर्गत रहते है। विश्व-बन्धुत्व की स्थाई कड़ी मे हम सब एक ही स्थिति मे जुड़े है, उसके बाहर हम रह ही नही सकते।

महान कानून हमारी अपनी इच्छानुसार किए गये कर्मो के आधार पर नही बनते। बल्कि इसके विपरीत, कानून की सीमाओं मे कानून की आज्ञानुसार ही हम लोग कार्य करने को विवश है। हर अच्छी बात ईश्वर की देन है। हर शक्ति ईश्वर की है। और वह जिसने शक्ति दी है, जिसका अकेले शक्ति पर पूर्णाधिकार है, वह कभी कच्ची नीव पर अपनी शक्ति नही पनपने देगा।

विजय के अधिकार से भी कोई अतर नही आता। कोई भी विजय ऐसा अधिकार नही देती कि अपनी इच्छा से किसी दूसरे पर कोई भी शासन करे। विजय से, जो अपने आप मे ईश्वरीय देन है, विजित ही सभी संकटों को सहने के लिये विवश होता है। लेकिन संसार में हर विजेता ने अपने लिए निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है और जितना आगे बढ़ना चाहिये उससे बहुत आगे बढ़ा है। विजेता की महत्वाकांक्षाएँ भी असीमित रही है, क्योंकि हारे हुए शत्रु को पददलित करने या अपमानित करने में विजेता सदा ही एक दैवी सुख का अनुभव करता है। यह एक शाश्वत नियम-सा बन गया है कि हर राजनीतिक विजेता के साथ हर समय यही इतिहास अपने को दोहराता है। मैं श्रीमान पर यह सन्देह तो न करूंगा कि आपको इतिहास का यह सत्य ज्ञात न हो या स्मरण न हो, पर मैं आपको केवल यह

दिखाऊँगा कि डायरेक्टरो की परिषद् जिनका वह नौकर था उनका यह विचार था कि अपने और अपनी प्रजा मे जो भी समानता हे वह गलत है और उसे ठीक करना आवश्यक है। इसीलिए अपने प्रतिनिधियो द्वारा यह प्रयत्न जारी रहा कि भारत को शासित बनाया जाय न कि इंगलैंड के कानून व न्याय द्वारा भारत की उन्नति की जाय।

लेकिन नहीं, श्रीमान, यह पंचायती अधिकार केवल विजय से नही प्राप्त होता, न कोई राजा इसे उत्तराधिकार मे ही पाता है। क्योकि कोई आदमी धोखाधडी, भ्रष्टाचार व अत्याचार का उत्तराधिकारी नही बनता, न तो किसी के सिखाने मे क्योंकि कोई भी समझदार आदमी अपने अधिकार व कर्तव्य की सीमा नही लाँघना चाहता। अत किसी भी प्रकार पंचायती अधिकार प्राप्त नही हो सकता। जो इसगे को ऐसे अधिकार देते है और अधिकार का उपयोग करने वाले ईश्वरीय कोप के शिकार बनते हे। क्योकि ऐसी शक्ति, ऐसे अधिकार प्राकृतिक व स्वाभाविक नही होते। जो पंचायती अधिकार देते है और लेते हे दोनो ही बराबर के अपराधी होत है। ऐसे अधिकार रखना ही अपराध है।

कानून और पचायती अधिकार की शाश्वत दुश्मनी है। किसी भी मजिस्ट्रेट का नाम लीजिए, मै उसकी हैसियत बता दूँगा। किसी भी अधिकार की बात कहिए मै उसकी सुरक्षा बता दूँगा। यह अपने आप मे विरोधी तत्त्व है। यह धर्म मे अधम है, यह राजनीति मे कमजोरी है, यदि कहा जाय कि किसी व्यक्ति के पास पंचायती अधिकार है। हर पद व ओहदे के साथ कर्तव्य सलग्न है। आप ही बताएँ कि मजिस्ट्रेट किस बात के लिए है? उसके साथ शक्ति की बात जोडना ही फूहड विचार ह। न्यायाधीश सदा न्याय के शाश्वत कानून मे ही पथ-प्रदर्शन पाते है—जिस न्याय के सभी पुजारी है। हम यह भी जानते है कि यह विश्व का शाश्वत नियम है कि आदमी कानून द्वारा सचालित होने को ही बना है। जो इस कानून के स्थान पर अपनी इच्छा का प्रयोग करेगा वह ईश्वर मे शत्रुता करेगा।

अनियंत्रित राज्य-क्रम कभी जीवन के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी कम नही करता। अनियंत्रित राज्य-क्रम तभी होता है जब सरकार के पास लिखित कानून न हो और यदि लिखित कानून न हो, राज्य की परम्परा तथा प्रकृति के नियम तो हे। जिस क्षण भी कोई राज्य अपनी प्रजा की सुरक्षा और जिम्मेदारी की बात भूल कर यह घोषित करता है कि वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जब वह किसी भी नियम से अपने को बँधा नही मानता तो वह युद्ध की स्थिति पैदा करता है। फिर वह सच्चे मानो मे राजा नही रह जाता और न जनता उसके लिए प्रजा ही रह जाती है।

अत किसी को भी व्यक्तिगत रूप मे पंचायती अधिकार नही मिलता। लेकिन इसके विचार जब शक्तिशाली ढग से बढावा पाते है, तब मन मे सिद्धान्त व विचार के संघर्ष से उन्हे शक्ति मिलती है। यह सर्वविदित है कि पूर्वी देशो की

सरकारें व पश्चिमी देशों की सरकारें व दूर राष्ट्र की सरकारें अपने यहाँ होने वाले अपराधो की जिम्मेदारियो मे मुक्त नही हो जाती। अन्यथा उसे सर्वोच्च शक्ति की अधिकारी नहीं माना जायगा। वह बात अक्षरश सत्य होने पर भी बुरे कर्मो से न तो राज्य का स्वभाव बदलता है न वे जिम्मेदारी म मुक्त होते है ओर अंत मे ईश्वर, जनता की चेतना व मानवता अपना कार्य तो करती ही ह।

इस देश का राजा अपने कर्मो के हिसाब-किताब से दूर है। हाउस आफ लार्ड्स, अपनी शक्ति का यदि उपयोग करे, (ईश्वर बचाए, जो इसने आज तक नही किया, कभी न करे) या कभी अपनी कानूनी शक्ति का अपव्यय करे और जैसा कि न चाहिए ऐसे अनुचित फैसले दे या वे अपने निर्णयो के साथ खिलवाड भी करें तो उनसे उसका हिसाब-किताब पूछने वाला कोई न होगा। और इसी प्रकार अगर संसद के सदस्य (कामन्स) अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो उनसे भी कोई हिसाब-किताब न पूछा जायगा। उन्हे उनके कर्मो व व्यवहारो के लिए किसी प्रकार की सजा का विधान नही है। लेकिन क्या व कम अपराधी है, कम विद्रोही है, सर्व-शक्तिमान ईश्वर के प्रति ? क्या वे मानवता के लिए कम घृणा के पात्र है ? नही, जब तक समाज सम्पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति मे नहीं पहुँच जाता तब तक उनसे कार्यो की कोई पूछ-ताछ नही होती।

अगर थोडी देर को मान भी लिया जाय कि पचायती अधिकार कही चल भी सकता है जिसे हम पूरी तरह असम्भव बताते है तथा जिसकी वास्तविकता से श्रीमान ही सर्वप्रथम इन्कार करेगे, तो एसे राज्य का तत्काल अत भी निश्चित है।

यह भी सत्य है कि हर सरकार के विधान मे सर्वोच्च शक्ति अवश्य ही पूर्ण व महानतम, सर्वोच्च होती हे और वह कभी पंचायती अधिकार का दूषित रूप धारण कर लेती है। लेकिन प्रत्येक अच्छे विधान मे कुछ अच्छे नियम स्थापित किए है जिनसे उनके ही कार्य म सहायता मिले जिसका उपयोग बहुत कम या अलग रूप मे करते ह जिनका प्रयोग बुराई के विरुद्ध होता है, यानी तब सरकार न्याय व विवेक की न होकर शक्ति व स्वेच्छा की होती है।

लेकिन सर्वोच्च शक्ति भी कभी-कभी, विशेष परिस्थिति मे पचायती अधिकार से मिलती जुलती होती है। यद्यपि अभी तक इतिहास मे ऐसा नही सुना गया, कि कोई भी अफसर किसी भी सरकार का प्रतिनिधित्व करे और वह किसी कानून के बंधन मे न हो, लेकिन हर प्रकार के कानून व सभी कानून का लाभ उठावे। कानून की सीमा से हीन व्यक्ति को पशु कहा जाता ह, एक जंगली पशु। जैसे किसी जंगली पशु को अपनी इच्छानुसार आदमियो से व्यवहार करने को छोड दिया जाय तो सभी कानून, जो मनुष्यो की शक्ति के दुर्व्यवहार से रक्षा करते है, वे भी मनुष्य की पुकार सुनने मे असमर्थ होगे।

यही भारतीय सरकार की वास्तविक स्थिति है। लेकिन इसके इस प्रकार

के निर्माण में जो हुआ उसे तनिक देर के लिए भुला कर हमें नए सिरे से कार्य प्रारम्भ करना होगा—मानवता का कार्य ।

क्योंकि मातहत सरकार, या पंचायती अधिकार की शक्ति को कभी सच्चा अधिकार या अधिकारी नियम नहीं माना गया । केवल इतना ही सुना गया है कि पूर्वी देशों की सरकारों मे शक्ति व अधिकार पाए गवर्नरों ने अत्याचार व अरक्षा की सीमा पार कर दी है । यह महान अपराध है । मिस्टर हेस्टिंग्स के पहले कोई भी अफसर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर पहले ऐसा कुछ होता तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति उससे कारण पूछती ।

मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमारे सामने आता है, अपने सामने जनता की सुरक्षा के लिए तमाम कानूनों से इन्कार करता है, और जब उससे अपने कामों का हिसाब पूछा जाता है तो वह कानून की अच्छाइयों का साहरा लेता है । मैं कहना चाहूँगा कि वह दैत्य है, राक्षस है, जो केवल जंगली सिद्धान्तों के विधान से जीना चाहता है । इसे स्वीकार तो किया ही नही जा सकता क्योंकि यह बुनियादी सिद्धान्तों के विरुद्ध है, कि मातहत जनता की सुरक्षा के लिए दी गई हर शक्ति के उपयोग की जिम्मेदारी उच्चतम अधिकारी की हो । यह तो मान ही लेना चाहिए कि जनता कोई भी कानून न मानेगी, उनके संबंध में, जब वह मुकदमे मे अपने कर्मों का उत्तर देने खड़ा होगा । वह उन्हीं कानूनों की सुरक्षा चाहेगा जिनके सहारे उसने जनता पर अत्याचार किया । लेकिन हम एक निष्पक्ष मुकदमे की माँग करेंगे । प्रत्येक वकील द्वारा हर पहलू से कही गई बात पर विचार करेंगे और तब भी उसके मातहत रही जनता को कोई लाभ न होगा । हर न्यायसंगत कार्यवाही के विरोधी सिद्धान्त होते हैं । क्योंकि जनता के पास अपनी प्राकृतिक व स्वाभाविक आंतरिक शक्ति के अलावा प्रयोग के लिए कुछ नही रहता, उनके साथ तो सद्भावना-पूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए । लेकिन वे जिनके पास अस्वाभाविक और स्वअर्जित अधिकार व शक्ति होती है उनके हाथ में दूसरों की बड़ी शक्ति का भंडार होता है और अन्याय के प्रति उनका मोह तथा अभिमान उन्हें न्यायपूर्ण बने रहने में बाधक होता है ।

श्रीमान, मैं एशिया की सरकारों के बारे मे कहना चाहूँगा कि उनमें से किसी के पास कभी भी पंचायती अधिकार नही रहा । और किसी सरकार के पास पंचायती अधिकार था या रहा तो उसे वह अपने मातहत किसी अन्य अधिकारी या प्रतिनिधि को नहीं दे सकती थी । यह कार्य-प्रणाली अपने ही में विरोधी है, भोंडी व फूहड़, साथ ही भयानक कमजोरी का प्रमाण है । मैं कहूँगा कि मानवता व मानव-प्रकृति की सुरक्षा के लिए, इंगलैंड की यह शानदार परम्परा रही है कि दुनिया के किसी अन्य राज्य के समक्ष हम मानवता की सुरक्षा के अधिक समर्थक रहे हैं । मैं कहूँगा कि किसी भी देश की न तो यह इच्छा रही है न उसने चाहा है

कि पंचायती अधिकार का प्रयत्न हो।

यह प्रथा न तो उचित अधिकार है, न किसी सरकार का ठोस सिद्धान्त, अतः यह एशिया की किसी सरकार के विधान मे नही है। बल्कि मै जरा तेजी से कहूँगा कि कोई भी पूर्वी सरकार इस पंचायती अधिकार को प्रथा को जानती ही नही। मैने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उनके विधान की जाँच की है और मै यह चुनौती देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे अगर यह बता सके तो सिद्ध करके बतावे कि पूर्व की किसी सरकार ने किसी प्रतिनिधि को यह पचायती अधिकार की शक्ति दी हो।

एशिया का बहुत बडा भाग आज मुस्लिम राज्य है। मुस्लिम सरकार के नाम के अर्थ है एक कानूनी सरकार। इनके कानून किसी भी क्रिश्चियन (ईसाई राज्य) राज्य के कानून मे अधिक सुगठित व शक्तिशाली है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनका कानून ईश्वर का दिया हुआ है। इसे कानून और धर्म दोनो की दुहरी शक्ति प्राप्त है। एक बादशाह को किसी भी साधारण जन से तनिक भी अधिक शक्ति व सुविधाएँ नही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति कुरान मेरे सामने लावे और सम्पूर्ण मे अगर एक भी ऐसा स्थल दिखा सके जहाँ पचायती अधिकार को किसी भी रूप मे सरकार के लिए उचित कहा गया है तो मैं कहूँगा कि उस किताब को पढने और एशिया के मामलो को समझने मे मैने जो भी शक्ति व समय लगाया है, सब व्यर्थ है। इस प्रकार की एक भी धारा का वहाँ उल्लेख नही है, बल्कि इसके विपरीत, हर जगह मानवता पर किसी प्रकार का अनधिकारी चेष्टा की मनाही ही है। इस कानून के प्रचार व व्याख्या के लिए समस्त एशिया मे प्रचारक नियुक्त हैं, वे धार्मिक व्यक्ति है उन्हे कानून का पडित भी माना जाता है। ये ही लोग धर्म के रक्षक भी है। वहाँ बादशाहो को भी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त नही है बल्कि सरकारे किसी हद तक प्रजातत्र के निकट है।

इस विषय को और पास लाकर देखे क्योकि अब हम एशिया मे प्रवेश कर चुके है, वहाँ की सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि बन गए है, तो हम पावेगे कि तुर्की का बादशाह व उसकी सरकार हमारे बहुत निकट है। उसके अपने देश मे वह सर्वोच्च शक्ति का अधिकारी क्यो नही है ? सभी जानते है कि तुर्की के बादशाह व उसकी सरकार सबसे शक्तिशाली है। वह राज्य सत्ता के लिए एक उदाहरण है। वह अपनी इच्छा से जनता पर कर भी नही थोप सकती।

उसकी सरकार की दूसरी महानता है कि वह प्राणदड, जायदाद की जब्ती या प्रजा की स्वतन्त्रता नही छीन सकती, सब कुछ कानून के अन्तर्गत होता है। बिना कानून की आज्ञा लिए वह युद्ध या शाति की भी घोषणा नही कर सकती। फिर जब वह न तो जनता का जीवन न जायदाद ही छू सकती है, न वह जनता पर कर ही लगा सकती है, न युद्ध या शाति की घोषणा कर सकती है, तो मै

यह निर्णय श्रीमान पर ही छोड़ूँगा कि उसे किस नियम का पालन करने वाला माना जाय, विधान के सिद्धान्तो को मानने वाला या पंचायती अधिकार को। एक तुर्क बादशाह अगर विधान के सिद्धान्तो से रत्ती भर भी अलग हो जाय तो वह कानून के अन्तर्गत राज्य-च्युत होगा और उसका जो भी उत्तराधिकारी आएगा वह राज्य की प्राचीनतम परम्पराओ व कानूनो मे बँधा रहेगा। इस प्रकार एशिया की राज्य-व्यवस्था के बारे मे बहुत कुछ कहा जा सकता है। तुर्क राज्य हमारे बहुत निकट होकर भी योरोपियन नही, एशियायी है। वह भी मुस्लिम राज्य है। और चाहे परिस्थितिया कितनी ही विपरीत क्यो न हो कोई भी मुस्लिम बादशाह पंचायती अधिकार का उपयोग नही करता। यहाँ तक कि उनके यहाँ सर्वोच्च अधिकारी या प्रमुख न्यायाधीश जो उनके यहाँ विधान के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ट अधिकारी है वह तो कानून से सबसे अधिक बँधा है व जकडा हुआ है।

किसी भी देश के विधान की महत्ता को कम करने का सबसे बडा कारण भ्रष्टाचार होता है। आप की अदालत के कटघरे मे खडे सज्जन ने कहा कि एशिया का विधान या एशिया की परम्परा मे कोई स्थायित्व नही है। प्रश्न यह है कि क्या किसी भी राष्ट्र के विधान को आप अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। निश्चय ही अधिक हत्याये, लूटमार, अनुचित सजाये, अधिक अपहरण, अत्याचार और भ्रष्टाचार एशिया मे है और यदि राष्ट्र के पवित्र कानूनो के तह मे जाने के अलावा केवल वहा की दुर्घटनाओ, युद्ध, दगो को ही देखा जाय तो चित्र का वही पहलू दिखेगा। उसने तो इगलैड के कानून को भी अयोग्य बताया है। आप श्रीमान तो ऐसा नही ही मानेगे। ईश्वर बचावे! जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कोई आपत्ति न होगी कि वह अपना कानून ही माने या मुस्लिम, तुर्की, हिन्दू। लेकिन अगर वह इस पर आपत्ति करे, जैसा वह कर रहा है, ससद के कानून की योग्यता पर, उसे बताने दीजिए कि वह कौन सा कानून मानता है। उसी से उसके कर्मो की जाँच हो जायगी। मै यह कहने का अधिकारी नही हूँ कि उस स्थिति मे भी मै जो मुझमे नही है वह भी त्याग दूंगा लेकिन मै जनता के सम्मुख ही लज्जा का भागीदार बनूँगा और यह सिद्ध हो जायगा कि मेरे ऊपर जो दायित्व रखा गया है उसे निभाने मे मै समर्थ हूँ। अत. मै फिर दुहराता हूँ कि एशिया की सरकार जिससे अब हमारा पूरी तरह परिचय हो गया है, जिसके विधान को मुहम्मद ने बनाया है, उस पर वहाँ का बादशाह भी अपनी इच्छा अनुसार पचायती अधिकार नही चला सकता।

हमारे लिए विचार करने को दूसरा विषय है कि क्या भारत का मुस्लिम विधान इस अधिकार को किसी प्रकार प्रमुखता देता है। आप श्रीमान के सम्मुख अभियुक्त के रूप मे जो सज्जन उपस्थित है, ने यह कहना उचित समझा कि भारत के लिए यह बडा सुखद होगा कि जब चगेज खाँ व तैमूरलंग के विधान, ब्रिटिश

विधान के लिए स्थान रिक्त करेंगे तो यह मुकदमा गलत सिद्ध होगा और मानवता के कल्याण के लिए किए मेरे कार्य सराहे जाएँगे।

श्रीमान, आपने देखा कि वह संसद के कानून के विषय में क्या कहता है। क्या आप अब भी नहीं समझते कि यह एक आसाधारण बात है कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक अधिकार के नशे में, जिसका उसने उपयोग किया है वह ऐसी बातों का जिक्र करे जिसमें अपने को विजेता बतावे, उन आदमियों का जिनके अधिकारों को बलात छीना गया हो ?

इस प्रकार चंगेज खाँ के नियम को जिसे वह पचायती अधिकार बताता है, मैंने कभी नहीं देखा। यदि उसके पास यह सिद्ध करने वाली कोई किताब हो तो क्या वह उसे जनता के लाभ में रखने की अनुकम्पा करेंगे ? मैंने चंगेज खाँ के सबन्ध में एक किताब देखी है दूसरी नहीं। यदि उसका एक भी अंश पचायती अधिकार के पक्ष में हो तो वह उसे दिखावे। लेकिन हमारे सामने चंगेज खाँ के जो दस नियम स्पष्ट है उन पर हम निर्णय करें तो पता लगेगा कि उनमें से किसी एक नियम में भी पचायती अधिकार की छाया तक नहीं। पचायती अधिकार की संस्था –सोचिए जहाँ पचायती अधिकार होगा वहाँ संस्था कैसे होगी ?

जहाँ तक तैमरलग के नियमों का प्रश्न है, यहाँ वे अपने मूल रूप में ही है, और यह है उनके अनुवाद। मैंने सभी नियम या विधियों के इस भाग को बहुत ध्यान से पढ़ा है और अगर मुझे कोई भी व्यक्ति उनमें ऐसा एक भी शब्द दिखावे जिससे बादशाह अपने लिए पचायती अधिकार की बात कहे, तो मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से स्वीकार कर लूँगा कि महान लज्जा व भर्त्सना का अधिकारी हूँ ! मेरा विश्वास है कि दुनिया में कोई पुस्तक नहीं है, जिसमें सरकार के अधिक महान, अधिक उचित, अधिक पौरुषमय और अधिक निरपक्ष व पवित्र सिद्धान्त दिए गए हैं, इस पुस्तक के अलावा जिसमें तैमूरलग के विधान दिए गये है। इस पुस्तक में कहीं भी पचायती अधिकार की चर्चा नहीं है। फिर मिस्टर हेस्टिंग्स किस अधार पर अपने को उचित सिद्ध कर सकते है ? हमारे सामने दस्तावेज के रूप में यह पुस्तक है। मुगल राज्य के प्रणेता के नियम दिए गये है, जो आज भी एक पवित्र विरासत है।

"मेरी भाग्यशाली संतानों को मालूम हो जो राज्य के विजेता होंगे, जो मेरे शक्तिशाली वंशज होंगे, धरती के बादशाह होंगे, कि मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा है कि मेरे अनेक वंशज महान राष्ट्र के महान सिंहासन पर विराजेंगे और मेरे बनाए हुए कानून नियम द्वारा राज्य का संचालन करेंगे। मैंने उन कानूनों व नियमों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है जिससे कि दूसरों के लिए वे नमून सिद्ध हो। मेरी संतानों में सभी और वंशज भी आसानी से राज्य चला सकें, जिसे मैंने बड़ी कठिनाई, सकटों और दुर्दिन में, खून की नदी बहा कर, ईश्वर की सहायता

मे और मोहम्मद साहब के पवित्र धर्म के प्रभाव से, एवं शक्तिशाली दुश्मनो तथा दिलेर सिपाहियो और पैगम्बर के बंदो की सहायता से प्राप्त किया है।

"उन्हे चाहिये कि इन नियमो को वे अपने राजकाज मे कानून की शक्ल दे जिससे कि मुझसे बनी शक्ति व उज्वल भविष्य की बराबर रक्षा हो सके।

"इसलिये मेरी संतानो को मालूम हो कि भविष्य मे मेरे राज्य के उत्तराधिकारी वंशज मेरे इन बारह नियमो को जिन्ह मैने अपने लिए आचरण-संहिता बना कर प्रतिष्ठित किया है जिनकी सहायता मे राज्यो को जीता व उन पर राज्य किया है, राजसिंहासन को सजाया और उसमे चमक पैदा की है, का पालन करे और मेरे व अपने राज्य की प्रतिष्ठा बनाये रखे।

"और अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैने जो नियम बनाए, उनमे सर्वप्रथम यह है—कि मैने सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति को बढावा दिया और पवित्र मुहम्मद साहब के धर्म का सारे विश्व मे प्रचार किया और हर समय, हर स्थान पर सच्चे ईमान का पक्ष लिया।

"दूसरा बारह जातियो व वर्गों के लोगो जिन्हे मैने जीता व अपना राज्य स्थापित किया, उनके साथ मैने भविष्य की दीवाल खड़ी की और मजबूत बनाया, उनके लिए ही मैने एक संसद भी बनाया।

"तीसरा वार्तालाप, वादविवाद, योजनाओ और सतर्कता द्वारा मैने सेना संगठित की, मैने अपने राज्य के छोटे राज्यो को कम किया, अपने राज्य का काम समय व अवसर के अनुसार, नम्रतापूर्वक, सब्र व धैर्य से नीतिज्ञतापूर्वक चलाया और मैने अपने मित्रो व शत्रुओ के प्रति सद्भावनायुक्त व्यवहार रखा।

"चौथा अनुशासन और राजाज्ञा द्वारा मैने अपनी राजकीय व्यवस्था को सुधारा, अनुशासन द्वारा मैने अपनी सत्ता जमाई, और अमीरो, वजीरो व सिपाहियो और प्रजा ने कभी भी अपनी स्थिति की सीमा लाँघने का प्रयास नही किया, न इसकी कल्पना ही की। इसका फल यह रहा कि हर एक अपने-अपने स्थान पर सदा मुस्तैद रहा।

"पाँचवाँ मैने अपने अमीरो, सिपाहियो को सदा ही धन-दौलत तथा जवाहरातो को देकर प्रोत्साहित किया और उनके दिलो को प्रसन्न रखा। मैने उन्हे राजसी दावतो मे सम्मिलित होने की खुली छूट दी और जब रक्त बहाने का समय आया तो उन्होने अपने प्राण भी निछावर कर दिये। मैने उनसे कभी भी सोना-चाँदी नही लिया। मैने उन्हे फौजी शिक्षा दी और योग्य बनाया, उनके दुखो मे उनका दुख बँटाया और उनके बुरे दिनो मे भी उनका साथ दिया। मेरे सरदारो व सेनाधिकारियो की एकता के फलस्वरूप मै सात सिंहासन व बीस राजाओ पर विजय प्राप्त कर सका और अराकान, तुर्रम, रोम, मगरिब, स्याम, मैसूर, अरब, फारस, काबुलिस्तान, और हिन्दुस्तान के राज्यो का बादशाह बन सका।

"और जब मै शाहंशाह की पोशाक पहनता तो संतोष से आँखें बन्द कर लेता। संतोष, जो आराम से बिस्तर पाने पर होता है। अपने जीवन के बारहवें वर्ष से मैंने दूर देशों का भ्रमण शुरू किया, संकटों व मुसीबतो से जूझा, नये रास्ते खोजे, फौज इकट्ठी की, अपने सैनिको व अपराधियो के विद्रोह सहे और अवज्ञा व विद्रोह की भाषा मे भी परिचय प्राप्त किया। राजनीति, कूटनीति से उनका विरोध किया और परेशानी के क्षणो मे अपने आदमियो को सहारा दिया और अंत में राज्यों को जीता और यश बढाया।

"छठा : न्याय व समानता का व्यवहार करके मैने ईश्वर के भक्तों का प्यार जीता, मैने अबोध व अपराधी लोगों को क्षमादान दिया, मैने वही सजाएँ दी जो सत्य पर आधारित थी। परोपकार व सज्जनता से मैने लोगो के दिलों में स्थान बनाया और इनामो व सजाओं द्वारा मैंने अपनी सेना व जनता को सदा भय और आज्ञा के बीच रखा। मैंने जनता मे दबे-कुचले लोगो और संकटग्रस्त लोगो को ऊपर उठाया। मैने सिपाहियो को उपहार दिए।

"मैने पीडितो को अत्याचारियो के चगुल मे छुडाया, और चाहे शरीर पर हो या सम्पत्ति पर, अत्याचार सिद्ध होने पर मैने जो सजाये दी वह सभी कानून द्वारा स्वीकृत थी। मैने कभी ऐसा नही होने दिया कि एक के अपराध के कारण दूसरा हानि उठावे।

"जिन्होने मुझे हानि पहुँचायी, जिन्होने युद्ध मे मुझ पर वार किया, जिन्होंने मेरा योजनाओ को विफल बनाया, उन्होने जब अपने को मेरी दया पर छोड़ दिया तो मैंने दयापूर्वक उनका स्वागत किया। मैने उन्हे अधिक प्रतिष्ठा दी, पदवियाँ दी और उनके अनुचित कामो को क्षमा किया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि यदि उनके दिलो मे शंका रह भी गई तो उसे निर्मूल किया।

"सातवाँ : मैने चुन-चुनकर ईश्वर-भक्त, विचारक, अध्यापक, दार्शनिक व इतिहासकारो को प्रतिष्ठा व सम्मान दिया। मैने योद्धाओ को प्यार किया, क्योकि बहादुरों पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। मैने भले व विद्वान लोगो से सम्पर्क बढाया, उनका प्यार जीता, उनका विश्वास जीता, उनका आशीर्वाद जीता। मैंने गरीबो से संवेदना रखी, उन्हे पीडित नही होने दिया, उनके साथ पक्षपात भी किया। मैने बुरे व धोखेबाज लोगो को अपने दरबार मे घुसने नही दिया, न उनकी कभी राय मानी, न कभी उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया।

"आठवाँ : मैने निश्चयों के अनुसार कार्य किये और सदा निर्णयों की मर्यादा रखी। मैने कभी कोई काम अधूरे मे नही छोडा। मैने सदा अपने वचन का पालन किया, बात को निबाहा। मैंने कभी उग्रता नही दिखाई।

"मैने विद्वानो से प्राचीनतम युग के कानून व नियम के पंडितों की बाते पूछी। उनके विचारों, उनके कार्यों, उनकी रायों को जाना। उनकी अच्छाइयों को

मैने उदाहरण बनाया। मैने ऐसी बातो को सदा ही अपने से दूर रखा जो उन्नति के लिए घातक और भुखमरी या बीमारी लाने मे सहायक होती है।

"नवाँ · अपनी प्रजा की स्थिति का मुझे सदा ज्ञान रहता था। जनता मे जो विशेष योग्यता वाले या महान होते थे, उन्हे मै भाई मानता था और मै गरीबो को अपने बच्चो की तरह मानता था। हर प्रात के हर शहर के लोगो के बारे मे मै पूरी जानकारी रखता था। मै नागरिको मे घनिष्टता बढाता था, अच्छे व बडे लोगो मे भी। उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार उन्हे राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त करता था। हर प्रान्त के निवासियो की दशा की मै खोज-खबर रखता था। हर राज्य मे मै चतुर लेखको, ईमानदार लोगो को नियुक्त करता था जो मुझे सच्ची सूचनाएँ देते रहते और सेना के दिमाग का पता रखते। यदि उनकी सूचना गलत होती तो सूचना देने वाले को मै सजा भी देता। अफसरो, उच्चाधिकारियो, सेना के उच्च-अधिकारियो की शिकायते आने पर उनके साथ न्याय का ही व्यवहार करता था।

'दसवाँ चाहे जो जाति या समूह या गिरोह हो, चाहे तुर्क, चाहे अरब उसके प्रतिनिधियो का सम्मानपूर्वक स्वागत करता।

"जो भी मेरे सम्पर्क मे आता, मै सीमा का ध्यान रख कर उनके साथ दया और विशाल हृदयता का व्यवहार करता। और जो भी मुझे सेवाए अर्पित करता मै उसकी पूरी कीमत उसे देता। जो भी मेरा शत्रु होता और अगर वह लज्जा का अनुभव करता, मेरी शरण मे आता, मुझे विनम्रता दिखाता तो मै शत्रुता भूल जाता और अपने सद्व्यवहार से मै उसे जीत या खरीद लेता।

'इसी तरह, एक गिरोह का सरदार शेर बेग्म मेरे साथ रहा और बडे गम्भीर समय मे उसने मेरा साथ छोडा, मेरा साथ छोड कर वह दुश्मन मे जा मिला और अत मे मेरा जो नमक उसने खाया था काम आया और वह फिर मेरी शरण मे आया और मेरे सम्मुख विनम्रता स झुक गया। वह बहादुर था, ऊच कुल का था, अनुभवी था, मैने उसके दुष्कर्मो की ओर से अपनी आँखे बद कर ली। मैने उसकी सुरक्षा का प्रबध किया उसे ऊँची पदवी पर स्थापित किया और उसकी बेईमानी को माफ किया।

"ग्यारहवा मेरे बच्चे, मेरे रिस्तेदार, मेरे साथी, मेरे पडोसी या जो किसी भी रूप मे मुझसे सम्बन्धित थे, अपनी उन्नति के काल मे मैने उन्हे उनका प्राप्य उचित राशि मे दिया। अपने परिवार की मर्यादा के अनुकूल मैने उनके संग पक्षपात नही बरता, न उन पर कोई बन्धन लगाया या सख्ती की।

"और हर व्यक्ति के साथ मैने वही उचित व्यवहार किया, जैसी मेरी उसके प्रति धारणा बनी। मैने जीवन मे बडे-बडे उतार-चढाव देखे व अनुभव प्राप्त किया, उसी के अनुसार मैने मित्रो व शत्रुओ से सम्बन्ध रखा।

"बारहवाँ . सिपाही चाहे वह मित्र रहा हो या शत्रु, सदा मेरे सम्मान का अधिकारी रहा। जो प्रतिष्ठा के लिए अपनी खुशी बेचते थे उन्हें भी खतरे के समय सहायता देता था।

"और जो मेरे शत्रु के पक्ष में मुझ पर तलवार उठाता था, मेरा अपमान करता था और अपने स्वामी की प्रतिष्ठा करता था वह मेरे द्वारा सम्मान का अधिकारी था। जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास आता, उसकी योग्यतानुसार, मैं उसे अपने साथियो के साथ रखता।

"जो सिपाही अपना कर्तव्य और प्रतिष्ठा भूल जाता और आवश्यकता के समय मालिक की ओर से मुह घुमा लेता, और वह मेरी शरण म आता तो मै उसका कभी विश्वास न करता। तख्तुम्मिश खाँ और उसके अमीरो के बीच की लड़ाई मे जब अमीर तख्तुम्मिश खा का पक्ष भूल बैठे जो उनका स्वामी और मेरा शत्रु था, मुझे संदेश भेजना और पत्र लिखना। मैने उसके दुष्कर्मो को भूल कर शरण दी।

"यह मुझे अनुभव से ही ज्ञात था कि जो राज्य नैतिकता व धर्म की नीव पर निर्मित नही होता या कानून द्वारा पुष्ट नही होता उसे राज्य से राजाज्ञा प्रतिष्ठा, और शक्ति अवश्य चली जाती हे। वह ऐसे मकान जैसा हो जाता है जिसके न छत होती ह, न आगन, न द्वार, न सुरक्षा-प्रबध, और उसमे जब जो चाहे घुस आवे।

"इस प्रकार मैने इस्लामी धर्म और नैतिकता के नाम पर अपने साम्राज्य की नीव पक्की की और नियम व कानून के माध्यम से मैने उनमे स्थायित्व दिया। सरकार चलाते समय मैने अपने को पू [illegible] तरह कानून की सीमा के भीतर रखा।"

मै और अधिक उस पढने की आवश्यकता नही समझता, मै श्रीमान को दिखा सकूँ कि महान सिद्धान्त, शक्तिशाली विधान और निश्चय इस पुस्तक मे किस तरह भरे पडे ह और इसके विपरीत मिस्टर हेस्टिंग्स ने वह रास्ता अपनाया था जिसे पंचायनी अधिकार कहा गया है।

यह उदाहरण सिर्फ इसलिए नही प्रस्तुत किया हे कि हमे पूर्व के साथ केवल न्याय करना ह। मै यह सिद्ध व स्थापित करना चाहता हूँ कि उनकी नैतिकता भी हमारे जैसी ही है। चाहे उच्चाधिकारियों और [illegible] लोगो के जो भी कर्तव्य रहे हो, और मै ससार को चुनौती देता हूँ कि कोई मुझे दिखाए कि किसी भी आधुनिक यारोपीय पुस्तक मे अधिक सच्ची नैतिकता और विवेक या पाडित्य हो जो एशिया के लोगो द्वारा न लिखी गई हो। यदि एशिया की यह नैतिकता सच्ची हे, जैसी मै तो मानता ही हूँ और सिद्ध कर सकता हूँ, तो उस आधार पर मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित भौगोलिक नैतिकता जड से उखड जाएगी।

यात्रियो द्वारा स्थापित मान्यताएँ सत्य नही है क्योकि जिस नीव पर वे

मान्यताएँ बनती हैं उनका वे उल्लेख नहीं करते। मेरे पास इसके दो उदाहरण हैं जिनकी पुष्टि बर्नियर नमक शक्तिशाली व प्रसिद्ध यात्री भी करता है। उससे भी सिद्ध होता है कि कुछ घटनाओं का जिनका उल्लेख है, जिसमें राज्यों के बादशाहों ने कई प्रकार के कठोर, निर्मम और जंगली ढंग अपनाये है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और पूर्व की वह शक्ति जिसका मिस्टर हेस्टिंग्स ने हवाला दिया है वह उसे दोषी बना कर भारी सजा का अधिकारी बनाती है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और यह मैं अपने हृदय की गहराई से कहता हूँ कि उसके अक्षम्य अपराधों के लिए ऐसी किसी सजा का प्रबन्ध नहीं है। ईश्वर ही मदद करे कि हम लोग इतने पथ-भ्रष्ट, पागल, खूंखार और सजा देने के पक्षपाती न हो जायें क्योंकि किसी हलके अपराध के लिए बड़ी सजा देना अन्याय है। मेरे पास जो उदाहरण हैं, वे मनोरंजक हैं, और वे मिस्टर हेस्टिंग्स की सफाई मे प्रस्तुत है अतः मैं उन्हें यहाँ उद्धृत करूँगा।

पहला उदाहरण एक गवर्नर के बारे में है, उसने जो भी किया, जैसा मिस्टर हेस्टिंग्स कहते है कि उन्होंने उसे ऐसा करने का अधिकार दिया था, उसने बिना अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त किए हुए ही एक नया कर लगाया। "मेरे वापस होने के कुछ वर्षो बाद (बर्नियर के शब्दों में) गर्वनर ने अपनी जिम्मेदारी पर, राजा से कोई निर्देश या आज्ञा प्राप्त किए बिना ही, नगर में आने वाले फलो की हर टोकरी पर छोटी सी चुंगी लगाई जिससे उस धन से शहर की दीवालों व पुलों की आवश्यक मरम्मत कराई जा सके। यह घटना मन् १६३२ के अंत के लगभग की है जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। राजा को जब उस चुंगी के लगाए जाने की सूचना मिली जो फलों पर लगाई गई थी तो उसने उस गवर्नर को जंजीर मे बाँध कर दर-बार मे उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा ने आज्ञा दी कि राजमहल के एक फाटक पर उसे बाँध कर रखा जाय जिससे कि जनता देखे। फिर राजा ने गवर्नर के लड़के को आज्ञा दी कि वह अपने बाप की मूँछें उखाड़े, उसके कान व नाक काटे, आँखें निकाले और तब अंत मे सिर भी काटे। इसके बाद आज्ञा थी कि बेटा जा कर बाप की राजकीय जिम्मदारियों को भी सम्भाले। राजा ने कहा—देखो तुम्हे सिद्ध करना है कि तुम इस कुत्ते से अच्छी तरह राजकाज करते हो अन्यथा तुम्हे भी इससे भी अधिक भयानक मौत का सामना करना पड़ेगा।

श्रीमान, आप लोग शायद घृणा की कँपकँपी अनुभव कर रहे है, मैं भी ऐसी ही घृणा से काँप रहा हूँ, इस सजा को सुन कर। मैने यह घटना इसलिए नही बताई कि ऐसे अमानुषिक कृत्यों का मैं समर्थक हूँ, लेकिन आप श्रीमान के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि उस देश के राजा की जो भी शक्ति रही हो, जो भी अधिकार रहा हो, लेकिन वे इस हद तक कठोर है कि अगर उनका कोई गवर्नर एक छोटा सा कर भी लगा देता, चाहे उसकी नीयत ठीक रही हो और उस धन का उपयोग

भी उचित रहा हो, उसे कठोरतम सजा मिलती है। मैं ऐसी सजाओ का समर्थन नही करता, लेकिन इसकी भयानकता यह सिद्ध करती है कि वहाँ के राजा अपने प्रतिनिधियो को इतना कम अधिकार भी नही देते थे और आपके सम्मुख खडा अभियुक्त इसके समक्ष बहुत बडे-बडे अधिकारो को स्वअर्जित समझता है।

एक और भी उदाहरण है। बहुत योग्य उदाहरण। यह उपहार का मामला है। मै समझता हूँ कि समस्त एशिया की समस्त सरकारो मे इस उपहार के रिवाज को खुली मान्यता प्राप्त है। यह एक ऐसे अधिकारी की बात है जो बहुत ऊंचे पद पर आसीन था और उपहार लिए बिना उसका कोई भी कार्य रुक नही सकता था। "एक दिन सवेरे के समय जब राजा शिकार को निकला था, तभी राजा के तम्बू मे वह नजर (उपहार) भेजी गई जिसे द्वारपाल ने भीतर जाने से रोक दिया। तभी राजा बाहर निकल आया, और उपहार को देखते ही अपने साथ के सैनिक अधिकारी को आज्ञा दी कि जिस अधिकारी ने जनता से यह उपहार स्वीकार किया है उसका सिर मूंड दिया जाय। और उसको नंगे सिर व नगे शरीर तीन दिनो तक धूप मे बैठाया जाय। फिर उसे जजीर मे बाँध कर अंधेरी कालकोठरी मे छोड दिया जाय। केवल एक समय खाना दिया जाय। लेकिन कारागार की काल कोठरी मे पडने के आठवे दिन ही वह दुख व ग्लानि से मर गया।'

श्रीमान के सामने इसे पढ कर सुनाने का मेरा आशय न था कि कठोरता, क्रूरता व भयानक सजा का उदाहरण पेश करूँ। इस भयानक उदाहरण द्वारा मै श्रीमान के सम्मुख यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि उपहार या नजर लेने के प्रति उसमे कितनी घृणा थी। यह क्रूर यातनाएँ व कठोर व्यवहार राजा उन गरीब रियाया के साथ कभी न करते थे जो उनके दरवाजे पर फरियाद लेकर जाते थे। उनकी भाषा को यहाँ दुहराने के अपराध से ईश्वर मुझे मुक्त करे। जनता जब अपनी उचित माँग या शिकायत करती तो उनके साथ कुत्तो जैसा व्यवहार न होता या वे भगा न दिए जाते, लेकिन यह व्यवहार उन गवर्नरो के साथ होता जो जनता को तंग करते, उन्हे कुत्ता कहा जाता और उनके साथ ऐसे क्रूर व्यवहार होते। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि पूरब मे कोई गवर्नर किसी भी विधान के अन्तर्गत या सरकारी परम्परा के अनुसार न तो पंचायती अधिकार प्राप्त कर सकता है न अपनी इच्छानुसार कर लगा सकता है, न उपहार ले सकता है। वे चुरा कर, छिप कर घूस लेते, व्यभिचार करते, कर्मचारियो मे दलबन्दी करते, राज्य, सेना व दीवान मे फूट पैदा करते। यह सब वे कैसे करके सजा से बचे रह जाते यह पता लगाना मेरा काम नही। इतना ही मेरे लिए काफी है कि वहाँ का विधान इसकी सम्मति या आज्ञा नही देता और यदि कभी वे पकडे जाते तो उन्हे बडी से बडी सजा मिलती।

यह है एशिया के मुस्लिम कानून की रूपरेखा व उसके व्यवहार की पद्धति।

एशिया के लोगों के पास कोई कानून नहीं है, अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है यह इस राष्ट्र में झूठी अफवाह फैलाई गई है । मैं फिर कहता हूँ कि प्रत्येक मुस्लिम सरकार अपने सिद्धान्तों व कानून से बँधी व जकड़ी हुई है ।

अब मैं बताऊँगा कि जहाँ तक भारत की सरकार का प्रश्न है वह कभी भी, किसी भी प्रकार मिस्टर हेस्टिंग्स को अपनी सारी शक्ति व अधिकार नही दे सकती। सर्वोच्च शक्ति व अधिकार के रहते वे पंचायती अधिकार का प्रयोग क्यों करेंगे ? यह मैं हिन्दुस्तान के विधान से सिद्ध कर दूँगा कि हर मुस्लिम कानून बहुत साफ, वहुत योग्य और गंभीर है, हमारे कानून की तरह ही महान ।

उनके कानून का प्रथम आधार है कुरान । दूसरा आधार है उचित अधिकारियों द्वारा मामलो पर न्याय करना । फिर आता है न्याय व कानून के लिखित सिद्धान्त । इन सिद्धान्त की पुस्तकों की संख्या योरप के सिद्धान्त व कानून की पुस्तकों की संख्या से कम नही है । इसके बाद आता है कानून । उनके उच्चतम संसदो व दरबारों द्वारा स्वीकृत कानून । यह कानून शब्द ग्रीक है । वहाँ बहुत प्रसिद्ध और जन-साधारण मे प्रचलित है । फिर आता है राजुल-मुल्क, उस देश-देश का साधारण कानून या परम्परा मे बँधा रीति-रिवाज । उनके कानून के निर्माण के हमसे अधिक स्रोत है ।

दूसरी चीज जो हमे दिखाती है वह यह कि भारत मे सरकार के अधिकार विभाजित है, जिसमे सिद्ध होता है कि उनके यहाँ शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित नहीं है ।

हर प्रदेश में प्रमुख व्यक्ति है, वहाँ का सूबेदार, नाजिम या गवर्नर । उसके पाम तलवार की शक्ति है केवल अपराधियो पर शासन चलाने के लिए । फिर दीवान का पद है, उमके अन्तर्गत राजस्व होता है जिसकी सीमा भी परम्परा व कानून से बँधी है ।

उत्तराधिकार या परम्परा व पैतृक धन के मामलों के लिए काजी होता है जिसकी अदालत में इससे संबंधित मामले होते है । लेकिन यह भी विभाजित अधिकार है । काजी अपने आप फैसला नहीं कर सकता, जो करता है पंचों की राय से । मुस्लिम कानून में अपील की गुंजाइश ही नही है, केवल यही व्यवस्था है कि पूरा मामला ही छोड़ दिया जाय । मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार वहाँ कई विभाजन हैं । कानूनगो है जो जान-माल की रक्षा करता है । काजी व मुफ्ती की मदद करता है । न्याय, राजस्व और कानून सब अलग-अलग है और सबका अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है । यह वहाँ का प्रादेशिक विधान है । जब अधिकारियों की राय में अंतर पड़ता है तब बंगाल का कानून माना जाता है । क्या हमने राजा व संसद के अधिकार मिस्टर हेस्टिंग्स को दिए हैं कि अपनी मनमानी वह चलाए, यह अब आप श्रीमान निर्णय करें ।

यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए कोई बचाव नहीं है। उसे कानून दर कानून का सहारा ढूँढ़ने दीजिए। उसे साधारण कानून से भागने दीजिए, उसे संसद के कानून से भागने दीजिए, उसे अपने को निर्दोष सिद्ध करने दीजिए। क्या अपने देश के कानून से भाग कर वह मुस्लिम कानून की शरण में जाएगा ? वहाँ तो उसकी और दुर्गति होगी। क्या वह एशिया के उन अधिकारियों की शरण में जाएगा जो घूस व उपहार लेते हैं ? सुल्तान व बादशाह उसे क्रूर मौत भेंट करेंगे। क्या वह फारस के कानून की शरण में जाएगा ? मैं उस दर्द, कष्ट का जिक्र नहीं कर सकता जो उसे मिलेंगे। उसे चाहे जिस मनचाहे कानून की शरण में जाने दें। लेकिन हर जगह उसे एक ही कानून मिलेगा। वह चाहे तो कुरान के विधान से उसका मुकदमा हो जाये, या चाहे तो तैमूरलंग के सिद्धान्त से।

अब दूसरा प्रश्न है कि क्या हिन्दू कानून पंचायती अधिकार की सम्मति देता है ? यदि उसे वहीं सहारा मिले तो उसे गाँव व मन्दिर की शरण में जाने दीजिए। हिन्दू कानून का एक विशेष विधान है कि न्याय अपनी इच्छा पर नहीं होता। ये लोग अधिकांश अपने प्राचीन काल के लिखित कानून-ग्रंथ के ही आधार पर चलते हैं जिसे शास्त्र कहते हैं। इसकी व्याख्या करने वाले पंडित कहे जाते है। यह कानून बहुत विस्तृत हैं, जीवन के हर क्षेत्र को छूते हैं, सिद्धान्त व कानूनी विधान देते हैं, जो हर मामले में प्रयोग होते हैं। इनका आधार प्राकृतिक एकता है, केवल स्थिति के अनुसार बदलाव होता है। ये किसी भी अन्य कानून से कभी भी कम नहीं ठहरते। जहाँ भी ये कानून माने गये हैं वह राष्ट्र प्रसिद्ध हुआ है। उस राष्ट्र की उन्नति हुई है और वहाँ सर्वत्र प्रसन्नता रही है।

सब मिला कर देखा जाय। हेस्टिंग्स जो चाहे, चाहे पूर्वी या पश्चिमी कानून माने, आप देखेंगे कि पंचायती अधिकार तथा मनमानी राज्य-व्यवस्था कहीं भी वैधानिक नहीं मानी गई और हर जगह इसके लिए सजा दी जाती है। मेरा विश्वास है कि श्रीमान के सम्मुख यह सिद्ध हो गया है कि इन तमाम देशों में कानून है। कहीं भी शक्ति व अधिकार दूसरे को देने का कानून नहीं है जिससे गवर्नर कानून से मुक्त हों, तब मैं अपनी ओर से कहूँगा कि अब एक ब्रिटिश गवर्नर को अपने कारनामों के लिए उत्तर देना है और अब वह व्यर्थ के निर्बल उदाहरणों से हमें संतुष्ट नहीं कर सकता।

लेकिन दूसरी बात जो वह कहता है वह विवश हो गया था कि अपनी इच्छानुसार वह कार्य करे, इसके माने हैं कि अगर उसने एक बार घूस ली है तो और बार भी ले सकता है। जब उसने एक व्यक्ति को लूट कर उसे संपत्ति से वंचित कर दिया तो वह दूसरे को भी लूट सकता है। जब अपनी ही इच्छानुसार उसने एक व्यक्ति को जेल की सजा दी और उससे रुपये छीने तो यह वह दूसरों

के साथ भी कर सकता है। सबसे पहले तो वह उत्पात, अत्याचार और आतंक का सहारा लेता है फिर अंत में उसे ही स्वीकार कर लेता है। अगर उससे श्रीमान सिद्धान्त व विधान या नियम की बातें करेंगे तो वह निश्चय ही साफ-सुथरा दिखेगा, क्योंकि शंका की कहीं भी गुंजाइश नहीं, ऐसा भी नहीं कि उसने जो एक बार किया हो वह दुबारा न करे। इस प्रकार बारम्बार अपराध करना उसके लिए हानि की पूर्ति का साधन हो जाता है।

दूसरी जो दलीलें उसने पेश की है उनके लिए बहस व खोद-विनोद की आवश्यकता नहीं है, वह तो छोटी-छोटी बातें हैं। वह कहता है, और एक प्रकार से अपनी विजय की घोषणा के रूप में कहता है कि इस राज्य का मंत्रि-मंडल बिल्कुल कानूनी आधार पर निर्मित था, विश्व के बड़े व्यापारी नगरों की तरह यहाँ भी उच्च श्रेणी का व्यापार था, बहुत बड़े व अनुभवी जनरलों और सैन्य अधिकारियों द्वारा सैन्य मामलों मे सलाह मिलती थी, तब मै एक गरीब आदमी, इंगलैंड से एक स्कूली लड़के की तरह भेजा गया था, उस नई दुनिया मे अपने लिए जैसे भी हो स्थान बनाने के लिए। तब मेरे साथ कानूनी पंडित न थे जो मेरी दिक्कतों को दूर करते। जब कोई व्यक्ति अपने कारनामो को न्यायसंगत बताने के लिए अपने को अनजान सिद्ध करने लगता है तो उससे संबंधित अपराध और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अपने अनजान बनने के साथ मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी की कई आज्ञाओं को महत्व ही नही दिया, क्योकि वह उन्हें समझता ही नही था। वह कह सकता है—मैं एक अनजान व्यक्ति था, और यह चीजे मेरी शक्ति के बाहर की थी।—लेकिन जब वह उन्हें समझता था और उन्हे कार्य रूप मे परिणत करता था तो वह अक्षरशः उनका पालन नही करता था। जब वह कहता है और सिद्ध भी करता है—कि वह कभी भी अपने कामो मे सफल नही रहा जब उसने उन आज्ञाओ से हट कर कार्य नही किया। वह सदा ही देश के कानून को उलझाता गया। मै विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे शब्दों में ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति कभी भी अनजान व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन मै श्रीमान से माफी चाहूँगा—यह किसी अनजान आदमी की भाषा नही है, न किसी ऐसे की जो चालाक न हो, जो ताकतवर न हो व दिमागी न हो। बहुत चतुर व्यक्ति ही सफाई के ऐसे रास्ते का चुनाव कर सकता है। उसने बहुत छोटे बच्चे की तरह ही वेस्टमिंस्टर स्कूल छोड़ा। हम उन कारणों को संवदेना के साथ स्वीकार करते है कि उस अच्छे स्कूल मे उसकी शिक्षा सम्भव न हो सकी जिसके विद्यार्थी महान लोग रहे हैं, जिसके विद्यार्थियों ने गिरजा, राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में नाम पैदा किया है। इसके विपरीत उसकी शिक्षा कासिम अली खाँ के स्कूल में हुई।

अगर वह हम लोगों के साथ रहता तो सिसरो सरकार का उदाहरण देते,

नमाम पवित्र पैगम्बरो की शिक्षा बताते, उन्हे उसके लिए उदाहरण बनाते। शिक्षा की उसकी कमी मे उसके हर कर्म के साथ उत्पात व आतंक जुडा मिलता है। लेकिन श्रीमान उसे दिखा सकेंगे कि एशिया मे और योरप मे भी एक ही प्रकार के राजनीतिक कानून है, एक ही जैसे सिद्धान्त, और एक ही मे विधान का बडी सतर्कता मे पालन होता है। और उनकी अवहेलना करके कोई भी नही बच सकता. क्योंकि दूसरे लोग भी जानते है कि कानून भंग करने वाले की शिकायत कहाँ की जायगी। इस रूप मे योरप की तरह ही एशिया भी उन्नतिशील है। "लेकिन यदि वहाँ कुछ अंधकार छाया भी रहेगा तो इंग्लैंड अग्रेज गवर्नरो को भेज कर उन्हे शिक्षित कर लगा। यह सत्य इंग्लैंड के प्रति आस्था के लिए अन्य देशो के अपराध व अपराधियो की सहायता न लेगा।

मै मिस्टर हेस्टिग्स के साथ और आगे बढूँगा और स्वीकार करूँगा कि वह वेस्टमिस्टर स्कूल के चौथे दर्जे का विद्यार्थी भी था। इंग्लैड के किसी भी स्कूल का विद्यार्थी जो कुछ नही जानता पर जब ये बाते उसे बताई जायँ और कहा जाय कि वह इन अपराधो का भागी है तो वह बचाव के कौन से रास्ते अपनावेगा? ईश्वर की कृपा कि हममे ऐसा कोई नही है, इतना अनजान, इतना अशिक्षित, जिसने ईसाई धर्म के ककहरे के रूप मे अत्याचार ही सीखा हो, जो यह न जाने कि इस तरह के काम गैर कानूनी है।

एक दूसरा विषय भी है जिसे वह अधिक महत्व दे रहा है। उसने कहा है, मैंने बहुत अधिक तथा श्रेयष्कर कार्य जो किए और जिन्हे लेकर मुझ पर अभियोग लगाया गया है, पार्लमिंट ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे अभियोगो से मुक्त किया है।" क्या यह सच है, श्रीमान? मै दावे के साथ कह सकता हूँ कि ससद सदस्य उस दोष से पूर्णतया मुक्त है। यह मैं मान लूँगा कि अगर पार्लमिंट के सामने उसके अपराधो का पूरा ब्योरा होता और सभी अपराधो की पूरी तरह विवेचना हुई होती, तो वे उसे सरकार मे ऊँचा स्थान न देते, न भारत व इंग्लैड की जनता की आज उसके विरुद्ध आवाज सुनते। सभ्यता व पक्षपात के नाते चाहे हम उसे सजा देने मे हिचके, या उसे सार्वजनिक रूप मे अपराधी घोषित करने मे सकोच करे, लेकिन आज ससद के सदस्यगण आपके सामने सभी बाह्य लज्जा त्याग कर खडे है। सबसे पहले मै उनकी ओर से श्रीमान को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगो ने अपने को पार्लामिट के सदस्य के रूप मे नही, बल्कि इस अपराधी पर लगाए अभियोगो की सम्पूर्ण जानकारी, जब से वह अधिकारी बनाया गया था, के आधार पर ही शपथपूर्वक सब कह रहे है। हम लोगों को जब से यह चर्चाएँ सुनने को मिली तभी से हमने उनका विरोध करने मे कुछ भी न उठा रखा। रिपोर्टो, मतदानो, प्रस्तावो द्वारा बराबर हमने डायरेक्टरो की परिषद पर जोर डाला कि इसे अधिकारी पद से वापस बुलाया जाय। और अदालत को

जैसा कि ज्ञात है कि जब इन उपायों से हम निराश हुए तब हमने जाँच करने का मार्ग अपनाया। अतः हम लोग लापरवाही या पक्षपात के दोप से पूर्णतया मुक्त हैं।

दूसरी बात—पिछली बार पार्लमिंट से उसे अधिकार प्राप्त होने के बाद से ही अधिक गंभीर अपराध उसने किए है, यह उसे दुबारा अधिकार दिए जाने की तिथियों से ज्ञात हो जायगा।

लेकिन मेरा विश्वास है, श्रीमान, न्यायाधीशगण, गंभीर विचारक व वकील गण और श्रीमान के सहयोगी व सहायक गण, कि हम केवल सुनी-सुनाई बात पर श्रीमान पर अधिक दबाव न डालेंगे क्योंकि हम यह कल्पना ही नही करते कि हम केवल बहस के लिए ही बहस कर रहे है !

जहाँ तक अदालत में प्रमाण देने का प्रश्न है, हमारा उस पर अभियोग है, और हम आशा करते है कि श्रीमान भी देखेंगे कि उसके द्वारा किए गए कार्य अपराधों की निम्नतम सीमा है क्योंकि उसके साथ जो बहुत अधिक पक्षपात लिए गए वे भी उसे कृतज्ञ न बना सके, न उसकी पुनर्नियुक्ति या पुनः विश्वास करना ही उसे आज्ञाकारी या ईमानदार बना सके।

अब तक हम लोग लगभग सभी विषयों पर चर्चा कर चुके।

लेकिन, वह पूरी तरह जिम्मेदार भी नहीं, क्योकि डायरेक्टरो की परिषद ने उसके पक्ष में धन्यवाद का प्रस्ताव किया है। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया व गुणगान भी किया है। हमें यह भी अच्छी तरह मालूम है, मेरा विश्वास है कि सारी दुनिया को मालूम है कि आप भी मानेंगे कि ताज की ओर से क्षमा प्राप्ति के यह अर्थ नही कि यहाँ उस पर बहस न हो या संसद सदस्य उस पर मुकदमा न चलायें, फिर यह क्षमा तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्राप्त हुई है। हो सकता है कम्पनी भी इस अपराध में किसी अंश में शामिल हो जो हमें इसके लिए विवश करे कि उसे क्षमा देने के अपराध मे हम कंपनी को सजा दें। अगर कोई संस्था अपराधी के अभियोग में भागीदार होती है तो उसका उत्तर उसे देना ही पड़ेगा।

यह पार्लमिंट के न्याय की पद्धति रही है कि वह इस प्रकार के विरोधी वाद-विवाद, चालबाजी और गुप्त रीति की चतुराई को बन्द करे। यह पार्लमिंट की पद्धति, अधिकार और योग्यता की सीमा के भीतर है। लोगों के कारनामों को कसौटी पर कसा जाता है। अंधेरे में किये गये कामों का निर्णय दिन के उजाले में होता है। इन निर्णयों में दूसरों की दूषित रायों का प्रभाव न मान कर कामों के गुण-दोष की उचित परख होती है। इसका भी हम उस पर अभियोग लगाते है कि उसने डायरेक्टरों की परिषद को भी घूस दिया या प्रभावित किया कि उसके कर्तव्य में हुए अपराधों को भुला कर उसे वे धन्यवाद दें।

यह सच है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे धन्यवाद दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिये था, और उसने ऐसा जो किया यह उसके चरित्र पर आक्षेप है। डायरेक्टरों ने सामूहिक रूप में उसकी तारीफ की लेकिन साथ ही उसके हर काम की भर्त्सना भी की। उसके सभी कारनामों की एक-एक करके परख की गई। मुझे याद नहीं कि कोई भी कार्य छूटा हो जिस पर कम्पनी ने उसे दोषी न माना हो और अंत में आपके सम्मुख सब कुछ आपके न्याय के लिए लाया गया है। एक स्थान पर उसने इस बात की चर्चा भी की है कि उस पर अभियोग लगाए गए।[1] वह कहता है, इसी दोषारोपण में मुझे सजा भी मिल चुकी है।" शायद किन्ही और कारणो से डायरेक्टरो ने कहा हो, "हम आप की सेवाओ के लिए आपको धन्यवाद देते है।" तो हम भी इसे स्वीकार करेंगे। मै भी अगर उसकी सेवाओ के बारे मे जानूं तो मै भी उसे धन्यवाद दूँगा। पर मै नही जानता, वे जानते होंगे। उन्हे उसे सेवाओ के लिए धन्यवाद देना भी चाहिए। लेकिन मुझे तो आदेश है कि उसके अपराधो के लिए मै उसे दोषी या अपराधी सिद्ध करूँ। इस बात में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी है। पर श्रीमान को समझना चाहिए कि यह बात उसके अपराधो को और अधिक गंभीर बना देती है कि उसने अपने अपराधो पर परदा डालने के लिए ही ईस्ट इंडिया कम्पनी से धन्यवाद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए, जब कि कम्पनी के खाते मे उसके नाम वे सभी अपराध लिखे रहे जिनके कारण वह आज आप के सम्मुख उपस्थित है।

वह कहता है कि उसके पक्ष में भारत के बादशाहों व राजाओ के प्रमाण पत्र है। लेकिन क्या हम नही जानते कि उस देश मे राजा की मुहर कैसे प्राप्त की जाती थी ? क्या हम यह नही जानते कि वहाँ राजा कैसे बनाए जाते थे ? और अपने प्राण के लिए अगर वे प्रमाण पत्र दे तो आश्चर्य क्या ?

मै समझता हूँ कि उसने अवध के उन दुखी नवाबो से धन्यवाद पाया होगा जिन्हे उसने जेलों में ठूंसा, जिनकी सम्पत्ति उसने छीनी।

उन्होने उसके वहाँ से आने पर धन्यवाद दिया होगा। और मै तो कहता हूँ कि यदि उन्हे यह मालूम हो कि वह अब कभी लौट कर उनके बीच न जाएगा तो वे सैकडो धन्यवाद के पत्र उसे देते। मुझे पता लगा है कि माधव जी सिंधिया ने व्यर्थ ही उसकी स्तुति नही की। यह बात हम व्यंग्य में नही कहते बल्कि उन अपराधों के आधार पर जो आप के सम्मुख प्रस्तुत है। जब हम यह सिद्ध करने में समर्थ हो जायेंगे कि उसने वहाँ के रजवाडो को किस हद तक सताया है, और परेशानी व कष्ट के किस गढे में लाकर ढकेला है तब यह भी सिद्ध हो जायगा कि ये स्तुति पत्र या तो बनावटी है या जोर-जबरदस्ती से लिखवाए गए हैं। अगर

---

१. पहले अपराध के उत्तर में मिस्टर हेस्टिंग्स का बयान देखिए।

यह सिद्ध हो जाय कि मैंने किसी व्यक्ति को लूटा और सताया है और उसी से अपने सद्व्यवहारों के लिए प्राप्त स्तुति पत्र मैं प्रस्तुत करूँ तो क्या यही इस बात का प्रमाण न होगा कि मेरे कारण वे लोग किस आतंक के क्षणों में रहे होंगे ?

श्रीमान, यही है हमारे लगाए अपराधों की पृष्ठभूमि। अब मैं बन्द करता हूँ और श्रीमान के संतोष के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय मैं आप को सौपता हूँ। मेरे कहने का यह आशय कदापि नहीं कि आप में से कई श्रीमान अपनी जाँच के माध्यम से इन बातों को और अच्छी तरह से नही जानते है, लेकिन आप की याद को ताजा बनाने व उन घटनाओं की परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए जिनसे ऊँचे लोगों का अपमान किया गया है, मैंने अपराधी के कार्यो व सिद्धान्तो का विस्तार मे वर्णन किया है, उन कानून का जिक्र किया है जिनकी उसने अवहेलना की है और जिस विधान पर वह निर्भर था, या जिन बातों द्वारा वह अपराधो से मुक्ति चाहता है, उनका मैंने खण्डन किया है। अब मैं इस विषय में अधिक न कह कर चुप होता हूँ, इस आशा व विश्वास के साथ कि जब मैं फिर इन अपराधों के प्रमाण लेकर आप के सम्मुख उपस्थित होऊँगा तब भी आप मुझे इसी प्रकार शांतिपूर्वक सुनेंगे। यदि मैंने आपका बहुत अधिक समय नष्ट किया है तो यह केवल इस भावना से कि यह बहुत उलझा, पेचीदा और कठिन मामला है, अपने ढंग का अकेला जो किसी अदालत के सामने कभी आया हो। इसीलिए इतने विस्तार से मुझे सब कुछ कहना पड़ा। और अब यदि श्रीमान मुझे आज्ञा देंगे तो मैं मुकदमे के भविष्य के पैरवी के तरीके की रूपरेखा प्रस्तुत करूँगा।

सर्वप्रथम मै आप के सम्मुख, प्रकृति व वर्ग के अनुसार क्रमबद्ध रूप मे अपराधो को प्रस्तुत करूँगा। पहले तो मैं सिद्ध करूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स के अपराधो की जड़ वही है जो बुराई की नींव है। इसने स्थानीय सरकारों की बिक्री की, ब्रिटिश सरकार और सहयोगियों की बिक्री की, सरकार के राजस्व का उपयोग वहाँ के राजाओं में फूट डालने मे किया। फिर मैं दिखाऊँगा कि कम्पनी की आमदनी के रास्ते बन्द करके उस पर मुसीबतें लाद कर उसने वाह्य शक्तियो का सहारा लिया। फिर मै बताऊँगा कि बनारस के मामले में क्या-क्या धूर्तता हुई है जिस राज्य पर उसने पहले हाथ साफ किया। फिर अवध को बेगमों का मामला।

फिर मैं बताऊँगा कि किन तरीकों का उसने प्रयोग किया उस देश को नष्ट करने में—रेजीडेंट, गुप्तचर, ब्रिटिश दलाल के माध्यम से।

अब मैं श्रीमान के सामने जो मामला लाना चाहता हूँ वह है मिस्टर हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार का, उसके घूसखोरी के ढंग का, और श्रीमान को बताना चाहूँगा कि इन सब का क्या परिणाम हुआ क्योंकि पहले तो या प्रथम दृष्टि में घूसखोरी या भ्रष्टाचार इतना भयानक मामला नहीं लगता, बल्कि लगता है कि बहुत थोड़े से

रुपये केवल एक जेब से दूसरे जेब में आ-जा रहे है, लेकिन मैं पूर्णरूप से सिद्ध करूँगा कि इस साधारण ढंग की साधारण सी घूसखोरी या भ्रष्टाचार से कोई देश कैसे मिट्टी मे मिल जाता है।

मै अपनी पूरी योग्यता से जितनी अच्छी तरह संभव होगा या आवश्यकता होगी तो विस्तार से भी श्रीमान से प्रार्थना करूँगा। न्याय की सुरक्षा मिलना आवश्यक है क्योकि आप का न्याय ही राज्य के अन्य न्यायो के लिए आधारशिला होगी।

पाँचवें दिन की कार्यवाही

[१७ फरवरी, सन् १७८८]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, पार्लमिंट द्वारा इस मुकदमे को चलाने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं श्रीमान से निवेदन करूँ कि बड़ी सतर्कता व ध्यानपूर्वक उन्होंने इस मामले को परखा है जिसे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है।

श्रीमान, इस रूप में यह बहुत संक्षेप में है कि यदि मैं प्रत्येक विषय के प्रारम्भिक रूप में ही जाऊँगा तो यह, प्रारंभ में ही अविचारपूर्ण कार्य होगा। बड़े ध्यानपूर्वक प्रारम्भिक बातों को हमने देख व परख लिया है। हमने घटनाओं व उनके समय का भी सतर्कतापूर्वक निरीक्षण कर लिया है, जिससे कम से कम समय मे ही हमारी यह लड़ाई समाप्त हो। श्रीमान के सम्मुख विषय को सीधे व प्रमाणो को भी साथ-साथ प्रस्तुत करूँगा।

मैं श्रीमान का तनिक भी समय नष्ट नही करना चाहता, न किसी भी विषय को अधिक विस्तृत करना चाहूँगा।

मैंने बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर के अपराधों का क्रम यह रखा है—अपराधो का जन्म व विकास, अपराधों का आपसी सहयोग व उनकी प्रगति। मैं सर्वप्रथम श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत करूँगा कि अपराधों की नीव बुराइयों की जड़ है। जनता के सम्पत्ति कीं लूट व ईस्ट इंडिया कम्पनी के खजाने की बरबादी से कम्पनी का सर्वनाश हुआ।

श्रीमान, आज मुझे यह बताना है कि गवर्नर जनरल द्वारा किए गए अपराधो की जड़ क्या है ?

श्रीमान, यह आवश्यक है कि मैं सभी भ्रष्ट तरीकों के इतिहास को सामने रखूं जिनके कारण भ्रष्टाचार पनपता है। मैं कहूँगा कि ऐसा एक भी उदाहरण न मिलेगा कि जिसमें अत्याचार, भ्रष्टाचार, क्रूरता और आतंक का प्रमाण न हो और भ्रष्टाचार का मामला बन जाय।

श्रीमान, गत शनिवार को मैंने श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत किया था कि किन आधारों पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने भारत में राजकाज चलाया और उन्हीं पर उसकी प्रतिरक्षा भी निर्भर है। उन समस्त आधारों के लिए एक शब्द है—पंचायती

अधिकार। श्रीमान अगर मिस्टर हेस्टिंग्स को संतोष है कि जिस सरकार का वह प्रमुख था उसके तरीके और जिन पर वह आश्रित था वह एक तरीका था मानवता के लाभ का, क्योंकि शायद इस विषय मे कुछ कहा जायगा कि उसने इतने जंगली बन्दरो, और कमजोर राष्ट्र को उचित रास्ते पर लगाया। इस दृष्टि से उसके कारनामो की प्रशंसा भी हो सकती है। जब वह कहता है कि उसने पचायती अधिकार के आधार पर कार्य किया तब वह परिणामो के प्रति असतर्क न था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने पहले ही देख लिया था कि इस पद्धति का फल भ्रष्टाचार ही होगा। पंचायती अधिकार पद्धति सदा ही भ्रष्ट होती है। श्रीमान, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नही हुआ जो माने की कही कोई कानून नही है, केवल उसकी अपनी इच्छा है, जो केवल यह समझे कि सबका अंत केवल इनका व्यक्तिगत लाभ है। भ्रष्टाचार और पंचायती अधिकार, दोनो परपरागत एक दूसरे के जन्मदाता है। मिस्टर हेस्टिंग्स को पहले ही दिख गया था कि परिणाम भ्रष्ट होगा फिर भी वह अपने आचरण के समर्थन में उस पद्धति की आवश्यकता पर जोर देता है। दुनिया के लिए यह नई चीज है, क्योकि ऐसा कोई आदमी कभी न था जो पंचायती अधिकार पर प्रसन्न होता, या जानता न होता कि यह पद्धति गलत है या सही। ऊपर आप अपने सामने रखे गए प्रतिक्षण के बयानो को देखे तो आप पावेगे कि जिस पद्धति द्वारा वह सचालित होता था और जिसके आधार पर वह अपने को न्यायपूर्ण सिद्ध करना चाहता है वह पद्धति उसे पहले ही अपने गर्भ मे हजारो बुराइयाँ और हजारो बदमाशियाँ छिपाए दिखाई पडी थी।

दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण और अपने ढग की अकेली है जिसके सिद्धान्त पर गवर्नर जनरल ने कार्य किया, कि जब वह पापपूर्ण पद्धति मे संलग्न था जो सीधे अनुचित परिणामो की ओर अग्रसर होती थी, वह अपने को विवश समझता कि वह जाने कि इस पद्धति मे कितने भयानक परिणाम जुडे हुए थे। और दूसरे लोगो ने बिल्कुल विपरीत मार्ग अपनाया है। उन्होने कहा, मै एक बुरी पद्धति का शिकार हो गया जो स्वाभाविक रूप से उपद्रवी परिणामो की ओर ले जाती है, लेकिन अपनी शक्ति भर हमने सतर्कता बरती कि पद्धति के दोष से दूर रहे।

अब हम कहेगे कि न ही वह केवल पंचायती अधिकार द्वारा शासन चलाता था बल्कि दूषित ढंग से वह घूस का लेन-देन करता था और उस लेन-देन के लिए उसने एक पद्धति भी बना ली थी। हम श्रीमान से निवेदन करेगे कि आप स्पष्ट रूप से विचार करे कि उसने अचानक ही घूस का केवल लेन-देन ही नही किया, बिना किसी पद्धति या योजना के, केवल अवसरवादिता या क्षणिक लालच या लाभ ने उसे विवश नही किया बल्कि उसने सरकार की पद्धति को ऐसा बना लिया कि व्यक्तिगत लाभ के लिए घूस द्वारा सम्पत्ति इकट्ठी करे। मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकारी पद्धति ऐसी है कि मै समझता हूँ जिसे ब्रिटिश राष्ट्र भी अस्वीकार करेगा, क्योकि मैं

कहूँगा कि यदि कोई चीज है जो ब्रिटिश राज्य को दूसरे राष्ट्रों से महान सिद्ध करती है तो यह कि स्वराष्ट्र के राजकीय व न्यायकीय में विश्व के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम भ्रष्टाचार है, तब यह व्यक्ति अपराधों को उचित सिद्ध करने के प्रयत्न में है जिससे राष्ट्रीय चरित्र या कार्यविधि को भ्रष्ट करे। उसके अपराध में निश्चित रूप से कई ऐसी बातें हैं जिनसे पार्लमेंट भयभीत हो रही है, लेकिन घूमखोरी, खून से रंगे हाथ, एक देश के गवर्नर का गरीबों से घूस लेना ही सरकार को नीच बनाता है और मानवता की दृष्टि में नीचे गिराता है।

श्रीमान, यह निश्चित है कि हर अपराध का अपना अलग रंग-ढंग होता है। धार्मिक अदालत में इस पर छोटी भूल या अतिरिक्त ईर्ष्या का परदा पड़ सकता है। विजय इसके दोषों को ढँक सकती है और अपराधी मन में समझ सकता है कि वह राष्ट्र के लिए उपयोगी कार्य कर रहा है जिससे कि उसकी व्यक्तिगत उन्नति भी हो। लेकिन ऐसे गवर्नर का सिद्धान्त जो और कुछ नहीं, बस धन ही एकत्रित करे, उसमे राष्ट्र कभी उन्नति न कर सकेगा। यदि आप मिस्टर हेस्टिंग्स की योग्यता को देखें, जिनकी उसने बार-बार दुहाई दी है तो देखेंगे कि वह योग्यता क्या है? क्या उसने महान सुधारों द्वारा सरकार की भीतरी स्थिति को सुधारा? ऐसी कोई बात नहीं है या कहीं भी चतुर और दोपरहित राजकाज या न्याय का उदाहरण नहीं है। नहीं, क्या उसने सरकार की राज-सीमा को विस्तृत किया? नहीं, बल्कि राज-सीमा के घटने के ही अनेक प्रमाण यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन उसकी योग्यता की शान इस बात में है कि उसने वहाँ के गरीब निवासियों से खूब धन व रुपया चूसा और हड़पा, जितना संभवतः कोई एक व्यक्ति न कर पाता। अत्याचार, दवाव, हिंसा, लूट-खसोट और गरीबों को सता कर तथा अमीरों पर शक्ति के पंजे के दबाव से रुपया कमाने का उसका अकेला उदाहरण है।

यह हैं उसकी योग्यताएँ। हमने उस पर अयोग्यता के जो अपराध लगाये है वह भी इसी ढंग के हैं। निश्चित रूप से किए गए अत्याचार, विश्वासघात, क्रूरता आदि का उस पर जो अभियोग है, जिनसे कानून भी उसे मुक्ति नहीं दे सकता, उसमें रुपया प्रधान है। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा का सर्वप्रथम जो विचार पैदा हुआ था उसका आधार आवश्यकता व सुरक्षा थी फिर दूसरी इच्छा थी महत्वाकाँक्षा। यह महत्वाकांक्षा प्रायः विजय से पैदा होती है और यहाँ यह रुपयों की प्राप्ति से उपजी। लेकिन बाद में मिस्टर हेस्टिंग्स के कार्य-काल में धन व व्यापार ने इसका स्थान ले लिया। यदि उसने कोई राज्य स्थापित किया, चाहे उचित ढंग से या अनुचित ढंग से, इस विषय पर अभी मैं कुछ न कहूँगा, लेकिन जैसा वह स्वयं कहता है कि आपको बिना खर्च किए ही विजय के सारे लाभ मिले, जनता से बहुत बड़ी तादाद में धन मिला लेकिन उसके मनमाने उपयोग का अधिकार केवल एक व्यक्ति, गवर्नर को ही दिया गया। यह एकाधिकार,

एक व्यक्ति की मनमानी विजय की परम्परा से विपरीत है। अगर उसने कम्पनी के अधीन लोगो से किसी भी समय कितनी ही बडी रकम वसूली तो वह यह नही मानता कि अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उसने वसूली की। उसका कहना है कि जो भी आप के मातहत है उससे केवल अधिक से अधिक रुपये वसूलना ही एकमात्र ध्येय है। सक्षेप मे, मिस्टर हेस्टिंग्स के समस्त कारनामो का प्रारम्भ, मध्य और अन्त केवल रुपयो से ही सबधित है। कहने को तो यह सब कम्पनी के लिए था पर था वास्तव मे सब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए।

इस सम्बन्ध मे इतना कहने के बाद जिसे वह अपनी योग्यता मानता है और उसे हम उसकी अयोग्यता मानते है, अब दूसरा कदम होगा कि मैं श्रीमान के सम्मुख जितनी स्पष्टता से सम्भव है, उपस्थित करूँ कि ईस्ट इडिया कम्पनी व विधान की योग्यता व अयोग्यता के प्रश्न पर क्या धारणा थी।

श्रीमान, कम्पनी यह जानते हुए भी कि वहाँ हुए समस्त रुपये सम्बन्धी लेन-देन से १७६५ मे वहाँ स्थापित हुए नए साम्राज्य का पतन सभावित है, कम्पनी ने बहुत शक्तिशाली व पवित्र लोगो का एक दल वहाँ कार्य करने को भेजा, इस आदेश के साथ कि वे किसी प्रकार का उपहार स्वीकार न करेगे, उन चीजो को छोड कर जो कम्पनी के लाभ के लिए सार्वजनिक रूप म प्राप्त हो, या जमीन व धन जो किसी सधि या समझौते के माध्यम से प्राप्त हो। ऐसे हर उपहार जो गुप्त रूप से लिए जाते थे, या जो उनके आदेश व जानकारी मे नही होते थे, उनके बारे मे मै श्रीमान से बाद मे सब कुछ विस्तार से बताऊगा। उनकी धारणा थी कि उनके व्यक्तिगत कार्यो के लिए कुछ भी स्वीकार न किया जायगा पर हर प्रान्त मे बाहर स्थान पर लेन-देन की सधि हो सकती है और रुपये भी लिए जा सकते है पर उन्होने कम्पनी के कर्मचारियो व गवर्नरो को कठोर आदेश दे रखा था कि राजकीय कार्यो के लिए भी अपने क्षेत्र के प्रेसीडेन्सी की आज्ञा के बिना वे कुछ भी किसी भी रूप मे स्वीकार न करे। सक्षेप मे नई व्यवस्था का यह परिणाम था और श्रीमान देखेंगे कि घूसखोरी व उपहार का भ्रष्टाचार किस प्रकार कम हुआ।

जब यह दल पहले पहल भारत पहुँचा तो कम्पनी के कर्मचारियो ने उसका विरोध किया और तब तक उन्हे मान्यता नही दी जब तक उपहारो व घूस से अपने भडार को अच्छी तरह भर न लिया। कई महीने इस प्रकार बीत गये और जब लार्ड क्लाइव वहाँ पहुँचा तो उसने इस सुधारवादी दल का उद्धार किया और उन्हे अधिकार देकर शक्तिशाली भी बनाया। ठीक इसके बाद ही स्थानीय राज्यो से संधियाँ हुई जिसके फलस्वरूप शुजाउद्दौला अवध प्रात मे पुन.स्थापित हुआ और इसके बदले मे उसने कम्पनी को पाँच लाख पौड दिए। यह लेन-देन सार्वजनिक रूप से हुआ और शंका की कही भी कोई गुंजाइश न रही कि इसमे से एक पाई भी व्यक्तिगत रूप से खर्च हुई हो। लेकिन चाहे मिस्टर हेस्टिंग्स के सामने दूसरो के

उदाहरण रहे हों या नहीं पर इन उदाहरणों से .उसके घूसखोरी के अभियोग को सुरक्षा न मिल सकी। कम्पनी ने जान-बूझकर उसके अधिकारों में वृद्धि की। उस समय कम्पनी ने घोषणा की कि समस्त कार्य प्रणाली घूसखोरी व उपहार लेने की प्रथा से भ्रष्ट हो चुकी है। अपव्यय और आमोद-प्रमोद ने समस्त व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रखा है। उन्होंने न केवल मिस्टर हेस्टिंग्स की योग्यता में अपना विश्वास प्रकट किया, बल्कि उसके कारनामों को उच्चतम चरित्र की उपाधि भी दी। लेकिन हम उसके चरित्र को दूसरे ही रूप मे देखते है। कम्पनी के कर्मचारियो ने व्यापार बढ़ाया, हिसाब-किताब ठीक किया और उसे स्वयं अपने मामलो का ज्ञान न था, वह गरीब है या अमीर इसका भी ज्ञान न था, उसे यह भी ज्ञात न था कि दुनिया मे उसकी स्थिति क्या है। लोग सामने लाये गये है जो कह सकते है कि उन्हे उसके मामलों की पूरी तरह जानकारी थी। उसकी योग्यता का सम्मान करके ही कम्पनी ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसने घूस लेना तो बन्द न किया पर यह कहना शुरू किया कि उसके किसी कार्य से कोई अहित नहीं हुआ।

मैं श्रीमान के सम्मुख सुधारवादी दल की स्थिति का वर्णन कर चुका हूँ जिसे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भेजा था। बाद मे जब उन्होने देखा कि उनके ही कर्मचारियो ने उस दल को मानने से इन्कार कर दिया तो एक कमीशन भेज कर उसके द्वारा उन्हें मान्यता दिलाई गई। फिर तो कम्पनी ने कभी भी एक भी ऐसे व्यक्ति को भारत न भेजा जिससे यह विश्वास न प्राप्त कर लिया कि वह उपहार न स्वीकार करेगा। उस कमीशन के असफल होने पर दूसरा कमीशन भेजा जाने वाला ही था कि पार्लमिंट ने एक कानून बना दिया। और उसी कानून ने मिस्टर हेस्टिंग्स को अधिकार दिए। यह कानून केवल बाहरी ज्ञान या शिकायतों के बुनियाद पर ही नहीं बना था बल्कि श्रीमान उस समय की रिपोर्ट मे देखेंगे कि पार्लमिंट की दृष्टि के सामने वह सब प्रमाण थे कि उपहार के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था।

अब, श्रीमान, हर जिम्मेदार कार्यालय द्वारा घूस लेना सब ओर से बन्द कर दिया गया था। मिस्टर हेस्टिंग्स पर हर ओर से रोक लग गई थी। सर्वप्रथम राजकीय परिस्थितियों से, दूसरे सुधारक दल द्वारा, तीसरे पार्लमिंट के कानून द्वारा। तीसरे का एक ही आदेश था कि किसी रूप में भी उपहार न लिए जायें।

मैं श्रीमान के सम्मुख यह दिखाना चाहता हूँ कि इस कानून और इस सुधारक दल ने दूसरे ढंग से उपहार लेना आरम्भ किया—दूसरों के द्वारा यह शायद अधिक अचानक तरीका था, क्योंकि इसने अपराध को छिपाने का ढंग दिया और अधिक गड़बड़ी पैदा हुई। मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है और यही मिस्टर हेस्टिंग्स की बड़ी शिकायत है कि उसे दूसरे व्यक्तियों के कारनामों का उत्तर देने

को विवश किया जाता है।

लेकिन जब एक गवर्नर कम्पनी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना चाहता है और बल प्रयोग द्वारा उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा देता है तो वह दोहरी जवाबदेही का भागी हो जाता है। जिन व्यक्तियो का वह नाम लेता है यदि वे लोग गदे, व चरित्रहीन है तो उनके कारनामो की जवाबदेही भी उसके साथ जुड जाती है।

हम बहुत अच्छी तरह जानते है कि गवर्नरगण लगातार अपने ही हाथो घूस नही ले सकते, अन्यथा उन्हे अपने शरीर मे इतने हाथ बनाने होगे जितने भारतीय मदिर की मूतियो के होते हे। राजकाज तो कई कार्यालयो मे बिखरा होता है और उतने ही अधिकारी भी होते है जो घूस का लेन-देन करते हे। इस काम के लिए अनगिनत गोरे व काले दलाल होते हे। गोरे तो घूस लेने मे बहुत हिम्मतवर व प्रत्यक्ष होते हे पर काले लोग तो बडे चुप्पे और रहस्यपूर्ण होते है। योरोपियनो की तरह वे दिलेर नही होते। उन्हे डर भी लगता है। अत वे योरोपियनो के किए पापो को भी छिपाने व पचाने की हिम्मत रखते हे। इसीलिये मिस्टर हेस्टिंग्स के पास एक, दो, तीन नही बल्कि अनगिनत काले दलाल थे जो सारे देश मे बिखरे हुए थे। वे इतने चतुर होते थे कि किसी एक लेन देन के व्यापार की बात आपस मे भी एक दूसरे को नही मालूम होती थी। एक घूस कई बार के भुगतान मे बॉट कर कई बार मे पूरी होती थी। एक हिस्सा एक काले दलाल द्वारा व दूसरा हिस्सा दूसरे काले दलाल द्वारा पूरा किया जाता था। अत एक घूस के लेन-देन को एक सौदा नही बनने दिया जाता था।

बगाल मे उसकी सरकार का प्रथम परिच्छेद बहुत शक्तिशाली व असाधारण था जो मेरी समझ से किसी और के दिमाग की उपज हो ही नही सकता था। यह एक सार्वजनिक उपहार से न कम था न अधिक। समस्त शाति के समय सार्वजनिक अपहरण। यह देखने मे चाहे जितना अजीब लगे, पर उसने अपहरण किया। वहाँ की जमीन का मालिक अपने को मालिक न समझता, बल्कि सरकार के अन्तर्गत अपने को एक किसान समझता और वे थोडे से जो अपनी जमीदारी मे बने रहने की आज्ञा पा सके थे वे भी उसकी आज्ञानुसार ही वसूली करते थे।

श्रीमान से यह बताना आवश्यक है कि बगाल का राजस्व अधिकाश स्थानो मे दैशिक राजस्व है। इस प्रकार की जमीदारी या वहाँ के लोगो के अधिकार की बात मै राजस्व पर चर्चा करते समय ही बताऊँगा। यहाँ तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स के महान् भ्रष्टाचार के एक नमूने के रूप मे ही इसे देखा जाय।

जब प्राचीन परम्परा वाले राजाओ की सम्पत्ति का अपहरण हुआ, और इस पैमाने का अत्याचार किया गया तो इसँमे सन्देह नही कि किसी अच्छाई की

आशा में ही किया गया। यह अपहरण मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा किया गया और किसानों को केवल पाँच वर्ष के लिए जमीन दी जाती थी। उसने जमींदारों व रियासतों का अपहरण करके छोटे किसानों में किराए पर उठाना आरम्भ किया जिससे कि जान सके कि उससे वह अधिक से अधिक कितना प्राप्त कर सकता है। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा कि बहुत अधिक किराया आ सकेगा। लेकिन पाँच वर्ष के अंत में क्या आप सोचते है कि असफलता ही हाथ लगी? २,२५०,००० पौंड से कम न मिला था। बस तभी से भ्रष्टाचार के लिए एक नया रास्ता खुल गया कि बची रकम को कैसे काम में लगाया जाय, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस व्यापार से सम्बंधित था वह सरकार का कर्जदार था और उस कर्ज से उसकी मुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी। फिर जो लोग यह कर्ज निपटवाने वाले थे वे ही यह देखनेवाले भी थे कि कितना कर्ज पट सकता है, वे ही पक्षपात करने की स्थिति में भी थे। जमीन के मालिकों को सर्वप्रथम अपनी ही जमीन का काश्तकार बनाया गया। फिर बची जमीन दूसरो को किराए पर दी गई। फिर कर्ज की वसूली के नाम पर अपने नाम लिखा ली गई।

जिसने भी भारत के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति रखी और उस संबंध में वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुना है वह उसके एक बनिया, कन्तू बाबू का नाम अवश्य जानता होगा। कम्पनी के कागजातो में इस व्यक्ति का नाम खूब और कई स्थानो पर आया है जो उसके लिए गुप्त उपहार लेने व अपहरण करने वाला दलाल था। जब कम्पनी ने यह कानून बनाया कि कोई भी कलक्टर या राजस्व से सम्बन्धित व्यक्ति इन जमीनो से सम्बन्ध न रखे। मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस कानून के विरुद्ध आचरण किया और बहुत सी जमीन अपने बनिया को दे दी।

इस समय जो एक और कानून बना वह यह था कि कोई भी किसान (विशेष अवसरों को छोड़ कर) सरकार को प्रति वर्ष दस हजार पौंड लगान देने की जमीन से अधिक का मालिक नहीं बन सकता। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उस बनिया को जमीन देने के नाम पर पहली राजाज्ञा का उल्लंघन किया। फिर दूसरी राजाज्ञा का उल्लंघन करने की उसने शक्ति दिखाई और दस हजार पौंड वार्षिक लगान वाले के स्थान पर एक लाख तीस हजार पौंड लगान वाली जमीन दी। कन्तू बाबू के साथ मिस्टर हेस्टिंग्स का क्या मामला था? मिस्टर हेस्टिंग्स ताजा ही ताजा सरकार में आया था और कन्तू बाबू एक साल पहले से नौकरी में था अतः पहले से उनकी मित्रता की कोई संभावना न थी। ये लोग आपके घर में नही रहते। हिन्दू नौकर कभी घर के भीतर नहीं सोते थे, ये आपके नौकरों के साथ खाना नही खा सकते। ये लोग अधिकांश घर से बाहर ही रहते। लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। कन्तू बाबू के साथ मिस्टर हेस्टिंग्स का सम्बन्ध केवल एक वर्ष पुराना था। पहले वह मिस्टर साइक्स के पास नौकर था, उसी ने मिस्टर हेस्टिंग्स से उसका परिचय कराया था।

अभी तक मैं भ्रष्टाचार के महान व बदनाम ढंग के प्रारंभ के बारे मे बोल रहा था। उस ढंग की अपनी कई शाखाएँ थी, बुराइयों के अनेक ढंग थे और तब से आज तक उन बुराइयो से वह देश प्रभावित है। मैं कहूँ कि सबसे बडा व गंभीर अपराध यही है जो आप के सम्मुख है। मै समझता हूँ कि मुझे यह बताने की आवश्यकता नही है कि एक प्रकार से उस देश की समस्त भूमिगत सम्पत्ति को इस प्रकार नीलाम करने का प्रयत्न किया गया और उसके जो भयानक परिणाम निकले उस ओर ही ध्यान देना आवश्यक है।

श्रीमान, अब मैं एक दूसरे प्रकार के छल या अपहरण की वात बताऊँगा जिसमे न्यायालय की बिक्री का, परिवारो के उत्तराधिकार की बिक्री, पालक या रक्षक पद की बिक्री, और भारत के लोगो के विश्वास की बिक्री व अपहरण का मामला है। उनकी बिक्री द्वारा, जैसे पहले किसानो से या जैसे पहले की घटनाओ के आधार पर आप कल्पना कर कि किसी प्रकार कम्पनी का लाभ हुआ हो पर ऐसा नही, ये सब कुछ, सम्मान व प्रतिष्ठा तक की बिक्री, पूर्व मालिको के नौकरो के हाथो की गई। उनके दगाबाज नौकरो का ही उनके मालिको की बरबादी मे बड़ा हाथ था। कर्जो के वढने के जिम्मेदार वे थे। अपने-अपने राज्यो मे वे ही नौकर उच्चतम अधिकारी बनाए गए। यही नही, मिस्टर हेस्टिंग्स ने बहुत छोटे व लज्जाजनक मूल्य पर उन परिवारो व रियासतो को भी नौकरो के हाथो सौप दिया। इस मामले के बीच ही मे श्रीमान के सम्मुख यह स्पष्ट हो जायगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह सब एक दूसरे पवित्र ढग से किया था जो दूसरे यानी उन वकीलो, प्रतिनिधियो व एटर्नी के माध्यम से जो अपने मुसीबत के मारे मालिको की पैरवी के लिए कौंसिल जनरल की अदालत मे पेश होते थे। यह सिद्ध हो जायगा कि वे वकील मिस्टर हेस्टिंग्स के थे और उसने उन्हे किराए पर ले रक्खा था कि वे कलकत्ता जाकर अपने मालिको के प्रति किए गए अत्याचारो व अन्यायो की फरियाद व पैरवी करें। न्याय की बिक्री, परिवारो के उत्तराधिकार की बिक्री, पालक पद की बिक्री और दूसरे विश्वासो की बिक्री, मालिको का नौकरो के हाथो बिकना, या वकीलो व अटर्नियो के हाथो बिकना जिन्हे पैरवी के लिए नियुक्त किया था, सभी एक ही मशीन के पुरजे थे। यही सब तरीके थे जिनके द्वारा वह घूस प्राप्त करता था।

१७७३ मे जब मि० बारवेल, जेनरल क्लेवरिंग, कर्नल मानसन और मिस्टर फ्रैंसिस के साथ वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तब कम्पनी ने उनके पुराने भ्रष्ट कारनामो को जानते हुए भी (तब तक यह ज्ञात नही था कि समस्त भ्रष्टाचार का जिम्मेदार मिस्टर हेस्टिंग्स ही था) उन्हे अधिकार दिया, पार्लमेंट के कानूनो के पालन के लिए, वहाँ हुए भ्रष्टाचार के कारणो का पता लगाने के लिए। आप श्रीमान जानेगे कि कानून ने सीधे रूप मे डायरेक्टरो की परिषद् को

अधिकार दिया कि वे एक आदेशपत्र बनावें और पार्लमिंट के कानून के अन्तर्गत रखे गए नए कर्मचारियों द्वारा कार्य करावें जिससे कि वे पूरी तरह डायरेक्टरों के प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी बन सकें।

कौंसिल में दो दल रखे गए—मिस्टर हेस्टिंग्स और मिस्टर बारवेल जिन्हे स्थानीय जानकारी के कारण चुना या रखा गया और अन्य तीन को उनकी योग्यता व महान सेवाओं के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि तीनों सज्जनों ने भारत में अपने कर्तव्य का पालन इस कुशलता से किया कि वे इंगलैंड की प्रतिष्ठा के लिए ढाल सिद्ध हुए।

उन्होने पाया कि समस्त देश में छल, अपहरण और अत्याचार की कहानियाँ प्रसिद्ध हो रही हैं। शीघ्र ही जब उन्हें मालूम हो गया कि उन्हें क्या आदेश है, कि गवर्नरों का यह भी कर्तव्य है कि चाहे विशेष रूप से आदेश न होने पर भी वे देश के किसी भी भाग में हुए व्यभिचार व भ्रष्टाचार या अपहरण के संबंध में शिकयातें स्वीकार करें तो उन्होंने पाया कि हर स्थान पर, हर दफ्तर में, जीवन के प्रत्येक पग-पग पर भ्रष्टाचार व अपहरण, पवित्र संस्थानों की बिक्री, देश के प्राचीनतम परिवारों की बरबादी का इतना बड़ा इतिहास व भंडार यह है, जो अपने आप में एक अकेला उदाहरण है कि, इतने थोड़े समय में कही दुनिया में इतनी अधिक बुराइयाँ नहीं फैली।

श्रीमान, आप सोचेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जनता की इन उचित माँगों को प्रकट करने में अवश्य ही थोड़ा बहुत विरोध ही किया हो। परन्तु अफसोस ! यह उसकी शक्ति के भीतर न था। मै सोचता हूँ कि एक नही, कई ऐसी उचित माँगे थी जिनमें व्यक्तिगत रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मिस्टर हेस्टिंग्स सम्मिलित न था। दूसरे बहुत से लोग इसमें जुडे हुए थे क्योकि सभी सरकारी विभाग पूरी तरह भ्रष्ट थे। लेकिन इतना होने पर भी आप को इस मामले का एक भी ऐसा पृष्ठ न मिलेगा जिसमें मिस्टर हेस्टिंग्स या कन्तू बाबू का नाम न जुड़ा हो। इन सभी लेन-देन व व्यापार मे लगातार मिस्टर हेस्टिंग्स अच्छे या बुरे रूप मे संबंधित अवश्य रहा।

अन्य लोगो के संबंध मे मुझे अभी कुछ भी नही कहना है जो प्रत्यक्ष रूप में इसमें सम्मिलित थे। ऐसे अवसर पर कोई व्यवस्था करने के बजाय मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने साथियो या कौसिल के बहुमत, पार्लमिंट के कानून या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारो का विरोध किया जिससे कि इन जाँच-पड़तालों का काम रुक जाय। जब भी कौंसिल ने अपने कर्तव्यो को निभाना चाहा, इसने कौंसिल में तोड़-फोड़ की। उस पर जब प्रमाणों का दबाव पड़ा तो उसकी ओर से भी जाँच में बाधा का प्रयत्न बढ़ता गया। इन प्रयत्नों के कारण इसके विरुद्ध मिले प्रमाण और अधिक प्रमाणित सिद्ध होने लगे।

श्रीमान ने सुना, कि इन भ्रष्टाचारों के प्रति उचित माँग करने वालों मे देश

का एक बहुत प्रभावशाली व प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था नंदकुमार, जिसके पास एक लाख पचास हजार पौंड प्रतिवर्ष की रियासत थी और उस पर जो छोटे पापों का अभियोग लगाया जाता है. यदि उतने छोटे खेल वह करना चाहता, जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कागजातो मे लिख कर दिया है तो उसे बड़े अपराध न करने पड़ते।

सर्वप्रथम, वह इतना शक्तिशाली और योग्य था और ऐसी बड़ी रियासत का सर्वेसर्वा था जहाँ से मिस्टर हेस्टिंग्स को पर्याप्त धन घूस के रूप मे मिला। वह और उसका लड़का दोनों ही, सारे व्यापार के कर्ताधर्ता थे। अतः उस पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने यही अभियोग लगाए कि उसने उसे गालियां दी और अपमानित किया है।

नदकुमार के व्यक्तिगत चरित्र पर मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा ऐसे छोटे छोटे आरोप लगाये जाने का कोई अर्थ नही है। उसे हम उतना ही बुरा माने जितना कि मिस्टर हेस्टिंग्स उसे बताते है। मै समझता हूं कि वह एक गुट्टबाज, चतुर, चालाक एव तीव्रबुद्धि का राजनीतिज्ञ था। यदि नंदकुमार को मिस्टर हेस्टिंग्स अपराधी कहता है तो हमे नदकुमार को उतना ही योग्य भी समझना चाहिए। मिस्टर हेस्टिंग्स पर अभियोग लगाने वालो में तो वह सबसे बडा है ही। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसके चरित्र व योग्यता दोनो ही के बारे मे उसकी महानता सिद्ध कर दिया है—उसे मुहम्मद रजा खाँ के विरुद्ध खडा करके। किन अर्थो मे मिस्टर हेस्टिंग्स, मुहम्मद रजा खाँ से अधिक अच्छा है? नंदकुमार ने जो भी घूस दिया अनेक प्रमाणो और गवाहो के बयानो मे भी वह स्पष्ट देखा जा सकता है।

अपराध क्या था? किस अर्थ मे अपराध की योग्यता पर सन्देह या शका की जाए? क्या ऐसी नियुक्ति जैसी कि मुन्नी बेगम की थी, वह अपने आपमे सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध प्रमाण नहीं स्पष्ट करती? जब घूसखोरी का अभियोग उस पर आता है तो आप उसे न मानने को प्रस्तुत रहते है, जैसे उस आदमी की नीयत पर शंका की सभावना ही न हो या मिस्टर हेस्टिंग्स जैसे व्यक्ति पर घूसखोरी का अभियोग लगाना एक असभव सी बात हो? ऐसा क्यों? उसने घूसखोरी को भी एक व्यवस्था का रूप दिया। वह इसमे भी महानता दिखाता है। वह इसे योग्यता मानता है और कम्पनी की प्रतिष्ठा बढाने मे उसे ही एकमात्र साधन मानता है। फिर उसके द्वारा हुए अपराधो को असंभव आप क्यो न माने? लेकिन इन कारनामो को मैं लज्जाजनक व वीभत्स के अलावा कुछ नही कह सकता।

श्रीमान, जब यह व्यक्ति मिस्टर हेस्टिंग्स पर अभियोग लगाने वाले के रूप मे सामने आता है, यदि वह बुरे चरित्र वाला व्यक्ति था तो दुश्चरित्र द्वारा अभियोग लगाया जाना मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए बचाव में लाभदायक सिद्ध होगा।

जिन लेन-देन का जिक्र मैने आपसे किया, उनमे से एक व्यापार मे इस

व्यक्ति ने रुपयों का गबन किया, कुछ नई खोजें कीं और दोषी सिद्ध हुआ, भारत में हुए पापों के लिए और अपहरण के लिए। फिर एक दूसरा रहस्य खुला, नंदकुमार ने मिस्टर हेस्टिंग्स पर सीधा अभियोग लगाया है कि उसने स्वयं हेस्टिंग्स को चालिस हजार पौंड घूस के रूप में दिया, अपने व मुन्नी बेगम के हिसाब में। इस अभियोग के साथ पूरा विस्तार व ब्योरा भी बताया गया जिससे अकाट्य प्रमाण, समय, स्थान, संबंधित व्यक्ति सबका स्पष्ट खुलासा मिलता है कि किसने दिया और किसने प्राप्त किया। मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए यह सुनहरा अवसर था कि वह अपने शत्रु से पूरी तरह बदला लेता और दुनिया के सामने अपने सच्चरित्रता का परिचय देता। लेकिन उसने दूसरा रास्ता अपना लिया। उसने जाँच-पड़ताल को चलने देने में रोड़े अटकाए, कौंसिल तोड़ने की कोशिश की; अपने बनियों को जाँच में सहयोग देने से रोका। लेकिन कौंसिल अपना काम करती रही, अन्त तक जाँच-पड़ताल करती रही, अपराधों की सिद्ध किया और निर्णय दिया कि घूस मे लिये गये रुपये कम्पनी के पास जमा किए जाएँ। तब मिस्टर हेस्टिंग्स ने कौंसिल तोड़ दी, मैं यह तो न कहूँगा कि उचित ढंग से या अनुचित ढंग से। कम्पनी के कानूनी सलाहकार ने सोचा कि वह ऐसा कर सकता है, पर उसने अनुचित ढंग से यह किया कि मानवता के लिए न्याय का कोई रास्ता न छोड़ा बल्कि इस कार्य से अपने पापों व अपराधों पर परदा डालने के लिए उसने कानूनी शक्ति का दुरुपयोग किया अनेक भ्रष्ट व गंदे कार्य के लिए बहुत गंदे व लज्जाजनक ढंग से। इसी तरह सब कार्य होता रहा। अंत में हेस्टिंग्स ने नंदकुमार के विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा दायर किया।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने ऊपर लगाए गए अपराध के विरुद्ध आरोपित करने वाले पर हमले किए। उस व्यक्ति से आमने-सामने मिलने के स्थान पर चारों ओर चक्कर लगाया और उसके लगाए गए अपराधों का कानूनी रूप से सामना करने से भागता फिरा। यदि नंदकुमार के बयान व पक्के प्रमाणों के आधार पर घूसखोरी सिद्ध नहीं होती तो भी पाप को दबाने के लिये उसका प्रयत्न डायरेक्टरों के परिषद की आज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन है। उसने उन आदेशों की अवज्ञा की और यदि यह केवल आज्ञा-उल्लंघन और स्वामी के विरुद्ध विद्रोह है तो मैं उन पर अवज्ञा व अनुशासनहीनता का अपराध लगाता हूँ।

फिर उसने दूसरी चाल चली, उसने नंदकुमार को एक षड्यंत्र का जिम्मेदार कहा। यह उसकी पुरानी आदत है कि वह जिसे भी हराना या गिराना चाहता है, उसे किसी षड्यंत्र में जोड़ देता है।

यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि इतिहास की एक विशेष परिस्थिति की चर्चा करूँ कि विधान परिषद जो अपने गवर्नर जनरल और कौंसिल पर विश्वास न करे तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध न्याय द्वारा सुरक्षा दिलाने के लिए दूसरी अदालत का

निर्माण करे और जिसे दोषी पावे उसे उचित दण्ड दे। इस अदालत ने सचमुच बहुत लाभ पहुँचाया।

मिस्टर हेस्टिंग्स इस अदालत की ओर दौडा जिसने घूसखोरी और भ्रष्टाचार की खबरें देने वाले जासूसो की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी थी। उसने इस अदालत को यह विश्वास दिलाना चाहा कि नंदकुमार और दूसरे लोग जो उसके विरोधी है, वे सभी षडयंत्र मे शामिल है।

एक आदमी षडयंत्रकारी के रूप मे सजा पाकर भी सरलता से जी सकता है। आप खबर देने का काम दूसरे के द्वारा भी चला सकते है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति कुछ विचित्र तरह मे उलझी हुई है। नंदकुमार ने हेस्टिंग्स पर अपराध घोषित करने के बहुत पहले ही जान लिया था कि वारेन हेस्टिंग्स उसके सर्वनाश की योजना बना रहा है और इस कार्य के लिए उसने एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकडा है जिसे उसने अपने दरवाजे के बाहर निकाल दिया था। उसका नाम था मोहन प्रसाद। मिस्टर हेस्टिंग्स ने अदालत मे वे कागजात देखे थे जिनमे उस पर नदकुमार के प्रति किए गए षडयत्र का अभियोग लगाया गया था, और इस व्यक्ति मोहन प्रसाद को नंदकुमार ने हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गई उसके सर्वनाश की योजना मे हेस्टिंग्स का सहयोगी बताया था उसे फिर उसके विरुद्ध प्रमुख गवाह के रूप मे पेश किया गया था। मै नदकुमार के मुकदमे के ब्योरे मे न जाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स और प्रमुख न्यायाधीश मे बहुत घनिष्टता थी, इसे हम सिद्ध भी करेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि एक गवाह के रूप मे जो व्यक्ति उपस्थित किया गया था वह पहले भी उपस्थित हो चुका था और सभी लेन-देन के कार्य मे वह मिस्टर हेस्टिंग्स का गहरा साथी रहा था। आप देखेंगे कि इस मुकदमे मे जो सबसे अद्भुत बात थी वह यह कि इस जालसाजी के मुकदमे मे जिसमे यह व्यक्ति अभियुक्त था, एक व्यक्तिगत व गुप्त जालसाजी करने मे और दूसरे सभी लोग जो गवाह थे या मुकदमे से संबंधित थे वे मिस्टर हेस्टिंग्स के गहरे मित्र थे। सक्षेप मे, उपद्रवी लोगो के उस समूह से मिस्टर हेस्टिंग्स सबंधित था, अनेक अपराधजन्य लेन-देन व समझौतो मे उनका साथी था। लेकिन कानून ने अपना ही रास्ता अपनाया। मुझे इससे अधिक कुछ भी नही कहना है कि अब वह व्यक्ति (नन्दकुमार) जीवित नही है, न्याय की आज्ञा मे उसे फाँसी हुई और इससे मिस्टर हेस्टिंग्स का भाग्य चमका, मिस्टर हेस्टिंग्स ने चैन की साँस ली, अदालत की न्यायप्रियता सिद्ध हुई और अब सब मिला कर मिस्टर हेस्टिंग्स को बहुत लाभ हुआ।

उसको दोषी ठहराने वाले या उस पर अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को अपने किए का पूरा फल मिला। मुझे सिर्फ यही कहना है कि बाद मे यह तो सिद्ध हुआ कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने उससे रुपये पाए थे जिसे घूस के सिवा और कुछ नही कहा जा सकता।

यह उदाहरण केवल उदाहरण बन कर रह गया। इससे जालसाजी बन्द न हो सकी, न कम हुई, पूर्ववत चलती रही। लेकिन इससे एक परिणाम अवश्य निकला, वह यह कि शक्ति व अधिकार के किसी भी व्यक्ति के किसी भी पैमाने के व्यभिचार व भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की किसी भी व्यक्ति मे हिम्मत न रही। अब मिस्टर हेस्टिंग्स के विरुद्ध अभियोग लगाने वाला भारतवर्ष भर मे कोई न बचा। यह एक भयानक सत्य है। भारतवर्ष की आवाज को रोक लग गई। सभी अभियोगो का उसी रस्सी ने गला घोट दिया, जिस रस्सी से नदकुमार को फाँसी दी गई थी। इस फाँसी से वह अकेला अभियोग लगाने वाला नही मरा बल्कि भविष्य के सभी अभियोग लगाने वाले मर गए।

लेकिन यद्यपि नंदकुमार को रास्ते से अलग कर दिया गया था परन्तु उसके लगाए अभियोग का एक भाग अभी भी जीवित था। जब नदकुमार का मामला सर एलाईजाह इम्पी के सामने चल रहा था तभी मिस्टर हेस्टिंग्स के विरुद्ध भी एक मामला दूसरे ढग से पनप रहा था। मुन्नी बेगम से पन्द्रह हजार पौंड घूस लेने की बात उसके विरुद्ध सिद्ध हो गई थी। और इतनी ही रकम उसके एक अन्य साथी मि० मिडलेटन को दी जाने वाली थी, यह बात कलकत्ता मे सिद्ध हुई। श्रीमान के सम्मुख यह बात दस्तावेजो द्वारा स्पष्ट हो जायगी। यह बात तो प्रकारातर से मिस्टर हेस्टिंग्स ने भी स्वीकार की है।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने जब यह जाना कि मुन्नी बेगम उसके विरुद्ध यह घूसखोरी व जालसाजी का अपराध सिद्ध कर देगी तो इस अभियोग मे बचाव के लिए उसने एक किस्सा गढा कि जब वह मुर्शिदाबाद मे था तो प्रतिदिन २०० पौंड की दर से यह रकम उसे मनोरंजन के लिए दी गई थी। श्रीमान, इस बात से घूसखोरी के पक्ष मे दिए गए बयान के सम्बन्ध मे मुझे कुछ कहना आवश्यक हो गया है। मै यह सिद्ध कर दूंगा कि प्रतिदिन के भत्ते के रूप मे इस प्रकार यह रकम नही दी गई थी, बल्कि एक ही बार मे यह भुगतान हुआ था। लेकिन अगर हम उसी की बात मान ले तो भी यह किसी प्रकार भी कानूनी नही था और हर माने मे एक भयानक अपराध ही था। पहली बात जो स्पष्ट होती है, वह कि मुर्शिदाबाद का यह अतिथि सत्कार बहुत खर्चीला था क्योकि भारत तो सारी दुनिया मे सबसे सस्ता व कम खर्चीला देश है। यह खर्च तो तभी संभव था जब मिस्टर हेस्टिंग्स वहाँ कम से कम तीन महीने रहा हो। फिर ऐसे मेहमान व ऐसे मेजबान इतनी जल्दी अलग भी तो नही किए जा सकते। दो सौ पौड प्रतिदिन। यह तो तिहत्तर हजार पौड प्रति वर्ष का खर्च हुआ। फिर उसका साथी भी इतना ही प्राप्त कर रहा था! इसके अर्थ हुए कि दो अंग्रेज महाशयो के लिए १४,६,००० पौड प्रति वर्ष केवल स्वागत व आतिथ्य के लिए।

मेरा विश्वास है कि इंगलैंड का कोई राजा भी इतने कीमती आतिथ्य का

भागी नही होता। आप स्वयं ही इस स्वागत को चाहें तो भ्रष्टाचार मान ले। मैं आपके सम्मुख मेहमान के व्यापार तथा मेजबान की स्थिति की बात अवश्य स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने खुद कहा है जो स्वयं ही अच्छी तरह जानता है कि क्या करने गया था।

तब वह बंगाल की पुरानी राजधानी मे था। उस समय जब वह इतने महंगे स्वागत-सत्कार का शिकार था, तब वह छँटनी के काम पर था और कम्पनी का खर्च घटाने का काम कर रहा था। उस अवसर पर भी दो सौ पौंड प्रतिदिन का खर्च। उन सब बातो के बीच श्रीमान अवश्य ही देखेंगे कि वह जितना भ्रष्ट नही उससे अधिक कठोर व क्रूर था। वह चाहे स्वय भरपेट न खाता हो पर भुखमरी फैलाने का कारण अवश्य था। उसकी क्रूरता उसके भ्रष्टाचार से अधिक भयानक थी। जैसे कोई खून से रंगा हाथ दवा के नुस्खे लिखे और साथ ही विधवाओ व अनाथ बच्चो के मुँह से अन्न छीने, जैसे आँखे आँसू से भरी हो और घायल मानवता के घावो पर लगे मलहम वह पोंछ रहा हो और उसकी जगह विष पोत रहा हो।

लेकिन इस दुखान्त मनोरंजन का भी अंत हुआ। कौंसिल के सामने बंगाल के उच्चतम घरानो की विधवाओ की उच्चास अर्जियाँ आई। सभी मे बड़ी दीन-हीन दशा का वर्णन था और सभी मे एक जैसी दया व शाति की माँग थी। उसके साथियो जनरल क्लेवरिंग, कर्नल मानसन और मिस्टर फ्रैंसिस ने इंगलैंड तक सब बाते पहुँचाई। डायरेक्टरो की आज्ञानुसार मुहम्मद रजा खाँ को पुन उसका स्थान मिला और उसे ३०,००० पौंड प्रति वर्ष मिलना निश्चित हुआ। तभी इंगलैंड मे आए सुधारक दल के दो व्यक्तियो की मृत्यु द्वारा अपना बहुमत बढ़ा देख कर मिस्टर हेस्टिंग्स ने डायरेक्टरो को परिषद के आदेशो व जनता मे मोहम्मद रजा खाँ की प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा का ध्यान न रख कर बिना किसी कारण ही उसे पदच्युत कर दिया और घूसखोरी मे अपने साझीदार, सी पुरानी वेश्या मुन्नी बेगम को उस स्थान पर नियुक्त किया।

कारनामो से भी अधिक भयानक यह बहाना था। विनम्रता से निर्दोषिता बहुत दिनो नही पनपती। नवाब का दुखदायी आडम्बर वह सामने ले आया और जैसा वह स्वयं कहता है कि नवाब स्वयं ही अपने परिवार व सरकार की बदनामी व अपमान का कारण बना।

जब मिस्टर हेस्टिंग्स को अदालत का यह आदेश मिला कि गलत व भ्रष्ट कारणो से उसे जो हटाया गया वह गलत काम हुआ है और उसे (मुहम्मद रजा खाँ को) पुन पदासीन किया जाय, वैसे ही वह तत्काल अपने सभी सिद्धान्त भूल गया, वह हठी व दुर्दान्त बन गया। उसने अदालत की आज्ञा का उल्लघन किया। वह इसी मानसिक स्थिति मे था कि उसने मिस्टर फ्रैन्सिस से अपना मतभेद भुला कर मित्रता कर ली। आप श्रीमान, उस व्यक्ति के दोहरे चरित्र पर ध्यान दे। कभी

किसी बात पर सच्चा नहीं, हर जगह जालसाज ही। उसने मुन्नी बेगम के पास संदेशा भेजा कि मुझे मुहम्मद रजा खाँ को उसके स्थान पर पुनः स्थापित करने के लिए अपने उच्चाधिकारियों से आज्ञा मिली है और मैं विवश हूँ। लेकिन पहला अवसर आते ही उसको वह गद्दी से अवश्य अलग कर देगा। और वह ईमानदारी से भ्रष्टाचार के कार्यों में लग गया।

लेकिन क्या उसने ईमानदारी से नवाब को पहले जैसी आजादी दी ? नहीं, उस पर एक ऐसे अधिकारी को रेजीडेन्ट बना कर उसके सिर पर लाद दिया जो उसका अपना व्यक्ति था—सर जे० डुइले, जिसके साथ एक भी पत्राचार कभी नही हुआ। नवाब के कन्धे पर यह कितना बड़ा बोझ था यह हेस्टिंग्स के कागजातों से पता लगता है कि जिसमे उसने स्वयं स्वीकार किया है कि नवाब ने एक लाख साठ हजार पौंड प्रति वर्ष मुझे देना चाहा, जिसमें से ४०,००० पौंड कम्पनी के लिए तथा बाकी मेरे अपने लिए था। इस बात पर अब कोई भी आलोचना व्यर्थ है। अब आप श्रीमान स्वयं देख चुके हैं कि उसके माध्यम से जो राजस्व आता था उसमें उसका अपना भाग क्या होता था, रेजीडेन्सी द्वारा क्या होता था। जिन बातों के सम्बन्ध मे शोर था वे बातें कहाँ तक सत्य हैं यह भी सिद्ध हो गया है।

इस प्रकार एक दुश्चरित्र स्त्री के साथ मिल कर घूसखोरी की जो घटनाएँ घटीं उन्होंने स्थानीय मुस्लिम सरकार की अप्रतिष्ठा की, राजघराने के लोगों को बन्दी बनाया और देश में न्याय का नाश किया। सबसे घृणित तो उसका वह कार्य था जो उसने नंदकुमार को मरवाने के लिए अपनाया। नंदकुमार ने गवर्नर-जनरल द्वारा किए गए पापो का रहस्य खोला था। इन बातों से श्रीमान की कुछ धारणाएँ तो बनेंगी ही कि घूस के लिए उसने वहाँ की सरकार को ही बेच दिया।

इसी संबंध में इस महान पाप के रहस्यों व उसके प्रभावों के बारे मे मै आप के सम्मुख सब कुछ काफी स्पष्ट कर चुका। अब मै श्रीमान को वह सब बताऊँगा जिससे आपको मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकार के चरित्र को समझने में सरलता हो।

यह न तो सत्य था न वास्तविकता थी (जैसा मिस्टर हेस्टिंग्स नही मानते) कि वहाँ उसके विरुद्ध कुछ न था और जब नन्दकुमार और उसके अभियोगों से पिण्ड छूट गया तो वह चारो ओर से निश्चिन्त हो गया।

लेकिन ऐसी कोई बात न थी। घूसखोरी के अभियोगों का बहुत बडा भंडार अभी भी बचा पडा था। वे देश के सभी हिस्सों से प्रकट हो रहे थे। और कोई ऐसी अदालत न थी जहाँ उसके विरुद्ध कोई शिकायत न पड़ी हो।

अंत में आकाश के बादलों की यह गर्जना शांत हुई और मिस्टर हेस्टिंग्स पर लिखित अपहरण, कौंसिल के सामने शपथपूर्वक स्वीकारोक्ति, को पददलित करके हेस्टिंग्स ही कौंसिल के सिर पर उसका प्रमुख बन कर बैठा और उस परिषद का

प्रमुख बना जहाँ उसके विरुद्ध उसी पर अभियोग सिद्ध हो चुके थे। बाद में यह सब लिपिबद्ध किया गया कि अपराधों व पापों का उसने अमर स्मारक बनाया और उस राष्ट्र को बरबाद कर दिया जो उसे सौंपा गया था।

नंदकुमार को फाँसी के बाद मिस्टर हेस्टिंग्स उसे अगर एक सुन्दर और विवेकशील बात बनाना चाहता तो वह कहता कि यह आदमी न्याय द्वारा अलग किया गया, जिसने मुझ पर दोष आरोपित किये थे। लेकिन और भी गवाह बाकी बचे हैं, आगे भी जाँच-पड़ताल के लिए साधन बचे हैं और वह व्यक्ति अब मर चुका है जिससे मेरी शत्रुता थी और जिससे मैं डरता था। अब हमें एक नई जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब नन्दकुमार जिन्दा था, यह जाँच न करवा कर उसने बड़ी भूल की, लेकिन अगर वह उससे डरता था और उसकी मौत की प्रतीक्षा में था, तो उसके मरने के बाद जाँच-पड़ताल क्यों नहीं होने दी ? अपने पर आरोपित किए गए अन्य अपहरण के अभियोगों का निपटारा क्यों नहीं कराया, जब कि ऐसे अभियोग अनगिनत हैं, एक का तो मैंने अभी ही उल्लेख किया है, मुन्नी बेगम का मामला, उससे या उसके दत्तक पुत्र से ४०,००० पौंड घूस लेने का।

क्या यह किसी गर्वनर के लिए कहना उचित है—क्या मिस्टर हेस्टिंग्स वही इस पंचायत के सामने कहेंगे—मुझे अदालत क्षमा करे, मै अपनी पैरवी खुद करूँगा और मेरे विरुद्ध अपराधों को बना रहने दीजिए, मैं कोई हिसाब न दूंगा ? क्या यह उचित है कि अपने विरुद्ध लिखित घूसखोरी के अभियोग के बाद भी एक गर्वनर, जनता की परिषद के व महान राष्ट्र की सरकार के सिर पर चढ़ा बैठा रहे जब कि यह भी कि उसके अधिकार-सीमा में ही है कि वह जाँच करवा कर मामला साफ कर दे ? नहीं, ऐसे अवसर पर एक मनुष्य के चरित्र की यही अच्छाई होती है कि वह अनजान हो जाय। अपने अनजानपन मे वह बचा, उसके चरित्र का न्याय पर प्रभाव पड़ा, उस देश के लोगों के बीच इंगलैंड के सम्मान पर भी प्रभाव पड़ा। मैं उस पर यह अभियोग लगाता हूँ कि उसने न केवल अपनी शक्ति भर जाँच को रोका या दबाया, बल्कि एक स्थान व एक अवसर पर भी उसने अपनी या अंग्रेजी सरकार की स्थिति साफ करने की कोशिश नहीं की। वह और आगे बढ़ा, अपने पर आरोपित किसी भी अपराध को उसने अस्वीकार भी नहीं किया। वे संख्या में इतने अधिक हैं कि कहना कठिन है, लेकिन उनमें से कुछ को तो इन्कार कर ही सकता है पर उसने ऐसा कुछ न किया।

पहली बात तो यह है कि ऐसे अपराधों में फँसा व्यक्ति सर्वप्रथम तो इन्कार ही करता है फिर उनका प्रमाण माँगता है और अंत में जाँच-पड़ताल को स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने देता है। उसने ऐसा कुछ भी न होने दिया बल्कि अपनी शक्ति से सब पर ही रोक लगा दी।

उसने डायरेक्टरों की परिषद के सम्मुख विश्वास दिलाया था कि वह प्रत्येक

लेन-देन के मामले के सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा जिसे उसने कभी पुरा न किया। कई वर्ष बीत गए। पार्लमिट में भी यह प्रश्न उठा, वहाँ भी उसने कोई भी स्पष्टीकरण न दिया। एक व्यक्ति कह सकता है, मुझे अदालत मे मुकदमे का डर दिखाया जाता है और अगर अपने बचाव की बाते बता दूँगा तो मेरा अहित होगा। साधारणतया ऐसे मामलो मे लोगो का यही उत्तर होता है। लेकिन क्या घूसखोरी के अभियोग मे लदे एक गर्वनर के लिए भी यही उत्तर उचित है? उस पर लगाए गए अभियोग उसके स्वामियो तक पहुँचे और उसके स्वामी उसे इसके लिए प्रतिष्ठा दे? ईश्वर बचावे क्या ऐसी परिस्थिति मे कोई व्यक्ति कह सकता है कि मै दोषी हूं? मै अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूंगा? मैने स्पष्टीकरण देने का वचन दिया था पर मैने तो सात-आठ साल उसे टाला? क्या यह न्यायालय के प्रति अवज्ञा नही है?

मिस्टर हेस्टिंग्स के साथ घूसखोरी की बात बुरी तरह जुटी थी, पर वह अपने पर अभियोग लगाने वाले प्रमुख व्यक्ति नंदकुमार से छुट्टी पा गया और बहुत मे नंदकुमार के सहयोगी भाग गये। लेकिन उस पर लगाए गए अभियोग जो लिखित रूप मे उपस्थित थे, वे तो बने ही रहे और नए प्रमाण भी मिले।

श्रीमान, मै कहना चाहूँगा कि उसके सम्बन्ध म यह तो सरलता में कहा जा सकता है कि एक भी ऐसा उदाहरण या मामला सामने नही आया, जिसमे वह एक ईमानदार या थोडा कम ईमानदार आदमी सिद्ध होता, जिससे कि सरकार के साथ विश्वासघात का उस पर आरोप कम किया जा सकता।

यद्यपि मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपराधो को गलत सिद्ध करने का कोई रास्ता नही अपनाया, वरन अपराध लगाने वालो को सताने व सजा देने मे कई रास्ते अप-नाये और उन अभागे आदमियो ने जिन्होने मिस्टर हेस्टिंग्स पर अपराध लगाने की भूल या मूर्खता की, उन्ह पुन शक्ति प्राप्त करने के बाद हेस्टिंग्स ने कितना सताया और नीचे गिराया, उसके उदाहरण श्रीमान देख ही रहे है। फिर भी क्या कोई व्यक्ति ब्रिटिश कौसिल, डायरेक्टरो की परिषद, अग्रेजी पार्लमिट का गुणगान करने के सिवा कभी क्या किसी पर अभियोग लगाने की हिम्मत करता?

जाँच-पड़ताल के समय हमने देखा कि उसके अपहरण मे एक हल्का सा व्यवधान है, इतिहास मे एक प्रकार का खोखलापन है, जैसे इतिहास के कुछ पन्ने फाड डाले गए हो। फिर हमे रुपयो के लेन-देन की पहले जैसी कोई घटना नही मिलती। और न तो कही उपहार लेने का ही उल्लेख आता है उस समय, जब जन-रल क्लेवरिंग, कर्नल मानसन और मिस्टर फ्रैसिस ने कौसिल मे अपना बहुमत बनाया। यह तो ऐसा हुआ जैसे एक गद्दी बना दी गई थी जिस पर मिस्टर हेस्टिंग्स आराम मे बैठा था। इन्ही दिनो मे मिस्टर हेस्टिंग्स फिर शक्तिशाली बना और अपहरण की घटनाएँ फिर चालू हो गईं। ज्यो ही हेस्टिंग्स के मस्तिष्क मे उलझने

दूर हुई और अपने विरोधियों को वह समाप्त कर पाया, पुन अपहरण का व्यापार प्रारंभ हो गया ।

श्रीमान इस बार अपहरण को लेकर पार्लामेंट में बड़ी गंभीरता से जाँच शुरू हुई । वे सीधे बंगाल तो न गए, बल्कि यह काम वहाँ के गवर्नरों के माध्यम से हुआ। तब मिस्टर हेस्टिंग्स के कामों की गति को पूर्णतया बदलने का निर्णय हुआ । कोई चीज भी उसे घूसखोरी की आदत बदलने पर विवश न कर सकी । लेकिन सुरक्षा-पूर्ण कोई रास्ता निकले, इसके लिए वह अवश्य चिंतित था । सबसे पहले उसने यह किया कि बडी-बडी रकमें खजाने में जमा करना शुरू किया, उन दो व्यक्तियों के माध्यम से जिनकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ—नायब खजांची और बड़े मुनीम के माध्यम से । रुपये की जगह उनसे दस्तावेज लिखवाता और उन रकमों को अपनी कह कर नियम से ब्याज लेता ।

अपने लिए घूस को बचाने का यही एक रास्ता अपनाया, लेकिन तभी ऐसा हुआ कि उसने समझा कि वे ऐसे घूस की रकमें थी, जो पकडी जा सकती थी । हमें मालूम ही है कि कुछ तो पकडी भी गई । उसे डर था कि पकडे जाने पर यही रकमें पार्लामेंट की जाँच-पडताल का कारण बनती ।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि वह उन्हें सदा ही छिपा कर रख सकता था । हर आदमी अनुचित ढंग से कमाए धन को छिपाने की कला जानता है, विशेष कर भारत में । लेकिन यह तो उसी ने सिद्ध कर दिया कि यह उसके लिए सत्य नहीं है । उसने आपको अपने से लिखे गए पत्र में लिखा है कि वह नवाब के १००,००० पौंड को छिपा लेता लेकिन आसानी से भेद खुल जाने का डर था ।

लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है कि भेद खुलने के डर से उसने जो रकमें बता दी वह केवल उसके बताने के कारण ही प्रगट हुई और किसी माध्यम से उनका पता नहीं लगा । उसके कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है । मिडलेटन उसके बारे में कुछ नहीं जानता, एंडरसन भी कुछ नहीं जानता ।

जिन घूस की रकमों को मैंने श्रीमान के सामने रखा है वह उसकी घूसखोरी के प्रथम युग की है ।

और भी बहुत सी रकमें है जिन्हें उसने अपनी घूसखोरी के प्रथम चरण में प्राप्त किया है लेकिन अपने चतुर वकीलों की सलाह पर उसने वह ढंग अपनाया जो आज वह अपने बचाव के लिए प्रयोग कर रहा है । यह सारा सिलसिला बहुत बेढंगा था : मामले की पैरवी भी—जहाँ तक मैं पाता हूँ वह सीधे तौर पर धोखेबाजी, दगाबाजी और मक्कारी धन के अनुचित उपयोग के संबंध से है । वह जानता था कि घूसखोरी से वह बच नहीं सकता, वह जानता था कि उसकी कुछ घूसखोरियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, वे लिखा-पढ़ी में आ चुकी है । और अभी थोड़े समय के लिए वह चाहे सुरक्षित हो क्योंकि सभी विरोधी गवाह सजा पा चुके है और सहयोगी

इनाम पा चुके हैं। वह आशा करता था कि किसी भी क्षण कौंसिल बदली जा सकती है और क्लेवरिंग और मानसन जैसे लोग फिर से फ्रँसिस से मिल जाएँ, कोई बड़ा मामला उठ खडा हो और अधिक गंभीरता से उसकी घूसखोरी पर जाँच-पड़ताल शुरू हो जाए। अपने अपराधों के कारण मन में हो रही हलचल के बीच वह कोई ऐसा रास्ता भी खोज रहा था कि जिससे वह अपना काम फिर से चालू कर सके। इसलिए उसने सबसे पहले बड़ी सावधानी से घूसखोरी को रोकने वाले पार्लामेंट के कानून को पढ़ा।

वह अधिकारियों तथा डायरेक्टरों को बडी घृणा की दृष्टि से देखता था और उन्हें वह नीच, मशीन की तरह काम करने वाले मुनीम ही समझता था।

उसने डायरेक्टरों की परिषद को लिखा कि उसने कुछ रकमें प्राप्त की है जो उसकी अपनी न थी लेकिन उसने उन्हें उनके ही इस्तेमाल के लिए ली है। जब सबसे पहले उपहारो को लेकर उस पर आक्षेप हुए तो उसने उपहारों के लेने की बात को इन्कार नही किया बल्कि यह सिद्ध करना चाहा कि उसे उसने जनता के उपयोग के लिए लिया और शायद अधिक योग्य वकीलों की सलाह से उसने जाना कि अपने उपयोग के लिए कोई भी धन नही लिया जा सकता और ये घूस के रुपये स्पष्टतया अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही लिए गए थे।

यहाँ पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने पैंतरा बदला। अपहरण के लिए दोषी ठहराए जाने के पहले ही उसने किसी भी बात से इन्कार नहीं किया, न उसने रुपये लौटाए और अपनी सारी शक्ति लगा कर उसने जाँच-पडताल रुकवाने का प्रयत्न किया। यह उसके अपराधों का प्रथम काल था—एक सशक्त, स्पष्ट, सीमा, शक्ति का उपयोग। दूसरे काल मे वह थोड़ा अधिक सतर्क हुआ।

निश्चय ही ये सब ऐसे अपराध है जो बहुत बड़े, विशाल व उपद्रव पैदा करने वाले है, जिनकी बड़ी सजाएँ मिलनी चाहिए। वह सबसे पहला व्यक्ति है और अगर हम पूरी सावधानी न बरतेंगे तो वह अंतिम व्यक्ति भी न होगा जिसने उच्च अधिकारियो के बीच भ्रष्टाचार की प्रथा स्थापित की। यह कूटनीतिज्ञ राजदूत के लिए कहा जाता है कि वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मालिकों के लिए झूठ बोलने को रखा जाता है। यह एक देशभक्तिपूर्ण घूसखोरी है और राष्ट्रप्रेमी भ्रष्टाचार। वह राष्ट्र की भलाई के लिए अपहरण करता है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस सिद्धान्त में सुधार किया। वह हर माने में एक लुटेरा व चोर है—लेकिन सब कुछ अपनी प्रिय ईस्ट इंडिया कम्पनी के ही लिए, अपने आदरणीय मालिकों के लिए!

अगर आप इस पद्धति को मान्यता दें तो परिणाम होगा कि यदि आपका गवर्नर घूस लेता हुआ पकड़ा जाये तो वह कहेगा—आपसे क्या मतलब? आप अपना काम देखें, मैं यह जन-सेवा के लिए कर रहा हूँ। फिर जो आदमी उसे अपराधी कहे वह गवर्नर जनरल व ईस्ट इंडिया कम्पनी के क्रोध का भागी बने। वे

कहेगे कि गवर्नर तो महान कार्य कर रहा है, हमारे लाभ के लिए घूस ले रहा है और आप उस पर मुकदमा चलाने की मूर्खतापूर्ण बात सोच रहे है। इसलिए जिस क्षण भी घूसखोरी पकडी जाती है, वह तत्काल योग्यता मे बदल जाती है। हम सिद्ध करेगे कि यही बात मिस्टर हेस्टिंग्स के साथ लागू होती है।

अब मै श्रीमान को सूचित करूँगा कि जब उसने ये महान खोजे की तब उसने डायरेक्टरो की परिषद को सब तो बताया पर यह न बताया कि उसको किसने रुपये दिए, किस अवसर पर उसने पाया, किसके हाथो या किस काम के लिए पाया।

जब वह इसी का ब्योरा प्रस्तुत करने म असमर्थ है और वह कोई कारण भी नही दे सकता तो मै समझता हूँ कि उसकी नीयत पर सन्देह करने का मुझे पूरा अधिकार है। अनुचित कामो के लिए अनुचित विचार। जब आदमी को अनुचित ढग मे रुपये लेकर दड पाने का डर नही रहता और यह उसके चरित्र की एक विशेषता हो जाती है तो त्रुटियाँ और अपराध भी स्वभाव मे जुड जाते है। लेकिन एक बार किसी को घूसखोरी के लिए सजा दी जाय तो फिर वह बार-बार हर अनुचित काम के लिए साहसी हो जाता है।

मै श्रीमान से कहता हूँ कि इन रकमो के लिए उसने जो हिसाब पेश किए है वे सभी गलत और विरोधी है। उसने तीन हिसाब एक दूसरे के विरोधी प्रस्तुत किए है। उससे पूछा जाय कि उन रुपयो के लिए दस्तावेज क्यो लिखे जिसे अपना रुपया नही मानता? कैसे तुम कम्पनी के लिए साहूकार बने, जब तुम स्वय कम्पनी के कर्जदार थे? उसका उत्तर है—मै कह नही सकता, मै कोई कारण नही बता सकता, इतनी पुरानी बात है, इतना समय बीत चुका है कि मैं उस समय की बातो का हिसाब नही दे सकता।

श्रीमान इसके अर्थ है कि जब वह भारत मे वापस आया तो अपनी स्मृति भी वही छोड आया, बल्कि अपने लिखे कागजात भी वही छोड आया। भारत में कम्पनी को कोई हिसाब न मिला क्योकि वह इगलैड मे न था और जब वह इंगलैड मे था तब कोई हिसाब यो न मिला कि वह सारे कागज-पत्र भारत मे छोड आया था। आप देखे कि ऐसा आदमी जो गुप्त रूप से रुपये ले रहा हो, भ्रष्ट ढंग से गलत कागजात तैयार करता हो और जब पूछा जाता है कि बतावे कि किनसे उसे रुपये मिले तो वह न तो इसका उत्तर भारत मे देता है, न इंगलैड मे।

मैने उसके अपराधो को सिद्ध करने के अवसर पर बताया कि उसने जमीन का व्यापार बनियो के माध्यम से किया। फिर उसने समस्त मुस्लिम सरकार एक औरत के हाथ बेचा। यह एक शक्तिशाली कदम था लेकिन सन् १७७२ के वित्तीय रद्दोबदल मे, मै श्रीमान को बताऊँगा कि उसने ६ प्रदेशीय कौसिले नियुक्त की, प्रत्येक मे कई-कई सदस्य थे, जिन्हे न्याय सम्बन्धी मामूली संचालन और राजस्व

इकट्ठा करने का पूरा काम करना पड़ता था।

ये प्रदेशीय कौंसिलें, गवर्नर जनरल व कौंसिल मे हिसाब-किताब रखती थी जो राजस्व सम्बन्धी प्रबन्ध, अधिकार और नियम के उच्चतम अधिकारी थे।

मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा डायरेक्टरो की परिषद को भेजे गए कई कागजो मे घोषित किया गया है कि इन प्रादेशिक कौंसिलो की नियुक्ति, जिसे प्रारम्भ मे केवल एक प्रयोग-मात्र कहेगे, बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। और प्रयोग मे उसने पार्लामेंट के लिए एक कानून की रूपरेखा भी भेजी। डायरेक्टरो की परिषद ने इच्छा प्रकट की कि यदि उसने कोई अन्य रास्ता उचित समझा है तो उसे योजना बना कर उसे उनके पास स्वीकृति के लिए भेजना चाहिए।

इस प्रकार, सारी ब्रिटिश सरकार, सारी व्यवस्था व विधान सन् १७७२ से सन् १७८१ तक ज्यो के त्यो बने रहे। उसने इस समय मे कुछ पहले ही छुटकारा पाया क्योकि जनरल क्लेवरिंग और कर्नल मानसन की मृत्यु तथा अन्य घटनाओ के कारणो ने मिस्टर फ्रैंसिस की जड हिला दी। समस्त कौंसिल जिसमे वह अधिकार जमाए था क्योकि वहाँ केवल दो लोग ही सदस्य थे—मिस्टर भीलर और वह स्वय। आज तो भीलर भी नही है। उसने तब भी कभी हेस्टिंग्स का विरोध नही किया क्योकि अगर वह करता भी तो बेकार ही होता। हेस्टिंग्स ने सोचा कि एक क्षण भी नष्ट करने के लिए नही है। क्योंकि कौंसिल के अन्य सदस्य किसी भी क्षण आ-जा सकते थे और सभव है उन्ही का बहुमत होता और वह दबा दिया जाता। फिर वह अपनी भ्रष्ट योजनाओ को कैसे चलाता। अब श्रीमान देखेगे कि इन सभी घूसखोरी व अपहरण की योजनाओं का शांतिपूर्वक चलाने के लिए उसने योजना बनाई कि वह भविष्य मे कौंसिल को बनने या रहने ही न दे।

सबसे पहला काम इस दिशा मे उसने यह किया कि कलकत्ता मे राजस्व सबधी एक कौंसिल का उसने निर्माण किया। पार्लामेंट के कानून के अनुसार जो काम बड़ी कौंसिल का था वह काम इन चार गुलामो की कौंसिल को सौंपा गया। ये चारो उसके अपने गुलाम थे जिनसे वह मनमानी करा सकता था। गवर्नर जनरल का यह काम कितना बुरा लगता है जब समस्त शक्ति व अधिकार उसी के हाथ मे है तो वह राजस्व का मामला दूसरे को सौंप दे। उसका दूसरा काम था कि डायरेक्टरो की परिषद को अपनी नीयत बताए बगैर ही, या उस समय के अपने साथियो या सहयोगियो को भी अपने कार्यक्रम की बात बताए बिना ही, प्रादेशिक कौंसिलो के अधिकार छीन कर उन्ही चार व्यक्तियो को दे दिया जाना। इन चार व्यक्तियो को सचिव के रूप मे मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा जो व्यक्ति दिया गया था, उसका नाम आप बराबर सुनेंगे और जिसके नाम को सुनते ही हर भारतीय पीला पड़ जाता था, जो बहुत धूर्त, खतरनाक और अपने ढग का अकेला ही व्यक्ति था। श्रीमान, मै यह बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मिस्टर हेस्टिंग्स का कोई मित्र कभी न था, पर गंगा

गोविन्द सिंह उसका अकेला मित्र था जिसे उसने सबसे प्रमुख स्थान दिया। लेकिन उसके द्वारा प्रस्तुत हिसाब से ही आप देखेंगे कि कौंसिल उसके कामों को क्या समझती थी। मैं आशा व विश्वास करता हूँ कि श्रीमान देखेंगे कि वे लोग जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए थे उनके ही बयान हैं कि उनकी योजना में भारत का ब्रिटिश शासन पूरी तरह नष्ट हो गया।—"कमेटी का एक दीवान या जो भी नाम आप दें अवश्य होना चाहिए था। सचाई यह थी कि खजाने में जमा हुए सभी रुपयों को अपने उपयोग की सुविधा पर रखता था। उसने जमींदारों, उनके शत्रुओं व प्रतिद्वंदियों का पता लगाया और आशा व भय के साथ अपनी योजना कार्यान्वित की। कमेटी अपनी समस्त नेकनीयती, समस्त योग्यता के होते हुए भी अपने दीवान के हाथ की कठपुतली बनी रही।"

आप श्रीमान देखें कि कौंसिल की अपनी इस विषय में क्या धारणा थी। आप देखें कि यह क्यों बनी। आप देखें कि किस गुप्त प्रयोजन हेतु बड़ी कौंसिल से राजस्व का काम ले लिया गया। आप देखें कि किस कारण से उनका अधिकार छीन लिया गया। यह आप कमीशन के एक व्यक्ति की ही बात से देखें— पहले काउंसिलरों की संख्या चार की थी फिर पाँच की गई— पाँचवाँ जो सबों में अधिक चतुर व शक्तिशाली था। यह सब गंगा गोविन्द सिंह के हाथ में कौंसिल को कठपुतली बनाने के ही लिए था। शायद समस्त भारत के राजकाज की व्यवस्था ही इस व्यक्ति पर छोड़ दी जाती और भ्रष्टाचार व घूसखोरी का बोलबाला हो जाता। इस प्रकार श्रीमान देखेंगे कि देश के लगभग समस्त अधिकार को मिस्टर हेस्टिंग्स ने गंगा गोविंद सिंह के हाथों सौंप दिया। इस उलटफेर या नई व्यवस्था पर जो पर्दा डाला गया था वह उसी के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा खोल दिया गया। वे स्वीकार करते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते थे, वे जानते थे कि वे गंगा गोविंद सिंह के हाथ के औजार मात्र थे। और मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसके नाम का उपयोग करके इस शैतान और भ्रष्ट व्यक्ति को सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया। उस पर समस्त ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा को निछावर कर दिया और चार व्यक्तियों को औजार व हथियार बना कर उसके हाथों दे दिया। लेकिन ये औजार और हथियार किसलिए? वे स्वयं कहते हैं—कि वह जब जिस चीज की इच्छा करता था, उसके लिए शक्ति और योग्यता जुटा लेता था। वह हर व्यक्ति के छोटे-छोटे व्यक्तिगत मामलों का भी पता लगाता था, उनके पारिवारिक रहस्यों का पता लगाता था और उन्हें बरबाद व नष्ट करने की शक्ति जुटा लेता था। इस प्रकार अपना मनचाहा पूरा किया करता था। क्या मिस्टर हेस्टिंग्स यह कहने का साहस कर सकता है कि उसने जब प्रादेशिक कौंसिलों को नष्ट किया तो उसका कारण यह था कि वे कौंसिलें भ्रष्ट या अयोग्य थीं? नहीं, वह कहता है कि उसे उनकी योग्यता पर कोई आशंका न थी, उनके चरित्र के विरुद्ध कहने को उसके पास कुछ

नहीं है, परन्तु अपनी नई व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए ही उसने उन्हें नष्ट किया। वह नई व्यवस्था क्या थी? गंगा गोविन्द सिंह के लिए नई व्यवस्था। उस चक्र में चालीस अंग्रेज व्यक्ति अपने अधिकारों से च्युत किए गए! मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि यह काम उसने बहुत कम व्यय में किया, जब कि सबों को पेंशन देनी पड़ी और सरकार का व्यर्थ ही खर्च बढ़ा। लेकिन फिर भी नई कौंसिल बनाई गई और बहुत कम व्यय पर बनी। आपको अनेक प्रमाणों से ज्ञात होगा कि इन पाँच व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष ६२,००० पौड खर्च होता था। मिस्टर हेस्टिंग्स को भी स्वीकार होगा कि इन पेंशनों से सरकार का खर्च बढा और यदि कौंसिल अच्छा काम करती तो भी सह्य होता पर, आपने सुना कि वे स्वयं क्या कहते है—उन्हे वहाँ कोई काम नही दिया गया—वे कुछ न कर सके, उनकी योग्यता उनकी क्षमता का कोई उपयोग न हुआ —वे केवल गंगा गोविद सिह के हाथ के औजार बने रहे। इस प्रकार मिस्टर हेस्टिंग्स ने प्रतिवर्ष बासठ हजार पौंड का बोझ केवल इस लिए बढ़ा लिया कि गंगा गोविंद सिह को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मालिक बना सके। जब इस मशीन पर, गंगा गोविद सिह के औजारो पर प्रतिवर्ष ६२,००० पौड का खर्च बढ़ा तो कम्पनी का क्या लाभ हुआ? यह प्रश्न या भावनाएँ किसी विदेशी या अनजान की नहीं है बल्कि स्वयं उन औजारो के ही यह प्रश्न हे।

अब प्रश्न है कि क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने गंगा गोविद सिंह को उसका चरित्र जाने बिना ही अधिकारी बना लिया था? उसके चरित्र के बारे मे सब कुछ मिस्टर हेस्टिंग्स को बहुत पहले से ही मालूम था जब वह दूसरे पद से हटाया गया था। यह कहता है—वहाँ मेरे लंबे निवास के समय यह प्रथम बार था जब मैने गंगा गोविंद सिंह के चरित्र के विषय मे सुना कि वह बदनाम आदमी है। मुझे पहले मे कुछ पता न था यद्यपि बहुत से आदमी उसको बदनाम किया करते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से गंगा गोविंद सिंह के बारे में कुछ भी ज्ञात न था। मैंने उसके सम्बन्ध में जो कुछ भी सुना था वह सब अंग्रेजो से व कुछ हिन्दुस्तानियो से सुना था। बाद में—"जब वह कम्पनी की सेवा में आया तब उसके बहुत से दुश्मन थे। मैंने सोचा कि यदि उसका ऐसा चरित्र है जैसी अफवाह है तब मुझे संबंधित घटनाओ का पता अवश्य लगाना चाहिए था। मैंने जो भी जाँच-पड़ताल की उससे उसकी बदनामी के साथ ही उसकी योग्यता की भी खूब प्रशंसा सुनने को मिली।" अगर ऐसी स्थिति में आप समझें कि एक ही व्यक्ति के हाथ में बंगाल का सारा राजकाज दे देना उचित था तो इसके अर्थ है कि वह निश्चय ही महान शक्तिशाली व्यक्ति था। मिस्टर हेस्टिंग्स उसकी ऐसी योग्यता की बात नही करता। वह जानता है कि उसके विरुद्ध कही गई बातों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है और वह अपने सहयोगियों द्वारा अपने पद से हटाया गया था, कारण तो कागजातों में लिखे ही हैं और जिन्हें डायरेक्टरों ने स्वीकार भी किया है। वह फिर से कलकत्ता की

कमेटी में घुस आया और उसको वहाँ से भी हटाने की सारी योजना बन गई थी, तभी मिस्टर हेस्टिंग्म ने समस्त कमेटी को तोड़ कर उसकी रक्षा की, जिस कमेटी में एक अध्यक्ष और चार सदस्य थे, जिससे कि सदा के लिए वह दुश्चरित्र व्यक्ति विशेष योग्यतावाला व्यक्ति बन कर खडा हो सके।

श्रीमान, एक क्षण के लिए मुझे अपने प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी से हट कर, और दुनिया का कुछ थोडा सा अनुभव रखने वाले व्यक्ति की तरह ऐसे व्यक्तियो के चरित्र के बारे मे कहने की अनुमति दें।

तब मैं घोषित करता हूँ और चाहता हूँ कि इसे लोग सदा याद रखे कि ससार मे कोई ऐसा व्यक्ति नही है, न हो सकता है जो 'बुरा आदमी' हो और साथ ही अच्छे कार्यों की योग्यता भी रखे। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव मे ही यह नही होता, न मस्तिष्क मे और वे केवल अपने स्वार्थ-साधन के लिए चिंतित रहते है और जब उन्हे कोई अच्छा काम सौपा जाता है तो वे अपने को हीन, सुस्त और असहाय सिद्ध करते है। उनकी प्राकृतिक योग्यताएँ उन्हे रास्ता नही देती और वे पंगु होते है, वे एक प्रकार से मुर्दा होते है। वे कुछ नही जानते, केवल यही जानते है कि व्यक्तिगत स्वार्थ साधन कैसे करे? कोई भी व्यक्ति योग्यता के नाम पर किसी भी बुरे आदमी को काम पर नही रखता। रखता है तो बुरे कामो के ही लिए। मिस्टर हेस्टिंग्स इस व्यक्ति की बुराइयाँ जानता था, सारी दुनिया उसे बुरा आदमी जानती थी, फिर उसे जिम्मेदारी का काम क्यों दिया गया? उसके सम्बन्ध मे बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसे भी अवसर प्राप्त हो सकते हे कि ऐसे आदमी की विशेष उपयोगिता के लिए कोई छोटा पद दिया जाय। लेकिन किसी भी दशा मे ऐसे आदमी को सम्पूर्ण अधिकार दे कर, कमेटी व कौसिल दोनों के अधिकार देकर, सारे देश के राजस्व का अधिकार देकर कौन रखेगा?

गंगा गोविद सिह को यहाँ इस ढंग से इस पद पर स्थापित किया गया कि वह मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए भ्रष्ट घूस व भ्रष्ट उपहार ले सके। कमेटियाँ उसके हाथ मे औजार थी और वह हेस्टिंग्स के हाथ का औजार था क्योंकि हम आगे चल कर सिद्ध करेगे कि वह हेस्टिंग्स से बहुत घुला-मिला था। मिस्टर हेस्टिंग्स यदि उसे घूसखोरी के लिए दलाल मान लें तो हम साबित करने की बहुत सी झंझटो से बच जायेंगे। दूसरी बडी घूस जो हेस्टिंग्स द्वारा लिए जाने का पता लगा है वह हे सन् १७८१ मे गंगा गोविंद सिंह के माध्यम से लिए गए ४०,००० पौंड का। इस रहस्य का पता उसके एक दूसरे गोरे दलाल मिस्टर लारकिन्स द्वारा लगा, जिसे बाद में उसने प्रेसीडेन्सी का एकाउन्टेन्ट जेनरल बनाया था। बड़े भ्रष्ट ढंग से लिए गए इस घूस के बदले में उसने एक रुक्का ले लिया अपने हिसाब मे, जैसे कंपनी को उधार दिया हो। अदालत व वकीलों की ओर से बहुत दबाव पड़ने पर हेस्टिंग्स

ने लारकिन्स को लिखा कि वह घूसो का ब्योरा भेजे। लारकिन्स ने कई घूसों का ब्योरा भेजा जो प्रमाण के रूप मे श्रीमान के सामने पेश है। इस हिसाब मे दीनाजपुर नं० १ के नाम से लिखा है—"कर्जो के कागजो के दोहरे नकल, जो कंपनी के लिए हेस्टिंग्स द्वारा प्राप्त किए गए थे और नायब खजाची के पास जमा किए गए थे।" हम देखते है कि इसमे चार लाख रुपये देने का वचन दिया गया है, जिसमे तीन लाख प्राप्त हो चुके है और इस हिसाब के समय तक एक लाख बाकी थे। इस हिसाब से जाँच-पडताल के बाद हम इतना ही जान सकते है कि दीनाजपुर से बारह माहवारी भुगतान द्वारा तीन लाख रुपये प्राप्त हुए। चार का वादा था। और हमसे कहा गया कि यह रकम गगा गोविंद सिह के माध्यम मे आई। इस पत्र से यह पता चलता है कि गगा गोविद सिह पर हेस्टिंग्स नाराज था। अत आप देखेगे कि किस प्रकार हेस्टिंग्स साझे के भ्रष्टाचार मे भी अपने साथियो पर नाराज होता था।

श्रीमान, हम समझते है कि आप पूरी बात समझ नही पाए है। हमने एक प्रात पाया, रुपयो की रकम पायी, एक दलाल पाया और एक घूस लेने वाला पाया। प्रान्त है दीनाजपुर, दलाल है गगा गोविद सिह, रुपयो की रकम है ४०,००० पोंड और इसके एक हिस्से का प्राप्तकर्ता है हेस्टिंग्स, बस इतना ही पता लगता है। वह कौन था जिसने किस ढग मे रुपये दिए यह रपट नही है --यह तो वैसा ही है जैसे अज्ञात व्यक्तियो द्वारा की गई हत्या।

अब हमे उस समय दीनाजपुर मे हुए इस लेन-देन का पता लगाना चाहिए। अगर उस समय उस देश के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने कुछ भी किया हो तो यह कहा जा सकता है कि वही करने के लिए रुपया लिया गया। लेकिन हेस्टिंग्स ने स्वीकार किया है कि यह रकम भ्रष्ट चालो द्वारा प्राप्त की गई थी लेकिन इसका उपयोग या खर्च ईमानदारी मे किया गया था। पहली नजर मे ऐसा तो नही लगता। किससे उसने लिया यह स्पष्ट नही, केवल यही ज्ञात है कि उसने लिया। लेकिन उस लेन-देन का क्या प्रयोजन था, यही बात हम श्रीमान को बताना चाहते हैं हमने दीनाजपुर के कागजातो द्वारा बहुत खोज करके पता लगा लिया है।

दीनाजपुर रगपुर और इदराकपुर मिल कर एक राज्य बनाते है।—इगलैड के उत्तरी प्रदेशो के बराबर का राज्य। इस राज्य का शासक दीनाजपुर का राजा कहा जाता था।

हम देखते है कि सन् १७८० की जुलाई मे दीनाजपुर का राजा लंबी बीमारी के बाद मर जाता है, एक भाई और एक दत्तक पुत्र छोड कर। परिवार मे उत्तराधिकार को लेकर मामला चलता है। यह मामला कौंसिल व गवर्नर जनरल तक आता है जिन्हे अतिम निर्णय देना था। मामला मिस्टर हेस्टिंग्स के सामने आता है और हम देखते है कि वह भाई के विरुद्ध व दत्तक पुत्र के पक्ष मे निर्णय देता है। इस फैसले

के लिए एक कीमत निश्चित थी। हरजाना दिया गया। कम्पनी का हिस्सा सुरक्षित रहा। यह सब उचित लेन-देन हुआ। लेकिन इसके साथ ही हम बहुत असाधारण चीजें जुड़ी पाते हैं। हेस्टिंग्स का नाबालिग का पक्ष लेना। उसने नाबालिग लड़के की देख-रेख का भार रानी या राजा की विधवा के भाई पर डाला। यद्यपि मामले को सुनना व निर्णय देना उसकी सरकारी जिम्मेदारी व राजकीय कार्य था, पर जब दीनाजपुर का कारिन्दा हेस्टिंग्स के सामने अपनी बात कहने आता है तब परिवार में और गड़बड़ी न बढ़े, इसलिये हेस्टिंग्स उसे उसकी बात सुने बिना ही वापस भेज देता है। बल्कि हुक्म देकर उसे अपने दफ्तर से बाहर निकलवा देता है। सन् १७८० से प्रारम्भ होकर जुलाई सन् १७८१ तक बारह माहवारी किस्तों में यह रकम अनुचित ढंग से उस न्यायाधीश द्वारा ली गई, जो उत्तराधिकार का मुकदमा करने के लिये नियुक्त था। इस प्रकार एक फैसले के लिए उसने ४०,००० पौंड लिए—चाहे वह फैसला अनुचित हो या उचित, सच हो या झूठ।

श्रीमान देखेंगे कि यह रकम गंगा गोविन्द सिंह के द्वारा प्राप्त हुई थी। वह इस समझौते का दलाल था। वही माहवारी किस्त पर रुपये वसूल कर हेस्टिंग्स को देता था। उसका लड़का देश के प्रमुख रजिस्ट्रार-जनरल के दफ्तर मे था, जिसके हाथ मे सारे कागजात रहते थे, सारे दस्तावेज व वे कागज जो दो दलो के बीच मामला तै करने से संबंधित होते थे।

अगर दीनाजपुर के राजा से मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह घूस ली तो इसके अर्थ हैं कि पाच वर्ष के नाबालिग से उसने लिया —रजिस्ट्रार के हाथों। यानी कागजातों के रखने वाले के हाथों जज ने घूस लिया।

दीनाजपुर के इस मामले का इतिहास कम्पनी को जनता से मिला। इसका उल्लेख कागज पर भी है।

इस निर्णय के बहुत शीघ्र ही बाद में, घूस ले लेने के बाद ही, गंगा गोविंद सिंह द्वारा नाबालिग राजा के सभी अफसर व नौकर निकाल दिए गए। उन्हें हम नौकरी से बाहर पाते है। गबन के किसी प्रमाण या मामले के ही द्वारा हम उन्हें सजा पाया पाते है। उन पर अभियोग है कि उन्होंने राजा की शिक्षा में लापरवाही की, उसके मामलों को ठीक से नही रखा। और दत्तक माँ के रिश्तेदारो व परिवार मे दिलचस्पी रखने वालों को उससे दूर रखा जाने लगा।

इसी देश में गंगा गोविन्द सिंह के बाद उसके कामों को सफलतापूर्वक करने वाला दूसरा व्यक्ति था—देवी सिंह। मिस्टर हेस्टिंग्स ने इन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी कहा है।

इस अवसर पर दोनों प्रतिद्वंदी एकमत हुए। गंगा गोविंद सिंह ने देवी सिंह को सभी अफसरों के ऊपर अफसर नियुक्त किया और साथ ही मिस्टर गुडलेंड

नामक एक अंग्रेज व्यक्ति को उसी के बराबर अधिकार देकर नियुक्त किया। राजा के परिवार से पूर्णतया अपरिचित दोनों ने पहला कार्य जो किया वह था कि माहवारी भत्ते को १६०० से १००० कम किया। उनका कहना था कि निर्वाह के लिये ६०० काफी है। राजा के पालन-पोषण व घर-खर्च चलाने में बड़ी परेशानी हुई। लेकिन चालीस हजार पौंड प्राप्त करके हेस्टिंग्स को अपनी आँखो व कानो को बन्द रखना पड़ा। यह स्पष्ट है कि उस नाबालिग राजा से रुपये प्राप्त करने का और कोई उपाय न था, अतः भत्ते की रकम कम करके देवी सिंह और मिस्टर गुडलेड ने एक हजार पौंड प्रति माह यानी बारह हजार पौंड प्रति वर्ष की वसूली की।

हेस्टिंग्स ने इन सज्जनो को नाबालिग राजा का अभिभावक बनाया। इस हिसाब मे हम पाते है कि देवी सिंह व गुडलेड दोनो ही अपरिचित थे, उस क्षेत्र के लिए। देवी सिंह के अधीन राजा का सम्पूर्ण मामला व जमीदारी थी। अब प्रश्न है कि यह घूस राजा के उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा के लिए थी या इसे हेस्टिंग्स ने देवीसिंह से प्राप्त किया—राजा का अभिभावक बनाए जाने के घूस स्वरूप। राजा व उसके परिवार के अभिभावक के अर्थ थे—तीन खूब धनी प्रदेशों का मालिक होना। आप देखेंगे कि राजा उसके अधिकार मे है। आप देखेंगे कि राजा की शिक्षा, उसके घर का मामला उसके हाथ मे है। राजकाज व राजस्व भी उसी के हाथ मे था।

यदि हम कागजातो को देखे तो पता लगेगा कि राजस्व की नई कमेटी के अन्तर्गत सारा कामकाज सुचारु ढंग से ही हुआ है। पर मिस्टर हेस्टिंग्स के लेन-देन के मामलो की जाँच-पड़ताल से पता चलता है कि सब काम बड़ी गड़बडी के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ है। जाँच-पड़ताल मे यह ज्ञात होता है कि गवर्नर जनरल और देवीसिंह के बीच यह गुप्त सौदेबाजी थी और कमेटी केवल कागजी खानापूरी करने के लिये बनी थी। फिर जबसे हेस्टिंग्स ने राजस्व पद्धति को नया रूप दिया, कुछ भी अपनी शक्ल में नही दिखाई पड़ता। इन कागजातों के भ्रष्ट व जाली होते हुए भी, यह तो ज्ञात हो ही गया कि मुख्य दोषी कौन है और यदि उसके दोषों की पूरी तरह विवेचना न की गई तो यह बड़ी भूल होगी। मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि मै श्रीमान को बता दूं कि यह देवीसिंह कौन है।

[गवर्नर जनरल व कौंसिल के नाम देवीसिंह के लिये कमेटी की सिफारिश को मिस्टर बर्क ने पढ़ कर सुनाया।]

□ □ □

यह चुन कर लाया गया। यह देवीसिंह है जो व्यापार सम्बन्धी योग्यता, ईमानदारी व परिश्रम के लिये चुना गया है और यह कि ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई बात कही ही नहीं जा सकती। यह हेस्टिंग्स द्वारा कौंसिल की बही में

लिखा गया है और वहीं से डायरेक्टरों की परिषद को यही रिपोर्ट दी गई है। हेस्टिंग्स से अपने आप नोट किया है कि वह देवीसिंह को बहुत योग्य और भले आदमी के रूप में जानता है। देवीसिंह इन सभी उच्चतम पदों पर गंगा गोविंद सिंह के द्वारा पहुँचता है जिसके लिये मिस्टर हेस्टिंग्स ने ३०,००० पौंड घूस के हिस्से के रूप में प्राप्त किया था।

मैं मानता हूँ कि यह बडा भारी चक्कर है और इसकी जिम्मेदारी से मैं झिझक रहा हूँ। मैं थका हुआ हूं लेकिन मामले की ऐसी ही गंभीरता है। घूसखोरी के माध्यम से प्रारम्भ होने वाले भ्रष्ट उपाय एवं वहाँ के दफ्तरों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट व तकलीफों की बागडोर देवीसिंह के हाथों सौप देना जब कि यह जन-साधारण की राय है और पहले कभी किसी ने भी देवीसिंह का नाम नहीं सुना था बस वह केवल गंगा गोविन्द सिंह का परिचित था, मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स उसे कार्य भार सौंपने के पहले अच्छी तरह जानता था।

श्रीमान को बताना मेरे लिये आवश्यक हो गया है कि यह देवीसिंह कौन था जिसे इतने अधिक विश्वास के साथ उच्च पद दिये गये, और वे बड़े प्रान्त भी दिये गए।

यह सोचा जा सकता है और यह अस्वाभाविक भी न होगा कि इस प्रकार की भ्रष्ट व गंदी नियुक्ति के पीछे मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा रुपये खाये जाने के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन कौन जानता था कि इतना धोखा होगा। मिस्टर हेस्टिंग्स भी इसके चरित्र की विभिन्नताओं को नहीं जानता था। इसके विपरीत उसके मन मे बड़ा विश्वास था और इस व्यक्ति को पाने से वह बड़ा संतुष्ट भी था। वह उसके अनुभवों से पूर्णरूप से लाभ भी उठाता था।

मिस्टर हेस्टिंग्स का दूसरा परम विश्वासपात्र गंगा गोविंद सिंह ही समस्त बंगाल में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर देवीसिह के जोड़-तोड़ का था। वह कोई अनजान न था, वह परखा हुआ तथा तपाया हुआ आदमी था।

देवी सिंह ऐसा व्यक्ति था जिसने बंगाल में अँग्रेजी साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों मे, अपने को उन स्थानीय अफसरों से सम्बन्ध जोड़ रखा था जो अँग्रेजी साम्राज्य के ऊँचे पदों पर थे। सब से पहले वह एक मुस्लिम नवाब मोहम्मद रजा खाँ का दरबारी था, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ। फिर वह राजस्व विभाग में और फिर अब बंगाल के भ्रष्टाचारयुक्त न्याय के नाम पर उच्च पद पर आसीन हुआ। छोटे-बड़े सभी गंदे मामलों द्वारा बहुत बड़ी राशि इकट्ठा की। डायरेक्टरों की परिषद की आज्ञानुसार हेस्टिंग्स द्वारा इसे कलकत्ता का काम सौंपा गया। उस पर कई अपराधों के अभियोग थे, उस पर २२०,००० पौंड का कर्ज सिद्ध हुआ और ज्योंही वह कर्जदार घोषित हुआ, उसने भ्रष्टाचार बंद कर दिया।

मोहम्मद रजा खाँ का चरित्र देवी सिंह के चरित्र से बिल्कुल ही भिन्न था पर अपने चालाकी-भरे कामों से उसने उस पर अच्छा प्रभाव डाल रखा था।

उसी माध्यम से वह पुर्निया की सरकार का राजस्व अधिकारी बनाया गया। पुर्निया बहुत विशाल प्रांत है। इस पद पर उसने अपनी योग्यता का भरपूर प्रदर्शन किया, थोड़े समय में ही प्रान्त की आधी आबादी हो गई और प्रान्त नष्ट हो गया। जब देवी सिंह को अधिकार दिया गया था, तब पुर्निया का लगान एक लाख साठ हजार पौंड प्रति वर्ष था और अंत हुआ नब्बे हजार पौंड पर। बाद में राजस्व की राशि गिर कर ६०,००० पौंड प्रति वर्ष पर पहुँची। यानी प्रारम्भिक राशि के आधे से भी बहुत कम रह गई। इस प्रकार इस प्रांत के राजस्व की सभी जड़ें देवी सिंह ने काट दीं।

देवी सिंह का शासन भी पूरी तरह बदनाम, अहितकर और भ्रष्ट था। सन् १७७२ के सितंबर में मिस्टर हेस्टिंग्स ने ही जो उस समय कमेटी का प्रधान था, उसे भ्रष्टाचार के अभियोग में पदच्युत किया और सार्वजनिक रूप से फैसले में लिखा कि किसी भी व्यक्ति के लिए हर संभव भ्रष्टाचार व अत्याचार से वह योग्य है।

यह पदवी देकर भी हेस्टिंग्स ने उसे अपने उपयोग के लिए चुना। •

कंपनी के कागजातों में देवी सिंह की प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी थी, उसकी योग्यता अयोग्यता मानी जा चुकी थी, पर उसकी सम्पत्ति सुरक्षित थी। सन् १७७२ में मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो प्रबंध चालू किया, जिससे प्रान्तीय कौंसिलें बनाई गई थीं, देवी सिंह मुर्शिदाबाद की प्रान्तीय कौंसिल का नायब-सचिव बना। यह पुरानी सरकार की राजधानी थी। यही अंग्रेजी साम्राज्य का पहला प्रदेश भी था। सब मिला कर तब कंपनी को १२० लाख रुपये अथवा १,५००,००० पौंड के राजस्व की आमदनी थी। इस प्रादेशिक कौंसिल में रंगपुर और इदराकपुर आदि इलाके भी सम्मिलित थे।

देवी सिंह ने देखा कि यह शासन केवल नौजवानों से भरा था, जो मौज-मस्ती के लालची और तब के जीवन के लिए जैसा कि स्वाभाविक था, बड़ा था धन और मौज की लालच, देवी सिंह ने लाभ उठाया। उनकी जवानी और अनुभव-हीनता का उपयोग किया। वह सबों का निर्देशक बन बैठा।

उस प्रान्त में एक ऐसा टैक्स था जो धरती के टैक्स से अधिक लाभदायक था। यह सार्वजनिक वेश्यावृत्ति पर टैक्स था, समाज में नृत्य करने-वाली लड़कियों पर टैक्स। देवी सिंह ने इन्हीं टैक्सों की वृद्धि की। फल-स्वरूप उसने कानूनी चकलेघर स्थापित कराए। और उनमें से छाँट कर सुन्दर नौजवान लड़कियाँ उसने अपने नौजवान अफसरों के लिए सुरक्षित रख छोड़ी। ये चुनी हुई स्त्रियाँ केवल अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं पर ही नहीं स्वीकार

की जाती थीं बल्कि पूर्वी देशों के नियम के अनुसार उसने उनके नाम जो बहुत सुंदर व मधुर रख दिए थे, वह भी उनकी विशेषता समझी जाती थी। यदि उन नामों का अनुवाद किया जाय तो ये होंगे—जीवन की पूंजी, हृदय की पूंजी, पूर्णता की भंडार, हीरा, मोती, माणिक। इन लड़कियों की सुरक्षा का वह खूब ध्यान रखता, उनकी तन्दुरुस्ती का ध्यान रखता और अफसरों की सेवा में उन्हें भेट करता। वह अफसरों को प्रसन्न करने को बड़े-बड़े उत्सव करता और इन उत्सवों मे मेहमान लोग चुनी हुई सुन्दर स्त्रियों के संग व्यस्त रहते, फ्रास की स्वादिष्ट शराब के नशे मे चूर रहते और भारत की सुगंधित तमाखू के नशे मे बेहोश रहते और योरुप और एशिया की मिली-जुली मस्ती मे चूर होते तो वह सतर्कतापूर्वक मौका खोज कर अपना व्यापार करता और ऐसे काम अपने अफसरो से करा लेता जो और अफसरों पर वह इन अफसरों से कहने की भी हिम्मत न कर पाता। क्योंकि उनके नौजवान अफसर लापरवाह और अनुभवहीन होते और अनजाने ही भ्रष्टाचार के शिकार बन जाते। उनकी अतृप्त भावनाओं को वह जगाता और उन्हीं से रुपये ऐंठ कर उनके लिए मौज के सामान जुटा लाता। और इन्ही उपायो से उसने सभी प्रान्तों व वहाँ की सरकार पर अपना प्रभुत्व जमा लिया।

आप यह समझे कि कई चीजों का हमे ठीक-ठीक पता भी नही है, विशेषकर भारत मे साम्राज्य की सही स्थिति का। जब हम शान से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य कहते तो वास्तविकता यह होती कि बहुत निम्नस्तर और स्थानीय बदमाशों के हाथों मे ही हमारे नौजवान अफसरो की कुंजी होती। बनिये इस अवसर का लाभ उठा कर अफसरों को रुपये उधार देते और उन अफसरों के माध्यम से सरकार के ऊपर छा जाते।

इन तमाम व तरह-तरह के रास्तो व तरीको से देवी सिंह अपनी प्रगति करता गया और समस्त राजस्व पर हावी हो गया। हर सरकारी व्यापार मे उसका जाल बिछा होता और किसी न किसी प्रकार वह काफी धन कमाता जाता।

ऐसे समय मे मिस्टर हेस्टिंग्स उस पर अपनी निगाह रखता, उसकी प्रगति को प्रोत्साहन देता। वह जहाँ हेस्टिंग्स की निगाहों मे उठता गया वही वह दूसरे अफसरो की निगाहो में गिरता भी गया। धीरे-धीरे देवी सिंह के विरुद्ध कारण इकट्ठे होते गए, मौजमस्ती का नशा भी टूटता गया और प्रान्तीय कौंसिले सतर्क होती गई। अत में उसे उसके पद से हटाने का निश्चय हो गया।

तब देवी सिंह ने देखा कि कौंसिल पूरी तरह उसके विरुद्ध हो गई और उसकी आगे न चल पावेगी तो उसने घूस दे-देकर उन्हें तोड़ना शुरू किया और हर तरह के रास्ते अपनाए।

मिस्टर हेस्टिंग्स भी बिना हिचक ही अफसरो के नाम पर सौदेबाजी करने लगा। उसने खुलेआम ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को बेचना शुरू किया। उसने

पूरी तरह मुर्शिदाबाद की कौंसिल को तोड़ा, जो कौंसिल पिछले बारह बरसों से पूरी तरह स्थापित थी।

अब हेस्टिंग्स ने कर्नल मानसन व जनरल क्लेवरिंग की मौत के बाद मिस्टर फ्रैंसिस की जड़ हिलाई जो अर्द्धमृतक के रूप में अपने पद से अलग हुआ।

इतना ही नहीं कि देवी सिंह का बदला लेने के लिए अंग्रेजों की इस प्रकार कुरबानी की गई, बल्कि समस्त जिम्मेदार पद उसने स्थानीय लोगों को सौंप दिए। घूस की दलाली को आधार बना कर उसने दो विरोधियों को एक ही स्थान पर ला खड़ा किया, जो पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, गंगा गोविन्द सिंह और देवी सिंह। उसने दोनों के पापों को एक में जोड़ कर दोनों को एक बनाया। देवी सिंह दो वर्षों तक दीनाजपुर, रंगपुर और इदराकपुर के तीनों प्रान्तों का मालिक बना रहा जो भूभाग किसी प्रकार भी उत्तरी इंगलैंड और यार्कशायर से कम न था।

अपनी योजना व कार्य में कोई चीज बाधक न बने इसलिए उसने पहले से बने बंगाल सम्बन्धी सभी राजस्व के नियमों को मूलतः बदल दिया। एक अफसर जिसे दीवान कहते थे, उसे सभी राजस्व सम्बन्धी मामलों की देख-देख के लिये प्रत्येक प्रांत में नियुक्त किया गया। इस पद को भी उसने देवी सिंह के हवाले ही किया और इन प्रांतों में न तो कोई निरीक्षण, न कोई दबाव, न कोई कानून, न कोई न्यायालय रह गया। और हेस्टिंग्स के इशारों पर उसके पसन्द के कार्य करने वाला तथा पुर्निया प्रांत का नाशक देवी सिंह ही वहाँ एकमात्र सर्वशक्तिमान अधिकारी बना रहा, जो मनुष्यता को बदनाम करने वाले किसी भी काम में पूर्णयता चतुर और योग्य था।

भारत के निवासियों के दुर्भाग्य से हर प्रकार की जंगली योजना व हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के फलस्वरूप कम्पनी के राजस्व में वृद्धि हुई। मिस्टर हेस्टिंग्स ने चालीस हजार पौंड के घूस को केवल अपनी ही जेब में न रख कर कम्पनी को भी उसका भागीदार या साझीदार बनाया। रंगपुर प्रांत से सात हजार पौंड प्रतिवर्ष की आमदनी बढ़ी।

देवी सिंह ने अपना मुख्य स्थान दीनाजपुर को बनाया, जहाँ पहुँचने पर उसने एक क्षण का भी समय नष्ट न किया और अपने काम में तत्काल लग गया। अगर मिस्टर हेस्टिंग्स अपनी बातें भूल सकता है तो हमें समझना चाहिए कि देवी सिंह उससे भी अधिक भुलक्कड़ है। वह ज्यों ही प्रान्त में आया कि वह अपनी समस्त पिछली बातें भूल गया। आते ही उसने जमीदारों व भूमि के मालिकों के लगान व नजराने की रकम बढ़ा दी। और जमीदारों व भूमि के मालिकों ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। इस अवज्ञा के फलस्वरूप क्रोधित होकर उसने सभी जमींदारों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया और राजकीय व्यक्तियों के जोर-दबाव पर लोगों को अपनी बरबादी के कागजातों पर हस्ताक्षर करने पड़े।

यह जानते हुए भी कि इतनी बडी लगान व नजराने की रकम कभी वसूल न हो सकेगी ।

उन स्थानीय लोगो को बन्द करके वह प्रतिदिन अपनी माँग बढाता गया । यहाँ तक कि जल्दी ही उसकी योजना के पूरे होने की आशा दिखने लगी और जमीदार लोग इतने खोखले हो गए कि अत मे उन्हे अपनी जमीने बेचना प्रारभ कर देना पडा ।

उस देश के जमीदारो की जमीनो की कई ढंग से व्यवस्था है । सर्वप्रथम जिसमे अधिकाश लोग आते है वे लगान देते है । कुछ जमीने मुक्त हे, यानी कर-मुक्त है और सरकार को लगाने नही देनी पडती । अतिम व्यवस्था मे जमीने केवल जमीदारो व उनके परिवार के प्रयोग के लिए होती है । पहली व्यवस्था की जमीने सबमे पहले बहुत ही सस्ते दामो मे बिकी । और कर-मुक्त जमीने जो प्रात भर मे सबसे अच्छी व उपजाऊ थी वे बिकी । पर किस दर से बिकी ? वे एक वर्ष से कम के लिए बिकी, बहुत ही सस्ते मूल्य पर, यानी अग्रेजी नाप के एक एकड की कीमत लगभग सात या आठ शिलिंग मात्र । इस प्रकार के सौदो मे खरीदार की प्रमुखता होती है । लेकिन इस सौदे के पीछे वास्तविकता क्या थी ? खरीदार हेस्टिग्स का दलाल यानी खुद देवी सिह था । उसने योजना बनाई, बलपूर्वक बिक्री कराई, कीमते कम की, वह एक वर्ष मे कम की अवधि के लिए खरीदार बन बैठा और उन्ही से लूटे पैसे उन्हे देकर मालिक बना ।

इस प्रकार जमीने हथिया कर और जमीनो को टुकडो मे बाँट कर, उसने प्रति वर्ष ७००० पौड की आमदनी बढाई । फिर उन जमीनो को अपनी जमीदारी, व्यक्तिगत सपत्ति उसने बनाया ।

इस प्रकार वहाँ के लोग अपनी जमीन बेच कर भी कर्जदार ही बने रहे । इस प्रकार कर्ज का व्याज, व्याज पर व्याज और कर्ज की रकम प्रतिक्षण बढती गई । इसे भी दुर्भाग्य ही कहेगे कि उस समय उस देश मे अधिकाश जमीदार व जमीन के मालिक औरते थी । भारत मे स्त्री जाति की मर्यादा हर सभव उपाय से सुरक्षित रखी जाती है । किसी भी प्रकार, कानून के सहारे भी पुरुष हाथ उन तक नही पहुँच सकते । लेकिन वहाँ सरकारी व व्यक्तिगत उपाय द्वारा जहाँ स्त्री का सम्बन्ध होता है वहाँ पुरुष व स्त्री के बीच सम्पर्क के लिए एक विशेष जाति के दलाल रखे जाते हे, जिन्हे हिजडा कहते है । स्त्रो के घरो की चौकीदार रक्षा करते है । हिजडे ही जमीदारो के घरो की स्त्रियो तक पहुँचते है । जमीदार के रूप मे उच्च परिवार की स्त्रियाँ थी जिन्हे परम्परा से या परिवार के उत्तराधिकार मे जमीदारी मिली थी । अब स्थिति वह आई कि सरकारी लूट-खसोट के कारण उनके नौकर या रक्षक भूखो मरने लगे । मिस्टर हेस्टिंग्स को दिए जाने वाले मासिक घूस को किस्ते बडी बेदरदी से वसूली जाती थी ।

जमीदारों ने अपनी दुर्दशा के पहले अपनी जमीनों को धर्मार्थ तथा धार्मिक प्रयोग के लिए लिखना शुरू किया जिससे कि लंगडों व अंधों को टाँगें व आँखें मिल सकें। यहाँ तक कि वे कुछ जमीनें सुरक्षित कर देते थे कि उनके मरने पर उनकी अंतिम क्रिया हो सके, क्योंकि मौत के सिवा अपने दुखदायी जीवन मे छुटकारा पा सकने का उनके सामने कोई अन्य रास्ता न था। उनके जीवन मे कष्ट व दुख जितना ही बढ़ता जाता, सरकार की ओर से कठोरता व माँगें बढ़ती जाती। श्रीमान को उन लोगों की सही स्थिति की जानकारी के लिए जो मिस्टर हेस्टिंग्स की बढती हुई घूस की प्यास व भूख के शिकार थे, मैं राजा देवी सिंह के शब्दों को एक बार आपके सम्मुख पढ़ूँगा। देवी सिंह पर जब एक औरत के चाँदी व सोने के गहनों के गलत प्रकार की बिक्री का अभियोग लगाया गया तो उसने इन शब्दों मे अपने पर लगाए गए अभियोग का विरोध किया, "यह एक बकवास है कि देश के अन्य भागो से अधिक ही रंगपुर में गरीबी थी। वहाँ के जमीदार फसल कटने के समय बडी सम्पत्ति के मालिक होते हैं जब कि साधारण लोग मुश्किल से जीविका चला पाते हैं। और यही कारण है कि अकाल के इतने लोग शिकार हुए। उनके पास मुट्ठी भर मिट्टी के खंडहर व घासपात के सिवा कुछ न होता। ऐसे हजार लोगों की सम्पत्ति बेच कर भी बीस शिलिंग नहीं पाया जा सकता।"

ऐसे लोगों के सम्बन्ध में यह बयान है जिनसे बड़े करों के अतिरिक्त भी हेस्टिंग्स ४०,००० पौंड वसूलता था। अतः श्रीमान को इनके परिणामों से भी आश्चर्य नही करना चाहिए। छोटे किसानो-मजदूरों का यह दुखी समाज शक्तिशालियो द्वारा जानवरों की तरह खदेड़े जाते थे, जेल में बन्द होने को विवश किए जाते थे, मार खाते थे।

इसके अलावा कल्पना मे आ सकने वाले किसी भी उपाय का इनके लिए अत्याचारी प्रयोग किया जाता था। आप श्रीमान, आश्चर्य और घृणा से सब कहानी सुनेंगे।

देश कई टुकड़ों में बँटा होने के कारण, बहुत अधिक जमीन बेकार होती थी और दुखी लोगों से भी बलप्रयोग द्वारा कर व सम्पत्ति वसूली जाती थी। इन किसानो का बोझ इस कारण और बढ़ गया था कि उनके साथ मिल कर खेतों मे काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को वहाँ से भगा दिया गया था। इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय था कि किसान लोग ब्याज पर रुपये लेने के लिए विवश हो जाते थे और ब्याज पर रुपये देने वाला मनमाने ब्याज पर रुपये देकर उनके बोध को और अधिक बढ़ाता था। मिस्टर हेस्टिंग्स को मिलने वाली घूस की रकम को पूरा करने के लिए उन्हें मनमाने ब्याज आदि पर विवश होकर रुपये लेने पड़ते थे। ब्याज की दर अक्सर पाँच, दस, बीस, चालीस प्रतिशत तक होती थी। कुछ उदाहरण तो छः सौ प्रतिशत प्रतिवर्ष के भी मिलते हैं। एक गरीब किसान को

सरकारी कर के लिए छः सौ प्रतिशत देना पड़ता था। इतना ही नहीं, कर्ज के भार से मुक्त होने के लिए उन्हें फसल तैयार होते ही उसे मन्डियों में पहुँचा देना पड़ता था और बाजार के साहूकारों की चालों के कारण एक का पाँचवाँ हिस्सा पा कर ही उन्हें बिक्री करनी पड़ती थी। इस प्रकार फसल भी चली जाती थी और कर्ज बना रहता था। हमारे पास इस बात के सुबूत हैं कि विवशता से पाँच-पाँच गाएँ सात या आठ शिलिंग में बिकती थी। इसी प्रकार ऐसी ही सस्ती कीमत पर सब कुछ बिकता था। इतना ही नहीं, किसानों की आँखों के सामने उनके घरों में आग लगा दी जाती थी। यह कर या राजस्व इकट्ठा करने में क्रूरता नहीं थी, यह उस देश के लिए युद्ध से बढ़ कर था।

किसानों के पास उनके शरीर व परिवार के अलावा कुछ न बचता था। जिन लोगों के पास खाने-पीने की तनिक भी सुविधा थी वे अपने बच्चों व बीबी तक ही सीमित रहते थे। पर लोगों को बाजारों में अपने बच्चे भी बेचने पड़े थे। पति अपनी पत्नियों को बेचते थे। और इस प्रकार हेस्टिंग्स के अत्याचार का शिकार हर बाप, बेटे, भाई व पति को होना पड़ता था।

अब मैं उनके दुखों की अन्तिम सीमा की बात करूँगा। आँखों से दिखाई पड़ने वाली हर चीज बिक गई, केवल अपना शरीर भर बचा रहता था।

यह तो अत्याचार व कठोरता का नियम है कि पहले प्रहार की सफलता से वह संतुष्ट न हो। उनमें भीतर ही भीतर एक हीन भावना पलती रहती है। फलस्वरूप वे अपने नपुंसक अत्याचार के प्रयत्नों को दूना कर देते है और जब निराशा हाथ लगती है तो वे खीझ जाते हैं। क्रूर आदमी से बदल करके भयानक पशु बन जाते है।

देवी सिंह और उसके सहयोगियों को सन्देह था कि जमींदार लोगो ने अपनी मूल्यवान सम्पत्ति का अधिकांश भाग छिपा रखा है, अपनी फसल का अंश भी सूखे महीनों की खाद्य की समस्या हल करने को छिपा रखा है। और बेचारे पीड़ित लोग जानते थे कि मिस्टर हेस्टिंग्स की माँग तनिक भी देरी को बरदाश्त नही कर सकती। वह समस्त मानवो का एक शिलिंग की कमी के लिए अंत कर सकता है। अतः जब उनकी आँखों से छिपाया गया धन व अनाज अत्याचार, मारपीट और जेल भेजने से भी नहीं पाया जा सका तो उन्होंने अन्तिम सीमा भी छू ली—आदमियों के शरीर को नंगा करना शुरू किया। अब श्रीमान ऐसे-ऐसे क्रूरता व अत्याचार के दृश्य उपस्थित होने लगे जिसके संसार के इतिहास में कही भी उदाहरण न मिलेंगे। इस चीजों की जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त कमिश्नर मिस्टर पिटरसन ने बहुत क्षमा माँग कर उस समय की बातों का वर्णन इस प्रकार किया है—"कर न देने के लिए रंगपुर व दीनाजपुर दोनों स्थानों पर जनता पर अत्याचार हो रहे थे। उसमें ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई है जिनमें अधिकांश के बारे मे कुछ न कह कर मैं

केवल उन पर परदा डालना ही उचित समझता हूँ क्योंकि विस्तार से उनका वर्णन करूँगा तो श्रीमान की भावनाओं को आघात पहुँचेगा। लेकिन उनके बताने का काम चाहे कितना ही अशोभनीय क्यों न हो, पर न्याय, मानवता और सरकार की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है कि उनका पूरा हवाला प्रस्तुत किया जाय जिसमें कि भविष्य में वे न दुहराई जा सकें।

श्रीमान, अत्याचार व क्रूरता के नमूने देखिए। इन प्रान्तों के दुखी खेतिहर लोगों की उँगलियों के चारों ओर रस्सी लपेटी जाती थी, इतनी कस कर कि उँगलियाँ आपस मे एक दूसरे से चिपक जातीं फिर उनके बीच में लोहे की शलाका घुमेड़ी जाती, जिससे असह्य पीड़ा होती, वे चीखते-चिल्लाते और अंत में उन गरीबों, मिहनत कर के जीने वालों के हाथ काट कर उन्हें लूला कर दिया जाता। उनके परिश्रमी हाथ काट दिए जाते। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ ये कटे हुए हाथ काम करेंगे। जब वे परिश्रमी हाथ स्वर्ग की ओर उठेंगे तब उन्हें कौन रोक सकेगा? श्रीमान यह बहुत ही विचारणीय विषय है। हमें इन पर विचार करना चाहिए।

अब मैं श्रीमान के सम्मुख वह बात उपस्थित करूँगा जो मुझे प्रमाणित करना है। स्त्रियों, किसानों, ग्राम प्रमुखों व पंचों को दो-दो के रूप में यानी दो-दो व्यक्तियों की एक-एक टाँगें आपस में बाँध कर उन पर मुकदमे चलाए गए। उन्हे सिर झुका कर एक छड़ के सहारे खड़ा होना पड़ता था, उन्हें जूतों की मार पड़ती थी जब तक कि नाले निकल कर न गिर पड़ें। फिर उनके सिरों पर प्रहार होते. उनके सिर झूल जाते, फिर लाठी से उन्हें पीटा जाता—तब तक, जब तक उनकी आँखों, मुँह व नाक से खून की धारा न बहने लगती।

निर्बल, बीमार तथा दुखी किसानों के लिए हल्की व साधारण मार ही यथेष्ट होती थी, पर उन्हे कड़ी मार की सजा मिलती। बाँस की लाठियों के स्थान पर काँटेदार पेड़ों के तने का प्रयोग होता जिससे मार खाने वालों के शरीर फट-फट जाते।

रात को इन मुसीबत के मारों को खुले मैदान मे निकाल दिया जाता। जाड़ों की ठिठुरती रात में उनके शरीर के घावों की चिन्ता न कर के उन्हें पानी में डुबो दिया जाता। जब ठंड से उनके जबड़े हिलने लगते और शरीर के अंग काँपने लगते तो उन्हे फिर कोड़ों से पीटा जाता। हालत यहाँ तक आई कि बच्चे भूख से अपने बाप व माँ के सामने दम तोड़ने लगे। इतना ही नहीं, बाप व बेटों को एक साथ जोड़ कर रस्सी से बाँध दिया जाता। क्रूरता की सीमा का कहीं पता न था।

किसानों की बेटियों व घर की अन्य युवती कुँवारी लड़कियों को, जिन्होंने शायद ही कभी सूरज की खुली रोशनी देखी हो, भी घर से बाहर खदेड़ दिया

जाता। अदालत में उन्हें उपस्थित किया जाता जहाँ न्यायाधीश व जज के रूप में हेस्टिंग्स के दलाल गुंडे व बदमाश न्याय करने बैठते थे। ये असहाय औरतें अपने ईश्वर का नाम ले लेकर अत्याचारियों को कोसतीं और रो रो कर जमीन-आसमान एक कर देतीं। पत्नियाँ अपने पतियों से अलग कर दी जातीं। सभी स्त्रियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते कि उनकी इज्जत व आजादी दोनों लुट जाती। वे पूरी तरह नंगी कर के सड़कों पर खुले आम खदेड़ दी जातीं। उनके स्तनों पर लाठी व कुंदों से प्रहार किया जाता। लेकिन यहाँ भी अत्याचार व क्रूरता का अंत न होता। अत्याचार व क्रूरता इस हद तक बढ़ी कि प्रकृति, लज्जा व स्त्री-योनि के संग ऐसे अमानुषिक अत्याचार किए गए जिनका वर्णन मै स्वयं घृणा व लज्जा के कारण नहीं कर सकता। समझने के लिए इतना ही समझना यथेष्ट होगा कि मनुष्य व जानवर में कोई अंतर नहीं रह गया था।

श्रीमान, इंगलैंड हो या भारत, मनुष्यता व कष्ट की भावना सभी जगह एक जैसी है। और इस प्रकार भारत के आदमियों के साथ जो व्यवहार हुए, उस कष्ट की कल्पना हम इंगलैंड में बैठ कर भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ वह वास्तव में मेरे वर्णन से बहुत अधिक हुआ।

जिन स्त्रियो के साथ यह व्यवहार हुए, उन्हें अपनी जाति खोनी पड़ी इसके लिए हमें उस देश के निवासी या वहाँ के समाज के नियमों की आलोचना नहीं करनी है क्योंकि यह उनकी परम्परा की मान्यताएँ हैं जिन पर कोई तर्क या कोई सुझाव संभव नहीं, न विदेशी शक्ति ही कभी इसमे तनिक भी बदलाव ला सकती है। वहाँ के आदवासी या हिन्दू जाति के लोग बहुत सी जातियों, उप-जातियों या समूहों में बँटे हैं। यह जातियाँ उनके व्यवसाय व स्थिति से संबंधित हैं। इसलिए एक जाति कभी भी दूसरी जाति से नहीं मिल पाती। हिन्दुओं में यह रीति है कि अपनी कोई भूल न हो तो भी थोड़ी गन्दगी या छोटे कर्म से जाति चली जाती है और जब सबसे ऊँची जाति—ब्राह्मण, जो ऊँची ही नहीं पवित्र भी है—से कोई जातिच्युत होता है तो उसे नीचे की दूसरी जाति में भी स्थान नहीं मिलता बल्कि वह सभी उप-जातियों से अलग हो जाता है। और ऐसा होते ही जीवन के सभी सम्बन्ध एकाएक टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके घर वाले उसके नहीं रह जाते, उसकी पत्नी उसकी नहीं रह जाती, उसके बच्चे उसके नहीं रह जाते, वह अपने को बच्चों का बाप नहीं कह सकता। और एक सामाजिक प्राणी को इससे बड़ी और क्या सजा मिल सकती है। कोढ़, प्लेग आदि बीमारियाँ भी इतनी भयानक नहीं हैं। वह फिर कोई प्रतिष्ठित व्यापार नहीं कर सकता। वह तिरस्कृत बन कर रह जाता है। ऐसे तिरस्कृत और पदच्युत लोग इतना बड़ा अपमान पाकर जीवित नहीं बचते। और यदि बचते हैं तो बाकी जीवन घृणा के साथ ही बीतता है।

जिनके बारे में अभी मैंने दुख और वेदना की बड़ी सूची प्रस्तुत की है उनमें से ब्राह्मण जाति के लोगों को बडी संख्या में जातिच्युत किया गया। इसका एक भद्दा ढंग भी निकाल लिया गया था। अदालत के दरवाजे तक एक बैल लाया जाता। ब्राह्मण को उसकी पीठ पर बैठाया जाता और उसे शहर भर घुमाया जाता और आगे-आगे ढोल पीटा जाता। इस प्रकार दूसरो को बताया जाता कि यह बैल यह ढोल उसके जातिच्युत होने के निशान है। यह प्रथा सारे देश मे चालू थी। जब किसी ब्राह्मण को पकड़ा जाता तो इसी प्रकार की दुर्दशा की सम्भावना से उसे डराया जाता और वह बेचारा डर कर जातिच्युत होने के भय से एक मिनट में ही आत्म-समर्पण कर देता और जो भी आदेश उसे दिया जाता वह मानता। यह क्या प्रथा थी या क्रूरता की सीमा थी यह देखा जा सकता है। जब कोई गरीब ब्राह्मण चाह कर भी आदेशों का पालन न कर पाता तो वह बुरी तरह सताया जाता और अवसर पाते ही वह कम्पनी के कमिश्नर के पास भागा आता और अपनी विपदा रो-रो कर सुनाता---"मुझे इस तरह सताया गया है। मेरी जाति भ्रष्ट हो गई, मेरा जीवन मेरे लिए एक बोझ बन गया है, मेरे संग न्याय किया जाय।" लेकिन उसकी पुकार व्यर्थ जाती।

आप श्रीमान को आश्चर्य न होगा यदि कहा जाय कि इस प्रकार की भयानक तथा दम घोटने वाली माँगो के कारण समस्त प्रान्त त्राहि-त्राहि कर रहा था। वे जमीन पर अपनी फसल बिछा देते। छिपाने का प्रयत्न करते। परन्तु जब सरकारी सिपाही आते तो वे छिपा अनाज खोज लेते और किसान को जेल मे ले जाकर बन्द कर देते। बहुत से लोग इस सकट से बचने के लिए घने जंगलो मे भाग जाते और उन्हे वारेन हेस्टिंग्स के अत्याचारो से अधिक सुरक्षित प्रतीत होता कि वे जंगलो मे बाघ व चीतो के शिकार बनते। जब यहाँ भी सुरक्षा पाने की सम्भावना न रहती तो जगली जानवरो की खुराक बनने या खुद भूखो मरने से बचने के लिए अगर वे अपने घर वापस आ जाते तो उन्हे किसी न किसी बहाने कत्ल कर दिया जाता। यह कार्य सर्वप्रथम रंगपुर से प्रारम्भ हुआ और शीघ्र ही यह आग आसपास के प्रांतो मे फैल गई। इन प्रदेशो का अंग्रेज अफसर केवल एक मूक दर्शक होता, इस प्रकार की क्रूर घटनाओं का वर्णन करके मै ऊब गया हू।

अपनी भारतीय सरकार मे जो माँग होती है उसको इन्कार किया जाता है। निराशा व धैर्य को संतोष बताया जाता है। परन्तु यह जो सामूहिक नरसंहार या अमानुषिकता हो रही है वह किसी भी क्षण विद्रोह का कारण बन सकती है। समस्त प्रदेशो के हाहाकार व दुख को धोखाधड़ी के जिस परदे से ढाँका गया है, वह टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। कलकत्ते मे घंटा बजा भी, डर था कि यह खबरें इंगलैड तक न पहुँच जायें। प्रांत का अंग्रेज उच्चाधिकारी मिस्टर गुडलेड ने मिस्टर हेस्टिंग्स की राजस्व समिति या कौंसिल तक यह बात पहुँचाई कि यहाँ बंगाल मे

बहुत भयानक व बड़ा उत्पात हुआ है जैसा इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। लेकिन वह आरामतलब या लापरवाह आदमी इन घटनाओं के महत्व व गंभीरता को समझ ही न पाया। उसने सोचा कि सम्भवतः वसूली मे कोई कड़ाई या अनियमितता हुई हो। फिर बहुत जानकारी प्राप्त करने के बाद पता लगा कि एक सार्वजनिक विरोध पैदा हो गया है और जमींदारों ने यह जान कर कि देवी सिंह के पट्टे की अवधि अब समाप्त हो रही है, उन्होंने आगे कोई भी कर देने से इन्कार कर दिया।

जब जनता के घावो से खून टपक ही रहा था, प्रदेश भर के लोगो ने कर देने से इन्कार कर दिया और विद्रोह की चिनगारियाँ छिटकने लगी थी तब मिस्टर हेस्टिंग्स की कमेटी ने एक जाँच-समिति बैठाई। अब उन्हे स्थिति की गंभीरता का ह.का-सा ज्ञान हुआ। उन्होंने सतर्कता से अपने चारो ओर देखा और सोचा कि कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। उन्होंने निश्चित किया कि प्रदेशो मे एक-एक विशेष कमिश्नर भेजा जाय और ऐसे को जिसका चरित्र इस कार्य मे सहायक हो। उनकी दृष्टि सीधे कम्पनी के एक कर्मचारी मिस्टर पिटरसन पर पड़ी जो अच्छे चरित्र का था तथा कम्पनी की सेवा मे काफी अरसे से था। मिस्टर पिटरसन बहुत अच्छे व ठंडे स्वभाव का, शिष्ट व्यवहार का, मध्यमार्गी विचारो का, दलबन्दी से दूर रहने वाला व्यक्ति था और ऐसे चरित्र के व्यक्ति की ही वे खोज मे थे। समझौता करने मे प्रवीण, सतुलित मस्तिष्क, वाह्य प्रभावहीन व्यक्ति से उन्होंने ऐसी रिपोर्ट की आशा की जो यह बतावे कि जनता व अत्याचारियो, दोनो के सिर दोष को बाँट कर मढ़ दे जिससे कि सारी शिकायते अपने आप मिट जाएं, जनता भी एक दुराशा मे भ्रमित रहे और राजकाज चलता रहे। इन्ही आशाओं के साथ मिस्टर हेस्टिंग्स की कमेटी ने मिस्टर पिटरसन को कमिश्नर नियुक्त किया और एक कमिश्नर के योग्य सम्पूर्ण अधिकारो से भी विभूषित किया। उसे अधिकार दिया गया कि कम्पनी के राजस्व का सभी हिसाब-किताब करने वाले उसके सम्मुख अपने हिसाब रख सकें, वह सबसे पूछ-ताछ व जाँच-पड़ताल कर और अवसर पड़ने पर निर्णय भी ले सके।

लेकिन कमेटी आशाओ के विपरीत पूरी तरह असफल रही। इस व्यक्ति के चुनाव मे उन्हे पूरी तरह धोखा हुआ। वातावरण की समस्त बातो को समझते हुए भी नये कमिश्नर पिटरसन ने एक दृढ़, वीर और साहसी, चतुर व भले आदमी का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रीमान, वह इस देश के उच्चतम चरित्रवान व्यक्ति का सुपुत्र है जिसने कई वर्षो तक पार्लमेंट में पूर्ति विभाग के अध्यक्ष की कुर्सी की शोभा बढाई है। आज भी वह सम्मानपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसके ही सुयोग्य सुपुत्र ने, ज्यों ही उसे कमिश्नर बनाया गया, अपने कार्यो के परिणामों का भी पूरी तरह अंदाज लगा लिया। वह जानता था कि किन-किन प्रलोभनो से उसे बचना है, जो देवी सिंह उसके सम्मुख रखेगा जिससे कि वह सचाई को दबा कर वास्त-

विकता को तुरन्त बदल दे। अत: उसने वह पत्र निकाला जो उसे अपने पिता से मिला और जिस पत्र को अपने चरित्र का संबल मानता था। वह जीवन के कठोरतम क्षणों में इस पत्र से शक्ति प्राप्त करता था।

उसने वह पत्र अपने सामने फैलाया और सच्चरित्रता, व्यभिचार का विरोध, सत्य के प्रति निष्ठा, कर्तव्य के प्रति ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर लग जाने का निश्चय किया।

अपनी जिम्मेदारी व योग्यता के प्रति विश्वास रख कर वह रंगपुर गया। उसे अपने कार्य की सफलता के लिए चौतरफा सहयोग मिलने की पूरी आशा थी लेकिन बंगाल के अन्य अंग्रेजों व वहाँ के निवासियों की तरह वह भी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि जिस गवर्नर-जनरल से वह अधिकार पा कर यहाँ आया है वह स्वयं ही प्रान्तों के दीवानों से घूस खा चुका है। और बड़ी रकमें लेकर अपनी ताकत को वह बेच चुका है। अगर यह वस्तुस्थिति पिटरसन को मालूम होती तो कोई भी तर्क या शक्ति उसे यह कार्य-भार लेने को विवश न करती कि वह देवी सिंह के ऊपर लगाए गए अभियोगों की जाँच का जिम्मा लेता। कितनी दयनीय स्थिति है, श्रीमान, बंगाल के ऐसे ईमानदार व सच्चे कर्मचारियों की कितनी दयनीय स्थिति है!

लेकिन पिटरसन इस कर्तव्य के कृष्ण पक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ था और वह सीधे-सादे ढंग से अपना कर्तव्य निभाने चला गया। कठिनाई से वह अभी अपने पाँव ही उस प्रांत की धरती पर रख पाया होता कि उसे वहाँ हुई सभी बातों की सचाई की गंध मिल गई कि समस्त लोगों ने अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें की हैं वे झूठी नहीं हो सकतीं और एक बरबाद उजड़े, आबादीहीन देश की दुर्दशा और घर छोड़ कर जंगलों में भाग गए आदमियों की आकाशभेदी करुण पुकार झूठी नहीं हो सकती। अपने पहले पत्र में ही उसने कमेटी के सम्मुख अपनी भावनाओं का इन स्मरणीय शब्दों में प्रदर्शन किया—"अपनी दो रिपोर्टों में मैंने साधारण रूप में उन अत्याचारों की चर्चा की है जो दंगों के बढ़ाने के कारण थे। इसलिए उन्हें तो फिर मैं न दुहराऊँगा। प्रतिदिन हर शिकायत की सचाई की जानकारी के लिए मैं जाँच करता हूँ और प्रतिदिन मुझे अपने पक्ष में प्रमाण मिलते जाते हैं। आश्चर्य तो तब होता अगर इतने पर भी वहाँ विद्रोह की अग्नि न भड़कती। यहाँ कर की बसूली नहीं हुई बल्कि सच्चे अर्थों में लूट व डकैती हुई है। न्याय के नाम पर केवल अपमान व अमानुषिक व्यवहार हुए हैं। यह व्यवहार कुछ लोगों के प्रति नहीं बल्कि समस्त निवासियों के साथ हुए हैं। चाहे किसी के दिमाग को कितना भी क्यों न दबा कर रखा जाय, पर कभी न कभी वह सुरक्षा व विरोध के लिए उठ खड़ा होगा। आप स्वयं ही कल्पना करें कि ऐसे विद्रोही की क्या स्थिति रही होगी जो यह देखे कि उसके पास जो कुछ भी था सभी कुछ लूट लिया गया है। उसकी सीमा व

सामर्थ्य से अधिक भी माँगते और अत्यन्त सस्ते में उसकी सम्पत्ति बिक जाय और फिर भी वह सजा व मुकदमे का भागी बने। इतने पर भी जब उसके परिवार का अपमान हो और उसे जातिच्युत किया जाय तब उनके मन पर क्या बीतती होगी ! आप भद्र लोग, इन आदिवासियों की गुप्त सम्पत्ति, उनकी स्त्रियों और जाति व बिरादरी पर हाथ लगाने वाले के प्रति उनकी भावनाओं का सहज ही अन्दाज लगा सकते है।"

देवी सिंह व सरकार द्वारा उसके रास्ते में अटकाए गए रोड़ों, और व्यभिचारी तरीकों के बाद भी वह हतोत्साहित हुए बिना अपने काम पर बढ़ता गया। इन सभी बाधाओं व असहयोग के बाद भी वह अपने काम में लगा रहा। उसने अनेक सच्ची रिपोर्टें तैयार की, उनके साथ अपूर्व प्रमाण जुटाए। वह पिटरसन के साहस का उदाहरण है। इन प्रमाणयुक्त रिपोर्टों के आधार पर ही मैंने कुछ तथ्य आपके सम्मुख रखे है और उन प्रभावों को बताया है जो मिस्टर हेस्टिंग्स की घूसखोरी के कारण प्रान्तों के विभिन्न भागों पर पड़े।

लेकिन अब स्पष्ट है कि १७८० के मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रबंध पर जो प्रकाश पड़ रहा है उससे ज्ञात होता है कि उसने कमेटी के नाम का एक परदा अपने अपराधो के बीच टाँग रखा था। कमेटी को उसके निश्चित आदेश थे। जब की पिटरसन रंगपुर में सभी हिसाब-किताब की जाँच करके गड़बड़ियों का प्रमाण खोज रहा था, तभी देवी सिंह को राजधानी में बुलाया गया। वहाँ प्रदेशों को लूटने वाले बहादुर के रूप में उसका स्वागत किया गया। उसने भी उन्हें ७०००,००० पौंड दिए थे। कलकत्ता व इंगलैंड की तिजोरियाँ उसने भरी थी। देवी सिंह ने कलकत्ता में अपना अच्छा रंग जमाया था। और जब देवी सिंह ने अपनी कमेटी को पूरी तरह तैयार कर लिया, तब तक पिटरसन लौटा।

आप श्रीमान यह तो ज्ञात हो गए हैं कि पिटरसन को बहुत सी बातें मालूम न थी। वह अनभिज्ञ व्यक्ति था। उसको भेजने वालो ने पहले तो उसकी रिपोर्ट को सच माना और जिन्होने उन रिपोर्टों पर आपत्ति की उन्हें ही अपने पक्ष में प्रमाण इकट्ठा करने का भार सौपा।

सिद्धान्त और नियम तथा सरकार के दूसरे कानून सभी मिस्टर हेस्टिंग्स की इच्छानुसार थे। जनता व राजस्व की रक्षा के लिए जो अधिकारी-परिषद निर्मित किया गया था और जिसे केवल नाममात्र को ही न्यायपूर्ण कहा जा सकता था, उसने रिपोर्ट के लिए प्रमाण जुटाने वाले अधिकारियों को काम से अलग कर दिया। देवी सिंह को रिपोर्ट के अनुसार दोषी माना गया पर अदालत में उन अपराधों को मान्यता न मिली और धोखे से अधिकारी परिषद ने अपने को न्याय परिषद बना लिया और यह दिखावा किया कि वे कानून के हर उप-कानून के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।

इस प्रकार की बाजीगरी या नाटक से वे सरकारी कागजातों को गायब करने में सफल हुए। उन्होंने प्रमाण को अदल-बदल दिया। उन्होंने पिटरसन की गवाहियों को पूरी मान्यता न दी।

वे और आगे बढ़े। शपथपूर्वक या शपथ के बिना दिए गए बयानों को रद्द किया। वे स्वयं भी अपराधियों के दल के सदस्य बन गए। उन्होने अपराधियों की जगह कमिश्नर पर ही अभियोग लगाए। उन्होंने ऐसे झूठे व किराए के गवाहों को खड़ा किया जिन्होंने पिटरसन पर ही अत्याचार करने के अपराध लगाए। देवी सिंह जो वास्तविक अपराधी था उसे सम्मानित व्यक्ति सिद्ध करने को कमिश्नर पिटरसन को ही अपराधी सिद्ध किया गया।

[यहाँ आकर मिस्टर बर्क में कुछ शारीरिक शिथिलता आ गई। उन्हें विवश होकर बैठ जाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर बर्क ने फिर सदन को संबोधित किया।]

श्रीमान, इस प्रकार आप के ध्यान को विचलित करने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। यह एक ऐसा विषय है जिसने मुझे बुरी तरह उत्तेजित कर दिया। यह बहुत लंबा, कठिन और कष्टप्रद कार्य है, पर ईश्वर की कृपा से मैं आप का समय नष्ट न कर के अपना कार्य करने की शक्ति पा रहा हूँ।

मुझे श्रीमान से बताना है कि उन्होंने जो दूसरा कदम उठाया, उससे मिस्टर पिटरसन को दोषी सिद्ध कर के उसके रिपोर्टों व प्रमाण को गलत व झूठे सिद्ध करने मे सफल हुए और उन्होने अपने कार्य की पद्धति ही बदल दी।

[मिस्टर बर्क का शारीरिक कष्ट बढ़ गया। महामहिम प्रिंस आफ वेल्स के प्रस्ताव पर सदन ने कार्यवाही स्थगित कर दी।]

छठवें दिन की कार्यवाही

[१६ फरवरी, सन् १७८८]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, जो महान दायित्व मैंने स्वीकार किया है, उसके पालन में अभाग्य-वश बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ पड़ा, इसे मैं अभाग्य ही कहूँगा और लज्जाजनक भी, परन्तु आप श्रीमान की जागृत मानवता और न्यायप्रियता ने सब ठीक कर दिया है और मैं आज अधिक आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य प्रारम्भ करता हूँ।

श्रीमान, मैं समझता हूँ (जहाँ तक मुझे याद है) कि सदन की कार्यवाही उस समय स्थगित हो गयी थी, मैं उन उत्पातों का वर्णन कर रहा था जो मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा अपने अधिकारों को एक कौंसिल पर और एक ऐसे बुरे आदमी पर छोड़ने के फलस्वरूप हुए थे, जो भारत का आदिवासी, काला हिन्दुस्तानी, कल्पनातीत दुश्चरित्र व्यक्ति था। इसका परिणाम हुआ कि बहुत स्पष्ट बुराइयाँ और गंदगी भी पकड़ी नहीं जा सकीं और ऐसी दुर्व्यवस्था जो भारत में हुई है, वैसी उदाहरण के लिए भी समस्त संसार के किसी अन्य भाग में न मिलेगी।

श्रीमान, मैं बता चुका हूँ कि कमिश्नर मिस्टर पिटरसन को उस प्रदेश में भेजा गया था। मैं यह भी बता चुका हूँ कि उसे वहाँ सरकारी व शासकीय अधिकारों के साथ भेजा गया था, कि उसे मामलों के सुनने का अधिकार था, केवल सुनने और रिपोर्ट भेजने का नहीं बल्कि उस प्रदेश में उसे जो भी अनैतिकता दिखाई दे, उन्हें सुधारने का भी अधिकार था। संक्षेप में उसके अधिकारों में किसी प्रकार की कमी न थी, यदि थी तो केवल ईमानदार सहयोग की। आप श्रीमान समझ गए होंगे कि उसके सौभाग्य का मार्ग बहुत सरल था। एक पक्षपाती रिपोर्ट के लिए देवी सिंह बहुत बड़ी रकम भेंट कर सकता था। आप श्रीमान जान जाएँगे कि तब कमेटी ऐसी रिपोर्ट कभी न प्राप्त करती जिसमें घूसखोरी के प्रमाण थे। वे लोग उसे ऐसा आदमी समझते थे जिसका व्यवहार सरल और पेचीदा व उपद्रवी मामलों को हल करने वाला था और वह बहुत जल्दी उन सरकारी मामलों को ठीक करने में सफल भी होता।

मैंने श्रीमान के सम्मुख जो रखा है उसमें से कुछ बातें उसकी रिपोर्ट से ही हैं। मैंने कहा है कि अपराधी जिसके विरुद्ध कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी, उसे

मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी शक्ति के अनुसार दण्ड देने के बदले सदा ऐसी स्थिति में बनाए रखा कि वह अपहरण और गरीबों पर अत्याचार करता रहा।

मैंने कहा है कि मिस्टर पिटरसन जिसने कमिश्नर होने के नाते अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी, इसलिए वह स्वयं ही एक अपराधी माना गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने यह भी बताया है कि वह उस स्थिति में अधिक दिन रह भी नहीं सका।

अब मैं श्रीमान के सम्मुख बताऊंगा कि देवी सिंह ने इस समय को सबसे उपयुक्त समझा कि उसे भी गवर्नर जनरल के जैसे ही अधिकार व सुविधाएँ प्राप्त हो जायें, इसके लिए प्रयत्न करे।

अब सारी चीजें उचित गति से ही बढ़ रही थीं। कमेटी ने देखा कि उनकी इच्छानुसार ही मामला बढ़ व पक रहा है। उत्तर, बयान, विरोध-पत्र, बलपूर्वक सच्चाई जानने की चेष्टा, हिसाब के बदले हिसाब, सब कुछ सही ढंग से हो रहा था। अब कर्जदार साहूकार और साहूकार कर्जदार हो गए थे—सारी जाँच-पड़ताल के कागज मोटी पुस्तक जैसे हो गए थे। उन्होंने गवर्नर जनरल व कौंसिल के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। यहाँ वह व्यक्ति जिसे उन्होंने नौकरी दी और उसके साथ ही दगाबाजी की, वह भी नए रूप में दिख रहा था। उसकी प्रगति पर ध्यान दिया जाय—पहले वह कमिश्नर बनाया गया, फिर कमिश्नर से अपराधी। अब उसे एक अपराधी के रूप में मिस्टर हेस्टिंग्स के सामने पेश किया गया। उस पर अभियोग था कि उसने हेस्टिंग्स को घूस देने का प्रयत्न किया। उसे देवी सिंह द्वारा लगाए गए अपराधों का उत्तर देना है। उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए मामला जुटाने की पूरी स्वतंत्रता थी। वह कम्पनी का पुराना कर्मचारी था, उसे फिर से प्रदेशों में भेजा गया, बिना अधिकार, बिना निश्चित पद व स्थान, बिना प्रतिष्ठा के ही। उस पर यह विशेष कृपा की गई थी। उसे फिर से रंगपुर जाना पड़ा। उस प्रदेश के निराश, दुखी और गुलाम बने हिन्दुओं के पास, जहाँ के लोग अब किसी भी लालच में नहीं आ सकते थे, पर जीवन को ही दाँव पर लगाने को तैयार रहते थे और उन्होंने उसे एक साधारण व अधिकारहीन व्यक्ति के रूप में देखा, जिसे अभी तक वे कानून का रक्षक और उच्चरित्र वाला न्यायप्रिय अधिकारी समझते थे, जो उनकी शिकायतें सुन कर उनका हल निकालने को हर क्षण तैयार व समर्थ था।

तभी, उसी समय छोटे कर्मचारियों का एक नया कमीशन भेजा गया, मामले की जाँच व परीक्षा के लिए, हो चुकी जाँच की जाँच करने के लिए, रिपोर्ट की सत्यता जाँचने के लिए, यानी मिस्टर पिटरसन के कमीशन पर नियुक्त कमिश्नर। इन कमिश्नरों के सम्मुख उसे एक अपराधी की तरह उपस्थित होना पड़ता, अपनी सफाई अपने ही पक्ष में पेश करनी पड़ती, लेकिन अधिकारों व

सद्भावना की कमी के कारण सब बेकार होता।

ये नए कमिश्नरगण प्रदेश के भीतरी भागों में घूमते रहे और बिना किसी परिणाम के काफी लम्बा समय बिता कर उन्होंने अनुभव किया कि देवी सिंह के एक प्रतिनिधि के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। अतः उन्होंने आदेश किया कि देवी सिंह अपना एक वकील भेजे।

मैं श्रीमान से यह बताना भूल गया कि इस समय देवी सिंह की क्या स्थिति थी। उसे दो कारणों से कलकत्ता जाने का आदेश मिला। पहला तो यह कि रंगपुर में उसके अशोभनीय आचरण के कारण और दूसरा उसके द्वारा प्राप्त राजस्व के जमा न करने के कारण। साधारणतया इन दोनों कारणों के बाद उसके साथ एक अभियुक्त या कैदी जैसा व्यवहार होना चाहिए था। पर उसे कलकत्ता की जेल मे नहीं रखा गया था, न तो किले की जेल मे, न तो उस जेल में जहाँ राजा नंद-कुमार को बन्दी बनाया गया था जो अपने राज्य का प्रधान मन्त्री था लेकिन वह सरकारी अफसरों के प्रभाव के कारण स्वतन्त्र ही था। उस पर सिपाहियो की निगरानी अवश्य थी, पर कही बन्दी न था। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने की आज्ञा थी और वह प्रतिदिन उन लोगों से मिलता था जो उसका मुकदमा करने वाले थे। उसके पास सात लाख पौड की शक्ति थी और उसके पीछे चलने वाले सिपाही उसकी प्रतिष्ठा की वृद्धि करते थे। उनकी बन्दूकें झुकी रहती थी। उसके साथ सिपाही उसके अंगरक्षक हो गए थे जैसे किसी उच्चतम अधिकारी की सेवा में हों। वह कही से निगरानी में रहने वाला कैदी न लगता था।

जब उसे आदेश मिला कि वह अपने कारनामों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक वकील भेजे त। उसने वकील भेजना अस्वीकार किया। इस पर कमिश्नरों ने यह कहने के बदले कि "अगर तुम अपना वकील न भेजोगे तो हम उसके बिना ही जाँच के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे।" (और कमीशन द्वारा आवश्यक न था कि वह वहाँ अपना वकील या प्रतिनिधि भेजे ही।) उन्होंने उसकी बात मान ली। उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। और वह फिर उस प्रदेश में गया, अपने अंगरक्षकों के साथ, उसी तरह जैसा मैंने पहले बताया है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं से विजय पाकर लौटा हो, न कि उस आदमी की तरह जिस पर इतने अभियोगों का बोझ हो। वह इसी तरह प्रदेश में घुसा और मिस्टर पिटरसन, जो बाद में ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रतिनिधि बना, उस समय बिल्कुल निरीह, नंगा-सा बना रहा जिस पर राजकीय अधिकारी होने का चिह्न न था। वह वहाँ उपस्थित होकर देख रहा था कि उस अपराधी को दिए जाने वाले दण्ड के स्थान पर उसकी कितनी प्रतिष्ठा हो रही थी। मिस्टर पिटरसन कार्यवाही और लोगों पर उसका प्रभाव देख रहा था। उसे अपने को निर्दोष सिद्ध करने की कोई सुविधा न थी, बल्कि नौजवान कमिश्नरों का दिमाग बुरी तरह अपराधी द्वारा

प्रभावित था, अतः न्याय की उसे आशा न थी। कलकत्ता की कौंसिल ने इस बात को गंभीरता से अपनाया कि यह सत्य है कि अगर अपराधी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहा तो यहाँ न्याय सम्भव न होगा। अतः उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया और सिपाहियों को बन्दूक के साथ उसके साथ रहने से रोक दिया। अपराधी होने पर भी देवी सिंह को नवयुवक कमिश्नर बैठने को कुर्सी देते थे। क्या इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता है ?

इस परिस्थिति में, मिस्टर पिटरसन ने एक ऐसा बहुत वेदनापूर्ण संदेश कलकत्ता की कौंसिल को लिखा जैसा और कभी नहीं लिखा गया। वह समस्त कार्यवाही की अनियमितता को एक नायक की तरह सहता रहा। अपने सिद्धान्त से वह कहीं नहीं डिगा, न वह दाएँ व बाएँ झाँका। जब श्रीमान उसके इस लिखित बयान को पढ़ेंगे तब उसकी बहादुरी का अंदाज पावेंगे।

संक्षेप में भ्रष्टाचार, अपहरण, धोखेबाजी और हत्या का यह चक्र चार वर्षों तक चला और पिटरसन पूरे समय तक नौकरी से बाहर बेकार रहा। इस प्रान्त के निवासी जिनकी सम्पत्ति व जिनके खून तक का हेस्टिंग्स ने व्यापार किया, उनकी कोई क्षतिपूर्ति न हो सकी। और भ्रष्ट, अत्याचारी, खूनी देवी सिंह, सजा पाने के स्थान पर, एक मुसलमान जज के हवाले कर दिया गया। यह जज था मुहम्मद रजा खाँ—उसका पुराना प्रशंसक, उसका मार्ग-निर्माता। शीघ्र ही आने वाले जहाजों से उसके सम्मानपूर्वक छूटने का पूरा ब्योरा आ रहा है।

मैंने पहले ही कहा है कि मिस्टर हेस्टिंग्स जिन लोगों को नौकरी पर रखता था, उनके चरित्र के लिए जिम्मेदार भी है। और उसकी जिम्मेदारी तो दोहरी हो जाती जब वह पहले से जानता है कि वह बुरा आदमी है। अतः मैं उसे ही एकमात्र दोषी ठहराता हूँ जिसने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि बुराइयों को अवसर मिला।

श्रीमान, मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि वह प्रमुख गवर्नर था और उसने देश की संस्था को नष्ट किया क्योंकि उसका अधिकार उसने देवी सिंह जैसे लोगों पर छोड़ रखा था।

उस देश में एक अफसर जिसे दीवान या मुख्तारआम कहा जाता है वह हमेशा ही किसानों पर अधिकार रखता है पर देवी सिंह खुलेआम हत्याएँ, अपहरण व अत्याचार करता था। क्या उसे जितने अधिकार व पद प्राप्त थे, सभी हेस्टिंग्स ने उसे दिए थे ? नहीं, पर यदि पार्लमेंट द्वारा प्राप्त अधिकारों का उचित प्रयोग किया गया होता ! लेकिन उन अधिकारों को निबटाने के लिए उसने गंगा गोविंद सिंह जैसे आदमी को रखा। इस कर्तव्य-पालन न करने के लिए हेस्टिंग्स उत्तरदायी है। वह उत्तरदायी है सर्वप्रथम अपनी वैधानिक स्थिति को नष्ट करने के लिए, फिर गंगा गोविंद सिंह के अपराधों के लिए।

वह कहता है कि वह देवी सिंह को नहीं जानता कि वह किसे नौकरी दे

रहा है। मैंने कल ही पढ़ कर सुनाया था और विश्वास है कि वह अभी आपकी स्मृति में ताजा होगा कि देवी सिंह उसे उन औजारों द्वारा प्राप्त हुआ जो गंगा गोविन्द सिंह ने उसे भेंट स्वरूप दिए थे। कहने का अर्थ है कि स्वयं गंगा गोविंद-सिंह मिस्टर हेस्टिंग्स का कितना विश्वासपात्र था।

मिस्टर हेस्टिंग्स आगे भी जिम्मेदार है कि उसने दीनाजपुर और रंगपुर के अधिकारियों से ४०,००० पौंड का घूस लिया था। इन्हीं इलाकों में गंगा गोविंद सिंह द्वारा अत्याचार का तांडव हुआ था। इस प्रकार गंगा गोविंद सिंह के हाथों सभी कमिश्नरी का निर्माण ६२,००० पौंड प्रति वर्ष पा कर किया। अर्थात उसे केवल घूस प्राप्त करने वाला दलाल हम समझें। फिर उसके सभी कारनामों का हेस्टिंग्स पूरी तरह जिम्मेदार है।

मैंने यह आवश्यक समझा कि बताऊँ कि जब भी मिस्टर हेस्टिंग्स, पार्लमेंट की तेज निगाहों से लिए गए घूस को न छिपा सका तो उसने उस घूस लेने में कारण-स्वरूप कम्पनी की स्थिति और आवश्यकता को जोड़ लिया। मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है—"मैं मिस्टर गुडलेड को सभी अभियोगों से मुक्त करता हूँ। वे सभी गलत सिद्ध हुए हैं। उन्हें सिद्ध करने का काम अपराध लगाने वाले का था। राजा देवी सिंह के विरुद्ध जो भी अपराध सिद्ध हों, इसके यह अर्थ कभी नहीं होते कि मिस्टर गुड-लेड उनके लिए किसी प्रकार भी जिम्मेदार हों। और मैं बहुत अच्छी तरह राजा देवी सिंह के चरित्र व योग्यता के बारे में जानता हूँ और मैं आसानी से यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो कुछ भी हुआ है यह सब करना उसके अधिकार की बात थी और मिस्टर गुडलेड से यह सब छिपाया गया जिसका राजा देवी सिंह से जिले का किराया वसूलने से अधिक कोई काम न था और इस प्रकार वह उसके व कमेटी के बीच एक माध्यम मात्र था।

अब हम देखेंगे कि अपने जाने के थोड़े पहले मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या-क्या किया? उसने जो भ्रष्टाचार १७७३ में आरंभ किया था, उसकी समाप्ति १७८५ में हुई। इस अवधि में घूसखोरी अपने उच्चतम शिखर पर थी। उसके अंतिम राज-नीतिक कामों में से एक यह था—

श्रीमान को याद होगा कि उस देश में मिस्टर गुडलेड को भेजा गया था जिसके कारनामो की भयानकता प्रसिद्ध थी और उसे प्रदेश में कहीं भी ऊँचे पद पर नहीं रखा जा सकता था, और जब यह सब हो रहा था तो वह अनजान बना रहा। लेकिन इसके पीछे भी कुछ रहस्य हैं।

गवर्नर-जनरल ने जो लिखा वह यह था—"मैं मिस्टर गुडलेड को सभी अभियोगों से पूरी मुक्ति देता हूँ। उन अभियोगों को उसने असत्य सिद्ध किया है। इन्हें सत्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोग लगाने वाले की थी।" (अभियोग लगाने वाले से तात्पर्य है, कमिश्नर से।)—"राजा देवी सिंह के विरुद्ध जो भी

अपराध लगाए जाएँ, इसके अर्थ यह कभी नहीं होते कि मिस्टर गुडलेड उसके लिए जिम्मेदार है । मैं उसके चरित्र को जानता हूँ—आदि, आदि, आदि ।

अब देखिए, श्रीमान, उसने मिस्टर गुडलेड को मुक्त कर दिया । वह साफ निकल गया । लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स व राजा देवी सिंह के क्या हिसाब-किताब हैं ? १७८१ में गंगा गोविन्द सिंह द्वारा असाधारण चरित्रवान कह कर उपहार स्वरूप दिया गया था । जैसा मैं कह चुका हूँ—उसके बारे में वारेन हेस्टिंग्स की यह राय है—"राजा देवी सिंह के चरित्र व योग्यता के बारे में इतना जानता हूँ कि जो कुछ उसके लिए कहा गया है वह सब करने की क्षमता तो उसमें है और यह भी संभव है कि मिस्टर गुडलेड से सब कुछ छिपाया गया हो जिसे राजा देवी सिंह से जिले का किराया वसूल करने भर का अधिकार था और जो उसके व कमेटी के बीच एक माध्यम मात्र था ।"

श्रीमान देखें कि राजा देवी सिंह के बारे में मिस्टर हेस्टिंग्स की क्या राय थी । इसे हम दूसरे अवसर पर सिद्ध करेंगे कि वह बुरा था या नहीं, देवी सिंह को एक असाधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था और मिस्टर हेस्टिंग्स उसकी बुरी बातों की शक्तियों को भी जानते थे । यदि तब भी मिस्टर गुडलेड को साफ-साफ मुक्त किया जाता है तो क्या इससे मिस्टर हेस्टिंग्स के नीयत का अंदाज नहीं लगता कि उसने प्रादेशिक कौंसिल को नष्ट करने को यह सब किया । उसने समस्त विधानों पर एक साथ प्रहार किया । जिसे अपराधी के योग्य मानता है उसे मुक्ति देता है । अब प्रश्न है कि वह वहाँ क्यों रखा गया था ? क्या देवी सिंह के हाथ से रुपये लेकर कलकत्ता पहुँचाने भर के लिए ? क्या देवी सिंह व कमेटी के बीच केवल पत्रवाहक ही था ? मैं समझता हूँ कि श्रीमान सब समझ गए हे और मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नही है ।

मिस्टर हेस्टिंग्स क्या कहता है ?--मुझे घूस के ४०,००० पौंड मिलने वाले थे जिनमे से पूरा तीस हजार पौंड कम्पनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले थे । मुझे विश्वास है कि इस विषय में प्रकाश डालूंगा या मुझसे भी अधिक योग्य कोई व्यक्ति इस विषय पर प्रकाश डालेगा ।

मैं फिर से श्रीमान के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ और विश्वास है कि आप इस बात को भूले न होंगे कि राजस्व की यह कमेटी, उनकी अपनी दृष्टि में गंगा गोविंद सिंह के हाथ में कठपुतली मात्र थी । इसमें दो व्यक्ति प्रमुख थे, मिस्टर शोरे जो कार्यवाहक अध्यक्ष था और मिस्टर एन्डरसन जो अध्यक्ष था पर बहुत अधिक अवधि तक अनुपस्थित था । मिस्टर शोरे का यह लिखित प्रमाण है जो श्रीमान देख चुके हैं पर जिसे हम पुनः आपके सम्मुख पढ़ रहे है—"कमेटी, जिसके उद्देश्य उचित थे, जिसकी योग्यता पूरी थी पर वह पूरी तरह दीवान के हाथो की कठपुतली थी ।"

जहाँ तक विधान की बात है, मिस्टर हेस्टिंग्स ने सबों को शपथ दिलायी कि वे किसी प्रकार का भी उपहार न लेंगे। यानी १७७३ के कानून पर उसे भरोसा न था, इसीलिए शपथ दिलाने की आवश्यकता पड़ी। उन्हें पहले तो शपथ दिलायी फिर उन्हें उसने अयोग्य बनाना शुरू किया, जिससे कि उनके हाथों से वह शक्ति छीन सके। मिस्टर हेस्टिंग्स ने वहाँ एक दीवान नियुक्त किया। यानी वह दीवान परिषद से अधिक योग्य था! वह वहाँ हेस्टिंग्स के लिए घूस लेने को था। वह कमेटी के कार्यों में सहायता देने को न था, बल्कि वह वहाँ पर हेस्टिंग्स के घूस के दलाल की हैसियत से था।

लेकिन श्रीमान यह केवल मिस्टर शोरे की ही व्यक्तिगत राय न थी। दूसरा व्यक्ति जिसकी मैंने चर्चा की है, वह है मिस्टर एन्डरसन। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मिस्टर एंडरसन कुछ निर्बल प्रकृति का, अधिक शिष्ट और संकोची था जैसा उसे हम लोगों ने संसद में भी देखा है। यह पूछे जाने पर कि क्या मिस्टर एंडरसन अपने साथी मिस्टर शोरे की राय व विचार से सहमत हैं, उसका उत्तर था—"मैं नहीं समझता कि मैं इतने स्पष्ट व कटु शब्दों में लिख पाता लेकिन एक हद तक मैं उससे सहमत हूँ, यानी उसके कहने में सत्यता अवश्य है लेकिन दीवान के चरित्र के बारे में कहने में अध्यक्ष की योग्यता का भी प्रश्न उठता है।"

कम या अधिक दोनों लगभग एक ही राय के है, मैं समझता हूँ कि मिस्टर एंडरसन की राय अधिक सशक्त है क्योंकि वह और सम्हाल कर चाहे लिखता पर विषय पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमान, अब मैं मिस्टर हेस्टिंग्स की घूसखोरी के बारे में कह चुका। अब मैं मिस्टर हेस्टिंग्स के अंतिम विदाई के सम्बन्ध में कहूँगा। उसने शक्ति व पद से विदा ली, उसने सब चीजों से विदा ली, लेकिन वह गंगा गोविंद सिंह से विदा न ले सका। वह वापसी की यात्रा पर था, वह गंगा नदी पर था, और उसकी अंतिम स्मृति में गंगा गोविंद सिंह ही था। उसके अंतिम शब्द थे—गंगा—गंगा गोविंद सिंह! इससे उनकी मित्रता का अन्दाज लगता है।

श्रीमान, किसी आदर्शवादी नीतिशास्त्री ने कहा है कि दो बुरे लोगों में सच्ची मित्रता नहीं हो सकती पर श्रीमान यहाँ इसका स्पष्ट विरोध देखें। आप जानते हैं कि गंगा गोविंद सिंह क्या था और अब मैं बताऊँगा कि हेस्टिंग्स ने अन्तिम बार उसके साथ कैसा मित्रता का व्यवहार किया।

परन्तु इस सम्बन्ध के कागजों को खोलने के पहले मैं परिस्थिति का वर्णन अवश्य कर दूँगा। श्रीमान को स्मरण होगा कि दीनाजपुर का नाबालिग राजा जो राजगद्दी मिलने के समय सिर्फ पाँच या छः वर्ष का था और जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने बंगाल छोड़ा तब वह आठ या नौ वर्ष का था, तब उस प्रांत से मिस्टर हेस्टिंग्स ने चालीस हजार पौंड घूस में प्राप्त किए। घूस में भी ईमानदारी होती है और भ्रष्टा-

चार में भी सचाई होती है, न्याय होता है, अगर वह धन किसी की सुरक्षा के लिए दिया जाय तो सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह घूस गंगा गोविन्द सिंह से प्राप्त किया अथवा गंगा गोविन्द सिंह के माध्यम से पाया तो उसे चाहिए था कि वह इतनी तो चिन्ता करता कि वह राजा लूटा न जाय, यानी गंगा गोविन्द सिंह द्वारा ही वह न लूटा जाय। लेकिन श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स के कार्यकाल का अन्तिम कार्य था कि वह अपने वायदे के प्रति बड़ा क्रूर व द्रोही था। लगभग अपने समस्त लेन-देन के कार्यों में १७८५ की १६ फरवरी को जब वह चला, जब वह गंगा नदी की यात्रा प्रारम्भ कर रहा था, अपने स्वदेश वापस आने के समय, तब उसने जो अन्तिम कार्य किया उस पर हम लोग ध्यान दें। उसका अंतिम वक्तव्य यह था, "आज अपने महान मालिकों की सेवा से मुक्त होते समय एक बात के लिए मैं पश्चाताप का अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने सदा ही एक व्यक्ति की योग्यता का मूल्य कम ही आँका जो सेवा कार्य में किसी प्रकार भी मुझसे कम न था, वह है गंगा गोविंद सिंह। जो अपनी युवावस्था के प्रारम्भ से ही राजस्व इकट्ठा करने के काम में लगा था और लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व ही जो अपनी योग्यता के कारण कलकत्ता कमेटी के दीवान के पद के लिए चुना गया था, तब से वह केवल कुछ समय के व्यवधान को छोड़ कर बराबर कम्पनी के राजस्व का स्वदेशी प्रतिनिधि रहा है। मैं जिम्मेदारी से यह कह सकता हूँ कि उसने इस पद पर बड़ी योग्यता से कार्य किया। ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार देने की मेरी इच्छा स्वाभाविक ही है क्योंकि यह न्याय, सौजन्यता व सिद्धान्त की माँग है और इसे मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता हूँ। अतः गंगा गोविंद सिंह की इच्छा से संलग्न प्रार्थनापत्र द्वारा मै कथित जिलों की भूमि उसे देता हूँ जिसकी पूरी लगान दो लाख अड़तीस हजार इकसठ रुपये बारह आने एक पाई है।

श्रीमान को स्मरण होगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स की घूसखोरी का एक दलाल था मिस्टर लारकिन्स। उसने आपके सम्मुख कहा है, हम लोगों से कहा है, डायरेक्टरों की परिषद के सामने भी कहा है कि विदाई के समय मिस्टर हेस्टिंग्स व गंगा गोविन्द सिंह में लड़ाई थी क्योंकि उसने घूसखोरी का हिसाब-किताब ठीक न रखा था और दीनाजपुर से प्राप्त ४०,००० हजार पौंड में से उसने हेस्टिंग्स को केवल ३०,००० पौंड दिया था। लेकिन विदाई के समय की उपयुक्त घटना सिद्ध करती है कि या तो मिस्टर हेस्टिंग्स चालीस हजार पौंड पा चुका था या वह जितना पा चुका था उससे संतुष्ट था। उसने गंगा गोविन्द सिंह को इतना बड़ा उपहार दिया, यानी उसके मन में यदि कोई मैल भी थी तो गंगा के पवित्र जल ने उसे धोकर स्वच्छ कर दिया था।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने गंगा गोविन्द सिंह की योग्यता की चर्चा करते हुए बताया कि वह बहुत प्रारम्भ से ही कलकत्ता कमेटी का दीवान था, केवल थोड़े काल के

व्यवधान को छोड़ कर। वह अल्पकालीन व्यवधान तब था जब वह सरकारी सम्पत्ति के गबन के अपराध में सेवा से हटा दिया गया था। यह मिस्टर हेस्टिंग्स ने नहीं बताया।

अब श्रीमान कलकत्ता कौंसिल के एक सदस्य की बातें सुनें—"गंगा गोविन्द सिंह कौन है ?" उत्तर है, "जब मैंने बंगाल छोड़ा, कमेटी के दीवान का पद त्यागा, तब हेस्टिंग्स के शासन-काल में, १७८० में, उसका क्या पद था ? तब उसका चरित्र असाधारण था, तब वह एक योग्य कर्मचारी था। राजस्व की वर्तमान कमेटी के दीवान की स्थिति में उसकी बड़े पैमाने में वही स्थिति थी जो मैंने ऊपर बतायी है। उसने अपनी शक्ति का जो भी प्रयोग किया उसके सम्बन्ध में जनता की राय क्या थी ? वह आदि निवासियों के बीच अंगरेजी दल का दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति था। गवर्नर से नौकरी या पक्षपात पाने के लिए वही सबसे बडा सहायक था। तीनों प्रान्तों में कठिनाई से भी कोई ऐसा धनी परिवार न था जिसे उसने लूटा न हो।

श्रीमान अब मुझे अपनी बात में सिर्फ इतना हो जोड़ना है कि जितनी भी संभावित जाँच-पडताल मेरे लिए संभव थी, मैंने की और मैंने पाया कि अपने धन को अधिक मानने वाले वही लोग होते हैं जो जितना अधिक कर्ज पा सकें। किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का ठीक अंदाज नहीं लगाया जा सकता। केवल चारों ओर उसके धनवान होने के सम्बन्ध में फैले भ्रम पर ही विश्वास किया जाता है। श्रीमान ने देखा कि गंगा गोविन्द सिंह का कलकत्ता की कमेटी ने नौकरी से अलग कर देने का करीब-करीब निश्चय कर ही लिया था, उसकी उन्हीं सेवाओं के कारण जिनकी मिस्टर हेस्टिंग्स ने इतनी प्रशंसा की है। उसका कहना है, "उसने बडी योग्यता से अपने कर्तव्य का पालन किया। मेरे प्रति तो वह सदा ही बड़ा निकट व स्नेही रहा है।

हम लोगों ने, जिन्होंने कम्पनी के कागजातों की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल की है, नहीं जानते कि उसकी वे महान सेवाएँ क्या थीं जिनके लिए उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने इतना योग्य बताया। वे सेवाएँ क्या थीं, कहीं स्पष्ट नहीं हैं। उनके लिए ही हमने कागजातों में खोजबीन की है। इस समय के कागजातों से कहीं ऐसा कुछ नहीं मालूम होता कि उस समय गंगा गोविंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा या किया हो। निश्चय ही गंगा गोविंद सिंह की कुछ सेवाएँ होंगी जो अज्ञात है। लेकिन वह कैसी और कौन सी सेवाएँ हो सकती हैं ? सार्वजनिक रूप से उन्हें कहीं कोई नहीं जानता। इस मामले के दौरान में मिस्टर हेस्टिंग्स ही बतावेंगे कि उसके प्रति की गई गंगा गोविंद सिंह की क्या बातें थीं ? हाँ, गंगा गोविन्द सिंह के प्रति मिस्टर हेस्टिंग्स की सेवाएँ अवश्य ही रहस्यमय रही हैं। क्योंकि जब उसे अपहरण के अभियोग में नौकरी से अलग कर दिया गया था तब मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे पुनर्स्थापित किया और जब गैरकानूनी ढंग से पन्द्रह लोगों को कैद की सजा दी और

कौंसिल उन्हें छोड़ने जा रही थी तब वे छूटे तो अवश्य पर अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। इस घटना से श्रीमान उसकी जन-सेवा का अंदाज लगा सकते हैं। उसकी गुप्त सेवाएँ तो गुप्त है ही।

उसकी सार्वजनिक सेवाओ पर दृष्टि डालने से अत्याचार, भ्रष्टाचार और गन्दगी ही दिखाई देगी। अब हम देखें कि उसे मिला पुरस्कार क्या है? श्रीमान ने सुना कि वह क्या पुरस्कार चाहता था, फिर गंगा गोविंद सिंह जैसा आदमी जो स्वयं बहुत अधिक शक्तिशाली था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने शायद सोचा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही पुरस्कृत हो, यह उचित न होगा। लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा व न्याय के लिए आवश्यक था कि उसे पुरस्कृत किया जाय। अब दूसरा प्रश्न था कि पुरस्कार क्या हो। अतः जमीन का पुरस्कार ही उचित माना गया। श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने बताया है कि इसमें से अधिकांश जमीन दीनाजपुर के राजा की थी जिससे वह ४०,००० पौंड का घूस ले चुका था। मिस्टर हेस्टिंग्स की यह निर्लज्जता थी कि अपने कार्यकाल के अन्तिम कार्य के रूप में, जब वह इंगलैंड के लिए रवाना हो रहा था तो उस दिन के महत्व को न समझते हुए भी वह इतना बेशर्म था कि उसने केवल सिफारिश ही नहीं की बल्कि राजकाज में हुई दुष्टता को उसने स्थायी बना दिया, जिससे कि उसका उत्तराधिकारी किसी तरह भी राज्य की वास्तविक स्थिति न जान सके। अतः मिस्टर हेस्टिंग्स ने गंगा गोविन्द सिंह की अर्जी की सिफारिश ही नहीं की और उसको बढ़ावा ही नहीं दिया बल्कि उसने घोषित किया कि—"मेरी अपनी जानकारी में यह जमीनें किसी के अधिकार में नहीं है अतः इस देश व अन्य देशो के कानून के अनुसार यह सरकार की ही सम्पत्ति है।"

श्रीमान, जैसा मैंने कहा है, मिस्टर हेस्टिंग्स एक गवाह बन गया और मेरा विश्वास है कि कार्यवाही के सिलसिले मे आप देखेंगे कि गंगा गोविंद सिंह के पक्ष में उसकी गवाही झूठी है। उसका कहना कि—"मेरी अपनी जानकारी मे······जमीनें किसी के अधिकार मे नहीं है।" इसके अर्थ है कि मिस्टर हेस्टिंग्स अगर कभी दीनाजपुर गया था तो केवल एक यात्री बन कर और जैसे कभी उस क्षेत्र का वह अधिकारी न था। वह गंगा गोविन्द सिंह का गवाह बनता है और उसके लिए आदेश भी जारी करता है, उसी राजा की जमीन के सम्बन्ध मे जिससे गंगा गोविन्द सिंह के द्वारा उसने घूस लिया। यह जमीनें कभी भी अधिकारमुक्त नहीं रही, बल्कि सदा ही राजा की सम्पत्ति रही है। उन्हें हथियाने का उपाय भी बड़ा भयानक है कि उस पर आश्चर्य होता है।

जैसा मैंने बताया कि यह व्यक्ति कलकत्ता कमेटी का दीवान था, अतः उसे राजस्व सम्बन्धी सभी प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार थे। मिस्टर हेस्टिंग्स ने सभी वैधानिक प्रबन्ध नष्ट किए और गंगा गोविंद सिंह का पद और भी महत्वपूर्ण हो गया जब कि वही पद उनके बेटे को भी मिला। इस विभाग का कार्य था कि देखे कि

सरकार को पूरा व उचित राजस्व मिलता है या नहीं। देखे कि जमींदारी की व्यवस्था ठीक है या नहीं। परन्तु इसके बजाय इस व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग किया, उसके साथ विश्वासघात किया और नौ वर्ष के नाबालिग के साथ धोखाधड़ी की और उसके हिस्से की जमीन के एक बहुत बड़े भाग की जाली बिक्री कराई। उस देश के कानून के अनुसार, प्रकृति के साधारण नियम के अनुसार, इस लड़के का काम गैरकानूनी था, सरकार के विरुद्ध था क्योंकि जमींदारी की बिक्री बिना सरकार की आज्ञा के गैरकानूनी है। फिर ऐसे व्यक्ति के हाथ बिक्री की गई जो स्वयं वहाँ पर कानून का रक्षक था। अनुचित तरीके व गलत कागजातों के बल पर उसने यह जमीन अपने हाथ में ले ली क्योंकि नाबलिग राजा उससे लड़ने की हिम्मत न रखता था।

दूसरा मार्ग था उसके किसी निकटस्थ सम्बन्धी से इस सौदे के पक्ष में स्वीकृति ले लेना, क्यों कि केवल नाबालिग से लिखा-पढ़ी करना कभी अनुचित भी सिद्ध हो सकता है। अतः रिश्तेदार से स्वीकृति मिल गई और इन्हीं जमीनो के सम्बन्ध में मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि "सभी जमीनें सरकार की थीं।" यह सब कौंसिल के सामने आया। जिस समय मिस्टर हेस्टिंग्स चला गया, भारत ने थोड़ी शांति की साँस ली, दम घुटने वाला बोझ उतर गया था, छाती पर रखा पहाड़ हट गया था और पहली बार लोगों ने हिम्मत की कि वे अपनी उचित माँगें भी उपस्थित कर सकें। तभी इस नाबालिग राजा को कुछ ऐसे दयालु व्यक्ति मिले जो उसे बता सके कि वह एक नाबालिग राजा है और वह जमीन का सौदा नहीं कर सकता तथा यह बात कौंसिल तक ले जाई गई कि जिसके सामने गंगा गोविंद सिंह के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स की सिफारिश भी थी। कौंसिल को यह सब जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उस नाबालिग राजा का राजकीय अभिभावक था, वही उसकी सम्पत्ति का वही उसकी सम्पत्ति का नाजायज खरीदार बन गया। फिर उसके निकटस्थ सम्बन्धी ने भी स्वीकृति कैसे दी। यानी वह इस दुष्कर्म का भागीदार था पर लाभ का भागीदार नहीं। क्योंकि उसने यह जो स्वीकृति दी उसके स्थान पर कुछ पाया नहीं। उसने अपने को केवल हथियार बनाया और लाभ उठाया गंगा गोविंद सिंह ने। इसी जाँच-पड़ताल में अपनी सफाई देते हुए उस व्यक्ति ने जो और एक घटना बताई उससे गंगा गोविंद सिंह कितना शक्तिशाली था इसका पता चलता है—उसने कहा—"गंगा गोविंद सिंह राज्य का मालिक है। अपनी माँ के मरने पर उसने बड़ी धूमधाम से दाह-संस्कार किया। अगर इस मृत्यु-उत्सव में वह मुझे निमन्त्रित न करता तो मेरा बड़ा अपमान होता क्योंकि ऐसे अवसरों पर सबों को निमन्त्रित करना आवश्यक होता है। आप कह सकते हैं कि इस देश में ये मृत्यु-उत्सव बड़े महत्व के होते हैं। मुझे उसने जातिच्युत करने की धमकी दी तभी मुझे विवश होकर उसका सहयोगी बनना पड़ा।"

यह भ्रम भी बुरी तरह फैला था कि अभी फिर गवर्नर-जनरल लौट कर

आने वाला है।

आप देखें कि इस जाँच-पड़ताल से (गंगा गोविंद सिंह ने कौंसिल से कहा) सभी बातें अपने सत्य रूप में प्रकट हो जायेंगी। किस प्रकार व किस अधिकार से दीनाजपुर के चौधरी जमींदार की मृत्यु के बाद बुतासिम परगना का अधिकार पाया। उसी वर्ष चौधरी की मृत्यु के बाद कुलीगंज का अधिकार पाया, फिर अन्य परगना का भी। तब तो जमींदार जीवित था। यह सब बिना उचित अधिकार और न्याय के हुआ। यह सब तो कई जमींदारी व परगना में हुआ जब से कम्पनी का प्रबंध हुआ। रामकिसन ने मुहम्मद अली की जमींदारी पर अधिकार पाया। इशांगीपुर आदि का परगना तीन डिवीजन में था। गोविंद देव शिवप्रसाद की अर्जी बासर चौधरी के लड़के पर थी जो तीसरा हिस्सेदार था। परगना बहरबंद, रानी भवानी की जमींदारी में था, जो लखनंद नंदी को दिया गया। यह सभी रद्दोबदल उचित अधिकारी के ही जीवनकाल में हुआ।

इसके पहले श्रीमान ने लखनंद नंदी के बारे में न सुना होगा। वह एक ऐसे व्यक्ति का लड़का था जिसके बारे में श्रीमान सुन चुके हैं और वह है कंतू बाबू, मिस्टर हेस्टिंग्स का बनिया। दूसरे मामलों में हेस्टिंग्स यह सिद्ध कर चुका है कि पिता या पुत्र को पुरस्कार के एक ही अर्थ हैं। तमाम लोग अक्सर अपने बेटों के नाम से लेना पसंद करते हैं और रानी भवानी, राजशाही की जमींदारी की अधिकारिणी भारत के उच्च परिवारों में से एक की वह प्रतिष्ठित महिला थी, उनकी जमींदारी का एक भाग काट कर लखनंद नंदी को दिया गया जो कि हेस्टिंग्स के बनिया का लड़का था। तब गंगा गोविंद सिंह आगे आता है और कहता है— मैं उसी की तरह अच्छा आदमी हूँ, जहाँ जमींदारी दी गई है, फिर गंगा गोविंद सिंह के लिए भी वह किया जाना चाहिए जो कंतू बाबू के लिए लिया गया। यह एक अनुचित परंपरा थी जिसका श्रीगणेश हेस्टिंग्स ने किया। आप और किसी को नहीं, हेस्टिंग्स को सजा दें कि उसने नाबालिगों को लूटा, जिससे कि भविष्य में कोई विधवाओं को लूटने की हिम्मत न कर सके।

श्रीमान, मैं आपके सामने एक गवाह के बयान का हिस्सा सुनाऊँगा जो उसने कमेटी की रिपोर्ट के लिए दिया था।

"क्या आप बहारबंद की जमींदारी से परिचित हैं? यह दीनाजपुर व रंगपुर के पूरब में है। मैं उस पहाड़ी इलाके में अधिकारी था। इसका असली मालिक कौन था? मेरा विश्वास है कि यह इलाका राजशाही की जमींदारी के अन्तर्गत था जिसकी मालकिन रानी भवानी थीं। इसे किस कारण से राजशाही की रानी से छीन कर कंतू बाबू को दिया गया, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। पर जहाँ तक मुझे याद है, शायद रानी की अयोग्यता,

प्रबंध की कमी व लगान की न वसूली ही कारण बताए गए थे। फिर किन शर्तों पर यह जमीन कंतू बाबू या उसके बेटे को दी गई? मेरा विश्वास है, यह पुरस्कार स्वरूप दी गई थी जिसकी वार्षिक आय बयासी हजार या तिरासी हजार पौंड थी। फिर सरकार के लिए क्या राशि आई, मैं नहीं जानता। जब मैं था तब ३,५३,००० रुपये से ऊपर की आमदनी थी। उस इलाके के निवासियों ने इस बन्दोबस्त का विरोध किया। लगभग पांच हजार की संख्या में वे इकठ्ठे हुए और कलकत्ता जाकर कमेटी के सम्मुख अपनी शिकायत रखने को आगे बढ़े। कंतू बाबू के भाई नूरसिंह बाबू द्वारा वे लोग कासिम बजार में रोक दिए गए। वहीं मामले का निबटारा हुआ किन शर्तों पर, मैं नहीं कह सकता।"

श्रीमान, देखें! एक महिला से छीन कर मिस्टर हेस्टिंग्स के बनिया ने जमीन हड़पी। महिला अपनी रक्षा न कर सकी और बिना मूल्य उसकी जमीन छीन ली गई। यह सिद्ध करने को कि मिस्टर हेस्टिंग्स बराबर ही इस प्रकार के कार्य करता रहा है, यहाँ एक व्यक्ति की अर्जी पेश है जिसका नाम मैं सरकार की भलाई के लिए खोलना आवश्यक नहीं समझता। उसका कहना है कि किसी ने विरोध न किया, पर सभी को मालूम था। वह कहता है, "मैंने कभी ऐसे विचार की कल्पना भी नहीं की कि दूसरे की जमींदारी हड़पी जाय। न तो मैं दूसरे की जमींदारी हथियाने में ही किसी प्रकार इच्छुक रहता हूँ।" आदि।

दस्तावेज का अंतिम वाक्य था "कलकत्ता के कई बनियों ने यही किया।" आदि।

उसका कहना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स के जमाने में यह एक प्रतिदिन का चालू नियम था, कि दूसरे लूटे जायें और यह सब हेस्टिंग्स को मालूम रहता था। वह विधवावों व अनाथों की लूट को प्रश्रय देता था।

अब श्रीमान देखें कि पंचायती अधिकार के बारे में कहना कितना आवश्यक था कि पंचायती अधिकार के नाम पर किस प्रकार कमजोरों को सताया या लूटा गया।

इस बात को समाप्त करते हुए अब मैं कौंसिल के कार्य के सम्बन्ध में कहूँगा, साथ ही गंगा गोविंद सिंह से सबंधित प्रस्ताव के लिए भी। मुझे श्रीमान को सूचित करना है कि राजस्व की कमेटी को कौंसिल द्वारा इस आशय का आदेश था कि गंगा गोविंद सिंह के अधिकारों की सीमा का ध्यान रखा जाय पर कमेटी सदा ही चुप रही। क्योंकि सारे नाटक में गंगा गोविंद सिंह एक बड़ा नायक था। इस कमेटी की रिपोर्ट जब कौंसिल के सामने आई तो एक सदस्य मिस्टर स्टेबुल ने १५ मई १८८५ की कार्यवाही में लिखा, "मैंने इस विषय से संबंधित कई कागज देखे, और यह कहने में मैं दुखी हूँ कि बहुत से आवश्यक विषयों पर राजस्व की

कमेटी बिल्कुल ही मौन है। गंगा गोविंद सिंह दीवान द्वारा खरीदी गई जमींदारी अवैधानिक थी। नौ वर्ष के नाबालिग राजा को लूटे जाने से बचाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, पर स्वयं दीवान ही लुटेरा बन गया और मुझे जहाँ तक सूचना है[1] कि ४२,४४७ रुपयों का लाभ उसने अकेले उठाया। यदि इन अपराधों की सार्वजनिक सजा नहीं है तो निश्चय ही राजकाज में भ्रष्टाचार स्थायी रूप से जगह बनाता जायगा।

"३१ मई १७८२ के कमेटी के पत्र को यहाँ उपस्थित करना आवश्यक है।

"अतः मैं बोर्ड से कहूँगा कि गंगा गोविंद सिंह को असली दस्तावेज उपस्थित कहने को विवश किया जाय और सारे व्यापार को अवैधानिक कह कर सारी जमीन राजा को वापस कर दी जाय।"

"मैं आगे भी बोर्ड से कहूँगा कि दीवान गंगा गोविंद सिंह अपने बेटे नायब किसन सिंह और अन्य लोगों के साथ इन पदों से हटाए जायें और राजीबुलब को अपने पद पर पुनः स्थापित किया जाय।" यह प्रस्ताव गिरा दिया गया और कोई बात तय न हुई।

श्रीमान ने देखा कि हेस्टिंग्स के जाने के बाद उसके अंतिम कार्य के परिणाम स्वरूप वहाँ की अदालतों की क्या स्थिति हो गई थी।

श्रीमान, मैं केवल यह याद दिलाने के सिवा और अधिक न कहूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स के कार्यकाल में केवल अत्याचार, लूटपाट, भ्रष्टाचार का ही बोल-बाला था। इसलिए हमने हर प्रकार के उदाहरण विस्तार से प्रस्तुत किए।

श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स उन बातों को सही सिद्ध करने के लिए लगातार एक बात कहता जा रहा है, वह है कि उसने सरकारी राजस्व में वृद्धि की है। आप देखें कि जब उसने बिहार का इलाका बेचा, उसी तरह जैसे दीनाजपुर को देवी सिंह के हाथ, तो क्या-क्या परिणाम निकले। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बिहार का राज्य, बंगाल राज्य से जुड़ा था और इसके राजकाज के लिए एक दूसरी ही प्रादेशिक कौंसिल थी। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उस कौंसिल को नष्ट किया जिसने उसे सजा दी थी, और जिस तरह बंगाल गंगा गोविंद सिंह को दिया उसी तरह बिहार का इलाका भी राजा केलराम और कुलियन सिंह को दिया।

यह सब इसी आधार पर किया गया था कि वे लोग भी राजस्व में वृद्धि करेंगे। इन व्यक्तियों को राजस्व बढ़ाने की ऐसी मशीन समझा जाता था जो इसके पूर्व संसार के प्रारम्भ से किसी और ने न देखी हो। मैं समझता हूँ जब से दुनिया का

---

१. वकील का कहना है कि इस इलाके की लगान थी ९६२२९ रु०, खरीद की रकम ५३७५५ रु० जिससे वार्षिक हानि ४२४७४ रु० हुई।

काम प्रारम्भ हुआ ऐसे योग्य लोग नहीं मिले थे। शायद मिस्टर हेस्टिंग्स को ४०,००० पौंड की घूस ही उनकी योग्यता थी। उसने इनका निपटारा कैसे किया हम नही जानते। वह स्वयं कहता है कि उसने सब कुछ जनहित के लिए किया। लेकिन क्या इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई ? नही, बल्कि उल्टा हुआ। जिन लोगों ने ४०,००० पौंड की घूस दी थी, वर्ष के अंत में वे ही कम्पनी के ८०,००० पौंड के कर्जदार थे। जब भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने घूस ली, कम्पनी को नुकसान उठाना पड़ा और जब भी उसने राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव रखा तब दुगुना नुकसान कम्पनी के सिर पड़ा।

श्रीमान के सामने यह बातें स्पष्ट रूप से रखनी आवश्यक है ताकि आप एक गवर्नर जनरल के भ्रष्टाचार व घूसखोरी के तरीकों की तह तक जा सकें। आपको कई नए नए दृष्टिकोण मिलेगे कि जब आप देखें कि किस पक्षपात के लिए यह घूस दिया गया है जैसे कि एक गवर्नर जनरल अपनी शक्ति के लिए अपने को पंचायती अधिकार प्राप्त कहता है और उसके बल पर हर प्रकार के अच्छे-बुरे कार्य करने की शक्ति रखता है। यह भी संभव है कि एक व्यक्ति अपनी किसी बुराई से बचने के लिए ही घूस दे लेकिन कोई भी व्यक्ति इसलिए घूस नहीं देता कि दूसरे पर टैक्स लगे या दूसरे को तंग किया जाय। किसी ने कभी केवल सरकारी राजस्व का भार लेने को घूस नही दिया ताकि वह दूसरों पर आधिपत्य जमा सके। जब कार्यालय एक बार भ्रष्ट व दूषित हो जाते हैं तो काम करने के लिए बुरे लोगो का ही चुनाव होता है (जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने हर बुरे व्यक्ति को ही चुना)। बुरो का ही साम्राज्य गठित होने लगता है।

उचित राजस्व की वसूली बिना हिंसा व अनुचित हथियारों के भी हो सकती है। लेकिन एक बार जब उचित व कानूनी मार्ग छूट जाता है तो हिंसा व अनुचित हथियार आवश्यक हो जाते है। जब हम जानते हैं कि प्रतिष्ठित कार्यभार के लिए कर्मचारी को उचित वेतन मिलना चाहिए तो क्या हम यह सोच भी सकते हैं कि अनुचित व्यवहारों का प्रयोग होगा ? नहीं, फिर हम अपने को धोखा भी क्यों दें ? जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने दीनाजपुर के लिए ४०,००० पौंड का घूस लिया तो क्या वहाँ के निवासियों में लगान देने की शक्ति बाकी बची ? फिर इस प्रकार की हिंसक खरीद-बिक्री, छीना-झपटी, अमानुषिक व्यवहार, जेल, मारपीट आदि द्वारा लगान व कर वसूली के फलस्वरूप भारत का सबसे अच्छा प्रदेश नष्ट हुआ और यह सब मिस्टर हेस्टिंग्स के कारनामों के फलस्वरूप हुआ।

अत: मैं मिस्टर हेस्टिंग्स पर अभियोग लगाता हूँ कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उसने छ: प्रान्तों की कौसिलों द्वारा समस्त सरकार के प्रबंध को नष्ट किया जिसका उसे कभी अधिकार न था।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि पार्लमिंट द्वारा केवल उसे दिए गये अधिकारों को उसने दूसरों में बाँटा।

मैं अभियोग लगाता हूँ कि उसने अपने लिए अत्याचार के औजार तैयार करने के लिए अनुचित ढंग की कमेटी का निर्माण किया जिस पर व्यर्थ ६२,००० पौंड वार्षिक का खर्च बढ़ा।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपना दीवान बनाया जिसने अन्य राज्यकर्मी अंग्रेजों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था जिसे उसने प्रांतीय कौसिलों के अधिकार दे दिए।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि उसने गंगा गोविंद सिंह से घूस लिया।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ जिन कामों के लिए उसने घूस लिए वे काम भी नहीं किए।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि जिन लोगो से उसने घूस लिए उन्हें भी लूटा।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि उसने धोखाधड़ी द्वारा विधवाओ की सम्पत्ति का अपहरण किया।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि उसने अधिकार बिना ही नाबालिग और अनाथो की जमीनें छीनी।

मै उस पर अभियोग लगाता हूँ कि उसने एक नाबालिग राजा के असली अभिभावकों को समाप्त किया और उन्हें अनजान लोगो के हाथ में छोड़ दिया। देवी सिंह जिसकी बदनामी से वह स्वयं तथा सारा संसार परिचित था और उसके द्वारा राजा, उसके परिवार और उस पर आश्रितों को क्रूरतापूर्वक सताया गया।

मैं उस पर अभियोग लगाता हूँ कि उसने तीन बड़े प्रांतों का शासन देवी सिंह पर छोड़ दिया था और फलस्वरूप समस्त राष्ट्र ही नष्ट हो गया, जमीन का लगान समाप्त हो गया, किसानों को बुरी तरह तंग किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी फसलें छीन ली गईं, और समस्त देश के स्त्री समाज की प्रतिष्ठा को नष्ट किया।

इंगलैंड के संसद सदस्यों के नाम पर मैं वारेन हेस्टिंग्स पर यह सब अभियोग लगाता हूँ।

श्रीमान, हम लोग राष्ट्रीय न्याय की माँग करते हैं। आपके सामने अनाथ राजकुमारों व संभ्रान्त घरानों की महिलाओं, टूटे हुए प्रान्तों, और नष्ट हुए राष्ट्र का मामला है।

श्रीमान, क्या आप एक ऐसा अपराधी चाहते है कि एक ही व्यक्ति पर इतने अभियोग लगाये गये हों।

श्रीमान क्या आप ऐसा अपराध लगाने वाला चाहते हैं? देखिए समस्त

संसद-सदस्य आपके सम्मुख प्रतिवादी बने है।

या आप न्याय-परिषद चाहते हैं ? आपके साथ ही तो इंगलैंड के उच्च पादरी या विशप भी हैं और धर्म द्वारा आपको नई रोशनी मिलेगी। उस धर्म के भी प्रतिनिधि आप के साथ हैं जिनकी मान्यता है कि प्यार ही ईश्वर है।

मैं वारेन हेस्टिंग्स को उच्चतम अपराधों और अभद्र व्यवहारों के लिए अपराधी घोषित करता हूँ।

मै वारेन हेस्टिंग्स को पार्लमिंट मे एकत्रित इंगलैंड के संसद-सदस्यों के नाम पर अपराधी घोषित करता हूँ कि जिनके प्रति उसने विश्वासघात किया है।

मैं वारेन हेस्टिंग्स को महान ब्रिटेन की पार्लमिंट के सदस्यों के नाम पर जिनके राष्ट्रीय चरित्र को उसने कलंकित किया है अपराधी घोषित करता हूँ।

मै वारेन हेस्टिंग्स को भारत के निवासियों के नाम पर अपराधी घोषित करता हूँ जिनके कानून, अधिकारों और नागरिक-अधिकारों का उसने हनन किया है, जिनकी सम्पत्ति उसने नष्ट की है, जिनका देश उसने नष्ट किया है।

मैं वारेन हेस्टिंग्स को उन तमाम कानूनों व न्याय के नाम पर अपराधी घोषित करता हूँ जिनकी सीमाओं का उसने उल्लंघन किया है।

मैं वारेन हेस्टिंग्स को मानव प्रकृति के नाम पर अपराधी घोषित करता हूँ कि जिसकी उसने अवहेलना की है, और हर अवस्था, स्थिति और परिस्थिति के स्त्री-पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार किए।

[मिस्टर बर्क ने जब अपने इन प्रारंभिक भाषणों को समाप्त किया तो २२ फरवरी १७८८ को अपराधी घोषित करने का कार्य मिस्टर फाक्स ने आगे बढाया, फिर २५ फरवरी को मिस्टर ग्रे ने आगे बढ़ाया। जब गवाहियाँ आदि हो गई तब ११ अप्रैल को मिस्टर अन्सट्रूयर ने बात पूरी की।

दूसरा विषय १५ अप्रैल को मि० एदम द्वारा उठाया गया जिसमें मिस्टर पलहाम ने भी साथ दिया। ३ जून को मिस्टर शेरीडीन ने बहस की।

२१ अगस्त १७८६ को मिस्टर बर्क ने छठा अभियोग लगाया। घूसखोरी, अत्याचार का अभियोग। फिर तो २१ अप्रैल और ५ व ७ मई को मिस्टर बर्क ने इसी विषय पर अपना भाषण दिया।]

सातवें दिन की कार्यवाही

[२१ अप्रैल, सन् १७८८]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण काफी समय तक चारों ओर दुख छाया और सरकार का समस्त काम रुका रहा।

श्रीमान, अब हम फिर अपना काम प्रारम्भ करते है। इस बार नए व पहले से दूने उत्साह से काम होगा। हम लोग इस बार दूने उत्साह व निष्ठा से काम करेंगे क्योंकि इस बार हम लोग कई अद्भुत परिस्थितियो से घिरे है।

श्रीमान, जहाँ भी ईश्वर की आज्ञा मानी :जाती है वही उसकी पूजा भी होती हे और मैं जोर दे कर कहूँगा कि धर्म का सर्वोत्तम कर्तव्य और जो सर्वोत्तम श्रद्धा हम दे सकते है, वह वही है जो उसे स्वीकार्य हो।

श्रीमान, उसके मन्दिर मे हम यह कभी न भूलेंगे कि न्याय ही उमे सबसे अधिक प्रिय है।

संसद-सदस्यो ने बहुत आश्चर्य से सुना कि घूमखोरी के व्यापार में तीस हजार पौंड मिस्टर हेस्टिग्स के हाथ लगे और इस मुकदमे की तैयारी मे यह रकम उसने खर्च भी की है। यह तो मिस्टर हेस्टिग्स के वकील ही बता सकते है कि इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च हुई, हमें इससे कुछ लेना-देना नही। पर हम श्रीमान के मस्तिष्क से बेचैनी दूर कर देंगे कि जब आज के अपराधों को हम प्रस्तुत करेंगे और प्रमाण भी दिखाएँगे कि खर्च चाहे जो भी किए गए हों, पर वह राजा नन्द-कुमार से घूस मे ली गई रकम से किसी प्रकार भी कम न थी। हर मामले को उसकी परिस्थिति तथा प्रकृति के हिसाब से ही देखा जाता है।

अब तक स्थानीय व अस्थायी परिस्थितियो की विवेचना द्वारा इस मुकदमे की कार्यवाही का रास्ता हम लोगों ने साफ कर लिया और इसमें बहुत अधिक समय भी व्यय किया गया। भविष्य में भी समय का व्यय होगा ही और न तो समय का अपव्यय हो न बरबादी, इसलिए हम लोग एक-एक विषय पर ही वार्तालाप करेंगे।

अब हम श्रीमान के सामने छठी कलम पर बहस शुरू करेंगे। इस कलम में मिस्टर हेस्टिग्स के विरुद्ध घूसखोरी व भ्रष्टाचार का अभियोग है। लेकिन इसकी

बहस में हमें थोड़ी दिक्कत है। हम यहाँ केवल पार्लामेंट के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में ही उपस्थित नहीं हुए हैं बल्कि बंगाल के निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में भी। आप देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स के विश्वासपात्र सहयोगी या अभिन्न मित्र ही उसके गवाह होकर उपस्थित हुए हैं। आह ! श्रीमान उस स्थिति का अंदाजा करें जब लोगों को विवश किया जाय कि उनकी प्रसन्नता व दुख एक ही रूप में खो जाएँ। अभी प्रमाण देकर जब हम सिद्ध करेंगे कि लोग किस वेदना व दुख की स्थिति में पहुँचा दिए गए हैं। हम जो कुछ प्रमाण अभी प्रस्तुत करेंगे उससे श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक कोने से दूसरे कोने तक बंगाल को बिल्कुल साफ कर दिया है। सभी जानते हैं कि किसी फौजदारी मुकदमे को जब पूरे प्रमाण की गवाही नहीं मिलती और सभी अन्य उपाय बेकार होते हैं, तब जो अन्तिम प्रमाण उपस्थित होता है वह है चरित्र सम्बन्धी प्रमाण। अब उसका मामला समाप्त है। जब बंगाल को नष्ट करके उसे अपने आचरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तब वह अपने चरित्र की दुहाई देता है। हर मुकदमे में कार्यवाही सम्बन्धी जो भी कागज-पत्र हमें मिलते हैं उनमें भी हत्या, धोखेबाजी, या लूटमार के प्रमाण के बाद अन्त में चरित्र का मामला आता है। उसका असाधारण प्रशंसा योग्य चरित्र है—मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वह असाधारण रूप से भला है। वह अच्छे आदमियों में भी श्रेष्ठ है। मैं उसकी हर बात मानूँगा। हमारे यहाँ मुकदमों की कार्यवाही का जो ढंग है वह आधुनिक नहीं है। निश्चय ही मिस्टर हेस्टिंग्स उच्च श्रेणी के अपराधियों में एक उदाहरण है, जिसने राजकीय क्षेत्रों को तोड़ने में कमाल हासिल किया। हम सोचते हैं कि हम श्रीमान के सम्मुख मिस्टर हेस्टिंग्स की अमानुषिकता व अपहरण के प्रमाण पेश कर सकेंगे। कठिनाई यह है कि उन प्रमाणों के विपक्ष में, उन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण ही दिए जाएँगे और परिस्थितियों के बोझ से प्रमाणों का महत्व घटेगा। लेकिन हमारे पास जो मसाले हैं वे निश्चित है, और जब एक विशेष प्रांत से घूस लेने की बात वह स्वयं स्वीकार कर चुका है तब वह हमारे प्रमाणों से भाग भी नहीं सकता। लेकिन आज हम किस स्थिति में है ? संक्षेप में, हमारे पास मिस्टर हेस्टिंग्स के इन अपराधों से संबंधित शिकायतें हैं, उन लोगों की शिकायतें जो स्वयं सताए गए हैं और घायल हैं। हमारे पास उसकी अपनी स्वीकारोक्ति है। श्रीमान के सामने हम दोनों ही चीजें प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि उनकी अपनी शिकायतें ही झूठी हैं और मिस्टर हेस्टिंग्स की अपनी स्वीकारोक्ति भी गलत है।

मिस्टर हेस्टिंग्स के विरुद्ध लगाए गए अपराधों मे एक है, दीनाजपुर के एक जमींदार राधानंद के सम्बन्ध में। आप सुनें कि जमींदार स्वयं कहता है, 'जैसा कि मुझे मालूम है कि मुसद्दीगण, और मेरी जमींदारी के योग्य अफसरान और इंगलैंड के मंत्रीगण वारेन हेस्टिंग्स, भूतपूर्व गवर्नर से नाराज हैं, इस सन्देह पर कि

उसने हमें सताया, बलप्रयोग से हमसे रुपये वसूल किये और देश को बरबाद किया है, अतः हम लोग अपने धर्म की शक्ति से कहते हैं कि वह हमारा समर्थ रक्षक था। न्याय व सुरक्षा की कभी भी उसके राजकीय काल में कमी न थी। उसने अन्याय व पक्षपात को जड़ से उखाड़ कर पुनः न्याय व ईमानदारी को पुनर्स्थापित किया। उसके कार्यकाल में हम केवल प्रसन्नता ही पाते रहे। हममें से अधिकांश उसके कृतज्ञ हैं उससे संतुष्ट है। मिस्टर हेस्टिंग्स हमारे रीति-रिवाजों व नियमों से पूर्णतया परिचित था अतः उसने सदा हमारी धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा की। यह सब हमलोग बिना किसी बढ़ाव-चढ़ाव के कह रहे है।"

श्रीमान, यह एक स्तुतिपाठ है और अन्य अभियोग लगाने वालों से बिल्कुल भिन्न। हम अपने लगाए गए अभियोगों के प्रमाण देने के पहले ये स्तुतिपाठ ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करते है और उन लोगों के प्रमाण-पत्र व स्तुतिपाठ प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम सब से अधिक सताया गया समझते है। यह इसी बात से प्रत्यक्ष है कि मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं स्वीकार करता है कि इस राजा से उसने घूस लिया और इस तथ्य के विरुद्ध वह राजा ही प्रमाण-पत्र व स्तुतिपाठ पेश करता है।

यह सभी बातें श्रीमान के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालेगी, और जब हमलोग अस्वाभाविक स्थिति में अपने को डाल कर स्तुतिपाठ के विपरीत उसे दोषी या अपराधी घोषित करते हैं तो श्रीमान को स्वयं देखना पड़ेगा कि सत्यता क्या है। मुझे ब्रिटेन की पार्लमिंट के सदस्यों का आदेश है कि मैं बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध लगाए गए अपराधों को प्रतिष्ठित करूँ। वारेन हेस्टिंग्स आज आप की अदालत में एक अपराधी है, सर्वप्रथम अनुचित ढंग से कई घूसखोरी के लिए, दूसरे अपने पद को महानता के प्रभाव में बलप्रयोग द्वारा बंगाल के निवासियों से बड़ी-बड़ी रकमें वसूलने के लिए।

दूसरी बात जो हम आप के सामने उपस्थित करेंगे वह यह कि केवल व्यक्तिगत रूप से ही वह व्यभिचारी नहीं है बल्कि उसने कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को भी व्यभिचारी बनाया, जिनके दोषों की वह रोक-थाम कर सकता था।

हम श्रीमान के सम्मुख यही बात स्पष्ट करना चाहते है कि अपराधों में घूसखोरी के सम्बन्ध में कही गई अधिकांश रकमों को उसने अपने हाथ से स्वीकार किया। कुछ रकमें उसने अपने वहीं के काले दलालों, बनियों और दूसरे लोगों के माध्यम से लिया। यह हम पूरी तरह सिद्ध करेंगे।

उसके भ्रष्टाचार के दूसरे भाग में कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के माध्यम से पूरे राज्य में फैले भ्रष्टाचार के प्रति उसकी जिम्मेदारी को हम सिद्ध करेंगे। सभी प्रमाण सहित, एक के बाद एक आपके सामने प्रस्तुत किए जाएँगे।

सबसे पहले उसके अपने हाथ से किए गए भ्रष्टाचार का मामला हम सामने

लाते हैं। इस देश में घूसखोरी इतनी कम मात्रा में प्रचलित है कि हमें उसके बारे में बताने में शब्दों की कठिनाई होगी, लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स के कारनामों से हम लोग भी कई नए शब्द जानने का सौभाग्य पावेंगे। सर्वप्रथम, घूसखोरी के वे मामले जिसमें मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं सीधे व बनियों के माध्यम से सम्बन्धित है, हम वर्णन करेंगे। आप के सम्मुख बड़े व सम्मानित परिवारों की बरबादी के मामले भी है।

श्रीमान, जब नीच विचार और असहिष्णु प्रकृति ऊँची जातियों पर हावी हो जाती है, जब चोरी, घूसखोरी, अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि एक ही क्रम से पनपने लगते हैं तब बुराई की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। यह बुराई दैनिक नहीं, बल्कि घन्टे के क्रम से बढ़ती है। यह बुराई ऊँचे से लेकर नीचे तक के लोगों में पनपती है और मरकार का प्रत्येक स्तर दूषित हो जाता है।

श्रीमान, जब एक बार गवर्नर जनरल घूस लेता है तब वह अपने मातहत सभी स्तर के कर्मचारियों को भी इसके लिए जैसे संकेत दे देता है। डर और लज्जा का आवरण टूट जाता है। लज्जा ! फिर यह रह भी कैसे सकती ? जब अपराधों को ही चरित्र व प्रतिष्ठा व उन्नति का पोषक माना जाये, जब अपहरण व घूस-खोरी को सहारा मिले, वही धन, पदोन्नति का कारण बने तब लज्जा नामक चीज को कहाँ स्थान मिल सकता है ? और डर ? गवर्नर जनरल को घूस लेने दीजिए और सभी कर्मचारियों के मन से डर नाम की चीज निकल जाएगी। फिर डर से वह नाता क्यों रखें ? क्या उनका अधिकारी कभी जांच-पड़ताल भी कर मकता है ? कभी नहीं। अगर वह जाँच-पड़ताल का छोटा-मा छिद्र भी बनाता है तो वह अपने ही अपराधों के पकड़े जाने का रास्ता खोलता है। फिर क्या वह बुराइयों को रोकने का ओई नियम या कानून बना सकता है ? कभी नही। यदि हम उदा-हरण के लिए भी एक बार गवर्नर जनरल को घूस लेने को स्वीकृति दे देने है तो सभी प्रतिष्ठा व कानून का सदा के लिए अन्त हो जाता है और देश में फिर न्याय की कोई आशा नहीं रह जाती। हम यह सभी परेशानियां समझते है।

इसे बहुत स्पष्ट रूप में आपके सम्मुख रखने के लिए हम आगे वर्णन करेंगे कि भारत की सरकार मे घूसखोरी किस प्रकार चलती है। हमलोग मिस्टर हेस्टिंग्स की स्थिति का वर्णन करेंगे। हम बताएँगे कि कम्पनी ने उस पर कितना विश्वास किया। हम सिद्ध करेंगे कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अकेले इतनी बुरी बातें की हैं जितनी सामूहिक रूप से अन्य कर्मचारियो ने मिल कर भी नहीं किया।

हम सिद्ध करेंगे कि भारत में कम्पनी की स्थापना के प्रारम्भ काल से ही घूसखोरी प्रचलित थी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसके लिए न तो शब्द मिलते हैं न कोई वर्णन मिलता है जिससे ऐसी घटनाओं का बिल्कुल ठीक-ठीक पता लग जाय।

मेरी इच्छा है कि मैं श्रीमान के सम्मुख लार्ड क्लाइव का एक वक्तव्य सुनाऊँगा जो कम्पनी के मामलों को सुधारने के लिए भेजा गया था।

"सेंट जार्ज किले में हमने सर्वप्रथम मीरजाफर की मृत्यु और शुजाउद्दौला की हार के समाचार सुने। यह पूरी तरह सोचा जा रहा था कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकेगा क्योंकि लैपविंग आप के पत्र के साथ जनवरी के महीने में आया। परिषद ने जल्दीबाजी में एक संधि-पत्र तैयार किया था वह मीर जाफर के साथ ही समाप्त हो गया था। मिस्टर जान्सटन, मिडिलटन और लेकेस्टर का एक शिष्ट-मंडल गठित हुआ जिसका काम था कि सूबेदारी के नवाब का उचित उत्तराधिकारी चुने। मीरन का लड़का नाबालिग था और स्वाभाविक ढंग में राजसत्ता हमारे हाथों आने वाली थी।

"इस मामले पर पहला प्रकाश तो तब पड़ा जब भारत जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरी नवाब से भेंट हुई। वहाँ लम्बे अरसे से हो रही गड़बड़ी की सूचना मिली, जिसमें बीस लाख रुपयों का मामला था और यह रकम नवाब के खजाने की थी।

"नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खाँ को इस गड़बड़ी का पता लगाने का काम सौंपा गया। उसने बहुत जल्दी ही कमीशन के सम्मुख उस असाधारण घटना का वर्णन पेश किया जो हमारे कागजातों में है। ६ जून की तिथि मे कई नामों व रकमो की बात लिखी है। किसे दिया गया और कैसे दिया गया ? जगत सेठ को भी बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी। नवाब और मोहम्मद रजा खाँ, दोनों ही सबसे अधिक सताए गए थे।

"जगतसेठ ने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि मुझे जितनी रकम देने की बात तय हुई थी वह एक लाख पचीस हजार रुपये थी। राजा नंदकुमार व राय दुर्लभ से कई लाख, तथा नवाब और मोहम्मद रजा खाँ से सत्रह लाख रुपये लिए गये।"

इस कागज के महत्व को कम नही किया जा सकता, क्योकि इस पर एक ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर है जो इस समय इस सदन मे मौजूद है। और कटघरे के पास ही बैठा है।

अब मैं श्रीमान को उस ढंग के बारे मे बताऊँगा जो कि कम्पनी ने इन शिकायतों को दूर करने के लिए अपनाया। मिस्टर हेस्टिंग्स पर अनोखा विश्वास करने का ढंग, उसकी नियुक्ति के लिये किया गया पक्षपात, कि वह सभी बुराइयाँ मिटाने में समर्थ होगा। मैं श्रीमान को केवल एक उदाहरण पर ही गौर करने का आग्रह करूँगा। कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के लिए जब दो उम्मीदवार थे, मोहम्मद रजा खाँ और राजा नंदकुमार। मैं श्रीमान को यह याद दिलाना चाहता हूँ और हम दोनों की परिस्थितियों की भी चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही मिस्टर हेस्टिंग्स से

पक्षपात पाने के उम्मीदवार थे ।

आगे हम श्रीमान को बतावेगे कि सन् १७६८ मे कम्पनी ने यह राजाज्ञा प्रकाशित की थी कि कोई भी चार सौ पौड की कीमत से अधिक का उपहार न ले ।

श्रीमान, मै यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि इस 'उपहार' शब्द को लेकर थोड़ी कठिनाई है । घूमखोरी और लूट को 'उपहार' से ढाक दिया गया । क्या श्रीमान इसे एक भयानक भूल नही मानते ? क्योकि पूर्व के देशो मे ये सारी चीजे पहले न थी । पूर्व के देशो मे उपहार के तीन प्रकार ही प्रचिलत है । उनमे से दो—रुपयो का भुगतान जो कायदे से या कानून की सीमा मे हो, और दूसरा पूर्णतया कानून की सीमा से बाहर, यह भी आवश्यक है, श्रीमान देखे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने उपहारो को कानूनी मान्यता दी । उस देश मे पहले ढंग के उपहारों को पेशकश कहते है । दूसरे को नजर या नजराना । और अंतिम को रिश्वत (फारसी शब्द) । इन तीनो के अपने-अपने अलग-अलग रूप है । हम स्पष्ट रूप से इसे प्रदर्शित करने के लिए उदाहरण भी देगे । मिस्टर हेस्टिंग्स ने इन तीनो चीजो को मिलाने का प्रयत्न किया है । नजर तो बहुत थोडी रकम के उपहार को कहते है । कभी-कभी एक सोने की मोहर, कभी-कभी इससे भी कम । केवल चेतसिंह द्वारा हेस्टिंग्स को पचास मोहरो की नजर दी गई थी, और अरकोट के नवाब मोहम्मद अली द्वारा एक सौ मोहरो की नजर मुगल राजा को दी गई थी ।

कम्पनी ने देखा कि नजर यद्यपि छोटी रकम का ही उपहार है पर कई बार की नजर मिल कर बडी रकम भी हो जा सकती है । अत. विचार हुआ कि कोई भी रकम किसी रूप मे भी न ली जाय और १७७५ मे कम्पनी ने गवर्नर जनरल को भी नजर स्वीकार करने पर रोक लगा दी । इस प्रकार हम देखते है कि उस आज्ञा या कानून ने घूसखोरी या भ्रष्टाचार का सारा मामला ही समाप्त कर दिया है । इस प्रकार मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए रुपये लेने का कोई रास्ता न बचा था लेकिन हमलोग सिद्ध करेगे कि उसने रुपये लिए ।

मै जानता हूँ कि इस प्रकार की रोकथाम मे कानून आदि का बहुत कम ही प्रभाव रहता है जब तक कि शक्तिशाली पदो से संबन्धित भ्रष्टाचार के रास्ते खुले रहते है या गरीबी के नाम पर अधिक आमदनी की लालच बनी रहती है । मुझे सोचना चाहिये कि सचमुच कम्पनी को इसका नुकसान उठाना ही चाहिए क्योकि कर्मचारियो की भरती पक्षपात पर निर्भर थी ।

श्रीमान, हम आपसे भारत की सन् १७६५ की स्थिति का वर्णन कर चुके है । उस समय जो भी मार्ग अपनाए जाते थे, कम्पनी द्वारा जो विधान या नियम बनाये जाते थे, उनका पूरा-पूरा प्रभाव भी पडा और सन् १७७२ के प्रारम्भ में जब मिस्टर हेस्टिंग्स पहली बार सरकार में आया तो उसने बुराइयो को रोकने की आवश्यकता न मानी और मुझे तो इस महान सत्य का उद्घाटन करना ही है कि

कम्पनी का तब विचार जिससे इस प्रकार की बुराइयों में वृद्धि ही हुई है। उन्होंने कहा भी है, "इस पत्र की परिस्थिति पर विचार किए बिना हम यह घोषणा करना चाहते है कि राज्य में भ्रष्टाचार व पाप पहले से अधिक चल रहा है। जब समस्त देश में अपहरण व दवाब का ही बोलबाला हो तो व्यापार को निश्चित रूप से हानि सहनी पड़ेगी···।"

इस पत्र से श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स के पास बुराइयाँ मिटाने की सभी शक्ति थी। और मैं श्रीमान से प्रार्थना करूँगा कि इसी पत्र के २५ वें पैराग्राफ मे देखें कि उन्होने हेस्टिंग्स को किसी अन्य लालचवश समस्त शक्ति दे दी।

श्रीमान, सन् १७७२ मे कम्पनी के पास समस्त देश मे हो रहे उपद्रव की सूचना आई। उसी समय नये विधान व कानून बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

श्रीमान को याद होगी, जाफर अली खाँ की मृत्यु, जिसने ही सर्वप्रथम बार बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का श्रीगणेश किया था, वह इस समय से चार या पाँच साल पूर्व ही मरा। उसके उत्तराधिकारी दो लडके थे, जिन्होने बहुत शीघ्र एक दूसरे का उत्तरदायित्व सम्हाला। पहले के विषय मे तो हम लोग चर्चा कर चुके है। वह नवाब का कानूनी शहजादा था। मुन्नी बेगम से पैदा हुआ था जो पहले बतायी गयी परिस्थिति का शिकार होकर, भ्रष्टाचार व उपहार के चक्कर में अपने बेटे की गद्दी की दुश्मन बनी। फिर एक के बाद एक—नजमुद्दौला, सईलउद्दौला, और मुबारकउद्दौला एक दूसरे के उत्तराधिकारी बनते रहे।

मोहम्मद रजा खाँ से संबन्धित पहला हुक्म—जो स्थानीय सरकार मे, अग्रेजो के हाथ दीवानी प्राप्त होने के कारण, नायब दीवान था और समस्त राजस्व का मालिक था, कम्पनी के सम्मुख इस क्षेत्र मे अकाल पडने का जिम्मेदार ठहराया गया था और उसे कलकत्ता आकर अपने कार्य-कलाप का ब्योरा व सफाई पेश करने की आज्ञा मिली।

दूसरा कानून जो बनाया गया वह मोहम्मद रजा खाँ के हटने से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति द्वारा एक प्रभावशाली तथा योग्य सरकार स्थापित करने के संबंध मे था। उसके कारण रिक्त हुए स्थान ये थे—कम्पनी द्वारा नियुक्त वह नाबालिग नवाब का अभिभावक था, उसे ही उसके परिवार की व्यवस्था देखनी पड़ती थी। उसे ही सार्वजनिक न्याय की व्यवस्था करनी पड़ती थी। वही हर प्रकार से विदेशी सरकार का वहाँ प्रतिनिधि था। इसी व्यक्ति को हटाने की आज्ञा मिस्टर हेस्टिंग्स ने दी थी, जिसका फल हुआ कि नाबालिग नवाब के अभिभावक और उसके परिवार के व्यवस्थापक, सार्वजनिक न्याय का प्रमुख मजिस्ट्रेट और बंगाल के विदेशी व्यापारियों का प्रतिनिधि—इन सभी स्थानों की पूर्ति का प्रश्न उठ खड़ा हुआ।

इस आज्ञा के साथ एक बहुत ही विशेष प्रकार की आज्ञा भी संलग्न थी। यह मिस्टर हेस्टिंग्स को दी गई तीसरी बड़ी व महान शक्ति थी—कि नवाब के नाबालिग रहते वह नवाब को दिए जाने वाले भत्ते में कमी करे, यानी ३२ लाख से घटा कर सोलह लाख। फिर इस सोलह लाख के खर्च के पाई-पाई हिसाब जाँचने को एक अफसर की नियुक्ति, जो यह समस्त जँचा हुआ हिसाब कलकत्ता भेजे और कलकत्ता से इंगलैंड भेजा जाय।

अब हम श्रीमान को दिखाएँगे कि इन अवसरों पर मिस्टर हेस्टिंग्स का क्या आचरण था। इसके लिए हम कंपनी के बही-खाते व हिसाब-किताब से प्रमाण पेश करेंगे तथा उस देश के सरकारी व सार्वजनिक दफ्तरो से प्राप्त दस्तावेज पेश करेंगे। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि प्रत्येक सही व उचित दस्तावेज की सच्चाई पर भी सन्देह किया जा ससता है और प्रत्येक दस्तावेज को सच मानने में संभावना की कल्पना का आश्रय लिया जाता है। क्योंकि हम यह भी जानते है कि गवाह को झूठी गवाही के लिए विवश किया जा सकता है, दस्तावेज भी जाली बनाये जा सकते है, लेकिन न्याय की दुनिया में एक ही बात पर भरोसा रहता है कि परिस्थितियाँ झूठ नही सिद्ध हो सकती। और इसलिए, यदि जो दस्तावेज पेश किए गए है वे सही हो सकते है, पर यदि देश की परिस्थिति से भिन्न हैं, तो मै कहूँगा कि न्याय के लिए संदेह की पूरी सम्भावना रह जाती है। उदाहरण के लिए, यदि दस गवाह किसी जज के संबंध में गवाही दे दें तो हमे दसों गवाहों के बयानो के अलावा उस जज के व्यक्तित्व, परिस्थिति और संभावनाओं पर ध्यान रख कर ही निर्णय पर पहुँचना होगा। अतः इस मामले में प्रत्येक पग पर हम यह कहेगे कि हर जगह इस मामले मे भ्रष्टाचार की आशंका है। इन संभावनाओ के लिए हम प्रमाण भी देंगे, और परिस्थितियों की सच्चाई इन संभावनाओं को स्वीकार करने को विवश करेगी।

मिस्टर हेंस्टिंग्स को मोहम्मद रजा खाँ के संबंध मे कंपनी आदेश मिले। उस आदेश का पालन उसने फौजी अनुशासन व ढंग से जल्दी ही किया। यह काम उसने एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी की तरह किया। जिस दिन उसे आदेश प्राप्त हुआ, उसने उसी दिन कार्यवाही की, गुप्त रूप से, कौंसिल तक को खबर न होने दी, जिनसे भी गुप्त रखने का उसे आदेश न था। वह गया और पाया कि वह जिम्मेदार व प्रतिष्ठित मजिस्ट्रेट जो ऊपर बताए तमाम जिम्मेदार पदों पर था यानी खजाने का मालिक, प्रमुख न्यायाधीश सब एक साथ था, कभी एक लाख पाउण्ड पाता था, अब पचास हजार पाउण्ड पाता है। अचानक वह महान व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और एक क्षण की बरबादी के बिना ही उसे कलकत्ता घसीट कर लाया गया। वहाँ दो वर्षों तक वह कैद करके जेल में बन्द रखा गया। मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस महान व्यक्ति को कई महीने तक बिना मुकदमा चलाए ही बन्द

रखा। मामले के सिलसिले मे श्रीमान जाँच करके जान सकते है कि उसने उसका किस प्रकार व कैसे मुकदमा किया। फिर उस मुकदमे की परिस्थिति से आप जानेंगे कि अपराधो के लिए उस पर मुकदमा नही चलाया गया, न वह निरपराधी बता कर छोडा गया, फिर भी हम उसे इसी परिस्थिति मे छोडते है। कौसिल को विना वताए मिस्टर हेस्टिग्स ने प्राप्त आदेश का पालन किया और इस व्यक्ति को इतने दिनो बिना मुकदमे के ही बन्द रखा, अपने देश से उसे दूर रखा, उसे अपमानित व प्रताडित किया गया और इतनी कठोरता बरती कि उसे किसी से मिलने भी नही दिया गया।

इन्ही आदेशो मे अन्तर्निहित एक आदेश और हेस्टिग्स के लिए था। कम्पनी की यह राय थी कि इस व्यक्ति को मामलो से दूर किए बिना कभी भी देश मे व्यवस्था नही लाई जा सकती, अतः मिस्टर हेस्टिग्स को आदेश मिला कि इस व्यक्ति को उसके तमाम पदो से च्युत किया जाय। लेकिन मिस्टर हेस्टिग्स ने उचित समझा कि ऊपर से लेकर नीचे तक के सैकडो कर्मचारियो को काम से अलग कर दिया जाय। कारण केवल यह था कि वे सभी उसी दोषी व्यक्ति द्वारा काम पर रखे गए थे। उसका विश्वास था कि वह मोहम्मद रजा खाँ के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी, उचित प्रमाण और सचाई का पता तब तक नही लगा सकता जब तक उन्हे शक्तिहीन न कर दे। अत इतने दिनो उसे बिना मुकदमा ही कैदखाने मे बन्द रखा गया और उससे सम्बन्धित हर बडा या छोटा कर्मचारी काम मे अलग कर दिया गया। ऐसे काम करने मे उसके अपने कारण भी है।

"मै दूसरो की राय से प्रभावित नही होना चाहता। मेरी अपनी धारणाएँ व अपने निर्णय है। मोहम्मद रजा खाँ का प्रभाव लगभग समस्त देश पर व्याप्त था। नवाब के महल मे, राजधानी मे उसका पूरा प्रभुत्व था। उसकी प्रसन्नता व अप्रसन्नता मे अब भी जनता की सहानुभूति थी। ऐसी परिस्थिति मे भला कौन उसके विरुद्ध सूचना व गवाही देता? प्रत्येक दफ्तर मे उसके अपने आदमी व दलाल भरे थे, निजामत व दीवानी मे विशेषकर। फिर उसके प्रति सत्य का पता भी कैसे लगता?"

श्रीमान यदि हम, पार्लमेंट के सदस्यो के प्रतिनिधि, आशा करे और ईस्ट इंडिया कम्पनी को बाध्य करें कि मिस्टर हेस्टिग्स पर मुकदमा चलाते समय सत्य की खोज के लिए उसके द्वारा रखे गए हर कर्मचारी को काम से अलग कर दिया जाय, क्योकि उन कर्मचारियो के रहते हम उचित जाँच नही कर सकते तो क्या हमारी माँग न्याय की न होगी? उसके अपने उदाहरण से, यह एक न्यायपूर्ण माँग होगी। हमने ऐसा नही किया, यद्यपि हम भी ऐसा अनुभव करते है, जैसा उसने किया है कि जाँच मे बडी बाधाएँ आती है, क्योकि बंगाल के हर छोटे-बड़े पद पर उसके ही आदमी जमे है। फिर हम इससे क्या अर्थ निकाले? उसे इतने दिनो अकेले कैद किया

जाना, इतने दिनों जाँच का स्थगित रहना, क्या उसके प्रति न्याय है? इस बात से मैं यह बताना चाहता हूँ कि श्रीमान के सम्मुख यह स्पष्ट हो जाय कि मिस्टर हेस्टिंग्स आज भी उसी परिस्थिति में है जैसी एक वर्ष पूर्व परिस्थिति उसने पैदा की थी, जब राजा नंदकुमार को उसने मोहम्मद रजा खाँ के हाथ बेचा था और मोहम्मद रजा खाँ को राजा नंदकुमार के हाथ। यह एक भ्रष्ट न्याय-व्यापार था। मोहम्मद रजा खाँ के अपराधों के लिए उसका उचित न्याय भी नहीं हुआ, न उसे निरपराध समझ कर मुक्त ही किया गया। कम्पनी ने मिस्टर हेस्टिंग्स को कठोर आदेश दिए थे जिनका उसने पूरी कठोरता से पालन भी किया था। परन्तु कम्पनी ने ऐसा कोई आदेश उसे नहीं दिया था कि वह जाँच-पड़ताल भी न करे। उसने राजकाज के नाम पर ऐसे जाँच-पड़ताल की अवहेलना की और इस व्यक्ति को लम्बी अवधि तक जेल में डाल रखा और उसकी दुर्दशा की।

जनसाधारण के साथ मिस्टर हेस्टिंग्स के व्यवहार की आंशिक झाँकी हमने प्रस्तुत की। अभी हम मोहम्मद रजा खाँ को जहाँ के तहाँ छोड़ देते हैं। क्या आप श्रीमान समझते है कि इन कामों में मिस्टर हेस्टिंग्स की बेईमानी की नीयत का स्पष्ट अंदाज नहीं लगता? इस मामले में मिस्टर हेस्टिंग्स ने कभी भी अपने मातहत कर्मचारियों व सहयोगियो पर विश्वास नही किया और फिर वह कारण क्या बताता है? वह क्यों समझता है कि वे सभी मोहम्मद रजा खाँ से घूस खा चुके हैं? हेस्टिंग्स ने कभी अपने सहयोगियों पर विश्वास नही किया। मोहम्मद रजा खाँ पर मुकदमे के फैसले के लिए उसने जिस व्यक्ति को चुना वह था मोहम्मद रजा खाँ का जानी दुश्मन राजा नंदकुमार। मैं बहुत विस्तार में न जाऊँगा कि यह सिद्ध करूँ कि परिस्थितिवश दुश्मनी किसी भी व्यक्ति से न्याय की दृष्टि छीन लेती है, बल्कि कई परिस्थितियों में तो दुश्मनी व्यक्ति को किसी मामले में गवाह बनने योग्य भी नहीं रखती। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इस मामले में हेस्टिंग्स को कम्पनी की ओर से भी बढ़ावा मिला, क्योंकि मोहम्मद रजा खाँ का एकमात्र प्रतिद्वंदी राजा नंदकुमार कम्पनी की दृष्टि में बहुत गिरा हुआ था। इस नंदकुमार की किसी भी व्यवस्था से कम्पनी प्रसन्न न थी, परन्तु मिस्टर हेस्टिंग्स की सिफारिश पर कम्पनी ने आदेश दिया कि मोहम्मद रजा खाँ के मामले में यदि नंदकुमार किसी रूप में भी कम्पनी के काम आ सके तो उसे उसके कार्य के अनुसार पुरस्कार भी दिया जाय। परन्तु साथ ही उन्होंने मिस्टर हेस्टिंग्स को सचेत भी किया, सतर्क भी किया कि उस पर इतना भरोसा न किया जाय कि बाद में वह किसी प्रकार कम्पनी को हानि पहुँचा सके। अतः उससे काम लेने के पूर्व ही हेस्टिंग्स ने उसे पुरस्कृत किया, रुपये के रूप में नहीं, शक्ति देकर जिसके लिए उसे कम्पनी ने सतर्क कर रखा था। मोहम्मद रजा खाँ के आदमियों को नौकरियों से अलग करके उनके स्थान पर नंदकुमार के आदमी रखे। यह सब हेस्टिंग्स ने कम्पनी के आदेश के विपरीत ही किया। अतः मैं कह सकता हूँ उसने

पुन सन् १७६५ वाली स्थिति ही पैदा कर दी, जब घूसखोरी खुलेआम चलती थी और सभी लोग अविश्वास के शिकार थे तथा एक दूसरे के हाथ बिके थे ! जिस स्थिति में मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने आपको ला छोड़ा था उसमें भ्रष्टाचार के बढने के सिवा और कोई सम्भावना न थी।

परिस्थिति को देखते हुए इन बड़े आदमियो तथा उनके द्वारा रखे गए कर्मचारियों के इस मामले में इसके अलावा और कोई चारा भी न था, कि उनसे रुपये वसूल किये जाते। एक व्यक्ति था, जिसका नाम था सिताबराय। उसका बिहार के राजस्व में बड़ा हाथ होता था। कम्पनी के नाम लिखे गए एक पत्र में मिस्टर हेस्टिंग्स ने लिखा था कि बिहार राज्य के राजस्व के सम्बन्ध में बड़ी रकमो की गड़बडी की शंका की जाती है, पर उस पत्र में उसने सिताबराय के नाम का उल्लेख नहीं किया था। वहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स का एक गहरा अंग्रेज मित्र ही प्रमुख अधिकारी था जिसके इशारे पर सिताबराय काम करता था। किसी अभियोग के या कम्पनी के किसी आदेश के बिना ही मिस्टर हेस्टिंग्स ने उस सिताबराय नामक व्यक्ति को दबोच लिया। उसे भी उसने एक वर्ष तीन महीने तक बिना किसी मुकदमे के कैद रखा और जब मुकदमा बना तब वह भी एक झूठा नाटक ही था। यही उपाय था जिससे मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी के आज्ञा-पालन के लिए मुहम्मद रजा खाँ को हटाया।

जब मुहम्मद रजा खाँ के उत्तराधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न उठा तब, जैसा मैंने उसके चरित्र का वर्णन किया है, उस आधार पर श्रीमान सोचते होंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसके स्थान पर किसी को नियुक्त करने में बड़ी सतर्कता व बुद्धिमानी से काम लिया होगा। लेकिन हमलोग आगे देखेंगे कि इस रिक्त पद की पूर्ति उसने कैसे की। जब कम्पनी ने मोहम्मद रजा खाँ को उसके पद से पदच्युत करने का आदेश दिया, तभी यह भी आदेश दिया कि उसके उत्तराधिकारी का वेतन भी घटा दिया जाय। यानी उस पद के लिए तीस हजार पौंड काफी थे। अब श्रीमान देखेंगे कि वेतन व भत्ता मिला कर बड़े से बडे पद के वेतन से अधिक ही पड़ता था। उन्होने दीवानों को इस पद से अलग कर दिया यानी राजस्व की वसूली के भार से मुक्त करके कार्य भी हलका कर दिया और आदेश दिया कि यह व्यक्ति जो नाबालिग नवाब का अभिभावक होगा और साथ ही सरकार का भी प्रतिनिधित्व करेगा, उसे तीस हजार पौंड मिलने चाहिए। उन्होंने जो आदेश दिया था वह यह था—

"······मोहम्मद रजा खाँ को अब इस पद व शक्ति के योग्य समझा जाता है और तुम्हारी स्थानीय जानकारी पर भरोसा रख करके सरकारी मामलों से परिचित व्यक्ति को इस पद के लिए चुनने का तुम्हें अधिकार दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम नवाब के सामने रखा जाय कि जो मोहम्मद रजा खाँ के स्थान पर नवाब का अभिभावक तथा सरकार का मन्त्री व सलाहकार हो, हम आशा करते हैं कि नवाब तुम्हारे चुनाव व सुझाव को मान्यता देगा।

"ऐसी नियुक्ति से कम्पनी को जो भी लाभ हो, वह इस बात पर निर्भर है कि हम उसको कार्य करने की कितनी स्वतन्त्रता देते हैं, या उसका उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और कम्पनी के साथ उसके सम्बन्ध कैसे रहते हैं। अतः हम तुम्हें यह अधिकार देते हैं कि जिसे तुम इस कार्य व पद के योग्य समझो, चुनाव करो अथवा वार्षिक वेतन, जो किसी भी प्रकार तीन लाख से अधिक न होगा और जो रकम प्रतिष्ठापूर्वक जीवन-निर्वाह के लिये काफी होवे, निश्चित कर सकते हो। एक बात का हम अवश्य यहाँ उल्लेख करेंगे कि जिसका भी तुम चुनाव करोगे, वही नवाब सरकार का मन्त्री होगा, अतः इस चुनाव में तुम उस विश्वास व कार्य की रक्षा करोगे जो हमने तुम पर छोड़ा है। इसमें केवल एक बात का ध्यान रखना कि जो भी करना वह जनहित व कम्पनी के लाभ में हो।"

श्रीमान, यह एक पुरस्कार देने की बात हुई। जिस योग्य व्यक्ति को पदच्युत किया गया, उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रखने का आदेश देकर और उसकी योग्यता की रूप-रेखा बता कर। अब हमने अच्छी तरह देख लिया कि मोहम्मद रजा खाँ को उसके पद से गिराने में मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी के आदेश का किस प्रकार पालन किया है। अब श्रीमान भी स्वाभाविक रूप से यही समझेंगे कि उसने मुस्लिम और हिन्दू राजाओं से सम्बन्धित सभी आदेशों का पालन किया। पर मैं श्रीमान को स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स के विचारों से अवगत कराता हूँ जो उसने इस पद के व्यक्ति के लिए बनाए थे।

"कि यह पद उसी को मिलेगा जो किसी प्रकार भी नवाब की प्रतिष्ठा को धक्का न लगाए या किसी प्रकार भी उसकी प्रतिष्ठा जनता में कम न हो, क्योंकि नया व्यक्ति नवाब का अभिभावक भी तो होगा। फिर अभिभावक बनने की योग्यता व शक्ति भी तो उसमें होनी ही चाहिए।"

पर क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी के इस आदेश का पालन किया ? नहीं, श्रीमान, उसने इस रिक्त पद की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया। इस पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ उसे किसी भी पुरुष में न मिलीं। उसने इस उच्च पद के लिए एक महिला की नियुक्ति की। उसने समस्त योग्य पुरुषों के विरुद्ध वहाँ एक स्त्री की नियुक्ति की। ऐसे देश में राजकाज के लिए एक स्त्री की नियुक्ति जिसे कोई देख न सके, जो बीच में परदा टाँगे बिना किसी से बात भी न कर सके। क्योंकि इस पद से सम्बन्धित व विभिन्न प्रकार के कार्यों की विविधता को जानते हुए भी उसने एक स्त्री को ही नियुक्त किया। इस अवसर पर कम्पनी के आदेशों की इस प्रकार से अवहेलना किए जाने का क्या कोई और उदाहरण चाहते हैं ? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब करने के पीछे किसी भ्रष्ट इरादे का प्रभाव था ?

श्रीमान, मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं परिवार की परिस्थिति का पूरा

वर्णन कर दूँ ताकि आप मिस्टर हेस्टिंग्स के भ्रष्ट कारनामों व नीयत का निर्णय कर सकें। नवाब जफर अली खाँ के हरम में एक स्त्री थी—उसका नाम था मुन्नी बेगम। वह पहले नर्तकी थी, जिसे उसने किसी जलसे में देखा था और उसकी वेश्यावृत्ति से परिचित हो कर भी उसके माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए नवाब उसे अपने हरम में ले आया था और कम्पनी के कर्मचारियों ने उसी लड़के के हाथ उत्तराधिकार की सौदेबाजी की। इस स्त्री की बिक्री एक गुलाम की तरह हुई थी। उसका कार्य था नृत्य और जीविकोपार्जन के साथ ही वेश्यावृत्ति। और श्रीमान, इस स्त्री ने अपने बेटे को नवाब की उचित संतान के स्थान पर ला खड़ा किया और कम्पनी के कर्मचारियों की मदद से गद्दी पर बैठाया गया और वह स्त्री खुद सारे प्रबन्धों की मालकिन बनी। ज्यों ही नवाब की उचित संतान कहा जाने वाला इस स्त्री का लड़का गद्दी पर आया कि इस स्त्री को उसी परिस्थिति में रखने का कोई कारण न बचा और मोहम्मद रजा खाँ के नाम कम्पनी के एक संदेश द्वारा जिसमें यह जानकारी माँगी गई थी कि किसे उस ऊँचे पद का अधिकार है। उसने उत्तर दिया था, जैसा उचित भी था, कि यों तो हरम की सभी स्त्रियों के संग प्रतिष्ठा का व्यवहार किया जाना चाहिए परन्तु नवाव की माँ को तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिष्ठा व सम्मान मिलना ही चाहिए। अतः उम स्त्री को हटाया गया और नवाब की माँ को उस स्थान पर बैठाया गया। इम परिस्थिति में हेस्टिंग्स ने हरम पाया जहाँ उसकी कोई पैठ सम्भव न थी, पर वह नवाब की माँ को तो नियमतः पदोन्नत करा सकता था।

उसने क्या किया? इस वेश्या को उसकी इच्छानुसार सब कुछ देना उसके सन्तोष के बाहर की बात थी और ऐसे व्यक्ति के लिए ऐमे कामों में रुपया ही सबसे बडी चीज होती है, उसने नवाब की माँ को उसके पद से हटा कर वहाँ हरम की उच्चतम कुर्सी पर इस वेश्या को बिठाया, जो अधिक से अधिक एक सौतेली माँ का व्यवहार ही निभा सकती थी। आगे अधिक न सुन कर श्रीमान क्या यह नहीं मानेंगे कि यह निश्चित रूप से बहुत कठोर, अत्याचारी और भ्रष्ट कार्य था? मान लें कि यह भ्रष्टाचार हरम से आगे नहीं गया। पर जब मैं इस स्त्री को नर्तकी व वेश्या सिद्ध करता हूँ, एक योरोपवासी की स्थिति की कल्पना से बहुत निम्न स्तर की बात कहता हूँ। वह एक गुलाम की संतान थी और नर्तकी वनी थी। उमका नृत्य केवल उस सीमा तक ही नहीं था कि जहाँ सभ्य लोगों की नैतिकता को भ्रष्ट किए बिना शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उसका समाज था, अशिक्षित तथा छोटे लोगों का। इसके नृत्य देखने वालों में भी ऊँचे स्तर के लोग न थे, न तो उनका ठीक-ठीक वर्णन सभ्य समाज में किया ही जा सकता है। मैं स्वयं उनके वर्णन से बच गया हूँ। आप श्रीमान इसके निम्न श्रेणी के पेशे व स्थिति को स्वयं समझ सकते हैं। मैं ठीक ही कहता हूँ कि मुन्नी बेगम प्रारम्भ से ही गुलाम व निम्न श्रेणी

की एक नर्तकी थी।

मुन्नी बेगम का इतिहास यह है—"सिकन्दरा के पास बलकुण्डा नामक गाँव में एक विधवा रहती थी, जो इतनी निर्धन थी कि अपनी एकमात्र सन्तान मुन्नी का पालन-पोषण भी नहीं कर सकती थी। अतः शमीन अली खाँ की बिस्सू नामक रखैल के हाथ उसने मुन्नी को सौंप दिया। पाँच वर्ष तक वह शाहजहाँबाद में रही और उसे बिस्सू से नर्तकी बनने की ही शिक्षा मिलती रही। बाद में, नवाब सिराजुद्दौला के भाई इकरामुद्दौला की शादी के अवसर पर नवाब समाउत जंग ने शाहजहाँबाद से बिस्सू-बेगम की नर्तकी दल को बुलवाया जिनमें मुन्नी बेगम भी एक थी। उन्हें खर्च के लिए दस हजार रुपये मिले। वे सभी विवाह के अवसर पर नृत्य करती रहीं। जब विवाह के उत्सव हो रहे थे, वे सभी नवाब के साथ रखी गई। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें विदा कर दिया गया। बाद मे उन्होने शहर में ही अपना ठिकाना करके, वहीं बस गईं। नवाब मोहम्मद जफर खाँ ने उनसे सम्पर्क रखा और मुन्नी बेगम को पाँच सौ रुपया प्रति माह देता रहा। एक अरसे के बाद पता लगा कि मुन्नी गर्भवती है, तब वह उसे अपने घर ले गया। उसी के गर्भ से नवाब नजमुद्दौला का जन्म हुआ और इस प्रकार वह सदा के लिए नवाब के परिवार मे ही बनी रही।"

अब ऐसी स्त्री के चुनाव के लिए पसंद का बहुत आश्चर्यजनक रूप धारण करना स्वाभाविक ही है। ऐसा उदाहरण दूसरा न मिलेगा कि नवाब की अपनी माँ को गद्दी से उतार कर इस स्त्री को वह स्थान दिया जाय। इसमें बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार निहित था और इतना ही नही, हेस्टिंग्स ने इसी स्त्री को मोहम्मद रजा खाँ के स्थान पर ला बैठाया, उसे नवाब का अभिभावक बनाया, उसे उसने एक प्रकार से वायसराय बनाया और दूसरों की दृष्टि में उसे उस राज्य का उच्चतम प्रतिनिधि बनाया।

आप चाहे तो मेरे तर्कों को मान्यता न दें, पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अवसर इसमें यह था कि कम्पनी के आदेश की अवहेलना की गई। यह आदेश था कि मोहम्मद रजा खाँ के स्थान पर दूसरा उपयुक्त आदमी चुन लिया जाय, जो सरकार व न्याय का काम करे, नवाब के घर का प्रबन्ध देखे। फिर मैं कहना चाहूँगा कि न तो श्रीमान, या कोई अन्य व्यक्ति जब इस नियुक्ति की बात सुनता है तो एक क्षण को भी यह झिझक नहीं रह जाती कि यह भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। यह एक ऐसा कार्य हुआ जो मेरी समझ से संभवतः अपने ढंग का सर्वप्रथम था—एक श्रेष्ठ पुरुष के स्थान पर एक अनजान स्त्री, एक गंभीर जज के स्थान पर एक नर्तकी, उच्च श्रेणी की महिला के स्थान पर एक गुलाम, एक नाबालिक शहजादे की शिक्षा की देख-रेख के लिए एक साधारण वेश्या। एक सौतेली माँ—जो सारे विश्व में

में बदनाम है को, असली माँ, नवाब जिसके शरीर का अंग था उसी के ऊपर बैठाया गया।

यह वे परिस्थितियाँ हैं जो भ्रष्टाचार के विश्वास करने में कोई शंका व बाधा उपस्थित नहीं करतीं, लेकिन इस अवसर पर क्या मिस्टर हेस्टिंग्स के पास कोई अर्जी दी गई थी ? नवाब के चचा जिसके लिए हेस्टिंग्स ने घोषित किया कि वह अधिक भयानक इच्छाओं वाला व्यक्ति नही है, जो उसे उस परिस्थिति में भी अलग कर सके, उसी ने मिस्टर हेस्टिंग्स के नाम उस स्थान के लिए अर्जी दी और मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा ही वह अर्जी रद्द कर दी गई। अर्जी रद्द करने का जो कारण उसने दिया वह यह कि वह ऐसी कोई नियुक्ति नहीं कर सकता जिससे कम्पनी को भय हो। कोई भी यह सहज ही सोच सकता है कि उस पर विश्वास किया गया और उसे जितनी शक्ति दी गई थी, उससे किसी भी क्षण वह कम्पनी का तख्त उलट सकता था। उस परिस्थिति में जिसमें नवाब के चचा जितरमउद्दौला को रख दिया गया था, वह थी कि उसके पास कोई फौज या पलटन न थी, उसके पास कोई खजाना न था, उसके पास राजस्व की कोई रकम न थी और वह कम्पनी पर पूरी तरह आश्रित था। अगर इतने पर भी मिस्टर हेस्टिंग्स यह कहे कि किसी पुरुष की नियुक्ति से कम्पनी या सरकार को भय था, तो हम यह सिद्ध करेंगे कि उसके कहने का अर्थ है कि उसे किसी से भी भय न था, क्योंकि नवाब केवल एक छाया मात्र था, शक्तिहीन, और उसका अस्तित्व, वहाँ के देशवासियों और अंग्रेजी सरकार के बीच सद्भावना पैदा करने के लिए ही था। श्रीमान, मैं इन परिस्थितियों के विस्तार मे अधिक न जाऊँगा बल्कि कुछ ठोस प्रमाण दूँगा, इस बात का कि मिस्टर हेस्टिंग्स उस समय भी अपने अनुचित व भ्रष्ट कार्यों के प्रति सतर्क था। इस मूर्खतापूर्ण सिद्धान्त के अलावा जिसे वह कम्पनी के आदेश की अवहेलना के कारण-स्वरूप उपस्थित करता है, जिससे समस्त राष्ट्र अपमानित हुआ, क्योंकि ऐसे पद पर इसके पूर्व किसी स्त्री को कभी नहीं देखा गया। वह ये कारण और बताता है—कम्पनी का आदेश था कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति हो उसे तीस हजार पौंड दिए जाएँ, और वह जानता था कि कम्पनी के अधिकारी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस स्त्री को तीस हजार प्रति वर्ष दिए जायेंगे, अतः उसने उस परिस्थिति से लाभ उठा कर यह सिद्ध करना चाहा कि कम्पनी की गिरी दशा में इतनी बड़ी रकम की रक्षा हुई। लेकिन ज्योंही उसने उस स्त्री की नियुक्ति की कि वही नियुक्ति उसे वह बड़ी रकम देने का कारण बनी। जिस क्षण उस स्त्री की नियुक्ति की गई उसी क्षण वह उस सिद्धान्त को भूल गया, जिसके आधार पर स्त्री की नियुक्ति हुई थी। उस स्त्री को उसने तीस हजार पौंड दिए। अर्थशास्त्र के सारे सिद्धान्त धरे रह गये और यह लज्जाजनक प्रबन्ध हो गया कि एक नर्तकी बंगाल के न्याय की मालकिन बनी और सारी शक्ति, संपत्ति व प्रभाव की अधिकारिणी हो गई।

एक और प्रभावपूर्ण बात छूटी जा रही थी। कम्पनी का आदेश था कि यह व्यक्ति जिस पर नवाब के राजस्व का सम्पूर्ण दायित्व होगा और जो नवाब का अभिभावक भी रहेगा, वह अच्छी तरह कम्पनी का हिसाब रखेगा और हिसाब की समस्त रकम प्रेसीडेंसी में जमा हो और प्रेसीडेन्सी उसे योरप भेजे। अब श्रीमान स्वयं ही देखें कि शक्ति उसकी सुरक्षित थी, पर नहीं, यहाँ भी कम्पनी का आदेश था। इस आदेश का किस प्रकार पालन हुआ ?

"नवाब को परिवार व गृहस्थी चलाने के लिए जो रकम दी जानी निश्चित हुई थी, वह तुम्हारे द्वारा नियुक्त मन्त्रियों के हाथ से ही दी जाये, और तुम इस बात का बराबर ध्यान रखना कि हम पर आश्रित लोग व इस नवाब को खर्च सम्बन्धी कुछ शिकायत न हो। हम लोगों द्वारा निश्चित की गई रकम उसी मद में खर्च हो जिस मद में वह निश्चित की गई है।"

कोई भी सोच सकता है कि जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने ऐसा रद्दी या ढुलमुल प्रबन्ध किया तब भी वह कम्पनी की आज्ञानुसार अपने पसन्द व विश्वास का ही उचित व्यक्ति नियुक्त कर सकता था। लेकिन तीन वर्ष के बाद जब उसे हिसाब पेश करना है तो उसका उत्तर क्या है ? उसका उत्तर है—"मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि किसी भी मद के किसी हिसाब मे कोई गड़बडी नही है और मैं यह दावे व विश्वास से कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में दिए गए सभी आदेश का उचित रीति से पालन किया गया है।"

उसने इस स्त्री को ही कम्पनी की सभी जिम्मेदारियों के सिर पर बैठाया। जिस पद को पूरी जिम्मेदारी का पद समझते है वह जिम्मेदारी का न था, परन्तु इस वेश्या या नर्तकी को ही राज्य का समस्त राजस्व दिया जाता था। जब उसको राजस्व की रकम को जमा करने का आदेश दिया गया, तब उसने न केवल वह हिसाब ही जमा किया और न अलग रखने का ही प्रबन्ध किया। आज आप श्रीमान के मन पर कोई शंका न हो कि जो सोलह लाख सरकार की प्रतिष्ठा के लिए सुरक्षित रखे गए थे, वह मिस्टर हेस्टिंग्स की मरजी पर ही खर्च हुए। श्रीमान देखें, उसने एक अनुचित नियुक्ति की और सुरक्षित धन का अपव्यय किया। मैं तो इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ, संसार के किसी भी देश के छोटे व बडे न्यायप्रिय अधिकारी से उसका मस्तिष्क भिन्न प्रकार का है। किसी भी हिसाब का छिपाया जाना भी तो भ्रष्टाचार ही है न !

जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने मोहम्मद रजा खाँ के प्रति ये हिंसक व्यवहार किए और जब भ्रष्टाचार से प्रभावित उपायों का प्रयोग कम्पनी के लिए किए, तब वह एक विशेष उत्तरदायित्व में बँध गया कि उसके अपने कार्य कुछ रहस्यमय न लगें और कम से कम सभी हिसाब-किताब तो ठीक-ठीक रखा जाय। इस परिस्थिति में नाममात्र को उसने एक व्यक्ति की नियुक्ति की, जिसका नाम था—राजा गुरुदास।

यह कौन था ? उसका कहना है कि यह व्यक्ति राजा नंदकुमार का विश्वासपात्र आदमी था और जिसके विषय में वह यह भी कह चुका था कि वह न तो विश्वास करने योग्य है न नौकरी देने योग्य। लेकिन राजा गुरुदास बहुत ऊँचे चरित्र का व्यक्ति था और उसके व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका नही की जा सकती थी। लेकिन मुन्नी बेगम ? क्या वह कोई हिसाब-किताब रख सकती थी ? मिस्टर हेस्टिंग्स को आदेश था, बहुत अनुचित व कठोर आदेश था नवाब के भत्ते का आधा भाग जब्त करने का। यह भत्ता उसे एक संधि द्वारा मिला था। मैं इस भत्ते की कमी के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स को दोष नहीं देता, उसे इससे कुछ लेना-देना न था। सोलह लाख की कटौती हुई, सोलह लाख बचे, दोनों रकमें बाँटी गई, एक तो राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए और दूसरी महल की देख-रेख व घरेलू काम-काज के लिये। हेस्टिंग्स कहता है —

"नवाब के भत्ते की कटौती का आपका आदेश नवाब तक १७७१ की दिसम्बर में पहुँचा दिया गया था। उसे यह मान्य न था और उसकी इच्छा थी कि पुनः कम्पनी के पास अनुरोध करे। परिषद ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसके भत्ते की रकम का भुगतान पूर्ववत होता रहा। मैं आसानी से इस अवसर का लाभ उठा सकता था। मैं इसे भूतपूर्व सरकार की बात मान कर, जिसे मानना मुझे आवश्यक न था, बिना किसी कारण ही इस बड़े खर्च को बन्द कर सकता था, सुबूत मे निजामुत और बेहला दोनों के हिसाब दिखा सकता था और नवाब तथा बेगम पर हो रहे खर्च समाप्त कर सकता था। पर यह सब न करके हमने आपके आदेश का अक्षरशः पालन किया।"

श्रीमान, यह सम्भवतः पहला ही अवसर है कि मिस्टर हेस्टिंग्स की परिस्थिति में किसी और को देखा जा सके। जनता व राज्य की भलाई के नाम पर समस्त राजस्व की सम्पत्ति अपनी जेबों मे पहुँचती रहे। वह कम्पनी के हिसाब को उलटने की कला खूब जानता हूँ, वह देशवासियों की आवश्यकताओं को भी जानता है और वह जानता है कि इन रकमों में से एक हिस्सा भी देने से वे सर्वस्व दे देंगे। मिस्टर हेस्टिंग्स बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है जो हर परिस्थिति से लाभ उठाना जानता है।

लेकिन आप देखेंगे कि जब उसने सोलह लाख का भत्ता कम किया, तब यह भी मानता है कि वह जो चाहता है वही होता है, साथ ही कम्पनी के आदेशों का अक्षरशः पालन करने वाला भी बना। बारह महीनों में उसने निश्चित राशि से नब्बे हजार पौंड ज्यादा दिया, कम्पनी का गलत व झूठा हिसाब तैयार किया।

बस, इतना ही मैं श्रीमान के सम्मुख इस सम्बन्ध में बताना चाहता था, अतः यह हमने सिद्ध किया कि अन्याय करने के लिए स्वामिभक्ति, कम्पनी के आदेशों की पूरी अवहेलना, लोगों की नियुक्ति में पक्षपात, हिसाब-किताब का नकलीपन आदि से

बडा भ्रष्टाचार पनपा। जब यह सब श्रीमान प्रमाण में देखें, तो श्रीमान भी मानेंगे कि इस प्रकार खुलेआम किसी सरकार के साथ ऐसा विश्वासघात नही हुआ। अब मै मुन्नी बेगम की नियुक्ति के सम्बन्ध मे कुछ न कहूँगा।

श्रीमान, यहाँ इस नाटक का पहला दृश्य समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य जो मै आपके सम्मुख उपस्थित करूँगा वह भ्रष्टाचार का अब प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके सम्बन्ध मे आप भी जानते है वहाँ भ्रष्टाचार है। यह अभियोग ऐसे व्यक्ति ने लगाया था जो मिस्टर हेस्टिंग्स का बहुत ही विश्वासपात्र था, एक ऐसा व्यक्ति जो समस्त मामलो के बीच था और कम्पनी का वेतनभोगी कर्मचारी था, एक ऐसा व्यक्ति जो मुन्नी बेगम का सहयोगी था।

सन् १७७५ की ११ मार्च को, नन्दकुमार ने कौसिल के एक सदस्य मिस्टर फ्रैंसिस से मिस्टर हेस्टिंग्स के विरुद्ध अभियोग लगाया, जिसके दो भाग थे। इस अभियोग के प्रथम भाग मे भ्रष्टाचार के कई मामले थे, जिनका वह भेदी था न कि गवाह और वे सभी भ्रष्टाचार सही है, यह मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वय ही स्वीकार किया है, जिसका लाखो रुपयो से सबध है।

दूसरा भाग, उन मामलो से सम्बन्धित है जिसमे वह भेदी नही बल्कि गवाह था, क्योकि इन मामलो मे वह स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स व उसके दलालो के बीच रुपये के लेनदेन मे शामिल रहा है। और इस प्रकार इस मामले मे उसकी गवाही स्पष्ट है कि उसने मिस्टर हेस्टिंग्स व मुन्नी बेगम को अपने हाथो से रुपये दिए। उसका कहना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम को राजगद्दी पर बैठाने के लिए दो लाख रुपये पाये, यानी लगभग बाईस हजार पौड और एक दूसरे मामले मे उसे लगभग डेढ लाख रुपये मिले, सब मिला कर लगभग साढे तीन लाख रु० यानी, लगभग छत्तीस हजार पौड। इस अभियोग के साथ उस व्यक्ति के हस्ताक्षर है और हिसाब भी सलग्न है।

उस दिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस अपराध के सबंध मे कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त न की, सिवा इसके कि उसने मि० फ्रैंसिस के विरुद्ध शकाएँ पैदा कराने का प्रयत्न किया जिसने यह सभी मामले प्रत्यक्ष किये थे, जो समस्त मामलो के मध्य था और इन नाटको मे एक प्रमुख पात्र था। उस दिन मिस्टर फ्रैंसिस से वह यह प्रश्न करता है

"गवर्नर जनरल ने कहा—मिस्टर फ्रैंसिस जिसने कौसिल के सामने कहा कि कौसिल को नन्दकुमार द्वारा भजे गए पत्र मे क्या था, यह उसे मालूम न था। पर मिस्टर फ्रैंसिस कह सकता है कि उसे पहले से यह मालूम था या नही कि नन्दकुमार उसके विरुद्ध कौसिल के सम्मुख अभियोग लगाने जा रहा है?

"मिस्टर फ्रैंसिस— इस कौसिल के एक सदस्य के नाते, केवल उत्सुकता के लिए मै उत्तर देना आवश्यक नही समझता। मैं फिर भी गवर्नर जनरल को बता

देना चाहता हूँ कि यद्यपि मुझे ज्ञात नहीं था कि नन्दकुमार के पत्र में क्या है, मैंने वे कागजात परिषद को दिए और जब तक उन्हें पढ़ा नहीं गया और मैंने सुना नहीं तब तक मुझे मालूम न था कि इसमें उसके विरुद्ध अभियोग लगाए गए हैं। न तो मुझे यही मालूम था कि राजा नन्दकुमार मिस्टर हेस्टिंग्स पर अपने पत्रों द्वारा कौंसिल के सम्मुख अभियोग लगाने वाला है।

"वारेन हेस्टिंग्स,—जे० क्लावेरिंग,—जि० मॉनसन,—पी० फ्रैंसिस।"

अब प्रश्न है कि कौंसिल या मिस्टर हेस्टिंग्स का क्या कर्त्तव्य था, यह सूचना पाने के बाद ? मैं आज्ञा चाहूँगा कि कम्पनी के आदेश का यह भाग पढ़ कर सुनाऊँ, परन्तु उसे पढ़ने के पूर्व, मैं यह अवश्य कहूँगा कि पार्लमेंट ने कम्पनी की अयोग्यता व कर्मचारियों की अयोग्यता के कारण जो कानून बनाया था, उससे कम्पनी पर भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ी थीं और एक संसदीय कमीशन भेजा गया था कि वह मामलों को सुधार दे। ऐसे मौके पर कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए जो संहिता बना कर भेजी थी उसके ३५ वें कालम में यह लिखा था—-

"हम आदेश देते है कि योरूपीय या भारतीय लोगों पर, जिन पर भी अत्याचार हुए हों, की कठोर जाँच-कमेटी तत्काल बैठायी जाय। जॉच की जाय कि राजस्व की वसूली के लिए क्या-क्या कठोरता बरती गई है और तुम सभी सूचनाएँ जो भी प्राप्त करो हमें भेजो और कम्पनी के जिन रुपयों का भी अपव्यय या गबन हुआ हो, पता लगाया जाय।"

श्रीमान, यहाँ देखें कि कम्पनी ने सीधी जिम्मेदारी अपने कर्मचारियों पर लादी और बिना पक्षपात के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भ्रष्टाचार, अपहरण और कठोरता की जाँच की आज्ञा दी। अतः नन्दकुमार द्वारा लगाया गया अभियोग भी जाँच के अन्तर्गत ही एक मामला था। उस दिन ११ मार्च १७७५ तक के सभी मामले सरकारी दस्तावेजों मे है। लेकिन इस दिन तक अपने को निरपराधी सिद्ध करने वाली कोई भी बात हेस्टिंग्स ने नहीं उठायी। लेकिन नन्दकुमार अपने कर्तव्य के प्रति इतना शिथिल न था। एक क्षण नष्ट किय बिना ही दो दिनों बाद ही नन्दकुमार ने परिषद को निम्नलिखित पत्र दिया :

"श्रीमान, महाप्रभुओ की सेवा में ११ ता० को मैने अपने पत्र में लिखा था—शासन संबन्धी महामहिम गवर्नर महोदय के कारनामों के संबन्ध में। जो भी लिखा था उसमें मुझे कोई सुधार नही करना है। मैंने जो भी लिखा है उसके प्रमाण में मेरे पास सभी लिखित व प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और मेरा विश्वास है कि मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आपके सम्मुख उपस्थित होकर मुझे प्रमाण पेश करने को आज्ञा मिली।"

श्रीमान, मैं कहना चाहूंगा कि कोई अभियोगी जो इतनी शक्ति व साहस के साथ उपस्थित हुआ तो वह यही व्यक्ति था। वह अपने पर लगाए गए अभियोग

से भागा नहीं, उसने अभियोग लगाने वाले व्यक्ति से आमने-सामने मिलना चाहा, और अपने ही प्रमाणों द्वारा अपने पर लगे अभियोगों का उत्तर देना चाहा। इस प्रकार पहले ही दिन का मिस्टर हेस्टिंग्स का आचरण तो आपने देखा। अब आगे बढ़ने के पूर्व मैं स्पष्ट करूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स के मन में क्या था। जब नंदकुमार ने प्रमाण पेश करना शुरू किया तो सर्वप्रथम उसने दिये गये रुपयों की बात बताई, जिन बहानों से वे दिए गए। उसने वे थैले भी दिखाए जिनमें रुपये रखे गये थे। उसने उन व्यक्तियों के नाम गिनाये, जिनके हाथों सभी लेन-देन हुए थे—आठ व्यक्ति, स्वयं, मुन्नी बेगम और गुरुदास, कुल ग्यारह व्यक्ति। मेरा विश्वास है कि दुनिया के प्रारंभिक दिन से ऐसा झूठा मामला कभी सामने नहीं आया, जिससे झूठा अभियोग लगा कर किसी को झंझट की स्थिति में डाला जाय। समस्त लेन-देन में ग्यारह गवाहों के नाम दिये गये हैं।

श्रीमान को ध्यान देने के लिये दूसरी चीज है, इस अवसर पर मिस्टर हेस्टिंग्स का आचरण। आप सोचेंगे कि उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी अभियोगों के उत्तर दिए होंगे और अभियोग लगाने वाले का सामना किया होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में यही करता। पर मैं कहूँगा कि हेस्टिंग्स का आचरण बड़ा अस्वाभाविक रहा जैसा किसी और का न होता।

गवर्नर जनरल ने कहा :

"सभी प्रश्नों के पूर्व, मैं यह घोषित करता हूँ कि परिषद् के सम्मुख मुझे अपराधी कहने वाले नंदकुमार की उपस्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं इस परिषद में एक अपराधी की तरह नहीं बैठूंगा, न तो मैं यही मानता हूँ कि इस परिषद के सदस्य मेरे मामले के फैसले के लिए न्यायाधीश बनने के अधिकारी हैं। मैं इस स्थिति में यह घोषित करने को विवश हूँ कि जनरल क्लावरिंग, कर्नल मानसन और मिस्टर फ्रैंसिस मेरे लिए स्वयं अपराधी हैं। मैं यह जो मानता हूँ कि इसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। इस स्थान पर आने व परिषद के निर्माण के साथ ही मुझ द्वारा बनाये गये शासन के सिद्धान्तों व विधान में उन्होंने मूलगत परिवर्तन किये। मैंने डायरेक्टरों की परिषद से इस बात की शिकायत भी की है। मेरे व उनके कई पत्र डायरेक्टरों को मिले हैं। मैंने उनके आचरण पर विरोध प्रकट किया है, उन्होंने जनता में मेरी स्थिति खराब की है। मुझ पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अभियोग लगाये हैं और व्यक्तिगत स्तर पर अपमानित किया है। और मेरे शत्रुओं के साथ मिल कर साजिश में हिस्सा लिया है। मेरे प्रमुख शत्रु हैं—मिस्टर जोसेफ फॉक, महाराजा नंदकुमार, रूपनारायण चौधरी और वर्दमान की रानी।

"यह तो कागजातों में बार-बार आया है कि मुझ पर रानी ने जो अभियोग लगाये हैं वे सभी मिस्टर फ्रॉक के कार्यालय के माध्यम से आए हैं। सभी कागजात

मूलरूप से अँग्रेजी में लिखे हैं। उन कागजातों की मेरी माँग पर वे मुझे नहीं दिये गये ।

"जहाँ तक नन्दकुमार द्वारा लगाये गए अपराधो का प्रश्न है, वे सभी मिस्टर फ्रैंसिस ने अपने हाथों से दिए है। उसका कहना है कि उसे राजा नन्दकुमार से ऐसा ही आदेश मिला था और राज्य के कौसिल के सदस्य के नाते उसे आदेश मानना पड़ा। और फिर भी वह कहता है कि जो पत्र उसने बोर्ड तक स्वयं पहुँचाया उसमें क्या था यह वह नही जानता। मेरा विश्वास है कि परिषद के सदस्य व अन्य लोग जिन्हें यहाँ की कार्यवाहियाँ प्राप्त होगी वे मिस्टर फ्रैंसिस के कारनामों को जान सकेंगे और नन्दकुमार की माँग को अशोभनीय पावेंगे। क्योंकि परिषद का एक सदस्य पत्रवाहक नहीं बन सकता। ऐसे पत्र हरकारे लाते है या लिखने वाला स्वयं पहुँचाता है।

"मिस्टर फ्रैंसिस ने स्वीकार किया है कि उसे ऐसा सन्देह था कि पत्र में मेरे विरुद्ध लगाए गए अपराध हैं। यह कार्य, पत्र पहुँचाने का कार्य, राज की कौसिल के सदस्य का नहीं है। मैं आगे भी परिषद से कहना चाहूँगा कि मैं बहुत पहले से ही नन्दकुमार की इस नीयत को जानता था कि वह मुझ पर हमला करने वाला है। प्रसन्नता की बात है कि नन्दकुमार की योजना छिपी न रह सकी और जिन पर विश्वास किया था, उन्होंने ही सर्वप्रथम उसकी योजना सर्वविदित कर दी। मुझे एक कागज दिखाया गया था जिसमें मेरे विरुद्ध कई आरोप थे। मुझे बताया गया कि नन्दकुमार वह कागज स्वयं कर्नल मानसन को दे गया था और कई घंटे एकान्त मे उसने कर्नल मानसन से मेरे विरुद्ध बातें की थी।

"मै उन्ही बातों का उल्लेख करूँगा जो मुझे बताई गई थी। मैं ठीक-ठीक उस समय को नही बता सकता जिस समय की यह घटना है। इन आरोपो में काफी परिवर्तन किए गए है, पर जो कागज मुझे दिया गया था वह मूल की प्रतिलिपि ही थी। मै वह कागज लाया हूँ और मेरी इच्छा है कि उसे भी दस्तावाजो के साथ रखा जाय जिससे कि मेरे उच्चाधिकारी या दुनिया के लोग जो मेरे कारनामो के निर्णायक होगे वे असली व नकली कागज का अंतर जान सके। मेरे कहने का सिर्फ यह आशय है कि जो लोग मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपो की जालसाजी में सम्मिलित है वे ही निर्णायक भी बने है। इस व्यवस्था के प्रारंभ से ही मुझे प्राप्त कानूनी-शक्ति से मुझे अलग करने का पूरा प्रयत्न किया गया है। मैं समझता हूँ कि नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पर यह सब कार्य नन्दकुमार का ही है। क्या अब मै यहाँ बैठ कर इन पतित लोगों की गवाही सुनूँ जो नंदकुमार के कहने पर मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाले। मैं नही बैठूंगा, मैं बार-बार कहूँगा कि मैं परिषद में नन्दकुमार से नहीं मिलूंगा, न चाहूँगा कि परिषद में वह मुझसे बहस करे, न तो इसके लिए विवश करने का आप को अधिकार है कि मुझे विवश किया जाय कि मैं यहाँ अप-

मान सहूँ व गालियाँ सुनूँ ।

"मैं इस प्रकार अपने भाव व्यक्त करने की विवशता के कारण दुखी हूँ । मैंने केवल वही कहा है जो मेरा विश्वास है । मैं नैतिक रूप से विश्वास करता हूँ कि मैं अपने उच्चाधिकारियों व दुनिया की दृष्टि में न्यायसंगत ही सिद्ध होऊँगा और मैं अपनी भावना भी व्यक्त करने का अपने को अधिकारी मानता हूँ कि जिसकी मैं बाद में आवश्यकता समझूंगा ।"

श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा खींचे गये नंदकुमार के चित्र को आपने देखा । आपने जल्दबाजी, उतावलापन और उलझन भी देखा जिसके मिस्टर हेस्टिंग्स शिकार हैं । अपराध पकड़ जाने से उन पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके फलस्वरूप अपनी रक्षा में व अपने पक्ष में कुछ कहने के बदले वह सीधे अपराध लगाने वाले पर कितनी असंयत व असभ्य भाषा द्वारा उसे जानवर सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है । साथ ही कौंसिल पर भी बदनीयती का आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहा है । उसे हर व्यक्ति झूठा और अपना शत्रु दिख रहा है, यानी यह कहा जा सकता है कि उसका दिमाग ही उलट गया है । आप देखें कि इस अवसर पर उसने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जिसका कोई अर्थ भी हो । लेकिन एक बात तो उसके पूरे कथन में स्पष्ट हो ही गई कि कहीं भी उसने अपने ऊपर लगाए गए अपराधों का खण्डन नहीं किया । वह केवल अपराध लगाने वालों, उनके पक्ष के गवाहों, कौंसिल के सम्मानित सदस्यों पर ही छीटे फेंकता रहा । वह वही सब बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहता रहा जिसका यहाँ इस मामले से कोई संबंध नहीं है । बल्कि उसका प्रस्ताव है कि वह आमने-सामने अभियोग लगाने वाले से बहस न करेगा । उसने स्पष्ट कहा है, मैं एक अपराधी कैदी की हैसियत से परिषद में नही बैठूंगा । न तो मैं इस परिषद को अपने निर्णायक के योग्य मानता हूँ ।

उसे इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वह उन्हें निर्णायक रूप में स्वीकार करे । वे और वह सभी कुछ आरोपित अपराधों की जाँच व सत्यता की खोजबीन के लिए बुलाए गये थे । यह उसका कर्तव्य था कि वह इस जाँच में मदद करे व पूरा भाग ले । उसका कर्तव्य था कि यदि कोई बात जाँच में छूट जाये तो वह उसकी ओर सतर्कता बरते । वे न तो उसके निर्णायक थे, न उस पर अभियोग लगाने वाले, डायरेक्टरों द्वारा आदेश के अनुसार वे सभी जाँच करने के सहयोगी थे ।

वह कहता है, नंदकुमार एक पतित व्यक्ति है, जिसे आप सभी मानवता का महान प्रेमी जानते हैं । लेकिन क्या अब मानवता के प्रहरी बुरे ही कहे जाएँगे ? वह कहता है कि परिषद के लोग उसके शत्रु हैं, पर यदि वे होते तो भी यह उनकी कर्तव्यपरायणता ही होती । यदि ऐसा होता तो नंदकुमार को उपस्थित न किया जाता । मैं कहता हूँ मिस्टर हेस्टिंग्स जो भी कहता है वह घमण्ड की चरम सीमा है । उस पर लगाए गए अपराध उसके चरित्र के साथ जुड़े हैं । राजा नंदकुमार पद-

प्रतिष्ठा में उससे कम नहीं था, इस देश के रीति-रिवाज के अनुसार, इस सदन के किसी भी सदस्य से कम सम्मानित नहीं, बल्कि उसकी स्थिति धर्म-प्रधान की थी। उसे न्यायाधीश व निर्णायक होने के अधिकार थे। वह अपने देश का प्रधानमंत्री था। फिर किस मुँह से मिस्टर हेस्टिंग्स उसे पतित व्यक्ति कहता है और कहता है कि वह यदि सामने लाया गया तो वह उसे सहन न कर सकेगा। अगर सचमुच ऐसी परिस्थिति है, सचमुच ही अभियोग लगाने वाला बुरा आदमी है तो मैं कहूँगा कि उसके संबंध में भी वह सब नही कहा जा सकता जो नंदकुमार के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है।

मै कह सकता हूँ कि उसका आक्रोश ही उसके अपराध की पूर्ण स्वीकारोक्ति है। और अपने अपराध छिपाने का उसका ढग तो बड़ा ही बुरा है क्योकि उसने उस व्यक्ति की हत्या सर एलाईजाह इम्पे के हाथों कराई। यद्यपि इस बात को छिपाने का बडे विस्तार से प्रयत्न किया गया। पर हम श्रीमान के सम्मुख सिद्ध कर देंगे कि वह किसी प्रकार भी उत्तरदायित्व से मुक्त नही होता, बल्कि महान ब्रिटेन के नाम पर पूरी तरह धब्बा ही लगाता है। मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगा। हेस्टिंग्स के विरुद्ध काफी प्रमाण है। वह अपने सहयोगियों पर सभी दोष मढ़ना चाहता है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो चरित्र नंदकुमार का बताया है उसे वह स्वयं भूल गया है। वह कह चुका है कि उसके सहयोगी, नंदकुमार की पैशाचिक प्रवृत्ति से परिचित थे।

लेकिन आप के सामने मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा वर्णित नंदकुमार के चरित्र का वर्णन पढ़ूं जो उसने उसका पक्ष ग्रहण करते हुए कहा था (मोहम्मद रजा खाँ के उत्तराधिकारी बनाने के लिए) तो श्रीमान को उसकी नीयत का पूरा अंदाज लग जाएगा। सम्पूर्ण कौसिल को वह झूठी बताता है तथा कहता है कि कौसिल के सभी सदस्य मोहम्मद रजा खाँ द्वारा खरीदे जा चुके थे और नंदकुमार के विरुद्ध बोलने वाले व एक स्वर से चीखने वाले लोगो पर ही वह नंदकुमार को उठा कर उच्चतम कुर्सी पर बैठाने का दोष लगाता है। मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है :—

"नंदकुमार के चरित्र के बारे मे अध्यक्ष को मालूम नही है। नवाब मीर जाफर के साथ उसने उसके मृत्युकाल तक जो राजनैतिक सहायता की उसका कही भी वर्णन नही आया। उसके कारनामो के संबंध मे स्वयं नवाब ने कई बार अपनी धारणा व्यक्त की है कि उससे अच्छा व्यक्ति राज्य में दूसरा नही।"

मिस्टर हेस्टिंग्स ने पहले तो नंदकुमार को एक ऊँचा देशभक्त माना। फिर जिस व्यक्ति की कम्पनी के कागजातों पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने इतनी प्रशंसा की हो उसे सर जान क्लेवरिंग, कर्नल मानसन, या मिस्टर फ्रैंसिस उतना बुरा व गिरा हुआ कैसे मान लेते, जितना बुरा या गिरा हुआ उसे अब मिस्टर हेस्टिंग्स मानता है? उन्होंने उसे उच्च श्रेणी का एक सम्मानित व्यक्ति माना, क्योंकि मिस्टर हेस्टिंग्ज ने कम्पनी के कागजातों मे उसकी महानता के प्रमाण-पत्र लिखे थे, फिर वे उसे बुरा

व्यक्ति कैसे मानते ? अतः मिस्टर हेस्टिंग्स के विचार से ही वह व्यक्ति किसी पर भी अभियोग लगाने का पूर्ण अधिकारी था, विश्वास करने योग्य गवाह था, बस मैं इतना ही जानता हूँ।

श्रीमान को यह बताया जा चुका है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने ही नंदकुमार को प्रमुख व्यक्ति बना कर मोहम्मद रजा खाँ पर मुकदमा चलवाया और जो जाँच करवाई उसमें भी प्रमुख व्यक्ति यही था। अब प्रश्न है कि क्या नंदकुमार कम्पनी की गुप्त बातों को जानने या इतने ऊँचे व विश्वास के पद पर बैठाए जाने का अधिकारी था ? और यदि था तो वह आज अपने हाथों ही मिस्टर हेस्टिंग्स को दिए गए रुपयों के संबंध में गवाही देने का अधिकारी क्यों नहीं है ? अगर वह मोहम्मद रजा खाँ के मुकदमे का इतना प्रमुख व महत्वपूर्ण गवाह हो सकता था तो आज मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए वह गवाह क्यों नहीं बन सकता ?

यदि नंदकुमार मिस्टर हेस्टिंग्स का शत्रु था तो वह मोहम्मद रजा खाँ का भी तो शत्रु था और मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसकी शत्रुता के कारण ही उसे कम्पनी का विश्वासपात्र बनाया और बाद में कम्पनी के कागजातों में उसकी प्रशंसा भी लिखी। अब यदि वह मिस्टर हेस्टिंग्स का ही विरोधी हो गया है तो वह नीच और मानवता का शत्रु हो गया है ? मिस्टर हेस्टिंग्स को केवल अपनी इच्छा व खुशी पर किसी को पसन्द या नापसंद करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ही स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। उस पर लगाए गए अपराधों में उसकी कुबुद्धि भी एक अपराध ही है, जिसे मैं कभी या किसी प्रकार भी महत्वहीन नहीं मानता और अब भी उसे उस पर अपराध लगाने वाले की उपस्थिति पर कोई आपत्ति न होनी चाहिए।

अपने आत्मसम्मान व प्रतिष्ठा की नंदकुमार में कमी नहीं है। उस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। हर व्यक्ति के चरित्र की प्रतिष्ठा होती है, जिसकी वह रक्षा करता है। लेकिन आप देखें कि मिस्टर हेस्टिंग्स की दृष्टि में प्रतिष्ठा का योग्यता से कोई संबंध नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा का सत्य व प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं। क्यों, श्रीमान, क्या जिस कम्पनी ने उसे इतना उच्चपद दिया उसकी प्रतिष्ठा के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं था ? क्या विधान सभा के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं था ? क्या उसे नियुक्त करने वाली पार्लमेंट के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं ? क्या जन्म देने वाले देश के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं ? क्या दुनिया और उसकी सम्मति की उसे चिन्ता नहीं ? उसने कम्पनी के कर्मचारियों के लिए कौन सा उदाहरण रखा ?

मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है, कि किसी न्यायालय में ही वह आ सकता है। मैं इसका विरोध नहीं करता। मेरा तो इस संबंध में केवल यही उत्तर है कि कम्पनी ने उसे जाँच की वस्तु बनाया। क्या कम्पनी के छोटे कर्मचारियों के लिए यह उदाहरण

हो सकता है कि वे न्यायालय से पीछे के दरवाजे से भाग जाएँ ? बहस की शक्ति, प्रमाणो के बल क्या उन्हें बचा सकते है ? या अदालत से मुक्ति ही विश्वास के लिए प्रमाण हो सकता है, तो बाजार का प्रत्येक व्यक्ति अपने दोषो को जानते हुए भी सोचेगा कि वह विश्वासपात्र पात्र है । क्या कम्पनी के कर्मचारियो के लिए उदाहरण होगा कि भ्रष्टाचार के लिए जाँच-पड़ताल तो हो और वह उस जाँच को प्रभावहीन करने मे अपनी सारी शक्ति लगा दे । अपने सहयोगी मे लेकर अभियोग लगाने वाले तक पर प्रभाव डाले, हर व्यक्ति को गाली दे लेकिन अपने पर लगाए गए अपराधो से इन्कार न करे ? इस बात पर आश्चर्यचकित उसके सहयोगी व कर्मचारी. अपनी अज्ञानता पर आश्चर्यचकित, यह घोषित करें कि उन्होने उस पर अपराध नही लगाया, वे न तो जज ही है । पर अपनी कम्पनी की आज्ञानुसार वे केवल जाँच कर रहे है, पर वह भी वे नही कर पाते और अंत मे विवशता ही घोषित करते है । इस प्रकार हर प्रकार से खदेड़े जाने पर वह कहता है कि क्यो न अपनी एक कमेटी बना ली जाय ? मै जब तक यहाँ उपस्थित हूँ, यह कार्यवाही न चलने दूँगा । मिस्टर हेस्टिंग्स के मस्तिष्क मे यह स्पष्ट है कि सभी कार्यवाही यदि कमेटी के सम्मुख हो तो उनके अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाई जा सकती है और उसकी उपस्थिति के बिना कोई परिषद या कमेटी बन ही नही सकती । अधिक से अधिक यह हो सकता है कि जाँच के समय वह अनुपस्थित रहे ।

मुझे इस महान समस्या से कुछ नही लेना-देना है कि गवर्नर जनरल की इच्छानुसार परिषद बने या टूटे । इतना ही काफी है कि मिस्टर हेस्टिंग्स किसी भी कमेटी को जाँच की कार्यवाही न करने देगा । वह कौंसिल को समाप्त घोषित करता है क्योकि वे सभी इस कौंसिल व कमेटी को स्वीकार नही करते क्योकि इसके लिए उनके पास काफी सशक्त प्रमाण थे, जो सब मै अपने उत्तर मे यदि आवश्यक होगा तो प्रस्तुत करूंगा । अन्ततोगत्वा वह कौसिल को असगठित कर ही देता है । कौंसिल के सदस्य जो ऐसा नही सोचते कि मिस्टर हेस्टिंग्स को कमेटी तोडने का अधिकार है अत वे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कमेटी बनाए रहते है । वे नंदकुमार को अपने लगाए अपराधो की पुष्टि के लिए बुलाते है और मिस्टर हेस्टिंग्स अलग हट जाता है । नदकुमार से पूछा गया कि उसे अपनी बात के पक्ष मे क्या कहना है ? तब नंदकुमार उस नर्तकी, मुन्नी बेगम जिसके बारे मे हम पहले ही बता चुके है, का एक पत्र प्रस्तुत करता है जिसमे उसे समस्त आदेश व आज्ञाएँ दी गई थी कि उन घूसो के प्रति उसे क्या-क्या करना है । इससे ज्ञात होता है कि जो भी व्यभिचार उस समय हुए उसमे नंदकुमार ही हेस्टिंग्स व मुन्नी बेगम के बीच का व्यक्ति था । यह बात उसके कलकत्ता छोडते समय की है । इससे उन सभी भ्रष्ट कार्यवाहियो का पता चलता है और पता चलता है कि घूस की प्रत्येक रकम कैसे दी गई । एक लाख तो मुन्नी बेगम द्वारा ही कलकत्ता मे, एक लाख का प्रबन्ध करने को

उसने नंदकुमार को आदेश दिया और डेढ़ लाख हेस्टिंग्स को नजराने के रूप में दिए गए। यह पत्र प्रस्तुत हुआ, अनुवादित हुआ, जाँचा गया, आलोचित हुआ, बेगम की मुहर पहचानी व सच मानी गई और इसका उल्लेख कम्पनी के कागजातों में भी है, नंदकुमार की गवाही भी मानी गई। अब मेरा कहना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा आज तक इन कागजातों की सत्यता पर कभी कोई आपत्ति नही उठाई गई। अब श्रीमान देखेंगे कि इस अपराध के भी दो भाग है—एक तो कि मुन्नी बेगम ने पद प्राप्त करने के लिए सीधे-सीधे दो लाख रुपये दिए और दूसरे डेढ़ लाख इसी काम के लिए नजराने के रूप मे बाद मे दिए गए।

अब कार्यवाही के बीच यह आवश्यक समझा गया कि मिस्टर हेस्टिंग्स का बनिया या दलाल कन्तू बाबू (जिस नाम से श्रीमान अच्छी तरह परिचित हैं जो मिस्टर हेस्टिंग्स के हर लेन-देन में प्रमुख सलाहकार या मंत्री था।) को परिषद के समाने बुलाया जाय ताकि कुछ परिस्थितियो पर वह प्रकाश डाले। मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने दलाल व बनिया को आदेश दिया कि वह सर्वोच्च परिषद व पार्लमेंट व सरकार द्वारा बनाई गई परिषद या बोर्ड के समाने उपस्थित न हो। उसने वहाँ के निवासियो को केवल यही नही सिखाया कि वे डायरेक्टरो की परिषद की आज्ञा न मानें बल्कि उसने अपने ही कर्मचारियो व नौकरो को आज्ञा न मानना सिखाया और बोर्ड के सम्मुख उपस्थित न होने का आदेश भी दिया। फलस्वरूप झगड़े, संघर्ष और दूसरे प्रकार की गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुई। संक्षेप में, मिस्टर हेस्टिंग्स ने जमीन-आसमान एक करके जाँच रुकवानी चाही पर उसकी सभी कोशिशे बेकार हुई और जाँच अपने ढंग से चलती रही।

मिस्टर हेस्टिंग्स, नंदकुमार से नही मिला, वह उससे डरता था। लेकिन वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क था और वह न्याय के लिए न्याय की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ उसने नंदकुमार के विरुद्ध एक षड़यंत्र की जाँच का मुकदमा चालू करा दिया। उसमे भी असफल होने पर उसने अन्य अनेक प्रयत्न किए और नंदकुमार को गिरफ्तार करा कर उसे बोर्ड के सामने उपस्थित होने में असमर्थ कर दिया। और उस प्रकार साक्षी के एक पक्ष को उसने पूर्णतया पंगु बना दिया। लेकिन अपराध कभी भी पूरी तरह छिपाया नही जा सकता, ऐसा हुआ कि कौंसिल को मुन्नी बेगम के हिसाब-किताब व मामले में असंख्य गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ीं, नवाब का हिसाब पूरी तरह गड़बड़ था, अधिकांश भत्तो का भुगतान ही नहीं हुआ था। उसके संबन्ध मे सब कुछ गडबड़ व झंझट से भरा-पुरा था और नवाब की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वह अभी तक पढ़ने-लिखने योग्य न हो सका था, और योग्य आदमी बनने का कोई निशान उसमें नहीं दिखता था। यह सब बुराइयाँ व अव्यवस्था बड़े स्वरूप में उपस्थित हुईं अतः उन्होंने सभी बातों की जाँच करने का निश्चय किया और गबन व अपव्यय की आशंका हुई कि मुन्नी बेगम व नाबालिग

नवाब के भत्ते की रकमों में भी गड़बड़ दिखाई दी, अतः बेगम ने अपनी मुहर व अपनी लिखावट में स्वीकार कर लिया कि उसने पन्द्रह हजार पाउण्ड मिस्टर हेस्टिंग्स को नजराने में दिए।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने जब देखा कि उसके विरुद्ध यह अपराध अवश्य ही सिद्ध हो जायगा तो उसने एक योजना बनाई, और यह डेढ़ लाख रुपया या पन्द्रह हजार पाउण्ड को स्वीकार तो न किया और अस्वीकार भी न किया। नंदकुमार द्वारा दो लाख की रसीद सिद्ध की जा चुकी है। मुन्नी बेगम द्वारा डेढ लाख की स्वीकारोक्ति उसके पत्र में हो चुकी है जिस पत्र की सत्यता का कभी भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने विरोध नहीं किया। इन प्रमाणों के अलावा राजा गुरुदास ने, जो नवाब के खजाने का प्रबंधक था, मुन्नी बेगम के पत्र व नंदकुमार के बयान से मिलता-जुलता ही बयान दिया, फिर बाद में उसने लिखित रूप में भी एक प्रमाण पत्र दिया जो हर प्रकार से उन लोगों के प्रमाणो को ही दृढ करता था। अत. इस प्रकार इस मामले के तीन गवाह हो जाते है। मिस्टर हेस्टिंग्स राजा गुरुदास को अयोग्य सिद्ध नही कर सकेगा क्योंकि उसने राजा नंदकुमार के चरित्र के विषय में चाहे जितनी भी बुरी बाते कही हो पर वह राजा गुरुदास को बहुत ऊंचा व सच्चरित्र कह चुका है जिसे उसने स्वयं इस विश्वास के पद पर नियुक्त किया था, अत उसके विरुद्ध उसका कुछ भी कहना सच न माना जायेगा। अब केवल सार्वजनिक व सरकारी दफ्तरो के कागजातों का परीक्षण करना बाकी था और देखना था कि इन मामलों मे संबंधित कोई कागज वहाँ मिलते है या नही। अब आप को आगे ज्ञात होगा कि इन दफ्तरो की हालत कितनी खराब थी व कागजातो मे कितनी गडबडी थी। लेकिन बहुत खोजबीन व जाँच-पडताल के बाद पता लगा कि ट्रेजरी दफ्तर मे नवाब के हिसाब में डेढ लाख रुपये जमा थे जिसे वह कहता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स को दे दिया, पर प्रश्न था कि यह रकम किस खाते में नाम पड़े, अतः नवाब की सलाह से यह रकम मिस्टर हेस्टिंग्स को नजराने के रूप मे देकर स्वागत-सत्कार के खाते में नाम पडी। अगर 'स्वागत-सत्कार' के नाम का खाता बराबर चलता होता तो संबन्धित अधिकारी नवाब से यह पूछने न जाता कि यह रकम किस नाम से लिखी जाय। पर उसने इसे एक नया मामला, नया खर्च व नया खाता माना। अतः उसे नये खाते की जानकारी न थी और पूरे खाते की जाँच-पड़ताल से मालूम हुआ कि कुल मिला कर साढे तीन लाख दिए गये थे। दो लाख तो घूस के रूप मे और डेढ़ लाख नजराने व स्वागत-सत्कार के नाम पर। हमे मानना चाहिये कि पहले को मिस्टर हेस्टिंग्स स्वीकार करता है क्योकि उसने इसके संबन्ध मे कभी विरोध या आपत्ति प्रकट नही की और दूसरे को भी आंशिक रूप मे स्वीकार किया है और उसका प्रयत्न है कि दोनों रकमो को एक मान कर प्रमाण में गड़बड़ी की जाय। और इसीलिये आप श्रीमान देखेंगे कि इस व्यापार के प्रारंभ से लेकर मामला मिस्टर स्मिथ के हाथो आने तक, जो उसका ही दलाल

था, और बाद में कम्पनी का प्रतिनिधि व वकील बना, इस व्यापार को अनुचित ढंग से नया रंग देने का प्रयत्न किया गया।

दो लाख के मामले का प्रमाण तो नन्दकुमार की गवाही पर, मुन्नी बेगम के पत्र पर और राजा गुरुदास की गवाही पर ही निर्भर था। और नजराने वाली डेढ़ लाख की रकम के संबंध में तो बाद में बहुत अधिक ही प्रमाण मिले जिसमें मिस्टर हेस्टिंग्स ने भी स्वयं सहायता की। क्योंकि सर्वप्रथम तो उसने अपने कार्यालय के कागजों को प्रस्तुत करके दो लाख व डेढ़ लाख दोनों रकमो के मिलाने का प्रयत्न किया जिससे परिणाम पर पहुँचने में गड़बडी व उलझनें हो। उसने डेढ़ लाख के रकम की प्राप्ति को स्वीकार करके एक नई कानूनी उलझन पैदा करने का प्रयत्न किया। यही फलस्वरूप स्वीकारोक्ति और सबंधित कागज पत्र आगे के प्रमाणो के लिए सहायक वने। फिर मुन्नी बेगम की अपनी गवाही भी है। उसका वयान लेने एक कमीशन उसके घर गया। उस कमीशन के कमिश्नर मि० गोरिंग को संतोषप्रद प्रमाण मिले। बेगम ने एक हिसाब प्रस्तुत किया। अपने पुत्र के माध्यम से वह हिसाब भेजा, जिसमे स्पष्ट लिखा था कि उसने डेढ़ लाख रु० नजराने के रूप में मिस्टर हेस्टिंग्स को दिए। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने मिस्टर गोरिंग के इस प्रमाण का विरोध किया। वह जाँच में ही मिस्टर गोरिग पर अधिकार जमाना चाहता था और उसने कौंसिल की सम्मति से अपने दो आदमियो को उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया। अपने आदमियो के माध्यम से उसने मुन्नी बेगम से जो प्रश्न पुछवाए वे ये थे :—"नजराने के रूप मे तुमने जो रकम मिस्टर हेस्टिंग्स को देने की बात कही है क्या वैसी रकम पहले भी किसी अवसर पर दूसरे को दी गई है या यह पहला अवमर था ?" उसकी इच्छा थी कि मुन्नी बेगम से यह भी प्रश्न पूछा जाय—"क्या माढ़े तीन लाख की जो रकम तुमने दी है उसकी तुमसे कोई लिखित माँग की गई थी जो गवर्नर और मिस्टर मिडलटन को दी गई या तुमने यह रकम अपने मन से दी थी ?".

श्रीमान, आप देखे कि पूरे साढ़े तीन लाख की रकम के संबंध मे अपने दिए रुपयो का हिसाब मुन्नी बेगम दे चुकी थी लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसके हिसाब में गड़बड़ी पैदा करके उसे गलत बनाना चाहा। दूसरा प्रश्न है :—"किस रूप मे तुमसे माँग की गई थी और किसके द्वारा ?" लेकिन मुख्य प्रश्न तो यह है :—"किस खाते में डेढ़ लाख की रकम गवर्नर-जनरल को दी गई थी, जो तुमने अपने खाते या हिसाब में लिखा है ? यह उसकी माँग पर या किसी पूर्व निश्चय के अनुसार या पुरानी परम्परा से दिया गया था ?" जब रुपये लेने वाला स्वयं देने वाले से प्रश्न करता या दूसरे से फरमाता है कि किस हिसाब में दिया है तो इसके अर्थ होते हैं कि वह स्वीकार करता है कि रुपये उसे मिले है और हिसाब के द्वारा उस रकम की प्राप्ति को उचित सिद्ध करना चाहता है और इस पर मुन्नी बेगम का उत्तर था कि यह रकम

नजराने की पुरानी प्रथा के अनुसार ही दी गई थी। अतः मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रश्न से लेन-देन की बात तो प्रमाणित हो ही जाती है।

अब मैं आज्ञा चाहूँगा कि इस मामले में आए अनेक गवाहों जिनकी गवाही हुई है की परिस्थितियों का वर्णन करूँ। वे गवाह दो प्रकार के है—स्वेच्छावाले गवाह और ऐसे जो जाँच व पूछताछ में स्वयं अपने अपराधों को सिद्ध कर चुके थे। पहले स्वेच्छावालों में नन्दकुमार और राजा गुरुदास थे। इस प्रकार के बस ये ही दो थे और इन्हें इस मामले के स्वेच्छावाले गवाह ही कहा जाना चाहिए जिन्होंने अपनी ओर से बिना अधिक डर के ही सारी बातें खोल दी यद्यपि उन्हें ऐसा करने के भय की पूरी जानकारी थी।

दूसरी गवाही थी मुन्नी बेगम की जिसे सत्य की शक्ति के कारण विवश होकर गवाही देनी पड़ी, जिसने डेढ़ लाख देने की बात को स्वीकार किया और उसे परम्परा की बात बनाई। इसके अलावा जितेन्द्र नामक व्यक्ति की भी गवाही है जो मिस्टर हेस्टिंग्स के औजारों में एक तथा मुन्नी बेगम का नौकर था। उसे तैयार किया गया था कि दो लाख व डेढ़ लाख की रकमों को मिलावे। उसने अपने बयान में कहा कि केवल डेढ़ लाख ही दिया गया था पर उसके बयान के विस्तार व खोद-विनोद मे जाने पर पता लगा कि जो रकम दी गई थो वह दो लाख की थी, न कि केवल डेढ़ लाख की, क्योंकि उसने यह भी बताया कि बाकी पचास हजार के सम्बन्ध मे कुछ झंझट व झगड़ा था। नन्दकुमार ने सूद-व्याज माँगा, जिसे बेगम नही देना चाहती थी, फलस्वरूप वह पचास हजार की रकम घपले मे पड़ गई। यह पचास हजार, डेढ़ लाख का हिस्सा नही हो सकता। जब जितेन्द्र ने इस डेढ़ लाख का दो लाख की रकम के साथ घोलमोल करना चाहा तो उसने सिद्ध भी कर दिया कि दो लाख की पूरी थैली थी।

एक और परिस्थिति है इस हिसाब को समझने की। डेढ़ लाख के रकम की पुष्टि न केवल राजा गुरुदास से बल्कि बेगम, जितेन्द्र से भी हुई। एक कागज से इसकी पुष्टि और भी संभव हुई जो कमेटी के सम्मुख रखा गया था और जिसे हम श्रीमान के सम्मुख उपस्थित करेंगे। यह कागज मिस्टर हेस्टिंग्स के पक्ष मे मेजर स्काट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्काट कमेटी मे मिस्टर हेस्टिंग्स का प्रतिनिधि था। इन प्रमाणों के बल पर हम सिद्ध कर देंगे कि उसने दो लाख प्राप्त किए और उसमें से डेढ़ लाख नजराने के रूप में था। डेढ़ लाख की राशि को तो विवश होकर मिस्टर हेस्टिंग्स स्वीकार करता ही है, पर पचास हजार उसके विरुद्ध पड़ेगा। वह यह समझता है तथा उससे बचना भी चाहता है। वह चाहे इससे कितना भी भागे, पर हम तो उस पर यह पचास हजार भी अवश्य ही लाद देंगे और इसे हर प्रकार से सिद्ध भी करेंगे। लेकिन इस मामले से और परिस्थितियाँ भी जुड़ी हुई है। इनके अन्तर्गत जो भी कुछ छिपाया जा रहा है उससे इस व्यापार के धोखाधडी और रद्दी

तरीके का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। बेगम द्वारा दिए गए हिसाब में एक लाख तो मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए नजराना है और वह रकम राजा सिताबराय के द्वारा सूबेदारी की सनद के लिए मुगल बादशाह को दी गई लिखी है। इस हिसाब से पूरी जानकारी के साथ और दूसरे दाखिल किये गए कागज से मिलान करने पर जो बात हम सर्वप्रथम पाते हैं, वह है डेढ़ लाख की रकम से सम्बन्धित। मुगल बादशाह मराठों के हाथ में था। उस समय उससे सारा सम्पर्क समाप्तप्राय था और राजा सिताबराय जिसे हम अपने हाथों रुपये देने का दोषी समझते हैं वह मिस्टर हेस्टिंग्स की मुट्ठी में था।

इस लेन-देन के व्यापार को जो बहुत स्पष्ट था, उलझाने की मिस्टर हेस्टिंग्स ने बड़ी कोशिश की। हमलोग जो तथ्य उपस्थित करेंगे उसमें श्रीमान उस समय के मिस्टर हेस्टिंग्स के कारनामों व नीयत को अच्छी तरह जान सकेंगे। उसने जाँच में कितनी बाधा डाली, अपने कर्मचारियों को गवाही देने से रोका, सहयोगियों को पथभ्रष्ट व हतोत्साहित किया। उसने मुकदमे के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएँ उपस्थित की।

डेढ़ लाख की रकम को नजराने की रकम कहा गया है। पर यह तो श्रीमान निर्णय करेंगे कि जिस व्यक्ति को केवल चार सौ पौंड पाने का आदेश मिला हो वह नजराने के नाम पर सोलह हजार पौंड ले ले, वह भी नजराने के रूप में, तो यह कहाँ तक न्यायोचित है? हम उस पर जिस बात का अपराध लगाते हैं उसी बात को वह अपने पक्ष की बात मानता है, इसे क्या आप श्रीमान और सारी दुनिया द्वारा अपराध की चरम सीमा न माना जायगा। जिस परिस्थिति में यह सब हुआ उसके सम्बन्ध में हम काफी कह चुके है।

हिसाब में यह लिखा है कि मिस्टर हेस्टिंग्स को प्रतिदिन दो सौ पौंड के दर से आमोद-प्रमोद के लिए नजराना दिया गया। वह मुर्शिदाबाद में लगभग तीन महीनों तक रहा और इस तरह आप देखें कि मिस्टर हेस्टिंग्स का स्वागत-सत्कार कितना खर्चीला था। यह प्रतिवर्ष तिहत्तर हजार पौंड हो गया। हम देखते हैं कि अन्य अंग्रेज मिस्टर मिडलटन जो इसका सहयोगी था, ने भी उसी प्रकार रुपये पाये, शायद इसी मद में, लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर यदि यह दोनों व्यक्ति एक वर्ष वहाँ ठहरे तो उन पर सारा भत्ता व अन्य खर्च जोड़ कर एक लाख छिया-लिस हजार पौंड हुए जो नबाव के भत्ते से यानी एक लाख साठ हजार प्रतिवर्ष के भत्ते से काटा गया। अर्थात ये दोनों ही नवाब का लगभग पूरा भत्ता खा गए। फिर जिस अतिथि-सत्कार में इतनी सुविधा, इतनी आमदनी हो तो अतिथि अधिक दिनों तक क्यों न ठहरे? योरप में शायद ऐसा कोई राजपुरुष हो जो किसी अन्य आम-न्त्रित अतिथि राजपुरुष पर अपने भत्ते से इतना खर्च करे। ऐसा उदाहरण योरप

में कदापि नहीं मिलेगा।

अब हम देखें कि इतनी लम्बी अतिथि-यात्रा में मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या काम किए। उसी का कहना है कि पहले तो वह वहाँ गया था नवाब की प्रतिष्ठा व गौरव समाप्त करने। यह स्वयं बताता है कि उसे इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नही करना पड़ा क्यों कि हाथी, दरबारी आदि सभी अपने आप उजाड़ हो चुके थे और उनसे सम्बन्धित व्यक्ति पहले से ही निकाले जा चुके थे। जब उसने वजीफे बन्द करने की ओर हाथ लगाया तो वह स्वयं कहता है, 'मैं बहुत दर्द से इस काम में आगे बढ़ रहा था क्यों कि मेरे इस काम से समस्त परिवारों की सुविधाये छिनती थी, उनकी रोटी छिनती थी और उन्हें निर्धनता की स्थिति भुगतनी पड़ती थी, लेकिन कर्त्तव्य पालन की ओर अपनी निष्ठा के कारण मुझे निर्दयी बन कर सब करना पडा।' यहाँ वह कहता है कि जो काम उसे सौपा गया था उसके लिए उसने दो सौ पौंड प्रतिदिन पारिश्रमिक के रूप मे लेना शुरू किया 'सर्वप्रथम यह काम दरबार के बेकार नौकरो को सुधारने से प्रारम्भ हुआ और बेकार बँधे हाथी की छँटनी आदि का काम प्रथम था। यह करने में थोड़ा कष्ट उठाना पडा, क्योकि, ऐसा ही वहाँ स्थित रेजीडेन्ट ने भी कहा है कि पेशन की सूची छूने मे बडा कष्ट हुआ था। उस देश के परम्परागत सैकडो अमीर-उमरावो को बेकार करना पडा, इस प्रकार लगभग दस लाख की बचत हुई। रेजीडेन्ट ने कहा था कष्ट के बावजूद भी हिचक से हमने पिण्ड छुडाया और नवाब के खर्चो की सीमा बाँधी और इसके लिए पेशन बन्द करना आवश्यक था।

श्रीमान, यहाँ सैकड़ो वर्ष पुराने दरबार मे तालाबन्दी करना सचमुच दिल पर पत्थर रख कर कार्य करने जैसा था। यह काम करने में अधिकारी का दिल टुकड़े-टुकडे हो गया था। जब वह लगभग चौदह सौ वर्ष पुरानी परम्परा की दीवार को गिरा रहा था तब उसका दिल जहाँ इस बात के लिए रो रहा था कि वह परम्परागत पलते आए अमीरों की रोटी छीन रहा था, वही उसका दिल इतना मजबूत भी था कि वह इसी कार्य के लिए दो सौ पौड प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भी ले रहा था। जैसा हम देखते है कि इस कार्य में यह आदमी औरों से भिन्न सिद्ध हुआ। वह चाहे अपने को भ्रष्ट न माने पर अपने को कठोर तो मानता ही है। वह बिना अकाल फैलाये खाना न खाता था, बिना महल गिराए अपना रास्ता न बनाता था, और जितना वह छीन कर खर्च में कमी दिखाता था उसका दूना स्वयं ले लेता था। उसकी पैशाचिक वृत्ति भ्रष्टाचार से बढ़ी-चढ़ी थी, लेकिन उसमें छिपा षडयन्त्र उसकी पैशाचिक वृत्ति से भी बड़ा था। क्योंकि जहाँ वह सैकड़ों राजपुरुषों का रक्त एक साथ पीता है वहीं उसकी आँखें भी आँसू से भरी होती थी और घायल मानवता के बहते रक्त को ही घाव का मलहम समझ कर उसे ही सर्वश्रेष्ठ औषधि भी मानता था।

आपने देखा कि जब उसने आमोद-प्रमोद व नजराने तथा वेतन के नाम पर

प्रतिदिन दो सौ पौंड लेना शुरु किया तो वह स्वयं स्वीकार करता है कि इससे १४०० पौंड अमीरों के मुंह की रोटी छिनी। श्रीमान, आप की नसों में भी अमीर रक्त प्रवाहित होता है और नहीं तो आप की नसों में मानव का तो रक्त है ही, आप कम से कम मनुष्यता व महानता का अनुभव तो करते हैं। पर आप मुगलों पर अत्याचार करने वालों को क्या कहेंगे, जिन्हें अपनी रियासतों से खदेड़ दिया गया, अपने दरबारों से भगा दिया गया। उनकी जिन्दगी नर्क कर दी गई और बंदी से भी गई-गुजरी स्थिति बना दी गई एवं उनकी पेंशन छीन कर स्वयं उसने २०० पौंड प्रतिदिन आमोद-प्रमोद के लिए लिया और तब तक लेता रहा जब तक यह रकम सोलह हजार पौंड तक नहीं पहुँच गई। मैं समझता हूँ कि उन अपराधों के सम्बन्ध में जिनको उसने स्वीकार नहीं किया पर जिनका विरोध भी नहीं किया, वह उसके स्वीकार किए गए अपराधों से दस गुना बड़े हैं।

आज मैं श्रीमान के सम्मुख केवल यही बार-बार उपस्थित करूँगा कि इस लेन-देन के व्यापार को उसने सीधे ढंग से इन्कार नहीं किया। मैंने सभी कागजातों को देखा, मैंने बहुत खोज की कि शायद कहीं उसने इन्कार किया हो, पर उसने समय पर इन्कार नहीं किया। उसने डाइरेक्करों की परिषद में इन्कार नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उसने एक प्रकार मे स्वीकारोक्ति ही दी है, या कहें कि सीधे-सीधे स्वीकार न करके उस संबंध में अपनी सफाई अधिक पेश की है। पार्लमिंट ने यह मामला उठाया और अब तक कम्पनी की फाइलों में छिपी बात सार्वजनिक कर दी, फिर भी उसने इसे कोई महत्व न दिया। फिर दूसरा अवसर आया। वह स्वयं पार्लमिंट में उपस्थित होता है, वह जानता है कि इन अपराधों के लिए उसे अवश्य ही दण्ड मिलेगा। वह जानता है कि यह सभी अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध हो जायेंगे, वह अपनी सुरक्षा का भी प्रयत्न करता है। इसीलिये वह किसी अपराध को सीधे ढंग से इन्कार भी नहीं करता, क्यों कि जानता है कि इनकार करने से वे अपराध अधिक प्रमाणों के साथ सिद्ध किए जायेंगे। मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि श्रीमान उन कागजातों को देखेंगे जो हमने अपने प्रमाण में पेश किए हैं और आप गौर से देखें कि क्या आपको उनमें इन्कार का एक शब्द भी मिल पाता है। उनमें बहसें बहुत हैं, इधर-उधर की बातें बहुत हैं, पर इन्कार कहीं नहीं है। तब अंत में अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध ही होते हैं। मैं श्रीमान का ध्यान उसके सुरक्षा के प्रमाणों के प्रति आकर्षित कराना चाहता हूँ जिसमें इस विशेष घूसखोरी की चर्चा है। वहाँ भी वह इससे इन्कार नहीं करता। केवल एक चीज जो इन्कार जैसी लगती है वह यह कि उसका यह कथन है कि सभी अपराध झूठे हैं परन्तु इस विशेष अपराध को स्वतंत्र रूप से इन्कार नहीं किया गया और प्रारम्भ से अंत तक कहीं स्पष्ट इन्कार नहीं है। अतः अब मैं नन्दकुमार से संबंधित मामले का यहीं अन्त करता हूँ। श्रीमान के सामने इतने अधिक व सशक्त प्रमाण हैं जितने किसी भी गुप्त घूसखोरी

के मामले में अन्य कहीं न मिलेंगे, अतः अब मैं श्रीमान के निर्णय के लिए ही सब कुछ छोड़ता हूँ।

मैंने आपको इतनी देर तक बैठाये रखा, इसके लिए क्षमा माँगता हूँ, लेकिन श्रीमान यह तो मानेंगे ही कि किमी भी मामले में इतनी परतें नहीं खोलनी पड़तीं जितनी इस मामले में खोलनी पड़ी है।

आठवें दिन की कार्यवाही

[२५ अप्रैल, सन् १७८६]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, मुझे आप के सम्मुख वक्तव्य देने का पिछला अवसर जब मिला था तो मैंने वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हुई जाँच के परिणामों पर बहस चलाई थी। श्रीमान, मैंने भारत के उच्चतम अधिकारी के भ्रष्ट आचरण पर बहस चलाई थी। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन जाँचों का विरोध किया और विरोध में अपने पद की समस्त शक्ति लगा दी। ये सभी जाँच के तथ्य श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं और आगे भी प्रस्तुत होंगे।

अब जिस विषय को लेकर मैं आगे बढ़ने की आवश्यकता समझता हूँ, वह उसके अपराधों व उसके प्रमाणों से संबंधित है, क्योंकि श्रीमान, मैं इस मामले को दो हिस्सों में बाँट कर स्पष्ट करूँगा। लेकिन इस विषय में कुछ भी कहने के पूर्व मैं श्रीमान को यह सूचित करना चाहता हूँ कि साढ़े तीन लाख के इस घूस, जो हेस्टिंग्स ने ली है, की बात आपके सामने फैलाने के पूर्व आपको ज्ञात करा देना चाहता हूँ कि यह रकम उसने सरकार की एक ऊँची गद्दी पर एक अयोग्य व्यक्ति को बैठाने के लिए लिया था।

श्रीमान, जो प्रमाण अभी तक मिले हैं और जो आपके सम्मुख रखे जाएँगे, उनसे यह सम्भावित है कि लगभग एक लाख पौंड व पचास हजार पौंड की रकमों को घूस-स्वरूप लेने के बड़े सशक्त प्रमाण हैं और हमलोगों ने केवल इन्हीं लगभग-प्रमाणित रकम की बात करने का निश्चय किया है जिससे आप श्रीमान के मस्तिष्क में शंका का कोई प्रभाव न पड़े। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमलोग इस विषय में जनता की भावना से भी परिचित हैं। भारतीय शासन में हुए अपहरण और जो भी कार्य हुए हैं, उनकी तुलना जब वे लिए गए घूस व उसकी रकम से करते हैं तब यह कारनामे बहुत बड़े लगते हैं और उनकी समता में घूस बहुत कम दिखती है। मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह कि सभी घटनाओं पर सामूहिक रूप से दृष्टिपात करने पर श्रीमान भी स्पष्ट देखेंगे कि बड़े असाधारण कार्य किए गए हैं और प्रमाण में सिद्ध किए गए घूस की रकम उन असाधारण कार्यों को और भी असाधारण सिद्ध करती है। परन्तु जिस प्रकार के ठोस प्रमाण श्रीमान चाहते हैं यदि वे हमें पूर्ण रूप में प्राप्त हो जायें तो हमें तत्काल ही सिद्ध करने की सुविधा

होगी कि घूस की रकम कई गुना अधिक थी।

मैं श्रीमान से यह पहले ही कह चुका हूँ कि जब ये अपराध मिस्टर हेस्टिंग्स के समस्त विरोधों व रुकावटों के बावजूद भी कौंसिल के सामने लाए गए और लिपिबद्ध किए गए तब मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस कार्यवाही को रोकने के लिए अपनी समस्त शक्तियों व प्रभावों का प्रयोग किया और समस्त राज्यों में अपने प्रतिनिधियों व दलालों का जाल बिछाया कि गवाह न मिल सकें और जब वह यह सभी कार्य कर चुका तब भी जब प्राप्त प्रमाणों का उस पर दबाव पड़ा तो उसने फिर जाँच का विरोध किया और अपनी शक्ति भर प्रतिरक्षा की कार्यवाही प्रारम्भ की। फलस्वरूप उसने वह सब कार्य किए जिन्हें उसने अब तक उचित माना, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि उसने किसी भी अपराध से स्पष्ट इन्कार नहीं किया, न इसके लिए कोई सफाई ही दी। उसने प्रतिरक्षा का जो रास्ता अपनाया वह अपने सहयोगियों, गवाहों और जाँच में लगे अधिकारियों का दुरुपयोग ही था और उसने इन लोगों से जो भी प्रमाण दिलाए वे अनुपयोगी सिद्ध हुए। वे किसी भी रूप में उसके सहायक न बन सके। उसने जो रास्ता अपनाया, वह था इन लोगों का दिमाग खराब करना और अपराध व प्रमाणों की भूल-भुलैया में उन्हें भटकाना। वे लोग तो नियमपूर्वक सही रास्ते से जाँच का काम कर रहे थे और अगर किसी अवसर पर वे जब भी डगमगाए तब केवल हेस्टिंग्स द्वारा काम में रोड़े अटकाए जाने पर। यदि वे अपने कार्य में उग्र हिंसक, पक्षपाती होते तो वे हेस्टिंग्स की इतनी सहायता न कर पाते। अतः मिस्टर हेस्टिंग्स ने जब अपने को सिद्धान्तों द्वारा बचाव में असफल पाया तो उसने पक्षपात का रास्ता अपनाया। और ऐसे अवसर पर जब किसी अपराध के लिए उसने इन्कार नहीं किया या अपराधों को झूठा सिद्ध नहीं कर सका तो उसने दस्तावेजों व कागजातों पर इस प्रकार के बहुत अधिक रिपोर्टों, पत्रों व बयानों का बोझ लाद दिया जिनका वास्तविक विषय से कोई संबंध न था। इसके इस सिद्धान्त का मुख्य आशय था कि वह अपराध से संबधित घटनाओं को वास्तविक परिस्थिति से दूर रखे—ऐसे ही सिद्धान्त का उसने सदा ही सहारा लिया है। लेकिन उसकी वह चाल, अपराध के मूल रूप को विकृत करने या उलझाने की थी। मेरा विश्वास है कि उसे अपनी योजना में पूर्णतया असफल ही होना पड़ा।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने बड़ी चालाकी बरती जिसके कारण यह कार्यवाही दूसरे ढंग से उसी के पक्ष में होती हुई दिखाई दी क्यों कि वह आगे कहता है, कि वह अपनी प्रतिरक्षा को सजा के डर से स्पष्ट न कर सका और फिर किसी अन्य सुअवसर पर वह विस्तृत व स्पष्ट उत्तर डाइरेक्टरों की परिषद के सम्मुख देगा। इसी योजन से वह आपके सम्मुख उपस्थित होने तक चुपचाप रहा और उसने न तो अपराधों से इन्कार किया, न स्पष्ट वक्तव्य दिया और न क्षमा माँगी।

उसके व्यवहारों से लगता है कि हताश होकर वह अपराध करता गया। जब भारत में उसका कार्य समाप्त हो गया तो उसके वक्तव्य देने के कारण और भी सशक्त होता गया, क्योंकि उसके विरुद्ध लगाए गए अपराध केवल महत्वपूर्ण ही न थे, पर जिस ढंग से जाँच में उसने व्यवहार किया वह भी किसी चरित्रवान व्यक्ति के लिए उचित न था। उसे एक प्रकार से अपनी प्रतिरक्षा के लिए विवश किया गया, यह सर जान क्लावरिंग के इन शब्दों से स्पष्ट है जिन्हें मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ।

राजस्व परिषद की विगत कार्यवाहियों में यह स्पष्ट होता है कि अपहरण के ऐसे मामले नहीं हैं जिससे माननीय गवर्नर-जनरल ने यह परिणाम निकाला है। मिस्टर हेस्टिंग्स के उत्तर में वह आगे कहता है, "वह दूषित भावना जिसका स्पष्ट प्रदर्शन यहाँ हुआ है वह ऐसे ही व्यक्ति के लिए संभव है जिसने अपने को एशिया और योरप के लोगों की दृष्टि में पूरी तरह गिरा दिया हो और जो हम लोगों द्वारा लगाए गए अपराधों के विरुद्ध कुछ भी प्रमाण न देख सके और जो अंधेरे में ही उस दूषित भावना को सजीव करे जो उजाले में नहीं लाई जा सकती।"

उस पर जो भी अभियोग लगाए गए वह किसी वाद-विवाद के बीच गुस्से से नहीं, बल्कि सावधानी के साथ लिखित रूप में लगाए गए, जो दफ्तर के कागजातों में हैं और उसके मालिकों को भी भेजे गए। क्या श्रीमान यह मानते हैं कि यह सब उसके सहयोगियों ने ही किया ? क्या इसी कारण उसने अपनी प्रतिरक्षा नहीं की और न इन अपराधों से भागने का ही प्रयत्न किया ? इन कार्यवाहियों व रिपोर्टों से श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स पर हर प्रकार के गंभीर अपराधों को आरोपित किया गया है। मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं स्वीकार करता है जैसा कि उसने कहा है कि अपराधों को अपने पर ओढ़ना उसके लिए आवश्यक है। पर ऐसी क्या आवश्यकता है ? क्या वह कह सका कि सर जान क्लावरिंग (कर्नल मानसन और मिस्टर फ्राँसिस जो उसके सहयोगी थे, उनके संबंध में मैं अभी कुछ न कहूँगा।) एक कमजोर व्यक्ति था व दृढ़ निश्चय का व्यक्ति न था। मेरा विश्वास है कि आप श्रीमान में कई ऐसे सज्जन होंगे जो जानते हैं कि सर क्लावरिंग विदेश जाने के पूर्व ही काफी हद तक परिचित था और बाद में अपने कार्यों के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ और सरकारी पदाधिकारियों में वह एक आदर्श था। यह सर्वविदित है कि उच्च फौजी सेवा में हर श्रेणी को पार कर वह उच्चतम पद पर पहुँचा। उसके चरित्र व स्वभाव के संबंध में कहीं कोई शंका की भावना नहीं। वह बहुत अच्छे स्वभाव का, उच्च आदर्शों का था और जीवन की आधी उम्र पार करके ऐसी अवस्था में था जहाँ मनुष्य अनुभवी व चतुर हो जाता है। वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी बातों को कहीं से महत्वहीन नहीं कहा जा सकता, साथ ही पार्लामेंट के एक कानून द्वारा उसे भारत में सुधार के लिए भेजा गया था। लेकिन उसकी उपस्थिति मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए असह्य थी, इसी से कार्यवाही में ऐसी बात लिखी गई है। लेकिन

यदि वह कमजोर व बुरे स्वभाव का व्यक्ति होता, बल्कि वह बहुत ठंडे दिमाग वाला कानूनदाँ व्यक्ति था, तो डाइरेक्टरो की परिषद जिसने मिस्टर हेस्टिंग्स को ही पार्लमिट के कानून द्वारा उच्चतम अधिकारी बनाया था, तो वह उसके नीचे काम करना कभी स्वीकार न करता। डाइरेक्टरो ने मिस्टर जनरल क्लावरिंग, कर्नल मॉनसन और मिस्टर फ्रैंसिस के कार्यों को सराहा, उनकी जाँच की रिपोर्ट को मान्यता दी, जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वीकार न किया और उन्होंने घोषणा की, "जो भी शक्ति और आदेश जनरल क्लावरिंग और अन्य सज्जनों को दिये गये थे वे हर प्रकार की जाँच करने के अधिकारी थे और यही उनका मुख्य कर्त्तव्य भी था। ..."

अब उच्चतम अधिकारियो के सम्मुख वे अपने मामलो को पेश कर सकते थे, इस जाँच के आधार पर यह फैसला दिया था कि इस मामले मे मिस्टर हेस्टिंग्स की राय पर निर्भर रहना आवश्यक नही था। जब अधिकारियो ने जिन्हे अन्तिम रूप से निर्णय देना था कि कौन गलत मार्ग पर था, कौन अन्यायपूर्ण था तब उनके निर्णय के बाद मिस्टर हेस्टिंग्स को बुलाया गया कि एक सज्जन आदमी व कौंसिल के सदस्य के नाते वह अपने मालिको को सतुष्ट करे।

यदि स्वीकारोक्तिपूर्ण दोष उसके मस्तिष्क को प्रभावित कर सका हो तो हमे और सतर्कता से देखना है कि इस दृश्य-परिवर्तन के बाद उसके कार्य कैसे रहे। जनरल क्लावरिंग, जो परिस्थिति की विषमताओ मे थका व टूटा था, उसे तत्काल ही एक बहुत योग्य और प्यारा सहयोगी कर्नल मॉनसन को खो बैठना पडा (जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपना जानी दुश्मन कहा है)। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय का बडा पक्का, प्रिय और सम्माननीय व्यक्ति था। उसकी नसो मे आप जैसे बडे लोगो का रक्त प्रवाहित होता था और उसने अपनी महान वंश-परम्परा के प्रति प्रतिष्ठा ही स्थापित की, यदि वह किसी साधारण परिवार का होता तो वह भी उच्चतम पद का अधिकारी होता। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, एक टूटे हुए निराश व हताश दिल वाले व्यक्ति की मृत्यु तो जनरल क्लावरिंग ने अपने को बडा असहाय पाया और उसके लिए मिस्टर फ्रैंसिस की दृढता व सद्भावना के अतिरिक्त सान्त्वना के लिए कुछ न बचा था, पर उसे अपने पद से त्याग-पत्र देना पडा। उसके त्याग-पत्र से डाइरेक्टरों की परिषद बडी सतर्क हुई और उसे लिखना पड़ा, 'जब तुमने अपने जिम्मेदार पद से त्याग-पत्र देने का निर्णय किया तो हमने सोचा कि शायद तुम मिस्टर हेस्टिंग्स के त्याग-पत्र को स्वीकार करने को न थे......तुम्हारी योग्यता हमारे लिए महान वस्तु थी।'

श्रीमान, इसी संघर्ष के बीच, उसके त्याग-पत्र पर निर्णय होने के पूर्व, एक दूसरे प्रकार का त्याग-पत्र, ईश्वरीय त्याग-पत्र, आ उपस्थित हुआ और सर जान क्लावरिंग की मृत्यु हो गई। सर जान क्लावरिंग के चरित्र के संबंध में उस समय

जो कुछ लिखा गया वह सम्पूर्ण कार्यवाही पर एक मुहर थी, जिसे हम आगे श्रीमान के सम्मुख पुनः विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। 'जनरल क्लावरिंग की योग्यता और मामले के तह तक पहुँचने की योग्यता......' ईस्ट इण्डिया कम्पनी।

इससे बडा कम्पनी का और क्या अहित हो सकता था! उसके चरित्र के संबंध में उसके प्रति अंतिम संबोधन करते हुए कम्पनी के उच्च अधिकारियों ने बड़े ऊँचे व सशक्त स्वर मे उसकी प्रशंसा की थी। और श्रीमान, इसी व्यक्ति को वारेन हेस्टिंग्स अपना सबसे बड़ा शत्रु कहता है। इसके संबन्ध में उसका कहना है—वह क्या है? एक साधारण व्यक्ति, बहुत नीचे स्तर की बुद्धि का आदमी, क्षुद्र स्थिति का आदमी, एक दूषित चरित्र वाला आदमी। पर ऐसा नही, वह उच्चतम चरित्र वाला व्यक्ति था। क्या उस व्यक्ति के कार्य के संबंध में उसके प्रधान अधिकारियो ने कभी शिकायत की? नही, उसके जीवन में भी और उसकी मृत्यु के बाद भी उसके कार्यो की सराहना ही हुई है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी महानता के अनुपात में समस्त लघुता मिस्टर हेस्टिंग्स में वर्तमान है।

परन्तु मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक स्वर से सर जान क्लावरिंग, कर्नल मॉनसन और मिस्टर फ्रैंसिस को दूषित मस्तिष्क वाला व्यक्ति कहा है। यही नहीं, यह भी कहा है कि उनसे वह घृणा करता था। परन्तु ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार के प्रति विद्रोही हों, उन्हें अपराधी ही यदि बुरा कहे तो यह कहाँ तक न्यायसंगत है? मिस्टर हेस्टिंग्स जब पहले दो व्यक्तियों से मुक्ति पा गया और मिस्टर फ्रैंसिस हर प्रकार से अशक्त व असमर्थ हो गया एवं बहुमत उसके अपने हाथ में आ गया तो वह समस्त शक्ति का एकमात्र मालिक बन गया। तब उसने अपनी ओर से लंबी-चौड़ी जाँच की कार्यवाही चालू कराई और जजों व अपने मालिकों के सम्मुख अपनी स्थिति स्पष्ट कराने की कोशिश की। मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है—नहीं, उन लोगों ने मुझ पर मुकदमा चलाने की धमकी दी थी और मैं जज के सम्मुख उपस्थित होने को सदा उत्सुक व तत्पर था।

अब अन्त में मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक नया पैतरा बदला, जैसा कि आप उसके लिखे वक्तव्य से देखेंगे कि पहले तो वह कहता है कि यद्यपि मेरे विरुद्ध एक मुकदमा आयोजित किया गया है, मै अपने कार्यो के प्रति कोई सफाई न दूँगा क्योंकि इससे संभव है मैं अपनी प्रतिरक्षा के रहस्य खोल दूँ और उस प्रकार अपना ही अहित कर बैठूं। दूसरी ओर जब कि मुकदमा समाप्त हो जायगा तो उसके पास कहने को दूसरी बातें होंगी। जब मुकदमे की गंभीरता नहीं रहती तो प्रतिरक्षाकी आवश्यकता नहीं रहती। पर मुकदमा हो या न हो, यह प्रश्न तो बना ही रहेगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने डायरेक्टरों के संतोष के लिए अपने कार्यो की व्याख्या क्यों नहीं दी। वह अपनी प्रतिरक्षा के लिए अपना वक्तव्य सुरक्षित रखता है।

आप श्रीमान देखेंगे कि अब तो तथ्य से इन्कार कर दिया गया है। क्योंकि

प्रतिरक्षा का भरोसा रहे या मान लें कि कोई व्यक्ति तथ्य से इन्कार न करे पर इसके अर्थ कदापि नहीं होते कि वह तथ्य को स्वीकार नहीं करता। अतः प्रतिरक्षा की बात कह कर ही मिस्टर हेस्टिंग्स तथ्य को स्वीकार कर लेता है और वह यह बताता है कि उसके पास कोई बात कहने को नहीं है। बार-बार विवश करने व उत्साह दिलाने पर वह कहता है, 'मुझे अपयश और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला।'

लेकिन अपयश और अपमान की इस जिंदगी में भी वह प्रसन्नचित्त होकर जीवित रहा क्योंकि उसके फलस्वरूप उसे रुपये मिलते रहे। उनसे कई बार कहा है कि वह अपने वक्तव्य को अदालत के लिए सुरक्षित रखता है। क्या वह ऐसा कर सका, श्रीमान ? मुझे दुख है कि मिस्टर हेस्टिंग्स हर जगह अपने संबन्ध में गलती व नासमझी कर जाता है। वह एक नौकर की हैसियत से अपने मालिकों के सम्मुख अपने कार्यों का हिसाब-किताब देने को विवश है। इसके विपरीत वह डायरेक्टरों को मुकदमे में प्रतिवादी मानता है, उन्हें अपराध लगाने वाला और अपने प्रति दोषी मानता है। व्यक्तिगत जीवन में ऐसे मुख्तार को क्या कहेगे जिसने किराया वसूल कर गबन किया हो, किरायेदारों को लूटा और सताया हो, और मुख्तारी के कार्य मे हजारों प्रकार की गलतियां की हो और उससे जब सफाई माँगी जाये तो वह कहे कि मैं कोई उत्तर न दूंगा, आप मुझ पर मुकदमा चलावे, और मुझे एक बेईमान की तरह सजा दे, पर मैं कोई संतोपजनक उत्तर या वक्तव्य न दूंगा, तो आप ऐसे मुख्तार को क्या कहेंगे ? आपको यह मत देने में कोई झिझक न होगी कि ऐसा व्यक्ति न तो मुख्तार होने के योग्य है न तो जीवित रहने का अधिकारी है।

मिस्टर हेस्टिंग्स अपनी बात अदालत के लिए सुरक्षित रखता है, यह अकेली बात ही उसे अभियोगी सिद्ध कर देती है। यह भी देखने में कितनी भद्दी बात है कि वह अपने अभियोग को अदालत के न्याय के नाम पर छिपाये जहाँ उसे सजा मिले या उसे दोपी सिद्ध होना पड़े। लेकिन मैं उस स्थिति से आपके सम्मुख यह सिद्ध कर दूँगा कि अपने दोष को प्रकट रूप में स्वीकार न करने की नीयत से ही वह अपने को दोषी सिद्ध कराना चाहता है।

जब सन् १७७२ में मिस्टर हेस्टिंग्स बंगाल गया तो ठीक ऐसा ही एक आदेश उसे मिला था कि वहाँ की जनता के असंतोप तथा माँगों की पूरी सतर्कता से जाँच-पड़ताल करे। इस आदेश के पालन हेतु ही वह कम्पनी की नौकरी के संबन्ध में एक योजना प्रस्तुत करता है और उस योजना का एक भाग बिल्कुल वही था जो आप सहज ही आशा कर सकते है कि कभी भी किसी भी कर्मचारी को उसकी सफाई सुने बिना ही निकाल दिया जाय और अपने कार्य को उचित कहने के प्रयास का उसे कोई भी कदम उठाने का अवसर न दिया जाय। इसके लिए वह जो कारण पेश करता है वह यह है, 'उपर्युक्त सुझाव पर कोई मत प्रकट

करने से अपने को रोकूंगा। इस सुझाव की उपयोगिता स्वयं स्पष्ट हो जायगी। केवल अंतिम बात की एक कलम को व्याख्या की आवश्यकता है, यानी गवर्नर के इस अधिकार के संबन्ध में कि बिना कारण बताए वह किसी भी व्यक्ति को उसके पद से वापस बुला सकता है। जब भी राज्य के लाभ के लिए दमन करना आवश्यक होता है तब जनता की चीख-पुकार और बहुत योग्य प्रतिनिधित्व के बावजूद भी अधिकतर मामलों मे कानूनी प्रमाण देना असंभव होता है और जिस विशेषाधिकार के लिए मैंने पक्ष समर्थन किया है वह आवश्यक है। भविष्य के परिणामों को ध्यान में रख कर हर व्यक्ति अपनी सीमा में ही सिमटा रहना चाहता है।' जब आप देखें कि मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं इस विचार का है कि दमन के समय जनता की चीख-पुकार पर भारी पत्थर रख देना चाहिये। फिर ऐसे कार्यों के लिये दमन करने वाले अधिकारी पर कोई भी आरोप लगाने के लिए यह अदालत पूर्णतया शक्तिशाली नहीं है। फिर वह अदालत व परिषद की योग्यता भी स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। फिर उसी अदालत से वह प्रार्थना भी करता है, उसी पर विश्वास भी करता है और इसी बात के प्रभाव से वह अपनी मालिक-संस्था को कोई जवाब देने से भी इन्कार करता है।

अब मैं श्रीमान से ही पूछता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति इस राय का है कि कोई भी सार्वजनिक अदालत उसके कार्यों के लिये उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति नहीं रखती और ऐसी अदालत की योग्यता को वह चुनौती देता है तो क्या वह व्यक्ति यह सिद्ध नहीं करता कि वह अपने अपराध के सिद्ध हो जाने के डर से भाग रहा है? और अगर एक छोटे नौकर को उसके कार्यों के लिए अदालत तक नहीं लाया जा सकता तो गवर्नर-जनरल की क्या स्थिति होगी? आप श्रीमान लोगों में कई लोग निश्चय ही विदेशों में भ्रमण कर चुके हैं और कई ऐसे योरपीय देशों को देखा होगा जो पूरी तरह सुधरे नहीं हैं। वहाँ अनगिनत व्यक्ति गिरजाघरों मे शरण पाते हैं। वहाँ क्या ऐसा नहीं लगता कि देवालयों में, गिरजाघरों में शरण पाने वाले व्यक्ति अपनी अबोधता का प्रदर्शन करने में अपने अपराध का ही प्रदर्शन करते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स भी इसी तरह अदालत की शरण में मुकदमे के लिए नहीं आता बल्कि शरण पाने और अपनी सुरक्षा के लिए आता है।

आइए, अब उसके सम्पूर्ण कारनामों की समीक्षा करें। आइए, सुनें कि मिस्टर हेटिंग्स स्वयं समस्त मामलों को किस प्रकार आगे बढ़ाता है। न्याय की अदालत समाप्त कर दी जाती है। बंगाल का मामला समाप्त हो जाता है। एक प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर एलाईजा इम्पे, जैसा कि श्रीमान ने देखा है कि वह गवर्नर-जनरल के बहुत निकट सम्पर्क में था (हर स्थिति को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बातें निश्चय ही श्रीमान की स्मृति में ताजी होंगी।) अतः न्यायालय के निष्पक्षपाती होने से उसे डरने की भला क्या

आवश्यकता थी ? वह संभवतः यह जानता था कि कानून भी उसे बदमाशी करने से न रोकेगा, अतः कहीं भी भय की गुंजाइश न थी। और जो भी रहा-सहा भय था वह तो उड़ा ही दिया गया था क्योंकि उसके सहयोगियों ने उसका साथ देना बन्द कर दिया था और हर प्रकार से मुकदमे की कार्यवाही अयोग्य हो गई थी। उसे भय था कि योरप में उसकी प्रतिरक्षा न हो पाएगी लेकिन यहाँ मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और सदन मे वह कोई सफाई न देने को न्यायोचित बताता हे, यानी कहता है कि डाइरेक्टरों की परिषद उसके आरोप-मुक्त होने के संबंध में पूरी तरह संतुष्ट थी और उसने ऐसे महान व नामी लोगों के नाम लिए जिनका नाम बिना ईर्षा व द्वेष के कभी इस प्रकार घसीटा ही नहीं जा सकता। वह उनकी सम्मतियों को अपने पक्ष में उद्धरित करता है और आगे कोई भी सफाई देने से भागना या बचना चाहता है।

श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स इस बात से सतर्क है और यद्यपि उसे परिषद का भय नही है जैसा कि मैने ऊपर बताया है, उसको विश्वास था कि फैसला उसके विरुद्ध न जाएगा और इस आशा मे कि मुकदमा उठा लिया गया है। लेकिन एक चीज उसकी दृष्टि से छूट गई कि वह इंगलैंड मे पंचायत से कैसे बच सकेगा और यद्यपि मुकदमे का प्रारंभ डायरेक्टरों की परिषद से होना है एवं कुछ महान कानूनी रायों के अनुसार कुछ महान बातें उसके ही पक्ष मे थी। मै यह तो नहीं कहूँगा कि मित्रता व पक्षपात का न्याय पर प्रभाव पड़ता है। पर यह सत्य है कि डायरेक्टरों की परिषद ने बड़ी तीव्र गति से मामले को उठाया और परिषद ने कंपनी के ही मुख्तारो को पैरवी करने का अधिकार दिया। अतः स्वाभाविक था कि वे मुख्तार ऐसे व्यक्ति पर अभियोग सिद्ध करने में अवश्य ही पक्षपात का सहारा लेंगे जिसने उन्हें नौकरी दी है।

वकीलो ने तो मुकदमे के विरुद्ध कुछ नही कहा। लेकिन मुकदमे की अपनी शक्ति के अनुसार उन्होने शंका अवश्य पैदा की। क्योंकि ऐसा आश्चर्यजनक (?) अधूरा और बिगड़ा हुआ मामला उनके सामने रखा गया था कि उन्होंने मुकदमे के लिए दृढ सलाह नही दी और मेरे विचार से वे और आगे तक भी गए और मुझे सदन ने मुकदमा चलाने का अधिकार दिया है, मै भी यह कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में कोई भी निश्चय या दृढ़तापूर्वक मुकदमा बन सकेगा, ऐसी राय नही दे सकता। मामले के अधूरेपन को देख कर मेरे मन पर भी क्या प्रतिक्रिया होती, नहीं कह सकता, पर इतना अवश्य है कि मैं हिम्मत तो अवश्य ही करता तथा फैसला क्या होगा इस संबंध में सोच कर कभी भी न हिचकता।

अक्सर ऐसा है कि इस प्रकार के मामलों में ऐसे क्षण भी आते है कि आप श्रीमान किसी रूप में उन्हें महत्व न भी दें पर वे श्रीमान के मन पर कोई न कोई भार छोड़ ही जाते है। अब जो व्यक्ति कम्पनी का कानूनी सलाहकार है, मिस्टर

स्मिथ, इस पेशे का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उस समय भी वही कम्पनी के कानूनी सलाहकार थे। अब इस मुकदमे में वही मिस्टर हेस्टिंग्स के वकील बन कर आए हैं। अब यह स्पष्ट है कि उस व्यक्ति में कोई विशेषता अवश्य है कि विरोधी दलों का अलग-अलग कानूनी सलाहकार बन कर भी वह कम्पनी की नौकरी में बना रहा और बाद में जिस पर स्वयं उसने मुकदमा चलाया था उसी का वकील बन बैठा। यह उतना ही आश्चर्यजनक है जितना यह होगा कि हमारे व मिस्टर हेस्टिंग्स के वकील एक ही हों और एक ही वकील आपके सम्मुख दोनों ही पक्ष की बात रखें। यह सत्य तो है पर इसे सिद्ध करने की शक्ति हममें नहीं है कि यह कहूँ कि मिस्टर स्मिथ उस समय भी वास्तविकता में मिस्टर हेस्टिंग्स के ही वकील थे। और हम अब जो सिद्ध करना चाहेंगे वह केवल यह कि उसने जो भी मुकदमा तैयार किया वह ऐसा था कि उसके मुवक्किल की पूरी सुरक्षा बनी रह सके, न कि उचित मुकदमा बन सके कि उसका मुवक्किल फँस जाए। श्रीमान, अब मुझे आगे कहना है कि इस मुकदमे के संबंध मे वकील ने जो राय व सम्मति दी, यानी एक संशययुक्त सम्मति, तो अब मैं कह सकता हूँ कि वह सम्मति तथ्यों को गलत बता कर, तथ्यों को छिपा कर और गलत बातें जोड़ कर दी गई थी।

श्रीमान, यह अभियोग लगाते समय मैं अपने को एक बड़ी विचित्र, आश्चर्यजनक और अशोभनीय स्थिति में पाता हूँ। लेकिन यह ऐसी स्थिति है जिसमें सभी उल्टी व विपरीत स्थितियों के रहते हुए भी मैं अवश्य आगे बढ़ूँ। इस सम्बन्ध में मैं कई लोगों का नाम लेने को विवश हूँ। मैं उनका नाम नितान्त आवश्यकता के कारण ही लूंगा, जैसा कि श्रीमान आगे देखेंगे। मैं इस व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मैं समझता हूँ कि उसने जो भी मामला तैयार किया और विशेषकर वह भाग जिसे मैंने गलत तथ्यों पर आधारित कहा है, यह उसने कम्पनी के किसी न किसी कर्मचारी द्वारा दी गई सूचनाओं पर विश्वास करके ही बनाया होगा, जो उस समय अवश्य ही कम्पनी की नौकरी में नए-नए आ रहे होंगे या कच्ची बुद्धि के रहे होंगे। एक भारी भूल उसमें स्पष्ट रूप से हुई है लेकिन यह भूल किसके द्वारा हुई, यह श्रीमान जिरह व जाँच के सिलसिले में देख पावेंगे। सर्वप्रथम मैं जो अपराध लगाना चाहता हूँ वह है कि मामले को अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया गया। दूसरे, इसमें पक्षपात निभाया गया और बाद में एक अन्य रिपोर्ट द्वारा कमेटी के एक सदस्य या पदाधिकारी पर आक्षेप किया गया और अब श्रीमान, मैंने जो तीन आरोप लगाए हैं उनमें प्रारम्भिक दो यानी तथ्यों को गलत बताना और तथ्यों का छिपाया जाना, वे इस मामले में दिखाई देते हैं। लेकिन तीनों आरोप तथ्यों का गलत बताया जाना, तथ्यों का छिपाया जाना और गलत तथ्यों का बताया जाना इस रिपोर्ट पर लागू होते हैं।

यह मैं, जो राय या सम्मति दी गई है उसके प्रभाव से कह रहा हूँ, साथ ही

जनता के संतोष के लिए भी। मैं 'प्रभाव' शब्द का उपयोग करता हूँ तो चाहता हूँ कि इसका उचित अर्थ ही लगाया जाय। मेरा आशय है, इससे सम्बन्धित प्रभाव और अधिकार से। विद्वान लोगों की सम्मतियों को, चाहे जिस प्रकार भी प्राप्त की गयी हों, संभव है इस अदालत में महत्व न भी दिया जाय।

इस मुकदमे के संबन्ध में वह मिस्टर हेस्टिंग्स के वेतन व सुविधाओं और स्थिति का बहुत स्पष्टता से वर्णन करता है। मुझे इस बात के किसी भी भाग से कोई आपत्ति नही है। फिर वह आगे बढ़ कर कमैटी के कार्यों के संबन्ध में वक्तव्य देता है, परन्तु उसके विस्तार को जाने बिना हम घूसखोरी की बात को सिद्ध नहीं कर सकते। वह कहता है, बंगाल की वर्तमान उच्चतम कौंसिल द्वारा की गई जाँच जिसमे पहले के अधिकारियो के कारनामों को देखा गया और अनेक प्रकार के अभियोग स्थापित किए गये और पूर्व अधिकारियों के कार्यकाल में मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा अनुचित ढंग से रुपये लेने की बात भी स्थापित की गई। इन्हीं में मुन्नी बेगम से एक लाख पचास हजार रुपये लिए जाने का भी उल्लेख है, मुन्नी बेगम नाबालिग नवाब की अभिभावक थी।

इस वक्तव्य में सभी बातें बहुत उचित ढंग से व सत्य ही कही गई है। मिस्टर हेस्टिंग्स पर मुन्नी बेगम से डेढ़ लाख रुपये लेने का अभियोग नहीं था क्योंकि तब वह नाबालिग नवाब की अभिभावक न थी, पर उस पर नवाब की माँ को उसके पद से हटाने के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा डेढ़ लाख रुपये लेने का अभियोग था। नवाब की माँ उसकी स्वाभाविक व प्राकृतिक माँ थी और एक सौतेली माँ जो एक वेश्या थी, उसको उस स्थान पर बैठाया। अतः इस पद की प्राप्ति के फलस्वरूप मुन्नी बेगम ने मिस्टर हेस्टिंग्स को यह रकम उपहार व नजराने के रूप में दिया। अब इस बात से पूरे मामले की प्रकृति बदल जाती है। अपराध, जैसा मैंने कहा, दो तरह के स्पष्ट हैं, लेकिन दोनों प्रकार एक ही भ्रष्टाचार से संबन्धित हैं। प्रथम, दो लाख रुपये जो इस स्त्री को एक पद पर बैठाने के लिये दिये गए और दूसरा, डेढ़ लाख रुपयों का लिया जाना, ठीक इसी कार्य के लिए, परन्तु नज़राने के नाम पर। एक मामले, यानी दो लाख रुपयों के मामले में, गवाही कमजोर थी और पूरे प्रमाण स्थापित नही हो सके और डेढ़ लाख वाले मामले में गवाही मजबूत थी।

मेरा समस्त वक्तव्य, श्रीमान, केवल इसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये है। श्रीमान, हर व्यक्ति जानता है कि प्रमाण में कितनी सच्चाई है लेकिन यहाँ तो सभी प्रमाण को तोड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है और सब कुछ जैसे बिखर-सा गया है। श्रीमान देखेंगे कि जो प्रमाण व गवाहियाँ मजबूत हैं, उन्हें टाला गया है और कमजोर प्रमाण को महत्व व बढ़ावा दिया गया है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में कई प्रमाणों को दबाया या छिपाया गया है। जिन लोगों ने इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया या प्रस्तुत करने

में सहायता की, मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगाये। फल यह हुआ कि इस मामले के दुनिया के सामने स्पष्ट होने के स्थान पर इसमें उलझाव व बिखराव आ गया। अतः मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि प्रमाण प्रस्तुत करने में कोई कमी न थी बल्कि उसको उलझाने का ही प्रयास अधिक था। जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि समस्त कार्यवाही नकली व झूठी है और जिसे बाद में दबाया भी गया, तो मैं कहूँगा कि मेरा विश्वास है कि कोई भी गंभीर व्यक्ति ऐसा मानने को कभी तैयार न होगा क्योंकि कार्यवाही को उलझा कर सत्य को दबाया गया है।

श्रीमान, मैंने कार्यवाही में हुई भूलों और अव्यवस्थाओं की ओर संकेत करने का प्रयत्न कर लिया है और श्रीमान से चाहूँगा कि इंडिया हाउस के संबन्ध की कार्यवाही पर भी ध्यान दिया जाय।

मैंने अभी-अभी दोनों रकमों के संबन्ध में कहा है। पहले तो यह कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने डायरेक्टरों के सम्मुख संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, शायद वे ही ऐसा नहीं चाहते थे, और हम आपको दिखाएँगे कि घूसखोरी से प्रारम्भ होने वाला व्यापार किस प्रकार धूर्तता, झूठ और अव्यवस्था द्वारा ढाँका जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा लिया गया घूस किस प्रकार से नीचे तक के कर्मचारियों को भ्रष्ट करता है।

लेकिन डायरेक्टरों के सम्मुख उपस्थित मामले में प्रमाण के होते हुए भी विद्वान वकीलो ने सजा घोषित नही कराई। हमलोग जानते हैं कि सिद्ध मामलों में भी ऊँची अदालतों से अपराधी छुटकारा पा जाते हैं। कानून व न्याय से अभय प्राप्त व्यक्ति की तरह मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि उसने प्रतिरक्षा की पैरवी करने से अपने को रोका। उसने अपने मालिकों व दुनिया के सम्मुख इस संतोष का प्रदर्शन भी किया। लेकिन कानून के उस पक्ष के संबंध में उपयुक्त समय आने के पूर्व तक मैं चुप रहूँगा। फिर भी मुझे सन्देह है और इसके सशक्त कारण भी हैं कि इंडिया हाउस में चल रही सलाह सम्मति से हेस्टिंग्स ने कैसे शक्ति प्राप्त की।

यदि उस अवसर पर सभी संबंधित विद्वान वकील एक मत होते तो भी मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए यह कहना आवश्यक होता कि उसके पास और भी बड़े वकील हैं और उसे किसी प्रकार की सजा नहीं हो सकती। लेकिन श्रीमान इस वक्तव्य को एक द्विविधा वाली बात ही मानेंगे। डायरेक्टरों की परिषद ने भी उलटा रुख लिया। उन्होंने हर प्रकार से मिस्टर हेस्टिंग्स का ही पक्ष लिया। जब कि स्पष्ट था कि सजा के संबंध में वकीलों की राय एकमत न थी, फिर भी डायरेक्टरों ने उसी का पक्ष लिया।

एक और बड़ा व महत्वपूर्ण कारण था जो मिस्टर हेस्टिंग्स को ऐसा कहने को प्रोत्साहित कर रहा था—एक महान वकील जिन्हें आप सभी जानते हैं, मिस्टर सेयर एक ईमानदार, सच्चे, होशियार व्यक्ति जो काफी अरसे तक कम्पनी की

सेवा में भी रह चुके हैं और कम्पनी के हर मामले को खूब भीतर से जानते हैं, ने राय दी कि वह मामला न चलाया जाय। तब मिस्टर सेयर व अन्य विद्वान वकीलों से एक प्रश्न पूछा गया था, जो अचानक ही एक घटना द्वारा प्रत्युत्पन्न था, कि गवर्नर जनरल की हैसियत से मिस्टर हेस्टिंग्स को क्या कौंसिल भंग करने का अधिकार है या अगर वह कौंसिल को भंग घोषित करता है तो फिर सदस्य बैठ कर क्या कोई कानूनी कार्य कर सकते है या नहीं? उस समय वकीलों से किया जाने वाला यह प्रश्न एक महान प्रश्न था और इस प्रश्न पर मत भी भिन्न-भिन्न थे। मिस्टर सेयर ऐसे लोगों में थे जो ऐसी राय रखते थे कि गवर्नर जनरल को कौंसिल भंग करने का अधिकार है और भंग घोषित होने के बाद कौंसिल को कार्य करने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स के कारनामों के संबंध में उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप उसकी राय को अवश्य महत्वपूर्ण मानेंगे क्योंकि उसने तो मिस्टर हेस्टिंग्स के पक्ष में ही अपना मत दिया है— कौंसिल की बैठक गवर्नर की इच्छा पर ही आश्रित है, और मैं समझता हूँ कि बैठक की अवधि उसी पर निर्भर करती है। लेकिन गलत कारणों से कौंसिल को बंद कर देना एक महान अपराध था। मैं समझता हूँ कि वह सर्वप्रथम ऐसा गवर्नर था जिसने निर्दोष होते हुए भी उस कौंसिल को समाप्त किया जिसमे उसके कार्य-कलापों पर बहस होनी थी। कौंसिल को बुला कर समाप्त करने मे जितना समय लगा उतने मे वह सरलता से ऐसे कार्य के परिणाम को सोच सकता था।'

मिस्टर सेयर ने अन्य विद्वानों के साथ (क्योंकि अगर वह ऐसा नही था जैसा मैंने उसके संबंध में वर्णन किया है फिर भी कम्पनी के साथ उसके पुराने सम्पर्क व संबंध को देखते हुए उसकी राय तो स्वाभाविक ही महत्वपूर्ण है।) ऐसे सशक्त शब्दों का प्रयोग किया है कि मिस्टर हेस्टिंग्स के सच्चे अपराधों को सदा से ढंकने वाले लोगों की तरह वह भी उसके कारनामों को न्याय की सीमा में बाँधने को विवश था। मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए भी अपने पक्ष में कुछ न कुछ प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक था, पर उसने ऐसा नही किया। अतः वकीलों की राय व परिस्थिति के बावजूद भी जब डायरेक्टरगण उसके कारनामों की भर्त्सना कर रहे थे तब मिस्टर हेस्टिंग्स का यह व्यवहार उसके दोषी होने को और प्रमाणित करता है। इन सभी परिस्थितियों मे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इतना अपमान नहीं लाद सकता।

आपके दिमाग में यह संभावना यों ही छोड़ कर, बिना प्रमाण के उन पर बहस करने को स्थगित करके मैं मामले को छोटा करना चाह रहा हूँ।

और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका श्रीमान के सम्मुख आना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप मानते हैं कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने दो लाख रुपये लिए तो आप उसे दोषी मानेंगे और इस मामले को कोई और रंग दिए बिना ही यह मानना

पड़ेगा कि उसका यह कार्य अपने पद की प्रतिष्ठा, कानून और नियम व परम्परा के विरुद्ध था। यदि आप मानते है कि उसने डेढ लाख रुपये लिए जिसे वह स्वयं स्वीकार करता है पर नजराने के नाम पर, तो मैं इसके औचित्य के सम्बन्ध मे श्रीमान की सेवा मे निश्चय ही कुछ कहने की अनुमति चाहूंगा।

वह कलकत्ता से मुर्शिदाबाद गया, तीन महीने ठहरा और नजराने के नाम पर उसे दो सौ पौन्ड प्रतिदिन मिलते रहे। अब श्रीमान यह मैं आप के ही निर्णय के लिए छोड रहा हूं कि क्या ऐसा कोई नियम था, या नही था। मुझे लार्ड कोक के शब्द याद है जो उन्होने आयरलैंड के कानून के संबंध मे कहा था कि यह किसी प्रकार भी नियम नही माना जा सकता। एक गवर्नर को भी देश के कानून की सीमा मे रहना पडता है। अगर सचमुच मिस्टर हेस्टिंग्स को दावते खानी पडी या मनोविनोद के लिए मनोरंजक कार्यक्रमो मे भाग लेना पडा और उन उत्सवो मे भाग लेना पडा जो वहाँ की रीति-रिवाज के अनुसार थे, यदि खाली समय मे मन बहलाने के लिए उसके सामने नाचने वाली लडकियो द्वारा मनोरजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, यदि उसे मन बहलाव के लिए हुक्का पीना पडा और दूसरे मनोरंजक साधनो को स्वीकार करना पडा तो इस सबध मे काफी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे ऐसे कोई भी कार्यक्रम न थे जिनमे इतना रुपया खर्च हो सकता था।

लेकिन यदि ऐसे उत्सवो की चलन भी थी तो ऐसी रीति-रिवाजो से बचा भी जा सकता था। श्रीमान स्वयं देख सकते है कि क्या इन उत्सवो मे इतना खर्च हो सकता था? दो सौ पौड, एक व्यक्ति के एक दिन के मनोरंजन के लिए? लेकिन यदि इसकी सीमा हो या एकाध दिन की बात हो तो इससे किसी की भी हानि नही है, पर यदि मनोरंजन के ये कार्यक्रम एक-एक दिन कर के तीन महीने तक चलते रहे तो इन्हे हम मनोरजन स्वीकार करने वाले के धैर्य की सीमा मानेगे और मनोरजन के प्रबधक के अतुलनीय खर्च वहन की शक्ति की प्रशंसा करेगे। अत: यदि वह वहा की चलन के अनुसार था, तो तीन महीने तक लगातार इनका होना एक बुराई का प्रतीक है।

नियमानुसार मिस्टर हेस्टिंग्स की किसी प्रकार भी भत्ते के रूप मे भी चार सौ पौड से अधिक न लेने की सीमा निश्चित थी और उसमे भी एक सौ पौड से अधिक लेने के लिए अपने मालिक या कम्पनी के कौसिल की आज्ञा भी आवश्यक थी। लेकिन उसने कौसिल की आज्ञा बिना व उनसे छिपा कर सोलह हजार पौण्ड लिए। यह बात लगभग सभी लोगो से छिपाई गई, केवल मिस्टर हेस्टिंग्स के दलालो व मुन्नी बेगम को यह मालूम था। इसे इतना क्यो छिपाया गया? जब स्वागत-सत्कार, भोज व मनोरंजन आदि के कार्यक्रम होते हैं तो रोशनी के उजाले मे, सारी

दुनिया को दिखा कर, न कि छिपा कर। हाँ, पाप के कार्य अवश्य छिपाये जाते हैं। इस बात को भी छिपा कर रखने का एक ही कारण हो सकता है कि वह इसकी सार्वजनिक जानकारी के परिणाम से भयभीत था, हाँ, गुप्तदान की बात हमने सुनी है जिसमें दिए हुए धन की बात छिपाई जाती है। हमलोग भी जब दावतें करते हैं तो रोशनी से सारा शहर जगमगा देते हैं। दुनिया भर के परिचितों को बुलाते हैं। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स जंगली जानवर की तरह अकेले छिप कर दावत खाता है।

ये उत्सव उसकी यात्रा के संबंध में, उसके स्वागत में थे। क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने वहाँ की यात्रा की थी ? नहीं, वह मुर्शिदाबाद के बगल के एक गाँव में सरकारी कमीशन लेकर गया था न कि नवाब के यहाँ दावत खाने गया था। इसके विपरीत वह सरकारी जिम्मेदारियों के बोझ से लद कर गया था और उसके जाने का परिणाम क्या हुआ ? उस क्षेत्र में अकाल पड़ा। उस क्षेत्र के चौदह सौ राजवंशी अनाथ और निर्धन हो गये। वह वहाँ कष्ट का प्रतीक बन कर गया था।

मैंने इस काण्ड को बहुत गहराई में जा का देखा है और सारी बातो की जानकारी भी प्राप्त की है कि वहाँ इस प्रकार का कोई भी चलन या रिवाज न था, और यदि था तो उसका यह भयानक दुरुपयोग है। मैने देखा है कि उस वर्ष कम्पनी के खजाने से नगद रूप में गवर्नर की यात्राओ के लिए (जब कि उस वर्ष में इन तीन महीनों दावत खाने के सिवा उसने यात्रा नही की।) तीस हजार रुपये खर्च में लिखे है, यानी लगभग तीन हजार पौंड। जब हम हिसाब लगाते है कि गुप्त रूप से उसने तीस हजार पौड लिए, नजराने के अलावा जो भी हजारों की रकम होगी और कम्पनी ने भी उसकी यात्रा पर उस वर्ष तीन हजार पौंड खर्च किये तो भी क्या यह उचित था कि मनोरंजन के नाम पर गरीबों की रोटी छीन कर सोलह हजार पौंड हडप कर जाता ?

इस संबंध में एक दृष्टिकोण और है कि मुर्शिदाबाद में तीन महीने रहने के लिए उसने कम्पनी के खजाने से तीन हजार पौंड लिए। फिर उसे वेतन के नाम पर काफी मोटी रकम मिलती ही थी। उस पर भी तीन महीने में तीन हजार पौड यानी बारह हजार पौड वार्षिक ? यह बहुत बडी रकम है ?

यदि आप यह मानें कि कोई व्यक्ति मनोरंजन के भत्ते या नजराने के रूप में सोलह हजार पौंड ले ले और उसे घूस और भ्रष्टाचार न माना जाय तो यह मानना गलत होगा। फिर तो कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति काम का बहाना बना कर एक यात्रा करे और मनोरंजन के नाम पर कितनी ही बड़ी रकम ले ले और यह न घूस होगी, न भ्रष्टाचार, न अपहरण। यह भाग्य बनाने का अच्छा बहाना होगा।

फिर उसकी यात्राओं पर किसी प्रकार का अंकुश भी नहीं है। आप यदि यह उचित मान लें तो फिर इसके अर्थ होंगे कि इस नियम से गवर्नर-जनरल को शिक्षा मिलेगी कि वह राजधानी में बैठ कर कार्य संचालन करने के अतिरिक्त पूरे

राज्य मे बराबर घूमता रहे और अपने क्षेत्र के रजवाडो व धनी लोगो को बरबाद कर के धन संग्रह करे। फिर यह रोग या आदत केवल गवर्नर-जनरल तक ही सीमित न रहेगी, बल्कि कम्पनी के अन्य कर्मचारियो को भी मनोरंजन के भत्ते लेने की आदत पडेगी और नतीजा यह होगा कि कम्पनी के कर्मचारियो का समूह देश को लूटने वाली एक पलटन बन जायेगी।

श्रीमान देखेगे कि क्या इसमे कोई सन्देह की बात है? अन्य मनोरंजन संबंधी एक लाख के खर्चे का भी जिक्र मिलता है। फिर प्रमाण मे यह भी पता चलता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने दो लाख रुपये लिये है और एक लाख मिस्टर मिडिलटन ने। यदि ये दोनो व्यक्ति एक वर्ष तक नवाव के यहाँ दावत खाते रहते तो निश्चय ही नवाब का खजाना खाली हो जाता, लेकिन सौभाग्य की बात है कि वे लोग वहाँ केवल तीन ही महीने रहे।

श्रीमान, अब मै अपनी पहली बात समाप्त कर चुका। अब मुझे श्रीमान के सम्मुख दूसरी बात रखनी है।

श्रीमान के सम्मुख मैने जितने अपराध घोषित किए है, उनम एक है कि नवाब के अभिभावक के रूप मे मुन्नी बेगम जैसी एक स्त्री का निर्वाचन और उसकी योग्यता के नाम पर उसके पास सोलह हजार पौण्ड प्रतिवर्ष देने को घूस थी।

श्रीमान को अच्छी तरह मालूम है कि महान शासक मुहम्मद रजा खाँ को पदच्युत कर के उसके जिम्मेदार पद पर इस स्त्री का निर्वाचन हुआ था। गवर्नर-जनरल ओर कौंसिल (जिसमे सर जान क्लावरिंग, कर्नल मानसन और मिस्टर फ्रॉसिस का बहुमत था।) ने इसे अस्थायी प्रबंध कहा था, जब तक कि अधिकारी रूप से वे उचित प्रबध नही कर लेते। ठीक इसके बाद ही इंगलैड से वह पत्र आया जिसमे डायरेक्टरो की परिषद का संतोष व्यक्त किया गया था कि मुहम्मद रजा खाँ को मुक्ति मिल गई। उसके चरित्र के प्रति आदरभाव प्रदर्शित था, उसकी योग्यता की सराहना थी और उसको मिले कष्ट के लिए मुआवजा देने की ओर सकेत था और अंत मे स्पष्ट आदेश था कि उसे फिर से उसका पद दे दिया जाय। लेकिन उस देश मे उसकी नौकरी या उसके पद की बात इतनी स्पष्ट न थी और उन्होने आज्ञा देने मे भूल की कि उसके पद का स्पष्ट रूप से नाम नही लिखा। एक मुसलमान व उस देश के मुसलमानो का प्रधान होने के कारण उसका नाम एक ऐसे पद के लिए लिया गया जिस पद पर एक हिंदू का ही होना आवश्यक था। लेकिन अभी-अभी मैने जिस बहुमत की ओर इशारा किया है, जो अपनी जिम्मेदारी से तनिक भी न डिगने वाले लोग थे और जैसी आज्ञा थी, ठीक उतना ही करना भी चाहते थे, पर जब देखा कि मुहम्मद रजा खाँ, जो अपने मुकदमे व जेल-प्रवास के पूर्व दूसरे पद पर आसीन था, तो उन्होने उसे उसी स्थान पर बैठा

दुनिया को दिखा कर, न कि छिपा कर। हाँ, पाप के कार्य अवश्य छिपाये जाते है। इस बात को भी छिपा कर रखने का एक ही कारण हो सकता है कि वह इसकी सार्वजनिक जानकारी के परिणाम से भयभीत था, हाँ, गुप्तदान की बात हमने सुनी है जिसमे दिए हुए धन की बात छिपाई जाती है। हमलोग भी जब दावतें करते है तो रोशनी से सारा शहर जगमगा देते है। दुनिया भर के परिचितों को बुलाते है। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स जंगली जानवर की तरह अकेले छिप कर दावत खाता हे।

ये उत्सव उसकी यात्रा के संबंध मे, उसके स्वागत में थे। क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने वहाँ की यात्रा की थी ? नही, वह मुर्शिदाबाद के बगल के एक गॉव मे सरकारी कमीशन लेकर गया था न कि नवाब के यहाँ दावत खाने गया था। इसके विपरीत वह सरकारी जिम्मेदारियो के बोझ मे लद कर गया था और उसके जाने का परिणाम क्या हुआ ? उस क्षेत्र मे अकाल पड़ा। उस क्षेत्र के चौदह सौ राजवंशी अनाथ और निर्धन हो गये। वह वहाँ कष्ट का प्रतीक बन कर गया था।

मैंने इस काण्ड को बहुत गहराई में जा का देखा है और सारी बातो की जानकारी भी प्राप्त की है कि वहाँ इस प्रकार का कोई भी चलन या रिवाज न था, और यदि था तो उसका यह भयानक दुरुपयोग है। मैने देखा है कि उस वर्ष कम्पनी के खजाने से नगद रूप मे गवर्नर की यात्राओ के लिए (जब कि उस वर्ष में इन तीन महीनो दावत खाने के सिवा उसने यात्रा नही की।) तीस हजार रुपये खर्च मे लिखे है, यानी लगभग तीन हजार पौड। जब हम हिसाब लगाते है कि गुप्त रूप से उसने तीस हजार पौड लिए नजराने के अलावा जो भी हजारो की रकम होगी और कम्पनी ने भी उसकी यात्रा पर उस वर्ष तीन हजार पौंड खर्च किये तो भी क्या यह उचित था कि मनोरंजन के नाम पर गरीबो की रोटी छीन कर सोलह हजार पौंड हड़प कर जाता ?

इस संबंध मे एक दृष्टिकोण और हे कि मुर्शिदाबाद मे तीन महीने रहने के लिए उसने कम्पनी के खजाने से तीन हजार पौड लिए। फिर उसे वेतन के नाम पर काफी मोटी रकम मिलती ही थी। उस पर भी तीन महीने मे तीन हजार पौड यानी बारह हजार पौड वार्षिक ? यह बहुत बडी रकम है ?

यदि आप यह माने कि कोई व्यक्ति मनोरंजन के भत्ते या नजराने के रूप मे सोलह हजार पौड ले ले और उसे घूस और भ्रष्टाचार न माना जाय तो यह मानना गलत होगा। फिर तो कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति काम का बहाना बना कर एक यात्रा करे और मनोरंजन के नाम पर कितनी ही बडी रकम ले ले और यह न घूस होगी, न भ्रष्टाचार, न अपहरण। यह भाग्य बनाने का अच्छा बहाना होगा।

फिर उसकी यात्राओं पर किसी प्रकार का अंकुश भी नही है। आप यदि यह उचित मान लें तो फिर इसके अर्थ होगे कि इस नियम से गवर्नर-जनरल को शिक्षा मिलेगी कि वह राजधानी में बैठ कर कार्य संचालन करने के अतिरिक्त पूरे

राज्य में बराबर घूमता रहे और अपने क्षेत्र के रजवाड़ों व धनी लोगों को बरबाद कर के धन संग्रह करे। फिर यह रोग या आदत केवल गवर्नर-जनरल तक ही सीमित न रहेगी, बल्कि कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को भी मनोरंजन के भत्ते लेने की आदत पड़ेगी और नतीजा यह होगा कि कम्पनी के कर्मचारियों का समूह देश को लूटने वाली एक पलटन बन जायेगी।

श्रीमान देखेंगे कि क्या इसमें कोई सन्देह की बात है? अन्य मनोरंजन संबंधी एक लाख के खर्चे का भी जिक्र मिलता है। फिर प्रमाण से यह भी पता चलता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने दो लाख रुपये लिये हैं और एक लाख मिस्टर मिडिलटन ने। यदि ये दोनों व्यक्ति एक वर्ष तक नवाब के यहाँ दावत खाते रहते तो निश्चय ही नवाब का खजाना खाली हो जाता, लेकिन सौभाग्य की बात है कि वे लोग वहाँ केवल तीन ही महीने रहे।

श्रीमान, अब मैं अपनी पहली बात समाप्त कर चुका। अब मुझे श्रीमान के सम्मुख दूसरी बात रखनी है।

श्रीमान के सम्मुख मैंने जितने अपराध घोषित किए हैं, उनमें एक है कि नवाब के अभिभावक के रूप में मुन्नी बेगम जैसी एक स्त्री का निर्वाचन और उसकी योग्यता के नाम पर उसके पास सोलह हजार पौण्ड प्रतिवर्ष देने को घूस थी।

श्रीमान को अच्छी तरह मालूम है कि महान शासक मुहम्मद रजा खाँ को पदच्युत कर के उसके जिम्मेदार पद पर इस स्त्री का निर्वाचन हुआ था। गवर्नर-जनरल और कौंसिल (जिसमें सर जान क्लावरिंग, कर्नल मॉनसन और मिस्टर फ्राँसिस का बहुमत था।) ने इसे अस्थायी प्रबंध कहा था, जब तक कि अधिकारी रूप से वे उचित प्रबंध नहीं कर लेते। ठीक इसके बाद ही इंगलैंड से वह पत्र आया जिसमें डायरेक्टरों की परिषद का संतोष व्यक्त किया गया था कि मुहम्मद रजा खाँ को मुक्ति मिल गई। उसके चरित्र के प्रति आदरभाव प्रदर्शित था, उसकी योग्यता की सराहना थी और उसको मिले कष्ट के लिए मुआवजा देने की ओर संकेत था और अंत में स्पष्ट आदेश था कि उसे फिर से उसका पद दे दिया जाय। लेकिन उस देश में उसकी नौकरी या उसके पद की बात इतनी स्पष्ट न थी और उन्होंने आज्ञा देने में भूल की कि उसके पद का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिखा। एक मुसलमान व उस देश के मुसलमानों का प्रधान होने के कारण उसका नाम एक ऐसे पद के लिए लिया गया जिस पद पर एक हिंदू का ही होना आवश्यक था। लेकिन अभी-अभी मैंने जिस बहुमत की ओर इशारा किया है, जो अपनी जिम्मेदारी से तनिक भी न डिगने वाले लोग थे और जैसी आज्ञा थी, ठीक उतना ही करना भी चाहते थे, पर जब देखा कि मुहम्मद रजा खाँ, जो अपने मुकदमे व जेल-प्रवास के पूर्व दूसरे पद पर आसीन था, तो उन्होंने उसे उसी स्थान पर बैठा

दिया। क्योंकि यही उन्हें आदेश भी था। इसके अर्थ थे कि मुन्नी बेगम की सरकार का अंत। वहाँ की स्थिति पूर्ववत लौट आई और उचित लोगों को उचित स्थान भी मिल गया। अदालत की हर कुर्सी पर समझदार, गंभीर और विद्वान लोग बैठा दिए गए और मुन्नी बेगम उस स्थिति में उतर ही गई कि उसके जीवन में ही उसका पतन स्पष्ट हो गया था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस निर्देश का पूरी तरह विरोध किया। उसने पत्र के निर्देश की अवहेलना तो की ही, बल्कि उसके अर्थ को भी अनर्थ करना चाहा। लेकिन कौंसिल के बहुमत के आगे उसकी चल न सकी और मुहम्मद रजा खाँ अपने पुराने पद पर नियुक्त हो गया और उसके चरित्र के प्रति प्रतिष्ठा व सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह भी प्रचारित किया गया कि उसके प्रति शंका करने की भी गुंजाइश नहीं है। कौंसिल के वे बहुमत वाले सदस्य यहाँ के इंडिया हाउस के कई लोगों से सतर्क थे, साथ ही वे उन तमाम भ्रष्ट नीतियों के भी विरोधी थे जो भारत को नष्ट करने में भागी थीं। मिस्टर हेस्टिंग्स ने मुहम्मद रजा खाँ के पुनर्स्थापन को लेकर सशक्त विरोध संगठित किया और अपनी शक्ति भर मुन्नी बेगम का समर्थन किया। मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपना विरोध डायरेक्टरों तक पहुँचाया, लेकिन ज्यों ही डायरेक्टरों के सामने मामला आया उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और कौंसिल के बहुमत वाले सदस्यों—सर जान क्लावरिंग, कर्नल मॉनसन और मिस्टर फ्राँसिस की प्रशंसा भी की, जिन्होंने इस अवसर पर इतना उचित व सम्मानपूर्ण कार्य किया जिन्होंने पत्र के आशय को ठीक-ठीक समझा और कार्य किया। उन्होंने मुहम्मद रजा खाँ के पद की पुष्टि की।

श्रीमान, ठीक इसके बाद ही दो रहस्यमय मौतें हुईं—प्रथम कर्नल मॉनसन और दूसरा जनरल क्लावरिंग। मिस्टर हेस्टिंग्स अभी भी बहुत शक्तिशाली था, अतः उसके कार्य-कलापों व चाल-चलन पर बहुत कड़ी निगरानी रखी गई। आज भी वह उसी परिस्थिति में पहुँच चुका था जो १७७२ में उसकी स्थिति थी। लेकिन उसने क्या किया? सन् १७७२ ई० में जो किया था वही इस बार भी किया। उसने कम्पनी के आदेशों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए मुहम्मद रजा खाँ को पदच्युत किया और अढ़ाई लाख रुपयों का बँटवारा भी कर लिया। उसने तीन प्रमुख भागों में एक प्रमुख भाग स्थापित करने की योजना बनायी। सर्वप्रथम उस स्त्री के संबंध में, दूसरे न्यायालय के सम्बन्ध में और तीसरा गृह कार्यालय के संबंध में।

पहला मामला मुन्नी बेगम का था और उसने उसे नवाब को मिलने वाला समस्त भत्ता ही नहीं दिया बल्कि न्यायालय का अधिकार भी दिया। अढ़ाई लाख रुपयों यानी चौबीस-पचीस हजार पौंड का जो बँटवारा किया उसमें से मुन्नी बेगम के लिए प्रति वर्ष सात हजार दो सौ पौंड यानी बहत्तर हजार रुपये निश्चित किये गये, नवाब की सगी माँ को जिसकी स्थिति काफी छोटी बना दी गई थी, को केवल तीन हजार पौंड प्रति वर्ष और सदरुल-हक खाँ यानी मुख्य न्यायाधीश को मुन्नी बेगम

के बराबर यानी सात हजार दो सौ पौंड प्रति वर्ष मिले। फिर मालूम है कि दूसरा सरकारी अफसर कौन नियुक्त हुआ? राजा गुरुदास, राजा नंदकुमार का पुत्र। इसे उसने छ हजार पौंड प्रतिवर्ष का काम दिया, जिससे उसके पिता के नाम को लेकर किसी प्रकार का झगडा न हो सके। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अफसरो और नर्तकी मुन्नी बेगम के बीच भिन्न-भिन्न नामो से कितना धन वितरित हुआ उसका कही कोई हिसाब नही है। बल्कि नवाब के नाम का समस्त भत्ता नर्तकी मुन्नी बेगम और स्वय हेस्टिंग्स के बीच गुप्त रूप से बँटता रहा, जिसकी किसी को कानो-कान भी खबर न थी। बाद मे नवाब ने मिस्टर हेस्टिंग्स के पास प्रार्थना की कि वह अब बालिग हो गया और वह स्वतत्र राजा है एव उसे अपनी रियासत सम्हालने का स्वयं अधिकार है, अत वह उन अधिकारो की माँग करता है। लेकिन हुआ क्या? नवाब, मुन्नी बेगम और मिस्टर हेस्टिंग्स के हाथो की कठपुतली बना रहा और आप पत्र-व्यवहार देख कर जान जायेंगे कि इसमे किसकी क्या नीयत थी।

मै समझता हूँ कि इस पत्र-व्यवहार मे स्पष्ट हो जायेगा कि एक नर्तकी अभिभावक से छुटकारा पाने के लिए नवाब के प्रयत्नो के सबंध मे ये पत्र दुनिया के अनोखे पत्रो मे माने जायेंगे। नवाब ने लिखा है – 'बेगम (मुन्नी बेगम) ने निजामत चलाने के लिए जिस नीति का आश्रय लिया वह किसी और सूत्र द्वारा सचालित थी। मैं अब चाहता हूँ कि बेगम पूर्ववत अपने पद पर बनी रहे पर अपनी रियासत की देखभाल मैं स्वय करूँ।'

श्रीमान यह पत्र २३ अगस्त को प्राप्त हुआ था। अब श्रीमान दो बातो पर विशेष तौर से ध्यान दे। एक, नवाब ने मुन्नी बेगम के दबाव व प्रभाव से छुटकारा पाना चाहा है और वह नई रोशनी के प्रभाव मे चाहता है कि अकेली मुन्नी बेगम ही उसके सचालन के योग्य नही है बल्कि पूरा देश उसे सचालित करे। इससे नौजवान की अयोग्यता ही सदा बताई गई है और मिस्टर हेस्टिंग्स तथा लार्ड कार्नवालिस ने सदा यही प्रमाणित किया है कि सारी दुनिया भी यही समझे कि मुन्नी बेगम की नीति-रीति ही सर्वश्रेष्ठ थी। नवाब ने फिर २५ अगस्त को लिखा। पाँच दिन बाद बेसब्री व उतावलेपन से फिर लिखा। तीन सितम्बर को मिस्टर हेस्टिंग्स ने फिर एक पत्र प्राप्त किया। यानी एक के बाद एक लगातार चार पत्र आए। पर चारो पत्रो को श्रीमान देखे तो पावेगे कि पहले और चौथे पत्र मे बात बिल्कुल उलट गई है। चौथे पत्र मे लिखा है—'मै मर जाऊँगा, बरबाद हो जाऊँगा यदि मुन्नी बेगम को राजकाज चलाने की पूरी जिम्मेदारी न दी गई। क्योकि मेरा परिवार बेगम का अपना ही है, मेरी रियासत बेगम की ही है।' अब प्रश्न यह है कि नवाब के विचारो मे यह परिवर्तन क्यो? क्यों वह इतना चिंतित है कि यह बूढी नर्तकी ही उसके राज्य व परिवार की मालकिन बनी रहे? चाहे जैसे भी हुआ हो। कुछ ही महीनो बाद मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब को ही वह सर्वोच्च स्थान दे दिया। अब श्रीमान देखें और न्याय करे कि

मुन्नी बेगम के पक्ष मे नवाब की प्रार्थना के बाद भी नवाब को ही पद मिला, पर वास्तव मे राज्य कौन कर रहा था ?

श्रीमान, इन नियुक्तियो के ठीक बाद मे मुन्नी बेगम राज्य की मालकिन बनी रही, न्यायाधीश उसके अधीन थे राजा गुरुदास घरेलू मुख्तार था, पर परिणाम यह हुआ कि मुन्नी बेगम के मातहत न्यायाधीश जो एक ईमानदार व्यक्ति था किसी प्रकार भी अपना काम आगे न बढा सका और सितम्बर मे उसने मिस्टर हेस्टिंग्स के पास शिकायत लिख भेजी—'कुछ बुरे लोगो ने नवाब पर अधिकार कर रखा है, जिनके सकेत पर ही वह चलता है।' वह आगे लिखता है—'नवाब का मेरे प्रति बड़ा ही गंदा व्यवहार है। अत मुझे इस पद से हटा कर यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाइए जिसमे अपने मन जैसा काम लेकर नवाब लाभ उठा सके।' इसके ठीक बाद ही एक दूसरा पत्र आया जिसमे स्पष्ट लिखा था कि नवाब का दिमाग खराब करने वाला व्यक्ति कौन था यानी मुन्नी बेगम। अब ऐसी बातो मे आप स्वय परिणाम निकाल सकते है। न्याय के नाम पर केवल अत्याचार हो रहा था। हर प्रकार की जिम्मेदारी तक मे अधिकारियो ने खेल करना शुरु कर दिया था। धोखाधडी, अपहरण और चाल-बाजी व धूर्तता का ही सर्वत्र बोलबाला था। वह स्वय कहता है, 'मेरे पहुँचने के पूर्व ही बेगम के मन्त्रीगण ने, अपने सलाहकारो की सलाह से नवाब को रसीद पर हस्ताक्षर करने को विवश किया, जो रुपया उन्होने दो बार मे प्राप्त किया वो लगभग पचास हजार था, जो अदालत व फौजदारी आदि के अफसरो के नाम से लिए गए थे। इस प्रकार वे कम्पनी के खजाने से मनमाना धन लेकर नवाब से रसीद लिखवाते थे और तब मेरे पास भेजते थे।' उसी पत्र मे लिखा है—'इन लोगो ने हर प्रकार से नवाब को अपने अधिकार मे कर रखा था।'

श्रीमान देखे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस प्रकार इस निर्बल व स्वार्थी बुढिया के माध्यम से कम्पनी के रुपयो के सतत दुरुपयोग का प्रबन्ध कर रखा था और नवाब से जाली कागजातो पर दस्तखत करवा लेता था। इस शिकायत के तत्काल बाद दूसरी शिकायत आई जिसमे सर्वप्रथम तो मिस्टर हेस्टिंग्स के भ्रष्ट तरीको के सबंध मे था दूसरे उसका देश पर क्या दुष्प्रभाव पडता था इसका हवाला भी था।

नवाब ने पहले ही घोषित कर रखा था कि हर सरकारी कार्य वह स्वय देखेगा, लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स के दबाव डालने पर उसने घोषित किया कि वह अब सरकारी कामो मे कोई हस्तक्षेप न करेगा।

श्रीमान देखेगे कि शिकायत नवाब के विरुद्ध न की गई थी बल्कि मुन्नी बेगम के नौकरो के विरुद्ध थी। समस्त राज्य इस बुरी औरत और उसके बुरे मन्त्रियो के भ्रष्ट कारनामो से पीडित था। तभी उसने नवाब के नाम फिर एक पत्र लिखा—

महामहिम की इच्छानुसार मैंने सदर-उल-हक खाँ को अदालत व फौजदारी का समस्त कार्यभार सम्हाल लेने के लिए भेजा था और आशा की थी कि इससे जहाँ महा-

महिम को संतोष होगा, वहीं देश के लोगों की सुरक्षा की योग्य व्यवस्था हो सकेगी। लेकिन खेद का विषय है कि अदालत व फौजदारी के प्रबन्ध में कोई सुधार न हो सका और पूरे देश में लूट-मार व हत्याएँ पूरी तरह हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को इसका भार सौंपा गया उसमें शक्ति की कमी थी। अतः मैंने महा-महिम के सम्मुख स्थिति की गम्भीरता और आवश्यकता के संबंध में लिखा और सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को अधिकार देकर शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। देश की शांति व सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है।'

श्रीमान, देखिये मिस्टर हेस्टिंग्स की भ्रष्ट नीतियों के संबंध में हम कौन से प्रमाण प्रस्तुत करते है। यहाँ वह स्वयं बताता है कि देश में अराजकता फैली थी, पर इसका कारण वह स्वयं है जिसने उस दुश्चरित्र स्त्री को इतने जिम्मेदारी के पद पर बैठा रखा था। बार-बार वह अपराध पर अपराध करता जाता है फिर बाद में वह अपनी भूलों को और भ्रष्टाचार को स्वीकार भी कर लेता है। उसने मुन्नी बेगम को इतने जिम्मेदारी के पद पर बैठा तो दिया, पर जब उसने इस पद की शक्ति का दुरुपयोग शुरु किया तो हेस्टिंग्स को हिम्मत न थी कि वह उसे रोक पाता, बल्कि वह सारा दोष नवाब के सिर शोपता है। जब मुख्य न्यायाधीश ने शिकायत की कि इन सभी अपराधो की जड में मुन्नी बेगम है तब उसने बेगम को क्यो नही रोका ? उसमें इतनी हिम्मत ही न थी। क्यो कि घूस के मामले में वह उस स्त्री से दबा हुआ था। मुन्नी बेगम और एतबार अली खाँ, उसका मन्त्री, यही दोनों सारे अपराधों के मुख्य पात्र थे। मिस्टर हेस्टिंग्स एहसान के बोझ से दबा था, वह तो चौबीस हजार पौंड प्रति वर्ष पर बिका हुआ था। आप आगे देखेंगे कि अपना अपराध छिपाने में उसने मुन्नी बेगम व एतबार अली खाँ का किस प्रकार प्रयोग किया।

कौंसिल के सदस्यों का आदेश था कि हिसाब सब मुहम्मद रजा खाँ रखे क्योंकि पूरे देश मे वैसा सच्चरित्र व्यक्ति और कोई था ही नही। इस पर मिस्टर हेस्टिंग्स का क्या रुख था ? मुन्नी बेगम को तो उसने केवल पैसों की लालच से ही उच्चासन दिया था और नवाब का खजाना लूटने को भी। 'हम किसी तरह भी पिछली कार्यवाही को मान्यता नहीं दे सकते। नवाब मुबारक-उल-दौला की अर्जी कि नायब सूबेदार को निकाल दिया जाय। मुबारक-उल-दौला की माँग बड़ी अनुचित और शत्रुतापूर्ण थी। उसे मालूम होना चाहिए कि मुहम्मद रजा खाँ की नायब सूबेदार के पद पर पिछली नियुक्ति कंपनी के विशेषादेश से हुई थी। अतः हम अपनी घोषणा को दुहराते है कि मंत्री को हटाने के लिए नवाब व कंपनी की मित्रता को खतरे में डालना होगा।' फिर वह आगे कहता है, "नवाब की यह सूचना कि उसने मुहम्मद रजा खाँ के नायब सूबेदार पद पर होने के कारण निजामत के कार्य में बड़े कष्ट व अशान्ति का सामना किया है, तब आप के परिषद के एक सदस्य ने बहुत जोर दिया कि इस विषय पर नवाब के बार-बार आए पत्रों को पढ़ा जाय। लेकिन यह

न्यायपूर्ण माँग दबा दी गई और कारण बताया गया कि इससे परिषद के समय को बचाना, जिसे हम किसी प्रकार भी उचित कारण नही मान सकते। नवाब के २५ व ३० अगस्त, ३ सितम्बर और १७ नवम्बर के पत्रो ने हमारे मन मे कोई भ्रम न रहने दिया कि मुन्नी बेगम को आगे करना ही राजकाज सुधारने का एकमात्र मार्ग है। यही नही, उसे हर प्रकार के अधिकार व शक्ति से सज्जित करना और अपने पूर्व घोषणा व अभियोग को गलत मानना जिसमे कहा गया था कि मुन्नी बेगम ने अपने प्रभाव से नवाब के भत्ते की रकम के बहुत बडे भाग का गबन किया और हड़प लिया है।'

इस समय हम यह आवश्यक नही समझते कि यह फिर दुहराएँ कि मिस्टर हेस्टिंग्स के कारनामे ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादो के उल्टे थे, जो उसने उसे करने समय बनाए थे। लेकिन इस संबंध मे मैने जो वक्तव्य दिया है उसके संबंध मे मैं श्रीमान से कहूँगा कि आप उन तरीको व औजारो पर भी ध्यान दे जिनसे मिस्टर हेस्टिंग्स कार्य करता था। उस प्रान्त के बडे लोग, विशेषकर स्वय सूबेदार, नवाब, सभी को दोरंगी चाले चलनी पड़ती थी। नवाब जिसे उच्चतम शासकीय सम्मान की सुरक्षा का पद प्राप्त है वह शायद सब से अधिक विवश है, वह अपने इलाके व रियासत का राजा अवश्य है पर वस्तुत वह कपनी की सरकार का वेतनभोगी है।

जब मिस्टर हेस्टिंग्स उस पर दबाव डाल कर गलत व भ्रष्ट आचरण करने को कहता है तो उसका वेतन-भोगी का रूप स्पष्ट हो जाता है। जब हेस्टिंग्स नवाब से कम्पनी को चुनौती दिलाना चाहता है तो उसके स्वतन्त्र राजकीय सम्मान को महत्व देता है। हमने स्पष्ट देखा कि उसने किस प्रकार सभी आदमियो की नियुक्ति मे नवाब की अवहेलना की। अब कम्पनी ने इन तमाम अपराधो के लिए उसकी गर्दन पकड़ी और आदेश जारी किया कि मुहम्मद रजा खाँ को पुन नियुक्त किया जाय तो वह अवज्ञा प्रदर्शित करता है कि वह न्याय के नाम पर ऐसा नही कर सकता और उस गरीब आदमी नवाब को जो कुछ समय पहले तक मिस्टर हेस्टिंग्स के पावो-तले था उसे आवश्यकता पडने पर दिखावे के लिए स्वतन्त्र राजा घोषित किया। मै पूछता हूँ कि कम्पनी के आदेशो की अवज्ञा करने की शक्ति के पीछे मुन्नी बेगम की घूस की रकम का ही असर था या कुछ और?

एक और भी परिस्थिति है—वह नवाब की झूठी शक्ति को भी कम्पनी के लिए इस्तेमाल करता था और इसी बल पर उसने मोहम्मद रजा खाँ को नियुक्ति न दी और कहा कि वह न्याय के नाम पर कपनी का आदेश नही मान सकता (यद्यपि कम्पनी उसकी पूर्णरूपेण मालिक थी)। नवाब, जिसकी शक्ति का उसने प्रयोग किया, उसकी भला क्या शक्ति थी? नवाब हर प्रकार से मुन्नी बेगम और उसके बदमाश मंत्रियो का आश्रित था। श्रीमान, मानवीय महानता एक अडिग वस्तु है। मिस्टर फ्रांसिस, जिसने कभी भी जीवन मे नियम के विरुद्ध कार्य नही किया, उसकी भी

सिफारिश थी कि मुहम्मद रजा खाँ को नियुक्ति दी जाय। मिस्टर हेस्टिंग्स ने सतत विरोध किया। कारण बताया कि यह कार्य तो केवल नवाब के अधिकार का है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी विचित्र स्थिति पाई। कम्पनी के आदेशो की वह अवहेलना करता तो था, पर उसे कठिनाई भी उठानी पडती थी। यद्यपि कौसिल मे उसका वहुमत था फिर भी किसी भी मूल्य पर मिस्टर फ्रांसिस पर प्रभाव स्थापित करना उसके लिए अतिआवश्यक था। मिस्टर फ्रांसिस भी उस समय उलझन मे था (क्योकि यह सभी घटनाएँ बड़े असमय हुई जब मराठा युद्ध जोरो पर था।) और वह भी मिस्टर हेस्टिंग्स का विरोध समाप्त करना चाहता था। फलस्वरूप उसने मिस्टर हेस्टिंग्स की मित्रता स्वीकार कर ली। लेकिन इसकी कीमत क्या थी ? उसने मिस्टर हेस्टिंग्स से जो कुछ चाहा वह यह था कि वह कम्पनी के आदेशो को माने और कंपनी के आदेशो मे तत्काल मानने की बात थी कि मुहम्मद रजा खाँ को उसके पद पर पुन स्थापित किया जाय।

आप सुन ही चुके है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस तरह कंपनी के आदेशो की अवहेलना की। पहली सितम्बर को उसने नवाब को लिखा कि वह अपना अधिकार मुहम्मद रजा खाँ को दे दे। यह कार्य एक प्रकार से नवाब को सिंहासन से उतारने जैसा ही था। यह आज्ञा पहली सितम्बर को भेजी गई। तीसरी को नवाब ने सारे अधिकार मुहम्मद रजा खाँ को सौप दिए।

मुहम्मद रजा खाँ पुन पदासीन हो गया, लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स की यह नीचता थी कि यद्यपि उसने नवाब को लिखा कि कंपनी की आज्ञानुसार ऐसा किया जा रहा है लेकिन यह भी लिखा कि मुहम्मद रजा खाँ इस पद पर तभी तक रहेगा जब तक उसे इगलैड से उत्तर नही मिलता। फिर उसने उसे एक दूसरा पत्र भी लिखा कि जल्दी ही वह मुहम्मद रजा खाँ को पदच्युत कर देगा। और जिस क्षण उसने अनुभव किया कि मिस्टर फ्रांसिस अब उसे परेशान न करेगा, उसी क्षण उसने फिर मुहम्मद रजा खाँ को मुख्तारआम के कार्य से अलग कर दिया और उसे केवल इतना अधिकार दिया कि वह एक साधारण मजिस्ट्रेट भर बना रहे। बार-बार के यह उलटफेर मिस्टर हेस्टिंग्स ने केवल अपने व्यक्तिगत व भ्रष्ट स्वार्थों के लिए किए।

श्रीमान, अब मैं मुन्नी बेगम से संबंधित भ्रष्ट कारनामो के संबंध मे कह चुका कि यह कोई मामूली अपराध न थे वल्कि जनता के प्रति विश्वासघात था। यह आदेशो के प्रति घात था, अंग्रेजी सरकार के प्रति घात था और स्थानीय सरकार की वरबादी थी। यह सब बाते इस मामले मे संबंध रखती है। अत आज संसद के सदस्य दुनिया के सामने यह कह पाने का मुँह रखते है कि हमने एक महान अभियोग का मामला आपके सामने उपस्थित किया और न्यायप्रिय उच्चासीन लोग इस संबंध में निर्णय दे।

अब हमें इससे अधिक कुछ नहीं कहना है सिवा इसके कि मिस्टर हेस्टिंग्स का रिश्वत लेने के क्या परिणाम हुए। क्योंकि मिस्टर हेस्टिंग्स का रिश्वत लेना उसका व्यक्तिगत अपराध मात्र नहीं है, यह भयंकर राजकीय अपराध है। मैं यह दिखाऊँगा कि सन् १७७३ में उससे यह सब बन्द करने को कहा गया था, पर उसने नहीं सुना और जानबूझ कर इस आदेश से कतराता रहा। दूसरे, भ्रष्टाचार पर अधिकार रखने के लिए उसने भ्रष्ट तरीके भी अपनाए।

श्रीमान, यह एक पत्र आपके सम्मुख है, सन् १७७३ का, जिसमें डायरेक्टरों की परिषद ने उसके कुछ कार्यों को स्वीकार किया है, लेकिन किस प्रकार उसने बाद में कार्य किए और अपने साथ अन्य कर्मचारियों को भी भ्रष्ट किए।

संसद के सदस्यों के पास मिस्टर हेस्टिंग्स के भ्रष्ट कारनामों के संबंध में लगातार और भारत में बढ़ती बुराइयों की खबरें आती रहीं। डायरेक्टरों की परिषद ने जाँच-पड़ताल शुरु कर दी, पर ईश्वर जाने कि उन्होंने कैसे क्या किया। कई साल इस चक्कर में निकल गए और अंत में जब सन् १७८२ में डायरेक्टरों पर स्वयं आक्षेप लगने लगे तो विवश हो कर उन्होंने लिखा– 'तुम्हें बार-बार स्पष्ट रूप से लिखा जाता रहा, फिर भी कम्पनी के खजाने से होने वाले गबन के संबंध में अभी तक संबधित लोगों पर चलाए गए मुकदमों की प्रगति की कोई सूचना नहीं दी।'

श्रीमान, यहाँ थोड़ी देर के लिए न्याय को नींद आ गई थी। डायरेक्टरों ने लिखा कि मुकदमे चलाए जाने चाहिए। फिर वे चले या नहीं, पता नहीं। उन्होंने लिखा कि उन मुकदमों की विस्तृत सूचना मिलनी चाहिए, जिससे कि उनके संबंध में आदेश जारी किए जा सकें।

श्रीमान ने कंपनी के आदेशों को देखा। क्या उन्होंने मुकदमे नहीं चलाने चाहे ? उन्होंने उनकी विस्तृत सूचना चाही, जिससे भविष्य का कार्यक्रम वनाया जा सके। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक भी आदेश का पालन नहीं किया बल्कि उसने दूसरा रास्ता अपनाया। वह कहता है, 'सभी कार्यवाही को अच्छी तरह देख कर व समझ कर······।'[1] उसने कतराने का अपना पुराना ढंग अपनाया। कम्पनी की आज्ञा न मान कर वह अपना ही आदेश चलाता है—स्वयं मुकदमों का फैसला करता है, अपने मालिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है।

अब हम उसकी रिश्वतखोरी के परिणामों पर आते हैं। जब कम्पनी का आदेश होता है कि वह मुकदमे चलावे तो वह मुकदमों का फैसला देता है और वह सब देख कर हम जो भी धारणा बनाते हैं वह किसी तरह भी गलत नहीं है।

---

१. दस्तावेज गायब है।

हमारी धारणा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराध को प्रश्रय न देगा जब तक वह स्वयं अपराध में भागीदार न हो। और फिर चौदह साल तक इस प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहन देने के अर्थ है कि वह स्वयं कारण है उन तमाम बुराइयों, अपहरण, दुर्घटनाओं और रिश्वतखोरी का।

मैं कहना चाहूँगा कि जब वह उस बदनाम औरत मुन्नी बेगम के हाथों सरकार की बागडोर रखने में असमर्थ रहा तो उसने दूसरी चाल चली। उसने कम्पनी के नाम भावनाओं से भरा एक पत्र लिखा और उसमें मुन्नी बेगम की अत्यन्त दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया और कम्पनी को सलाह दी कि उसे बहत्तर हजार रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन दी जाय। उसने उस धूर्त औरत की स्थिति का वर्णन इतने कारुणिक शब्दो मे किया कि किसी भी पढ़ने वाले का दिल पिघल जाये। और उसके लिखने की सत्यता का इसी से पता चलेगा कि जिस औरत की गरीबी, दरिद्रता और करुणा का इतना वर्णन हेस्टिंग्स ने किया उसी के संबन्ध में लार्ड कार्नवालिस ने सिद्ध किया कि उसने मुबारक-उल-उद्दौला को बीस हजार पौंड उधार दिए थे। मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए मुन्नी बेगम को बहत्तर हजार रुपये पेंशन दिलाने की यह कोशिश करना आवश्यक था क्योंकि डर था कि उस औरत की स्थिति सुदृढ किए बिना ही यदि उसे कम्पनी की नौकरी छोड देनी पडी तो संभव है बाद मे उसी के माध्यम से उसके भ्रष्टाचार की पोल न खुल जाये। वह मुन्नी बेगम को, समस्त कर्मचारियो को, समस्त देश को जानता था इसीलिए सर जान डि' ऊले को उसने यही बताया कि यही सब लोग सारे भ्रष्टाचार के कारण है। इसीलिए उसने नवाब को विवश करके सर जान डि' ऊले को उसका एजेण्ट नियुक्त कराया जिससे कि उसका मुँह सदा के लिए बंद रहे और भविष्य में भी एक लाख साठ हजार पौड प्रतिवर्ष की आमदनी निश्चित रहे और उसे कभी रिश्वतखोरी मे मिली रकमो का जवाब न देना पड़े।

घूस और रिश्वतखोरी के सम्बन्ध मे हमे जो कुछ भी कहना था, हम कह चुके।

हाँ, रिश्वतखोरी का एक ढंग और है जिसका जिक्र मैं पहले कर दूँगा, अपने मित्रो के प्रमाण पेश करने के पहले ही। उसने देश के हर बड़े पद की बिक्री की, उसने राजस्व के नियमों को तोडने के लिए राजस्व में भी अव्यवस्था फैलायी।

दूसरे दिन जब श्रीमान फिर बैठेंगे (मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत समय न लूँगा) तब मैं रिश्वतखोरी के दूसरे अध्याय को प्रारंभ करूँगा।

नौवें दिन की कार्यवाही

[५ मई, सन् १७८९]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, अभी-अभी आपकी आज्ञा हमने सुनी है और उससे सहमत होते हुए और संसद सदस्यों द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे देखते हुए, मैं बंगाल के गवर्नर जनरल, मिस्टर हेस्टिंग्स के विरुद्ध अभियोग सिद्ध करूँगा, जो आज आप के सम्मुख कटघरे में खड़ा है।

श्रीमान, पिछली बार जब इसी स्थान पर श्रीमान के सम्मुख खडे होने का मुझे सौभाग्य मिला था, उसके बाद एक घटना घटी है जिसके सम्बन्ध में कहना तो कठिन है ही, चुप रहना और भी अधिक कठिन है। मैं यहाँ जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उन्होने मुझे सतर्क किया है। इस सतर्कता के आदेश के साथ ही मुझ पर उत्तरदायित्व सौंपा गया, पाबंदिया लगाई गई है और नए अधिकारों के साथ मैं यहाँ फिर भेजा गया हूँ। श्रीमान, परिस्थिति नई है और भयानक है, ऐसी परिस्थिति मेरे विचार से न तो कभी इस संसद के सम्मुख या सम्पूर्ण मानवता के इतिहास के ही सम्मुख कभी आई थी।

मैं जहाँ एक ओर अपने को उत्साहित अनुभव करता हूँ, वही अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क भी हूँ जिससे आज मेरी अपनी प्रतिष्ठा, मेरा जीवन ही नही जुडा है बल्कि महान ब्रिटेन की न्यायप्रियता व प्रतिष्ठा भी जुड़ी है।

श्रीमान, मै आपके सामने संसद-सदस्यो का प्रस्ताव पढ़ूँगा जो उन्होने इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्वीकार किया है, जिसके संबंध में कुछ शब्द कहने की आज्ञा भी चाहूँगा।

श्रीमान, संसद सदस्यों ने कल रात को यह प्रस्ताव पास किया है, पर आज सबेरे के पहले मुझे इसे देखने का अवसर नहीं मिला था—'वारेन हेस्टिंग्स पर महा-अभियोग सिद्ध करने के लिए बनी कमेटी को संसद सदस्यों ने कभी यह आदेश या अधिकार नही दिया था कि वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध, नन्दकुमार की फाँसी को लेकर कोई चर्चा की जाय। और माननीय एडमंड बर्क के द्वारा कहे गए शब्द, कि उसने ही नन्दकुमार की हत्या की या सर एलाइजा इम्पे द्वारा हत्या हुई, की चर्चा अवांछनीय है।'

श्रीमान, संसद के सदस्यों का यह प्रस्ताव है।

श्रीमान को याद होगा कि यह मामला जो हमने श्रीमान के सामने खोला है वह राजा नन्दकुमार की गवाही पर पूरी तरह आश्रित है और मैंने यह अपना कर्तव्य समझा कि उस व्यक्ति को उसका मान मिले। मुझे मालूम था कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने प्रारंभ मे ही इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा इस न्यायालय मे घटाने की पूरी कोशिश की है, अत मैंने यह न्यायासगत समझा कि श्रीमान को सूचित करूँ और उसे सतर्क करूँ कि यदि उसने एक प्रमुख गवाह की प्रतिष्ठा पर हाथ लगाया तो सिद्ध करूँगा कि उसके प्रति न्याय का नाटक खेल कर उसकी हत्या की गई है और इस बात की जाँच होनी चाहिए।

श्रीमान, मै यह स्वीकार करता हूँ कि उस बडे देश के शासन मे जिसका प्रमुख हाथ हो और प्रति वर्ष के पन्द्रह सौ हजार पौड के राजस्व का अधिकारी हो, उसे मैने व्यक्तिगत निर्णय से बुरा नही समझा, जिसे कलकत्ते मे हुई जालसाजी का एक भागीदार कहा गया हो, उसे तब तक न्याय का निर्णय सुनने के लिए बद रखा गया हो, जब तक अग्रेजी कानून मे लैस अग्रेजी न्यायाधीश कलकत्ता नही पहुँच जाते। और मजे की बात तो यह है कि उस समय वह भी वारेन हेस्टिंग्स पर घूसखोरी का ही अभियोग लगा रहा था जो अभियोग आज यहाँ ससद के सदस्य गण उस पर लगा रहे है।

अव मै श्रीमान के सम्मुख मिस्टर हेस्टिंग्स का बचाव के लिए उत्तर पढ कर सुनाऊगा– 'मुझ पर अभियोग लगाने वाले (यह सकेत मेरी ओर है) मुझ पर यह अभियोग लगाते है कि मैने बहुत बडी रकम ली और भ्रष्ट उपायो से ली और कानून तथा प्रतिष्टा के विपरीत कार्य किया। मार्च १७७५ मे, स्वर्गीय राजा नन्दकुमार, स्थानीय उच्च जाति का एक उच्च हिन्दू और स्थानीय सरकार के प्रमुखतम उच्चाधिकारी ने कौसिल के सम्मुख बहुत से रुपयो का हिसाब प्रस्तुत किया। ·····इससे प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही सतर्क होगा, चाहे वह नदकुलार के चरित्र को न जानता हो, कि एक उच्च जाति के उच्च पद का व्यक्ति अभियोग लगावे लेकिन तब जब वह अपने राज्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान से हाथ धो चुका हो। जो व्यक्ति मुन्नी बेगम और नवाब जितेरामुद्दौला के पत्रो को जालसाजी मे पकडा जा कर डायरेक्टरो की आज्ञा से कलकत्ता को सीमा मे ही कैद हो और जिसने व्यक्तिगत जीवन मे कभी साधारण सा सत्य भी न बोला हो, उसकी गवाही या उसके द्वारा लगाए गए अभियोग पर ब्रिटेन के मंत्रीगण व आप लोग ध्यान देंगे।'

श्रीमान, जिन सदस्यो का मै प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उनकी प्रतिष्ठा व सम्मान को ध्यान मे रख कर आपके सम्मुख क्षमा-प्रार्थी हू कि अपने ऊपर लिए गए कार्य-भार के महत्व को समझते हुए तो मैने 'हत्या' शब्द का प्रयोग किया है। हमारी भाषा ने किसी विशेष अर्थ के लिए हमे यह शब्द दिया है। अपनी भावना

को सही रूप में व्यक्त करने की आशा में ही यह शब्द मैं प्रयोग में लाया हूँ। नैतिक व सार्वजनिक रूप से प्रयोग में आने वाले अर्थ से ही मैंने इस शब्द को महत्व दिया है। मैं राष्ट्र के कानून व संविधान से अपरिचित नहीं हूँ।

श्रीमान; कटघरे में खड़े कैदी ने सन् १७८० में संसद के नाम पत्र लिख कर मुख्य न्यायाधीश सर एलाइजा इम्पे की शिकायत की थी। संसद को तब मुझ पर थोड़ा भरोसा था और अब तक है। संसद ने मुझे आज्ञा दी जब कि मुझसे अधिक योग्य कानूनदाँ लोग यहाँ हैं, कई अभी भी मेरे पास ही खड़े हैं। उस देश के मामलो पर अच्छी तरह जाँच हुई है। उस जाँच का परिणाम हुआ कि हम लोगों ने शिकायत करने वाले तथा जिसकी शिकायत की गई है दोनों के प्रति सशंकित हो उठे और भारत की जनता की ओर से संसद के सदस्यों के सम्मुख अपनी माँग रखी और यदि श्रीमान ऊबें न हों तो मैं श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ—समस्त रिपोर्टें, समस्त प्रमाण, जितनी कुछ भी प्रगति हम कर सके है, इन आठ या नौ बरसों मे।

इस समय इस संबंध में वारेन हेस्टिंग्स का उत्तर भी मैं पढ़ूँगा जो उसने संसद के नाम भेजा था, 'इस अभियोग का दूषित भाग, जो जालसाजी के लिए नन्दकुमार को सजा देने के संबंध में है, मैं घोषित करता हूँ, बहुत ईमानदारी व स्पष्टता से कि इस संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में मैं किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हूँ। नन्दकुमार के कारनामों, मुकदमे और सजा किसी भी बात से मेरा कोई संबंध नही है। उस पर जालसाजी का अपराध लगा जो उसने एक व्यक्तिगत मामले में की थी और उस पर दीवानी अदालत में मुकदमा चला······।'

श्रीमान, संसद सदस्यों के सम्मुख मिस्टर हेस्टिंग्स का यही प्रतिरक्षा-पत्र था। अपनी पैरवी में वह अपराध स्वीकार तो करता है, फिर भी कहता है कि सारी कार्यवाही दूषित भावना से चलाई गई और मैं आशा करता हूँ कि श्रीमान व संसद के माननीय सदस्य उसके द्वारा लगाए गए दूषित आक्षेप पर ध्यान न देंगे।

मैं यहाँ अपनी सीमाओं से घिरा हूँ। मुझे किसी भी रूप में नन्दकुमार की वकालत या उसके मुकदमे या सजा के संबंध में और मिस्टर हेस्टिंग्स के संबंध में कुछ नहीं कहना है, लेकिन दूसरे मामलों में, उसके व हेस्टिंग्स के संबंध में, मैं आशा करता हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से तथा संक्षेप में सिद्ध कर सकूँगा कि तथाकथित जालसाजी के लिए नन्दकुमार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि मिस्टर हेस्टिंग्स पर यह अभियोग हो सकता है कि जालसाजी के गलत मामले को इस प्रकार महत्व व बढ़ावा दिया क्योंकि इसमें उसका अपना स्वार्थ निहित था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने नन्दकुमार पर दो अन्य जालसाजी का अभियोग लगाया है। वह कहता

है, 'यह दोनों जालसाजियाँ कागजातो में लिखी है, जिन्हें अपराधी अपने ही पक्ष में पेश करता है, यह मुन्नी बेगम और नवाब जेतरम-उल-द्दौला के दो पत्रो की जालसाजियाँ करने के संबंध में है।' वह कहता है कि संसद के समक्ष मरकारी कागजात है और कम्पनी से मलाह लेकर यह मुकदमा उस पर चलाया गया और उसे दोषी सिद्ध करने मे सफलता प्राप्त की गई। उमके छपे हुए वक्तव्य मे अगले पृष्ठों को देखा जाय तो एक बडी आश्चर्यजनक बात मिलेगी। आपने सोचा होगा कि जालसाजी जैमा वह कहता है मरकारी कागजो मे सिद्ध और प्रमाणित हो चुकी है, वह तो मुन्नी बेगम, द्वारा अभियोग आरोपित था। इसके अलावा कोई दूसरा अभियोग नही है वहाँ, हाँ वारेन हेस्टिंग्स के अपने अभियोग को छोड कर। वह चाहता है कि एक एक व्यक्ति को जालसाजी का आप अभियोगी मान ले, वह भी किमी अन्य प्रमाण पर नही, उसके अपने ही प्रमाण पर। वह कहता है, 'आप को अच्छी तरह ज्ञात है कि मैंने नन्दकुमार पर विश्वास नही किया क्योकि मुझे कई वर्षो के अनुभव से उसके चरित्र का पूरी तरह पता लग गया था। लेकिन मेरा विश्वास पाने के लिए उमने जो रास्ते अपनाए वे सभी आश्चर्य-जनक थे। उमने मद्रास मे मेरे पास प्रतिनिधि भेजा, जब उसे इस प्रेसीडेंसी मे मेरी नियुक्ति की मर्वप्रथम सूचना मिली। वह व्यक्ति अपने माथ मुन्नी बेगम और नवाब जाफर अली खॉ के भाई नवाब जेतरम-उल-द्दौला के जाली पत्र लाया जिनमे मुहम्मद रजा खॉ की बहुतेरी शिकायते थी और नन्दकुमार के संबंध में पक्षपात की बाते लिखी थी। मुन्नी बेगम ने सूचित किया कि वह पत्र जिस पर उसकी मुहर लगी है पूरी तरह जाली पत्र हे। वह पूर्णतया इस बात मे अनजान है कि उसके नाम का कब क्या प्रयोग किया गया है। यह बात उसे नन्दकुमार के दामाद जगत चन्द्र से पता लगी जिसे उसके पास इस बात के लिए राजी करने को भेजा गया था कि वह इस जाली पत्र को स्वीकार कर ले। इस अवसर पर बेगम ने मिस्टर मिडलटन से सलाह ली थी जिनसे इस कहानी की सत्यता का प्रमाण मिलेगा।'

श्रीमान, मिस्टर मिडलटन अब मर चुके है। यह वह मिस्टर मिडलटन नही हे जिनके बारे मे श्रीमान सुन चुके है और जो इस सदन के लिए पूर्व परिचित है बल्कि उनके भाई मिस्टर मिडलटन की चर्चा है जो अब मर चुके है।

श्रीमान देखे कि जब हम इस जालसाजी की पुष्टि के लिए कम्पनी के दस्तावेजो की चर्चा करते है तो हमे मिस्टर हेस्टिंग्स ही दोषी दिखाई पड़ता है। मिस्टर हेष्टिंग्स इस अभागे व दुखी व्यक्ति पर अभियोग लगाता है कि उसने दूसरी भी जालसाजी की। हम उसकी वकालत नही करते। मिस्टर हेस्टिंग्स उस पर जेतरम-उल-द्दौला के दूसरे पत्र की जालसाजी का अभियोग लगाता है। वह और आगे बढ कर कहता है, 'मुझमें अब तक इस सम्बन्ध मे नवाब जेतरम-उल-द्दौला से पूछने की उत्सुकता नही जागी थी कि पत्र उसके ही मुहर वाला था

क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरे मन में कोई संदेह न था।'

अब यहाँ वह इसी मामले में जो करता है सब श्रीमान के सामने है। वही मुन्नी बेगम के नाम के पत्र को जाली पत्र बताता है और उसके संबन्ध में उसके पास कोई सबूत नहीं। साथ ही जेतरम-उल-द्दौला के नाम के पत्र को भी वह जाली कहता है, पर उसके संबन्ध में भी नवाब से सच्ची स्थिति जानने की उसके मन में उत्सुकता नहीं जागी। फिर भी वह चाहता है कि आप भी उसकी बात को सच मानें व उसी पर विश्वास भी करें। हे भगवान ! एक राज्य के जिम्मेदार पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति कैसे आप ही बात थोपना चाहता है जब कि न तो कम्पनी के कागजातों में उसके पक्ष में कुछ है, न उसी के पास अपनी बात के पक्ष में कोई प्रमाण है और जब वह स्वयं कहता है कि उस बात की सचाई की जाँच करने की उसके मन में कोई इच्छा नहीं जागी। अब प्रश्न है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कैसे और प्रमाणित आधारों पर देश के एक सम्मानित व्यक्ति पर जालसाजी के अभियोग लगाए और नंदकुमार के विरुद्ध षड़यंत्र रचा। इसके लिए न तो किसी ठोस घटना का जिक्र है न संबन्धित परिस्थिति ही स्पष्ट है।

दार्शनिक क्रान्ति के समय एक सुपरिचित स्थापना प्रचलित थी कि एक व्यक्ति अगर अपनी कोई हड्डी या अंग खो देता है तो उसकी शक्ति बचे अंगों व हड्डियों को प्राप्त हो जाती है। यदि तलवार की नोक व ऊपरी भाग टूट जाता है तो बचे भाग से ही लड़ता है।

इस मामले के काफी तह तक जाकर मैं श्रीमान से कहूँगा कि मुझे मिस्टर हेस्टिंग्स के दूसरे भ्रष्टाचार के संबन्ध में कहने का अवसर दें। श्रीमान उसकी घूसखोरी इतनी विस्तृत है और अनेक रूपों में फैलती है, अतः इसके संबन्ध में विचार करते समय इसके रूपों के अनुसार इन्हें अलग-अलग से देखना संभव न होगा, बल्कि विशेष अपहरण, भ्रष्टाचार व घूसखोरी से संबन्धित काल से ही इसका विभाजन संभव हो सकता है। उस समय-विशेष को ध्यान में रख कर सर्वप्रथम, मेरा विश्वास है कि सिद्ध करने मे मुझे सफलता मिलेगी, उस घूसखोरी की बात जिसमें साढ़े तीन लाख रुपये लेकर मिस्टर हेष्टिंग्स ने मुन्नी बेगम की नियुक्ति की। इस काल में मिस्टर हेस्टिंग्स के साथ घूसखोरी जैसे सहज स्वाभाविक रूप में जुड़ गई थी। वह घूस लेता था। बड़ी से बड़ी संभव रकम लेता था। वह उस घूसखोरी को जितना संभव होता छिपाता भी था और बड़ी निर्भयता तथा साहस से उन चक्करों मे निकल भी आता था। अपनी शक्ति भर पूरी बुद्धिमानी व चतुराई का प्रयोग करता था। वह हर प्रकार मे जंगली प्रकृति वाला मानव बन गया था जिस पर किसी प्रकार का अनुशासन, आदेश आदि का प्रभाव न होता था।

दूसरे काल में घूसखोरी का नया ढंग निकला। इस समय उसने सोचना प्रारंभ किया दूसरे उपायों के संबंध में। फिर जब वह घूस लिए हुए धन को छिपाने

मे असमर्थ था और उसने अपने को अपराध के सिद्ध होने तथा उसकी सजा से ही बचने का प्रयत्न नही किया बल्कि अपनी इस घूसखोरी को उसने अपना विशेष कौशल सिद्ध करना चाहा । कानून-भंग करने वाले के स्थान पर, ईमानदारी के प्रति आघात करने के स्थान पर,धूर्ततापूर्ण घूमखोरी के स्थान पर वह अपने को असा-प्रतिभा वाला कूटनीतिज्ञ, राज- नीतिज्ञ और योग्य शासक सिद्ध करने लगा । जो योजना उसने चलायी वह यह थी—उसने अंदाज लगाया कि कानून के कठोर नियमो को मानते हुए कम्पनी अधिक दिन नही चल सकती, ऐसी भावना उसने अपने बयान मे भी प्रकट की है, अत बहुत से मामलो मे स्वाभाविक ढंग से वसूल किया गया राजस्व धन वह व्यक्तिगत सम्पत्ति की तरह चुपचाप छिपा कर संगृहीत करने लगा । यही वह योजना थी जो उसने मोटे ढग से चालू की । इस बात का कठिनाई से ही विश्वास किया जायगा, जब तक बहुत ठोस प्रमाण न मिले कि कोई भी व्यक्ति इतना साहसी हो सकता है कि सरकार.का धन इस प्रकार वह चुपचाप छिपा ले जो किसी भी प्रकार प्रकट रूप मे तीस लाख से कम न हो ।

श्रीमान, सन् १७७३ मे पार्लियामेंट मे पास हुए एक कानून के अनुसार घूस-खोरी पूर्णतया अवैधानिक घोषित की गई थी । मेरा अनुमान है कि इस कानून का कठोरता से पालन भी किया गया था । इस कानून के ६३वे अध्याय के चौथे कलम मे लिखा गया था, "पहली अगस्त सन् १७७४ के दिन से और बाद मे कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अन्तर्गत नागरिक व फौजी अफसर हे, और सुदूर पूर्व भारत की कम्पनी के अधिकारी जो किसी प्रकार का भी, सीधे या माध्यम से घूस, उपहार, भेंट, नजराना या पुरस्कार लेगे या स्वीकार करेगे वे अपराधी माने जाएंगे और उन्हे कानून के अनुसार दण्ड दिया जायगा ।"

फिर आगे दण्ड का विधान भी दिया गया है । आप श्रीमान देख सकते है कि घूसखोरी के लिए इससे अधिक स्पष्ट रोक लगाने वाला दूसरा आदेश या कानून नही हो सकता । पार्लमिंट का यह कानून कम्पनी के नौकरो पर पूरी तरह लागू होता है । फिर कम्पनी ने भी अपने मातहत अधिकारियो तथा नौकरो के लिये यह आदेश जारी किया, सीधे या दूसरे के द्वारा, लेना या स्वीकार करना कोई उपहार, नज-राना, भत्ता, दान या मुआवजा चाहे वह रुपयो, साधनो या भारतीय राजाओ द्वारा दिया जाने वाला मनोरंजन के लिए नजराना, जो चार हजार रुपयो से अधिक होगा, अवैध होगा ।

"ओर वारेन हेस्टिंग्स को अधिकार दिया जाता है कि वह कम्पनी के स्वत्वा-धिकारी के रूप मे ऐसे सभी उपहारो, नजरानो, भत्तो और दान को प्राप्त कर के सरकार को सूचित करेगा ।"

अब आप देखें कि इस आदेश की प्रकृति, पार्लमिंट का कानून और कम्पनी के आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहले तो उन्होंने अपने गवर्नर-जनरल को कहीं भी उपहार या नजराना स्वीकार करने से नही रोका और धन व जमीन के नाम पर वे कोई भी संधि कर सकते हैं। लेकिन इसके यह मतलब कदापि न थे कि गवर्नर या कंपनी के अन्य कर्मचारियों को अलग से व व्यक्तिगत रूप से उपहार, नजराना या घूस स्वीकार करने की आज्ञा थी। यह घोषित था कि ऐसी हर आमदनी किसी एक व्यक्ति की आमदनी न होकर कम्पनी की आमदनी व सम्पत्ति होगी। यह आवश्यक था जिससे कि इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से लिए गए घूस की आमदनी भी सरकारी आमदनी में जुड़ जाय और घूसबन्दी अधिक कारगर ढंग से चालू हो सके। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने इसे ही घूस लेने का लाइसेंस मान लिया। उसकी केवल घूसखोरी की आदत ही नहीं थी बल्कि वह इस कला में दक्ष आचार्य था।

जिस क्षण भी हेस्टिंग्स को पता लगता था कि कम्पनी को उसके घूस लेने की बात का अंदाज भी लग गया है तो तत्काल वह आगे बढ़ कर कहता था कि हाँ, मैने घूस स्वीकार किया है, मै स्वीकार करता हूँ कि अमुक व्यक्ति ने मुझे घूस दिया है और अभी तक मैने इस बात को गुप्त रखा क्यो कि इसे गुप्त रखना मैंने कम्पनी के हित में उचित समझा, लेकिन मेरे मन मे यह योजना थी कि मै इस धन को कंपनी के उपयोग में लगाता और यह रकम कंपनी की होती, लेकिन यह तभी होती जब मैं चाहता और इसे प्रकट करता। अब क्या समझा जाय कि कम्पनी या पार्लमिंट का कानून, अनुचित ढंग से प्राप्त की गई सम्पत्ति को कर्मचारी द्वारा हजम कर जाने का एक और मार्ग खोलता है या घूसखोरी की प्रथा को बंद करता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी संस्था है जो आधी दुनिया को लूटने के बाद भी दिवालियापन की सीमा तक आ गई, अत में दूसरे व परोक्ष ढंग से अपने नौकरो को घूसखोरी के लिये प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार अपना घाटा पूरा करना चाहती है। किसी भी संस्था का पेट भरने का यह ढंग बहुत दोषपूर्ण और बेढंगा है। कंपनी के किसी अफसर द्वारा वसूला जाने वाला राजस्व (क्योंकि सभी अफसरो को एक प्रकार की वसूली की मनाही है और सबो की आदेश भी), किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी मात्रा मे, किसी भी रूप में, या जैसे भी वह चाहे, और उसे यह भी आज्ञा हो कि जैसे भी चाहे उसका उपयोग करे या चाहे तो कंपनी के हिसाब में जमा करे। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्व का यह नियम पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। इसी का दूसरा हिस्सा है एक गिरोह का संगठन जिसे उसने संगठित किया था। इस गिरोह में कंपनी के अफसर ही शामिल थे जिन्हें मिस्टर हेस्टिंग्स ने घूसखोरी का खजांची व मुनीम बना रखा था। उसने सभी अफसरों को इसीलिए सम्मिलित कर लिया था कि उसकी जालसाजी का कभी पर्दाफाश न हो सके। आगे चल कर मैं इनके संबंध में विस्तार से बताऊँगा, उदाहरण भी दूँगा। मैं दिखाऊँगा कि जिन शब्दों का

मैने प्रयोग किया है वे सभी सच है।

आप भी किसी तरह कम्पनी के कानून व नियमो को असत्य या अयोग्य नही कह सकते, चाहे वे जैसे भी रहे हो, किसी तरह भी वे इस प्रकार के गैरकानूनी कामो को मान्यता नही दे सकते। सच तो यह है कि आप कल्पना भी नही कर सकते कि यह बाते किसी भी भले आदमी के मस्तिष्क मे कभी आ सकती है। आप ही निर्णय करे कि अपराधो को छिपाने, और रहस्य खुल जाने के डर से रहस्य खुलने के सभी रास्तो को नष्ट करने के समस्त प्रयत्न, कितनी चतुराई मे संजोए गए थे। साथ ही श्रीमान निर्णय करेगे कि जो प्रमाण हमने इकट्ठे किए है कि राजस्व को हडपने के लिए बुने गए जाल की योजना कितनी भयानक थी।

श्रीमान, अब मै आपके सम्मुख एक पत्र पढने जा रहा हूँ जिसमे मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी राय दी है। श्रीमान, मै बताऊँगा जिससे कि पढने मे आपका समय नष्ट न हो कि शुजाउद्दौला ने कपनी की फौज के लिये जो धन दिए जिसे इन सिपाहियो मे बंटना था लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स के सम्मुख उसकी राय के लिए जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि सिपाहियो मे रुपये बॉटने का वह आदेश दे तो पहले तो मिस्टर हेस्टिंग्स उस पक्ष मे था कि रुपये बॉट दिये जाएँ, पर जब उसने पढ़ा और सोचा-विचारा कि कपनी का आदेश ऐसी रकमे स्वीकार करने के सबंध मे स्पष्ट है तो उसने अपनी दूसरी राय दी।

कर्नल चैम्पियन को ३१ अगस्त १७७४ को लिखे गये मिस्टर हेस्टिंग्स के पत्र का एक अश है "पार्लमिट के नए कानून के अनुसार मै बहुत दुखी व निराश हुआ, यह जान कर कि कानून की एक धारा के अनुसार हमारी शक्ति ही नही कि हम नवाब की इस भेट को सेवा के लिए स्वीकार कर सके। इसकी पुष्टि के लिए यह भी स्पष्ट लिखा है कि अपने कार्यों के लिए सिर्फ वकील, डाक्टर और ऐसे लोग ही धन स्वीकार कर सकते है। पलटन के लिये भी छूट नही है।······इस जानकारी से हमारी समस्त योजना बेकार सिद्ध हो गई, साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि हम कहीं इसमे कोई सहायता नही दे सकते। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस अवसर पर कोई ऐसा रास्ता निकल आवे कि इस कानून को टाला जा सके, जिसका मै बडी प्रसन्नता से स्वागत करूगा।"

श्रीमान, देखे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस कानून की जानकारी को बडी दुर्भाग्यपूर्ण खोज बताया। वह किस चीज को दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा है, उसी को, जिसके कारण उसकी गैरकानूनी आमदनी का रास्ता ही समाप्त हो गया। वह इसे दुर्भाग्यपूर्ण क्यो कहता है? फिर ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर हेस्टिंग्स को ऐसा निर्णय लेना पडा? यह एक ऐसे उपहार का मामला था जिसमे कंपनी से अलग व स्वतंत्र एक भारतीय नवाब ने फौज के सैनिको को सार्वजनिक रूप मे उपहार देना चाहा था। अगर किसी के प्रति पक्षपात या सद्भावना का भी प्रश्न था तो वह था केवल फौज

के लड़ने वाले सिपाहियों के प्रति, जो अपने देश के लिये लड़ रहे थे, अपने देश के लिए खून बहा रहे थे और देश के मौसम की हर प्रतिकूलता को सह रहे थे। यह हर प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के दिया जाने वाला उपहार था। मेरा ख्याल है कि श्रीमान भी मेरे विचारों से सहमत होंगे कि यदि पार्लामेंट के किसी भी कानून की कहीं अवहेलना हुई तो वह सिर्फ इस बात में कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने फौज को उसके खून के लिए पुरस्कार से वंचित कर रखा जो एक नवाब उनकी बहादुरी, देश-प्रेम और कष्टों के लिए देना चाहता था। यह एक ऐसा मामला था कि जहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स ने फौज को मिलने वाला सार्वजनिक उपहार ठुकराया, और उस दिन से आज तक वह पुरस्कार बिना मिले रह गया।

यदि इस प्रकार के सार्वजनिक उपहार को इस प्रकार रोका गया और अपनी आदत के अनुसार मिस्टर हेस्टिंग्स गुप्त रूप से घूस के रुपये लेता रहा, और सो भी न केवल राजाओं या नवाबों और शक्ति के ओहदे पर बैठे लोगों से प्राप्त करके अपना निजी वैभव बढ़ाता रहा बल्कि जैसा कि हम सिद्ध करेंगे यह घूस वह गरीब और मुसीबत में फँसे लोगों से भी निर्ममता से लेता रहा। वह कम्पनी के कार्यालय के लोगों से भी घूस लेता रहा, जो घूस देने के लिये रुपये प्राप्त करने के लिए जनता को सताते थे। अब आप ही कल्पना कर सकते है कि कंपनी की क्या स्थिति रही होगी। गवर्नर जनरल स्वयं एक गुप्त गिरोह बना सकता है और अपने मातहत लोगों के माध्यम से घूस लेना स्वीकार कर सकता है तब राज्य-व्यवस्था का भविष्य क्या होगा ?

सर्वप्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि मिस्टर हेस्टिंग्स की इन घूसों का पर्दाफाश होने के पहले ही मृत्यु हो गई होती, या कम्पनी का और कोई अधिकारी मिस्टर हेस्टिंग्स के बहादुर कारनामों का नहीं बल्कि इस घूसखोरी के उदाहरण का अनुसरण करता तो कंपनी घूस के धन को किस प्रकार प्राप्त कर पाती ? पाने वाला तो यह भेद कभी न खोलता और जिस क्षण कोई भेदिया या मुखबिर आता तो वह नष्ट कर दिया जाता। मान लीजिये कि एक भेदिया आता है और वह गवर्नर जनरल या कौंसिल के सम्मुख उपस्थित होता है और मिस्टर हेस्टिंग्स पर नहीं बल्कि राजस्व विभाग के प्रधान पर घूस का अभियोग लगाता है, घूसखोरी ! मैंने यही किया, लेकिन यह सब कंपनी की सेवा के लिए ही है। मैंने एक भेदिये को भी पकड़ा। उसका कहना है —मैंने कंपनी के लिए सब किया। मैंने चालीस हजार पौण्ड का घूस लिया है।—अब देखना है कि जिसने घूस लिया है वह घूस की रकम को कंपनी के लाभ के लिए लिया गया बताता है तो क्या उसके घूस को घूस न माना जायगा ? लेकिन जो इससे भी बुरी बात है वह है, कि इस रास्ते से घूस का तो पता चलता है और उसकी नीयत पर भी आक्षेप नहीं आता। उदाहरण के लिये, इस बात की पक्की सूचनाएँ है कि चालीस हजार पौण्ड का घूस चला और लेने वाला जानता है

कि सूचनाएँ उसके विरुद्ध हे। वह स्वीकार भी करता है कि यह उसने कंपनी के लाभ व सेवा के लिए लिया, और यह कम्पनी के हिसाब मे भी है। अब यही उदाहरण ले— वह कहता हे कि उसने घूस मे रुपये तो लिए लेकिन हिसाब मे जमा भी किया है। लेकिन यह छिपाया कि किससे घूस ली गई। ठीक यही मामला मिस्टर हेस्टिंग्स का भी हे। आखिर कपनी के सामने यह तथ्य आया कि चालीस हजार पौंड की घूस चली, और लेने वाले का कहना है —श्रीमान यह चालीस हजार पौण्ड का मामला मैं आपको बता चुका हूं, यह कई किस्तो मे लिया गया और इसका हिसाब भी प्रस्तुत हे।

अब फिर सोचिए, मान लीजिए कि यह गगा गोविंद सिह जैसे किसी दलाल के माध्यम से लिया गया ओर इस दलाल ने जैसा कि बाद मे हमने पता लगाया, चालीस हजार पौण्ड के घूस मे से, जो पूरी रकम मिस्टर हेस्टिंग्स को मिलनी थी— आधी रकम अपने पास दाब लो। मै जानना चाहता हूँ कि ऐसे मामले मे कम्पनी क्या कर सकती है ? गगा गोविन्द सिह का कपनी म कोई भी सीधा सम्बन्ध न था। इस बात का कोई प्रमाण नही है कि उसने यह रकम दाब ली, सिवा इसके कि यह बयान मिस्टर हेस्टिंग्स का है। यदि उससे यह रकम कपनी को लौटा देने को कहा जाता ओर वह कह देता कि उसने कभी यह रकम प्राप्त नही की, या उसे वह रकम जनता से वसूलने को कभी कहा ही नही गया, या हर तरह मे वह यही सिद्ध करता कि उसने ये रुपये पाये ही नही। ओर ऐसा कोई प्रमाण वह न देता कि उस पर कोई हाथ रख सके, या वह भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहता कि मैंने घूस के लिए प्राप्त समस्त रकम मिस्टर हेस्टिंग्स को दे दी ह तो क्या कपनी कभी सत्य बात का पता लगा पाती ! ओर सच तो यही ह कि बडे घूस के मामलो मे दलाल इसी तरह की दलील देते है। यह मै श्रीमान के सम्मुख गवाही के समय सिद्ध कर दूंगा।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने कष्टपीडित व दुखी देश से चालीस हजार पौण्ड की रकम की घूस चूसी ह, जिसे वह कभी भी हिसाब मे न दिखा सका। केवल बीस हजार पौण्ड का हमे आज तक पता नही चल सका, सारी जाँच-पडताल के बाद भी, कुछ पता न लग सका। ओर भीतर की सारी वास्तविक बाते जानते हुए भी हम रुपये वापस नही पा सकते। कपनी यह रकम कभी नही पा सकती। उसने तो कभी भी डायरेक्टरो की परिषद् को नही बताया कि उसके घूस के व्यापार का काला दलाल जिसकी नौकरी के लिए उसने सिफारिश भी की थी, उसी ने उन्हे धोखा दिया और बीस हजार पौण्ड की रकम दाब ली। यदि यह कहा भी जाय तो फिर इसके लिखा-पढी का क्या प्रमाण है ? कोई कागजात प्राप्त नही है। किस खाते मे यह लिखा गया ? इसका कोई हिसाब-किताब नही है, हाँ, यही कहा जाता है कि कम्पनी के लाभ के लिए यह रकम व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई। आप और आगे देखेगे कि

मिस्टर हेस्टिंग्स ने इसके लिए हिसाब-किताब की कैसी सुन्दर व्यवस्था कर रखी है।

लेकिन यहाँ तो दूसरी ओर अधिक गंभीर परिस्थिति है जिसका इस व्यापार से संबन्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कानूनन, जैसा कि प्रत्येक देश का नियम है कि किसी भी व्यक्ति से लिया जाने वाला कोई भी धन, या घूस के नाम पर किसी भी रकम की लेन-देन, घूस देने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी रकम वापस लेने के लिए कदम उठा सकता है। तब देखिए, कि कंपनी कहाँ खड़ी होती है? कंपनी ने मिस्टर हेस्टिंग्स के माध्यम से घूस के चालीस हजार पौण्ड पाए, यह हिसाब में भी दर्ज है, जिसके मतलब हैं कि रिश्वतखोरी राजस्व में बदल जाती है, इससे यह व्यापार कानूनी सतह पर उचित हो जाता है। इसी सिलसिले में जिस व्यक्ति से यह रकम गैरकानूनी ढंग से ली गई थी, वह मिस्टर हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला देता है। वह मिस्टर हेस्टिंग्स से रुपये वापस माँगता है। अब बिना किसी शंका व सन्देह के कंपनी इसकी पूरी उत्तरदायी बनती है। और अब प्रश्न उठता है राजस्व का, हर व्यक्ति जिसने भी राजस्व दिया है वह फिर से सारी रकम कम्पनी के खजाने से वसूल कर सकता है। खजाने में मिस्टर हेस्टिंग्स ने घूस की जो रकम जमा की थी उसे हर देने वाला व्यक्ति वापस माँग सकता है। सर्वप्रथम तो उससे वसूली होगी जिसने यह रकम ली, फिर चाहे वह खजाने से वापस ले, जहाँ उसने जमा किया है। •

लेकिन यह स्वीकार करने पर कि घूस की रकम को राजस्व मान लिया जाय और उसे कंपनी की सम्पत्ति मान ली जाय, और यह भी कहा जा सकता है कि किसी ध्येय व कार्य से कम्पनी ने मिस्टर हेस्टिंग्स से गठबंधन करके यह स्वीकार किया कि घूस की रकम कम्पनी की सम्पत्ति होगी। क्या यह कहा जाय कि, इसके लिये मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रति संतोष व कम्पनी के लाभ की बात मानी जाय? नहीं, यह तो सताए गए व पीडित व्यक्तियों के लाभार्थ है और इसे कम्पनी के हिसाब में भी लिया गया, "लेकिन विश्वास की रक्षा के लिए, पीड़त लोगों से प्राप्त रकम उन्हें वापस करने के लिए कम्पनी सदा ही तैयार है।" अब देखें कि राजस्व मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी के लिए वसूल किया। लेकिन माँगने पर देने वाले व्यक्ति को वापस भी दिया जा सकता है. जैसे कि न्याय के लिए आवश्यक भी है। लेकिन वे कैसे यह दी हुई रकम वापस पा सकते हैं? मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन रकमों का पूरा-पूरा प्रयोग भी किया है। उसने इसी रकम से राजाओं को उपहार दिए है, राजकाज में खर्च किया है और इसकी सब लिखा-पढ़ी भी है, इसी से कर्मचारियों को वेतन दिया है, यानी उसने जैसा अपनी इच्छा से उचित समझा खर्च किया। इसलिए इस बात को तो मैं मान ही नहीं सकता कि इस प्रकार आचारण रखने वाला या व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार रखता होगा। ऐसा मानना बहुत कमजोर, बेबुनियाद और अर्थहीन बात है। यह तो एक हताश कारण था और हताश प्रयत्न था, क्योंकि हम यह सिद्ध कर देंगे कि उसने कभी भी

यह रहस्य नही खोला वरन् हमेशा अनुचित उपायो से उसे छिपाने मे ही प्रयत्नशील रहा ।

आप इस नई घूसखोरी की योजना का इतिहास देखे, जिसके आधार पर मिस्टर हेस्टिग्स ने यह सब चलाया । एक घूस को दूसरी घूस ले कर छिपाया और अपने कारनामो से और कानून को भग करके अपने राष्ट्र के उच्च नाम पर धब्बा लगाया ।

घूसखोरी की इस योजना का सर्वप्रथम वर्णन सन् १७८० के २६ नवंबर के पत्र मे है और वह कारण जिसके लिए खोज हुई, वह था परिषद मे उसके व मिस्टर फ्रैंसिस के बीच की लडाई । हेस्टिग्स ने परिषद के सम्मुख बहुत सुन्दर प्रस्ताव भी रखा था, जिसका लेख सरकारी कागजातो मे भी हे कि वह समस्त खर्च अपने जेब म करेगा और दो लाख रुपये खजाने मे भी जमा कर चुका था । यह जून १७८० की बात है और ठीक इसके बाद ही मिस्टर फ्रैंसिस इगलैड वापस चला आया । मझे श्रीमान को यह सूचना देने की आवश्यकता नही कि इस समय के पहले मिस्टर हेस्टिग्स पर कई बार मिस्टर फ्रैंसिस, कर्नल मॉनसन और जनरल क्लेवरिग द्वारा घूसखोरी व अपहरण के अभियोग लगाए जा चुके थे । उसने शका की कि अब योरप आ कर मिस्टर फ्रैंसिस इन आरोपो को इस प्रस्ताव के प्रमाण मे और दृढ बन सकेगा क्योकि प्रस्ताव के कारण जो शका की परिस्थिति पैदा हो गई थी उससे वह सतर्क भी था । फिर यह शका ओर बलवती हुई, उन सबधो के कारण जो उसकी कल्पना मे थे और हम सिद्ध भी कर सकते हे कि उसने यही सोचा भी कि मिस्टर फ्रैंसिस के चेतसिह से अच्छे व गहरे सबंध थे । अत शंका से पूरी तरह प्रभावित था कि कही वह उसके घूस व रिश्वत का पता लगा कर उसे जनसाधारण मे प्रकट न कर दे, अत उस स्थिति से बचने के लिए ही उसने २६ नवबर को यह घोषित कर दिया कि यह रुपये उसके अपने न थे । अब आगे मै श्रीमान के सम्मुख इन रुपयो की परिस्थिति की चर्चा करूँगा । वह कहता हे, "मुझे अपने आचरण को विदित करने का वर्तमान कारण" क्योंकि अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मे दो लाख रुपये कम्पनी के खजाने मे २६ जून १७८० को जमा करना, 'इस अवसर पर मैने स्वीकार किया है कि किसी प्रकार की भूल या भ्राति इस कारण न हो कि बात व तथ्य को तोड-मरोड कर रखा जाए और रुपये प्राप्त करने के उपाय को भ्रष्ट या अनुचित कह दिया जाय । इसीलिए मैने यह कहा कि चाहे जिस ढंग से भी यह रकम प्राप्त की गई हो पर किसी प्रकार भी मेरी संपत्ति न थी, न इस पर मेरा कोई अधिकार ही था । लेकिन अवसर के अनुकूल, मुझे आवश्यकतानुसार कुछ अस्थायी मार्ग अपनाने पडे जिससे कि कम्पनी के कार्य के लिए तथा संपत्ति बढाने के लिए धन इकट्ठा हो सके और इस संक्षिप्त क्षमा-याचना के साथ मै इस बात को यही समाप्त करता हूँ ।"

श्रीमान, आप स्वयं देखे कि अनुचित ढंग के लेन-देन के संबंध मे मिस्टर

हेस्टिंग्स ने क्या वक्तव्य दिया है और उसकी बातें सरकारी कागजातों की बातों से बिल्कुल भिन्न हैं क्योंकि २६ जून १७८० को उसने बडी उदारता, सज्जनता व उत्साह से कम्पनी को अपनी संपत्ति भेंट की है। २६ नवंबर को डायरेक्टरो की परिषद को वह बताता है कि कम्पनी को उसने जो रुपये दिये वे उसके अपने न थे और उसकी बाते बिल्कुल झूठ है कि रुपये उसके अपने न थे, या उन्हें लेने का उसे कोई अधिकार न था और वह उन रुपयो को कभी स्वीकार न करता लेकिन विशेष अवसर के कारण, जिनके कारण उसे कुछ अस्थायी मार्ग अपनाने पडे।

यही वक्तव्य भारत-स्थित गवर्नर से भी प्राप्त हुआ जो कम्पनी के खजांची का भी कार्य करता था। वह अवश्य ही यह कहता है कि जो रुपये उसने भेंट किए वह उसके अपने न थे, या उस पर उसका अधिकार न था, या वह उन्हे स्वीकार न करता यदि उस पर अवसर-विशेष का विशेष दबाव न होता। लेकिन वह यह कदापि नही बताता कि किस प्रकार वह उस व्यक्ति तक पहुचा जिससे यह रकम उसने प्राप्त की, या वह क्या अवसर था जब उसने यह रकम ली, (चाहे वह न्याय-संगत हो या न हो) या इससे संबंधित क्या परिस्थिति थी। यह बडा असाधारण वक्तव्य है कि ऐसी रकम जनता के लिए भेंट की जाय जिसे हम समझते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किसी न किसी रूप मे बीस हजार पौण्ड प्राप्त किए। उसने कम्पनी को सदा और बराबर अँधेरे मे भटकाया, क्योंकि तब तक सब बाते या तो अँधेरे में थी या अकाल के बादलो मे थी और जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स 'सूचना' कहता है जो उसने इन रिश्वतो के संबंध मे कंपनी को दी।

आपने स्वयं उसके बयान मे आए कारणो को देखा। वह कहता है, 'दूसरे लेन-देन के समय शायद फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिन्हे मै बताना चाहूँगा क्योंकि इनको तत्काल आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है।" फिर वह बताता है कि उसने योजना बनाई थी कि एक बडी रकम वह बरार के राजा को दे और इस संबंध में वह कहता है--"हमारे पास फालतू या बचत के लिए रुपये ही न थे। यह मेरी कभी भी निश्चित धारणा न थी कि कोई सहायता की जाय, न तो किसी प्रकार की आवश्यक सहायता की बात थी, पिछले दो वर्षो मे बरार की सरकार से ऐसे ही अनुभव हुए थे और हमे उनसे बडी सहायता मिली थी। मैंने विश्वास दिलाया था कि भविष्य मे इस विषय व इस प्रस्ताव पर पूरा ध्यान दिया जायगा, लेकिन मैं जानता था कि यह प्रस्ताव बिना विरोध के पास न हो सकेगा। और यदि यह बात सार्वजनिक हो जाती तो हमारा उद्देश्य मार खा जाता। इस योजना को कार्यरूप मे परिणत करने की आवश्यकता और बरार सरकार की स्वामिभक्ति का जो आश्वासन था, क्योंकि मेरे पास उनकी स्वामिभक्ति के अनेक ठोस प्रमाण थे, जिन्हे मै परिषद के अन्य सदस्यो के सम्मुख रखता, मैंने निश्चय किया था कि अपनी बात मनवा लूँगा। और इस संबंध मे समस्त जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ही

लूंगा। इस योजना के अन्तर्गत बहुत छोटी रकम भी काफी होती। फलस्वरूप मैंने बरार के राजा के मन्त्री को तीन लाख रुपये दिए जाने का प्रबन्ध किया, जो कलकत्ता मे रहता था। उसने इसे कटक भेज दिया। इसमे से दो तिहाई रकम मैने अपने आप इकट्ठा किया था और सोचा था कि अपने सरकारी हिसाब से लूंगा। और बाकी एक तिहाई मैने उस खजाने मे निकाल कर दिया जो मेरे हाथ मे था—कंपनी बहादुर का खजाना।"

श्रीमानजी, देखे कि इस व्यापार मे कम्पनी के हिसाब के प्रति उसने दूसरे प्रकार का रास्ता अपनाया और उन्हे बराबर घूस देने की सूचना भी देता रहा। अपने इस लेन-देन के व्यापार का हिसाब उसने यह कह कर प्रारम्भ किया, कि पहले घूस मे यह मिला-जुला हिसाब है। इस हिसाब की एक ऐसी कहानी गढी गई है कि मेरा विश्वास है कि श्रीमान ने भी जैसी पहले न सुनी होगी और बहुत से व्यापारी संस्थानो को ऐसे हिसाब की शिक्षा लेनी होगी। लेकिन श्रीमान जो चीज थोडी स्पष्ट हो कर सामने आती है, वह है कि उसने बरार के राजा को रुपये दिए और यह दिए गए दो लाख रुपये उसने अपने बल-बूते पर जमा किए थे, यह उसकी सम्पत्ति थी। सभव है उसने बिना किसी शका-सन्देह के कम्पनी के रुपये लिए हो, स्पष्ट रूप से, खुलेआम और सैकडो कामो के लिए अपने हाथ मे रखे हो और इसलिए वह यह भी नही बताता कि रुपये उसने घूस से या भ्रष्ट उपायो से लिए है। नही, वह कहता है कि यह वह रुपये जो उसके हाथ मे थे, कम्पनी के थे और यह सिद्ध करने मे कि यह घूस के रुपये थे जो कम्पनी के लिए उसने लिए थे, बडी कठिनाई होगी। श्रीमान कृपापूर्वक देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स मे बडी उदारता थी हर बार वह इसी तरह उदार रहता है। जैसे उसने अपनी पहली घूसखोरी की रकम कम्पनी के लिए भेट कर दी उसी तरह वह इस दूसरी बार के लेन-देन मे भी उदारता दिखाता है। पहली बार उसने बिना अधिकार के ही रुपये लिए और उस कार्य मे खर्च किया जिस कार्य के लिए वह घूस ली गई थी। दूसरी बार वह यो उदार हुआ कि उसने अपना रुपया दिया जिसे खर्च करने का उसे पूरा अधिकार था और फिर भी कहता है कि यह उसकी कोई उदारता न थी क्योकि रुपये लेने का उसे अधिकार न था। लेकिन वह दूसरी बार उदार बनता है क्योकि वह अपनी ही जेब के दो लाख रुपये देता है और इसलिए कि उसमे एक लाख कम्पनी के थे लेकिन इसका पता नही चला कि यह रुपये उसने पाए कहाँ से?

लेकिन श्रीमान, आगे बढने के लिए, इस पत्र मे वह बताता है कि उसने पूरी रकम का दो-तिहाई भाग अपनी जेब मे और एक-तिहाई भाग कम्पनी का रुपया दिया है। यह २९ नवम्बर १७८० की बात है। ठीक इसके बाद ५वी जनवरी को हम देखते है कि इस व्यापार मे एक दूसरा ही रंग है और तब मिस्टर हेस्टिंग्स कम्पनी से तीन दस्तावेज मॉगता है, दो विभिन्न जमानते पहली व

दूसरी अक्टूबर को, तीन लाख के लिए, जिसके लिए पहले कह चुका है कि दो-तिहाई उसका अपना रुपया था और एक-तिहाई कम्पनी का था। अब वह घोषित करता है कि यह समस्त रकम उसकी अपनी थी, और वह पत्र द्वारा परिषद के सामने पेश करता है कि उसमें उसका ही भाग अधिक था। "माननीय महोदय व महोदयों, गुप्त राजकीय कार्यों के लिए भारतीय सिक्के में तीन लाख की रकम को छूने का व उन्हें खर्च करने का मुझे पूर्ण अवसर था, जिसे मैंने अपने व्यक्तिगत रुपयों में से दिए, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह निम्नलिखित ढंग से मुझे वापस मिलने चाहिए : —

"कर्ज के रूप में प्राप्ति का दस्तावेज जिसमें १ अक्टूबर को तारीख पड़ी हो, यह भारतीय सिक्कों में एक लाख रुपयों के लिए हो।

"प्रथम कर्ज के रूप में प्राप्ति का दस्तावेज जिस पर भी एक अक्टूबर की तारीख हो और भारतीय सिक्कों में वह एक लाख रुपये का हो।

"एक दस्तावेज प्रथम कर्ज के रूप में व दो अक्टूबर की तारीख का हो, और भारतोय सिक्के के एक लाख के बराबर हो।"

यहाँ दो हिसाब हैं, जिनमें एक तो निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि वह अपने भाग का दो-तिहाई कदापि नहीं दे सकता था और तीसरा भाग उसने कम्पनी का रुपया दिया। साथ ही उसने अपनी समस्त सम्पत्ति भी अग्रिम रूप में दे दी। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। वह घोषित करता है कि सब रुपये उसके अपने थे यानी उसके अपने कि उसे इनके लिए कम्पनी, पर विश्वास न था और इसीलिए उनके लिए वह जमानत के लिए कम्पनी से दस्तावेज लेता है जिसमें जहाँ वह चाहे कम्पनी से ब्याज भी ले सके।

इस प्रकार १५ जनवरी १७८१ से १६ दिसम्बर १७८२ तक यह रकम रही। तभी इस व्यापार ने दूसरा रूप धारण किया और कम्पनी को लिखे गए उसके एक पत्र के अनुसार ये दस्तावेज भी उसके अपने हो गए। अब तक जो रुपये अग्रिम रूप में दिए गए थे वे सभी कम्पनी के हो गए। पहले वह कहता है दो-तिहाई उसके थे, फिर कहता हे कि सभी उसके थे और तीसरा हिसाब है कि सभी रुपये कम्पनी के थे।

अब इस हिसाब के साथ एक और रोचक हिसाब संलग्न किया गया। जब आप इस हिसाब के ब्योरे को देखें तो आप पायेंगे कि तीन दस्तावेज कहे गए थे जिनका संबंध पहले के लेन-देन से है, जिन रुपयों के लिए उसने दस्तावेज प्राप्त किए थे। लेकिन जब आप उनकी संख्या पर ध्यान दे तो पावेंगे कि इन तीन दस्तावेजों में से एक, जिन्हें वह अपना बताता है, गायब है, और दूसरा दस्तावेज दूसरी तारीख का और बहुत बड़ी रकम का उसके स्थान पर रखा है, जिसमें और कुछ नहीं लिखा गया है। अतः उसके पहले हिसाब को मानें कि दो-तिहाई उसके

अपने रुपये है, तो तब यह सभी उसके अपने रुपये है और तीसरे में यह सभी रुपये कम्पनी के है। फिर एक चौथे हिसाब में जिम कागज पर तीनो दस्तावेजों का ब्योरा है, आप देखेगे कि एक लाख का उसमें हिसाब नही दिया है पर इसके स्थान पर एक दूसरा दस्तावेज प्रस्तुत है। वह एक दस्तावेज दबा जाता है, दो दस्तावेज कम्पनी को देता है, और तीमरा जो उसने दबाया है, उसके स्थान पर दूमरी बदली रकम का नया दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसका उसने पहले कभी जिक्र नही किया। इम प्रकार आपके सम्मुख चार भिन्न-भिन्न हिसाब प्रस्तुत है। यदि उनमे मे एक भी सत्य है, तो दूसरे तीनो पूरी तरह गलत व झूठे है। धोखा व जालसाजी का यह ढंग इसके पूर्व दुनिया मे कभी नही देखा गया।

पहले स्थान मे प्रश्न है कि उसने उन रुपयो के लिए जो उसके अपने थे, कम्पनी से दस्तावेज क्यो लिए ? मै बहुत सतर्कता से इसे एक कानूनी अपराध मानता हूँ। मै इसे धोखा या अपराध नही कहूँगा कि रुपयो के लिए दस्तावेज लिए गए। उसने कम्पनी से झूठे दस्तावेज बनवाये। उसने झूठ कहा कि उसने कम्पनी को रुपये उधार दिए, उसने अपने रुपये अपने लिए दिए और बदले मे जमानत के लिए दस्तावेज प्राप्त किए। मै इसे भी धोखा न कहूँगा लेकिन इसे गभीर अपराध कहूँगा कि यह बडे पैमाने की जालसाजी है और उसने गहरा विश्वासघात किया और ऐसा करने मे उसने कम्पनी के हिसाब-किताब की प्रथा को पूरी तरह उलट-पलट दिया।

मै यहाँ केवल यह दिखाऊँगा कि इन कारनामो के लिए उसका अपना जवाब क्या है, क्योंकि यह मेरी समस्त कल्पना को भी लाँघ जाता है। देखिए, उलटे-पुलटे वक्तव्यो द्वारा सिद्ध अपराध को ढाँकने व छिपाने के लिए क्या-क्या रास्ते अपनाता है और अपराध के गर्त मे कितना गहरे डूबता जाता है। यह रास्ता स्पष्ट होता है एक दूसरी महान रिश्वतखोरी मे, जिसे मै श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूँगा।

पहले की घूसखोरियो के रुपयो की प्राप्ति के समय भाग्य मे, जैसे अच्छी बातें अकेली ही आती हैं, भाग्य उस पर दयालु है, क्योंकि जब वह आगे बढ़ता है और अवध तथा बनारस मे कम्पनी का मामला लगभग पूरी तरह नष्ट कर डालता है, वह लगभग एक लाख पौण्ड की रकम प्राप्त करता है। सितंबर १७८१ मे प्राप्त करके इसका हिसाब वह कम्पनी को जनवरी १७८२ मे देता है। ध्यान से देखे कि इसका हिसाब किस प्रकार दिया गया, और उस हिसाब का उद्देश्य क्या था। वह अपने पत्र मे कहता है, "मैंने एक भारी रकम की भेट स्वीकार की जो नवाब व उसके मंत्रियो की ओर से मुझे व्यक्तिगत रूप से उपहार मिला था, न कि कंपनी को। मैंने बडी हिचक के साथ इसे स्वीकार किया और प्रसन्नतापूर्वक, अपने व्यक्तिगत आराम व आपकी सेवा के लिए स्वीकार किया।" श्रीमान, इस पर

आप एक आलोचना भी सुनेंगे यह आलोचना मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति की है। यह उपहार चेतसिंह के हाथों बंदी बने एक गोपालदास के घर पर लिया गया। फिर यह कहने के बाद कि यह उपहार कम्पनी के लिए स्वीकार किया गया, अधिकांश कम्पनी के लिए तथा लघुअंश में अपने व्यक्तिगत के लिए और कम्पनी के इन कष्ट के दिनो के लिए। अंत मे वह कहता है, "यदि आप यह रकम मेरे हिसाब में जोड दें तो इसे मै अपनी सेवाओ व परिश्रम के लिए महान प्रशंसात्मक पुरस्कार मानूंगा। मैं अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाना चाहता हूँ। अब मैं जीवन के पचासवें वर्ष में हूं। इनमे इकतीस वर्ष मैने कम्पनी की सेवा में बिताए, और इस सेवाकाल का अधिकांश विश्वसनीय कार्यों में लगाये—मेरी आत्मा मुझे अपनी शक्ति, योग्यता और कार्यशक्ति पर अभिमान करने की सम्मति देती है। अपनी इन्ही योग्यताओं के कारण मै कम्पनी से पुरस्कार की आशा करता हूँ। मै असंतुष्ट न होऊँगा, यदि आप मेरी सेवा के लिए दूसरे पुरस्कार दे, या जो भी आप निर्णय करे, फिर भी मुझे तभी असंतोष होगा यदि मै अपने वर्तमान पद से हटाया जाऊँ।"

अब श्रीमान देखे कि उसकी क्या स्थिति है, जीवन की स्थिति और उसके सौभाग्य की बात जिसके लिए वह प्रार्थना करता है और जिस हिसाब मे वह रुपये लेना चाहता है। श्रीमान को स्मरण होगा कि १७७३ में उसने कहा था कि यदि वह अपने तत्कालीन पद पर कुछ ही वर्षों बना रह जाये तो उसे बाकी जीवन बिताने के समस्त साधन प्राप्त हो जाएंगे। उस समय के लगभग ८ वर्ष बाद, यानी १७८२ के जनवरी के महीने मे उसने आवश्यकताओ का दबाव अनुभव किया, लेकिन किसी तरह, इतनी बुरी तरह नही कि अपने पद का दुरुपयोग करता। वह सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहता था। आप श्रीमान देखेंगे कि बाद मे उसकी आशाओ पर किस प्रकार तुषारापात हुआ है। डायरेक्टरो की परिषद ने जब मिस्टर हेस्टिंग्स से यह पत्र प्राप्त किया जिससे उसने कम्पनी का जो आदेश था उसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। अत. समस्त रकम कम्पनी की ही थी और गवर्नर जनरल या परिषद के सदस्य कोई भी उसको लेने के अधिकारी न थे। आप देखें कि कम्पनी द्वारा घूसखोरी की मनाही का कितना बडा प्रभाव पडा था, क्योंकि इसके पूर्व तो वह प्रत्येक क्षण दोनो हाथो से घूस लेने मे तनिक भी संकोच न करता था।

अब श्रीमान के सम्मुख एक लाख पौण्ड की स्वीकारोक्ति पटना से लिखे पत्र में प्रस्तुत है। यह पत्र २० जनवरी १७८२ का है। मिस्टर हेस्टिंग्स के हर पत्र मे आप रहस्य और छिपाव देखेंगे क्योंकि यही तो बडी रोचक बात है कि यह पत्र प्रत्येक बार की तरह उचित माध्यम से डायरेक्टरों की परिषद को नही भेजा गया था, बल्कि मेजर फेयरफैक्स जो उसके दलाल मेजर स्कॉट का भी

दलाल था, द्वारा भेजा गया था, कम्पनी के पास। ऐसा क्यो किया गया था? श्रीमान देखेगे कि इस प्रकार पत्र भेजने मे उसने अपने प्रतिनिधि पर सारा ही दायित्व छोड रखा था। उसने प्रत्येक बार की तरह पुलिंदे मे पत्र न भेज कर सदूक मे रख कर भेजा, सो भी एक अपने ही प्रतिनिधि के द्वारा जिसने उसे पहुँचाया। यहाँ भी उसने उन व्यक्तियो के सम्बन्ध मे कुछ भी नही बताया जिनमे उसने रुपये प्राप्त किए, किसी भी हिसाब के सम्बन्ध मे नही जिनका पहले हमने जिक्र किया है।

पटना के इस पत्र के बाद दूसरा मई का वह कलकत्ता आता है, उस नीयत से जिसका वह स्वय वर्णन करता है, तनिक उत्तेजनावश क्योकि बनारस को लूटने की उसकी आशाएँ पूरी तरह ध्वस्त हुई थी। और जैसा कि श्रीमान ने सुना है कि जिस ढग से बेगमो का लूटने का सारा धन उसने सना पर अपव्यय किया था, उसके पास कोई सम्पत्ति बची न थी। वह बहुत चिन्तित और पूरी तरह उत्तेजित था क्योकि उसे मालूम था कि उससे उसका पद छीने जाने की उसे कई बार चेतावनी मिल चुकी थी और शायद उसे वापस बुला कर उससे हिसाब पूछा जाता। उसने सुन रखा था कि जॉच-पडताल शुरू हो गई है और यद्यपि उस समय तक बंगाल पर हमला नही हुआ था घूसखोरी व अपहरण का अभियोग मद्रास के गवर्नर पर लग चुका था। इसी त्रस्त मानसिक स्थिति मे, पूरी तरह चिन्तित और उद्विग्न स्थिति मे उसने एक पत्र लिखा, जैसा वह स्वय बताता है—२२ मई १७८२ को। आप श्रीमान देखेगे कि जब वह उत्तरी भारत मे कलकत्ता आया तो २२ मई तक उसने इन सारे लेन-देनो का कोई हिसाब नही दिया और यह पत्र, २२ मई का यह पत्र इन लेन-देनो का हिसाब प्रस्तुत करता है। और २२ मई का कहा जाने वाला यह पत्र आगामी १६ दिसबर तक भेजा न गया था। हमलोग बहुत स्पष्ट रूप मे सिद्ध कर देगे कि उसने जान-बूझ कर नही भेजा, और १६ दिसबर १७८२ को एक दूसरे पत्र के साथ २२ मई की तारीख का कहा जाने वाला पत्र सलग्न किया। यह एक खोजपूर्ण पत्र है। कई नई-नई बातो पर प्रकाश पडता है, यह सब नई-नई धरती की खोज जैसी घटनाएँ है।

यह पत्र माननीय डायरेक्टरो की परिषद के नाम लिखा गया है तारीख है—फोर्ट विलियम, २२ मई १७८२। वह बताता है कि उसने वचन दिया था कि दस लाख रुपयो का वह हिसाब देगा जो उसने प्राप्त किया है और वह कहता है कि वह वचन अब वह पूरा कर रहा है। वह इस हिसाब को भी पहले के अनेक हिसाबो जैसा ही मानता है। उसके शब्द है—"यह वचन अब मै पूरा कर रहा हूँ, इस प्रकार की रकमो को बराबर मै कम्पनी की सम्पत्ति मे जोड़ता रहा हूँ। दूसरी रकम की सूचना पहले ही आप को दी जा चुकी है, एक पत्र द्वारा जो मैने डायरेक्टरो की परिषद के माननीय सदस्यो के नाम २६ नवंबर १७८० को लिखा

था। यह दूसरी और तीसरी रकम तत्काल ही सरकारी खजाने में जमा की गई है, मेरे ही आज्ञा द्वारा जो मैंने उप-अधिकारी को कम्पनी के हिसाब में जमा करने को दी थी। लेकिन यह रकम कभी मेरे हाथों नहीं छू गई। और तीन रकमें जिनके लिए मुझे दस्तावेज प्राप्त हुए थे वे भी कम्पनी के खजाने में जमा होने जैसे ही थे। पचास हजार की रकम मुझे प्राप्त हुई थी जब मैं बनारस की यात्रा पर था।

"जिस ढंग से ये रकमें बढ़ाई गई हैं, मैंने पूरा ब्योरा संलग्न हिसाब में लिखा है। ये हिसाब उतने ही सही व स्पष्ट हैं जितने से अधिक स्पष्ट बताना मेरी शक्ति के बाहर है।"

मैं श्रीमान से द्वितीय कालम देखने की प्रार्थना करूँगा जिसमें उसने यह स्पष्ट किया है कि उसने आखिर घूस ली ही क्यों, उनमें से कुछ के बदले उसने दस्तावेज भी क्यों प्राप्त किए, जो उसके अपने रुपये थे और कम्पनी के रुपये न थे, क्यों उसने कुछ को तो कम्पनी के हिसाब में लिखा और क्यों कुछ को गुप्त रखा और उनका हिसाब न दिया? इन प्रश्नों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। मैं वह अंश पढ़ता हूँ, "ये रकमें मेरे द्वारा क्यों स्वीकार की गई, क्यों दूसरी वाली रकम को छोड़ कर बाकी चुपचाप कम्पनी के उपयोग के लिए दे दी गई, क्यों पहली रकमों के लिए दस्तावेज प्राप्त किए गए और अन्य रकमों के लिए दस्तावेज नही लिए गए? संभव है ये प्रश्न जनता के सम्मुख विभिन्न रूपों में उपस्थित हो कर विभिन्न अनुमानों को जन्म दे, अतः इनका उत्तर देना उपयोगी होगा। इन प्रश्नो पर यदि माननीय अदालत प्रश्न करती तो मैं अवश्य उत्तर देता कि ये सभी रकमें कम्पनी के लाभ के लिए ही ऐसे अवसरों पर प्राप्त की गई जब कम्पनी को सचमुच रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी और मैं या तो पहली रकमों की प्राप्ति को छिपाता और दस्तावेज ले कर जनता की उत्सुकता को शांत करता या आज इतने दिनों पुरानी बातों को अपनी स्मरण-शक्ति से मान्यता या अमान्यता प्रदान करता। लेकिन बाद की रकमों के लिए मैंने तो इतनी भी सतर्कता नही बरती। विश्वास है, माननीय श्रीमान, कि मैं इतना कहने की स्वतंत्रता भी चाहूंगा कि इस विषय और इन घटनाओं के संबंध में मैं अपने को निर्णय करने वाला सर्वोच्च अधिकारी मानता हूँ।" अब आप देखें, श्रीमान, कि इतने दिनों तक डायरेक्टरों ने जिन स्पष्टीकरणों के लिए प्रतीक्षा की, अब वह उनके संबंध में कहता है कि यह रकमें मैंने क्यों स्वीकार कीं, दूसरी रकम को छोड़ कर, चुपचाप क्यों कम्पनी के हिसाब में जमा कर दीं, मैं बता नहीं सकता। क्यों पहली रकमों के लिए दस्तावेज लिए गए और अन्य के लिए नहीं, यह भी नहीं बता सकता। यदि इस विषय पर पूरी तौर से प्रकाश डाला जाय तो इससे बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी और बहुत सी बातों पर प्रकाश पड़ेगा। यहाँ अपने सामने एक हिसाब है, जिससे अत्यन्त नगण्य, बहुत रहस्यात्मक और बहुत जालसाजी के हिसाब के ऊपर प्रकाश पड़ेगा। जब

पूछा जाता है कि कैसे उसने ये दस्तावेज प्राप्त किए, कैसे उसने यह जालसाजी की, तो वह आपके सामने भी उत्तर देता है कि वह कुछ नही जानता। शायद उसकी यह नीयत पहले से ही रही हो, या उसका भीतरी मन व नीयत कुछ और रहा हो, या वह यह सब चीजे जनता की उत्सुक दृष्टि से छिपाना चाहता रहा हो, लेकिन जो बात सबसे आश्चर्यजनक है वह यह कि उसे पूरा विश्वास नही कि उसकी ऐसी कोई नीयत भी थी जिसे आज उसकी स्मरण-शक्ति स्मरण कर सके। यह सारा मामला केवल डेढ वर्षों के बीच का है और यह व्यक्ति है जो अपना हिसाब अपनी सनक व मन ही मन पर सिद्धान्तहीन ढग से रखता है। कोई भी सोच सकता है कि उसके मन मे पहले से सब कुछ सुनियोजित व सुनिश्चित था। जो रकम उसकी अपनी न थी उसके लिए, उसने क्यो दस्तावेज प्राप्त किए, और क्यों उसने कुछ रकमो के लिए ही दस्तावेज लिया, सम्पूर्ण रकमो के लिए क्यो नही लिया, वह इन बातो के लिए कुछ नही बता सकता जैसे कुछ भी न जानता हो। वह प्रार्थना करता है कि इन बातो के बारे मे उससे न पूछा जाय क्योकि इससे कोई भी लाभ न होगा। उसका स्पष्ट आशय है कि "तुम परिषद के मूर्ख डायरेक्टरो, तुम अटकल और अनुमान लगाओ और लगाते रहो। तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी रकमो पर मैने अपने नाम से दस्तावेज क्यो प्राप्त किए, मैने तुम्हे धोखा क्यो दिया, और क्यो मैने इस ढग से हिसाब को उलट-पुलट कर रखा है। मै कुछ भी नही बताऊगा।"

उसने उन्हे जो भी सतोषजनक उत्तर देने का वचन दिया हो, पर न तो वह व्यक्तियो का नाम स्पष्ट करता है, न समय, न अवसर, न कारण, न इन घटनाओं की उपयोगिता। वह कहता है—"मैंने आवश्यकता ही नही समझी कि बाकी रकमो के लिए भी पहले वाला रास्ता ही अपनाऊँ।" किन्ही स्वार्थ व कारणवश, उसने आवश्यक समझा कि खूब उलझन वाली और छिपाव वाली कला का ही उपयोग किया जाय, और कुछ के लिए यह भी नही बताता कि उसकी क्या नीयत थी, या यह केवल छिपाने के लिये ही सब किया गया था, या केवल लापरवाही थी। यही तो घूसखोरी का सबसे स्पष्ट स्वरूप है। क्या मैने अपने पूर्व और अब के वक्तव्यो मे कोई उलटफेर किया है? कितनी अजीब बात है, एक व्यक्ति जिसे रुपये देने है वह प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जिसे जमानत मे दस्तावेज देना है वह प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जिसे हिसाब-किताब रखना है वह कहता है कि वह सब कुछ भूल गया है। सक्षेप मे ऐसी धाँधली की यह कथा है कि जहाँ जाँच-पडताल भी सम्भव नही। इन्ही धाँधलियो के साथ मे लगभग दो लाख पौण्ड का हिसाब डायरेक्टरो की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आपको इस समस्त व्यापार मे कुछ भी स्पष्ट न दिखेगा, केवल इसके कि सभी लेन-देन के मामलो को अच्छी तरह छिपाया गया है। यह सब स्पष्ट तथ्य है।

लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही गंभीर बातें है। इस प्रकार हिसाब के

छिपाव में कौन लोग सहयोगी थे ? श्रीमान् कोई और नहीं, कम्पनी का सरकारी खजांची। वही खजांची रुपये लेता है, जानते हुए भी कि यह कम्पनी का सब जान-बूझ कर कम्पनी के लिए खर्च करने को वह रुपये मिस्टर हेस्टिंग्स को दिए गए। वह देखता है कि उसकी जानकारी में इन्हीं रुपयों के लिए अपने पक्ष में दस्तावेज तैयार करता है। मिस्टर हेस्टिंग्स अपने नाम रुपये जमा कराता है, जब कि वास्तविकता यह थी कि लेनदार की जगह वह देनदार था। इस प्रकार उसने कम्पनी के हिसाब में उलट-पुलट करके हिसाब को भ्रष्ट किया। इस प्रकार के जालसाजी के और भ्रष्ट कामों को गलत प्रमाणों से छिपाया गया, जो सभी गलत भी सिद्ध हुए, अपने आप मे अशुद्ध सिद्ध हुए, अस्तु यह हिसाब आपके सम्मुख है और साथ ही हिसाब का ब्योरा भी है। और इस प्रकार के झूठे व लापरवाही से भरे हिसाब को मिस्टर हेस्टिंग्स जैसे सरकारी खजांची ने खाता बही में लिख रखा है जो इस हिसाब में पूरी तरह झूठा व धूर्त सिद्ध होता है। यह यही नहीं, इस हिसाब में रकमें जमा करने के संबंध में एक दूसरी भी रोचक बात है जिसे उसने अपने २९ नवंबर १७८० के पत्र के पहले कालम में स्पष्टतय: लिखा है। वह लिखता है कि जमा रकम मिस्टर लारकिंस के हाथों १ली जून को जमा हुई। यह लिखा तो है पत्र में, पर यह रकम कही भी नवंबर तक हिसाब में नहीं लिखी गई। अब १ली जून से नवंबर के बीच यह रकम कहाँ रही ? इसका कहाँ क्या हिसाब था ? यह पूरी तरह मिस्टर लारकिंस और मिस्टर हेस्टिंग्स के बीच का रहस्य बना रहा, जिनमें से किसी के द्वारा भी इस रहस्य के उद्घाटन की कोई संभावना नही है। यहाँ दो सौ हजार पौंड पाने का हिसाब है जो खजांची और उसके बीच का जादू जैसा खेल है और कम्पनी के हिसाब में कहीं उस रकम का उल्लेख नही है। इसका आभास कम्पनी द्वारा निर्मित कमेटी के कुछ सदस्यों से मिला जिन्होंने इस रकम के संबंध मे जाँच की थी और उन्हे भी केवल इतना ही पता लग सका था कि हेस्टिंग्स ने कम्पनी के नायब खजांची के हाथों यह रकम जून में प्राप्त की थी। उन्होंने बहियों और हिसाबों की खूब जाँच-पड़ताल की लेकिन उन्हें इस रकम का कोई भी आभास नही मिला, न कोई अंदाज ही लगा, क्योंकि नवम्बर तक यह रकम हिसाब मे लिखी ही नही गई थी। खजांची ने रुपये तो पाये पर जून से नवम्बर तक हिसाब मे नहीं लिखा गया। फिर अंत में हमें इसका हिसाब मिला। तो जो हिसाब मिला वह भी कम्पनी के खाते में ढंग से लिखा था ? नही, ऐसा नहीं; गवर्नर जनरल के नाम यह जमा रकम आगे बढ़ती रही।

श्रीमान, अंत में जब यह हिसाब सर्वविदित किया गया, जब यह रकम सरकारी धन माना गया, तब भी यह किसका था ? क्या यह रकम कम्पनी की बनी रही ? नहीं, मिस्टर हेस्टिंग्स की। और इस प्रकार, नवम्बर तक छिपाई गई इस धनराशि के लिए डायरेक्टरों ने पूरी जाँच-पड़ताल की। उन्होंने कहा—हमने

दो लाख रुपयो को जमा पाया पर यह रुपया है कहाँ ? फिर उन्होंने पाया कि यह धनराशि मिस्टर हेस्टिंग्स की सम्पत्ति थी, न कि कपनी की क्योकि हिसाब मे यह रकम उसी के नाम से जमा थी । इस प्रकार वह यह रकम देता है, २२ मई १७८२ को बताता है कि दस्तावेज ही जाली न थे बल्कि हिसाब भी जाली था, और न तो दस्तावेज न यह रकम ही कभी उसके हाथ मे रही । लेकिन प्रश्न यह है कि उसने फिर हिसाब मे इस प्रकार क्यो लिखा ? या यदि लिखा भी तो उसे कंपनी की रकम मान क्यो नही लिखा ? क्यो गलत हिसाब लिखा गया, अपने नाम से क्यो जमा किया ? फिर दो वर्ष बाद क्यो ? इतने दिनो यह बात क्यो छिपा कर रक्खी और दो वर्ष बाद प्रकट की कि यह कपनी की सम्पत्ति थी, अपनी व्यक्तिगत नही ? क्या यह सरकारी कागजो के साथ खेल न था ? उसने यह सब पहले ही प्रकट क्यो न किया या डायरेक्टरी के सम्मुख न बताया ?

मुझे केवल यही कहना है, कि इस पत्र मे जो यह कहा जाता है कि २२ मई १७८२ को लिखा गया है, आप श्रीमान भी देखेगे कि वह इसे अपना कर्तव्य समझता है (मै इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यही बात आगे हमारे लिए महान प्रमाण सिद्ध होगी ।) कि वह सारी बाते स्पष्ट और खोल कर रखे । वह उनके सामने अपने कार्य व चरित्र के सम्बन्ध मे सब कुछ खोल कर रखे जिसके संबंध मे वह अपनी असमर्थता प्रकट करता है । वह अश अभी-अभी आपके सम्मुख पढा जा चुका है । इसके स्पष्ट अर्थ है —मैने कई बार रिश्वत ली है मैंने आपके सरकारी हिसाब मे भी उलट-फेर की है—मैने आपके पक्ष मे सिद्धात तक उलट-पुलट दिए है—अब मै आपके सामने अपने समस्त इस प्रकार के अनुचित कार्यों को स्पष्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप मुझ पर विश्वास रखे । – अब सारे विपरीत सिद्धात, बल्कि इससे भी अधिक, उन सिद्धान्तो पर जिस पर एक व्यक्ति पर धोखाधडी का अभियोग लगता है और वह कठोरतम सजा का भागी होता है, वह तब भी कहता है कि वह विश्वासपात्र हे । अगर आप श्रीमान का कोई कारिन्दा हो, जो आप से बताए कि उसने आपके रुपए ही आपको उधार दिए है और इसके बदले मे आप से ही दस्तावेज लिखवाए है और वह बाद मे आपसे कहता है कि वह रुपया न आप का था न उसका, बल्कि किन्ही आपत्तिजनक ढंग से आप के ही किराएदारो से वसूला गया था, तो मै यह जान कर प्रसन्न होऊँगा कि श्रीमान ऐसे कारिन्दे के बारे मे क्या सोचते है जो ऐसा कहे कि इस अवसर पर भी मैं विश्वासपात्र ही बना हुआ हूँ ।

आप श्रीमान देखेगे कि पत्र मे हिसाब के संबंध मे स्पष्टोक्ति पाकर कंपनी ने वे रास्ते जानने चाहे जिनसे यह रुपये प्राप्त हुए तो इस प्रश्न का एक भी उत्तर नही दिया जाता । इस प्रकार के सभी लेन-देन पर कोई रोशनी नही पडती । लेकिन यद्यपि हमलोगो ने खोज निकाला है कि किससे उसे यह घूस मिली है और श्रीमान आतंक

से घबरा जाएँगे जब उस संबंध में सुनेंगे।

मैं आप से पहले ही कह चुका हूँ कि यद्यपि इस पत्र पर २२ मई की तारीख है फिर भी यह पत्र योरप से दिसंबर तक नहीं भेजा गया और वह अपने एजेंट के रूप में मिस्टर लारकिंस को पाता है जो कंपनी के हिसाब की उलट-पुलट करने में एक विशेष माध्यम बनता है, जो गवाही देता है, कसमें खाता है कि यह पत्र २२ मई को लिखा गया था, पर दिसंबर तक भेजने का उसे ही अवसर नहीं मिल पाया। उसी महीने की १६ तारीख को वह डायरेक्टरों को लिखता है और बताता है कि इस रहस्य का पता लगाने में उसे दो वर्ष लग गए, इसीलिए यह विलम्ब हुआ। वह बहुत दुखी था, अपने को सदा विपरीत परिस्थितियों में पाता रहा, इस आशंका से कि सदन के स्तर पर जाँच-पड़ताल, जो उस समय चल रही थी, शायद उससे समस्त रहस्य बलपूर्वक प्राप्त कर ले। वह कहता है, "मैं किसी भी संसदीय कार्यवाही के फैसलों से नहीं डरता।" सचमुच उसे किसी भी संसदीय कार्यवाही से डरने की आवश्यकता नहीं है, यदि इस संसदीय जाँच-पड़ताल में उसके पत्र के अतिरिक्त कोई प्रमाण न मिले जो उसने अपने २२ मई के पत्र में लिखे हैं और संलग्न हिसाब में प्रस्तुत किए है। वह कहता है, "देरी से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जो मेरे संबंध में अभाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे वह बहुत नीच कृत्यों वाला बताती है।"

अब आप देखें, यह कितना रोचक पत्र है, जिसे मैं किसी अन्य कारणवश ही पढ़ना चाहता था। अब बाद में प्रस्तुत करूँगा, पर अभी तो यह दिखाऊँगा कि इसे भी वह अपना कर्तव्य समझता था और अपने लिए व्यक्तिगत रूप से असम्मानजनक भी, कि उसने कंपनी को उन गुप्त हिसाबों का स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह जानता था कि यह हिसाब उसके चरित्र पर आक्षेप करेगा और उसके चरित्र को सदा के लिए बदनाम कर देगा, यदि यह वह स्वयं उपस्थित नहीं कर देता, बल्कि संसदीय जाँच के परिणामस्वरूप सामने आता है। अपने १६ दिसंबर १७८२ के पत्र में वह लिखता है—"देरी का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसने ऐसी परि-स्थिति पैदा कर दी है जो मेरे सम्बन्ध में अभाग्यपूर्ण है क्योंकि वह मुझे बड़े नीच कृत्यों वाला सिद्ध करती है। लेकिन संसदीय खोजों से प्राप्त सारे प्रमाण तब तक बिल्कुल गुप्त थे जब तक मैंने पत्र नहीं लिखा था। यह पत्र भी मैंने २० जनवरी के अपने पत्र के सन्दर्भ में लिखा और यह तथ्य मुझ पर यह प्रभाव डालेंगे इसीलिए मैंने मिस्टर लारकिंस से चाहा जो समस्त लेन-देन व लिखा-पढ़ी का जिम्मेदार था कि वह जिस तारीख को पत्र लिखा गया था उस तारीख की प्रामाणिकता के लिए अपनी मुहर लगा दे। अपनी प्रतिष्ठा व बदनामी को ध्यान में रख कर मेरा यह सुरक्षात्मक उपाय बिल्कुल ही उचित था। यदि कभी भी मेरे अधिकारी में वह विश्वास होता जो मेरे मालिकों ने मेरे पूर्व के उच्च अधिकारियों को दिये थे तो मैं अवश्य

ही उस विश्वास का उचित उपयोग करता । मैने अपने ऊपर दूसरे तरह का नियंत्रण कैसे लगाया—मै नही जानता, इतना अवश्य है कि मैंने कोई भी ऐसा कार्य नही किया जिसे पद का दुरुपयोग कहा जाय । और अपने बत्तीस वर्ष के कार्यकाल मे, जिनमे दस वर्षो को मैने भारत मे ब्रिटिश राज्य के सर्वोच्च पद पर रह कर राज्य की शक्ति को बढाने में लगाये, और उच्चतम अदालत को जानना चाहिए कि मैने सफलतापूर्वक राज्य के सम्मान की रक्षा ही नही की बल्कि उसे बढ़ाया । यदि मै यह सब चाहता तो इतना स्पष्ट कर दूं कि मैंने राज्य के पक्ष मे ही उन सभी सूचनाओं को छिपाया जिन्हें अब मै आपके माध्यम से सार्वजनिक बना रहा हूँ कि जो भी रकम मैंने अपने अधिकार मे रखी थी वह सभी मैने कम्पनी के हिसाब में बाद में जमा कर दिया था और मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाय कि मुझ पर जो भयंकर और आपत्तिजनक तथा अप्रतिष्ठित अभियोग लगाये गए है वे संभव है आप के लिए लाभदायक सिद्ध हो ।

"इन तमाम लेन-देन के व्यापार के सम्बन्ध मे, आप लोग तो अपने स्वभाव अनुसार ही सभी कुछ बँधे-बँधाये नियम के अन्तर्गत ही करेंगे, उस दृष्टि से मेरे कार्य संभवतः अनुचित न लगे, पर अभूतपूर्व तो लगेंगे ही, पर मुझे कुछ तुच्छ बातें आपके सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत करनी है ।

"यदि इन व्यापारो के सम्बन्ध मे मै किसी विपरीत और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मे दिखाई पड़ूँ तो मै किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ जो मेरे विरुद्ध उठाये जाएँ । मै शपथपूर्वक उनका उत्तर दूंगा ।

"मै आप व जनता की दृष्टि से सब कुछ छिपा सकता था यदि मेरी नीयत कही भी खराब होती और मेरे मन पर प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त और कोई परिणाम न होता । इस प्रकार का मानसिक कष्ट मै अपने कार्यकाल मे कई बार उठा चुका हूँ । अपने मन मे मेरी प्रतिष्ठा ही मेरे लिए महानतम पुरस्कार है और आप की तथा अपने देश की प्रतिष्ठा को भी जीवन की दूसरी सार्थकता मानता हूँ ।"

आप श्रीमान देखेंगे कि इस पत्र के अन्त मे यह व्यक्ति कहता है— 'अपने मन मे अपनी प्रतिष्ठा जीवन की प्रथम सार्थकता है"—और दूसरी सार्थकता वह मानता है अपने मालिको की प्रतिष्ठा ! अब देखना है कि उसके इन दोनों प्रतिष्ठा के कारण क्या है ? आप देखे, वह कहता है कि उसके पूर्व अधिकारी को अधिक विश्वास दिया गया था । लार्ड क्लाइव उसका पूर्व अधिकारी था । उसका भी पूर्व अधिकारी था गवर्नर कार्टियर । उसका भी पूर्व अधिकारी था गवर्नर वेरेल्स्ट । यह सभी उस जैसे ही अच्छे थे फिर भी वह कहता है कि उसके पूर्व अधिकारियों को अधिक विश्वासपात्र माना गया था । क्या इसके यह अर्थ है कि घूसखोरी की आजादी ही विश्वासपात्र बनने का दूसरा रूप है ?

लेकिन वह डायरेक्टरों से क्या कहता है ? वह कहता है "इन सभी लेन-देन के

व्यापार के संबन्ध में, आपलोग तो अपने स्वभाव के अनुसार ही सभी कुछ बँधे बँधाये नियम के अन्तर्गत ही करेंगे, उस दृष्टि से मेरे कार्य संभवतः अनुचित न लगें पर अभूतपूर्व तो लगेंगे ही, पर मुझे कुछ तुच्छ बातें आपके सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत करनी हैं।" अब आप देखें कि वह स्वयं उच्चतम खजांची है, हिसाब-किताब का जिम्मेदार है। यह बताता है कि उसके डायरेक्टर उससे क्या चाहते हैं, वे उसे घूसखोरी से रोकना चाहते थे। इस पर भी अपनी दृष्टि में वह अपने को महान समझ रहा है।

वह हम जनता के लोगों को भी धोखा देता है। जब हम उससे उचित हिसाब माँगते हैं तो वह आहत होता है। वह समझता कि उसके साथ कठोर व्यवहार हुआ है। वह खीझ कर कहता है, क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार उचित है? देखिए श्रीमान, उसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं किया गया, फिर भी उसे आपत्ति है। डयरेक्टरों की परिषद ने तो अपनी स्वयं बड़ी लज्जाजनक स्थिति बना रखी थी। उसके सामने वे यों गिड़गिड़ाये थे जैसे वे ही उसके अधीन थे, न कि मालिक। उन्होंने तो उससे केवल यही जानकारी चाही थी कि उसने कहाँ से और किससे ये रुपये प्राप्त किए। जिनका वह स्वामिभक्ति सेवक है उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाने को ही वह व्यक्तिगत अपमान मानता है। वह भूल जाता है कि कम्पनी का सेवक होने के नाते, कम्पनी उसको अधिकारपूर्वक हिसाब पेश करने की आज्ञा दे सकती है। फल यह हुआ कि कम्पनी के हर प्रयत्न के बाद भी उसने कोई हिसाब नहीं दिया।

वह आगे कहता है कि उससे हिसाब माँग कर उसे उन्होंने उत्तेजित कर दिया है—लेकिन कैसी उत्तेजना! वह कहता है, "अपने ही प्रयोग के लिए जिस रकम को मैंने आपके हिसाब मे जमा किया और मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाय कि मुझ पर जो भयंकर आपत्तिजनक तथा अप्रतिष्ठित अभियोग लगाए गए हैं वे संभव है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों।" पर उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाए। उन्होंने न तो उसकी कभी बदनामी की, न तारीफ। बस उन्होंने जो हिसाब समझ में न आए उनका स्पष्टीकरण ही चाहा और मेरा विश्वास है कि आप श्रीमान भी उनसे अधिक इसके हिसाब को न समझे होंगे, क्योंकि उसके हिसाब को समझना किसी भी आदमी के लिए संभव नहीं है। उनके प्रश्न के उत्तर में हिसाब समझाने के स्थान पर वह उन्हें धमकाने की हिम्मत करता है—"यदि मुझे उत्तेजित किया गया तो मैं दूसरी बार हिसाब में उलट-पुलट कर दूँगा और आप के हिसाब में जमा रकम की माँग कर बैठूंगा, पुनः मिस्टर लारकिंस की सहायता से पूरा हिसाब उलट दूंगा।" हिसाब की जिम्मेदारी के संबंध में उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है कि वह हिसाब को नष्ट करने की शक्ति की बात करता है। अतः हम तो अब यही कहेंगे कि कम्पनी का समस्त हिसाब तुमने भ्रष्ट किया,

अपने दलाल व प्रतिनिधि मिस्टर लारकिस के माध्यम से। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुमने न केवल कम्पनी को हिसाब भ्रष्ट करने की धमकी दी, बल्कि तुमने सचमुच हिसाब को भ्रष्ट भी किया है।

लेकिन यदि मान भी लिया जाय कि यह पत्र २२ मई को ही लिखा गया और १६ दिसम्बर तक रोक लिया गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बीच के इन सारे दिनों मे उसने इस धोखाधडी व घूमखोरी के बचाव के लिए रास्ते भी सोच लिए होंगे। क्या उसने ऐसा किया ? नही, कदापि नही। आप देखें कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो चार हिसाब पेश किए उनमे से यदि एक भी सत्य व उचित है तो शेष तीन झूठे और असत्य ही—क्योंकि कम्पनी के हिसाब को उलझन मे डाल कर बता सकने मे असमर्थ, उसने मालिकों के विनयपूर्वक आग्रह को सदा धमकी की सज्ञा दी। आपने अभी तक इसके सिवा और कुछ नही सुना कि नवाब द्वारा पाए गए एक लाख पौंड को उपहार के रूप मे उसे देने से मालिकों ने अस्वीकार किया। और अस्वीकार करके उन्होंने उचित ही किया।

हम देखते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स सन् १७८४ के सितम्बर मे गंगा नदी के किनारे था—वही गगा नदी जिसका पवित्र जल हिन्दुओ के अनेक पापो को धो डालता है और जो मिस्टर हेस्टिंग्स के हाथो मे लगी घूमखोरी की कालिमा को धो देता। लेकिन यहाँ भी हम देखते है कि वह दूसरी रिश्वतो की खोज मे तल्लीन था। यहाँ की रिश्वतखोरी बिल्कुल दूसरे ढग की थी। यहाँ की रिश्वत कम्पनी के उपयोग के लिए नही थी। यहाँ के रिश्वत पूर्णतया अपने ही उपयोग के लिए ली गई थी। वह बताता है कि उसने यहाँ तीस हजार पौंड से चालीस हजार पौंड के बीच प्राप्त किया। पहले की तरह यह घूस भी अनधिकारी ढग से प्राप्त किया और वह मालिकों से इसकी मान्यता व स्वीकृति पाने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहा।

श्रीमान को याद होगा कि २० जनवरी १७८२ को पटना से लिखे गए उसके पत्र मे उसने लिखा है कि वह आर्थिक दृष्ट से काफी अच्छी स्थिति मे है और केवल दो वर्ष अधिक सेवा मे रहने के कारण ही वह भिखारी बन कर रह गया है। वह कहता है, "यह सारा जीवन उसने आपके ही लिए करोड़ो रुपये जमा करने मे लगा दिया है और व्यक्तिगत कार्यो व खर्चो के लिए वह मिटता चलता गया।"

सन् १७७३ मे उसने सोचा कि इस पद पर रह कर वह एक बडी रकम बचा सकेगा। सन् १७८२ ई० मे कहता है कि वह बहुत अच्छी स्थिति मे है और दो वर्ष बाद ही वह व्यक्तिगत खर्चों के लिए तबाह हो जाता है। फिर इस कष्ट से बचने के लिए वह क्या करता है ? वह घूसखोरी करता है। यह सभी घूसखोरी वह अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए करता है, न कि कम्पनी के लाभ के लिए। घूस न लेने के पहले ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात उसने निश्चित कर ली थी और

इसको भी कम्पनी से स्वीकृति चाहता था। उस समय कम्पनी को कहना चाहिए था —यदि तुम्हारा कम्पनी पर कर्ज है तो बताओ, हम तुम्हें देंगे। यदि तुम अपनी योग्यता के लिए मांगते हो तो योग्यता सिद्ध करो, हम विचार करेंगे। दूसरे से ले कर उसकी स्वीकृति हमसे कैसे मांगते हो ?

देखिये श्रीमान, कम्पनी कितनी विषम परिस्थिति मे फंसी है ? मैने तुम्हारे लिये बहुत किया हे, यह तो हमारा हिस्सा है, हमारा एक गीदड का हिस्सा, तुम तो शेर हो। मै तुम्हारे लिए घूस प्राप्त करने वाला दलाल हूं। मै तुम्हारे लिए सारी धूर्तताएँ करता रहा हूँ, मै तुम्हारे लिये भ्रष्टाचार की सारी गहराई मे हो कर निकला हूँ, केवल तुम्हारे लाभ के ही लिये। और अब मैं व्यक्तिगत आवश्यकताओ के दबाव के कारण मरण-स्थिति को पहुच गया हूँ। मुझे दो —क्या ? रुपया, यह घूस दो, जो रुपया मैने तुम्हारे नाम पर दूसरे से छीना हे, सब मुझे दो। उसके न्याय का यही विचार है। वह कहता है, 'मैने जो योजना प्रारम्भ मे बनाई थी, उसमे अलग हटने को विवश हूँ।'' अब यदि कम्पनी का कोई भी नौकर कहे कि मैने व्यर्थ की रकम खर्च की तो वह सब भी तुम्हारी भलाई के ही लिये। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिये देश के साथ खेलने दो, मेरी घूसखोरी को मान्यता व स्वीकृति दो, मेरे धोखाधड़ी व अपहरण को मान्यता दो यह सब करके न्याय को प्रतिष्ठा दो। अब बताइए, हम कैसे देश मे रह रहे हैं, जहाँ इन चीजो को न्याय व महानता की संज्ञा दी जाती है।

स्वाभाविक रूप से यह आशा की जा सकती हे कि इस पत्र मे उसने जिस व्यक्ति से घूस ली हे उसके संबध मे कुछ न कुछ हवाला अवश्य दिया होगा। लेकिन यहाँ और जैसा कि दूसरे मामलो मे भी हुआ कि वह सब भूल गया। जैसा आपने मिस्टर मिडलटन के मामले मे भी देखा कि उन्हे कुछ याद नही, उन्हे कुछ भी मालूम नही। उस दिन से ले कर आज के दिन तक उसने यह नही बताया कि उस रुपये किस व्यक्ति से मिले, लेकिन हमने उसकी खोज कर ली है। संसदीय जॉच-पडताल की यही तो विशेषता है। आप श्रीमान देखेंगे कि इस जाँच-पडताल मे संसद को कितना परिश्रम करना पडा जब उसने ससदीय प्रयत्नो को ईर्ष्या व डाह कहने की धृष्टता की, क्योंकि उसके जिन धोखों और अनुचित कार्यो को प्रकाशित कर दिया है, उन्हे मैं सिद्ध भी कर दूंगा।

अब मै आपके सामने उसके प्रतिरक्षा के बयान मे से कुछ अंश पढ कर सुनाऊंगा—''लगाए गए अपराधो मे, अन्तिम अंश मे कहा गया है कि मेरे २१ फरवरी सन् १७८४ के पत्र मे जो डायरेक्टरो की परिषद को लिखा गया था, उसमें मैंने दूसरी रकम प्राप्त करने को स्वीकार किया है यह रकम यद्यपि स्पष्ट नही है कि कितनी हे फिर भी किसी तरह यह चौंतीस हजार पौंड से तो कम हो ही नही सकती। सन् १७८३ के वर्ष में, जब मै सचमुच अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए बुरी तरह दुखी था

और तब स्थिति ऐसी थी कि कम्पनी के खजाने में इतना रुपया भी न था कि मेरा वेतन ही दे सके, तब मैंने कलकत्ता-निवासी राजा नवकिशन से तीन लाख रुपये उधार लिए, जिसे मैंने ढंग से लिखे दस्तावेज मुझसे प्राप्त करने को कहा। उसने वैसा ही किया, लेकिन जब मैं दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहा था तभी उसने कहा कि मैं रुपये तो ले लूँ, पर दस्तावेज लिखने को रहने दूँ। मैंने उसकी इस बात को न तो स्वीकार किया और न अस्वीकार। मेरा निर्णय व नीयत इस बारे में डाँवाडोल ही रही कि मैं इसे उधार रुपये मान कर लौटाने का प्रयत्न करूँ या अन्य रकमों की तरह इसे भी कम्पनी के कार्य में लगा दिया जाय। और यह मामला अनिश्चित स्थिति में ही लटकता रहा जब तक कि मैंने लखनऊ की यात्रा नहीं की। और जब मैंने निश्चय किया कि यह रकम कम्पनी के लिए उपयोग करना चाहिये, और मैने यह निश्चय किया था —कि मैं अपने पास के समस्त रुपयों को कम्पनी की सेवा मे लगा कर कम्पनी के हिसाब में अपने नाम से जमा कर लूँगा, यही नवकिशन के रुपयों का भी करूँगा। यदि न्यायपूर्वक कम्पनी पर मेरा रुपया नहीं निकलता तो नवकिशन से तीन लाख रुपयों की स्वीकृति को भी किमी तरह मुझसे नहीं लिया जाना चाहिए। में जानता हूँ कि इस आदरणीय अदालत का कोई भी सदस्य मुझ पर सन्देह नहीं करता कि मैं हिसाब गलत बनाने जैसा नीच कार्य करूँगा।" ठीक है, हम उस पर झूठा हिसाब बनाने का सन्देह नही करते, पर हम सिद्ध कर सकते है कि उसने हिसाब गलत ही बनाए हैं। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति पर सन्देह नहीं करते जो शंका का अवसर न दे। हम किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहते जो अपराध सिद्ध करने का अवसर न दे। और हम न्यायालय के सम्मुख ऐसा कोई अपराध प्रस्तुत भी नही करते जिसे प्रमाणित करने का हमें विश्वास न हो। यहाँ हम प्रमाणों को न्याय के तराजू पर रखने आते है—और अब यहां ब्रिटेन के संसद-सदस्यों और ईस्ट-इंडिया कम्पनी का मामला स्पष्ट हो जायेगा। अपने २१ फरवरी सन् १७८४ के पत्र में वह कहता है कि उसने कभी भी सरकारी हिसाब-किताब व सम्पत्ति से अपना लाभ नहीं किया। और नवकिशन से घूस लेने की रक्षा के लिए, जिसकी खोजबीन उसने उस समय नहीं बल्कि कई वर्ष बाद की। जब संसद ने उस पर मामला चलाया, वह कहता है कि उसने समस्त रकम को सरकारी कार्यो में लगाना चाहा। वह आगे कहता है, "यदि इस पर आपत्ति हो कि मेरी इन माँगों को मानने से दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा तो मुझे कहना है कि समस्त हिसाब बारह बरसों तक गड़बड़ रहा। जिन्होंने आप की सेवा करके अपना समय काट लिया है और ऊँचे पदों की शोभा बढ़ाई है, उनसे मैंने अधिक ही मालिक को लाभ पहुँचाया है क्योंकि मेरा अकेला उदाहरण है कि मैंने समस्त जीवन आपकी एकांत सेवा में ही काटा और आपके लिए करोड़ों की रकम इकट्ठा की और अपने खर्चे के लिए इतना तंग रहा कि आज भी मैं भिखमंगा-सा ही हूँ।"

यह व्यक्ति यहाँ पर कहता है कि उसने कभी सरकारी रकम का उपयोग नहीं किया फिर यह घूस की रकम जो उसने अपने लिए प्राप्त की और कंपनी के लिए लेने की उसकी नीयत न थी, फिर भी कंपनी के आदेश के बिना ही कंपनी के नाम पर ऊटपटांग खर्चों में व्यय किया। यह रकम जो चौतीस हजार पौंड से कम न थी। लेकिन क्या सचमुच कंपनी के लिये ही इस रकम का उपयोग हुआ ? क्या ऐसा कभी सुनने में आया ? जो कुछ कम्पनी के लिये मैं कर सकता था किया—उस समय मैं बहुत उदार हो गया था। मैंने अपनी जेब से ही 'हिन्दू कानून' के अनुवाद के लिये खर्च किया। उस समय मैं अपने जीवन के उल्लासपूर्ण दिनों में था, मेरे चारो ओर रुपये बरस रहे थे, मुझे भविष्य में बड़ी आशाएँ थीं। और अब मैं बूढा हूँ, मैं उदार नही बन सकता। मैं अपने पिछले हिसाब-किताब की ओर मुड कर देखता हूँ— उस समय शायद मेरी सेवाओं के लिए आप बड़ा इनाम भी देते, लेकिन अब मै कहता हूँ कि तब अपने खर्च के लिए घूस लेने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरा रास्ता ही न बचा था। अब मान लीजिये कि लार्ड कार्नवालिस जो इसी कुर्सी पर बैठा है, मै आशा करता हूँ कि बहुत दिनों तक प्रतिष्ठापूर्वक इस पद की शोभा बढाएगा—मान लीजिये कभी अपने वेतन की कमी की माँग नही करता और दो वर्ष पूर्व उसने काफी रकम बचा ली हो, अब कहे कि तीस हजार पौड वार्षिक उसके लिए काफी नही है, और वह दरिद्रता की मार से मर रहा है और वह भी घूस लेने को बाध्य हो और सरकारी बिल बना कर उस कमी को पूरा करे तो क्या आप श्रीमान उसे स्वीकार करेंगे ?

मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि वह अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए रुपये उधार लेना चाहता था और उसने राजा नवकिशन से प्रार्थना की और जिसने उदारतावश उस पर रुपये उधार की जगह उपहार कह कर लादे। राजा नवकिशन एक बनिया है। आप बनिया में उदारता की बात सुन कर आश्चर्यचकित होगे, क्योकि बनिया और उदारता कभी साथ-साथ नहीं चलती। लेकिन नवकिशन ने तत्काल ही बनियापन खो दिया, ज्यों ही मिस्टर हेस्टिंग्स के चेहरे की दीप्ति उस पर पडी। यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है—मैने तुम्हारे लिये दस्तावेज तैयार कर लिए है। आश्चर्य है, कैसे तुम दस्तावेज की छोटी बात करते हो। तुम मुझसे चौतीस हजार पौड ले सकते हो और दस्तावेज की बात कहते हो ! तुम गवर्नर-जनरल हो जिसकी बहुत बडी तनख्वाह होती है। लेकिन मै जानता हूँ कि तुम एक उदार व्यक्ति हो। मैं इतना सारा रुपया तुम्हे दूंगा यानी नवकिशन तो बहुत ही आश्चर्य में डूबा जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने उससे दस्तावेज की चर्चा की। श्रीमान, हिन्दू बनिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो साधारण लोगो से अधिक क्षुद्र, अधिक दरिद्र, अधिक अनुचित माँग करने वाला, अधिक कपटी व धूर्त और रुपये बनाने में यहूदी से भी बढ़ कर होता है। लंदन का कोई भी यहूदी रुपये बनाने व मुनाफाखोरी में एक हिन्दू बनिया या हिन्दू

दलाल का सामना नही कर सकता । लेकिन यह व्यक्ति, किसी प्रकार, एकाएक, उदार हो जाता है और दस्तावेज लेना भी किसी प्रकार स्वीकार न करेगा और जैसा बताया गया है—मिस्टर हेस्टिग्स इस प्रकार बडे संकट मे फँस जाता है। आप देखे कि मिस्टर हेस्टिंग्स मे कैसी भावना उमड रही है। उस हिन्दू बनिए और मिस्टर हेस्टिंग्स के बीच हुए भावनामय वाद-विवाद को सुन कर कोई भी व्यक्ति जो कला-प्रेमी, भावुक और करुणामय हो अवश्य ही प्रभावित हुआ होगा। मिस्टर हेस्टिंग्स को रुपये उपहार-स्वरूप स्वीकार करने को विवश किया गया—सचमुच वह बडे चक्कर मे था और निश्चय नही कर पा रहा था कि क्या करे। दस्तावेज देने पर जिद करे या नही। वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओ के लिए रुपये ले या कम्पनी के लिए ले ? लेकिन यह पुरुष के लिए भी कहा जा सकता है जैसे स्त्री के लिये कहा जाता है—जो स्त्री वितर्क करती है, वह समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति घूस लेने के बारे मे वितर्क करे वह बस गया। जिस क्षण वितर्क करता है, उस समय उसके तर्क, मन का किला खो जाता है, दीवाले काँपने लगती है, ढह जाती है, और उसी क्षण नवकिशन की विजय होती है, उसकी विजय-पताका लहराती है, और नगाडे की चोट पर मिस्टर हेस्टिंग्स, कम्पनी के लाभ के लिए बिक जाता है। मिस्टर हेस्टिग्स, नवकिशन से रुपये लेने के लिए स्वीकृति दे देता है। नवकिशन रुपये देता है और पूरी तरह सतुष्ट होता है।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस इरादे मे रुपये लिए कि वह कम्पनी के काम मे खर्च करेगा। पर कैसे ? क्या अपने पर चढे बिलो के भुगतान से ? वह कहता है कि जो कुछ मै करता हूँ ओर जितना भी रुपया प्राप्त करता हूँ सभी कम्पनी के लाभ के लिये। इसीलिए किसी भी हिसाब के ब्यौरे मे नही जाता। सभी घूस प्रतिष्ठा के साथ दी जाती है, मुझे घूस लेने दो, तुम्हे तनिक उदार बनने मे क्या जाता है ? मै घूस लेता हूँ, तुम इसे स्वीकृति दो। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रत्येक लेन-देन के व्यापार मे जहा हमारा नाम है, सुयश है वहाँ हमे अपराध मिलता है। नवकिशन ने उसे रुपये दिए, बदले मे दस्तावेज भी न लिए, मै इस बात का विश्वास करता हूँ। लेकिन नवकिशन, जैसा हम देखते है तत्काल बाद ही मुख्तारआम के प्रधान व्यवस्थापक के रूप मे बगाल के एक जिले पर अधिकार जमा लेता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते है और श्रीमान के सम्मुख हम यह सिद्ध भी करेगे कि किस प्रकार ऐसे लोग जिलो के मालिक बनते है, और घूस मे दिए गए रुपयो की पूर्ति किस प्रकार वहाँ की जनता का गला दबा कर करते है। इस प्रकार की सभी घूस की रकम कम्पनी के लाभ के नाम पर ली जाती है, लेकिन देर-सबेर कंपनी के खजाने को ही उनका भार सहना पडता है। हम अभी सिद्ध करेगे कि यह घूस देने के एक साल के भीतर ही भीतर, कम्पनी के देनदारो मे नवकिशन का नाम आ गया और उस देश मे प्रचलित ब्याज की दर के अनुसार, घूस की रकम दुगुनी

से अधिक बढ़ जाती है। देखिए, बनियों की उदारता का यह परिणाम होता है। और साथ ही परिणाम देखिए—मिस्टर हेस्टिंग्स की स्वामिभक्ति का जो उसने कम्पनी के अच्छे के लिए किया और अपना खर्च चलाने का एक आश्चर्यजनक रास्ता निकाला। लेकिन इतने से ही अंत नहीं होता—एक बहुत तिरस्कृत, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति सारी व्यवस्था का भार उठाने को भेजा जाता है और उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवारों का भाग्य उसके ही हाथों में छोड़ दिया जाता है। यही ढंग रहा है जिसके द्वारा कम्पनी के नौकर अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी तबाह रहते हैं और घूस के नाम पर रुपये ले लेकर कम्पनी का खजाना भरता जाता है। जब कि एक हाथ से घूस दी जाती है और दूसरे में उसके बदले का हिसाब होता है। जिसका भी कम्पनी की व्यवस्था में तनिक भी हाथ होता है वह कभी भी घूस नहीं देता। संक्षेप में, मिस्टर हेस्टिंग्स ऐसे किसी अपराध का जिम्मेदार नहीं था जिसमें खून और हत्या का संबन्ध न हो। या उसने कभी ऐसी घूस नहीं ली जिससे उसका कोई लाभ होता, पर परिणाम सदा ही यह रहा कि कम्पनी का खजाना खाली होता गया।

और क्या यही कुख्यात और अहितकर रास्ता था घूसखोरी का जिस पर डायरेक्टरों की परिषद ने ध्यान दिया? नहीं, यह तथ्य हमें यहाँ संसद मे मिले। ज्ञात हुआ कि यह सभी घूसें भिन्न-भिन्न समय पर ली गई थीं, विभिन्न अवसरों पर और फरवरी सन् १७८२ में उसके पटना से वापस आने तक डायरेक्टरों की परिषद से इस संबन्ध में कोई भी पत्र-व्यवहार प्रारंभ नहीं हुआ था। इस पत्र के प्राप्त होने पर, डायरेक्टरों ने उसे उत्तर दिया, इस विषय पर और प्रकाश डालने का आदेश दिया। लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हाँ, आगे के पत्र में दूसरी घूसों का अवश्य हवाला मिला, जो पत्र उसी वर्ष मई में लिखा कहा जाता है, लेकिन दिसंबर तक छोड़ा नहीं गया था। इसका परिणाम हुआ कि डायरेक्टरों ने और स्पष्टीकरण की माँग की। अब यहाँ श्रीमान को देखना है कि यह समाचार सचमुच पत्राचार के प्रश्न व उनके उत्तर के रूप में नहीं है, बल्कि वास्तव में डायरेक्टरगण और वह एक प्रकार से लुका-छिपी का खेल खेलते रहे और एक दूसरे से केवल समय बिताने का प्रयत्न करते रहे। एक दिन मिस्टर हेस्टिंग्स पत्र लिखता और डायरेक्टर बाद वाले दिन उससे स्पष्टीकरण माँगते। उसके बाद हेस्टिंग्स दूसरी घूस की बात लिखता और पहले के संबंध में कोई स्पष्टीरण न देता। फिर भी डायरेक्टरगण बार-बार अपनी ही बात कहते रहे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि संसद की कमेटियाँ (तब संसद की कमेटियों का महत्व था) उन पर कड़ी दृष्टि रख रही हैं और उनके तथा मिस्टर हेस्टिंग्स के गठबंधन को समझ रही हैं और कुछ ईमानदार व्यक्तियों को इस दिशा में प्रभावपूर्ण कदम उठाने की आज्ञा मिल गई है, तो वह विशेष पत्र तैयार किया गया, जिसे मैं आगे चल कर श्रीमान

के सम्मुख उपस्थित करूँगा, और उस पत्र द्वारा मिस्टर हेस्टिंग्स से अब तक के लिए गए सारे रिश्वतों का पूरा और सच्चा हिसाब माँगा गया और उसके लिए वैसे ही कठोर शब्दो का प्रयोग किया गया जैसे हम अब कर रहे है। उसकी घूसखोरी, उसकी धर्तताओ, उसके अपहरण की चर्चा की और आदेश दिया कि अवध के नवाब से जो रुपये लिए गए हे उनको हिसाब में जमा किया जाय।

यह सभी कागज कमेटी द्वारा पत्र-व्यवहार के संदर्भ मे तैयार किए गए थे और मेरा अनुमान है कि डायरेक्टरों की राय से किए गए थे, पर भारत नही भेजे गये थे। फिर भी थोड़े से कागज भारत भेजे गए और वे बहुत निर्बल व कोमल थे, पर उनका भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने कभी उत्तर देने की चिन्ता नही की और न तो उनके संबंध मे कोई स्पष्टीकरण ही दिया। और जब वह कलकत्ता से वापस होने की तैयारी कर रहा था और अपने अन्य सभी व्यापार समाप्त कर चुका था, भाग कर अवध गया जिसके बारे में हमे अभी तक बहुत कुछ पता नही चल सका है। जब वह कलकत्ता लौटा तो वह दुखी था और जल्दी ही वह इगलैंड के लिए जहाज पर सवार हो गया और सारे वायदो के बाद भी डायरेक्टरो को उसने कोई स्पष्टीकरण नही भेजा।

अब मिस्टर हेस्टिंग्स इंगलेड मे ह। आप भी आशा करेंगे कि इन सभी मामलो पर उसमे कुछ प्रकाश मिल सकेगा। यह भी माना जा सकता है कि लंदन में पहुँचने पर वह कुछ झंझटो मे फंसा रहा, जैसा वह स्वयं बताता है कि यहाँ संसद मे उसके समस्त आचरण की जाँच के लिए कार्यवाही आरम्भ हो गई थी और सारी आशंकाओ से प्रभावित डायरेक्टरो ने उसे पत्र द्वारा धमकाया। यह पत्र किसने और कैसे लिखा, हम नही जानते, लेकिन सारे हिसाब-किताब की माँग उससे की गई। इस बीच एक पत्र सामने लाया गया जो मेरी समझ मे इस समस्त व्यापार के संदर्भ मे सारी दुनिया मे वेजोड है। अपनी ही त्रुटियो के लिए एक दूसरे को उलझन मे छोडने का यह अनोखा व बेजोड़ उदाहरण हे। ऐसा झूठा बेसिर-पैर का पत्र, जो अभी आपके सम्मुख रखा जायगा।

उसे आपने पटना मे देखा, कलकत्ता और देश के अन्य भागो मे, गंगा के प्रदेश मे देखा और अब हम आप देखेंगे कि उसका पत्र उसकी समस्त झूठी, कौशल-युक्त और बेहूदी कार्यवाहियो का कोष सिद्ध होगा। यह रहा वह पत्र ! और श्रीमान कृपया इसे पढ़ने का कष्ट उठावे।

मैं आप से थोड़ा धैर्य रखने की प्रार्थना करूँगा। मै यह जानता हूँ कि इसकी विस्तृत व्याख्या सचमुच कितनी कठिन है, और हमारे लिए भी यह बड़ा कठिन व कष्टप्रद कार्य रहा है कि इस पत्र के तह में जा कर तथ्यो का पता लगाया जाय। पर आपके सामने इस व्यक्ति के संबंध का सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब उसके चेथेलहम के पत्र से अधिक समय नष्ट न होगा। इस पत्र पर चेथेलहम और तारीख

११ जुलाई १७८५ पड़ी है। यह पत्र विलियम डेवेन्स के नाम है और इस प्रकार प्रारंभ होता है—"महोदय, माननीय डायरेक्टरों की परिषद ने अचानक बंगाल भेजे गए अपने १६ मार्च १७८४ के पत्र में कृपापूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की है कि मैं उन्हें बताऊँ कि उपहार रूप में प्राप्त रुपयों को कब प्राप्त किया, जिनका जिक्र मैंने अपने २२ मई १७८२ के पत्र में किया था, और डायरेक्टरो व कौंसिल के समक्ष रसीदें व कागजों को प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं, और इनमें से कुछ रकमों के लिए दस्तावेज लेने के क्या कारण है, और क्या करण है कि मैंने अपने रुपये खजाने में जमा किए?" मैं श्रीमान को बीच में जरा रोकूंगा। यहाँ एक यह पत्र हैं जो जुलाई १७८५ में लिखा गया। आप देखें कि २६ दिसम्बर १७८० से इस तरीख तक यद्यपि इस बड़े से व्यवधान में वह अपनी राय प्रकट कर चुका था कि उसके लिए समस्त रुपयों के लिए पूरा ब्योरा देना आवश्यक है, डायरेक्टरों पर व्यर्थ ही गलत हिसाबो का बोझ बढ़ाता रहा और वे कभी भी उससे पूरी बात नही पा सके।

वह लिखता है, "मुझे कृपापूर्वक यह बता दिया जाय कि जिन सूचनाओं की ऊपर माँग की गई है वे अभी भी मुझसे अपेक्षित है। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले दिनों मैं जिन परिस्थितियो का शिकार रहा हूँ, उनको दृष्टि में रख कर इनके उत्तर को इतने दिनों रोके रखने के लिए मुझे क्षमा दिलावेंगी। वास्तविकता यह है कि यह पत्र जब पहुँचा तो मैं मुख्य स्थान पर उपस्थित नहीं था। और जब मैं वापस आया तब मैं पूरी तरह दूसरी बातो में इतना उलझा रहा कि वापस आने तक उस पर ध्यान न दे सका।"

वह आगे लिखता है, "मुझे जो भी उत्तर देना चाहिए था वह मेरी याददाश्त मे ही खो गया। मुझे लगा कि मेरे पूर्व पत्रों में संभवतः ऐसा कुछ अनुचित रहा होगा तभी उन्ही प्रश्नों का पुनः मुझसे उत्तर माँगा जा रहा है, अतः असतर्कता से उत्तर देना मैंने कदापि उचित व हितकर न समझा।" इस आश्चर्यजनक वर्णन के लिए कुछ कहने की मुझे आज्ञा दें। उसे एक पत्र लिखा गया, उसमें वही प्रश्न पूछे गए जो पहले भी हजार बार पूछे गए थे, और बार-बार उसने उनके उत्तर के लिए वचन दिया था। और अब वह कहता है—मेरी स्मृति में खो गया। उसकी स्मृति को देखिए, वह मालिक की आज्ञा भूल जा सकता है। जब मैं अपने नौकर से कहता हूँ कि मैंने तुमसे बार-बार जो हिसाब माँगा, वह तुमने क्यों नहीं दिया? तो क्या उसे यही उत्तर देना चाहिए कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा कि आप मुझे गालियाँ देंगे? वह आगे लिखता है, "अब मैं प्रयत्न करूँगा कि विभिन्न प्रश्नों का उत्तर जो मुझसे पूछे गए हैं, जितने उचित ढंग से संभव है दे सकूं। जो भी सूचनाएँ मैं दे सकता हूँ, उसे पाने के आप अधिकारी हैं, और जहाँ वे सूचनाएँ ठीक न हों तो मैं उन्हें ठीक ढंग से प्राप्त होने के स्थान भी बता

दूँगा।" श्रीमान कृपया देखें कि कितने सुन्दर ढंग से उसने सिद्ध कर दिया कि उसके अधीन जो लोग थे सभी उसके कारनामो मे सम्मिलित थे। यही नही, सभी डायरेक्टर व उच्च अधिकारी भी उसके गुप्त सहायक थे। डायरेक्टर स्पष्ट लिखते है, 'यद्यपि गवर्नर-जनरल की योग्यता पर आक्षेप करने या सन्देह करने का हमारा कोई विचार नही है, बल्कि इसके विपरीत, उपहार पाकर उसकी तारीफ करने से हम अपने को नही रोक पाते कि उसने कम्पनी की प्रतिष्ठा बढाई—फिर भी हम स्वीकार करते है कि कई स्थानो पर सभी व्यापार हमे इतना स्पष्ट लगा कि हमने गवर्नर-जनरल से स्पष्टीकरण माँगना आवश्यक समझा। अत हमने हर रकम की प्राप्ति के समय के बारे मे जानना चाहा, और दस्तावेज क्यो लिए गये तथा अपने रुपये कम्पनी के खजाने मे क्यो जमा किए गए, यह जानना चाहा।" यही उनकी माँग है। वह आगे लिखता है—"सर्वप्रथम मेरा विश्वास है कि मैने अपने पूर्व पत्रो मे जिन रकमो की चर्चा की है वे सभी रकमे हिसाब मे लिखी तिथियो के बहुत ही आस-पास की तिथियो मे प्राप्त हुई है। लेकिन यह तो मोटी रकमो के सम्बन्ध मे है फिर भी प्रत्येक रकम की तिथियों मे थोडा ही अन्तर हो सकता है। अत मै सभी हिसाबो की सचाई पर पूरी तरह भरोसा नही दिला सकता।" अब श्रीमान देखे कि वह अपने हिसाब की सचाई पर विश्वस्त नही है। वह आगे लिखता है, 'शायद माननीय अदालत इसे पर्याप्त मानेगे," यही उसका स्पष्टीकरण है, जैसे वह कुछ नहीं बता सकता, चाहे "जिस कारण से भी जाँच-पडताल की आज्ञा दी गई हो, पर यदि न दी गई होती तो मै अधिक ब्योरा प्रस्तुत कर सकता और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आपको प्रमुख खजाची मिस्टर लार्किम की सहायता लेने का सुझाव देता, जो इन सबो की जानकारी रखता था, और मेरा विश्वास है कि उसी के पास सभी मूल कागज-पत्र रहते थे।"

अब इस व्यक्ति को देखे, यह जहाँ सभी लेन-देन के व्यापार चलाए गये वहाँ हिसाब नही दे सकता था। जब बगाल मे उससे पूछा गया तब वह इसलिए हिसाब नही दे सका कि वह बंगाल मे था, जब वह इग्लैड आ जाता है तो यहाँ भी हिसाब नही दे सकता क्योकि उसके हिसाब बंगाल मे छूट गये है। वह स्वयं कोई भी हिसाब नही रखता था फिर भी उसके हिसाब बंगाल मे है, किसी दूसरे के हाथ मे जिसकी वह चर्चा करता है, और हम आगे देखेंगे कि उसके कहने का क्या अर्थ है—

"हरेक प्राप्ति मे, जहाँ तक मुझे याद आता है, उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख है जिससे रकम मिली थी और उसी से सम्बन्धित कागज-पत्र मिल सकते है, यदि वे अभी तक सुरक्षित है और उसके अधिकार मे है, या अपनी स्मृति से वह जो कुछ बता सके।" इस प्रकार उसने ही कम्पनी का हिसाब रखा और फिर उसे यह मालूम नही कि वे अभी भी कही सुरक्षित है या नही। "जहाँ तक मेरी

कुछ रसीदों को रोक रखने का प्रश्न है, डायरेक्टरों की परिषद व कौंसिल को न बताने का प्रश्न है, कुछ रकमों के बदले दस्तावेज लेने का प्रश्न है, और अपने नाम से खजाने में जमा करने का प्रश्न है, इनका उत्तर मैं अपने २२ मई १७८२ वाले पत्र में दे चुका हूँ कि मैं जनता की दृष्टि से उन्हें बचाना चाहता था, दस्तावेज ले कर, जैसा कि कालान्तर के कारण मुझे जहाँ तक याद है। मुझसे आशा भी नहीं की जा सकती कि मैं तीन वर्ष के समय के बाद इससे और अधिक स्पष्ट तौर पर कोई बात बता सकूं, जब कि बहुत सी बातें मेरी स्मृति से खो चुकी है।"

आपने अवश्य भारतीय बनियों का शब्द 'पेंच' जिसे अंग्रेजी में 'स्क्रू' कहते है, सुना होगा। यह पेंच देना ही है जिससे कि सत्य की खोज व धूर्तता की पोल खुलने में बाधा पड़े। इसका प्रमाण इस वाक्य में है जो उसने ऊपर कहा है। 'पेंच' का यह महान उदाहरण है। पहले वह कहता है, सन् १७८२ की मई में, फिर भी वह सब कुछ भूला हुआ है। उसकी बातों की सत्यता का पता लगाने में कोई भी पागल हो जा सकता है। अब तीन साल के बाद उससे हिसाब पूछने का क्या अर्थ है जब वह कुछ भी नहीं बता सकता। वह कहता है कि मैं हिसाब नही दे सकता, और उस हिसाब से संबंधित कागजात अब है या नहीं, यह भी नही जानता और यदि वे कागजात है भी तो भी नहीं कह सकना कि उनसे आपको इच्छित उत्तर मिल ही जाएँगे। मिस्टर लार्किंस को उन कागजों के बारे मे लिखा जा सकता है। अब इस बात को सामने रख कर दूसरे हिसाबों के संबंध में देखा जा सकता है कि उसने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कितना भयंकर प्रपंच रच रखा था। वह उनसे कहता है, "मैं कह चुका हूँ कि हिसाब की पहली तीन रकमें कंपनी के खजाने में जमा की गई थीं, और वे मेरे हाथों गुजरी भी नही। बाद की रकम सार्वजनिक हो गई क्योंकि लेफ्टीनेंट कर्नल कमक के आदेशानुसार माधव जी सिंधिया के विरुद्ध ली गई थी, इसका उल्लेख मैं अपने २६ दिसम्बर १७८० के पत्र में कर चुका हूँ।" अभी भी वह डायरेक्टरों को स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि यह रकम किससे मिली थी, हमने इसका पता अन्य उपायों से प्राप्त किया है। "बाकी दो के बारे में मैंने लेते समय सोचा था कि सार्वजनिक न करूंगा, यद्यपि वह भी सरकारी सेवा के लिए ही थी और उसी में खर्च भी की गई। उस समय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी मेरी थी और सरकार पर पड़ने वाला हर बोझ अपने पूरे दबाव से मेरे मस्तिष्क पर ही पड़ता था। और स्थिति में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो भी छोटी-मोटी रकम मैं प्राप्त करूँ उसे खाते में दर्ज करूँ।"

अब हम देखें, कि अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल कर भी कई वर्षों के बाद वह इतना तो बता सका कि यदि वह अपने सहकर्मियों को यह जानने देता कि वह घूस ले रहा है और उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, तो वे भी उस प्रतिष्ठा के भागीदार बनने का प्रयत्न करते, अतः उनसे सारी बातों को गुप्त रखा गया। सच पूछा जाय

तो मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए अपने सहकर्मियो के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना बहुत क्षुद्र व अनुचित कार्य था कि वह उनसे छिपाता रहा कि वह घूस लेता है और उन्हे प्रतिष्ठा मे भागीदार नही बनने देना चाहता था लेकिन वे लोग महान थे जो अपना हाथ गंदगी से दूर रखे हुए थे। खैर, कुछ घूसो का उपयोग तो अपने ही व्यक्तिगत हित मे किया गया फिर इन घूसो का हिसाब क्यो नही दिया जाता ? यह भी इसलिए छिपाया गया कि इसके सार्वजनिक होने से सहकर्मियो को ईर्षा होती। सच तो यह है कि अपने लिए वह रिश्वते लेता रहा जब कि अन्य सहकर्मी उस पथ के यात्री न थे, फिर तो अवश्य यह ईर्षा का कारण था। उसके साथ बैठ कर काम करने वाले सहकर्मियो के लिए यह कारण बताये गए है--वे सहकर्मी थे मिस्टर मैकफरसन, मिस्टर स्टेबुल्स, मिस्टर व्हीलर, जनरल क्लेवरिंग, कर्नल मॉनसन और मिस्टर फ्रैंसिस। उसे उनकी ईर्षा का डर था। आप दूसरा भी कारण देखेगे, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है जिसे वह अपने सहयोगियो से रिश्वत की बात छिपाने का कारण बताता है।

लेकिन मै पहले श्रीमान से कहूगा कि जब तक आपके सम्मुख प्रमाण न आ जाये तब तक आप उसके सबन्ध मे अच्छी ही धारणा बनाए रहे, क्योकि यह उसकी बडी योग्यता का प्रमाण है कि उसने जब राजस्व की समिति का निर्माण किया तो उसने सबो से यह शपथ खाई—"किसी भी नाम पर या किसी भी रूप मे, किसी भी जमीदार, किसान या राजस्व से सबन्धित किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार, नजराना, भत्ता या पुरस्कार या वेतन के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण न करेंगे।" अब अपने सहयोगियो से घूसखोरी की बात छिपाने के सबन्ध मे वह कहता है—"इसे मैं बडी अपमानजनक व क्षुद्र बात समझता हूँ कि अपने लिए किसी से कोई रकम प्राप्त की जाय, जब कि मैंने अपने सहयोगियो को ऐसी रकमे लेने मे रोक ही नही रखा बल्कि उन्हे शपथ खा कर बॉध रखा है, अत. मै इस बात मे बहुत सतर्क था कि उन्हे तनिक भी सन्देह न होने पाये।" श्रीमान, वह स्वीकार करता है कि किसी से रुपये लेना वह अपमानजनक व क्षुद्र बात मानता है, उसने दूसरो को न लेने के लिए शपथ से बाँध रखा है। लेकिन वह घूस लेता रहा पर छिपाता क्यो रहा ? इसीलिए कि वह जानता था कि लोग जान जाएँगे तो उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगी। फिर उसने शपथ द्वारा अपने सहयोगियो को क्यो रोका ? क्योंकि ऐसा करना अपमानजनक था और यदि सभी घूसखोरी करते तो कम्पनी की मर्यादा भ्रष्ट होती। फिर वह स्वयं क्यो लेता था ? उसके लिए जो कम्पनी का सर्वोच्च अधिकारी था तो यह दसगुनी शपथ की बात थी, अत वह कहता है—"मै सदा इस बात मे बहुत सतर्क था।" क्या ? इससे भागने मे सतर्क ? नहीं, इस प्रकार गुप्तरीति से घूस लेने मे सतर्क कि दूसरो को सन्देह न हो और दूसरे भी इसी पथ के पथिक न बन जाएँ।

हम यह सिद्ध करेगे कि अपनी कमेटी के जिन लोगो को उसने घूस लेने से

रोका वे वैसे ही लोग थे जैसों के माध्यम से उसने घूस ली। यदि यह उसके लिए उचित था तो उन्हें भी इन कृत्यों के लिए अनुमति मिलना अनुचित न होता, और यदि वे कम्पनी के लाभ के लिए यह सब करते तो उनके औचित्य पर शंका भी न की जाती। राजा नवकिशन एक ऐसा व्यक्ति था जिससे घूस लेने की उनके लिए उसने पूरी मनाही की थी लेकिन उसी से उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए घूस ली। लेकिन वह कहता है कि उसने उनसे यह सब छिपाया, क्यों कि वह समझता था कि इस बात का मन्देह हो जाने से ही बड़ी बुराई पैदा हो सकती थी, और ऐसे कामों की उनकी आदत पड़ सकती थी और उनकी शपथ झूठी हो जाती।

तब आप इसे विश्वासपूर्वक समझ लें कि उसने उनसे यह सब अवश्य छिपाया। लेकिन ऐसा नहीं, उसका घूस लेने में बहुत विश्वासपात्र सहकर्मी था मिस्टर क्रॉफ्ट्स, जो उसकी राजस्व कमेटी का प्रमुख सदस्य था उसे भी उसने शपथ दिलाई थी कि रिश्वत न ली जाय। वह उसका विश्वासपात्र था और साथ ही घूस स्वीकार करने वाला भी, जैसा कि हम आगे श्रीमान के सम्मुख सिद्ध कर देंगे। अब श्रीमान उसकी इस धोखेबाजी को क्या समझेंगे कि उसने जिन्हें रिश्वत न लेने की शपथ दिलाई थी उनमें जो प्रधान था वही सारे लेन-देन के व्यापार में उसका विश्वासपात्र व दलाल था। शक न हो और गुप्त रखने की उसकी कोशिश को आप क्या समझेंगे ? वह इस अपराध से अलग रह सकता था, और शंका का इलाज अपने आप हो जाता। वह कहता है, "इन्हीं कारणों से, मैंने तत्काल खजाने में जमा करने की सतर्कता बरती। जब कि बिना नाम के जमा किए जाने पर भी काम चल सकता था और केवल कर्ज लिख देना ही पर्याप्त हो सकता था। लेकिन पहला ढंग ही अधिक स्वस्थ था अतः उसे ही मैंने अपनाया। लेकिन दूसरी रकम के बारे में बिल्कुल ही अज्ञान था। संभवतः यह मेरे आदेश के बिना ही किया गया था। या शायद इसलिये कि हिसाब में जमा करने का यह सबसे सहज ढंग था, इसीलिए अपनाया गया और उसे छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया।" श्रीमान, वास्तविकता यह है कि इस तथ्य का प्रत्येक शब्द या तो गलत है या तथ्यहीन और सम्पूर्णरूप में बनावटी। वह कहता है कि एक रकम कर्ज के स्वरूप में जमा की गई, पर ऐसा क्यों किया गया ? इसलिये कि जब इस प्रकार की रकमें जमा की जाती हैं तब किसी न किसी के नाम से ही जमा होती हैं और हिसाब का भी कोई खाता होता है। वह कहता है कि ऐसा करने के सिवा और कोई रास्ता न था। क्या यह सच है ? क्या वह इसी बात पर जमा रहेगा ? मैं उसके विद्वान वकील से जानना चाहूँगा कि क्या वह इस विषय पर खड़ा रहेगा ? श्रीमान देखेंगे कि उसके द्वारा ली गई और भी रिश्वतें हैं, जिन्हें उसने एक नाम देकर खाते में जमा किया है। वह नाम है—दरबार खाते। फिर कोई कारण नहीं कि इन रकमों को वह इसी नाम से जमा न करता। इसीलिए वह जो कहता है कि कर्ज व उधार खाते जमा करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था यह बात असत्य

है। वह फिर कहता है, दूसरी रकम को छिपाने का कोई कारण न था लेकिन गलत खाते मे जमा करना वैसा ही धोखा था जैसा उधार के नाम मे जमा करना, क्यो कि उस रकम को उसने अपनी कहा है, क्योकि जब किसी रकम को कम्पनी के हिसाब मे लाने का उसका निर्णय था तो वह जानता भी था कि उसे कैसे जमा करता, क्योकि वह ऐसी रकमो को एक विशेष नाम से जमा करता था--दरबार खाता। खाता का यह नाम भी उसी का आविष्कार था और इस खाते का वह कोई ब्योरा न देता था। फिर अब आप देखे कि वह एक चीज तो समझता ही था कि वह इसके औचित्य को सिद्ध कर ले जायेगा।

अब हमे दूसरा अध्याय प्रारम्भ करना चाहिये और देखे कि यह क्या है। "यद्यपि मुझे विवश किया गया है कि मै स्वीकार करूँ कि मेरी इस समय की यही भावना है पर मै उसे स्वीकार नही करूँगा। मै उनकी धाराणाएँ जानता हूँ कि यह मेरी स्मृति की बात है पर मुझे विश्वास नही कि इससे मुख्य विषय पर कोई भी प्रकाश पडना है। मै समझता हूँ कि यह मेरा ही आविष्कार था कि सब रकमो की प्राप्ति की बात, केवल दूसरी रकम को छोड कर, डायरेक्टरो की परिषद मे छिपाई जाय। उन्होने मेरी सरकारी सेवा की बात का उत्तर दे दिया है और मै उस बात को बिल्कुल भुला चुका हूँ।" श्रीमान, आप इस अस्वाभाविक व आश्चर्यजनक हिसाब को देखे जो वह यहाँ प्रस्तुत करता है कि कई हिसाब उसने सदा ही छिपा कर रखे, डायरेक्टरो से भी। उसके २२ मई सन् १७८२ वाले पत्र को फिर देखे और उसके १६ दिसबर वाले पत्र को, दोनो मे वह कहता है कि वह उन्हे छिपा सकता था, लेकिन उसने छिपाना नही चाहा, क्योकि ऐसा करना तो उसने बहुत अपमानजनक समझा, ऐसा यदि वह करता तो उसके आत्मसम्मान को धक्का लगता और उसे डर था कि उसके आविष्कार को ससदीय जाँच की प्रतिक्रिया समझी जायगी। वह यहाँ आविष्कार की बात करता है, पर साथ ही डर भी है कि उसे प्रतिक्रिया समझा जायगा। अब अन्त मे वह आपको बताता है, चेथेलहम से, जब उसकी नीयत पर आक्षेप किया गया कि इस पत्र और पहले के पत्र मे उसकी क्या नीयत थी। और अत मे वह अपने सभी पूर्व वक्तव्यो के विरुद्ध बात कहता है। उसने सदा ही सभी कुछ रहस्य बना कर अपने पास छिपाए रखा। क्या रुपये प्राप्त करने और उनके हिसाब रखने का यही ढग है?

वह आगे कहता है, "जब भाग्य ने मेरे रास्ते पर कोई रकम बिछा दी, जिसे छिपाया नही जा सकता और स्थिति की अस्वाभाविकता—जब मैने रकम प्राप्त की—ने मुझे विवश कर दिया, तो मैने अपने मालिको को बताना आवश्यक समझा। शायद सतर्कतावश जल्दी की, क्योकि रकम की ठीक मात्रा का मुझे पता न था। मै शीघ्र ही उसे सबके सामने प्रकट करता, लेकिन मेरी साफ नीयत ने ही

मुझे इस झंझट के बीच ला खड़ा किया है। यदि मैं सब छिपा ले जाता, चाहे बाद में पता ही लगता, तो मुझसे केवल यही तो पूछा जाता कि मैंने डायरेक्टरों से क्यों छिपाया, तो मुझ पर अधिक बातों के लिए तो सन्देह न ही किया जाता।" इस प्रकार के वक्तव्य के बदले जाने की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं लज्जित हूँ। वह स्वयं भी एक लाख पौंड की इस रकम को न जानता यदि वह उसे छिपा पाता। उसके पास तो छिपाने के सभी साधन मौजूद थे। वह कुछ भी आविष्कार नहीं करता जब तक उस पर दबाव नहीं पड़ता। वह कहता है कि वह सदा के लिए सब कुछ छिपा सकता था, पर उसकी आत्मा उसे मुक्त न करती, लेकिन यह आत्मा की ईमानदारी नहीं है जो उसे मार्ग-प्रदर्शन करती है। एक स्थान पर यह दूसरों के प्रति अविश्वास है और असत्य भाषण के लिए पकड़े जाने का भय, जो उस बात को खोलने को विवश करता है। संभवतः छिपा न सकने की शक्ति ही उसे स्पष्ट कहने को विवश करती है वह कहता है कि एक लाख पौंड यदि वह छिपा सकता तो छिपा जाता। मुझे तो श्रीमान, सन्देह है कि वह बड़ी रकमें अभी तक छिपी हुई हैं। श्रीमान, उसके पत्र के कुछ विशेष अंशों को कृपया देखिये। देखिये, वह कितने ढंग अपनाता है। देखिये किस तरह वह अपने को विभिन्न ढंगों से विभिन्न रूपों में बदलता है। लेकिन क्या आप कोई स्पष्ट आविष्कार देखते हैं? क्या आप डायरेक्टरों के पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर पाते हैं? क्या वह एक बार भी बताता है कि उसे किससे रुपये प्राप्त हुए? क्या वह बताता है कि किसलिए उसने रुपये लिए? क्या अपने ऐसे हिसाब रखने के नियम के लिए वह कोई स्पष्टीकरण देता है? नहीं, अंत में यहाँ, इतने वर्षों के झगड़े के बाद वह कलकत्ता में हिसाब रखने के संबंध में स्पष्टीकरण देने को बुलाया गया है।

अब श्रीमान के सम्मुख निर्णय करने को केवल एक मामला रह जाता है, उसके दस्तावेज वाला मामला। जुलाई १७८४ में कलकत्ता छोड़ने के पूर्व वह कहता है कि जब वह सरकारी सेवाकार्य के लिए जा रहा था, जिसे वह भयभीत सेवा समझता था, तो उसने कम्पनी से प्राप्त दस्तावेजों को घोषित किया कि उसके कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। आप देखेंगे कि ये दस्तावेज उसके अधिकार में ६ या १५ जनवरी (मुझे ठीक-ठीक तारीख नहीं मालूम) से जुलाई १७८४ तक रहे। सेवा-कार्य में रहते हुए उसने इसे भयभीत नौकरी नहीं समझा, पर छोड़ने के बाद समझा। भय का आभास उसे तब हुआ जब दस्तावेजों की स्वीकृति का मामला आया। लेकिन यह सब किसने देखा था? उसी का कहना है कि मिस्टर लारकिंस ने सब देखा, क्योंं मैंने लारकिंस को सब कागजात दिये थे। बाद में सिद्ध करेंगे कि मिस्टर लारकिंस का इस प्रसंग में कोई महत्व नहीं है। उसने उन दस्तावेजों को रद्द क्यों नहीं किया? उन्हें रखे क्यों रहा? क्यों नहीं ठीक ढंग से उन्हें कम्पनी के हिसाब में चढ़ाया? कलकत्ता से जाने के दिन तक उन्हें उसने सुरक्षित रखा

और तब बताया कि ये उसके नही थे। इसके पहले कभी नही बताया। यहाँ तक कि कलकत्ता छोडने की तैयारी तक उसने उन्हे अपने ही हाथो मे रखा अपने १७ जनवरी १७८५ के पत्र मे बह कहता है, "इन दस्तावेजो के संबंध मे, जो रकमे खजाने मे जमा की गई थी, उनके सबध मे ही ये दस्तावेज बने थे, गवर्नर-जनरल के नाम से, जिसके अधिकार मे दस्तावेज रहे, उसके हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर है, उसके उस पर कोई अधिकार नही।"

२२ मई के हिसाब मे इस वक्तव्य को उसने शपथपूर्वक कहा। देखिये न, यह कितनी आश्चर्यजनक घटना है कि दुनिया मे ऐसा कोई दूसरा उदाहरण न होगा कि अनुचित ढग से प्राप्त किए गए रुपयो के लिए जो दूसरो की आँखो से सदा ही छिपाए गए हो, उनके लिये यह शपथपूर्वक घोषित किया जाय कि यह उसका धन नही है। यदि उस पर अधिकार करने की नीयत हो तब तो शपथ की उपयोगिता समझी जा सकती है। लेकिन ऐसे वातावरण मे भला कौन विश्वास करेगा ? वह कहता है—शपथ ली है ! शपथ ! किस मजिस्ट्रेट के सम्मुख ? ये दस्तावेज किसके अधिकार मे थे ? लिखा है कि दस्तावेज मिस्टर लारकिंस को दिये गए है। यह है ऐसे दस्तावेज—जो अंधकार में बनाए गए और अंधकार मे ही समाप्त किए गए। यही रूप है दस्तावेजो का जो हम देख पाते है, राख ही राख, धूल ही धूल, भ्रष्ट ही भ्रष्ट और धोखा ही धोखा। फिर वह मिस्टर लारकिंस को इस संबंध मे कोई पत्र लिखता है जो हम नही देख पाए। शायद वह पत्र इस मामले की लाश पर अतिम संस्कार के समय प्राप्त हो।

श्रीमान, अब मै मिस्टर हेस्टिंग्स की घूसखोरी के कार्यकाल तक पहुँच गया हूँ। मै थोडा थक सा गया हूँ। ऐसी कई परिस्थितियाँ है जो शायद मुझे विवश करे कि इस मामले मे अधिक देरी न करूँ और श्रीमान का दूसरा समय न लूँ और इस भ्रष्ट व उलझन वाले दृश्य को और खीचा जाय। मेरा विश्वास है कि कल या किसी भी अन्य दिन बहुत ही थोडे समय मे, इसे समाप्त करूँ, प्रमाणो और गवाही पर जाऊँ और लगाए गए अपराधो को सिद्ध करूँ। लेकिन यह भी आवश्यक था कि सभी प्रमाणों की अच्छी तरह जाँच हो जाय। आपने नाटक का उतना अंश तो देखा ही जितनी दूर मै ले जा सका। मिस्टर लारकिंस का पत्र इस नाटक का उपसंहार होगा। मैं पहले ही अपराधी की जिरह मे जा चुका हूँ, मै इसे और बढ़ाना चाहता हूँ उसे और उसके अपराधों को घर तक पहुँचा कर, जिससे उन्हे उनकी सम्पूर्ण शक्ति के साथ पूरी तरह प्रदर्शित किया जा सके। ऐसा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है।

दसवें दिन की कार्यवाही

[७ मई सन् १७८६]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, इसी स्थान से जब पिछली बार मुझे आप के सम्मुख बोलने का अवसर मिला था तब मैंने आपके मस्तिष्क में यह स्थिति पूरी तरह दृढ़ करने को और प्रमाणों द्वारा उसकी पुष्टि की थी कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने गलत ढंग से समस्त हिसाब को धोखाधड़ी का एक नमूना बना कर रख दिया है। मैंने उसके पत्रों द्वारा दिखाया था कि उसके समस्त हिसाब उलझन-भरे व गलत थे। मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूँ कि ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं जब उच्चतम अधिकारी को बहुत सी बातें छिपानी पड़ती है, अपने मालिक के दुश्मनों से बहुत कुछ छिपाना उसका कर्तव्य होता है और अपने से छोटे अधिकारियों से भी छिपाना दूरदर्शिता व विवेक होता है। लेकिन अपने सहकर्मियों और उचित व्यक्तियों से छिपाया जाना शंका का कारण होता है। किसी आर्थिक लेन-देन में जिसका रुपया हो उससे भेद छिपाया जाना धूर्तता का कारण होता है। श्रीमान, मैं दिखा चुका हूँ कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कोई हिसाब नहीं रखा। यह उसने ही स्वीकार किया है कि जिन रुपयों को उसने गुप्त रीति से प्राप्त किया और कहता है कि उसने कम्पनी के लिए लिया और हमारा कहना है कि अपने लिए लिया। हमने दिखाया है कि न तो उसने कोई हिसाब ही रखा, बल्कि वह सब कुछ भूल चुका है और अपनी नीयत की भी उसे याद नहीं है और जब उससे याद करने को कहा गया तो वह याद भी नहीं कर सकता और वह केवल अंदाज लगाता है, पर अपने अंदाज पर भी उसे भरोसा नहीं है। लगभग डेढ़ वर्ष के बाद वह कहता है कि उसे कोई बात याद नहीं, यह पूरी तरह धोखा है। जब कुछ ही वर्षों बाद उससे पिछला हिसाब पूछा जाता है तब वह केवल अपनी विस्मृति की दुहाई देता है। श्रीमान को याद होगा कि चेथेलहम के अपने पत्र में भी वह केवल धारणाएँ स्थापित करता है और किसी भी बात के संबंध में कोई निश्चित बात नहीं बताता।

ऐसी परिस्थिति में कम्पनी का हिसाब छोड़ दिया गया था। मिस्टर हेस्टिंग्स के हाथों हुए लगभग सभी लेन-देन के मामलों में जिसमें अपने मालिकों के बजाय उसने स्वयं ही लाभ उठाया और अपने लाभ के बदले में उसने दस्तावेज प्राप्त किए, जैसे वह स्वयं ही लेनदार रहा हो। इसके ब्योरे की आवश्यकता थी, उस ब्योरे के लिए उससे बार-बार माँग की गई। उसने ब्योरा व सफाई न दी और कहा कि वह सफाई दे ही नहीं सकता। उससे सफाई माँगी गई जब वह भारत में

था, तब उसके पास सफाई देने का समय न था। जब वह योरप में आया तब भी सफाई माँगी गई और तब उसने भारत से मँगाने की बात कही। आखिर उसने कम्पनी के हिसाब की गडबडी को स्वीकार किया कि जब वह देनदार था तो अपने को लेनदार लिखा और झूठे लेन-देन के संबन्ध मे झूठा हिसाब भी प्रस्तुत किया। डायरेक्टरो की परिषद उसके अपराध को स्वीकार करने मे हिचकती थी, जब पार्लमिंट ने उसके प्रति गहरी शंका का प्रदर्शन किया और अन्य सूचनाओ की भी माँग की। इसी समय के लगभग मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह पता लगा लिया कि पार्लमिट मे उसके लिए बडा खतरा उपस्थित होने वाला है और संसदीय जाँच-पडताल प्रारंभ हो गई है। उसने अपने २० जनवरी १७८२ के पटना वाले पत्र मे दिए गये वचनो को जल्दी ही पूरा कर डालना ही उचित समझा और इसी के फलस्वरूप हम देखते हे कि लगभग इसी समय उसका मुख्य एजेन्ट मेजर फेयरफैक्स को योरप भेजा गया जो इंडिया हाउस मे जा कर संसदीय कमेटी के सम्मुख उपस्थित हुआ। वह केवल एक पत्रवाहक ही लगता था। उसने कुछ नही बताया, उसने किसी प्रकार की कोई भी सूचना न दी। मिस्टर फेयरफैक्स के पहले मिस्टर हेस्टिंग्स का एक और एजेन्ट आया था। वह भी कमेटी के सामने उपस्थित हुआ था। जब सारे लेन-देन के व्यापार के संबन्ध मे उससे, पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा कि वह कुछ नही बता सकता, कोई सफाई नही दे सकता क्योंकि उसे कुछ भी कहने का आदेश नही है। पूछताछ के सिलसिले मे उससे एक तथ्य हम किसी प्रकार जान सके कि २२ मई को लिखे गये हिसाब मे एक है चेतसिंह से मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा ली गई घूस की जमा रकम। इस संबन्ध के एक पत्र का एक अंश उससे मिला जो श्रीमान के सम्मुख समय आने पर प्रस्तुत किया जायगा। उसमे इस विशेष विषय मे हमे और भी सूक्ष्म जाँच-पड़ताल मे सहायता मिलेगी। लेकिन जब कमेटी ने सन् १७८३ मे अपनी रिपोर्ट तैयार की तो एक भी विषय पर पूरी सफाई न दी गई थी, न उस घूस के सम्बन्ध मे ही जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने चेतसिह से ली थी और ईस्ट इंडिया कम्पनी को बताया भी न था। इस प्रकार अपने मालिको को उसने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया। इस संबन्ध मे जो दिलचस्प बात है वह यह कि मिस्टर हेस्टिंग्स जब तक इसे छिपाता रहा, अपने का ही महाजन सिद्ध करता रहा। मिस्टर हेस्टिंग्स को सफलतापूर्वक छिपा लेने की कला ज्ञात थी। मै कहना चाहूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स के सम्बन्ध मे रिश्वतखोरी को ले कर जितना भी सन्देह किया जाय उसकी खामोशी व छिपाने का ढंग बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ।

चेथेलहम के पत्र के समय तक सभी चीजें जैसी की तैसी स्थिति मे ही रही। इस पत्र मे भी यही घोषणा थी कि मिस्टर हेस्टिंग्स कुछ नही जानता और अपने साथ वह कोई भी हिसाब-किताब इंगलैंड नही—लाया है। यद्यपि इसी पत्र से यह ज्ञात हुआ कि उसके अधिकार मे समस्त पत्रव्यवहार है और २२ मई वाला पत्र

भी उसी के पास है। उसी में उसने यह भी इशारा किया था कि भारत में हुए इन सभी लेन-देन के व्यापार से मिस्टर लारकिंस परिचित है। श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स इन मामलों में कितना चतुर है कि उसकी योजना या नीयत को जानने वाला दूसरा व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति उसकी भावना का जानकार है, और मिस्टर लारकिंस उसकी स्मृति का मालिक है। अब हम देखें कि स्मृति का रक्षक मिस्टर लारकिंस किस हद तक हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाता है।

चेथेलहम का यह पत्र, मेरा विश्वास है कि संसद में ही सर्वप्रथम बार प्रकाश में आया। इसके प्रकाश में आते ही सभी इसके प्रति बुरी तरह उत्सुक हो उठे, क्योंकि इतने वर्षों से मिस्टर हेस्टिंग्स चुप था और अपने ही मामले के प्रति वह मिस्टर लारकिंस को जिम्मेदार ठहराता था। यह पत्र डायरेक्टरों की परिषद के अध्यक्ष मिस्टर डेवाएनेस को मिला था। इस पत्र से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि डायरेक्टरों ने पहले भारत कुछ लिखा था या मिस्टर हेस्टिंग्स व उसके एजेन्ट मिस्टर लारकिंस के बीच इस विषय को ले कर कोई पत्र-व्यवहार भी हुआ था। मेरा अनुमान है कि इसी कारण से इस पत्र के प्रति सार्वजनिक उत्सुकता पैदा हुई थी। मिस्टर हेस्टिंग्स ने आधी दुनिया को इन्हीं प्रश्नों व उत्तरों के बीच उलझा रखा था। जब वह भारत मे था तो प्रश्न उसके पास भेजे गए, फिर उसने इंगलैंड आने तक उत्तर को टाल रखा। और जब वह इंगलैंड आया तो आवश्यक था कि भारत से वह उत्तर भी साथ लाता। इसमें कोई शंका न थी कि पूरा समय उसने प्रश्नों को समझने, पचाने, मिलाने और स्मृति ताजी करने को लिया। लेकिन श्रीमान, मिस्टर लारकिंस, जिसके अधिकार में मिस्टर हेस्टिंग्स की स्मृति थी, ने मिस्टर हेस्टिंग्स की ही इच्छानुसार अन्त में हिसाब भेजा। तब हमें कुछ प्रकाश मिलने की आशा हुई। लेकिन प्रमुख खजांची के अतिरिक्त हम किससे हिसाब पूछते? बहुत धीमा प्रकाश अंत में प्राप्त हुआ और मिस्टर हेस्टिंग्स के मित्र के प्रस्ताव पर संसद के मंच पर प्रकाश फैला दिया गया। यद्यपि हम उसके आगमन को न जान सके। मिस्टर हेस्टिंग्स को मिस्टर लारकिंस जितनी होशियारी, जितनी स्मृति, जितनी हिसाब की सफाई दे सकता था, उतनी दी।

हिसाब में पहली जो चीज हमने देखी वह है—दीनाजपुर। अब थोड़ा भूगोल जानना जरूरी है। बंगाल राज्य का यह एक प्रांत है। कई महीनो और कई रकमों का हिसाब है। अंत में कहा गया है कि आश्विन की १८ या १९ तारीख, यानी सितम्बर-अक्टूबर के बीच मे मिस्टर क्रॉफ्टस को दो लाख रुपये दिए गए।

मिस्टर हेस्टिंग्स के अपने हिसाब की हमने प्रतीक्षा की। व्यर्थ में ही कई पत्रों में हिसाब का तगाजा किया गया। अंत में उसका एक एजेन्ट हिसाब समझाने इंगलैंड आया। और यही हिसाब है जो श्रीमान के सामने है। दीनाजपुर का

हिसाब। न तो किसी देने वाले व्यक्ति का नाम है, न पाने वाले का, न कोई ब्योरा, केवल दस्तखत है—जी० जी० एस०। शायद यह नाम हो—जार्ज गिलबर्ट सैंडर्स या कोई अन्य नाम। बस इतना ही हिसाब है। इस प्रकार मिस्टर लारकिंस ने हमें निराश ही किया।

फिर भी हमें कुछ तो जानकारी प्राप्त हुई। यानी लिखा है कि मिस्टर क्रॉफ्टस को किसी जी० जी० एस० ने कुछ रकम दी, किसी कारण से दी। यानी दीनाजपुर में किसी ने मिस्टर हेस्टिंग्स को रुपये दिये।

दूसरा ब्योरा पटना का है। श्रीमान को भारत का इतिहास नही मालूम। आपको नहीं मालूम कि पटना नाम का कोई शहर है या यह भी नहीं मालूम कि महीनों के नाम हैं—वैसाख, आश्विन, चैत। यहाँ मिस्टर क्रॉफ्टस को दो लाख मिले फिर भी दो लाख बाकी रहा। फिर एक और प्रांत है—नदिया। वहाँ का मामला भी पूरे अन्धकार में है।

हिसाब में सब कुछ एक में गोलमाल ढंग से मिला दिया गया है। पाँच लाख रुपये लिए गए ब्योरा है—

दीनाजपुर से	४,००,०००
नदिया से	१,५०,०००
और पटना से	४,००,०००
	९,५०,०००
	अथवा ९५,००० पौंड

मिस्टर हेस्टिंग्स, मिस्टर लारकिंस, मिस्टर क्रॉफ्टस—तीनों हिसाब छिपाने मे एक दूसरे से जुड़े हुए है। डायरेक्टरों से हिसाब छिपाने में तीनो एक ही हैं। यही नहीं, लगता है कि मिस्टर लारकिंस के समक्ष मिस्टर क्रॉफ्टस अधिक जानकारी रखता है, मिस्टर लारकिंस वह सब जानता है जो गंगा गोविंद सिंह नहीं जानता। गंगा गोविंद सिंह वह जानता है जो कोई और नहीं जानता। यह भी अंदाज लगता है कि कोई पारसी मुंशी था जो वह सब जानता था जो कन्तू बाबू नहीं जानता। और मिस्टर पामर वह सब जानता है जो कोई अन्य नहीं जानता। यह सब की मिली-जुली पेंच है।

इस संबंध में मै जो प्रथम बात कहूँगा वह है, कि मिस्टर हेस्टिंग्स १५ फरवरी को कलकत्ता आया और कुछ ही दिनों बाद वह अपने विश्वासपात्र तथा गुप्त मित्र (उसका अपना कार्यालय-सचिव नहीं क्योंकि वह अपने कार्यालय के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था।) के पास पहुँचा और अपनी अनुपस्थिति के काल का हिसाब बनाने में सहायता माँगी। अब आप सोचिए कि उसने इस व्यक्ति पर विश्वास करके अपना हिसाब उसे सौंप दिया और बड़ी रकमों का हिसाब

वह मुख्य खजांची से करता रहा पर उससे यह नहीं बताया कि यह रकमें उसके हाथों आईं कैसे ? और हिसाब-किताब के बीच मुख्य खजांची कहीं कोई आपत्ति भी नहीं करता। वह एक बार भी नहीं कहता कि हिसाब में जो रकमें हैं उन्हें किनसे प्राप्त किया है, यह जाने बिना मैं तुम्हारे और कम्पनी के बीच किसे देनदार व लेनदार, उचित ढंग से बना सकूँगा ? क्योंकि वह जानता था कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने गलत व अनुचित ढंग से रुपये प्राप्त किए है। मिस्टर लारकिंस ने उस पर शंका की। हेस्टिंग्स को लारकिंस पर विश्वास न था। यह सिद्ध करके मैं श्रीमान के मन में यह बात दृढ़तापूर्वक बैठाना चाहता हूँ कि जहाँ आर्थिक मामला था, कहीं भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने किसी पर विश्वास नहीं किया।

आप देखें कि जब मिस्टर लारकिंस ने उस पर शंका की तो उसी से भयभीत हो कर या किसी अन्य कारणवश हेस्टिंग्स ने २२ मई सन् १७८२ के पत्र द्वारा उसे सूचित किया कि उसने अवध के नवाब से एक लाख पौंड की रिश्वत ली है। यह उसने २२ मई को लिखा, यानी जब हिसाब बना रहा था तब इस तथ्य को छिपाए रखा। इस पत्र व्यवहार के बीच मिस्टर लारकिंस के दिमाग में एकाएक याद आया कि हेस्टिंग्स की प्राप्त रकमों के सम्बन्ध में कौन जानता है, कि इसमें से कितना गायब किया गया था, जिसको सब याद है ? जनवरी में एक लाख पौण्ड की जो बात डायरेक्टरों से हेस्टिंग्स ने कहा था, वह भी यह भूल गया। २२ मई तक उसे इस बड़ी रकम की याद ही नही रही। और अब तो उसे इस रकम की कोई भी याद नहीं है। खैर, उसे जब याद आया तो उसे चिन्ता हुई कि इस रकम का हिसाब भी तो देना पड़ेगा। पर उसकी स्मृति ने खजांची का काम न किया। अतः वह फिर सब कुछ भूल गया। ऐसे अवसर पर वह एक व्यक्ति को स्मरण करता है, जिसका नाम आप पहले भी सुन चुके है, वही विश्वासपात्र कन्तू बाबू। लेकिन कन्तू बाबू भी उसकी सहायता न कर सका क्योंकि जब मिस्टर हेस्टिंग्स उत्तर प्रदेश में था तब के लेन-देन का उसे कोई पता न था। तब मिस्टर हेस्टिंग्स के मुंशी ने मिस्टर लारकिंस के सामने एक कागज से तीन लाइनें पढ़ी। फारसी में लिखी तीन लाइनों से ही श्रीमान अपने मन में इस व्यापार के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

दीनाजपुर के सम्बन्ध में जो कुछ भी आपको मिला है, वह है—जी० जी० एस०—गंगा गोविंद सिंह, जिसने जनता से प्राप्त रकम का आधा भाग चम्पत कर दिया था और मिस्टर हेस्टिंग्स उस पर नाराज था।

दूसरा मामला पटना का है। यहाँ भी उसे चालीस हजार पौंड मिले। पर किससे, यह किसी को पता नहीं। मिस्टर लारकिंस का इस संबंध में बहुत लम्बा पत्र है और पूरा पत्र अभी सुना कर मैं श्रीमान का समय बरबाद न करूँगा, क्योंकि पटना के मामले की बहस के समय यह पत्र अपने आप प्रकाश में आएगा। उससे केवल इतना ही पता लगेगा कि चालीस हजार पौंड किसी के माध्यम से लिए गए

पर हाथ आधी रकम ही आई। आप इसकी भी सफाई चाहते है। पहले मामले में पूछी गई सफाई के उत्तर में आपको क्या मिला ? जी० जी० एम०। और इस मामले में भी कही से प्रकाश की क्षीण रेखा भी नही दिखायी पड़ती। यदि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी के लिए चालीस हजार पौंड लिए तो भी आधी रकम गायब है। मान ले कि बीस हजार मिले तो अकालग्रस्त देश, जिसे आप द्वारा सुरक्षा चाहिए उससे बीस हजार पौंड लूटा जाना कहाँ तक उचित है ?

अगला मामला है नदिया का। यहाँ हमे कुछ प्रकाश मिलता है। लेकिन क्या कही मिस्टर लारकिंस ने भी नदिया के बारे में कुछ बताया है ? यहाँ हम सिद्ध कर सकेंगे कि किससे यहाँ कितनी रकम मिली। ऊपर से यहाँ के हिसाब मे सब ठीक-ठाक दिखता है पर ब्योरे मे जाने पर पता लगता है कि नंदूलाल नामक व्यक्ति से अट्ठावन हजार रुपये लिए गए। इस प्रकार हेस्टिंग्स के विश्वासपात्रो का क्रम इस प्रकार है —प्रथम गंगा गोविंद सिंह, दूसरा देवीसिंह, तीसरा कन्तू बाबू, और यह नया व्यक्ति इनके बाद आता है। हम आगे सिद्ध करेंगे कि नंदूलाल को दीनाजपुर से कोई मतलब न था।

मिस्टर लारकिंस के पत्र का आशय है कि वह दस्तावेजों पर प्रकाश डाले। वह कहता है—' नम्बर एक के निशान वाले कागज पर पहली दो रकमों के संबंध में दीनाजपुर और पटना के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने दो दस्तावेज लिए। नं० १५३९ ता० १ अक्टूबर सन् १७८० और नम्बर १५४० तारीख २ अक्टूबर १७८०, दोनों एक-एक लाख रुपये के थे।'' मैं यहाँ श्रीमान को याद दिलाऊँगा कि मिस्टर लारकिंस ने अपने पत्र में लिखा था कि ये रकमें नवम्बर मे लिखी थी। फिर अक्टूबर में ही इनके दस्तावेज बनने से क्या मतलब ? यह सिद्ध हो चुका है कि पहली रकम मिस्टर क्रॉफ्ट्स को आश्विन ११८७ की १९ तारीख को दी गई थी। अंग्रेजी तिथि से यह आश्विन महीना सितंबर और अक्टूबर का भाग है, फिर भी मिस्टर लारकिंस ने इस वक्तव्य मे यह गलती कैसे की, आश्चर्य है।

हम देखते है कि एक दस्तावेज सन् १७७९ के सावन मे लिखा गया, लेकिन इसके रकम की प्राप्ति १७८० के आश्विन मे बताई जाती है।

अब हम दस्तावेजों की बात छोड़ कर फिर मिस्टर हेस्टिंग्स के धोखाधड़ी के कारनामों पर विचार करेंगे। सबसे पहले, चेतसिंह वाले घूस की बात। मिस्टर लारकिंस ने कहा है—२१ जून १७८० को मिस्टर हेस्टिंग्स ने मुझे बुलाया और चाहा कि चेतसिंह द्वारा दी गई भेंट की सुरक्षा का भार मैं लूं। जब मै अपने दफ्तर मे लौट कर आया तो मैने अपने सहयोगी मिस्टर जेम्स मिलर को लिखित आदेश दिया कि वह इन चीजों को मुहरबंद करे और उस पर लिख दे कि मेरे आदेश पर ऐसा किया गया।

एक बात मैं बताना भूल गया था कि इन दो दस्तावेजों के अतिरिक्त जिन्हें

मिस्टर हेस्टिंग्स कम्पनी को बताता है, एक अन्य दस्तावेज जिसे वह अपना बताता है, यह नवम्बर का दस्तावेज है और २२ मई तक इसका कहीं उसने उल्लेख नहीं किया। यह डेढ़ लाख रुपयों को पहले नं० के कागज में मिस्टर क्रॉफ्ट्स को ११वीं अगहन ११८७ यानी २३ नवंबर १७८० को दिया गया बताता है। यही नदिया वाली रकम है।

अब आगे एक दूसरा हिसाब है। आपने एक उपहार के बारे में सुना है जिसका वर्णन पहले हो चुका है। यद्यपि इस पर काफी प्रकाश पड़ चुका है फिर भी अधिक व्याख्या की आवश्यकता है। मिस्टर लारकिंस कहता है कि यह हिसाब एक कागज से मिला था, जिसमें से केवल तीन लाइनें पारसी मुंशी ने उसे पढ़ कर सुनाया था। वे तीन लाइनें यह थीं—"गवर्नर जनरल को नवाब से (अवध के नवाब) साठ हजार पौंड मिले। गवर्नर जनरल को हुसेन रजा खाँ और हैदर बेग खाँ से तीस हजार पौंड और गवर्नर जनरल की पत्नी यानी श्रीमती हेस्टिंग्स को दस हजार पौंड मिले।"

यही तीन लाइनें पारसी मुंशी ने पढ़ी थीं। लेकिन उस मुंशी का नाम आज तक न तो मिस्टर हेस्टिंग्स ने, न मिस्टर लारकिंस ने खोला। इन तीन व्यक्तियो द्वारा तीन रकमें श्रीमती हेस्टिंग्स के नाम उपहार भी थीं। गंगा गोविंद सिंह, कन्तू बाबू और मिस्टर क्रॉफ्ट्स के अलावा एक नया रहस्य खुला—श्रीमती हेस्टिंग्स द्वारा प्राप्त उपहारों का रहस्य। अब प्रश्न है कि जब कम्पनी के लिए नही था तो क्या उपहार स्वीकार करना श्रीमती हेस्टिंग्स के लिए उचित था? मैं कहना चाहूँगा कि यदि गवर्नर जनरल जैसे अधिकारियों की पत्नियों द्वारा घूस लिया जाना उचित है तो फिर भ्रष्टाचार की सीमा समाप्त है और कानून की मान्यता व्यर्थ है। पूर्वी देशों मे जनानखाना होता है जहाँ औरतों के पास कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन अगर अंग्रेज औरतें इन जनानखानों में जा कर उपहार लें और उसे उचित माना जाय तो फिर आगे कुछ नहीं कहना है।

इन हिसाबों के संबंध में मुझे एक बात और कहनी है। इन रकमों और उन्हें प्राप्त करने के स्थानों को दृष्टि में रख कर यह सोचना होगा कि दीनाजपुर, पटना और नदिया ही क्यों इस व्यापार के केन्द्र बनाए गये? फिर क्या उत्तर दिया जा सकता है यदि कहा जाय कि वर्दमान, बिशनपुर और बंगाल के अन्य अड़सठ केन्द्रों से भी घूस लिया गया, न कि उपरोक्त तीन ही केन्द्रों से? या फिर उसे कैसे एक अच्छा अधिकारी कहा जाय कि कम्पनी की आवश्यकता के लिए सही, पर अड़सठ केन्द्रों को छोड़ कर तीन ही केन्द्रों से रुपये क्यों लिए? यह विभाजन करके वह किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं कहा जा सकता। अगर वह समझता था कि रिश्वतखोरी ही कम्पनी के कार्य चलाने के लिए एकमात्र साधन थी तो उसने इतने क्षेत्रों की आमदनी क्यों हाथ से जाने दी? क्या यह उचित था कि रिश्वत, लूट

और अपहरण का सारा भार तीन ही केन्द्रों पर डाल कर अन्य को छोड़ दिया जाता। नहीं, आप यह निश्चित रूप से समझें कि जो तीन केन्द्रों से रिश्वत ले सकता है वह बीस केन्द्रों से भी ले सकता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि वह तीन ही प्रान्तों के लिए इतना कठोर हो सकता था और अन्य के लिए दयालु कि तीन पर ही पंचानबे हजार पौंड का बोझ डाले और अन्य क्षेत्रों को छुए भी नही। इसलिए मैं तो यह मान ही नहीं सकता कि केवल एक लाख पौड और पंचानबे हजार पौण्ड ही लिए गए। जब कि परिस्थितियाँ मुझे आगे भी ले जाती है और मैं आगे बढ़ने से न रोका जाऊँ, लेकिन मानवता के नाम पर सीमाएँ निश्चित है।

अब तक आप के सामने वे सभी सच्चे कारण आ चुके हैं कि उसने न्यायालय के सम्मुख इस मामले को आने से क्यों रोका। आज भी जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें ही उसने पहाड़ जैसी चट्टानो से ढाँकने का प्रयत्न किया। उसने समस्त खोज-बीन को रोकने की पूरी चेष्टा की कि यह सब लज्जाजनक घूसखोरी, जिसने वेश्या-वृत्ति और भ्रष्टाचार को भी मात कर दिया है और भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रष्टाचार की लहर बही, वह किमी प्रकार लोगों की जानकारी में न आ सके।

जो हिसाब आज हमारे सामने है उसमें सबसे प्रमुख दीनाजपुर का मामला है। कितने रुपये रिश्वत में लिए गए, किससे लिए गए, किमके द्वारा लिए गए, किस प्रकार लिये गये, किस बहाने लिये गये, यह सब उसने अपने मालिकों को नही बताया। अब विश्वास के साथ मै बता सकता हूँ कि यह रिश्वत किससे ली गई और मेरा विश्वास है कि श्रीमान के सम्मुख भी यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया है कि यह रिश्वत दीनाजपुर के दुखी राजा से ली गई और मैं कुछ ही शब्दों में, बहुत संक्षिप्त रूप में बता दूँगा कि इस व्यापार के समय क्या परिस्थिति थी। इससे आप इस रिश्वतखोरी के बारे मे सही-सही धारणा बना सकेंगे।

दीनाजपुर, एक बड़ा प्रान्त है। इस पर एक प्राचीन परिवार का अधिकार था। बंगला सम्वत ११८४ के लगभग इसका अंतिम अधिकारी था राजा बैजनाथ, जिसके कोई संतान न थी। जब वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा था तब उसने अपने उत्तरा-धिकार से या जमींदारी के अधिकार से अपने भाई कन्नूनाथ को अलग कर देना चाहा जिससे उसके कभी अच्छे संबन्ध न थे और एक लड़के को गोद लेना चाहा। इस प्रकार गोद लेना, जब कि भाई मौजूद हो तब मेरे विचार से हिन्दू नियम के अनुसार वैधानिक नही होता। लेकिन गंगा गोविंद सिंह ने जो उस समय राज्य का प्रमुख कर्मचारी था और उस देश के नियमानुसार मारे कागज-पत्र का जो उत्तराधिकार से सम्बन्धित थे, वह मालिक बन बैठा और उसके माध्यम से मिस्टर हेस्टिंग्स ने ली गई गोद को मान्यता दे दी। हम देखते हैं कि इस मान्यता के ठीक बाद ही गंगा गोविंद सिंह ने दीनाजपुर राज्य से चालीस हजार पौंड लिये और जिसे केवल तीस हजार पौंड बताया और

मिस्टर हेस्टिंग्स को केवल बीस हजार पौण्ड दिये । हम देखते हैं कि नाबालिग राजा बालिग हो कर राज्य का अधिकारी होता इसके एक वर्ष पूर्व ही उसके अभिभावकों और नातेदारों को एक न एक बहाने से राज्य के अधिकारी पदों से अलग कर दिया गया । कम्पनी को जमींदारी के लिये मिलने वाली वार्षिक रकम का भुगतान संभव न हो सका, क्योंकि एक अनुभवहीन राजा के लिये वार्षिक लगान और बड़ी रिश्वत दोनों देना संभव न था और परिवार ध्वस्त होता गया । अतः उसी समय लगान की न अदायगी के नाम पर गंगा गोविंद सिंह और झूठी कमेटी जिसका निर्माण मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने स्वार्थ के लिए किया था, जिसमें मिस्टर एण्डरसन, मिस्टर शोरे और मिस्टर क्रॉफ्ट्स थे, जो उसके हाथों की कठपुतली थे तथा वे गंगा गोविंद सिंह के हाथ के खिलौने थे, ने मिल कर देवीसिंह को उस परिवार का कार्य-भार दे दिया । उन्होंने इस नाबालिग और दुखी राजा के ऊपर दीनाजपुर और रंगपुर, दोनों प्रांतों का भार डाल दिया और जिसका फल हुआ कि घबड़ा कर वह अपना देश छोड़ कर भाग गया । वहाँ जो भी जालसाजियाँ हुई उन्हें मैं आप के सम्मुख रख चुका हूँ और जब प्रमाण पेश होंगे तब सिद्ध हो जायेगा कि मैंने जो खोज की है उसमें कितना सत्य है या कितनी कल्पना, या मेरे तथ्यों, कागजातों से प्रामाणिकता मिलती है या वे मेरे ही आविष्कार हैं । मिस्टर हेस्टिंग्स ने इससे सम्बन्धित कानूनी जाँच-पड़ताल मे भागने का प्रयत्न किया है ।

लेकिन इतने से ही अंत नही है । हम देखते है कि उस नाबालिग के साथ हुए व्यापार में वह बेचारा जो कम्पनी की देख-रेख में पल रहा था, जब चालीस हजार पौंड से गंगा गोविंद सिंह द्वारा लूटा गया, क्योंकि बहाना था कि वह कम्पनी का कर्जदार है, उसे देवीसिंह जैसे राक्षस के अधीन छोड दिया गया, तब इन अभियोगों की आशंका के कारण मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस अभागे बालक से जो लिखाया वह मैं पुनः आपके सम्मुख पढ़ देता हूं ।

"मैं राधानन्द, जमींदार; परगना हवेली, पंजना, आदि जो मिल कर दीनाजपुर क्षेत्र बनता है, जैसा कि मुझे बताया गया, जमींदारी के उच्च अफसरों द्वारा कि इग्लैंड के मन्त्रीगण, भूतपूर्व गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स से नाराज है, इस सन्देह पर कि उसने हम सबों पर अत्याचार किए, हम पर जोर-जबरदस्ती की, रुपये छीने और देश को बरवाद किया, अतः हम अपने धर्म को साक्षी रख कर कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने जो कार्य किये वह समय के अनुसार उचित, न्यायपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण और इंगलैण्ड के मंत्रियों के आज्ञानुसार किए । हेस्टिंग्स से हमें सुरक्षा मिली और वह किसी भी प्रकार का अन्याय करने में सर्वथा असमर्थ है । उसके कार्यकाल में केवल सुरक्षा व न्याय ही मिला ।"

श्रीमान, यह राधानन्द, परगना का जमींदार जैसा कि श्रीमान ने सुना, धर्म की कसम खा कर हेस्टिंग्स के महान गुणों की चर्चा करता है; यह व्यक्ति जब

केवल चार या पाँच वर्ष का था तब देवीसिंह के संरक्षण में रखा गया था और जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने बंगाल छोडा तब सन् १७८६ में ग्यारह या बारह वर्ष का था। ऐसे ही लोगों की सनदें मिस्टर हेस्टिंग्स अपनी प्रतिरक्षा में पेश करता है और ग्यारह वर्ष के ऐसे एक लड़के की गवाही पेश करता है जो मिस्टर हेस्टिंग्स के सदर मुकाम से तीन मील दूर रहा। हमारे पास एक दूसरा रोजनामचा है जो नदिया से प्राप्त हुआ है। वह भी एक ऐसे ही व्यक्ति का है—जैसा राधानन्द। उसका नाम है महाराजाधिराज सकल वृन्द बहादुर।

श्रीमान, अब मैं उस अभागे देश के दुखी लोगो की कहानी संक्षेप में बताना चाहूँगा, पर यह मेरी कार्य-सीमा में नही है अतः चुप रहूँगा और केवल श्रीमान के सम्मुख यह सिद्ध करूँगा कि घूमखोरी का अपराध किस प्रकार बढा। सर्वप्रथम, गंगा गोविंद सिंह के माध्यम से इस नाबालिग से जमीदारी के उत्तराधिकार के लिए घूस ली गई। फिर उसके लगभग सभी नातेदारों को राजकाज से अलग किया गया। फिर वह क्षेत्र देवीसिंह को सौंपा जाना, यह कह कर कि कम्पनी का लगान बाकी है और अंत मे ग्यारह वर्ष के नाबालिग से मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए झूठी सनद प्राप्त करना है।

इस प्रकार अब श्रीमान देख सकते है कि भारत मे कुछ लोगों ने किस प्रकार अपनी किस्मत खोली। लेकिन श्रीमान देखिए कि हमलोग किस आश्चर्यजनक स्थिति में डाल दिए गये है! यह संसदीय मुकदमा केवल अपराध के लिए सजा देने वाली अदालत का छोटा नाटक नही है, बल्कि इंगलैंड की जनता के चरित्र और महानता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए है। हम आज जिस स्थिति में है वह बडी ही भयानक है।

यदि इस प्रकार की धोखेबाजी के लिए सजा दे कर इंगलैंड की जनता के लिए एक उदाहरण पेश किया गया तो यह सार्वजनिक रूप में एक लाभदायक बात होगी। और ऐसा यदि नही किया जाता तो श्रीमान आप इस राष्ट्र को डाकुओं, झूठों, जालसाजों और एक शब्द मे कहा जाय तो 'बनियों' का राष्ट्र बना देंगे। इंगलैंड का चरित्र, और जिस चरित्र व व्यापार के बल पर हम एक महान राष्ट्र माने जाते है वह महान चरित्र इंगलैंड से सदा के लिये खो जायगा।

आज हमारी स्वतंत्रता उतने ही खतरे में है जितने खतरे में हमारी प्रतिष्ठा और हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। हम आज यहाँ संसद में जो प्रार्थना ले कर आये है, वे भविष्य के प्रति सशंकित है। हमने रुपयों के लेन-देन का विरोध किया है। क्या हम नहीं जानते कि बडी संख्या में ऐसे लोग है जो प्रतीक्षा में हैं कि भारत से प्राप्त किया गया अनैतिक धन वे समस्त रूप में हडप जायँ? आज जिन्होंने भारत में लूट-पाट की है, कल वे ही महान ब्रिटेन के संसद में बैठ सकते है। हम लोग जानते हैं, और मै कह भी सकता हूँ कि रुपये में बड़ी शक्ति होती है, और हम श्रीमान से रुपयों

के मामले में ही न्याय की माँग करते हैं। हम आपसे अपनी परम्परा और चरित्र की रक्षा की माँग करते हैं। हम आपसे अपने राष्ट्रीय चरित्र के लिये माँग करते हैं। हम आपसे अपनी स्वतंत्रता की माँग करते हैं और हमारा विश्वास है कि श्रीमान के न्याय से संसद की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

[अपने इस वक्तव्य में मिस्टर बर्क ने जो कहा उसका १६ फरवरी सन् १७६० को मिस्टर एन्सट्रूथर ने समर्थन किया, जिन्होंने छठे वक्तव्य का बचा भाग प्रस्तुत किया और प्रमाण भी पेश किए। छठे वक्तव्य का बचा भाग और सातवें वक्तव्य का एक भाग, आठवां और चौदहवां वक्तव्य उसी सत्र में ७ और ६ जून को मिस्टर फॉक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सन् १७६१ की २३वीं जून को मिस्टर जॉन ने वक्तव्य प्रारंभ किया और प्रमाण पेश किए। उसी सत्र मे सन् १७६२ में मिस्टर हेस्टिंग्स के वकील को भी सुना गया जो सन् १७६३ के पूरे सत्र में बोलते ही रहे।

सन् १७६४ की ५वीं मई को वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे में पेश कागजातों की जाँच के लिए संसद ने एक समिति का गठन किया और महाअभियोग का मुकदमा शुरू होने के बाद हुई घटनाओं की भी जाँच की, जिससे सारे मामले पर यथेष्ट प्रकाश पड़ा। ३० अप्रैल को मिस्टर बर्क ने जो रिपोर्ट दी थी उसे स्वीकृत करके संसद ने उसके प्रकाशन की अनुमति भी दी।]

जवाब का पहला दिन

[२८ मई, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, राज्य के सरकारी वकीलो और इस महान अदालत को इतने दिनों बुरी तरह व्यस्त रखने वाला व्यापार अब अपने अंत के निकट आ गया है। अब यह मामला आपके सुविचार की प्रतीक्षा में है। मामले पर हर दृष्टिकोण से हर प्रकार की खोजबीन के बाद अब इस अपराधी को आप की दी सजा ही मिलेगी, जब कि अपराधी अपनी प्रतिरक्षा की योजनानुसार न केवल सजा से बचना चाहता है बल्कि विजयी भी बनना चाहता है। उसे इतने से ही संतोष न होगा कि वह अपराध से मुक्त हो जाय, बल्कि वह ग्रेट-ब्रिटेन के संसद-सदस्यो की भर्त्सना भी चाहता है और श्रीमान को अपनी विजय और हमारे अपमान का माध्यम बनाना चाहता है।

श्रीमान, मै स्वीकार करता हूँ कि इस नाजुक क्षण मे बुरी तरह अपने को उत्तेजित अनुभव कर रहा हूँ, जिस स्थिति का वर्णन शब्दों मे नही किया जा सकता। हमारे सारे परिश्रम का फल, हमारे खोजबीन का परिणाम, अब निश्चित होगा। आप, श्रीमान को अब विचार करना है कि हमारा इतना परिश्रम अब व्यर्थ व असफल नहीं है, हमने अब तक केवल समय की बरबादी नही की बल्कि अपराध पर ही प्रकाश डाला है। मै स्वीकार करता हूँ कि जब मैं यह सोचता हूँ तो काँप उठता हूँ कि अब श्रीमान अपने निर्णय से अपराधी ही नही, संसद की भी योग्यता पर भी निर्णय देंगे, आप इस राज्य की न्यायप्रियता को कसौटी पर कसेंगे। यह मामला केवल अपराधी को सजा देने भर का नही है बल्कि आज संसद ही अपने भाग्य-निर्णय के लिए उत्सुक है। आज संसद के भाग्य का निर्णय होना है, आज ब्रिटिश साम्राज्य के भाग्य का निर्णय होना है। आज वर्तमान पीढ़ी के सम्मुख ब्रिटिश परम्परा का भाग्य-निर्णय होना है।

श्रीमान, इस समय अलंकारिक भाषा द्वारा चाटुकारिता करना मैं बुरी बात मानता हूँ। ऐसे वाक्य न तो उस संस्था के लिए उपयुक्त होंगे जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, न तो मुकदमे के, न मेरे अपने व्यक्तित्व के उपयुक्त होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल अदालत का ध्यान आकर्षित कराने के लिए किया

जाता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे वाक्य बड़े व महत्वपूर्ण मुकदमों मे प्रयोग किए जाते है।

अपराधी के एक वकील ने श्रीमान से कहा कि हम यहाँ अपराधी के चरित्र के संबंध में भ्रम फैला रहे है। लेकिन मैं कहूँगा कि हमसे अधिक प्रसन्न और कोई न होगा जब उसके वकीलो के प्रयत्न से आप उसे मुक्त करेंगे और हमें हमारी भूलों का ज्ञान करा देंगे। तब हम एक दूसरे को बधाई देगे और प्रसन्नता का उत्सव मानायेंगे।

श्रीमान, हम यहाँ न्याय की माँग करने आए है, कोई समस्या सुलझाने नहीं, और हमें न्याय नही मिलता, तो अदालत की भर्त्सना होगी। यदि इस मामले में हम दोषी पाए जाएँ, तो इसे महान दोष माना जाना चाहिए और इतना समय व परिश्रम लगाने वाली जाँच-पडताल की निरर्थकता, पार्लामेंट की कार्यविधि का दोष—यह सब भी स्पष्ट हो जायगा। जैसा हमने लार्ड स्ट्रैफर्ड के मामले में किया था, और अन्य मामलों में भी कि 'महाअभियोग' के पक्ष मे मत दे कर उसी दिन मामला प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन यहाँ, इस बार मिस्टर हेस्टिंग्स के अपराधों के प्रति उठे सार्वजनिक मत और सदन की एकराय सम्मति पर ही हमने 'महाअभियोग' के पक्ष में मत दिया था। सन् १७८० में प्रारंभ हुई जाँच-पड़ताल ने जिसने सन् १७८२ में उसके समस्त चरित्र को प्रकाश में ला खडा किया था और उसके कारनामों को दोषी सिद्ध किया था। ये सभी अपराध स्काटलैंड के वरिष्ठतम महान वकील द्वारा लगाए गए थे और सभी दलों द्वारा हमारी संसद में ला कर उपस्थित किए गए थे। मेरा आशय है तब के स्काटलैंड के वरिष्ठ वकील, अब जो सम्राट के प्रमुख गृह सचिव है और भारतीय विभाग के प्रमुख है।

बाद मे, जब सन् १७८५ में यह प्रतिवादी यहाँ वापस आया तो हमने एक जाँच-कमेटी बनाई। श्रीमान और समस्त संसार जानता है कि उसके एक एजेण्ट द्वारा उसी के सुझाव पर, जो तब इस सदन के सदस्य थे, हमने जाँच-कमेटी संगठित की थी। हम फिर मामले के खूब गहरे तह में गए और इस मामले में तनिक भी प्रकाश डालने वाले एक-एक कागज की खोज की। यह कागजात केवल प्रमाण रूप में ही पेश नहीं किए गए बल्कि, इस अपराधी के मित्रों ने इसी के बचाव के लिए पेश किए थे। मामले पर प्रकाश डालने वाले सभी गवाहों को भी हमने बुलाया और उसके मित्रों ने भी उन सभी गवाहो को पेश किया जो इसके पक्ष के सिद्ध हो सकते थे। अंत में समस्त कार्यवाही एक कमेटी के पास भेज दी गई थी, फिर एक दूसरी कमेटी को मामला दिया गया और हर स्थान पर मान्यता और सिद्ध उपयोगिता के आधार पर ही अब आपके सम्मुख 'महाअभियोग' का यह मामला उपस्थित है।

यदि हमारी हार भी होती है तो हम अपने पक्ष की पैरवी भी न करेंगे

क्योंकि यह सब हमने एक उत्तेजना से भर कर किया है और यह ऐसी उत्तेजना होती है जो कभी-कभी गंभीर सभाओं को भी गुमराह कर देती है। अब तो प्रश्न है कि बाइस साल के जिन कारनामों को हमने आपके सम्मुख उपस्थित किया है वह सच है या जो अपराधी कहता है वह सत्य है। श्रीमान, आज तो निर्णय आप के हाथ है कि इस व्यक्ति ने चौदह वर्षों तक भारत में शक्ति का, अधिकारों का दुरुपयोग किया है या संसद-सदस्यों ने जाँच-पड़ताल के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है और व्यक्तिगत राग-द्वेष के बीच में फँसे हैं। हम यहाँ मामले के समझौते के लिए नहीं आए हैं। हम मानते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सुयश, हमारा सर्वस्व नष्ट होगा यदि इस व्यक्ति को मुक्ति मिली।

श्रीमान, हमारी यह संसद महान व शक्तिशाली है और भारत से इस देश में आए चार सौ लाख रुपयों का मामला यों नहीं निपटाया जा सकता। अब मैं श्रीमान, यह बताऊँगा कि इस मामले में क्या हुआ है।

एक बड़े पैमाने पर हुए अपराधों को संसद की समिति ने पचाया। ज्यों ही यह मामला आप के सामने लाया गया, हमने देखा कि चाहे जो भी कारण रहे हों, आपको, अपने को, अपराधी को, बिना दोष दिए ही, स्पष्ट दिखा कि यह मामला बहुत अधिक दिनों तक खिंचेगा। फिर इस अवधि को घटाने की बड़ी कोशिशें हुईं। अतः पूरे मामले के अपराधों व दोषों को हमने चार भागों में बाँटा। उनमें दो हैं—बनारस और बेगमों का मामला जिसमें हिंसा व अन्याय खुलेआम हुए और दो अन्य घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। अपराधी के भ्रष्ट कारनामों में शायद ही कोई ऐसा कारनामा भी है जो हिंसा से परिपूर्ण न हो। अतः हमने अपराधों के जो हिस्से किए वे अपने आप में इतने स्पष्ट थे कि यदि श्रीमान इस पर भी उसे दोषी नहीं मानते, तो फिर उसे अपराधी सिद्ध करने को और कुछ बचा नहीं रह जाता।

इस प्रकार और इस रूप में मामला श्रीमान के सामने है। हम तो ग्रेट-ब्रिटेन के संसद-सदस्य हैं अतः अधिक कुछ नहीं कह सकते। संसद ने यह कार्य-भार मुझे किसी विशेष योग्यता के कारण नहीं दिया, बल्कि मेरे परिश्रम के प्रति विश्वास रख कर तथा सहयोगियों की योग्यता पर विश्वास रख कर दिया गया है।

मैंने पूरे मामले को चार खण्डों में बाँटा है। प्रथम, उसकी चतुर्मुखी पराजय, दूसरी, उसकी प्रतिरक्षा की नीति, तीसरी, उसकी प्रतिरक्षा की राहें और चतुर्थ, इन राहों की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत सनदें।

श्रीमान, मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि हम उच्च न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने वाले सभी अपराधियों के चरित्र की पूरी तरह जाँच करें, यानी

ड्यूक आफ सफ्फोक के कार्यकाल से लार्ड मैकलेसफील्ड के काल तक, लार्ड बेकन से ले कर सम्राट विलियम तक तो अपराधियों के इतिहास से यह अपराधी, जो आज आपके सम्मुख है सर्वथा भिन्न है। ईश्वर करे कि किसी भी ब्रिटिश न्यायालय को फिर कभी ऐसे अपराधी का सामना न करना पड़े। इस देश में जो भी अपराधी सिद्ध होता है वह बड़ा ही अभागा होता है। बाद में चाहे उसका निर्दोष होना सूर्य के प्रकाश की तरह चमके, पर तब तक उस पर बादल छाये रहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा और उसका सम्मान धूमिल रहता है और वह मानव-समाज की दृष्टि में संदिग्ध-चरित्र का माना जाता है।

रोमन लोग तो ऐसे अपराधी को विशेष प्रकार के शोकयुक्त कपड़े पहना कर खड़ा करते थे। उनके संविधान के अनुसार अभियोग लगाने का काम सबसे छोटे श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभ होता था। यह प्रथा आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है।

लेकिन यह सब ऊपरी बातें है। यह अपराधी तो बहुत आगे बढ़ कर अपमानित करता है। अपनी सुरक्षा के लिये प्रयत्न करने के अतिरिक्त अपराध के प्रति घमण्ड दिखाता है। ऐसा संसार में दूसरा उदाहरण न होगा। वह अपने को अब भी ऐसा घृणित व्यक्ति नहीं समझता जिसे सारा राष्ट्र घृणा से देखता है, बल्कि वह अपने को बहादुर देशभक्तों की श्रेणी मे मानता है। देश के हम प्रतिनिधियों पर वह दोषारोपण करता है। वह ब्रिटेन के संसद-सदस्यों पर अभियोग लगाता है। यदि यह हमने अपराधी और उसके वकील के मुँह से स्वयं न सुना होता तो मैं कभी विश्वास न करता कि आपकी अदालत के सम्मुख कोई भी इतनी गंदी बात बोल सकता है।

अपनी प्रतिरक्षा में वह हम लोगो के लिये कितनी आश्चर्यजनक बात कह रहा है, "तुम्हारे अस्तित्व के लिये हमने युद्ध जारी रखा, मैंने भारत के रजवाड़ों को तुम्हारा पक्षपाती बनाया, उन्हें तुम्हारा मित्र बनाया, मैंने संधियाँ कीं और शांति के लिये मार्ग ढूंढ़े। मैंने एक बड़े राष्ट्र में शांतिपूर्वक तुम्हारा राज्य स्थापित किया, यानी इतना सब मैंने तुम्हारे हित में निस्वार्थ भाव से किया और तुमने बदले में मुझे दिया क्या ? मुझ पर अभियोग लगाया, लूटपाट, अपमान और भ्रष्टाचार का और 'महाअभियोग' का।"

श्रीमान, ऐसी स्थिति मे हम आगे क्या कहें, नही समझ पा रहे है ? अब तो केवल दो बातें ध्यान देने को रह जाती हैं—प्रथम कि क्या अपराधी ने सचमुच सेवा की है स्वराष्ट्र की और दूसरा कि क्या सचमुच उसे अनुचित ढंग से अपराधी बनाया गया है ?

श्रीमान, उसकी महान सेवाओं का कोई प्रमाण निश्चय ही आपके सम्मुख नहीं आया है क्योंकि आपके सामने जो भी प्रमाण हैं वे केवल इस बात के हैं कि

उसके राजकाज मे भयानक कष्ट व अव्यवस्था ही रही है। और इस भयानक दुर्व्यवस्था के बीच उसने उन अपराधो को ढाँकने का अवश्य प्रयत्न किया जिनके लिये वह आपके सम्मुख अपराधी बन कर आया है। अत मेरी प्रार्थना है कि आप उसकी कही अपनी ही तारीफ पर ध्यान न दे और मैं माँग करता हूँ कि अपराधी को उसके अपराधो के लिए पूरा दण्ड मिले। मै यह स्वीकार करता हूँ कि आप योग्यतम न्यायाधीश है, पर आप भी मनुष्य है और हर बात का आप पर भी प्रभाव पड सकता है।

अब मैं श्रीमान का ध्यान अपराधी की असाधारण व महान सेवाओ की ओर आकृष्ट कराऊँगा। वह कहता है कि हमने न केवल उस पर झूठे अभियोग ही लगाए है बल्कि हमने उसके प्रति अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, यहाँ तक कि हमारी समस्त पैरवी, ससार की दृष्टि मे उसके प्रति सार्वजनिक धारणा भ्रष्ट करती है।

श्रीमान, ग्रेट ब्रिटेन के ससद-सदस्य क्या अभद्र व गँवारू लोग है या उनकी भाषा क्या सयत नही होती ? हाँ, हमलोग लूट-खसोट व अपहरण की नम्रता और घूसखोरी की शिष्टता अवश्य नही जानते। हम तो सत्य की भाषा का ही प्रयोग करते है, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते है, जिसमे सत्यता की ही प्रमुखता होती है।

आपके सम्मुख खडा अपराधी स्वीकार करता है कि हमने उस पर जो अभियोग लगाये ह उससे उसको मृत्यु जैसा आघात लगा है। लेकिन इसके विपक्ष मे हम कोई सफाई दे कर अपने ही विश्वास पर प्रहार न करेगे। इस गंभीर अवसर पर हमे दूसरा ही कर्तव्य करना है। यदि कभी जनता का भविष्य बुरे मार्ग पर जाए तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हे उचित दिशा दे। आज दुनिया मे बडे नामो का बडा प्रभाव पडता है। जब वाक्चातुरी के बल पर भावनात्मक ढंग से अपराध और अपराधी को एक बताने का प्रयत्न किया जाना है तो अन्याय की सभावना बढ जाती है।

और, श्रीमान, बनारस व अवध से रिश्वत खाने वाला व्यक्ति तो कम से कम हमारी भाषा मे दोष निकालने का अधिकारी हो ही नही सकता। हम जानते है कि किसके प्रति कैसी भाषा का प्रयोग किया जाय।

श्रीमान, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ससद मे किसी ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग नही किया है। हाँ, हमने ऐसे शब्दो का प्रयोग किया है और भविष्य मे भी आवश्यकतानुसार अवश्य करेगे जिनसे हम अपराध को पूरी तरह स्पष्ट कर सके। पहले हम अपराध की गंभीरता दिखाते है फिर अपराधी का महत्व बताते है। हमने अपराधी को केवल सार्वजनिक लुटेरा ही नहीं कहा बल्कि हमने उसे लूट की संस्था का प्रधान कहा है—लूट के समूह का सरदार। ऐसे बड़े पैमाने पर हुए अपराधो को जिन्हे आंशिक रूप से हमने सिद्ध किया है और आगे भी सिद्ध करेंगे। जब कि बलपूर्वक व हिंसा से किसी से कोई चीज छीनी जाती है

तो हम उसे लूट कहते है। जो गुप्त ढंग से रुपया ले ले उसे हम चोर कहते हैं। जब रुपये लेने के लिए झूठे कागज तैयार किए जाते है तो इसे जालसाजी कहते है। जो गुमाश्ता मालिक के किरायेदार से घूस ले ले और उसे अपनी सम्पत्ति समझ कर उसके लिये अपने पक्ष मे दस्तावेज तैयार कर लें, तो इसे हम बेईमानी कहते है और जो ऐसे अपराध करे उसे धूर्त, दगाबाज और बेईमान कहा जाता है। फिर जिस पर यह अपराध हों उस पर इन शब्दों को नम्र किए बिना आसानी से प्रयोग किया जा सकता है।

अपराधी की दूसरी शिकायत है कि जाँच-पड़ताल के नाम पर बहुत देरी की गई। इसके उत्तर मे हमे यही कहना है कि सचमुच अपराधी का अपराध इतना गंभीर था कि देरी लगना स्वाभाविक ही नही उचित भी था। बल्कि इसमे अधिक हमें उनकी चिन्ता है जो इसके अपराधों के शिकार है—बेगमें, जो इस बुरी तरह सताई गईं पर उन्हे कष्ट देने वाले को अभी तक सजा नही मिली। चेतसिंह इतने दिनो से शरणार्थी बना है और उसे अपने राज्य से निकालने वाला अभी तक सजा नही पा सका। हमें नवकिशन के लिए चिन्ता है जिसे पन्द्रह वर्षों तक लगातार लूटा गया है।

१६ फरवरी, सन् १७८६ को अपराधी ने श्रीमान के सम्मुख प्रार्थना-पत्र दिया कि उसके मामले से संबन्धित बहुत से लोग भारत मे है और बहुत से लोग मर चुके है। मैं यहां यह बताना चाहता हूँ कि जिनके भारत मे होने की बात कही गई हैं वे लोग जान-बूझ कर भारत भेजे गए है। यदि मामले के बीच मे बहुत से लोग भारत चले गए है तो बहुत से लोग इस बीच भारत से आये भी तो है। मिस्टर लारकिंस लौटा, पर क्या अपराधी उसकी गवाही कराना चाहता था ? हमने उसका बयान लिया जो श्रीमान को मालूम है।

श्रीमान एक और मामला है जो हमारे एक सहयोगी को पता लगा। अपराधी का व्यक्तिगत सचिव मिस्टर बेली था जो सभी लेन-देन करता था। पूरे मामले मे मिस्टर बेली यहाँ था बल्कि हमारे सुबूत व गवाही की समाप्ति के सात सप्ताह बाद तक था। फिर उनकी गवाही न ले ली जाय इस भय से उसे फिर भारत भेज दिया गया। यह सत्यता है उसके शिकायत की।

अपराधी के प्रार्थना-पत्र मे एक और शिकायत है कि उस पर सरकारी रुपयों के अनुचित उपयोग का दोष गलत है। मिस्टर हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रंगपुर और दीनाजपुर मे जो कुछ हुआ वह क्या था।

अपरधी का कहना है कि उसे असीमित शक्ति व अधिकार दिए गये थे। उसका कहना है कि भारत के लोगो का कोई कानून, कोई परम्परा, कोई समाज, कोई नैतिकता न थी, अत. उनके साथ जानवरो जैसा व्यवहार ही न्यायसंगत था। वह बार-बार उदाहरण के लिए अलीवर्दी खाँ, कासिम अली खाँ और शुजाउद्दौला

का नाम लेता है।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने मेजर स्काट से कहलाया कि समस्त कौंसिल इन कार्यों मे सम्मिलित थी। कौंसिल मे मिस्टर मिडलटन, मिस्टर शोरे, मिस्टर हालहेद और मिस्टर वेबर थे। हे ईश्वर ! ऐसी स्थिति में अब क्या कहा जा सकता है ? जब हम देखते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स अकेले नही बल्कि समस्त कौंसिल ही जिम्मेदार है तो मामला और गंभीर दिखने लगता है।

अपराधी भारत की बिलकुल गलत तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है पर अन्य प्रमाणो मे हम उस देश के बारे मे काफी जान गए है।

भारत के रहने वाले लोग तीन भागों मे बँटे है, वहाँ के आदि निवासी हिन्दू कहे जाते है, अरबो और फारसवालो के वंशज मुसलमान कहे जाते है और तीसरे है मुगलो के वंशज। भारत के लोग, विशेषकर प्रथम श्रेणी के लोग अनेक वर्गो मे बँटे हुए है। हर वर्ग कई परिवारो मे बँटा है, जिनमे से कुछ बहुत प्रतिष्ठित और दूसरे से ऊँचे माने जाते है और उन्हे सामाजिक सुविधाएँ भी अधिक प्राप्त है। एक ब्राह्मण की जायदाद का मालिक उसी का उत्तराधिकारी होगा और उत्तराधिकारी न रहने पर उस जाति विशेष का होगा, पर अन्य कोई उसे छू नही सकता।

मै श्रीमान को बताऊंगा कि वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए इतने अधिक चतुर है कि जो भी दोषी माना जाता है उसकी अपनी स्थिति के अनुसार ही उसे सजा या जुरमाना देना पडता है। वे अपने देश के कानून को खूब जानते है पर उनमे दूसरो के कानून जानने की आशा नही करनी चाहिए। लेकिन इस अपराधी को तो निश्चित रूप से हिन्दू-कानून जानना ही चाहिए। क्योकि इस कानून को अनुवाद कराने के नाम पर उसने नवकिशन से बडी रकम हडपी। यह सब श्रीमान के सम्मुख मिस्टर औरिअल और मिस्टर हालहेद की गवाही में स्पष्ट हो चुका है।

हिन्दुओं के अलावा हम भारत मे तातारी सरकार की भी चर्चा करेंगे, जो सरकार लड कर स्थापित की गई थी। सरकार के प्रधान का चुनाव होता है। तैमूरलंग चुना गया। चंगेज खाँ अपने को देश का कानून और समाज सुधारने वाला समझता है और इसी पुस्तक से यह सिद्ध है कि तातारी साम्राज्य ने पुराने कानून को अधिक न मान कर नए कानून बनाए।

श्रीमान, तैमूर के कानून तो कम से कम मिस्टर हेस्टिंग्स को जानने ही चाहिए थे। यह कानून की पुस्तक मेजर डेवी द्वारा प्रकाशित हुई थी और मिस्टर ह्वाइट ने इसका संशोधन किया था। मेजर डेवी एक प्रवीण विद्वान व शास्त्री था और मिस्टर हेस्टिंग्स का सचिव था।

तातारी सरकार के बाद हिन्दू जनता पर विजय पाने वाले मुसलमान राज्य की चर्चा करूँगा। वहाँ के निवासियों में एक बहुत बड़ा भाग मुसलमानों का है।

मुसलमान नाम ही कानून से बँधे व्यक्ति का होता है। हेस्टिंग्स ने कानून की किताब छपाने का श्रेय अपने पर लिया और नवकिशन से रुपये झटके। क्या श्रीमान विश्वास करेंगे कि जिन लोगों के कानून और अधिकार व प्रतिष्ठा नहीं होती क्या वहाँ भी ऐसे कानून-शास्त्री और लेखक हो सकते हैं ? आज भी मैं जानता हूँ कि हजारों ऐसे मुसलमान लेखक हैं, जिन्होंने कानून पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे हैं।

मैं आप को बताऊँ कि मुसलमान ऐसी जाति है जिसमें न्याय व कानून-विज्ञान की खूब गहरी शिक्षा होती है। उनका प्रमुख धर्म-ग्रंथ या न्याय-ग्रंथ 'कुरान' है।

श्रीमान, आप कृपया मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा बताए गए मुस्लिम कानून और उनके असल कानून को मिला कर देखें। उनके यहाँ भी सभी नियम कानून हैं। 'बागी' शब्द आपके यहाँ के कानून के शत्रु की तरह ही है। 'इमाम' न्यायकर्त्ता को कहते हैं। मैं श्रीमान को बताऊँगा कि भारत के निवासियों में इतनी अधिक न्यायप्रियता व अनुशासन है कि स्त्रियों तक को अपने अपराधों के लिए सजा भुगतनी पड़ती है। वहाँ के सिपाहियों तक को प्राणदण्ड दिया जाता है।

मैं पहले ही मिस्टर हेस्टिंग्स के अपराधों से संबधित घटनाओं की वास्तविकता की चर्चा कर चुका हूँ। किसी अपराधी का यह कहना कि जो लूट मैंने की है उससे पहले वही कई लुटेरे कर चुके है, यह उचित दलील नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के राजाओं ने वहाँ के कानून की अवहेलना की, तो इसके कारण उन्होंने नुकसान भी तो उठाया। जिसने भी कानून की सीमा का उलंघन किया उन्हें सजा से बचने का कोई रास्ता न मिला। साधारण लोगों ने कानून तोड़े, उन्हें फाँसी तक लगी। मैं जानता हूँ, कानून से कोई नहीं बचा। भारत व इंगलैंड दोनों देशों में कानून ही समान रूप से रक्षक है। लेकिन जो आदमी लूट, अपहरण को ही परम्परा बतावे, वह तो कानून का सबसे बड़ा भंजक है—सबसे बड़ा द्रोही है।

मैं समझता हूँ कि श्रीमान मेरे अधिक समय लेने पर रुष्ट न होंगे। किसी अन्य अवसर पर मैं उसके सिद्धान्तों और उसके अमल पर बात करूँगा। अभी मैं अधिक बोल पाने की शक्ति की कमी अनुभव कर रहा हूँ, अतः आज और बोलने में असमर्थ हूँ······।

[दूसरे दिन के लिए स्थगित]

जवाब का दूसरा दिन

[३०, मई सन्, १७६४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान्, इस अदालत मे पहले दिन जब मैंने आपके सम्मुख वक्तव्य दिया था तो आपके सुविचार के लिए दो विषयो पर विशेष रूप से चर्चा की थी; एक तो अपराधी के व्यवहार के संबंध में और दूसरे उसके सिद्धान्तों के विषय मे जो उसने अपनी पेशी के संबंध मे उपस्थित किए। मैंने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि कई लोग आपके अपराधी बन कर आए और मुक्ति पा गए। ऐसे अपराधियो और इस अपराधी के आचरण की भी तुलना की थी।

श्रीमान, मैंने आगे बताया था कि वह अपने प्रति अन्याय व मामले में लगे समय के संबध मे जो आपत्ति उठाता है उसके संबंध में क्या उत्तर हे? हमारा एक आशय यह भी है कि श्रीमान स्वयं देखे कि अपराधी विश्व की सबसे योग्य व बड़ी अदालत के सामने खडा हो कर भी जिस प्रकार आचरण करता है, उससे समझा जा सकता है कि जब वह शक्ति व अधिकार की कुर्सी पर रहा होगा तो कैसा आचरण करता रहा होगा। भारत-निवासियो के प्रति उसका क्या व्यवहार रहा होगा, जब कि अपने आचरण के लिए उत्तर देने के लिए यहाँ बुलाए जाने पर भी वह अभद्रता का व्यवहार करता है।

आपके सम्मुख मामले से संबंधित सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जा चुके है और यह मामला अब ठीक स्थिति की जाँच का नही बल्कि कानून द्वारा निर्णय का है। हमारी निश्चित धारण है कि जहाँ तक कानून का प्रश्न है, आप इस राष्ट्र की न्याय-मर्यादा और अपराधी की ब्रिटिश-नागरिकता को ध्यान मे रख कर उसके कार्यों पर अपना विचार देंगे। क्योंकि उसने जब भी कम्पनी या सम्राट के नाम पर प्रतिनिधि के रूप मे कार्य किया, वह राष्ट्र के कानून व नियमो से बँधा था। इतना ही नही, उसे अधिकार देने वाले कानून का भी उसके ऊपर बंधन था।

दूसरी बात, जिस पर हमारा आग्रह था कि हम श्रीमान को याद दिलाना चाहते है कि अपराधी कानून के बंधन से बँधा था और सीमित अधिकारों के उपयोग का ही उसे अधिकार था। इन्ही सीमाओ को ध्यान मे रख कर हमने उसके आचरण की जाँच की है और उसे आपके सम्मुख ला कर खड़ा किया कि आप सुविचार करें। यह न्यायालय है, अदालत है और न्याय के इस घर में उसके आच-

रण का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि पार्लमिंट के कानून के प्रति उसका कैसा व्यवहार है ? पार्लमिंट के कानून के स्थान पर वह अपना बनाया कानून भी प्रयोग करता है। यहाँ वह हिन्दू कानून, मुसलमान कानून और अपने राष्ट्र के कानून की मर्यादा भंग करता है। सरकार चलाने के लिए अपने मन का कानून बनाने का वह अपने को, अधिकारी मानता है और यह भी मानता है कि अलीवर्दी खाँ, कासिम अली खाँ, सुजाउद्दौला और जितने अन्य विद्रोही थे उनके प्रति उसका व्यवहार उचित था। साथ ही वह मानता है कि कम्पनी की स्थिति चाहे जितनी भी खराब रही हो, चाहे उसका मुख्य कारण उसकी ही अपनी अव्यवस्था क्यों न रही हो यह कम्पनी के नाम पर व व्यक्तिगत रूप से रिश्वत व उपहार लेने का भी पूरी तरह अधिकारी है।

श्रीमान, एक ओर तो अपराधी यह बताता है कि भारत के लोगों का कोई कानून नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई नियम, यानी वह जानवरों जैसे लोग हैं। दूसरी ओर हम यह सिद्ध करते है कि बात बिलकुल इसकी उल्टी है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए ही चंगजेखाँ व तैमूरलंग को परम्परा बताई है और मुस्लिम कानून का हवाला दिया है जो भारत के राजा से भिखारी तक को मान्य है और हमारा विचार है कि कानून संसार के समस्त कानूनों से अधिक विकसित व योग्य है। हम यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि जनता के ही अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। हम श्रीमान के सम्मुख यह कहने की हिम्मत करते है कि भारत के निवासियों के अपने कानून व नियम, ऐसे कानून हैं जो तब बने थे जब हम जंगलों में रहते थे, निश्चय ही इसके बहुत पूर्व जब हमने कानून का नाम सुना, वहाँ कानून बन चुके थे। और यह भी अपने स्थान पर एक सत्य ही है कि मिस्टर हेस्टिंग्स को वहाँ उन कानूनों की रक्षा के लिए ही भेजा गया था। जिस कानून के लिए उसने नवकिशन से रुपये लिए उसे पढ़ भी न सका और हम उसी कानून का अनुसरण करते हैं।

हम यहाँ आपके सम्मुख यही कहने आए हैं कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जिन प्रमाणों के आधार पर आपके सम्मुख प्रार्थना की हैं वह निर्मूल है और उसे पंचायती अधिकार अपने पर लादने का कोई अधिकार न था। यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ हमारी सरकार में, हर व्यक्ति या अधिकारी को ग्रेट ब्रिटेन के कानून से बँधा रहना पड़ता है, अतः दूसरे देश के हर अधिकारी को भी वर्तमान कानून व्यवस्था से ही बँधना होगा। अन्यथा जिस शक्ति से हम वहाँ शासन चलाते हैं वह शक्ति टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आपने अब तक अच्छी तरह देख लिया है कि हेस्टिंग्स रद्दी और घसीट लिखने वाला, बेकार के कागजों को रंगने वाला है जो ऐसे वाक्य भी नहीं लिख सकता जो एक दूसरे से भिन्न अर्थ वाले न हों। हम उसे अभी तक बिल्कुल ऐसा ही देखते आए हैं, जैसे वह अनेक वर्षों तक बधिया बैलों का ठीकेदार रहा हो और उसी स्थिति में अनेक व्यभिचार

करता रहा हो फिर दूसरों का ठीका भी देता रहा हो, इस पर भी वह अपने को पूरा पूर्वी साम्राज्य का विजेता ही मानता है। पुराने विश्व-विजेता जिस राष्ट्र को खून की नदी बहा कर, हिंसा व लूट से जीतते थे उसे न्याय, कानून और संगठित सरकार द्वारा निर्मित भी करते थे। मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि अपराधी ने समस्त एशिया का तहस-नहस किया है और अपने दुराचारों को कानूनी रूप देने के लिए सभी बुराइयों व भ्रष्टाचार को पनपने दिया है और किसी भी रूप में उसके कार्यों को मान्यता नहीं दी जा सकती।

अभियोगी के अपने बचाव के लिए प्रस्तुत किए गए प्रथम सिद्धान्त की असत्यता को प्रमाणित करते हुए कि भारत में जो साम्राज्य चल रहा है वह ऐसा साम्राज्य है जो वहाँ के निवासी को उसकी सम्पत्ति से अलग करने वाला है। अब हम दूसरे सिद्धान्त पर आते हैं कि अपराधी, भारत में चलने वाले शासन का सच्चा, सम्पूर्ण और योग्य प्रतिनिधि था।

इस बात के विरोध में सर्वप्रथम हम यही मानने से इनकार करते हैं कि वह या कम्पनी ही सच्चे मानों में भारत के साम्राज्य की प्रतिनिधि है। उन्हें पार्लमिंट के कानून के अन्तर्गत कुछ विशेष अधिकार दिए गये हैं। वह उनके लिए केवल एक कानूनी अधिकार-मात्र है, इससे उनकी साम्राज्य की शक्ति का अधिकार कदापि नहीं मिलता। ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य राजा के प्रभुत्व के अन्तर्गत है। वह समस्त ब्रिटेन के नागरिकों का सम्राट है और उसे कानूनी सीमा के अन्तर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें प्रयोग करने का वह अधिकारी है और उसके अधीन कार्य करने वाला हर व्यक्ति, उसे चाहे पार्लमिंट के कानून के द्वारा अथवा राजा से प्राप्त अधिकार द्वारा जो भी शक्ति प्राप्त हो, वह कानून से बँधा है। कोई सीधे सम्राट के किसी अधिकार का प्रतिनिधि नहीं बन सकता, क्यों कि सम्राट के अधिकार आंशिक रूप में भी किसी को नहीं मिल सकते, जैसा कि मिस्टर हेस्टिग्स गवर्नर पद पर निर्वाचन वाले कानून को देख कर कोई भी निर्णय ले सकता है। वह किसी प्रकार भी सम्राट के प्रभुत्व का प्रयोग नहीं कर सकता क्यों कि वह जिस कानून के मातहत है वह कानून ब्रिटेन के पार्लमिंट के दोनों सदनों द्वारा निर्मित है और उससे सम्राट और केवल सम्राट को ही अधिकार प्राप्त हैं। यह तो शक्ति का विद्रोहात्मक और हिंसात्मक दुरुप्रयोग है कि मिस्टर हेस्टिग्स पूरी तरह अपने को इस देश की राज्य-सत्ता का प्रतिनिधि बनाये और स्वयं सम्राट की तरह वैधानिक, शासकीय और कानूनी अधिकारों का उपयोग करे। मैं कहूँगा, श्रीमान, यह उसका विश्वासघाती और विद्रोहात्मक कार्य है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है और इसी अपराध का हम उस पर अभियोग लगाते हैं और इस प्रकार उसके कारनामों को किसी प्रकार भी मान्यता नहीं मिल सकती।

वह आगे कहता है, एक विशेष मामले के संबंध में, कि यह राज्य-प्रभुत्व

उसे वजीर सुजाउद्दौला से प्राप्त हुआ, जो उसी के कहे अनुसार राज-प्रमुख था और उसे चेतसिंह की सम्पत्ति व जीवन पर असीमित अधिकार था। हम इस तथ्य से पूरी तरह इनकार करते हैं। राज-प्रमुख को चाहे जो भी राज-प्रभुता प्राप्त हो पर हम इससे इनकार करते हैं कि वह प्रभुता सुजाउद्दौला को प्राप्त थी। वह कभी इसका अधिकारी न था। वह तो राज्य का वजीर था और उसे प्राप्त पद की प्रतिष्ठा के लिए उसे मात्र थोड़ी सी जमीन भर प्राप्त थी। इस संबन्ध में तैमूरी व अकबरी परंपरा का हवाला देंगे जो मुस्लिम कानून के अनुसार उनके गवर्नरों को प्राप्त होती थी। आप देखेंगे कि उन्हें राज-प्रभुता किसी रूप में भी प्राप्त न थी। इसी प्रकार सुजाउद्दौला को भी ऐसी कोई शक्ति प्राप्त न थी। न वह ऐसी कोई शक्ति ईस्ट इंडिया कम्पनी को ही दे सकता था न तो कभी उसके पूर्वज, किसी मुस्लिम राजा की ही ऐसी पंचायती शक्ति प्राप्त रही है। उसे भी न तो ऐसी कोई प्रभुता प्राप्त करने या भेंट करने का अधिकार था। यही नहीं, मुगल सम्राटों को भी जितनी शक्ति प्राप्त थी, उतनी भी सुजाउद्दौला को प्राप्त न थी, न मिस्टर हेस्टिंग्स को, न कम्पनी को। उन्हें केवल साम्राज्य की जनता की सुरक्षा व देख-रेख की जिम्मेदारी दी गई थी, सो भी, कानून, समानता व न्याय की सीमा में। और जब उन्होंने इसके विरुद्ध आचरण किया तो वे हिंसा, अपहरण और साम्राज्य के प्रति विद्रोह के अभियुक्त हैं।

हमने इन सिद्धान्तों को स्थापित करने की झंझट सिर्फ इसलिए उठाई कि आप श्रीमान को इन तथ्यों का पूरा-पूरा पता हो जाय। कोई जूरीकेवल तथ्यों की जाँच भर कर सकता है, विचार निर्णय नहीं दे सकता। आपके पास हर अभियोग के लिए नपु-तुले विचार या निर्णय हैं। यह उच्च न्यायालय, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, अपने इस अभियुक्त के लिए कोई पूर्व निश्चित विचार नहीं प्राप्त कर सकती। हमारा सम्पूर्ण विवाद सिद्धान्त को ले कर ही है, और इस संबन्ध में हम जो भी कहेंगे वह सब सिद्धान्त पर ही निर्धारित होगा क्योंकि गलत सिद्धान्तों से अच्छा है कि कोई सिद्धान्त ही न हो। किसी भी व्यक्ति को मनमानी करने की छूट वैसी ही है जैसे किसी जंगली जानवर को खुला छोड़ दिया जाय। जब जंगली जानवर का पेट भरा होता है तो वह बहुत सीधा लगता है, वैसे ही मनमानी करने वाले राज-कर्मचारी का जब अहं संतुष्ट रहता है तो वह प्रसन्नतापूर्वक पंचायती सरकार चलाता है। लेकिन जब पक्के तथ्यों पर बने सिद्धान्तों के कारण राज कर्मचारी की मनमानी पर रोक लगती है और गलत सिद्धान्तों को मान्यता मिलती है तो एक राज-कर्मचारी एक जंगली जानवर से दस गुना अधिक बुरा बन जाता है। यह स्थिति की निम्नतम भयंकरता है अतः हम विवश हैं कि इस सिद्धान्त के संबन्ध में विस्तार से बात करें।

श्रीमान, हमारे सहयोगियों द्वारा जो तथ्य व प्रमाण आपके सम्मुख उपस्थित

किए जा चुके हैं, उनके विषय में मैं अधिक न कहूँगा। हम यहाँ चेतसिंह का ही मामला लेंगे।

मेरे माननीय सहयोगी मिस्टर ग्रे ने दो बातें सिद्ध करने में समस्त प्रमाण प्रेषित किए हैं—प्रथम, यह कि चेतसिंह से मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो माँगें की थीं वह कम्पनी और राजा के बीच हुई संधि के विपरीत थीं और दूसरी, यह कि वह सब व्यक्तिगत कटुता और भ्रष्टचार का परिणाम था। आपके सम्मुख यही सिद्ध किया गया है, पर मैं तो वहीं से विषय को आगे बढ़ाऊँगा जहाँ वह छोड़ा गया है।

श्रीमान सर्वप्रथम तो हमें आपका ध्यान इस ओर ही आकृष्ट करना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा चेतसिंह पर लगाए गए अभियोगों के लिए यही कारण रहा कि वह उसकी माँगों को पूरी न कर सका। राजा ने कहा है और उसके कहने का कोई विरोध भी नहीं हुआ है कि उसकी व्यक्तिगत रूप से बहुत हानि की गई है।

फिर यदि यह भी मान लिया जाय कि राजा उसके प्रस्ताव पर राजी न था या उसने देरी लगाई तो यह अपराध की किस सीमा में आता है ? अधिक से अधिक यही तो दोष लगाया जा सकता है कि अपने व कम्पनी के बीच हुए समझौते से अधिक देने को वह तैयार न था। बस यही तो मामला है ? अपराध का यही तो रूप बनता है और केवल इस अपराध के लिए उस पर थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया जा सकता था, न कि वह मिस्टर हेस्टिंग्स को घूस देने को विवश किया जाता, या घूस जैसी बड़ी कीमत उसे देनी पड़ती।

श्रीमान, संभवत: अपराध की प्रकृति को समझने में असमर्थ हों, अत: हमें देखना होगा कि चेतसिंह का कम्पनी से क्या संबंध था ? श्रीमान, वह अपने राज्य का समस्त राजप्रभुता का अधिकारी था और उसके आन्तरिक मामलों में कम्पनी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था। पलटन और राज-व्यवस्था, जीवन-मरण, राजस्व, राजाधिकार और कानून की शक्ति उसके ही हाथ में थी। बनारस का राज्य उसका अपना था। इस मामले में भारत व समस्त संसार का एक ही नियम है। अत: हेस्टिंग्स की अनुचित माँग का विरोध करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। दोनों ही पक्षों के लिए न्याय का कानून एक ही है। कोई भी किसी की अनुचित माँग का विरोध कर सकता है और माँग के साथ शक्ति का प्रयोग हो तो विरोध करना आवश्यक ही होता है, जो स्वाभाविक तथा प्राकृतिक है।

हम चेतसिंह का समर्थन करते हैं, हम प्राकृतिक समानता और राष्ट्रीय कानून का समर्थन करते हैं, जो हम सब का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कह सकते हैं कि चेतसिंह राष्ट्रीय कानून के महान लेखकों के सम्मुख अपने विरुद्ध एक उदाहरण बनाता यदि वह नई माँगों के सम्मुख समर्पण करता। दूसरों की

दृष्टि में उसके कार्य चाहे अपराधजन्य हों पर उसने चाहे अपनी सुरक्षा हेतु ही सही, वही किया जो उसका कर्त्तव्य था और अपने कर्त्तव्य करने के लिए ही मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा वह एक महान अपराध के लिए दोषी कहा गया। मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा अपने पक्ष में प्रकाशित एक पत्र में उसने राजा को विद्रोही कारनामों के लिए अपराधी कहा है। उसमें उसको विद्रोही योजनाओं के लिए अपराधी ठहराया है। इस बात को चेतसिंह के विरोध के प्रमाणों में उसने शपथपूर्वक भी कहा है।

अब श्रीमान, देखना है कि कोई व्यक्ति विद्रोह न करके अपनी राजसत्ता व राजप्रभुता की रक्षा हेतु जो करे उसे विद्रोहात्मक या देशद्रोह कह कर क्या वही संज्ञ दी जानी चाहिए जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने राजा चेतसिंह को दी है। अगर बनारस के राजा ने एक गुप्त षड़यंत्र रचा हो; तो मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए उस पर लादे गए कानूनी व राज्य संबंधी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक गवर्नर के रूप में वह विवश था कि ऐसे षड़यन्त्र का पूरा पता लगावे, जनता की सुरक्षा का प्रबन्ध करे, और एक न्यायाधीश के रूप में एक अदालत संगठित करने व अभियोग के प्रमाण संग्रह करने की उसकी जिम्मेदारी थी। उसे अपराधी के विरुद्ध कानूनी व सार्वजनिक कदम उठाने चाहिए थे, और अपराधी के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए थी। श्रीमान, मैं कहूँगा कि एक जज के रूप में मिस्टर हेस्टिंग्स को राजा के विरुद्ध अंग्रेजी कानून के माध्यम से मामला चलाना था या मुस्लिम कानून या हिन्दू कानून द्वारा ही, यानी किसी भी तरह अपराधी पर अभियोग लगा कर उसका उत्तर भी सुनना था और उसके विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत करने थे। लेकिन यहाँ श्रीमान, क्या हुआ? जो कुछ हुआ वह साधारण रूप में केवल न्याय के नाम पर रस्म ही अदा की गई।

श्रीमान, यह दृष्टि में रख कर कि ऐसे में एक जज की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमें देखना है कि क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन नियमों का उचित ढंग से पालन किया है जो नियम निर्धारित थे? क्या उसने उच्चतम कौंसिल को उन अभियोगों की सूचना दी जो उसके अनुसार उसने राजा चेतसिंह के विरुद्ध प्राप्त किए थे? क्या उसने कौंसिल में राजा पर अभियोग लगाया या कौंसिल के रिश्वत लिए सदस्य मिस्टर ह्वीलर को ही सूचना दी? मैं पूछता हूँ कि क्या उसने इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अभियोग लगाए या प्रमाण प्रस्तुत किए? यह कौंसिल में जज बना बैठा रहा, एक अंग्रेजी जज के रूप में, मुस्लिम व हिन्दू कानून के जज के रूप में। उसे चाहिए था कि वह अपराधी के उपस्थित होने का आदेश देता, या उसके वकील को बुलाता और उस पर लगाए अभियोगों की उसे सूचना देता। लेकिन श्रीमान, उसने नियम का पालन नहीं किया। वह अभियोग अपने मन में छिपाये रहा। लेकिन क्यों? इसीलिये न कि वह जानता था कि अभियोग झूठे व निर्मूल हैं।

यह बात इसी से प्रमाणित होती है कि उसने कौंसिल के सम्मुख कोई बात स्पष्ट नहीं की। उसने बनारस के राजा को भी उसके विरुद्ध हो रही कार्यवाही की सूचना नहीं दी। उसने अपराधी माने जाने वाले निर्दोष व्यक्ति को वह सब कुछ नहीं बताया जो वह हमें व समस्त राष्ट्र को आज बता रहा है। न तो उसने उन विद्रोहों के कारनामों के विरुद्ध उससे कभी जवाब-तलबी की या क्या उसने कभी राजा के प्रतिनिधि सदानन्द को ही कुछ बताया, जिससे वह गुप्त रूप से रिश्वत लिया करता था। क्या वह केवल उससे इसीलिए रिश्वत स्वीकार करता जाता था कि वह एक विद्रोही मालिक का नौकर था? श्रीमान, ऐसा उसने कभी कुछ न किया बल्कि जब वह स्वयं बनारस पहुँचा और राजा को अपने अधिकार में कर लिया तब भी उसने विद्रोह के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उसने, जब वह भागलपुर में मिस्टर मरखाम से मिला और उनसे उस व्यक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की तब भी उसने विद्रोह के सम्बन्ध मे कोई न बात की? नही, उसने कभी किसी से भी इस सम्बन्ध मे एक शब्द भी नहीं कहा। जब वह भागलपुर में था तब उसने राज्य के सम्बन्ध में लार्ड मेकार्टनी को एक पत्र लिखा और उसे कई सलाहे दीं। क्या उसने उस पत्र मे भी ऐसा कुछ लिखा था कि वह राजा चेतसिंह द्वारा किये गये विद्रोह को दबाने के लिये बनारस जा रहा है या चेतसिंह को सजा देने जा रहा है। नहीं, एक भी शब्द उसने नही लिखा। श्रीमान, क्या उसने कलकत्ता से रवाना होते समय जब ५००,००० पौंड लेने की नीयत स्पष्ट की, जिसे वह राजा पर जुरमाना मानता था तब भी उसने मिस्टर ह्वीलर को सूचना दी? नही, विद्रोह के सम्बन्ध में नही कहा। उसने अपने विश्वासपात्र मिस्टर एण्डरसन और मेजर पामर को भी इस सम्बन्ध मे कुछ बताया? नही श्रीमान, एक शब्द भी नहीं कहा। राजा चेतसिंह के विद्रोह की कहीं कोई चर्चा नही थी। क्या उसने, जब उसके पास कई वकील थे, समस्त मराठा साम्राज्य में व सुजाउद्दौला के राज्य में, उसके अधीन भारत के हर राज दरबार मे अंग्रेजो राजदूत और देशी गुप्तचर थे, उसने किसी राजदूत या गुप्तचर द्वारा कुछ सूचनाएँ प्राप्त की? जब वह बनारस में था तब उसके हाथ में बनारस के कई पंडित थे, राजा बराँव का वकील था, जो उसका व्यक्तिगत व विश्वासपात्र मित्र था, उससे राजा की नौकरी छुड़वा कर बनारस में जागीर दी थी। यह व्यक्ति जो मिस्टर हेस्टिंग्स का विश्वासी था, वह मिस्टर हेस्टिंग्स के सभी कारनामों को जानता था, उसने भी चेतसिंह की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति की कभी शिकायत न की, न मिस्टर हेस्टिंग्स के किसी षडयन्त्र की ही सूचना दी।

श्रीमान, प्रमाणों के न होने पर, संभावनाओं को ही हमें दृष्टि में रखना होगा। क्या यह विश्वास की बात है कि बनारस का जमींदार जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक अशक्त, कायर और ढुलमुल चरित्र वाला बताया है वह भारत में

शक्तिशाली कम्पनी के विरुद्ध अकेले ही युद्ध की योजना बनाए ? क्या वह गरीब आदमी अपने छोटे से इलाके में इतना बड़ा संगठन बना ले और मिस्टर हेस्टिंग्स को कुछ भी पता न हो जब कि सारे देश में उसके अनगिनत गुप्तचर फैले हों ?

जहाँ तक राजा के अवध के नवाब के साथ मिल कर षड़यंत्र करने की बात है, राजा चेतसिंह तो सचमुच ही कम्पनी की गिरफ्तारी में था। क्या कोई भी इस बात का विश्वास करेगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स को इसकी सूचना कम्पनी की रेजीडेंसी या अन्य अंग्रेज कर्मचारियों द्वारा भी प्राप्त न हो सकी ?

फिर एक प्रश्न और भी है। चेतसिंह विद्रोह की योजना क्यों बनाता जब कि उसकी अपनी रियासत सुरक्षित थी ? फिर उसे कम्पनी की ओर से सुरक्षा पाने की पूरी आशा भी थी। फिर वह दूसरा रक्षक क्यों ढूँढ़ता, क्यों सुजाउद्दौला से सुरक्षा प्राप्त करता जिसके संबंध में मिस्टर हेस्टिंग्स की राय है कि उसके हाथ में राजा की सम्पत्ति, प्रतिष्ठा और जीवन की कोई सुरक्षा सम्भव न थी ? क्या वह मराठों के यहाँ शरण लेता जो स्वयं अन्य हिन्दू राज्यों की तरह शक्तिहीन हो रहे थे ? क्या कोई विश्वास करेगा कि वह ऐसा कुछ करके अपनी स्वतंत्रता को खतरे में डालता ? श्रीमान यह सभी असम्भव बातें हैं। क्योंकि इन बातों के प्रमाण में कोई भी चीज उपस्थित नहीं है, न तो कागजातों पर इस प्रकार के किसी अभियोग की चर्चा है। अतः यह सभी बातें बिल्कुल असम्भव व असत्य हैं।

लेकिन श्रीमान, अदालत में आकर मिस्टर हेस्टिंग्स ने सभी बातों की सत्यता की शपथ ली है, उसने कहा, "चेतसिंह के विद्रोह के लिए मैंने जो भी कदम उठाए वे ही इस बात के प्रमाण हैं कि मैंने राजा की सम्पत्ति व राज्य लेने की कोई योजना नहीं बनाई थी। लेकिन मैंने उसके अपराधों के लिए सजा देने की योजना बनाई, जो सजा उसके कारनामों के लिए उचित थी, जो कुछ उसने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किया। फिर वह शपथपूर्वक कहता है कि उस पर जो जुरमाना लगाया गया वह किन्हीं अन्य कारणों से था।

आपकी छपी हुई कार्यवाही के २८वें पृष्ठ पर, वह जुरमाना लगाए जाने का कारण भी बताता है। इससे श्रीमान रहस्य खुलता है। वह कहता है कि विद्रोह की शंका के लिए उस पर ५००,००० पौंड का जुरमाना नहीं किया गया बल्कि उसके प्रति किए गए व्यक्तिगत अपमान के लिए था।

वह कहता है, "जहाँ तक मुझे चेतसिंह के कारनामों का ज्ञान था, उस पर किए गए जुरमाने से मैं संतुष्ट था। मैंने फिर इतनी गंभीरता से उसके संबंध में विचार भी नहीं किया कि उसके लिए 'राज्यच्युति' या दूसरी सजाएँ सोचता, लेकिन जब वह और उसकी प्रजा ने विद्रोह व हत्याएँ करनी प्रारम्भ कीं, तब मैंने उसे एक देशद्रोही और हत्यारा समझना शुरू किया, जैसा कि मेरे छपे हुए वक्तव्य में है। फिर किसी भी रूप में जमींदारी या दूसरे जिम्मेदारी के स्थान पर मैं उसे न

बैठा सका ।"

श्रीमान देखें, इस प्रकार देशद्रोह का वह युग हत्याओं से भरा बताया गया है । अब देखना यह है कि विद्रोह का यह युग कब तक चला । यह विद्रोह का युग जुरमाना लगाए जाने के पूर्व था या जुरमाना लगाए जाने के फलस्वरूप प्रारम्भ हुआ । यह हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह 'विद्रोह युग' और उससे संबंधित घटनाएँ उसी जुरमाने का परिणाम थीं, और इस बात को समस्त दुनिया भी झूठा नहीं बना सकती । उसने कम्पनी से अधिक अपने व्यक्तिगत मान-अपमान की चिन्ता की । उसने ५००,००० का जुरमाना अपने किए गए अपमान के लिए लगाया था और इसी का परिणाम था कि विद्रोह भडका और हिंसाएँ हुईं । यह निश्चय ही विद्रोह था, यह वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध विद्रोह था, एक विद्रोह जो उसके गलत कार्यों व अभिमान का परिणाम था, राजसत्ता की उसकी भूख का परिणाम था, उसकी लोलुपता का परिणाम था, उसके इस निर्णय के विरुद्ध परिणाम था जो उसने सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, कासिम अली खाँ, अलीवर्दी खाँ के उदाहरण की पुनरावृत्ति करना चाही ।

वह कहता है कि मेरे सब्र की सीमा समाप्त हो गई थी । मैं कहूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स के पास इस प्रकार का कोई सब्र या संयम था ही नहीं । मै आगे कहूँगा कि किसी गवर्नर के लिए यह संयम व सब्र एक विशेष गुण है । संयम या सब्र एक न्यायाधीश के लिए भी गुण है । लेकिन जैसा कि वह स्वयं कहता है कि उसके सब्र की सीमा बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी ।

वह कहता है, "अभी तक जिस शक्ति व राजसत्ता का उसने लाभ उठाया और जिसे उसने अपमानित किया उसके लिये कोई स्थानीय राजा होता या सुजा-उद्दौला ही होता तो निश्चय ही चालीस या पचास लाख रुपयों का जुर्माना करता । लेकिन मैंने केवल पचीस लाख जुरमाना और पाँच लाख दूसरे मद में बढ़ा कर तीस लाख ही माँगे तो उसने बीस लाख पर सौदेबाजी करने का प्रयत्न किया । मैंने बीस लाख वाला प्रस्ताव उलट दिया, क्योंकि राजा का यह रुख मुझे बड़ा अपमान-जनक लगा ।"

अब श्रीमान देखे, अपने व्यक्तिगत अपमान के लिये उसने सजा दी । सजा निश्चित करते समय भी क्या उसने कानून का सहारा लिया ? उसने क्या तैमुर या चंगेज खाँ का उदाहरण माना ? क्या उसने भारत की किसी अन्य विधि को माना ? नहीं, श्रीमान, उसने केवल अपने को ही संसार में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मान कर सब निर्णय स्वयं ही किए । उसने केवल एक माप दण्ड रखा कि सुजाउद्दौला होता तो क्या करता ? उसने कासिम अली खाँ और अलीवर्दी खाँ को अपना आदर्श माना, जिन्होंने जाने कितनों को मारा और लूटा । इन्हीं आदर्शों व उदाहरणों को सामने रख कर उसने जुर्माना की राशि निश्चित की ।

श्रीमान, ईश्वर के नाम पर तो कम से कम ऐसे हिंसक अन्याय की ओर ध्यान दें कि किस प्रकार मानवता का अपमान हुआ है। यह व्यक्ति जुर्माना और सजा को मिला कर लाभ उठाना चाहता है। यह तो हमारे कानून की एक भूल है जिसका वह लाभ उठा रहा है। हम जुरमाना शब्द का तीन अर्थों में उपयोग करते हैं—प्रथम, मुद्रा के रूप में सजा, दूसरा कर का रूप में और तीसरा, मुद्रा व राशि के रूप में कोई पट्टा बदलना आदि। लेकिन यहाँ इस शब्द के कुछ और ही माने है और हेस्टिंग्स की धूर्तता और क्रूरता की सीमा भी है। वह बताता है कि सुजा-उद्दौला ने चेतसिंह से पच्चीस लाख रुपये जमींदारी के पट्टे के नवीनीकरण के लिए लिए, अतः उसके अपराधो के लिए हम पचास लाख लेंगे— वह भी सजा के रूप में।

जब कोई व्यक्ति कानूनी नियमों को छोड़ कर पूर्व-प्रसंगों व उदाहरणों से निर्णय लेता है तो यही परिणाम होता है, जो हुआ, कि पचीस लाख दे कर मामला निबटाने की राजा की कोशिश बेकार गई।

श्रीमान, मुझे आज्ञा दें कि मैं कुछ पूर्व-प्रसंगो के संबन्ध में भी दो-चार शब्द कह सकूं। राज्य व कम्पनी संबन्धी राजा पर लगे सभी अभियोगो से उसे मुक्ति दे कर मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने व्यक्तिगत अपमान के लिये उस पर पचास लाख का जुरमाना लगाना ही एकमात्र उपयुक्त सजा समझा। जब भी किसी को जुरमाने की सजा दी जाती है तो उसके पीछे निश्चय ही जाँच-पड़ताल, अभियोग, प्रतिरक्षा, बहस और निर्णय की परम्परा होती है। यही शाश्वत नियम है जो सभी कानूनों के पीछे है, चाहे वह मुस्लिम कानून हो, चाहे हिन्दू कानून हो, चाहे अंग्रेजी कानून हो, चाहे रोमन कानून हो। आकाश के नीचे बने हर देश की यही परम्परा है, केवल मिस्टर हेस्टिंग्स के अपने विशाल मन को छोड़ कर जिस पर उन विद्रोहियों व हत्यारों के उदाहरणों का ही प्रभाव है जिनका हम पहले वर्णन कर चुके है। उसने राजा पर जुरमाना तो लगाया, पर क्या इसके पूर्व राजा पर कोई अभियोग भी लगाया। क्या उसने ऐसी कोई सूचना किसी प्रकार भी राजा को दी या उसके किसी वकील को कौंसिल के सम्मुख बुलवाया जो अभियोगों का उत्तर दे सकता? क्या उसने किसी भी रूप में नियमों का पालन किया? नहीं। फिर उसने क्या किया? श्रीमान, उसने अपने को ही पीड़ित व्यक्ति बताया। अपने को ही अपराध लगाने वाला बताया, अपने को ही न्यायाधीश बनाया, और निर्णय भी स्वयं ही दिया। उसके सम्मुख न वादी थे, न प्रतिवादी, न मुकदमा हुआ, न पूछताछ हुई, न प्रमाण मिले। फिर भी उसने स्वयं ही निर्णय दे दिया और जैसा कि वह स्वयं कहता है कि उसके सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी थी, उसने राजा पर जुरमाना लगाने का निर्णय किया। उसने राजा पर ५००,००० पौंड का जुरमाना निश्चित किया। पर क्या उसने अपने इस निर्णय की सूचना कौंसिल को भी दी थी? नही, तो क्या डारेक्टरों की परिषद् को? नहीं, तो क्या अपने किसी अन्य विश्वासपात्र

को ? नहीं, किसी को भी नहीं। न मिस्टर पामर को, न मिस्टर मिडिलटन को, न अपने किसी कार्यालय से जुड़े सचिव को, न उसने मिस्टर मालकम को ही इसकी सूचना भागलपुर में भेंट होने के पूर्व दी।

उसके दूषित मन व विचारों के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि यह हमें ज्ञात है कि राजा चेतसिंह ने कई पत्र मिस्टर हेस्टिंग्स को लिखे, जिसमें उस अभागे व्यक्ति ने खुशामद की समझौते से बीच का रास्ता निकालना चाहा। परन्तु उसे उसके एक पत्र का भी उत्तर न मिला। मिस्टर हेस्टिंग्स एक ऐसा वादी था जो केवल अभियोग लगाता और उत्तर में क्षमा-प्रार्थना पाता था। किन्तु प्रतिवादी को वह उत्तर भी न देता था। यद्यपि उसके चारों ओर सहयोगी सचिव की एक बड़ी भीड़ होती थी जिनके खर्च का सारा भार बनारस की गरीब जनता ही वहन करती थी। फिर भी उत्तर में एक शब्द भी न भेजा गया और अपने निर्णय के अनुसार ही जुर्माना निश्चित कर दिया गया, साथ ही यह भी पता लगा लिया गया कि उसकी सम्पत्ति कहाँ रहती है ताकि उसे बल-प्रयोग द्वारा लूटा जा सके। क्या यही एक ब्रिटिश न्यायाधीश की न्यायप्रियता की परम्परा है ? वह स्वयं ही सजा भी निश्चित करता है, फिर अभियोग की रचना करता है फिर अन्यायपूर्ण कार्यों तथा हिंसा के माध्यम से जुर्माना वसूलता है ?

श्रीमान, मैं पुनः आप का ध्यान इन समस्त कार्यवाहियों की पद्धति की ओर आकर्षित करने की आज्ञा चाहूँगा। उसने ढंग से कोई भी अपराध स्थापित नहीं किया। उसने कभी किसी पत्र का उत्तर न दिया। ऐसा नहीं कि वह आलसी था या उसके पास समय या सुविधा का अभाव था। बल्कि सारे समय वह राजा को तहस-नहस करने की ही योजना में लगा रहा। मैं तो इसे केवल इस बात से ही सिद्ध करता हूँ कि उसने अपने गुप्त षड़यंत्र की सूचना उस समय किसी भी योरोपीय व्यक्ति को न दी। उसने कम्पनी के किसी भी कर्मचारी से राजा पर जुरमाना लगाने की नीयत की बात नहीं बताई, यद्यपि हेस्टिंग्स के कारनामों की खबर उस देश के निवासियों को अवश्य थी। मिस्टर हेस्टिंग्स ने आपके सम्मुख कहा है कि चेतसिंह का कलकत्ते में एक वकील था जिसका काम था कि सरकार से हुए समस्त व्यापार की उसे जानकारी हो और उसके भीतर की सभी सूक्ष्म बातें भी वह जाने और हर रूप में अपने मालिक के स्वार्थों की रक्षा करे।

श्रीमान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशिया में उच्चतम से ले कर साधारण तक कोई ऐसी अदालत नहीं है जहाँ वैतनिक रूप में हरकारे न रखे जाते हों। इन हरकारों का काम राजनीतिक सूचनाएँ प्राप्त करके पहुँचाना होता है। दूसरे राज्यों में भी इन हरकारों की प्रतिष्ठा होती है और ये राजदूत का सम्मान पाते हैं, दरबार में उन्हें स्थान मिलता है, यानी हर प्रकार से वे योरप के राजदूतों की

तरह ही होते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स के पास भी एक ऐसा गुप्तचर बनारस का रेजीडेन्ट था और एक अन्य व्यक्ति भी उसका भेदिया था। इस अभागे व्यक्ति चेतसिह के प्रति मिस्टर हेस्टिंग्स की कुदृष्टि तथा षडयंत्र की सूचना इन दोनों व्यक्तियों को अवश्य रही होगी। यही नहीं, उन्हें अभागे राज्य बनारस के भाग्य में भविष्य की दुर्दशा की भी पूर्व जानकारी थी। यह उसने आपके सम्मुख स्वयं कहा है और इसके समर्थन में मिस्टर एन्डरसन भी है कि जिसके सम्मुख पहले ही इस अभागे व्यक्ति के राज्य की बिक्री की योजना रखी गई थी। श्रीमान यह भी जानना आवश्यक है कि यह योजना उसके सम्मुख किसने रखी थी? क्यों यह योजना नवाब आसफउद्दौला के सामने रखी गयी कि राजा और उसकी जमींदारी उसे मिल जायगी? अब श्रीमान, टेबुल पर के कागजातों से जान सकते है कि इस समय आसफउद्दौला बिल्कुल ही दिवालिया था। वह कम्पनी से अपनी हैसियत से दस गुने अधिक कर्ज से दबा था और उसकी समस्त आमदनी उसी कर्ज में खप जाती थी। उस व्यक्ति के लिए हेस्टिंग्स ने पहले ही घोषित कर रखा था कि वह एक अच्छे राज्य को अव्यवस्था द्वारा नष्ट कर चुका था और उसके संपर्क मे आया कोई भी व्यक्ति उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति का शिकार हुए बिना बच नही सकता था। यही नही, उसके साथ रह कर उसका पिता भी अपने जीवन की प्रतिष्ठा व सुरक्षा न पा सका। यह व्यक्ति जो हिंसात्मक प्रवृत्तियों वाला तथा इतना खर्च करने वाला था कि अंग्रेजी कम्पनी के कर्ज से मुक्त न हो सका था, उसी को मिस्टर हेस्टिंग्स ने चेतसिंह और उसका राज्य देने की योजना बनाई। मैंने यह तथ्य केवल इसलिए यहाँ उपस्थित किया है कि इससे मिस्टर हेस्टिंग्स की आर्थिक योजना व प्रबन्ध का सही पता लग सके कि उसने एक राज्य को एक दिवालिया और हिंसक तथा अन्यायपूर्ण व्यक्ति को सौंपा जो अपने ही परिवार का शत्रु था।

श्रीमान, यह सर्वविदित है कि इसके अलावा मिस्टर हेस्टिंग्स ने बनारस जैसे सुन्दर राज्य को; जिसे भारत में ईश्वर का उद्यान कहते हैं; दूसरे को देने का निर्णय किया सो भी आसफउद्दौला जैसे एक व्यक्ति को जो अपनी ही फसल के लिए टिड्डी सिद्ध हो चुका था। उसने यह भी निर्णय किया कि चेतसिंह का व्यक्तिगत किला, निवास-स्थान, उसके बच्चों व स्त्रियों का निवास-स्थान भी छीन लिया जाय जिसमें उसके परिवार की प्रतिष्ठा और बची-खुची सम्पत्ति सुरक्षित थी। हिन्दू कानून के अनुसार हर राजा व राज्य का प्रमुख ऐसे किले को बनवाने व उसमें रहने का अधिकारी होता है। यह भारत का पुराना नियम है तथा यह भारतीय राज्यों की प्रतिष्ठा भी है। उसके प्रति इतने अन्याय करने का प्रमाणों के आधार पर भी कोई कारण नहीं मिलता सिवा इसके कि मिस्टर हेस्टिंग्स उससे जो छः लाख रुपये छीनना चाहता था उसमें वह सफल न हो सका।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने राजा के विरुद्ध हुए इस षड़यंत्र का अपने को जनक

माना है । उसने तथ्यो को मानते हुए कहा है कि राजा को अपने विरुद्ध हो रहे षडयन्त्र की शका थी अतः उसने मिस्टर मरखम से प्रस्ताव रखा कि वह ही उसका राज्य खरीदे ले और मिस्टर हेस्टिंग्स को २००,००० पौड देकर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ले । मिस्टर मरखम ने अपनी राय बताई कि दो लाख पौड काफी नहीं है, अत. राजा ने दूसरे दिन उस राशि मे बीस हजार पौड और जोडे और कुल रकम दो लाख बीस हजार पौड हो गई । फिर भी यह सौदा न पटा, पर क्यो ?

अब हमें इसका कारण जानने के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स का ही बयान देखना होगा । वह कहता है, "मैने वह प्रस्ताव ठुकराया । दो लाख बीस हजार पौड दे कर राजा चेतसिह अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी ।" श्रीमान इस वक्तव्य मे उसकी नीयत का पूरा अंदाज मिल जाता है । वह कहता है कि "प्रस्ताव था, पर देरी हो चुकी थी ।" क्या वह पहले ही राजा से अपनी माँग बता चुका था या क्या उसने पहले ही पूछा था कि राजा अपनी सुविधा से क्या दे सकता था ? या क्या उसने राजा का प्रस्ताव ठुकराने के बाद कहा था कि मुझे और अधिक रकम दो या क्या कोई तिथि निश्चित की थी कि उस तिथि के बाद सौदा न हो सकेगा ? ऐसी कोई बात नही दिखती ।

अब मै श्रीमान का ध्यान अवध के नवाब के हाथ बनारस राज्य की बिक्री की ओर आकृष्ट कराऊँगा । मिस्टर हेस्टिंग्स का कहना है—"यदि बनारस पर कम्पनी की प्रभुता को अवध के नवाब के हाथ बेचने की चर्चा की है तो उस पर गंभीरतापूर्वक कोई कार्य नही किया ।" और दूसरे स्थान पर वह फिर कहता है, "अगर मैने कभी धमकी भी दी, तो कभी राजा को उसकी राज्य-सीमा से अलग तो नही किया । अगर मेरी ऐसी योजना होती कि उसका किला छीनता, तो ऐसा करने की पूरी शक्ति कम्पनी मुझे दे चुकी थी । कम्पनी के दूसरे जमीदारो को किला बनाने की इजाजत नही है । यही नही, कर्नाटक के नवाब को भी यह सुविधा नही दी गई है जब कि कम्पनी की पलटन उसकी देख-रेख मे है । हाँ, ऐसा करना सिद्धान्त तथा जन-सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक था । भला ऐसा राज्य कब तक बना रह सकता है जो अपने अधीन जमीदारो को किले और पलटन रखने की स्वीकृति दे और उन्हे राज्यसत्ता की प्रभुता भी दे?"

अब श्रीमान देखे, वह कहता है कि ऐसा करने की कभी कोई योजना नही बनाई । पर क्या श्रीमान ऐसी धमकी को भी मान्यता देंगे जिससे भारत की दुखी जनता पर जिसकी सुरक्षा का सम्पूर्ण भार ब्रिटिश शासन पर है, आप का ही गवर्नर अत्यचार करे ! क्या आप इसकी स्वीकृति देंगे कि रुपये छीनने के लिये गवर्नर किसी राजा को उसके शत्रु के हाथों सौंप दे ?

किसी हिन्दू राजा से उसका किला छीनना, उसके धर्म पर सीधा प्रहार है । हिन्दू राजाओं के किले वह स्थान हैं जहाँ उनकी स्त्रियाँ रहती हैं, जहाँ

भारत की परम्परा के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा और मर्यादा सुरक्षित रहती है, जहाँ वह समस्त सम्पत्ति रखी रहती है जो हर प्रकार के दुर्दिन से रक्षा करती है। वही किला मिस्टर हेस्टिंग्स हड़पना चाहता था क्योंकि उसका कहना है कि राजा उस किले का केवल विद्रोह व शंकाप्रद कार्यवाहियों के लिये ही उपयोग करता था। अब मैं श्रीमन को दिखाऊँगा कि व्यक्ति इतना मूढ हो सकता है कि ऐसी बात कहे जब कि स्वयं ही राजा को ये किले सौंपे थे। उसने ही राजा को उनके अधिकार सौंपे। और जब यह प्रश्न उठा था कि उस पर अवध के नवाब का अधिकार है या कम्पनी का, तब इस व्यक्ति को अधिकारी बनाया था। इस तथ्य से सम्बन्धित सभी कागजात आप के सम्मुख रक्खे जायँगे तब आप स्वयं देखेंगे कि अपने आप को ही मामलों का पंच मान कर किस प्रकार सभी कार्य एक दूसरे के विरुद्ध किए गए है हर निर्णय एक दूसरे के विपरीत किए गए है। श्रीमान, ईश्वर को धन्यवाद है कि साधारणतया जो लोग भयानक रूप से दोषी व अपराधी होते है, वे चालक व चतुर नही होते। मै इस वाक्य को महत्व देने को बार-बार कहूँगा कि जो लोग भयानक रूप से दोषी व अपराधी होते है वे चालाक-चतुर नही होते। अपने एक अपराध के बचाव में किसी पूर्व के दुष्परिणाम के भागी होते है; जो उनको उनके हर कदम पर पीछे ही खीच ले जाते है। आपके सम्मुख कटघरे में खड़ा यह अपराधी जो अपने को किसी कवि का काल्पनिक नायक समझता है, जब वह एक अपराध की जिम्मेदारी से भाग निकलने का प्रयत्न करता है, तभी कोई स्वनिर्मित विरोधी बात उसके रास्ते मे खड़ी हो जाती है। जब वह एक दरवाजे से भाग निकलने का प्रयत्न करता है तो उसके अपराधजन्य कृत्य उसका रास्ता रोक लेते है। जब वह दूसरे दरवाजे से भागना चाहता है तो प्रमाण और विरोधी कार्य उसके सामने आ खड़े होते है।

मैं इस समय जो कागजात अपने हाथ में लिए हूँ वे है मिस्टर हेस्टिंग्स पर लगाए गए नन्दकुमार के अभियोग। इसमे अनेक प्रकार के अभियोग है। मै सबसे पहले वही पढ़ूँगा कि इन किलों के बारे में नन्दकुमार ने क्या कहा है जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि इनका सम्बन्ध केवल विद्रोहात्मक कार्यों से ही है।

"उस समय जब मिस्टर हेस्टिंग्स बनारस जा रहा था, तो उसने मुझसे इच्छा प्रकट की कि मै लिखित रूप में उसे ब्योरा दूँ कि यदि कोई प्रान्त बिहार का सूबा रहा हो और किसी प्रकार उस पर बलवंत सिंह का अधिकार हो, ताकि उसके बेटे राजा चेतसिंह से उस क्षेत्र को वापस लिया जा सके। कड़ा, मंगरौरा और विजयगढ़ के परगने ऐसे क्षेत्र थे जो बिहार के सूबे से बलवन्त सिंह ने अपने अधिकार में ले लिए थे। मैंने मिस्टर हेस्टिंग्स को यह समस्त जानकारी दी, ११७९ के फैजल युग से ले कर कम्पनी के पदार्पण व दीवानी काल तक। मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा था, 'इसकी एक प्रति राय राधाचरण को दो कि यदि चेतसिंह

यह तथ्य मानने मे इन्कार करे तो उसकी पुष्टि राधाचरण द्वारा कराई जा सके।' फिर जब मिस्टर हेस्टिग्स बनारस पहुँचा व राधाचरण के सम्मुख ही राजा चेतसिंह से मिला तब भी यह परगने राजा चेतसिंह के ही अधिकार मे क्यो रहने दिये गये, यह बताना केवल मिस्टर हेस्टिग्स के लिए ही संभव है।"

यह है नन्दकुमार द्वारा लगाया गया अभियोग। यही मिस्टर हेस्टिग्स का भी उत्तर है, "मुझे याद पडता है कि एक ऐसी सूचना मुझे नन्दकुमार से मिली थी कि कडा, मंगरौरा और विजयगढ के परगने बनारस के राजा ने हडपे थे।" श्रीमान को स्मरण होगा कि इसी विजयगढ के किले के लिये कहा गया था कि यह विद्रोही कार्यो का केन्द्र है। "मुझे स्मरण नही कि जब मैन बनारस छोडा तब मुझे पुन इस बात की याद दिलाई गयी, न तो इसकी चर्चा चेतसिंह या उसके किसी मन्त्री से ही की, क्योकि मै जानता था कि मै इस विषय मे पूरे प्रमाण नही दे सकता था और फिर इसकी चर्चा उठा कर उसे स्वीकार न करा पाना कितना अपमानजनक होता। ऐसा नही कि मैने जान-बूझ कर इस तथ्य को टाला, मैने इस तथ्य की सत्यता जानने का बहुत प्रयत्न भी किया और पटना के चीफ मिस्टर ब्रन्सी-टार्ट को पूरी जानकारी प्राप्त करने का आदेश भी दिया। उससे हमे ये पत्र व कागजात मिले जिनमे सभी तथ्य व सचाई स्पष्ट है।"

ये कागजात हमारे प्रश्नो के उत्तर है। यह सिद्ध होता है कि उसकी राय मे इन किलो पर ब्रिटिश अधिकार उस समय तो नही ही थे। विजयगढ का किला जो इस क्षेत्र मे बहुत महत्वपूर्ण था, जिनके विषय मे हम आगे चल कर बहुत कुछ बतावेगे, वही किला है जिसमे चेतसिंह के परिवार की स्त्रियाँ सुरक्षित थी। इस किले को स्वय मिस्टर हेस्टिग्स ने इस व्यक्ति को बहुत जाँच-पडताल व काफी विचार-विनिमय के बाद दिया था और अब वह स्वयं ही कहता है कि उस पर उसका कोई अधिकार नही है। और अब वह इसका प्रयोग विद्रोहात्मक कार्यो के केन्द्र के रूप मे नही कर सकता। श्रीमान, उसने अपनी बात व अपनी भाषा बदली और इन किलो को वापस लेने का निर्णय किया, इन किलो को बरबाद करने का निर्णय किया, अब राजा को उसके हर गढ मे उखाड फेकने का निर्णय किया, जहाँ भी राजा अपना सिर छिपा सकता था वहाँ से उसे निकाल बाहर करने का निर्णय किया।

पुन, श्रीमान, जब १७७५ मे चेतसिंह को इसका अधिकार गवर्नर जनरल के पट्टे व कौसिल द्वारा दिया गया तब भी क्या मिस्टर हेस्टिग्स ने कौसिल से पट्टा के बारे में प्रश्न किया, या यह कौसिल को बताया कि वे इन किलो को एक ऐसे व्यक्ति के हाथो सोपने जा रहे है जो इसका अधिकारी नही है और जो इनका उपयोग केवल विद्रोहात्मक कार्यो के लिए करेगा? हम श्रीमान का ध्यान उस विशेष स्थल की ओर आकृष्ट करना चाहेगे जहाँ इन सभी लेन-देन की चर्चा है, वहाँ आप देखेगे कि इन बातो पर मिस्टर हेस्टिग्स ने कही भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी।

सुजाउद्दौला और दूसरे लोगों, जिनका हमने जिक्र किया है, का उदाहरण बताने के बाद वह कहता है कि उसके पूर्व अधिकारीगणों ने भी इन किलों को अपनाने का प्रयत्न किया था और अपने पूर्व अधिकारियों का अनुसरण करने में मैं पूर्णरूप से अधिकारी था। ईश्वर कितना दयालु है ! उसने जो कहा उससे बढ़ कर यही बात हो सकती है कि मेरे पूर्व अधिकारी बिना किसी राजाज्ञा, बिना किसी अधिकार के, प्रयत्नशील हुए कि इन किलों पर अधिकार कर लें, तो उन्होंने जो करना चाहा वह करने का हमें पूर्ण अधिकार है। साथ ही वह यह भी जानता है कि उसके पूर्व अधिकारी अपने इसी कृत्य के लिए कम्पनी द्वारा भर्त्सना के भी भागी बने थे तथा उसे इसीलिए भेजा गया था कि वह अधिक उचित कार्यपद्धति चालू करे और इस अव्यवस्था का पूर्ण अंत करे। फिर भी उसके पूर्व अधिकारियो ने जो चाहा, चाहे उनका चाहना कितना ही अन्यायपूर्ण और उग्र क्यों न रहा हो अपने हाथ में राजसत्ता आते ही उसने अपना निर्णय ही माना कि वह वही करे जो उसके मन मे आवे।

आप श्रीमान देखेंगे कि वह 'राजसत्ता' शब्द का प्रयोग करता है और उसका अर्थ भूल जाता है क्योंकि इसके अर्थ साधारण तथा सरल हैं। आप श्रीमान देखें कि वह 'राजसत्ता' का अर्थ शक्ति के दुरुपयोग को ही मानता है। वह स्पष्ट करता है कि सरकार की अव्यवस्था के कारण किसी भी संधि की वैधता उचित नहीं है। वे लोग जिनकी राजा से कोई संधि न थी, उन्होंने उसे लूटना चाहा अतः मैं जिसकी राजा के साथ संधि है और 'राजसत्ता' भी मेरे हाथ में है, अधिकारी हूँ कि अपने पूर्व अधिकारियों की इच्छा को पूरी कराऊँ।

लेकिन श्रीमन, असलियत यह है कि उसके पूर्व अधिकारियो ने कभी भी बलवंत सिंह, राजा चेतसिंह के पिता को जमीदारी से पदच्युत नहीं करना चाहा। बल्कि उन्होंने उससे केवल अपने नाम दीवानी रखनी चाही जैसा कि कम्पनी के साथ बाद में संबन्ध बना। उन्होने केवल किराया चाहा था और चाहा था कि मुगल राजाओं और उसके बीच की कडी बने रहे। उसके पूर्व अधिकारियों ने कोई संधि न की थी, बल्कि वे उस राज्य की दीवानी अपने नाम कराना चाहते थे जिसमें अंत में सफलता भी मिली। लेकिन उन्होंने बाद में भी राज्य बलवंत सिंह को वापस कर दिया और सुजाउद्दौला की बर्बरता व मनमानी न चलने दी। बल्कि वारेन हेस्टिंग्स ने बाद में वही राह अपनायी जो सुजाउद्दौला की राह थी। बिना किसी सिद्धान्त व कानून, बिना अपराधी, बिना जज, बिना जाँच-पड़ताल के ही उसने चेतसिंह पर ५००,००० पौंड का जुर्माना ठोंक दिया।

अपनी इस न्याय की मनमानी को मनवाने के लिए उसने एक दूसरे असाधारण सिद्धान्त का निर्माण किया कि कोई किसी पर भी कितनी भी उचित या अनुचित रकम का जुर्माना करके येन-केन-प्रकारेण उससे वसूल करे और उससे तनिक भी

कम लेने को व्यभिचार कहा जायगा। "मैंने अपने लिखित बयान में स्पष्ट किया है कि मैंने इस संबन्ध में चेतसिंह से कोई भी वार्तालाप नहीं किया या सम्पर्क नहीं रखा कि पचास लाख से कुछ कम स्वीकार होगा, जितना मैंने अपने मन में लेने का निश्चय कर रखा था।"

उसने पहले ही यह कहा था, "अगर मैंने कम्पनी की राजसत्ता को अवध के नवाब के हाथों बेचने की बातचीत की तो यह केवल कल्पना की बात थी।"

अब, श्रीमान, हम ऐसे व्यक्ति से क्या कहें जो यह मानता है कि पूरी रकम प्राप्त न करना व्यभिचार माना जायगा और साथ ही यह भी कहता है कि कुछ भी छीनने की मेरी नीयत न थी।

चेतसिंह के विरुद्ध उठाए गए षडयंत्र की यह बात कि उसने भारत से ब्रिटिश शक्ति को बाहर निकालने की योजना बनाई थी, इसका कोई प्रमाण या सच्ची जानकारी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नही है।

अब श्रीमान हम लोग एक दूसरी परिस्थिति पर गौर करें कि अपने दिमाग मे इन सभी षड़यंत्रों की रचना करके वह बनारस जाता है, पर पहले ही अपने को समस्त राजकीय शक्ति से सुसज्जित कर लेता है।

श्रीमान, हम अपने लगाए गए अभियोगों में इस बात पर काफी जोर दे चुके हैं कि उसका स्वयं ही शक्ति का बँटवारा कर लेना और अधिकार हाथ में लेना गैर-कानूनी था। उसने खुद अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि कौंसिल में उसका बहुमत था। मिस्टर ह्वीलर की 'हाँ' या 'ना' का कोई महत्व न था। उसने अपने को उस अधिकार का मालिक बना लिया जो अधिकार उसे पार्लमेंट ने भी नहीं दिए थे। वह गैरकानूनी पंच बन कर बनारस गया। इसे सिद्ध करने को हमें पार्लमेंट के कानून की कुछ धाराओं की पंक्तियाँ सुनाने की आज्ञा दें। मैं दिखा दूंगा कि ग्रेट-ब्रिटेन के कानून के अनुसार गवर्नर हेस्टिंग्स को क्या होना चाहिए था और वह स्वयं क्या बन बैठा।

[तब मिस्टर बर्क ने कानून का सप्तम अध्याय पढ़ कर सुनाया।]

अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत की सरकार को कानून ने जो अधिकार दिए थे उसमें यह अधिकार तो कदापि न था कि उस देश को दो हिस्सों में बाँटा जाय और दोनों को दो राष्ट्रों का अधिकार दिया जाय। श्रीमान, मिस्टर ह्वीलर और मिस्टर हेस्टिंग्स में एक समझौता हुआ था कि वह (मिस्टर हेस्टिंग्स) उत्तरी भाग के शासन व फौज का एकमात्र अधिकारी हो और वही अधिकार मिस्टर ह्वीलर को दूसरे प्रदेश में प्राप्त हो।

आप के सम्मुख यह सिद्ध करने में कि इस प्रकार के समझौते बिल्कुल गैर-कानूनी है हम आप का ध्यान कम्पनी की सरकार के संविधान की ओर आकृष्ट कराएँगे। समस्त अधिकार कौंसिल के हैं, जहाँ बहुमत से सभी प्रश्नों को हल किया जाता है और कौंसिल की कार्यवाही विस्तार से लिखी जाती है, जिसमें केवल निर्णय

लिए गए प्रश्न मात्र नही लिखे जाते बल्कि उस प्रश्न पर हर सदस्य की राय व विचार भी सविस्तार लिखे जाते हैं। अवश्य ही कौसिल को अधिकार है कि किसी विशेष कार्य के लिए कम्पनी के किसी कर्मचारी को विशेषाधिकार दिया जाय, लेकिन अधिकार दे कर उस पर से अपना समस्त हक हटा लेना तो संविधान की अवज्ञा करना होगा। ऐसी छूट देने से सरकार कई छोटी-छोटी व स्वतंत्र सरकारो मे बँट जाएगी। विश्व के कानून मे विशेषाधिकार का ऐसा एक भी उदाहरण न मिलेगा, और इन दो व्यक्तियो ने जो समझौते किए, उसमे वे दोनो भी समझौते के गैरकानूनी होने की बात से परिचित थे।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने उत्तरी प्रदेशों के सबंध मे अपने को सर्वशक्तिमान बना लेने के बाद जो शक्ति उसे कौसिल (जिस कौसिल मे उसका बहुमत था) द्वारा प्राप्त हुई थी उसने कार्यवाही मे लिखा—"२१ मई को परिषद के सम्मुख मैने जो कार्यवाही रखी उस पर मुझे सतोष है। हमारे बीच हुए समझौते से मिस्टर ह्वीलर भी पूरी तरह संतुष्ट है। आकस्मिक घटनाओ के समय, मेरी अनुपस्थिति के समय अधिकार-पूर्ण निर्णय लेने का मिस्टर ह्वीलर को गवर्नर जनरल व सरकार की कौसिल का पूरा अधिकार होगा।"

यह है दोनो के बीच का समझौता। दोनो ने एक दूसरे को सरकार के सभी अधिकार दिए और उनका समझौता कभी गैरकानूनी न हो सके इसलिए उनका कहना है – यह कार्य गैरकानूनी नही है क्योंकि लार्ड कार्नवालिस को यह अधिकार दिया गया था।' यहाँ मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गैरकानूनी काम इस आधार पर नही कर सकता कि ऐसा पहले कोई कर चुका है। लोग अपने कार्यो को दो प्रकार से उचित सिद्ध करते है —एक तो कानून द्वारा, दूसरे उदाहरण द्वारा। लेकिन क्या दस या बारह वर्ष पूर्व किए गए गलत काम को दस या बारह वर्ष बाद करके उसे पुष्टि दी जा सकती है? हे ईश्वर! क्या ऐसा अजीब उदाहरण पहले भी कभी सुना गया है? मान लिया कि लार्ड कार्नवालिस ने गलत काम किया, गैरकानूनी कार्य किया तो क्या इससे आज का अभियुक्त दोष-मुक्त हो जाएगा? नही, बल्कि इसके विपरीत, इससे अपराध की अधिक पुष्टि होती है। फिर लार्ड कार्नवालिस और इस मामले मे बडा ही अतर है। लार्ड कार्नवालिस को सरकार के १७७३ के कानून के अन्तर्गत विशेषाधिकार नही दिया गया था बल्कि बाद मे बने एक विशेष कानून के द्वारा।

लार्ड कार्नवालिस को युद्ध के स्तर पर संघर्ष करने के लिए कानूनी ढंग से विशेषाधिकार दिए गए थे। उस पर दो पदो की जिम्मेदारियाँ थी—गवर्नर जनरल की और कमांडर-इन-चीफ की। परन्तु मिस्टर हेस्टिंग्स कमांडर-इन-चीफ कदापि न था फिर भी इसने पलटन के समस्त अधिकार अपने हाथ मे रखे। जैसा मैने अभी-अभी कहा है कि लार्ड कार्नवालिस केवल एक कमांडर-इन-चीफ भर न था बल्कि एक

बड़े युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था जहाँ संभव है उसे दूसरे देश से शासन संबंधी संधि भी करनी पड़ सकती थी। और इस मामले पर कानून स्वयं सशंकित था और उसे अपने पर पूर्ण विश्वास न था अतः उसे विशेषाधिकार देने को विशेष कानून बनाया गया।

श्रीमान् हमें आगे कहना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स को कमांण्डर-इन-चीफ का पद हथियाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह कभी पलटन का व्यक्ति नहीं रहा। न तो कम्पनी ने ही उसे कभी इस बड़े पद के उपयुक्त समझा। उसका यह पलटनी पद प्राप्त करना अवैधानिक था। यह एक ऐसा अधिकार था जिसमें सरकार द्वारा दिए गए अन्य अधिकारों की कोई समानता नहीं है जब कि वह पूरी कौंसिल को अपना ही बना चुका था। अगर मैं कहूँ कि यद्यपि कौंसिल मिस्टर हेस्टिंग्स की जेब में थी, फिर भी वह न तो सभी अधिकार अपने हाथों में ले सकता था न मिस्टर व्हीलर के साथ उसकी साझेदारी कर सकता था। लार्ड कार्नवालिस का उदाहरण लें जो कमांडर-इन-चीफ पद का अधिकारी भी था और उसे अन्य राष्ट्रों व राज्यों से संधियाँ करने का भी अधिकार था, उसके पीछे भी कलकत्ता स्थित कौंसिल थी जिसे भी बराबर का अधिकार था और यह भी अधिकार था कि वह कार्नवालिस द्वारा की गई सन्धियों को तोड देती। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से अधिकारों का बँटवारा अपने आप में बड़ी भयानक स्थिति है, जिसे किसी प्रकार भी मान्यता नहीं मिल सकती। इस बात को दोनों ही पक्ष के लोग खूब अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उसके संभावित दुष्परिणामों से बचने के लिए वे एक अन्य गुप्त समझौते में शामिल हुए कि दोनों ही एक दूसरे के कार्यो का समर्थन करें। चाहे कोई कुछ भी करे, दूसरा उसे अवश्य ही समर्थन देगा। इस प्रकार अपने कारनामों को वे विधिवत बना सकेंगे।

मुझे श्रीमान से आगे कहना है कि मुझे यह सलाह दी गई है कि यह समझौता लार्ड कार्नवालिस के कार्यो को वैधानिक मान्यता दिलाने को किया गया, क्योंकि लार्ड कार्नवालिस कमाण्डर-इन-चीफ भी था, साथ ही साथ गवर्नर जनरल भी और उसकी यह दोहरी स्थिति कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी बात है सुविधा की। वह कहता है—"ऐसा करना मेरे लिए सुविधाजनक था।" लेकिन सुविधा के लिए क्या कानून की सीमा को भंग किया जा सकता है ? और कैसी सुविधा ? मिस्टर हेस्टिंग्स के बनारस जाने का कोई प्रयोजन तो पूर्व घोषित न था, न ऐसा कोई कार्य था जो कलकत्ता में नहीं हो सकता था ? हाँ, इतना अन्तर अवश्य पड़ता कि कलकत्ता में कोई भी निर्णय लेने में किसी न किसी स्तर पर और लोगों से भी सलाह लेनी ही पड़ती, चाहे यह कार्य उसे अनिच्छापूर्वक ही क्यों न करना पड़ता। अगर उसे वजीर से वार्ता करनी थी तो उसका रेजीडेन्ट उसके दरबार में था ही। वजीर का अपना प्रतिनिधि भी

कलकत्ता में था। बहुत सी महत्वपूर्ण संधियाँ गवर्नर जनरल के बिना हुई हैं। अगर उसे कोई सन्धि तोड़नी थी तो वह उसे कलकत्ते में बैठ कर भी तोड़ सकता था— इसके पूर्व जैसे उसने कलकत्ता में बैठ कर ही चुनार की संधि तोड़ी थी। अतः यह सिद्ध है कि बनाने व बिगाड़ने, दोनों कार्यों में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वह कलकत्ता में ही बैठ कर कार्य कर सकता था।

मैं ऐसी भी स्थिति की कल्पना कर सकता हूं जब हर कानून के विरुद्ध कार्य करना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब दो गवर्नर जनरल हों और उनकी, दोनों की अलग-अलग सुप्रीम यानी उच्चतम कौंसिलें भी हों। अगर उसकी यही मन्शा थी कि वह चेतसिंह पर जुरमाना करे तो ऐसा वह कलकत्ता से भी कर सकता था, जितनी अच्छी तरह वह बनारस से करता। उसने जितनी भी फालतू माँगें कीं उन्हें मनवाने का पहले ही निश्चय कर चुका था और वह अच्छी तरह जानता था कि यह काम वह कौंसिल के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा करा सकता था या बनारस के किसी अपने एजेन्ट द्वारा भी। फिर वह स्वयं जा कर यह अनुभव स्वयं क्यों प्राप्त करना चाहता था ? इसका सीधा उत्तर है कि वह सारी रकम अपनी ही जेब में रखना चाहता था। इसके अलावा और कोई कारण नही हो सकता।

श्रीमान, वह कहता है कि चेतसिंह शायद संघर्ष करता और यदि वह स्वयं वहाँ न होता तो राजा रुपये ले कर भाग जाता या वहाँ विद्रोह करा देता। हम पूछते है कि फिर उसने पलटन क्यों नही भेजी ? हम पूछते है कि मिस्टर मरखम, कर्नल पोफम या मिस्टर फाउक या किसी अन्य अधिकारी के मातहत फौज द्वारा क्या बिना पलटन के मिस्टर हेस्टिंग्स से अधिक रुपये न वसूल लेता ? इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि उसकी अपनी उपस्थिति की ऐसी आवश्यकता न थी।

वह आगे कहता है, 'मैंने यह सोचा था कि राजा विद्रोह करेगा इसीलिए पलटन के बिना ही गया।' पर प्रश्न है कि उसकी ही उपस्थिति क्यों आवश्यक थी ? उसने कलकत्ते से रुपये वसूलने का आदेश क्यों नही भेजा ? और वहाँ पहुँच कर ही उसने ऐसा क्यों किया ? वह कहता है, "मैं शस्त्र-विहीन था। राजा ने दो हजार आदमियों के साथ मेरा बंगला घेर लिया, इससे उसकी नीयत का पता चलता है।" ठीक है, यदि ऐसा ही हुआ तो मिस्टर हेस्टिंग्स ने फिर अपने बचाव के लिये क्या किया ? उसने कुछ नही किया, कुछ भी नहीं। वह फिर या तो पागल या बेवकूफ या धूर्त था। या तो उसने सोचा कि कोई खतरा ही न था और कोई सतर्कता या सुरक्षा-प्रबन्ध आवश्यक न था।

पाँच लाख पौंड की माँग राजा को क्रोधित तथा संघर्षरत बना सकती थी। वह यह स्वीकार करता है कि इस सम्बन्ध में उसने मिस्टर मारखम से चर्चा की थी और राजा की गिरफ्तारी के लिए उसकी सलाह ली थी। वह जानता था कि हिंसा

करने से खतरा बढेगा, अतः उसने खाली हाथ एक रेजीडेन्ट को आदेश दे कर भेजा, उसके साथ केवल निशस्त्र चार साथी और थे। उसने लोगो को उत्तेजित किया, उन्हे हर प्रकार मे अपमानित किया।

खतरे के अंदेशो के कारण राजा को गिरफ्तार किया क्योकि मिस्टर हेस्टिंग्स जानता था कि गिरफ्तारी से उसकी बडी बेइज्जती होगी।

श्रीमान इस व्यापार का इतिहास देखने के लिये एक नायब की स्थिति को जान लेना आवश्यक है। नायब एक ऐसा अधिकारी होता है जो भारत मे बहुत प्रसिद्ध है कि वह किसी भी सरकार का प्रमुख अधिकारी होता है। फिर भी नायब एक मातहत अफसर के रूप मे कार्य कर सकता हे। अधिकारी की अनुपस्थिति में वह ही अधिकारी होता है। अब मै श्रीमान को बताऊँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने राजा को गिरफ्तार करने के बाद किसे नायब चुना।

चेतसिह ने मिस्टर मरखम के माध्यम से यह कहलाया था कि वह अपने विरुद्ध हो रहे षड्यन्त्र तथा ऐसे नायब की जिसे वह घृणा करता है, के भविष्य के अधिकार को समझता हे। इस व्यक्ति का नाम था उसवान सिह। वह उसका दूर का रिश्तेदार था। जिस क्षण चेतसिह गिरफ्तार हुआ उसके आत्मा की आवाज सच निकली और यही व्यक्ति उसका मालिक बनाया गया। यह व्यक्ति कान था ? हमारे सम्मुख अपनी गवाही मे मिस्टर मरखम ने कहा हे कि यह वह व्यक्ति था जिसने अपने परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट की, वह परिवार के लिए लज्जा का प्रतीक था, और उस व्यक्ति पर किसी तरह भी विश्वास नही किया जा सकता था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने जब मिस्टर मरखम को नायब नियुक्त करने का अधिकार दिया तो स्पष्ट रूप से उसवान सिंह का पक्ष भी लिया। राजा का घृणित शत्रु उसका भाग्य-विधाता बना। राजा को गिरफ्तार करके हेस्टिंग्स ने उसके कारावास की अवधि निश्चित न की।

इस व्यापार के अंतिम दृश्य पर हम लौट आएँ। जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने राजा को गिरफ्तार किया तब उसने अपनी पॉच लाख पौड की माँग सामने न रखी, बल्कि उसके विरुद्ध अनक आरोप लगाए। और दुर्भाग्य का मारा वह बेचारा राजा उसके प्रत्येक आरोप का उत्तर देता रहा।

यहाँ मै श्रीमान से इन कार्यवाहियो के क्रम पर ध्यान देने की प्रार्थना करूँगा। मिस्टर हेस्टिंग्स ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि इस अभागे राजा के राज्य व प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। उसने राजा को बन्दी बनाया और राजा के विरोधी, उसके एक कर्मचारी को, उच्च अधिकारी बना कर राजा को अपमानित किया और अपने इन तमाम अन्यायपूर्ण कर्मों को उसने कानूनी संज्ञा देनी चाही। लेकिन इतने से ही उसकी अमानुषिक वृत्ति को संतोष न हुआ और उसने राजा के अधिकार में बचे किलों पर भी अधिकार जमाना चाहा। उसने राजा का खजाना ही नही लूटा

बल्कि उसके हिसाब-किताब के कागज-पत्र तथा हिसाब रखने वाले व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया ।

राजा के प्रति किए गए इन दुर्व्यवहारों और अपमान का ही परिणाम था कि राजा का सम्मान करने वाली जनता आग की लपट की भाँति उठ आई । इतनी ही श्रद्धा-भक्ति वहाँ की जनता में थी अपने राजा के प्रति जितनी हमारे मन में हमारे राजा के लिए है । उस व्यक्ति पर भला क्या बीत सकती है जिसके दिल मे राज-भक्ति की चिनगारियाँ है, जब वह देखता है कि उसका ही राजा बन्दी है और एक महान व्यभिचारी तथा पातकी उसके अधिकारो का मालिक बना दिया जाय ? क्या तब भी राज-भक्त जनता खामोश दर्शक बनी रह सकती है ? उस राजा की जनता ने वही किया जो हम करते, जो हर व्यक्ति करता जो राष्ट्र-प्रेमी है, जो स्वतंत्रता-प्रेमी है जो कानून-प्रेमी है, जो राष्ट्र-प्रेमी है । इस स्थिति में भी राजा को राजा ही माना । वे अपने राजा से ऊपर किसी को भी महान नहीं मानते । तब एक दुष्ट अधिकारी और उसकी कम्पनी ने वह सब किया, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं । उन्हीं के अत्याचार के कारण राजा की जनता भड़क उठी । सारा राष्ट्र एक विद्रोह के लिए उठ खड़ा हुआ और निश्चय ही यह एक स्वाभाविक विद्रोह था । राष्ट्रों का कानून लिखने वाला हर लेखक, हर लिखने वाले ने सरकार की इस स्थिति को समझा-बूझा सभी की राय है कि इस स्थिति मे जनता का विद्रोह करना बड़ा स्वाभाविक था । वे विद्रोह की आग से जैसे एक साथ उठ खड़े हुए और यद्यपि अल्पकालीन पर पूरी तरह रक्तपात से परिपूर्ण संग्राम हो कर रहा ।

आपके सम्मुख खड़े अपराधी को हम इस संग्राम का पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते है । हमारा उस पर अभियोग है कि उसने हमारे सिपाहियों को मरवाया जिन्हें बिना उनके अस्त्र-शस्त्र के ही वहाँ भेजा था । हम उस पर अभियोग लगाते है कि वहाँ जिनका भी खून बहा उसका वह अकेले जिम्मेदार है, हम उसे स्पष्ट शब्दों में हत्यारा कहते हैं । हम उसे हत्या के पूरे अर्थ मे हत्यारा कहते हैं । वह हमारे अंग्रेजी अफसरों व सिपाहियो की हत्या का जिम्मेदार है । अपने छोटे-छोटे स्वार्थो के लिए अंग्रेजी अफसरो व सिपाहियो के अलावा बनारस की निर्दोष जनता की हत्या कराने में वह तनिक भी नही हिचका ।

श्रीमान, हमारा यह अभियोग है इस अपराधी पर । क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने कदम बढ़ाने के पूर्व जाँच-पड़ताल की ? नहीं, श्रीमान कोई जाँच-पड़ताल नहीं हुई । राजा ने निश्चय ही दो लाख बीस हजार पौंड देने चाहे ताकि वह मुसीबतों से बचे । श्रीमान, ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति जिसकी विद्रोह की नीयत होगी इतनी बड़ी रकम दे कर जान न छुड़ाना चाहेगा । श्रीमान, राजा के विरुद्ध एक बेकार का अभियोग लगाया गया ।

विद्रोह के समय किसी राजा का क्या कर्तव्य है, भारत में सर्वसम्मति से इस

विषय मे नियम निर्धारित है। परन्तु इस मामले मे विद्रोह के कारणों को छिपाया गया और आपसी मतभेदो को प्रश्रय दिया गया। रक्तपात को रोकने के लिए जो प्रयत्न किए जाने थे, नही किए गए। हर देश का ऐसे कार्यो के लिए नियम निश्चित है। इस देश के भी अपने कुछ निश्चित नियम थे पर मिस्टर हेस्टिग्स ने उन्हें कभी नही माना। उसके अभागे लक्ष्य (राजा चेतसिंह) को विद्रोह के लिए विवश किया गया, उसे उसकी जनता से अलग किया गया, यद्यपि उसने बार-बार संदेश भेज कर एक संधि करके शांति का मार्ग खोजना चाहा। उसके उत्तर मे उससे कहा गया— तुमने अंग्रेजो का खून बहाया है, इसलिए मैं कभी तुमसे संधि नही कर सकता। श्रीमान देखेंगे कि इस प्रकार का व्यवहार सरकार की नीव खोदने जैसा ही था। मै यहाँ यह चर्चा नही उठाऊँगा कि किन परिस्थितियों मे जनता विद्रोह करती है, पर इतना तो अवश्य ही है कि वहाँ की जनता अपने राजा और देश को बहुत प्रेम करती थी इसलिए उन्होने हथियार उठाया। उन्होने अपने राजा को गिरफ्तार और अपमानित होने देखा। राजा ने भी संधि की हर कोशिश की, उसने तीन बार अपनी पगड़ी अन्यायी की गोद मे रखी। जनता ने विवश हो कर राजा के पक्ष मे हथियार उठाया, और राजा को अपमानित करने वालो मे से कुछ की हत्या की।

श्रीमान के सम्मुख, उचित समय पर एक बहुत महत्वपूर्ण कागज उपस्थित न कर सकने के लिए क्षमा माँगता हूँ। इससे ज्ञात होगा कि कानूनी जाँच कैसे की जाती है, किस प्रकार अभियोग लगाए जाते है किस प्रकार के प्रमाणो से उन्हे सिद्ध किया जाता है। यह कागज छपे हुए १६०८ पृष्ठ पर है, इसमे विद्रोह के कारणों की सत्यता का बोध होगा।

'माननीय वारेन हेस्टिग्स की सेवा मे —श्रीमान, गत नवंबर के लगभग मैंने मिस्टर मरखम को सूचित किया, उस वार्तालाप के संबध मे जो राजा चेतसिह और सआदत अली के बीच हुई और जिसकी सूचना मुझे एक विश्वस्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुई। यह वार्तालाप बहुत गुप्त रखी गई थी। राजा चेतसिह और सआदत अली ने कर्नल बैली पर हैदर अली की जीत की चर्चा की और अपने हितो की रक्षा के लिए निश्चय किया कि हैदर अली की विजय की प्रतीक्षा करें। इस वार्तालाप के कुछ ही दिनो बाद अपने उसी विश्वासी व्यक्ति से मैंने सुना कि राजा ने फैजाबाद की किसी बेगम (संभवत. वह सुजाउद्दौला की विधवा थी) से संदेश प्राप्त किया है जिसमे राजा को सलाह दी गई है कि उसे सरकार की माँगो को स्वीकार नही करना चाहिए और उसे यह भरोसा दिया गया है कि अगर राजा विद्रोह करेगा तो उसे सहायता मिलेगी। मेरा विश्वास है कि यह सूचना भी मैं मिस्टर मरखम को दे चुका हूँ फिर भी पूरी तरह याद न होने के कारण, मै अब अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मै आपको स्थिति से अवगत करा दूँ ताकि राजा की वर्तमान गतिविधि से आप अनभिज्ञ न रहें।"

यह प्रमाण का प्रमाण है जो मिस्टर मरखम को लखनऊ से मिस्टर बलफोर

ने सन् १७८१ के नवम्बर के महीने में भेजा, बनारस काण्ड के काफी बाद। लेकिन यह प्रमाण क्या था? वह कहता है कि मैंने एक गुप्त चर्चा की सूचना दी। एक ऐसे वार्तालाप की जो उसे ज्ञात नहीं, बल्कि जो उसने केवल सुनी है, एक अन्य व्यक्ति द्वारा। वह कहता है कि यह चर्चा उसने एक व्यक्ति से सुनी है जिसका वह नाम नहीं बताना चाहता लेकिन उसमें उसे बहुत विश्वास है। पता नहीं यह गुमनाम विश्वासपात्र भी वार्तालाप के समय था या नहीं। उसने केवल वार्तालाप होने की सूचना भर दी है। किसी ने कर्नल बलफोर को सूचना दी और उसने उसे महत्वपूर्ण मान लिया। कर्नल बलफोर आगे कहता है—"इस वार्तालाप होने के कुछ दिनों बाद मुझे उसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि राजा को फैजाबाद की बेगम का संदेश प्राप्त हुआ।" वह आगे कहता है, "मैंने संभवतः मिस्टर मरखम को इसकी सूचना दी थी।"

यहाँ एक व्यक्ति मिला जो बहुत बाद मे सूचना ले कर आया और उचित अधिकारी तक पहुँच न सका। उस वार्तालाप की सूचना के संबन्ध में मिस्टर मरखम ने तो कभी भी मिस्टर हेस्टिंग्स को कुछ न लिखा। और उसने ऐसा क्यों किया, इसके मतलब श्रीमान अवश्य ही समझ रहे होंगे। मिस्टर बलफोर क्यों अपने भेदिए का नाम नहीं खोलता?

मुझे विश्वास है कि मिस्टर बलफोर योरप में है। फिर यह कैसे संभव हुआ कि वह यहाँ उपस्थित न हो सका और श्रीमान के सम्मुख उस भेदिये का नाम न खोल सका जो सभी बातें जानता है? उसे यहाँ जान-बूझ कर उपस्थित नहीं किया गया और उसकी मनगढंत बात को प्रमाण सिद्ध किया जा रहा है, जब कि ऐसे प्रमाण उपस्थित करना अपने आप में एक बड़ा पाप है। क्या आप पूछेंगे कि यह मिस्टर बलफोर कौन है? वह व्यक्ति वही है जो रुहेलखंड में राजस्व वसूलने वाला तहसीलदार था, जो भाग अब बरबाद हो गया है, पर कभी संसार का हरा-भरा बाग था।

श्रीमान अब मामले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। राजा को सजा मिली, वह बरबाद हो गया, लेकिन पाँच लाख पौंड का लाभ न हो सका। उसे अपना देश छोड़ना पड़ा, पर वह अपनी सम्पत्ति अपने साथ ही ले गया। उसके किलों पर अधिकार कर लिया गया, पर उनमें कुछ न मिल सका। यही सूचना मिस्टर हेस्टिंग्स की भी है कि वह अपने साथ चार लाख पौंड का चाँदी व सोना ले गया। इस प्रकार वह रकम पूरी तरह हाथ से निकल गई। इस धूर्तता का जनक अपनी योजना पूरी न कर सका। अगर मिस्टर हेस्टिंग्स ने पहले ही चेतसिंह की बात मान ली होती, अगर उसके पत्रों का उत्तर देता, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता, अगर मामले को सुलझाना चाहता, अगर स्पष्ट बता देता कि उसकी क्या माँग है—या यदि विद्रोह भी हो गया था फिर भी वह अपनी माँग तो बता ही सकता था, तो कम्पनी को तो

कम से कम दो लाख बीस हजार पौंड का लाभ तो होना या शायद बिना दिक्कत के और भी बड़ी रकम मिल सकती थी। कम से कम चार लाख पौंड अपने दूसरे शत्रु मराठों के हाथ तो न जाते। मैंने आपको वहाँ की गई बर्बरता के लाभ व हानि का ब्योरा दिया है। इसे शुद्ध रूप मे लाभ-हानि का चिट्ठा ही मान ले, नैतिकता को भूल भी जाएँ, कानून को भूल जाएँ, सिद्धान्त को भूल जाएँ। मिस्टर हेस्टिंग्स लाभ का अवसर चूक गया। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उससे प्रस्तावित दो लाख बीस हजार की हानि उठाई। चार लाख पौंड सरकार के राज्य से निकल कर दुश्मनो के हाथो चला गया।

उसने घोषित भी किया कि जो भारतीय भी तलवार खीचेगा, उसे कभी क्षमा न किया जायगा। मै श्रीमान के सम्मुख यह बताने की आवश्यकता नही समझता कि ऐसी घटनाओ के लिए ब्रिटेन के क्या नियम है। जब वातावरण मे उत्तेजना हो तो समझौते की शर्तों पर ध्यान देना चाहिये। आप सुजाउद्दौला के मामले को ही देखे, लडाई भी हुई और उसे देश से बाहर खदेड दिया गया। यही नही, उसे संसार भर मे पॉव रखने की जगह न थी। उसका बादशाह तो मुगल था और उसके दिए अधिकार के अनुसार यह सरकार की सीमा के भीतर था कि सुजाउद्दौला की वजारत या जो भी अधिकार उसके पास थे, छीन लिए जाते। तब क्या किया गया? यद्यपि उसने भी कम अंग्रेजी रक्त नही बहाया था, फिर भी आपने उसे उसके सारे अधिकार दिए, उसे पहले से अधिक मिला, जितना उसके पास था और इस महान दान के प्रति आज आप दुखी नही है। आपकी न्यायप्रियता को बडी खूबी मानी गई। आप की इस खूबी के लिए भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक तारीफ की गई। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स की दूसरी मान्यताए और दूसरे ढग है। वह कहता है कि जो अशक्त है उन्हे क्षमा नही मिल सकती। सचमुच मिस्टर हेस्टिंग्स ने कभी क्षमा नही दी। राजा अशक्त था और उसे उसने सजा दी। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसकी प्रार्थना नही सुनी। वह उसे विद्रोही मान कर विद्रोह दबाने गया पर स्वय ही विद्रोह का शिकार हो गया। सारा प्राप्त विद्रोह कर उठा।

चेतसिंह के भागने के बाद भी देश के कुछ कोनो मे मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए भोजन बच रहा था। उस स्थान का नाम था विजयगढ, यह उन किलो मे से एक था जिनके बारे मे मिस्टर हेस्टिंग्स ने घोषणा की थी कि उन्हे राजा के अधिकार मे छोड रखना खतरे से खाली नही है। अत. इसे हड़पने का प्रयत्न किया गया और उसे इस किले मे क्या मिला? क्या उसे कोई बडी फौज-फटाका मिली? नही श्रीमान, इस किले मे उसे राजा की पत्नियाँ और परिवार मिला। इस किले मे उसे दो सौ औरते और उनकी रक्षा को रहने वाले थोड़े से सिपाही मिले। उसे आशा थी कि इस किले में धन-दौलत होगी। अतः सबसे पहले उसने इन अभागी औरतों के पास बहुत कठोर, अपमानजनक और अशिष्ट संदेश भेजा और उन रानियो में

प्रमुख रानी को इस प्रकार अपमानित किया जैसे वह रानी न हो कर कोई वेश्या हो। विजयगढ में उसे ऐसी दो सौ स्त्रियाँ मिलीं। उनके पास जो भी रुपये थे वह उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी और लडाई के पहले चेतसिंह यहाँ आया था, तब थोडी सम्पत्ति इनकी सुरक्षा के लिए दे गया था। इसके सिवा उसके पास कोई बडी सम्पत्ति न थी। जो कुछ भी बचा था वह उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, घर खर्च के लिये और नौकर-चाकरो के लिए था और था एक सम्मानित राज-परिवार की स्त्रियों की मर्यादा बचाने के लिए।

इस किले, किले के निवासी और सिपाहियों पर अधिकार करने को पल्टन भेजी गई। वारेन हेस्टिंग्स जैसा भ्रष्ट था वैसा ही वह इन सिपाहियों को भी समझता था और उन पर विश्वास न करता था।

अत: उसने २२ अक्टूबर १७८१ को सबेरे दस बजे बनारस से लिखा--"बनारस की रानी के प्रति मेरे मन मे बडी प्रतिष्ठा की भावना है। मेरी समझ में, अपनी सुरक्षा व प्रतिष्ठा के अलावा उसकी अन्य सभी माँगें गलत है। अगर मेरे पास आई खबरें सही है कि तुमने संधि के उसके सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए है, तो जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी शर्तो पर ही किले का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मुझे दुख है कि तुम्हारे अफसरों व सिपाहियो को वह इनाम नही मिल सके जिसके वे अधिकारी है, पर मुझे कोई आपत्ति न होगी अगर अपनी समझ मे तुम रानी से किसी प्रकार समझौता कर लो। तुम जो भी रानी से सन्धि करोगे, मुझे स्वीकृत होगा पर किसी प्रकार भी उसे वे जमीदारी के अधिकार न मिलेगे। ऐसी कोई स्वीकृति मुझसे नही मिलेगी।"

श्रीमान, आपने इस व्यक्ति की न्यायप्रियता व न्याय करने का ढंग देखा। यह उसकी असली प्रकृति, चरित्र और कार्य करने का ढंग है। यह स्त्रियाँ तो किसी प्रकार के विद्रोह की जिम्मेदार नही है, उन पर इसके अलावा कोई अपराध वह नही लगाता कि उनके पास धन था, पर इसके लिए भी वह कैसी अमानुषिक, कठोर और दुखदाई बाते करता है। यदि वह लिखता कि जो भी समझौता तुम करोगे मुझे मान्य होगा, तो बात दूसरी होती, पर उसे तो इन दो सौ अभागी औरतों को भूख से तडपती, नंगी दुनिया में घूमते देखने का शौक था।

उसने न केवल यही घोषित किया कि किले में पाये गए समस्त रुपये सिपाहियों के हैं बल्कि वह कहता है कि उसमें एक पाई की छूट पर भी उसे दुख होगा। यद्यपि कम्पनी से अन्य अवसरों पर वह कह चुका है कि इस प्रकार के रुपये सिपाहियों के लिए विष होते है, लेकिन यहाँ वह इन्ही रुपयों को छीनने के लिए सिपाहियों को प्रेरित भी कर रहा है।

जिन लोगों ने विद्रोह किया था या विद्रोह में भाग लिया था उन्हें आत्म-समर्पण के लिए एक महीने का समय घोषित किया गया था। लेकिन श्रीमान, इन

स्त्रियो के प्रति अभद्र व्यवहार करके तथा उनके प्रति दुर्व्यवहार करने के लिए सिपाहियो को प्रेरित करके उसने उन्हे स्वयं आत्मसमर्पण की घोषणा से लाभ उठाने मे वंचित रखा और इस प्रकार जनता का विश्वास खोया।

[यहाँ मिस्टर बर्क ने घोषणा पढ कर सुनाया।]

इस घोषणा की तिथि से यह सिद्ध होता है कि किले का समर्पण निर्धारित अवधि के भीतर ही था। इन स्त्रियो ने कभी अपना निवास न छोडा; न उन पर विद्रोह का कोई अभियोग ही लगा था फिर भी उनके ऊपर कठोर दुर्व्यवहार किया गया और जब पल्टन ने सीधे ढंग से किले पर अधिकार कर लिया तो रानियो को किले से निकाल दिया गया। यह सब फौजी अधिकारी मेजर पोफम की आज्ञा से हुआ। इस अफसर को मिस्टर हेस्टिंग्स से रानियो को लूटने का अधिकार मिला था, पर यह अधिकार न था कि उनके खाने-पीने की भी व्यवस्था न की जाय।

इस लज्जापूर्ण मामले मे भी सिपाहियो ने वह भलमनसाहत बरती जो मिस्टर हेस्टिग्स ने कभी न बरती थी। उन्होने स्वेच्छा से रानियो को तीन लाख रुपये दिए और कुछ सम्पत्ति भी दी। बाकी सारी सम्पत्ति पलटन के सिपाहियो मे इनाम के रूप मे बाँट दी गई। किले मे पायी गई रकम दो लाख अडतीस हजार पौड के बराबर थी जो चेतसिंह की सम्पत्ति का एक बडा भाग थी।

इस प्रकार किले की लूट का सामान सिपाहियो म बाँटने के बाद मिस्टर हेस्टिग्स ने फिर क्या किया ? उसे आश्चर्य था और दुख था कि इतनी हिंसा से बहुत कम लाभ हुआ, इतनी लडाई और उससे इतना कम लाभ हुआ इतना रक्तपात और कम्पनी का कोई लाभ नही हुआ। अत. उसने सिपाहियो के साथ भी विश्वासघात किया, कहा कि लूट के रुपयो पर उनका कोई अधिकार नही है और सब उन्हे कम्पनी को लौटाना पडेगा और उनके इन्कार करने पर उसने उन पर मुकदमा चलाया। जहाँ तक तीन लाख रुपयो या तीस हजार पौड की बात है जो रानियो को दिए गए थे हमे कागजो की खोज करनी पडेगी। क्या उनके सम्बन्ध मे सचाई सिद्ध करने को कोई कागज-पत्र अथवा रसीद है ? मेरा निश्चित मत है कि यदि रानियो को मिला होगा तो केवल थोडा भाग ही मिला होगा। यह भी श्रीमान मिस्टर हेस्टिग्स की सरकार का एक ढंग है।

मैने विजयगढ़ मे प्राप्त सम्पत्ति पर कम्पनी के अधिकार और उस पर भी हेस्टिग्स के अधिकार की माँग को थोडे ध्यान से देखा। इस अद्भुत गवर्नर ने पहले ही जैसे देख लिया था कि भविष्य मे उसे इस समस्त व्यापार के सम्बन्ध मे लीडन हॉल के ठीकेदारो के समक्ष जवाबदेही देनी होगी जो राष्ट्र के कानून, धर्म, नैतिकता, राष्ट्र की नीतियों की देख-रेख रखते है। अतः उसने किले की स्त्रियों के साथ विश्वासघात किया। फिर सैनिको के साथ भी विश्वासघात किया, जिन्होंने

उसके ही आदेश पर सम्पत्ति का बँटवारा किया था । इस प्रकार विश्वासघात करना उसकी प्रकृति है । वह कहता है कि यह सब धन कम्पनी का है और इस संबंध में सर एलिजा इम्पे के सम्मुख मुकदमा भी पेश करता है जिसने कम्पनी को रुपयों का अधिकारी बताया, न कि सैनिकों को । सैनिकों ने अपील की, पर इस मुकदमे के प्रारम्भ से ही सब कुछ गड़बड़ी हो रही है । लेकिन अंत में सर एलिजा इम्पे ने रुपयों को सैनिकों में बांटने का आदेश दिया ।

इस प्रकार दो लाख तो सैनिको में बंटा, चार लाख पौंड चेतसिंह अपने साथ ले गया था और इस प्रकार सारी सम्पत्ति समाप्त हो गयी थी ।

इस कार्यवाही से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा, न्याय के सभी नियमों का हनन हुआ । एक ओर एक देश बरबाद हुआ एक संभ्रान्त परिवार नष्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ, रक्तपात हुआ, राष्ट्रव्यापी विश्वासघात पनपा, महिलाएं अरक्षित हुई । यह चित्र का एक ही पहलू है और चित्र का दूसरा पहलू भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नही है । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनी सम्पत्ति नष्ट की, उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई, उसकी पल्टन अपनी ही प्रजा से लडी ।

श्रीमान, इस समय मेरे पास अब इसके सिवा भला क्या बचा है कि बनारस के राजस्व के सम्बन्ध मे इस अपराधी की कार्यवाहियों पर चर्चा करूँ ? सबसे पहले मैं श्रीमान के सम्मुख यही रखना चाहूँगा कि १७८० मे उस क्षेत्र के अधिकार की माँग की गई, तब यदि बात बन जाती तो राजा को उसके परिवार के भत्ते के रूप में तेईस हजार पौंड प्रतिवर्ष मिलते । मैं वह हिसाब पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ—

[यहाँ हिसाब पढा गया]

मैं श्रीमान के सम्मुख कहूँगा कि मिस्टर मरखम और मिस्टर हेस्टिंग्स ने बताया है कि राजा की वार्षिक राजस्व की आमदनी छियालीस लाख की थी । मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं घोषित किया था कि उसे अंदाज नही था कि इस देश मे राजस्व की आमदनी बढ़ नहीं सकती है और उसे बढाने का कोई प्रयत्न भी घातक होगा ।

आप श्रीमान देखेंगे कि इस घोषणा के साथ कही कोई प्रमाण का कागज-पत्र नही है । जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने अधिकार लिया तब राज्य की आमदनी केवल चालीस लाख की थी जब कि वह पूरी शक्ति से वसूली करता था । उसका अपना व्यक्ति ही रेजीडेन्ट था, पहले अपनी शक्ति भर मिस्टर फॉक, तब मिस्टर ग्रान्ट, सबों ने अपनी शक्ति भर योग्यता दिखाई । पूरी शक्ति और सभी प्रकार की कठोरता का भी प्रयोग किया पर किसी प्रकार भी चालीस लाख रुपये के ऊपर आमदनी नही बढ़ सकी । कलकत्ते को राजा बराबर बाईस लाख दिया करता था. अतः इस कागज से पूरी तरह स्पष्ट है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने पचास लाख रुपयों यानी पाँच लाख पौंड की माँग की थी । क्या राजा के पास गुप्त संचित धन था ? क्या वही राजा अपने

साथ ले गया ? यही शक तो मिस्टर हेस्टिंग्स को है। यही नही मिस्टर हेस्टिंग्स को तो ऐसा भी शक है कि राजा जो रकम ले गया है वह बहुत बडी है जिसे न तो सिद्ध किया जा सकता है न जिसकी कोई संभावना है। हम तो केवल यह जानते है कि वार्षिक राजस्व देने के बाद राजा के पास केवल अठारह हजार पौंड वार्षिक बचते थे, जो उसके परिवार और महल के खर्च भर को थे।

श्रीमान, अब आप के सामने पूरा हिसाब खुला है। लेकिन आपके सम्मुख खडे अभियोगी की दृष्टि कही और ही थी, रुपयो की लालसा के अलावा उसके दिल मे कुछ और सपने पल रहे थे। वह नासमझ न था और यह हमने उसके वक्तव्य से ही सिद्ध किया है कि उसकी मनचाही रकम कम्पनी के लिए कभी वसूल नही हो सकी। वह यह भी जानता था कि लगातार माँग बढाने के कारण वह एक व्यक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देगा, जिसे वह घृणा करता था।

जब तक सत्य उपस्थित रहता है, जब तक सामने दो और दो चार होते है, जब तक गणित के सारे हिसाब है, तब तक इसकी कठोरता, अमानुषिकता, घृणा, आतक और अत्याचार की कहानी जीवित रहेगी। मै इसे सिद्ध करूंगा, श्रीमान, जब यह अदालत पुन बैठेगी तब इस शर्मनाक कार्यवाही की भीतरी बाते और उनके परिणाम की चर्चा करूंगा। तब आप को दिखाऊँगा कि राजा के परिवार का वह भाग जो वह पीछे छोड गया था और जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने ही अधिकार मे रखना चाहा, उसे भी नष्ट कर दिया, बरबाद कर दिया और एक युग मे बनारस का सुन्दर राज्य जिसे वह आज भी खुशहाल बताता है, वह उसके द्वारा ऐसी परिस्थिति मे छोडा गया था जो दुनिया मे एक शर्मनाक अत्याचार की कहानी बन कर रह गया।

जवाब का तीसरा दिन

[३ जून, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, हमारी पुकार हुई है कि हम आगे आ कर कटघरे में खड़े अभियोगी के प्रति लगाए गए आरोपों को सिद्ध करें, परन्तु श्रीमान ने जब वे आरोप व अभियोग सुने थे तब से अब तक बहुत समय बीत गया है। मै यह आदेश व आज्ञा चाहूँगा कि मैं अपने सहयोगी से, जो निकट ही उपस्थित है, अनुरोध करूं कि जिन अभियोगों पर हम चर्चा करने जा रहे है, उन्हे वे एक बार पूरा पढ कर सुना दें जिससे कि आपको राय निश्चय करने में आसानी हो।

[मिस्टर विन्ढम ने पढा]

"कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने चेतसिंह को उसके राज्य से पदच्युत किया, ऐसा करने का अधिकार अपने आप ग्रहण किया। कौंसिल के अन्य सदस्यों से राय भी न ली, बनारस राज्य राजा महिपनारायण को दे दिया और उसके पिता दुर्विजय सिंह को कार्यवाहक अधिकारी तथा ब्रिटिश रेजीडेंट मिस्टर मरखम को दोनो के ऊपर रखा, बनारस व ब्रिटिश सरकार के बीच हुए सभी पूर्व समझौतों को रद्द कर दिया, तथा चार लाख पौंड के राजस्व में वृद्धि के लिए व्यापार टैक्स लगाया, जिससे राज्य को बहुत हानि उठानी पड़ी।

"कि वारेन हेस्टिंग्स ने सन् १७८२ के लगभग विलियम मरखम के साथ जो महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार किया, जो उस समय बनारस का रेजीडेंट था, परिषद की आज्ञा बिना ही उसे इतना अधिकार दे दिया कि दुर्विजय सिंह को वह उसके पद से हटा सके और उसे राजसत्ता से अलग कर सके।

"कि वारेन हेस्टिंग्स ने दुर्विजय सिंह को लुका-छिपी से अधिकार दिया।

"कि बलवंत सिंह की विधवा और राजा महिपनारायण ने बार-बार यह शिकायत की कि रुपयों की वसूली की देर का पूरा जिम्मेदार मरखम है, दुर्विजय सिंह पूर्णतया निर्दोष है और उस पर जो भी आरोप लगाए गए है वह सब मिस्टर मरखम के दोष है। इस पर भी वारेन हेस्टिंग्स ने उनकी बातो पर कोई ध्यान न दिया, न उनकी बातों की सत्यता जानने को कोई जाँच ही की, बल्कि बलवंत सिंह की विधवा पर अभियोग स्थापित किया और राजा पर भी, अभियोगी मिस्टर मर-

खम की बात ही मान कर दुर्विजय सिंह को जेल मे बंद रखा और समस्त सरकारी अधिकारो का मालिक रेजीडेट मरखम ही को बना रखा।

"कि मरखम ने अपने अधिकारो का दुरुपयोग करके बनारस के इलाके की राजसत्ता जगदेव सिंह नामक व्यक्ति को सौपा जिसने मिस्टर हेस्टिंग्स की अन्यायपूर्ण माँगो की पूर्ति के लिए बनारस की दुखी जनता को खूब सताया।

"कि वारेन हेस्टिंग्स ने १७८४ मे जगदेव सिंह को भी पदच्युत किया, उस पर भ्रष्टाचार का दोष लगाया।

"कि इस प्रकार के हिंसक तथा अनियमित कार्यों के परिणामस्वरूप वह राज्य पूरी तरह बरबाद हो गया और वहाँ की जनता से झगडा भी करना पडा, समस्त राज-सत्ता बिखर गई, हर गाँव उजड गया, सरकार का कही नाम-निशान न बचा, जनता तबाह हो गई, राजकाज समाप्त हो गया, व्यापार टूट गये और राजस्व की रकम बहुत कम हो गई।

"इन समस्त विध्वंस, विप्लव और विद्रोह तथा आतक का कारण था वारेन हेस्टिंग्स का गैरकानूनी, अनियमित और हिंसक कार्य और जिसके परिणाम थे हिंसा का नग्न प्रदर्शन।"

[मिस्टर बर्क ने अब प्रारम्भ किया]

श्रीमान, आपने सभी अभियोग सुन लिए और अब कटघरे म खडे अभियुक्त को नए रग मे देखेंगे। अब मै उसके उस चरित्र का बखान करूंगा जो विदेश की भूमि पर एक विधान-शास्त्री का चरित्र है जिसके साथ ग्रेट ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, कानून व स्वतत्रता का संबध है। हम देखेंगे कि उसके भ्रष्टाचार का क्या परिणाम हुआ—राज्य टूटे, राजा का परिवार घर से बाहर खदेड दिया गया, उसके आदमी मारे गए, उसकी पत्नी व परिवार की अन्य स्त्रियो को लूटा गया, उन्हे बेइज्जत किया गया, उनके गुप्त खजाने तक की रकमे लूटी गई। उसकी हिंसा को विजय मिली।

श्रीमान, अब हम देखेंगे कि उसने अपने अधिकारो का क्या प्रयोग किया ? हम देखेंगे कि उसने सब कुछ नीति व नियम-विरुद्ध किया। उसने चुनार के किले मे कंकालो का पहाड लगा दिया। श्रीमान वह जिस क्षेत्र पर विजय पाता था उसे वह अपना ही राज्य समझ लेता था।

श्रीमान, अब हम उस पर लगाए गए प्रथम अभियोग की चर्चा करेंगे। इस प्रकार की नियम-विरुद्ध नियुक्तियो से स्पष्ट होता है कि वह हर प्रकार से कानून तोडता रहा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने जो बातें कही है उनमें यह है कि उसने मिस्टर फॉक को बनारस से हटा दिया। यह कार्य परिषद की आज्ञा के विरुद्ध हुआ। वह कहता है, "मैंने यह आवश्यक समझा कि वहाँ जो व्यक्ति रेंजीडेंट की

कुर्सी पर रहे वह मेरे विश्वास का हो और मेरा नियुक्त किया हो। मैंने नियम की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोई भी सरकार इसके बिना नही चल सकती। राजा को दी गई सजा मे मिस्टर फॉक का हटाया जाना किसी प्रकार संबन्धित नहीं है। न तो मिस्टर मरखम की नियुक्ति, जो मेरी पसन्द की नियुक्ति थी, उससे कोई संबंध रखती है, क्योकि यह कार्य इस बात की घोषणा थी कि शक्ति का संचालन मेरे ही हाथों में है।''

यहाँ श्रीमान वह यह कहना चाहता है कि उसकी ऐसी कोई पूर्व योजना न थी कि वह मिस्टर मरखम को नियुक्त करके देश के कानून को भंग करे।

मैं श्रीमान से प्रार्थना करूँगा कि आप इसे ध्यान में रखें कि एक व्यक्ति के कार्यो का प्रश्न नहीं है बल्कि यह कानून की मर्यादा का प्रश्न है।

श्रीमान, पार्लमेंट ने जो कानून बनाया, जिसके कारण कलकत्ता की कौसिल को विशेषाधिकार मिला, उसकी पूरी व्याख्या दी गई है उसकी सीमा व सामर्थ्य की। वह अपनी शक्ति की बात करता है। वह कहता है कि डायरेक्टरों के आदेशो को भंग करके मै यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि कितनी शक्ति मेरे हाथ में है। वह समझता है कि कानून को मानने से उसकी शक्ति कम होती है। वह न तो ईस्ट इंडिया कम्पनी की आज्ञा मानता है न ग्रेट ब्रिटेन के कानून को। वह वारेन हेस्टिंग्स को ही दैवी शक्ति का प्रतीक मानता है। वह इतने बड़े राष्ट्र के कानून से भी अपने को अधिक महत्व का मानता है।

श्रीमान, अभियोगी ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए क्या किया? क्या उसने डायरेक्टरो की बात मानी? क्या उसने राष्ट्र के कानून की प्रतिष्ठा रखी? क्या उसने जनता की भावनाओ का आदर किया? नही, श्रीमान, नही। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन डायरेक्टरों की अवज्ञा करके की।

श्रीमान किसी भी काम के होने और उसके वर्णन मे कुछ तो समानता होती है। वह व्यक्ति जो उपद्रवी है वह किसी न किसी स्थिति में विद्रोही बन जाता है और जो विद्रोही है वह किसी न किसी रूप में उपद्रवी बनता है। इन दोनो गुणो का प्रारंभिक स्रोत एक ही है। इसीलिए यह व्यक्ति जब देश के कानून की अवज्ञा कर सकता है तो यह दूसरे नियमो को भी निश्चय ही तोड सकता है। इसीलिए उसने मिस्टर मरखम को अपनी ओर से बनारस का रेजीडेण्ट बनाया, अतः मरखम के हर कार्य को हम उसका ही कार्य कह सकते है। पूरी तरह वह जिम्मेदार है, बल्कि दूनी जिम्मेदारी उस पर आती है।

हर गवर्नर उन कार्यों के लिए जिम्मेदार है जो उसके मातहत होते हैं और जिन पर वह कोई कार्यवाही नहीं करता। इसीलिए उस पर दूनी जिम्मेदारी आती है।

आप यह तो मानेंगे ही कि सर्वप्रथम उसे कलकत्ता की कौंसिल के पास सभी

कार्यवाहियों की योजना और उसके संभावित परिणाम की सूचना भेजनी चाहिए थी, फिर उसे अपनी समझ से उचित व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। लेकिन यह न करके उसने अपनी इच्छानुसार शासन का प्रबन्ध अपने आप निश्चित किया। इम तरह कौंसिल को पूरी तरह अँधेरे में रखा गया। कौंसिल क्या करती, वह चुपचाप उसके कार्यों को स्वीकृति देती या फिर से देश के शासन में पूरी तरह उथल-पुथल करती।

गवर्नर जनरल ने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी अपने आप ओढ़ ली, निश्चय ही वह बडी कठिन थी, यह हम मानते है, लेकिन जो लोग प्राचीन शासनों को तोड़ते हैं, जो देश के शासन को अपनी सनक के अनुसार उलटते-पुलटते है, वे बड़े धूर्त और चालबाज तथा अमानुषिक वृत्ति के होते है। हम इसे किसी एक व्यक्ति के लाभ-हानि की दृष्टि से न सोचें। हमें मचमुच चेतसिह् और दुर्विजय सिंह के लिए बहुत दुख हे।

यह संविधान मे स्पष्ट लिखा है कि हम अपना भाग्य महान शासकों के भाग्य के साथ जोड़ दें और जब ऐसे शामकों का पतन होता है तो हमारा भी पतन अवश्यम्भावी है, क्योंकि उच्च आमन पर बैठे लोग अपने माथ सब को ले कर डूबते हे। ऐमी मीनारे अपने साये में बनी झोपड़ियों को नष्ट किए बिना नहीं गिरतीं।

वह व्यक्ति जो बनारस का राज्य तोड़ना चाहता था, इसने अपने मातहत मब कुछ तोड़ डाला। आइए, हम देखेगे कि सचमुच उमने क्या किया ?

मर्वप्रथम उसने राज्य की मभी सम्पत्ति को इस प्रकार बेचा जैसे वह सब उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। सबसे पहले उसने राज्य के सम्मानित बाबुओं की सभी सम्पत्ति हड़पी, जो किसी तरह् साठ लाख रुपयों से कम न थी। फिर उसने अपनी मरजी से जमीन का बँटवारा किया। इस लेन-देन का किसी को पता नहीं हे, न इसके लिए उसने कभी उचित आवश्यकता ही बताई।

जब हम इस बात की जॉच करते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कौन सी जागीरों को स्वीकार करना उचित समझा तो हम देखते है कि उसने कई जागीरें दान दी है। उसने एक जागीर किसी ब्राह्मण को दी ताकि वह कम्पनी की उन्नति के लिए पूजापाठ करे और एक ऐसी ही जागीर उसने एक दूसरे ब्राह्मण को दी कि उसके स्वयं के लिए पूजापाठ करे। मैं उसके इस हिन्दूधर्म के प्रेम व विश्वास के संबन्ध में कुछ नही कहता क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्रिश्चियन धर्म के प्रति उसमें कहीं विश्वास नहीं है अतः वह कहीं तो, किसी धर्म के साये में तो विश्राम करे। इस संबन्ध में जो अभियोग हम लगाते हैं वह यह है कि अपनी इच्छानुसार उसने दूसरों की जमीन बाँट दी। इसके पीछे जो भी भावना अथवा स्वार्थ रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि कानूनी ढंग से उसे ऐसी जमीनें बाँटने का कोई अधिकार न था। यों तो एक एकड़ का भी दान, अपनी

स्वेच्छा से यों देना ही लूट है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक।

जब उसने इस प्रकार बनारस की जमीनें, एकमात्र अपनी इच्छा से बाँटी, तो उसने यह भी समझा कि देश का काम चलाने को एक व्यक्ति को नियुक्त करना भी उचित है। फिर ऐसे व्यक्ति का चुनाव भी उसी ने किया। यह कहीं सिद्ध नहीं होता कि चेतसिंह के विद्रोह से लोग मारे गए। बल्कि हम देखते हैं कि अपने स्वअर्जित अधिकार से इस व्यक्ति ने उचित समझा कि राजा के उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को स्वयं चुने, जिसे उत्तराधिकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त न था। उसने १९ वर्ष के एक लड़के को इसके लिए चुना और कहता है कि इस लड़के को इस सिद्धान्त पर चुना कि वह बलवंतसिंह के परिवार का था। लेकिन यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वह चेतसिंह का उत्तराधिकारी या उसके परिवार का था। हम आपके सम्मुख इस विडम्बना के झूठ को प्रमाणित करेंगे। वास्तविकता यह है कि इस विरोधाभास को वह स्वयं स्वीकार करता है क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा में कहा कि जब चेतसिंह के उत्तराधिकारी के लिए नए नियम की आवश्यकता पड़ी तो ऐसा व्यक्ति जो उत्तराधिकारी न हो उसे कोई अधिकार नहीं होता।

लेकिन शायद अधिकार की कमी को चुने गये व्यक्ति की योग्यता तथा समर्थता से पूरा किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि यह एक क्षण को भी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का अपहरण है। क्या इस मामले में कोई छिपी बात थी? मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा चेतसिंह का उत्तराधिकारी कौन माना गया? श्रीमान, जो चुना गया वह नाबालिग था क्योंकि कटघरे में खड़े अभियुक्त ने चेतसिंह का उत्तराधिकारी चुनने के तत्काल बाद ही उसका अभिभावक नियुक्त किया। यह अभिभावक भी उसने अपनी इच्छा व खुशी से बिना किसी सिद्धान्त के चुना तथा हिन्दू धर्म के अनुसार पंडितों द्वारा निश्चित किए गये नियमों का पालन किए बिना ही यह किया।

मैं यह भी मानता हूँ कि अभिभावक का चुनाव एक प्रकार से अनुचित या गलत भी नहीं हुआ। क्योंकि उसने चुने गए लड़के के पिता को ही अभिभावक चुना और उसके लिए इससे उपयुक्त और कोई अभिभावक हो भी नहीं सकता था, लेकिन सरकार का राज्य चलाने के लिये कुछ योग्यताएँ आवश्यक होती हैं जो इस व्यक्ति के पास न थीं। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए था जो शक्तिशाली, योग्य तथा समझदार हो; वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने के योग्य हो जिसमें उसे डाल दिया जाय।

श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स आपके सम्मुख स्पष्ट कहता है कि उसने इस व्यक्ति में कोई ऐसी असाधारण प्रतिभा नहीं देखी। साथ ही वह यह भी कहता है कि उसमें कई योग्यताएँ है। वह कहता है कि उसे शक था कि वह वसूली के मामले

मे उसकी कल्पना जैसा कोई कार्य करने की क्षमता नही रखता था। यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं क्योकि जब हम देखते है कि उसने समस्त प्राचीन व परंपरागत बातो को तोडा, कार्यालय की पुरानी पद्धति नष्ट की, और उसके स्थान पर दिया क्या, केवल अपनी व्यक्तिगत सनक। उसने भी बिल्कुल नए ढग की पद्धति बनाई थी जिसमे व्यावहारिकता से कोई सबन्ध न था। उसने सरकार को वैसी ही नही रहने दिया जैसी उसे मिली थी उसने कार्यालय को वैसा ही नही रहने दिया जैसा उसके हाथो आया था, बल्कि उसने अपने पसन्द के कई ढग चालू किए। उसके सभी प्रयत्न व परिवर्तन बेकार सिद्ध हुए।

उसने ऐसे अनुभव करने की हिम्मत कैसे की ? एक देश के शासन व व्यवस्था के साथ ऐसे प्रयत्न व अनुभवहीन कार्य करने की सनक को भला कैसे मान्यता दी जा सकती है ?

उसे राजा चेतसिह व बनारस के सबन्ध मे ऐसे निर्णय करने की आज्ञा किसने दी ? उसने जो पहला नियम बनाया, वह था कि वह उस उजडे देश के लिए नया राजा नियुक्त करेगा। उसका यह सतत प्रयत्न रहा कि वह देश सम्पन्न न हो सके क्योकि वह भी सम्पन्न हो जाएगा तो घमण्डी हो जाएगा और चेतसिह की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। आप सभी बातो को गौर से देखे। चेतसिह को लूटना एक योजना थी। क्या ? क्योकि वह धनी है। अत उसके उत्तराधिकारी को दुखी बना कर रखो। क्यो ? ज्यो ही वह धनी होगा—परेशानी का कारण बन जाएगा। उसका समस्त प्रयत्न था कि लोग धनी होने से बचे' क्योकि वे धनी होगे तो घमण्डी भी होगे। फिर अपनी स्वतत्रता चाहेगे। श्रीमान देखेंगे कि इस व्यक्ति की राय मे धनी सदा घमण्डी होता है। मै आशा करता हूँ कि आप श्रीमान कभी इतने गरीब न होगे कि घमण्ड छोड़ देगे क्योकि घमण्डी न होगे तो आजादी को बात न करेगे।

इस निश्चय के अनुसार कि राजा धनी न बनने पाये, उसने उसे आज्ञा दी कि वह कम्पनी को प्रतिवर्ष चालीस लाख रुपये दिया करे यानी चार लाख पौड। पहले यह रकम दो लाख पचास हजार पौड थी जिसे उसने एकाएक चार लाख पौड कर दिया। क्या उसने अपने इन निर्णयो की पूर्व सूचना कौसिल को दी थी। देश भर मे इकट्ठी होने वाली वसूली की रकम की क्या उसने पहले सूचना दी थी या उसका सही हिसाब भी पेश किया था ?

मै आप श्रीमान को यह नही बताना चाहता है कि यह कितनी गंभीर बात है कि लगान की रकम अढ़ाई लाख से बढा कर चार लाख एक साथ कर दी जाय। इन्ही कारणो से आपके सम्मुख खड़े अभियोगी पर हमने गैरकानूनी, अन्यायी और आतंकवादी होने का अभियोग लगाया है। श्रीमान ध्यान देगे कि यह सभी

कार्य उसकी अपनी स्वयं की प्रेरणा से किए गये जो सर्वथा गैरकानूनी व अन्याय-पूर्ण हैं।

श्रीमान, अपराधी के जिन गलत कार्यो की हमने चर्चा की है उन्हें करने के पहले उसने मिस्टर मरखम से राय ली थी जिसे उसने नए राजा के ऊपर रखा था। राजा तो केवल उन्नीस वर्ष की उम्र का था। लेकिन मि० मरखम इक्कीस वर्ष का था और अच्छी स्थिति में था। इसके अलावा उसको देश में शासन करने का छः महीने का अनुभव भी था। यानी हेस्टिंग्स ने सारा राज्य और उन्नीस वर्ष के अनुभवहीन राजा को इक्कीस वर्ष के मिस्टर मरखम के हाथों सौंप दिया। हमें मिस्टर मरखम की योग्यता व शक्ति पर आशंका नहीं है, पर उसे उस राज्य के संबन्ध में कोई जानकारी व अनुभव न था जिसमें वह सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया, गया था अतः यदि यह नौजवान शासक गलतियाँ कर बैठे तो हमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिये। न तो किसी नौजवान की किसी भूल को हम अस्वाभाविक ही मानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को जो उसे काम पर रखता है और ऐसी स्थिति में छोड़ देता है जिसका उसे न तो अनुभव है न योग्यता, वह तो निश्चय ही इसका दोषी है। और इस मामले में मिस्टर हेस्टिंग्स निश्चय ही दोषी है और उसने मिस्टर मरखम को केवल इसीलिए तो रेजीडेण्ट बनाया कि वह दिखा सके कि वह डायरेक्टरों की अवज्ञा कर सकता है।

लेकिन श्रीमान, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि उस राज्य से मिस्टर हेस्टिंग्स ने चालीस लाख लेने का निर्णय किया, यद्यपि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राज्य की इतना दे सकने की शक्ति है या इसे आसानी से वसूल किया जा सकता है। फिर उसने इस नए राजा को साठ हजार पौंड वार्षिक देने का निर्णय किया। अब हमें देखना चाहिए कि किन प्रमाणों पर वह इस रकम को उचित सिद्ध कर सकता है। क्या यह रकम राजा के सम्मान के अनुकूल है? अब जब मिस्टर मरखम जो नए राजा के नाम पर शासन चलाने वाला था और पहले राजा के पदच्युत होते समय दर्शक या गवाह था, आप के सम्मुख वक्तव्य देता है कि वह चेतसिंह के मामले को क्या समझता है, वह बताता है कि एक या ड़ेढ़ लाख प्रति वर्ष ही ऐसी रकम थी जो चेतसिंह खर्च कर सकता था। और यह नौजवान राजा जो उसी राज्य का राजा बना था, जिसे अढ़ाई लाख के स्थान पर, चार लाख पौंड प्रति वर्ष देना था, उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने अधिकार दे रखा था कि वसूली मे से अपने लिए वह साठ हजार पौंड रख ले। इसके मतलब हैं कि उसे मिस्टर हेस्टिंग्स के अनुसार चौगुनी रकम मिल रही थी।

श्रीमान हर जगह भ्रष्टाचार देख रहे हैं। क्यों इस नए राजा को इतनी बड़ी रकम खर्च को दी गई, जब कि वही बताता है कि चेतसिंह एक या डेढ़ लाख ही खर्च करता था और इससे कितना अधिक खर्च उसे करना पड़ता था, उसका खर्च

भी और जिम्मेदारियाँ भी बड़ी थीं। उसने कितने महल बनवाये थे, बाग लगवाए थे और उसी के कथनानुसार बड़े युद्ध की भी तैयारी की थी।

हमें यह मान लेना चाहिए कि वे यह समझते थे कि देश अधिक आर्थिक बोझ सहने की शक्ति रखता था। लेकिन मैं पूछूंगा कि ऐसा उन्होंने कैसे समझा? हम आपके सम्मुख मिस्टर मरखम का एक कागज प्रस्तुत करके सिद्ध कर चुके हैं, कि पूरी वसूली की रकम थी तीन लाख साठ हजार पौंड। यह उनका अपना हिसाब है, उन्हीं का बनाया हुआ जैसा कि मिस्टर मरखम कहता है कि दुर्विजय सिंह के एक कर्मचारी और एक पारसी मुंशी ने गुप्त स्थान पर बैठ कर इसे बनाया था। और सामने यह हिसाब रख कर ही उन्होंने अभागे देश पर चार लाख पौंड का कर निश्चित किया, साथ ही राजा के लिए भी साठ हजार पौंड। इन रकमों का पूरा करना नायब दुर्विजय सिंह की विवशता थी। श्रीमान देखेंगे हम पूरी वसूली की बात कर रहे हैं। हम उसी रकम की बात कर रहे हैं जो सरकारी खजाने में आयी, जो मेरी बताई रकम से अधिक न थी। और सरकारी खजाने से ही यह सब भुगतान भी होने थे।

अब हम मुख्य विषय पर आ जाएँ। देखें कि देश सचमुच कितनी रकम का भार सह सकता था। मिस्टर हेस्टिंग्स की पक्की राय है कि देश का राजस्व चार लाख पौंड था, और इतना धन तो बराबर मिलता ही रहा। इसके उत्तर में मैं श्रीमान के सम्मुख सर्वप्रथम मिस्टर मरखम को उद्धृत करूँगा फिर वासिल बाकी को जिनकी घोषणाएँ छपी कार्यवाही के पृष्ठ १७५० पर हैं। फिर मैं पृष्ठ २४१३ पर मिस्टर डंकन की रिपोर्ट का हवाला दूंगा। मिस्टर डंकन के अनुसार बनारस के राजस्व का अनुमान है कि दुर्विजय सिंह के प्रबन्धकाल में और जब मिस्टर मरखम व उसके पारसी मुंशी के प्रबंधकाल में जो हिसाब बनाए गए व ईश्वर जाने किन कागजात-पत्रों के आधार पर बनाए गए, तब वसूली हुई थी केवल तीन लाख चालीस हजार पौंड, यानी मिस्टर मरखम के अनुमान से बीस हजार पौंड कम। आप चाहे जिसे उचित मानें, चाहे मिस्टर मरखम के तीन लाख साठ हजार पौंड को या मिस्टर डंकन के तीन लाख चालीस हजार पौंड को, श्रीमान देखेंगे कि अपने उपयोग के लिए साठ हजार पौंड सुरक्षित रखने के बाद राजा उतनी राशि इकट्ठी न कर सका जितनी की घोषणा थी।

श्रीमान के सम्मुख प्रमाण रूप में देश की आमदनी का एक और हिसाब है। मेरा विश्वास है कि इस काल के पूरे पाँच वर्ष बाद तक निश्चय ही चालीस लाख रु० या इसके आसपास की रकम कभी इकट्ठी नहीं हुई। केवल सैंतीस या उन्तालीस लाख की वसूली, यानी मिस्टर मरखम के हिसाब से बीस हजार पौंड कम और मिस्टर हेस्टिंग्स के हिसाब से एक लाख साठ हजार पौंड कम। अब प्रश्न है कि आप के सम्मुख खड़े अभियुक्त ने किस प्रकार यह हिसाब बनाया? सभी कर्मचारी व

मुशी कहाँ थे, बनारस के समस्त व्यापारी कहाँ थे जो इस विषय पर पूरी व सही जानकारी दे मकते थे ? हमें उनमे से किसी का कोई पता नही लगता। सभी जानकारी का मालिक केवल मिस्टर मरखम का मुशी है और दुर्विजय मिह के कुछ किरानी, जिन्हे मि० मरखम ने गुप्त रूप से मिला रखा था, जो देश के राजस्व का हिसाब बनाते थे।

मिस्टर हेस्टिग्स ने जो जागीरे बाटी उनसे राजस्व कम हुआ और राजस्व बढ़ाने के लिए तथाकथित विद्रोही बाबुओ की सम्पत्ति का अपहरण किया गया। इस प्रकार छः लाख की रकम पहुँचती है। हमने भी हिसाव की जाँच की है। हमे तो शक है कि ये अपहरण की सम्पत्तियाँ हिसाब मे जोडी भी गई है या नही ? अब इसका निर्णय हम श्रीमान के ऊपर ही छोड़ते है।

यह भी कहा जा सकता है कि मिस्टर हेस्टिग्स ने हिसाब मे भूल की होगी। लेकिन श्रीमान यदि उसने भूल की तो क्या वह भूल इतने दिनो तक खिचती चली आई ? फिर हिमाब की भूल क्या उसके विश्वासपात्र एजेन्ट मिस्टर मरखम की दृष्टि मे भी नही आ सकी ? यही नही, मिस्टर हेस्टिग्स ने राजा को जो रकम देने की घोषणा की थी वह भी तो नही दी। या वह रकम वह उसे दे न सका। और निश्चित की गई राशि न पाने का दुख कही नए राजा को भी विद्रोही न बना दे इसलिए मरखम गवर्नर बनाया गया।

श्रीमान, अब मै आपका ध्यान एक ऐसी परिस्थिति की ओर दिलाऊंगा जिसका समावेश अभियोगो में नही है। पर वह मामला राजा और उसके नायब दुर्विजय मिह की नियुक्ति से संबंधित है। मिस्टर मरखम द्वारा यहाँ उपस्थित किए गए एक पत्र मे स्पष्ट होता है कि राजा हर क्षण इसी दुराशा व शका मे रह रहा था कि वह किसी भी क्षण निकाल दिया जायगा और उसका उत्तराधिकारी असवान सिंह नामक व्यक्ति बनेगा। इस पत्र के एक भाग में मिस्टर मरखम बताता है कि राजा अधिक दिनो तक राज्य नही करना चाहता था। क्यो ? इसलिए कि अधिकार के नाम पर उसे चेतसिंह इतना भी अधिकार न था। फिर दूसरे स्थान पर वह लिखता है कि राजा सदा असवान सिंह से भयभीत रहता था। इस व्यक्ति को मिस्टर हेस्टिग्स ने राजा को डरवाने के लिए ही रख छोड़ा था और समस्त व्यापार के बीच देखेंगे कि भारतवर्ष मे ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जिसके पीछे मिस्टर हेस्टिग्स ने एक व्यक्ति केवल भय पैदा करने के लिए न लगा रखा हो। इस व्यक्ति असवान सिह को मिस्टर हेस्टिग्स अपने साथ बनारस ले आया था। पहले उसकी नियुक्ति नायब या कार्यकारी गवर्नर के रूप मे हुई लेकिन सचमुच उसे यह पद कभी न मिल सका। और इस पद पर दुर्विजय सिह की नियुक्ति हुई। यद्यपि इस पद से असवान सिह अलग कर दिया गया था, पर कार्यालय मे उसकी घुसपैठ बनी थी। अतः यह नया नियुक्त राजा, जिसके हाथ में अधिकार न था, अब हर

समय मरखम की आज्ञाओं तथा असवान सिह के भय मे पीड़ित रहता था। जैसा कि मिस्टर मरखम ने बताया है यह असवान सिह ही राजा के असंतोष व भय का कारण था लेकिन यह सभी तथ्य कभी कौसिल के सम्मुख नही आए। सारा खेल मिस्टर हेस्टिंग्स व मिस्टर मरखम के बीच ही रहा।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने देखा कि यह देश खेती मे खूब उन्नति कर सकता है— अतः उसने उस ओर प्रयास प्रारम्भ किया। उसने बिना किसी योजना व किसी अन्य से राय लिए बिना ही व्यापार और राजस्व का ढग बदल डाला। हमे बताया गया है कि उसने रईसो और बडे व्यापारियो से राय ली थी। पर श्रीमान, आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने ही कारनामो को सिद्धान्त मान लेता है तो फिर कोई अन्य व्यक्ति उससे सत्य कहने की हिम्मत नही करता। कोई उसे उसके पसन्द के विरुद्ध सूचना भी नही देना चाहता। इसका सच्चा उदाहरण आपके सम्मुख यह अपराधी है। इस व्यक्ति ने किसी से राय न ली, किसी से सहयोग न लिया, किसी का उपयोग न किया और अपनी अक्ल व अपने कार्यो को ही उचित समझता रहा और अपने घमंड के नशे मे अंधा बना, देश के समस्त व्यापार का सर्वनाश करता रहा और देश का एक भाग भी इसके सर्वनाश से बच न सका।

मै श्रीमान का ध्यान शक्ति और अधिकार प्राप्त करने के इस ढंग की ओर दिलाऊँगा जहा कलकत्ता के कौसिल मे एक शब्द कहे-सुने बिना ही शक्ति पर अधिकार जमाया गया। इसी का परिणाम था कि कौसिल उस स्थिति मे रख दी गई जिसका हमने पहले वर्णन किया है। वह जानता था कि कौसिल उसके कार्यो मे निश्चय ही हेर-फेर करेगी जब भी वह अपनी योजनाएँ कौसिल के सामने रखेगा।

मै आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैने मिस्टर मरखम से पाँच प्रतिशत कर लगाने वाली बात पर प्रश्न किया, जब कि पहले कर की दर दो प्रतिशत थी, तो मैंने पूछा कि क्या कर की यह दर बहुत बढी-चढी नही है ? तो उसका क्या उत्तर था ? सरकार की योजनाओ की चतुर्दिक उन्नति के लिए यह कर आवश्यक था। क्या कौसिल की राय जाने बिना कर सम्बन्धी निर्णय ले लेना मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए उचित था ? उसे स्वयं व्यापार सम्बन्धी कोई अनुभव न थे, वह हिसाब रखने मे असमर्थ था, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर थी अर्थात वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम किसी प्रकार भी व्यापार के योग्य नही समझते। अतः उसके ये निर्णय चाहे बहुत लुभावने लगे पर जब आप उसके तह मे जा कर देखे तो पता लगेगा कि यह मामला केवल दो प्रतिशत और पाँच प्रतिशत का ही नही है—पर यह वस्तु के मूल्य निर्धारण का एक अनोखा ढंग है और इसका परिणाम पहले से पाँच गुना कर बढ़ने जैसा होता है। हम इस विषय मे इन अधिकारियों की पूर्ण अनभिज्ञता अभी सिद्ध कर देगे।

मै श्रीमान को दिखा चुका हूँ कि उसने किस प्रकार उस देश मे निजी

सम्पत्ति का प्रबन्ध किया, उसने किस प्रकार सरकार चलाई, और किस प्रकार व्यापार का प्रबन्ध किया। अब मैं श्रीमान का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूँगा कि इस व्यवस्था का परिणाम क्या निकला या उसके कार्य अव्यवस्थित ही थे? आपको श्रीमान याद होगा कि यह सब निर्णय व कार्यक्रम कभी भी कौंसिल के सामने नहीं लाए गए। और जैसा हम सिद्ध कर चुके है, आप देखेंगे कि कोई बहुत हिंसक व अपराधजन्य छिपाव चल रहा था, इन सभी मामलों में।

चेतसिंह के बाद नायब दुर्विजय सिंह द्वारा नियमपूर्वक प्रतिमाह, प्रति किस्त जुलाई तक ठीक समय से लगान दिया जाता रहा। फिर इस क्षेत्र के अकालग्रस्त होने के कारण नायब ने चाहा कि किस्त को वह अगले महीने के लिए टाल दे। आप पूछेंगे, कि क्यों उसने इस माह का बोझ अगले माह पर लादना चाहा? मैं कहूँगा कि यह नितांत आवश्यक था, अगस्त का महीना वर्ष का अंतिम महीना है। और इस महीने में उसे पूरे वर्ष का कागज-पत्र व रसीद-पुरजा देख कर हिसाब-किताब का अन्दाज होता है। यह सभी जानते थे कि विद्रोह के कारण देश को बड़ी क्षति पहुँची थी, फिर उसी वर्ष सूखा भी पड़ा था। अतः राजा ने मिस्टर हेस्टिंग्स की खुशामद कर के एक या दो किस्त की रकम को देरी से देने की योजना बनाई। लेकिन देखिए न, कौन सा रास्ता अपनाया गया, वर्ष के अन्त में ही दो किस्तों की माँग हुई। फिर उसमें से कुछ कटौती की जो स्वीकृति दी गई उससे स्पष्ट है कि मिस्टर हेस्टिंग्स जानता था कि राजा पर उसकी शक्ति से बहुत अधिक बोझ है। और जुलाई की किस्त का भुगतान राजा की इच्छानुसार आगे के लिए टाल दिया गया। उसे राजा की इच्छा का अवश्य ही पता लगा होगा और उसने सोचा होगा कि ऐसी परिस्थिति में उसे बहुत दबाने से व तंग करने से सब मामला नष्ट ही होगा।

इस प्रकार १७८१ का वर्ष बीता। अप्रैल १७८२ तक दुर्विजय सिंह द्वारा भुगतान में कही कोई कमी नही है। कम्पनी के कागज-पत्रों में किसी प्रकार के भुगतान के न होने की बात नहीं है। और जो बकाया रकम की चर्चा है वह इस अभियोगी के दिमाग की उपज मात्र ही है। ऐसी कोई बात तो बनारस के कागज-पत्रो में भी नही मिलती। यह बात अभी तक डायरेक्टरों को न मालूम थी, कौंसिल को न मालूम थी, रेजीडेन्ट को न मालूम थी, जो बनारस में मिस्टर मरखम का उत्तराधिकारी था, ग्रेट ब्रिटेन के संसद-सदस्यों को नहीं मालूम। यह महानतम प्रमाण मिस्टर मरखम की जेब से ही निकला और सो भी आप श्रीमान के सम्मुख ही। इसमें उसके व मिस्टर हेस्टिंग्स के बीच हुए गुप्त व व्यक्तिगत पत्र भी हैं, जिनके सम्बन्ध में कमेटी को भी ज्ञात न था, फिर जब दुर्विजय सिंह नायब नियुक्त हुआ, जब नई सरकार स्थापित हो गई, मिस्टर हेस्टिंग्स वह क्षेत्र छोड़ कर जा चुका था, अतः कोई कारण नहीं दिखता कि पत्र व्यवहार निजी व व्यक्तिगत रखा

जाये। मिस्टर मरखम के निजी व व्यक्तिगत पत्र जो सर्वप्रथम बार अब प्रदर्शित हो रहे है, उनमे दुर्विजय सिंह के विरुद्ध बहुत बडे-बडे दोषारोपण किए गए हैं। इस व्यक्ति के विरुद्ध अपनी मनमानी कार्यवाही करने का दूसरा उदाहरण नही है। क्योकि अगर इस प्रकार की कोई भी आशका थी कि भुगतान पिछडेगा जब कि बहुत दिनो की इकट्ठी किस्ते उसके सामने ला कर रखी गईं तो उन्हे सब जानकारी तो प्राप्त करनी ही चाहिए थी। लेकिन तब मिस्टर हेस्टिंग्स अपनी ही योजनाएँ चलाने मे व्यस्त था।

मै श्रीमान का ध्यान इन पत्र-व्यवहार की ओर अवश्य दिलाऊँगा। यह पत्र-व्यवहार मिस्टर हेस्टिंग्स के बनारस छोडने के बाद का है, और एक गवर्नर जनरल की स्थिति मे उससे उसे कोई मतलब न था। लेकिन फिर भी ये पत्र-व्यवहार चले, क्योकि वह तो बनारस को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझता था और अपनी व्यक्तिगत जायदाद के साथ किसी का जा सम्बन्ध होता है उसी तरह बनारस के प्रति उसका व्यवहार था। उसे मिस्टर मरखम दुर्विजय सिह के विरुद्ध खूब शिकायते लिखता रहा। यह काम अप्रैल से नवम्बर के बीच का है क्योकि इस बीच कोई सार्वजनिक व सरकारी पत्र-व्यवहार नही हुआ। और इस पत्र-व्यवहार के सबध मे उसने एक भी शब्द २९ नवम्बर तक कौसिल के सम्मुख नही रखा। फिर इस दुर्विजय सिह की किस्मत का उसने सदा के लिए निर्णय कर दिया।

यह गुप्त पत्र-व्यवहार हम एक विद्रोहात्मक कार्य मानते है क्योकि कौसिल के सामने हर कागज पत्र का जाना हम आवश्यक समझते ह। इसे हम कम्पनी की आज्ञा के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्य ही नही मानते, बल्कि इस व्यक्ति को नष्ट करने का बहुत निम्नकोटि का षड्यन्त्र मानते ह, क्योकि इस व्यक्ति को अपने कानूनी न्यायाधिकारी, कौसिल के सदस्यो के सम्मुख अपने पक्ष मे व बचाव के लिए कहने का कोई अवसर नही दिया गया। मै इस बात को बहुत जोर देकर कहता हूँ कि न तो मिस्टर मरखम द्वारा की गई शिकायते, न तो दुर्विजय सिह का पदच्युत किया जाना—यह दोनो महत्वपूर्ण घटनाएँ ह पर इनके विषय मे किसी को कुछ भी उस क्षण तक मालूम न था जब तक इस उच्च अदालत के सम्मुख मिस्टर मरखम ने इस सम्बन्ध मे बयान नही दिया था।

बनारस मे क्या हो रहा है इसकी सर्वप्रथम सूचना अप्रैल १७८२ मे कौसिल को मिली, जब मिस्टर मरखम ने बताया कि दुर्विजय सिंह के विरुद्ध शिकायते बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, जिसकी चर्चा बाद मे २७ नवम्बर के पत्र मे की गई। यह पत्र कौसिल के पास नई सराय (गगा के किनारे) से भेजा गया जहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स जलवायु-परिवर्तन के लिए गया हुआ था। पूरे समय तक जब तक वह कलकत्ते मे रहा, किसी भी कागज-पत्र से यह ज्ञात नही होता कि उसने कौसिल से इस सम्बन्ध मे कोई भी पत्र-व्यवहार किया हो। यह पत्र भी छपी कार्यवाही के पृष्ठ

२६८ पर है जो इस प्रकार है, "गवर्नर जनरल—मै चाहता हूँ कि सचिव मिस्टर मरखम के सबंधित व संलग्न पत्र परिषद के सामने रखे और निवेदन करे कि उसे तत्काल ही इस सम्बन्ध मे आदेश भेजे जायें और परिषद को यह बताना भी आवश्यक है कि मिस्टर मरखम द्वारा बार-बार भेजी गई सूचनाओ के संबंध में पूरी जाँच-पडताल करके उन्हे उचित पाया जाने के बाद अब शंका की कोई संभावना नही रह जाती, क्योंकि अन्य गुप्त रीतियों से भी उनकी सचाई जाँच ली गई है और यह मेरा विश्वास हो गया है कि उस क्षेत्र के मामले आगे चल कर बुरी तरह उलझ जायेंगे और बाबू दुर्विजयसिंह जिसे हमने नायब नियुक्त किया है के अनुचित आचरणो के कारण विलम्ब करने से कठिन परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और इतनी दूर होने के कारण परिषद के सदस्यो से राय नहीं प्राप्त की जा सकती, अत मेरी धारणाओ पर विश्वास करके उन्हें मुझे विशेषाधिकार दे कर मुझे व्यवस्था करने का आदेश देना चाहिये। मैने गत २६ सितम्बर को मिस्टर मरखम को पत्र लिखा जिसकी उसने अवेहलना की, उसकी प्रतिलिपि भी मै परिषद को जानकारी के लिए भेज रहा हूँ। सलग्न पत्रो मे मिस्टर मरखम का प्रथम पत्र उस समय मुझे प्राप्त हुआ जब मै अपनी गत बिमारी से बुरी तरह पीडित था और डाक्टरो के आदेश से जलवायु-परिवर्तन के लिए कलकत्ता छोड रहा था, अत मै यह पत्र तब परिषद के सम्मुख उपस्थित न कर सका।"

मुझे पत्र के इस भाग के संबंध मे कहना है कि उसने व्यवस्था करने के लिए विशेषाधिकार की माँग की। उसे विशेषाधिकार माँगने की कोई आवश्यकता न थी। वह परिषद का केवल सदस्य था, और उसका कर्त्तव्य था कि परिषद के बहुमत के अनुसार कार्य करे फिर भी वह विशेषाधिकार की माँग करता है। मिस्टर मरखम की शिकायतें बढती जा रही है, अप्रैल से अब तक कई गुना बढ गई है, और इस पत्र को लिखने के पूर्व उसने उसकी तनिक भी सूचना परिषद को नही दी। यह भी इतनी देर बाद ऐसी स्थिति के समय जब कि उसी के कहे अनुसार विलम्ब करने से सुधार का अवसर न रह जायेगा। वह अब केवल विशेषाधिकार के द्वारा ही व्यवस्था कर सकता है जब कि उसके पास इसके पूर्व कौंसिल के सम्मुख समस्त बातें रखने का पूरा अवसर था।

वह आगे कहता है, "यह मेरे मस्तिष्क मे अवश्य था पर उसी कारणवश, मिस्टर मरखम के आचरण के लिए परिषद से आदेश चाहा है।" ऐसा ज्ञात होता है कि उसने मिस्टर मरखम को बचन दे रखा है कि जो हिंसक कदम मिस्टर मरखम उठाए जिसके लिए मिस्टर हेस्टिंग्स का भी आदेश था उसके लिए भी परिषद से वह आदेश प्राप्त कर लेगा। पर वह ऐसा आदेश प्राप्त करके मिस्टर मरखम को न दे सका। पर क्यो? क्योंकि अपने पूर्व निश्चय के अनुसार, जैसा कि उसका ही वक्तव्य है, वह विशेषाधिकार द्वारा ही कार्य करना चाहता था और क्योकि वह

परिषद के आदेशो का पहले ही उल्लघंन कर चुका था।

अब देखें कि वह परिषद के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखता है ? वह चाहता है कि परिषद उसकी उस व्यक्तिगत रूप से दी गई आज्ञा को भी स्वीकृति दे जो उसने मिस्टर मरखम को दे रखी थी कि बाबू दुर्विजयसिंह से बल-प्रयोग द्वारा वसूल की गई रकम की एक-एक पाई छीन ली जाय और उसे या तो बनारस मे बन्दी बना कर रखा जाय या चुनार भेज दिया जाय और जब तक सभी रकम भुगतान न हो जाय उसे बन्दी रखा जाय। अब श्रीमान, आप अच्छी तरह देख सकते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स के हर काम मे किसी न किसी के प्रति विद्वेष की भावना ही प्रधान थी। वह कहता है, "मै अनुभव करता हू कि उसने मेरी की हुई नियुक्ति से अनुचित रूप मे लाभ उठाया।' यह मिस्टर हेस्टिंग्स की उस व्यक्ति के बारे मे राय है जिसे उसने स्वय वहाँ की राज-व्यवस्था के लिए नियुक्त किया था। वह दुर्विजयसिह के बारे मे कहता है—"उसे आमदनी वाली जागीर दी जा चुकी थी ताकि वह अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बनाए रख सके और जो उच्च पद उसे दिया गया है उसकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे और जिससे वह छोटे-मोटे व्यभिचार व घूमखोरी के प्रति आकर्षित न हो सके, अत मेरी यह राय है कि मिस्टर मरखम को आदेश दिया जाय कि वह उसे जागीर से च्युत करके पुन मालगुजारी की व्यवस्था करे।

'राजा और वृद्धा रानी द्वारा उठाई गई आपत्तियो व विरोधो पर अवश्य ही किसी गुप्त दबाव का ही यह प्रभाव है जिसे परिषद की आज्ञानुसार ही रोका जा सकता है। यदि इस नई व्यवस्था को वे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ले तो अच्छा हो है अन्यथा बल-प्रयोग द्वारा अपना निर्णय उन्हे मनवाया जाय, यानी हर प्रकार मे यही किया जाय।'

श्रीमान, मनमानी की गई, पूरी तरह की गई। नायब को पदच्युत किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, बदी बनाया गया, उसकी जागीर हडप ली गई और यह सब मिस्टर हेस्टिंग्स के आदेशो से ही हुआ। उसने उससे सब कुछ छीन लेने का निश्चय किया था और उसने परिषद को यह पत्र लिखने के पहले ही अपनी मनमानी की।

इस प्रकार, श्रीमान यह दुखी व्यक्ति सताया गया, उसे बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए सजा दे दी गई। उस पर कोई अपराध सिद्ध नही हुआ, केवल मिस्टर मरखम द्वारा की गई शिकायतो के ही आधार पर और जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि अपनी गुप्त सूचनाओ के आधार पर ही उसे सजा दी गई। इन शिकायतो की न्यायपूर्वक जाँच-पडताल के पूर्व तथा कोई भी कानूनी कदम उठाने के पूर्व, उस पर मुकदमा चलाने के पूर्व ही उसे जेल मे बंद कर दिया गया

और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी छीन ली गई ।

श्रीमान, ग्रेट ब्रिटेन की जनता के प्रतिनिधि आप से माँग करते है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए अभियोगो को प्रमाणित होने के पूर्व सजा या कैद नही दी जा सकती । और अभियोगी को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए । उनकी माँग है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक हिसाब-किताब साफ न हो जाय, हिसाब के नाम पर सजा न मिलेगी । और इसी सिद्धान्त के आधार पर हम कहते है कि अभियोगी का दुर्विजय सिंह के प्रति व्यवहार बहुत अनुचित, गैरकानूनी, हिंसक और बलप्रयोग का था । मिस्टर हेरिंटग्स द्वारा इस व्यक्ति को बंदी बनाया जाना स्पष्टत. गैरकानूनी कार्य था क्योकि ऐसा करने को मिस्टर हेस्टिंग्स के पास कौंसिल से प्राप्त अधिकार न थे और इससे भी अधिक यह कि बंदी बनाया गया व्यक्ति अपने हिसाब-किताब व राजस्व संबंधी हिसाबो, जिनका वह जिम्मेदार था, से जबरदस्ती दूर कर दिया गया ।

इस प्रकार के तमाम लज्जाजनक व अनैतिक तथा अन्याय्यपूर्ण कार्यो को प्रमाणित करने के बाद अब हम मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा अपने एजेण्ट मिस्टर मरखम को दिए गए विशेषाधिकार, जिसके माध्यम से यह सब होता रहा, के बारे मे चर्चा करेगे । मिस्टर मरखम को लिखे गए पत्र में वह कहता है, "महाशय, मै यह बताने की आवश्यकता का अनुभव नही करता कि मैं आप की योग्यता के संबंध में बडे ऊँचे विचार रखता हूँ और आपके कार्यो के प्रति बडा विश्वास मेरे मन मे है ।" मिस्टर हेस्टिंग्स जो भी कराना चाहता था उसे मिस्टर मरखम पर लाद देता था और अपनी शक्ति के बूते वही वह करा भी लेता था । वह कहता है, "आप के लम्बी अवधि तक बनारस में रहने के कारण और वहाँ की जमीदारी के कार्य व्यापार मे आपका जो हाथ रहा है, उससे आप तो निश्चय ही अधिकारपूर्वक उन योग्य व्यक्तियों के बारे में अवश्य ही जानते होगे जो जन-साधारण में व सार्वजनिक पदों पर कार्य कर सकें । इन्ही अच्छे व योग्य कार्यकर्ताओं के बीच मे मैं आप को राजा का एक नायब नियुक्त करने का अधिकार देता हूँ । यह दुर्विजय सिंह के रिक्त पद के लिए नियुक्ति होगी जिसे उसके दुर्व्यवहारों के कारण उसके पद से निकालना आवश्यक हो गया है । जिन लोगों के बीच से यह चुनाव करने को मैंने आपको सुझाव दिया है, मैं यह भी बता देना अनुचित नही समझता कि मैं किसी भी कीमत पर व किसी भी शर्त पर नहीं चाहूँगा कि असवान सिंह को नायब के लिए आप चुनें । नए चुनाव व नए प्रबंध के संबंध में मैं यही सुझाव दूंगा कि उन्हीं व्यक्तियों में से चुनाव करें, जो बलवंत सिंह के समय में कार्यभार सम्हाले हुए थे । वे हर पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति है और कम से कम एक दूसरे के कार्यों से स्वतंत्र तो हैं, और हर कार्यालय के उच्च पद पर उचित व्यक्ति के बैठे रहने से कम से कम इतना तो होगा कि एक कार्यालय की भूल व गलतियों व बुराइयों को दूसरा

कार्यालय-अधिकारी पकड़ तो सकेगा। इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत मैं चाहता हूँ कि चाहे नाम जो भी हो, पर दो अलग-अलग पदों की आप नियुक्ति करें। एक, राजस्व प्राप्त करने व जमा करने का कार्यालय और दूसरा खजाना। दोनों ही कार्यालयों के अधिकारीगण अपने-अपने कार्यालय के हिसाब-किताब की नियमितता और सचाई के जिम्मेदार होंगे। पर वे राजा या नायब के अधिकार व प्रभाव में न हों। और वे जब चाहें निकाले भी न जाएँ बल्कि केवल दूषित आचरण पर ही निकाले जाएं। इन दोनों पदों में से किसी एक पर बख्शी रघुवर दयाल को देखने की मेरी बडी इच्छा थी। अपने पद पर रह कर उनका जो व्यवहार था, चेतसिंह के विद्रोह के समय उनका जो व्यवहार था, विशेषकर विजयगढ के पतन के समय उन्होंने जो योग्यता दिखाई थी वह आदर्श थी। यह भी संभव है कि वर्तमान राजा के मातहत वे कोई पद न स्वीकार करना चाहें, फिर भी उनके सम्मुख प्रस्ताव तो रखा ही जाय और यह भी बता दिया जाय कि यह सब तुम मेरे आदेशानुसार कर रहे हो।" वह फिर आगे कहता है, "पूरी तरह राजा की भी अवहेलना मत करना। दिखावे के लिए उससे भी राय-सलाह लेते रहना, पर केवल दिखावे भर को। उसकी परिस्थिति यही है कि इतना उससे संबंध रखा ही जाये, पर उसकी कम अवस्था और अनुभवहीनता के कारण आवश्यक है कि तुम सब अपने मन से करो।"

अब आप देखें श्रीमान, उसने एक प्रकार से सरकार की पूरी जिम्मेदारी व व्यवस्था का भार एक ही व्यक्ति के ऊपर छोड रखा जिसका कोई नाम नहीं, कोई विशेष चरित्र व सरकारी उच्च स्थिति भी नहीं। फिर भी वह वहाँ कम्पनी रेजीडेण्ट के स्थान पर रहा। अब हमें यह भी देखना चाहिए कि रेजीडेण्ट का क्या पद है? यह पद है, किसी भी देशी राजा के दरबार में रहना, वहाँ हो रहे समस्त कार्य-व्यापारों की सूचना कौंसिल को देना, और यह देखना कि किस्त दर किस्त मालगुजारी मिलती जाती है, लेकिन हमने देखा कि मिस्टर मरखम जो बनारस में रेजीडेंट है, उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस अभागे देश का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया। उसे सरकार के कार्य के लिए किसी को भी नियुक्ति करने का अधिकार था—असवान सिंह को छोड़ कर और जो व्यक्ति अधिकारपूर्वक पद पर हो उसे वहाँ से भगा देना जिसे भगाने का अधिकार केवल कौंसिल को ही है। इस प्रकार, मिस्टर हेस्टिंग्स ने मिस्टर मरखम को ऐसा अधिकार सौंप दिया जिसका वास्तविक अधिकारी वह स्वयं न था और जिसका कानूनी अधिकार केवल कौंसिल के हाथों था।

दुर्विजय सिंह के संबंध में वह आगे लिखता है, "मेरे चुनाव को उसने अपमानित किया। मैंने उसे जिस आशा से यह पद दिया था, उसे उसने दूषित किया।

अत मै चाहता हूँ कि अब इन पदो पर जो भी नियुक्तियाँ हो वे नियम के अनुसार हो और वह दुर्विजय सिह द्वारा जब वह बनारस राज्य का नायब था, जो भी लेन-देन किए है जो आमदनी की या खर्च किया, उसकी जाँच-पडताल भी करे और मै चाहता हूँ कि मेरे नाम पर तुम उसे समझा दो कि कम्पनी के निकलते रुपयो की एक-एक पाई जब तक एक निर्धारित समय के भीतर वह दे नही देता तो उसे इसके बदले मे अपना जीवन देना पडेगा। मै इसकी तो आवश्यकता ही नही समझता कि उसके द्वारा प्रस्तुत होने वाली अडचनो व विरोधो से तुम्हे आगाह करूँ।" श्रीमान, वह यहाँ कहता है कि वह उसकी भूलो को पता लगवा कर उसे सजा देगा, लेकिन कुछ भी पता लगने के पूर्व ही वह पहला कार्य करता है यहाँ तक कि हिसाब बनवाने के पहले भी जबकि उसे यही पता नही कि उसने हिसाब के रुपये लिए है या नही, वह घोषित करता है कि निर्धारित काल मे ही समस्त रुपय चुका दिए जाएँ अन्यथा इसका बदला नायब के जीवन से लिया जायगा।

क्या यही एक ब्रिटिश गर्वनर की भाषा है, या ऐसे व्यक्ति की जिसे राज्य-व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया हो? क्या पहले किसी व्यक्ति को बदी बना कर, उससे उसकी संपत्ति छीन कर तब जाँच की कार्यवाही का प्रयत्न करना उचित है, और फिर जाँच की अवधि के बीच मे ही यह घोषित करना कि काल्पनिक अपहरण के एक-एक रुपये वापस नही होते तो अभियोगी का जीवन समाप्त हो जायगा, उचित काय था? और बाद मे इस व्यक्ति का जीवन समाप्त करा दिया गया, जैसा कि मै श्रीमान को पहले बता चुका हूँ।

अब मै वह पत्र पढूँगा जो मिस्टर मरखम ने कौंसिल को लिखा था जिसमे उसने दुर्विजय सिह के विरुद्ध अभियोग लगाए थे, जब कि यह अभागा व्यक्ति जेल मे सड रहा था—

बनारस २४ अक्टूबर १७८२-- मुझे खेद है कि कर्तव्य के कारण मै माननीय परिषद को लिख रहा हूँ कि कम्पनी को एक बडा घाटा उठाना पडेगा, ऐसा मेरा दृढ अनुमान है, यदि बाबू दुर्विजय सिह को इस वर्ष भी नायब के पद पर बना रहने दिया गया। मरे इस प्रकार के भय की नीव, उसकी अव्यवस्था के प्रति मेरी जानकारी है। उसकी अव्यवस्था, अमीनो की नियुक्ति मे गलत व्यक्तियो का चुनाव, उनका उसके प्रति अविश्वास, और मेरे पास आये अनेक शिकायत-पत्र जिन्हे परगना व जमीदारी की अनेक रैयतो ने लिखा है। मैने उचित नही समझा कि माननीय परिषद का समय नष्ट किया जाय, रैयतो के पत्रो को पढने और जाच करने मे समय नष्ट किया जाय। मैने उचित यही समझा कि गवर्नर जनरल से प्राप्त एक पत्र ही उस पर काफी असर डालेगा और उसका सारा कार्य व्यवस्थित होगा और अपने पुत्र के प्रति वह अधिक सतर्क होगा।"

श्रीमान, भारत मे अपनी सरकार की परिस्थिति पर ध्यान दे। यहाँ बना-

रस में एक रेजीडेंट है जो ऐमी शक्ति का उपयोग करता है जो उमे प्राप्त नहीं, बल्कि वह शक्ति आपके सम्मुख खड़े अपराधी ने व्यक्तिगत आदेश से उमे दी थी। और वह उस शक्ति का क्या उपयोग करता है ? वह कहता है कि वह इम बात के लिए कौमिल को कष्ट नही देना चाहता कि एक उच्च पदाधिकारी को क्यों उसके पद मे हटाया गया। कौसिल को कुछ पता न था। न वह अपने परिषद का उस व्यक्ति की शिकायत करके समय नष्ट करना चाहता था। न तो परिषद ही ऐमे मामलों में अपना समय नष्ट करना चाहती थी, अत बिना किमी जाँच-पडताल के ही उम व्यक्ति को कैद दे दी गई, उमका पद छीन लिया गया, उसकी ममस्त सम्पत्ति जब्त कर ली गई और उसे हर प्रकार मे धमकाया गया।

श्रीमान, यह सब महान अपराध है, जिसके लिए आज ग्रेट ब्रिटेन के संसद-सदस्य आपके न्यायालय का न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहे है। अगर वे ये अपराध आपके सम्मुख प्रस्तुत न करते तो वे सदा के लिए अपने को असम्मानित अनुभव करते।

लेकिन इन अपराधों की उल्लेखनीय परिस्थितियाँ भी है जिनका मैने अभी वर्णन नही किया है। ऐमा लगता है कि पीडित और घायल व्यक्ति ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था कि कोई उसका वकील न था। उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सुविधा न थी और उसे किसी प्रकार की सुविधा देने के स्थान पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने हर प्रकार से उसका महत्व कम किया और उसका प्रभुत्व घटाया। और जब वसूली का कार्य भी कठिन पडने लगा, और इस कठिनाई मे उसका कोई हाथ न होने पर भी मिस्टर मरखम ने जाँच प्रारंभ की। यह किस प्रकार की जाँच थी जो सभव थी, इसे आप श्रीमन देखेगे। मिस्टर मरखम आपको बताता है कि जब यह सब हो रहा था, तभी जो आदेश उसने प्राप्त किए, उन्ही के फलस्वरूप उसने उसे सम्मानपूर्वक जेल मे बन्द कर दिया। आप श्रीमान जानते है कि वह जेल कितनी सम्मानपूर्ण थी। यह हम सिद्ध कर चुके है कि वह वहाँ कोई भी कार्य करने मे असमर्थ था। उसे मृत्यु की धमकी दी गई थी, यदि वह बहुत ही कम व सीमित समय के भीतर माँग के बाकी रुपये जमा न कर दे। जब उसे सारे प्रांत के राजस्व का हिसाब करना था तभी उसे जेल मे बन्द कर दिया गया। क्या जेल मे बन्द कोई व्यक्ति, जो अपमानित और पदच्युत किया जा चुका हो, वह बाकी राजस्व की वसूली के लिए कुछ कर सकता है जिसे देने का उसे आदेश दिया गया हो ? ऐसी स्थिति में क्या वह वसूली से बचे रुपयों को वसूल कर सकता है, सो भी ऐसे विस्तृत जिले में जैसा बनारस ? फिर भी मिस्टर मरखम कौंसिल से कहता है, जो उसने उचित समझा, कि दुर्विजय सिंह को सम्मानपूर्वक नजर-बन्द रखा जाय जब तक मुझे आगे के लिए माननीय परिषद से आदेश न मिल जाय। इस प्रकार कौसिल के आदेश के बिना ही यह सब करने की मिस्टर

मरखम ने शक्ति संचित कर ली जिसे हमलोग समझते हैं कि बनारस के रेजीडेन्ट को यह सब करने का अधिकार न था लेकिन ऐसा करने की सलाह उसे मिस्टर हेस्टिंग्स से मिली कि दुर्विजयसिंह को नजरबंद किया जाय।

अब श्रीमान, क्या यह सब स्वीकार्य है, क्या दुर्विजयसिंह की स्थिति के व्यक्ति को इतना कठोर व्यवहार मिले, और ऊपर से वह कहे कि उसे ऐसा करने का अधिकार था ? हम जानते हैं कि सदा ही दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप मानवता विद्रोह करती है, यदि यह वास्तविक हो। हम जानते है, कि कोई भी व्यक्ति उचित या अनुचित सजा के सम्मुख कभी अपनी खुशी से समर्पण नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि दुर्विजय सिंह के निकटतम संबन्धी थे, जिन्होने उसके बचाव के लिये समस्त बची-खुची शक्ति का भी उपयोग किया। कौंसिल के सामने दो अर्जियाँ या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गये जिनमें से एक की ओर हम श्रीमान का ध्यान आकृष्ट कराएँगे जो अपने बेटे व परिवार के पक्ष में बनारस की रानी की ओर से थी।

बलवंत सिंह की विधवा रानी की ओर से १५ दिसम्बर १७८२ को प्राप्त अर्जी—"मुझे और बच्चों को आपके सिवा कोई आसरा नहीं है और हमारी प्रतिष्ठा व सम्मान आपके हाथों में है। मेरे शत्रुओं की राय से मिस्टर मरखम ने किसानों को सहारा दिया है और बाकी लगान वसूल नहीं हो पा रहा है। बाबू दुर्विजय सिंह ने कई बार लगान वसूल करने का प्रयत्न किया ताकि बन्दोबस्त के अनुसार रुपये सरकारी खजाने में पहुँचाए जा सकें। लेकिन उनकी किसी ने भी न सुनी और मुसद्दी और खजांची बहाल किए गए कि वे वसूली करें। दो कम्पनी के सिपाही भेज कर बाबू दुर्विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने अपने घर में वसूली के कई लाख रुपये चुरा कर रख छोड़े है। इस बात का न तो कोई प्रमाण मिला न तो यह सरकारी कागज पत्रों से ही सिद्ध हुआ और हर प्रकार से हमारा जीवन नष्ट कर दिया गया। अब हमारे लिए आपके सिवा न कोई सहारा है, न आश्रय, और ईश्वर की कृपा से आज न्याय आपके ही हाथ में है। अतः मै आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी मामलों की उचित जाँच-पड़ताल करेंगे और हमें न्याय देगे। विश्वास है कि आप कोई अमीन नियुक्त करेंगे जो बाबू दुर्विजय सिंह के अपराध व निर्दोषिता का पता लगायेगा। अधिक विस्तार से आपको मेरे पुत्र राजा महीपनारायण बहादुर की अर्जी से पता लगेगा।"

राजा महीपनारायण बहादुर की अरजी जो १५ दिसम्बर १७८२ को प्राप्त हुई—"इसके पूर्व भी मैं कई अर्जियाँ श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि एक पर भी श्रीमान ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी स्थिति की सही जानकारी आपको हो पाती। मामला यह है कि मेरे शत्रुओं के परामर्श से मिस्टर मरखम ने आज उन्हीं लोगों को आश्रय दिया है जो कि लगान के देनदार

है और उन्होंने ही लगान की वसूली में अडचनें डालीं और इसी कारणवश रुपया ठीक समय पर सेवा में न पहुँच सका और शायद बाबू को इसी अयोग्यता के लिए दण्ड भी मिले। इसी कारण से जिनके ऊपर लगान बाकी है, सरकारी माल वाजिब देने से इन्कार करते है। इसके भी पहले बाबू ने बड़ी कोशिश की थी कि लोग लगान दे दें और रुपया भी जमा किया जा सके और यह वर्ष शांति से बीते और इस वर्ष का बन्दोबस्त भी पूरा हो जाए।"

मैं श्रीमान को दिखाऊँगा कि इस अर्जी मे लिखा गया, "इसके पूर्व भी मै कई अर्जियाँ श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि एक पर भी श्रीमान ने ध्यान नही दिया।" श्रीमान, प्रजा को यह जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह अर्जी पेश करे और उस पर ध्यान दिया जाय। जिस साम्राज्य के अन्तर्गत मैं प्रजा हूँ, उस राज्य में इस अधिकार का बडा महत्व है। जहाँ निश्चित कानूनों व नियमों से भी बचाव का मार्ग सुरक्षित न हो वहाँ शिकायत, प्रार्थना और फिर अर्जी का ही सिलसिला होता है। बनारस का ऐसा ही मामला था, क्योंकि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कानून का हर द्वार बंद कर रखा था, केवल बनारस की पुलिस के हाथों सारे कानून थे। फिर भी हम देखते है कि शिकायत, प्रार्थना और अर्जी का यह मामला पहला नही, अनेक मे एक है, जिसको मिस्टर हेस्टिंग्स ने कोई महत्व नही दिया न कभी कौसिल के सम्मुख प्रस्तुत करने का ही कष्ट उठाया और जो इसके सम्बन्ध मे कुछ नही जानते, जब तक कागज-पत्रों का यह पुलिन्दा उनके सामने न आया, जब तक दुर्विजय सिंह के विरुद्ध मिस्टर मरखम की शिकायत न आई या मिस्टर मरखम के विरुद्ध दुर्विजय सिंह की शिकायत न आई।

देखिए श्रीमान, जिस व्यक्ति ने दुर्विजय सिंह को कैदखाने मे रखा, वह था मिस्टर मरखम। जब कि अर्जी में शिकायत की गई है कि मिस्टर मरखम ही समस्त असफलताओं का कारण था जिसके लिए उसने सजा दी। अब देखना है कि एक न्यायाधीश व जज के रूप मे मिस्टर हेस्टिंग्स का क्या कर्तव्य था? उसके सामने दो व्यक्ति थे। एक जिस पर राज्य के राजस्व का भार था और दूसरा उसका अपना एजेन्ट जो उसी की आज्ञा से कार्य कर रहा था। दूसरे ने पहले पर अभियोग लगाया कि राजस्व के भुगतान मे देरी की गई। फिर पहले ने दूसरे की भी शिकायत की है कि समस्त गड़बड़ियों की जड़ दूसरा ही व्यक्ति है। और जज जाँच-पड़ताल करके सत्यता जानने के बदले में मिस्टर मरखम के विरुद्ध की गई शिकायत को रद्द कर देता है और शिकायत करने वाले को जेल में सड़ने को बन्द कर देता है, और न तो कोई जाँच करता है, न मिस्टर मरखम से ही उसके विरुद्ध की गई शिकायत की सफाई माँगता है कि वह शिकायतों का उत्तर देता। श्रीमान, इस प्रकार के अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्यों के लिए आप ही निर्णय करें।

इन बातो के सबंध मे मिस्टर हेस्टिंग्स लिखता है—"मिस्टर मरखम के नाम—बाबू दुर्विजय सिंह के साथ तुमने जो व्यवहार किए वह बिल्कुल उचित और न्यायसंगत है। अब तुम्हे हम यह आदेश देते है कि तुम पूरी शक्ति लगा कर उससे एक-एक रुपये लगान के रूप मे वसूल करो और बताओ कि यह उसने हडप रखे थे और हिसाब मे नही लिखा था और उसे या तो बनारस मे नजरबन्द रखो या उसे चुनार की जेल मे भेज दो, और तब तक उसे कैदखाने मे रखो जब तक उस पर बाकी समस्त राजस्व की एक-एक पाई वसूल न हो जाय।" यहाँ भी वह उसी व्यक्ति को यह कर्मचारी सौपता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। वह आँख मूंद कर सचाई जानने का प्रयत्न किए बिना ही अपने एजेण्ट पर विश्वास करता है, न्याय भी उसी के हाथो मे सौपता है कि वह एक बेबस को या तो बनारस मे नजरबन्द रखे या चुनार मे कैद रखे।

श्रीमान यह जानने को उत्सुक होगे कि जेल मे बन्द रहते हुए भी दुर्विजय सिंह पर यह कर्ज कैसे लदा रहा। मै श्रीमान के सम्मुख यह मामला प्रस्तुत करूँगा, संक्षेप मे, सीधी भाषा मे और जो कागज-पत्र आप के सम्मुख है उन्ही के आधार पर। उनसे यही ज्ञात होता है कि १७८२ के हिसाब-किताब के समय आठ लाख रुपये (लगभग ८०,००० पौड) की एक किस्त भुगतान के लिए बची थी। उस किस्त का अंशिक भुगतान दुर्विजव सिंह ने दो लाख रु० (२० ००० पौड) का किया। बाकी बचे छ लाख (६०,००० पौड) जो पूरे राज्य मे लगान के रूप मे वसूल होने थे पर नायब ने वसूली नही की। इस सम्बध मे मिस्टर मरखम का दावा है कि वह यह सिद्ध करेगा कि बाकी दो लाख भी नायब द्वारा वसूल किए जा चुके है और सब मिला कर उस पर छ लाख की बाकी रकम लदी है। इन दो लाख की वसूली की बात मे नायब इन्कार करता है और जाँच के लिए चुनौती देता है, लेकिन कोई जाँच नही की जाती और इस सम्बन्ध मे मिस्टर मरखम कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नही करता। इस नावसूली के लिए नायब ने अपने बचाव के पक्ष मे कारण बताए कि राज्य भर मे बेहाली व तबाही थी, अधिकारो का दुरुपयोग होता था और उच्चतम सरकार से बाकी रकम की वसूली मे कोई सहायता न मिलती थी? वह आगे जोर दे कर कहता है कि यदि सरकारी शक्ति का उचित उपयोग होता और समय दिया जाता तो निश्चय ही कम्पनी की बाकी सभी राजस्व रकम वसूल हो गई होती। इसके बदले समस्त रकम के तत्काल जमा किए जाने की माँग की गई, और माँग पूरी न कर सकने के कारण दुर्विजय सिंह को जेल मे बन्द कर दिया गया। यह है समस्त व्यापार की कहानी और मिस्टर मरखम नायब को तत्काल जेल भेजने के बाद, स्वयं रेजीडेन्सी छोड देता है, और उसके स्थान पर आता है मिस्टर बेन। वह भी उसी के पदचिन्हो पर ही चलता है। वह घोषित करता है कि वह छ लाख की माँग इस सिद्धान्त पर न थी कि सचमुच छ लाख वसूल

किए गए है बल्कि इस सिद्धान्त पर कि यह पूर्व निश्चित रकम थी। यह एक यहूदी-कर्म का नमूना है। यह इतना पाना है, चाहे शरीर का गोश्त काट कर दो, इतना तो देना ही पड़ेगा। तभी रेजीडेन्ट को कुछ आभास हुआ कि शायद नायब का व्यक्तिगत प्रभाव यह बाकी राजस्व वसूलवाने में सहायक सिद्ध हो। इस आशा ने उसे उसकी नजरबन्दी से अस्थायी मुक्ति दिलाई। उसे जेल से छोड दिया गया और लगता है कि उसने पचास हजार रुपयो का भुगतान भी किया। लेकिन पूर्व निश्चय व शर्तें तो मौजूद थी ही। ऐसी परिस्थिति मे निश्चय ही साधारण मानवता, साधारण शिष्टाचार, साधारण प्रतिष्ठा मिस्टर हेस्टिग्स को उसे फिर जेल भेजने मे रोकती। पर श्रीमान उसे फिर जेल भेज दिया गया और वह तब तक जेल मे सडता रहा जब तक मिस्टर हेस्टिग्स इस देश से चला न गया। और असह्य कष्टो, असह्य कठोरता का शिकार, बेचारा जेल मे मुक्ति पाने के तत्काल बाद ही मृत्यु का शिकार हो गया।

ऐसा लगता है कि उसी काल मे रेजीडेन्ट कम्पनी के बाकी राजस्व की वसूली के लिए और भी दूसरे प्रयत्न करता रहा है। इन साठ हजार पौंड मे से एक पाई भी राजा के परिवार को खर्चे के लिए नही दी गई। अपने खर्चों के लिए उन्हे अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति को गिरवी रखने को विवश किया गया जब कि रेजीडेन्ट पहले ही दुर्विजय सिह की समस्त सम्पत्ति नष्ट कर चुका था। इस प्रकार जो सम्पत्ति व रकम इकट्ठी की गई, उसका क्या हिसाब दिया गया? श्रीमान, कोई हिसाब नही है। इसके माने है कि इस रकम व सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया जब मिस्टर हेस्टिग्स का शिकार जेल मे बन्द था।

लेकिन इसमे कोई शक नही कि उसकी मृत्यु के बाद उन्हे बहुत सहारा मिला। नही, श्रीमान, उन्हे कुछ नही मिला। उन्होने उसका घर तहस-नहस कर डाला, उसका हिसाब जांचा, एक-एक कागज की जॉच-पडताल की। हर चीज का उपयोग किया और मेरा विश्वास है, यद्यपि मैं ठीक से जानता नही कि यह व्यक्ति दिवालिया हो कर मरा था। और यह कही भी प्रमाणित नही हो सका कि उसने अपने जीवन मे कभी भी एक पैसा भी कम्पनी का अपने ऊपर खर्चा किया हो।

इस प्रकार दुर्विजय सिह तो चला गया, यह दुखान्त नाटक सामाप्त हुआ, और इस प्रकार बनारस का एक दूसरा राजा नष्ट किया गया। मैं उस अभागे, कठपुतली बनने वाले व्यक्ति की बात नही करता जिसके लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि वह तब बिल्कुल बच्चा था। और वह चला गया, उसका नाम-निशान मिट गया और उसके नाम पर, इस दुर्विजय सिंह के पवित्र नाम पर, परम्परा से प्रतिष्ठित एक परिवार के नाम पर, उस राज्य के निवासियों के नाम पर जिन पर हर जोर-जुल्म किए गए, इनके नाम पर, जिनके नाम पर न्याय का गला घोंटा गया है मैं श्रीमान के सम्मुख पुनः न्याय के लिए प्रार्थना करता हूँ।

अब हम कुछ नई बातों की ओर बढ़ेंगे। मिस्टर मरखम को अधिकार दिया गया था कि वह जिसे चाहे नायब नियुक्त करे, केवल असवान सिंह को छोड़ कर। फलस्वरूप वह अपने अधिकार का उपयोग करता है और एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम है जगदेव सिंह। दुर्विजय सिंह की नजरबन्दी काल से इस व्यक्ति के अधिकारी होने तक राज्य का राजस्व किसके हाथों था? मिस्टर मरखम ने स्वयं ही कहा है, इस कटघरे में आ कर कहा है कि उसके हाथो में था। यानी उसने न केवल अपने आदमी का चुनाव ही किया, बल्कि उसने राजस्व संबंधी सारा अधिकार भी अपने पास रखा। जमीदार की नाममात्र की पदवी अभी भी प्रचलित थी। यह श्रीमान के सम्मुख प्रमाणित है कि इस व्यक्ति का नाम इतना भी महत्वपूर्ण न था कि कही भी उसका सरकारी स्तर पर जिक्र हुआ होता और इस प्रकार यह माना जा सकता है कि वास्तविक अधिकारी जगदेव सिंह न था बल्कि स्वयं मिस्टर मरखम था। इस प्रकार सरकार का कार्यभार उस व्यक्ति के हाथ से पूरी तरह ले लिया गया था जो सरकार चलाने का पूर्ण अधिकारी था। उसके ही अधिकार से, नही उसके अभिभावको के हाथ से, उसकी माँ के हाथ से, उसके निकटतम सम्बन्धियों के हाथ से, यानी जिन्हें भी उसका भार सौपा जाना चाहिए था, उनके हाथ से अधिकार छीन लिया गया था और यह अधिकार इन लोगों से ले कर किसे दिए गए? एक ऐसे व्यक्ति के हाथ मे क्यो दिए गए जिसके सम्बन्ध में हम कुछ भी नही जानते, जिसके सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं सुना।

मिस्टर मरखम ने स्वयं ही जैसा मैने अभी कहा है कि राजस्व का अधिकार अपने हाथों रखा, जब कि यह अधिकार अपने हाथ में रखने का उसे कोई आदेश न था, न इस बात की जानकारी ही कौंसिल को थी, जब तक जगदेव सिंह की नायब के रूप में नियुक्ति नही हुई। तब भी क्या उसने अधिकार छोडा? नही, ऐसा कुछ नही। जगदेव सिंह की सरकार उसके नाम पर और मिस्टर मरखम के इशारे पर चलती थी। वही सब करता था, सभी बन्दोबस्त उसी ने किए, किसानों के संग सब प्रबन्ध उसी ने किए। मुझे यह बताने की आवश्यकता नही कि जगदेव सिंह बडी योग्यता व शक्ति वाला व्यक्ति न था। मेरा विश्वास है कि यदि मैं उसे योग्य व शक्तिशाली कहूँगा तो श्रीमान मुझ पर हँसेंगे। इस प्रकार मैं प्रमाण व दावे से कहता हूँ कि राजस्व सम्बन्धी कार्य सभी मिस्टर मरखम ही करता था, लेकिन सभी प्रबन्ध व निर्णय उचित व उपयोगी हों या न हो मिस्टर हेस्टिंग्स उसकी जिम्मेदारी से भाग नही सकता। उसी ने तो एक अल्प-अनुभवी व्यक्ति को सारे अधिकार सौप दिए थे। वह व्यक्ति उम्र में कच्चा था (उसके अल्प-आयु को ही तो बहाना बनाया गया है।) उस पर ही नायब की जिम्मेदारी लाद दी गई।

मिस्टर मरखम द्वारा दीक्षित एवं नियुक्त नायब ने अपने गुरु के इशारो पर राजकाज चलाना प्रारम्भ किया। तब मिस्टर मरखम ने मिस्टर हेस्टिंग्स से छुट्टी

चाही ताकि वह कलकत्ता जा सके। मेरा विचार है कि वह फिर बनारस वापस नहीं आया। वह सीधा योरप आया और इस प्रकार एक उच्च पदाधिकारी का कार्य-कलाप समाप्त होता है।

अब हम मिस्टर वेन और मिस्टर फॉक के कार्यकाल की चर्चा करें। इन दोनों व्यक्तियों को वही अधिकार प्राप्त थे जो मिस्टर मग्खम को प्राप्त थे। अत: ये ही जिम्मेदार थे और इन्हीं से मिस्टर हेस्टिंग्स को हिसाब भी पूछना चाहिए था। मैं इन लोगों के राज-काल का स्वयं कोई वर्णन न करूँगा, लेकिन मैं आपके सम्मुख वह पढ़ूँगा जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने उनके हाथों राजसत्ता सौंपते समय सोचा था। इससे श्रीमान का समय बचेगा और झंझट भी कम होगी और इससे इस संबंध में मेरी भी कोई धारणा प्रकट न होगी। मेरे हाथ में इस समय मिस्टर हेस्टिंग्स का बयान है जो सरकार से प्राप्त हुआ है कि उसने गैरकानूनी अधिकार को गैरकानूनी ढंग से दूसरों को सौंपा। यहाँ मैं कहूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या बयान दिया जब वह दूसरी बार, बाद में बनारस एक दूसरी गंदी योजना ले कर गया और इससे उसके मनोभावों का पता लगेगा, जब उसने अपने कृत्यों से हुई बरबादी को देखा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब बनारस में घुसते ही उसने दृश्य देखे होंगे। उसने इस शहर को पहले बहुत सुन्दर, समृद्ध रूप में देखा था, अब उसकी दशा पर कोई भी आँसू बहा सकता था। वहाँ जो सुख और प्रसन्नता लोग देख चुके थे वह कल्पना की बात हो गई थी। यह प्रान्त बहुत उन्नतिशील और खेती में इतना आगे था कि खेतों के बीच से जाने वाली फौज को खेती नष्ट न हो इसलिए एक-एक लाइन में चलना पड़ता था। एक ऐसा प्रान्त जिसके लिए मिस्टर स्टेबुल्स ने कहा था कि यहाँ के गाँव इतने घने आबाद थे कि दूसरा उदाहरण न मिलेगा। ऐसा था यह क्षेत्र, और अब देखिए कि मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रबन्ध में कैसा हो गया, देखिए कि अंग्रेजी राज्य में यह कैसा हो गया, और आप देखें कि ब्रिटेन के संसद-सदस्यों ने आप के ऊपर निर्णय के लिए यह मामला छोड़ कर उचित किया या नहीं।

लखनऊ, दूसरी अप्रैल १७८४। माननीय एडवर्ड ह्वीलर के नाम वारेन हेस्टिंग्स के हस्ताक्षर से पत्र। यह आपके सम्मुख पड़ी छपी फाइल के ३०६ पृष्ठ पर है—"श्रीमान, जब मेरी सेना के सिपाही पाँच दिन बनारस ठहरने व रहने को आए तो मुझे यहाँ जो कुछ देखने-सुनने को मिला उसे आपको सुनाने को मैं बहुत व्यग्र हूँ। बक्सर से बनारस तक की यात्रा में मैं असंतुष्ट निवासियों को देखते हुए थक-सा गया था। यह उचित है कि किसी भी राज्य में सभी प्रजा प्रसन्न नहीं रह सकती। पर मैं तो वहाँ की राज्य-व्यवस्था और जनता के असंतोष से हैरान था। मुझे अनेक प्रार्थना-पत्र मिले जिनमें सभी में तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के भ्रष्टाचार और अन्याय की कहानी थी। उस समय यह एक प्रचलित प्रथा थी कि अधिकारी व साहूकार लोग खेती के मालिक किसानों से उनकी फसल का बहुत बड़ा भाग हड़प

लेते थे। एक प्रकार से उनकी आधी फसल छीन ली जाती थी। अगर वही राज्य-व्यवस्था वहाँ बनी रहती तो हर खेत ऊसर हो जाता, लगान बंद हो जाता और लाखों लोग मर जाते। यही नहीं, राज्य-व्यवस्था, नवाब की कार्य क्षमता और उसके नीचे के अधिकारियों की योग्यता से पैदा होने वाली अव्यवस्था ने भी मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। चीजों की मनमानी बढ़ी कीमतें, एक ही चीज पर बार-बार कर लगना, व्यापारियों की परेशानियाँ इसी प्रकार की अनेक बातें तब बनारस में छाई थी, जब मैं वहाँ गया। ऐसी परिस्थिति में, हमें आश्चर्य क्यों हो यदि दूसरे देशों के व्यापारी बनारस से कोई सम्बन्ध न रखना चाहे, या उस क्षेत्र का व्यापार निम्नतम स्तर पर उतर आए।

"दूसरी अनेक प्रकार की और बुराइयाँ भी मेरी दृष्टि में आई। लेकिन अभी मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि रेजीडेन्ट की सहायता से उन्हें बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। फिर भी एक का मैं अवश्य ही जिक्र करूँगा, क्योंकि यह मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है, और जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर प्रकाश डालता है। जब मैं बक्सर में था तब मेरी इच्छानुसार रेजीडेन्ट नायब के साथ मेरे रास्ते में पड़ने वाले तमाम शहरों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति को निकला जो वहां के निवासियों को विवश करें कि लोग अपने घरों में ही रहें, और मेरे पहुंचने पर उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलावे और यह दिखाए कि वह वहाँ के निवासियों और हमारी दोनों की सुरक्षा का इच्छुक है। मैंने बार-बार समस्त व्यवस्था और योजना उसे समझा दी पर मुझे बड़ी निराशा हुई जब रास्ते में पड़ने वाले हर स्थान को मैंने वीरान पाया और कोई आदमी भी सुरक्षा दल का कहीं न दिखा। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि बक्सर से दूसरी सीमा तक मैंने सभी गाँवों की केवल घोर दुर्दशा ही देखी जो या तो पलटन ने की थी या वहां के ही निवासियों की करतूत थी जो अपना घर छोड़ते समय गाँव भी नष्ट करते गए थे। मैं अपने ही महान राष्ट्र के नागरिकों को इस दोष से मुक्त करना चाहता हूँ और अपने मन में भी मैं किसी को दोषी नहीं समझता, क्योंकि रास्ते में ठहरने के एक स्थान पर जिसका नाम है डेरवा और जो जमनिया परगना में है, वहाँ एक भीड़ मेरे पास आई। उनके साथ उनका पुराना अमीन था जो उसी क्षेत्र का निवासी था और बहुत पहले से उन पर शासन कर रहा था और जिसका यह नियम था कि जब कभी उधर से कोई पल्टन गुजरती तो वह स्वयं खड़ा हो कर गाँवों की रक्षा का प्रबन्ध देखता। लेकिन फौज से विवाद होने के कारण उसे पदच्युत कर दिया गया था और उसके स्थान पर नया अमीन नियुक्त कर दिया गया था। अतः वह स्वयं भी गाँव से भाग गया था। उसके पीछे वहाँ के निवासी भी भाग गए थे, और उनके सूने घर जो चाहे हड़प सकता था। इन सबों का मुझ पर जो सामूहिक प्रभाव पड़ा वह बड़ा खेदजनक था। मैं यह समझ न पाया कि एक योग्य अफसर के मातहत

एक पलटन के रहते यह मब कैमे सभव हुआ ? इन मभी अव्यवस्था का एकमात्र जिम्मेदार मै नायब को ही मानता हूँ और उमको तत्काल उम पद से मुक्त करना अपना प्रथम कर्तव्य ममझता हूँ। अगर इस राज्य की सम्पूर्ण मत्ता मेरे हाथ आ जाती तो मैं ऐमे नियम बनाता, ऐसी व्यवस्था करता कि उम प्रकार की अनियमितता फिर कभी न दुहराई जाती। मै ममझता हूँ कि समस्त व्यवस्था के ऊपर अगर एक कठोर प्रबन्धक नही रहता तो कोई सुव्यवस्था नही टिकती। दूसरा चाहे पूरी तरह सफल व योग्य मिद्ध न हो, पर विवशता है कि चुनाव बहुत कम लोगो के बीच मे करना पडता हे। सबमे पहला तो मेरे द्वारा ही नियुक्त किया गया था। मेरी दृष्टि मे वह मवम योग्य तथा उचित था लेकिन वह राजा का पिता था अत ममता के कारण स्वाभाविक रूप से वह पक्षपात कर जाता था। उमने मेरी आशाओ पर पानी फेर दिया। दूमरे की नियुक्ति के लिए रेजीडेट ने मिफारिश की थी और मेरे कहने पर परिषद ने उमे नियुक्त किया था। यह था जगदेव सिह वर्तमान नायब। मै उसे जानता न था और परिषद के दूसरे सदस्य भी उमे न जानते थे।

"जब मिस्टर मरखम अपने पद पर आसीन था तभी उमने जो कार्य किए उन्हे बहुत तेज स्वभाव और सनकीपन का कहा जा मकता है। बनारम को छोड कर पूरा प्रान्त जैमे बिना किसी मरकार का था और नायब बिना किसी सिद्धान्त के अदालती कार्यवाही करता था। राजा की भी कोई शक्ति न थी और मैनेजर द्वारा उमके नाम का सदा ही दुरुपयोग होता था। उसका पूरा वर्णन एक दूसरे पत्र का मसाला है, और यह पत्र यो ही काफी लबा हो गया है। प्रान्त का शामन अनियमित है जनता दबी हुई है व्यापार ठप्प है, और कहा जाता हे कि राजस्व पहले से बढा है। लेकिन नायब न मेनेजर दोनो ही अपने-अपने पदो के लिए अनुपयुक्त है। एक नये मेनेजर की आवश्यकता है, और शामकीय प्रभुत्व की आवश्यकता है, एक शब्द मे एक सविधान की आवश्यकता है।"

श्रीमान, आपने सुन लिया—मेनेजर से नही, कटघरे मे खडे गवाह से नही, बल्कि अपराधी के शब्दो मे, बनारम की स्थिति, जब मे मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा नियुक्त रेजीडेट ने व्यवस्था सभाली श्रीमान, यह प्रमाण है, उम राज्य की दुर्दशा का कि स्वअर्जित अधिकार के नाम पर कितनी अराजकता फैलाई गई जनता की सुरक्षा भग हुई।

श्रीमान, मोचे, क्या यह ब्रिटिश गवर्नर की जीत थी ? सोचे श्रीमान कि जब वहाँ की जनता ने ब्रिटिश पलटन देखी तो सभी लोग भाग गए। यानी वे लगान वमूली के कठोर नियमो से किम तरह डर गये थे यह वहाँ की सरकार की सफलता का एक नमूना है।

लेकिन जगदेव मिह अपने पद के लिए अनुपयुक्त था—पर प्रश्न है कि एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को ऐसे पद पर बैठाया ही क्यो गया ? कहते है कि वहाँ कोई

संविधान न था, फिर वहाँ का पूर्ववर्ती संविधान क्यों नष्ट किया गया ? फिर उन लोगों को क्यों सताया गया जो अपनी ही शक्ति से कुएँ तक खोद कर समस्त प्रान्त को बगीचे की तरह हरा-भरा रखते थे ? क्यों वहाँ के लोगों को सरकार पर या सरकारी सुरक्षा पर भरोसा न था ? ईश्वर कभी-कभी सनक को पागलपन में बदल देता है और यह भी अजीब बात है कि जो पूरी तरह पागल नहीं होता वह पूरी तरह सनकी भी नहीं हो सकता।

श्रीमान, सोचें कि वह पलटन के संबंध में क्या कहता है कि उनके लिए कहीं कोई रोक-टोक न थी और वे जहाँ चाहते थे जा सकते थे। लेकिन क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं ही पलटन को अनैतिकता के लिए नही उभारा या बहकाया ? फिर पलटन को कौन रोक सकता है ? जनता की तबाही के कारण तो चेतसिंह को कैद हुई थी, फिर जनता यह नहीं जानती थी कि गवर्नर जनरल के साथ उसकी सुरक्षा व राज-व्यवस्था नहीं आ रही थी ? जनता उसे अच्छी तरह जानती थी। वह उसे अपनी राज-सत्ता को नष्ट करने वाले के रूप में जानती थी। श्रीमान को दीनाजपुर वाली बात याद होगी। गंगा गोविन्द सिंह ने कम्पनी के नाम पर अस्सी हजार पौंड जमा करके चालीस हजार की रकम हड़प ली, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए और उसे उसके पद पर से हटने के बजाय और सजा पाने के बजाय, उसे मिस्टर हेस्टिंग्स का पक्षपात और सहारा मिला और उससे कभी एक पैसा भी वापस नहीं मिला। देखें श्रीमान, कि उसका ऐसे लोगों के प्रति क्या व्यवहार था जो बेईमानी खरीदते थे।

श्रीमान, हमने आपको मिस्टर हेस्टिंग्स की वहाँ की सरकार व जनता की दुर्दशा के बारे में बताया। अब मै आप का ध्यान इस विषय मे सम्बन्धित अन्य बातों पर लाना चाहूँगा कि उसने पलटन को कैसे भड़काया। आपने सुना कि जिस स्थान पर वह था वहाँ की क्या स्थिति थी ? और वहाँ के निवासी कितने भयभीत थे ? केवल अंग्रेजी फौज का दिखाई पड़ना ही लोगों में भय और आतंक पैदा करता था। वह बताता है कि वे लोग इधर-उधर भाग जाते थे, फिर भी पल्टन के अधिकारी क्यों कुछ नही करते थे जो आज यहाँ यह बताने को लाए गए हैं, कि भारत के लोग बहुत संतुष्ट हैं। और श्रीमान, हम इन सभी बातों का विरोध करते है। हम उनकी बताई बातों का विरोध करते हैं। हम उनके प्रमाणों की सत्यता का विरोध करते हैं। और उसका मुकदमा करने वाले आप श्रीमान से हम जिद करते हैं कि चाहे यह और वह या कोई भी कार्यालय या कोई भी कागज उसके उचित व्यवहार की बात कहे या प्रमाणित करे, पर हर बात का ढंग से उचित प्रमाण प्राप्त करके ही कोई धारणा बनाएँ या निर्णय करें। और फिर यह तो आप जानते ही हैं कि आदमी चाहे जितना भी दोषी हो, पर जो लोग आर्थिक सम्बन्धों में उससे दबे रहते हैं, वे तो उसे हर प्रकार से बचाने का प्रयत्न करते ही हैं, फिर ऐसों के प्रमाण पर किस

प्रकार निर्भर किया जाय, यह तो आप जानते ही है। इन प्रमाणो पर साधारण तौर पर दृष्टि डालने से यह सिद्ध होता है कि जो लोग इस मामले मे दिलचस्पी रखते है, या जो लोग देश के पीडित व दुखी लोगो से अपनी किस्मत बनाते है, ऐसे अफसर व अधिकारी तो अपराधी के प्रति अच्छी बाते कहेगे ही। निश्चय ही रेजीडेन्ट भी उसकी प्रशसा ही करेगा। मिस्टर मरखम, मिस्टर बेन, मिस्टर फॉक, अगर उन्हे भी बुलाया जाय या कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारी को बुलाया जाय, कुछ को छोड कर, तो सभी अपराधी के पक्ष मे बाते करेगे, सभी उसके सबध मे अच्छी ही बाते कहेगे, क्योकि श्रीमान, अपराधी के आश्रय मे उन्होने अपनी किस्मत बनाई है और उनके आचरण की कभी जॉच नही हुई है।

लेकिन अपने पूर्व वक्तव्य के अनुसार बनारस मे ब्रिटिश सरकार ने जो बरबादी की है उसका उत्तरदायित्व आपके सम्मुख खडे उस अपराधी पर है। वह आप को विश्वास दिलाना चाहता है कि यह सब इसलिए हुआ कि कोई सविधान न था। क्यो मै फिर पूछता हूँ कि क्यो उसने पहले से चले आ रहे सविधान को नष्ट किया ? उसने वास्तव मे मिस्टर मरखम को अधिकार दिया कि वह एक नया नियमित और वैधानिक सविधान बनावे। पर क्या मिस्टर मरखम ने बनाया ? नही यद्यपि उसने बनाने का वचन दिया था पर कभी बना न सका। और किसी भी सविधान के न रहने का परिणाम निकला कि उस देश मे पूरी तरह अराजकता फैली। वहॉ के आदिवासी नागरिक अपनी पुरानी सरकार से अलग कर दिए गए, वे अपने नए मालिको की ओर सुरक्षा के लिए ताकते रहे, और जिस क्षण वे किसी फौजी सिपाही या गोरे अग्रेज व्यक्ति की शक्ल देखते थे तो भयभीत हो जाते थे कि अब उनके घर का बचा-खुचा सामान भी लूट लिया जायगा क्यो कि बहुत बडा भाग तो पहले ही ब्रिटिश गवर्नर द्वारा लूटा जा चुका था। क्या इसी को ब्रिटिश साम्राज्य कहेगे ? क्या आप अपने कानूनी अधिकार मे इसे स्वीकृति देगे कि आप के कानून को भग करके सौदेबाजी की जाय।

श्रीमान मै फिर आप को याद दिलाता हूँ कि यह व्यक्ति आपके सम्मुख भी कितनी धूर्तता और बदमाशी की बात करता है। वह कहता है, "वास्तव मे, मै लदन मे ही रहने वाले कई महानुभावो को पेश कर सकता हूँ जो मेरी इस बात की पुष्टि करेगे कि बनारस व गाजीपुर मे इतना शातिप्रिय शासन, इतना सुव्यवस्थित, और इतनी उपजाऊ खेती होती थी जैसी पहले कभी नही।"

श्रीमान जानते है कि मिस्टर हेस्टिग्स की यह रिपोर्ट जो यहॉ पढी गई है, १७८४ मे बनाई गई थी। आप श्रीमान जानते है कि जब मिस्टर हेस्टिग्स था तब कोई कार्यवाही नही की गई कि देश के शासन मे सुधार आवे, व्यवस्था आवे। यदि कोई सुव्यवस्था थी तो वह दिखाई जाय। कोई कानून या सविधान नही बनाया गया, न तो देश की व्यवस्था के लिए कोई अन्य कदम ही उठाया गया। केवल एक

काम किया गया कि दुर्विजय सिंह के स्थान पर अजीत सिंह को नियुक्त किया गया जो उसी तरह काम करे और उसी की तरह निकाल दिया जाय। मिस्टर हेस्टिंग्स ने भारत छोड़ा, उसी वर्ष जून या जुलाई में। उसके विरुद्ध हमारा अभियोग १७८६ से संबंधित है और इसका उत्तर संभवतः १७८७ में दिया गया। उस समय तक वह भारत से कोई हिसाब न पा सका था फिर भी वह कहता है कि वह प्रमाण प्रस्तुत करने को तत्पर था (और कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रमाण प्रस्तुत भी कर देता।) आप श्रीमान यह आशा नहीं करते कि इतने अल्पकाल में ही उस देश में प्रसन्नता का वातावरण छा गया होगा। हम जानते हैं कि ऐसी किसी भी चीज को एक ही दिन में बिगाडा जा सकता है जिसके बनाने में बरसों लग जाते हैं। हम जानते हैं कि एक अत्याचारी, आततायी एक क्षण में ही किसी को नष्ट कर सकता है, पर किसी मृतक में कभी जीवन नहीं फूंका जा सकता। एक क्षण में खेती के लिए खेत नही बनाए जा सकते, न तो एक मिनट में ही किसानों के नष्ट किए कुओं को वापस लाया जा सकता है। फिर भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने संसद के सम्मुख यह कहने की हिम्मत की कि वह ऐसे व्यक्तियों को ला सकता है जो उसकी बातों की पुष्टि करें।

सर्वप्रथम हम मिस्टर बार्लो के इस संबन्ध में हुए वक्तव्य की चर्चा करेंगे। श्रीमान देखेंगे कि इस वक्तव्य से अपराधी का वक्तव्य पूरी तरह से झूठा सिद्ध हो जाता है। आप देखेंगे कि स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स ने ही सभी कानूनी उलट-फेर का आदेश दिया था। श्रीमान देखेंगे कि व्यापार के संबंध में कैसी अनियमितता व पागल-पन से काम लिया गया है। छपी रिपोर्ट के पृष्ठ २८३० पर श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस प्रकार देश के समस्त व्यापार को चौपट किया। जब आप उस समय हुई अराजकता पर विचार करें तो आपको सहज ही ज्ञात होगा कि व्यापार की सुव्यवस्था व सुरक्षा के नाम पर कितनी अव्यवस्था व मनमानी चली है।

१७८६ और १७८७ मे मिस्टर बार्लो को भेजा गया था, देश की हालत की जाँच करने को। उसने बताया है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी सनक से जो नियम बनाए थे उनका कैसा भयानक परिणाम होता था। ठीक उसी दिन, जिस दिन आपके सम्मुख उस पर अभियोग लगाए गए तो सचाई का पता लगाने के लिए लार्ड कार्न-वालिस ने मिस्टर डंकन को भेजा था। श्रीमान, आपके सम्मुख मिस्टर डंकन की भी रिपोर्ट प्रस्तुत है। इससे आप देख सकते हैं कि मिस्टर हेस्टिंग्स के बनाए नियमों से देश का कहीं भी, किसी भी प्रकार का लाभ हुआ या नहीं। बल्कि इस रिपोर्ट से श्रीमान और भी अपराधों को स्पष्ट देख सकेंगे कि इसके कार्यों से वहाँ की जनता में ब्रिटिश राज्य के प्रति क्या भाव पैदा हुआ। मिस्टर डंकन की रिपोर्ट से आप केवल उसकी बातें ही नहीं जान सकेंगे बल्कि लंदन में जिन लोगों को वह अपना साक्षी बताता है, उनके संबंध में भी आप जान सकेंगे।

अतः मैं आपको बताऊँगा कि देश की क्या स्थिति थी, यह उस रिपोर्ट के

आधार पर जो जाँच के लिए लार्ड कार्नवालिस द्वारा भेजे गए अंतिम कमिश्नर की थी। इसी रिपोर्ट से चिढ़ कर मिस्टर हेस्टिंग्स ने लार्ड कार्नवालिस और मिस्टर जोनाथन डंकन के संबंध में कहा था कि ये उस देश के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के योग्य अधिकारी नहीं है। अब श्रीमान देखेंगे कि उस देश के शरीर पर इस पंचायती अधिकार के कारण कितने गहरे घाव लगे थे और आप यह भी देखेंगे कि यह बयान तब दिया गया था जब मिस्टर हेस्टिंग्स हमें बनारस के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सुना रहा था।

[बनारस के रेजीडेन्ट की कार्यवाही का सारांश, तारीख १६ फरवरी १७८८ कड़ा डेहमा परगना आदि, छपी रिपोर्ट के पृष्ठ २६१० से]

"कड़ा डेहमा के परगना में रेजीडेन्ट मोहमदाबाद से आया तो उसे यह देख कर बड़ा खेद हुआ कि पूरे प्रान्त का एक तिहाई भाग ऊसर पड़ा है और इसका कारण है पिछले कई वर्षों की अव्यवस्था। यद्यपि राजा का कहना है कि उसे आशा है कि अगले वर्ष तक समस्त जमीन में फसल हो सकेगी और उसका अमीन मोबारक हुसेन भी इसी प्रकार आशावान है क्योंकि उसका कहना है कि जब वह आया था तब इतनी जमीन भी उपजाऊ या खेती योग्य न थी और उसे राजा का भी यही आदेश प्राप्त हुआ है, अतः उसे पूरा विश्वास है कि व्यवस्था कर सकने में अवश्य ही सफल होगा।"

[१८ फरवरी को बलिया परगना से दी गई रिपोर्ट]

"कड़ा डेहमा से कल रेजीडेन्ट इस परगना में आया। खेती की दृष्टि से यह परगना अधिक उन्नतिशील दिखाई पड़ा, यद्यपि पूर्व वर्षों से अवनति भी हुई है क्यों कि इस वर्ष पहले वर्षो से लगान की जमा कम कर रही। कल्बे अली खाँ के एजेन्ट रजील हुसेन ने यहाँ खेती की है क्योंकि तीन वर्ष का पट्टा लिया है और उसकी आमदनी भी पहले के अनुपात मे घटी ही है। रजील हुसेन का कहना है इस वर्ष खरीफ की फसल नही हुई, इस पूरे परगने मे। इसीलिए वह प्रयत्न में है कि परगना की समस्त रैयत रबी की फसल में जी-जान से जुट जाए जो इस समय खेत में है और अच्छी होने की आशा है।"

[२० फरवरी को खेरी परगना से दी गई रिपोर्ट]

आज रेजीडेन्ट खेरी परगना में आया और पाया कि बलिया और बाँसडीह की सीमा पर समस्त जमीन बिना बोई है और ऊसर पड़ी है। यह कुतुब अली बेग से गोविन्द राम ने जोतने के लिए लिया है और गोविन्द राम ने भी जमींदारों को किराये पर दे दिया है।"

[२३ फरवरी को सिकन्दरपुर परगना से दी गई रिपोर्ट]

"रेजीडेन्ट सिकन्दरपुर आया और यहाँ की दशा देख कर बहुत दुखी हुआ।

छः या सात पड़ाव तक की यात्रा में यही देखा कि जहाँ तक आँखें जाती हैं सारी धरती ऊसर पड़ी है, सड़क के दोनों ओर सिकन्दरपुर परगना में उसी नाम का एक पुराना किला है और इसके चारों ओर भी खेती का कहीं नाम नहीं है और धरती भी उपजाऊ नहीं है।"

[रेजीडेन्ट की कार्यवाही का सारांश, २६ फरवरी, सिकन्दरपुर परगना में]

"सिकन्दरपुर छोड़ कर रेजीडेन्ट नरगढ़ा की ओर बढ़ा जहाँ परगना की कचहरी है। उसे यह देख कर बड़ा खेद हुआ कि इन दो स्थानों के बीच समस्त रास्ते, जिसकी दूरी लगभग बारह मील की है, कुल मिला कर बीस खेत से अधिक में खेती नहीं दिखाई पड़ी। और जहाँ तक आँखें जाती हैं, केवल नगढ़ा को छोड़ कर हर स्थान पर केवल घास के जंगल है बीच बीच में कहीं-कहीं जंगली पेड़ दिख जाते हैं। कहा जाता है कि खेती में यह कमी पिछले कुछ ही वर्षों मे हुई है, जब से राजा को राज-च्युत किया गया है।"

[रेजीडेन्ट की कार्यवाही का सारांश, २७ फरवरी, सिकन्दरपुर परगना में]

"रेजीडेन्ट यहाँ से कासिमाबाद के लिए चला। लेकिन सुना गया कि रसिदा नामक गाँव जो मुसनसर परगना का मुख्य स्थान है वह केवल तीन पडाव की दूरी पर है। वहाँ जमींदार और रैयत सभी एक ही जाति के हैं राजपूत, जो राजा के राजकाल मे अपने को स्वतंत्र मानते थे, और लगान के नाम पर केवल मुहर्रिरी ही देते थे और अपने मामलों के स्वयं मन के राजा थे। यह सूचना पाने के बाद रेजी-डेन्ट ने अपने निश्चित कार्यक्रम मे थोड़ा परिवर्तन किया और रसिदा की ओर बढ़ गया जहाँ वह शाम को पहुँचा। यहाँ चारों ओर बल्कि सिकन्दरपुर से नरगढ़ा तक सब ओर केवल ऊसर जमीन ही दिखाई पडी।

"राजा की इच्छा थी कि इन ऊसर स्थानों को खेती योग्य बनाने के लिए एक आदमी रखा जाय। और लोगों को पट्टे दिए जाएँ और इसके लिए लगान की दर बहुत कम रखी जाय।

"राजा की यह भी इच्छा है कि इसी प्रकार का प्रबन्ध खीरद परगना में भी किया जाय।

(हस्ताक्षर) जॉन डंकन

बनारस रेजीडेंट

१२ सितंबर १७८७

यहाँ श्रीमान देखेंगे कि स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स के अलावा भी, उसके द्वारा इकट्ठे किए गए तमाम प्रमाणों के अलावा भी, उसके अपने वक्तव्य से ही उसकी अपनी बात कटती है। आप देखेंगे कि उसका अपना लिखा वक्तव्य जिस पर शंका करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल उलटी है कि मिस्टर डंकन को देख कर उस क्षेत्र के निवासी भागे नहीं, जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स को देख

कर लोग भागते थे। लार्ड कार्नवालिस की सरकार के किसी व्यक्ति को देख कर वे डरे भी नही, जब कि अपराधी के शब्दों में उसे या उसके आदमियों को देख कर लोग भयभीत होते थे जैसे अकाल पड़ने से। वे उसकी क्रूर, भ्रष्ट तथा अनैतिक सरकार के कारनामों के कारण डरते थे।

अब श्रीमान देखें कि किस प्रकार देश को नष्ट और बेकार किया गया। और आप यह देखें कि यह सब कुछ ही वर्षो के बीच हो सका यानी राजा चेतसिंह के राज्ययुत्त होने के बाद। यही से आपत्ति काल का प्रारम्भ होता है। राजा राज-च्युत होता है, देश पर बरबादी के बादल टूट पड़ते है, खेत ऊसर हो जाते है, कुएँ सूख जाते है। लोगों का कहना है कि मिस्टर डंकन ने कुछ सुधार करने का वचन भी दिया था। और सुरक्षा का विश्वास होने पर वहाँ के निवासियों ने भी खेती करने की बात कही थी। श्रीमान, आप निर्णय करे, जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं ही अपने कार्यों का ऐसा भयानक परिणाम बताया और उसके सामने ही मिस्टर डंकन का भी वक्तव्य है, तब फिर इस बरबादी का कौन पूरी तरह जिम्मेदार है? श्रीमान अपराधी को दण्ड दे। यह बरबाद हुआ देश, सूखे पड़े खेत, और इसके पीड़ित निवासी, सभी एक स्वर से ब्रिटिश न्याय की माँग करते है।

ओह! श्रीमान, हम अपना संतुलन खो रहे हैं, अब हममें धैर्य नही रह गया, मानवता का यह संहार अब देखा नही जाता। अपराधी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के परिणाम में जो कुछ भी हुआ वह कोई भी देख कर शांत नहीं रह सकता। हमें ईश्वर और मानव के कारनामों को देख कर आश्चर्य होता है और इसलिए हम श्रीमान से न्याय की माँग करते है।

श्रीमान को भी सब सुन कर आश्चर्य होता होगा कि क्या अपराधी के अप-राधों को बहुत बढा-चढ़ा कर कहा गया है, या पीड़ितों के कष्टो को बहुत बढ़ा कर बताया गया है? श्रीमान क्या आप इसे संभव मानेगे जो कुछ आप ने सुना है? या आप क्या कल्पना कर सकते है कि बनारस के निवासियो ने जितना कष्ट सहा उतना कही भी कोई सह सकता है? हाँ, यहाँ तो मुसीबत का राज्य है, यहाँ तो पतन का साम्राज्य है। अब तो यही बचा है, श्रीमान कि दुखी लोग श्रीमान की पवित्र अदालत में स्वयं उपस्थित हों और घोषित करें कि मिस्टर हेस्टिंग्स के वक्तव्य मे जितना सच है उसके अनुसार वे कोई कष्ट नही मानते और उसको सरकार के समय लोग त्योहार ही मनाते रहे, और हर रात वे दिवाली मनाते रहे हैं। ऐसे ही संतोष से भरे-पूरे वक्तव्य ही तो आप के सम्मुख अपराधी ने प्रस्तुत किए हैं। आप अवश्य सुन कर खीझे होंगे कि कलकत्ता के मुंशी, जो केवल मुहर लगाते थे वे, इसे बरबादी नहीं मानते, बल्कि इससे संतोष प्रकट करते हैं। आपने सुना कि वह इस देश के बारे में स्वयं क्या कहता है। साथ ही आपने यह भी सुना कि मिस्टर डंकन क्या कहता है। आपने उस देश के निवासियों की न्याय की माँग सुनी, और अब यह भी सुनें कि

वह वहाँ के लोगों से क्या कहलवाता है—"हमने सुना है कि इंगलैंड के महानुभावगण मिस्टर हेस्टिंग्स से असंतुष्ट हैं, इस शंका पर कि उसने हमें सताया है, इस राज्य के निवासियों को—हमारे रुपये जबरदस्ती छीने हैं और हमारे देश को बरबाद किया है।" फिर वे ईश्वर के सामने शपथ ले कर कहते हैं, "मिस्टर हेस्टिंग्स ने उनके धर्म को, उनकी सुरक्षा को नष्ट नहीं किया है। उनके कहे अनुसार उसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और चोरी के अपराध से मुक्त हो जाना चाहिए। उसके राजकाल में किसी ने भी सुरक्षा व न्याय के सिवा और किसी बात का अनुभव नहीं किया। कभी कठोरता का व्यवहार नहीं किया गया। हमारे चरित्र व प्रतिष्ठा की सदा ही रक्षा की गई है।"

श्रीमान ने मेरी बात सुनी। अब श्रीमान, फारसी के इस अनुवाद को सुनें जिसमें अंग्रेजी भाषा की सारी अच्छाइयाँ भरी हैं। जैसा कि कहा गया है कि बनारस के निवासी सदा प्रसन्नता, और आराम और संतोष का अनुभव करते थे। मिस्टर हेस्टिंग्स के अपने प्रमाणपत्र के अलावा भी कहते हैं—"उसने हमें प्रसन्नता व आराम दिया। उसने फिर से न्याय की जड़ जमाई और उसके राजकाल में हम सदा आराम से रहे।"—इंगलैंड और इंगलैंड की सरकार के लिए ऐसी लज्जाजनक बात है जो श्रीमान के कागज-पत्रों में लिखी है। अभी तो आपने सिर्फ मिस्टर डंकन के रिपोर्ट व मिस्टर हेस्टिंग्स का वक्तव्य ही देखा जिसमें वह स्वयं कहता है कि निवासी उसका चेहरा देख कर भाग खड़े होते थे। फिर भी वे उसकी प्रशंसा में इतना कहते भी थे। आप के सम्मुख वह इतना तक कहने की हिम्मत रखता है कि लगता है कि मनुष्यता की हर सीमा टूट चुकी है। अपनी समस्त बुराइयों को सामने प्रमाणित देख कर भी वह इतनी बेशर्मी से यह कहने को प्रस्तुत है कि वहाँ के निवासी उसके राजकाल में पूर्ण संतोष व प्रसन्नता का ही सुख लूटते रहे।

श्रीमान, मैं समझता हूँ कि मैं अपना काम पूरा कर चुका, क्योंकि अब मैं पतन और कष्टों की उच्चतम चोटी तक आ चुका हूँ, अब तक अन्याय और हिंसा के कारनामों के वर्णन की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते। मैं अपना काम कर चुका और अंत में केवल यह कहना है कि हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ ऐसे दृश्य सार्वजनिक रूप से देखने को मिलते हैं!

अब श्रीमान यहाँ हमें बात में विराम लगाना होगा। अब तक आपने यह तो समझ व देख ही लिया कि अपने पुराने राजा के राजकाल में बनारस की क्या स्थिति थी। आपने यह भी देखा कि चेतसिंह ने जब छोड़ा तब बनारस की क्या स्थिति थी और जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने छोड़ा तब क्या स्थिति थी। उस देश में मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो घाव छोड़े हैं और वहाँ के निवासियों की स्थिति बुरी से भी बुरी हुई है यह श्रीमान को ज्ञात है। आपको अब विचार करना है कि अपने किए के लिए, अपराधी के लिए कौन सी सजा उपयुक्त होगी।

श्रीमान, हम आगे दूसरे प्रान्त की बात करेंगे जब मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स के सिद्धान्तों का वहाँ क्या परिणाम निकला। मैं अवध के प्रान्त की बात चलाता हूँ। यह वह राज्य है जो हमारे सम्पर्क में आने के पहले बनारस की ही भाँति प्रसन्न व उन्नतिशील था और जब से हमारा हेल-मेल बढ़ा, इसका भी पतन प्रारम्भ हो गया। अवध का नवाब पदच्युत किया गया, ठीक जैसे चेतसिंह किया गया था। बल्कि चेतसिंह से भी अधिक वह नीचे गिराया गया, उसे धूल मे मिला दिया गया, क्योंकि चेतसिंह की सन्धि में था कि हमें उसकी सरकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है। नवाब की राज्य-व्यवस्था तथा उसकी सरकार के हर मामले मे हमने हस्तक्षेप किए। उसकी शक्ति को घटा कर हमने उसे शक्तिहीन किया। उसके राज्य में हमने अराजकता और गोलमाल पैदा किया, जहाँ कोई शासन न बचा, बल्कि केवल लूट-पाट और बरबादी ही का साम्राज्य रह गया।

अब इस समय आगे बोलने की मुझमे शक्ति नही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मै शीघ्र ही फिर काम करने के योग्य हो जाऊँगा। मेरा विश्वास है कि श्रीमान अपनी शक्ति के साथ मेरी शक्ति की तुलना न करेंगे। क्योंकि अपनी पूरी शक्ति भर मैने प्रयत्न किया, परिश्रम किया, पर इस क्षण मैं अपने को आगे कुछ भी कर सकने में असमर्थ पा रहा हूँ।

[कार्यवाही स्थगित]

जवाब का चौथा दिन

[५ जून, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, जब पिछली बार मुझे इसी स्थान पर आपके सम्मुख बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब मेरी असमर्थता और शक्तिहीनता ने हमें बीच में ही रुकने को विवश किया। हमने बनारस के निवासियों की बात पीछे छोड़ दी थी, उन पर अत्याचार और हिंसा की जो वर्षा हुई उससे उनका देश अव्यवस्था का शिकार हो गया। श्रीमान, मेरा विश्वास है कि यदि भारतवर्ष का मानचित्र आपके सामने होता और आप देखते कि यह देश किस प्रकार नष्ट किया गया। बनारस का राज्य, इंगलैण्ड व वेल्स की भौगोलिक स्थिति में पाँचवें भाग के बराबर है, आबादी में एक चौथाई। इस अनुपात से आप विचार करें कि वहाँ कितने बड़े पैमने पर धूर्तता की गई है।

श्रीमान, अब हम एक दूसरे प्रान्त का वर्णन करेंगे। हम एक के बाद दूसरी दुर्दशा की गाथा की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम उसी रास्ते बढ़ रहे हैं जिस रास्ते बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स गया था। यहाँ आप उसके अत्याचारों का खूब बड़ा फैलाव पावेंगे, लेकिन उनके विस्तृत ब्योरे में पड़ने के पहले मुझे एक विशेष संकेत करना है और मैं चाहता हूँ कि चर्चा के पूरे समय तक यह बात श्रीमान के मस्तिष्क में बनी रहे। वह यह है कि आप कृपया यह कदापि न समझें कि कोई व्यक्ति केवल इसीलिए उत्पाती हो सकता है क्योंकि दूसरे कारणों से वह महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति असामाजिक, अशोभन और अनैतिक है पर वह पवित्र व धार्मिक परम्परा में पला हो तो वह बुराइयाँ नहीं कर सकता। श्रीमान हम आपके सम्मुख यह सिद्ध कर चुके हैं और इसे और भी स्पष्ट रूप में भविष्य में उपस्थित करेंगे कि ऐसे लोग जब अधिकार व शक्ति के पदों पर बैठा दिए जाते हैं, तो वे किसी भी देश का अधिक अहित करते हैं, वे घमण्ड के नशे में चूर रहते हैं, असहिष्णुता और उद्दण्डता के राजा होते हैं, उनके मुकाबले में जो जन्मजात उच्चकुलीन होते हैं।

अपराधी के समर्थ वकील ने श्रीमान का मनोरंजन करना उचित समझा और मिस्टर हेस्टिंग्स की तुलना उन लोगों से की जिन्होंने नब्बे हजार नरमुण्डों का पिरामिड बनाया है। अब देखिए, श्रीमान, बनारस को ही देखिए, सोचिए कि समस्त प्रांत की भूमि ऊसर पड़ी है। जहाँ की खूब घनी आबादी है वहाँ भुखमरी ने उतनी हत्याएँ

कीं जितनी तलवार से भी नहीं हो सकती थी और यह व्यक्ति नब्बे हजार नरमुण्डों के बने पिरामिड की कल्पना से मस्त है। अस्तु हम उसके पीछे-पीछे उसके दूसरे रंगमंच अवध के नवाब के क्षेत्र में चलते हैं।

श्रीमान, अवध (शुजाउद्दौला द्वारा जोड़े गए राज्य को मिला कर) भौगोलिक दृष्टि से इंगलैंड के क्षेत्र के लगभग है। शुजाउद्दौला जो इस राज्य का नवाब था, वह जरा तेज दिमाग का नवाब था। वह अपने शत्रुओं के प्रति बहुत आक्रोशपूर्ण, क्रुद्ध और उन सबों के लिए बहुत भयानक था जो उसकी इच्छाओं की अवहेलना करते। खर्च करने में वह हातिम था और साथ ही अर्थशास्त्री भी था। अपने दरबार को खूब सजा कर शानदार बनाए रखता था, जैसा कि योरप के राजा भी नहीं करते। वह अर्थशास्त्री था। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने राजस्व का ऐसा प्रबंध किया कि आमदनी बढ़ी ही नहीं काफी बचत भी होने लगी। उसकी जनता उसे बहुत प्यार करती थी। यह है शुजाउद्दौला का सच्चा चरित्र व रूप। आप श्रीमान ने यह भी सुना कि अपराधी व उसके साथियों ने इसी व्यक्ति का कैसा अजीब चित्र आपको सुनाया है।

निश्चय ही श्रीमान, देश की हर प्रकार की उन्नति व अवनति का प्रभाव उस देश के हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। लेकिन श्रीमान, इस अपराधी ने उस देश के लोगों, बड़ों व छोटों के साथ भी जैसा व्यवहार किया है, उनको इतिहास में जिस प्रकार बदनाम किया है, उनके परिवारों को छिन्न-भिन्न किया है, वह विचारणीय विषय है।

श्रीमान ने देखा कि उसने किस प्रकार चेतसिंह के परिवार को नष्ट करना चाहा, उसके पूर्वजों को जमींदार मानने से भी इन्कार किया, यद्यपि कम्पनी के कागज-पत्रों से उसने असली इतिहास मालूम किया होगा। आपको तो केवल मिस्टर वेरेल्स्ट की अनुक्रमणिका भी देखनी है और आपको ज्ञात हो जायगा कि उस प्रान्त को सदा से ही बलवन्त सिंह की जमींदारी मानते रहे हैं। आप पायेंगे कि उन्हें सदा से ही जमींदार माना गया है और वे तब तक इसी नाम से प्रसिद्ध रहे जब तक कि आपके सम्मुख खड़े अपराधी ने इस बात को मानने से इनकार नहीं कर दिया कि वह जमींदार न था और कहा कि वह केवल एक अमीन था। उसने उस व्यक्ति की प्रतिष्ठित पारिवारिक परम्परा को निम्नश्रेणी की बताई, यद्यपि उसी से वह २३,००० पौंड लेने में तनिक भी लज्जित न हुआ, जिस प्रकार उसने एक सौ हजार पौंड आसफउद्दौला से लिया था जिसे अपने ही जेबों में रक्खा और उसने अपने समर्थक ड्डो के इतिहास में भी गालियाँ दिलवाईं। यद्यपि यह पुस्तक कोई अधिकारी व प्रमाणित पुस्तक नहीं है और कोई भी इसका महत्व नहीं मानता। इस पुस्तक में रोमांचक, अभद्र और निम्न स्तर की कहानियाँ भरी हैं जिनके संबन्ध में हमारे एक अन्य सहकर्मी ने जो इस संबन्ध में मुझसे भी अधिक योग्य

और न्यायप्रिय है, अपनी स्वाभाविक योग्यता के साथ इसकी आलोचना की है। यह तो मुंह पर थूकने जैसी कहानी है, जहरीली बातों का भण्डार। श्रीमान के सम्मुख अलिफ-लैला की कहानी की चर्चा की है, अवध के नबाव की वंश-परम्परा का परिचय देने के लिए, ताकि श्रीमान की दृष्टि में वह गिर जाय। मेरे माननीय मित्र ने आप के सम्मुख इन कहानियों की निरर्थकता की चर्चा की है, लेकिन इन कहानियों के प्रचारकों की नीयत व उनकी दूषित भावना की बात नहीं की। अपराधी और वकील ने उस इतिहास की चर्चा की है जिसमें इस नवाब के संबंध में कहा गया है—"एक अप्रसिद्ध फारसी फेरी वाले का प्रसिद्ध पुत्र।" वे चाहते हैं कि श्रीमान उसे एक अधर्मी, नीच, अपढ़-अशिक्षित और छोटे काम करने वाला समझें ताकि जब यह सिद्ध हो कि अपराधी द्वारा व उसके परिवार के साथ किस प्रकार का नीच व अशिष्ट व्यवहार किया गया है तो मानवता की संवेदना क्षीण पड़ जाय। श्रीमान, सोचिए, इस व्यक्ति की पैशाचिक मनोवृति को सोचिए, जो नबाव से पूरी तरह लाभ उठाने के बाद, उसे नष्ट करने में तनिक भी न हिच-किचाया और अपने अत्याचारों से कभी सन्तुष्ट न रहा। इतना ही नही उस नवाव के पूर्वजों तक वह हाथ बढ़ाता है और उन मृतकों पर कैसे-कैसे अभद्र प्रहार करता है, उससे कब्र में भी वे आँसू बहा रहे होंगे। श्रीमान, शुजाउद्दौला के पूर्वज बड़े सम्मानित नवाब थे, चाहे वे द्वितीय श्रेणी के शासक रहे हों, पर वह महान मुगल बादशाह के अन्तर्गत थे, जो बादशाहों के बादशाह माने जाते थे। उसका जन्म फारस में हुआ था पर वह ऐसा न था।' जैसा कहा गया है कि 'वह एक अप्रसिद्ध फारसी फेरी वाले का प्रसिद्ध पुत्र था' आप श्रीमान भी भारतवर्ष के इतिहास व वहाँ के मामलों मे अपरिचित नही है, अतः आप अच्छी तरह जानते है कि भारत के कुलीन मुसलमानों का आदिस्रोत फारस ही है यानी उस देश मे जो हिन्दू स्रोत से सम्बन्धित नहीं है उसका आदिस्रोत फारस ही है। यहाँ तक कि भारत की अदालतों की भाषा भी फारसी है और वहाँ उच्चतम से निम्नतम श्रेणी के कार्यालयो में फारसी भाषा में ही काम होता है। इन कुलीन व प्रसिद्ध फारस वालों में नवाब के परिवार का एक विशेष महत्व है। उसके पिता के पूर्वज और उसकी माता मुन्नी बेगम के पूर्वज बहुत प्रसिद्ध व कुलीन घरानों के थे। इनका परम्परागत प्रसिद्ध परिवार इतिहासकार के परिवार से किसी प्रकार कम न था जिसके द्वारा अपराधी ने इतनी गालियाँ लिखवाई है और जिनको उसने जी भर कर लूटा भी और बाद में उन्हें बदनाम भी किया। आप श्रीमान यह देख कर दुखी व चिंतित होंगे कि किस प्रकार डो और हेस्टिंग्स तथा उनका समस्त गिरोह अपने से बडों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, कैसी ओछी भाषा में उनकी चर्चा करते थे और उस पवित्र देश के उच्च-तम अधिकारियों का नाम किस बुरी तरह लेते थे।

लेकिन अगर इस कथन को पूरी तरह सत्य भी मान लिया जाय कि वह

'एक अप्रसिद्ध पारसी फेरीवाले का प्रसिद्ध पुत्र था।' तो भी यह बड़ी बात है कि वह राष्ट्र की राजसत्ता की दूसरी पंक्ति का शासक बन सका। उसकी तीस लाख छः सौ हजार पौंड की राजस्व की वसूली थी, एक बड़ा राजस्व, इंगलैंड के बादशाह के राजस्व के बराबर की आमदनी। उसकी १२०,००० फौजियों की पलटन थी। उसकी महान व प्रतिष्ठित अदालत थी और उसका राज्य प्रगतिशील व सुखी था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की यह स्थिति थी और उसके राजकाल में अवध की यह स्थिति थी। मेरा विश्वास है कि उसकी वंश-परम्परागत के सम्बन्ध में श्रीमान सोचेंगे कि उससे हमें इस मामले में कुछ लेना-देना नहीं है। यह बात तो हम पर जबरदस्ती लादी गई है और इस प्रकार के असम्मानपूर्ण, गंदे और अभद्र आक्षेप तो डो और हेस्टिंग्स के अत्याचार व अभद्रता के व्यवहार के नमूने हैं। क्योंकि भारत के लोगों से ऐसे ही व्यवहार करने की आदत है।

श्रीमान, मैं आप के सम्मुख यह सिद्ध करने की मुसीबत से बच जाऊँगा कि अवध एक प्रगतिशील प्रान्त था क्योंकि मैं जितना कुछ इस पक्ष में कहता, अपराधी स्वयं सब स्वीकार कर चुका है। (पर इस विषय में हम उसे इतनी आसानी से मुक्त भी नहीं करेंगे) वह स्वीकार करता है कि—उसके कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही इस गिरी दशा को वह राज्य प्राप्त हुआ था। अपने बयान में वह बार-बार सरकार की गलत नीति की बात करता है। लेकिन श्रीमान, नीतियाँ कभी मानवता को प्रसन्न व अप्रसन्न नहीं बनातीं, बल्कि जब बुरे लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और अपने निर्णय सबों पर लादने लगते हैं तब परिणाम बुरे होते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है, नीति गलत थी और मैं नीति बनाने वाला न था। श्रीमान ने देखा कि बनारस के मामले में भी उसने यही कारण बताए और आप देखें कि वही बात वह अवध के सम्बन्ध में भी कहता है, वह कहता है कि वह एक बुरी नीति के समय आया और जिसे बदलने का मुझे अधिकार न था और मैं उसी के अनुसार कार्य करने को विवश था।

अब हर ईमानदार व्यक्ति कहेगा कि मैं गलत नीति के समय आया, मुझे अपनी शक्ति के दुरुपयोग की पूरी सुविधा थी, मुझे भी लूट-खसोट करने की इच्छा थी, मुझमें हर आवाज को दबाने की शक्ति थी, मुझे हर प्रकार के छिपाव की सुविधा थी और यह सब गलत नीति के कारण था, लेकिन उस गलत नीति की बुराइयों को मैंने अपने शासन की अच्छाई से रोका, अपनी न्यायप्रियता से, अपनी शक्ति से और अपने आचरण से यही बात-बाकी सारी दुनिया भी कहेगी पर मिस्टर हेस्टिंग्स क्या कहता है ? बुरी नीति बना कर मेरे हाथ दे दी गई थी पर मैंने इसके बनाने में कोई हाथ नहीं लगाया। मैं सदा ही एक अस्त्र बना रहा और उस गलत नीति की बुराइयों को ही चलाने को विवश था। यह है उसकी कार्य प्रणाली जिसके संबंध में श्रीमान को अपना विचार देना है और मैं यहाँ पुनः याद दिलाना चाहता हूँ

कि हम लोग कानून के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स ने कुछ विशेष नियमों का उल्लंघन किया है, और अब श्रीमान को देखना है कि क्या उसके कार्य न्यायोचित हैं या समस्त विश्व के गवर्नरों के लिए राज्यव्यवस्था के लिए क्या कोई साधारण नियम नहीं है ?

श्रीमान, अपराधी ने आपके सम्मुख कहा कि यह सब इसी गलत नीति के कारण है। नवाब को एक शक्तिशाली राजा बनाने के अलावा उसे कम्पनी का मातहत बनाया। श्रीमान से आज इन्हीं मामलों पर हमें निर्णय लेना है क्योंकि चाहे वे किसी भी चालू नीति से संबंधित हों पर उनके औचित्य पर आप को ही ध्यान देना है।

सन् १७७५ में उस शक्तिशाली, महान और विख्यात नवाब शुजाउद्दौला का अवध के नवाब के रूप मे ही देहान्त हुआ। उसने काफी लम्बी अवधि तक अपनी सुखी व संतुष्ट प्रजा पर राज्य किया। उसकी कड़ाई के संबंध मे हमलोग इतना भर मानते है कि उसकी शक्ति को जिसने चुनौती दी, उसके प्रति उसका व्यवहार निश्चय ही बहुत कठोर था। वह बहुत समझदार शासक था। यह नवाब अपने राज्य में, शक्ति और प्रभुत्व के बीच, कई संतानें छोड कर मरा श्रीमान जानते हे और हम यह भी जानते है कि औरतें यद्यपि परिवार व परम्परा मे ऊँचे कुल की होती है, उन्हें बड़े सम्मान व प्रतिष्ठा मे रखा जाता है। शुजाउद्दौला के एक पत्नी थी जो कानून व नियम की दृष्टि से उचित पत्नी थी। उसी पत्नी से उसको एक पुत्र मिला था—आसफउद्दौला। उसके इक्कीस बेटे थे। उनमें सब से बड़ा वह था जिसके संबंध में कार्यवाही में अक्सर सुनने को मिलता है वह था सआदत अली। आसफउद्दौला एकमात्र व नियमित पुत्र होने के कारण अवध के सूबेदार, अपने पिता का नियमित उत्तराधिकारी था।

आप श्रीमान, एक जमींदार जो सदा से जमीन का मालिक है, परम्परागत मालिक और एक सूबेदार में अन्तर मानेंगे, जो अपने मालिक की खुशी व आज्ञानुसार राजस्व का व अपनी सरकार का काम देखता है। अतः अगर नियम और कानून की बात की जाए तो सूबेदार के पद का कोई भी उत्तराधिकारी नही होता। इस बार कम्पनी ने जिसे सनद प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार है और भारतवर्ष में वह जो शक्ति व अधिकार रखती है, ने सोचा और ठीक सोचा कि ऐसा पद जिसे उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है, और कोई व्यक्ति उसका पूर्व निश्चित उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। आसफउद्दौला के साथ हुई संधि, जिसके लिए उसे मुगल बादशाह से सनद प्राप्त हुई थी, उन्हें पूरा अधिकार था कि इस संबंध में वे अपना निर्णय चलावें और वह निर्णय आपसी व शांतिपूर्वक हो तो सूबेदार और कम्पनी दोनों के लिए लाभकर हो, उन्हें अपने निर्णय पर अड़ने का पूर्ण अधिकार था। अतः कम्पनी और आसफउद्दौला के बीच एक संधि हुई जिसमें आसफ-

उद्दौला ने माना था कि वह कुछ निश्चित पलटन का सारा खर्च उठाएगा, इससे कम्पनी फौजी खर्चे से बची और उसकी फौजी शक्ति अपने आप बढ़ गई।

इस संधि मे ऐसा एक भी शब्द न था जिसमे नवाब के राजकाज में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो पाता। यह गलत नीति, जैसा इसे मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है, का कही जिक्र भी न था और पुन: कहूँगा कि एक भी ऐसा शब्द न था जो वारेन हेस्टिंग्स या किसी भी अन्य व्यक्ति को वह अधिकार देता कि वह देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता। वह तो नियमपूर्वक अवध का चुना हुआ वाइसराय था। साम्राज्य के वजीर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और उस पद ने उसे जितने अधिकार दिए थे, सभी मुगल सरकार से ही प्राप्त हुए थे और उनका वह नियमत: अधिकारी था, फिर उस गलत नीति का भी वह जिम्मेदार था जिसके लिए मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि वह विवश हुआ था ये सभी अत्याचार करने को जिनके सबंध मे आप एक-एक करके सुनेंगे।

लेकिन श्रीमान, यह अपराधी सोचता है कि जब किसी अवसर पर किसी प्रकार की भी नीति अपनानी पड सकती है और सरकार के घरेलू मामलों मे भी हस्तक्षेप किया जा सकता है, इसका उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। वह कहता है कि इस सन्धि मे वजीर की एक पराधीन की स्थिति हो गई थी। वह कहता है इसका उसके पास प्रमाण भी है। वह कहता है कि यह तो एक प्रकार से उस पराधीनता की विवशता थी क्योकि अगर वह हमारी पलटन से मुक्त होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है और मुक्त हो सकता है। पर यदि वह ऐसा न करे तो पराधीनता की विवशता तो है ही। लेकिन कही भी सचाई मे अंतर नहीं है, यह वह व्यक्ति है जो आपकी पलटन का खर्च उठाता है और इसके परिणामस्वरूप मि० हेस्टिंग्स उसे पराधीन कहता है। मैं इस बात पर बहस न बढाऊँगा कि यह पराधीनता स्व-अर्जित है या उस पर लादी हुई या उस रूप मे जिस रूप में मिस्टर हेस्टिंग्स उसे कम्पनी का गुलाम मानता है। वह जैसा चाहे इस संबंध में अपनी राय रखे। मै केवल यह चाहता हूँ कि श्रीमान यहाँ पर कम्पनी की वास्तविक स्थिति से परिचित हो लें और उस धरती को भी पहचान लें जिस पर मिस्टर हेस्टिंग्स खडा है। श्रीमान पावेंगे कि यह एक परीलोक है, जहाँ कोई चीज अपने असली रूप मे नही दिखाई पडती, जहाँ शक्तिशाली आदमी गुलाम दिखाई देता है और गुलाम शक्तिशाली अधिकारी। उस भ्रष्ट शासन में सब कुछ धोखाधड़ी है। हर चीज भ्रष्टाचार पर आश्रित है। हर चीज हिंसा पर आश्रित है, हर चीज गुप्त रखी जाती है। अत आप मुझे आदेश दें कि मैं आपके सम्मुख उन तथ्यों का उद्घाटन करूँ जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स आधार मानता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर बताऊँ कि उस देश की असली स्थिति क्या है और

उसकी कल्पना में क्या है, फिर आप देखेंगे कि उस राज्य के लिए उसके क्या सिद्धान्त थे।

"वे रास्ते जिनके द्वारा अपनी सरकार ने वहाँ शक्ति एकत्रित की" मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है, "और शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार बताने के लिए दूसरे तथ्य उपस्थित करने होंगे।" वह आगे कहता है, "उसकी (शुजाउद्दौला की) मृत्यु के साथ एक नई राजनीतिक धारा ने जन्म लिया और मिस्टर ब्रिस्टो उसके प्रबंध का मुखिया बना। नवाब आसफउद्दौला अपने उत्तराधिकार के एक बड़े भाग से वंचित रहा, मेरा आशय बनारस के मूल्यवान भाग से है। उसकी सीमा पर एक पलटन स्थायी रूप से स्थापित की गई। एक नई पलटन उसके अधिकार में रखी गई और उसके अधिकारी हमारे नियुक्त अंग्रेज लोग थे। यह पलटन नए राज्य की रक्षा के लिए रखी गई थी और राजस्व की कमी के कारण वह सरकार का गुलाम बन गया। फिर भी उसकी प्रभुसत्ता पूर्ववत ही चालू थी और स्थायी थी। उसका वजीर का पद एक अजीब वस्तु बन कर रह गया। ब्रिटिश न्याय जिसके बल पर बंगाल में अपनी सरकार चल रही थी उसका उस पर गहरा प्रभाव था।"

वह आगे कहता है, "इस स्थान पर मैं यह सिद्ध नहीं कर सकता कि जनता के विश्वास के आधार पर बनाए गए सिद्धान्तों पर ब्रिटिश राज्य का बहुत विस्तार हो सकता था। मैं ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकता था, यदि यह व्यावहारिक होती तो सीमित निर्माण हमारी उस समय की स्थिति के लिए कठिनाई उपस्थित करती। भारत की बिखरी तमाम शक्ति हमारी सहायता को सुलभ थी।

"बंगाल का प्रबंध और जाफर अली खाँ के परिवार का विघटन, यद्यपि एक माने में आवश्यक था और कम्पनी तथा नवाब वल्लाजान का तत्कालीन उपद्रव और कम्पनी तथा नवाब निजामउद्दौला के बीच हुई संधि का टूटना हमारे सामने बडी समस्या थी। नवाब आसफउद्दौला से हमारे संबंध इसी प्रकार के परिणामों की ओर तीव्र गति से बढ रहे थे और उसे रोकना अति आवश्यक था।"

श्रीमान को स्मरण होगा कि अपराधी के वकीलों ने कहा है कि उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के पक्ष में इस लिए खड़ा होना आवश्यक समझा कि वे वारेन हेस्टिंग्स के पक्ष मे न थे वल्कि ब्रिटिश चरित्र की मर्यादा की रक्षा के लिए जो ग्रेट ब्रिटेन के संसद-सदस्यगण नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा है ग्रेट ब्रिटेन के संसद-सदस्यों ने अपने राष्ट्र को अपमानित किया है और उन्होंने इसके चरित्र का गलत रूप प्रदर्शित किया है बल्कि इसके विपरीत कम्पनी के कर्मचारियों ने ब्रिटिश चरित्र की रक्षा की है और उसे कायम रखा है, उन्होंने जनता के विश्वास को नहीं टूटने दिया, जनता को आतंक व अन्याय से बचाया, भारत के हर राज्य से मधुर संबंध रखे और हर व्यक्ति को खुश और उन्नतिशील बनाए रखा।

श्रीमान, देखिए, यह व्यक्ति स्वयं क्या कहता है, जब वह अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, न कि इसे अपने वकील द्वारा बनाए गए प्रमाणो के सहारे। वह कहता है कि विश्वास जमाए रख कर भारत को जीता जा सकता था और इतनी बडी जीत दुनिया की सबसे बडी जीत होती। हर व्यक्ति हमारा सहयोग करने को तैयार था, पर हमसे सबंध न रखता था। क्यो ? क्योकि हमारा सम्पूर्ण चरित्र इतना सशकित हो गया था कि हमसे सबधित हर व्यक्ति का विश्वास टूट चुका था। क्या हम मान ले कि यह व्यक्ति अब यहाँ हमारे विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्य का भक्त व रक्षक बन कर खडा होगा जो हर बुराई का जिम्मेदार हमे मानता है ?

लेकिन तमाम बदमाशियो की जड उसकी गलत नीति मे निहित सन् १७७५ की नीति, जब नवाब के साथ पहली सधि हुई थी। वह कहता है, "वह नीति मेरी नही है, बल्कि यह जनरल क्लेवरिग, कर्नल मानसन और मिस्टर क्लामिस की थी।" श्रीमान ऐसी ही स्थिति थी। इससे उन्हे बडी प्रतिष्ठा मिली ब्रिटिश सरकार की नजरो मे सम्मान बढा ओर उन्होने इस अवसर का लाभ उठाया बिना विश्वास तोडे बिना किसी सन्धि को तोडे, बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुचाए, साथ ही कम्पनी को लाभ व सेवा की दृष्टि मे रख कर, मिस्टर हेस्टिंग्स इसे स्वीकार नही करता, अनावश्यक रूप से इसे अस्वीकार करता है, क्योकि इस सम्बन्ध मे उस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप भी नही करता। हम उस पर जो आक्षेप व अपराध आरोपित करते है वह है नीतियो का दुरुपयोग। इनमे से एक दुरुपयोग की ओर मै श्रीमान का ध्यान आकृष्ट कराऊगा। गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने के तत्काल बाद यह जान कर कि नवाब सभवत. कर्जो से डूब जाएगा, उसने उसे गुलाम व दास की स्थिति मे ला खडा किया और उससे उसी तरह व्यवहार भी करने लगा। आप पावेगे कि यह कोई पहला अवसर न था जब राजस्व के भुगतान न कर पाने पर देनदार की स्थिति दास की सी हो जाती है और ऐसे मामलो मे न तो कोई जॉच होती है न कोई मुकदमा ही चलाया जाता है। आपको याद होगा कि किस प्रकार दुर्विजय सिह ज्यो ही भुगतान न करने की स्थिति मे आया, पराधीन बन गया था। जहाँ तक अवध के नवाब का मामला है हम यह सिद्ध कर सकते है कि उसके राजस्व की आमदनी ३,६००,००० पौड थी जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी और बाद मे राजस्व घट भी गया तो यह विश्वास करने की काफी गुन्जाइश है कि उसके साधन व रास्ते ऐसे दृढ थे कि वह कम्पनी की पाई-पाई चुकता कर सकता था। इस विषय से अलग हटने के पूर्व श्रीमान मुझे पुन इस बात की स्वीकृति देगे कि मै यह पुन बताऊँ कि किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन नीतियो को बनाने वाले बडे लोगो को साधारण बनाना चाहा जिनके सम्बन्ध मे उसे तनिक भी शिकायते थी। वे ऐसे लोग थे जिनके चरित्र के सम्बन्ध मे यह देश सदा ही उनका सम्मान करेगा, उन्हे प्रतिष्ठा देगा चाहे वे

जीवित रहें या मर चुके हों। वे सदा ही ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपने प्रतिष्ठित व्यवहार के लिए सम्मान पावेंगे। मैं जानता हूँ कि उनके विरोध में एक दल संगठित हो गया था और उसी कारणवश उन्हें परेशानी थी। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आपके अनेक मित्र होंगे, आप भ्रष्टाचार की नदी के बहाव में रुकावट डालिए, आप के विरुद्ध हजारों नागों के मुँह खुल जाएँगे। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहते हैं वे इसकी चिन्ता नहीं करते। मुझे संतोष है, जीवित या मृत महान लोगों के नाम पर, ब्रिटेन की महानता के नाम पर और भारत की थोड़ी सी यह सेवा कर के मैं संतोप का अनुभव करता हूँ।

लेकिन आगे बढ़ने के लिए, वह कहता है, "यह नीति मेरी बनाई न थी।" अब आप स्वाभाविक रूप में सोचेंगे कि जिन्होंने भी यह नीति बनाई उन्होंने इसका कुछ अनुचित उपयोग भी किया होगा। अब हमें देखना चाहिए कि इसका उन्होंने क्या उपयोग किया जब कौंसिल में उनका ही बहुमत था। तब नवाब पर राजस्व का कर्ज चढ़ा हुआ था। यह कर्ज कैसे बढ़ा, यह हम बाद में विचार करेंगे। नवाब ने परिवार की जागीरों पर टैक्स लगा कर यह कर्ज उतारना चाहा और बेगम से भी कुछ रुपये लिए। उस समय अवध में स्थित कम्पनी के रेजीडेन्ट मिस्टर ब्रिस्टो की भी यही राय थी और निश्चय व प्रबन्ध के अनुसार आसफउद्दौला और उसके समर्थको ने अपनी सहमति प्रदर्शित की। फिर इस व्यापार के सम्बन्ध में मिस्टर हेस्टिंग्स क्या कहता है ? वह इस व्यवस्था को कौंसिल की शक्ति व अधिकारों का दुरुपयोग बताता है। आप देखें, वह इसी से संतुष्ट है कि वह इसे एक हिंसक आक्रमण समझता है, उन व्यक्तियों व लोगों की संपत्ति व अधिकारों पर जिनसे रुपये प्राप्त करने थे और इसके लिये न्याय की कोई नींव नहीं है और यह बात हर सिद्धान्त के विपरीत है।

यह सुन कर श्रीमान बहुत प्रसन्न होंगे कि बाद में उसी की राय व सलाह से और बाकी कौंसिल की सलाह से, यह व्यापार पुत्र, माता और उनके संबन्धियों के बीच ही समझौतापूर्वक निबटा दिया गया। बहुत बड़ी रुपयों की राशि जो उस समय कम्पनी के लिए बड़ी उपयोगी थी, उसे एक परिवार के बीच से ही उठा लिया गया। इस कार्यवाही की स्वीकृति कम्पनी द्वारा प्राप्त थी, मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं ही स्वीकृति दी थी और बेगम तथा नवाब के परिवार को एक सनद या इकरारनामा दिया गया कि यह उनसे की गई अंतिम माँग थी और यह न समझा जाय कि यह जबरदस्ती वसूल की गई है बल्कि मित्रता के रूप में यह चंदा सहायता के रूप में दिया गया है। उन्होंने कभी इसे न माना, न कभी नवाब ने सहमति प्रकट की कि उसे उनसे इस प्रकार रुपये वसूल करने का कोई अधिकार है। उस समय, मिस्टर हेस्टिंग्स की यह सम्मति न थी कि नीति की बुराई किसी भी हिंसात्मक व भ्रष्ट कार्यवाही की स्वीकृति देगी और जब इस राशि के संबंध में सम्बन्धित

लोगों में आपसी समझौता हो गया तो वह एक स्थायी सन्धि के लिए भी तैयार था ताकि एक ओर से मदा के लिए माँग की और दूमरी ओर से हर समय भुगतान करने की चिन्ता का सिलसिला समाप्त हो, मदा के लिए समाप्त हो, और यह सब ब्रिटिश विश्वास के अन्तर्गत हो।

श्रीमान को याद होगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश माम्राज्य के फैलाव में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा व सम्मान का हाथ था और अगर साम्राज्य को अस्थायी रखना है तो यह गहरे विश्वास की नीव पर ही टिका रह सकता है, यदि इसका प्रचार होना है तो यह जनता के विश्वास के लिए प्रचारित होगा और यदि ब्रिटिश साम्राज्य गिरता है तो इमका कारण होगी, हिंसा व अविश्वास। वह कई सिद्धान्तो का महारा ले कर लोगो मे मिलता था, लेकिन जब उसे अपने ही भ्रष्ट कृत्यो और अविश्वास के कार्यो का ममर्थन करना पडा तब श्रीमान देखे कि इस बनारस वाले अभियोग मे वह किसी भी ऐमी सन्धि के अस्तित्व से ही इन्कार करता है। वह कहता है कि ऐसी हर सन्धि को वह कमजोर और शक्तिहीन समझता है जिसमे अविश्वास एवं कमजोरी हो और भारत मे हर पहलू मे यही दिखाई पडता है अत: वहाँ की गई मभी सन्धियाँ बेकार है।

जिम काल की मै बात कर रहा हूँ उस काल मे जो कुछ भी हुआ, वह कौसिल के बहुमत की आज्ञा व राय से हुआ और मिस्टर हेस्टिंग्स उनसे अपने को किसी प्रकार संबंधित नही मानता। कर्नल मानमन और जनरल क्लेवरिंग थोड़े दिनों के बाद ही दिवंगत हो गए और मिस्टर हेस्टिंग्स का कौसिल मे बहुमत हो गया और उस समय भी था जब की वह बात करता है या जब उमने शक्ति व उच्चतम पद पर अधिकार किया, तब भी गलत नीति के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है तो उमे बहुत कम ममय तक ही इस स्थिति मे रहना स्वाभाविक था। उसी क्षण मे मेरी राय मे मिस्टर हेस्टिंग्स जब वहाँ उपस्थित था तब कौसिल के प्रत्येक निर्णय या कार्य का वही जिम्मेदार माना जायगा, क्योकि उसने किसी बात का कभी विरोध नही किया, न किसी बात मे रोड़े अटकाए। आप श्रीमान ने अभी जो कुछ सुना उसे अधिकारी व पद तथा कार्यालय के लिए लज्जाजनक ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जब वह अपने को बहुमत से शक्तिशाली नही समझता तो उसे अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही होने के कारण भी क्षम्य मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो वह कुछ भी प्रस्तावित करने का अधिकारी नहीं रह जाता। ऐसी कशमकश की स्थिति से क्या परिणाम निकलेगा? या यह मान लिया जाय कि जब तक किसी व्यक्ति को समस्त अधिकार व शक्ति न दे दी जाय, उसे कभी भी किसी पंचायत में नही जाने देना चाहिए, क्योंकि वह न तो कोई जिम्मेदारी वहन कर सकता है न अपने किसी गलत काम को ही गलती मानेगा। यह भी मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रमुख सिद्धान्तों में एक है। अब मैं कहूँगा कि यदि मान भी लिया जाय कि उसका कौसिल

में बहुमत न था, तो भी यदि कोई ऐसा कार्य हो रहा था जो रोकने से बुराई रुक सकती थी तो उसे वह करना चाहिए था। रोकथाम की कार्यवाही और उसे हर संभव प्रयत्न भी करना चाहिए था। कानून के विरुद्ध यह अहंकारपूर्ण, विद्रोही प्रवृत्ति के लिए कौंसिल का कोई भी जिम्मेदार सदस्य जब चाहे यह कह दे कि वह किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह अकेला ही समस्त कौंसिल नही है, यह श्रीमान के गंभीर विचार के लिए एक गंभीर विषय है।

अब मैं श्रीमान से यह कहने की सहमति चाहता हूँ कि यह संधि सन् १७७५ में हुई थी और लगभग एक वर्ष बाद मिस्टर हेस्टिंग्स कौंसिल में बहुमत प्राप्त कर सका, अतः यह मानना होगा कि पहले की कौंसिल का बहुमत बहुत अल्पकालीन था। सन् १७७६ से सन् १७८४ तक मिस्टर हेस्टिंग्स के अधिकार में अवध का सम्पूर्ण राज्य व सरकार रही क्योंकि कौंसिल में उसका बहुमत था। श्रीमान, यह कोई अपराध नहीं है कि एक गवर्नर जनरल या कोई भी व्यक्ति कौंसिल मे बहुमत का स्वामी हो। अपने में ही पूरी सरकार को सीमित कर लेना भी कोई अपराध नही है। न तो यही अपराध था कि अगर आप चाहें तो मान ले कि नवाब सरकार के सम्मुख पराधीन था क्योकि प्रश्न यह नही है कि एक गवर्नर जनरल क्या कर सकता है बल्कि यह कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया ? उसे जब कौसिल में बहुमत प्राप्त था और वहाँ अपने मन की वह किया करता, तो इन कार्यो को भी वैधानिक मान सकता है। लेकिन एक गवर्नर जनरल के रूप में वह हर कार्य का पूर्णतया जिम्मेदार है।

अब मैं श्रीमान से बताऊँगा जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं कहता है कि सन् १७७५ की संधि के अनुसार नवाब को कम्पनी का गुलाम बनाया गया, उसने जब उचित समझा तभी तो उसे गुलाम की स्थिति पर ले आया, लेकिन इसके पीछे उसका व्यक्तिगत स्वार्थ था। श्रीमान देखेंगे कि वे स्वार्थ भी कितने भ्रष्ट व गंदे थे। सबसे पहले कौंसिल का महत्व समाप्त करने की नीयत से और अवध पर अपना पूर्ण अधिकार बनाने के लिए उसने फारसी भाषा मे हुए पत्र-व्यवहार को दबाया या नष्ट किया (श्रीमान यह सब छपे कागज-पत्रों मे पावेंगे), जो अवध सम्बन्धी संपूर्ण कागज-पत्रों से भरा है। यह समस्त पत्राचार उसने छिपा रखा था और कौंसिल के सामने कभी नहीं लाया। यह पत्राचार कभी भी कंपनी के फारसी अनुवादक मिस्टर कोलब्रुक के सामने नही आया, उसे इसी काम के वेतन पर कम्पनी ने नियुक्त किया था। यह समस्त पत्राचार मिस्टर हेस्टिंग्स की व्यक्तिगत तिजोरी में बंद रहते थे, सन् १७८१ से सन् १७८५ तक के पत्राचार कौंसिल के सामने नहीं आये। उसमें कोई बिशेष महत्व नहीं है जैसा कि इस मामले में कई स्थानों पर श्रीमान ने देखा।

फोर्ट विलियम, १६ फरवरी सन् १७८५

"कौंसिल की बैठक की उपस्थिति—माननीय जॉन मैकफरसन, गवर्नर जनरल अध्यक्ष और जॉन स्टेबल्स।

"परिषद् की आज्ञा से उपस्थित फारसी अनुवादक कहता है कि सन् १७८१ के अंत तक उसके दफ्तर मे पत्राचार की कोई फाइल नही रखी गई। क्योकि उस समय से भूतपूर्व गवर्नर जनरल की विदाई तक, वह गवर्नर जनरल की आज्ञा से पत्र व्यवहार के प्रबध के लिए नियुक्त था। बस एक बार केवल फारसी फौजी शिक्षक मेजर डेवी के आने पर जो लखनऊ मे रहता था। यानी उस तीन वर्ष की अवधि मे वह इस पत्राचार से पूरी तरह अनभिज्ञ रहा। बस कभी-कभी उसके पास सचिवो द्वारा कुछ कागजात भेजे जाते थे जिन्हे वह अनुवादित करके उनके पास तत्काल वापस भेज देता था।

फारसी अनुवादक ने, भूतपूर्व गवर्नर जनरल के जाने पर मिस्टर स्कॉट द्वारा एक बक्स भर कर अग्रेजी पत्र और उनके अनुवाद पाए। साथ मे फारसी पत्रो की मूलप्रति और दूसरे कागजात थे और फारसी भाषा मे तीन पुस्तके भी जिनमे पत्रो की नकले थी जो अगस्त सन् १७८२ से जनवरी सन् १७८५ के बीच लिखे गये थे और यदि जनरल विभाग सचिवो को परिषद् की आज्ञा मिली होती कि सभी अनुवादो की प्रतिलिपि की जाये, जो १ली जनवरी सन् १७८२ से ३१ जनवरी १७८५ के बीच हुए थे तो वह समझता हे कि उसे कैप्टन स्कॉट के सन्दूक मे जो मिला था वह सुलभ हो जाता।

(हस्ताक्षर) एडवर्ड कोलब्रुक

"फारसी अनुवादक"

अब देखे, श्रीमान, कपनी के कागजातो का क्या हुआ? ये कागजात हर सार्वजनिक मामलो के प्रमाणित दस्तावेज थे। कम्पनी के व्यापार, समझौते तथा सन्धियो के ये प्रमाण थे और इस प्रकार क्या सार्वजनिक रूप से जनता के विश्वास की रक्षा की गई? आप उन सभी कागजातो को मिस्टर स्कॉट के सदूक मे भरा पावेगे। फिर उस सन्दूक मे तो उन्होने जो चाहा रखा, जो चाहा निकाला, जिसे चाहा नष्ट किया और जिनका चाहा उत्तर दिया। गवर्नर जनरल व कौसिल के कागजात कैप्टन जोनाथन स्कॉट के सदूक मे थे। यही सदूक सच पूछा जाय तो कम्पनी व राज्य के अधिकारियो के बीच एक सेतु था, लेकिन यह भी किसी सदस्य को ज्ञात न था केवल मिस्टर हेस्टिग्स को छोड कर, और जब पहली बार कौसिल ने उनके संबध मे जाना, तो फारसी अनुवादक से पूछा गया जो इनके संबंध मे कुछ न जानता था। हम देखते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति के हाथ मे था, मेजर डेवी के हाथ मे, फिर कम्पनी उसके सम्बन्ध मे क्या जानती थी? क्यो, वह मिस्टर हेस्टिंग्स का निजी सहायक या सचिव था। इस प्रकार कम्पनी को

इन बातो की जानकारी से परे रखा गया और उन्हें कुछ भी मालूम न हो सका सिवा इसके कि मिस्टर हेस्टिंग्स व उसके संदूक रखने वाले ने जो चाहा बता दिया। हमलोग इस संबंध मे जो कुछ जान सके है वह केवल इन्ही फटे-फुटे, टूटे और नष्टप्राय पत्रों के सहारे।

और यदि ये कागजात उस पत्राचार की सही व सच्ची प्रतिलिपि के रूप मे है तो हमे यह कहना है और यही हमारा आरोप है कि ये समय-समय पर कौसिल के सम्मुख नही रखे गये। मिस्टर हेस्टिंग्स ने अवध की पूरी सरकार को अपने हाथ मे रखा और कम्पनी को उसके कार्यों की देखभाल का कोई अवसर न मिला। सब कुछ उसी के हाथ मे था और उसे हम उसे शक्ति देने वाली महासभा संसद के विरुद्ध उसका विद्रोह तथा अवहेलना मानते है। कौसिल को उसके अधिकार से वंचित करना, उन्हे समस्त कार्यवाहियो से दूर अधकार मे रखना, केवल कुछ अवसरो को छोड़ कर उसने अपने स्वार्थ-लाभ के लिए कुछ बाते कौसिल के सामने रखा।

श्रीमान अब मिस्टर हेस्टिंग्स की कार्य-पद्धति छिपाव की थी, कम्पनी के मातहत लोगों को अपना व्यक्तिगत दास बनाने की पद्धति, उन्हे कम्पनी के प्रति स्वामीभक्त न बना कर अपने प्रति भक्त बनाने की पद्धति थी। उसने अपनी इस गलत पद्धति का बनारस मे उपयोग किया, अवध मे किया। यही उसकी सनातन पद्धति थी। श्रीमान ने देखा कि अवध मे, उसने मिस्टर मरखम के साथ वर्षो तक एक प्रतिनिधि रखा, और वह सब काम स्वय करता रहा जो कौसिल को सामूहिक रूप से करना चाहिए था। उसने अपना अधिकार मिस्टर मरखम को सौंपा जिसका उसे कदापि अधिकार न था। आगे भी आप देखेगे कि यही सब उसने भारत के अन्य भागो मे भी किया।

सबसे पहले हम उस पर अभियोग लगाते है कि उसने न केवल बिना अधिकार के कार्य किया बल्कि अपनी छिपाव वाली पद्धति के कारण वह धूर्ततापूर्ण कार्य भी करता रहा। फिर हम उस पर दूसरा अभियोग लगाते है कि उसने पत्राचारो को छिपाया और नष्ट किया जो कार्य डायरेक्टरो की परिषद की आज्ञा के बिल्कुल विपरीत था। यह अभियोग हम एक महाअभियोग के रूप मे देखते है जिससे एक बेबस व दुखी राष्ट्र नष्ट हुआ।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस प्रकार कौसिल की अवहेलना करके, उसे अधकार मे रख कर फिर बाद मे क्या किया ? मैं किसी कार्य के विशेष काल की बात नही करता, बल्कि उस कार्य की साधारण पद्धति की बात करता हूँ। फिर वह कम्पनी के चेहरे पर मक्खी की तरह मंडराता रहा, उसी सिद्धान्त से जिससे उसने बनारस से मिस्टर फाक को निकाला। वह कहता है, 'मैने उसे राजनीतिक कारणो से निकाला, डायरेक्टरो की परिषद की आज्ञा के विरुद्ध, क्योकि मैने यह आवश्यक समझा कि

रेजीडेंट वही व्यक्ति हो जो मेरे विश्वास का हो और जिसे मै ही नियुक्त करूँ।" अवध म भी वह इसी पद्धति से बढता रहा। मिस्टर ब्रिस्टाव की नियुक्ति डायरेक्टरो की परिषद ने रेजीडेन्ट के पद पर की थी। पार्लमेंट के एक कानून द्वारा मिस्टर हेस्टिंग्स को डायरेक्टरो की परिषद की आज्ञा मानने का आदेश दिया गया था। उसने उस आदेश की अवहेलना की और घोषित किया कि वे राजकाज नही चलावेगे, बल्कि वह अपने द्वारा नियुक्त रेजीडेंट के माध्यम मे राज्य की व्यवस्था करेगा।

आप श्रीमान देखे कि अपने बनाए नए ढंग से उसने कितनी प्रगति की जिसके संबंध मे वह कहता है कि यह नया ढग उसने अपने पूर्ववर्ती अधिकारियो की बेढंगी और दोषपूर्ण पद्धति के बीच ग्रहण किया। सर्वप्रथम उसने कौसिल की अवज्ञा की। फिर उसने परिषद के आदेशो को अपमानित किया। अपने नौकरों की गैरकानूनी नियुक्ति की और मिस्टर ब्रिस्टोव की अवध के रेजीडेंट के रूप मे नियुक्ति का विरोध किया। पहले तो मिस्टर ब्रिस्टोव की नियुक्ति से इन्कार किया फिर जब उसे विवश किया गया तो उसने मिस्टर मिडिलटन और मिस्टर जानसन को भी नियुक्त किया ताकि वे मिस्टर ब्रिस्टोव के अधिकारो मे गडबडी पैदा करते रहे।

डायरेक्टरो से यह संघर्ष समाप्त करके तथा उनकी शक्ति को पूरी तरह हिलाने के बाद, उसने घोषणा की कि देशी राजाओ को ज्ञात हो जाय कि उन्हें डायरेक्टरो की परिषद से कोई संबध नही रखना है, इस प्रकार ब्रिटेन की पार्लमेंट, ग्रेट ब्रिटेन के कानून और डायरेक्टरो की परिषद को नंगा करते हुए उसने एक पत्र लिखा जिसे श्रीमान छपे कागजातो के ७१५ पृष्ठ पर पावेगे। इस पत्र मे, सरकार की गुप्त बाते लिखी है। लिखा है कि देशी राजाओ को कौसिल या डायरेक्टरो की परिषद के प्रति नही बल्कि केवल उसके प्रति स्वामीभक्ति दिखानी होगी।

इस पत्र के संबंध मे आगे चर्चा करने के पूर्व मै आपके सामने कौसिल का एक प्रस्ताव पढूंगा जिसके द्वारा उसने मिस्टर ब्रिस्टोव को पदच्युत किया (देखिये पृष्ठ संख्या ५०७)। इसके पूर्व कि मै आपके सम्मुख उन भयानक व कष्टकर परिणामो की चर्चा करूँ जो इसके परिणामस्वरूप हुए, मै निवेदन करूंगा कि उसके कानून तोडने के अभियोग के लिए उसे अवश्य दण्ड मिलना चाहिए। हम इस बात की जिद करते है कि इस देश का हर व्यक्ति यहाँ के कानून की मर्यादा को मानने को विवश है। इस प्रस्ताव द्वारा मिस्टर ब्रिस्टोव को पदच्युत करके सन् १७७६ में ही डायरेक्टरो के आदेश का उल्लंघन किया। "निश्चय हुआ कि मिस्टर ब्रिस्टोव को प्रेसीडेंसी मे वापस बुलाया जाय और उसके स्थान पर अवध के नवाब के यहाँ मिस्टर मिडिलटन को रेजीडेंट नियुक्त किया जाय।" इसके बाद मैं श्रीमान के सम्मुख ४ जुलाई सन् १७७७ मे डायरेक्टरों के आदेश की ओर ध्यान दिलाऊँगा कि उसे

पुनः उसी पद पर रखा जाय। "आपकी २ दिसंबर सन् १७७६ की समस्त कार्य-वाही को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के वाद, जो मिस्टर ब्रिस्टोव को अवध के नवाब के दरबार से हटाने, तथा उस स्थान के संबंध में है, हम लोग घोर आपत्ति और अस्वीकृति देते हैं, समस्त व्यापार के लिए। हम यह भी अच्छी तरह समझते हैं कि मिस्टर ब्रिस्टोव को वहाँ से वापस बुलाने में गवर्नर जनरल का यही स्वार्थ है कि मिस्टर मिडिलटन की नियुक्ति हो, लेकिन यह दोनों कार्य हमें अनावश्यक और अन्यायोचित लगते है, इन्हें हमारी स्वीकृति तथा सहमति कभी नहीं मिल सकती।

"जहाँ तक मिस्टर ब्रिस्टोव का प्रश्न है, हमें उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि उसके कार्य में कहीं कोई कमी नहीं रही और उसके कार्य से कौंसिल के सभी सदस्य संतुष्ट हैं। उसकी नियुक्ति की सिफारिश भी तो आपने ही की थी और सिफारिश के जोरदार शब्दों ने ही हमें उसके पक्ष में निर्णय लेने को विवश किया। अब हमारा विश्वास है कि वह एक योग्य व्यक्ति है जिसके शुद्ध चरित्र से उसके अधिकारी सदा प्रसन्न रहे और ऐसे कार्यकर्ता को बिना कारण ही कार्य से अलग किया जाना बड़ा अनुचित है। अतः हम आदेश देते है कि मिस्टर ब्रिस्टोव को पुनः अवध के नवाब के दरबार में रेजीडेन्ट पद पर प्रतिष्ठित किया जाय जिस पद से उसे इस प्रकार, अनैतिक ढंग से अलग किया गया है।"

कौंसिल के आदेश को प्राप्त करके, तब कौसिल के एक सदस्य मिस्टर फ्रैंसिस ने लिखा—"कौंसिल को मानते हुए मिस्टर ब्रिस्टोव की तत्काल पुनः नियुक्ति अवध में रेजीडेन्ट के पद पर होनी चाहिए और मिस्टर ब्रिस्टोव के वहाँ पहुँचते ही मिस्टर पुलिंग को आदेश दिया जाता है कि उसे कार्यभार सौंप दे और खुद प्रेसीडेन्सी वापस आ जाये। साथ ही गवर्नर जनरल को भी आदेश दिया जाता है कि वह मिस्टर ब्रिस्टोव को तत्काल प्रमाण-पत्र दे जो वह नवाब वजीर के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।"

यह आदेश पा कर मिस्टर हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित वक्तव्य लिखा—"मैं पूछता हूँ, मिस्टर ब्रिस्टोव कौन है कि राजसत्ता के एक प्रमुख अधिकारी को पदच्युत कर के उसे इस प्रकार की प्रमुखता दी जाय। उसकी नियुक्ति के क्या कारण व आवश्यकताएँ हो सकती हैं? उसकी क्या योग्यता है, क्या सेवाएँ हैं या क्या ऐसी विशेषताएँ हैं कि उसके साथ इस प्रकार का असाधारण पक्षपात किया जाय। उसमें ऐसी क्या कार्य-पटुता के गुण या असाधारण क्षमता की बात हैं कि अधिकारीगण उस पर इतना मुग्ध हैं? मेरे पास उसके लिए कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। उसने बोर्ड के नाम जो पत्र लिखा है, उससे बड़ा अहित हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कार्यवाही के साथ उसकी एक प्रतिलिपि भी लगी

रहे, ताकि यह सदा ही परिषद के सदस्यों के सम्मुख रहे और वे सदा किसी भी कर्मचारी का पक्ष लेने में सतर्क रहें एवं वे देखें कि एक कर्मचारी ने किस प्रकार सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया है। अब परिषद को सोचना है कि जिस आदमी की ऐसी आत्मा हो, जिसने उनकी शक्ति की अवहेलना की उसके साथ क्या व्यवहार रखा जाय ?"

श्रीमान, एक ऐसा प्रमाण यहाँ आ उपस्थित हुआ है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आप जानते है कि विद्रोह और धृष्टता में अंतर नहीं है। आप देखें कि यह आदमी कम्पनी के विरुद्ध सीधा विद्रोह करता है, धृष्टतापूर्वक मिस्टर ब्रिस्टोव को पदच्युत करता है, यद्यपि पहले वह उसकी तारीफ कर चुका है। उसे परिषद मे आदेश मिलता है कि उसे पुनः नियुक्त किया जाय।

श्रीमान, आपने देखा कि कार्यवाही जिसे उसने डायरेक्टरों की परिषद को भेजा और जब देखा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध और कुछ नही कर सकता तो उसने दुश्मनी ठानी।

कम्पनी के नौकरों को नौकरो का मालिक किसने बनाया ? डायरेक्टर भी तो साम्राज्य के नौकर है और ऐसे नौकरो को सम्मानित पदों को प्राप्त करने का अधिकार भी है। आप यह स्पष्ट देख सकते है कि वह कम्पनी के नौकरों से किस प्रकार का व्यवहार करता है। मैं बार-बार श्रीमान से कहूँगा कि कौसिल की कार्यवाही में उसने बहुत गलत बातें लिखीं और इसीलिये कि वह कौसिल का अध्यक्ष भी था अतः उसने ऐसा मनमाना किया जैसा पूर्वीय योरपीय इतिहास में इसके पूर्व कभी नही हुआ। एक पद पर मिस्टर ब्रिस्टोव का अधिकार था, यह अधिकार उसे कंपनी से प्राप्त हुआ था, इस संबंध में मिस्टर हेस्टिंग्स का कहना है कि वह डायरेक्टरो के साथ मिल कर उसके विरुद्ध षडयंत्र करता है और डायरेक्टों के सामने बहुत दिनो बाद उसने एक बहुत नम्रतापूर्ण प्रार्थना पत्र भेजा ताकि उसके पक्ष में निर्णय लिया जा सके, यह बात भी उसके लिए मुसीबत हो गई।

हम मान लें कि बादशाह सलामत कृपापूर्वक किसी को किसी पद पर नियुक्त करें, तो उस व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाय जिसका कार्य है कि राजा की आज्ञाओं का पालन करे, यदि वही कहे कि यह पद तुम्हें नही मिलेगा। हे ईश्वर ! श्रीमान, यह भाषा कहाँ से सीखी गई ? क्योंकि पूर्वी देशों में ऐसी कोई अदालत नहीं है न मैंने किसी के बारे में आज तक सुना, लेकिन यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बर्बरतापूर्ण कार्य वहाँ भी किसी रूप में सह्य नहीं हैं।

मिस्टर हेस्टिंग्स को यह आदेश मिलता है, जिसका पालन करना उसका कर्तव्य है। उसके कर्तव्य का बोध उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा कराया भी जाता है जो उसकी कर्तव्यहीनता से हानि उठाता है और इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि

वह व्यक्ति विद्रोही प्रवृत्ति का है। श्रीमान, यह ध्यान देने की बात है। भारत मे कोई व्यक्ति ठीक ढंग से बात सौपने के लिए स्वाधीन नही है। मिस्टर ब्रिस्टोव ने अपने ही मामले को किस प्रकार प्रस्तुत किया, यह तो हमे मिस्टर हेस्टिग्स ही बतावेगे। उसे डायरेक्टरो की परिषद का पत्र अपनी जेब मे रख लेना चाहिए था, उसे इस सम्बन्ध मे कभी भी चर्चा नही करनी चाहिए थी, उसे मेरे बनिया कन्तू बाबू के पास जाना चाहिए था, उसे मौके पर एक मोटी रिश्वत भेट करनी चाहिए थी। यही एक रास्ता था, मुझे जीतने का क्योकि मै तो सीधे जनता के व्यक्ति से रिश्वत और नजराने नही लेता। लेकिन यह मूर्ख व्यक्ति जो अपने मामले को सीधे-सादे ढंग से रखता है और डायरेक्टरो की परिषद से सुरक्षा की प्रार्थना करता है उसे तो अपने परम शत्रु कन्तू बाबू से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए थी। यही सारे व्यापार को संचालित करने का उचित ढग होता, लेकिन लगता है कि मूर्ख व्यक्ति ने केवल मूर्खता ही न की बल्कि बेढगे तरह से अपनी बात रखी और इसका प्रमाण भी क्या है ? मिस्टर हेस्टिग्स तो कहता ही है— "उसकी योग्यता की परीक्षा के लिए मै उस पत्र का हवाला दूँगा जो उसने परिषद को लिखने की धृष्टता की है और जिसके सबध मे यह कहते हुए लज्जित हो रहा हूँ कि इससे हमारा बहुत अहित हुआ।' वह कैसा भी पत्र क्यो न हो, मै कहना चाहूँगा कि उसमे कम्पनी के कर्मचारियो के सबध मे एक भी शब्द नही है, जिनके संबंध मे विद्रोह का अभियोग मिस्टर हेस्टिग्स ने लगाया है।

लेकिन, श्रीमान, वह मिस्टर मिडिलटन को रेजीडेन्ट के पद पर नियुक्त करने मे क्यो दिलचस्पी रखता है ? आप श्रीमान ने मिस्टर ब्रिस्टोव को नही देखा है। आपने तो केवल उसके बारे मे यही भर सुना है कि वह कम्पनी के आदेशो का सदा पालन करता था, लेकिन आपने मिस्टर मिडिलटन को देखा है। आप जानते है कि गुप्त बात या रहस्य छिपा रखने मे मिस्टर मिडिलटन प्रवीण है। मै उसके बारे मे अधिक नही कहूँगा। आप यह भी जानते है किसी को अपना विश्वासपात्र बनाने के लिए मिस्टर हेस्टिग्स उसमे कौन-सी विशेषता चाहता है, आप यह भी जानते है कि वह नौकरी मे क्यो निकाला गया। इसका मुख्य कारण था कि अवध के रेजीडेन्ट के रूप मे जान-बूझ कर उसने कौसिल के सामने देशी राजाओ से हुए पत्र-व्यवहार को उपस्थित करने मे इनकार किया। वह कहता है कि उसने सब मिस्टर हेस्टिग्स को सौप दिया था और उसने उन्हे नष्ट कर दिया या नही यह वह नही जानता, बस हमे यही मालूम है कि वह सब आज तक देखने को नही मिला। हमे मिस्टर मिडिलटन से वह संदूक नही मिला यद्यपि मिस्टर जोनाथन ने उसे अंत मे प्रस्तुत किया। मिस्टर मिडिलटन ने रेजीडेन्सी के समय हुए समस्त फारसी पत्राचार की मौजूदगी से भी इनकार किया और जैसा मैने कहा है कि कलकत्ता की परिषद और डायरेक्टरो और कानूनी अधिकारियो से भी इनकार ही

किया गया और मिस्टर मिडिलटन को उसी इनकार करने के पुरस्कार स्वरूप मिस्टर हेस्टिंग्स ने पुन मिस्टर ब्रिस्टोव के ऊपर उसे नियुक्त किया और बिना किसी अपराध के ही मिस्टर ब्रिस्टोव को निकाला गया।

अब इस मामले को संक्षेप मे इसी प्रश्न के रूप मे देखा जायगा कि गवर्नर जनरल अपने उच्च अधिकारियों का आदेश मानने को विवश है या नही ? इसे हम श्रीमान के विचार के लिए ही छोड देंगे और मुझे श्रीमान से केवल यही प्रार्थना करना है कि आप अपने सामने यह सदा याद रखे कि आपके सम्मुख खड़ा अपराधी यह घोषित करता है कि मिस्टर ब्रिस्टोव का चरित्र सदेहजनक है क्यो कि वह स्वतंत्र विचार वाला है और वह यह नहीं जानता कि अपने स्वार्थ के लिए क्या आचरण उचित है।

यहाँ मै श्रीमान से यही प्रार्थना करूंगा कि यह रेजीडेन्ट का कर्त्तव्य था कि वह कम्पनी से सम्बन्धित रुपये का लेन-देन करे और राजनीतिक वार्तालाप भी चलावे पर आप देखे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस प्रकार अपने अधिकार को बाँट रखा था क्यो कि उसे डर था कि डायरेक्टर अपने अधिकारो का उपयोग कर सकते है। उसने मिस्टर मिडिलटन को लेन-देन वाले विभाग का उच्चतम अधिकारी बनाया और मिस्टर ब्रिस्टोव को राजनीतिक मामलो का। श्रीमान देखे कि मिस्टर ब्रिस्टोव जिसे वह अयोग्य बताता है को फिर भी राजनीतिक मामलो का विभाग सौपता है और अपने विश्वासपात्र मिस्टर मिडिलटन को रुपयो की जिम्मेदारी सोपता है। वह जानता था कि जहा सम्पत्ति का मामला हो उसे अपने आदमी के हाथ मे रखना उचित था। उसका यह व्यक्तिगत दलाल, पत्राचार को छिपाने वाला, उसके हर रहस्य को छिपाने मे समर्थ था और मिस्टर ब्रिस्टोव जो अपने पद के कारण हिसाब-किताब का भी जिम्मेदार था उसे राजनीतिक कार्य दिया गया।

श्रीमान, यह सब केवल अवध के सम्बन्ध मे आर्थिक लेन-देन को अपने हाथ मे रखने की चाल थी। उसके दिल मे भ्रष्टाचार की जो योजना थी उसका इससे अधिक कोई प्रमाण नही हो सकता।

दूसरी बात, जिस पर हमे श्रीमान का ध्यान आकृष्ट कराना है वह है समस्त मामलो मे अपराधी का योगदान। आप देखें कि मिस्टर ब्रिस्टोव के प्रथम बार निकाले जाने पर मिस्टर हेस्टिंग्स उससे सदा के लिए छुटकारा पा सकता था, पर उसी व्यक्ति को पुनः रेजीडेन्ट नियुक्त किया गया और अब श्रीमान सुनेंगे कि इस नियुक्ति के सम्बन्ध मे कलकत्ता मे आसफउद्दौला के वकील-दूत गोविन्दराम से वह क्या कहता है। यह छपी कार्यवाही के पृष्ठ ७६५ पर है।

[एक अरजी का अंश जिसे राजा गोविन्दराम ने वजीर के पास गवर्नर जनरल के आदेशानुसार भेजा जो २७ अगस्त सन् १७८२ को लिखी गई थी।]

"जिस दिन गवर्नर जनरल ने मुझे गुप्त रूप से बुलाया, जब उन्हें यह पता लगा कि आप के राज्य भर में अराजकता और झंझट मची है, कहा कि न तो आपने, न हैदर बेग खाँ ने, न मिस्टर मिडिलटन ने और न मिस्टर जानसन ने इस मामले के सम्बन्ध में उन्हें कभी खबर दी। गवर्नर-जनरल ने निम्नलिखित संदेश दिया—

"यह उनका विचार था कि आपके साथ कार्य करने के लिए वे मिस्टर डेविड एण्डरसन को नियुक्त करते, परन्तु वह अभी तक सिंधिया के साथ था और उसके शीघ्र ही लौटने की आशा न थी, अतः अब वे मिस्टर जान ब्रिस्टोव को नियुक्त करते हैं जो लखनऊ के मामले से खूब परिचित हैं। जब मिस्टर ब्रिस्टोव पहले वहाँ रेजीडेन्ट के पद पर था, तब वह उनका नियुक्त किया हुआ न था, और कोई शिकायत न होने पर भी उसे वापस बुला लेना आवश्यक था क्योंकि उसकी नियुक्ति उन लोगों ने की थी जो उनके विरोधी थे। मिस्टर फ्रैंसिस यूरोप लौट गया। कम्पनी ने गवर्नर जनरल को ही समस्त अधिकार सौंप दिए और मिस्टर मैकफरसन को भेजा जो उनका पुराना मित्र था। मिस्टर स्टेबुल्स जो यहाँ सुप्रीम कौंसिल का सदस्य हो कर आ रहा था, वह भी उनका विशेष मित्र था। मिस्टर ह्वीलर ने यूरोप से पत्र पाया था जिसमे लिखा था कि कौंसिल की मदद उसे करनी चाहिए। मिस्टर ब्रिस्टोव योरप वापस चला गया था, पर जब तक था तब तक की उसकी कोई शिकायत नही सुनी गई बल्कि उसे तो इंगलैंड से हिसाब भी मिलते थे। मिस्टर ब्रिस्टोव तो पहले ही मिस्टर मैकफरसन से मिल चुके थे। गवर्नर जनरल ने मिस्टर ब्रिस्टोव को लखनऊ भेजने का निश्चय कर रखा था। फिर भी वह आप से इस प्रकार की लिखित प्रार्थना चाहते है कि आप अपनी ओर से उनसे प्रार्थना करें कि मिस्टर ब्रिस्टोव लखनऊ भेजे जायँ।"

श्रीमान, इस पत्र मे आपको कई और अन्य प्रमाण मिलेगे। मिस्टर स्काट की संदूक जिसमें सभी कागज-पत्र भरे पड़े थे, से यह अर्जी प्राप्त हुई है। अपराधी यह स्वीकार करता है कि मिस्टर ब्रिस्टोव ने अपनी स्वामिभक्ति का विश्वास दिलाया था।

यह दूसरा रहस्य यहाँ खुलता है। जब वह मिस्टर ब्रिस्टोव को बुलाता है तो यह अवध के नवाब की इच्छा के विरुद्ध क्योंकि वह नवाब के दरबार में ऐसा व्यक्ति रखना चाहता था जो उसे पसंद न हो। और जब बातें खुली तो पता चला कि मिस्टर मिडिलटन ने नवाब पर जोर डाल कर उसे एक झूठा पत्र लिखने को विवश किया था। यह बात मिस्टर हेस्टिंग्स को मालूम थी। क्या उसने कर्मचारियों के रक्षक और अफसर होने के नाते या देश के शासन का उच्चतम अधिकारी होने के नाते या कम्पनी के एक कर्मचारी के रूप में कभी मिस्टर मिडिलटन को बुला कर इस सम्बन्ध में पूछा ?

अब श्रीमान, आप समस्त व्यापार के चक्कर को देखे, मिस्टर ब्रिस्टोव को डायरेक्टरो के आदेशो के विपरीत हटाया गया। क्यो ? क्योकि वह डायरेक्टरो से कहता है कि नवाब ने उससे मिस्टर ब्रिस्टोव की शिकायत की थी। और इसके प्रमाणस्वरूप उसके हाथ मे एक शिकायती पत्र भी था। अब देखे श्रीमान, कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कम्पनी के कर्मचारियो की क्या स्थिति कर रखी थी। दूसरी बात है उस देश के देशी राजाओ की स्थिति, जिनके नाम से जैसे और चाहे जितने जाली पत्र मिस्टर हेस्टिंग्स तैयार कर लेता था।

इस प्रकार की जालसाजी के लिए कौन औजार बना था ? गोविन्दराम, कलकत्ता के घरेलू सचिव का सलाहकार। उसके दिमाग मे भी शक हुआ कि क्या उसे धोखा नही दिया गया। उसे याद नही कि किसी भी विषय मे वह कभी मिस्टर हेस्टिंग्स का सहयोगी रहा हो, पर अब देखना है कि मिस्टर मिडिलटन के पक्ष में उसकी सिफारिश वहाँ मौजूद थी। और दूसरा भी एक पत्र उसके नाम से वहाँ मौजूद था जिसमे मिस्टर मिडिलटन की यह शिकायत थी कि वह अपने कार्य के प्रति लापरवाह है और उसे गलत-सलत व झूठी खबरे देता है। उसके नाम से एक दूसरे की विरोधी बहुत सी बाते फैली। उसने देखा कि अवध मे झूठ व धोखा-धडी का बहुत बडा जाल फैला है। यह तो श्रीमान, नवाब के वकील की स्थिति थी। नवाब भी स्थिति को ठीक से समझ पाने मे असमर्थ था। उसने गोविन्दराम के पास लिखा—

"जहाँ तक मिस्टर हेस्टिंग्स की आज्ञाओ का प्रश्न है, वह मुझसे सूचना चाहता है कि मै इस प्रकार लिखूँ कि मिस्टर ब्रिस्टोव ने उसके प्रति बडा सद्-व्यवहार प्रदर्शित किया है, अब तुम गुप्त रूप से पता लगा कर मुझे लिखना की आखिर मिस्टर हेस्टिंग्स चाहता क्या है, या तो मिस्टर ब्रिस्टोव को वहाँ भेजने की उसकी अपनी इच्छा थी या यह मिस्टर मिडिलटन के पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए है। अतः मै दोनो तरह का पत्र अलग-अलग लिख कर तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अब तुम गुप्त रूप से पता लगा लो कि मिस्टर हेस्टिंग्स की क्या इच्छा है, फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसी से पूछ कर पत्र उसे दे देना क्योकि मैं तो उसे ही संतुष्ट करना चाहता हूँ। आज तो उसका जो मित्र है वही हमारा भी मित्र है और उसका शत्रु हमारा भी शत्रु है। उसकी ही सभी इच्छाएँ मेरी भी इच्छाएँ है। मिस्टर डेवी अपने साथ प्रश्नावली की जो सूची लाया है और मुझे जो अधिकार मिले है उस दृष्टि से वह जिसे भी यहाँ नियुक्त करे मुझे मान्य होगा। मै तो इन लोगो से बुरी तरह तंग आ गया और परेशान हो गया हूँ। राय देने मे वे मुझे नष्ट करते है, फिर भी मैं मेजर डेवी और पामर से संतुष्ट हूँ क्योकि जो भी मिस्टर हेस्टिंग्स की इच्छा होगी वह मेरे लिए भी सर्वोत्तम होगी।"

यह है एक दुखी नवाब की भावनाएँ जो यह स्वीकार करता है कि मिस्टर

हेस्टिंग्स के राजकीय प्रतिनिधि मिस्टर मिडिलटन और मिस्टर जानसन ने तथा उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधि मेजर डेवी और मेजर पामर ने उसे किस प्रकार नष्ट किया है और अंत में वह हताश स्वर मे कहता है—"अगर आप की इच्छा यही है कि मेजर डेवी और मेजर पामर यही रहें तो इसमे मेरी स्वीकृति की क्या आवश्यकता है। आप की जो इच्छा हो आप वही करें, मै आप का ही हूँ और ईश्वर के लिए मुझे तनिक शांति मे रहने दें।"

अब श्रीमान देखे कि वजीर का प्रधानमंत्री हैदर बेग खाँ क्या कहता है उस परिस्थिति में जहाँ उसके मालिक व उसे ला कर रख दिया गया है।

[हैदर बेग खाँ के पत्र का अंश २१ अप्रैल सन् १७८५ को प्राप्त]

"मै आशा करता हूँ कि ऐसे आदेश व आज्ञाएँ जो नवाब व कम्पनी के सरकार के बीच मित्रता का संबंध दृढ़ करते हैं और आप की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मेजर पामर के माध्यम से आएँगे या मेजर के पत्रों में जिन्हें आप ने नियुक्त किया है, वही आपके आदेश हमे सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार आप की इच्छाएँ सदा ही उचित ढंग से नवाब तक पहुँचेगी और उनमें बाल बराबर भी अंतर न आएगा क्योंकि नवाब तो कभी भी आपकी इच्छाओं का तनिक भी विरोध नही करते। मै भी आप का पूरी तरह स्वामिभक्त नौकर हूँ--यही आप को भी मानना चाहिए।"

अब श्रीमान, इन सभी कामों का बेढगापन देखें। भारत भर मे धोखाधड़ी का यह जो भ्रष्ट नाटक चल रहा है, उसका एक-एक दृश्य आपके सम्मुख उपस्थित है। आप देखेगे कि सभी कुछ कितना धूर्ततापूर्ण है। भारत में मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकार की सच्ची कार्यवाही का पता हमे मेजर स्काट की संदूक मे लगा। इससे आप ने यह तो देख ही लिया कि भ्रष्टाचार, लूटमार और अनाधिकार चेष्टाओं से मिस्टर हेस्टिंग्स ने धरती पर के सब से सुन्दर देश को किस प्रकार नष्ट कर डाला। अब मेरे लिए यह बताना आवश्यक हो गया है कि आप उसके बताये भारत से प्राप्त पत्राचार के एक शब्द पर भी विश्वास न करें। आप ने यह तो देख लिया है कि वहाँ कैसी सरकार है और अब क्रमशः उसके प्रभाव भी आप देखेगे।

श्रीमान ने देखा कि मेजर स्काट का संदूक तो अल्लादीन का चिराग बन कर आया। मैने मेजर स्काट के संदूक की खोज को महान रहस्योद्घाटन कहा है, पर श्रीमान मै अपनी एक गलती के लिए क्षमा माँगूंगा कि मैंने हैदर बेग खाँ के पत्र को मिस्टर हेस्टिंग्स के पत्राचार का एक अंश माना। यह पत्र एक दूसरे और महत्वपूर्ण माध्यम से प्राप्त हुआ। यद्यपि यह संदूक में नहीं मिला, फिर भी इसमें से संदूक की, चमडे की गंध आती है। मै अपनी इस खोज पर फूला न समाता था, पर पत्र की गंध संदूक के चमड़े की है या मिस्टर मैकफरसन के लोहे के संदूक की, यह सिद्ध होना है। यह पत्र मिस्टर मैकफरसन को हैदर बेग खाँ द्वारा मिस्टर

हेस्टिंग्स के आने के बाद लिखा गया था। इस व्यक्ति को उस संदूक की चाभी मिल गई और उसने भी अपने पूर्वाधिकारी के चरणचिह्नों पर ही चलना उचित समझा, उसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए और नवाब को उसी के माध्यम से नष्ट करने का ढंग निकाला।

यह पत्र नवाब के मंत्री द्वारा सर जान मैकफरसन को लिखा गया, जो सरकार का नया अधिकारी था और जो मिस्टर हेस्टिंग्स के रहस्यों को न जानता था। नवाब के मंत्री ने उसे सभी बाते बताईं। नवाब जानता था कि पहले से चली आती पद्धति न बदलेगी।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने जब अपने समस्त अधिकार अपने नीचे के कर्मचारियों में बाट दिए तो उसने निश्चय ही उन्हे बहुत योग्य समझा होगा। श्रीमान इसका पूरी सरकार पर पड़ने वाला प्रभाव देखें। हर व्यक्ति ने, हर कर्मचारी ने, डायरेक्टरों की आज्ञाओं की अवहेलना प्रारंभ की क्योंकि यह बात मिस्टर हेस्टिंग्स को सुखकर थी। उसका परिणाम हुआ कि मिस्टर हेस्टिंग्स न कि स्वयं ही कम्पनी व डायरेक्टरों के प्रति विद्रोही विचार रखता था बल्कि समस्त कर्मचारीगण उसमें उसके साथी रहे। वह अकेला ही विद्रोही न था, उसके नेतृत्व में सभी कर्मचारी विद्रोही बने।

अपने हाथ में सरकार की पूरी शक्ति समेटने के बाद मिस्टर हेस्टिंग्स ने अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। पर प्रश्न है कि क्या इतना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना उसका अधिकार था।

अवध में जो अफसर भेजे गए उनमें एक था कर्नल हैने जिसका नाम भारत में बहुत वर्षों तक याद किया जायगा। इस व्यक्ति के संबंध में सर इलाईजा इम्पे ने मिस्टर हेस्टिंग्स से सिफारिश की थी। सर इलाईजा इम्पे अवध के मामले में मिस्टर हेस्टिंग्स का व्यक्तिगत दलाल था। इस मामले में कर्नल हैने को मैं इसी दृष्टिकोण से देखता हूं।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने कर्नल हैने को दो रेजीमेन्टों की एक ब्रिगेड का कमाण्डर बना कर भेजा। हम देखते हैं कि यह व्यक्ति एक अफसर बनने के बदले देश के राजस्व का अधिकारी बना जैसा कि उसके मातहत कर्मचारी कर्नल लम्मडंन से ज्ञात हुआ है। कर्नल हैने पहले गोरखपुर का अफसर था। वह कितने भ्रष्ट चरित्र और दुरंगी नीतियों वाला दुष्ट व्यक्ति था यह हम मिस्टर लम्सडेन और मिस्टर हालहेड के वक्तव्यों से ज्ञात होता है।

आप के सम्मुख यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि अवध के संबंध में जो कुछ तथ्य सामने आए है वे सभी पूरी तरह विश्वसनीय है। यह तथ्य किसी प्रकार अस्वीकार नही किया जा सकता कि अवध मे कोई व्यक्ति यहाँ तक कि नवाब भी उसके विरुद्ध शिकायत नही कर सकता था क्योंकि वह व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का

प्रतिनिधि तथा सभी शक्तियों का मालिक समझा जाता था। हमने सिद्ध कर दिया है कि वहाँ के कुछ जमीदारों को सत्ताइस हजार रुपये प्रति वर्ष लगान पर दिए गए खेतों के लिए साठ हजार माँगेगा और इस माँग को पूरा न करने पर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाता था।

श्रीमान प्रमाणों से पावेंगे कि उस देश के लोग न केवल तंग किए जाते थे बल्कि उन पर अमानुषिक अत्याचार होते थे। यह आप ने मिस्टर हालहेड के वक्तव्य से पाया। लगान वसूली के संबंध मे हमें यह भी प्रमाणों मे पता लगा कि लगान न दे पाने वाले जमीदारों को अँधेरे व दलदली कमरों में बन्द किया जाता था, कुछ ने तो अपनी सन्तानें तक बेची और कर्नल हैने यह सब अपने सम्मुख करवाते रहे। अपराधी के वकील ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि बच्चे बेचना वहाँ की पुरानी व साधारण प्रथा थी। पर क्या यह मान कर हम प्रकृति के नियमों को भी भूल जाएँगे। हर माता-पिता के मन में अपनी सन्तान के लिए ईश्वर ने जो प्यार भर दिया है वह क्या मानवता के चरित्र से अलग किया जा सकता है? ईश्वर का, प्रकृति का कानून धरती के हर कानून से बड़ा है। कोई भी अपनी सन्तान को नहीं बेच सकता यदि वह उनका पालन कर सकने की स्थिति में रहता है। यह केवल एक काल्पनिक तथा अस्वाभाविक बात है जिसे गलत ढंग से सिद्ध करने का असफल प्रयास किया जा रहा है।

किसी भी व्यक्ति का अपनी सन्तान के प्रति प्रेम के बाद दूसरी अनुभूति है राष्ट्र-प्रेम की जो प्राकृतिक और मानसिक भी है। हर प्राणी अपनी सन्तान से प्यार करता है, फिर वह अपने घर मे प्यार करता है, फिर उस स्थान को जहाँ उसे जन्म मिला, फिर उस स्थान को जहाँ से उसे भोजन मिलता है। हम सभी जानते है कि जन्मभूमि की एक मीठी सुगंध होती है जिसका वर्णन नही किया जा सकता। यही अनुभूति है जो किसी भी व्यक्ति को उसके देश से बाँधती है। और जो अपना देश छोड कर भागते है वे केवल अत्याचार मे ही ऊब कर भागते है, फिर आप को इस अत्याचार के लिए और कौन सा प्रमाण चाहिए और जैसा कि एक गवाह ने कहा है, कर्नल हैने ने क्या लोगों को रोक रखने को पहरेदार बैठाए थे? सभी प्रमाण श्रीमान के सम्मुख उपस्थित किए जा चुके हैं। इसी हिंसक अत्याचार के फलस्वरूप उस देश में एक विद्रोह फैला जो स्वाभाविक ही था। वहाँ की जनता सामूहिक ढंग से उठ खड़ी हुई। हर किसान, हर जमींदार, हर व्यक्ति जिसे अपने घर व देश से प्यार था, जो अपना घर छोड़ कर नहीं भागे, उन्होंने विद्रोह किया। श्रीमान, उन्होंने विद्रोह किया जो एक उचित विद्रोह था।

एक विद्रोह पनपा, बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से और इसे जिस रूप में कर्नल हैने ने दबाया, इस ओर मैं श्रीमान का ध्यान खींचूँगा। डेढ़ सौ लोगों को एक छोटी-सी दलदली कोठरी में बन्द कर दिया गया और क्रोध में लोगों ने उस कोठरी पर हमला

किया। वे वहा कैद अपने भाइयो को छुडाना चाहते थे, अपने पिताओ और अपने पतियो को जो उसमे बन्द थे। हमला करने वालो मे मर्द और औरत सभी थे। जो लोग कोठरी की रक्षा के लिए थे उन्होने कैद मे बन्द अट्ठारह लोगो के सिरों को काट कर बाहर उछाला। उन कैदियो मे एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसे समस्त राष्ट्र आदर देता था। लोगो ने शोर किया, 'हमारा राजा मुस्तफा खाँ लौटाओ।" हम आप के सम्मुख खडे गवाह मे पूछते है कि वह क्यो बन्द किया गया था? वह कारण नही जानता, लेकिन उसने कहा है कि कर्नल हैने ने उसे बन्द किया और उसे मौत की सजा दी। हमने सजा देने वाले विचारपति से डिगरी या फतवा माँगा, देखना चाहा, लेकिन उसके पास दिखाने को कुछ नही है। क्या वह कोई कारण बता सका? केवल यही ज्ञात हो सका कि अपनी इच्छानुसार कर्नल हैने ने उसे मौत की सजा दे दी। जब कर्नल हैने को मालूम हुआ कि जनता राजा मुस्तफा खाँ की माँग कर रही है तो कर्नल हैने ने उस तथाकथित जेल के कमाण्डर को, जिसके हाथ मारे गए लोगो के रक्त से सने थे, आज्ञा दी कि यदि अभी तक उसने मुस्तफा खाँ को न मारा हो तो तत्काल मार डाले। लेकिन वह कमाण्डर उसे न मार सका।

तब कर्नल हैने ने एक कैप्टन विलियम्स को भेजा, जो यहा गवाह के रूप मे उपस्थित हुआ है और कैप्टन गार्डन और मेजर मैकडोनाल्ड, जो दोनो भी यहाँ गवाह बन कर आए है, वे भी कर्नल हैने के सहयोगी थे। कर्नल विलियम्स वहाँ गया और बिना कुछ पूछे या जाँच किए ही उस व्यक्ति का सिर काटे जाने का आदेश दिया और फलस्वरूप उसका सिर उसके धड से अलग कर दिया गया जैसा कि कर्नल हैने का आदेश था। इसका परिणाम हुआ कि विद्रोह दस गुनी शक्ति से बढा और लोगो ने पूरी तरह बदला लेने की ठान ली।

श्रीमान ने देखा कि इस मुस्तफा खाँ को जेल हुई और मौत की सजा मिली, कर्नल हैने की आज्ञा से, बिना किसी विचारपति बिना शिकायत करने वालो के, बिना किसी फतवा या कानून के।

यह थी उस समय अवध की स्थिति तब कर्नल हेने को वहाँ से हटाया गया। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे फिर नवाब के सिर पर लाद दिया और कहा, "मैं उसे तुम पर लादता नही।" नवाब को उसे स्वीकार करना पडा और उसने फिर उस देश को नष्ट किया और दुबारा सगठित विद्रोह होने के बाद हटाया गया, जैसे खून से जोक हटाई जाय।

आपके पास यह लिखित रूप मे है कि यह जोक कलकत्ता आया, तब उसके पास तीन लाख पौड थे जिनमे ८०,००० पौड की सोने की मोहरे थी। इस बात का आज तक कहीं से खडन नही हुआ। दस लोगो ने गवाही दी और इस बात को प्रमाणित किया। अब वह आदमी नही है फिर इस रकम मे कौन-कौन हिस्सेदार थे, या किसे कितना मिला इस पर विभिन्न मत है। लेकिन कर्नल हैने का अंत हो गया।

लेकिन इससे मिस्टर हेस्टिंग्स के कुकृत्यों का अंत नहीं हुआ।

कर्नल हैने के कलकत्ता वापस आते ही अभागे नवाब को सुबुद्धि जागी कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे फिर द्वितीय अभियान पर उसी राज्य में भेजना चाहा, शायद ऐसे ही किसी आदेश के साथ कि तुमने अपने लिए काफी खून चूस लिया है अब जरा अपने मित्रों के लिए प्रयत्न करो। नवाब का मित्र और एजेन्ट गोविंद राम कलकत्ता में था और उसे मिस्टर हेस्टिंग्स के लोगों से पूरा भेद मिलता रहता था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं बताया है कि ये वकील कैसे सब बातों का पता लगाए रहते थे। इस गोविन्द राम को सूचना मिली तो वह चौंका, सतर्क हुआ और नवाब को सूचना दी कि मिस्टर हेस्टिंग्स फिर कर्नल हैने को उसी राज्य में भेजना चाहता है। तब अभागे नवाब ने मिस्टर हेस्टिंग्स को लिखा -

"मेरा देश और मेरा घर आप का है इसमें कोई अंतर नहीं। मैं [illegible] करता हूँ कि आपकी यही इच्छा है कि हम प्रसन्न रहें। कर्नल हैने आपकी इच्छानुसार फिर आने वाला है। और अगर फिर मेरी प्रजा पर कर्नल हैने का हाथ पड़ने वाला है तो मैं ईश्वर की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं यहाँ न रह सकूंगा। मैं आपके पास चला जाऊँगा। अब चाहे जैसे भी हो कर्नल हैने को हमसे [illegible] [illegible] और [illegible] उत्तर दीजिए जिससे मेरे मन को शांति होगी।

हमने देखा कि अपराधी ने कहा है कि उसकी ऐसी कोई इच्छा न थी कि कर्नल हैने को वहां भेजे। यद्यपि हम प्रमाण नहीं दे सकते पर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उसकी उसे भेजने की लालसा अवश्य थी क्योंकि वह उस आतंक की स्थिति से इन्कार नहीं कर सकता जो नवाब व उसकी जनता के दिमाग पर छायी थी। हम यह मानने को क्या तथ्य है कि वह तीसरी बार नहीं भेजा जाने वाला था जो पहले भी दो बार भेजा जा चुका था?

लेकिन मान लें कि यह झूठी रिपोर्ट थी। उसके इस बात से इन्कार करने पर कि कर्नल हैने को तीसरी बार भेजने का कोई इरादा न था, पर वहाँ के निवासियों के मन पर कर्नल हैने का आतंक तो था ही।

श्रीमान, मैं अब आपका ध्यान खींचूंगा उन प्रमाणों की ओर कि कितने अत्याचार कर्नल हैने ने किए। कैप्टन एडवर्ड्स जिसने बताया है कि वह उस देश से गुजरा, बार-बार यही वर्णन करता है कि वहाँ अत्याचार व खून-खराबी के निशान थे। मिस्टर हाल्ट कहता है--किसी शहर या गाँव में आबादी ही न थी और सारा देश भुखमरी का शिकार था। कोई चाहे सोचे कि कर्नल हैने की क्रूरता व अत्याचार से मिस्टर हेस्टिंग्स संतुष्ट हो गया था, नहीं, उसने दूसरे फौजी कलक्टर, मेजर ओसबोर्न जिसे बाद में कोर्ट-मार्शल की सजा मिली, को एक हजार की पलटन के साथ अवध भेजा, वहाँ की राज्य-व्यवस्था के लिए। उसने भी वही व्यवस्था की जो कर्नल हैने करता था। वह वहाँ की सरकार को कलकत्ता ले आया और कारण

बताया कि अवध की स्थिति बड़ी खतरनाक थी। लोगो की चीख-पुकार के बाद मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे वापस बुला लिया।

श्रीमान देखे कि वजीर ने स्वय कहा है कि उसका देश किस प्रकार लूटा गया।

[नवाब वजीर के पत्र का अश जो गवर्नर जनरल के नाम था]

"कानपुर, फतेहगढ, फर्रुखाबाद और अन्य स्थानो मे पलटन के साथ जो अफसर रखे गए जिनके पास परवाने है और स्थानीय अमीनो को आदेश देने के अधिकार है, उन्हे आप तत्काल लिखे कि अमीनो को न तो आदेश दे, न महलो मे पलटन भेजे, और उन्हे जिस मात्रा मे भी अनाज आदि चाहिए उसके लिए मुझे तथा रेजीडेंट को लिखे और मै अमीनो को आदेश दूँगा कि माँग की समस्त सामग्री प्रति माह उनके पास पहुँचती रहेगी और उनका मूल्य मै तनखवाह से काट लूँगा। यह प्रबन्ध हमे व रैयत दोनो को स्वीकार होगा।"

[वजीर द्वारा राजा गोविन्दराम को लिखे गये दूसरे पत्र की प्रतिलिपि]

'मैने कुछ दिना पूर्व आपको यहा के अफसरो के आचरण के सबन्ध मे लिखा था आज फिर लिख रहा हू। जो अफसर कानपुर और फतेहगढ मे है उनका व्यवहार बहुत अत्याचार का है। रियाया को बहुत सताया जा रहा है। स्थिति तो यह है कि व्यापारी गल्ला घर मे ला कर केवल जीविका भर को बेचते है। कश्मीर और शाह-जहाँबाद से आने वाले व्यापारियो को रोक दिया गया है। मै खामोश हू। अब मिस्टर मिडिलटन आ रहे है। उन्हे ही पच बन कर सब ठीक करना है। तुम मेरी बात गवर्नर जनरल स कह कर मामला सुलझाओ।'

[दूसरे पत्र की प्रतिलिपि]

'मुझे तुम्हारा पत्र मिला। एक बटालियन की छुट्टी और कैप्टन कर्क की उन्नति जैसे मेजर ओसबोर्न की हुई थी और इलाहाबाद के अमीन इस्माइल बेग की शिकायत आदि के बारे म ज्ञात हुआ है। तुम्हे तो निश्चय ही, इस्माइल बेग से हुए बन्दोबस्त और मिस्टर ओसबोर्न की बटालियन के बारे मे मालूम होगा। सन् १७७६ के प्रारभ म इलाहाबाद का इलाका तीन वर्ष के पट्टे पर इस्माइल बेग को दिया गया था, साथ ही अरैल और पार के परगना के लिये मैने यह आदेश दिया था कि पलटन वहाँ रहे। मैने मिस्टर ओसबोर्न को इलाहाबाद के उन महलो की देखभाल के लिये भेजा जो राजा अजीत सिह के अधिकार मे थे और उसने उनका प्रबन्ध सँभाला।

"बाद मे गवर्नर जनरल मिस्टर हेस्टिंग्स के आदेशानुसार वह वापस बुलाया गया और महल फिर राजा अजीत सिह को सुपुर्द कर दिये गये। मैंने कभी भी

मिस्टर ओसबोर्न को इलाहाबाद के प्रबन्ध के लिए नहीं भेजा, बल्कि ओसबोर्न ने स्वयं इस्माइल बेग की कार्यसीमा में हस्तक्षेप किया। पिछले वर्ष जनरल सर आयर कूट की आज्ञा से जो बटालियन पलटन भेजी गई थी, उसने मिस्टर ओसबोर्न के अत्याचारों से इस्माइल बेग की रक्षा की। ओसबोर्न के व्यवहारों के प्रति इस्माइल बेग की शिकायत मिस्टर पुलिंग, गवर्नर और कौंसिल के सदस्यों के पास पहुंची जिसके साथ मिस्टर ओसबोर्न को वापस बुलाने की प्रार्थना भी थी। वहाँ के कुछ ताल्लुकेदारों व जमींदारों ने जिन पर मिस्टर ओसबोर्न ने अत्याचार किए थे, विद्रोह की योजना बनाई।"

श्रीमान, यह है फतेहगढ़, फर्रुखाबाद और नवाब के राज्य के अन्य स्थानों की स्थिति। यह सब बातें मिस्टर हेस्टिंग्स की जानकारी में थीं और उसने कभी भी अत्याचारी को सजा देने को नहीं सोची। उसने केवल यही किया कि मिस्टर ओसबोर्न को वापस बुला लिया। अन्य जिन लोगों को उसने नियुक्त किया उन्हें वापस न बुलाया। फिर हम उसे उनका कैप्टन जनरल क्यों न कहें? क्या श्रीमान भी उसे यही नाम न देंगे? हम देखते हैं कि उसके आदमियों के कारण वहाँ का न्याय और शासन नष्ट हुआ, उसके आदमियों के कारण वहाँ व्यापार नष्ट हुआ। बसे बाजार को उन्होंने उजाड़ा। वहाँ की आबादी वीरान हुई।

अब श्रीमान, देखना है कि इस आतंक और अत्याचार की बात पर किसने प्रकाश डाला, जिस अत्याचार के सम्बन्ध में आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। क्यो, क्या मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं आपको बताया है? नहीं तो वारेन हेस्टिंग्स को कम से कम अपने कृत्यों के लिये तो जवाब देना चाहिये था।

अब मैं श्रीमान को बताऊँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश अफसरों का कैसा चरित्र प्रदर्शित किया है। यह बात उसी के बनारस सम्बन्धी वक्तव्य से स्पष्ट हो जाती है जो उसने चुनार की संधि के बारे में दिया था। देखिये न वह पलटन के सम्बन्ध में क्या कहता है—"पलटन के सम्बन्ध में हो रही कुछ बुराइयों की ओर मेरा ध्यान गया है।"

श्रीमान, यह सब कौन कहता है? क्या मैं कहता हूँ? नहीं, यह मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है। वह अपनी बात कहता है, उसके लिए प्रमाण देता है और स्वयं ही नतीजा भी निकालता है। वह ब्रिटिश पलटन पर आक्षेप करता है। उसने उन्हें सिर से पाँव तक भ्रष्ट कहा है। इस भयानक स्थिति में क्या उसका कहीं हाथ नहीं था? मैं उसे केवल हजारों अपराधों के लिए अपराधी नहीं कहता बल्कि भारत के प्रत्येक सैनिक व कर्मचारी के उचित कार्य को भी भ्रष्ट बनाने में उसका हाथ है। मैं वहाँ हुई समस्त बुराइयों का इसे अपराधी व ठीकेदार मानता हूँ।

श्रीमान, मैं आपका ध्यान उसके उस वक्तव्य की ओर दिलाऊँगा जिसे उसने नवाब वजीर के यहाँ से राजकर्मचारियों को हटाने के सम्बन्ध मे दिया था। वह

कहता है—"मैं उसके प्रति न्याय करने की ही इच्छा रखता था और अपने राष्ट्रीय चरित्र की उच्च परम्परा की रक्षा भी करना चाहता था।" इसके सीधे अर्थ हैं कि वह समझता था सभी ब्रिटिश कर्मचारियों का राष्ट्रीय चरित्र भ्रष्ट हो चुका था, अतः उसने उन्हें वहाँ से हटाना ही उचित समझा। लेकिन मैं कहूँगा कि उसने चुन कर ऐसे लोगों को अवध भेजा जो पलटन से बच रहे रक्त को चूसने गए थे। उसने ऐसे लोगों को भेजा जो पलटन से दस गुना अधिक अत्याचार कर सकते थे।

श्रीमान, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उसने कहीं भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वह स्वयं ही हर समय अपने विरुद्ध हो सकने वाले हजारों षडयंत्रों से भयभीत रहता था। वह कहता है कि मैं इंगलैंड के शक्तिशाली महाप्रभुओं का संरक्षण खो दूंगा, इससे डरता था। यदि मैं सताए गए लोगों के प्रति उचित न्याय करता तो इंगलैंड के संसद-सदस्य अप्रसन्न होते।

निश्चय ही यहाँ इंगलैंड की संसद में बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन उनके शरीर में इंगलैंड के उच्च श्रेणी के परिवारों का रक्त प्रवाहित होता है और उन सबों के प्रतिनिधि आप श्रीमान हैं। क्या आप श्रीमान किसी के साथ किए गए उचित न्याय पर अप्रसन्न होंगे ?

श्रीमान, आपने राजकर्मचारियों के संबंध में अपराधी का वक्तव्य सुना है। आप जरा कर्मचारियों की संख्या, उनके प्रभाव, उनके वेतन के बारे में सोचें। आपने सुना है वे सभी वजीर नवाब पर बहुत भारी बोझ थे।

क्या मिस्टर फ्रैंसिस ने जिसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहीं देखा था, इन लोगों को वहाँ भेजा ? या उन्हें जनरल क्लावरिंग या कर्नल मानसन ने वहाँ भेजा ? नहीं, सभी को मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं भेजा और यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से गया था तो उसे तत्काल वापस बुला लिया गया। यह सब कुछ मिस्टर हेस्टिंग्स ने ही किया।

अब मैं श्रीमान के सामने जनरल क्लावरिंग की शिकायत को पढ़ूंगा—"नवाब से पलटन वापस लेना उसके स्वतंत्र नवाब के अधिकारों का हनन करना था। यह वैसा ही है कि उससे उसकी प्रजा छीन ली जाय। ऐसा किसी भी देश का नियम नहीं है।"

अब मैं मिस्टर फ्रैंसिस का वक्तव्य पढ़ूंगा—"मिस्टर मिडिलटन के पत्र को भूल कर देखा जाय तो लगता है कि नवाब का राज्य उसने पूरी तरह छीन लिया था। मैं इस प्रस्ताव के मानने में सहमत न था तो इसके लिए उत्तर देने का मुझ पर दायित्व है।"

अब जो दूसरा कागज मैं पढ़ूंगा वह सिद्ध करता है कि नवाब ने एक प्रार्थना पत्र भेजा था—

[वजीर नवाब का मिस्टर मैकफरसन के नाम पत्र का अंश
२१ अप्रैल सन् १७८५ को प्राप्त]

"यहाँ जो महाशय राजकर्मचारी हैं उनके खरचों के संबंध में मैं पहले तनिक ढँके व छिपे शब्दों में लिख चुका हूँ। मैं स्पष्ट लिखता हूँ कि इन्हें देने को मेरे पास रुपये नहीं हैं क्योंकि मुझ पर कई लाख रुपयों का कर्ज लदा है और बहुत सा कम्पनी का भी बकाया है। मिस्टर हेस्टिंग्स के जाने के समय भी मेरे पास उसका खर्च उठाने को रुपये न थे। मिस्टर हेस्टिंग्स ने मेरी गिरी परिस्थिति की जाँच करके यह कहा था कि कलकत्ता पहुँच कर वह कौंसिल से इस संबंध में बातें करेगा और खर्च कम करने के लिए इन्हें वापस बुला लेगा। अब समस्त दायित्व आप पर है और आप ने हर अवसर पर मुझे सांत्वना दी है, अतः मिस्टर हेस्टिंग्स के आश्वासन के अनुसार मैं आशा करता हूँ कि इन महानुभावों का खर्च मुझ पर से उतारा जाएगा। यद्यपि मेजर पामर अभी न तो मुझसे कुछ माँगते हैं न मुझमें देने की शक्ति ही है, लेकिन जैसा कि अंग्रेज लोगों का स्वभाव है, यदि वे यहाँ रहेंगे तो बाद में अवश्य वसूल करेंगे, अतः उचित यही है कि उन्हें बुला लिया जाय।"

मैं भी यही सोचता हूँ और श्रीमान भी यही सोचते होंगे पर मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि उसने यह सन् १७८१ के सितंबर में ही सोचा था पर वह इन्हें वापस बुलाने में इंगलैंड में बैठे महाप्रभुओं की अप्रसन्नता से भयभीत होता था। उसने वहाँ मिस्टर पामर को रखा—रेजीडेंट बना कर रखा जब कि मिस्टर पामर कम्पनी का नियुक्त रेजीडेंट न था। इस व्यक्ति को प्रतिवर्ष लगभग २३००० पौंड का वेतन मिलता था, जिसे वह अपने खर्चों के लिए कम कहता था। इसी से हम वहाँ के कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाह और उनकी फिजूलखर्ची का अंदाज लगा सकते है।

आज श्रीमान को मैंने यह बताया कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस प्रकार नवाब का सर्वस्व छीन कर उसे शून्य बना दिया था। अवध की समस्त स्थिति बताई है। किस प्रकार अवध को उसने नष्ट किया, यह बताया है। आप यह कभी नही मानेंगे कि हमने आपका समय नष्ट किया है।

हमने आप को जिस भयानक स्थिति से अवगत कराया है उसके संबंध में निर्णय या विचार आप श्रीमान के हाथ में है। आज, इस समय अब मैं और अधिक चर्चा करने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। अब मेरा आगामी प्रयत्न होगा कि आप के सम्मुख यह रखूँ कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस प्रकार, किस पद्धति से, अवध की चल और अचल सम्पत्ति को निबटाया और अपने कृत्यों के फलस्वरूप उसने उस पवित्र देश का कुछ भी नष्ट करने से नहीं छोड़ा।

[कार्यवाही आगामी तिथि के लिये स्थगित की गई]

जवाब का पाँचवा दिन

[७ जून, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, अब हम बचे हुए अभियोगो के विषय में चर्चा करेंगे, साथ ही अभियुक्त द्वारा अपने बचाव के प्रयत्नों के बारे में।

मिस्टर हेस्टिंग्स यह अच्छी तरह जानता था कि इस अभागे नवाब की कोई वसीयत न थी, फिर इसे वह चुनार ले आया, इस आदेश के साथ कि वह वहाँ गवर्नर जनरल से मिलेगा। अगर नवाब ने कभी मिस्टर हेस्टिंग्स को लिखा था, अपनी यह इच्छ बताते हुए कि वह उससे भेट करना चाहता है तो इसमें कोई शक नही रह गया कि वह पत्र एक अन्य बंदी के दबाव डालने पर लिखा गया था। हम आप के सम्मुख अकाट्य प्रमाण रख चुके है कि नवाब का चुनार जाना तथा हुई कार्यवाही और वहाँ के समस्त कार्य, सभी दबाव से कराए गए थे।

अब मैं श्रीमान के सम्मुख मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा दबाव डाले जाने के प्रमाण प्रस्तुत करूँगा जो उसने अपने एजेन्टो द्वारा कराए थे नवाब पर पूरा दबाव डाला गया। मिस्टर हेस्टिंग्स का सशक्त एजेण्ट मिस्टर मिडिलटन ही देश भर में हुई गडबडियो का माध्यम रहा है। आप यह कई स्थलो पर देख चुके है कि हर स्थान पर मिस्टर हेस्टिंग्स की इच्छाओ को कार्यरूप देने मे मिस्टर मिडिलटन आगे रहा है। मिडिलटन की एक घोषणा है—

"प्रिय महोदय, आज मैंने आपके पत्र का उत्तर उसी रूप में दिया है जैसा आप चाहते है। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कही कुछ नहीं है जो बहुत तीखा हो। अगर आप चाहते है कि जैसा मैंने लिखा है उसके अलावा भी कोई अर्थ निकाला जाय तो आप जो भी संकेत देंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, और नवाब के संबंध में मै सभी जिम्मेदारी आप ही अपने ऊपर लेने को प्रस्तुत हूँ। यद्यपि मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप की इच्छा को समझ कर सरकार के सिद्धान्त बनाऊँगा। मैं समझता हूँ कि आप की यही इच्छा है कि किसी संधि-पत्र पर हस्ताक्षर न किए जाएँ। यदि मैंने मामले को ठीक से नहीं समझा या गलत समझा है तो मैं सचमुच दुखी हूँ। फिर भी उसे सुधारने का अभी समय है, मैं पुनः समझाने को तैयार हूँ और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छा को कार्यान्वित करने

को प्रस्तुत हूँ। आप कृपया पत्र पाते ही अपना आदेश दें।

"यदि आप निश्चित करें कि नवाब की पलटन को कम किया जाना जरूरी है तो यह कार्य तत्काल ही प्रारम्भ हो जाएगा। मैं इसे आपकी विशेष कृपा मानूंगा कि आप मुझे फैजाबाद के संबंध में निश्चित निर्देश दें, ताकि मैं अपना परिवार हटा दूँ, क्योंकि नवाब से संघर्ष या नवाब की छँटनी के समय मैं यहाँ परिवार नहीं रखना चाहूँगा। ऐसा प्रबंध करके मैं फैजाबाद से लौटने के तीन दिनों के भीतर ही कार्य प्रारम्भ कर दूंगा।"

इस पत्र के अलावा हमारे पास लिखित रूप में एक अन्य, अधिक स्पष्ट और सशक्त प्रमाण है। यह पत्र जो मैंने अभी-अभी पढ़ा है वह उस व्यापार की तैयारी में लिखा गया था जिसे बाद में चुनार की सन्धि का नाम दिया गया। अपने अभागे शिकार को बलपूर्वक पकड़ कर उससे एक कागज पर हस्ताक्षर कराया गया जिसे सन्धि-पत्र कहा गया, लेकिन सम्पूर्ण सन्धि ही एक बडी धोखाधड़ी है। मिस्टर मिडिलटन ने स्वयं जो इस व्यापार का प्रमुख अंग था तथा विश्वासपात्र व एजेन्ट था, ने स्वीकार किया है कि नवाब को विवश कर के हस्ताक्षर कराया गया, इस आश्वासन पर कि इस पत्रक का कभी उपयोग न किया जायगा। अब श्रीमान देखें कि एक राजा को विवश कर के पहले समझौते पर हस्ताक्षर कराया जाता है फिर उसे सन्धि में बदला जाता है सो भी झूठे आश्वासन पर। और यह सब कुछ शक्ति के दबाव में कराया जाता है।

इस व्यापार की पहली स्थिति के विषय में मैं श्रीमान के सम्मुख निवेदन करता हूँ। पहले तो मिस्टर हेस्टिंग्स के अधीन ब्रिटिश पलटन का नवाब पर दबाव डालने का प्रयोग किया गया। दूसरी स्थिति—अवध के पेन्शन प्राप्त वजीर को पुनः कार्य के लिए बुलाया जाना जो अयोग्यता के लिए पहले कार्य से अलग किया गया था, जो नवाब का शत्रु था, जो राज्य को नष्ट करने का जिम्मेदार था, जो अपनी सरकार के प्रति विश्वासघाती था और मिस्टर मिडिलटन का कहना है कि हस्ताक्षर के दिन से ही वे फिर से नवाब के सिर पर लाद दिया गया।

श्रीमान को स्मरण होगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स बनारस से कम्पनी के नाम पर राजा से पाँच लाख पौंड वसूलने में असफल हो कर आया था। उसने अपने मालिकों को कोई लाभ पहुँचाने के बजाय देश को नष्ट किया और ब्रिटिश पलटन को अनुशासनहीन बनाया। अतः वह कम्पनी के सम्मुख खाली हाथ वापस जाने से डरता था। इसी बात को ध्यान में रख कर उसे सब से पहले अवध का ही राज्य दिखा जहाँ से वह कुछ न कुछ वसूल करके अपनी स्थिति बचा सकता था।

इस 'चुनार की सन्धि' में सर्वप्रथम भाग है कि कम्पनी द्वारा स्वीकृति-विहीन जागीरें नवाब को दी गई और जागीर से जो हटाए गए उन्हें पेन्शनें मिलीं।

अब जो व्यक्ति सम्पत्ति व रुपयों की लालच में यह सब कर रहा हो उसके

लिए सर्वप्रथम आवश्यक था कि जिससे उसे रुपये छीनने है पहले उसी की स्थिति मजबूत करे। कुछ लोगो का इस प्रयत्न मे लगान माफ किया गया, कुछ की सामाजिक स्थिति बढाई गई।

'चुनार की सन्धि' मे लिखा गया कि नवाब को उपर्युक्त व्यवस्था का प्रबन्ध करने को पूरी स्वतत्रता हे। हेस्टिग्स ने इस बात मे सरकार को दूर रखा। उसने नवाब पर कोई बन्धन न लगाए। इसीलिए संधि मे लिखा गया—नवाब को इन जागीरो को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया जाय। क्यो ऐसा आदेश दिया जाय? अगर यह कार्य न्यायसंगत हे, तो फिर आदेश की क्या आवश्यकता है। उसे अपने राज्य मे जिसका वह मालिक है कोई भी व्यवस्था करने के लिए हमारा आदेश क्यो चाहिए? फिर मिस्टर हेस्टिग्स कहता है कि इन जागीरो मे से कुछ ही जागीरे कम्पनी द्वारा स्वीकृति पा चुकी थी। इस प्रकार उसकी अपनी जागीरो, उसकी माँ व दादी की जागीरो के अधिकार को हमने स्वीकृति दी।

इस बात को आगे बढाने के पूर्व हम श्रीमान के सम्मुख इन जागीरो की स्थिति के बारे मे बतावेगे। ये जागीरे, जागीरो के पाने वाले भारत के मुस्लिम नवाबो, उच्च परिवारो को और रजवाडो को दो भागो मे बॉट दिया गया। एक भाग जमीदारो का बना जो जमीन के आदिम मालिक थे और मुख्य तथा उच्च वश के हिन्दू थे और दूसरे भाग मे मुस्लिम जागीरदार थे, उनमे एक ही दो जमीदारो की श्रेणी मे आते थे।

हमने श्रीमान जागीरो की खूब चर्चा सुनी है। श्रीमान के सामने के कागज-पत्रो मे यह सिद्ध हे कि ये जागीरे दो तरह की है—जागीर का वही अर्थ हे जो अग्रेजी भाषा के शब्द 'फीस' का। यह जागीर लोगो को कार्य के बदले दी जाती है और किसी को पूरे जीवन काल से कम समय के लिए नही दी जाती।

ऐसी ही जागीर प्राप्त करने वाले सम्मानित वंशजो का प्रमुख था यह नवाब। जो मा व पिता, दोनो ओर से सभ्रान्त वश का होता है। इस प्रकार उसके चचा, अन्य रिश्तेदार, माँ, दादी सभी को जागीर प्राप्त हो जाती है।

मै इसे और विस्तार मे बताऊँगा। श्रीमान अपने कागज-पत्रो मे देखेगे कि ये जागीरदार कौन थे और उनकी जागीरो की क्या हैसियत थी? उन जागीरो की, जिन्हे मिस्टर हेस्टिग्स ने हडपा उनकी आय छ. लाख पौड थी।

श्रीमान को ज्ञात हे कि मिस्टर हेस्टिग्स ने नवाब के रिश्तेदारो की जागीरे छीनी। अवध की बेगमे और नवाब वंश के अन्य सम्मानित जन से जागीरे छीनी गईं। उसने उनसे यह अवश्य कहा कि उन्हें पेन्शन मिलेगी। मै पूछता हूँ कि यदि जागीर के मूल्य के बराबर पेन्शन दी ही गई तो इस उलटफेर से लाभ क्या हुआ? आदमी अपनी शक्ति से जो अर्जित करे, उसको छीन कर उसी को सरकारी खजाने से दिया जाय यह कैसी नीति है? अर्थ-नीति के यह बिल्कुल विपरीत बात

है। अतः इस कार्य को हम सरकार के लिए लाभदायक कार्य नहीं मान सकते।

श्रीमान, यह समस्त व्यापार धूर्ततापूर्ण व हिंसक था। स्पष्ट है कि पेन्शन देने की कोई नीयत न थी। यानी जागीरें हड़पने के लिए यह धूर्तता का आचरण था। यानी, श्रीमान यह व्यक्ति यदि लूटपाट भी करना चाहे तो लूट भी यह अपनी प्रिय व पुरानी व परिचित आदत धोखाधड़ी तथा झूठ के बिना नही कर सकता।

यहाँ मैं श्रीमान, को स्मरण दिलाऊँगा कि 'चुनार की सन्धि' के समय जागीरें इस प्रकार थीं—दो लाख पचासी हजार पौंड की जागीर छीनी गई, शुजाउद्दौला, से जो नवाब का दादा था, समस्त जागीरो की दो तिहाई थी।

[यहाँ मिस्टर बर्क ने जागीरों की सूची पढ़ कर सुनाई।]

अब श्रीमान आप देखे कि इन राज्यो से प्राप्त राजस्व प्रति वर्ष २५,७८२ पौंड था और ये जागीरें नवाब के अपने परिवार की थी जिसे उसके पिता ने उसकी माँ को दी थी और उनके दादा ने उसके दादी को और उसके चाचा सालारजंग को या वहाँ के बहुत उच्चकुलीन परिवारों की सम्पत्ति थी जिनका राजस्व २८५,००० पौंड था। मिस्टर हेस्टिंग्स यह स्वीकार करता है कि नवाब ने स्वयं ही ये जागीरे छीनी है। लेकिन क्यो ? अब मै बताऊँगा कि यह व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन मे जैसा भी रहा हो और निजी जीवन उसका जैसा भी रहा हो (क्योकि उससे हमे कोई मतलब नहीं है) बराबर मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा सताया व दबाया जाता रहा है और जहाँ यह कहा गया है कि नवाब ने जागीरें छीनी वहाँ मुझे कहना है कि नवाब को ऐसी स्थिति मे ला कर खड़ा कर दिया गया था कि बुरे को बचाने के लिए उसे अच्छे को त्यागना पड़ा। इसे छोड़िये मिस्टर हेस्टिंग्स का आसफउद्दौला के संबंध मे वक्तव्य देखिए। आसफउद्दौला ने कुछ अनुचित व्यक्तियो को बचाने के लिए जिनके पास जागीरें थी, अगर उसकी इच्छा पर ही छोड़ा जाता तो वह उन्ही की जागीरें लेता जिनके पास थी। जब कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने योग्य व अयोग्य व्यक्तियो का ध्यान न रख कर नवाब से संबंधित हर व्यक्ति को दरिद्र बना कर निम्न श्रेणी का बना दिया।

लेकिन श्रीमान, हमे इतनी जल्दबाजी नही करनी चाहिए। नवाब ने केवल यही तो चाहा था कि उसकी माँ, चाचा और देश के उच्च मुस्लिम परिवारों को बचाया जाय। लेकिन यह गरीब नवाब, अभागा नवाब आप के सम्मुख खड़े अपराधी द्वारा एक गुलाम बना दिया गया। वह अपने परिवार, अपनी जाति, अपने देश के लिए लज्जा का प्रतीक बना दिया गया। उस पर उन अपराधों को थोपा गया जिनसे उसका कोई सम्पर्क भी न था। मैं उसके व्यक्तिगत जीवन व चरित्र के बारे में कुछ नही जानता। पर मिस्टर हेस्टिंग्स जो ऐसे कृत्यों का व्यापारी है जरूर जानता होगा। लेकिन यह मै मिस्टर पुलिंग के वक्तव्य के आधार पर अवश्य कह

सकता हूँ कि नवाब के साथ यदि उचित व्यवहार किया जाता, उसे अवसर दिया जाता तो किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन न होता ।

अपराधी ने स्वयं मिस्टर ब्रूम्बवेल को यह सिद्ध करने को बुलाया है कि किन व्यक्तियो की हित रक्षा के लिए नवाब को और उसके परिवार को ध्वस्त किया गया। ऐसे छः व्यक्तियों का नाम आया और हम देखते हैं कि ये ६वों व्यक्ति जागीर के अधिकारी न थे । अन्य जागीरदारों के नाम आपको दी गई सूची में भरे पड़े है और उनकी आय का हम आपको ब्योरा दे चुके हैं ।

अब हम उस प्रथम अध्याय पर चर्चा समाप्त कर चुके है जो मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा इन दुखी परिवारों को लूटे जाने से संबंधित है । अब जब प्रमाण की बात आती है तो मिस्टर मिडिलटन कहता है कि नवाब स्वयं ही अपने परिवार और अपनी कुलीनता को लुटाने व छोड़ने को तैयार था । इसके अर्थ है कि हर संभव रूप से वह व्यक्ति लज्जा व करुणा तथा निराशा से पूरी तरह डूब चुका था । वह मिस्टर मिडिलटन के पाँवो पर गिरा । उसने कहा कि मैने चुनार की संधि पर इस आश्वासन पर हस्ताक्षर किया था कि उसे कभी भी कार्यरूप में परिणित न किया जायगा । लेकिन मिस्टर मिडिलटन पर कोई असर न पड़ा और उमने नवाब के परिवार को देश बाहर निकाल फेका । उसे अपने कारनामो के फलस्वरूप देश में सामूहिक विद्रोह का डर था, अत. उसने मिस्टर हेस्टिंग्स से सलाह ली, जिसने यही सलाह दी कि नवाब को अति शीघ्र देश से बाहर निकाला जाय । नवाब फिर बुरी तरह गिड़गिड़ाया—उसने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, पाँव छुए । मिस्टर मिडिलटन को अपने कारनामो के फल का भय था । अत मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा कि वह स्वयं देश के गवर्नर की हैसियत से परवाना देगा कि उसकी सम्पत्ति जब्त कर के उसे देश से बाहर खदेड़ दिया जाय । इस कार्य के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे विशेष पलटनी शक्ति की मदद दी और आदेश दिया कि उस पलटन से वह जो चाहे काम ले ।

अब मै श्रीमान के सम्मुख मिस्टर मिडिलटन का पत्र पढ़ूंगा ताकि आप इन लोगों के बारे मे इन्ही के शब्दों मे जानें जिसमे उन्होंने अपने कारनामें बखाने है । फिर आप श्रीमान विचार करे ।

"लखनऊ, ६ दिसम्बर सन् १७८१

"जागीर के संबंध मे नवाब की नीयत को ढुलमुल देख कर आज मैं मंत्रियों के साथ व सलाह से आदेश देता हूँ कि कई अमीनों के नाम परवाने लिखे जायें और मेरा यह निश्चित मत था कि उन्हें उसी शाम रवाना किया जाय ताकि इस कार्य के पूरा होने में तनिक भी विलम्ब न हो, लेकिन तभी मुझे नवाब का एक संदेश मिला कि मैं कल सुबह तक परवानों को रवाना किए जाने से रोकूँ, इस बीच वह मुझसे मिल कर मुझे संतुष्ट कर लेगा । मैंने नवाब से मिलना और सुबह तक

परवानों को रोका जाना स्वीकार किया पर आदेश दिया कि हमारी भेंट का जो भी परिणाम क्यों न हो, पर किसी भी तरह कल परवाने रवाना किए जाने से रोके न जायें।

लखनऊ, ७ दिसम्बर सन् १७८१

"श्रीमान, कल मैंने आपको पत्र लिखा था जिसमें बताया था कि जागीरों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है। सुबह वजीर नवाब मेरे पास आया। जैसा कि पूर्व निश्चित था। बहुत देर तक वार्तालाप के पश्चात् भी कोई तत्व की बात न निकली। तब मैंने आपके आदेशानुसार मंत्रियों और मिस्टर जानसन की उपस्थिति में यह घोषित किया कि मैं तत्काल परवाने रवाना कर रहा हूँ जिन्हें बिना मतलब ही रुकवाया गया था। इस पर बिना कोई उत्तर दिए नवाब चला गया। लेकिन बाद में अपने मंत्री को भेजा इस अधिकार के साथ कि वह मुझे सूचित करे कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस पर मैंने संतोष प्रकट किया और कहा कि अधिक देरी मैं सह नही सकता और शाम तक मुझे नवाब का लिखित निर्णय मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैं परवानों को और अधिक रोकने में असमर्थ हूँ।"

श्रीमान के सम्मुख अब वे ही प्रमाण उपस्थित है जो स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स ने दिए हैं जो उसके अपने व मिस्टर मिडिलटन के बीच हुए पत्राचारों में हैं।

जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब की इच्छा के विरुद्ध फौज भेजी तो वह भी नवाब को अपमानित और नष्ट करने के लिए। मेरा अपना कहना है कि मैं इससे बड़ी और कोई अपमान की स्थिति नहीं जानता कि उच्चतम सिंहासन पर बैठने के लिए पैदा होने वाले व्यक्ति को विदेश में इसीलिये अनजान और बर्बर लोगों का मातहत होना पड़े। क्या मै किसी भी व्यक्ति को इसीलिए आदर देता हूँ कि वह अपने ही देश का स्वनागरिक है, चाहे वह जितना बड़ा अन्याय या अत्याचार करे? अनुचित दबाव व लूटपाट को सदा ही बुरा माना जाता है पर वह और बुरा हो सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार और लूटपाट की जाय, युगों-युगों से आदर देने के लिए जिसके सम्मुख हम झुकते रहे हैं। लेकिन वहाँ तो स्थिति ही दूसरी थी। मिस्टर मिडिलटन अपने को ही भारत का बादशाह समझता था! वह कहता था कि वही अवध का नवाब है, जागीरें जब्त ही जाएंगी, मैंने आदेश दे दिया है और इस काम में पलटन सहायता करेगी।

मैं, आप श्रीमान का दिल दुखाने के लिए लज्जित हो रहा हूँ। आपके मन में वही भावनाएँ हैं, जो समस्त मानवता की भावनाएँ हैं।

मिस्टर मिडिलटन ने केवल जागीरें नहीं छीनी, उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया और बनारस की पूरी रियासत को रुपयों के लिए गिरवी रखा, उसे खून चूसने वालों के हवाले किया। मिस्टर मिडिलटन ने तो श्रीमान के सामने यही

कहा था कि ये जागीरें दो वर्ष में कम्पनी का बाकी सारा रुपया निकाल देगी। परन्तु इस वातावरण मे क्या मिडिलटन शांति से रह सका ? उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने लिखा —

"श्रीमान, इधर कुछ दिनों से मेरा दिमाग दो बातो से उलझा हुआ है। एक तो है कि मुझे तत्काल कलकत्ता लौटना है, दूसरे लखनऊ मे मेरी उपस्थिति की आवश्यकता का अनुभव। परन्तु इस बारे मे आपका उत्तर हमे निर्णय लेने में सुविधा देगा।

मैंने इस बात की बडी प्रतीक्षा की कि सुनूँ कि सितम्बर मे नवाब के लिए जो योजना बनाई गई थी, उसमे क्या प्रगति हुई। मैं समझता हूँ कि इस ओर ऐसा कोई कदम नही उठाया गया। यद्यपि तीन महीने बीत गए।

अब मुझे आपस कुछ प्रश्नो का उत्तर पाना है। मुझे दुख है कि मुझे इस प्रकार लिखने की आवश्यकता पडी। मुझे आपकी योग्यता मे कही शंका नही है। आपकी सेवाएँ महान है। लेकिन आज यह प्रश्न है कि आपके इतना करने का परिणाम क्या निकला ? दोआब से रोहेलखण्ड हमारी सेना हटाई गई पर क्या कोई भाग अधिकार मे लिया जा सका ? नवाब मे क्या कम्पनी के बाकी रुपये वसूले जा सके ?

कृपया इन प्रश्नो का तत्काल उत्तर दे ताकि बेकार मे और समय नष्ट न हो।"

इस समय तक मिस्टर हेस्टिंग्स को इसकी सूचना मिल गई थी कि यहाँ संसद मे जाँच प्रारंभ हो गई है और उसने इस स्थिति का सामना करने की तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी। मै मिस्टर मिडिलटन से पूछता हूँ कि अपने को जरा देखने का प्रयत्न करो। देखो कि तुममें क्या है ? एक डाकू और लुटेरे में और तुममे क्या अंतर है ? क्या तुम अपने को मनुष्य समझते हो ?

मै श्रीमान से पहले ही बता चुका हूँ कि इस अत्याचार के क्या कारण थे ? अपराधी कहता है कि वह डर रहा था कि नवाब का कर्ज कैसे पटेगा। लेकिन कैसा डर ? क्या वह ब्रिटिश अदालत के सामने आने से डरता था ? वह तो दूसरी बात से डरता था। वह कहता है—मै असफल हुआ, मैं लूटपाट करने बनारस गया वहाँ हारा। मुझे कही से रुपये चाहिए।

लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक प्रश्न और है कि क्या जागीरदारो को वायदे के अनुसार पेशनें मिली ?

आप ने अली इब्राहीम खाँ की बात सुनी। एक मुसलमान वकील जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स बनारस लाया। वहाँ बाद में वहाँ का मुख्य न्यायाधीश भी था। वह मुस्लिम कानून का पंडित था, लेकिन इस मामले मे मिस्टर हेस्टिंग्स ने उससे सलाह क्यो नही ली ? लेकिन सर इलाईजा इम्पे के स्थान पर उसे मुख्य न्यायाधीश बनाए रखा। मिस्टर हेस्टिंग्स ने फैजाबाद की बेगमो की संम्पत्ति छीननी प्रारंभ की।

यह घटना यहाँ से नौ हजार मील दूर की है और चौदह वर्ष पहले की और आज उन अबलाओं की ओर से वकालत करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ईश्वर गवाह है कि उन बेगमों का इसके अलावा कोई कुसूर न था कि उनके पास थोड़ी सी सम्पत्ति थी।

मैं श्रीमान के सम्मुख यह सिद्ध कर सकता हूँ कि इन अबला बेगमों के पास अधिकांश सम्पत्ति उनकी अपनी व्यक्तिगत बचत द्वारा इकट्ठी की गई थी। आप के सामने रखे कागज-पत्रों में लिखा है कि इन अभागी औरतों के पास ७०,००० पौंड की सम्पत्ति थी। मिस्टर ब्रिस्टोव ने अपनी गवाही में कहा है कि उनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख से अधिक न थी।

श्रीमान, इन अभागी बेगमों में से एक मुन्नी बेगम के बारे में आप जानते हैं। इस संबंध में दिल्ली के मेजर ब्राउन की गवाही का हम हवाला देंगे। वह कहता है कि—"मुन्नी बेगम उच्च परिवार की कुलीन महिला थी। और मोहम्मद शाह के राजकाल के उच्च परिवार के सआदत अली खाँ की बेटी थी। वह मिरजा शफी खाँ की निकट रिश्तेदार थी और उसके पति का नाम सफदर जंग था।"

इस संबंध में एक पत्र है मिस्टर मिडिलटन का सर इलाईजा इम्पे के नाम। फैजाबाद से लिखा गया ता० २५ जनवरी सन् १७८२ का। इस पत्र की ओर मैं श्रीमान का ध्यान दिलाऊँगा।

"प्रिय सर इलाईजा, मैं बड़े संतोष से आपको सूचित कर रहा हूँ कि आज तक हम यहाँ छः लाख रुपया इकट्ठा करने में सफल हुए हैं। इस काम में नवाब के मंत्रियों ने हमारी बड़ी सहायता की है। उन्हीं की मदद से वृद्ध व बड़ी बेगम की गुप्त सम्पत्ति हथियाने में हम सफल हुए हैं।

श्रीमती इम्पे को मेरा आदर।

—नाथेनियल मिडिलटन।"

श्रीमान, 'प्रिय सर इलाईजा' के नाम से प्रारंभ होने वाले इस पत्र में पारिवारिक संबंधो की स्पष्ट ध्वनि है। इससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे लूटपाट के व्यापार में मिस्टर हेस्टिंग्स, सर इलाईजा इम्पे और मिस्टर मिडिलटन की साठ-गाँठ थी और वे एक थे।

मैं श्रीमान के सम्मुख मिस्टर मिडिलटन का एक और पत्र पढ़ूँगा जो कैप्टन लिआवार्ड जैक्वेस फैजाबाद के कप्तान के नाम १८ मार्च सन् १७८२ को लिखा गया था।

"महाशय, मुझे आपका १३ ता० का पत्र मिला। दोनों कैदी बेहर और जवार अली खाँ ने रुपये देने के अपने लिखित वायदे को तोड़ा है और भविष्य के लिए भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे रहे हैं। अतः आप उन्हें तत्काल ताले में बंद कर दें और जब तक मैं फैजाबाद न पहुँचूँ बंद रखें।"

यह है कैप्टन जैक्वेस का मिस्टर मिडिलटन को उत्तर—

"अप्रैल २३ सन् १७८२—महोदय, मुझे सूचित करते हर्ष हो रहा है कि बेहर अली खाँ और जवार अली खाँ नामक दोनो कैदियो को बड़ी गंदी व अस्वास्थकर जगह मे बंद रखा गया है। इस समय बड़ी भयानक गर्मी पड रही है पर उन्हें हमने कोई सुविधा नही दी है। दोनो ने प्रार्थना की है कि उन्हे कुछ दिनो के लिए हथकडी व बेड़ी से मुक्त किया जाय ताकि वे दवा खा सके क्यो कि दोनो बुरी तरह बीमार है। उनकी प्रार्थना आप तक पहुँचाना मै अपना कर्तव्य समझता हूँ और इस सबंध मे आप का आदेश चाहता हूँ।"

(हस्ताक्षर)

२२ मई सन् १७८२ को मिस्टर मिडिलटन का उत्तर मिला कि यह हमारी शक्ति-सीमा के बाहर है कि मै दोनो कैदियो को कुछ दिनो के लिए हथकडी मुक्त करने को कहूँ।

अब यह एक पत्र है—मेजर गिलपिन का ५ जून सन् १७८२ का पत्र मिस्टर मिडिलटन के नाम।

"महोदय, आप के आदेशानुसार मै दोनो कैदियो के पास गया। दोनो कैदी बिना बेगम की सलाह के कोई उत्तर देने मे असमर्थ है। उन्होने इस संबंध मे बेगम को संदेश भेजने का कहा है।

"मैने लताफत अली खॉ को बहू बेगम के पास भेजा परन्तु सतोषजनक उत्तर नही मिला।"

इसके बाद मिडिलटन ने दोनो कैदियो को लखनऊ फौरन भेजे जाने का आदेश दिया।

२४ जून १७८२ को लखनऊ से मिस्टर रिचर्ड जानसन ने मेजर गिलपिन को लिखा—

"महाशय, मुझे आपका २० जून का पत्र मिला। दोनो कैदी आज लखनऊ लाए जा कर लेफ्टीनेंट काऊ द्वारा कैप्टन वाध को सौप दिए गए।"

श्रीमान इन पत्रो मे यह तो स्पष्ट हो ही गया कि इन अभागो के साथ कैसा अमानुषिक व्यवहार किया गया और यही आप को बताना मेरा उद्देश्य था।

अब तक हमने देखा है श्रीमान कि गोरखपुर व अवध मे कितना विद्रोह फैला था। यह जनसमुदाय का जागरण था। कर्नल हैने को निकालने की माँग थी, कर्नल गारडन, कैप्टन विलियम और दूसरे कप्तानो को निकाले जाने की माँग थी। लेकिन देखिए श्रीमान, किसके विरुद्ध विद्रोह ! इन्ही कप्तानों—हैने, गारडन और विलियम और दूसरो के खिलाफ। यह समस्त अंग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह न था। यह विद्रोह था मिस्टर मिडिल्टन के अत्याचारों के विरुद्ध और अपने नवाब के पक्ष में, लेकिन इसे अस्वाभाविक विद्रोह कहा जा सकता है ? यह विद्रोह स्वाभाविक व उचित तथा

न्यायसंगत था—अन्याय के विरुद्ध अपने राजा, उसकी संतान, उसका राज्य बचाने के लिए।

श्रीमान, अब मैं जल्दी ही आज की कार्यवाही समाप्त करूँगा। क्योंकि इस संबंध में बहुत कुछ श्रीमान की स्मृति में है। अब मैं समाप्त करूँगा। हम आगे सिद्ध करेंगे कि नवाब निर्दोष था। बेगमें निर्दोष थीं। इस विद्रोह का मिस्टर हेस्टिंग्स ने इन अभागी बेगमों को दोषी ठहराया है। उसने उन पर दोष लगाया है कि उन्होंने अपनी संतान के प्रति विद्रोह किया, अंग्रेजों को देश से निकलवाने के लिए विद्रोह किया।

फिर देखिए श्रीमान, इन अभागी व दुखी अबलाओं के प्रति कोई विरुद्ध गवाही भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं इस अपराधी और उसके समस्त दल पर सारा दोष आरोपित करता हूँ। यह केवल रुपयों की लूटपाट की कहानी है। रुपया, संपत्ति जेल, हथकड़ी और चुनार के किले की कहानी है।

अब मैं आज की कार्यवाही समाप्त करने की आप की आज्ञा चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस गलत कार्यवाहियों, हिंसा और लूट तथा अन्याय के लिए मैंने इतना कुछ कहा है, उसे श्रीमान अवश्य याद रखेंगे।

[कार्यवाही आगामी तिथि के लिए स्थगित की गई।]

जवाब का छठवाँ दिन

[११ जून, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान ! इस मुकदमे के मध्य ही पिछली बार जहाँ हमने चर्चा समाप्त की थी वह आपको अवश्य याद होगा। वह स्थान हमारे द्वारा लगाए गए अभियोगों में बडा दिलचस्प है। हमने उस स्थान पर उस दिन रोका था जहाँ अवध की सब से अधिक प्रतिष्ठित महिला और अन्य बेगमो को सम्पत्ति के अपहरण का मामला था। हम लोगों ने वहाँ पर रोका था जहाँ इस अपहरण के लिए जो झूठे प्रमाण उपस्थित किए गए थे, झूठे सिद्ध हो चुके थे, जैमे कि इस कार्य का सारा दायित्व नवाब का था। हम अपराधी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणो व गवाहियो द्वारा यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि यह नवाव इस अपराधी के हाथ की कठपुतली था। अत. यदि यह बात सत्य भी हो कि दायित्व नवाब का था तो इससे अपराधी का अपराध और गंभीर होता है क्योकि एक लड़के को विवश किया जाना कि वह अपनी माँ की संपत्ति का अपहरण करे यह हर देश मे महाअपराध ही माना जायेगा। इसी स्थान पर हमने उस दिन चर्चा बंद की थी और आप के सम्मुख जो भी प्रमाण व सुबूत सविस्तार दिए गए है, इन कार्यवाहियां के संबंध में, उन्ही के संबंध मे पुन. चर्चा प्रारंभ करने की मैं आप से आज्ञा चाहता हूं।

मेरे विद्वान सहयोगी ने, जो मेरे पूर्व इस मामले में बहस कर रहे थे, अपने वक्तव्य में कहा था कि अपराधी के वकील द्वारा यह संदर्भ स्थापित करना कि बेगम की सम्पत्ति नवाब ने छीनी और यही उनका प्रमुख प्रमाण भी बना। लेकिन मै इसे एक दूसरे व नए दृष्टिकोण से देखता हूँ और इसे अपराधी के अपराध का महान अंग मानता हूँ।

सब से पहले जो दृष्टिकोण मै आप के सम्मुख रखना चाहता हूँ, वह यह है कि पूरी कार्यवाही प्रारंभ से ले कर अंत तक, दुराचार व अन्याय का रहस्य बनी रही और कही भी कम्पनी के आदेशों को नहीं माना गया। बल्कि इसके विपरीत सभी कुछ बड़े गुप्त ढंग से तथा रहस्यमय बना कर किया गया है।

यह आवश्यक है कि श्रीमान को ज्ञात रहे कि किस प्रकार कम्पनी के कर्मचारियों को पत्राचार करना चाहिए और उनके कार्य किस प्रकार नियमित बने रहें। अतः श्रीमान इससे सुनना पसन्द करेंगे कि वहाँ के राजाओं व कम्पनी के अधिकारियों

के बीच किस प्रकार पत्राचार हुए। आपको उस काल-विशेष का अवश्य ही स्मरण होगा जब यह आदेश जारी हुए थे। जब कानून पास हुआ था कम्पनी के कर्मचारियों को उचित निर्देशन के हेतु। इसी कानून के अन्तर्गत मिस्टर हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और डायरेक्टरों को परिषद् को आदेश दिया गया था कि वह उपनियम और नियमादि बनावें तथा उसी कानून के अन्तर्गत मिस्टर हेस्टिंग्स को उन नियमों को मानने का आदेश मिला था। आप देखें कि ये नियमादि व आदेश क्या थे और किस रूप में उसने आदेशों का पालन किया है।

गवर्नर-जनरल और कौंसिल के लिये दिए गए आदेशों के अंश, ता० २६ मार्च सन् १७७४—

"हमारा यह आदेश है कि कौंसिल की सभा हफ्ते में दो बार हो और सभी सदस्य उसमें बुलाए जाएँ एवं भारत के राजाओं व नवाबों से पत्राचार केवल गवर्नर जनरल ही करेगा। लेकिन उसके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक पत्र को पहले कौंसिल से स्वीकृति प्राप्त होगी जिन्हें वह कौंसिल के सामने पहली या दूसरी सभा में उपस्थित करेगा और इस अवधि में प्राप्त सभी पत्र भी कौंसिल के सम्मुख सूचनार्थ रखेगा। हमारा, साथ ही यह भी आदेश है कि ऐसे सभी पत्राचारों की प्रतिलिपियाँ यहाँ व्यापार के परिषद के पास आवेंगी ताकि व्यापार संबंधी समस्त जानकारी होती रहे।"

श्रीमान, अब आप देखें, इन आदेशों में दो प्रमुख परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। प्रथम यह कि कौंसिल की बराबर बैठक हो और फारसी पत्राचार केवल गवर्नर के पास रहेगा, वह कौंसिल के सम्मुख बराबर आवेगा और दूसरा यह कि जब तक कौंसिल से वह आदेश न प्राप्त कर ले उसे कोई उत्तर भेजने का अधिकार न होगा। यहाँ जमीन संबंधी भी कानून है, जो पार्लामिन्ट द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर है। आप श्रीमान को ध्यान देना होगा कि इन आदेशों के प्रति मिस्टर हेस्टिंग्स का क्या आचरण था? क्योंकि उस पर हमारा यही अभियोग है कि उसने इसी संबंध में पाप किए हैं, पार्लामेंट के कानून की अवज्ञा की है, जिन्होंने उस पर आदेश जारी किए थे, जिसके आधार पर ही उसे देशी राजाओं व नवाबों से पत्राचार करने का अधिकार था।

श्रीमान, हम इसका बड़ा विरोध करते हैं कि कानून के सभी नियम व धाराएँ चाहे उनका महत्व कितना ही कम या ज्यादा हो, उनका उचित पालन न हो। यह एक कारण है और एक गंभीर कारण है कि शासकीय दबाव, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूटपाट और घूसखोरी आदि अपने-अपने ढंग व रूप के अपराध हैं, लेकिन यह इतने अस्पष्ट होते हैं कि हम बड़ी कठिनाई से उनके प्रमाण पा सकते हैं, जब तक हमारे पास स्पष्ट रूप में नियम व विधान न हों। अतः आप सोच सकते हैं कि जब कभी भी ऐसे नियम या कानून भंग होते हैं, तो इन

अपराधों का जन्म होता है, क्योंकि आपके पास अस्पष्ट अपराधों के लिए कोई रोकथाम का रास्ता नहीं है लेकिन स्पष्ट कानूनों के रहने पर उनकी अपराध की मात्रा का अंदाज तो लगेगा। जैसे उदाहरणार्थ, कानून की यह आत्मा है कि आप चाहे सीधे घूसखोरी और तस्करी को सिद्ध न कर सकें जहाँ वे मौजूद हों, लेकिन यह तो सिद्ध हो ही सकता है कि कागज-पत्र, हिसाब-किताब और नियमों का पालन करने में नियमितता का पालन किया गया है या नहीं। इन कामों से घूस-खोरी के दरवाजे पर आप ताला बन्द कर देते हैं, आप भ्रष्टाचार का द्वार बंद कर देते हैं, तस्करी व्यापार का दरवाजा बंद कर देते हैं। आप सिद्ध कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने नियम विरुद्ध आचरण किया है और मान लें कि ऐसा करने में उसका कोई स्वार्थ या अर्थ न रहा हो लेकिन आपकी धारणा है कि उसने बेईमानी से ऐसा किया है तो आप उसे अपराधी मान कर दण्ड दे देते हैं, यह भी तो नियम तोड़ने की ही सजा हुई।

दूसरे, इन नियमों व आदेशों को पालन न करने के साथ ही श्रीमान, इनके साथ ही साथ छिपाव और रहस्य का भी मामला होता है। अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हर सरकार को अपने घोषित सिद्धान्तों, और कानूनों के प्रति ईमानदार रहना आवश्यक होता है। जब भी किसी मामले में या सिद्धान्त में रहस्य छिप जाता है तब आप निश्चय ही धोखा समझ लें, जब कभी रुपयों के मामले में छिपाव हो तो आप बेईमानी समझ लें, और नियम भंग के लिए आप अपनी दंडसंहिता भी निश्चित कर लें अन्यथा जनता का विश्वास बना न रह जायगा।

इस प्रकार हमने आपके सामने उन कानूनों व नियमों की बात की जो उसने भंग किए और हम संसद-सदस्य आपसे माँग करते हैं कि आप इन नियम भंग के प्रतिकारस्वरूप उसका दण्ड भी निश्चित करें। आपने कानून व नियम भंग करने का परिणाम देखा और हमने यही अभियोग उस पर स्थापित किया है जो इन परिणामों का फल है, कि कौंसिल से सलाह करने के बदले, उनके सामने समस्त पत्राचार रखने के बदले, पत्रों के उत्तर के संबन्ध में उनसे सलाह लेने के बदले, वह सीधे, स्वयं ही उस प्रान्त में गया, अपने साथ मुख्य न्ययाधीश को भी ले गया और उसी व्यक्ति को समस्त अनाचार का माध्यम बनाया, तमाम अनाचार, हिंसा, लूटपाट और छिपाव का उसे माध्यम बनाया जिसके लिए हम श्रीमान से प्रार्थना करते हैं कि उसे दंडित किया जाय।

श्रीमान, इस मामले के दौरान एक असाधारण स्थिति पैदा हुई जिसका मैं आपसे वर्णन करूँगा कि आप के कानून की एक और स्थान पर किस भयानक रूप से हत्या हुई है। श्रीमान के सम्मुख बेगमों की सम्पति की लूट के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही प्रस्तुत की गई है उनमें से कोई भी सार्वजनिक रूप से पूरी नहीं की

गई। और जिस रूप में वे हमारे सम्मुख आई, श्रीमान उन असाधारण ढंग को देख कर दंग रह जाएँगे कि अपराधी का अपना वक्तव्य भी इस असाधारण कार्यवाही के बारे में क्या है जिसे उसने छिपाने की इतनी आवश्यकता समझी।

हम लोग जब बेगमों के विरुद्ध हुए अत्याचारों की जाँच कर रहे थे, उनसे हुई संधि के टूटने के संबंध में, तब मेरे हाथ एक गुमनाम पत्र का पता लगा, जिसमें उस संबंध में पूरा-पूरा और विस्तृत वर्णन था जिसका वर्णन आप के सम्मुख पहले ही किया जा चुका है। यह पत्र गुमनाम था, मैं यह भी नहीं जानता कि यह कहाँ से आया और यह मैं इस क्षण भी नहीं जानता। मैं बहुत विश्वास से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं केवल अन्दाज ही लगा सकता हूँ, लेकिन इस गुमनाम पत्र के फलस्वरूप हम मिस्टर मिडिलटन के सभी पत्राचार, बेगमों से संपत्ति लूटने के संबंध में, प्राप्त कर सके। हमें इन पत्रों में मेजर गिलपिन और अन्य कई लोगों के नाम मिले। इनमें हमें सर इलाईजा इम्पे के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला और अपने पीछे वह अपराधों का जो गट्ठर छोड़ आया है या यों कहें कि अपराधों की जो झाड़ी वह पीछे छोड़ आया था उसकी ओर जो पदचिह्न हमें दिखाई पड़े वे उस जैसे अनेक भेड़ियों के थे, जिन्हें मिस्टर हेस्टिंग्स वहाँ छोड़ आया था। हमने मिस्टर मिडिलटन से जिरह की और मेजर गिलपिन ने पत्राचार दिखाए। बाद में पता लगा कि उस फाइल से मिस्टर मिडिलटन के पत्र फाड़े जा चुके हैं। लेकिन इस गुमनाम पत्र के माध्यम से हम यह बात सिद्ध कर सके जैसा कि श्रीमान के सम्मुख मैंने बताया है। इसके अलावा भी अन्य आवश्यक व महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस गुमनाम पत्र से प्रकाश में आईं, अन्यथा यह पत्राचार जो ग्रेट ब्रिटेन की न्याय-पद्धति व मर्यादा के लिए नितान्त आवश्यक था, इस दुष्ट व्यक्ति द्वारा छिपाया रह जाता और मैं कहता हूँ कि न्याय के विरुद्ध उसका षडयंत्र रहस्य के गर्भ में ही खो जाता यदि यह आकस्मिक घटना न घटती और यह गुमनाम पत्र हमारे हाथ न आता। इसलिए आज की कार्यवाही आप श्रीमान के सम्मुख इस तथ्य को बता कर प्रारंभ करते हैं और न्याय के नाम पर आप से प्रार्थना करते हैं कि देश के कानून को भंग करने के अपराध में आप इसे दण्ड अवश्य दें।

मैं आप को बता चुका हूँ कि इन तमाम दुष्टताओं को करने में कौन-कौन से लोग सहायक हुए हैं। मिस्टर मिडिलटन और मिस्टर जानसन, जो एक स्वतंत्र नवाब के दरबार में कम्पनी के हितों की रक्षा के लिए राजदूत बना कर भेजे गए थे, इसी नवाब पर इन्होंने हर प्रकार के अत्याचार ढाए यहाँ तक कि ब्रिटिश अफसरों के प्रभाव का भी प्रयोग किया और उसे लूटने को विवश किया। इन एजेन्टों को एक अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश की भी सहायता मिली जो पार्लमेंट के एक कानून के द्वारा अंग्रेजी न्याय की प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया था और कम्पनी के कर्मचारियों के आचरण की देखभाल जिसका कार्य था। इन लोगों की सहायता से

इस व्यक्ति ने कार्य किया। हमने आप को उसकी कार्य पद्धति दिखाई। हमने उसके सभी ढंग बताए। अब हम इन्ही विषयो पर बहस करेंगे। हमने इसलिए अभी तक बहस मे जिरह को नही आने दिया, क्योकि इससे अक्सर इन्कार न की जाने वाली बाते भी इन्कार कर दी जाती है। लेकिन समस्त कार्यवाही की आत्मा को स्पष्ट करने की दृष्टि से, ताकि आप जानें कि कार्य ही इतने बुरे नही किए गए, उनके बचाव के लिए कितनी बुराइयाँ की गई।

सर इलाइजा इम्पे का प्रथम कार्य था, जैसा कि श्रीमान को स्मरण होगा, बेगमों की संपत्ति छीनना। साथ ही उसके आदेशो की एक और बड़ी सूची है जिसे हमने उस सन्दूक से खोज निकाला जिसके संबंध मे श्रीमान को हम बता चुके है। उसके द्वारा मिस्टर मिडिलटन को दिए गए गुप्त आदेश, इसी व्यापार के संबंध मे। उसका मुख्य न्यायाधीश का पद झूठी बातो के लिए न था, पर उसने दूसरे अज्ञात लोगो से उन बेगमो पर यह अभियोग सिद्ध करने के लिए कि उन्होंने अपने लड़के के विरुद्ध विद्रोह किया, उस सरकार से पदच्युत कराना चाहा, ताकि ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति मिले, जाली व झूठे कागज लिखवाये। यही मुख्य काम था और यही प्रमाण इकट्ठे करने थे जिसके लिए सर इलाईजा इम्पे वहाँ भेजा गया था।

श्रीमान, मैं यहां यह अवश्य स्पष्ट करूगा कि हिंसा का कोई काम ऐसा नही है जो केवल मात्र हिंसात्मक ही हो बल्कि उसके पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हिंसा के पीछे कोई सिद्धान्त नही होता, बस किसी दूषित मस्तिष्क का क्षणिक आवेग होता है जो किसी न्याय या कानून की भावना बिना ही आगे बढता है और अपना लक्ष्य पूरा करता है। साथ उसके सामने न तो न्याय की मर्यादा होती है, न परम्परा। कानून पीडित हो कर रह जाता है, अपमानित हो कर और प्रतीक्षा रहती है कि जब फिर कानून का मान बढेगा, मान्यता बढेगी, तब हिंसा का अंत होगा और बुराइयाँ सुधरेंगी। लेकिन जब कानून ही भ्रष्ट कर दिया जाय और हिंसा के साथ गलत ढंग से जोड़ दिया जाय तो लूट-पाट के अलावा अच्छाई की आशा जाती रहती है। फिर केवल व्यक्तिगत रूप से ही लोग सताए नही जाते बल्कि कानून की मर्यादा ही भंग हो जाती है। फिर उसी के फलस्वरूप समस्त मानवता पीडित हो जाती है।

हमारे द्वारा लगाए गए अभियोगो मे यह भी एक है कि सर इलाइजा इम्पे ऐसे जाली कागज-पत्रो की ओर क्यो बढ़े? लेकिन उनका कहना है कि गुप्त या सार्वजनिक रूप से किसी कागज को प्राप्त करना या उस पर विचार देना किसी भी न्यायाधीश की कर्तव्य-सीमा मे आता है। लेकिन ऐसे शब्दों के भ्रमजाल से हम धोखा नही खा सकते।

लेकिन क्या ऐसा कभी सुनने में आया है कि ब्रिटिश सरकार के अन्तर्गत

एक न्याय-अदालत का अध्यक्ष अपनी सीमा लाँघे या अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाए ? वह अपने खासमुहाल को, जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, छोड़ कर लखनऊ जैसे स्थान पर चला जाय और जिन्दगी के नाम पर मरे हुए लोगों के हो रहे अपहरण में भाग ले ?

यह मुख्य न्यायाधीश लखनऊ जाता है, वहीं अपनी अदालत लगाता है। वह रात को अपनी अदालत लगाता है, यह अदालत गुप्त अँधेरे में होती है। ऐसी ही अदालत वह फैजाबाद में लगाता था और यह अदालत वह अवध के नवाब से छिपा कर लगाता है, नवाब की ही राजधानी में, गुप्त रूप से अदालत लगाता और नवाब को तनिक भी पता न लगता कि क्या कार्यवाहियाँ हो रही हैं। यह गुप्त अदालत नवाब के एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी और इस कार्य में मिस्टर मिडिलटन का सहायक मारगन के घर पर लगती।

इस प्रकार नवाब के ही घर में, उसी की राजधानी में, अवकाश प्राप्त कर्मचारी कर्नल मारगन के घर पर, इसके अलावा हमें और कोई सूचना व प्रमाण नहीं है कि नवाब की माँ पर दोषारोपण करने को यह काली कार्यवाही मिस्टर मिडिलटन ही करता था। यहाँ हमने एक गुप्त, रहस्यमय और घृणित कपट योजना को देखा, अब देखें कि यह दिन के उजाले में कैसी लगती है। साथ में उनके प्रमाण के लिए कई कागज हैं। वे कहाँ तैयार किए गए ? कहाँ ? वहाँ ? नहीं, वे एक दूसरी जगह तैयार किए गए थे, कलकत्ता में तैयार किए गए थे, लेकिन कभी नवाब को दिखाये या बताये नहीं गए। वह इस विषय में कभी भी कुछ न जान सका। अब हम देखें कि यह कागज क्या है। श्रीमान जी यह स्मरण रखें कि मैं किसी भी विषय को न छोड़ूँगा, जिसे उस ओर से प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया है, जब कि ये प्रमाण बिल्कुल अशक्त, अनुचित और अयोग्य प्रमाण हैं। लेकिन एक प्रमाण के रूप में सिद्धान्ततः उन पर चर्चा व बहस करना आवश्यक है। लेकिन इनके बारे में अधिक कहने से ज्यादा मैं आतंकित हूँ। मेरे पास उस आतंक को व्यक्त करने को शब्द नहीं हैं और न तो श्रीमान ही उसे शब्द दे सकते हैं, हाँ, केवल दण्ड दे सकते हैं।

यह बताने के बाद कि किसके सामने ये कागज संग्रह किए गए, अब मैं बताऊँगा कि किन लोगों ने ये कागज दिए थे। ये वही लोग थे जो समस्त देश को लूटने व नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, श्रीमान इस संबंध में स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा दण्ड पाने वाले भी वही लोग हैं। वे लोग और कोई नहीं, ब्रिटिश अधिकारी व कर्मचारी ही थे जो नवाब की सरकार उलट देने का प्रयत्न कर रहे थे और जिनके द्वारा लूटपाट-अपहरण का ही फल था कि यह विद्रोह समस्त देश में फैला। ये सभी लोग यहाँ अपने-अपने ऊपर लगाए गए अपराधों के संबंध में सफाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने और अपने पापों को छिपाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

लेकिन मान भी ले कि यह सभी गवाह बेकार है, या मान लें कि उनकी ओर अधिक ध्यान देना बेकार है और बेगम पर दोषारोपण का उनका वक्तव्य या प्रमाण ठीक भी हो, साथ ही ये नवाब के भाई सआदत अली खाँ को दोषी बताते है, पूरे दोष लगाने के कागजो मे कही भी बेगम शब्द का उपयोग नही किया गया और अधिक दोष तो नवाब पर ही लगाया गया है। अब श्रीमान, मै कहूँगा कि इन कागजो मे, सआदत अली के लिए जो कहा गया है वह सभव है सत्य भी हो, परन्तु यह बात मुख्य विषय से बहुत दूर है। जहाँ तक बेगम का प्रश्न है, यह बातें नवाब के लिए असभव है। सआदत अली, एक फौजी आदमी होने के कारण, बहुत महत्वाकाक्षी और उच्चपद का इच्छुक, अवश्य ही ब्रिटिश सरकार की बुराइयो से लाभ उठाने का प्रयत्न कर सकता है, देश मे फैले असतोष का लाभ उठा सकता है और अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह भी सगठित कर सकता है। यह सब सभव है और सभावित भी है कि नवाब की माँ ऐसे अवसर पर अपने अवैधानिक पुत्र का साथ दे और वैधानिक पुत्र का विरोध करे। मै कह सकता हूँ कि यह मानव प्रकृति की सीमा म है और इसमे सत्य भी हो सकता है। यह सभव है कि वह बेगम अपने असली पुत्र को राजगद्दी से पदच्युत करना चाहे और अपने पति के अवैधानिक पुत्र की सहायता करे। लेकिन मै कहूगा कि यह जितना सभव है उतना ही असभव भी है। कारण कि क्यो बेगम, सआदत अली के साथ जोडी गई, यह प्रश्न आप के विचार से छूट नही सकता। अपना बचाव ही एक मुख्य कारण हो सकता है कि कागजो मे इस प्रकार के दोषारोपण किए जाएँ। लेकिन कर्मचारियो के लिए तो लालच की बात बेगम की सम्पत्ति हो सकती है और इस प्रकार अगर सम्पत्ति न हडपी जा सके तो कम से कम बेगम को अन्य रूपो मे तो नष्ट किया ही जा सकता है।

लेकिन श्रीमान अन्य कागज-पत्र भी महत्वपूर्ण है। अपराध को महत्वपूर्ण रग देने के लिए वे कहते है, कि नवाब ही इसके जड मे था और उसने अपने भाई और माँ के साथ गठबधन किया और उन अग्रेज अफसरो का विरोध किया जो मिस्टर हेस्टिंग्स के आदमी थे और मिस्टर हेस्टिंग्स के ही शब्दो मे उन्होने ही देश को नष्ट किया। इससे अधिक और कुछ स्वाभाविक नही है कि एक व्यक्ति जो अपने कार्य व कर्तव्य के प्रति जागरूक है वह लुटेरो के दल या गिरोह से छुटकारा पाने के लिए कोई योजना बनाता है जो उसका देश नष्ट कर रहे हो और उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा व मर्यादा को नष्ट कर रहे हो। इस प्रकार आप देखे कि अगर नवाब ही इन सब बातो के ऊपर है तो उसकी माँ उसको सहयोग देती है और परिवार की रक्षा के लिए एक भाई भी आ कर शामिल हो जाता है। यह बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है। लेकिन क्या वे यही मामला प्रस्तुत करते है? नही, वे दूसरी ओर मुड जाते है। वे बडी कठिनाई से कही-कही सआदत अली खाँ

को छूते हैं और समस्त व्यापार अन्य दो लोगों तक ही सीमित रखते हैं, समस्त भार अभागी बेगमों पर ही लाद देते हैं।

श्रीमान यहाँ दुष्टता और नीचता की सीमा देखें। पहले तो उन्होंने समस्त परिवार को आतंकित रखने के लिए समस्त परिवार पर अभियोग लगाए, फिर बेगमों की संपत्ति का अपहरण किया। आप श्रीमान देखेंगे कि इस प्रकार गवाही और सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार की झूठी, अपमानजनक और धूर्ततापूर्ण कार्यवाही द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के नाम को किस हद तक बदनाम किया गया।

गवाहों के पहले दल में कौन लोग थे जिन्हें उन्होंने अपने सर्वमान्य व प्रतिष्ठित न्यायाधीश सर इलाइजा इम्पे के सम्मुख प्रस्तुत किया, जो कानून की कलाबाजियाँ करने में व्यस्त था, यह मैं श्रीमान के सम्मुख उपस्थित कर चुका हूँ। आप के सामने उन झूठे कागजों का भी पूरा ब्योरा है जो सर इलाइजा इम्पे के अधिकार में था, उस संदूक में जिसे हमने खोला, जिसमें से हर प्रकार की बुराइयों का रहस्य खुला। मुख्य न्यायाधीश स्वयं बेगमों की सम्पत्ति के अपहरण का वारंट ले कर गया जो उन बेबस बेगमों के लिए मौत के वारंट से किसी प्रकार कम न था। साथ ही जाली कागजों को इकट्ठा करके वह स्वयं इस मामले का एक पक्ष बन गया और एक गवाह जैसा बन गया। कैसे? क्या वह विद्रोह की अन्य परिस्थितियों से भी परिचित था? नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं जानता। बल्कि कहता है कि अपनी यात्रा के समय मैंने जान-बूझ कर फैजाबाद को बचाया क्योंकि मैं भयभीत था कि वहाँ विद्रोह जोरों पर है। दूसरा न्यायाधीश होता तो वह पचास मील का चक्कर लगा कर लखनऊ जाने से बचता क्योंकि लखनऊ तब भ्रष्टाचार, लूटपाट और अपहरण का अड्डा ही नहीं केन्द्र था और उससे बुरी व दूषित हवा संसार में किसी भी न्यायाधीश के लिए दूसरी न थी। विद्रोह से बचने के बदले लखनऊ की दूषित वायु से बचना न्यायप्रिय न्यायाधीश के लिए अधिक आवश्यक था।

एक न्यायाधीश ऐसे स्थान पर आसानी से जा सकता है जहाँ विद्रोह की आग भड़की हो और वहाँ न्याय की प्रतिष्ठा के लिए मर कर अमर हो सकता है। लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश जो अपने को लूटपाट और भ्रष्टाचार में सम्मिलित रखता हो उससे हम क्या आशा कर सकते है कि वह वहाँ कोई महान कार्य भी कर सकता है? सर इलाइजा इम्पे की हत्या भी हो सकती है पर मुख्य न्यायाधीश का नाम तो पवित्र और सम्मानित बना रह सकता है, पर यहाँ तो वह डर के मारे लखनऊ से भाग खड़ा होता है और मुख्य न्यायाधीश के पद की प्रतिष्ठा मिस्टर हेस्टिंग्स के पास छोड़ आता है।

सर इलाइजा की इन कानूनी कलाबाजियों की चर्चा के बाद मैं पूछूंगा कि क्या नवाब को कोई सूचना उसके या मिस्टर हेस्टिंग्स के द्वारा दी गई थी? क्या बेगमों को कोई सूचना इस प्रकार की दी गई थी कि उनके विरुद्ध ऐसे अभियोग

लगाए जा रहे है ? एक शब्द भी नहीं । क्या सआदत अली खाँ को ही सूचना दी गई ? बल्कि उन्हें एक वर्ष तक कैद में रखा गया और उन्हें अन्न और पानी के लिए भी तरसाया गया । उन्हे फैजाबाद से लखनऊ घसीट लाया गया, फिर लखनऊ से फैजाबाद घसीट कर लाया गया । इस समस्त काल में क्या मिस्टर हेस्टिंग्स की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा एक शब्द भी उनसे इस प्रकार सूचनार्थ कहा गया कि उन पर अभियोग लगाये जा रहे है ? एक शब्द भी नहीं ।

अब मै श्रीमान के सम्मुख नम्रतापूर्वक कहूँगा कि इस मामले में न्याय के हर पक्ष का उल्लंघन किया गया और मै अब श्रीमान से कहूँगा कि क्या आप इस अपराधी को क्या इतने पर भी छूट देगे ? इस सदन के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पूछा गया था, जब हम मिस्टर हेस्टिंग्स के विरुद्ध प्रमाण पेश करने जा रहे थे कि क्या प्रमाण पेश करने के अपने इरादे की सूचना हमने मिस्टर हेस्टिंग्स को दी है ? या जिसने गवाही दी है क्या उससे जिरह करने का उसे अवसर दिया गया है ? नही ! फिर उन प्रमाणों को मान्यता नही मिलनी चाहिए । अब मैं श्रीमान से कहूँगा कि उसी आधार पर बेगमो से वही वर्ताव किया जाय जैसा मिस्टर हेस्टिंग्स के साथ किया गया है । एक ही मामले मे दो व्यक्तियों के लिए दो प्रकार के तराजू या बटखरे नही होने चाहिए ।

श्रीमान, अब यह मामला, इस व्यक्ति और अभागी औरतों के बीच का यह मामला अब अत मे वेस्टमिन्स्टर हॉल में तो आ ही गया है । यह मामला अब एक पवित्र न्यायालय मे आ गया है और अब हम उनके जाली कागजों के अलावा दूसरी गवाहियों और दूसरे प्रमाणो की माग करते है । श्रीमान, जो लोग यहाँ गवाह बना कर लाये गये है वे लगभग वही लोग है जो इन जाली कागजो के बनाने वाले है । अपनी गवाही मे ये लोग उन बातो को छोड़ गए है जिसने नवाब व सआदत अली को बरबाद किया । उनके समस्त वक्तव्य को हम श्रीमान के विचार पर ही छोड देते है । क्योंकि ये वही लोग है जिन्होंने समस्त बुराइयों से लाभ भी उठाया है, ये वही लोग है जिनकी सात-सात महीनों की बाकी पडी तनख्वाह इन अभागी औरतों को चुकानी पडी है, वे लोग है जिनके कारण हुए विद्रोह के लिए वे दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे है । अतः उनकी गवाही की सत्यता तो समाप्त हो जाती है। मिस्टर हेस्टिंग्स तो स्वयं कर्मचारियों के सम्बन्ध मे कितनी भयानक बातें करता है । वे बातें अवश्य ही श्रीमान की स्मृति मे ताजी होंगी और कानों में गूँज रही होगी । आपने मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा लाए गए गवाहों से सुना कि इन लोगों ने ही कैसे-कैसे आचरण किए है । अतः उनको सुनने में एक मिनट भी बरबाद नहीं करना चाहिए और इसे हम अपराधी का और अशिष्ट व्यवहार मानते हैं कि वह ऐसे दोषी लोगों को गवाह बना कर लाया जो उसके पापों के सहायक रहे है और जिन पर स्वयं देश को बरबाद करने का दोषारोपण वह करता है और जिन्हें

उसने नवाब के कहने पर कार्य पर रखा था, चुनार की संधि के अनुमार। मैं कहूँगा कि नौ हजार मील दूर इन अभागी औरतों का जीवन नष्ट करने वाले ये लोग बुराइयों के कीटाणु हैं। अपराधी ने इन्हें यहाँ लाने की धृष्टता की और यहाँ आ कर वे कैसा व्यवहार करते हैं यह तो श्रीमान ने स्वयं ही देखा है।

इनमें एक ऐसा भी है जिसे हम यों ही नहीं छोड़ सकते—वह है कैप्टन गार्डन। बेगम के विरुद्ध इस व्यक्ति ने जो गवाही दी वह अफवाहों और सुनी-सुनाई बात पर निर्भर करके। उसने किसी व्यक्ति मे सुना था कि बेगम ने विद्रोह को भड़काया, कभी सआदत अली खाँ का साथ दिया, कभी नवाब का।

कैप्टन गार्डन, कर्नल हैने का सहयोगी था, उसे देश से बाहर खदेड़ दिया गया था और जैसा कि एक बेगम ने कहा है, हजारों जमींदारों को उसने लूटा और एक तरह से पूरे देश को ही लूटा। यह स्त्री जिसके दिल में ब्रिटिश जाति के लिए बड़ा सम्मान था, इसने कैप्टन गार्डन और कैप्टेन विलियम्स का हर संभवसम्मान किया। वह फैजाबाद, जो विद्रोह का केन्द्र था, से बराबर उन्हें मूचना देती रही। उसकी सहायता से अनुगृहीत हो कर दोनों ने उमे धन्यवाद और मम्मान भरा पत्र लिखा। फिर वे लखनऊ सर इलाइजा इम्पे के पास गए, पर वहाँ जाते ही वे प्राप्त दया व सहायता के संबंध में सब कुछ भूल गए और उन्हें जो भी सुरक्षा व सम्मान मिला था, वे सब कुछ भूल गए। उन्हें यह भी याद न रहा कि वे इस संबंध में धन्यवाद का पत्र भी लिख चुके हैं। वे सब कुछ भूल गए।

फिर हमें यह सब कैसे पता लगा? यह सब हमें मेजर गिलपिन से पता लगा जिसे इस मामले में कार्यवाही के बीच वक्तव्य देने के लिए यहाँ उपस्थित होना पड़ा है और हमें जो भी कागज-पत्र मिले, उन्हीं के आधार पर हमने यह अभियोग लगाया है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने सचाई को स्वीकार किया है और मिस्टर मिडिलटन ने इस पर परदा डालना चाहा, पर पूरी तरह छिपा न सका। हम यह सिद्ध कर चुके हैं और समस्त प्रमाण श्रीमान के सम्मुख हैं।

इस प्रकार अंग्रेज अफसरों द्वारा इन औरतों के पक्ष में दिए गए बयान व प्रमाण आपके सम्मुख हैं। लेकिन प्रश्न है कि यही बातें इन्होंने लखनऊ में क्यों नहीं कहीं? मिस्टर हेस्टिंग्स जब जानता था कि ऐसे कागज-पत्र मिस्टर मिडिलटन के हाथ में हैं तो भारत में रहते समय उसने वे सब अपने अधिकार में क्यों नहीं किए? अब मै श्रीमान के सम्मुख वह पत्र पढ़ूँगा जिससे आप इन समस्त व्यापारों का अंदाज लगा लेंगे।

[नवाब वजीर की माँ का मिस्टर हेस्टिंग्स के नाम पत्र जो
६ जनवरी १७८२ को प्राप्त हुआ था]

"हमारी स्थिति खासी अच्छी है और हम हर समय आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। मैंने बहर अली खाँ को आपके पास भेजा।

फलस्वरूप लोगों ने गलत अनुमान लगाया कि बहर अली खां सूबे की डिप्टीगीरी प्राप्त करने गया था और यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने उसे कलकत्ता नवाब अमाउद्दौला के पास भेजा है। मैं ऐसी बातों को अधिक बढ़ने न दूँगी। लोगों का कहना है कि आपने संधिपत्र पर अपनी मुहर नहीं लगाई। और भी लोग कहते है कि एक प्रतिष्ठित महिला हो कर मैंने एक अंग्रेज मर्द से पत्राचार क्यो किया ? इसी कारण स मैने तब आप को पत्र नही लिखा जब आप इधर आए थे। अब यहाँ का मामला यों है—२७ तारीख को आसफउद्दौला बहादुर ने मेरी जानकारी के बिना ही अपने अमीन को मेरी जागीर में भेजा। मैने इस संबंध मे मिस्टर मिडिलटन को कई बार लिखा, उसकी मुहर संधिपत्र पर थी, फिर उसने मेरे पक्ष मे कार्यवाही क्यो नही की ? मिस्टर मिडिलटन ने उत्तर दिया—नवाब मालिक है। मैने फिर लिखा, कई बार लिखा, पर बेकार। निराश होकर मै आपसे प्रार्थना करती हू कि आप देखे कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अधिक यहाँ मेरा कहना बेकार है। अपनी सीमा से बाहर जाने मे कोई लाभ नही होता। आसफउद्दौला ने मुझे लिखा कि वह अपने अमीनो को हमारी जागीरों में भेज चुका है और वह अपने खजाने से नगद रुपये देगा। मै इस पर तैयार न हुई। मुझे मेरी जागीरें पूर्ववत ही मिलनी चाहिए अन्यथा यह स्थान छोड़ कर आपके पास बनारस आऊँगी फिर वहाँ से शाहजहाँबाद जाऊँगी। कृपया आसफउद्दौला, मिस्टर मिडिलटन, हुसेन रजा खाँ और हैदर वेग खाँ को लिखें कि वह एक बेगम की जागीर के साथ ऐसा व्यवहार न करें और उसे पूर्ववत बेगम के अमीन के हाथ मे ही रहने दें। यहाँ यह भ्रम है कि मेरा अमीन मिस्टर जान गार्डन के साथ मिला हुआ है। मामला यह है—मिस्टर जान गार्डन टाँडा आया, जो मेरी जागीर है, अकबरपुर के जमीदार से झगड़ा था। मिस्टर जान गार्डन के टाँडा आने पर मेरे अमीन ने जो चाहिए था वही किया। तब जान गार्डन ने मुझे आदमी भेजने को लिखा ताकि उनके साथ वह फैजाबाद आ सके। अतः सर जान गार्डन को लिवा लाने को आदमी भेजा और पूरी सुरक्षा से मेरे पास आ गया। आप उसी से सब बाते जान सकते हैं। वह इन मामलो के विषय मे विस्तार से बताएगा, तभी सत्य प्रकट होगा। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाये तो बड़ा अच्छा हो, और यदि यह संभव न हो तो मैं ही आपसे मिलने आऊँ ! परन्तु आपका ही यहाँ आना परम आवश्यक है। तभी मेरे सभी मामले ठीक हो जाएँगे। आप कृपया मेरे पत्र का तत्काल उत्तर दें और आसफउद्दौला, मिस्टर मिडिलटन और हैदर बग खाँ को पत्र लिखें कि वे मेरी जागीरों को नष्ट न करें। मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचना दें क्यों कि मेरा जी इसी बात पर लगा है।"

यह पत्र मिस्टर हेस्टिंग्स को दिया गया। मेरा विश्वास है कि श्रीमान इस पत्र पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। यह भी ध्यान देने की बात है कि यह पत्र अलग-अलग बक्सों से निकले और यह पत्र मिस्टर हेस्टिंग्स

के निजी सचिव और दुभाषिए मिस्टर जोनाथन स्काट के बक्से से निकला। इस पत्र में ऐसी अनेक बातें है जिन पर श्रीमान का ध्यान जाना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम यह कि यह स्त्री कभी न जानती थी कि उस पर ऐसे विद्रोह का अभियोग लगाया जा रहा है, उसके कानों तक जो एकमात्र अभियोग की बात आई, वह थी कि कैप्टेन गार्डन ने कहा—यह सन्दूक उसी के (बेगम के) एक अमीन से छीना गया है। वह इस बात से पूरी तरह इन्कार करती है। साथ ही वह उसके प्रति बहुत अच्छे व्यवहार के प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करती है। इसमें जो सब से महत्वपूर्ण बात है वह यह कि बेगम बराबर मिस्टर हेस्टिंग्स से कहती रही कि वह मिस्टर जॉन गार्डन से पूछे कि इस अभियोग मे कितनी सत्यता है या इसके पीछे क्या रहस्य है। वह कहती है कि "मिस्टर गार्डन यहीं है। उससे इन मामलो की सत्यता के बारे मे जानकारी ले।" पर इतनी साधारण छोटी और न्यायपूर्ण माँग भी स्वीकार नही की गई। सर इलाइजा इम्पे के सामने मिस्टर गार्डन ने लूटपाट की बात को तो स्वीकार किया, परन्तु पत्रों के लिये जाने को नही माना। इस संबंध मे कोई जाँच भी नही हुई। तब कर्नल हैने भी जीवित था, कर्नल गार्डन भी जिन्दा था जिसका जिक्र बेगम ने किया था। ये सभी व्यक्ति सर इलाइजा इम्पे के सम्मुख प्रस्तुत किए गए थे और सबों ने उसके अपराधी को अपराधी ही कहा। क्या अपराधी मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह बातें बेगम को बताई जब कि उसका पत्र उसी के अधिकार मे, मिस्टर स्काट के सन्दूक में था? उसी पत्र मे तो बेगम ने मिस्टर गार्डन से जाँच करने की बात कही थी।

सच यह है कि बेगम द्वारा मिस्टर गार्डन पर लगाए गए अभियोगों की सत्यता मिस्टर हेस्टिंग्स को ज्ञात थी, पर उसने न तो बेगम पर लगाए गए अभियोगों की बात बेगम से कही, न मिस्टर गार्डन से जब तक भारत मे रहा एक भी प्रश्न पूछा। अब तो एक ही बात है श्रीमान, कि हम उस पर धोखाधडी, और गलत गवाही देने का अभियोग लगाते है। मिस्टर हेस्टिंग्स उसे यहाँ लाया है। पर क्यो? अपने ही लिखे प्रमाणपत्र तथा लिखित बातों को झूठी सिद्ध कराने को और उन्हें वह झूठी सिद्ध भी कैसे कर रहा है? यहाँ दो ऐसे कागज है जिन्हे मै श्रीमान के सम्मुख पढ़ने की आज्ञा चाहता हूँ।

[जबर और बहर अली खा के नाम मिस्टर गार्डन के पत्र की प्रतिलिपि]

"महाशयो,........मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कल आप से छुट्टी पा कर मैने रात नूरगंज मे बिताई और दूसरी सुबह, करीब दस या ग्यारह बजे आपकी कृपा से सकुशल गोंडा पहुँच गया। मीर आबू बहश जमीदार और मीर रुस्तम अली मेरे साथ थे।

"आप ने जो मित्रता मेरे प्रति निभाई उसके लिए मैं कितनी कृतज्ञता प्रकट करूँ? मेरे योग्य जो भी सेवा हो, सूचित करें और उसकी इच्छाओ की मैं

पूर्ति कर सकूं। मेरा अभिवादन…" आदि…आदि।

[मिस्टर गार्डन द्वारा बेगम को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि]

"बेगम साहबा, मर्यादा और प्रतिष्ठा की मूर्ति! ईश्वर आपको बराबर सलमत रखे…।

"आप का पत्र, जो गोडा मे आप के गुलाम ने लिखा था, के उत्तर मे प्राप्त हुआ। मुझे जितनी प्रतिष्ठा दी गई है पढ कर मै शब्दहीन हो गया, ईश्वर शाही उच्चता व पवित्रता की रक्षा करे और आपको प्रसन्नता, सम्पन्नता और उन्नति दे। आप के गुलाम की प्रसन्नता आप की ही कृपा पर निर्भर है। मुझे गोडा आए कई दिन हुए। कर्नल साहब साथ है।

"आप की सूचना के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप के सुयश को और चमक प्रदान करे।'

बेगम के इन मित्रतापूर्ण व्यवहारो की बाते पूरी तरह छिपाई गई, जब कि लखनऊ मे सर इलाइजा इम्पे के सामने उस पर अभियोग लगाए गए। मै श्रीमान के सम्मुख यही बार-बार कहना चाहता हूं कि बगाल छोड़ने के पूर्व मिस्टर हेस्टिंग्स के पास मिस्टर स्काट के सन्दूक मे यह पत्र थे। फिर भी क्या उसने कैप्टेन गार्डन से पूछताछ की? नही, क्या उसने कर्नल हैने से जॉच की? नही। क्या इस पत्रो को देख कर उसने कोई भी जॉच की या उसने क्या इस असहाय औरत को कैप्टेन गार्डन के विरुद्ध न्याय पाने की कोई सुविधा प्रदान की, जो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित कर चुकने के बाद भी उसे बरबाद करने मे तनिक भी न हिचका? नही, उसने ऐसा कुछ नही किया। इसीलिए मै उस पर वे सभी अभियोग लगाता हूँ जो कैप्टेन गार्डन की गवाही मे स्पष्ट हुए है।

यह कागज-पत्र जो बेगमो के विरुद्ध अभियोग लगाते है इनके लिए भी बेगमो ने जॉच की मांग की थी। आपके सम्मख उस सम्बन्ध मे कुछ नही रखा गया। ऐसे कोई कागज उच्चतम कौसिल के सामने भी नही रखे गये, न डायरेक्टरो की परिषद का ही दिए गए। अत मे इस मामले की सत्यता संसद ने ही खोजी। कैप्टेन गार्डन गवाही के लिय बुलाया गया और उसने सिद्ध करना चाहा कि जो कागज उसने ही लिखे थे वे भी झूठे है। क्या इसे स्वीकार किया जायगा? ऐसे व्यक्ति को श्रीमान क्या कहेगे जो अपने को ही झठा सिद्ध करता है? जो यह सिद्ध करता है कि लिखा तो उसने है, पर लिखी बात झूठ है और पहले वह जो प्रमाणपत्र दे चुका है वह सब गलत है।

दूसरी बात जो श्रीमान क ध्यान देने की है, वह है कि अपनी ही लिखी बातो को असत्य सिद्ध करने के लिए वह कौन से प्रमाण देता है। क्यो, वही क्यो अकेला इसका गवाह है? और वह कैसे सिद्ध करता है? वह कहता है कि मुझे सुरक्षित पहुँचाने के लिए उसने जो व्यक्ति मेरे साथ भेजा था वह मेरे सुरक्षित पहुँच

जाने का एक प्रमाण चाहता था अतः मैंने यह पत्र लिख दिया। इसके अलावा इसका और कोई अर्थ नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति को संतोष देने के लिए धन्यवाद-पत्र मात्र था। क्या महत्वपूर्ण अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को पत्र लिखने का यही नियम है? लेकिन अगर आप मानते हैं कि ऐसे अवसर पर ऐसा पत्र लिखा जाना उचित है और जो पत्र उसने लिखा झूठा है और यह झूठ उसी के प्रमाणों से सिद्ध होता है तो मैं कहूँगा कि श्रीमान को मानना पड़ेगा कि संसार में झूठ का यह एक विशेष और अभूतपूर्व नमूना है। लेकिन इससे भी बुरी बात एक और है। एक और पत्र है जो कुछ दिनों बाद लिखा गया था, जिसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसे वह यह नहीं कह सकता कि केवल किसी को संतुष्ट करने को लिखा गया था—"आपका कृपा पत्र······आपने जो लिखा पढ़ कर आप का गुलाम शब्दहीन हो गया।"

देखिए श्रीमान, यह पत्र केवल सुरक्षित पहुँचने की रसीद मात्र नहीं है बल्कि किसी पत्र के पहुँच की स्वीकृति व उत्तर है। बेगम के पत्र का उत्तर है। उस पत्र को इन लोगों ने छिपा लिया व नष्ट कर डाला है। यह स्पष्ट है कि कोई प्रार्थना पत्र भेजा गया था जो स्वीकृत हुआ था।

फिर इस झंझट से छुटकारा पाने का वे क्या प्रयत्न करते हैं? क्यों? कैप्टन गार्डन कहता है—"कर्नल साहब (कर्नल हैने) गोंडा में नहीं थे, बल्कि वहाँ से अठारह मील दूर मकरा में थे।" वह पत्र से इन्कार नहीं करता क्यों कि इन्कार करना उसके लिए संभव न था। वह कहता है कि कर्नल हैने वहाँ नहीं था पर इसे हम कैसे मान लें या क्या प्रमाण है कि कर्नल हैने वहाँ था या नहीं? केवल उसी ने तो यह बात कही है। लेकिन मान भी लें कि वह वहाँ नहीं था और यह भी मान लें कि वह वहाँ से अट्ठारह मील दूर था, पर उस समय कैप्टेन गार्डन के साथ मेजर जेलर तो था ही। वह उसे ही कर्नल समझता हो क्योंकि ऐसी भूल तो कहीं भी संभव है। कहीं भी अनजान में किसी मेजर को कर्नल समझा जा सकता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ हो। वह भी तो उसी पद पर था जिस पर कर्नल हैने था और उस समय कर्नल हैने भी केवल मेजर ही था। मैं समझता हूँ कि दोनों ही उस समय कर्नल पुकारे जाने के अधिकारी न थे। ऐसे रहस्य उद्घाटित करने के लिए मैं लज्जित हूँ। अब मैं क्या अपराधी से पूछूँ कि इतना सब जानते हुए भी उसने कैप्टेन गार्डन को गवाह बना कर लाने की हिम्मत कैसे की? उसने यहाँ की प्रतिष्ठित संसद और यहाँ के प्रतिष्ठित न्याय को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की?

मैं आशा करता हूँ कि श्रीमान को पर्याप्त मात्रा में प्रमाण मिल गए हैं। बाकी सब बातें इन्हीं से मिलती-जुलती सी हैं या सुनी-सुनाई हैं, बस एक विशेष महत्व की है। उसे मैं अब श्रीमान के सम्मुख रखूँगा। कर्नल पोघम और एक दूसरे

व्यक्ति ने आप से बताया है कि चेतसिंह से एक लडाई मे उन्होने दो सिपाहियों को बंदी बनाया और इन्ही दोनो व्यक्तियो ने बताया था कि वे बेगम के भेजे हुए आदमी है और इन्हे दो घावो के लिए दो रुपये मिलेगे जिसे वे बहुत कम मूल्य मानते थे। ये दो व्यक्ति, दो रुपये और दो घावो की बात का कोई विशेष महत्व नही है। वे दोनो आदमी यह जानते थे कि बेगम के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे किए जा रहे है।

श्रीमान, इस मामले पर कुछ शब्द कहने का आदेश चाहूँगा क्योंकि इसमे मैं आप श्रीमान और कानून दोनो के प्रति अपमान की बात मानता हूँ। यह सर्वविदित है कि हिन्दुस्तान मे एक हिन्दू राजा भी योरप के राजाओ की तरह पलटन रखता है। राजा के दो आदमी जो युद्ध मे घायल हुए, उनकी न तो ठीक मे जाँच की गई, न उनसे जिरह की गई और उनका वक्तव्य कभी लिखा नही गया, उनके कहने पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि बेगम अपने बेटे के प्रति होने वाले विद्रोह मे सम्मिलित होगी और इसके परिणामस्वरूप उसे अपनी सम्पत्ति व जमीन से भी हाथ धोना पडे तथा वे समस्त मुसीबते उठानी पडे जिनका मैने जिक्र किया है।

श्रीमान, मुझे ऐसी शर्मनाक बातो की चर्चा करते हुए स्वयं लज्जा आती है लेकिन उदाहरणार्थ हम यदि कहे कि मिस्टर हेस्टिग्स ने बरार के राजा को देश के किसी दूसरे राजा के विरुद्ध भड़काया और इसे सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण प्रस्तुत करे और ऐसे दो व्यक्तियो को ला कर खडा करे जो यह कहे कि उन्हे मिस्टर हेस्टिग्स ने राजा को सेना मे भेजा तो क्या आप इस प्रमाण को मान्यता देंगे? या आप क्या ऐसे प्रमाण उपस्थित करने की अनुमति देंगे? या आप मानेगे कि हम भी ऐसे गवाह लाने का छोटा काम कर सकते है? हम फिर मिस्टर हेस्टिंग्स पर यह अभियोग लगाते है कि बेगमो के विरुद्ध उसने कई हिंसक कार्य किए है। हम भी दो ऐसे अंग्रेजो को ही फौजी वर्दी मे ला कर खडा करे जो यह कहे कि मिस्टर हेस्टिग्स ने उन्हे बेगमो के विरुद्ध भडकाया तो क्या आप उनकी गवाही मान लेंगे?

आप निश्चय ही ब्रिटिश न्यायप्रियता को अपमानित न होने देंगे, न आप न्यायालय को ही अपमानित करेंगे न आप मानवता का तिरस्कार करेंगे और ऐसे गवाहो को मान्यता देंगे। लेकिन देखे न, कि इन्ही दो गवाहो को सत्य मान कर एशिया के अनेक लोगो की प्रतिष्ठा व सम्पत्ति को नष्ट किया गया।

आप ध्यान दे श्रीमान, कि दो सिपाहियो ने कहा कि उन्हे बेगम ने भेजा था। पर भारतवर्ष मे ऐसा होना असंभव बात है। वे शायद या निश्चय ही जबर और बहर अली खाँ द्वारा भेजे गए थे। हम फिर पूछते है कि इन लोगो से उस समय यह बात क्यो नही पूछी गई?

लेकिन हमे इस तथाकथित विद्रोह की बात आगे बढानी है। कैप्टेन विलियम्स ने श्रीमान को बताया है कि उस समय उसके पास यह सिद्ध करने वाले कई पत्र व कागज थे कि बेगमो ने विद्रोह कराया। साथ ही वह कहता है कि वे सभी

पत्र व कागज खो चुक है। मिस्टर हेस्टिंग्स के दफ्तर मे खोजबीन का आदेश हुआ और वहाँ एक सन्दूक मिला जिसमे इस संबंध का एक कागज प्राप्त हुआ। इस कागज में कही किसी विद्रोह करने वाली बेगम का नाम नही लिखा है। इस सुर-क्षित कागज से आप खो गए कागजों का अंदाज लगा सकते है। मेरा विश्वास है कि ऐसा कोई कागज पहले कभी अदालत के सम्मुख नही लाया गया। उस कागज मे यह है।

"सेना मे, महामहिम ·····आपकी सदा उन्नति हो। मुझे आदेश है कि अपने जिले के सिपाहियो से मै यह लिखित प्रतिज्ञा प्राप्त करूँ कि वे राजा की सेना मे न जाएँगे और ४०० या ५०० ऐसे सैनिको से मुझे प्रतिज्ञा-पत्र प्राप्त हो जाये तो उन्हें आपके पास भेजे और भुआपाटा के शाह रहमतउल्ला के पास भी आदेश भेजे कि अपने जिले के सिपाहियो से वह भी ऐसे ही पत्र प्राप्त करे। जैसा कि इस समय हवा का उलटा रुख है, कोई सिपाही भी नही तैयार होगा······मुझे कुछ दिन पूर्व रहमतउल्ला से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि बहुत से सिपाही अब गोरखपुर चले गए है।"

श्रीमान, बेगम के विरुद्ध आरोप था कि उसने विद्रोही राजा के साथ साँठ-गाँठ की है ताकि अपने बेटे की सरकार को उलट सके और ब्रिटिश प्रभाव को देश मे समाप्त करे और जैसा कि आपको इस पत्र से ज्ञात होगा कि सेना की नौकरी करने वालो के लिए यह कठोर शर्त थी कि वे राजा का साथ न देगे, फिर भी कहा जाता है कि बेगम ने राजा का साथ दिया और विद्रोह मे भी उनको सहयोग दिया।

एक और स्थिति है जिससे उनकी बात झूठी सिद्ध होती है। यह स्पष्ट है कि यह कागज किसी ऐसे व्यक्ति का लिखा या लिखवाया है जो स्पष्टत. राजा के विरुद्ध था। अपराधी के वकील का भी कहना है कि इस कागज का कोई प्रयोग वे न कर सके। और न वे कोई उपयोग ही कर सके। मै कहता हूँ कि जिन खो गये कागजो के लिए वे इतना कह रहे है, उनका कोई महत्व न था क्योकि एक ही कागज जो वे बचा बताते है वही उनके विरुद्ध पड रहा है और मै तो कहता हूँ कि यदि वे कागज मुझे मिल जाएँ तो मै उन्हे उन्ही के विरुद्ध सिद्ध कर दूँ। अत. उन कागजो की चर्चा पर ध्यान देना आप का काम नही है क्योकि जो खो गया है उसके संबंध मे बचे हुए के माध्यम से आप विचार भी कैसे कर सकते है?

जिस व्यक्ति ने इन कागजो को सन्दूक मे छिपाया वह इस भाषा का एक अक्षर भी नही जानता। पर वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति क्या कैप्टेन विलियम्स नही था जिसने कभी सआदत अली के बिना बेगम का नाम नहीं लिया। निश्चय ही वह व्यक्ति कैप्टेन विलियम्स ही था जिस पर हमारा अभियोग है कि उसने उस देश के एक परम प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या अपने हाथो की। निश्चय ही वह व्यक्ति

कैप्टेन विलियम्स ही था, एक ऐसा ब्रिटिश अफसर जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स बहुत योग्य समझता था। यही वह व्यक्ति है जो यहाँ उन औरतो के विरुद्ध गवाही देने आया है और यह दैत्याकार कागज उपस्थित करता है। सर इलाइजा इम्पे भी तो घोषित करता है कि कोई भी विद्रोह होने मे इन्कार नही कर सकता और न बेगमो का उसमे सम्मिलित होना ही असत्य है।

श्रीमान अब तक विद्रोह के इतिहास को अच्छी तरह समझ चुके है। सन् १७४५ के विद्रोह को प्रमाणित किया जा चुका है। तब ब्रिटिश सरकार की ओर से जो मुख्य न्यायाधीश भारत भेजा गया था वह अपने वक्तव्य मे यहाँ आ कर कह चुका है कि विद्रोह और उसमे बेगमो के सहयोग को झुठलाया नही जा सकता। पर वह भूल जाता है कि बिना मुकदमा तथा विचार के ही उसने उनकी सम्पत्ति छीनने का फैसला दिया था।

इन मामलो को देख कर श्रीमान भारत मे ब्रिटिश शासन व ब्रिटिश न्याय की स्थिति का अदाज लगा सकते है। लेकिन इन भ्रमपूर्ण बातो का अत करने की दृष्टि से मै पूछना हूँ कि वह प्रथम गवाह कौन है? वह व्यक्ति नवाब स्वयं था, पर क्या उसकी बात सुनी गई? सर इलाइजा इम्पे स्वयं कहता है कि वह खतरनाक स्थान— फैजाबाद से दूर ही रहना चाहता था। फिर भारत मे न्याय कैसे रहता, जब कि एक न्यायाधीश ही फैजाबाद की बेगमो के हाथ मे आ गया हो?

इस सबध मे श्रीमान ने कैप्टेन एडवर्ड की गवाही सुनी जो नवाब के साथ चुनार मे था। यह मै बेगमो के पक्ष के लिए नही कह रहा हूँ। क्योंकि मै जानता हूँ कि आप उन्हे यहाँ बुला कर उन पर कार्यवाही नही कर सकते और जब दोनो पक्ष यहाँ उपस्थित न हो तो और भी कठिनाई है, क्योकि उन पर वही मुकदमा चलना चाहिए था। लेकिन मै यहाँ इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आप श्रीमान इस रहस्य को हर पहलू से देख सके।

कैप्टेन एडवर्ड से पूछा गया—क्या वह किसी ऐसे संभ्रान्त व्यक्ति या नवाब के राज्य के अधिकारी को जानता है जो बेगमो द्वारा किए गए विद्रोह की बात कहे?

उत्तर—नही, मै ऐसे किसी को नही जानता।

प्रश्न—क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि नवाब ने इसमे भाग लिया?

उत्तर—मै ठीक से नही कह सकता कि नवाब ने ऐसा कुछ किया या नही लेकिन मुझे विश्वास है कि उसने ऐसा किया।

प्रश्न—ऐसा विश्वास करने का क्या कारण है?

उत्तर—है, जब उसे मालूम था कि फैजाबाद मे विद्रोह है तो उसका सर्व-प्रथम यह कार्य था कि वह इसकी सूचना ब्रिटिश सेना को देता।

प्रश्न—क्या ऐसी कोई सूचना ब्रिटिश सेना को नहीं दी गई ?

उत्तर—नही, मेरी समझ में नही। क्योंकि मैं सदा ही उसके साथ रहता था और यदि ऐसा होता तो मुझे तो अवश्य ही सूचना मिलती।

मै श्रीमान को विश्वास दिलाता हूँ कि आप छपी कार्यवाही में पावेगे कि कैप्टेन एडवर्ड ने कहा है कि उसे यह पता था कि नवाब अपने रक्षको व सेना को छोड़ कर उतावलेपन मे, बहादुर होने के कारण स्वयं घोड़े पर सवार हो कर फैजाबाद चला गया।

प्रश्न—आपको विद्रोह की सूचना कब मिली ? क्या आप नही समझ सके कि यह विद्रोह नवाब को ही पदच्युत करने तथा अंग्रेज को देश से निकालने के लिए था ?

उत्तर— मुझे नवाब, राजाओं और बेगमो की इस नीयत का पता था कि वे ब्रिटिश सेना को देश से निकालना चाहते थे, साथ ही बेगम के पुत्र को भी पदच्युत करना चाहते थे और दूसरे बेटे को गद्दी देना चाहते थे जो उस परिवार व सिहासन के लिए अधिक काम का था और उस बेटे का नाम है—सआदत अली, यह मुझे सूचनाओ से ज्ञात हुआ। इसके अलावा और कुछ पता नही। सूचना मे ही मैंने जाना है कि वह अग्रेजों को निकालना तथा अपने बेटे को पदच्युत करना चाहती थी।

प्रश्न—क्या यह सपत्ति-हरण के पूर्व की या बाद की बात है, कि आपका विद्रोह की बात पता लगी ?

उत्तर—यह सूचना सम्पत्ति-हरण के बाद की है और यह भी पता लगा कि कर्नल हैने और अन्य अधिकारियो के साथ पलटन को फैजाबाद भेजा गया था।

प्रश्न –क्या सूचना पलटन को फैजाबाद की ओर जाने के बाद मिली थी ?

उत्तर - पलटन के जाने के बाद।

प्रश्न—पलटन पहली बार कब गई ?

उत्तर— जनवरी सन् १७८२ के महीने मे।

प्रश्न—लखनऊ से चुनार जाते समय आप जब नवाब के साथ थे या जब चुनार से पलटन लौटी तब आप ने कही सुना कि विद्रोह मे बेगमों का हाथ है ?

उत्तर—यह मुझे याद नही हैं।

प्रश्न—क्या आपको याद है कि अगस्त सन् १७८१ में कब आप लखनऊ से नवाव के साथ चुनार के लिए चले ?

उत्तर—मुझे तिथि याद नहीं। बस मुझे यही याद है कि नवाब के साथ मैं था और चुनार गढ़ तक बराबर मिस्टर मिडिलटन व अन्य अफसर भी साथ थे।

इतना समय बीत गया कि मुझे कुछ भी याद नही है। बस इतना याद है कि मैं बराबर नवाब के साथ रहा जब तक वह फैजाबाद के लिए रवाना न हुआ।

श्रीमान इस मामले को स्पष्ट रूप मे देख रहे है। जब उन्होने बेगमो की सम्पत्ति छीनने का निश्चय कर लिया तब उन्होने यह प्रचार भी आरम्भ कर दिया। फिर चर्चाएँ बराबर गर्म होती गई। यह व्यक्ति आपको बताता है कि यह प्रचार कब प्रारम्भ हुआ। वह बताता है कि उस वहाँ कोई न जानता था। न उसे विश्वास है कि नवाब ही यह सब जानता था।

वह बताता है कि अग्रेजो ने रिपोर्ट फैलाई। असल बात यह थी कि यह प्रचार मिस्टर मिडिलटन और उसके साथियो का प्रारम्भ किया हुआ था ताकि बेगमो की लूट को सहारा मिले।

यह रूप है विद्रोह के मामले का, केवल मेजर गिलपिन और हैदर बेग खाँ की गवाही को छोड कर। इस अतिम व्यक्ति के सम्बन्ध मे हम सिद्ध कर चुके है कि इसे मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रभाव मे उसके कार्यालय मे रखा गया था और यह पूरी तरह सरकार के प्रभाव मे था। जब यह गुलाम व्यक्ति गवाही देने आया तो इसने चेतसिह के विद्रोह सम्बन्धी खूब लम्बा वर्णन किया और उसके अनुसार बेगम का विद्रोह मे सम्मिलित होना केवल एक सयोग की बात थी और वह बहुत नाटकीय ढग से समाप्त करता है कि जैसे वह केवल सत्य ही बोलता है और सत्य के सिवा कुछ नही। लेकिन यह भी विशेष महत्व की बात है कि इस हैदर बेग खाँ ने कभी भी विद्रोह के सम्बन्ध मे बेगमो का नाम न लिया न यह कहा कि इस सम्बन्ध मे कभी उसने बेगमो का नाम ही सुना और ऐसा प्रमाण भी वह प्रस्तुत न कर सका। न ऐसी कोई अनुचित बात ही कही जो असत्य सिद्ध होती।

मेजर गिलपिन के वक्तव्य मे कही भी ऐसे अभियोग की छाँह भी नही है। पूरे एक वर्ष तक बेगमे और उनकी सम्पत्ति उसकी देख-रेख मे व अधिकार मे रही और इस पूरे समय तक वह फैजाबाद मे रहा। यह वही व्यक्ति था जिसके आदेश पर पल्टन चलती थी और सभी गवाह उसके प्रभाव मे थे और एक प्रकार से वह अकेला व्यक्ति था जो मिस्टर हेस्टिंग्स के बहुत निकट रहा।

आप श्रीमान, मेजर गिलपिन के वक्तव्य के इस अश को पढ कर प्रसन्न होगे।

प्रश्न—क्या आप को बेगमो के चरित्र को जानने का कोई अवसर मिला या क्या वे सरकार की विरोधी थी ?

उत्तर—मुझे यह जानने का खूब अवसर मिला क्योकि मै बहुत दिनो वहाँ अधिकार मे था और यह एक सार्वजनिक बात थी कि सभी लोग जानते थे कि बडी बेगम अपनी सरकार से नाराज थी और उसके आचरण व व्यवहार के सम्बन्ध मे लिखित रूप मे दे चुका हूँ जो लखनऊ के कार्यालय मे रखा है। लेकिन जहाँ तक

वहू बेगम का सम्बन्ध है, मुझे यही ज्ञात था कि वह भी सरकार के विरुद्ध है पर खूब अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने के बाद मैंने जाना कि उसे किसी प्रकार भी विद्रोह में शामिल करने का कोई कारण नहीं है। यह बात चेतसिंह के विद्रोह के समय की है।

प्रश्न—क्या यह राय आपकी आज भी है?

उत्तर—मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी तरह तथा विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया है। यह सब प्रमाण पा कर ही मैंने माना कि वह निर्दोष है। लेकिन यह बात उचित भी हो सकती है और असत्य भी और मैं शपथ ले कर यह नहीं कह सकता। इसके अलावा जब तक मैं फैजाबाद या भारत में रहा, राय बदलने जैसी कोई ऐसी वैसी बात मुझे देखने या सुनने को नहीं मिली।

प्रश्न—आपने यहाँ कहा कि बहुत अच्छी तरह आपने जाँच-पड़ताल की, सो वह जाँच-पड़ताल क्या थी?

उत्तर—मैंने फैजाबाद की जनता व राज्य के मंत्रियों से जो बातचीत की उसे ही मैं जाँच-पड़ताल कहता हूँ। इसके अलावा उसे निर्दोष सिद्ध करने वाले उसके पत्र हैं। उन पत्रों से मैंने विश्वास किया कि सचमुच वह हमारी मित्र है।"

यही गवाह बाद में कहता है।

प्रश्न—पहले तो दोनों ही बेगमों के सम्बन्ध में एक ही बात कही गई थी फिर उसमें आपने सुधार किया, विशेष कर छोटी बेगम के सम्बन्ध में। क्या जिन लोगों से आपने बातें करके उसके पक्ष को दृढ़ पाया, वे लोग क्या छोटी बेगम में दिलचस्पी न रखते थे?

उत्तर—यों तो पूरा फैजाबाद शहर ही उनमें पूरी तरह दिलचस्पी रखता था।

प्रश्न—दिलचस्पी से आप का क्या आशय है? जिनसे आपने बातें कीं, क्या वे लोग उनके नौकर थे या फैजाबाद के निवासी?

उत्तर—दोनों! मैंने दोनों तरह के लोगों से बातचीत की—उनके नौकर भी और अन्य निवासी भी।

प्रश्न—बेगमों के संदर्भ में विद्रोह शब्द के क्या माने हैं?

उत्तर—फौजी विद्रोह और दूसरे विद्रोहात्मक कार्य, जो समस्त संसार में 'विद्रोह' शब्द के माने हैं।

प्रश्न—किसके विरुद्ध?

उत्तर—नवाब की सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनों के विरुद्ध। लेकिन मैं उस विशेष काल व परिस्थिति की बात जानना चाहूँगा जिससे प्रश्न का संबन्ध है।

प्रश्न—"आप समझते हैं कि बड़ी बेगम सदा से ही सरकार के विरुद्ध रही,

क्या आप कहना चाहते है कि वह बराबर विद्रोह करती रही ? इस 'विद्रोह' शब्द से आपके क्या अर्थ है ?

उत्तर—मैने उसे सदा ही सरकार के प्रति विद्रोहिणी ही समझा। हो सकता है कि इस संदर्भ मे विद्रोह शब्द उपयुक्त न हो।

प्रश्न—क्या आप नवाब वजीर के विरुद्ध बेगम के किसी आचरण को जानते है ?

उत्तर—मै ऐसा कुछ नही जानता।

प्रश्न – क्या आप विद्रोह के सदर्भ मे बेगम द्वारा किए गए किसी ऐसे काम को जानते है जो कम्पनी की सरकार के विरुद्ध हो ?

उत्तर—ऐसी कोई विशेष घटना तो मै नही जानता। यह एक सर्वविदित बात थी कि वह अँग्रेजी सरकार के विरुद्ध है।

प्रश्न—आप ऐसी कोई घटना बता सकते है।

उत्तर – इस प्रश्न का हर सभव उत्तर मैं दे चुका हूं। मैने केवल लोगो से बाते की है। मै किसी विशेष घटना और आचरण के बारे मे नही जानता।

□ □ □

यह व्यक्ति घोषित करता है, जैसा कि श्रीमान ने सुना भी है, फैजाबाद की जनता से जाँच-पड़ताल करके वह ऐसा नहीं जान सका कि वहाँ कोई विद्रोह हो रहा था। जहा तक बहू-बेगम का प्रश्न है, उसके विरुद्ध कुछ भी वह न पा सका केवल इसके कि उसकी दादी ने सन् १७६४ मे बक्सर के युद्ध के समय, उसके अपने बेटे शुजाउद्दौला से लड़ने वाले अग्रेजो का विरोध किया था। लेकिन यह बात बहुत पुरानी है जब भारत के किसी भी भाग मे हमारा साम्राज्य न था, न होने की कोई बात ही थी। अत विद्रोह को जिस अर्थ मे उसने प्रयोग किया है उसका मतलब यही है कि यह उसका अनुमान था। इस प्रकार आप श्रीमान देखे कि यहा वास्तविकता कुछ न थी पर चर्चा बुरी तरह फैलाई गई थी। यह प्रमाणित है कि लोग तो अफवाह भी न सुन सके थे। जब मिस्टर हेस्टिंग्स का प्रतिनिधि सर इलाइजा इम्पे वहाँ बेगमो की सपत्ति छीनने गया और अपनी लूट के पक्ष मे उसने गवाहियाँ जुटानी शुरू की तब लोगो को सचमुच मालूम हुआ।

अब मै गवाही के दूसरे पक्ष की ओर बढ़ता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, हुलास राय। यह व्यक्ति रेजीडेट मिस्टर मिडिल्टन का नौकर था। अपराधी के वकील सज्जन ने आश्चर्य प्रकट किया - ओह ! वह तो केवल एक किरानी था। क्या आप उसका भी कोई महत्व मानते है ? आप श्रीमान सोचेगे कि वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हो वह केवल एक ऐसा किरानी था जो तमाम भ्रष्ट कार्यवाहियाँ ही लिखता था और सरकारी अदालतो व जनता के बयान बदल

कर लिखता था। लेकिन यह हुलास राय वास्तव में कौन है ? मैं श्रीमान के सम्मुख कर्नल जैक्विस के नाम मेजर नेलर का एक पत्र पढ़ूँगा जो तब बीसवीं रेजीमेंट की दूसरी बटालियन का अधिकारी था।

□ □ □

"महोदय—हुलास राय, जिसे पलटन की आवश्यकताओं की लिखा-पढ़ी के लिए नवाब ने नियुक्त किया था, वही आप से समस्त पत्र-व्यवहार और बातचीत करेगा; क्योंकि वह ऐसे कार्यों के लिए बड़ा योग्य है और ऐसे कार्यों का सब मर्म जानता है, अतः मिस्टर मिडिलटन का आदेश है कि समय-समय पर बंदियों व अन्य विषयों के सम्बन्ध में वह जो भी कहे उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। संक्षेप में, वह नवाब द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, वे चाहते हैं कि हुलास राय को उसी तरह समझा जाय जैसे उसके स्थान पर वे स्वयं ही उपस्थित हैं।"

□ □ □

लेफ्टीनेंट फ्रैंसिस रूटलेज के नाम एक पत्र में मिस्टर मिडिलटन ने लिखा—"महाशय, जब यह पुरजा आपको हुलास राय द्वारा दिया जाय तब मेरी इच्छा से आप दोनों कैदियों को हथकड़ी-बेड़ी में रखें तथा उन्हें सभी प्रकार के भोजन आदि से अलग रखें, जैसा कि मैंने कल आदेश दिया था।"

□ □ □

आप देखें कि कितने गुप्त ढंग से हुलास राय को नियुक्ति मिली थी और उसे किस प्रकार माना जाता था। उसे जिन कार्यों के लिए रखा गया था उसके साथ ही मिस्टर मिडिलटन का आदेश भी था। भोजन आदि बंद कर देना, अत्याचार की सीमा है। यह हुलास राय, यह साधारण किरानी. उसे केवल कार्य सम्बन्धी आदेश न था बल्कि उसे नवाब को मिलने वाली प्रतिष्ठा दिए जाने का आदेश भी था। क्योंकि उस समय वह मिडिलटन का सच्चा प्रतिनिधि था और वास्तव में मिस्टर मिडिलटन ही तब देश का नवाब था। अतः जिस व्यक्ति को हम महत्व देना चाहते हैं उसका महत्व कम करने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसे केवल साधारण किरानी बताते हैं जब कि मिस्टर मिडिलटन ने उसे नवाब की तरह महत्व दे रखा था।

मिस्टर हेस्टिंग्स जानता था कि वह व्यक्ति न केवल बेगमों के मंत्रियों के लिए भेदिया ही सिद्ध होगा बल्कि वही आगे चल कर विद्रोह का सबसे प्रमुख गवाह भी बनेगा। मैं श्रीमान से इस बात पर विशेष ध्यान देने की प्रार्थना करता हूँ—उसने हुलास राय को फैजाबाद से बनारस भेजा एक काफी लंबी यात्रा पर और अंत में उसे सर इलाइजा इम्पे के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। उसने अपनी गवाही दी। उसने दमन का वर्णन किया, जो बेगमों के पक्ष में है तथा उनके अत्याचारों के विरुद्ध भी। यहाँ हमें एक व्यक्ति मिला जिसे सभी अधिकार प्राप्त थे, जो अंग्रेजी सरकार

का प्रतिनिधि था, जो नवाब की सरकार का प्रतिनिधि था, इसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने भेजा, वह सर इलाइजा इम्पे के सम्मुख अपना वक्तव्य देता है, और जो वक्तव्य उसने दिया वह न तो कम्पनी के कागज-पत्रो मे है, न इलाइजा इम्पे के सन्दूक में, न जोनाथन स्कॉट के सन्दूक मे और न किसी अन्य स्थान पर ही। एक ऐसे गवाह की गवाही जो बहुत स्पष्ट और तथ्यपूर्ण बोल सके और विषय पर पूर्ण प्रकाश डाले, उसे नष्ट कर दिया गया। उसे जान-बूझ कर छिपाया गया, क्योकि उसे प्रस्तुत करने की उनमे हिम्मत न थी, क्योकि यही व्यक्ति दोनो सरकारों के भीतर शक्तिशाली स्थानो पर था। गलती से वे यही बता गए और छिपा न सके कि उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने भेजा था, पर उससे प्राप्त वक्तव्य वे छिपा ले गए। गवाही में खामोशी बहुत बड़ा प्रमाण होती है। आप ने अब तक यह तो समझ ही लिया होगा कि यह उनकी आदत है कि वे लोग उन्ही गवाहियो का सामने लाते है जिन्हे वे अपने लिए लाभदायक समझते है ताकि इस महान व प्राचीन परिवार को नष्ट करने का रहस्य छिपा रहे।

उनका कहना है कि सभी अँग्रेज इसके साक्षी है कि वहाँ विद्रोह हुआ। हम इससे इन्कार करते है। इस विद्रोह के तथाकथित विस्फोट के एक वर्ष पूर्व मिस्टर पुलिग रजीडेन्ट था। उसने कहा कि वह ऐसी किसी योजना के बारे मे नही बता सकता कि यह दोनो औरते ऐसा कुछ कर रही थी। ऐसे प्रश्न पूछने मे हम लज्जित होते है। क्या दूसरे रेजीडेट मिस्टर ब्रिस्टोव भी इस योजना मे विश्वास करते है? लगता है कि उसने मिस्टर हेस्टिंग्स को बेगमो के साथ हो रहे अनुचित आचरण के संबध मे सकेत दिया था लेकिन स्पष्ट बात नहीं की थी। मिस्टर हेस्टिंग्स के नाम एक पत्र मे उसने कठोर व्यवहार को कोमल बनाने की सलाह दी थी। जब दूसरे रेजीडेन्ट मिस्टर ऊम्बवेल्न से पूछा गया कि क्या कोई अंग्रेज इसका विरोधी था तो उसने कहा कि मिस्टर ब्रिस्टोव ही इसके विरोधी थे। जिसने भी यह कागजात पढे है जानता है कि मिस्टर ब्रिस्टोव इन कामो से कही भी सहमत न था।

लेकिन श्रीमान, हमे कम्पनी के ऐसे साधारण कर्मचारियों को छोड़ कर उच्च अफसरो की बात करनी चाहिए। क्या मिस्टर स्टेबुल्स इससे सहमत था? यह व्यक्ति कौंसिल मे मिस्टर हेस्टिंग्स का साथी था, उसी जैसी प्रतिष्ठा वाला, और मेरा तो विश्वास है कि भारत जाने वाले कर्मचारियो मे इतना आज्ञाकारी व उचित व्यक्ति दूसरा न मिलेगा और मेरा विश्वास है कि कम्पनी की सेवा की इतनी लम्बी अवधि मे कही भी उस पर कोई धब्बा नही लगा। क्या वह सहमत था? नही, वह सहमत नही था। बल्कि वह उन व्यक्तियो मे से एक था जिसे इन बातों की जाँच करने का भार सौंपा गया था। वही नही, जो भी उस देश के बारे मे तनिक भी जानते हैं इन बातों पर विश्वास नही कर सकते। नवाब इन बातो पर विश्वास नही करता, बेगमो पर कभी अभियोग नही लगाया गया, उन दो सिपाहियो की कहानी की बात को

छोड कर बेकार की अफवाहो के अलावा कही कुछ न था। ऐसी परिस्थिति में भी उन प्रतिष्ठित औरतो की सम्पत्ति लूटी गई, उनकी जायदादे छीनी गई और नवाब को उसकी इच्छा के विपरीत इन कामो मे घसीटा गया। जी हा श्रीमान, यह बेचारा गरीब विवश किया गया कि सभी कानून भंग करे और सामान्य शिष्टाचार भी भूल जाय। उसे विवश होकर मिस्टर हेस्टिंग्स के लाभ के लिए अपनी मा की ही सम्पत्ति हडपनी पडी। यह सब करने को वह विवश किया गया। अपनी माँ व दादी की सम्पत्ति उसे नष्ट करनी पडी।

श्रीमान, इस शर्मनाक कार्यवाही के लिए आप को सुविचार करने के लिए आपको न्याय और विचार का पूरा ध्यान रखना पडेगा। अभी तक इस सबध मे केवल अन्याय ही हुआ है। सर इलाइजा इम्पे ने हत्याओ का आदेश दिया और कभी मुकदमे की उचित कार्यवाही न होने दी। इसी सर इलाइजा ने स्वय जा कर प्रमाण इकट्ठे किए और गवाहियो को तैयार कराया जब कि तब तक नवाब, उसकी मॉ, उसकी दादी कोई इस मामले मे एक अक्षर भी न जानता था। इतना ही नही मिस्टर हेस्टिंग्स को अपना न्यारा न्याय करने का एक और अवसर मिला। इस मामले का सारा ब्योरा जब डायरेक्टरो की परिषद के सम्मुख लाया गया तो डायरेक्टरो ने उस ही इस मामले की जॉच-पडताल करने का आदेश दिया और श्रीमान देखेंगे कि इसने उस आदेश का किस प्रकार पालन किया! डायरेक्टरो का आदेश रहते हुए भी उसने जॉच न की, न अभागी औरतो को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का ही कोई अवसर दिया।

सब से पहले मै श्रीमान के सामने १४ फरवरी सन् १७८३ को लिखा गया डायरेक्टरो का पत्र कलकत्ता के बोर्ड के नाम पढूंगा

४—चुनार की सधि के दूसरे कलम मे नवाब को अधिकार दिया गया कि वह जिन्हे उचित समझे उन जागीरो को ले ले और उसके बदले म जागीरदारो को रेजीडेन्ट द्वारा उचित रुपये मिलेगे।

५—हम नही समझते कि गवर्नर जनरल कैसे इन जागीरो के सम्बन्ध मे निर्णय करेगा, जब कि जगीरदारो के कम्पनी के दुश्मन बनने की पूरी सभावना थी।

६—बेगमो की जागीरो को छीन कर तथा नवाब वजीर की मॉ के पास सचित सपत्ति को हडप कर गवर्नर जनरल ने परिषद के नाम २३ जनवरी सन् १७८२ को जो पत्र लिखा था उसमे उसने यही घोषित किया है कि भारत के लिये यह कार्य अस्वाभाविक नही है।

७—यह सन् १७७५ मे सार्वजनिक रूप मे सबो को ज्ञात था कि नवाब के दरबार मे स्थित रेजीडेन्ट ने नवाब के हिसाब म न केवल स्वर्गीय शुजाउद्दौला की विधवा बेगम से तीस लाख रुपये लिए और आधी रकम ही कम्पनी मे जमा की बल्कि दुबारा छब्बीस लाख रुपये जमीन के सम्बन्ध मे वसूले और नवाब ने वायदा

किया कि आगे का समस्त पावना वह माफ कर देगा और इस घोषणा से कम्पनी बँधी थी।

८—हम देखते है कि २१ दिसम्बर सन् १७७५ को बेगम ने नवाब के प्रति किसी बात को तोड़ने के कारण शिकायत की और अंग्रेजी सरकार से अपनी, अपनी माँ और अन्य दूसरी औरतो की सुरक्षा की भीख मांगी फलस्वरूप वाद-विवाद के पश्चात तय हुआ कि ३ जनवरी सन् १७७६ को नवाब से बात की जाय तब गवर्नर जनरल ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि इस मामले मे शामिल है और कम्पनी के प्रति उनकी स्वाभिभक्ति है अत वे उस मामले मे कुछ नही कर सकते—लेकिन आप को उस मामले मे हस्तक्षेप करने का अधिकार है और यही न्याय की माँग भी है यदि सचमुच बात तोड़ी गई है।

उसी समय परिषद ने प्रस्ताव किया नवाब व बेगम के बीच इस मामले मे मिस्टर ब्रिस्टोव भी एक पक्ष बन गए है अत यह सरकार अपने को बेगम की सुरक्षा का उत्तरदायी मानती है ताकि उस पर भविष्य मे कोई अन्याय न हो सके।

९ यदि बेगम की परेशानी सार्वजनिक बात न थी फिर भी हम उसके परिणामो के प्रति सतर्क रहे क्योंकि भारत की जनता पर उसका प्रभाव पडेगा—इस सम्बन्ध मे सतोष की एक ही बात है कि वे जागीरे जिनके प्रति सरकार उत्तरदायी थी, उनकी रकम हमारे रेजीडेन्ट द्वारा नवाब के दरबार मे जमा होनी थी।

१०—यदि ऐसा पाया गया कि बेगमे कम्पनी के प्रति वैसा उदासीन भाव न रखे जैसा कि बताया गया है (जैसा कि गवर्नर जनरल ने भी बताया है, जैसा कि अनेक कागज-पत्रो मे लिखा है, पर आपके यहाँ प्रस्तुत कागज-पत्रो मे जिसका कोई जिक्र भी नही है, कि राजा चेतसिंह की गिरफ्तारी के पूर्व उन्होने कही किसी को भड़काया हो) क्योंकि ऐसा वे केवल अपनी सुरक्षा की ही दृष्टि से करती है तो हम कहेगे कि आप नवाब पर अपने प्रभाव का उपयोग करे कि उनकी जागीरे उन्हे लौटा दी जायें लेकिन अगर उन्हे नवाब से भविष्य मे भय लगे और हमारे सुरक्षा प्रयत्नो के बाद भी, तो हमे कम्पनी की सीमा के भीतर उन्हे सुरक्षित स्थान देना होगा और जागीरो की अगली वसूली की रकम उन्हे दी जाय, चाहे वह हमारे रेजीडेन्ट के मध्याम से ही हो।

☐ ☐ ☐

अब श्रीमान देखे कि डायरेक्टरो को सभी गलत सूचनाएँ दी गई। उन्होने समझा कि चेतसिंह के विद्रोह के बाद (पहले नही) बेगमो ने सशस्त्र विद्रोह किया। इस सम्बन्ध मे उन्होने गलत समझा जैसा कि हेस्टिंग्स ने उन्हे बताया। उन्हे और भी गलत सूचनाएं मिली—उन्हें बताया गया कि जागीरो की रकम बेगमो को बराबर मिलनी थी जब कि बिना किसी मुआवजे के जागीरे उनसे छीनी जा चुकी थी और मिस्टर हेस्टिंग्स के बताने के अनुसार उन्होने ब्रिटिश सरकार का आचरण भी

घोर अपमानजनक समझा।

फिर कम्पनी ने दूसरी बार आदेश दिया कि मिस्टर हेस्टिंग्स इस मामले में गहराई से जाँच करें। डायरेक्टरों ने उसकी हर गलत सूचना को माना जैसा कि हम सिद्ध कर चुके हैं, फिर भी असंतुष्ट हो कर उन्होंने बेगमों को जागीरें लौटा देने का आदेश दिया। श्रीमान यहाँ प्रस्तुत प्रमाणों में पावेंगे कि आदेशों की किस प्रकार अवहेलना की गई और इन अभागी व पीड़ित स्त्रियों के मामले की जाँच नहीं की गई। वह फिर यहाँ श्रीमान के सम्मुख जाँच की जाने की बात करता है कि यहाँ उस मामले की जाँच की जाय, जब कि उस समय उसने जाँच नहीं की जब कि उसके मालिकों का ऐसा आदेश था।

□ □ □

अब मैं इस मामले में उसके अपने वक्तव्य का कुछ अंश पढ़ कर सुनाऊँगा। प्रारंभ में कौंसिल और मिस्टर मैकफरसन के बीच हुई वार्तालाप की चर्चा है जब कि उसे आदेश प्राप्त हो चुके थे—जिनकी अभी मैंने आप से चर्चा की है।—"डायरेक्टरों की परिषद बहुत गहराई से जो सोचती है वह यह कि पहले तो बनारस की संधि का दूसरा भाग पूरी ईमानदारी से माना जाय और दूसरे नवाब के अत्याचारों से भविष्य में रक्षा की जाय अगर वह बेगमों को किसी प्रकार भी सताए।

"हमें इस बात का पूरा पता लगाना चाहिए कि क्या जागीरों की रकम बेगमों को हमारे रेजीडेन्ट के माध्यम से बराबर मिल रही है और उन्हें विश्वास दिलाया जाय कि भविष्य में उनसे कोई माँग न की जायगी। यह हम समझते है कि गवर्नर जनरल को पत्र लिख कर करना चाहिए ताकि बेगमों को अपने पूर्व कारनामों पर पश्चाताप हो और उन्हें कंपनी के उनके प्रति सद्भावना पूर्ण व्यवहार पर विश्वास हो कि भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो उन्हें बंगाल में सुरक्षित स्थान मिलेगा।" मिस्टर मैकफरसन के इस वक्तव्य के बाद गवर्नर जनरल का यह संदेश आया।

"मुझे मिस्टर मैकफरसन के सुझावों का स्वागत करना चाहिए, यदि मैं यह संभव मानूं कि बेगमों को पत्र द्वारा यह सूचना दी जानी उचित है। परन्तु डायरेक्टरों की परिषद का आदेश अपूर्ण है। यदि मुझे ठीक सूचना मिली है तो नवाब और बेगमों के सम्बन्ध बहुत मधुर हैं और यदि सरकार ने उनके मामलों में हस्तक्षेप किया तो सम्भव है उनके सम्बन्ध बिगड़ें और इसकी जिम्मेदारी सरकार के सिर मढ़ी जाय। उनसे यह कहना अर्थहीन है कि उनके व्यवहार अतीत में उचित न थे। इससे सरकार की प्रतिष्ठा गिरेगी। अतः हम यदि उनके घाव भर नहीं सकते तो उन्हें कुरेदना भी उचित नहीं है।

"अगर बेगमें यह उचित समझती हैं कि वे विदेशी अदालत में मामला ले जाएँ, वह भी अपने बेटे या पोते के विरुद्ध, तो हमें उन्हें अपने मन को टटोलने का अवसर भी तो देना चाहिए।

"मै समझता हूँ कि मेरा कहना अनुचित न होगा कि जिसे आवश्यकता हो उसे न्याय की मॉग स्वयं करनी चाहिए न कि हमे न्याय देने के लिए निमन्त्रित करना चाहिए ।"

श्रीमान, यदि संसार या इस सृष्टि के प्रारम्भ से अब तक कभी ऐसा कुछ लिखा गया हो जैसा कि यह कागज, और सो भी एक नौकर द्वारा अपने मालिक के नाम, तो मै कहूँगा कि इस सम्बन्ध मे मैने जो कुछ भी कहा है उसका एक-एक शब्द आप कार्यवाही से निकाल दे और मै अपने द्वारा लगाए गए सभी अभियोग वापस ले लूँगा ।

अपने मालिक के प्रति किए गए इस विश्वासघात तथा विद्रोह के सम्बन्ध मे कुछ कहने के पहले मै इस मामले की क्रूरता तथा असहाय औरतो के प्रति किए गए निर्मम व्यवहार की चर्चा करूँगा । श्रीमान देखेगे कि इस व्यक्ति ने किसी एक के ही प्रति विद्रोह नही किया है । न वह किसी विशेष के प्रति निष्ठुर या उपद्रवी रहा है क्योकि उसके लिए निष्ठुरता और विद्रोह मे कोई अन्तर नही है और दानो साथ-साथ चलते है ।

डायरेक्टरो द्वारा यह सुझाया गया कि नवाब ने अन्याय किया और मिस्टर हेस्टिंग्स को इसका उपचार करना चाहिए । पर इस मामले मे उन्होने गलती की । हम श्रीमान के सम्मुख सिद्ध कर चुके है कि उपद्रव तो सारा मिस्टर हेस्टिंग्स ने किया था और नवाब तो केवल माध्यम या उसका औजार था । वह कहता है—"यदि मुझे प्राप्त सूचना ठीक है तो नवाब और बेगमो मे अच्छे सम्बन्ध है । यदि सरकार हस्तक्षेप करेगी तो सम्बन्ध बिगड सकते है ।" कितनी आश्चर्यजनक बात कही गई है । मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब को अपनी मॉ की सम्पत्ति हडपने को विवश किया, फिर कहता है कि यदि उसकी माँ को सरकारी सुरक्षा दी गई तो नवाब रुष्ट होगा और यदि इस मामले मे कोई जाँच की गई तो नवाब को बुरा लगेगा । इसलिए वह कहता है कि ईश्वर के लिए इस मामले को समाप्त करे, यह ताजा घाव है, इसे न कुरेदे, उसे उत्तेजित न करे । श्रीमान, इसके क्या अर्थ है ? पहले वह कहता है कि हम इसकी जाँच न करेंगे । क्यो ? क्यो कि अभियोग के भागी हम ही बनेंगे ।

श्रीमान वह कहता है कि जाँच करके वह अपने मालिको की आज्ञा का पालन करेगा तो नवाब नाराज होगा । मै पूछता हूँ, ऐसे कामो के क्या अर्थ है ? इसके स्पष्ट अर्थ है कि बेगमे हमे ही दोषी सिद्ध करेगी, अत जाँच न कराई जाय । क्यो ? इससे गड़बडी होने की पूरी आशंका है । लेकिन क्या गड़बड़ी हो सकती है ? माँ तो निशस्त्र है, वह नवाब का कुछ नही बिगाड सकती । मॉ की तो सभी सम्पत्ति हडपी जा चुकी है । वह जानता है कि बेगम का सारा रुपया उसी के अधिकार में है, उसका और कोई सहारा भी नही है, फिर उससे एक पत्र लिख कर पूछ लेने मे ऐसी क्या गड़बड़ी हो सकती थी ?

बेगमें असहाय हैं। उनकी जीभ कटी हुई है। वे तो सुरक्षा की माँग भी नही कर सकती। ईश्वर साक्षी है कि इस अपराधी के हाथों वे लूटी गई और इस अवसर पर डायरेक्टरो ने अपना कर्तव्य निभाया तो वह कहता है कि विदेशी हस्तक्षेप उचित नही। जब उन बेगमो को लूटा गया तब तो हम विदेशी न थे, उल्टे हमीं उन्हें विद्रोह का दोषी ठहराते है। हमने उनके विरुद्ध मसाला इकट्ठा करने को एक अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश भेजा। उनका रुपया छीनने को अंग्रेज अफसरो को भेजा। सब मामला अंग्रेजो के माध्यम से हुआ। लेकिन जब अन्याय को सुधारने का प्रश्न है, जब न्याय करने का प्रश्न है, जब शिकायते सुनने का प्रश्न है, तब यह विदेशी हस्तक्षेप हो जाता है।

श्रीमान ऐसे अवसर पर वह डायरेक्टरो की परिषद को भूल जाता है, वह इंगलैंड के क़ानून को भूल जाता है, वह पार्लामेंट के कानून को भूल जाता है और यह भी भूल जाता है कि अपने मालिको की आज्ञा माननी चाहिए। अपराधी अपने मालिको का आदेश भी नही माना।

[यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स ने मिस्टर बर्क को रोका —श्रीमान, ऐसा कोई आदेश न था। मै अब धैर्य की सीमा पार कर चुका हूँ। मै इतनी झूठी बातें सुनता रहा। मै कहता हूँ कि डायरेक्टरो का कोई आदेश न था। श्रीमान मुझे क्षमा करे। वे जो चाहे कहे, मै उन्हे न रोकूँगा, पर कोई आदेश न था। यदि था तो उसे पढा जाना चाहिए।]

मिस्टर बर्क ने आगे कहा। श्रीमान देखे, आप ही विचार करे, कितनी सरल बात रखी गई है·····।

यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स ने फिर मिस्टर बर्क को टोका - जाँच के लिए कोई भी आदेश नही था।

मिस्टर बर्क श्रीमान के सम्मुख मै डायरेक्टरो का पत्र पढ चुका हूँ। आप ही देखे कि वह पत्र आदेश है या नही ? मैने चाहा था कि दो दिनो मे इस मामले को समाप्त करूँ, लेकिन जब श्रीमान के सम्मुख ही हम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है और जब आप इसकी बात सुनते है, इस हतभागे, अधर्मी, दुश्चरित्र ········

एक न्यायाधीश --शांति, शांति, शांति !

मिस्टर बर्क —श्रीमान, यह हम संसद के सदस्यों की प्रतिष्ठा की बात है। जब मैने श्रीमान के सम्मुख वह पत्र पढ दिया जिसके आधार पर हम अभियोग लगाते है फिर भी हम पर आप की अदालत में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है ! यह व्यक्ति, जिसे हम भारत के लिए एक मूर्तिमान आतंक मानते है, वही सिर उठाता है और निडर हो कर हम पर झूठ का आरोप करता है, और कहता है कि झूठी बातें सुनते-सुनते उसका धैर्य सीमा पार कर चुका है ! और यदि इस अदालत

मे यह सब हो सकता है तो यह ब्रिटिश अदालत नही है। हम अपने को इस मामले से हटाने की आज्ञा चाहते हे। चाहे उसे आप यही सब फिर से करने के लिए पुन किसी राज्य मे भेज दे।

[यहाँ मिस्टर बिढम ने पुन वह पत्र पढ़ा।]

मिस्टर बर्क—इस अभागे व्यक्ति को यदि मै सचमुच अपने पापो के प्रति पश्चाताप करते पाता या किसी अदालत द्वारा इस पर अत्याचार होते देखता तो मै इसके अपराध को भूलने का प्रयत्न करता। लेकिन श्रीमान, मुझे पार्लामेंट और इस अदालत दोनो की प्रतिष्ठा की चिन्ता है। अत मै फिलहाल यह आप की इच्छा पर ही छोडता हूँ कि इस प्रकार अदालत का अपमान करने वाले के सग कैसा व्यवहार हो— मै आगे बढता हूँ।

हमने श्रीमान के सामने डायरेक्टरो का आदेश-पत्र पढ कर सुनाया, मै पुन कहता हू कि इस पत्र को मै तो आदेश ही मानता हूँ। आपने पत्र सुना। आपने यह भी सुना कि कलकत्ता की कौसिल भी इसे आदेश ही मानती हे और आप के सामने अपनी गवाही मे मिस्टर स्टेबुल्स ने जो स्वय कौसिल मे थे, आदेश ही माना है। फिर भी इस दुष्ट आदमी की धृष्टता तो देखे कि यह इसे आदेश नही मानता और हमे ही झूठा कहता हे। मे नही समझता कि श्रीमान इस अपमान को सह लेगे और यदि आप सह भी ले तो मै जोर दे कर कहूगा कि ससद यह कभी सहन न करगी कि देश के न्याय का इस प्रकार अपमान किया जाय। आप क्षमा कर सकते है, हम भी क्षमा के महत्व को जानते है पर तभी जब अपराधी को अपने किए पर पश्चाताप हो। लेकिन जब हम प्रमाण के रूप मे कागज पेश कर रहे हो, उसे पढ कर उसकी व्याख्या कर रहे हो, तब ऐसे शब्दो ऐसी भाषा का प्रयोग श्रीमान के विचार के लिए आवश्यक है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम तो इसे एक अपराधी की खीझ ही मानते है। हम इस एक असहाय और अभागा व्यक्ति मानते है। उस पर ऐसे क्रोध के दौरे पडने स्वाभाविक है। आप श्रीमान अब आगे विचार करे और देखे कि कौसिल के दो सदस्य मिस्टर ह्वीलर और मिस्टर स्टेबुल्स इस पत्र को क्या समझते है ?

मिस्टर ह्वीलर लिखता हे - "मे सदा यही चाहता रहा हूँ और चाहता हूँ कि डायरेक्टरो की परिषद का आदश अक्षरश माना जाय और मेरा विश्वास है कि इस पत्र के बारे मे मे जो भी कहूंगा उसका अनर्थ नही होगा।

"गवर्नर जनरल और नवाब के बीच चुनार मे हुई सधि के बाद कुछ नही हुआ और जैसा कि मैने सुना है कि फैजाबाद की बेगमो ने बनारस के विद्रोह के समय सरकार के प्रति असहयोगी भाव रखा और मै विश्वास करता हूँ कि बेगमो ने यह केवल अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण मे नही किया, पर डायरेक्टरो की राय कुछ और है और वे बेगमो के असहयोग के और स्पष्ट प्रमाण चाहते है। मै कहूँगा

कि उनके आदेशों पर निर्णय करने के पहले नवाब के दरबार के भूतपूर्व व वर्तमान रेजीडेण्टों पर नवाब के राज्य के अफसरों से जो भी संभव हो सुचनाएँ प्राप्त की जायें।''

९ सितंबर सन् १७८३ को मिस्टर स्टेबुल्स ने लिखा—''१४ फरवरी सन् १७८३ के डायरेक्टरों के पत्र से स्पष्ट है कि वे प्राप्त प्रमाणों से यह मानने को तैयार नहीं हैं कि बेगमों ने पूर्ण असहयोग किया। अतः मेरा सुझाव है कि तब के सभी रेजीडेंट व उच्च सैनिक अफसरों से इस संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाय क्योंकि इस मामले से सरकार की प्रतिष्ठा जुटी है, और प्राप्त सूचनाएँ तत्काल ही डायरेक्टरों तक पहुँचाई जायँ।''

फिर आप की अदालत में इस संबंध मे जब उससे प्रश्न पूछे गए तो वह गवाही के समय कहता है—

प्रश्न—जाँच के सुझाव से आप का क्या आशय था ?

उत्तर—डायरेक्टरों के पत्र की मान्यता जिसे मैं आदेश मानता हूँ।

प्रश्न—क्या उस पत्र से आप को जाँच करने के आदेश का अंदाज लगता है ?

उत्तर—अवश्य।

श्रीमान देखें, उसके सहयोगी क्या समझते हैं ! आप जानते है कि हम क्या समझते हैं और आपने अपराधी को भी सुना जो हम पर झूठ का आरोप लगाता और हमारा अपमान करता है। आप श्रीमान यदि ऐसा समझते है कि यह स्पष्ट आदेश न था जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स को मानना चाहिए था तो आप उसे मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन इस मामले की आश्चर्यजनक स्थिति की तरह यह भी एक अनोखा उदाहरण है कि यह व्यक्ति जिसने प्रारंभ से अब तक मुकदमे की कार्यवाही देखी है, कम्पनी के आदेशों का पालन नहीं करता।

श्रीमान हम इसे कठोरतम आदेश मानते है। वास्तव में इस पत्र में दो आदेश है—और अपराधी पर दोनों की अवज्ञा का हम आरोप लगाते है—एक तो जाँच का आदेश और दूसरा बेगमों की जागीरें लौटाने का आदेश। इसने दोनों आदेशों को अपमानित किया।

एक आदेश को न मानने के लिए वह नवाब की नाराजी को कारण बताता है। इस बात के तथ्य के सच व झूठ पर श्रीमान स्वयं विचार करेंगे। अब मैं आप को नवाब द्वारा मिस्टर हेस्टिंग्स के नाम, लिखे गए पत्र को पढ़ कर सुनाऊँगा।

[नवाब का पत्र मिस्टर हेस्टिंग्स के नाम, तारीख २५ फरवरी सन् १७८२]

''अपनी मित्रता को सामने रख कर मैं यही कहूँगा कि मेरी भलाई के लिए आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। जिस काम को ले कर मैं फैजाबाद गया था वह काम हो गया। विस्तृत सूचना तो मिस्टर मिडिलटन के पत्र से ज्ञात होगी। आप की कृपा के लिए मैं अभारी हूँ। मैंने माँ को नगद रुपये देने का निश्चय किया है।

मेरा प्रस्ताव उनने मान भी लिया है। आप चाहे तो उनकी जागीरे लौटा दें।

श्रीमान, आप का समय बचाने के लिए तथा इस मामले पर और बोझ न डाले इसलिए मैं और बात न बढाऊँगा। लेकिन आप के सम्मुख मुझ पर झूठ का जो आरोप लगाया गया है उसके फलस्वरूप मै और विस्तृत सूचना आप को दूँगा।

अब आज का कार्य हम समाप्त कर चुके, एक ऐसे मामले की चर्चा जो मानवता के इतिहास मे अपने ढंग का निराला है। एक ऐसा मामला जिसने समस्त एशिया मे ब्रिटेन का नाम गिराया है, ब्रिटिश चरित्र की मर्यादा भग की है। एक ऐसा मामला जिसने उस देश मे हमारा एक विश्वासघाती का चित्र खीचा है, हमें वहाँ संधि करके न मानने वाला सिद्ध किया है, जिसने हमे दुखी गरीबो की सुरक्षा न करने वाला बनाया है, यानी हर प्रकार से ब्रिटिश नाम को बदनाम किया है। श्रीमान को इन सब का प्रमाण मिल चुका है। आपने देखा है कि किस प्रकार नवाब, उसका देश, उसकी प्रजा, उसका राजस्व, उसकी माँ, उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सम्पत्ति को नीलाम किया गया। उसकी जाँच न करके इन असहाय बेगमो के प्रति निष्ठुरता दिखाई गई है। और जो जाँच अपराधी न कर सका वह सब संसद ने किया। संसद आप से केवल न्याय की माँग करती है। उनकी केवल यही माँग है कि उन्होने अपना कर्तव्य निभाया और अब आपको अपने कर्तव्य के दायित्व के निभाने का समय आया है।

आगे हम श्रीमान को बतायेगे कि उसने अन्य औरतो के साथ कैसा व्यवहार किया। स्वर्गीय शुजाउद्दौला की बेगम को डायरेक्टरो ने बराबर वजीफा देने का आदेश दिया। आप देखेंगे कि स्त्री मात्र के प्रति वह कितना निष्ठुर और पापी है।

आप देखेगे कि जब उसने अवध की समस्त राज्य-व्यवस्था उलट दी तब बेगमो के साथ कैसा व्यवहार किया। तब श्रीमान विचार कर सकेगे कि यह कितना बड़ा अपराधी है।

[दूसरी तिथि के लिए मामला स्थगित]

जवाब का सातवाँ दिन

[१२ जून, सन १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान ! जब पिछली बार मुझे इसी स्थान से श्रीमान को संबोधित करने का अवसर मिला था तो मेरा आशय मुख्यतया बेगमों की सम्पत्ति और जागीरों के छीने जाने से संबंधित था जब कि उनके तथाकथित दोषों के लिए न तो उन पर मुकदमा चलाया गया न उनके संबंध में कोई जाँच ही की गई और ईस्ट इण्डिया कंपनी व उनके बीच हुई संधि की अवहेलना की गई। उनके मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें लम्बी अवधि तक जेल में बंद रखा गया। उन पर झूठे अभियोग लगाए गए तथा अपराधी ने अपने कार्यों को ही उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया।

हिंसा व अत्याचार की कई घटनाएँ घटीं जिनकी चर्चा हम श्रीमान से कर चुके हैं और ये घटनाएँ लज्जाजनक ही नहीं, ब्रिटिश जाति के नाम व चरित्र पर धब्बा हैं, विशेष कर इस कार्य का नवाब को ही साधन बनाया गया कि वह अपनी माँ और दादी को ही भिखारिन बना दे।

अब मैं आप का ध्यान उसके व्यवहारों की ओर दिलाऊँगा जो उसने इस अभागे परिवार के दूसरे अंग, नवाब शुजाउद्दौला के बच्चों व स्त्रियों के साथ किया। ये लोग बेगमों पर आश्रित थे और उनकी संपत्ति छीन ली गई थी तथा उन लोगों को भी नष्ट कर दिया गया था जो उनके सहायक बन सकते थे, वे बुरी तरह निराश्रित हो गए थे। प्रतिदिन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी असमर्थ हो कर वे साधारण व्यवहार करने योग्य भी न रह गये थे। वे जैसे अकाल की स्थिति में गुजरते हुए घर की मर्यादा भी नहीं बचा पा रहे थे और स्त्रियाँ तक महल का परदा भूल कर बाजारों में रोटी के लिए भीख माँगने को विवश हो गई थीं। इस प्रकार जब वे अपमान और पतन की इस सीमा तक आ गए कि नवाब के भाई-बहिन और बच्चे तक जनता में खुलेआम आ कर भूख से बचने को भीख माँगने लगे तो उनकी इस हीन स्थिति में भी उन पर हथियार से लैस सिपाहियों ने प्रहार किया और उन्हें धक्के मार-मार कर पुनः महलों के भीतर कर दिया।

श्रीमान, पहले तो हमने आपके सामने एशिया के उच्चतम परिवार की महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन किया फिर उनकी नवाबी की रक्षा, उनकी इज्जत

की रक्षा और उनकी ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधियो द्वारा रक्षा का वर्णन किया। अब मै स्त्रियो के एक दूसरे वर्ग की कहानी बताऊंगा जिन्हे नवाब द्वारा राजस्व के हडपने से बडा कष्ट उठाना पडा, उनकी स्थायी आमदनी मारी गई और श्रीमान देखेंगे कि हर कदम पर इस अपराधी के अपराधो के प्रमाण मिलते है, इसके अन्याय की कहानी जिसे हम आप के सम्मुख रख चुके है।

श्रीमान, जागीरो की अन्यायपूर्ण हडप और बेगमो को सम्पत्ति का लूटा जाना, इन विवशताओ ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा ही नष्ट की बल्कि उनकी इज्जत व उनकी पवित्रता भी भ्रष्ट हुई। लेकिन आगे बढने के पूर्व मै श्रीमान से यह पुन कहने की आज्ञा चाहूँगा कि श्रीमान कृपया याद रखे कि ये स्त्रियां कौन थी? नवाब शुजाउद्दौला की एक ही कानूनी पत्नी थी, यद्यपि मुस्लिम कानून के अनुसार चार पत्नियां कानूनी मानी गई है—और कोई भी राजपरिवार का नवाब एक से अधिक शादी करने का अधिकारी था। उच्च राज-परिवार के लोग कानून और धर्म की आज्ञा से एक से अधिक पत्नियाँ रख सकते थे। आप को चार्डियन के यात्रा-वृतान्त मे मिलेगा जहाँ उसने शादी की चर्चा की है, कि पूरब के राज-परिवारो का यह साधारण नियम था, यद्यपि अधिकतर पत्नियो की स्थिति उनकी रखेलियो से अधिक न होती थी।

हम जानते है कि शुजाउद्दौला के परिवार मे ऐसी स्त्रियो की सख्या बहुत बडी थी। हम जानते है कि उसके बेटो की सख्या बीस तक पहुँचती थी और मिस्टर हेस्टिंग्स के वक्तव्य के अनुसार उन्नीस थी। मॉन्टेस्क्यू का तो यहाँ तक कहना है कि पश्चिम से पूर्व मे स्त्रियाँ अधिक पैदा ही होती है। इस सम्बन्ध मे प्राप्त अन्य प्रामाणिक सूचनाओ के अनुसार हम जानते है कि उस देश मे स्त्री व पुरुषो की जनसख्या मे अनुपात मे वही सख्या है जो हमारे अपने देश मे, इसलिये यदि आप मान लेगे कि उसके बीस पुत्र थे, तो आप यह भी मान लीजिये कि उसकी पुत्रिया की सख्या उन्नीस थी। उस देश के नियम के अनुसार अन्य पत्नियो की सताने भी उसके पिता के नाम से ही गिनी जाती है और माता की स्थिति का भुला कर पिता की ही स्थिति के अनुसार उन्हे भी सामाजिक रूप मे पिता की स्थिति के अनुसार ही प्रतिष्ठा व सम्मान दिया जाता था। इन सभी पत्नियो को उनके बच्चो के साथ, उनकी बाँदियो को जिनकी सख्या लगभग ८०० की थी, को एक छोटे महल या खुर्द-महल मे बन्द कर दिया गया। एक गवाह ने उस महल को सेन्ट जेम्स स्क्वायर की तरह बताया है। आप श्रीमान को बताया गया कि, अन्य परिस्थिति मे भी इन स्त्रियो की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती थी। मै श्रीमान को उस सधि की याद दिलाऊँगा कि जिसमे उनके पालन व सुरक्षा की बात तय हुई थी।

मै श्रीमान के सम्मुख केवल नवाब की चर्चा करूँगा क्योकि नवाब, अवध

का नवाब, देश का नवाब ही यह निर्णय कर सकता था कि उसके पिता के परिवार की महिलाओं को कैसा सम्मान दिया जाना उचित था। इस सम्बन्ध में नवाब की अपनी क्या सम्मति थी यह बताने के लिये श्रीमान के सम्मुख मैं उसी के पत्रों के कुछ अंश पढ़ कर सुनाऊँगा।

[नवाब से २३ अगस्त सन् १७८२ को प्राप्त पत्र का अंश]

"मैंने कभी आवश्यक खर्चों के लिए भी उनके बराबर आय-स्रोत नहीं पाया। हर वर्ष मुझे अपने वजीरों से माँग कर और अपने हरमखाने का सामान बेंच कर बड़ी कठिनाई से काम चलाना पड़ता था, फिर भी मैं अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाता और मेरे भाई मुझे छोड़ कर तकलीफों से ऊब कर चले गये, मुझसे अलग हो गये और स्वर्गीय नवाब के खुर्द-महल के लोग जो सभी मेरे भाई थे दरिद्र हो गये।"

[३१ जुलाई सन् १७८४ को प्राप्त नवाब का दूसरा पत्र]

"मेरे जीवन की तरह प्यारे, मेरे भाई, सआदत अली खाँ ने लिखा है कि मैं माँ को उसके साथ जा कर रहने की सहमति दूँ। मेरे मित्रगण, मेरे सभी भाइयों की माताएँ और स्वर्गीय नवाब की बीबियाँ जिन्हें मैं अपनी माँ की तरह ही सम्मान देता हूँ, अभी यहाँ है और उनका भरण-पोषण करना मेरा धर्म है। मै करता भी हूँ और यह बड़ा अनुचित है कि वे हमसे बिछुड़ जायें और यह मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा और आपकी दया से मैं आशा करता हूँ कि सभी यहीं रहें। यही मेरी दादी और मेरी माँ की भी इच्छा है।"

अब श्रीमान देखें कि नवाब इन स्त्रियों को कितनी प्रतिष्ठा देता था। अपने पिता की सभी बीबियों को वह अपनी माँ की तरह ही चाहता था। उन स्त्रियों के बच्चों को वह अपने भाइयों सा मानता था और वह अपनी सरकार के लिए बड़ी लज्जा की बात समझता था कि उनमें से कोई भी दूर जाएँ।

अब, श्रीमान, आप देखेंगे कि एक व्यापारी संस्था का एक एजेन्ट जो अपने को महान प्रभुता वाला समझता था, वह इन प्रतिष्ठित लोगों को क्या समझता था! अब मैं जो उद्धृत करने जा रहा हूँ वह अपराधी के वक्तव्य से है। मैं यहाँ श्रीमान को याद दिलाना चाहूँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने तीन वक्तव्य दिए हैं—एक संसद में, एक संसद के बाहर और एक आपके सम्मुख। यह दूसरा वक्तव्य पहले से भिन्न होते हुए भी मिस्टर हेस्टिंग्स की भावनाओं का सच्चा प्रतिरूप है, क्योंकि खुले वातावरण में दिया गया यह निर्भय वक्तव्य है। वह कहता है—"बेगमें पूरब के नवाबों की बीबियाँ हैं और ये औरतें भी स्वर्गीय नवाब की बीबियाँ है और उनके कष्टों को इतने गलत रंगों से रंगा गया है कि लगता है कि ये सभी भी अवध की रानियाँ रही थीं और मेरे किसी कार्य से हुए उनके कष्टों के लिए मैं ही जिम्मेदार

हूँ। सच्चाई यह है कि, खुर्द-महल के लोग सभी कम आयु के थे और अपनी सुन्दरता व यौवन के कारण जहाँ दिखे, पकड लिए गए थे। कई गन्दे बाजारों से खरीदे हुए भी थे, और सभी नवाब के मनोरंजन के लिये थे। अधिकांश स्त्रियाँ निम्नतम स्थिति की थीं।"

श्रीमान, आप ने देखा कि नवाब की क्या सम्मति थी जो अपने पिता के महल की परिस्थिति को जानता था, महल की महिलाओं की प्रतिष्ठा करता था। साथ ही आपने मिस्टर हेस्टिंग्स की भी सम्मति सुनी। अब प्रश्न है कि क्या श्रीमान भी इन महिलाओं के सम्बन्ध में उसी दृष्टि से देखेंगे जिस रूप में उनसे खूब निकट से सम्बन्धित व्यक्ति देखता है या उस रूप में जिस रूप से मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन्हें समझा—भीतरी व बाहरी रूप में। आप श्रीमान यह जान कर प्रसन्न होंगे कि वह कोई प्रमाण नही उपस्थित कर सका और उसके अपने प्रमाण बहुत अधिक अपने आप में विरोधाभास में है। आप श्रीमान देखेंगे कि उसने प्रमाण में एक शब्द भी उपस्थित नही किया, न तो सदन के भीतर न सदन के बाहर या कहीं भी जिसमे उसने जो भी कहा है उसका एक भी शब्द प्रमाणित हो सके। वह केवल इन महिलाओ पर कीचड़ उछालता है, ताकि उसने उन्हें जितना सताया है उसका महत्व आपकी दृष्टि मे कुछ कम हो जाय। लेकिन यह मान कर कि इनमें से कुछ स्त्रियाँ निम्न श्रेणी की थी और उस व्यक्ति के प्रति वे प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि न कर सकीं जिनके बच्चो की वे माँ थी। मान भी लें और मैं यह भी कहूँ कि यह सब सच ही है, लेकिन जब मनुष्य उच्चासन व सुख-सुविधा से कष्ट व संकट में आ जाता है और अपनी पूर्व स्थिति को सोच कर उसे वर्तमान स्थिति की तुलना करके जितना कष्ट होता है और जिस स्थिति में वे आज आ पड़े है, अकाल की स्थिति, अपमान और पतन की स्थिति और इतनी गिरी स्थिति जैसी कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने उनके सम्बन्ध में वर्णित की है। लेकिन मै आशा करता हूँ कि आपको उनसे समवेदना व सहानुभूति होगी, उनकी आज की गिरी स्थिति पर, अतः मैं समझता हूँ कि श्रीमान मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा इन महिलाओं पर किए गये अत्याचार पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे और उन महिलाओं के विरुद्ध बढ़ा-चढ़ा कर लगाए गए दोषों को समझ सकेंगे। यह वह दृष्टिकोण है जिससे संसद ने उसे देखा है।

हम पहले ही बता चुके है कि यह स्त्रियाँ क्या थीं, नवाब से उनके क्या संबंध थे, पूरे देश से उनके क्या संबंध थे। अब मुझे बताना है कि ब्रिटिश सरकार से उनके क्या संबंध थे, इन परिस्थितियों तक पहुँचने के पूर्व और हम यह सिद्ध करेंगे कि कम्पनी के साथ उनका बड़ा सहयोगी दृष्टिकोण था।

मिस्टर मिडिलटम द्वारा बनाए गए संधिपत्र का अंश जो उसने अपने आने के बाद नवाब आसफउद्दौला के साथ तैयार किया—

"पहला—कि बेगमें जब कभी भी चाहें मक्का जा सकती हैं और उन्हें

जाने की अनुमति मिलेगी।"

"दूसरा—कि नवाब जब भी आवेंगे, मैं (मिस्टर मिडिलटन) जाननखाने का बेगम का समस्त खर्च उठाऊँगा, साथ ही नवाब शुजाउद्दौला के बच्चों का भी और इसका भी प्रबन्ध करूँगा कि उन्हें सभी सुविधा मिले।"

"तीन—कि नवाब शुजाउद्दौला के बच्चो की शादी-ब्याह, उत्सव व त्योहार सब बेगम की इच्छा पर है। जब वे उचित समझें उनकी शादी करें और इसके खर्च में जो भी रुपये लगें, वह नवाब देंगे।"

"चार—कि खुदागंज और अलीगंज के दोनों शहर पहले की तरह ही बेगम के अधिकार में होंगे।"

"पाँच—कि मैं (मिस्टर मिडिलटन) नवाब के आने पर, वजीरगंज व बगीचा उनके लिए प्रस्तुत रखूंगा।"

"छः—कि मैं (मिस्टर मिडिलटन) नवाब से १,१५०,००० रुपये प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा, माची भवन, शाहब जी के मकान, कासिम का किला, गोमती के किनारे की बारादरी, बाग एवं जमीन खरीदने के लिए और महा-नारायण का बाग व मकान तथा लखनऊ का मकान जिन सब का अधिकार नवाब आसफउद्दौला ग्रहण कर चुके हैं।"

"सात--कि मै नवाब के साथ निश्चित करूँगा कि जनानखाने व अन्य खर्चे के लिए कितना नगद दिया जाय —सब मिला कर १७ लाख २५० रु० प्रति मास।"

"आठ—कि नवाब आसफउद्दौला बहादुर के आने पर मै मोहर्रम अली खाँ और महमूद इफ्तीफात खाँ आदि का मासिक भत्ता तय करूँगा और बेगमों के सेवकों का वेतन भी।"

"नौ--कि यदि बेगम मक्का जाये तो वह सभी जागीरें व महल आसफ-उद्दौला की माँ बेगम के पास छोड़ जायँगी जो बड़ी बेगम को राजस्व देंगी और कोई उन्हे जागीर का इस्तेमाल करने से रोकेगा नहीं।"

☐ ☐

अब, श्रीमान, मैं एक दस्तावेज को पढ़ूँगा। नवाब आसफउद्दौला की मुहर भी यहाँ है और अंग्रेजी में मिस्टर मिडिलटन के हस्ताक्षर व मुहर भी हैं—इस प्रकार है—

"एक—मैं नवाब आसफउद्दौला बहादुर, स्वीकार करता हूँ कि जागीरें और अफसरों तथा नौकरों का मासिक खर्च और जनानखाने की महिलाओं के भत्ते तथा हिसाब की अन्य मदें, बेगम के अधिकार व देख-रेख में रहेंगी। और अन्य कोई व्यक्ति न तो हस्तक्षेप करेगा न बाधा उपस्थित करेगा, इसकी मैं पूरी तरह देखभाल रखूंगा। इस समझौते में मिस्टर मिडिलटन और अंग्रेजी सरकार सहमत है।"

"दो—जब कभी भी बेगम मक्का जाना चाहेगी, मै कोई आपत्ति न करूँगा।"

"तीन—जब भी बेगम मक्का जायेगी, वह अपनी सम्पत्ति, जागीरो आदि को या तो मेरी मा अथवा मेरे ही अधिकार मे दे जाएँगी और मै समस्त राजस्व का प्रबन्ध करूँगा और वसूली करके उनके पास भेज दूँगा। इसमे कोई न तो आपत्ति उठायेगा न अड़चने पैदा करेगा।"

"चार—बेगम को जनानेखाने की अन्य महिलाओ पर अधिकार होगा। वे उन्हे मेरे साथ रहने देगी और मेरी आज्ञा बिना कही न जाएँगी या अपने साथ रखेगी।"

"पाँच—खुदागज और अलीगज की जागीरे व अन्य जो भी बेगम की है सभी उनके ही अधिकार मे रहेगी—कुल १४,४६० रुपये प्रतिमाह पर।

"आठ—बेगम के अधिकार मे सभी नोकर व जनानखाने की औरते होगी और न तो मै न अन्य कोई बाधा डालेगा।"

"नो—बेगम (मेरी दादी) का ही समस्त उत्सवो व स्वर्गीय नवाब शुजा-उद्दौला के बच्चो की शादियो का अधिकार होगा जो मेरी व मेरी माँ की सलाह से सम्पन्न करेगी। केवल शादियो मे मेरा अधिकार होगा।"

"अंग्रेजी सरकार की इस प्रबन्ध मे जब तक बेगम जोवित रहेगी पूरी सम्मति व सहमति होगी।"

□ □ □

श्रीमान यहाँ ध्यान देने योग्य कुछ स्थल पावेगे। सब मे पहले आप देखे कि इस सधि मे जिसमे मिस्टर मिडिलटन के माध्यम से मिस्टर हेस्टिंग्स की सहमति है और जो स्वयं एक पक्ष है, उसकी मान्यता है कि नवाब शुजाउद्दौला को अपनी नियमित पत्नी से वर्तमान नवाब के अलावा भी सताने है और अपनी प्रतिरक्षा के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स, समस्त स्थिति की जानकारी रख कर भी, मानता है कि और भी सताने है। फिर आप देखे कि सधि के अनुसार भत्ते की जो रकम निश्चित हुई है उसमे भी मिस्टर हेस्टिंग्स की सहमति है। इन महिलाओ के लिए नियमित खर्चे है। इससे नोकरो का वेतन तो सुरक्षित है ही और समस्त अधिकार नवाब की दादी बेगम को है।

श्रीमान देखे कि समस्त व्यापार मे कम्पनी की सहमति है और इन औरतो का इसमे बड़ा सहयोग है, अत उनके प्रति हुए व्यवहार से क्या कम्पनी द्वारा सधि भग नही है ? फिर भी आगे बढने को······

हम श्रीमान के सम्मुख यह सिद्ध व प्रमाणित कर चुके है कि नवाब बिल्कुल भिखारी बना दिया गया था और उसका समस्त राजस्व मिस्टर हेस्टिंग्स के दलालो

के हाथ में था और चुनार की संधि के अनुसार उसे पलटन के खर्चे से मुक्त होना चाहिये था पर उस पर यह भार जबरदस्ती लादा गया। इतना ही नहीं, सर आयर-कूट की १८००० पौंड पेंशन भी उस पर लादी गई। मिस्टर हेस्टिंग्स की माँग बढ़ती ही गई और उससे कम्पनी के लिए न ले कर वह सब कुछ अपने ही लिए वसूलता रहा। उसने छः सौ हजार पौंड की उधार रूप में माँग की जब कि वह जानता था कि न तो उसके पास रुपये हैं न सम्पत्ति।

इन हिंसक कृत्यों का परिणाम यह हुआ कि ये लोग, अंग्रेजी पलटन द्वारा सताए हुए, जिनके अधिकारों को छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उन्हें मिलने वाली धर्मार्थ सहायता भी बन्द करा दी गई थी जिनके ऊपर परिवार के स्त्री व पुरुष निर्भर थे, और उसी सहायता पर जी सकते थे लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स की क्रूरता ने यह सहारा भी छीन लिया था, सारी आशाओं पर पानी फेर दिया था और उन्हें दर-दर का भिखारी बना दिया था।

समय की लम्बी अवधि के बाद, जब हमने सर्वप्रथम यह मामला उठाया, प्रमाण प्रस्तुत किए, मैं आज्ञा चाहूँगा कि आप द्वारा विचार स्थगित करने के पूर्व आप की याद को ताजा करने के लिए उन प्रमाणों के कुछ अंश आपको मैं फिर सुना दूँ जिससे कि आप श्रीमान पूरी तरह, स्पष्ट रूप में अपहरण, क्रूरता और अन्याय को फिर से दृष्टिगत कर लें जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने किए और इस प्रकार उसे उचित दण्ड देने व आपको विचार करने में आसानी हो।

[नवाब वजीर के दरबार में रेजीडेंट रिचर्ड जॉनसन को कप्तान
लिओनार्ड जैक्वेस का पत्र: ६ मार्च सन् १७८२]

"श्रीमान, खुर्द-महल की स्त्रियों ने शिकायत की है कि उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती और अब तो वे इतनी निराश व उद्विग्न हो गई हैं कि रात को वे जनानखाने की ऊपरी छत पर इकट्ठी होकर बड़ा उपद्रव करती हैं और पिछली रात को उन्होंने न केवल बाग में तैनात संतरियों व पहरेदारों को गालियाँ ही दीं बल्कि उन पर कूड़ा और गंदगी फेंका, बल्कि यह धमकी भी दी कि वे जनानखाने की दीवार पर से कूदेंगी और भाग जाएँगी। मानवता के नाते मैं यह सूचना आपको दे रहा हूँ और आपसे प्रार्थना है कि इस संबन्ध में यदि कोई आदेश या निर्देश हों तो मुझे दें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैंने लताफत अली खाँ को बुलवाया जो इनका अधिकारी है, उसने मुझे बताया कि उनकी शिकायतों के पीछे ठोस तथ्य हैं। जो कुछ भी उनके पास था उसे वे बेच चुकी हैं और अब जीवित रहने का उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। इसी विषय में, मोनक्कल का एक पत्र भी मैं साथ में भेज रहा हूँ।"

[रिचर्ड जॉनसन के नाम कप्तान जैक्वेस का पत्र, ७ मार्च सन् १७८२]

"श्रीमान, मैं पुनः खुर्द-महल की स्त्रियों के संबन्ध में लिखने के लिए आपसे

क्षमा माँगता हूँ । कल रात उनके व्यवहार इतने उत्तेजनापूर्ण और भयानक थे कि यह प्रतिक्षण संभावना बनी रहती है कि वे सीमा का उल्लंघन न कर जायँ कि या तो वे दीवालो पर से कूद पडे या जनानखाने का फाटक ही तोड डाले । मैने उनकी शिकायतो के कारणो की जानकारी प्राप्त करने की पूरी-पूरी कोशिश की और लताफत अली खाँ से जाना की अब वे सब भूखो मरने की स्थिति मे है । अब तो उन्होने अपने कपडे तक बेच डाले हैं । अब तो मौसम की तीव्रता भी वे नही सह सकती और इम संबन्ध मे मुझे स्थिति का सामना करने का आप से कोई निर्देश प्राप्त नही है, कि ऐसी स्थिति मे मै क्या करूँगा यदि वे जनानखाने का फाटक तोड डालें और जैसा कि मुझे शक है, यह घटना अवश्य घटेगी, यदि तत्काल ही उन्हे ठोस सहायता न भेजी गई ।"

[लखनऊ के राजदरबार के रेजीडेट जॉन ब्रिस्टोव के नाम
मेजर गिलपिन का पत्र : ३० अक्टूबर मन् १७८२]

"कल रात लगभग आठ बजे लताफत अली खाँ की संरक्षता मे रहने वाली खुर्द-महल वे जनानखाने की स्त्रियाँ मकानो की छतो पर इकट्ठी हुई और बुरी तरह खाने के लिये आर्तनाद कर रही थी । पिछले चार दिनो मे उन्हे नाममात्र को भत्ता दिया गया हे और कल तो उन्हे कुछ भी नही मिला । अब तो अकाल की परिस्थिति स्पष्ट रूप मे देखी और समझी जा सकती है एवं उनकी चीख-पुकार से मुझे यह भय लग रहा हे कि नवाब के दलाल कही हमारी आसतर्कता का लाभ न उठावे । अत यह मै अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपको सही मूचना दूँ कि नवाब के दलाल अब इन अबला स्त्रियो के प्रति बडे सतर्क है ।"

[मेजर गिलपिन, फैजाबाद के नाम मिस्टर ब्रिस्टोव का पत्र,
४ नवबर मन् १७८२]

"श्रीमान, मुझे आप के १२, १६, २७, व ३० अक्टूबर के पत्र मिले । ३० ता० के पत्र का समस्त ममाचार सचिव के पास भजा जिसने मुझसे वायदा किया है कि वह खुर्द-महल की स्त्रियो की असुविधाओ के निवारण हेतु जल्दी ही एक बडी रकम भेजेगा । मै तीन या चार दिनो मे आपके पाम दम हजार रुपये की हुण्डी भेजूंगा और यदि इसी बीच मे आप इस रकम के भगतान की व्यवस्था कर मके तो मै इन रुपयो को लौटाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही व्यक्तिगत रूप से ले सकता हूँ ।"

[फैजाबाद व लखनऊ के दरबार मे जॉन ब्रिस्टोव के नाम मेजर गिलपिन
का पत्र : १५ नवबर सन् १७८२]

"श्रीमान, खुर्द-महल व जनानखाने की स्त्रियो की चीख-पुकार अब सचमुच बड़ी भयानक हो गई है । वे बड़ी ही विवशता से मुक्ति की माँग करती है कि वे

मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगी अथवा वे आत्महत्या द्वारा वर्तमान कष्ट से छुटकारा पा लेंगी। इस दुखदायी परिस्थिति के साथ ही मैंने आज अपने निर्णय से, रामनारायण से आपके ऊपर दस दिनों की हुण्डी द्वारा बीस हजार रुपये लिए हैं जिनमें से दस हजार मैंने खोजा लताफत अली खाँ को दे दिया है जिस पर जनानखाने की देख-रेख का भार है।''

यह है, श्रीमान, सन् १७८२ की दुखदायी परिस्थिति की कहानी। आप श्रीमान देखेंगे कि लगभग ऐसी ही परिस्थिति बनी रही, बीच-बीच में थोड़ी आसानी अवश्य हुई। अब हम सन् १७८३ वर्ष में प्रवेश करते हैं, जब यही स्थिति इस पूरे वर्ष तक बनी रही, फिर मैं इन बातों पर अपनी संक्षिप्त आलोचना प्रस्तुत करूँगा।

अब मैं श्रीमान के सम्मुख मिस्टर हॉल्ट के बयान को पढ़ूँगा जिससे यह प्रमाणित व सिद्ध है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने विपत्तिपूर्ण और खतरनाक व भयानक परिस्थिति की पहले से ही घोषणा कर रखी थी।

प्रश्न—''क्या तुमने फैजाबाद से आया कोई पत्र इस संबंध में देखा जो खुर्द-महल की स्त्रियों से हुई संधि के संबंध में हो ?''

उत्तर—''हाँ मैंने देखा भी है व उनका अनुवाद भी किया है।''

प्रश्न—''यह पत्र कहाँ से आए ?''

उत्तर—''हुलास राय के पास से।''

प्रश्न—''वह कौन था।''

उत्तर—''फैजाबाद के रेजीडेंट का प्रतिनिधि जिसे रेजीमेंट तक सभी सूचनाएँ पहुँचाने का भार था।''

प्रश्न—''क्या वह कागज मिस्टर हेस्टिंग्स तक पहुँचाया गया ?''

उत्तर—''मेरे देखने के बाद जहाँ तक मुझे याद है उसे परिषद के पास पहुँचाया गया।''

प्रश्न—''क्या तुम्हें याद है कि खुर्द-महल की परेशानियों की सूचना प्राप्त होने और उसे कलकत्ता भेजने के बीच कितने दिनों का अंतर है ?''

उत्तर—''मैं यह नहीं कह सकता।''

प्रश्न—''क्या तुम समझते हो कि यह प्राप्ति के दस महीने के बीच ही भेजा गया ?''

उत्तर—''मैं समझता हूँ कि प्राप्त होने के तत्काल बाद ही यह भेज दिया गया।''

प्रश्न—''तब तुम समझते हो कि मिलते ही इसे भेजा गया ?''

उत्तर—''हाँ, तीन दिनों के भीतर।''

प्रश्न—''क्या तुम याद कर सकते हो कि इसका अनुवाद तुमने कब किया ?''

उत्तर—"जहाँ तक मुझे स्मरण है, यह जनवरी सन् १७८४ का है।"

प्रश्न—"क्या जिन परेशानियों की शिकायत की गई है, वह खुर्द-महल की परेशानियों के बारह महीने पूर्व ही समाप्त हो गई थी।"

उत्तर—"मेरी समझ में यह नई परेशानियाँ थीं।"

प्रश्न—"तब तुम कहना चाहते हो कि यह जो शिकायत सन् १७८४ में भेजी गई वह नई परेशानियों का मामला था।"

उत्तर—"हाँ"

□ □ □

अब मैं श्रीमान का ध्यान छपे दस्तावेजों के पृष्ठ ७९९ की ओर आकृष्ट कराऊँगा। (गुप्तचरों ने बताया कि मिस्टर हॉल्ट की सूचनाएँ पूरी तरह सच्ची हैं, जिनका संबंध इन स्त्रियों की परेशानियों से है और मिस्टर हेस्टिंग्स को वापस बुलाने से सम्बन्धित है।) १७ फरवरी सन् १७८४ को हुए वार्तालाप का संक्षिप्तीकरण —परिषद में, उपस्थिति—माननीय वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल, अध्यक्ष, एडवर्ड ह्वीलर एवं जॉन स्टेबुल्स। अस्वस्थता के कारण मिस्टर मैकफरसन प्रेसीडेंसी से बाहर गए थे। इसी माह की आठ तारीख को मिस्टर ब्रिस्टोव से प्राप्त पत्र व संबंधित कागज-पत्रों को वितरित किया गया—"माननीय श्रीमान और अन्य सज्जनों, आपकी सूचना के लिए मैं नं० ३ से सम्बन्धित कागज इस पत्र के साथ सेवा में भेज रहा हूँ। इसमें नवाब वजीर की महिलाओं द्वारा सही गई मुसीबतों का पूरा हवाला व वर्णन है।"—

हस्ताक्षर—जॉन ब्रिस्टोव।

[फैजाबाद से प्राप्त एक गुप्तचर के पत्र का अनुवाद]

"कल रात की तरह ही इन स्त्रियों और उनके नौकर-बाँदियों ने उपद्रव किया। लताफत दारोगा उनके पास गया और उनके आचरण के लिए उनकी भर्त्सना की, साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि कुछ ही दिनों में शीघ्र ही उनका पूरा भत्ता उन्हें मिल जाएगा और यदि किसी कारणवश ऐसा न हो सके तो वह दस दिनों का भत्ता अग्रिम ही दे देगा, यदि वे सभी अपने-अपने महलों में शांति से रहें। लेकिन किसी ने भी उसके प्रस्ताव के प्रति सहमति न प्रकट की। बल्कि बाजार की ओर भागने की उनकी योजना पूर्ववत ही रही। बाहर निकलने की उनकी योजना यों थी —सबसे आगे बच्चे, उनके पीछे स्त्रियाँ उनके पीछे नौकर-चाकर। लेकिन लताफत के सिपाहियों द्वारा विरोध के कारण वे सभी निराशा में डूबी थीं। दूसरे दिन लताफत दो बार इन स्त्रियों के पास गया और अपनी शक्ति भर पूरा प्रयत्न किया कि वे सभी जनानखाने में लौट जाएँ। उन्हें दस हजार रुपये अग्रिम रूप में देने का वायदा किया और जब वे रुपये उन्हें मिल गए तब वे तैयार हुईं।

"दूसरे दिन उनका उपद्रव रोज से भी अधिक बढ़ गया। लताफत पहले दिन हुई बात के अनुसार उनके पास गया। समझाने-बुझाने से वे अपने महलों में आने को राजी हुईं, दो-तीन स्त्रियों व उनके नौकरों को छोड़ कर। तब लताफत, हशमत अली खाँ के पास गया यह पूछने कि अब क्या रास्ता अपनाया जाय। उन्होंने निश्चय किया कि बल प्रयोग द्वारा उन्हें महल के भीतर रखा जाय और उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो भी स्त्री अब बाहर निकलने की कोशिश करे उसे पीटा जाय और फिर सिपाही इकट्ठे हो गए, तैयार हो गए, उन्हें एक-एक सोंटा दिया गया। उन्होंने स्त्रियों को खदेड़ा, हल्की मार से उन्हें जनानखाने में रखा गया। औरतों ने जब लताफत की इस गद्दारी को देखा तो उन्होंने सिपाहियों पर ईंट-पत्थर फेंके और फिर बाहर निकलने का प्रयत्न किया लेकिन फाटक बंद होने के कारण निकलना असंम्भव देख कर वे बारह बजे तक लगातार पत्थर बरसाती रहीं फिर निराशा व थकान से चूर हो कर वे रंगमहल में लौट आईं। फिर अपने-अपने महलों, बागों व कमरों में बिखर गईं। इसके बाद उन्होंने बेगम के महल में घुसना चाहा लेकिन बेगम को उनकी सारी बातें मालूम थी, दरवाजा बंद रखने का आदेश देकर उन्हें भीतर नही आने दिया। इसी बीच लताफत और हशमत अली खाँ ने छोटे महलों के फाटकों पर पहरे बढ़ाए। इन तमाम उलझनों के बीच स्त्रियाँ सिपाहियों के सामने बेपरदा हो कर खुलेआम आती-जाती रहीं।

"तब बेगम ने लताफत और हशमत अली खाँ को बुलाया और उन पर बड़ी डाँट-फटकार की एवं जानना चाहा कि ऐसी गड़बड़ियों का वास्तविक कारण क्या है? उन्होंने अपने बचाव के लिए यही बताया कि वे इस परिस्थिति को चाह कर भी बचा न सके। क्योंकि स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया गया था वह केवल नवाब वजीर की आज्ञा व आदेश से ही संभव था। बेगम ने क्रुद्ध हो कर उन पर आरोप लगाया कि मान भी लें कि यह सब कुछ करने को नवाब ने ही आदेश दिया हो पर उन्हें यह अधिकार न था कि शुजाउद्दौला के परिवार के साथ इतना घृणित व अपमानजनक व्यवहार किया जाता। यदि उन्हें एक या दो दिनों तक भत्ता नहीं मिल पाया था तो ऐसी कोई बात न थी, पर जो भी हुआ वह तो सीमाहीन है। यह सब बातें विस्तारपूर्वक नवाब वजीर तक पहुँचनी चाहिए और वह जो कुछ कहें उसकी सूचना तत्काल बेगम को दी जानी चाहिए। फिर बेगम ने कल रात के संघर्ष में घायल हुए दोनों बच्चों को बुलवाया और उन्हें देखने व उनको सांत्वना देने के बाद फिर लताफत और हशमत अली खाँ को बुलाया एवं उन बच्चों के सामने ही उनके कृत्यों के लिए उन्हें अच्छी खासी डाँट बताई। शुजाउद्दौला की स्त्रियों व बच्चों को सिपाहियों के सामने बेपरदा होने की बात पर बड़ा ही क्षोभ प्रकट किया। इस पर लताफत ने नवाब का एक पत्र दिखाया

कि वह नवाब की आज्ञाओं से बँधा हुआ है और उसे जो भी आदेश मिला है उसका पालन उसका कर्तव्य है। यदि महल की स्त्रियाँ आसनी से अपने-अपने कमरों व महलों में रहना स्वीकार कर लेतीं तो वह उन्हें विवश करने वाले वे कार्य न करता जो उसे करने पड़े। तब बेगम ने फिर कहा कि जो हो गया वह हो गया। उन्होंने उन बच्चों को चार सौ रुपये दे कर बिदा किया और महल की औरतों से कहलाया कि यदि वे शांतिपूर्वक अपनी-अपनी जगहों में रहें तो लताफत उन्हें तीन या चार हजार रुपये तात्कालिक खर्चों के लिए देगा और आगे कोई अशोभनीय बात न करेगा। यदि महल की स्त्रियाँ उनका कहना नहीं मानती तो यह उनके लिए बुरी बात होगी। स्त्रियों ने बेगम की सलाह मानी और रात को दस बजे तक सभी अपने-अपने ठिकाने चली गई। दूसरी सुबह बेगम शुजाउद्दौला की माँ के पास गई और समस्त गड़बड़ियों व परिस्थिति की उन्हे सूचना दी। तब शुजाउद्दौला की माँ ने कहा कि जब करोड़ों रुपयो के राजस्व का हिसाब-किताब नहीं रखा गया तो उसमे इस बात पर कोई आश्चर्य नही है कि शुजाउद्दौला के परिवार ने अपनी जीविका के लिए छोटे आदमियों के सामने अपने को बेपरदा किया। अपनी बदकिस्मती पर खीझने, पश्चाताप करने और आँसू बहाने के बाद बेगम अपने महल में आ गई।"

खुर्दमहल में हो रही बरबादी के प्रमाणस्वरूप, आप श्रीमान से कहा गया है कि इन स्त्रियो को अकाल व भूखमरी के दिन देखने पड़े, यदि कैप्टेन जैक्वेस और मेजर गिलपिन ने रुपये न लिए होते और अपनी संपत्ति न जोड़ी होती और जब वे अपहरण की बात करते है, यहाँ-वहाँ घूस लेने की बात, तब देखें, अपहरण के इस ढंग का परिणाम, देखें कि न्याय के नाम पर हो रहे अन्याय का रूप समस्त व्यापार एक बड़ा अपराध था, और फिर देखें कि इसके परिणामस्वरूप क्या मुसीबतें पैदा हुईं।

श्रीमान, यह केवल कुछ व्यक्तियों की मुसीबत न थी, न केवल इन स्त्रियों की मुसीबत थी। भूख की न मिटने वाली वेदना, ऊपर से सिपाहियों की संगीनों की मार, यह तो केवल उनके शरीर की वेदना से संबंधित है। लेकिन, श्रीमान, मनुष्य के दो रूप है। एक शारीरिक और एक मानसिक या नैतिक। पहली बात का हर एक मे संबंध है। व्यक्तिगत वेदना बड़ी सीमित व अस्थायी होती है। लेकिन वह वेदना जो हमारी नैतिकता को छूती है, उसका बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और निश्चय ही वह बहुत प्रभावशाली होती है और कभी-कभी ऐसी वेदना मानवता की सीमा पार कर जाती है। नैतिक वेदना से मनुष्य आगे चल कर ईर्षा का स्वरूप बनता है—विचारों व आदतों और भावनाओं का भी। इसी से दूसरी प्रकृति बनती है—जैसे किसी राष्ट्र के निवासी या समाज के सदस्य, जिस क्षेत्र में हम आ पड़ते हैं। नैतिक प्रकृति की यही भावना ऐंद्रिक मामलों में बड़ी गहरी हो

जाती है और समस्त मानवता पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अपने ढंग की अजीब भावना है जो अन्य प्रकार की वेदनाओं को और गहरी बनाती है और वेदना का अलग एक संसार निर्मित हो जाता है। इस इकार की वेदना जन-माधारण के दिलों पर सीधा प्रभाव डालती है।

हम पहले ही कह चुके है कि बेगमों की वेदना तथा दो हजार स्त्रियों की वेदना, जिनकी संख्या किसी प्रकार कम नही कही जा सकती, वे खुशहाली के लिए दूसरों पर आश्रित है। हम आपसे कह चुके है कि डायरेक्टरो की परिषद को गहरा धक्का लगता, उन्हे आश्चर्य होता यदि वे यह सब वेदनाओ की सच्ची कहानी सुन पाते। हम सिद्ध कर चुके है कि यदि इनके कारणो की जाँच होती तो बड़ी वेदना कम होती। पर हमे जाँच के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नही मिलता।

दूसरे पक्ष के वकील ने सभी बातें एक गुप्त नाम वाले पत्र मे लिखी बताई है जो फैजाबाद के एक संवाददाता से प्राप्त हुआ है। मिस्टर हेस्टिग्स को भेजे गए इन पत्रो को हुलास राय के हाथ भेजा गया जो फैजाबाद का संवाददाता था जिसका काम था कि वह लखनऊ के रेजीडेण्ट को राज्य संबंधी गुप्त सूचनाएं दिया करे।

मै यह आवश्यक नही समझता कि श्रीमान को पुनः इस विद्रोह के विशेष कारण की याद दिलाऊँ। जहाँ तक बेगमो का प्रश्न है, उन पर विद्रोह का अभियोग लगाया गया है लेकिन खुर्द-महल के दुखी निवासियो को किसने सताया ? उनके विरुद्ध क्या कोई बात सुनने में आई ? नही, यहाँ तक कि देश को लूटने व नष्ट करने के लिए मिस्टर हेस्टिग्स द्वारा नियुक्त लोग, या वहां के निवासियो की रोटी को टिड्डी दल की तरह लूटने वाली पलटन इसके सिवाय और कौन कारण है वहाँ के दुर्भिक्ष का और बेगमो की बेबसी का ?

क्या बेबस लोगो की संख्या कम थी ? बच्चो को छोड़ कर भी ऐसे बेबस लोग आठ सौ थे। क्या वे किसी विशेष गिरोह या जाति के लोग थे ? हमें बताया गया है कि वे लोग प्रतिष्ठित और उच्च घरानों के थे और वे बेगमे भी एशिया की सबसे प्रतिष्ठित महिलाएँ थीं। क्या वे बेबस लोग दया के पात्र न थे ? हमें मालूम है कि वे सभी निर्दोष स्त्री व बच्चे थे और उनसे किसी अपराध की आशा नही की जा सकती। लेकिन हेस्टिंग्स ने उन बेगमो के साथ कठोर बरताव किया पर श्रीमान उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखेंगे और इंगलैंड की सरकार को बदनाम होने से बचा लेंगे जिसे इस व्यक्ति ने थोपा है।

इन लेन-देन के व्यापार का हिसाब जैसा कि हम मिस्टर हॉल्ट की गवाही से सिद्ध कर चुके है, नियमित रूप से मिस्टर हेस्टिंग्स तक पहुँचाया जाता था। लेकिन मैं ऐसा क्यो कह रहा हूँ कि पहुँचाया जाता था ? क्या श्रीमान नहीं जानते कि अवध उसका था और वह उसे अपनी व्यक्तिगत जमीदारी समझता था और नवाब

उमकी आज्ञा बिना कोई काम करने की हिम्मत नही कर सकता था। वहाँ उसका नियुक्त किया एक रेजीडेन्ट भी रहता था जो नवाब को कम्पनी के आदेशो के विरुद्ध कार्य करने को विवश करता था। ऐसी बातों के अलावा वहाँ के अभागे लोगो की सुरक्षा के प्रयत्न का हमे कोई प्रमाण नहीं मिलता।

यह है कुछ नमूने, उदाहरण, जो अवध में मिस्टर हेस्टिग्म की राज्य-व्यवस्था के परिणाम है। वहाँ जो कुछ हो रहा था, उसे सब पता रहता था, वहाँ उसके स्थायी गुप्तचरो व दलालो का जाल बिछा था। यह हम सिद्ध कर सकते हैं यद्यपि उसने स्वयं ही यह बात सिद्ध कर दी है कि अपने घोषित दलाल मेजर पामर और मेजर डेवी के अलावा भी वह अन्य सभी गुप्त तथा अवैतनिक दलालों से भी पत्राचार चालू रखता था और उसे एक-एक छोटी से छोटी घटना की सूचना रहती थी। लेकिन अगर एक बात की सूचना जो कभी नही मिली, वह थी, उसने जिस तरह देश की राज्य-व्यवस्था को तहस-नहस किया, देसी राजाओ के अधिकारों से खिलवाड किया और जिनकी आज्ञा के सम्मुख उसे सिर झुकाना चाहिए था, उसके सिर पर स्वय किस प्रकार अवज्ञापूर्वक सवार हुआ– इन सबो के परिणाम का वही एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति था। हम उस पर इन अवज्ञा व अव्यवस्था का अपराध आरोपित करते है, हम उसे इन बातो का जिम्मेदार ठहराते है और मानवता के प्रति किए गए इन आतंकवादी कार्यो के लिए निर्णय करने को आप के सम्मुख प्रार्थना करते है, क्योकि जिस कठोरता का वहाँ व्यवहार किया गया है वैसा उदाहरण आप को दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में नही मिलेगा।

श्रीमान, यदि मानवता की एक भी किरण है, अगर आप के सीने मे साधारण मानवता की एक भी धडकन व भावना है और मानवता के लिए तनिक भी वेदना है, तो यह असंभव है कि ब्रिटेन के ससद के सदस्यो से आप सहमत न हो और मानवता का अपमान करने वाले इस अपराधी को आप दोषी न माने। आप देखें कि इन महिलाओं को जिन्हे हम उच्च परिवार की तथा प्रतिष्ठित सिद्ध कर चुके है उनका कितना अपमान उस देश मे हुआ-उनकी प्रतिष्ठा व मर्यादा किस प्रकार खण्डित की गई। एशिया की सब से प्रतिष्ठित महिला का मामला आप के सामने है, जिसकी प्रतिष्ठा देश की व जनता की प्रतिष्ठा है, आप के सामने नवाब के लड़को का मामला है कि उन पर कितनी मुसीबत थोपी गई। इनके अलावा क्या और कोई ऐसा आचरण बचा रहता है जिस पर आश्चर्य करें?

श्रीमान, इन महिलाओ की परिवरिश का दायित्व कम्पनी के ऊपर था और मानवता की मुहर के नीचे यह दायित्व कम्पनी ने स्वीकार किया था। इस दायित्व की अवहेलना की गई और फलस्वरूप जो भी परिणाम हुए उसका उत्तर-दायित्व मिस्टर हेस्टिंग्स पर है। वह आप के न्यायपूर्ण निर्णय से भाग नही सकता, चाहे वह कितनी ही बातें अपने बचाव मे कहे या चाहे जो भी प्रमाण यहाँ वह

उपस्थित करे। सुविचार व सुनिर्णय के लिए सब कुछ मैं आप पर ही छोड़ता हूँ।

अब हम दोषारोपण और अपराध के दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं जिन दोषों व अपराधों के प्रति मिस्टर हेस्टिंग्स ने विरोध करना भी आवश्यक नहीं समझा, जिनके सम्बन्ध में हम कुछ अधिक विस्तृत वर्णन करने की आप से आज्ञा चाहते हैं। सबसे पहले आप सुनें—अपराध सूची की सत्रहवीं कालम जो हम पढ कर सुनाते हैं, जिस पर आप का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है।

□ □ □

"कि मार्च सन् १७८३ के महीने में या उसके लगभग नवाब के तीन भाई जिनके नाम थे—मिर्जा हैदर अली, मिर्जा इमाउल अली और मिर्जा सयूफ अली—ने ब्रिस्टोव के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत किया कि वे बड़ी दरिद्रता से जी रहे है—उनके पास सूखी रोटी और फटे कपड़े भी नहीं है और इस आवेदन के फलस्वरूप ब्रिस्टोव के हस्तक्षेप द्वारा उनकी दरिद्रता थोडी कम हुई लेकिन सन् १७८४ में मिस्टर हेस्टिंग्स के अवध पर शासन सँभालने से यानी सितम्बर सन् १७८४ के लगभग इन तीनों मे मे एक मिर्जा हैदर अली बनारस चला आया और वहाँ बड़ी दरिद्रता में रहा, यद्यपि मिस्टर हेस्टिंग्स को इसके सम्बन्ध में सब मालूम था, अपने कर्त्तव्य के अनुसार कुछ भी सहायता न की, बल्कि एक हद तक उसकी व उसके भाइयों की अवहेलना ही की।"

इस सत्रहवें अपराध के सम्बन्ध में मिस्टर हेस्टिंग्स का कहना है—यह व्यक्ति, मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है, कि जुलाई सन् १७८३ में या इसके लगभग गवर्नर जनरल और कौंसिल के नाम मिस्टर ब्रिस्टोव के पत्र के साथ नत्थी एक कागज मिला—यह वजीर सुल्तान के तीन भाइयों की अर्जी का अनुवाद था, जिसमें लिखा गया था कि वे बड़ी दरिद्रता का जीवन जी रहे है और उनके पास सूखी रोटी व फटे कपड़ों का भी प्रबन्ध नहीं है। यदि सचमुच ऐसी दयनीय स्थिति थी तो मिस्टर ब्रिस्टोव ने उन्हें सहायता दी थी। लेकिन इन सब बातों को जानने-बूझने के बाद भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने उनकी सहायतार्थ कोई कार्य नहीं किया।

"और वारेन हेस्टिंग्स ने आगे बताया कि सन् १७८४ के सितम्बर महीने में किसी दिन वारेन हेस्टिंग्स बनारस में था तब उसे सूचना मिली कि मिर्जा हैदर अली वहाँ आया है और उसके पहले वारेन हेस्टिंग्स इस नाम के किसी व्यक्ति को न जानता था, उसने नवाब वजीर को लिखा जिसका आशय यह था—'कुछ दिन हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मिर्जा हैदर अली नामक कोई व्यक्ति बनारस आया है और अपने को स्वर्गीय नवाब शुजाउद्दौला का पुत्र बताता है और मुझे यह भी बताया गया कि वह फैजाबाद से आया है। मैं नहीं जानता कि उसने फैजाबाद आपकी आज्ञा से छोडा था या नही, अतः मैंने उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब आप को कष्ट दे रहा हूँ कि इस सम्बन्ध में सभी सूचनाएँ दें कि वह यहाँ क्यों व कैसे आया और

आपकी उसके प्रति क्या धारणाएँ हैं ! वह यहाँ बड़े दुर्दिन में रहा, अतः उसके प्रति आपकी भावनाएँ जानना चाहता हूँ ।"

और वारेन हेस्टिंग्स आगे बताता है कि नवाब वजीर से उत्तर पा कर १३ अक्टूबर सन् १७८४ को या उसके लगभग मिर्जा को पत्र के साथ वह उत्तर भेजा जिसकी प्रतिलिपि यह है—"मैने आपके सम्बन्ध में नवाब मिर्जा को जो पत्र लिखा था उसका जो उत्तर मिला है वह मैं यहाँ संलग्न कर रहा हूं, जिसे पढ कर आप मुझे वापस भेज दें । मेरा विश्वास है कि आप यदि नवाब वजीर के पास जाएँ तो वह निश्चय ही आप की सहायता करेंगे और सुरक्षा का भी प्रबन्ध करेग । नवाब के पास जाना आप के लिए हर रूप में उपयोगी व लाभदायक होगा । इस सम्बन्ध मे आप की क्या राय है आप हमें लिखें ।"

और वारेन हेस्टिंग्स आगे कहता है कि एक गवर्नर जनरल के रूप मे यह कार्य उसकी जिम्मेदारी की सीमा मे नही आता कि वह इस मिर्जा नामक व्यक्ति के संबंध में नवाब वजीर के कार्य में हस्तक्षेप करे ।

अभियोग की सत्रहवीं कालम में ही है—"कि घर मे ही भुखमरी न हो, नवाब के भाइयो मे एक अन्य जिसका नाम था—मिर्जा जुंगली, ने विवश हो कर अपना घर त्यागा और किसी मुसलमान जमीदार मिर्जा शफ़्फू खाँ के यहाँ शरण ली, जो तब मुगलो का मन्त्री था । वहाँ से वह मराठा सरदार माधव जी सिंधिया के खेमे में गया जहाँ उसे सैनिक ओहदा मिला और साथ ही जमीन व जागीर भी मिली कि वह अपने परिवार व आश्रितों का भरण-पोषण कर सके । लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार का संरक्षण पाने के लिये सन् १७८३ में इस मिर्जा जुंगली ने रेजीडेन्ट ब्रिस्टोव के पास डेविड एण्डरसन के माध्यम से जो तब सिंधिया के यहाँ राजदूत के पद पर था पत्र लिखा और इस अर्जी के फलस्वरूप ब्रिस्टोव ने मिर्जा जुगली के निर्वासन के कारण उसकी स्थिति पर तरस खा कर और अवध के नवाब व ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा के लिए मिर्जा जुंगली की वापसी के लिए नवाब वजीर और उसके मन्त्रियों से चर्चा की ताकि मिर्जा जुंगली को कोई निश्चित वजीफा नियमित रूप से मिलता रहे । परन्तु अंत में वजीफे की बात पूरी तरह समाप्त कर दी गयी और समस्त बातें मिस्टर हेस्टिंग्स के सम्मुख रखी गयी । लेकिन वह पहले ही २३ अगस्त सन् १७८२ को वजीर नवाब से पत्र पा चुका था कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जो माँग रखी है वह बहुत अधिक व क्रूर है जिसमे उसके भाई व स्वर्गीय पिता की बीबियों की चर्चा है, जो सभी यद्यपि उसकी माँ के समान है फिर भी उसके कहे जाने वाले तमाम भाई बड़े कष्ट में व दुर्दिन के दिन काट रहे है, फिर भी मिस्टर हेस्टिंग्स की माँग बहुत कठोर व क्रूर है; साथ ही अमानुषिक है और इसलिए इस गरीब परिवार के लिए कोई प्रबन्ध संभव नहीं हो सका और जो भाई उसके दरबार से भाग गया उसके लौटाने का कोई प्रयत्न संभव न हो सका ।"

□ □

अभियोग के एक भाग के संबंध में मिस्टर हेस्टिंग्स का उत्तर :—"और वारेन हेस्टिंग्स आगे कहता है कि उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि मिर्जा जुंगली ने बहुत बड़े कष्ट के कारण अपना वतन त्यागा और मिर्जा शफ्फू खाँ की शरण मे गया। उसने आगे कहा कि उसके ही कहने पर बाद में मिर्जा जुंगली ने मिर्जा शफ्फू खाँ का संरक्षण त्याग दिया और माधव जी सिंधिया की शरण में गया ताकि उसके व उसके आश्रितों का कुछ तो ठिकाना हो सके।"

"और वारेन हेस्टिंग्स आगे कहता है, डेविड एण्डरसन द्वारा और मिस्टर ब्रिस्टोव द्वारा लिखे गए किसी पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि मिर्जा जुंगली ने मिस्टर ब्रिस्टोव के पास अर्जी भेजी, सिंधिया के यहाँ नियुक्त मिस्टर एण्डरसन द्वारा कि मिर्जा जुंगली को कोई निश्चित व नियमित वजीफे का प्रबन्ध कर दिया जाय और इसकी बात नवाब वजीर से की जाय। मिर्जा को नवाब द्वारा दिये जाने वाले वजीफे की मिस्टर हेस्टिंग्स को सूचना थी और यह सूचना कौंसिल को भी थी। नवाब वजीर का यह पत्र २३ अगस्त सन् १७८२ को मिला, जिसमें स्पष्ट था कि वह अपने भाई को वापस नहीं बुलाना चाहता। पर मिस्टर हेस्टिंग्स इस बात से इन्कार करता है कि कोई क्रूरता व अमानुषिक व्यवहार किया गया।"

अभियोग में आगे कहा गया—"दिसम्बर सन् १७८३ या उसके आसपास अवध के नवाब का दूसरा भाई नवाब बहादुर ने भी मिस्टर ब्रिस्टोव से प्रार्थना की कि इस वर्ष उसे वजीफे के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला है। वह भूखों मर रहा है तथा अवध की राजधानी में ही अपनी चाची की हत्या करने वाले हत्यारे द्वारा घायल भी है और डाक्टर को देने को उसके पास एक भी पैसा न था जिसने ईश्वर के नाम पर ही उसका इलाज किया था, लेकिन जब यह प्रार्थना की गई, इसी के लगभग मिस्टर ब्रिस्टोव अपने पद से हट गया और वारेन हेस्टिंग्स लखनऊ आया, लेकिन इस संबंध में उसने कोई जाँच भी न की न कोई आदेश ही दिया।"

□ □ □

अंतिम अभियोग के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स का उत्तर है—"कि वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि २६ जनवरी सन् १७८४ को मिस्टर ब्रिस्टोव के जाने के बाद मिस्टर ब्रिस्टोव ने गवर्नर जनरल व कौंसिल के नाम दो पत्र लिखे, एक २८ दिसम्बर सन् १७८३ और दूसरा ७ जनवरी सन् १७८४ को। मिस्टर हेस्टिंग्स यह भी स्वीकार करता है कि लखनऊ पहुँच कर उसने इसके बारे में कोई जाँच न की न नवाब बहादुर के लिए ही कोई आदेश दिया और कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी नही है। छपे दस्तावेजों के ४८५ पृष्ठ पर मिस्टर पुलिंग द्वारा दी गई जागीरदारों की सूची में इस नवाब का भी नाम है। जिसमें जागीरदारों के नाम व जागीर दी

जाने वाली तिथि भी लिखी है कि इस नवाब बहादुर को २०,००० की जागीर दी गई ।

[लार्ड चासलर ने यहाँ कहा कि अभी जो पढा गया है वह सत्रहवे अपराध का तथा उत्तर का कुछ अंश था और पूर्व-कार्यवाहियो को देखते हुए यह भाग उनकी दृष्टि से छूट गया था । अत. उन्हे ऐसा लगता है कि अब इसको उत्तर मे शामिल नही किया जा सकता, क्योकि यह अपराध के प्रारंभिक मसविदे में नहीं था ।]

मिस्टर बर्क—श्रीमान, इस सम्बन्ध मे मुझे कहना है कि मेरा विश्वास है कि संसद-सदस्यो द्वारा लगाए गए अभियोग का यह प्रमुख तत्व है जिसे आपने सुना । और मै यह भी कहता हूँ कि अभियुक्त द्वारा ये तथ्य स्वीकार भी किए जा चुके है तथा ससद-सदस्यो को जो अपराध स सबधित तथ्य स्वीकार किए जा चुके है उनके सबध मे किसी प्रमाण से कुछ लेना-देना नही है । जो प्रमाण उन्होने श्रीमान के सम्मुख उपस्थित किए है वे उन बातो के सबंध मे थे जिनकी सच्चाई पर आपत्ति की गई थी, लेकिन यहाँ तो तथ्यो को पूरी तरह स्वीकार किया जा चुका है । हमने उन्हे न तो छोडा है न असत्य माना है, बल्कि अपराध के साथ ही उन्हे भी लिखित रूप म प्रस्तुत किया है । उनके उत्तर भी लिखे जा चुके है और वे उत्तर अपने आप म अपराध के सभी तथ्यो की स्वीकृति मात्र है ।

[लार्ड चासलर—मै अपनी बात पूरी तरह समझा नही सका । यह आपत्ति नही है कि सत्रहवे अभियोग के सबध म प्रमाण नही दिए गए बल्कि मुकदमे की समाप्ति के समय ससद-सदस्या के प्रतिनिधियो द्वारा सत्रहवी अपराध की धारा के सबध मे कोई बात नही रखी गई और इसलिए चाहे यह ठीक हो कि उत्तर के रूप मे सभी तथ्य स्वीकार कर भी लिए गए हो, परन्तु न्याय की दृष्टि मे उन उत्तरो के आधार पर अभियोग की पुष्टि की जाय तो यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त की बात भी इस विशेष बात के लिए सुनी जाय ।]

मिस्टर बर्क—अगर श्रीमान यही उचित समझते है कि अभियुक्त की बात भी इस सबध म सुनी जाय, तो हमे किसी प्रकार की आपत्ति नही है, न पहले ही रही है, न हम भविष्य म भी अभियोगी की बात सुनने के सबध मे कोई आपत्ति करेगे । श्रीमान जानते है कि अपराधी के वकीलो ने यही रास्ता अपना बनाया है कि वे अपराध के कुछ भागो पर चर्चा न करे, श्रीमान जानते है कि उन्होने यह घोषित किया है कि वे अपनी प्रतिरक्षा के वक्तव्य मे बीच मे रुक गए ताकि यह मामला जल्दी ही समाप्त हो ।

लार्ड चासलर—जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है मै समझता हूँ कि यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि अपराध लगाने के समय के भीतर कई अभियोगों को अच्छी तरह पढ़ कर संसद-सदस्य के प्रतिनिधियो ने वही पर मामला समाप्त किया और

अन्य धाराओं को छोड़ कर, विशेष कर जिन पर बहस हो चुकी है और सभी बातों का उत्तर भी सामने ही है, उन्हें अभियोग से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि प्रतिवादी उन धाराओं में से किन्हीं विशेष के लिए अधिक महत्व देता है तो उसे यह जान लेना होगा कि आपत्ति इस बात की नहीं है कि किसी भी प्रमाण की ठोस जाँच नहीं की गई। और अधिक सच्चाई के लिए यह उत्तर भी दिया जा सकता है कि यदि इन तथ्यों को मान भी लिया जाय जो मुकदमे के प्रथम अभियोग के साथ आए हैं और साधारण न्याय के नाम पर अपराधी को सुन भी लिया जाय तभी और केवल तभी उत्तर की बात उठती है।]

मिस्टर बर्क—हम नहीं जानते, न हमें इसकी सूचना ही मिली कि कोई आरोपित अपराध, सूचना जो भी अदालत के सामने है, लिखित रूप में है और जिसके संबंध में अपराधी ने भी असहमति नहीं प्रकट की, वह पूरी तरह उसके विरुद्ध नहीं ठहरता। हम ऐसा ही समझते हैं, हम इसे कार्य-पद्धति के अनुरूप ही मानते हैं और यही कारण है कि हम इसके बहुत तह में नहीं गए, न इस पर अधिक दबाव डाला। हमारे सामने बहुत बड़ा उद्देश्य है और इस संबंध में पूरी स्वीकृति व सहमति होने के कारण, हम इसमें आगे नहीं बढ़े। अपराधी अपनी प्रतिरक्षा के लिए यह कह कर निकलना चाहता है कि यह उसका कर्तव्य न था। फिर यह सिद्ध करना हमारा काम भी न था कि यह उसका कर्तव्य है ही। उसने स्वयं ही समस्त तथ्यों को स्वीकार किया है, फिर यह उसका कर्तव्य तो हो ही जाता है। फिर उल्टी बात कहना भी उसके लिए आवश्यक ही था।

इस विषय पर हम जो भी कह सकते हैं वह यही कि इस संबंध में हमें उसकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट दिखी। वह इसे अपराध मानता है, एक महाअभियोग। अभियोग भी लिखित रूप में कागज पर है, वह स्वीकृति भी किया जा चुका है और हमारी ओर से कभी उसे टाला या झुठलाया भी नहीं गया। जहाँ तक उसक अपने वक्तव्य का प्रश्न है, हम श्रीमान के सम्मुख पिछली बार उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का हवाला देंगे जिसकी सचाई का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी हम उसके कथन को मानेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसी को सिद्ध करने में उसने कितना समय लगाया।

[लार्ड चांसलर—एक अपराध में यदि कई बातें शामिल हों (चाहे वे सभी बातें एक दूसरे से पूरी तरह संबंधित हों अपने विषय के रूप में परन्तु अपनी प्रकृति में वे भिन्न व दूसरे हैं) यदि किन्हीं विशेष बातों पर ही बल दिया जाय तो उन विशेष तथ्यों पर ही उत्तर भी हो सकता है और दूसरी अन्य बातें जो अपराध को बनाने में सहायक नहीं हैं उन्हें कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाता चाहे उन पर पहले वाद-विवाद भी हो चुका हो।]

मिस्टर बर्क—श्रीमान के विचारों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा व सम्मान

प्रदर्शित करते हुए हमे यह कहना है कि जो आपत्ति उठाई गई है उसके संबंध मे अपराधी पहले ही उत्तर दे चुका है। वह उससे अब भाग नही सकता। आप के सम्मुख सबधित कागजात है और हमारे लगाए अपराध भी लिखे है। इसे पहले कभी छोडा नही गया। अब यदि अपराधी ने सोच-विचार कर यह मार्ग खोजा हो, पर अभी तक ऐसा नही हुआ। यदि आप श्रीमान ऐसा ही उचित समझते है कि हमे अपने उत्तर मे उसके संबंध मे नही कहना चाहिए, क्योंकि इस क्षण के पूर्व इस विषय पर हम बात नही कर सके—तो आप का विचार ही मान्य है। लेकिन हम अब कह चुके है और उत्तर मे उके स्पष्ट करना है, क्योकि ऐसी अनेक बातें है जिनका उसने कभी कोई उत्तर नही दिया। मै श्रीमान से स्वीकृति चाहूँगा, कि यदि श्रीमान आज्ञा दे, कि मै थोडी देर के लिए अपने प्रबंधको के साथ जा कर सलाह कर सकूं इस संबंध मे। फिर भी हम श्रीमान का समय कुछ मिनटो से अधिक न लेंगे।

[सभी प्रबधक चले गए—फिर कुछ मिनटो मे वापस आए]

मिस्टर बर्क—श्रीमान, प्रबंधको ने इस सबंध मे आपस मे सलाह कर लिया है। वे सर्वप्रथम छपी कार्यवाही का हवाला देते है ताकि उन परिस्थितियो का स्पष्टीकरण हो जाय जिन पर श्रीमान ने अपने विचार आधारित किए है—हम इसे यो पाते है—"तब ससद के अधिकारी प्रबधको ने लार्डस को सूचित किया कि उनके अधिकारो की सुरक्षा के लिए संसद-सदस्य यहाँ अपराध आरोपित करने को विवश है—" हमने अपराध लगाए और उन्हें अपराधी ने स्वीकार भी किया।

अब हमे श्रीमान से आगे कहना है कि अपराधी के विद्वान वकील ने कुछ ऐसे बहुत से तथ्य स्पष्ट किए है जो कार्यवाही मे लिखे नही है। न तो हमारी ओर से न उनकी ओर से, बल्कि अपनी बात के प्रमाण स्वरूप, उन्होने अपने प्रतिरक्षा के सिद्धान्त पर कई दिनो तक लगातार भाषण किया। अब हमारा प्रमुख कार्य है उन सिद्धान्तो की सचाई की जाँच करना और जो उदाहरण है वे कम महत्व के या कम प्रसिद्धि के नही है क्योकि वे आरोप के तथ्य हैं। यदि श्रीमान को वे भाषण व वक्तव्य याद हो, जिन्हे यहाँ दिया गया, जिसमे मिस्टर हेस्टिंग्स को बहुत महत्व दिया गया और जो अपराध नही लगे है, उस संबंध मे भी कहा गया और इस बात ने हमे बडे झंझट मे डाल दिया है कि यदि हम उन पर ध्यान न दे या उन्हें महत्व न दे तो अनुचित होगा। उदाहरणार्थ, मराठा युद्ध मे उनके कारनामे, जिन्हे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिन पर बहस भी हुई। अपने उत्तर मे जो बुराइयाँ की और जो बुरे सिद्धान्त स्थापित किए, उनसे बुरे परिणाम भी निकले।

अब इस स्पष्ट वक्तव्य के पश्चात् भी श्रीमान का यही मत है कि इस रास्ते चलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए तो हम श्रीमान की भावनाओं की प्रतिष्ठा

के लिए अवश्य ही यह राह छोड़ देंगे। लेकिन हम श्रीमान को यह अवश्य याद दिलाएँगे कि यदि ऐसी चीजें आपकी कार्यवाही में लिखी हैं, जिनका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया और वे आपकी कार्यवाही में वर्तमान हैं, उन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता और हम लगाए गए अभियोग को भी नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभियोगी स्पष्ट रूप में तथा पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। यह इसे गलती मान कर सुधार भी नहीं सकते। और क्यों ? क्योंकि अपराधी ने स्वीकार कर लिया है। अतः हम श्रीमान को केवल स्मरण दिलावेंगे कि अपराध तो निर्विरोध खड़ा है और हम इस संबंध में जो कहना चाहते है वह केवल श्रीमान के सम्मुख यही बताना था कि वह जिन सिद्धान्तों पर अपने बचाव की बातें कहता है वह पूर्णरूप से गलत और आधारहीन बातें हैं। परन्तु यदि श्रीमान इसी पक्ष में हैं कि हम इसे अधिक महत्व न दें और इस पर अधिक दबाव न डालें तथा इसका त्याग भी न करें—तो यह बात आप के अधिकार की सीमा की नहीं है। यह आपकी शक्ति-सीमा में नहीं है। यह हमारी सीमा में भी नही है। यह उसकी भी शक्ति-सीमा में नहीं है कि अपराध को टाला जा सके। आप स्वयं उसे आरोपित अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। यह असम्भव है। यदि फिर भी श्रीमान इस समस्त व्यापार में सहयोगी भावनावश, कार्यवाही की सरलतावश, या ऐसी ही किसी परिस्थितिवश ऐसा कहें कि हम इस संबंध में आगे कुछ न कहें तो हम यहीं समाप्त कर सकते हैं। आप श्रीमान के अधिकार में—अपराध का आरोप और स्वीकृति दोनों है। हम चाहते हैं और इससे अधिक कुछ अच्छा चाह भी नहीं सकते कि इसके कार्यवाही में लिखे होने के बाद भी इस बात को समाप्त कर सकते हैं।

इस पर, यहाँ पर लार्ड चांसलर ने कहा—लार्डों की सम्मति केवल इस मामले के मेरे सबंध में इसी रूप में हो सकती है कि मैं इस मामले को महत्व दूँ। मुझ पर राय लादने का अधिकार सदन को नही है, न मेरी राय पर असर ही डाला जा सकता है—लेकिन जिस स्थिति में यह मामला पहुँच चुका है, मैं यह कहने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता कि मेरा अपना विचार या निर्णय, जिसका उत्तर से सम्बन्ध नहीं है उसका उन धाराओं से भी कोई संबंध नहीं है जिसे मौलिक अपराध में महत्व दिया गया है, अतः इस संबंध में उत्तर देने की स्थिति में आप नई बातों के बारे में नहीं कह सकते। यही बात हम प्रारंभ से कहते आए हैं।

मिस्टर बर्क—हम इस बात के लिए आशंकित व सतर्क थे कि हमारे वक्तव्य को स्वीकार करने में आपत्ति होगी, यदि सत्रहवीं धारा के संबंध में वक्तव्य दिया गया, लेकिन अब तथ्य के रूप में सभी कागज-पत्र व कार्यवाही आपके सम्मुख है और जिन तथ्यों पर अपराधी व उसके वकीलों ने पूरी तरह अपने को निर्भर किया है, इसी आशय से हमने भी उस संबंध में बातें बढ़ाईं; लेकिन आप श्रीमान (लार्ड चांसलर) की व्यक्तिगत स्थिति व अधिकार व शक्ति का हम पर बहुत प्रभाव व

दवाब है और जब तक विपक्षी की ओर से आपत्ति न हो हम इसे पूर्ववत चर्चा करना ही न्यायसंगत मानते है। हमने कभी नही चाहा कि श्रीमान इस सदन के बाहर जा कर उस सबध मे राय निश्चित करे जिस पर दूसरे लार्ड ने यहाँ उपस्थित हो कर अपना विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। हम इसे दृढतापूर्वक स्वीकार करते है कि जो भी वक्तव्य दिये जाएँ और विपक्षी से उसका प्रतिवाद न हो, सदन की दृष्टि मे, जैसा हम भी समझते है, इसे एक उदाहरण माना जाना चाहिए।

अत इसे कार्यवाही मे यथास्थान छोड कर, बिना इस पर वक्तव्य दिए और आप श्रीमान की आज्ञा के प्रति नतमस्तक हो कर कि आदेशानुसार हम इसकी चर्चा नही कर सकते, हम यह पुन कह रहे है कि यह जो हम कह रहे थे वह मौलिक अपराध का भाग न था, अब हम दूसरी बात पर आते है।

हम श्रीमान के सम्मुख पहले ही प्रस्तुत कर चुके है और हम उसे पुनः याद दिलाने के लिए क्षमा चाहते है—अवध के प्रदेश की स्थिति व हालत के संबंध मे जब मिस्टर हेस्टिंग्स वहाँ पहली बार गया। तत्काल ही सरकार की समस्त शक्तियो व अधिकारो का प्रयोग जो उसने किया, नवाब पर उसने जो अत्याचार किए, नवाब की माँ और दादी पर जो अत्याचार किए, उसके परिवार की अन्य स्त्रियो तथा आश्रितो जिनकी सख्या ८०० की थी पर जो अत्याचार किए, उसे हम आपके सामने सिद्ध कर चुके है कि उसने भी जागीरदारो व देश के अन्य प्रतिष्ठित लोगों की सम्पत्ति का किस प्रकार हरण किया। हम श्रीमान के सम्मुख सिद्ध कर चुके है कि उसने इन कार्यों के फलस्वरूप हुई घटनाओ व सताए गए लोगो के लिए कोई भी सहायता का प्रबध न किया। अब आगे हम बढते है कि देखे कि इस सार्वजनिक अत्याचार, अन्याय, आतंक और देश की प्रगति व उन्नति तथा सरकार की प्रगति पर क्या प्रभाव पडा।

सर्वप्रथम श्रीमान को यह जान कर हर्ष होगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स को वह देश किस स्थिति मे मिला था, उस देश का राजस्व किस स्थिति मे मिला था—कौन लोग सरकार के पदाधिकारी व सचिव—मंत्री थे, उनके क्या आचरण थे और उन्हे किनका समर्थन व सहयोग प्राप्त था। इन तथ्यो के प्रमाणस्वरूप हम श्रीमान को आपके सम्मुख पडी छपी कार्यवाही का हवाला देगे—जहाँ श्रीमान कुछ लिखा है। आपके कागजातो मे उन्हे कभी अलग नही किया जा सकता, न उन्हे मानवता की स्मरण-सीमा से ही विस्मृत किया जा सकता है, चाहे हमे इस बात की आज्ञा मिले या न मिले कि हम इन बातो पर दबाव डाल सके। यहाँ श्रीमान देखे, तो पावेंगे कि सन् १७७५ मे अवध की सरकार किस प्रकार चलती थी। यह काल मिस्टर हेस्टिंग्स के आतंक के पूर्व का है। आप देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं ही कहा है कि बेगमो का सहयोग व समर्थन मन्त्रियो को प्राप्त था और बाद में

मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह भी कहा है कि बेगम द्वारा अपने बेटे की सरकार में हस्तक्षेप होता था—यह भी आप ध्यान में रखेंगे।

अवध के दरबार के रेजीडेन्ट ने २ मार्च सन् १७७५ को इस प्रकार लिखा—"नवाब का मुरतजा खाँ के प्रति विश्वास के कारण बेगमें बुरी तरह असंतुष्ट हैं। उन्होंने महामहिम से निवेदन किया कि सरकार के पुराने कर्मचारियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय जिनका देश में प्रभाव है और जिनके अनुभवों से संभवत: व्यवस्था अधिक अच्छी बन पाती और इससे कम्पनी का बहुत लाभ होता, क्योंकि, जैसा कि सर इलाइजा इम्पे और दूसरे पुराने मंत्रियों के संबंध में है जो अपने ही अपूर्ण अनुभवों के बूते सरकार चला रहे हैं लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति जो अनुभव में प्रौढ़ है सरकार चलाते तो आज सरकार की स्थिति बदली हुई होती और नवाब से भी हमारे संबंध बने रहते।" श्रीमान देखें कि बेगमों ने पुराने कर्मचारियों का पक्ष लिया, क्योंकि वे सरकार की सेवा करते हुए अंग्रेजों के हित की अधिक रक्षा कर सकते थे। आप श्रीमान ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा होगा कि सन् १७७५ में बेगमो का सभी मामलों में अधिक प्रभाव था। नवाब को उसकी माँ ने सलाह दिया था कि वह अपने पिता के समय के विश्वासपात्र व गुप्त कर्मचारियों को काम पर रखे, उन्हें रखे जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं और ऐसे लोग जो अंग्रेजों से अच्छे सम्पर्क बना सकें। अब श्रीमान मिस्टर ब्रिस्टोव के एक पत्र को देखेंगे, मिस्टर ब्रिस्टोव जो तब लखनऊ में परिषद का सदस्य था, सन् १७७५ की २८ नवम्बर को लिखता है—"मैंने भी अपने कर्तव्य पालन में कहीं कोई कसर नहीं रखी; बल्कि लखनऊ के मन्त्रियों को सलाह दी, अपने इसी महीने की तीसरी तारीख के पत्र के अनुसार जिसमें नवाब को सुझाव दिया है कि अपनी बेकार, अयोग्य और विद्रोही प्रकृति वाली पल्टन को तोड़ दे क्योंकि बहुत कम संख्या में पलटन के लोग महामहिम की आज्ञाओं का अधिक व ईमानदारी से पालन करते थे। क्योंकि पलटन द्वारा हत्याओं को किये जाने व हिंसक वृत्ति की बहुत शिकायतें मिली हैं, उनसे अच्छे लोग जो पलटन में है वे त्रस्त रहते हैं। वे विश्वासपात्र हैं और बड़ी सतर्कता व सूझ-बूझ से कार्य करते हैं।"

उसका दूसरा पत्र १३ जून सन् १७७६ का है—"माननीय महाशयों, इलिजा खाँ का यह प्रथम प्रयास है कि नवाब वजीर के राजस्व को नियमित किया जाय, और यह कहने में मैं उसके प्रति न्याय ही करूँगा कि जितने ही कम दिनों वह अधिकारी रहा उसने अवध का मामला बहुत हद तक ठीक किया है और पलटन की सुचारु व्यवस्था के लिए जिलों की सीमा का निर्माण किया है। कड़ा और इलाहाबाद को समाप्त किया है और दोआब तथा रुहेलखण्ड से हिसाब माँगे। ताकि जितनी जल्दी हो सके उनको ठीक किया जा सके। इन कार्यों से, मैं आशा करता हूँ कि बड़े महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। विशेषकर इस अवसर पर जब कि फसल के

दिन आ रहे है। अमीन जो अधिकारी बना दिये गए है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे किसानों में अग्रिम रूप मे तकावी बाँटें, रैयतों को सब प्रकार से प्रोत्साहन दें और अन्य अनेक जिलों मे वे सम्पर्क भी स्थापित करें। ऊसर जमीनें बाँटी जायें और दूसरी जमीनें भी इस ढंग से बाँटी या बेची जाय ताकि उनसे अधिकतम लाभ हो सके। यदि जमीन का प्रबन्ध पूरा करने में दो या तीन महीनों की देरी होगी तो समस्त देश भर मे लोग निराश व हताश होगे, असन्तोष फैलेगा और इसका परिणाम होगा कि राजस्व में बड़ा अन्तर आ जाएगा। मैने माननीय परिषद को इतने विस्तार से लिख कर कष्ट दिया है लेकिन इलिजा खाँ के आचरण के सम्बन्ध मे बताना आवश्यक था फिर यह भी बताना कि नवाब वजीर को कडा क्षेत्र के बारे मे कर्नल पारकर क्या सहायता देंगे।"

श्रीमान, अब आपको अवध के सम्बन्ध मे पूरा वर्णन व स्थिति का ज्ञान हो गया है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि उस क्षेत्र से हमारा कितना लगाव व सम्बन्ध है। श्रीमान ने देखा और समझा कि अन्य विषयो पर हम आप को तंग करने नही जा रहे। आप को निश्चय ही गवर्नर जनरल के नाम फैजुल्ला खाँ का एक पत्र देख कर प्रसन्नता होगी जो १३ फरवरी सन् १७७८ को प्राप्त हुआ था—

'कडा का क्षेत्र जो पहले रुहिला प्रदेश पर आश्रित था वह अब कम्पनी की सीमा के अन्तर्गत एक भाग है, बडा ही घना आबाद और समृद्धिशाली प्रान्त था, पर नवाब वजीर की सरकार के आने के बाद से उनके मन्त्रियो द्वारा नियुक्त किए गये किसानो ने यह प्रदेश ही छोड दिया। आजकल इस क्षेत्र की स्थिति बड़ी ही खराब व बिगडी हुई है। हजारो की सख्या मे गाँव जो पहले खूब घने आबाद थे आज पूरी तरह उजाड़ है और उनका नाम-निशान भी बाकी नही बचा है। मै इस सम्बन्ध मे राय बख्तावर सिंह को लिख चुका हूँ—पूरा विवरण व विस्तार से जो अन्याय व दुर्व्यवहार किसानो के साथ हुए है ताकि आपको सूचना दी जा सके। किसी भी देश का समस्त राजस्व वहाँ के शासको के इस प्रयत्न पर निर्भर करता है कि अपने राज्य की समृद्धि के लिए वे कितने प्रयत्नशील होते है। मैंने संलग्न निवेदन द्वारा पूरा प्रयत्न किया कि कम्पनी का लाभ हो अन्यथा यह मेरे कार्य क्षेत्र से अलग विषय था। मगर यह आतंक का वातावरण एक या दो वर्ष और चलेगा। अधिकारीगण उसकी रोकथाम के लिए प्रयत्नशील न होगे तो समस्त देश बीरान रेगिस्तान हो जायगा।"

□ □ □

श्रीमान, इन वक्तव्यो के संबन्ध मे मुझे केवल एक बात कहनी है कि आपने देश की प्रथम दशा को स्पष्ट रूप से देखा और देश की यह स्थिति तब पहुँची जब मिस्टर हेस्टिंग्स को कौंसिल में बहुमत प्राप्त किए दस वर्ष बीत चुके हैं और उसने समस्त देश पर अपने सहयोगियो के माध्यम से राजकाज चलाना प्रारंभ कर दिया

है। हम जानते हैं कि देश को उसने सैनिक प्रभाव व अधिकार में रख छोड़ा है, अब उसका परिणाम देखिये। जो व्यक्ति मिस्टर हेस्टिंग्स से निवेदन या प्रार्थना करता है, देश की सही स्थिति उपस्थित करता है, देश की अव्यवस्था तथा बिगड़ी दशा बताता है और पहले के फूलते-फलते हजारों गाँवों के नष्ट होने की सूचना देता है, वह पड़ोसी राज्य के राजा से नीचे की स्थिति का नहीं है। इस व्यक्ति की चर्चा आपने अक्सर सुनी है। जिसके लिए मानवता एक महान आदर्श है, उसका नाम है फैजुल्ला खाँ। एक राजा, जिसके राज्य के संबन्ध में भ्रमण करके रेजीडेन्ट ने लिखा कि उसका राज्य बाग की तरह फला-फूला है। यह रुहिला देश की स्थिति है जो उन इने-गिने सौभाग्यशाली राज्यों में एक है जो मिस्टर हेस्टिंग्स के अधिकार मे न आ सके।

अब श्रीमान के सम्मुख ११ सितम्बर सन् १७७६ का कलकत्ता की परिषद के नाम सर आयरकूट का लिखा पत्र पढ़ कर सुनाऊँगा—"मान्यवर महोदयगण, परसों मैं इलाहाबाद के निकट रुका जहाँ पर भ्रमण का मुझे नवाब वजीर ने सौभाग्य दिया। कल सुबह यहाँ के रास्ते आते हुए रुका और मेरा बड़ा सम्मान किया गया। आज सुबह नवाब यहाँ आया और हम लोगों मे साधारण चर्चाएँ होती रहीं, अंत में बात इस विषय पर आई कि नवाब के अंग्रेजों से क्या संबन्ध हैं और वह हर समय हमारी सहायता को प्रस्तुत है। ऐसे विश्वास के आश्वासन पा कर हर्ष होना स्वाभाविक है पर दूसरी जो स्थिति है, विशेषकर राजस्व की, उससे मैं चिंतित भी हूँ। नवाब को स्वयं भी अपनी अव्यवस्था का पूरा-पूरा पता नहीं है।"

यह एक प्रमाणपत्र है, मिस्टर हेस्टिंग्स के पुराने वजीफा प्राप्त कर्मचारी सर आयरकूट का। मिस्टर कूट ने बहुत सम्हाल कर बात स्पष्ट कर दी है। अब तो इस विषय पर केवल एक ही ध्वनि हर ओर से आती है और अब इस संबन्ध में श्रीमान मिस्टर हेस्टिंग्स से स्वयं ही सुनेंगे, इस संबन्ध में गवर्नर जनरल की सम्मति के संबंध में जो कागजपत्र हैं उनमें ही देखें, फोर्ट विलियम २१ मई, सन् १७८१। इसमें उसने उत्तर प्रान्तों में जाने का कारण बताया है।

अवध का प्रान्त बड़ी अव्यवस्था और झगड़े में पड़ जाने के कारण, उसकी आमदनी के समस्त स्रोतों के सूख जाने के कारण पीड़ित था और नवाब आसफ-उद्दौला सचमुच गर्वनर जनरल के आगमन से आतंकित था। उसने यह घोषित किया कि यदि उसकी सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते तो वह सरकार के सम्मुख वास्तविकता रखने के लिए स्वयं ही कलकत्ता जाएगा। अतः मिस्टर ह्वीलर के पत्र के अनुसार गवर्नर जनरल ने अवध पहुँचने का निश्चय किया। उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी संभव हो ताकि उस क्षेत्र की स्थिति वह अपनी आँखों देख सके, सरकार के कामों को समझ सके, कर्मचारियों के चरित्र व कार्यों को देख सके और कोई ऐसी उपयुक्त योजना चालू करे कि वहाँ पूर्ववत खुशहाली लौट सके,

व्यवस्था स्थापित हो सके और समृद्धिशाली स्थिति हो सके।

अब श्रीमान के सम्मुख प्रमाणों की पूरी कड़ी है जिससे उस समय की स्थिति का तथा मिस्टर हेस्टिंग्स की यात्रा तक का वर्णन प्राप्त होता है। अब देखें कि मिस्टर हेस्टिंग्स स्वीकार करता है कि पहले वह प्रान्त बहुत समृद्धिशाली, व्यवस्थित और उन्नतिशील था। इसकी सन् १७८१ की स्थिति का वह अपने शब्दों में वर्णन करता है जैसा कि उसने वहाँ देखा-सुना, जब सन् १७८१ में वह वहाँ गया। जब सभी ओर यह पुकार मची तो उसने अपनी समझ से उन कमियों को पूरी भी करना चाहा।

अब हम उस समय की बातें करें जब उस प्रदेश का ऐसा वर्णन १२ दिसम्बर सन् १७८२ को मिस्टर ब्रिस्टोव ने किया—"अनियंत्रित राज्यक्रम ही वह नींव है जिस पर सब प्रबंध के महल खड़े हैं। और प्रदेश के भीतरी भागों के निवासी आज फौजदार व अमीन के शासन में जी रहे हैं। अपनी सीमा में ही वे समस्त अधिकार व शक्ति का उपयोग कर लेते हैं-- जीवन और मृत्यु का अधिकार--दीवानी और फौजदारी के मुकदमे-- जैसे राजधानी में राजा करता है। मुगलों द्वारा पहले से चले आ रहे राज्य-व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन होता है। प्रान्तीय मंत्री की इच्छा ही वहाँ सबसे बड़ा कानून व नियम है। नवाब वजीर का महत्व पूरी तरह समाप्त है। सभी शक्तियों के मालिक अमीन हैं। मैं बड़ी कठिनाई से भी एक ऐसा उदाहरण नहीं दे सकता कि जब से नवाब वजीर गद्दी पर बैठा है तब से अन्याय करने के लिए किसी भी अमीन को कभी कोई सजा दी गई हो, यद्यपि रियाया की शिकायतें, देश की दुर्दशा और अनगिनत अन्याय व आतंक के प्रमाण प्रतिदिन की वस्तु हो गई है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए इस प्रदेश से हो कर गुजरना या यात्रा करना भी बहुत अरक्षित है जब तक बड़ा दल बना कर यात्री न चलें। हत्याएँ, डाका, चोरी और अन्य अमानवीय कुकृत्य तो खुलेआम दिनदहाड़े होते हैं।"

इसी पत्र के दूसरे भाग में वह लिखता है —"वर्तमान सरकार की ऐसी तो व्यवस्था है कि सभी अपहरण का कार्य अमीनों द्वारा ही होता है; उनकी नियुक्ति के लिए उनका चुनाव उनकी योग्यता व कार्यदक्षता के आधार पर न हो कर पक्षपात या रिश्वत के आधार पर होता है और इस कारण ऐसे ही लोग अधिकारी बन जाते हैं जो अपने कुकृत्यों के लिए पहले से ही बदनाम रहते हैं। जमींदार तक इन्हीं अमीनों की दया पर जी रहे हैं। जमींदार अक्सर विद्रोह व षडयंत्र में फँसा दिए जाते हैं और परिणाम होता है कि कमजोर व्यक्ति को या तो दासता स्वीकार करनी पड़ती है या तो उसे प्रदेश छोड़ कर भाग जाना पड़ता है। सभी अधिकारों व शक्तियों के मालिक अमीन को सदा ही अपवित्र गठबन्धन करने की आदत है। हर जमींदार अपनी गढ़ी की सुरक्षा में ही लगा रहता है और सारा देश एक भीड़ बन कर बेकार हो गया है। असलम अली खाँ के अधिकार में सात सौ जिलों से अधिक ही है। और

यह एक प्रचलित प्रथा हो गई है कि भाई, बेटे और दूसरे आश्रित संबंधियों की जमीन व राजस्व को कोई भी हड़प कर अपनी अलग जमींदारी बना ले। कुछ ऐसे लोग, जैसे, असलम अली खाँ और ख्वाजा दीन-उल-दुन ने नियमित व उचित रूप में नवाब वजीर की सहायता की। लेकिन उन्हें हर क्षण अपनी जान-माल की रक्षा का भय लगा रहता है। छोटी-छोटी बातों के लिए बड़ी रकम की रिश्वत एक साधारण बात है। लोग बिना किसी परेशानी के ही बड़ी रकमों की घूस दे भी सकते हैं। इसी का यह परिणाम हुआ है कि रुहेलखण्ड का राजस्व घट कर एक तिहाई हो गया है और एक असलम अली खाँ का राज्य तमाम हिंसात्मक कार्यों व आतंक के लिए प्रसिद्ध हो गया है।''

अब मैं श्रीमान के सम्मुख कप्तान एडवर्ड की गवाही का कुछ अंश पढ़ूँगा—

प्रश्न—क्या आपको शुजाउद्दौला के कार्यकाल में देश की स्थिति देखने का अवसर मिला है ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—क्या उस समय की देश की स्थिति और जब आप ने वक्तव्य दिया तब की स्थिति में कोई अन्तर दिखाई पड़ा ? क्या आपको शुजाउद्दौला के समय में सन् १७७४ की स्थिति और बाद के आपके समय की स्थिति में कोई अन्तर दिखाई पड़ा ?

उत्तर—हाँ, बहुत अन्तर दिखा।

प्रश्न—किस प्रकार ?

उत्तर—देश की सर्वसाधारण स्थिति और देश की खेती व पैदावार की स्थिति। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि १७८३ के अनुपात में १७७४ में बहुत अच्छी खेती व पैदावार थी।

प्रश्न—''आपने कहा कि जब तक आपको नवाब का व्यक्तिगत सहयोगी नहीं नियुक्त किया गया तब तक आपको देश की स्थिति को ठीक से जानने व समझने का अवसर नहीं मिला था ?

उत्तर—नहीं। मैं सन् १७७४ के वर्ष में नवाब शुजाउद्दौला के प्रान्त में रुहेलखण्ड में घुसा।

प्रश्न—क्या १७७४ में वहाँ जाते ही आपको अवसर मिले ?

उत्तर—मिले। पर उतने नहीं जितने कि नवाब वजीर का व्यक्तिगत रक्षक बनने के बाद मिले, क्योंकि पहले मैं बराबर नायब अधिकारी या सहयोगी पद पर था और पलटन के साथ-साथ रहता था; परन्तु बाद में जब मैं नवाब का व्यक्तिगत रक्षक नियुक्त हुआ तब मैं अपना मालिक स्वयं था और देश के अनेक भागों में स्वयं जा सकता था।

प्रश्न—क्या आपको ऐसे अवसर मिले कि आप जनता की प्रसन्नता व

खुशहाली का अन्तर देख सकते ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—क्या आपको इस रूप में भी अन्तर देखने का अवसर मिला—सन् १७८३ में और आप जब पहली बार आए थे, तब में।

उत्तर—हाँ, अन्तर था, स्पष्ट अन्तर था। शुजाउद्दौला के कार्यकाल में देश समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। व्यापार, खेती व उपज और व्यापार की हर वस्तु का उत्पादन बढ़ा था और उसकी सरकार के अन्तर्गत जनता बहुत ही प्रसन्न दिखाई पडती थी पर बाद में यह स्थिति न थी। सन् १७७४ में यह देश सचमुच आगे बढ़ता हुआ दिखता था और सन् १७८३ में यह पूरी तरह निष्प्राण और निर्जीव देश-सा दिखा।

प्रश्न--जब आपने भारत छोड़ा तब आसफउद्दौला का दरबार क्या वैसा ही था जैसा शुजाउद्दौला के समय में था।

उत्तर—नहीं, वह कदापि पहले जैसा नहीं था बल्कि बहुत अवनति को प्राप्त हो चुका था।

प्रश्न—क्या दरबारी और अफसर दरबार मे पहले की तरह तत्परता और योग्यता दिखाते थे ?

उत्तर—नही। और हम यह भी नही कह सकते कि शुजाउद्दौला के समय मे उनका वेतन नियमित रूप से मिलता था पर वे देखने में अधिक सम्पन्न, योग्य और प्रसन्न दिखते थे और उसके बाद वैसे न दिखे।

अब यहाँ श्रीमान देखे कि सन् १७८३ में उस देश की क्या स्थिति थी। आप श्रीमान यह भी देखेंगे कि शुजाउद्दौला की मृत्यु के समय से मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा कौंसिल में अपना बहुमत बनाने तक इन अनुचित कार्यो के क्रमशः क्या परिणाम हुए। इसके बाद तो वह पूरी तरह निरंकुश रूप में देश का पूर्ण अधिकारी हो गया। आप ने यह भी देखा कि ठीक इसके बाद क्या परिणाम निकले जब सन् १७८४ में वह दूसरी बार उस देश में गया।

मै नही जानता श्रीमान कि इस स्थिति पर और प्रकाश डालना आवश्यक है या नही। आप देखे कि स्थानीय अधिकारी भी थे और जैसा कि हम सिद्ध कर चुके है पूरी तरह सभी मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रभाव में थे और हेस्टिंग्स की आज्ञा के अलावा और कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही थी। आप ने सुना कि राजस्व से संबंधित किसानों के साथ कैसा अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार किया गया और हमने आप को यह भी दिखाया है कि भूमि के मालिक अधिकांश अंग्रेजी अफसर ही थे। हमने आप के सम्मुख यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार ऐसे ही हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित एक अफसर कर्नल हैने ने क्या व्यवहार किए। हमने आप को दिखाया कि अपने स्वतः अर्जित पंचायती अधिकार और आतंकपूर्ण कारनामो से नियमित

ढंग से चलने वाली सरकार पंगु हो गई थी और देश ने भयानक दुर्दिन और आतंकपूर्ण दिनो के दर्शन किए। हमने आप को दिखाया कि किसी भी प्राणी के लिए कोई सुरक्षा न बची थी, इसके सिवा अपने से बना कर किले में वे छिप कर रहते और यह किले उस देश में एक ही जिले में सात सौ की संख्या तक पहुँच गए थे, आप श्रीमान यह भी जानते है कि इन किलो पर अधिकार करने के बाद कर्नल हैने ने अपने आधीन किसानो को बंदी बना कर जेलखानो व कच्चे किलों में रखा। जब उनमे जगह न बची तो उन्हें खुली जगह मे खुले पिजड़े बनवा कर उनमे बंद रखा। आप जानते है कि जमीन के मालिक या तो अंग्रेज अफसर थे या सैनिक अधिकारी और आप को ज्ञात है कि समस्त देश उनके ही अधिकार मे था क्योंकि अपने लाभ के लिए दूसरों की जागीरें छीन ली गई थी। और आप देखें कि समस्त इस प्रकार की बातो का प्रारंभ तब ही हुआ जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने सुप्रीम कौसिल का अधिकार अपने मे सीमित कर लिया। जैसा कि सर आयरकूट ने आप को बताया है कि नवाब की केवल कमजोरी ही इन समस्त बुराइयो का कारण नही हो सकती, न तो उस पर हमारा प्रभाव ही समस्त बरबादी का कारण हो सकता है, न तो यह उस देश में फैले आतंक और हिंसा का कारण हो सकता है। परन्तु यदि प्रयत्न किया गया होता तो यह सब रोका भी जा सकता था।

अब, जब आप श्रीमान अपने सम्मुख खडे अपराधी द्वारा किए गए सभी पापो को इकट्ठा कर के उसके फैसले की ओर कदम उठायंगे तब नवाब की शक्तियो का दुरुपयोग उसके साथ न जोड़ा जाय। जब किसी बड़े देश के सिर पर बैठा राजा अपने ही राज्य में सभी अधिकारो से पूर्णतया वंचित कर दिया जाता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी गिरता है, शासकीय व सैनिक शक्ति घटती है तो वह केवल एक जानवर बना दिए जाने के संकट की स्थिति मे आ जाता है तो वह अपने को समस्त चीजो से अलग-अलग अनुभव करने लगता है, देश की उन्नति व राष्ट्र की ओर मे उसकी व्यक्तिगत दिलचस्पी समाप्त हो जाती है। वह सब कुछ अपने ही रास्ते चलने देता है और वह देश को अपने से क्षुद्र व अयोग्य लोगों के हाथों सरकार का भाग्य छोड़ देता है। वह देश को नष्ट और भ्रष्ट होने देता है। यही आप ने अवध मे देखा, जहाँ न्याय का दर्शन ही अस्पष्ट कर दिया गया और वहाँ के आदमी व जनता के भाग्य पर अमीनों का राज्य छा गया। श्रीमान इन सभी तथ्यो के प्रमाण हमारे हाथ में हैं, वही श्रीमान के सम्मुख पड़ी छपी कार्यवाही मे भी है और जितना कुछ कागजातो में लिखा है उससे अधिक गंभीरता से हम नही कह सकते, अतः हम अपने कर्त्तव्य को भी नहीं भूले है कि श्रीमान को वह सब याद दिलाते रहे है।

इस विस्तृत विषय को समेटने की दृष्टि से अब मैं श्रीमान को उस सबसे

दिलचस्प पत्र का अंश सुनाऊँगा जो उसने डायरेक्टरो की परिषद को अपने इंगलैंड वापस जाने की तैयारी में लिखा था—"मेरे मन मे केवल एक भय बच रहता है कि कौसिल के सदस्य चीजो को दूसरी दृष्टि से देखते है, क्योकि उन चीजो के प्रति मेरा दृष्टिकोण भिन्न है, मेरे बनाए सिद्धान्तो व नियमो पर न चले तो सब कुछ नष्ट हो जायगा, क्योकि यहाँ का सब कुछ मै ऐसे व्यक्तियो के हाथो सौप कर जा रहा हूँ जिनका स्वार्थ, आकाक्षाएँ और जीवन-दृष्टि सभी उनकी सफलता से संबंधित है, लेकिन यदि कोई अन्य नीति या सिद्धान्तो को व्यवहार मे लाया गया और यदि नए एजेन्टो को नए अधिकारो से सुसज्जित कर के भेजा गया, यदि नवाब वजीर के संबंध मे नई मागे उठाई गई और उसके हिसाब-किताब के संबंध मे थोड़ी भी असतर्कता बरती गई तो बडे भारी कर्ज का सामना करना पड़ेगा। मुझे दुख हो रहा है—यह कहने मे कि ऐसा कुछ यदि किया गया तो मेरा समस्त परिश्रम बेकार हो जायगा क्योकि मैने बड़े परिश्रम व लगन मे यह सब निर्मित किया है और मेरे निर्मित इस किले की अगर नीव हिल गई तो मेरा श्रम व्यर्थ जाएगा। मै इसे आप के सम्मुख रखना और आप को सतर्क करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मुझे भविष्य के प्रति क्या शकाएँ है, क्योकि मै इन शकाओ के घटित होने के प्रति आश्वस्थ हूँ।" यहाँ श्रीमान, आप के सम्मुख खड़े अपराधी ने वही किया जो उसका भयानकतम शत्रु या उस पर अभियोग लगाने वाला करता—उसने देश को नष्ट करने मे जो-जो हथियार बनाए, जिन-जिन योजनाओ को चलाया और अब भविष्यवाणी करता है कि उनके प्रयोग बिना देश की दुर्दशा हो जायगी। इस बात से सारे पूर्व वक्तव्य बेकार हो जाते है—यह कागजात बेकार हो जाते है- छपी कार्यवाही बेकार हो जाती है और अभी तक जो भी कार्य किए गए सब बेकार सिद्ध हो जाते है।

लेकिन, श्रीमान हमलोग इन सभावनाओ के संबंध मे खूब अच्छी तरह जानते है कि वह अपनी कल्पना के अनुसार देश की दुर्दशा की आशंका क्यो करता है। वहाँ की खोखली और ढोगी सरकार को चलाने मे लिए वह अपना विश्वासपात्र व गुप्त प्रतिनिधि वहाँ छोड आया और दूर रह कर भी वह अपनी नीति के अनुसार ही वहाँ की राज्य व्यवस्था के प्रति अपनी योजनाएँ चलाता रहा, [यहाँ जोरो की फुस-फुसाहट फैली, पर मिस्टर बर्क आगे बोलते ही गए] अभी मैने जो कुछ कहा है उसे ही और स्पष्ट और विस्तार से कहने की आज्ञा दी जाए तो मै फिर अपने शब्द दुहराऊँगा और अधिक प्रबल व सशक्त प्रमाणो द्वारा सिद्ध कर दूँगा कि वह यहाँ बैठ कर भी पूर्ववत अवध का राज्य संचालन करता रहा।

आप देखे श्रीमान, कि जो सुधार उसने सन् १७८१ मे करने चाहे उनका दुष्परिणाम सन् १७८४ तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता रहा। अब हम दिखाएँगे कि जो सुधार उसने सन् १७८४ में करने चाहे उनका दुष्परिणाम लार्ड कार्नवालिस

को भोगना पड़ा और लार्ड कार्नवालिस की गवाही के अनुसार वे सभी दुष्परिणाम सन् १७८७ तक स्पष्ट रूप से वर्तमान रहे।

अब मैं लार्ड कार्नवालिस के दो पत्रों को पढ़ कर सुनाऊँगा। पहला पत्र १६ नवंबर सन् १७८७ का है।—"मुझे इलाहाबाद और लखनऊ में नवाब व उनके मंत्रियों द्वारा बड़ा मैत्रीपूर्ण या सौहार्द्रपूर्ण स्वागत व सम्मान मिला। मैं नहीं लिख सकता कि राजधानी में मेरे अल्पकालीन प्रवास में मुझे कितना अपनापन मिला। यहाँ मुझे स्पष्ट रूप से सरकार की व राजस्व की अव्यवस्था को देखने का अवसर मिला और देश की बिगडी दशा भी देखने को मिली। यह मेरा कर्तव्य है कि वह सब मैं स्पष्ट रूप में लिखूं। मैंने देखा कि उस पर हमारी ओर से जितने रकम की माँगकी गई थी वह इतनी अधिक थी कि उतना देना उसकी शक्ति के बाहर की वात थी, पर इतने पर भी उसने बडी कंजूसी करके अपने खर्चे घटा रखे थे ताकि वह हमारी माँग पूरी कर सके। हमारी ओर से उसकी आन्तरिक व्यवस्था मे जो लगातार हस्तक्षेप होता है वह उसके राजकाज में बड़ी बाधा उपस्थित करता है लेकिन इन बातों की मैने उससे चर्चा नहीं की क्योंकि वह बेकार था, लेकिन जब मैने अपनी पुरानी घोषणा को दुबारा दुहराया कि मेरा यह निश्चय है कि ऐसी शिकायतें दुबारा न पैदा हों तो उसने अपनी ओर से पूर्ण विश्वास व ईमानदारी के साथ यह भरोसा दिलाया कि वह राज्य में खेती की पैदावार बढाने का पूरा प्रयत्न ही नही बल्कि पूरी सहायता प्रदान करेगा और देश के व्यापार व राजस्व को पूर्वगठित व पुनर्जागृत करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेगा।"

दूसरा पत्र २५ अप्रैल सन् १७८८ का है—"जब तक मैने वजीर नवाब की पल्टन को देखा था मुझे आशा न थी कि किसी आपत्काल या विशेष आवश्यकता के अवसर पर भी हमारी सहायता छोटी सी सैन्य शक्ति से भी वह न कर सकेगा। उसके पास ऐसी कोई सैन्य शक्ति या संगठन नही है जिस पर भरोसा किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि मेरा यह लिखना उचित ही है कि उसका समस्त राज्य आज बहुत ही बिगडी दशा मे नष्टप्राय है एवं उसकी आर्थिक स्थिति की इतनी उथल-पुथल हो गई है कि किसी युद्ध के अवसर पर भी हमें उस पर किसी प्रकार की सहायता के लिए निर्भर नही रहना चाहिए।"

□ □ □

श्रीमान, इन पत्रों के संबंध मे मुझे केवल यही कहना है कि जहाँ तक उनका महत्व है, वे मिस्टर हेस्टिंग्स की सुधारवादी नीति का फल या परिणाम ही व्यक्त करते है, जिसके लिये उसने कम्पनी को बड़े-बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन जब आप श्रीमान को यह मालूम होगा कि उसने अपने विश्वासपात्र मंत्री हैदर बेग खाँ को वहाँ छोड़ दिया था या छोड आया था, जिसका चरित्र, जैसा कि श्रीमान कार्यवाहियों में लिखित भी पावेंगे, बहुत कालिमामय रूप में चित्रित है, वही वहाँ का वास्तविक

गवर्नर था और उसके साथ गुप्त पत्राचार करता था—और उसने अपने निजी व व्यक्तिगत दलाल मेजर पामर को अपना व्यापार चालू रखने के लिए उस देश में काफी लम्बी अवधि तक रख छोड़ा था। आप श्रीमान को आसानी से दिखेगा कि वजीर नवाब जिसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन आप सुन चुके है, इन तमाम बाधाओं की उपस्थिति में अपने राज्य की खुशहाली कैसे वापस ला सकता था। श्रीमान, अब आपको स्पष्ट रूप मे ज्ञात हो चुका है कि शुजाउद्दौला के समय में और उसकी सरकार में मिस्टर हेस्टिग्स के हस्तक्षेप के पूर्व उसके राज्य की क्या स्थिति थी और उस राज्य की तब क्या स्थिति थी जब उसे लार्ड कार्नवालिस ने छोडा। अब बताने को कुछ नहीं रह गया, सिवा इसके कि श्रीमान का ध्यान मैं इस व्यापार के मुख्य व असाधारण भाग की ओर आकृष्ट कराऊँ। लेकिन इस ओर आगे बढने के पूर्व मै आज्ञा चाहूँगा कि तनिक पीछे की ओर और श्रीमान के सम्मुख नवाब का एक पत्र पढ़ूँ जो २४ फरवरी १७८० का लिखा है—"मुझे आप का पत्र मिला और मैंने लिखित बातो पर ध्यान दिया। मै आपके तथा अपने स्वर्गीय पिता के स्नेह संबंध मे कुछ नही लिख सकता। कम्पनी की मित्रता व सहयोग से उन्होंने बड़ा लाभ उठाया; और मैं·········मुझे एक अनाथ बना कर छोड दिया गया। मुझे न तो आपका सहारा मिला न कम्पनी का सहयोग, फिर भी मै संतुष्ट था कि समय आने पर सब ठीक होगा और मे उसी प्रकार अपने स्थान पर दृढ रहा जैसा कि अपने पिता के जीवनकाल मे था और आपकी कृपा का इच्छुक बना रहा। मैने उनके मृत्यु दिवस से अब तक आपकी कृपा और कम्पनी का सहयोग पाने मे कुछ उठा न रखा और कौंसिल तथा डायरेक्टरो ने जो भी आदेश दिया, उसे सहर्ष स्वीकार किया। ईश्वर को धन्यवाद है कि अंग्रेजी कम्पनी की इच्छा पूरी करने में मै कभी भी पीछे न रहा, न कौसिल और आपकी ही इच्छा पूरी करने मे कभी झिझका। अपने दिल की गहराई से सदा ही आप सभी की आज्ञाओ के पालन के लिए प्रस्तुत रहा। कभी आपको कोई कष्ट नही पहुँचाया, न कभी आपको तंग करने को आपके सम्मुख कठिनाइयों व इच्छाओ का प्रदर्शन किया। यह सब मैने केवल इसलिए किया कि मुझे विश्वास था कि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है और यह मेरा अटूट विश्वास था कि जब भी आप किसी अन्य स्रोत से मेरी दुर्दशा व कठिनाइयो के बारे में जानेंगे तो आप अपनी कृपा, मित्र-भाव व सहयोग का प्रदर्शन करेंगे या जो भी मेरे लिए लाभदायक होगा आप अवश्य करेंगे। लेकिन जब छुरे की नोक मेरी हड्डियों मे चुभने लगी और मै चतुर्दिक दुर्दशा मे घिर गया और लगा कि अब केवल आशा व भरोसे के सहारे मै नही जी सकता तो मैंने अपनी कठिनाइयों की ब्योरेवार सूचना लिखित रूप में दी और उसका मुझे जो उत्तर मिला वह कुछ इस प्रकार का था कि उसने मुझे केवल संताप, क्लेश और कष्ट ही दिया। मुझे ऐसी तनिक भी आशा न थी, न आप में ऐसा भरोसा था, न कौंसिल से ही कि आप ऐसे निर्दयी ढंग से उत्तर

और आदेश देंगे जैसा आपने पहले कभी नही किया, एवं जिसकी मुझे सपने में भी आशा न थी। जैसा कि मैं आपके आदेशों के पालन के लिए वचनबद्ध हूँ और कौंसिल के डायरेक्टरो के आदेशो के प्रति नतमस्तक हूँ, जब तक जिऊँगा, अविलम्ब आदेशों का पालन करूँगा --आपके आदेशानुसार मैंने अपने सभी व्यक्तिगत कागज-पत्र उसे दे दिए है और जब वह मेरे खरचो की रसीदें व कागज-पत्रों की जाँच कर लेंगे तब भी जो बचा-खुचा हे वे चाहें तो अपने साथ ले जा सकते है। मैं केवल यह जानता हूं कि मेरा एकमात्र यही कर्तव्य है कि मैं आपको व कम्पनी व कौंसिल को संतुष्ट रखूँ, मै अपने कर्तव्य मे कही च्युत नही हुआ हूँ। उसमे मैंने केवल इतनी ही प्रार्थना की है कि और अधिक खर्चो का भार मुझ पर न लादा जाय क्योंकि व्यक्तिगत और आवश्यक खर्चों के अलावा मेरे पास कोई राशि शेष नही बची है। किसी प्रकार परिवार का व नौकरो का भोजन व खर्च ही मै कठिनाई से चला सकूँगा। उसने यह सब इस प्रकार हमसे मागा कि मेरे सामने कोई चारा न था और जो मुझसे उसने मागा उसे देने के सिवा कोई रास्ता भी न था। उसने हमारे तीस-तीस साल पुराने नौकरो की पेंशनें भी बन्द कर दी, चाहे वे सिपाही या मुसद्दी या घरेलू नौकर थे। उसने हमारे परिवार व रसोई के ही खर्चे नही रोके बल्कि उसने मेरी दादी, चाचियाँ, मेरे भाई और आश्रितो की जागीरें भी बन्द कर दी जो उनके भरण-पोषण का एकमात्र साधन थी। मैंने अपनी रक्षा के लिए १५०० घोडे और तीन बटालियन सिपाहियो की रखी थी पर यद्यपि मेरे पास उनको देने को कुछ न बचा था, मैंने महल से नौकरो को अलग कर दिया और अब स्थिति यह है कि मेरे पास अपने काम के लिए एक भी नौकर नही बचा। यदि मै यह भी लिखूँ कि उससे भी अधिक मुझे क्या-क्या मुसीबतें उठानी पडी तो मुझे बहुत बनना पड़ेगा। यद्यपि अपनी यह दुर्गति कराने का एकमात्र जिम्मेदार मै हूँ परन्तु मै अधिक कुछ न लिखूंगा क्यों कि उससे आपको संतोष होगा। पर मैं आज तक यह नही समझ पाया कि किन कारणो से आप मुझसे नाराज हुए है। हर परिस्थिति मे मुझे आप से शक्ति और सुरक्षा मिलती रही है और हर अवसर पर आपने व कौंसिल ने मेरे ऊपर दया, स्नेह और मित्रता ही बरसाया है परन्तु वर्तमान मे आपने ये जो आदेश भेजे है, उनसे मै बुरी तरह परेशान हू।"

श्रीमान को मै पत्र के बाकी अंश सुना कर परेशान न करूँगा, जो इसी प्रकार की दुर्दशा व क्लेश का ही वर्णन है और एक ऐसे व्यक्ति की दुखभरी कहानी है जो अपने को अपमानित, लुटा हुआ और नष्ट हुआ समझता है।

इस पत्र मे दिये गये तथ्यों के अलावा श्रीमान नवाब के उस पत्र को जिसे हमने कल पढ कर सुनाया था स्मरण करके देखेंगे कि कितनी विनयशीलता और दयाभाव से वह भरा था, जो कभी भुलाया नही जा सकता। आह ? श्रीमान, सोचे कि आदमी का दुर्भाग्य क्या इतना भी प्रबल हो सकता है ? आप याद रखें

कि मिस्टर हेस्टिंग्स के अनेक बक्सो मे कोई भी ऐसा प्रमाण नही है जो उस अभागे आदमी के पत्रो का उत्तर दे सके। कोई अमानुषिक व्यवहार न था जिसे उसके परिवार को, उसके आश्रितो को और उसके मन्त्री हैदर बेग खा को न सहना पड़ा हो। उसके मन्त्री हैदर बेग खाँ को वह मनुष्यता के नाम पर कलंक व बदनाम बताता हे, साथ ही यह भी कहता है कि उसका नवाब को एकमात्र यही सहयोग था कि वारेन हेस्टिंग्स ने एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप मे जो कुछ किया उसे सहन करता रहा।

अब मे ऐसा कागज पढ कर सुनाऊँगा जा सम्भवत प्रमाण मे कभी न आता पर हम उसे आप के सम्मुख प्रमाण रूप मे कार्यवाही मे जोडना चाहते है ताकि आप के समक्ष सभी बाते आ सके। श्रीमान, आपने सुना कि नवाब अपनी मुसीबते, दुर्दशा और सताए जाने की बाते बताते है और इस सबध मे उन्होने समय-समय पर शिकायते की, उनमे मे किसी पर न तो कभी ध्यान दिया गया, न कोई उत्तर ही दिया गया। ओह! श्रीमान, सोचे कि इस प्रकार सम्मानच्युत, दुखी और परेशान स्थिति मे भी मानव रह सकता है। आपने सुना कि यह दुखी व्यक्ति कहता है कि उसके सबध मे हमने यहाँ अपराधी पर जो अपराध लगाए है और जिन्हे अपराधी ने स्वीकार भी किया है वह सब आप के सम्मुख प्रस्तुत इस कागज मे असत्य घोषित किये जाते है। इसमे मिस्टर हेस्टिंग्स के पास की गयी शिकायतो का कोई हवाला तक नही है। यह कागज श्रीमान को उन कागजो के अम्बार मे मिलेगा जा योरप के किसी अजायबघर मे रखे जाने योग्य है।

ये कागज-पत्र ८ मार्च सन् १७८८ को प्राप्त हुए और कौसिल मे गवर्नर जनरल के आदेशानुसार २७ अप्रैल सन् १७८८ को अनुवादित हुए। इस पर नवाब आसफउद्दौला, आसफजहाँ बहादुर, वजीरउलमुल्क की मोहरे है—"इस समय हमे ज्ञात हुआ कि इग्लैड के उच्च अधिकारियो ने मिस्टर हेस्टिंग्स पर इस आशका व शक पर कि अपने राजकाल मे उसने न्याय व निरपेक्षता के विरुद्ध आचरण किया, उसकी नीयत खराब रही, उसने कम्पनी व अन्य राज्यो के बीच हुई संधियो और सिद्धान्तो को तोडा, उसने निरपराध लोगो की सपत्ति को हडपा, उस देश की उन्नति की जडे काटी, दगे-फसाद कराए, मामला चलाया। इसमे बहुत सी झूठी-सच्ची बाते पनप सकती है, अत सत्य को असली रूप-रग मे उपस्थित करने के लिए मैने यह कागज लिखा है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जब से उसका अधिकार फैला और जब तक वह इंग्लैड वापस न गया, चाहे वह नवाब के जीवन काल मे रहा हो या वजीरे-मुल्क, शुजाउद्दौला या मेरी सरकार के काल मे रहा हो, मेरी समझ मे कभी भी न्याय के विरुद्ध आचरण नही किया और मेरे व कम्पनी के बीच जो भी मित्रता के संबंध थे, उसमे कोई कमी आने दी बल्कि मित्रता बढाई और हर स्थिति मे मेरे प्रति, मेरे मन्त्रियो व राज्य के प्रति मित्रता के अलावा बड़ी योग्यता

व ईमानदारी से संबंधों को दृढ़ करने का ही सतत प्रयत्न किया। हर एक प्रकार से उससे संतुष्ट और प्रसन्न हूँ और उसकी योग्यताओं की सराहना करता हूँ। यह बातें मैंने निश्चयपूर्वक प्रमाण रूप में लिखी हैं। यह कागज मैं कलकत्ते की सरकार के माध्यम से इंग्लैंड तक भेज रहा हूँ ताकि इंग्लैंड के अधिकारियों को उचित स्थिति का ज्ञान हो सके।"

अब देखिए श्रीमान—यह जो प्रमाण आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत किया वह हमें ही उसी तरह दोषी ठहराता है जैसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने हमें इस बात का दोषी बताया कि हमने जो बातें कही हैं सभी झूठी हैं—परंतु हमने संसार के सम्मुख लज्जित होने का ही निश्चय किया है और हम मानते हैं कि किस व्यक्ति की ओर से या किस राष्ट्र की ओर से हमने मिस्टर हेस्टिंग्स पर यह अभियोग (महाअभि-योग) लगाए हैं जो सब झूठ और असत्य हैं? लेकिन श्रीमान, यह अब तक की कही सभी बातों का बिल्कुल उल्टा है, या जो कुछ हम आपके सम्मुख अब तक सिद्ध कर चुके हैं, उसका भी उलटा। अब श्रीमान आगे देखेंगे कि इन कागजों को अब क्या और कितना महत्व दिया जाय।

अब श्रीमान सुनेंगे कि हैदर बेग खाँ क्या कहता है। हैदर बेग खाँ की गवाही आप की कार्यवाही में लिखी जा चुकी है जो मानवता की सीमा से बाहर की है। जो नवाब की आज्ञा के बिना ही पत्र लिखता रहा है और उसके संबंध में मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि नवाब उसी के हाथ की कठपुतली के सिवा और कुछ नहीं है और यह सच है कि नवाब हर समय किसी न किसी के हाथ की कठपुतली रहा ही है। हैदर बेग खाँ ने जो पत्र कौंसिल और गवर्नर को लिखा उसका अंश यह है—"अभी-अभी नवाब वजीर और उनके हम सभी मंत्रियों को सूचना मिली है कि इंगलैंड के उच्चाधिकारीगण मिस्टर हेस्टिंग्स से असंतुष्ट और नाराज हैं और उन्हें आशंका है कि अपने कार्यकाल में उसने देश में न्याय व कानून की अवहेलना की, शक्ति के बल पर लोगों की सम्पत्ति हड़पी है, रैयत और जनता को सताया, आहत किया और देश को नष्ट किया। जहाँ तक सत्य है वह यह है कि मिस्टर हेस्टिंग्स हर परिस्थिति में इन तमाम शकों व आशंकाओं से मुक्त है, अतः मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये पंक्तियाँ लिख कर घोषित करता हूँ कि जो कुछ यहाँ लिखा है सब शत-प्रतिशत सत्य है कि अपने कार्यकाल के प्रारंभिक दिन से ले कर मिस्टर हेस्टिंग्स के भारत छोड़ने के दिन तक, जब तक उसका देश के शासन पर अधिकार था, चाहे वह नवाब शुजाउद्दौला का समय था या वर्तमान समय रहा हो, कभी सरकार और कम्पनी की मित्रता में अन्तर न आया, न कभी न्याय या नियमों का उल्लंघन हुआ और नवाब वजीर को उसने सदा ही प्रसन्न और संतुष्ट रखा।" (श्रीमान, कृपया इस वक्तव्य के अंतिम अंश को अवश्य ध्यान में रखें—यह प्रसन्न व संतुष्ट रखने की बात है)। "वह हर प्रकार से मैत्रीभाव ही बढ़ाता रहा। सदा

ही सरकार के मंत्रियो के प्रति उसने दया भाव रखा और उसकी कृपा की छत्र-छाया में सभी ने प्रसन्नता व आराम का अनुभव किया। हमलोग अपने दिल की गहराई मे उसके व्यवहारों से संतुष्ट व उसकी भलमनसाहत पर मुग्ध हैं।"

यहाँ श्रीमान हैदर बेग खाँ के शब्दों में मिस्टर हेस्टिंग्स का नया चरित्र देखेंगे। आप श्रीमान यह भी ध्यान दें कि यह प्रमाण-पत्र, नवाब वजीर के प्रमाण-पत्र से अक्षरशः मिलता-जुलता है और यह भी संकेत से ज्ञात हो जाता है कि इन्हें लिखने वाला असली व्यक्ति कौन है।

श्रीमान, ऐसा कहा जाता कि फारसी भाषा में खुशामद व झूठी प्रशंसा के शब्द नहीं है। लेकिन हमारे सामने यह नमूना है, इससे फारसी शब्दकोष में कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि उसे भारत के लोगों से जो सम्मान व स्नेह मिला है वह उसे अपने स्वराष्ट्र के लोगो से भी नही मिला। निश्चय ही, यदि वह हमारी भलाई करता तो हम सम्मान देते, पर यदि उसने अनगिनती अपराध ही किए है तो हमारा उसके प्रति व्यवहार उचित ही है। इन लोगों को जिस स्थिति मे, जिस भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि वे सामने आकर सब कुछ भूठलाने मे भी लज्जा का अनुभव नहीं करते। और इन बातों से सरकार के पक्ष का भी पता चलता है। अब इन हतभागे लोगो के इस आचरण पर कि उन्होने अपनी पहली सभी बातो को भुला कर अब इस प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए है, मुझे केवल एक ही बात कहानी है कि मिस्टर हेस्टिंग्स और लार्ड कार्नवालिस की बातें भी कट जाती है, सभी सत्य झूठे हो जाते है। यह है मिस्टर हेस्टिंग्स और उसके दलाल जो इस प्रकार प्रचार कर रहे है जैसा प्रचार चुनावो के समय होता है।

यहाँ हम आगे की बात श्रीमान के सुविचार के लिए छोड़ते है कि आप ही उच्च-परिवार के लोगो की स्थिति निम्नतम किए जाने के सम्बन्ध में भूख से तड़पते लोगों द्वारा क्षुधाशांति के लिए अपनी संतान बेचे जाने के सम्बन्ध में विचार करें। अब अवध के प्रान्त के विषय मे बात समाप्त करके हम बंगाल प्रांत की ओर बढ़ते है और देखें कि वह कौन सी सरकार थी जो वहाँ तब वर्तमान थी और उस सरकार के अन्तर्गत लोग कैसा जीवन बिता रहे थे।

बंगाल, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य अंगो की तरह तीन प्रकार के निवासियों का (जैसा हम पहले ही बता चुके हैं) प्रदेश है और यहाँ तीन प्रकार की स्पष्ट सामाजिक स्थिति है। प्रथम है मुसलमान जिन्होंने लगभग सात सौ वर्ष पूर्व इस देश मे पाँव जमाये और तब से बराबर शासन का बड़ा भाग अपने हाथों मे रखा। बंगाल राज्य बनने के पहले ही जिसको तैमूरलंग ने मटियामेट किया था, के पूर्व ही वे वहाँ बस गये थे। अतः ये लोग भी यहाँ के प्राचीन निवासियों में माने जाते हैं। संसार के अन्य भागों की तरह मुसलमानों ने यहाँ भी अपना साम्राज्य बनाया और अपने को योग्यतम शासक सिद्ध किया। ये लोग अधिकांश रूप में व्यापार

नहीं करते, क्योंकि उनका धर्म और कानून उन्हें रुपये का ब्याज खाने की आज्ञा नहीं देता, अतः उनके पास जीविका के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं बचता, सिवा इसके कि मुगल साम्राज्य की चाकरी करते। उस शासन में वे अनेक अधिकार, उच्च पदवी और सैनिक ओहदे के अधिकारी थे, उन्हें कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे। अनेक सम्मानित लोग इस शासन के अन्तर्गत सूबेदार तथा वाइसराय के पद पर कार्य करते थे। यह सच है कि एक राज्य दबा लेने मे वह लोग सदा प्रयत्यशील रहे।

द्वितीय समाज है हिन्दुओं का जो मुसलमानों द्वारा किए गए अनेक आक्रमणों के आदी थे। इनका संम्बन्ध राज्य के शासन, न्याय, अदालत और सेना से होता था। इनके पास लगभग समस्त जमीन का अधिकार था। देश के व्यापार व धन सम्बन्धी समस्त कार्यो से इनका सम्बन्ध था। क्यों कि हिन्दुओं को उनके धर्म-ग्रंथ शास्त्र द्वारा व्यापार सम्बन्धी किसी कार्य के लिए मनाही न थी और अधिकांश लोग रुपया सूद पर देने वाले और रुपयों का लेन-देन करने वाले थे। इस प्रकार देश का समस्त रुपयो तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यो का पूरा अधिकार हिन्दुओं के हाथ में था।

तृतीय और अन्तिम समाज था जिसमें अंग्रेजो का मामला था जो वास्तविक स्थिति में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे, समस्त देश के शासन व राजकाज का समाज था। नागरिक और सैनिक सम्बन्ध, भूमि व सम्पत्ति का सम्बन्ध। और हमारा जिस चीज से सीधा सम्बन्ध है वह है उस सरकार से जो देश की सरकार थी और इंग्लैंड की सरकार थी। यह दो भागो में बँटी थी। प्रथम तो कम्पनी के रूप मे, बाद में, पार्लियामेंट के एक कानून के बाद मान्यता प्राप्त, जो इंग्लैंड के बादशाह के नाम पर राजकाज चलाती थी। वहाँ हमारे पक्ष की रक्षा में जो लोग लगे थे या प्रयत्नशील थे वे ही कम्पनी के कर्मचारी कहे जाते थे। और जैसा कि श्रीमान भी जानते है कि वे लोग कम्पनी की नौकरी मे घुसते थे और बाद में अपनी योग्यता और कार्य के प्रति रुचि के अनुसार उन्नति पाते थे। ऐसे लोगो की संख्या इतनी कम थी कि उनका जिक्र भी उचित नही, पर किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे देश का शासन उनके हाथ आ गया। इन परिस्थितियों में प्रमुख और आवश्यक तथा विशेष बात थी देश के राजस्व पर उनका एकछत्र अधिकार और उसी धन से वे एक बड़ी पलटन भी रखते थे जो पूरी तरह योरपीय ढाँचे में संगठित की गई थी। सन् १७७२ में जब मिस्टर हेस्टिंग्स गर्वनर बनाया गया तब उस देश की ऐसी स्थिति थी। अब तो यह श्रीमान के सुविचार पर ही निर्भर है कि तीनों प्रकार के समाज के प्रति उसका क्या आचरण था, यह आप देखें। क्या उसने प्राचीन मुसलमान परिवारों को वैसा ही बनाये रखा जैसा वे थे, क्या उसने वहाँ के हिन्दू निवासियों को जमीदार और उनकी रियाया बना कर रखा जैसे वे पहले से थे, या क्या उसने अंग्रेजी पक्ष को देश के लिए उपयोगी बनाया। उसने तो वहाँ के

निवासियों पर आतंक और अत्याचार फैलाया। क्या उसने तीनों के साथ वे व्यवहार किए जो किसी भी सरकार को करना चाहिये था कि उसके मातहत रहने वाले लोग प्रसन्न थे।

श्रीमान, आपके सम्मुख कटघरे में खड़े अपराधी के प्रति लगाए गए हमारे अभियोगों के पक्ष में उसने विपरीत आचरण किए। हम आपके सम्मुख सिद्ध कर चुके है कि दमन व अत्याचार के पहले शिकार हुए मुसलमान शासक। उसके अधिकार पाने के समय जो सरकार थी वही देश की असली सरकार थी। जब कम्पनी ने इस पर अपना प्रभुत्व जमाया तब भी पुराने शासन की छाया वहाँ उपस्थित थी। बंगाल के नवाब के लिए एक आय निश्चित कर दी गई, ताकि वह अपने दरबार की प्रतिष्ठा जीवित रख सके और यह आय प्रति वर्ष चार व पाँच सौ हजार की थी। इससे सिपाहियो, दरबार के अधिकारियों और उन पर आश्रित औरतों का कार्य चलता था।

मैं पुनः श्रीमान के सम्मुख यह दोहराऊँगा कि कम्पनी को इस पुराने शासन को तोडने व उलटने का कोई अधिकार न था। मुगलों ने, जिन्होंने कम्पनी को पट्टा दिया, उन्होंने ऐसा अधिकार नही दिया था, न तो उस कानून ने जिसने मिस्टर हेस्टिंग्स को ही गवर्नर बनाया, ऐसा कोई अधिकार दिया। अपने अधिकार के प्रयोग मे उसने बराबर दुरुपयोग ही किया और बंगाल में उसके आचरण की जाँच करने के सम्बन्ध मे हम जो भी कदम उठावेंगे उसमे हम यह ध्यान रखेंगे कि कानून द्वारा उसे कितना अधिकार प्राप्त था, या देश का क्या कानून था और उस देश का क्या कानून था जिस पर शासन करने के लिए उसे भेजा गया था।

उस देश मे सरकार का, प्राचीन मुगल शासन का यह नियम था कि पूरा साम्राज्य तीन प्रदेशों या सूबेदारी के हिस्सों में बँटा था। मिस्टर हेस्टिंग्स ने देखा कि पहले के गवर्नरो को अपने राज्य का सैनिक व नागरिक दोनों अधिकार प्राप्त होते थे और वे ही मुख्य न्यायाधीश भी होते थे जिनके अंतर्गत सभी मजिस्ट्रेट होते थे पर उसे केवल शासन के अधिकार प्राप्त थे, न्यायिक अधिकार नही। कम्पनी को दीवानी या सूबेदारी प्राप्त थी। उसके अन्तर्गत राजस्व, शासन आदि थे। कम्पनी ने जब पलटन रखने की आज्ञा प्राप्त की तब उन्होने इसी बहाने पूरे राजस्व पर अधिकार कर लिया। अतः सेना कम्पनी के ही अधिकार मे आ गई और सूबेदार केवल नाममात्र को सूबेदार रह गया।

अब जब हमने देश के शासन की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तब हमें ज्ञात हुआ कि हमने अपनी शक्ति से बड़ा काम उठा लिया है। तब कम्पनी ने एक देशवासी को नियुक्त किया—मुहम्मद रजा खाँ को। कम्पनी के कागज-पत्रों में इस रूप मे जिसके बारे में लिखा गया है कि इस प्रकार कोई भी एक ही व्यक्ति

दोनों बड़े काम—राजस्व व शासन—एक साथ अकेले नहीं कर सकता। बंगाल के नवाब, कासिम अली खाँ के पदच्युत किए जाने पर उसके सभी बच्चे अनाथ हो गए और उसका राज्य अरक्षित हो गया और ऐसी स्थिति में लार्ड क्लाइव और मिस्टर समनर जो मिस्टर हेस्टिंग्स के पास बैठ कर और अन्य कौंसिल सदस्यों के साथ यह चतुराई की कि मुहम्मद रजा खाँ की नियुक्ति की और उसे नायब वाइसराय और नायब दीवान बनाया जिसके लिए उसे काफी धन, बड़ी जागीरें और सम्पत्ति मिली। वह उस योग्यता और व्यापारी अनुभव व कानून में दक्ष व्यक्ति था फिर भी लार्ड क्लाइव और मिस्टर समनर जिन्होंने उस समय उसके कार्यों की जाँच-पड़ताल की और माना कि उसे मिलने वाले वार्षिक भत्ते के ११२,००० पौंड की रकम कोई अधिक नहीं, फिर भी उसे कम करके ९०,००० पौंड वार्षिक कर दी। कम्पनी का समस्त राजस्व का भार उसी पर था और आप देखेंगे कि जिस दिन उसने राजस्व का हिसाब हमारे हाथों सौंपा, दीवानी सौंपी, उस दिन भी मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा राजकाल के अंतिम दिन से वह रकम एक लाख अधिक ही थी। इस सत्य के लिए मैं श्रीमान को बोर्ड आग कन्ट्रोल के पास भेजे गए कम्पनी के एक पत्र का हवाला दूँगा। यह पत्र श्रीमान के सम्मुख प्रमाण रूप में नहीं है पर मैं जो कह रहा हूँ उसका ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह तथ्य है और उसे प्रमाणित करने की मैं शक्ति रखता हूँ। जो कागजात हैं वे इतने सच्चे हैं जैसे आप के सम्मुख पड़े प्रमाण। अतः यह मान कर चलें कि यह सभी तथ्य सत्य है और कम्पनी के कागज-पत्रों से इनकी सत्यता की जाँच हो सकती है, मुझे अब कहना है कि इस व्यक्ति ने, सत्य या असत्य अफवाहों द्वारा, उस देश पर आए सबसे बुरे दिनों में अभद्र आचरण किए। इस समय समस्त बंगाल प्रदेश अकाल व दुर्भिक्ष से ग्रस्त था। यहाँ मैं यह अवश्य कहूँगा कि इन देशों में यह आपत्काल आवश्यक है परन्तु यह भी सौभाग्य की बात है कि यहाँ की सरकारें चाहें या न चाहें पर प्रकृति व अन्य दैवी कारणों से दुर्दिन समाप्त भी हो जाता है। प्रकृति जो स्वयं आपत्काल का कारण है, वही घाव भरती भी है। देश में पैदावार बढ़ती है। यह देश आबादी के नाम पर भी खूब आगे है।

जैसा मैं बता चुका हूँ कि देश पर जब इस दुर्भिक्ष के कारण भयानक आतंक फैला था—अपने प्रतिद्वंद्वी राजा नंदकुमार और कुछ अंग्रेज अधिकारियों के कारण यह प्रचारित किया गया कि इस दुर्भिक्ष के लाने में मुहम्मद रजा खाँ का भी हाथ है। इस आरोप के उत्तर में उसने जो भी कहा वह अवश्य ही बड़ी न्यायसंगत बात है—कि उसने जो कुछ किया वह अंग्रेजी परिषद के आदेशानुसार किया और समस्त व्यापार में उसके सभी कार्य सर्वविदित थे। फिर भी कम्पनी ने इंगलैंड से यह आदेश भेजा कि उस पर मुकदमा चलाया जाय, लेकिन वह कलकत्ता की सरकार का संस्थापक था, उसने कहा कि मुकदमे के दौरान उसे तो मुक्त किया जाय,

मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे दो वर्ष तक जेल मे बंद रखा इस बहाने कि (जैसा कि उसने डायरेक्टरो को लिखा) मुहम्मद रजा खाँ स्वयं मामले का जल्दी निबटारा नही चाहता। इसी बीच डायरेक्टरो की परिषद ने उसे उसके उच्च पद से पदच्युत किया और समस्त अधिकार मिस्टर हेस्टिंग्स को सौपे, उसे ही मुहम्मद रजा खाँ का उत्तराधिकारी बनाया। अब मै सबसे पहले श्रीमान को दिखाऊँगा कि डायरेक्टरो की परिषद ने उसे योग्य व्यक्ति माना जो मुहम्मद रजा खाँ का पद सम्हालने के लिए योग्यतम था और कैसे आदमी को वहाँ रखा गया। फिर हम आपके सम्मुख उस नियुक्ति के परिणामो को खोज कर रखेगे।

फोर्ट विलियम मे कौसिल व अध्यक्ष को लिखा गया डायरेक्टरो का पत्र, तारीख २८ अगस्त, सन् १७७१ —"हमे आप की योग्यता पर कोई आशंका नही है अत हम समझते है नायब दीवान के मुकाबले आप अधिक राजस्व इकट्ठा करने मे अधिक सफल सिद्ध होगे। हम समझते है कि आप भी इसकी आवश्यकता समझते है कि कम्पनी के अधिकारो की सुरक्षा के लिये सरकार की राजनीतिक नीतियो के संचालन के लिए और नवाब के दरबार मे अपने पक्ष की दृढता के लिए एक सुयोग्य मत्री की नियुक्ति आवश्यक है और अब जब कि मुहम्मद रजा खाँ का नाम इस महान पद के लिए नही लिया जा सकता, हमे विश्वास है कि स्थानीय लोगो मे से आप किसी व्यक्ति को जो कि सरकारी मामलो मे दक्ष हो और कम्पनी के प्रति उसके संबध भी विश्वस्त हो, आप मुहम्मद रजा खाँ के स्थान पर मत्री-पद पर नियुक्ति के लिए नवाब से बनायेगे। यही व्यक्ति सरकार का मंत्री होगा, नाबालिग नवाबो का सरक्षक होगा। हमारा विश्वास है कि मंत्रीपद के लिए हमारी सिफारिश को नवाब सम्मान देगा और उसे उचित व आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा।

"ऐसी नियुक्ति से कम्पनी जो लाभ उठा सकती है, वह है हमारे दृष्टिकोण व हमारे पक्ष की सुरक्षा व प्रचार-प्रसार। हम उस व्यक्ति को कम्पनी की ओर से समस्त अधिकार देने को तैयार है अत. हम आपको अधिकार देते है कि इस उच्चपद के लिए आप जो व्यक्ति चुने उसे हमारी ओर से प्रति वर्ष तीन लाख रुपये (तीस हजार पोड) का भत्ता बाँध दे। हमारा विश्वास है कि इतने रुपयो मे वह आसानी से प्रतिष्ठा सहित सारा प्रबध सुन्दरता से कर सकेगा। मेरा विश्वास है कि आप इस सबध मे जो भी चुनाव करेगे वह योग्यतम होगा और कम्पनी का चतुर्दिक लाभ ही होगा।"

श्रीमान, यहाँ एक व्यक्ति का नाम उपयुक्त समझ कर रखा जाने वाला था जो मुहम्मद रजा खाँ का स्थान भरता, जो बगाल का नायब वाइसराय था और मुसलमानी शासन के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित था। उसे मुहम्मद रजा खाँ वाला नायब दीवान का पद भी सँभालना था जिस पद से मुहम्मद रजा खाँ को हटाया

जाना था। आप देखें कि डायरेक्टरों ने सदा ही ऐसे व्यक्ति की ही चर्चा की है जो मुहम्मद रजा खाँ की समस्त जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य हो क्योंकि वही पद नवाब के मुख्य संरक्षक का भी था।

डायरेक्टरों का यह आदेश पाने के बाद मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या किया ? वह अपने वक्तव्य में कह चुका है कि उसे कोई निश्चित आदेश नही दिया गया था, बल्कि मुहम्मद रजा खॉ का कौन उत्तराधिकारी हो इसका विस्तृत वर्णन दिया गया था, जिसमें कम्पनी के कहे अनुसार सभी योग्यताएँ वर्तमान होतीं, अतः उन्होने चाहा कि वह किसी ऐसे ही योग्य व्यक्ति की खोज करे। लेकिन यह अधिकार पा कर भी मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या किया ? उसने किसी व्यक्ति का नाम नही सुझाया। उसने नवाब के जनानखाने में ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति की खोज की और प्रान्त के वाइसराय के पद के लिए एक स्त्री का नाम उपस्थित किया जो शासन का उच्चतम पद सम्हाले, नवाब की संरक्षका बने। श्रीमान, जब आपको नवाब जैसे किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए संरक्षक चुनने की आवश्यकता पड़ती है तो दो बाते ध्यान मे रखनी पड़ती है—एक तो उस व्यक्ति के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार और दूसरा शासन के प्रति पूरी ईमानदारी।

मिस्टर हेस्टिंग्स जब शाही जनानखाने में एक स्त्री की खोज कर रहा था (वहाँ केवल स्त्री ही मिल सकती थी) तब उसे नवाब की माँ मे वह सभी योग्यताएँ दिखी, जो प्रकृति से ही नवाब की संरक्षिका थी और उसकी योग्यता पर शक व शका तो की ही नही जा सकती। यहाँ नवाब जफर अली खाँ की वैधानिक पत्नी भी थी, उच्च श्रेणी की स्त्री, वह इस पद के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी योग्य थी क्योंकि कोई भी माँ अपनी सन्तान के लिए योग्यतम संरक्षिका हो ही सकती हे। इस परिस्थिति में उसका नाम सीधे गवर्नर सर जॉन कार्टियर ने प्रस्तुत किया और यह स्त्री मुहम्मद रजा खाँ के समय मे नवाब की योग्यतम संरक्षिका रही। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या किया ? अंग्रेजी सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों से उसे अलग किया। उसे जनानखाने मे एक दूसरी स्त्री मिली जिसका नाम था मुन्नी बेगम जो किसी प्राकृतिक व स्वाभाविक रिश्ते से नवाब से संबंधित न थी। उसने इस स्त्री को नवाब की संरक्षिका नियुक्त किया। उसका एक पुत्र था जिसे उसके पिता शुजाउद्दौला के बाद गद्दी पर बैठाया गया और उसी की वह संरक्षिका थी। नाबालिग नवाब की बाद मे जल्दी ही मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर शुजाउद्दौला का दूसरा पुत्र निजामतउद्दौला बैठाया गया। यह नवाब बिना माँ का था और नवाब की मृत्यु तक यह स्त्री उसकी संरक्षिका थी। जब मुबारकउद्दौला का वैधानिक पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना, तब सर जॉन कार्टियर ने वही किया जो उसका कर्तव्य था। उसने नवाब की माँ को ही उस पद पर बैठाया जो उसका स्वभाविक व प्राकृतिक पद था— अपने

बेटे की संरक्षिका का और तब मुन्नी बेगम को पदच्युत किया गया। मुन्नी बेगम को दो नवाबो की संरक्षिका बनाई जाने की सारी व्यवस्था बड़ी गंदी व भष्ट थी। मैं श्रीमान के सम्मुख एक पत्र का अंश पढ कर सुनाऊँगा जो मिस्टर ममनर के हस्ताक्षर से है, वही सज्जन जो मिस्टर हेस्टिंग्स के पास यहाँ बैठे है। इससे आपको ज्ञात होगा कि मुन्नी बेगम और उसके बेटे की नियुक्ति को कम्पनी व कौंसिल ने कैसे अपनाया या स्वीकार किया। आप देखेगे कि उन्होंने उसे समस्त भ्रष्ट व्यापार मे एक दलाल की स्थिति मे पाया और यह ममग्त कार्य-व्यापार जिसमे मुन्नी बेगम का जारज पुत्र नवाब की वैधानिक संतान सिद्ध किया गया उसे भी कम्पनी ने भ्रष्ट और दूषित कार्यवाही माना।

कलकत्ते की कौंसिल व अध्यक्ष के पत्र का अंश जो डायरेक्टरो की चुनाव ममिति को लिखा गया। पाँचवाँ परिच्छेद—"फोर्ट सेट जार्ज मे हमें मीर जाफर की मृत्यु और शुजाउद्दौला की हार की सूचना सबसे पहले मिली। यह हमारा दृढ विश्वास था कि तब तक उन स्थानो को भरने के सबंध मे कोई निश्चय नही किया जा सकेगा जब तक हम लोग वहाँ न पहुँच जाएँ। लेकिन जनवरी मे पता लगा कि इम बात को ले कर कौंसिल मे बडी खीचातानी है। इतनी बड़ी नम्पत्ति व इतने बडे पद की लालच को रोक पाना असभव था। परिषद ने एक ममझौता कर लिया और सर्वश्री जान्सटन सीनियर, मिडिलटन और लिसिस्टर की उपसमिति को भार दिया गया कि नवाब के वैधानिक पुत्र को सूबेदारी वे दे दे। मीरन का पुत्र नाबालिग था। यह कारण ही पर्याप्त था कि समस्त राज-भार हमारे हाथो आ जाता पर इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया गया।

"६—भष्टाचार का यह रहस्य सर्वप्रथम तब खुला जब नवाब, लार्ड क्लाइव व कमेटी के सदस्यो से हमारे वहाँ पहुँचने के कुछ दिनो बाद मिलने आया। उमने वहाँ एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उसके प्रति किए गए अपमानो व अशिष्टता का वर्णन था। उस पत्र मे इन पदो के लेन-देन के सबध मे लगभग बीस लाख रुपयो के गबन की शिकायत थी। इस प्रकार की शिकायतो की उपेक्षा संभव न थी अत. तत्काल जाँच शुरू हो गई। हमने वह पत्र परिषद को भेजा ताकि रुपयो के संबंध मे उचित सूचना मिल सके। और उत्तर मे केवल मिस्टर लिसिस्टर का उपेक्षापूर्ण उत्तर मिला कि इन सब व्यापारो मे प्रमुख दलाल का कार्य नवाब ने ही किया।"

"७—नायब सूबेदार मुहम्मद रजा खाँ की भी शिकायत ६ जून की कार्यवाही मे वर्तमान थी। इसमे कई नामो व कई रकमो की चर्चा थी कि किसे दिया गया, कितना दिया गया। इसी मे जगत सेठ द्वारा प्राप्त किए गए असली कागजात थे, जिनमे नवाब और मुहम्मद रजा खाँ से रुपये प्राप्त करने के लिए मिस्टर जॉन्सटन द्वारा नियुक्त एक मौलीराम का भी वर्णन है।"

"८—जगत सेठ ने अपने वक्तव्य मे स्पष्ट कहा है—कि १२५,००० रुपयों की राशि वह देने को तैयार हुआ। नवाब व मुहम्मद रजा खाँ द्वारा प्राप्त उपहारों की रकम सत्रह लाख से कम थी जो बलपूर्वक वसूली गई। यह बातें अस्वीकृत भी हैं और अस्वीकृत भी। आपकी माननीय परिषद अब यह सुविचार करे कि आपके आदेशों का कहाँ तक पालन हो सका। हम सिद्धान्त के नाम पर स्पष्ट भाषण करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रमाण है कि २२८,१२५ पौंड की राशि का गोलमाल है और इसी प्रकार कई लाख रुपये नंदकुमार और रायदुल्ला से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें मुहम्मद रजा खाँ के पद की नियुक्ति का भरोसा दिया गया था।

हस्ताक्षर—क्लाइव, डब्लू० बी० समनर, जॉन कारनक, एच० वेरेल्स्ट, फ्राँसाइक्स"

श्रीमान, जिन लोगो के हस्ताक्षर है, सभी मित्र है। और इनमें एक सज्जन तो जमानत पर है और मिस्टर हेस्टिंग्स के पास ही बैठे है। उन्होने जो भयानक और वीभत्स वर्णन किया है, इस प्रकार की लूट का, उससे सरकार के बेचे जाने का दृश्य स्पष्ट है। इस प्रकार एक जारज पुत्र को प्राकृतिक व वैधानिक संतान सिद्ध किया गया और उस पुत्र की माँ, एक वेश्या, उस उच्चतम राज परिवार की राजमाता के स्थान पर बैठाई गई।

जब गवर्नर जनरल ने देखा कि इस भ्रष्टाचार का भेद खुल गया जिसकी गंदगी में वह भी बुरी तरह लिपट जायेगा तो उसने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए यह दिखाना चाहा कि वह इन सब बातों से बहुत दूर है। श्रीमान, यह है इन बातों का परिणाम कि नया आदेश जारी हुआ कि कोई भी कम्पनी कर्मचारी २०० पौंड से अधिक का उपहार न ले। इस कानून पर हम फिर बाद में प्रकाश डालेंगे। यह *आदेश इस विचार से दिया गया था कि तत्कालीन स्थिति में फैल रही बुराई को रोका जा सके और देश में गवर्नर के पद का दूषित उपयोग न हो सके और अनुचित रूप से उपहार न ग्रहण किए जा सकें,* बाद मे पार्लमेंट ने इस मामले को उठाया और सन् १७७३ मे कानून बना दिया। लेकिन जहाँ तक मुन्नी बेगम का मामला है इस व्यक्ति—मिस्टर हेस्टिंग्स ने अधिकार प्राप्त करते ही पूर्व वर्णित ढग से उसे उच्च पद पर बैठाया और वह जानता था कि यह स्त्री घूसखोरी के व्यापार में बड़ी प्रवीणा है। इसने मिस्टर हेस्टिंग्स को चुना और उसे प्रभावित किया, साथ ही कौंसिल के दूसरे सदस्य को भी अपने प्रभाव से दबाया जो आज मिस्टर हेस्टिंग्स के बगल में बैठा है। और फिर क्या-क्या लेन-देन की सौदेबाजी हुई आपको ज्ञात है और इन सबो की मुख्य कार्यकर्त्री यही स्त्री रही। नवाब व उसकी माँ को यह उच्चासन इसीलिए नही दिया गया कि उनसे रिश्वत का व्यापार सभव न था। यह स्त्री स्वयं एक वेश्या थी, उसका पुत्र एक जारज संतान था, अतः प्राकृतिक संरक्षण का यह नाटक रचा गया।

लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या किया ? इसी दूषित व्यापार को बराबर बढावा देता रहा, भ्रष्टाचार की वृद्धि करता रहा। उसने वैधानिक माता और उसके सरक्षण के अधिकार को झुठलाया। उसने असली माँ से उसकी सतान को दूर किया और उस पर सरक्षक के रूप मे सौतेली माँ को लाद दिया। इस प्रकार श्रीमान देख सकते है कि यह औरत कौन है। मै श्रीमान के अधिकार मे रखे कागज-पत्रो मे से एक कागज पढ कर सुनाऊँगा जो मिस्टर हेस्टिंग्स के सामने लाया जा चुका है और जिसे आज तक उसने अस्वीकृत नही किया।

२४ जुलाई सन् १७७५ —"स्वर्गीया, शाहचनीम, नवाब महबुल जग की बहन थी। दोनो के पिता एक थे पर माताएँ भिन्न थी। उसका व्याह मीर मोहम्मद जफर खाँ से हुआ था, जिससे उसे एक पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई। लडके का नाम था मीर मोहम्मद सादिक अली खाँ लडकी की शादी मीर मोहम्मद कासिम खाँ से हुई थी। सादिक अली खाँ के दो पुत्र और दो पुत्रिया हुई। पुत्रो के नाम थे—मीर सादिक और मीर शबीम, दोनो अभी भी जीवित है। लडकिया का व्याह सुल्तान मिरजा दाऊद के साथ हुआ था।

"नवाब मुबारकउद्दौला की माँ बाबू बेगम, शमीम अली खाँ की बेटी थी और मीर मोहम्मद जफर खाँ को व्याही थी। मुन्नी बेगम का इतिहास यह है—शहीन्द्र के पास बालकुर्दा नामक गाव मे एक विधवा रहती थी। वह बहुत अधिक गरीब थी और अपनी बेटी मुन्नी का पालन-पोषण करने मे पूर्णतया असमर्थ थी अत उसने अपनी बेटी मुन्नी को शमीम अली खाँ की एक दासी जिसका नाम बिस्सू था को दे दिया। पाँच वर्ष तक वह शाहजहाँबाद मे रही और बिस्सू ही उसे शीक्षा-दीक्षा देती रही और नृत्य व सगीत सिखाती रही। बाद मे नवाब सुराजुद्दौला के भाई इकरामुद्दौला की शादी के अवसर पर नवाब शमत जग ने शाहजहाँबाद से मुन्नी बेगम के नर्तकी दल को बुलाया। उसी दल मे मुन्नी बेगम भी थी। उसे खर्च व भत्ते के लिए दस हजार रुपये देना निश्चित हुआ। उसे शादी मे नृत्य करना था। जब तक शादी सम्बन्धी उत्सव चलते रहे उसे नवाब ने अपने पास रखा, लेकिन कुछ महीनो बाद जब नवाब ने छुट्टी दे दी तो सभी नाचने वाली लडकियाँ शहर मे मकान ले कर रहने लगी। मीर मोहम्मद जफर खाँ ने बाद मे उसे स्थायी रूप से अपने साथ रख लिया और उसे पाँच सौ रुपये प्रति मास देते रहे। फिर अचानक पता लगा कि मुन्नी गर्भवती है, वह उसे अपने घर रखने को लिवा गया। वही मुन्नी ने नवाब निजामुद्दौला को जन्म दिया और इस प्रकार वह बराबर नवाब के परिवार मे बनी रही।"

श्रीमान इस मामले के इस अश पर मै आपको बहुत देर तक नही रोक रखना चाहता, लेकिन यह विस्तारपूर्वक बताना मेरे लिए अति आवश्यक था। मरे पूर्व वक्तव्य देने वाले दूसरे पक्ष के माननीय व योग्य मैनेजर ने बडी कुशलतापूर्वक

श्रीमान के मस्तिष्क में यह भरने का प्रयत्न किया है कि किन भयानक कारणों से नवाब की संरक्षकता से उसकी माँ को अलग रखा गया क्योंकि इस स्त्री को परिवार के सिर पर लादना उनका ध्येय था और उस माध्यम से समस्त जनानखाने और समस्त राज्य पर लादने की मंशा थी। उसी समय मिस्टर हेस्टिंग्स ने राजस्व का हिसाब-किताब ठीक से रखने को एक व्यक्ति को नियुक्त किया था लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि कोई हिसाब नहीं रखा गया, अतः हिसाब की आशा करना या हिसाब माँगना व्यर्थ है। इसी प्रकार का घपला मुन्नी बेगम की नियुक्ति को ले कर भी है। जहाँ तक मुहम्मद रजा खाँ की पुनर्नियुक्ति का प्रश्न है, आपने हमारे विपक्षी और योग्य मैनेजर से सुना कि वह उन सभी आरोपों और अभियोगों से मुक्त हो गया था जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसके विरुद्ध पहले लगाये थे और यह बहुत लम्बे चले मुकदमे के बाद हुआ था। कम्पनी भी उसकी आरोप-मुक्ति से पूरी तरह संतुष्ट थी, अतः उसे ससम्मान मुक्त किया गया और यह भी कहा गया कि वह इतनी परेशानियाँ सहने के बाद उसके हरजाने का पूरी तरह अधिकारी है। उसे केवल निर्दोष ही नहीं, महान योग्यता वाला भी कहा गया। यह भी कहा गया, आदेश दिया गया कि उसे सर्वप्रथम अवसर मिलते ही पुनः काम पर लिया जाना चाहिये और वह पुनः अपने पूर्व पद के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी है।

सन् १७७५ में कौंसिल (जिसकी मैं कभी कदापि चर्चा न करूँगा) ने पार्लामेंट के कानून का पूरी तरह व अच्छी तरह पालन किया, उसने कभी कम्पनी के आदेशों की अवहेलना न की, पाया कि मुन्नी बेगम ने उसी प्रकार सम्मानित ढंग से आचरण किया जैसा कि विपक्षी व योग्य मैनेजर ने बताया है कि उसने राजस्व में गोलमाल किया, नवाब की शिक्षा-दीक्षा में लापरवाही व असतर्कता बरती और देश के न्याय को भी घपले में छोड़ रखा था। कौंसिल ने आदेश दिया कि उसे उसके पद से हटा दिया जाय और नवाब की असली माँ को उसके स्थान पर बैठाया जाना चाहिये, जिस पद की वह पूर्णतया अधिकारिणी है और जहाँ तक अन्य दफ्तरों का प्रश्न है, मुहम्मद रजा खाँ को उनका अधिकारी बनाया जाना चाहिये।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने इन आदेशों की अपनी शक्ति भर अवहेलना की, लेकिन उसके विरुद्ध बहुमत था और फलस्वरूप मुहम्मद रजा खाँ अपनी पुरानी जगह पर पुनः बैठाया गया। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने इसे अपनी हार माना और केवल समय की प्रतीक्षा करता रहा, जिस समय को उसने बहुत भाग्यवान समय माना कि अपने पूर्ववत् भ्रष्टाचार, आतंकवादी और अवहेलना की आदत को फिर से चालू कर सके। मुहम्मद रजा खाँ की पूर्वनियुक्ति कम्पनी के सशक्त आदेशानुसार हुई और यह भी आदेश हुआ कि उसका जब तक जी चाहे वह अपने उसी पद पर बना रहे। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने बिना कोई दुर्व्यवहार प्रदर्शित किए ही मुन्नी

बेगम से अनैतिक साँठ-गाँठ द्वारा (यह कह कर कि वह नवाब की शक्ति बढ़ाना चाहता है) कम्पनी के सम्पूर्ण प्रबन्ध को जो डायरेक्टरो की परिषद मे बहुमत मे निश्चित हुआ था उलट-पुलट डाला।

आपको मुझे यह बताना है कि नवाब किस प्रकार का व्यक्ति था, जो कम्पनी के अधिकारो की सुरक्षा के लिए नियुक्त था, उसके बारे मे मिस्टर हेस्टिग्स क्या सोचता था, न्यायाधीश उसे कैसा समझाते थे और सारा समार उसको कैसा समझता था ?

पहले तो मै श्रीमान को कुछ प्रारम्भिक बातो से अवगत कराऊँगा—कलकत्ते मे नवाब के मामलो की देख-रेख के लिए एक वकील, एजेन्ट या मैनेजर नियुक्त किया गया जिसका नाम था राय राधाचरण। वहाँ उसके साथ एक धनी महाजन की साँठ-गाँठ थी। राय राधाचरण ने शाही नवाब के प्रतिनिधि होने का पूरा लाभ उठाया। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय के लिए आया। मामला था कि नवाब सत्ताप्राप्त शाही शासक है या नही, मेरे विचार से इस मामले को सुन कर ही आदलत ने गलती की। क्योकि मेरी सम्मति मे वह सत्ताप्राप्त शाही शासक था या नही, यह सिद्ध करने को उसका कोई प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये था जो कौसिल के साथ उसके सबध ठीक करता। लेकिन इस मामले को गलत ढग से उठाया गया और मामला मुकदमे के रूप मे सामने आया। क्या नवाब को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी को अपना मामला देखने के लिये राजदूत के नाम से कोई मैनेजर नियुक्त करता ? इस सबध मे क्या शपथपूर्वक मिस्टर हेस्टिंग्स ने आगे बढ कर यह सिद्ध किया कि उसको ऐसा कोई अधिकार न था या उसकी यह शक्ति न थी, वह केवल एक दिखावटी व्यक्तित्व था और कम्पनी न उसे पूरी शक्ति दी वह बेकार की बात थी। यह आप न्यायाधीशो के विचार से ज्ञात कर सकेगे।

अब यहाँ मै एक राय पुन स्थापित करूँगा (जो शायद मै पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ)। पहले मै वारेन हेस्टिंग्स का शपथपूर्वक दिया गया वक्तव्य प्रस्तुत करूँगा जो उसने ३१ जुलाई सन् १७७५ को दिया था—"भूतपूर्व अध्यक्ष और कौसिल ने अगस्त सन् १७७२ के लगभग अपने अधिकार मे मुन्नी बेगम की नियुक्ति की जो स्वर्गीय नवाब मीर जाफर अली खाँ की विधवा थी, और वर्तमान नवाब मुबारक उल्लाह की सरक्षिका बनाई गई। राजा गुरुदास, राजा नंदकुमार के पुत्र को नवाब के महल का दीवान बनाया गया। मुन्नी बेगम को १४,००० रुपये प्रति वर्ष का वेतन और राजा गुरुदास को उसके तथा उसके कार्यालय के लिए १००,००० रुपये प्रति वर्ष निश्चित हुए। भूतपूर्व अध्यक्ष व कौंसिल ने अगस्त सन् १७७२ के लगभग निश्चय किया कि प्रत्येक जिले मे न्याय के लिए अदालते दीवानी और फौजदारी बनाई जाएँ ताकि समस्त बंगाल के निवासियो को न्याय मिल सके। इसके संबंध मे न तो

नवाब से राय ली गई न उनका आदेश प्राप्त किया गया और ये नई अदालतें सीधे कलकत्ता की प्रेसीडेन्सी से जोड़ दी गईं। इन फौजदारी अदालतों को सीधे कम्पनी के नौकरों के हाथों छोड दिया गया।"

श्रीमान, पूरा वक्तव्य पढ़ने और उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है ताकि समय की बचत हो, मैं श्रीमान को उनका केवल हवाला दे दूँगा। यह शपथपूर्ण वक्तव्य अदालत में इसलिए पेश किया गया था कि नवाब की कोई शक्ति व कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है और जिसे हम श्रीमान के सम्मुख विशेष रूप से महत्व देना चाहते हैं वह यह कि नवाब की शक्ति व अधिकार की हीनता सिद्ध करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है, यह मिस्टर हेस्टिंग्स का वक्तव्य मात्र है। फिर भी गवर्नर जनरल शपथपूर्वक बात कहता है और अदालत का जज उसका हवाला देता है—"शपथपूर्वक कहा गया है कि कौंसिल ने अपने अधिकार से नवाब की संरक्षिका के रूप में मुन्नी वेगम को नियुक्त किया।" गर्वनर जनरल पूछता है—"किस अधिकार से कौंसिल ने न्याय की अदालतों का निर्माण किया, जब कि नवाब की राय प्राप्त न हुई थी? क्या नवाब को यह अन्दाज था कि वह सत्ताप्राप्त शासक है? क्या उसने अपने भत्ते के कम होने और संधियों की अवहेलना की शिकायत की? नहीं, उसने अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार ही अपने को कम्पनी पर पूरी तरह आश्रित रखा और वह कम्पनी से जो भी भत्ता मिल जाता वही स्वीकार करने को तैयार था। उसने कोई अधिकार न जमाया। क्या उसने कभी भी इस बात की शिकायत की कि कम्पनी ने अपने हाथ में न्याय का कार्य क्यों ले लिया? नहीं, संधि के अनुसार उसकी रियाया की सुरक्षा की जिम्मेदारी कम्पनी की थी।" न्यायाधीश (मैं समझता हूँ कि यह मुख्य न्यायाधीश इम्पे था) ने आगे कहा, "शायद यह मामला गवर्नर जनरल के पत्र की तरीखों से ही निश्चित हो जाता पर कौंसिल ने एक दूसरा मसला उठा दिया है, अतः यदि मैं इस संबंध में पूरा विचार, निर्णय और जांच न करता तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत होता, मुझे दुख होता, मुझे शंका होती और न्याय की सीमा में नवाब का नाम ला कर भी उसे कानून से बचाने की बात होती।"

श्रीमान, आप देखें की अदालत का भी वही संकेत है जिसको कहने को हम यहाँ खड़े हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स की गवाही या वक्तव्य कि नवाब का केवल नाम ही जोड़ देने से वह जिम्मेदार हो जाता है सरासर गलत है।

इस अवसर पर दूसरे जज मिस्टर लिमाइस्त्रे क्या कहता है, "इस संबंध में जहाँ मुबारकउद्दौला का प्रश्न है, यह तो अदालत की न्यायप्रियता पर एक मानहानि जैसी बात है कि उसकी सत्ता की वैधानिकता की बात उठाई जाय। परन्तु इसलिए कि यह मामला गवर्नर जनरल और कौंसिल की ओर से आया है, मुझे कौंसिल के प्रति सम्मान प्रकट करना है, मैं गवर्नर जनरल के पत्र को तभी महत्व दूंगा जब मुझे

नवाब का भी इस संबंध में पत्र प्राप्त हो।"

नवाब की स्थिति के संबंध में जजों की यह सर्वसम्मतिपूर्ण राय है। इस प्रकार जो बात हम महत्व के साथ कहना चाहते थे, कह चुके कि नवाब के नाम का जो भी प्रयोग होगा, कम्पनी के आदेशों को मान्यता देने या अवहेलना करने में, या सरकार के अयोग्य व गंदे लोगो को आगे बढाने मे, वह नाम का प्रयोग करने वाले की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। हम श्रीमान पर यही प्रभाव डालना चाहते है कि, जैसा कि आपने पहले देखा है, अवध के नवाव के नाम का इस ढंग से या इस प्रकार जो प्रयोग किया गया है, आप स्वय देख सकते है कि जो भी प्रयोग किया गया है वह नाम है हैदर बेग खॉ का और देश के अन्य सम्मानित व महान लोगो का। एक शब्द और— फिर मै समाप्त करूँगा। यदि आप समझे कि इस व्यक्ति के नाम का जो भी प्रयोग किया गया है, आप श्रीमान देखेंगे कि यह नाम, या इस नाम का प्रयोग केवल अपने लाभ व भलाई के लिए किया गया है या तो इस कारण मे कि उसे कोई शक्ति या अधिकार मिल जाये या उसके द्वारा की गई जालसाजी को छिपाने के लिये या उसकी अवहेलना को क्षमा प्रदान करने की नीयत से।

लेकिन यदि हमने श्रीमान को यह दिखाया है कि यह सब कम्पनी के आदेशों व आज्ञाओं की अवहेलना करने के अलावा और किसी रूप में प्रयोग नही किया गया, या कम्पनी के कानून को भंग करने के लिए, वे सभी दूषित और भ्रष्ट तथा निर्बल ढंग इस प्रकार के अनैतिक कार्यों के लिए पहले भी किए जाते रहे है और उन अनैतिक कार्यों के लिये वे पदच्युत भी किए जाते रहे है, तो हमने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं किया, यह सिद्ध करने के प्रयत्न मे कि यह व्यक्ति, अदालत की दृष्टि में, दूसरो के हाथों की कठपुतली बनने के अलावा और कुछ उसकी स्थिति न थी।

श्रीमान के सम्मुख यह सिद्ध करने के बाद कि इन बातों का प्रभाव बंगाल में मुसलमान शासन पर पूरी तरह पड़ा, इस अपराधी के इस दूषित आचरण का कि उसने नवाब व उस प्रान्त के सूबेदार के लिए ऐसा अभिभावक या संरक्षक नियुक्त किया, सरकार के मंत्रियो की नियुक्ति की। मुझे आप श्रीमान के सम्मुख दूसरे दिन भी उपस्थित होने का शुभअवसर मिलेगा कि मै यह सिद्ध कर सकूँ कि इस सरकार ने किस प्रकार नवाब के नाम का समय-समय पर प्रयोग किया जो, जैसा कि आपने देखा केवल नाममात्र का नवाब था या कठपुतली था और मैं यह भी सिद्ध करूँगा कि हर अच्छे कार्य के लिये भी किस प्रकार छाया-मात्र ही बना रहा और हर बुरे कार्य के लिए किस प्रकार वह शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग में लाया गया।

[कार्यवाही स्थगित]

जवाब का आठवाँ दिन

[१४ जून, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, इस उच्च न्यायालय की पिछले दिन की कार्यवाही में आपने मामले की सुनवाई की और कई मामलों पर चर्चा भी सुनी, विशेषकर बंगाल में मिस्टर हेस्टिंग्स के आचरण के संबंध में। मैंने तब कहा था कि मैं उसके आचरण के संबंध में चर्चा करूँगा जो उसने बंगाल में सर्वप्रथम जाते ही वहाँ की तत्कालीन सरकार और उससे संबंधित लोगों के साथ किए। हम पहले ही श्रीमान के सम्मुख यह तथ्य उपस्थित कर चुके है कि वहाँ की स्थानीय सरकार ने अपने राज्य की प्रगति के लिये कौन से प्रगतिशील कदम उठाए थे। हम यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि किस ढंग से वहाँ की सरकार न्यायालय द्वारा हीन और अयोग्य सिद्ध की गई और कानून की दृष्टि से मृतक मानी गई। हमने श्रीमान के सम्मुख सिद्ध किया (कागज-पत्रों के हवाले के साथ) कि उस सरकार की मौत की घोषणा उसी राज्य के एक डाक्टर द्वारा की गई जो मिस्टर हेस्टिंग्स के अलावा और कोई न था। यह घोषणा उसने अपने एक वक्तव्य में किया। उसे समस्त राजकीय उच्च अधिकार प्राप्त थे और उसी की शक्ति से उसने नवाब मुबारकउद्दौला को धीरे-धीरे शक्तिहीन करके राज्य से पदच्युत किया, उसी प्राचीन ढंग से जैसे किसी शक्तिहीन राजा को राजगद्दी से उतारा जाता था। उसमे धीरे-धीरे सभी राजकीय अधिकार छीन लिए गए। एक-एक करके, धीरे-धीरे उसका ताज, उसका न्यायदंड, उसका मान-सम्मान और उसके पास अन्त में कुछ भी न बचा। मिस्टर हेस्टिंग्स ने ही समस्त रचना की और परिणाम निकालने का काम न्यायाधीशों पर छोड़ दिया।

श्रीमान देखेंगे (जैसा कि आपकी कार्यवाही में लिखा है) कि न्यायाधीशों ने मिस्टर हेस्टिंग्स के वक्तव्य को 'कोमल वक्तव्य' कहा है। हमने इन वक्तव्यों को देखा है और उन्हें सत्य माना है। हमने उसके ही ऐसे भी वक्तव्य देखें हैं जो बनावटी व झूठे हैं। लेकिन यह पहला उदाहरण है जो हमारी दृष्टि में आया है (और इसे हम भारतीय शिष्टाचार का प्रमाण मानते हैं) कि यह एक 'कोमल वक्तव्य' है। मिस्टर हेस्टिंग्स का वक्तव्य हम श्रीमान को भी दिखायेंगे, जिसे किसी प्रकार भी एक अच्छा वक्तव्य नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उन न्यायाधीशों की दृष्टि में

यह एक 'कोमल वक्तव्य' रहा हो। उन्होने उसे नवाब के पदच्युत होने का प्रमाण माना हो, लेकिन सब रचना स्वयं करके भी उसने जान-बूझ कर नवाब को स्वय पदच्युत घोषित नही किया। अतः न्यायाधीशो ने यह अभिप्राय स्वयं ही निकाला जो बहुत स्वाभाविक, उचित और तर्कसंगत था, क्योकि उन्होने घोषित किया कि वह एक शून्य की तरह शक्तिहीन था। उन्होने मिस्टर हेस्टिंग्स के सकट को समझा और नवाब के पदच्युत किए जाने का निर्णय दिया, और घोषित किया कि कोई भी पत्र या कागज जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाय उसे किसी प्रकार भी सरकारी मान्यता न प्राप्त हो। इस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग मे न्यायाधीशों द्वारा वह पदच्युत करके रास्ते से हटा दिया गया जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अल्पमत द्वारा, या पागल-पन के द्वारा या शारीरिक कारण से, यहाँ तक की मृत्यु द्वारा अपने अस्तित्व से अलग नही किया जा सकता। उन्होने घोषित किया कि उसके किसी भी पत्र या कागज को तब तक महत्व नही दिया जा सकता जब तक वह कम्पनी द्वारा या गवर्नर जन-रल या कौसिल द्वारा प्राप्त न हो। इस प्रकार हम देखते है कि नवाब की यह कानूनी मौत घोषित की गई।

आगे हम देखते है कि वह राजनीतिक रूप मे भी मृतक बना। मिस्टर हेस्टिंग्स, अदालत मे दिए गए अपने शपथपूर्वक वक्तव्य से भी संतुष्ट न था और उसने लिखित रूप मे कम्पनी को सूचित किया, सारे ससार को विदित कराया कि उसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो।

[गवर्नर जनरल का वक्तव्य]

"गवर्नर जनरल—मै इस कार्यवाही का विरोध करता हूँ क्योकि मैं ऐसा नही समझता कि नवाब की राजकीय सत्ता के सम्बन्ध में न्यायाधीशो की घोषणा, इस सरकार को किसी प्रकार भी फ्रास या अन्य किसी विदेशी राज्य के संबंध मे झंझट मे डालेगी। (श्रीमान, देखिए यह राजनीतिक प्रभाव है) नवाब के नाम का परदा किस प्रकार उपयोग मे लाया गया, यह विदेशी राज्यो से हुई संधियो के कागज-पत्रो को देखने से पता लगेगा, विशेषकर फ्रास से। कम्पनी ने यही उचित समझा कि अपने असली चरित्र मे खुल कर दीवानी के अधिकार का उपयोग हो। इसी समय से उन प्रान्तो की सरकारे उनकी अपनी थी। कम्पनी के आदेशो के अवहेलनास्वरूप हमने विदेशो से अपने पत्राचार मे राज्य के कानूनो व नियमों को लिखने से अपने को सदा बचाया है। मुझे याद नही कि ऐसा कोई भी उदाहरण हो। और ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा भी नही। कही भी ऐसा नही लिखा गया कि नवाब के पास उन प्रातो की राजकीय सत्ता थी। फलस्वरूप मैं यह कहने मे नही हिचकता कि हमे विदेशी राष्ट्रों से सन्धियाँ करने मे बड़ी लज्जाजनक स्थिति का अनुभव करना पड़ा। विदेशी राष्ट्रो ने इन प्रान्तों को ब्रिटिश साम्राज्य का अग मानने के सिवा और कुछ नही माना। मिस्टर शेवेलियर ने बारम्बार घोषित किया

है कि वह किसी और को मान्यता न देगा। पुर्तगाल व डेनमार्क ने भी इसी सरकार को शासक माना है। अपने उत्तर में भी हमने यही चरित्र स्थापित किया है कि हमने उन्हें सुरक्षा दी, हमने उन्हें राजकीय स्थिति प्रदान की। नवाब से कभी राय नही ली गई न इसका प्रयत्न ही किया गया कि उसके आदेशों को महत्व दिया जाय। जहाँ तक मेरे अपने आचरण का प्रश्न है, मुझे कदम-कदम पर मुसीबतो का सामना करना पडा। पुर्तगाली व फ्रासीसी सरकारो से हमारे विचारों ने मेल नही खाया। आज भी पेशकश का भुगतान नही किया गया, यद्यपि हमने बल प्रयोग की धमकी भी दे दी है। दोनों राष्ट्र हमारी घोषणा को मानने को तैयार नही है, न हमारे नियमो को ही मान्यता देते है। वे विदेशी व्यापार पर चुंगी देने को तैयार नही है। और जो नियम वह चलाना चाहते है उससे तो कुछ मिलने की संभावना नही है। विदेशी नमक पर लगाई गई न्यूनतम दस प्रतिशत की चुंगी भी उन्हे मान्य नही है। जिसका परिणाम हो रहा है (जब तक बहुत कठोरता से इसे बन्द न किया जायगा तो) वे सभी व्यापार अपनी सीमा मे खीच कर अपने में ही समेट लेंगे। हमे लगता है और स्पष्ट दिखता है कि यही हालत रही तो हमे अंत मे योरोपीय राष्ट्रों मे अपने संबंधो के लिए पुन. निर्णय करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में हमे इतना तो स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि दूसरे देशो से व्यापार करने के सम्बन्ध में हम एक आपत्काल मे गुजर रहे है।"

अब श्रीमान देखे कि इस वक्तव्य मे ऐसी कोई कोमलता नही है—केवल राष्ट्रीय व्यापारी संकट है--यह सिद्ध हो चुका कि सरकार हमारी है और नवाब कुछ नही है। यह सिद्ध हो चुका कि विदेशी राज्यो के सम्बन्ध मे जो परेशानियाँ है, मिस्टर हेस्टिंग्स जैसा बताता है, उसी की राय मे इससे कम्पनी को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ इस 'कोमल वक्तव्य' के द्वारा हम उसके असली और उचित चरित्र का पूरा आभास पाते है, जो उसने न्यायालय मे प्रकट किए है और फिर समस्त संसार की सूचना के लिए कम्पनी को लिख कर दिया है कि बंगाल सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है।

इस अवसर पर हम उसके इस हठ की प्रशंसा किए बिना नही रह सकते जो उसने इस सम्बन्ध मे दिखाया। उसके सिद्धान्त चाहे ठीक या गलत ही रहे हो, उसमें हम एक विशेष प्रकार की दृढ़ता तो पाते ही हैं। हम वक्तव्य को पूरी तरह तथ्यपूर्ण पाते है। परिणाम को देखते हुए प्रारम्भ मे वक्तव्य देने की हिचक बाद में जाती रही और हमने देखा कि इस देश में किस प्रकार की चीजे हो रही है। आप श्रीमान देखे कि नवाब मृतक समान है—कानून की दृष्टि मे मृतक—राजनीति मे मृतक—न्यायालय मे मृतक—कम्पनी के दस्तावेजो मे मृतक। हाँ, अगर पशु के जीवन को जीवन माना जाय तो वह भी जीवित कहा जा सकता है।

अब हमे श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत करना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स जिसे किसी

को इस रूप मे मृतक बना देने की शक्ति व अधिकार प्राप्त है, उसे इसी प्रकार जीवन-दान देने की शक्ति व अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन वह कौन सी दवा है जो इस प्रकार प्राणदान देती है ?—श्रीमान, मेरा विश्वास है कि आप यह जान कर खुश होगे कि यह गुप्त औषधि न तो शारीरिक चिकित्सा है, न राजनीतिक चिकित्सा है, न कानूनी चिकित्सा है जो किसी भी प्रकार इस मनुष्य को पुनर्जीवन दे सके, जो उसकी मृतक हड्डियो पर माँस चढा सके, जो उसमे फिर से जीवन फूँक सके या चेतना व शक्ति दे सके। श्रीमान अब मै जल्दी ही आपको इस संबन्ध मे एक उदाहरण पेश करूँगा जिसमे इस प्रकार की मिथ्या-चिकित्सा का प्रमाण मिलेगा, जैसा पहले कभी नही मिला। उसकी प्रथम चिकित्सा है कि सभी गडबडियाँ ठीक करने के लिए अपने नैतिक व वैधानिक उच्च अधिकारियो के आदेशो का उसकी सम्मति से मेल नही खाता तो वह सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि डायरेक्टरो की परिषद उसके पक्ष मे व उसके नियम के समर्थन मे घोषणा नही करती, वह प्रतिक्षण विद्रोह की धमकी देता रहा। तभी यह मृतक हड्डियाँ उठती है, या अधिक शिष्ट भाषा मे कहने के लिए कहा जायगा कि यह प्रश्न उठता है कि, "क्या ये लोग मृतक है ?" मिस्टर बेये का मित्र पूछता है। वह कहता है, "नही। वे जल्दी ही उठेंगे और उठ कर नाचना शुरू कर देगे।" लेकिन इस नाटक के बीच मिस्टर हेस्टिंग्स का आचरण और उसकी महत्ता की ओर ध्यान से देखना कृपया श्रीमान न भूले। आप उसे नही भूल सकते, क्योकि ऐसी छोटी-छोटी बाते भी तो मनुष्य के महत्व को बढा ही देती है और व्यक्ति विशेष का आचरण इसमे और उजागर हो जाता है और वह जितनी धूर्तता या बेईमानी कर चुका होता है वह भी एक साथ ही प्रकाशमान हो कर स्पष्ट हो जाते है। जैसे यहाँ डायरेक्टरो की परिषद के प्रति उसकी अवहेलना यानी देश के कानून व न्याय की अवहेलना और जनता के साथ दबाव, लूट और दुर्व्यवहार के आचरण का स्पष्ट हो जाना साफ दिखता है।

श्रीमान, आप पहले ही एक व्यक्ति—माहम्मद रजा खाँ के बारे मे सब सुन चुके है जो नवाब का प्रतिष्ठित प्रतिनिधि था। आपको उसकी स्थिति, योग्यता और जितना कष्ट उसने सहा, उसका मुकदमा और उसकी रिहाई और कम्पनी का आदेश कि वह सर्वप्रथम प्राप्त अवसर मे नायब सूबेदार या नवाब का सहयोगी नियुक्त किया जाय और वह कानूनी ढंग से प्रतिनिधि होगा, आदि के बारे मे मालूम है। आपको यह भी मालम है कि इन आदेशो के साथ-साथ कौसिल जनरल ने इस व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति व उसे पुनः शक्ति देने के लिए क्या किया। यह नवाब, गरीब व निर्बल परेशान और अनपढ बालक या राज्य के प्रथम मुसलमान नागरिक—नवाब के लिए नही किया गया बल्कि पहले ही नायब सूबेदार या डिप्टी वाइसराय की देश मे प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए किया गया। कौसिल के बहुमत सदस्य—जनरल क्लावरिंग, कर्नल मॉनसन और मिस्टर फ्रैंसिस, जिनका नाम हम पहले

भी ले चुके हैं वे कम्पनी के आज्ञाकारी, कानून के प्रति श्रद्धालु थे और भारत में यद्यपि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबन्धी झूठा प्रचार खूब किया गया था फिर भी वे पवित्रता व दोष रहित रूप में अपने स्थान पर अडिग रूप से खड़े रहे। मैं कह चुका हूँ कि ये लोग कम्पनी के आज्ञाकारी सेवक थे, उनको मुहम्मद रजा खाँ से न तो कोई शिकायत थी न उसके साथ कोई धोखाधड़ी की नीयत थी। बल्कि उन्होंने उसकी नियुक्ति का अपने कार्यालय में स्वागत किया।

जिस क्षण वास्तविक मौत ने उसी की बिरादरी के दो प्रमुख व्यक्तियों को अलग किया तो मिस्टर हेस्टिंग्स फिर से शक्ति सम्पन्न हो गया। वह पुनः कम्पनी के सम्मुख एक विद्रोही बन कर शक्ति के साथ खड़ा हो सका। उसने पुनः जनता को सताने, दबाने और अत्याचार करने की शक्ति प्राप्त कर ली। यहाँ हम फिर मिलावट वाली झूठी तथा मिथ्या चिकित्सा की बात देखते हैं। मैं श्रीमान से यह बताना भूल गया था कि नवाब जिसके पत्रों के संबन्ध में अदालत की घोषणा हो चुकी थी कि वे नवर्नर जनरल व कौंसिल के माध्यम बिना महत्वहीन हैं—उसके संबन्ध में १७ नवम्बर १७७७ को प्रतिष्ठा पुनर्प्राप्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस संबन्ध में मिस्टर हेस्टिंग्स कार्यवाही के रूप में लिखता है—"नवाब की माँग उसके ठोस अधिकारों की नींव पर है, जिसके लिए किसी भी वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। अपनी व्यवस्था व राजकाज देखने का उसे जन्मजात अधिकार, उसे निजामत के सभी अधिकार तो प्राकृतिक व स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं।"

आप श्रीमान उसका पहला वक्तव्य भी सुन चुके हैं, आप उसकी शपथपूर्ण, लिखित रचना भी पढ़ चुके हैं। और कम्पनी के आदेशों को शंकित स्थिति में डाल देने के लिए और अपनी बात का महत्व बढ़ाने के लिए वह अपनी रचना व वक्तव्य दोनों के विरुद्ध यहाँ ऐसी घोषणा करता है, जिसे अगर सत्य माना जाये तो उसका वक्तव्य झूठा हो जाता है। जिस शब्द 'निजामत' का वह प्रयोग करता है वह सम्भवतः श्रीमान के लिए नया या अनजान शब्द है। भारत में इस शब्द के अर्थ हैं—समस्त शासकीय राजसत्ता युक्त सरकार, यद्यपि शब्द का उचित अर्थ है—राजप्रमुखता। उस देश का हर राजा व नवाब जिसे मुगल साम्राज्य का प्रतिनिधित्व प्राप्त है उसे यह अधिकार प्राप्त है। इस बात की सत्यता के लिए आप कृपया उसका अपना विवरण देखें—"परंपरा व वंशानुक्रम के अनुसार यह उसका अधिकार है। अदालत व फौजदारी की घोषणा कम्पनी ने बारंबार की है, और इस सरकार ने भी की है, यही निजामत है। अदालत के अर्थ हैं दीवानी न्यायालय, और फौजदारी से अर्थ है अपराधजन्य मामलों की अदालत, दोनों मिल कर सरकार की पूर्ण अदालत होती है। यही है निजामत।"

मैं श्रीमान को स्मरण दिलाने के लिए क्षमा चाहूंगा कि जब आप संसद सदस्यों द्वारा लगाए गए अभियोगों के बारे में विचार करें तब जिस व्यक्ति को उन्होंने

अपराधी कहा है और उसके अभियोगो से सबंधित अन्य व्यक्ति उन्हे तब तक अप-राधी न कहा जाय जब तक उनमे लज्जा व सताप की भावना न पैदा हो । उन्होंने कम्पनी की शक्ति को जीवित या मृतक बनाने का आडम्बर रचा, जब उन्हे अपने दुष्कर्मों के लिए जैसी आवश्यकता पडी ।

यहाँ मै श्रीमान का ध्यान मिस्टर फ्रैंसिस के एक वक्तव्य की ओर आकृष्ट कराऊँगा जिसे पूरा पढने की हम पहले ही आपसे प्रार्थना कर चुके है । यह पृष्ठ १०८६ पर है और आपके स्मरण के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमे मिस्टर हेस्टिंग्स के आचरणो का पूरा इतिहास है और उसके आचरणो मे हुए परिणामो की पूरी विस्तृत कहानी ।

अब मैं आगे बढूं । कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल के पास दूसरे प्रार्थना-पत्र मे नवाब ने इच्छा प्रकट की कि मुन्नी बेगम निजामत के शासन का पूरा भार अपने ऊपर ले ले और उसके काम मे कोई भी, चाहे जो भी हो, हस्तक्षेप न करे । वह आगे लिखता है कि उससे गवर्नर के कार्य को पूरी तरह सतोषपूर्वक करने का अवसर प्राप्त होगा । अन्य जाली और बनावटी पत्रो मे आपको निश्चय ही इस बात की सत्यता का आभास मिलेगा । किसी ने यह भी कहा है कि किसी भी पत्र का वास्तविक अर्थ उसके प्रथम लिखावट से ही ज्ञात होता है । लेकिन यह मामला इतना उलझन वाला है कि समस्त शिष्टाचार के विरुद्ध नवाब जो करता है वह यह है कि उसे ही मुन्नी बेगम के हाथों सौप दिया जाय और उस पर से यह भी कि और कोई इस मामले मे हस्तक्षेप भी न करे ।

पहले पत्र का पीछा करता हुआ दूसरा पत्र भी पहुँचा, जिसे कौसिल ने १२ फरवरी १७७८ को प्राप्त किया । इस पत्र मे वह चाहता है कि मुहम्मद रजा खाँ को शासकीय पद से निकाल दिया जाय और आशा प्रकट करता है कि वह स्वयं ही अब बालिग हो गया है और ईश्वर की कृपा से वह अपने व देश के सभी मामले समझने लगा है अत वह कहता है- 'मुझे पूरी आशा है कि आप मेरा पक्ष लेगे और न्याय करेंगे कि मुझे मुहम्मद रजा खाँ के अधिकार से मुक्त करेंगे और यह आज्ञा देगे कि मै अदालत तथा फौजदारी का कार्यभार अपने हाथ मे लूँ ।" इस प्रार्थना पत्र जैसे पत्र के सबध मे कोई शका नही है, यद्यपि यह पहले पत्र के बिल्कुल विपरीत है, यह शका पैदा होने पर मुन्नी बेगम की नियुक्ति एक भयानक भूल होगी, तथा समस्त कौसिल इससे हिल जायेगी, काँप जायेगी, अत मिस्टर हेस्टिंग्स ने आदेश दे कर नवाब से दूसरा पत्र लिखवाया जिसमे उसने राजकीय अधिकारो की स्वयं ही माँग की है । तब गवर्नर जनरल का पत्र आता है, जिसमे नवाब को सूचना दी जाती है कि यह निश्चित किया गया है कि नवाब अब बालिग हो गये है अत दरबार, अदालत, निजामत और फौजदारी के सभी अधिकार उन्हे ही दिये जाते है । और साथ ही साथ

मुहम्मद रजा खाँ को आदेश दिया जाता है कि वह नवाब के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दे।

यहाँ पर श्रीमान देखें कि मुन्नी बेगम को एक प्रकार से समस्त अधिकार मिल जाते है और आप देखें कि वह अपने अधिकारों का कैसे उपयोग करती है क्योकि मै समझता हूँ कि श्रीमान इतना समझ गए होगे कि सरकार का असली अधिकारी नवाब किस हद तक था। इस व्यापार के मुख्य लोगों को आपने पहचान लिया होगा—एक प्रेमी के रूप में वारेन हेस्टिंग्स और उसकी आकांक्षाओं की रानी मुन्नी बेगम जिसके लिए उसने उतना ही त्याग किया जितना क्लिओपेट्रा के लिए उसके एंथनी ने किया था। आप देखे कि इस प्रेम-व्यापार के लिए वाइसराय की गद्दी दाँव पर लगा दी गई और उसकी इच्छा पर समस्त राजकाज व अदालत छोड़ दी गई।

श्रीमान को अवश्य ही याद होगा कि नवाब की सरकार का यह बँटवारा स्पष्ट रूप में कम्पनी के आदेशो की अवहेलना थी। इस अवहेलना के सम्बन्ध मे और अधिक प्रमाण के लिए श्रीमान यह भी न भूले होंगे कि इस योजना को कार्यरूप देने के पहले ही, मिस्टर बारवेल एक दिन के लिए कौसिल से अनुपस्थित रहा, तो मिस्टर हेस्टिंग्स अल्पमत मे आ गया और यह निश्चय हुआ कि इस अवसर पर जो भी निश्चय हो वह डायरेक्टरो की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और जब तक डायरेक्टरगण अपनी निश्चित राय न दे दें तव तक कोई भी कदम न उठाया जाय। मिस्टर बारवेल के कौसिल मे पुनः उपस्थित होते ही मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस प्रस्ताव को रद्द कराया जिसका परिणाम हुआ कि डायरेक्टरों की परिषद को पुनः विचार करना पड़ा और उसने तत्काल अपने पूर्व निश्चय पर वापस आने का रास्ता खोज निकाला। श्रीमान यह भी देखेंगे कि इस सम्बन्ध में मिस्टर हेस्टिंग्स ने कौसिल का क्या उपयोग किया, इसीलिए मैंने अपराधी के प्रत्येक आचरण पर दृष्टिपात किया है और देखा कि उसका एक भी ऐसा आचरण न था जिस पर सरकार को धक्का नहीं लगा, यदि पूरी तरह सरकार नष्ट नहीं हो सकी।

श्रीमान, हमने आपके सम्मुख इस कार्यवाही के परिणाम प्रस्तुत किए। मैंने यह भी बताया कि जनानखाने की दीवालो के भीतर क्या क्या हुआ और इस औरत ने महल की अन्य औरतो के साथ कैसा व्यवहार किया। अब मैं श्रीमान को दिखाऊँगा कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग उच्चतम अदालत के लिए किस प्रकार किया। देश का किस प्रकार विनाश हुआ और शक्ति के दुरुपयोग का मैं प्रमाण भी दूँगा, सारी घटनाएँ बताऊँगा जिनके सम्बन्ध में प्रमाण दिये जा चुके हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था सदरुल हक खाँ जिसे न्याय का उच्चतम अधिकारी बनाया गया, ७००० पौड प्रति वर्ष पर। इस व्यक्ति ने कौसिल और गवर्नर जनरल के नाम एक पत्र में जो १ली सितम्बर १७७८ को प्राप्त हुआ में लिखा :—"नवाब स्वयं मुझसे कोई विरोध नहीं रखते लेकिन कुछ बुरे व्यक्तियों ने उसके मन पर बुरी तरह अधि-

कार जमा रखा है जिनके उकसाने पर वह कार्य करता है ।" अब आप देखें श्रीमान कि यह गरीब आदमी किस प्रकार अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए पंगु बना दिया गया था और इस औरत और उसके दलालों द्वारा किस प्रकार अपमानित किया जाता था । उसे तो मिस्टर हेस्टिंग्स ने उच्चतम अधिकार दे ही दिये थे । और नवाब से शिकायतें प्राप्त करके उसने लिखा :—"इस प्रकार मेरे प्रति व्यवहार करने को वे नवाब को विवश करते हैं । कभी-कभी अशोभनीय व्यवहार और कभी-कभी उचित व्यवहार, जैसा जब वे चाहते हैं, नवाब करता है । उनका विचार है कि ऐसे अनुचित व्यवहारों के प्रति मुझे नाराज होने को विवश करके, वे मुझे अपना पद व स्थान छोड़ने को विवश करेंगे और या तो अपने कुकर्मों का साथी बना लेंगे और विभिन्न पदों पर अपने आदमी बैठा लेंगे जहाँ से वे अपना लाभ व स्वार्थ-साधन आसानी से कर सकें ।" गवर्नर को एक दूसरे पत्र में सदरुल हक खाँ ने लिखा—"मेरे आने के पूर्व ही बेगम के सलाहकारों ने अपने अपने अन्य साथियों की सलाह से नवाब को रसीद पर हस्ताक्षर करने को विवश किया जिसके फलस्वरूप उन्होंने, दो विभिन्न अवसरों पर लगभग ५०,००० रुपये पाये सो भी अदालत और फौजदारी के अफसरों के नाम पर, सो कंपनी सरकार के खजाने से और इस प्रकार रुपये स्वयं हड़प कर नवाब से रसीद पर हस्ताक्षर कराया फिर मेरे पास भेजा ।" उसी पत्र में वह कहता है कि नवाब पूरी तरह उनके ही अधिकार में है ।

अब हमें श्रीमान के सम्मुख यही कहना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने जिस राज-व्यवस्था की योजना बनाई उसमें सबसे पहले उसने सब कुछ इसी बदनाम व बुरी स्त्री के हाथों सौंप दिया और मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को इस प्रकार से दूषित किया तथा कंपनी के धन का दुरुपयोग किया गया, यद्यपि यह सब कार्य उसकी अपनी दृष्टि में उचित थे । पद और इस पद पर बैठाया गया योग्य व्यक्ति भी विवश हो कर उस बुरी स्त्री और उसके दो दलालों के हाथों की कठपुतली बन कर रह गया । और अपने पद का अधिकार लेते ही मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम यही कार्य किया कि उसने मिस्टर हेस्टिंग्स के पास अपनी शिकायत पहुँचायी । इसी मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब को सभी अधिकारों का मालिक बनाया था और सब कुछ उसके अधिकार में दे रखा था और कहता था कि नवाब किसी के मातहत नहीं रहेगा पर जैसा आपने देखा कि नवाब की क्या स्थिति बनी । उसका कहना है कि नवाब के इन कार्यों से वह बहुत आश्चर्यचकित है और डायरेक्टरों की परिषद तक उनकी पहुँच को रोकने में असमर्थ, उसने तत्काल सदरुल हक खाँ को उसके आधीन कर लिया ।

अब आप देखें श्रीमान कि मिस्टर हेस्टिंग्स फिर अपने असली चरित्र में सामने आता है, अपने अधिकार की शक्ति का दुरुपयोग करने और नवाब को अपने नीचे दबोच लेने के कार्य में । वह सदरुल हक खाँ का समर्थक बनता है क्योंकि उसके साथ किए गए अनुचित व्यवहार अब कौंसिल से छिपाए नहीं जा सकते थे । १ली

सितम्बर १७७८ को गवर्नर ने नवाब को सूचित किया—"यह आवश्यक है कि सदरूल हक खाँ को शासन का सब अधिकार दिया जाय और उसे ही सदर तथा मुफस्सिल की अदालतों के अफसरों की बहाली और बरखास्तगी का एकमात्र अधिकार रहे। और उसकी मुहर और दस्तखत को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हो। अतः मैं आपको सूचित करता हूँ कि उसे ही अपने नीचे के समस्त अफसरों की नियुक्ति व निकालने का अधिकार है और आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।"

गवर्नर को ३री सितम्बर १७७८ को प्राप्त पत्र में नवाब ने लिखा—"आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सलाह को मानता हूँ। मैंने फौजदारी और अदालत के सभी मामलों से अपना हाथ खींच लिया है और समस्त कार्यभार सदरुल हक खाँ पर छोड़ दिया है।"

यहाँ आप देखें कि नवाब फिर से पूर्व जैसी हीन स्थिति में ला दिया गया। मुख्य न्यायाधीश का पद जिसे हम पुश्तैनी मानते है, वह भी उसने मिस्टर हेस्टिंग्स के अधिकार में छोड़ दिया और घोषित किया कि वह मिस्टर हेस्टिंग्स के आदेशानुसार किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप न करेगा। मैं यह नही कहता कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहीं कोई अनुचित हस्तक्षेप किया है। अवश्य ही यह आवश्यक न था न उचित ही था कि बंगाल का मुख्यतम न्यायालय, खलनायकों के एक गिरोह के हाथ की कठपुतली बना दिया जाय और उनकी सरदार बने एक वेश्या, जैसे कि यदि इंगलैंड के डाकुओं का एक ऐसा गिरोह हो जिसकी प्रधान एक वेश्या हो, वह उस न्यायाधीश पर अधिकार कर ले जो उसे दण्ड देने वाला हो और अपना ही सिक्का उसके नाम से चलावे। लेकिन आप श्रीमान देखेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स का यहाँ बड़ा विचित्र चरित्र सामने आता है और वह गुप्त रूप मे जिस चीज को रोकता है, सार्वजनिक रूप से वही करवाता है। श्रीमान यह देखें कि कितनी जल्दी इसका अंत भी हुआ। मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब को विवश किया कि वह समस्त अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दे दे लेकिन वह मुन्नी बेगम के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं बोलता जिसके हाथ मे वास्तविक अधिकार थे और जिसे हस्तक्षेप करने की कही मनाही या रोक न थी।—मिस्टर हेस्टिंग्स का यह १ली सितंबर १७७८ का आदेश है। ३री सितंबर १७७८ को नवाब कहता है कि उसने सभी अधिकार सदरुल हक खाँ को सौंप दिए। ३० सितंबर १७७८ को प्राप्त एक पत्र में (यानी मिस्टर हेस्टिंग्स के आदेश के लगभग सत्ताइस दिन बाद) आप देखेंगे कि इस आदेश की कैसे व्यवस्था की गई। ३० सितम्बर १७७८ के प्राप्त पत्र में सदरुल हक खाँ ने लिखा—"एतबार अली खाँ जो मुन्नी बेगम का प्रमुख दलाल है, ने सरकार के खजाने से मेरे आने के पूर्व ही अदालत व फौजदारी के अफसरों का दो महीने का वेतन निकाला और उनका बँटवारा अपनी इच्छानुसार किया। इसके पूर्व ही मेरे व मेरे पेशकारों के नाम पर वह ७४०० रुपये निकाल चुका था और एक व्यक्ति को मुझसे ४३०० रुपये

बकाया के रूप में मागने को भेजता है, और बार-बार मुझे विवश करता है कि मैं यह रकम अदालत तथा फौजदारी के अफसरों के वेतन के हिसाब में ले कर उसे भेज दूं और ऐसा करने को मैं विवश भी हूँ। यह समाचार मै आपके पास सूचनार्थ भेज रहा हूँ।"

श्रीमान आप देखें कि फिर मिस्टर हेस्टिंग्स के अप्रत्यक्ष आदेशों का पालन किया गया। यह आदेश नवाब को दिए गए जिसे वह कोई अधिकारी भी नहीं मानता और जिसका सचमुच न तो कोई अधिकार है न किसी भी आदेश को कार्य रूप में परिणत करने की उसमें शक्ति है, लेकिन वह सभी कुछ मुन्नी बेगम और उसके दलालों पर छोड देता है, जिन्हें वह जानता है कि केवल वे ही उन आदेशों को मूर्तरूप दे सकते है। अब श्रीमान देखें कि नवाब के अधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कि सरकारी अफसरों के वेतन के सम्बन्ध में मनमानी की गई, सरकारी खजाने की लूट और कम्पनी का धन दलालों को दिया गया जो मेरे उपर्युक्त कथनानुसार कार्य कर रहे थे।

इन समस्त कार्यवाहियों की सूचना कलकत्ता तक पहुँची--शासन के उच्चतम पद पर बैठे एक अधिकारी की ओर से लगातार शिकायतें हुई और गवर्नर जनरल मामले को उठाने के लिए विवश हुआ। और अब मैं श्रीमान के सम्मुख १० अक्टूबर १७७८ का एक पत्र पढ कर सुनाऊँगा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि न्याय व शासन पर कितना सीधा और भयानक परिणाम हुआ या प्रभाव पहुँचा, इस सम्बन्ध में मुझे कोई आलोचना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पत्र अपने आपमें पूर्णतया स्पष्ट है।

नवाब के नाम गवर्नर जनरल का पत्र—"आप की इच्छानुसार मैंने अदालत व फ़ौजदारी के कार्यभार उठाने के लिए सदरुल हक खा को भेजा और इस प्रकार न केवल आपको संतोष दिया बल्कि उसकी योग्यता तथा कार्यकुशलता के कारण सभी मामले हाथ में आ गये और देश में शांति तथा जनता में प्रसन्नता लौट आई। लेकिन बडी चिन्ता का विषय है कि मैंने यह सुना कि फौजदारी और अदालत के मामले अभी भी बडी उलझन की स्थिति में पड़े है और प्रतिदिन देश भर में सर्वत्र लूटपाट और हत्यायें हो रही हैं। यह शासन के मुख्य पद पर बैठे पदाधिकारी की शक्तिहीनता के ही कारण है। अत: मै आपको आ... देता हूँ कि आप सभी आवश्यक अधिकार संबंधित पदाधिकारी को दे कर उसके हाथ सशक्त करें। ऐसा न करने का अर्थ होगा कि समस्त देश उलझन की स्थिति में पडा रहेगा। अत आपको चाहिए कि आप अपने मातहत अन्य अफसरों को आदेश दें कि वे शासन के किसी कार्य में हस्तक्षेप न करें और अदालत व फौजदारी के सबंध में कोई कार्य न करें और न आप ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें तथा समस्त जिम्मेदारी व अधिकार सदरुल हक खाँ को ही सौंप दें। इससे देश की शासन-व्यवस्था को एक सुचारू रूप प्राप्त

होता होगा और भविष्य में यदि किसी प्रकार की कोई योजना इस संबन्ध में आपके पास हो तो वह आप सीधे मुझे सूचित करें और हम उस पर पूरा ध्यान देंगे।

श्रीमान, मैं समझता हूँ कि वर्तमान मामले के संदर्भ में मैंने काफी कुछ सुना दिया और अंत में मैं आपके सम्मुख पड़ी कार्यवाही के पृष्ठ १०८६ की ओर आप का ध्यान आकृष्ट कराऊँगा और प्रार्थना करूँगा कि इसे आप विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ें।

मैं पुनः यह कहने की आज्ञा चाहूँगा कि अभी भी मिस्टर हेस्टिंग्स यही बताना चाहता है कि वह देश में न्याय व शांति की पुर्नस्थापना की ही इच्छा रखना है फिर भी इस संबन्ध में मुन्नी बेगम को न लिख कर, जिसके ही सम्बन्ध में तथा जिसके दलालों के सम्बन्ध में ही समस्त शिकायतें हैं, वह नवाब को ही लिखता है। इस पत्र में जो नवाब को लिखा गया है, मुन्नी बेगम व उसके दलालों के संबंध में एक भी शब्द नहीं है। जब कि सचाई यही है कि मुन्नी बेगम और उसके दोनों दलाल अभी भी कम्पनी का धन हड़पने के कार्य में व्यस्त हैं, नवाब के लूटने में व्यस्त हैं, और देश में लूटमार और हत्या का बोलबाला है। आज बंगाल में एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी शांति, सुरक्षा व न्याय का एक छोटा सा निशान भी नहीं दिखाई पड़ता।

२७ मई १७७९ को डायरेक्टरों को इस विषम स्थिति की विस्तृत सूचना पहुँची और वे बड़े चिन्तित हुए। इसका वर्णन आप कार्यवाही के पृष्ठ १०६३ में पावेंगे, जहाँ कलकत्ता की सरकार को उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने समस्त कार्यवाहियों और मुहम्मद रजा खाँ के पदच्युत किए जाने की भर्त्सना की और उन्होंने आदेश दिया कि मुन्नी बेगम को उसके अधिकार से हटाया जाय और पुनः न्याय के उस पद पर मुहम्मद रजा खाँ को बैठाया जाय।

इन आदेशों के प्राप्त होने पर मिस्टर फ्रैंसिस ने उनको कार्यरूप देने का प्रस्ताव कौंसिल में रखा। मिस्टर हेस्टिंग्स जो अपने किए गये मनमाने प्रबंध से संभावित खतरे की भीषणता संभवतः अभी भी नहीं समझ रहा था, ने इस प्रस्ताव का अपनी शक्ति भर विरोध किया। कौंसिल में अपनी सशक्त आवाज तथा बहुमत के कारण उसने डायरेक्टरों के आदेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना की और दूसरा आदेश जारी कराया कि मुहम्मद रजा खाँ को पुनः उसका पद न दिया जाय बल्कि यह सदरुल हक खाँ जो उपर्युक्त वर्णित स्थिति मे अभी भी है, अपने पद पर बना रहे। मैं सदरुल हक खाँ के संबन्ध में कुछ नहीं कहता, वह अपने पद का कार्यभार सम्हालने में काफी योग्य है और यदि मुहम्मद रजा खाँ को पुनः स्थान दिया जाता तो भी वह मिस्टर हेस्टिंग्स सदरुल हक खाँ के विरोधों के कारण कुछ न कर जाता और देश की स्थिति में कहीं सुधार न आता।

श्रीमान आपने देखा कि उसने कम्पनी की अवहेलना की। आप देखें कि

खुलेआम वेश्याओ और लुटेरो को हर प्रकार मे बंगाल मे समर्थन दिया गया, आपने डायरेक्टरो के आदेशो को अपमानित होते देखा। एक के बाद अनेक आदेश आये पर उसकी अवहेलना का क्रम बढता ही गया।

श्रीमान, यहाँ थोड़ा सा ठहराव आया। डायरेक्टरो की अवहेलना हो चुकी थी। आप समझेगे कि वह इस अवहेलना के कार्य से प्रसन्न होगा। बल्कि परिणाम इसका यह हुआ कि उसने जब कभी बाद म आदेशो को सम्मानपूर्वक मानना भी चाहा तो भी उसका रूप अवहेलना का ही रहा। यहाँ एक घटना घटी। उसका पूरा वर्णन तो हम यहाँ न करेगे, झगडा मिस्टर फासिम की ओर से उठा, सो भी कम्पनी के आदेश को मान्यता देने के प्रश्न को ले कर। इसी बात को ले कर उसमे व मिस्टर हेस्टिंग्स मे झगडा उठा। अंत मे तय हुआ कि मुहम्मद रजा खाँ को पुन: पद पर प्रतिष्ठित किया जाय। इस सबन्ध मे मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब को पत्र लिखा। यहा भी श्रीमान मेरे उस कथन की सत्यता पावेगे कि जब कभी वह आदेशो को मानता भी था तो एक गुप्तधारा ऐसी भी बहाता था जो उस मानने की अच्छाई को नष्ट कर दे।

नवाव मुबारकउद्दौला को १० फरवरी १७८० को लिखा गया मिस्टर हेस्टिंग्स का पत्र—"कम्पनी, जिसके आदेश अकाट्य और सर्वमान्य है, ने आदेश दिया है कि मुहम्मद रजा खाँ को उसके पद पर पुन स्थापित किया जाय जिस पर वह जनवरी १७७८ मे थे। आप तक यह आदेश पहुँचा देना मेरा कर्तव्य है और मेरी यही सलाह हे कि कम्पनी के आदेशो का यथासम्भव पालन किया जाना चाहिए।"

यहाँ देखिए श्रीमान, कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने नवाब को सूचना दी और कम्पनी के आदेशानुसार मोहम्मद रजा खाँ को पुन स्थापित किया गया। तब मोहम्मद रजा खाँ को कम्पनी से प्राप्त सभी अधिकार भी दे दिए गए। लेकिन आप जरा उसके उस ढग को भी देखे जिसमे वह अपने कर्तव्य मे भागने मे सफल होता है। हमलोग उसके व्यक्तिगत मामले मे कुछ नही जानते थे, जब तक मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वय ही ससद मे अपना वक्तव्य नही दिया था। वह सर जॉन डिउले को सामने लाया। वह हमारे सामने एक गवाह की स्थिति मे नही आया कि मिस्टर हेस्टिंग्स के पक्ष मे बयान देता, बल्कि मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा कौंसिल का सदस्य नियुक्त होने वाले व्यक्ति के रूप मे केवल कुछ बातो का वर्णन करने आया। श्रीमान, आपने इस व्यापार मे सार्वजनिक राय भी देखी। आपने नवाब द्वारा भेजा गया पत्र भी पढा। अब आप इस व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय देखे। अब सर जॉन डिउले नामक बनिए की बात सुने :—

"मै नवाब के दरबार मे रेजीडेन्ट नियुक्त हुआ, जब मिस्टर बयाम मार्टिन ने जनवरी १७८० मे उस पद मे इस्तीफा दिया था। मैने उसी वर्ष फरवरी के

प्रारंभ में अधिकार सम्हाला। हमें जो आदेश प्राप्त हुए उनका आशय था कि मैं अपनी शक्ति व अधिकार से नवाब व उमके परिवार में अच्छे संबंध स्थापित कर सकूँ। उसे समझा-बुझा कर खरचों के संबंध में नए नियम मनवा सकूँ, क्योकि उसके खर्चे आमदनी से वहुत बढ़े हुए थे। मैं उसे बुरे लोगों के संबंध से बचाऊँ और संसार की दृष्टि में प्रतिष्ठित होने में उसकी सहायता करूँ। नवाब व उसके परिवार को भी हमारी बातें उसी प्रकार मानने का आदेश था जैसा उसे गवर्नर जनरल की बाते मानने का। एक बार, मैं समझता हूँ कि उसी वर्ष फरवरी मास में मुझे मिस्टर हेस्टिंग्स से एक पत्र प्राप्त हुआ। यह शासन की व्यवस्था के संबंध में था। वह मिस्टर फ्रैंसिस की बात व सलाह मान गया था पर उसे मानने में उसे कुछ कष्टकर त्याग करने की आवश्यकता थी। विशेष कर नायब सूबेदार के पद पर मोहम्मद रजा खाँ की पुनः नियुक्ति। यह कार्य वह जानता था कि नवाब को कभी न पसन्द आएगा परन्तु ऐसा करने के लिए वह अपने कर्तव्यो से बँधा था। उसने चाहा था कि मै इन समस्त परिस्थितियों की जानकारी नवाब को उचित ढंग से करा दूँ और उसे भरोसा दिला दूँ कि यह एक अस्थायी प्रबन्ध है और संभवतः डायरेक्टरों के दूसरे आदेश के आते-आते सब ठीक हो जाय।''

यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स हमें स्वयं सरकार के रहस्यों में प्रवेश देता है। वह नवाब को पत्र लिख कर बताता है कि वह जो भी कर रहा सब कुछ कम्पनी के आदेशों के अनुसार ही कर रहा है। एक गुप्त व गोपनीय पत्र में वह अपने एजेन्टों को निर्देश देता है कि वे नवाब को विश्वास दिलावें कि उसने जो कुछ किया है वह कम्पनी के आदेशानुसार नहीं, बल्कि मिस्टर फ्रैंसिस से हुए समझौते के अनुसार, जिसे वह अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए करना आवश्यक मानता है। यह किलेबंदी वह केवल इसलिए कर रहा था कि इससे देशी राजा भविष्य में केवल उसे ही उच्चतम शक्तिवाला अधिकारी माने और अपनी शिकायतें केवल उसी के पास भेजें। अतः वह बताता है कि मोहम्मद रजा खाँ की पुनः नियुक्ति कम्पनी के आदेशानुसार नहीं बल्कि मिस्टर फ्रैंसिस की इच्छानुसार कर रहा है। अगर वह मिस्टर फ्रैंसिस से लड़े, तो वह अपने मालिकों के आदेशों की अवहेलना करता है। अगर वह उससे सहमत हो कर कार्य करता है तो वह गोपनीय व्यापार और व्यक्तिगत लाभ की भूमि तैयार करता है। अतः वह जो भी करता है वह मालिको से प्राप्त आदेशानुसार नहीं, बल्कि दूसरे कारणो से। लेकिन इतना ही नहीं है। वह यह घोषणा करता है कि वह अवसर पाते ही सर्वप्रथम मोहम्मद रजा खाँ को फिर उसके पद से हटा देगा। इस प्रकार देश फिर से उन्हीं दुर्दिनों का शिकार हो जाता है जिसमें वह पहले था और यह सब बहुत स्पष्ट रूप में आप के सम्मुख उपस्थित है। आपने सर जॉन डिउले के अधिकार की बात देखा। इस समस्त रहस्य का सर जॉन डिउले एक प्रमुख पात्र है, और एक व्यक्ति जो रहस्य का भागी होता है वह

हजारों उपयोगी लोगो से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है ।

अब मै आपको बताऊँ कि मोहम्मद रजा खाँ को उसका पद पुनः दिया गया और नवाब की शक्ति क्षीण की गई, जैसा कि अन्य अवसरो पर मिस्टर हेस्टिंग्स इस संबंध मे बताता है कि वह केवल नाममात्र का नवाब था । लेकिन देखें कि इसके आगे क्या है—आगे यह व्यक्ति सर जॉन डिउली क्या कहता है या उसके संबंध मे मिस्टर हेस्टिंग्स क्या कहता है ? क्योंकि यह बात सर जॉन डिउली ने मिस्टर हेस्टिंग्स को लिखा या मिस्टर हेस्टिंग्स ने सर जान डिउली को लिखा—मै नही जानता क्योंकि जैसा किसी ने बताया है दोनो बड़े गहरे मित्र है और उनकी एक ही इच्छा, एक ही बिस्तरा और दोनों के बीच एक ही टोप है । ये महाशय लोग जो मिस्टर हेस्टिंग्स की कौसिल मे है, उनके लिखने का सबों का एक ही ढंग है, अतः यह मालूम करना बडा कठिन है कि रोमन स्कूल के किस अध्यापक से सीख कर यह कागज लिखा गया जो सर जान डिउली, शोरे या हेस्टिंग्स का है या किसी अन्य का । उनकी लेखन शैली एक जैसी है, उन सबो का हिसाब एक ही खाते मे हो और आप यह न जान पावे कि खाते मे लिखी कौन सी रकम किसकी है ।

लेकिन आगे चलने के लिए—सर जान डिउली कहता है कि नवाब पुनः नाम-मात्र वाली स्थिति तक ला दिया गया । अब सुनिए, वह आगे क्या कहता है, "१७८१ के जून महीने के लगभग, मिस्टर हेस्टिंग्स जो तब मुर्शिदाबाद मे था, ने मुझे सूचित किया, अपनी इच्छा कि उसकी बात नवाब तक पहुँचाई जाय ताकि उसे पुनः अपने मामलो का सर्वाधिकारी व मालिक बनाया जाय ।" [इसके सीधे अर्थ है कि मुन्नी बेगम को पुनः राज्यसत्ता दी जाय और मोहम्मद रजा खाँ को पुन. निकाल बाहर किया जाय ।]—अब श्रीमान देखे, यह बात या संदेश उसने सर जान डिउली को गोपनीय या गुप्त ढग से भेजा और इस संबध मे एक शब्द भी सुप्रीम कौसिल के अपने साथियो को पता न लगने दिया । न इस प्रकार की कोई कौसिल की कार्यवाही ही लिखी गई जिससे यह बात कौसिल के सदस्यो को भी पता लग जाती । अन्त मे आपको यह दिखाने लिए कि किस ढग से नवाब को पुन. अधिकार दिए गए मै श्रीमान के सम्मुख उस आदेश की ओर ध्यान आकृष्ट कराऊँगा, जो उसने सर जान डिउली को नवाब का हिसाब जाँचने के सम्बन्ध में दिए थे । अब आप स्पष्ट रूप से देखेगे कि उसे पुन· शक्ति व अधिकार कैसे मिले—यानी वह पहले तो मुसलमान प्रभाव से अलग किया गया । वह मुसलमान व्यक्ति न्याय संबंधी शासन का बहुत योग्य अधिकारी व जानकार था जिसे कम्पनी ने विशेष तौर पर अधिकार दिये थे और उसे सर जान डिउली के हाथों सोपा गया । क्या सर जान डिउली मुसलमान है ? क्या सर जान डिउली ऐसी सरकार का प्रधान अधिकारी होने के योग्य है ? उसमें ऐसी क्या विशेषता किसी व्यक्ति ने देखी थी ? जिससे उस व्यक्ति को इतने अधिकार दिए गए सो भी कम्पनी के आदेशों की पूर्ण अवहेलना कर के ? फिर भी

मुहम्मद रजा खाँ जो नवाब के मामलों का एकमात्र उत्तरदायी था, वह भी सर जान डिउली के मातहत रख दिया गया। लेकिन वास्तव में, इन सब बातों में केवल मुन्नी बेगम का ही प्रभाव था। सर जान डिउली स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स का प्रमुख हथियार था और नवाब के साथ किया गया यह भयानक व्यवहार अवश्य ही मिस्टर हेस्टिंग्स की जानकारी में था। इस समय मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा नवाब को लिखा गया एक पत्र सभी रहस्यों को पूरी तरह उद्घाटित कर देता है।

"नवाब मुबरकउद्दौला को गवर्नर जनरल का आदेश उसके आचरण व उसके अधिकार के सम्बन्ध में :—नवाँ, यह वे शर्तें हैं जो गवर्नर जनरल व कौंसिल ने गत अवसर पर आप पर लगाई। यह उचित है कि आपके जो मान्य अधिकार हैं वे आप के ही रहें पर उनकी इच्छाओं का दमन हुआ और आपकी स्थिति दयनीय हो गई, क्यों कि बिना किसी अनुभव व अनुभवी व्यक्ति की सलाह के ही आपने प्रार्थना पत्र लिख भेजा। आपने चार लाख रुपयों की रकम स्वीकार करने से इन्कार किया। लेकिन हमने इसे स्वीकार न किया क्योंकि यह न्यायसंगत बात न होती। इसी को आपको आपके प्रति हमारी ईमानदारी का प्रमाण मानना चाहिये। मैंने यह कागज आपके सम्मुख पढ़ने के लिए और आप को समझा देने के लिए सर जान डिउली को आदेश दिया है ताकि इसका कोई भी अंश आपकी जानकारी मे छूट न जाय और उसे मेरा निश्चित आदेश है कि वह आप से कुछ भी छिपाव न रखे। इन सभी अवसरो पर मैं आशा करता हूँ कि आप उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनें और माने कि वह जो भी कहे वह मेरी अपनी ही बात है, क्योंकि उसे मैं एक दृढ़ चरित्रवाला, ईमानदार और योग्य व्यक्ति मानता हूँ। मुझे उस पर पूरा विश्वास है और आपको उससे अधिक संबंधित और साथ ही विरक्त कोई अन्य व्यक्ति न मिलेगा। यद्यपि मेरी इच्छा रहती है कि मुझे आपके कभी-कभी पत्र मिला करें फिर भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जो पत्रों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत वार्तालाप से ही स्पष्ट हो सकती है। मैं चाहूँगा कि ऐसे अवसरों पर आप मुझे जो भी बताना चाहें, बेहिचक और निडर हो कर उसे बता दें और मैं अन्य सभी कार्य रोक कर आपको तुरन्त उत्तर दूँगा, जिससे आपको पूर्ण संतोष होगा।"

श्रीमान, यहाँ एक व्यक्ति है जो अपने मामलों का स्वयं ही मालिक है जो अपनी बालिग उम्र पा चुका है और किसी भी मुसलमान मुल्ला से अधिक योग्य है, देश का उच्चतम व्यक्ति है, उसे भी सर जान डिउली के संरक्षकता में डाल दिया जाता है। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने सर जान डिउली के महान चरित्र का बखान किया है। मैं इस बात की स्वीकृति नहीं दे सकता क्योंकि मैं मिस्टर हेस्टिंग्स के किसी हथियार की उच्चता पर विश्वास नहीं करता। वे सब आपके सम्मुख स्वयं ही अपनी योग्यता का दिग्दर्शन करा देंगे।

श्रीमान अब इस व्यापार की एक अन्य स्थिति व लेन-देन के मामले पर दृष्टि

डाले। इस व्यक्ति को ४०,००० पौंड प्रति वर्ष दिये जाने की बात है। मै बताऊँगा कि वह कहता है कि अपने मामले के प्रबन्ध के लिये ४०,००० पौंड प्रति वर्ष की बात हुई। हे ईश्वर ! यहाँ यह व्यक्ति जो मिस्टर हेस्टिंग्स के अनुसार अपने मामलों का एकमात्र व सर्वशक्तिमान मालिक है पर साथ ही इतना अयोग्य भी कि सदा ही कोई न कोई दोषपूर्ण व्यक्ति उसका अभिभावक भी बना रहा, ४०,००० पौंड प्रति वर्ष अपने राजस्व से देने को तैयार है। इस प्रकार की रिश्वतखोरी, घूसखोरी और लूट को आप ही कोई संज्ञा दे। उस सरकार के चरित्र को देखे, जिसके वार्षिक राजस्व के १६०,००० पौंड से ४०,००० पौंड मातहत अधिकारी को दिया जाय। यह दिखाता है कि इस समय नवाब के पास कोई शक्ति न थी। फिर किसके पास थी ? सर जान डिउली, यह व्यक्ति सामने ला कर खड़ा किया गया, उसके हाथ मे सारी शक्ति दी गई। पहले यही अधिकार मुन्नी बेगम के पास थे, लेकिन यह चाहे कोई अंग्रेज हो या मुसलमान या श्वेतांग या श्यामांग, या गोरी औरत हो या काली औरत, यह और कोई नही—केवल एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति है—वारेन हेस्टिंग्स है।

जहाँ तक चार लाख रुपयो का सवाल है, वह सर जान डिउली को यहाँ ला कर खड़ा करता है कि वह पूरी शक्ति से इन्कार करे और वह कहता है कि नवाब शपथपूर्वक कह सकता है कि नवाब ने कभी कोई भी कमीशन किसी को नही दिया न ऐसी कोई बात ही प्रस्तावित की। ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, जो बहुत पहले प्रकाश मे आ चुका है, लिखा-पढ़ी मे है—सेलेक्ट कमेटी की नवी रिपोर्ट मे कि कमेटी ने ऐसा किया है जो मिस्टर हेस्टिंग्स, सर जान डिउली दोनों की जानकारी मे था और इसके विरोध मे सर जान डिउली ने एक भी शब्द नही कहे न मिस्टर हेस्टिंग्स ने ही एक शब्द कहा, जब तक कि यह पत्राचार आपके सम्मुख उपस्थित नहीं किया गया। लेकिन श्रीमान, इस मामले मे कुछ और है जो बहुत ही गंभीर है। वह यह है कि मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा जो प्रमाण लाए गए है वे बनावटी है और जो व्यक्ति गवाही मे आये वे सभी मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकार मे बिना उसकी आज्ञा एक टुकड़ा रोटी भी न खा सकते थे, वे ही यहाँ गवाही देने लाये गए हैं।

आपने स्वाभाविक रूप मे सोचा होगा कि ससद मे जहाँ असंख्य तादाद मे गवाह लाये गए पर सभी मिस्टर हेस्टिंग्स के मित्रो और एजेन्टो द्वारा, फिर इस लिखित प्रस्ताव को झूठा बताने को सर जान डिउली को सामने ला कर खड़ा किया गया लेकिन सर जान डिउली से एक शब्द भी नही मिला, अत मे उसे मैनेजरो की कमेटी के सामने उपस्थित होना पड़ा। वहाँ भी उसने उत्तर देन से इन्कार किया। पर क्यो ? क्योकि शायद उसका उत्तर उसके लिए ही घातक सिद्ध होता। श्रीमान, हर उत्तर, उनमे से अधिकांश घातक ही होते और अपराधी के अपराधो से सने होते। उसने तो समस्त राजव्यवस्था को दूषित करके नष्ट किया है। उस व्यवस्था से सबन्धित एक भी ऐसा व्यक्ति नही जो हिम्मत से सामने आ कर एक भी प्रश्न का

सही उत्तर दे सके, किसी भी मामले को ले कर, जैसा कि आपने मिस्टर मिडिलटन और दूसरों के सम्बन्ध में देखा। हर कोई कहता है—"मैं इस प्रश्न का उत्तर नही दे सकता, क्योंकि इससे मेरा ही अहित हो जायेगा।" यह कितनी अजीब बात है कि मिस्टर हेस्टिंग्स के संबन्ध में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कम्पनी के कर्मचारियों मे नही मिला जो असली गवाही दे पाता।

फिर भी—सर जान डिउली इंगलैंड में है। वह अभी तक क्यों नहीं बुलाये गये। मुझे उनकी घनिष्टता का सौभाग्य प्राप्त नही है। लेकिन वे एक प्रसिद्ध और सम्मानित परिवार के सदस्य हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया कि जैसे हम उस पर अभियोग लगा कर सिद्ध करते है वह भी सिद्ध करता। अगर वह जानता कि सर जान डिउली उसे उसके पापों व अपराधों से बचा सकेंगे तो वह उन्हें अवश्य बुलाता, पर वह जानता है कि वह इसमें असफल रहेगा। फिर जब मै आपके ही कागज-पत्रो मे देखता हूँ कि नवाब के मामले को ले कर सर जान डिउली और मिस्टर हेस्टिंग्स दोनो के सामने प्रस्ताव रखा गया तो मै यही समझता हूँ कि इस अवसर पर नवाब को अपने मामलों का अधिकार न था और दूसरे यह कि उनकी कीमत बहुत ऊँची थी। इस बात के उत्तर में कौन सी सफाई पेश की गई? इस बात के समाधान के लिए कोई भी उत्तर नही दिया गया। इसके स्पष्ट अर्थ है और सभी चीजें आपके सामने अपने नग्न रूप में बिखरी पड़ी है। उन्होंने तो इसके उत्तर में कोई गवाही या प्रमाण भी पेश नही किया। अतः इस स्थिति मे मैं इसे आपके सुविचार पर ही छोड़ता हूं और मै केवल यह कहूँगा, कि मिस्टर हेस्टिंग्स का प्रथम स्वार्थ मुन्नी बेगम मे ही था और वह यद्यपि मुहम्मद रजा खाँ को न्याय के उस उच्चासन से पूरी तरह न हटा सका उसने उसकी शक्ति छीनी। उसके हाथ से अन्य सभी अधिकार छीन लिए गए और सर जान डिउली को सौंप दिये गये। यह कार्य कम्पनी के आदेशों के बिल्कुल विपरीत था क्योंकि आदेश था कि मुहम्मद रजा खाँ की पुर्ननियुक्ति हो और उसके सभी पूर्व अधिकार उसे फिर से दे दिये जाएँ।

मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा इस औरत का पक्षपात अंत तक चला और जब वह वापस जा रहा था, ३री नवम्बर १७८३ को, तब उसने एक भावनापूर्ण पत्र डायरेक्टरो की परिषद को उसकी प्रसंशा करते हुए लिखा। यह पत्र कौंसिल को सूचित किए बिना ही सीधे भेजा गया। आपने उस कोमल वक्तव्य की बात सुनी है, यहाँ आपको एक भावनापूर्ण सरकारी पत्र मिल रहा है। श्रीमान, यह पत्र आप कार्यवाही के पृष्ठ १०९२ और १०९३ पर पावेंगे। उसने यह पत्र उस औरत के संबंध मे इतनी कोमल भावनाओ में डूब कर लिखा है कि मैं यही कहूँगा कि ऐसा पत्र आज तक प्रकाशित किसी भी प्रेमकथा या उपन्यास मे न पाएँगे। यह बहुत गहरे प्रेम संबंध का एक जीता-जागता उदाहरण ही है कि इसमें काल, सौंदर्य और

बडी उम्र का भी व्यवधान नही पडता और इस बूढी औरत मुन्नी बेगम के प्रति मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रेम का नमूना है। इस प्रकार के मामले कम्पनी के इतिहास मे और नही है। मै श्रीमान से उत्सुकतापूर्वक इसके पढने की प्रार्थना करता हूँ ताकि अपराधी के आचरण का पूरा आभास मिल सके। वह लिखता है —

"वह बेचारी भी आपकी नीति की शिकार हुई है ? उसने आज तक सच्चरित्र रह कर पवित्र जीवन निर्वाह किया है।"

बहुत कोमल ! बहुत भावनापूर्ण ? बहुत ही वेदनापूर्ण तथा मन को हिला देने वाला यह पत्र है ! मै इस पत्र के हरेक शब्द को ध्यानपूर्वक पढने के लिए श्रीमान से प्रार्थना करूँगा ताकि आप जान सके कि कम्पनी के नौकरो ने इस औरत के साथ कैसा व्यवहार किया। जिसे सुन कर कोई दुष्ट भी दुखी होगा। श्रीमान ने देखा कि गवाही मे क्या था ? न तो एक शब्द कम था न अधिक। जितना आवश्यक था, उतना ही था। उस औरत ने तो हिसाब भी छिपाया, अपने ही मामलो को छिपाया। उससे लोगो ने गोपनीय ढंग से कहा भी था जब कागजो की जाँच हो रही हो उसे चुपचाप किसी दूसरे घर मे चली जाना था। मिस्टर हेस्टिंग्स तो उसे कभी भूल नही सकता। उसे यह विश्वास ही नही होता कि कोई व्यक्ति ऐसा भी आदेश भेज सकता है और उनके चरित्र के सबध मे इस प्रकार जाँच-पडताल की नौबत आ सकती है।

ईश्वर के लिए, श्रीमान, उन बातो को तनिक याद कीजिये कि मिस्टर हेस्टिंग्स और उसके आदमियो ने अवध की बेगमो के साथ कैसा व्यवहार किया था और फिर सोचिए कि इस औरत को तो केवल धमकाया गया था (क्योकि धमकी को कभी कार्यरूप मे परिणित नही किया गया।) कि यदि वह हिसाब-किताब नही बनाती तो उसे दूसरे मकान मे हटा दिया जायगा।'। यह तो कोई ऐसी बात न हुई और इसके लिए वह चाहता है कि डायरेक्टरो की परिषद उसे उसके बुढापे के लिए एक बड़ा भत्ता दे ! जैसा मैंने वर्णन किया है उसी तरह उसने देश के न्याय को छोड रखा था। उसे तो आते समय बस केवल एक ही चिन्ता थी और वह यह कि इस औरत को एक लम्बी रकम का भत्ता मिल जाए।

लेकिन श्रीमान, अभी यह बताना है कि आपकी कार्यवाही मे जैसा कुछ लिखा है कि यह स्त्री अपने सुख के साधन स्वय जुटा लेती थी। क्योकि इस प्रकार की और ऐसी औरते जिन्होने अपनी जवानी बहुत ऐशो-आराम, रंगरेलियो, नृत्य और मस्ती मे बितायी है, वे अपनी वृद्धावस्था मे ब्राण्डी (शराब) पी कर शाति पाती है। यह औरत स्वयम् ही तस्कर व्यापारी थी और उसके ऐसे प्रभाव थे कि वह चुगी न जमा करके भी काम चला लेती थी। शराब की वह इस जिले की सबसे बड़ी व्यापारी थी। इस प्रकार श्रीमान देखे कि यह भावुक स्त्री, जिसके लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने डायरेक्टरो से शिफारिस की, के सुखी रहने के अपने ढंग व

साधन थे। अपनी उच्च सामाजिक स्थिति को ध्यान न देकर वह सदा ही शराब का व्यापार करती रही। उच्च स्थिति का माना जाने वाला मुसलमान कोई व्यापार नहीं करता। यह सब बातें उसके लिये अनजान चीजें है। बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो किसी प्रकार का भी व्यापार करते है पर कोई मुसलमान शराब का व्यापार करे, यह तो असम्भव बात है, जो न कभी सुनी गई न देखी गई कि एक प्रतिष्ठित स्त्री व भावुक हृदय वाली स्त्री शराब की व्यापारी बन जाय, यह बात श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स जैसे भावुक व्यक्ति ही के लिये संभव है। और मैं कहना चाहूँगा कि भारत मे तो कोई भी मर्द या औरत ऐसा व्यापार करेगा ही नहीं जब तक वह सामाजिक रूप से अप्रतिष्ठित न हो, चरित्र में भ्रष्ट न हो, और समाज से बहिष्कृत न हो। लेकिन लगता है कि इस रूप में वह केवल व्यापारी न थी, लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा दिये गये अधिकारो के कारण वह ब्राण्डी (विदेशी शराब) का भी व्यापार करती थी और कभी चुंगी तक न देती थी। यह वह स्थिति है जिसमें हम दो भावना में डूबे प्रेमियों को छोड़ते है। एक तो अपने को ब्राण्डी के नशे में डुबा कर सांत्वना पाती थी और दूसरा अपने बिखरे दूषित मामलों को समेटने में व्यस्त था।

यहाँ उनका दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। मुन्नी बेगम तो शराब के व्यापार में आढ़तिया बनी और इसी समय उसने व मिस्टर हेस्टिंग्स ने आपस में भावनामय पत्राचार प्रारंभ किये और इस प्रेम-प्रसंग को समाप्त करके हम पुनः न्याय-प्रसंग की ओर वापस आ रहे है।

हमने देखा कि किस तरह सदरुल हक खाँ, के संग क्या व्यवहार किया गया जो स्वयं मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश था। अब आप देखेंगे कि मुहम्मद रजा खाँ से न्याय का अधिकार उस औरत के पास कैसे पहुँच गया। छपी कार्यवाही के पृष्ठ १२८० पर श्रीमान इन सभी कार्यवाहियों का वर्णन देखें कि मुन्नी बेगम शराब की व्यापारी थी, वह चुंगी की चोरी करती थी, किस प्रकार सरकारी आदेशों की अवज्ञा करती थी और किस प्रकार न्याय का जनाजा निकालती थी। देश की इस स्थिति के संबन्ध में मिस्टर शोरे की गवाही के बाद तो शंका का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। गवर्नर जनरल की कार्यवाही, ता० १८ मई १७८५ के साथ ही मिस्टर शोरे का कहना है—"फौजदारी की सीमा—फौजदारी की सीमा के संबन्ध में अभी तक कुछ भी नही कहा गया है। इस विभाग में अपराधजन्य मामलों का न्याय होता है और नवाब के अधिकार में बस यही कार्यालय बाकी है। मैं ऐसा कोई कारण या आवश्यकता नहीं देखता कि इसकी पद्धति को बदला जाय, और इसे बदला जाना मेरी दृष्टि में एक प्रकार से अनुचित भी होगा, लेकिन कुछ नई धाराएँ बनानी अवश्यक है। मोहम्मद रजा खाँ इस विभाग का प्रधान है और मैं जानता हूँ कि समस्त देश में वह अकेला ही इस पद के योग्य भी है। अगर सब

अधिकार उसी के पास छोड दिए जाएँ तो मुझे कोई शंका इस बात की नही है कि वह पूरी तरह सब कुछ सम्हाल लेगा लेकिन वह कुछ विशेषाधिकार प्राप्त विशेष व्यक्तियों के हस्तक्षेप मे इतना परेशान रहता है और योरुपीय अफसरो की छत्रछाया मे कि, जहाँ तक मुझे ज्ञात है वह इस योग्य भी नही रह गया है कि किसी को उसका घोर अपराध सिद्ध होने पर भी उसे वह सजा दे सके। इस प्रकार के कामो के लिए अकसर उस पर दोष भी मढे जाते है जहाँ स्वयं उसके हाथ बँधे होते है।"

श्रीमान, सर जान शोरे, बंगाल के वर्तमान गवर्नर जनरल के वक्तव्य मे आप देखेंगे कि अपनी सुरक्षा के लिए मिस्टर हेस्टिग्स द्वारा बनाई गए एक कमेटी मे यह चर्चा है कि देश की स्थिति उसने किस प्रकार खराब की। आप देखें कि यह सब छोटे अपराध नही हे और डाक्टर स्विफ्ट जैसे व्यंग व कटु वाक्य बोलने वाले— जिसका अभी मैने जिक्र किया है उसके अनुसार ये बाते कई हजार गुनी अधिक महत्वपूर्ण है। आप देखे कि जब उसने मुहम्मद रजा खाँ को पुन नियुक्ति दी, जो अपने कार्यालय व विभाग को प्रभावशाली ढग मे पुर्नगठित कर सकने मे पूर्ण रूप से योग्य था, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाने मे समर्थ था फिर भी देश मे शाति, सुरक्षा व न्याय का काम नही बढ पाया। क्यो? योरुपीय अफसरो के अनाधिकारी हस्तक्षेप के कारण और उन व्यक्तियो के कारण जिन पर योरुपीय महाप्रभुओ का वरदहस्त था। यह सब कुछ मिस्टर हेस्टिग्स के वहाँ से आने के पूर्व ही हुआ और कलकत्ता छोडने के पहले सरकार के नए प्रबंध व योजनाओ का और उसके प्रभाव का उसे सब कुछ पता था। वही पुरानी पद्धति यहाँ भी अपनाई गई। वास्तविकता यह थी कि आते समय तक उसने समस्त शक्ति व अधिकार इसी को सौप रखे थे। अन्तिम समय तक वह केवल इसी स्त्री की चिन्ता में व्यस्त था और इसी के बारे मे सोचता भी रहा। न देश की न्याय व्यवस्था न जानता की उसे चिन्ता थी। उसने किसी प्रकार का कोई अन्य प्रबन्ध भी न किया। यह सभी महत्वपूर्ण कार्य व विषय इसी स्त्री की कृपा पर छोड दिये गये और उस स्त्री के योरुपीय साथियो की कृपा पर।

श्रीमान, मैने इतिहास बताने म थोडा परिश्रम किया, मैने आपको स्पष्ट दिखते कानून और गुप्त रूप से होने वाली कार्यवाहियो डायरेक्टरो के प्रति सीधे विद्रोह और दुरंगी सरकार तथा दिखावे के लिए नवाब को स्वतंत्रता देने के नाटक और देशी व योरुपीय लोगो के सरकारी कार्यो म हस्तक्षेप और सर जान डिउली के कार्यों का वर्णन किया है। अब मै फिर इसे दुहराता हूँ कि सर जान डिउली और मिस्टर हेस्टिग्स के कृपापात्र अन्य अंग्रेज अफसरो ने मिस्टर हेस्टिग्स के देश छोडने के पूर्व किस प्रकार हंगामे मचा रखे थे।

मैंने विशेष रूप से न्याय व शासन के संबन्ध मे चर्चा की जिसे मै सभी अच्छी बातो का स्रोत मानता हूँ और उसके नाम पर होने वाले अनुचित कार्य, और

देश में पनपती बुराइयों की भी चर्चा की । मैंने यह भी बताया कि सर जान डिउली के माध्यम से मिस्टर हेस्टिंग्स ने किस प्रकार सब कुछ नष्ट किया जिसे उसने अपनी ओर से शक्ति व अधिकार दे कर इसीलिए भेजा था कि वह भ्रष्टाचार व लूटपाट की सरकार का संगठन करे । इस संबन्ध में हमारे लगाए गये अभियोग अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट हैं और अब मैं केवल एक बात कह कर इसे समाप्त करूँगा कि राजस्व की बहुत बड़ी रकम जो सर जान डिउली के हाथों नवाब को दी गई जिसकी चर्चा कम्पनी के कागजातों में है के हिसाब का कुछ भी पता न लगा । और इसके वे नतीजे जिनका कहीं विरोध नहीं हुआ ये हैं —प्रथम कि हम रुपयों के छिपाये जाने का और हिसाब छिपाये जाने का जो भी मामला पाते हैं वे सभी भ्रष्टाचार की परिधि में हैं और दूसरा कि अगर इस भ्रष्टाचार को हम जब देश की दुर्दशा के साथ जुड़ा देखते हैं तो देश की दुर्दशा और न्याय की अवहेलना इसी भ्रष्टाचार का परिणाम है ।

श्रीमान, अब मैं इस मामले को समाप्त करता हूँ । अब मैं तीसरी बात उठाता हूँ—उनके संबंध में जो देश की जमीन के मालिक है । इस मामले के लिए कुछ शब्द कहने अति आवश्यक हैं । वास्तविकता यह है कि एक ही कलम से मिस्टर हेस्टिंग्स ने बंगाल के सभी भूमि के मालिकों की भूमि को नीलाम पर चढ़ा दिया और अधिक ऊँची बोली बोलने वाले को मिलने की व्यवस्था की । इस संबन्ध में अधिक न कह कर केवल यही कहूँगा क्योंकि इस संबन्ध में कई गवाहों की गवाहियाँ हो चुकी हैं । इतना ही कहना प्रर्याप्त है कि इस संबन्ध में सब कुछ प्रमाण रूप में श्रीमान के सम्मुख है । यह सिद्ध हो चुका है कि बिक्री का आदेश दिया गया था । मिस्टर हेस्टिंग्स ने भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया । वह स्वीकार करता है कि उसने ऐसा अवश्य किया पर किसी दुर्भावनावश नहीं । अब मेरा उत्तर है कि इस प्रकार का कार्य दुर्भावना के सिवा और किसी अन्य भावना से नहीं किया गया । जमीन के मालिक के पास अपने बचाव का कोई मार्ग न छूटा था इसके सिवा कि वे स्वयं ही अपनी भूमि के लिए किसान बन जाते और इसमें स्वाभाविक रूप से जो प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और वह स्वयं ही कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भूमि का मालिक रहा हो या कोई और, जिसे भी उसने जमीन दी, उन्होंने उतना लगान देने को कहा जो उनकी शक्ति से बहुत अधिक था । मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे कार्य जब गलत हाथों होने हैं तो क्या-क्या परिणाम होते हैं, कम से कम असली मालिक के हाथ से तो जमीनें निकल ही जाती हैं । इससे जनता से मिलने वाला राजस्व डूब जाता है, समाप्त हो जाता है और फलस्वरूप देश नष्ट होता है । मैं इसे श्रीमान के सुविचार पर ही छोड़ देता हूँ और इस संबन्ध में आगे तनिक भी जोर-दबाव न डालूंगा बस केवल वह सब स्मरण दिला दूँगा जो हमारे सहयोगियों ने स्पष्ट किया और दिखाया है । वह, मिस्टर हेस्टिंग्स स्वीकार करता

है कि उसने अपने ही बनियो को जमीनें दी, उसने अपने घरेलू नौकरो को देश के उच्च व कुलीन लोगो के घरो मे प्रवेश कराया और ऐसा उसने अपने ही एक आदेश की अवहेलना मे किया कि कोई भी बनिया या लगान वसूलने वाला ऐसे किसी भी खेत को न लेगा। हम यह भी पाते है कि उसने यह भी कानून बनाया कि कोई भी किसान एक लाख रुपयो से अधिक लगान की जमीन न रखे। साथ ही हम यह भी देखते है कि उसके अपने बनियो ने इस रकम से बहुत अधिक की जमीन अपने कब्जे मे कर ली सक्षेप मे, हम देखते है कि हर जगह कानून व आदेशो की। अवहेलना व हत्या हुई है।

सबस पहले आपने प्रमाण पाया कि वह घूस लता था और गलत लेन-देन भी करता था। यही वह स्वीकार भी करता है पर कहता भी है कि यह मब उसने जनता के लाभ के लिए किया। कोई भी कानून बनता है तो कानून की संभावना पर आधारित होता है, कि यदि आप किसी को एक अपराध का दोषी पावे जो प्रचलित कानून के विरुद्ध है तो वह दूसरे प्रकार का मामला होना है। जब हम कोई कानून टूटता देखते है, जब हम एक लाख रुपयो मे अधिक की भूमि दी गई देखते है, जब हम जमीने गवर्नर जनरल के बनियो को बॉटी गई देखते है—यह मब कानून व नियम के विरुद्ध है—और फिर बनिया का रुपयो का तथा और भी दूसरे प्रकार का लेन-देन का मामला है, तब कानून की सभावनाओ के अनुसार मै यह मानने को विवश हूँ कि यह सब अवश्य हुआ होगा, मो भी नौकरो के लिए नही, नौकरो के नाम पर मालिक के लिये।

यह संभव है कि मिस्टर हेस्टिग्स सचमुच मुन्नी बेगम के प्रेमपाश मे फंसा रहा हो—यो भी ऐसे उदाहरण है कि वेश्याओ के चक्कर मे रह कर महापुरुष मूर्ख बने है—मार्क एन्टोनी के युग स आज तक—लेकिन कोई व्यक्ति कभी अपने ही बनिया के प्रेमपाश मे नही फँसा। जिन व्यक्तियो के नामो से जुड कर मिस्टर हेस्टिग्स भ्रष्टाचार और लूट-पाट तथा अत्याचार के लिये बदनाम हुआ है वे न तो उसके रिश्तेदार है न और सम्बन्धी, न मित्र। न तो उनमे कोई ऐसी ममान आदतें है जो प्रेम सम्बन्ध पैदा कर मके, वे केवल एक दूसरे के पूरक और शराब की बोतलो के साथी है।

अब मै दूसरी वात के लिए आगे चलता हूँ जो लाम श्रीमान के सम्मुख पहले आ चुकी है कि ज्योही उसने कौसिल मे अपना बहुमत बनाया– जनरल क्लावरिग और जनरल मानमन की मृत्यु के बाद - उसने जो सर्वप्रथम कार्य किया वह था, एक कमीशन बनाया जिसका नाम था अमीनी। जिसे पूरे देश मे घूमने, जिसके भी चाहे घर मे घुमने और उसके कागज-पत्रो की जॉच करने, हिसाब-किताब की देख-रेख करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। इसका परिणाम हुआ कि उसके इस कार्य से एक

सर्वव्यापी भय और आतंक छाया और लोगो को अपनी सम्पत्ति अरक्षित मालूम होने लगी और इससे बडी बरबादी हुई ।

और इस कमीशन सबंधी सारा कार्य करने को उसका प्रधान उसने किसे बनाया ? अपने दूसरे प्रमुख बनिए—गगा गोविद मिह को जो उसका घरेलू नौकर भी था । यह हमे बाद मे पता लगा, पर कोई आश्चर्य की बात नही, क्योकि मै जानता हूँ कि उसने अपने घर मे गुण्डे बसा रखे थे, पर यह नही मालूम था कि यह चोरो और लुटेरो का भी अड्डा है । अभी कुछ दिन पहले तक मुझे पता न था कि गंगा गोविंद सिह उसका घरेलू नौकर था, लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक पत्र मे जो उसने डायरेक्टरो को उसे अपना स्वामिभक्त घरेलू नौकर लिखा और चाहा है कि कम्पनी उसे पुरस्कार दे । कम्पनी के अन्य सभी कर्मचारी इसी बनिये के मातहत बताए गए और उन्हे उसके आदेशो के पालन की विवशता थी । मै समझता हूँ श्रीमान, कि मुझे यह कहने की आवश्यकता नही कि यह कमेटी कैसे लोगो द्वारा सगठित की गई थी जिसके माध्यम से गगा गोविद सिह पूरे देश को लूटने मे सफल हो सका । लेकिन उसका वकील कहता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने यह इसलिए किया कि उसे भूमि संबधी समस्त राजस्व का ठीक-ठीक और पूरा पता लग सके । इसका पता वे पहले भी तीन बार लगा चुके थे और इसका परिणाम हुआ कि समस्त जमीने नीलाम पर चढा दी गयी कि ऊँची बोली बोलने वाला उसे ले जाय । हो सकता है कि यह उनके उचित राजस्व का पता लगाने का उचित ढग न हो, लेकिन यह तो हुआ ही कि इससे बगाल, बिहार और उडीसा तीन महाप्रान्तो की समस्त जमीनो की एक व्यक्ति के एक बार कलम चलाते ही जब्ती कर ली गई और बनियो व नौकरो के हाथो चली गई । मै इस बात की कल्पना ही नही कर सकता था ।

कुछ लोग कहते है कि अपराध के प्रति घृणा करो और अपराधी को प्यार करो । नही, कदापि नही, यह तो दूषित नैतिकता की बात हुई । यदि अपराध छोटा है तो अपराध के प्रति क्रोध करो और अपराधी को दण्ड दो, लेकिन अब इतने बडे-बडे व भीषण अपराध व अपराधी दोनो को घृणा करो ? क्या ? मै क्या नीरो को प्यार करूँ ? क्या मैं हेलिओगाबलस को प्यार करूँ ? क्या डोमिशियन मेरे स्नेह का अधिकारी होगा ? नही, कदापि नही । हम अपराध से घृणा करते है और अपराधी से दस गुना अधिक घृणा ।

लेकिन, जैसा कि एक वकील ने कहा है कि कम्पनी को शायद इन सब बातो की सूचना रही हो, हो सकता है, पर वे जमीन के प्रत्येक बीघे की बात तो न जानते रहे होगे । बिना ऐसे कमीशन के बनाए पता भी कैसे लगता ? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी से उसका सब कुछ बिना गंगा गोविंद सिह की आज्ञा बिना नही छीन सकते । जिसे हर व्यक्ति का कागज-पत्र, हिसाब-किताब देखने और उनके संबंध मे निर्णय करने का पूरा अधिकार था । इस नए कानून, इस नई

अमीनी-व्यवस्था के लिए मै श्रीमान से कार्यवाही का पृष्ठ १२८७ से १३०१ तक देखने की प्रार्थना करूँगा जिसमे मेरे इस आन्तरिक भावना का सारा इतिहास लिखा हे ।

इस प्रकार आप देखे कि मिस्टर हेस्टिंग्स जमीने छीन कर ही संतुष्ट नही रहा । इसके तत्काल बाद ही वह घाव पर नमक भी छिडकता है । उन पर वह तत्काल दूसरी बिपत्ति ढाता है और इसका भी प्रधान वही गगा गोविन्द सिह है और प्रान्त की समस्त जनता कलकत्ता के इन लुटेरे बनियो से त्रस्त होती है ।

मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं ही १०२२ पृष्ठ पर एक अमीन की चर्चा की है जहाँ वह कहता हे कि नदकुमार की इच्छा थी कि उसके पुत्र को मै अमीन बना दूँ ।—"जो आश्वासन मने उसे (नंदकुमार को) दिया था, वह मैंने किया, उसे अमीन बनाया, यानी पूरे देश का मुख्य अमीन और उसे अपनी ओर स समस्त शक्ति व अधिकार दिए बल्कि आवश्यकता से कुछ अधिक ही ।" इस नियुक्ति के बाद ही हम गंगा गोविद सिह की इसी पद पर नियुक्ति होती देखते हे ताकि एक भी बीघा जाँच-पड़ताल मे छूटने न पावे ।

अब देखे कि इसका अत क्या हुआ जिसके आधार पर इस अमीनी-व्यवस्था को मै भ्रष्टाचार का प्रमुख आधार कहता हूँ । पहले तो मै समस्त योजना को सद्-भावना से बनी ही मानूँगा । मै सार्वजनिक नीलाम मे बंगाल की जमीन के बेचे जाने की बात को क्षमा कर दूँगा । मै उसके बनियो की बातो को क्षमा कर दूँगा । मै उस इस कमीशन के कार्यो के लिए भी क्षमा कर दूँगा, यदि वह श्रीमान के सम्मुख यह दिखा दे कि इसमे तनिक भी लाभ पहुँचा । यदि ऐसा नही हुआ तो इसके केवल एक अर्थ लगाए जाएगे कि उसकी इसके पीछे यही नीयत थी कि समस्त देश गंगा गोविन्द सिह के अधिकार मे आ जाय । फिर क्या किया गया ? स्वामित्व और हिसाब-किताब की जाँच की गई । उनका अंदाज लगाया गया । एक एक एकड का हिसाब । लेकिन हमे प्राप्त हिसाब मे यह सब या ऐसा कोई हिसाब न मिला । न किसी जाच-पडताल का ब्योरा या किसी भी जमीन के बन्दोबस्त का कोई हवाला प्राप्त हुआ । अत: एक ईमानदार आदमी के रूप मे यहाँ ब्रिटेन के ससद-सदस्यो के आज्ञाकारी के रूप मे मै एक उदाहरण के शक व शंका की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ । मै कहता हूँ, किसी भी शक को कभी कोई महत्व नही देता यदि उसका उत्तर मुझे नही देना पड़ता । परन्तु यहाँ तो समस्त देश का प्रश्न है, एक देश की समस्त भूमि-संबंधी सम्पत्ति का प्रश्न है, जिस पर गगा गोविद सिह की कठोर दृष्टि लगी थी और जिसमे मिस्टर हेस्टिंग्स का कठोर स्वार्थ निहित था । अगर मेरा कहना अनुचित माना जाय तो मुझे कोई दूसरा कारण बताया जाय, क्योकि यदि एक ही कानून के दो अर्थ और मानने की दो राहे हो सकती है तो आप इससे भी अधिक अच्छा कोई कारण दे, लेकिन जब हम देखते है कि एक बुरी चीज हो

रही है तो यह कहना गलत है कि उसके करने की नीयत बहुत अच्छी है और अगर योजना कामगर न हो तो उसे गलत नीयत कह दें !

अब मै बंगाल की भूमि-सम्पत्ति के संबंध मे बातें कह चुका। मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं जो अवश्य ही श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत की गई होंगी, सो भी किसी कमी या कमजोरीवश नहीं परन्तु इसलिए कि उन्हें मुझसे अधिक योग्य व्यक्तियों ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैने केवल कुछ बातों का वास्तविक परिणाम भर आपके सामने रखा है, जो शायद जल्दबाजी में मेरे बन्धु प्रबंधकों की दृष्टि से छूट गए है। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा नियम है जो सर्वविदित भ्रष्टाचार से संबंधित है और सब को ज्ञात है और इस व्यापार में प्रारंभ से अंत तक चिपका हुआ है। इस प्रकार देश की स्थानीय भूमि-सम्पत्ति और स्थानीय जमींदारों और उनकी सम्पत्ति की चर्चा कर के अब मैं इंगलिश सरकार की ओर बढ़ता हूँ।

श्रीमान, अब तक हम लोग बहुत स्पष्टता से आपके सम्मुख यह रख चुके हैं कि स्थानीय मुस्लिम सरकार किस प्रकार अनुपयुक्त सिद्ध हुई। अब तक हम लोग स्थानीय भूमि-संपत्ति की बातें स्पष्ट रूप से बता चुके है फिर ऐसे नष्टप्राय देश के संबंध में और क्या कहने को रह जाता है ? केवल कम्पनी के कर्मचारियों को छोड़ कर जब हमने उन कर्मचारियों की भ्रष्टाचार नीति को दिखाया तो अब डायरेक्टरों की परिषद से भी क्या आशा की जाय ? फिर अँग्रेजी अदालतो या पंचायतों से भी क्या आशा की जाय ? मैं अपने स्वदेश के लोगों को उतनी ही अच्छी तरह जानता हूँ जैसे कि कोई अन्य। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति जो भारत भेजा जाता है किसी बुरी नीयत से भेजा जाता है या वह स्वयं बुरी नीयत से वहाँ जाता है। नहीं, कदापि नहीं। मैं समझता हूँ कि नौजवान अंग्रेज जो भी भारत जाता था, अपने युग और देश का सच्चा व समझदार प्रतिनिधि होता था। वे सभी दूषित नहीं होते थे, पर अपनी कच्ची उम्र के कारण दूषित होने के योग्य अवश्य होते थे, जैसे हम सभी हैं। वे वहाँ बड़ी-छोटी उम्र में भेजे जाते है। बस उनसे केवल एक बात ही कही जाती है—तुम वहाँ अपनी किस्मत बनाने जा रहे हो। कम्पनी की सेवा तो प्राचीनतम सम्मानित परिवारों का पुर्नजागरण है, यह तो एक प्रकार से पुराने का नया करना है और नए निर्माण की भूमि प्राप्त करने जैसा है। अब जब यही समझा कर नौजवान का गिरोह वहाँ भेजा जाता है जिनके मन में यह धारणायें व आशाएँ भरी होती हैं, जिनकी शिक्षा अधूरी व कच्ची होती है, जो अपरिपक्व होते हैं, ये नौजवान, जीवन के चाहे जिस क्षेत्र मे चुने जाएँ, चाहे उच्चतम समाज से, चाहे मध्यम समाज से, चाहे निम्न समाज से, वे केवल दो चीजों के लिए भेजे जाते हैं—जिसे आज तक मानव जाति ने अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं किया—वह है अपनी किस्मत का द्वार खोलना और

अपनी शिक्षा पूरी करना। संसार में साधारण तौर पर शिक्षा क्या है ? एक बण्डल किताबें पढना ? नहीं, अनुशासन, योग्यता और न्याय की प्रतिभा मिल कर संसारी-शिक्षा पूरी होती है। अगर कम्पनी के कर्मचारियो को यह शिक्षा नही मिली और अपनी मनमानी करने की उन्हें छूट मिलती है तो स्वाभाविक है कि कुछ तो भ्रष्ट हो ही जाएँगे, और कुछ बचे भी रहेगे। शायद उनमें अधिक संख्या उन्ही की होगी जो इन दोनो मे अपना जो रास्ता आसान पाएँगे उन पर चलें। अब मुझे आपको यह दिखाना है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने इनके सम्मुख दो ही रास्ते छोडे --भूखो मरो, दुखी रहो, नष्ट हो आओ, अपने परिवार की आशाओ को मिट्टी मे मिला दो या मेरे गुलाम बनो, हर प्रकार से मेरे प्रति स्वामिभक्ति रखो, मेरी आज्ञा आँख मूँद कर मानो और वह सब छिपाओ जो मै छिपाना चाहूँ। कर्मचारियों और नौकरों की यही स्थिति थी। अतः संसद-सदस्यो ने उचित व होशियारी का कार्य किया कि हमे यहाँ भेजा कि हमलोग उन कर्मचारियों से न बोले जो समस्त पापो मे फँसे थे, बल्कि उस व्यक्ति को सजा दी जाय जो वहाँ के आचरण को नष्ट करने गया था और बंगाल के काण्ड को दुनिया की दृष्टि मे एक कानूनी व न्यायिक उदाहरण बनाने गया था। अब मै संक्षेप मे कम्पनी की सरकार की बुराइयो के सबंध मे व उसकी स्थिति की चर्चा करूँगा। यह बताऊँगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स से किन सुधारो की आशा की गई थी और सचमुच उसने क्या किया। फिर मैं श्रीमान के सम्मुख इन सभी कारनामो के परिणाम भी उपस्थित करूँगा।

□ □ □

मै प्रारम्भ करूँगा उस पत्र को सुना कर जो डायरेक्टरों ने बंगाल भेजा था—७ अप्रैल १७७३ को। —"हमे प्रसन्नता होती यदि हम उन शिकायतों को दृष्टि से दूर कर पाते कि आपकी प्रेसीडेन्सी (प्रात) मे शासन द्वारा समस्त बुराइयो को सुधारने के प्रत्यनो के कारण बुराइयाँ बडी तादाद में बढी और जिस देश को हमलोग बरबादी तथा नष्ट होने से बचाना चाहते थे वहाँ दुख और पीडा का साम्राज्य पहले से भी अधिक मात्र मे फैला। इन शिकायतो मे बहुत कुछ सत्य भी दिखाई पडता है, विशेषकर पिछली बार अधिकारियो व अफसरो की जो नियुक्ति हुई है, उस संबध मे उनकी नियुक्ति तो उद्योग को बढाने, हमारी पूँजी व लागत की वृद्धि करने, वहाँ स्थापित एकाधिपत्य व केन्द्रीकरण को नष्ट करने और खरचे कम करने के लिए की गई थी पर जो कुछ हुआ उसके पक्ष मे जवाब देने को किसी के पास कोई उत्तर नही है। क्या वहाँ के निवासी पहले से अधिक पीड़ित, दबे और परेशान नही है ? क्या हमारी पूँजी व लागत की वृद्धि हुई है ? क्या सिल्क व अन्य वस्तुओं का दाम हमे ५० प्रतिशत अधिक मूल्य पर नही मिले ? क्या ऐसा भी उदाहरण है जहाँ एकाधिपत्य और केन्द्रीकरण न हो और जहाँ तक आपकी प्रेसीडेन्सी या प्रान्त के खरचों का प्रश्न है उनके संबंध में खरचे इतने बढ़ गये है

कि हम उनका भार उठाने में असमर्थ हैं। ये सभी तथ्य (क्योंकि वे हैं) तो हैं ही, हमें यह ज्ञात होना चाहिये था कि इसके क्या मुख्य कारण थे कि न तो हमारे १७७१ के आदेशों का पालन किया गया और न किन्हीं अन्य आदेशों को ही कार्य रूप में परिणित किया गया। लेकिन, शायद इन सूचनाओं से बहुत सी बातें सिद्ध हो जाती। हमें इनकी सूचना नहीं दी गई, क्योंकि इससे अधिक आतंक और अवहेलना की मनमानी सरकार का और कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता, और यह भी समझा जाय तो अनुचित न होगा कि बंगाल में हमारे कर्मचारियों की कोई सरकार अस्तित्व में थी ही नहीं।

"और इसलिये कि समस्त देश में अपहरण का राज्य था. अब स्थानीय निवासियों पर न्याय के नाम पर नौजवान लोग अत्याचार का प्रदर्शन कर रहे थे और प्रयत्नशील थे कि वहाँ के व्यापार पर एकक्षत्र आधिपत्य स्थापित कर के वे जितनी जल्दी संभव हो अपनी किस्मत बना लें तो हमारे या हमलोगों के लिये यह कोई आश्चर्य की बात न होगी। अब अच्छे व्यापारीगण कम्पनी से व्यापारी संबंध स्थापित करने को आगे नही बढ़ रहे है। यही नहीं, उद्योग करने वाले तथा अन्य, दूसरी संस्थाओं से गठबन्धन करते जा रहे है और हमारी पूँजी व लागत आज बेकार और अयोग्य सिद्ध हो रही है।

"तब यह तो स्पष्ट है कि बुराइयाँ जो हमारे लिए घातक सिद्ध हुई है, इनकी जड़ें इतनी गहरी जा चुकी हैं कि उनकी अच्छाई की आशा करने वाली कोई भी योजना बेकार होगी, अतः अब हमारा यही प्रस्ताव है कि हम इन बुराइयों की जड़ों पर ही लक्ष्य करें और हमें प्रसन्नता है कि हमें इन कारणों पर विश्वास करने के साथ ही अपनी योजनाओं को शक्ति देने के लिये हम कानून का सहारा लें और यह प्रयत्न करें कि जनता भी कम्पनी की उन्नति में दिलचस्पी ले।

"इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रयास किया जाय कि आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय और शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाय। हमारे गवर्नर और कौंसिल का पुनर्गठन हो और उन्हें उपयुक्त अवसरों पर अपने अधिकार दूसरों को देने को अधिकार प्राप्त हों, वे दूसरों को आवश्यकता पड़ने पर दण्ड दे सकें, योग्य अधिकारियों को उन्नति व इनाम दे सकें. साथ ही अफसरों में व्याप्त आराम-तलबी और आदेश की अवहेलना की भावना को मिटाया जाय और बंगाल में फैली सरकार की बदनामी दूर की जाय। हमारे अध्यक्ष, मिस्टर हेस्टिंग्स, हमारा विश्वास है कि आदर्श उपस्थित करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत कुछ सुधार उनके अपने आचरण पर ही निर्भर करता है। और हमें यहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि हम मिस्टर हेस्टिंग्स की सेवाओं के लिये उनकी सराहना करते है, और जो योजनाएँ यहाँ चल रही हैं, जिन पर हमारी पूँजी लग चुकी है, उनसे अधिकतम लाभ उठाने के सम्बन्ध में वे तत्काल ही उचित

कदम उठाएँगे, विशेषकर बंगाल क्षेत्र के लिए। इसके बदले में उन्हें अपने मालिकों के सहयोग व सहानुभूति के प्रति विश्वास रखना चाहिए।

"सुधारों के संबंध में प्राप्त अनेक वक्तव्य में यह धारणा बनी कि व्यापार संबंधी पुरानी नीतियों को पुनः कार्य में लाया जाय। जैसे पहले अपनी प्रेसीडेन्सी का समस्त व्यापार अपने ही कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता था। अतः अब अपने सभी कार्यालयों में उचित ढंग के कर्मचारियों में व्याप्त उदासी और कार्य के प्रति अवहेलना का वातावरण कम होगा। यहाँ एक कार्य और आवश्यक होगा कि कर्मचारियों के वेतन को भी ठीक करना होगा और नये नौजवान अफसरों को इतना वेतन तो देना ही होगा कि वे नौकरों, कपड़ों और अन्य खर्चों के लिए चिन्तित न हों। यह सब कैसे हो, इसका मार्ग भी पता लगाना होगा।"

□ □ □

श्रीमान, इस पत्र मे स्पष्ट पता लगता है कि डायरेक्टरों की दृष्टि में भी देश की कैसी व्यवस्था थी। और जिस स्थिति का इसमें वर्णन है उससे भी तो मिस्टर हेस्टिंग्स ने कभी इनकार नहीं किया जो वहाँ केवल स्थिति के सुधार की दृष्टि से ही भेजा गया था। डायरेक्टरों ने बंगाल की शासन व्यवस्था, वहाँ के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया और उनके स्थान पर नयी नियुक्तियाँ कीं ताकि समस्त सरकारी ढाँचा का पुर्नसंगठन हो सके। मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है—"मैं भी अन्य साधारण लोगों की तरह ही भारत लाया गया था।" यह बात वास्तव में सत्य है और मैं आशा करता हूँ कि यह बात समस्त मानवता के लिये एक उदाहरण और शिक्षा के रूप में ली जाएगी कि ऐसे किसी व्यक्ति को नौकर न रखा जाय जो दूषित वातावरण में पैदा हुआ और पला हो। मिस्टर हेस्टिंग्स आगे भी कहता है कि इससे अधिक एक ऐसे व्यक्ति से आशा भी न की जानी चाहिये जो ऐसी स्थिति व वातावरण की पैदावार हो। यह बात भी सत्य है। श्रीमान, हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति को किसी गंधी की दूकान के लिए योग्य मानें। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक समय तक कम्पनी का ठीकेदार रहा हो वह गंदगी सुधारने में भला कैसे सफल हो सकता है? मिस्टर हेस्टिंग्स ने साधारण रूप में अपना इतिहास, अपनी योग्यता, अपनी सेवाओं की चर्चा की है। उसके वक्तव्यों से संबंधित कागज-पत्रों की हमने जाँच की है और हम देखते हैं कि १७६० और १७६१ में वह बैलों और अन्य सामग्री की ठीकेदारी करता था। कोई ठीका लेना किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार भी बुरा नहीं है, बशर्ते कि वह व्यक्ति वह सब न करे जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने नियमों व व्यवस्था को तोड़ने में किया और धीरे-धीरे वह अपने मालिकों की ठीकेदारी करने लगा।

परन्तु हमें मिस्टर हेस्टिंग्स के ठीकेदारी से कुछ लेना-देना नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि बाद में ठीकेदारी छोड़ने पर उसे ठीकेदार की अन्य आदतों को भी

छोड़ देना चाहिये था, जब कि वह एक उच्च-मन्त्री बना कर बुराइयों को सुधारने का ठीकेदार बना दिया गया था। मैं श्रीमान को दिखाऊँगा कि उसने कहीं ऐसा कुछ सुधार नहीं किया बल्कि इसके विपरीत स्वयं ही बुरी आदतों के बीच पला होने के कारण और वैसी गंदी शिक्षा पाए होने के कारण जैसा मैंने पहले बताया है, उसमें वह सभी बुरी आदतें पूर्ववत बनी रहीं जो उसमें समा चुकी थी और अन्त तक बनी रही। मैं समझता हूँ कि मेरे भीतर कहीं कोई अपराध घर कर गया है जो मैंने मिस्टर हेस्टिंग्स के जन्म के संबंध में चर्चा चलाई। इस चर्चा का कोई कारण नहीं है। क्या यह कल्पना मे भी आ सकता है कि कोई व्यक्ति इतना छोटा हो सकता है कि किसी दूसरे के जन्म के सम्बन्ध में चर्चा करे, विशेष रूप से जब उसके आचरण की बात चल रही हो। नहीं, मैंने केवल उसकी निम्न गंदी और अशिष्ट आदतो की चर्चा की है जो उसमें भरी पड़ी हैं, मैं उसके जन्म की चर्चा नहीं करता।

लेकिन श्रीमान, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरे और उसके दोनों के एक मित्र ने कल सबेरे मेरे हाथ में वह वंशावली रख दी जो मिस्टर हेस्टिंग्स के जीवन और आचरण पर आघात करती है। मैं कम्पनी से उनके पुराने कागज-पत्र माँग रहा था, उन्होंने मुझे हेराल्ड के दफ्तर भेज दिया। आप जैसे कई श्रीमानों की वंशावली मिस्टर हेस्टिंग्स की वंशावली के सामने बहुत साधारण है। मुझे केवल यही आश्चर्य है कि एक ठीकेदार से वह सीधे इस प्रकार के उच्चाधिकारी की पंक्ति में कैसे आ गया ?

एक व्यक्ति बैलों व भैंसों का ईमानदार ठीकेदार हो सकता है, लेकिन साधारण ठीकेदारों से उसकी स्थिति कई गुना चढ़ी थी। सभी भैंसें व बैल गलत ढंग से बेचे गये और खरीदारी का उचित विज्ञापन न हुआ था। इस पर भी १ली दिसम्बर १७६३ के समाप्त होने वाले ठीके के वर्ष के बाद भी बारह महीनों का और टीका बढ़ाया गया।

मैं फिर कहता हूँ कि मैं उसके बैलों व भैंसों का ठीकेदार होने की बुराई नहीं करता, पर मुझे शंका है उसकी ईमानदारी पर, क्योंकि वह गंदे व दूषित वातावरण में पला है। अपने मालिकों के साथ ठीकेदारी करना बुरी आदत मानी जाएगी, जैसा कि उसने संसद द्वारा प्रकाशित एक परचे में स्वयं कहा है। मैं उसके बेईमान ठीकेदार होने की भर्त्सना करता हूँ और इस बात की कि उसके आचरण को उचित मान्यता दी गई और दूसरों को कम मूल्य दिए गए। जब यह सौदा इस प्रकार समाप्त हुआ तब मिस्टर हेंस्टिंग्स ने स्वयं अपने ठीके-पत्र की निन्दा करते हुए, जो किसी विशेष बैलों व भैंसों के लिए बारह रुपयों का मूल्य था, उसने सात रुपयों पर ठीका लिया। बाद में वही दर चलता रहा। इस संबंध में मैं जो कह रहा हूँ वह यह कि उसने अपने भीतर एक बेईमान ठीकेदार की आत्मा पाल रखी

थी, और उसकी यही आत्मा उसके कम्पनी के समस्त सेवाकाल तक बनी रही।

श्रीमान, इस प्रकार की बातें करने का मुझे जो अप्रिय और दुखद कार्य सौंपा गया है, उसके लिए चिन्ता प्रकट करने के साथ मै ऐसे व्यक्ति की कल्पना करता हूँ जो अपनी गरदन सीधी और सिर इतना ऊँचा रखता है और जब आचरण व हिसाब-किताब का मामला विचाराधीन है और अपनी सुरक्षा मे वह मत्र कहता है जो मेरे हाथ के कागजो में लिखा है, वह घोषित करना है कि वह प्रस्तुत प्रश्नो के सम्बन्ध मे कुछ नही जानता। वह कोई हिसाब नही रख सकता, यह उसकी शक्ति के बाहर की बात है। हम उसके समस्त विस्तृत कार्यकाल मे उसे देखते है कि वह केवक गलत व तिकडमपूर्ण कार्यो मे ही व्यस्त रहा है और अब जब वह आपके सम्मुख आता है तो आप सोचेंगे कि वह अच्छे वातावरण की पैदावार है। उसे किसी बात से अधिक मतलब नही है, वह जैसे कोई काव्य रचना मे व्यस्त रहा हो।

श्रीमान, हमने आपके सम्मुख डायरेक्टरों का वह पत्र पढा जिसमे उन्होने अपने कर्मचारियो की अव्यवस्था का विस्तृत चित्रण किया है, शासन के नष्ट होने का तथा वहाँ फैले भ्रष्टाचार का और देश की बरबादी का। जब हमे यह दोष दिया जाता है कि हम बात को बढ़ा-चढा कर कहते है तो हमे यही कहना है कि हम सत्य के सिवा एक शब्द भी नही कहते। हम न तो मामले को उलझाते है, न श्रीमान ही ऐसा करते है। हमारा यही प्रयत्न रहता है कि कोई सूक्षतम तथ्य भी आपके सम्मुख न छिपाया जाय। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियो का शिकार है तब कोई बात कैसे छिपाई जा सकती है। डायरेक्टरो ने पूरा वर्णन उसे लिख भेजा और सुझाव दिया कि चतुर्दिक सुधार किया जाय। पर उसने क्या किया? हम उसका सन् १७७३ का पत्र पढते है, जिसमे प्रचार के ढंग पर उन समस्त विष-बीजो को बोया गया है और भविष्य मे आने वाली बुराइयो की कल्पना की गई है जिसने समस्त शासन-व्यवस्था को पूरी तरह तहस-नहस किया और सर्वनाश किया। डायरेक्टरो ने उसके प्रति अपना जो विश्वास ज्ञापित किया उसके लिए उनकी प्रशंसा करने के बाद, उनके प्रति उच्चतम आभार प्रदर्शित करने के बाद वह कहता है, "अपने अब तक के किए गए प्रयत्नो की सफलता के लिए प्रसन्नता का अनुभव करते हुए मै मानता हूँ कि मै पिछली उन घटनाओ और परेशानियो को भूल नही सका हूँ जो मुझे उठानी पडी। आपकी माननीय अदालत और गोपनीय कमेटी को लिखे गए मेरे सभी पत्रो मे बारम्बार कर्मचारियो के आचरण की जाँच और उन्हें दण्ड देने की बात लिखी है जिन्हे आपने भी स्वीकार किया है। आप इतना तो अवश्य ही मानेगे कि मै अपने कहने में पूरी तरह ईमानदार रहा हूँ और अपनी कमजोरियो व असमर्थता के प्रति सजग रहा हूँ। मै अपने सम्बन्ध मे सार्वजनिक व सरकारी कागजो को प्रमाण बनाता हूँ, मै उन लोगो के प्रमाणपत्रों की दुहाई

देना हूँ जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में जिनसे मेरा सम्पर्क रहा है या वे कर्मचारी जो न तो बेकार, न पक्षपातवश नौकरी में रखे गए थे। सरकारी फाइलों में कागजों का पहाड़ इकट्ठा है। उनमें से मतलब के कागज छाँट लेना इतना आसान नहीं है। न तो वर्तमान कर्मचारियों को ही इतना अवकाश है कि अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से हट कर पीछे का पहाड तोडें क्योंकि यह एक लम्बे अनुसंधान का काम है। आसानी से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता।"

□ □ □

श्रीमान, यहाँ आप देखें कि यह स्वीकार करने के बाद कि उसने वह सब करने का वायदा किया जो कुछ करने को डायरेक्टरों द्वारा उसे आदेश मिलता था और चतुर्दिक फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए वह कहता है कि वह यह न कर सकेगा। वह इधर-उधर की दूसरी बातें करता है और अपनी असमर्थता बता-कर उस दिशा में प्रयत्न करने से भी इन्कार करता है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि तुमने वादा क्यों किया ? उससे यह प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक बात है। वह कहता है—"मै अपनी योग्यता जानता हूँ।" ऐसी बात केवल मिस्टर हेस्टिंग्स ही कह सकता है। सच यह है कि जो बुराइयाँ उस देश में उसकी अपनी बनाई हुई थी, उनका वह स्वयं सुधार भी कैसे करता ? उसके समस्त आचरण में धूर्तता की एक धारा निरंतर बह रही है। इसीलिए वह कहता है कि सुधारवादी उपाय से कोई भी लाभ न होगा। इसीलिए उसने कभी कोई जाँच समिति भी नहीं बनाई। क्योंकि वह जानता था कि विदेश में उसके आचरणों के लिए, स्वदेश में उसे अवश्य ही दण्ड मिलेगा. अतः तथ्यो को दबाने का जो भी उसे अवसर मिला, उसने उससे लाभ उठाया।

यह सब उसने बडे असाधारण ढंग से किया। कर्तव्य निभाने से अधिक उसने अपनी इच्छाएँ पूरी कीं, उसने स्वअर्जित पंचायती अधिकार अपनाया। मै श्रीमान का ध्यान पृष्ठ २८२७, २८२८ और २८२९ की ओर आकृष्ट कराऊँगा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि उसने सरकार चलाने के लिए ऐसे किसी मार्ग को नहीं अपनाया कि भ्रष्टाचार बन्द हो। परन्तु उसने कम्पनी के कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत नौकर समझ कर और उनका ही उपयोग करता रहा। यहाँ आप देखेंगे कि उसका वह दुराचरण बहुत प्रमुख रहा है। देखे न, वह क्या कहता है और तब विचार करें कि इन आचरणों के क्या अर्थ है।

□ □ □

"अपहरण के अभियोगों के साथ जनता की चीख पुकार और उचित प्रति-निधित्व के साथ भी कोई कानूनी प्रमाण ढूंढ़ पाना असंभव है और जब तक स्व-अर्जित अधिकारों का उपयोग न किया जाय कोई जाँच पूरी नहीं हो सकती।"

श्रीमान, आपके सम्मुख जो मामला है वह एक पूरे राष्ट्र का मामला है और इस मामले के फैसले के समय विचार करते समय आपको दो मुख्य बातो पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपके सुविचार के लिए पहली बात है—अपराधी द्वारा अदालत में दिया गया वक्तव्य कि समस्त जनता की चीख-पुकार से एक व्यक्ति किसी विशेष आचरण करने के लिए विवश हो जाय और कागज-पत्र जो उपयुक्त न हों या विषय से संबंधित न हों वे उसके विरुद्ध प्रस्तुत किए जाएँ। संक्षेप मे, यह मान लिया जाय कि वह भयानक अपराध का कर्ता हो और उसके लिए, उसके अपराध की सिद्धि के लिए कानूनी प्रमाणो की आवश्यकता हो, इससे लगता है कि आपको कितने ध्यान से विचार करना है कि कोई भी प्रमाण किसी विशेष कमी के कारण अनुपयोगी न मान लिया जाय। मिस्टर हेस्टिंग्स के इस वक्तव्य का मै विरोध करता हूँ, फिर भी इस संबंध में एक सज्जन जो अपराधी के बगल बैठे है—मिस्टर समनर की सम्मति बड़े काम की है।

☐ ☐ ☐

मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि कौसिल का यह अधिकार नही है कि वह निम्नश्रेणी के कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप कर सके। उन कर्मचारियों की सीमा बहुत सीमित है और कौसिल तक उनकी पहुँच नही है। आपकी कार्यवाही मे मिस्टर समनर का लिखित वक्तव्य है जो अधिक सत्य और तथ्यपूर्ण है। आप चाहे निम्न-कर्मचारियों को जितना भी कोसें लेकिन किसी उच्च अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो उसे तत्काल दबा कर समाप्त किया जाता है। हम इसके प्रमाण मे अपराधी के पास बैठे उस व्यक्ति के लिखित वक्तव्य को ही सामने रखते हैं जो बहुत तथ्यपूर्ण वक्तव्य है और कम्पनी के संबंध मे तथा मिस्टर हेस्टिंग्स के वक्तव्य के सम्बन्ध में बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाश डालेगा। लेकिन निम्न कर्मचारियों को व्यर्थ ही नही कोसा जा सकता।

लेकिन हमें इस मामले मे एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार की ओर ध्यान देना है। इस पत्र मे जिस स्वअर्जित अधिकार की माँग की गई है उसके स्थायित्व की माँग करता है। यही उसने आपके सम्मुख एक बुरे गवर्नर का वर्णन किया है जिस ओर मैं आपका ध्यान अवश्य ही आकृष्ट कराऊँगा और जैसा कि श्रीमान पावेंगे कि समस्त कार्यवाही के विभिन्न हिस्सों मे जो कुछ लिखा है उसका समस्त सरकारी व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।

☐ ☐ ☐

"किसी भी राज्य, जैसे बंगाल के राज्य मे जो उच्चतम अधिकारी हैं उनको हर समय गोपनीय तथा व्यक्तिगत लाभ उठाने के अवसर रहते है। मालिकों की ओर से मिलने वाले भत्ते उनके बढ़े हुए खर्चों के लिए पर्याप्त नही होते। ऐसी स्थिति में अपने खर्चे पूरे करने के लिए दूसरे माध्यमों से आमदनी करने से किसी व्यक्ति को

नहीं रोका जा सकता क्योंकि उनकी नौकरी की जो।स्थिति रहती है उससे वे जीवन मे कभी सम्पत्ति इकट्ठा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति मे आपके आदेश चाहे जितने कठोर क्यों न हों, मुझे डर है कि अधिकांश मामलों में वे आदेशों की अवहेलना ही करते है और अवज्ञाकारी हो जाते हैं। ये ऐसे सिद्धांत नही है जिनसे आदमियों के आचरण शुद्ध हों, फिर ऐसे कर्मचारी को जिन्हें आपने अपनी सम्पत्ति का संरक्षक बनाया है, अफसरी शक्ति में थोड़ा अपने मन का बादशाह तो हो ही जाता है, और फिर जब उनका कार्यकाल भी तीन वर्ष के लिए ही सीमित हो। शायद जो कारण मैंने बताएँ है वे प्रमाण रूप मे ही प्रस्तुत किए है फिर यह नियुक्ति तो कुछ ही वर्षो के लिये की गई थी, वह जिस आसानी से की गई उसी आसानी से इस्तीफा भी हुआ। ऐसी आदतों के अन्य भी दुष्परिणाम होने है और अगर इनकी जाँच-पड़ताल की तह मे हाथ डाला जाय तो जाँच की सीमा व कमी न रहेगी। हर व्यक्ति जिसे आपकी कृपा ने इतनी प्रतिष्ठा, इतना महत्व और विश्वास दिया है उसे मनमानी करने की भी कितनी छूट रहती है यह सहज ही जाना जा सकता है।"

☐ ☐ ☐

श्रीमान, आप कृपया देखें कि उसने कहा है कि यदि किसी गवर्नर को थोड़े दिनों के लिए ही पद दिया जाता है तो इसका परिणाम होगा कि मानो वही अवज्ञा-कारी हो जाएगा या और भी अधिक बुराई होगी और वह पाखण्डी हो जायगा। अब उसकी धोखाधड़ी पकड़ी और आपके सम्मुख सिद्ध की जा चुकी है। इस मामले के दौरान मे आपने देखा कि इस व्यक्ति ने उन सिद्धान्तों की भी चर्चा की है जो ऐसे कर्मचारियों के सदाचरण के लिए आवश्यक हैं जिसे आपने अपनी संपत्ति का संरक्षक बनाया है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने तो आपके सम्मुख स्पष्ट रूप में कहा कि उसके कर्तव्य क्या थे। वह स्वयं भी बताता है कि वह स्वयं अपनी भर्त्सना करता है, जिसकी उससे आशा थी, कि वह स्वयं एक उच्च उदाहरण स्थापित करे, ताकि उसके मातहत अन्य कर्मचारी उससे शिक्षा ले। वह इस पत्र के अंत में कहता है कि कार्यकाल का अल्प-कालीन होना उनके इच्छित संपत्ति संग्रह के लिए बाधक सिद्ध होगा। अतः उसने आपके सम्मुख यह घोषणा करना उचित समझा कि वह अति अभावग्रस्त और निर्धन है। मैंने यह पत्र श्रीमान के सम्मुख पढ़ कर सुनाया है और अब आप इस पत्र की बातो तथा अपराधी के आचरण की विषमता तथा विपरीततादेख सकते हैं, जैसा हम पहले ही कह चुके है तथा प्रमाणों द्वारा सिद्ध भी कर चुके हैं। हमने अपनी बातें कही और उन्हे सिद्ध भी किया कि मिस्टर हेस्टिंग्स नियमित रूप से कम्पनी के अधिकारियों के संग लूटपाट तथा अपहरण में साथी बना रहा और इसीलिए उसने वहाँ फैले भ्रष्टाचार को रोकने में अपने को असमर्थ पाया और इसीलिए प्रयत्न करने से भी इनकार किया। इसीलिये उसने सरकारी नियमों का भी पालन न किया, न

किसी को दुराचार के लिये दण्ड दे सका और डायरेक्टरो ने उस पर जो पवित्र भार सौपा था उसका निर्वाह वह न कर सका। अत हम उस पर आरोप लगाते है कि उसने न केवल स्वय ही भ्रष्टाचार किया बल्कि समस्त सरकारी व्यवस्था को भी भ्रष्ट बनाया, उसी दिन से जब से वह कम्पनी की सेवा मे नियुक्त हुआ, १७७२ के प्रारम्भ मे ले कर १७८५ के अंत तक जब वह सेवा से मुक्त हुआ। उसने कभी किसी बुराई को पकडने का प्रयत्न नही किया न ही उसने किसी एक भी व्यक्ति के भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहा। और इस प्रकार, ऐसे आचरण से ऐसे व्यवहारो तथा ऐसे कारनामो से उसने सरकार चलाई जिसके चरित्र के सबन्ध मे वह स्वयं भी कहता है कि किसी का भ्रष्ट आचरण पकड पाना कठिन है और उससे भी अधिक कठिन है उसके सिद्ध करने के लिए कानूनी प्रमाण जुटाना। चाहे यह अपने आप मे ही सिद्ध क्यो न हो कि उसका दोष सर्वविदित हो और चाहे जनता एक स्वर मे चीख पुकार द्वारा उसके दोष व अपराध को सिद्ध करे।

श्रीमान, वह चाहता है कि कम्पनी के कर्मचारियो के संबंध मे उसे स्वअर्जित अधिकारो की मान्यता दे दी जाय। भगवान बचावे, क्या किसी व्यक्ति को स्वअर्जित अधिकार की मान्यता दी जा सकती है? साथ ही, ईश्वर रक्षा करे, यदि अधिकार देकर ही आदमी की योग्यता की परख होगी, और मातहत कर्मचारियो के भ्रष्टाचार के लिए जाँच, दण्ड या रोक होगी कि आगे बुराइयाँ न चल सके तो यह कानून के विरुद्ध बात होगी। लेकिन केवल सच्चाई, न कि स्वअर्जित अधिकार, इस कार्य के लिए आवश्यक है। हम अच्छी तरह जानते है कि इस व्यक्ति ने हमें ऐसी जगह ला कर खड़ा कर दिया है कि स्वअर्जित अधिकार ही माँगना उसके लिए उचित और आवश्यक हो गया है।

हम यह भी जानते है, श्रीमान, कि ऐसे मामले व उदाहरण है जब अपराध के उदाहरण भी ऐसी परिस्थिति मे महत्वहीन लगते है और दूसरे मामलो व उदाहरणो मे यही बाते महत्वपूर्ण लगने लगती है लेकिन दोनो ही स्थितियो का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। हम जानते है कि भयानक रूप के अपराध, आतंक के कार्य, कभी-कभी किए जाते है और सो भी बहुत कम व्यक्तियो द्वारा। ऐसे अपराध विशेषाधिकार के अपराध होते है। वह केवल महानता और उच्चतम स्थितियो मे ही संभव होते है। लेकिन एक गवर्नर जनरल स्वयं इतने नीचे उतर आता है और ऐसी स्थिति बना लेता है कि स्वयं वह भ्रष्टाचार और अपहरण के दलदल मे फँसे, जब वह स्वयं ही घूस ले और गलत ढंग से रुपये हड़पे, तो यह ऐसे कार्य है जो हर व्यक्ति की दृष्टि मे मानवता की सीमा के बाहर के कार्य माने जाएँगे। एक भी ऐसा व्यक्ति न मिलेगा न काली व गोरी जाति में, न उच्चतम न निम्नतम श्रेणी मे जो किसी गवर्नर जनरल के ऐसे आचरण का समर्थन करे। अब आप ही विचार करें कि इन बातों से क्या परिणाम निकलता है, जब इन्हें ही सेवा का सिद्धान्त बना लिया जाय, और वर्तमान

तथा प्रचलित कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कुछ कहने को तैयार न हो, और जैसा वह कहता है कि आप स्वयं उसके स्वअर्जित अधिकार को मान्यता दें और अपनी ही सरकार को नष्ट होने का अवसर प्रदान करें।

जब हमने मिस्टर एण्डरसन से प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर दिया कि उसे ठीक-ठीक याद नही (जबकि वह उसी प्रांत में था और अब उसकी स्मरण-शक्ति काम नही दे रही है) लेकिन उसे ऐसा अनुमान है कि उसने किसानो को किसी भी अधिकारी को घूस देने की मनाही की और इस संबंध मे उसने उच्चाधिकारियो को जो सूचना दी वह छपी कार्यवाही मे शामिल है। लेकिन यह बात मुझे कार्यवाही में नही मिली अतः आप इसे उसी रूप में ले जैसा मिस्टर एण्डरसन कहता है—और कार्यवाही के प्रमाण को छोड़ दें कि किसानों को किसी प्रकार का अनुचित धन लेने व देने की पूरी मनाही थी। अब मान लें कि गवर्नर जनरल उस किसान के पास जाता है और कहता है कि इतना रुपया देना आवश्यक है तो वह क्या करे ? क्या इससे भ्रष्टाचार की नदी का बहाव नही खुल जाता ? क्योकि इस व्यापार मे गवर्नर जनरल का हाथ है।

जब मिस्टर हेस्टिंग्स को अधिकार दे कर पद पर बैठा दिया गया कि वह देश की स्थिति को सुधारे तो हमे यह भी देखना चाहिए कि उसने क्या किया ? वह कहता है कि हमे स्वअर्जित और मनमाने अधिकार दे और मैं सब मामले सुधार दूँगा। वह अधिकार जैसा वह चाहता है, प्राप्त करता है, अपनी मर्जी से कर्मचारियो को रखता और निकालता है। लेकिन वह अधिकार पा कर वह कुछ सुधार कर पाता है या भ्रष्टाचार दूर कर सका है ? और वह कर भी कैसे सकता है ? वह तो कभी यह नही कहता कि उसने ऐसा किया, क्योकि जब एक व्यक्ति अपना ही गलत उदाहरण रखता है और जब वह भ्रष्टाचार मिटाने में एक जाँच भी नही करा सकता तो वह सुधार कैसे कर सकता है ?

लेकिन फिर देखे, श्रीमान, कि छोटी श्रेणी के कर्मचारी कहते है कि हमारी उन्नति नही हो सकी (ठीक जैसा यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स का कहना है) और जिस ऊँचाई, शक्ति, अधिकार व पद के वे अधिकारी है और इस प्रकार सरकार की सेवा मे रह कर भी हम न तो सम्मान पा सके न संपत्ति जोड़ सके। लेकिन जब ऐसे कर्मचारी गवर्नर जनरल को ही भ्रष्टाचार का अधिकारी बना देखता है और यह भी जानता है कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे कोई जाँच भी न हो सकेगी तो मैं कहूँगा कि इसका स्वाभाविक परिणाम यही होगा कि समस्त कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैल जाएगा।

अब मैं श्रीमान के सम्मुख अनुबन्ध-सम्बन्धी चर्चा करूँगा। आपके सम्मुख पांच अनुबन्ध रखे गए है, जिनके सम्बन्ध में अतिरिक्त व अनियमित लाभ के रूप में ५००,००० पौंड की बात सिद्ध की जा चुकी है। हम आपको दिखा चुके हैं कि सशक्त

प्रमाणो के आधार पर यह सभी अनुबन्ध और ठीके भारत मे कम्पनी के कर्मचारियो को भ्रष्ट करने के लिए ही दिए गए थे और दूसरे रूप मे इंगलैड मे कम्पनी को भ्रष्ट करने की नीयत से । आपको याद होगा कि ४०,००० पौड एक ठीके के लिए एक ही सुबह मे दिए गए थे, जिस ठीके का काम ठीकेदार को कभी पूरा नही करना था । मै मिस्टर सुलीवन के ठीके की बात कर रहा हूँ । आपको यह भी याद होगा कि भारतीय शासन-व्यवस्था के एक प्रमुख व्यक्ति का वह पुत्र था और जो सेवा मे रहते हुए या सेवा से बाहर रह कर भी, यह प्रसिद्ध था कि वह सरकार चलाता था और भारत मे मिस्टर हेस्टिंग्स के लाभ का सरक्षक था ।

आपने सर आयर कूट का भ्रष्ट आचरण देखा जिसमे मिस्टर क्राफ्टन को बैलो व भैसो का ठीका दिया गया था । आपने बैलो की ठीकेदारी की बात सुनी जो मिस्टर हेस्टिंग्स के चेहरे पर कही गई थी, उस सम्बन्ध मे उसकी ओर से कोई आपत्ति भी नही हुई । यह ठीका कई अन्य भ्रष्ट आचरणो को छिपाने के लिए दिया गया था । आपने मिस्टर आउरियल का ठीका देखा जो कम्पनी के सचिव को दिया गया था मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा, इसलिए कि कम्पनी के समस्त हिसाब-किताब व कागज-पत्र उसी के अधिकार मे रहते थे । आपने देखा कि स्टोर की वस्तुएँ खरीदी जाने का ठीका व उसका कमीशन सबन्धी कठिन व झझट वाला काम मिस्टर बेली को दिया गया था जो एक बदनाम व्यक्ति था और मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वय उसकी जमानत ली थी और परिस्थिति के दबाव से यह भी सिद्ध हो गया था कि मिस्टर बेली यह समस्त कमीशन मिस्टर हेस्टिंग्स को देता था । श्रीमान, यह सब चीजे है जो यो ही झुठलाई व टाली नही जा सकती । गवर्नर जनरल स्वयं भ्रष्टाचारी है, वह अन्य सभी को भी भ्रष्ट बनाता है, और यह सब योजनाबद्ध ढग से तथा नियम पूर्वक करता है, जिसकी वह कभी जाँच नही कर सकता ।

श्रीमान, मै उन समस्त रकमो के सबन्ध मे कह चुका हूँ जो इसने इन ठीको के माध्यम से उडाया या हडपा, लेकिन आप देखेंगे कि हमने आपके सामने केवल पाँच ही नमूने रखे है । हे ईश्वर जब! आप कम्पनी के कामो मे इतना जाल और कागजो का दुहराया या तिहराया जाना देखते है तब आप अदाज लगा सकते है कि कितने बडे रूप मे समस्त भ्रष्टाचार रहा होगा । इन सभी भ्रष्टाचारो का कारण वही है, और इस प्रकार कि कमाई मे वह बडा हिस्सेदार है । जब आप श्रीमान उसके वक्तव्य पर ध्यान दे कर देखे जिसका एक अश हम आपके सम्मुख पढ कर सुना चुके है, तब आप देखेगे कि वह हमारी कितनी बाते बुरी बताता है और हम पर ही सारे भ्रष्टाचार का भार लादता है और अपराध लगाए जाने को अनुचित कहता है ।

लेकिन यहाँ एक और लज्जाजनक परिस्थिति है कि जिसकी चर्चा करना मै भूल गया था, इन्ही ठीको के संबन्ध मे । वह उन्हे केवल वर्तमान शक्ति का स्रोत ही नही मानता, अपने सहयोगियो की भी रक्षा करता है और उनके आचरण के

संबन्ध में कोई जाँच भी नहीं करता। यही नहीं, इतना ही नहीं, वह इससे भी आगे जाता है, वह घोषित करता है कि यदि उसे उसके शासन पद से अलग कर दिया जायगा तो वह उन्हें इन्हीं अनाप-शनाप लाभ की दरों पर स्थाई ठीका दे देगा ताकि उसकी सहायता के लिए शक्तिशाली लोग बने रहें और जब इसके आचरण के संबन्ध में कभी कोई जाँच हो तो वे लोग उसके लिए गवाही दें, उसके लिए राजीनामा लिखें और जब कभी उसे अदालत का सामना करना पड़े तो वे उसके उच्चतम चरित्र का प्रमाण दें। यहाँ देखें कि उसके सिद्धान्त क्या हैं, और यह व्यक्ति स्वयं ही क्या कहता है ?

□ □ □

"फोर्ट विलियम, अक्टूबर ४, १७७९, मिस्टर फ्रैंसिस के झूठे आरोपों के उत्तर में यह एक एजेन्ट के लिये स्वाभाविक है कि अपनी रक्षा के लिये वह इस सरकार की नीति बदलने के पूर्व ही अपनी स्थिति दृढ़ कर ले। जब मैं अपने द्वारा रखी गई सभी योजनाओं का नियमतः विरोध होता देखता हूँ, चाहे वह जनता के हित के लिये मेरे कार्य क्यों न हों, और उससे चाहे कोई भी लाभ उठावे, मैं एक मिनट के लिये भी यह घोषित करने में न हिचकूँगा कि यह कहूँ कि यही मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे देश की सरकार की बागडोर आज के अल्पमत सदस्यों के ही हाथ क्यों न सौंप दी जाय, तो वे मुझसे संबन्धित हर व्यक्ति का अहित करने का कार्य करेंगे, अतः मेरे कर्तव्य हैं कि मैं उन्हें कानून की सीमा में रख कर जितना संभव होगा दृढ बनाऊँगा क्योंकि हमें भविष्य को भी दृष्टि में रखना है।"

□ □ □

यहाँ सिद्धान्तों की हत्या की गई है, उसे यह भी विश्वास है कि वह अपने उत्तराधिकारी को जो अनैतिक व गैरकानूनी विरासत दे जाएगा, उससे वह उबर न सकेगा। वह कम्पनी की शक्ति को अपने हाथों अपनी इच्छानुसार बना देगा।

अब मैं आपके सम्मुख जो दस्तावेज पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें मिस्टर हेस्टिंग्स की घोषणा है, उस दूसरे पद्धति के संबन्ध में जिसे वह कम्पनी के कर्मचारियों को भ्रष्ट करने के लिए अपनाता है।

गवर्नर जनरल का वक्तव्य—कार्यवाही का अंश—"राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा कम्पनी के कौंसिल के सदस्यों, जो आज उच्च पदों व उच्च श्रेणी के मालिक हैं, उनके बार-बार विवश करने पर और उनके उन मित्रों के कहने पर जो पलटन के उच्च अधिकारी हैं; और मेरे व्यक्तिगत अनुभव व देखने में कम्पनी के कर्मचारियों व कार्य पद्धति की जो स्थिति मेरे सम्मुख आई है, मुझे बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है, साथ ही आत्मपीड़ा भी हो रही है कि अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा के अनुसार यह लिखूँ। मैं कम्पनी की स्थिति के संबंध में पहले भी अपनी स्पष्ट राय दे चुका हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि यह भ्रष्टाचार का

साम्राज्य कैसे ठीक हो सकेगा।''

□ □ □

श्रीमान, आप देखें कि इसके यह लिखने का क्या परिणाम है? उसकी नीयत स्पष्ट है कि वह इंगलैंड मे भी अपने भ्रष्ट सिद्धान्तो का प्रभाव फैलाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी है जो अत्यधिक महत्व की है—जिसका सीधा संबंध इस संसद व इस अदालत से है और आपके सामने और कोई मार्ग बचा नही रह जाता कि या तो आप उसे दण्ड दें या अपने को भी समस्त भ्रष्टाचार का सहयोगी घोषित करें। यह व्यक्ति यहाँ स्वयं ही क्या कहता है? सर्वप्रथम मै श्रीमान के सम्मुख उस अवसर की चर्चा करूँगा जब कि यह दस्तावेज लिखा गया जिसे मैने पढ कर सुनाया हैं। यह वह अवसर था जब अपराधी राजस्व विभाग मे अपने व्यक्तिगत व लज्जाजनक लाभ के लिये अपनी सम्पत्ति जोडने मे व्यस्त था। यह सन् १७८१ की बात है। जिसके सबन्ध मे कुछ आवश्यक शब्द मैं बाद मे कहूँगा। क्योकि यह मामला अपने आप मे एक भयानक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उसने तभी यह अनुभव कर लिया था कि वह भ्रष्टाचार के जो-जो कार्य कर रहा था उनके प्रकाश मे आते ही समस्त संसार आश्चर्य मे डूब जाएगा और इसीलिये अंत मे वह इतना स्पष्ट भाषण करता है।

□ □

मिस्टर हेस्टिंग्स की एक कार्यवाही जिसे एक पत्र मे मिस्टर ह्वीलर ने लिखा—''इस सबंध मे और सम्भवत जैसा प्रत्येक सुधार के संबंध मे भी होगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही एकमात्र सिद्धान्त था। हम अचानक ही या बहुत जल्दी मे अपने कर्मचारियो के इतने बडे समाज के मुँह से रोटी नही छीन सकते, बिना उस कोमल भावना का अदाज किए जो हमे मानवता ने दी है, इससे तो हमारी ही प्रतिष्ठा समाप्त होगी, कि एक ऐसे कार्य से जिससे अनेक का भविष्य नष्ट हो, और उनसे संबंधित हर व्यक्ति प्रभावित हो।

''इसका संबंध उस न्याय से भी है जिसका प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी है, जिन्हे उनके किसी दोष के बिना ही उन्हें कार्य से अलग कर दिया गया, लेकिन सार्वजनिक हित व सुविधा के लिए हमे विवश होना पडा कि हम उन्हे तब तक बराबर भत्ता देते रहे जब तक उन्हे दूसरा कार्य न मिल जाए। सरकार के राजकीय कर्मचारियो की समस्त संख्या पर इसका प्रभाव पडेगा, जिसकी संख्या दो सौ बावन है, जिनमे से कई तो ग्रेट ब्रिटेन के महाराज्य के उच्चतम अधिकारियो व सम्मानित लोगो के परिवारो से संबंधित हैं, और सभी एक रात मे ही लाखो की सम्पत्ति बना लेने का सपना भी देखते है। उनकी असीमित इच्छाओं की पूर्ति मे तो देश का समस्त राजस्व भी कम पड़ेगा।'

 □ □ □

श्रीमान, यहाँ आपने उसकी घोषणा देखी। इसमें पक्षपात को उसने सरकार का प्रमुख सिद्धान्त माना है और उसके कार्य किसी युद्ध से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। या अकाल की भी उपमा दी जा सकती है। और ऐसी अनेक दैवी आपत्तियाँ भी मिल कर इस पक्षपात से होने वाले अहित का सामना नहीं कर सकतीं। और यह सब भी किस समय वह आपसे बताता है? जबकि वह स्वयं एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर चुका था। यहाँ वह स्वयं स्वीकार करता है कि वह स्वयं ही इन समस्त गड़बड़ियों का निर्माता है। वह कहता है—मैं अच्छी तरह भी व्यवहार व आचरण कर सकता था; अपहरण से देश को नष्ट होने से मैं बचा सकता था। लेकिन वही कहता है—यहाँ तो ग्रेट ब्रिटेन के महादेश के मुख्य अधिकारियों व सम्मानित लोगों के परिवारों से संबंधित लोग थे। सभी एक ही रात में लाखों की सम्पत्ति जुटाने के सपने देखते थे। मेरा विश्वास है कि श्रीमान ने इस बात की असत्यता को समझ लिया होगा। श्रीमान, विचार करें कि उसने क्या कहा—दो सौ बावन लोग लाखों की सम्पत्ति के साथ अपने देश वापस जाना चाहते थे। लाखों के अर्थ हम कम से कम दो लाख ही मान लें। दो लाख के अर्थ है २०,००० पौंड। इसे २५२ से गुणा करें और आप देखें कि समस्त लोगों के लिए २,५००,००० पौंड का मामला हो गया, केवल थोड़े से पक्षपात के कारण। निश्चय ही ऐसे पक्षपात का परिणाम युद्ध या अकाल के परिणाम से बुरा ही होता है और देश बरबाद होता है।

श्रीमान, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भ्रष्टाचार और पक्षपात के इस पहलू पर ध्यान दें। कम्पनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैलाने का यह एक नियमबद्ध तथा पूर्णनियोजित कार्यक्रम है और इसके बारे में बाद में वक्तव्य दे कर जिम्मेदारी से मुक्त होना ही एक मार्ग अपनाया जाता है। वह स्पष्ट कहता है कि वह ईमानदार बनने की हिम्मत नहीं करता, यदि मैं उन्हें मनमानी करने दूं तो आप मेरे प्रति संवेदना से विचार करेंगे और यदि मैं उसकी मनमानी में बाधा डालता हूँ तो मैं अपने से उच्च अधिकारियों की सिफारिश और आदेशों के भार से दबा कर कुचल दिया जाऊँगा और इस संकट से बचने का मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता कि मैं संसद के वकीलों को मुँहमाँगी घूस दूँ। देखिए श्रीमान, संसार के सम्मुख यह कितना बड़ा लज्जापूर्ण उदाहरण है। इस मामले में श्रीमान का सुविचार व निर्णय समस्त संसार व समस्त मानवता में सदा स्मरण किया जायगा। लेकिन वह जो नए सिद्धान्त सरकार के सम्बन्ध में बनाता है वह केवल कुछ भ्रष्ट आचरणों के बचाव के लिए ही नहीं, बल्कि वह अपने सहयोगियों मे होनेवाले सम्भावित संघर्ष से बचाव की भी तैयारी कर रहा है। एक ऐसा भी अवसर था जब वह इन बातों के प्रति पूर्णतया निडर व अभयवान की स्थिति पा चुका था। जब उसे कौंसिल के बहुमत से मुक्ति मिल गई, तो उसने क्या किया?

क्या उसने व्यवस्था मे फैली बुराई और अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का कोई प्रयत्न किया या अपनी ही शक्ति व अपने बहुमत से कुछ उपकारी आचरण कर सका ? नही, उसने ऐसा एक भी कार्य नही किया। जब कि डायरेक्टर सदा ही कौसिल के बहुमत को ही मान्यता देते रहे और उसके विद्रोह और भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रह कर भी चुप रहे। उसके कंधे पर बहुमत का जो अंकुश था वह उससे मुक्त हो गया था जिसे हम लोग एक बडी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानते है। मै बताऊँगा, कि ज्यो ही इस भय से मुक्त हुआ तब आप सोचेंगे कि उसने कुछ महान कार्य करके सुधार का प्रयत्न किया होगा, क्योकि कम्पनी के समस्त अधिकार उसी के हाथ मे थे, पर उसने ऐसा कुछ नही किया।

मै यहाँ श्रीमान को अवश्य ही स्मरण दिलाऊँगा कि प्रान्तीय कौसिलों का निर्माण स्वयं मिस्टर हेस्टिग्स ने ही किया था। उसे इस मामले में इतना आत्म-विश्वास था और अपनी सम्मति पर भरोसा था कि वह अपनी योजनाएँ अच्छी तरह कार्यान्वित कर लेगा कि उसने डायरेक्टो की परिषद को एक कानून का प्रारूप बना कर भेजा कि वह पार्लमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त करा दे। इस कानून के द्वारा उसकी नीयत थी कि वह समस्त शक्तियो का एकमात्र अधिकारी बने और डायरेक्टरो का अधिकार भी समाप्त हो जाय। दूसरे अपनी कमजोरो के संबंध मे चाहे जो भी राय रखे और दूसरों की बुराइयो को चाहे जिस रूप मे देखें, मिस्टर हेस्टिग्स ने अपने आप मे ऐसा कुछ नही पाया या देखा। उसने प्रारम्भ मे ही घोषित कर दिया कि वह इस सभी प्रयत्नो को एक प्रकार के अनुभव के लिए केवल प्रयोग ही मानता है। लेकिन इस दिशा मे आगे बढने पर उसने प्रस्ताव रखा कि पार्लमेंट भी उसके आचरण को मान्यता दे दे। डायरेक्टर जानते थे कि इसके पीछे कितनी बदमाशी और धूर्ततापूर्ण चाले है और उनके शासन व्यवस्था मे बडी गडबड़ी कर दी गई है, और देश पर जो मुसीबते लाद दी गई है, उन्होने उसे आदेश दिया कि इस संबंध मे व्यवस्था संबंधी कोई हेर-फेर न किया जाय जब तक की लिखित आदेश न हो। अत अपने वक्तव्य के पूर्ण विपरीत और पार्लमेंट के कानून के विपरीत भी जिन्हे वह अच्छी तरह जानता था, कि शायद उसका सुझाया नया कानून बन ही जाय, (मुझे मालूम है कि तब उस कानून के पास होने की संभावना भी बन गई थी क्योकि उसके लिए उच्चस्तरीय प्रयत्न हुये थे, क्योकि कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी कई कानून बने भी थे और मेरा तब भी, जैसा कि आज भी तात्पर्य है, कि बंगाल मे शासन व्यवस्था सुगठित होने के लिए जो भी प्रबंध किया जाय उचित ही है) लेकिन अपने वक्तव्य के विपरीत उसने उस समय दूसरो को सूचना दिए बिना ही उन्हे नौकरी से अलग करके उनकी रोटी छीन ली।

अब देखें कि तब प्रान्तीय कौसिलों के सदस्य कौन थे ? वे लोग कम्पनी की शासन व्यवस्था में उच्च अधिकारी थे। वे छोटी स्थिति के कर्मचारी न थे, न वे

नौजवान कर्मचारी थे, परन्तु वे लोग थे जो काफी दिनों व्यवस्था में रह कर अनुभव प्राप्त कर चुके थे, जो देश के बारे में काफी कुछ जानते थे, जो राजस्व के मामले में भी परिचित थे। और समस्त व्यापार में काफी अच्छी स्थिति वाले लोग थे। उसने इन लोगों के साथ क्या क्या व्यवहार किए ? शासकीय व्यवस्था में उनकी स्थिति का ध्यान न रख कर या देश के सम्मानित परिवारों के सम्मान का ध्यान न रख कर वह उनकी स्वतंत्र स्थिति को एक दिन में मटियामेट कर देता है। इसके लिए न तो डायरेक्टरों से पूछता है न किसी कानून का सहारा लेता है और सबों को अपनी इच्छानुसार पेंशनभोगी बना देता है। और यह किस उद्देश्य से किया गया ? यह कम्पनी के कर्मचारियों की तादाद कम करने के लिए किया गया जो अपनी स्वतंत्र स्थिति में इतनी बड़ी तादाद और समूह में थे कि उन्हें भ्रष्ट करना बड़ा कठिन था और वे भी उसके अधिकार में नहीं समा रहे थे। वह उनसे कहता है— तुम अपनी स्थिति खो चुके हो, तुम्हारे पास छोटी पेंशन पर जीने के सिवा और कोई रास्ता नही है, केवल जीवन निर्वाह भर के लिए पेंशन लो, और मुझ पर आश्रित रहो और ज्यादा या कम जो मिले उसी से संतोष करो। इस प्रकार एक ही झटके में कम्पनी के कर्मचारियों की पूरी बिरादरी—पूरा समूह रोटी को मोहताज कर दिया गया और वे उसकी ही इच्छा पर आश्रित हो गए और इन छँटनी किए गए कर्मचारियों को बाँधी गई पेंशनों के भार से कम्पनी को लाद दिया। इस प्रकार सम्मानित, स्वतंत्र और उच्चपदाधिकारीगण भी कम्पनी की दीर्घकालीन सेवा करके भी, यद्यपि उन्हें भी यह संभावना थी कि यदि कोई अपराध करेंगे तो उन्हे भी दंड दिया जायगा, वे सभी भी पदच्युत किए गए, उनकी एक न सुनी गई और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया। आप सोचते होंगे कि कम मे कम मिस्टर हेस्टिंग्स ने उन पर भ्रष्टाचार का अभियोग तो लगाया ही होगा—नही, आप कार्यवाही मे देखें, कि जब उसने प्रान्तीय कौंसिलों का उन्मूलन किया, उसी समय उसने यह घोषणा की कि उसने उन सम्बन्धित व्यक्तियों में कोई दोष नही पाया।

जैसा कि श्रीमान ने देखा कि वह उनसे छुटकारा पा गया, जो कम्पनी के कर्मचारी थे और बड़ी संख्या में थे, फिर उसने बचे हुए कुछ कर्मचारियों को अपने ढंग से भ्रष्ट बनाया और जितना उसकी शक्ति व अधिकार में था उसने उन्हें भ्रष्टाचारी कृत्यों में प्रवीण बनाया और उनकी स्वतंत्र सत्ता को पूरी तरह नष्ट कर डाला। अब सुनिए कि उसने कौंसिल जनरल के साथ क्या किया ? उनके पास एक कानून था जिसने मिस्टर हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाया, और राजस्व की व्यवस्था का अधिकार दिया। आपने हमारे सहयोगी द्वारा सुना कि उसने इस विभाग का सारा काम कौंसिल के हाथ मे छीन लिया और इस विभाग के प्रबन्ध के लिए उसने एक कमेटी का निर्माण किया जिस पर बहुत अधिक खर्च आया। यह कमेटी उसके अपने विश्वासपात्र तथा मातहत लोगों की थी और प्रान्तीय कौंसिलों को समाप्त करने के बाद वह

राजस्व की सारी व्यवस्था को कलकत्ता उठा लाया। इस कमेटी ने कौंसिल के हाथों से सभी प्रमुख विभाग छीन लिए जो उन्हें एक कानून द्वारा प्राप्त हुए थे और उस कमेटी का निर्माण भी उसने डायरेक्टरों के आदेश व सम्मति के बिना ही किया।

ओह ! उसने सब पर अपनी प्रभुता रखी। अब आप सुनिए कि उसकी प्रभुता क्या थी ? यह आप सुने, अनुभव करें, सूँघे और छुएँ और यह आपकी आत्मा में गहरी प्रवेश करेगी। यह दिखाएगी कि मिस्टर हेस्टिंग्स की असली सरकार क्या थी ? हम आपको यह पढ कर सुनाएँगे कि इस संबंध मे सर जॉन शोरे क्या कहता है। तब श्रीमान देखेंगे कि पार्लमिंट के कानून की अवहेलना करने में उसका आचरण कितना न्यायसंगत था और कानून ने कौंसिल को जो विशाल और अधिकार तथा शक्ति दी थी उसे किस प्रकार हथियाया गया। यह १७८५ मे मिस्टर शोरे द्वारा लिखे गए एक दस्तावेज का एक अंश मात्र है। मिस्टर शोरे कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष था जिस कमेटी के हाथो सारा बंगाल सौंप दिया गया था। यह कंपनी का पुराना कर्मचारी था और अब वह उस देश की सरकार का उच्चतम अधिकारी है। वह मिस्टर हेस्टिंग्स का विशेष कृपापात्र तथा मित्र था, अत: आप उसकी गवाही को शक्तिहीन प्रमाण नही मानेंगे। न यही कि वह मिस्टर हेस्टिंग्स का पक्षपाती गवाह है, और वह एक शब्द भी इस व्यवस्था के विरुद्ध न कहेगा जिसका वह स्वयं उच्चतम अधिकारी था। उसके वक्तव्य का पूरा भाग कही भी अपराध मे दूर नही है।

□ □ □

"राजस्व के नाम पर जमा किए गए रकम मे इससे आवश्यक और कोई भाग नहीं है कि सर्वप्रथम सभी प्राप्त शिकायतों पर ध्यान दिया जाय जो हमें असंख्य मात्रा मे प्रतिदिन ही प्राप्त होती रही है। समस्त बंगाल के लगभग हर परगना मे कुछ स्पष्ट मामले है जिन्हे दूर से ठीक-ठीक नही देखा जा सकता, फिर भी प्रत्येक शिकायतें जो अपहरण, आतंक के लिए की गई है उनको विचार करने के पूर्व जानकारी पाना अति आवश्यक है। लेकिन कलकत्ता में बैठ कर ढाका या राजशाही के किसी विशेष चलन व रीति-रिवाज को जान पाना असंभव है और उस राह को जान पाना भी जिससे शिकायत की गई और इसे चाहे जो रंग या रूप दिया जाय, लेकिन जिले की बरबादी तो हुई ही। कलकत्ता की राजस्व कमेटी का यही एक धर्म-संकट का कारण है।"

"इस संस्था को बनाने का एक उद्देश्य यह था कि प्रेसीडेन्सी को राजस्व एजेन्सी के खर्चे के बिना मिले किसानो पर से समस्त स्थानीय प्रभाव समाप्त हो। जब जमीदारों द्वारा किसानो के प्रति शिकायतें प्राप्त हुईं, तब यह तो असंभव था कि सच्चाई ने झूठ का पूरा अंदाज लगाया जा सके, परन्तु राजस्व की कमी को रोकने के लिए आवश्यक था कि संदिग्ध मामलों में किसानों का ही पक्ष लिया जाता, इसके अर्थ ठीक थे कि उनके प्रति अत्याचार किए जाने की बात को सत्य की

मान्यता मिलती है। कमेटी को किसी जिले की ठीक-ठीक स्थिति का पूरा व सच्चा अंदाज नहीं लग सकता। एक जमींदार या मालिक कह सकता है कि उसके साथ अन्याय किया गया या कि देश वर्षा के बिना बरबाद हो रहा है। तब एक अमीन शिकायतों की जाँच के लिए जाता है, तब वह बहुत बढ़े-चढ़े हानि के हिसाब के साथ लौटता है, जिसे पढ़ने का कमेटी के पास समय ही नही होता, लेकिन इसके लिए अमीन को पारिश्रमिक के रूप में बड़ी रकम मिलती है। संभवतः इसीलिए समस्त हिसाब भी झूठा है। मान लें कि कोई अमीन काम पर नहीं है, और किसान या कर्मचारी अपना काम नहीं करता तो नुकासन का भी वह पूरा भागीदार होता है।''

''मैं यह कहना चाहूँगा कि अब भी जिलों की सही स्थिति की जानकारी बहुत कम है, राजस्व बहुत कम समझा गया, सन् १७७४ से तो बहुत ही कम। जब से स्थानीय लोगों का हिसाब छीना गया, उन्हें ही यह कह कर परिचित कराया गया कि वे प्रतिनिधि, विश्वासपात्र है तब से बड़ी उलझन फैली हुई है, सभी कागज-पत्र व हिसाब-किताब, जो इकट्ठा किए गए हैं उनका पहाड़ जुड़ गया है लेकिन जब किसी विशेष हिसाब की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। यही समस्त और चतुर्दिक कार्य व व्यापार है। रैयतों से ले कर दीवान तक, सभी छिपाते और झूठ बोलते हैं। किसी घटना की वास्तविकता साधारण होने पर भी एक परदे से ढाँकी जाती है जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता।''

''राजस्व संबंधी वर्तमान कमेटी का जहाँ तक प्रश्न है, उनके लिए उन व्यापारों व मामलों का निपटाना असंभव है जो उन्हें सौंपा जाता है। उन्हें चतुर्दिक अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें शासकीय अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे अधिकार जैसे अभी तक किसी परिषद या व्यक्ति या समूह को नहीं दिए गए थे। वे शायद अवश्य ही कार्य पूर्ण कर सकें पर यह दिखाने को कि वे बड़े योग्य हैं अपनी समझ से ठीक पर गलत ढंग से सम्पादन करते हैं।''

''स्थानीय दीवानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था अधिकार प्राप्त हो, और कई वर्षों तक वे इस आश्चर्यजनक कार्य में अपनी दक्षता दिखाते रहे। कमेटी के अन्तर्गत किसान और जमींदार एक ही योजना पर लगे रहते और ऐसी हर वस्तु का खुला व सामूहिक विरोध करने, जो भी चीज उनके रास्ते में रोड़ा बन सकती। फिर सभी अधिकार हटा दिए गए और उन्हें मनमानी करने की आजादी हो गई।''

''कमेटी का एक दीवान या कार्यवाही अफसर अवश्य होता था चाहे आप उसे जिस नाम से भी पुकारें। वास्तव में यह व्यक्ति प्रेसीडेंसी में समस्त राजस्व का रुपया जमा करता है, अपनी जिम्मेदारी पर, और उसमें यदि तनिक भी योग्यता है तो सभी किसानों को एक सूत्र में बाँध कर सहयोगी बना देता है। यही बात एक हद तक कमेटी को रिश्वतखोरी और भ्रष्टचार से दूर रखती है, जबकि उसके

दीवान या अधिकारी को उनकी बुराइयाँ न ज्ञात हो और वे छिपी रहें ऐसी व्यवस्था बना रखने की शक्ति है।"

"ऐसे अवसरों पर एक स्थानीय कर्मचारी जो जो कलाएँ दिखाता है उनका वर्णन किया जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ तैयार होगा। वह जमींदार और किसानों के गुप्त आमदनी के स्रोत, उनके शत्रु व प्रतिद्वन्दी और उनके भय या आशाओं का पता लगा कर रखता है और इन्ही का सहारा ले कर कार्य करता है। और कमेटी अपनी नीयत की पूरी सफाई के साथ भी, पूरी योग्यता के साथ भी, अपने दीवानो के हाथ की कठपुतली बनी रहती है।"

□ □ □

यहाँ मिस्टर हेस्टिंग्स की राजस्व सम्बन्धी कमेटी का विस्तृत विवरण है, जिसे उसने पार्लामेंट के कानून की अवहेलना करके उसी के स्थान पर बनाया था। यहाँ उसकी भी चर्चा है जिसे वह प्रातीय कौंसिल कहता था। क्या इस वर्णन या इस तस्वीर मे हम कुछ अपनी ओर मे जोड़ सकते है? क्या हम इसे किसी प्रकार बढ़ा-चढ़ा कर दिखा सकते है? इसे हम श्रीमान के गम्भीर विचार के लिए प्रस्तुत करने के अलावा भी क्या कुछ कर सकते है?

लेकिन इसके पहले कि हम अभियोग के इस भाग पर वार्तालाप का अंत करे, हम श्रीमान से प्रार्थना करेंगे कि इन कार्यवाहियो पर खूब ध्यान से व गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय, क्योकि यह सब तथ्य अब आपके सम्मुख प्रमाणित व सिद्ध हो चुके है, और सभी सीधे, स्पष्ट व अनुमानित प्रमाण आपके सम्मुख लिखित रूप मे प्रस्तुत है और उसके अपने स्वयं के वक्तव्य व घोषणाओ और उसके निकट-तम तथा विश्वासपात्र एजेन्टो द्वारा भी बताए जा चुके है। आप श्रीमान को स्मरण होगा कि १७७२ में मिस्टर हेस्टिंग्स की गवर्नर जनरल की नियुक्ति के पूर्व ही राजस्व की वसूली का काम एक नायब दीवान या स्थानीय कलक्टर द्वारा होता था जो सुप्रीम कौंसिल के मातहत होता था। उस समय मिस्टर हेस्टिंग्स ने और उसके बाद भी कई अन्य अवसरों पर भी इसे अपनी पूर्ण निश्चित और निर्धारित सम्मति के रूप मे प्रकट किया कि ऐसा करना कम्पनी के हक में कभी भी नुकसानदेह न होगा, न तो प्रान्त के रहने वाली रियाया के हक में किसी प्रकार भी हानिकारक होगा कि राजस्व की वसूली में पूर्ण परिवर्तन कर दिया जाय। उसके मालिको, यानी डायरेक्टरों की परिषद द्वारा भी उस पर दबाव नही डाला गया था। उसकी नियुक्ति के बाद ही उसने जो भी प्रथम कदम उठाया, वह था नायब दीवान का पद ही समाप्त करना और समस्त प्रान्त में एक कमेटी भेजना जिस पर ५०,००० पौड प्रतिवर्ष का खर्च था और उसका काम था कि रियाया मे राजस्व सम्बन्धी निर्णय किया जाय कि पाँच वर्ष का राजस्व एक साथ प्राप्त हो। साथ ही साथ उसने हर प्रान्त में एक कलक्टर नियुक्त किया जो कम्पनी का कर्मचारी होता

था। उसने राजस्व का जनरल बोर्ड भी समाप्त किया जो मुर्शिदाबाद में बनाया गया था, जिसके मुख्य कारण ये थे—कि इसका अलग अधिकार होने से कलकत्ता के सुप्रीम कौंसिल को राजस्व संबंधी कोई सूचना या अधिकार से कोई संबंध न रह जाएगा जो उन स्थानों के स्थानीय अधिकारियों के स्वार्थ में आवश्यक या उचित भी था, और राजस्व सम्बन्धी बहुत से अधिकार छोटी या नीचे की कौंसिल को देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इन बातों को ध्यान में रख कर १७७३ में उसके आदेश व वक्तव्यों तथा घोषणाओं ने कलेक्टर का पद समाप्त किया और राजस्व की व्यवस्था का कार्यभार राजस्व की अनेक कौंसिलों को सौंपा, जिन्हें प्रान्तीय कौंसिलों का नाम दिया गया और उनके स्थायित्व के लिए पार्लामेंट से उनके पक्ष में कानून बनवाने की सिफारिश की। १७७४ के वर्ष में, अपने इस पूर्व सम्मति के विपरीत राजस्व के लिए उसने फिर सुप्रीम कौंसिल के अस्तित्व की आवश्यकता का अनुभव किया, परन्तु इतने पर भी उसने देश के हर भाग में प्रान्तीय कौंसिलों को चालू रखा। सन् १७७५ और १७७६ में उसने फिर इनके पक्ष में वक्तव्य दिए। इन्हीं दिनों सुप्रीम कौंसिल में एक बहुमत उसने बनाया, उन्हीं सदस्यों का बहुमत जो साधारण रूप में मिस्टर हेस्टिंग्स के विरोधी थे और उन्होंने डायरेक्टरों की परिषद को अपनी सिफारिश भेजी कि प्रान्तीय कौंसिलों में थोड़ा हेर-फेर कर दिया जाय। १७७७ में डायरेक्टरों ने इस सिफारिश के उत्तर मे सुप्रीम कौंसिल को आदेश दिया कि राजस्व की वसूली के लिए नई योजना बनाई जानी चाहिये और यह आदेश विचार विनिमय के लिए भेज दिया गया। लेकिन कोई नई योजना न भेजी गई, न बताई गई, लेकिन सन् १८८१ में मिस्टर हेस्टिंग्स ने कौंसिल में बहुमत प्राप्त कर लिया तो उसने पुनः समस्त नियमों को बदल डाला —दोनों विभागों को—राजस्व की वसूली वाले विभाग को और दीवानी व फौजदारी, न्याय व शासन व्यवस्था के विभाग को। अब देखना है कि जो लोग निकाले गए, उनके स्थान पर किन लोगों की बहाली की गई? वे सब वही नाम हैं जिनसे श्रीमान बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। सबसे ऊँची पदवी पर नाम है—मुन्नी बेगम का। उसके बाद नाम आता है उसके घरेलू नौकर और गुप्त रूप से उसकी घूसखोरी के दलाल गंगा गोविंद सिंह का, फिर उसका बनिया कन्तू बाबू, फिर सभी बुराइयों का आचार्य वह देवीसिंह, फिर उसके आश्रितों का पूरा समूह—अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों का जिन्हें उसने राजस्व के संबन्ध में जमीन का मालिक बनाया था और उनमें सर्वप्रमुख था कर्नल हैने, और अंत में उसका विश्वासपात्र रेजीडेन्ट, गुप्त दलाल और कई निजी सचिव, मिस्टर मिडिलटन, मेजर पामर आदि, आदि। क्या अब भी श्रीमान को शंका है, किसी भी एक अवसर पर, कि इन कार्यवाहियों व आचरणों की असली आत्मा क्या थी? क्या आप इस योजना पर अब भी शंका करते हैं जो भ्रष्टाचार व अपहरण से ही प्रारंभ हुई और अंत भी उसी से हुआ।

अब हम आपके सम्मुख अच्छी तरह सिद्ध कर चुके है कि इन अधिकारों के परिणाम, इन कार्यवाहियो के परिणाम व प्रभाव क्या हुए—जैसे राजस्व की गड़-बड़ी, और प्रान्तो के शासन का नष्ट होना। श्रीमान, इसके अलावा भला और किस परिणाम की आशा की जा सकती है जब इस प्रकार किसी एक व्यक्ति की सनक के कारण राजस्व जैस सरकारी महत्वपूर्ण विभाग पर से कम्पनी के कर्मचारियों का अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। यही नही, वह महत्वपूर्ण अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। यही नही, वह महत्वपूर्ण अधिकार एक भारतीय दीवान को सौंपा गया जो अपने आपमे भ्रष्टाचार और लूटपाट की भूमिका था। मैं कहूँगा कि इससे अधिक और क्या आशा की जा सकती थी कि जब कि सभी छोटी से छोटी बुराई को भी केवल छिपाया भर न जाता था बल्कि उन्हे प्रोत्साहन तक मिलता था, साथ ही हिंसा, अपहरण और अत्याचार को भी। फिर आप श्रीमान ने देखा कि समस्त देश एक व्यक्ति गंगा गोविन्द सिह के हाथो सौंप दिया गया था और जब आप स्मरण करे कि यह गंगा गोविद सिह कौन था और कितने प्रभावपूर्व ढंग से मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे विपरीत दिशा में बढ़ने के कार्य करने को तैयार कर लिया था, तब भी क्या आप एक क्षण को भी यह मानने मे झिझकेंगे कि यह समस्त योजना मिस्टर हेस्टिंग्स के व्यक्तिगत लाभ के निमित्त बंगाल को बलिदान कर देने के लिये बनी थी? लेकिन इतने पर भी यदि आप मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रति अच्छी राय रखते हों, और आपके मस्तिष्क मे यही बात जमी हो, कारण तो आप ही जाने, तो आप यह भी मानेंगे कि बगाल के शासन मे कोई गडबडी नही हुई और हमारे तथा संसद के सदस्यों द्वारा दिये गये अनैतिकता के उदाहरण भी बेकार है। लेकिन ऐसा विचार करते समय श्रीमान कृपया यह न भूले और अच्छी तरह याद रखे कि इस प्रकार आप न केवल मिस्टर हेस्टिंग्स पर विश्वास करेंगे बल्कि गंगा गोविद सिह को भी अपना विश्वास देगे। यदि कमेटी उसके हाथ की कठपुतली थी तो क्या मिस्टर हेस्टिंग्स भी उसके हाथ की कठपुतली न था? यदि वे जिनके साथ उसका प्रतिदिन का व्यापारी संबन्ध था, या उसका अपना कार्यालय इन लोगो पर प्रभुत्व व अधिकार रखता था। वे भी कोई अधिपत्य या अधिकार नही रखते थे न मिस्टर हेस्टिंग्स ही, जब कि उनके समस्त कार्य मिस्टर हेस्टिंग्स की जानकारी मे थे और वह किसी भी क्षण उनके भ्रष्टाचार व उनकी बुराइयो को दुनिया के सामने बिखेर सकता था। मेरे योग्य सहयोगी ने बडी योग्यता से मिस्टर हेस्टिंग्स के समस्त रिश्वतो का पूरा हिसाब खोज निकाला, गंगा गोविद सिह का भी, बडी सफाई व संतोषजनक ढंग से। यदि हम कटघरे मे खडे अपराधी को दण्ड दिलाने में असफल रहे तो श्रीमान अपने सुविचार मे न केवल मिस्टर हेस्टिंग्स को मुक्ति देगे बल्कि आप साथ ही साथ गंगा गोविंद सिंह के तमाम भ्रष्टाचार, लूट और अत्याचारो को न्याय की मान्यता व संरक्षण देगे। आप उसे भारत के स्वामिभक्त और ईमानदार गवर्नर की मान्यता व मर्यादा प्रदान

करेंगे। हाँ, श्रीमान हमें इस व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिये। इसे अपने ही दल का सम्मानित सदस्य मान लेना चाहिये। हमारे देश व उसके घर को उस पर अभिमान करना चाहिये ? यदि मिस्टर हेस्टिंग्स को मुक्ति मिल सकती है, तो हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिये कि गंगा गोविंद सिंह भी समस्त मानवता के लिए एक वरदान है। लेकिन यदि गंगा गोविन्द सिंह को सरकार का एक भयंकर अभिशाप माना जायगा, जिससे समस्त मानवता का क्लेश बढ़ा, और हम साधिकार कहते हैं कि क्लेश बढ़ा, तो इसका दायित्व किस पर है ? श्रीमान, दीनाजपुर का मामला स्मरण करें, ४०,००० पौंड की रिश्वत को याद करें, जिस गंगा गोविन्द सिंह ने मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए उस प्रान्त से इकट्ठा किया था और स्मरण करें कि इसके कारण क्या क्या दुर्दशा न हुई।

श्रीमान, क्या इतने पर भी आप गंगा गोविन्द सिंह पर विश्वास करेंगे ? इस व्यक्ति पर कम्पनी का समस्त राजस्व, समस्त शासन, संपत्ति, अधिकार और उस देश के रहने वालों का जीवन सौंप दिया गय था, यह बात उसके प्रदेश का एक एक आदमी जानता है। वह कलकत्ता में रहता था और उसका प्रतिनिधित्व उसके एजेन्टों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में होता था। क्या आप गोविन्द घोष को जानते हैं ? क्या आप नन्दलाल को जानते हैं ? क्या आप डाकुओं के उस पूरे गिरोह को जानते हैं जिन्हे मिस्टर हेस्टिंग्स अपना विश्वापात्र और घरेलू नौकर कहता है ? क्या आप उन सभी लोगों को जानते हैं जिन्हें गंगा गोविन्द सिंह ने समस्त प्रान्तों में राजस्व का रुपया जमा करने व छीनने और लूटने को रख छोड़ा था ? क्या आप इन सबों पर विश्वास करने को तैयार है ? राजस्व विभाग के कार्यालय ने स्वीकार किया है कि वह इन पर अपना अधिकार नहीं रख सका। मिस्टर हेस्टिंग्स स्वयं इन पर अधिकार नहीं रख सका। यह सारा मामला वैसा ही था जैसे पाप का देवता नर्क का द्वार खोले, उसी तरह इसने पाप का द्वार खोला, लेकिन जैसा कि मिल्टन ने कहा है कि उस द्वार को बन्द करने की शक्ति उसमें न थी। अगर पहले के प्रबन्ध में त्रुटियाँ या गल्तियाँ पाई गई थीं तो प्रबन्ध में सुधार संभव था। कम के कम त्रुटियों को पकड़ने व सुधारने का द्वार तो खुला ही था। लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स ने सुधार के वे द्वार बन्द कर दिये और यह केवल इस बात से कि समस्त देश की व्यवस्था उसने गंगा गोविन्द सिंह के हाथों में सौंप दी।

अब श्रीमान, इन सब आचरणों को देखने के बाद जब हिसाब-किताब की ओर देखें। श्रीमान अब कृपया इस मामले में देखें—यह मामला केवल राजस्व के हिसाब से सम्बन्धित है। आप स्पष्ट देखेंगे कि यदि मिस्टर हेस्टिंग्स के कार्यकाल के उन तीन वर्षों को देखा जाय जब वह अल्पमत में था और उसकी तुलना उन तीन वर्षों से की जाय जब कमेटी की व्यवस्था रही तो पावेंगे कि इस काल में कम्पनी का पावना बढ़ा है परन्तु राजस्व की वसूली घटी है और यह भी देखेंगे कि ऐसी क्या

चीज है जो आश्चर्यजनक है कि वसूली करने मे जो खर्च होता था वह खर्च बटा है, सो थोडा नही, बल्कि ५००,००० पौड का। इसी से आप यह भी देखेगे कि इसके कारण योरोपियन और स्थानीय एजेन्टो को कितनी मुसीबते उठानी पडी, उसमे भी स्थानीय नागरिको को अधिक। क्योकि मिस्टर हेस्टिग्स ने इस अभिशाप के बॅटवारे मे भी बडा भाग देशी एजेन्टो को ही दिया।

ये हिसाब आपके सम्मुख रखी कार्यवाही के पृष्ठ १२७३ और १२७४ पर है। निश्चय ही श्रीमान, आपके सम्मुख कटघरे मे खडे अपराधी पर ग्रेट ब्रिटेन की ससद ने जो आरोप व अपराध लगाये है वे महत्त्वपूर्ण होते हुए भी गंभीर और बहुत वजनी है, और आप पर भी काफी भार पड रहा है। उसका कम्पनी की प्रतिष्ठा को ठोकर मारना और अपने सिर पर एक काले व्यक्ति को बैठा लेना, समस्त बगाल, बिहार और उडीसा उसको सौप देना, कम्पनी के समस्त कर्मचारी तथा राजस्व का उसे मालिक बना देना, जिसका नाम गगा गोविन्द सिह था, यह किसी भी अपराध से कम नही है। लेकिन, श्रीमान, यह बडी दिलचस्प साथ ही महत्वपूर्ण बात भी है कि हमने इस व्यक्ति का मिस्टर हेस्टिग्स की घूसखोरी के दलाल के रूप मे पता लगा ही लिया। यही व्यक्ति मिस्टर हेस्टिग्स का नादिया मे घूसखोरी का दलाल रहा, वही दिनाजपुर मे दलाल रहा, वही सभी स्थानो मे उसका दलाल ही रहा, लेकिन जिस क्षण से यह कमेटी निर्मित हुई है, यह एक ऐसी भट्टी बन गई कि समस्त सतर्कता, जाँच-पडताल और सुधार की योजनाएँ सदा-सदा के लिए समाप्त हो गई और उसी भट्टी मे समा गई। जिस क्षण से कमेटी बनी और गगा गोविन्द सिह की नियुक्ति हुई, तब से आप एक शब्द भी मिस्टर हेस्टिग्स की रिश्वतखोरी के सबध मे कही न सुनेगे। तो क्या उसने घूस लेना बद कर दिया ? आपको देखना है कि ५००,००० पौड का यह खर्च क्यो बढाया गया ? सो भी गगा गोविन्द सिह की दूषित योजना के लिए, जिनके सम्बन्ध मे उसकी रिश्वतखोरी की चर्चा के समय हम सम्पूर्ण और पर्याप्त प्रमाण दे चुके है। यह उस सामूहिक भ्रष्टाचार की जड थी जो हर क्षण उन प्रश्नो म पनप रहा था, सो भी मिस्टर हेस्टिग्स की छत्र-छाया मे। क्या आप सोच सकते है, और हम भी इस प्रकार की सौदेबाजी के सम्बन्ध मे चर्चा कर सकते है बिना किसी भावनात्मक उभार के या आतंक के ? क्या आप ऐसी घटनाओ की कल्पना कर सकते है--जो यहाँ घटी ? क्या उन लुटे प्रान्तो की ओर देखा जा सकता है—क्या मानवता का हनन देखा जा सकता है—मुस्लिम, हिन्दू, हमारे अपने अग्रेज सभी को इस अत्याचारी ने अपने पॉवो के नीचे कुचला, क्या हम ऐसे कार्य करके जीवन मे रह सकते है या मरने के बाद भी चैन पा सकते है ?

श्रीमान, मै अपनी बहस के अंतिम दिन श्रीमान के मन मे केवल इस असाधारण लूट-पाट के प्रति उचित भाव पैदा करना चाहता हूँ। मेरे पास और भी

अपराधों का पूर्ण भंडार है जिनसे हमें अभी निबटना है और मैं जितनी जल्दी संभव होगा, उनके तह में प्रवेश करने का प्रयत्न करूँगा और आप श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ कि आप विश्वास करें कि यदि मैं कोई बात छोड़ देता हूँ, तो मैं केवल समय की बलि चढ़ाता हूँ, या मैं उस शक्ति की बलि चढ़ाता हूँ जो हमारे अन्दर है।

दूसरी चीज जिसके बारे में मुझे श्रीमान को स्मरण दिलाना है वह है इस अपराधी के काले दलालों के संबंध में। हम देखते हैं कि भारत छोड़ने के ठीक पहले तीनों की सिफारिस करते हुए—गंगा गोविंद सिंह, गंगा घोष और नन्दलाल, कि यह तीनों व्यक्ति योग्यतम है और आवश्यक है कि उनकी कम्पनी के प्रति सेवाओं के लिये उन्हें पुरस्कृत किया जाय। अब आप श्रीमान देखेंगे कि ये स्वामिभक्त घरेलू नौकर, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो उन भयानक लूट और घूसखोरी में शामिल न रहा हो। जिन्होंने अपने स्थानीय, स्वदेशी और पुराने मालिकों को धोखा न दिया हो। अगर मुझे इसके लिए समय मिलता, मेरा विश्वास है कि मैं इनमें से हर व्यक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देता कि किसे मिस्टर हेस्टिंग्स का कितने प्रतिशत विश्वास प्राप्त है। उसका विचार है कि इन व्यक्तियों को इनकी सेवाओं को देखते हुए उचित पुरस्कार नहीं दिया गया, इसीलिए वह परिषद से सिफारिश करता है कि उसके इन स्वामीभक्त और ईमानदार घरेलू नौकरों और विशेषकर गंगा गोविंद सिंह को अवश्य ही पुरस्कार मिले। और वह ढंग जिससे इस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाने वाला था, वह स्वयं इन मामलों में एक इतिहास है, जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। श्रीमान को यह मामला कार्यवाही के पृष्ठ २८४१ पर मिलेगा।

तब दीनाजपुर का राजा एक छोटा सा बालक था लगभग ग्यारह वर्ष का, और उसे राजा की गद्दी मिल गई (किस प्रकार यह चर्चा मैं नहीं करूँगा।) थी उसी समय जब वह पाँच वर्ष का था। उसे मिस्टर हेस्टिंग्स के पास प्रार्थनापत्र भेजने को विवश किया गया कि गंगा गोविंद सिंह को उसकी सेवाओं के लिए उसके राज्य का बड़ा भाग पुरस्कार स्वरूप दिया जाय। उसकी क्या सेवाएँ थी, यह केवल राजा का परिवार जानता था, क्योंकि उनसे ही उसने ४०,००० पौंड लूटे थे, मिस्टर हेस्टिंग्स की रिश्वत के लिए। लेकिन राजा का परिवार, गंगा गोविंद सिंह को इस प्रकार मुक्तहस्त से पुरस्कार दिए जाने पर अधिक खुश न था क्योंकि कौंसिल के नाम जो प्रार्थनापत्र तैयार कराया गया था उसमें यही था कि कई परगनों को राज्य से अलग कर दिया जाय और इस व्यक्ति को दिया जाय। यह था एक प्रकार का असाधारण पक्षपात, पक्षपात भी रुपये प्राप्त करने के लिए नहीं घूस लेने के लिए और ऐसा, पक्षपात भारत को छोड़ कर अब तक दुनिया के अन्य देशों को ज्ञात न था। आगे देखिए—पक्षपात तो उस राजा के परिवार में

हर ओर फैला ही था। माँ आगे बढ कर प्रार्थना करती है कि उसके पुत्र को राज्य की गद्दी से च्युत किया जाय, उसका चाचा जो उसके नाबालिक रहते उसका स्वाभाविक अविभावक था आगे आता है और बहुत विनम्रता स प्रार्थना करता है कि उसका भांजा गद्दी से च्युत किया जाय। समस्त परिवार एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स के सम्मुख नतमस्तक होता है कि गंगा गोविद सिंह को उनके पारिवारिक राज्य का एक बडा भाग काट कर दे दिया जाय। तब मिस्टर हेस्टिंग्स ने विशेष परिस्थितियो की घोषणा करके संपत्ति के सम्बन्ध मे जिसका जिक्र आपकी कार्यवाही में है, कहा कि यह परिस्थिति सत्य है और श्रीमान ने जाँच-पडताल के बाद उसे गलत और झूठ पाया और यह जो प्रार्थनापत्र और उस पर मिस्टर हेस्टिंग्स की टिप्पणी कोसिल को दी गयी वह झूठ और गलत थी। इस समय वह भारत छोडने को तत्पर था, और जल्दबाजी मे अपने स्वामीभक्त नौकरो को पुरस्कार देने और यह जानते हुए कि उसका यह अंतिम कार्य उसके उत्तराधिकारी के लिए अवश्य ही मानने का कार्य होगा क्योंकि वे सभी तो उसके भक्त थे।

गगा गोविद सिंह पर उसका कृपालु होना बडा स्वाभाविक था, क्योंकि एक तीसरे व्यक्ति से रुपये छीन कर उसने इसे दिए थे। राजा से प्राप्त ४०,००० पौंड में से केवल २०,००० पौंड ही तो गगा गोविद सिंह ने अपने पास रखे थे। इस बेइमानी के लिए, जैसा कि मिस्टर लारकिस का कहना है और जिस बात को मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वीकारा भी है कि वह यह जानते हुए, अच्छी तरह जानत हुए कि यह जनता के प्रति धोखा व लूट है (इस भ्रम को बना कर कि यह धन कम्पनी के लिए है) वह आते समय पुरस्कार की व्यवस्था कर देता है।

फिर उसके उस देश से चले आने क बाद, गगा गोविंद सिंह जो उन्ही भ्रष्ट प्रभावो के बल पर जिनका वह उस्ताद हो चुका था, आगे बढ कर कौंसिल-जनरल से इन प्राप्त पुरस्कारो की मान्यता व पुष्टि की माग करता है। कौंसिल यद्यपि इच्छुक थी कि मिस्टर हेस्टिंग्स के प्रस्तावों को मान्यता दे, परन्तु इन प्रार्थना-पत्रो के बाद उसे अपना निर्णय बदलना पडा। गरीब नाबालिग राजा चीखा-चिल्लाया कि उसे उसके पारिवारिक राजकीय शृंखला से अलग न किया जाय, तब उसकी माँ आगे आती है और कौंसिल से कहती है कि उसके बेटे को न सताया जाय न उसके परिवार का अहित किया जाय। मामा भी आगे आ कर दूसरी प्रार्थना करता है कि उसके परिवार और उस पर आश्रितो की रक्षा की जाय और उन्हे बरबाद होने से बचाया जाय। यह सभी ताजी अर्जियाँ कौंसिल के सामने उपस्थित की जाती है और मिस्टर हेस्टिंग्स जो अर्जियाँ अपने पीछे छोड़ गया था उनकी लिखावट की स्याही भी अभी सूखी न थी कि जिनमे प्रमाण था कि समस्त परिवार गंगा गोविद सिंह को पुरस्कार रूप मे राज्य का बहुत बड़ा भाग देने को

व्याकुल है। परन्तु यह नए प्रार्थना-पत्र आ जाने के बाद कौंसिल इस मामले में आगे न बढ़ सकी और फलस्वरूप गंगा गोविंद सिंह को हार खानी पड़ी।

लेकिन गंगा गोविंद सिंह तो इस प्रकार आवाज बंद नहीं कर सकता था। लेकिन उसने किया क्या? मैं चाहूँगा कि श्रीमान गंगा गोविंद सिंह के उत्तर पर अच्छी तरह ध्यान दें व गंभीरतापूर्वक विचार करें क्योंकि यह तो आपकी कार्यवाही में भी शामिल है। यह बहुत सशक्त और हिम्मत वाला उत्तर था। वह सीधे इन राज्यों पर राजा के न्यायपूर्ण अधिकार को चुनौती देता है और राजा का इन्हें राज्य मानने से इन्कार करता है। वह कहता है कि इस देश की समस्त संपत्ति आपकी सरकार की इच्छा पर है, फिर राजा का परिवार इतनी बड़ी जमीदारी का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि, इसे इन्होंने केवल राजकीय सम्मान व कृपा पर ही तो प्राप्त किया था। यह समस्त मामला बड़ा पेचीदा और विचारणीय था। यह परि-वार है, अतीत में उसने भी दूसरों को लूटा था और अब उसे हमें लूटने दें। अपने इस अधिकार के पक्ष में व प्रमाण में वह दूसरे उदाहरण भी रखता है, जैसे कलकत्ते के अन्य कई किरानी, मुसद्दी और बनियों को भी दूसरों की जायदाद, बिना अधि-कार की चिन्ता किए हुए दे दी गई। फिर मुझे क्यों न मिले? हे ईश्वर! कितने अजीब उदाहरण है ये सब! श्रीमान अब सुनेंगे, इन राजीनामा और दस्तावेजो के बारे में जो मिस्टर हेस्टिंग्स जबसे इङ्गलैंड आया है यह राजा विवश हो कर भारत से कम्पनी को बराबर भेजता रहा है, और आगे श्रीमान यह भी सुनेंगे कि किस स्थिति में देश को मिस्टर हेस्टिंग्स छोड़ आया था? श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि देखें कि इस व्यक्ति के राजीनामा को जिसके द्वारा मिस्टर हेस्टिंग्स व गंगा गोविंद सिंह ने ४०,००० पौंड लिए और उसी व्यक्ति को राज्य-परम्परा से च्युत करने का प्रयत्न किया गया। इस राजीनामा की बातें सुने, फिर अन्य प्रमाणों व दस्तावेजों को भी देखें जिन्हें अपराधी ने अपनी सुरक्षा व पक्ष के लिए प्रस्तुत किया है। उसके वकील भी उसी पर निर्भर करते है।

□ □ □

मैं राधोनाथ, परगना हवेली आदि के जमीदार, जिस क्षेत्र को साधारणतया दीनाजपुर कहा जाता है—मुझे मेरे मुसद्दियों तथा जमीदारी के जिम्मेदार अफसरो द्वारा सूचना मिली है कि इङ्गलैंड के मंत्रीगण भूतपूर्व गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स से ना-राज है। उस पर उन्हें शक है कि उसने हम पर अत्याचार किया, हमसे धोखा दे कर व शक्ति प्रयोग द्वारा रुपये छीने, और देश को नष्ट किया—अतः हम अपने धर्म को साक्षी रख कर यह प्रमाणित करते हैं कि कानून की सीमा में ही सब कार्य करना हम अपना धर्म समझते हैं—यहाँ वारेन हेस्टिंग्स के कारनामों व सब कर्मों की चर्चा करते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए खूब सतर्क, शौर्यपूर्ण, न्यायपूर्ण कार्य उसके है और मैं प्रार्थना करूँगा कि इङ्गलैंड के मंत्रीगण अपने दिमाग से उसके सम्बन्ध में

सभी शंकाएँ मिटा दे । मिस्टर हेस्टिंग्स को हमारा विश्वास प्राप्त था और उसने सदा हमारी रक्षा की, हमे सहारा दिया; यह बेईमानी और गलत कार्यों को करने योग्य ही नही है । उसके दिमाग मे बुरी बातें कभी आ ही नही सकती । उसके शासन काल मे सुरक्षा और न्याय के अलावा किसी ने कोई अन्य आचरण देखा ही नही । इस क्षेत्र के किसी भी निवासी को कभी कोई परेशानी, कोई जबरदस्ती और आतंक के अनुभव का अवसर ही नही आया । उसकी न्यायप्रियता व योग्यता के कारण हमारी प्रतिष्ठा सदा ही सुरक्षित रही और हमारे परिवारो को सदा ही सुरक्षा मिलती रही है ।"

□ □ □

हे ईश्वर ! श्रीमान—"हमारे परिवारो को सुरक्षा मिलती रही है—न्यायप्रियता व योग्यता······।" क्या मिस्टर हेस्टिंग्स की इच्छानुसार गंगा गोविंद सिंह ने जब उससे ४०,००० पौंड छीन लिए फिर भी सुरक्षा ? फिर बाद मे उसने भी उसके उस परिवार के बच्चा के मुँह से दूध, राज-परिवार की परम्परा, और नाबालिक राजा को उसकी गद्दी से हटाना चाहा । यह एक बच्चा है, ग्यारह वर्ष की आयु का जिसने कभी मिस्टर हेस्टिंग्स को देखा भी नही । जो उसके संबंध मे उसकी बर्बरता व लूटपाट के आचरण के सिवा कुछ नही जानता, अब मिस्टर हेस्टिंग्स की न्यायप्रियता व महानता तथा योग्यता का प्रमाणपत्र देता है और ब्रिटिश पार्लमेंट के सम्मुख उसे निर्दोष बताता है । यह है वस्तुस्थिति व परिस्थिति कि इस प्रकार इङ्गलैंड के राष्ट्र को लाखो रुपयो से रिश्वत दे कर भ्रष्ट किया गया, और लाखो करोडो रुपये वहाँ से ला कर यहाँ भर गए, पर इसमे भी संतोष न हुआ और उस गरीब नाबालिक लडके से नए प्रकार की रिश्वत, यह प्रमाण-पत्र मिस्टर हेस्टिंग्स को प्राप्त करना पडा । ये वह चीजे है जो तमाम अनगिनत प्रमाणो को, जो सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुके है और इस अदालत मे अपराधी के विपक्ष मे प्रस्तुत किए जा चुके है उन्हे झूठा सिद्ध करने का भ्रष्ट प्रयास है । अपराधी के अपने कारनामे, अपनी लिखावट मे प्रमाण और अपने ही दस्तावेजों द्वारा उस पर आरोपित अपराध सिद्ध हो चुके है, उन्हे अब फिर से झमेले मे या अनिश्चय की स्थिति मे डालने को एक ग्यारह वर्ष के नाबालिक लडके का विवशतापूर्वक लिखा पत्र पेश किया जाता है ।

राजीनामा मे आगे भी लिखा है—"उसने (मिस्टर हेस्टिंग्स) कभी भी छोटी सी कृपा भी हमे देने मे असमर्थता नही दिखाई, बल्कि हममें निराशा के जो घाव थे उन्हे भरा, हमे सदा सात्वना दी । अपने सरल व दयालु व्यवहारों से हमे कभी भी अवनति के गर्त मे नही गिरने दिया । उसने सदा ही सभी को अपने अच्छे स्वभाव के कारण मदद की, और दुष्टो तथा दुष्ट प्रकृति के लोगों का सदा नाश किया, अपनी शक्ति व अधिकार मे सदा ही अत्याचारियो का हाथ बाँध रखा । उसमें न्यायप्रियता की उच्चतम भावना थी और इन विशेषताओ के कारण सदा ही हमारी

खुशहाली बढ़ती रही। उसने अपनी योग्यता से देश में न्याय और उचित प्रोत्साहन की पद्धति को पुर्नस्थापित किया। उसके शासकाल में हमलोग पूरी तरह खुशहाली व सुख की छत्रछाया में पनपते रहे और हम जैसे अनेक लोग उसके प्रति अभिवादन के भाव से अपना संतोष व्यक्त करते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स हमारे रीति-रिवाजों से पूर्णतया परिचित था और उसने सदा ही यही भावना रखी कि उसके किसी कार्य से हमारी धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे और हमारे धर्म का उसने सदा अहित होने से रक्षा ही की और हर समय हमारी सुरक्षा की तरफ बराबर ही ध्यान देता रहा। उसके शासनकाल में हमने जो कुछ भी अनुभव किए हैं और उसके आचरणों से जो भी परिणाम हुए हैं उन्हें हमने यहाँ बिना किसी दुराव, छिपाव व बढ़ाव के लिखने का पूरी तरह प्रयत्न किया है।"

श्रीमान, घूसखोरी और घूस के दलाल के इस मामले से छुटकारा लेने के पूर्व इस दिलचस्प मामले पर मुझे श्रीमान से केवल एक ही बात कहनी है। श्रीमान, हमारा यह आरोप है कि अवध के नवाब से घूस लिया गया और हमने उस दूषित और गंदी कार्यवाही की काफी चर्चा की है जो इस संबंध में एक बड़े पैमाने पर हुई है। मेरा अनुमान है कि अवध के संबंध में मैं काफी अधिक कह चुका लेकिन जैसा कि सभी अच्छी बातें एक सुनहरी जंजीर से जुड़ी हुई होती है--वैसे ही सभी बुरी बातें भी एक जंजीर से बँधी रहती हैं। जैसा आपने देखा और जैसा कि मेरे योग्य सहयोगी ने इस मामले को अच्छी तरह खोल कर रखा है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से सितंबर १७८१ में घूस और बड़ा उपहार स्वीकार किया है। इस विषय में हमने जितना सुना उतना आपके सम्मुख रखा और इस बारे में हमें कुछ भी सुनने को अक्टूबर १७८३ तक नहीं मिला (कम्पनी के कागज-पत्रों में भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं मिला। केवल एक कागज मिला—एक व्यक्तिगत पत्र जो मिस्टर हेंस्टिंग्स ने डायरेक्टरों की परिषद को लिखा था फिर एक और पत्र मिल जिसका हवाला मिस्टर लारकिंस दे चुके हैं)।

लेकिन श्रीमान, हमने बाद में भी काफी खोज तथा जाँच-पड़ताल की तो कुछ और रहस्यों का पता लगा है। जैसे मिस्टर हेस्टिंग्स और अवध के रेजीडेंट के बीच हुआ ध्यान देने योग्य झगड़ा। उस समय कम्पनी द्वारा नियुक्त अवध का रेजीडेन्ट था मिस्टर ब्रिस्टोव, और साथ ही मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा नियुक्त भी दो रेजीडेन्ट थे—मिस्टर मिडिलटन और मिस्टर जॉनसन और उसी के द्वारा इन सबों की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए थे मेजर पामर तथा मेजर डेवी; उन सबों के बीच एक भयानक झगड़ा मचा था। मिस्टर मिडिलटन को १००,००० पौंड का एक बड़ा उपहार फरवरी १७८२ में भेंट किए जाने का हमने पता लगाया है। इस परिस्थिति की चर्चा मिस्टर मिडिलटन ने अपने एक पत्र में मिस्टर हेस्टिंग्स से की भी है कि नवाब ने इतनी बड़ी राशि का उपहार देने के लिये निश्चित कर रखा है।

अब श्रीमान को जो पहली बात ध्यान मे आवेगी वह यह कि इस मामले में यह जानना अति आवश्यक है कि ऐसी क्या बात थी कि नवाब इतनी बड़ी रकम देने को इस तरह उत्सुक हुआ। इसके पहिले सितंबर में ही मिस्टर हेस्टिंग्स, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नवाब मे १००,००० पौंड का कीमती उपहार पा चुका था, फिर फरवरी में ही ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पडी या कोई बात हो गई कि १००,००० पौड का दूसरा उपहार देने की फौरन जरूरत हुई ? इस समय यह अपने को महान समझने वाला व्यक्ति स्वर्ग की ऊँचाई को छू रहा था और दूसरी ओर इसके ही काले कारनामो की वजह से गुलामी, निराशा, भुखमरी और सर्वनाश मे उस देश की समस्त जनता त्रस्त हो कर हाहाकर कर रही थी। आपने देखा कि उस व्यक्ति को विवश हो कर अपने परिवार को ही नंगा करना पड़ा, क्योकि उसे कम्पनी की माँग पूरी करनी थी। फिर यह एक ध्यान देने की बात है कि इस मुसीबत की घडी मे भी उसने मिस्टर हेस्टिंग्स को १००,००० पौड देने का पूर्ण निश्चय किया। क्या हर व्यक्ति का मन और मस्तिष्क विद्रोह नही करता जब कि वह कहता है—क्या ? १००,००० पौड का मिस्टर हेस्टिंग्स को दूसरा उपहार मिला ? आश्चर्य की बात है। नवाब के लिए ऐसा कौन सा कारण या विवशता उपस्थित हुई की मिस्टर हेस्टिंग्स को जब वह सितंबर मे ही १००,००० पौंड दे चुका था तो उसे फिर फरवरी मे देना पडा ? —श्रीमान, निश्चय ही इसी बीच उसने नवाब को भयकर परिणाम के लिए डरवाया होगा कि उसे दूसरा उपहार देने को विवश होना पड़ा। इसके अलावा दूसरा कारनामा या दूसरी विवशता की आप कल्पना ही नही कर सकते। हम नही जानते कि मिस्टर मिडिल्टन को इस अवसर पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या उत्तर दिया, लेकिन हम देखते है कि १७७३ के वर्ष में मिस्टर हेस्टिंग्स ने जैसा वह स्वय बताता है कि उसने मेजर पामर और मेजर डेवी को भेजा कि वे लोग नवाब को विवश करें कि वह उस कीमती उपहार को उसे न दे कर कम्पनी को दे। अब जरा ध्यान दे, श्रीमान, इस मामले की प्रगति को। अपने एक पूर्व वक्तव्य में मिस्टर हेस्टिंग्स मिस्टर मिडिलटन पर यह आरोप लगा चुका है कि उसने उसकी इस योजना मे बाधा पहुँचाई। श्रीमान, इस अभियोग लगाने में आप उसे तीनो स्थितियो मे देखते है—अभियोग लगाने वाला, गवाह और न्यायाधीश भी।

अब हम देखें कि उसने अपने को कैसे सम्हाला। मैं यहाँ आपके सम्मुख उसके महाअभियोग की एक ही कलम को उपस्थित करूँगा। यह तीसरा अभियोग है; यह श्रीमान के सम्मुख रखी कार्यवाही के पृष्ठ १३६७ पर है—"वजीर नायब और उसके मंत्री हैदर बेग खाँ के पास बार-बार आदमी भेजना कि उन्हे दस लाख रुपयो को कम्पनी के नाम नही देना चाहिए, जो गवर्नर जनरल के लिए उपहार-

स्वरुप था क्योंकि एक बार कम्पनी को इतनी रकम देने से एक गलत उदाहरण बनता है और बार-बार कम्पनी की ओर से माँग बढ़ेगी जिसे नवाब इन्कार न कर सकेगा और सरकार की ओर से रुपयों के बारे में उसे तंग करना बंद न हो सकेगा।"

अब श्रीमान का जो पहली बात ध्यान खींचेगी वह है अभियोग लगाने वाले की ही एक बात—"मैं नैतिक रूप से विश्वस्त हूँ, दस लाख की जायदाद या रकम जो चाहे जमीन की शक्ल में हो या रुक्के के रूप में, तैयार की गई और वह सब मिस्टर मिडिलटन के अधिकार में थी, जब मेजर पामर पहुँचा और बाद में जब मिस्टर मिडिलटन चला आया तो मिस्टर जानसन के पास वह रही।"

श्रीमान, यहाँ यह अभियोग आरोपित है कि मिस्टर मिडिलटन ने वास्तव में रुपये लिए, चाहे रुक्के की शक्ल में, चाहे नगद या किसी अन्य रूप में और रेजीडेन्सी छोड़ते समय उसे अपने उत्तराधिकारी मिस्टर जानसन को सौंप दिया। अब यह प्रमाण की बात रही और हमें इसी बात को विश्वासपूर्वक मान भी लेनी चाहिए। यहाँ एक रकम है जिसका हिसाब भी है, और मिस्टर हेस्टिंग्स के वक्तव्य के अनुसार उसमें गड़बड़ी भी है। कौंसिल के एक दूसरे सदस्य मिस्टर मैकफरसन का कहना है कि उस समय उसने समझा कि दस लाख की रकम रुक्के की शक्ल में जमा की गई और यह नवाब का प्रस्ताव न था कि इसे भविष्य के राजस्व का अग्रिम माना जाय। मिस्टर हेस्टिंग्स ने उससे ये तथ्य बताए थे। वह कहता है कि "नैतिक रूप से विश्वस्त हूँ" यानी उतना ही विश्वस्त जैसे किसी बात पर कोई व्यक्ति विश्वास करे। अब स्वाभाविक रूप से पहली बात आप कहेंगे कि उसने मिस्टर जानसन से क्यों नहीं पूछा कि वह रुपये उसने किस प्रकार खर्च किए जो रुपये मिस्टर मिडिलटन उसके हाथ में दे गया था? वह ऐसा कुछ नहीं करता। वह इस बात को पूरी तरह गुम कर रखता और अगर यह उसके प्रश्न का एक भाग न भी हो तो भी वह मिस्टर मिडिलटन पर अभियोग लगाता है जैसा उसने वक्तव्य में कहा। तब मिस्टर जानसन से पूछा जाता है, कि उसने इस रुपये को कम्पनी के काम में लगाया? वह सीधे आगे बढ़ता है और कहता है, मैंने इस प्रकार उसके उपयोग होने को रोका।

तब मिस्टर हेस्टिंग्स क्या करता है? क्या वह इस संबंध में मिस्टर मिडिलटन से पूछताछ करता है जिस पर उसका अभियोग है कि उसने रुपये प्राप्त किए? तब मिस्टर मिडिलटन कलकत्ता में ही था और मिस्टर हेस्टिंग्स के बुलाने पर ही आया था। कोई भी स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा कि उसे ही जा कर यह सूचना देनी थी कि किस कारण से या किस नीयत से उसने रुपये मिस्टर जानसन के पास छोड़े। वह ऐसा कुछ नहीं करता। क्या उसने मिस्टर जानसन से पूछताछ की जिस

पर मिस्टर मिडिलटन से रुपये लेने का अभियोग लगाया गया? या क्या उससे यही पूछा गया कि उसने रुपयों का क्या किया? ऐसी कोई भी बात नही हुई। क्या उसने मेजर पामर और मेजर डेवी से कहा कि वे ही जा कर रुपयों का हिसाब पूछे? नही। क्या उसने किसी सराफ, किसी बैंकर या रुपयों के हिसाव या लेन-देन से संबंधित किसी व्यक्ति को बुलाया या राजस्व के विभाग के ही किसी व्यक्ति को बुलाया? नही, नही। ऐसा कुछ भी नही हुआ। अपने ही वक्तव्य के सम्मुख, अपने नैतिक विश्वास के तथ्य के विपरीत कि रुपया सचमुच जमा किया गया और जानसन पर सीधा वह आरोप लगाता है, हिसाब के संबंध में नही कि रुपयों का क्या हुआ, बल्कि इस बात का कि उसने उस रकम को कम्पनी के हिसाब में जमा देने मे क्यो बाधा उपस्थित की?

वह कहता है, "मुझे तनिक भी दुख नहीं है कि मिस्टर जानसन ने मेरी योजना को असफल बनाना चाहा, क्योकि इससे नवाब की परेशानी बढ़ती ही और कम्पनी को भी तत्काल लाभ न होता। अपने ही मन में, वह इस लेन-देन के मामले का गुप्त रहस्य समझता था।" हे दयालु ईश्वर! यहाँ वह व्यक्ति है जिस पर महाअभियोग का सीधा आरोप है। आरोप लगाने वाला कहता है कि उसे नैतिक रूप से विश्वास है कि रुपया प्राप्त किया गया लेकिन आरोप लगाने वाले की इच्छानुसार उसका उपयोग नही किया। यही उस पर अभियोग है। फिर उस पर जो अभियोग लगाया गया वह अपनी ही जानकारी के आधार पर या तथ्य व प्रमाण के आधार पर? नही, वह मनुष्य की अर्न्तआत्मा को टटोलता है।

यहाँ यह एक ऐसी कार्यवाही है, ऐसी आश्चर्यजनक, ऐसी लज्जाजनक जैसी शायद ही कभी देखी गई हो। एक अदालत एक व्यक्ति पर रुपयों की गड़बड़ी का मामला चलाती है, वही रुपए, जो न्यायाधीश के इस्तेमाल के लिए था, और जिनके संबंध मे वह कहता है कि उसका जनता के लिए उपयोग हो, तथा उसकी इच्छा थी कि कम्पनी के काम मे उसे लगाया जाय, जिसमे उसका कोई स्वार्थ व लगाव न था, फिर वही न्यायाधीश कहता है कि अभियोगी ने उसकी इच्छानुसार योजना न चलने दी इसका उसे दुख भी नहीं है। अभियोगी की भर्त्सना करने के बदले वह उस व्यक्ति की अन्तरआत्मा को टटोलता है—क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हे इस गलत कार्य के लिए धिक्कारती है? और अभियोगी कोई उत्तर नही देता और तब मिस्टर हेस्टिंग्स अपने सुविचार से उसे मुक्ति दे देता है।

मिस्टर हेस्टिंग्स पर संसद-सदस्यों का आरोप है कि उसने रुपयों का अपने लिए उपयोग किया, वह भी दूषित इरादों व दूषित नीयत से। उस पर इसी बात का आरोप है। वह आपके सम्मुख अपनी सुरक्षा के लिए वक्तव्य देता है। मिस्टर मिडिलटन भी इङ्गलैंड में है। क्या उसने मिस्टर मिडिलटन को इस बात

पर प्रकाश डालने को यहाँ बुलाया ? क्या उसने मिस्टर जानसन को बुलाया जो अभी अगले दिन अदालत में था ? उसने ऐसा क्यों नहीं किया ? जब उसने मेजर पामर को बुलाया और दिलचस्प कागजों व दस्तावेजों को मँगाया, (जिस व्यक्ति को वह रुपयों तथा हिसाब-किताब के मामले में सब से अधिक जिम्मेदार व योग्य मानता था), मेजर पामर वही व्यक्ति है जिसने इस मामले में उस पर आरोप लगाये। उसने मेजर पामर से आवश्यक कागज-पत्र क्यों नहीं माँगे ? नही, उसके पास काफी समय था लेकिन किसी समय नहीं, किभी भी स्थान पर नहीं, उसने ऐसा न किया, अतः समस्त भ्रष्टाचार का वही भागी बनता है।

श्रीमान के सम्मुख परिस्थितियों के विस्तारपूर्वक प्रकृति वर्णन के बाद जहाँ तक हम लोगों को इन बातों की जानकारी है, इस भ्रष्ट लेन-देन संबंधी व्यापार के संबंध में, हमें आगे आपको केवल यही स्मरण दिलाना है कि यद्यपि मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा मिस्टर मिडिल्टन पर पाँच या छः अपराध आरोपित किये गये, फिर भी जो दूसरी बात आप सुनते है वह है कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने मिस्टर मिडिलटन के आचरण के लिये यही कहा कि उसका आचरण गलत था और उससे संबंधित कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के चरित्र व आचरण उससे भी दस गुने बुरे थे, वह सीधे उसकी नियुक्ति कम्पनी के बड़े सम्मानित और विश्वासी पद पर कर देता है। वह उसे निजाम का राजदूत बना कर भेजता है, ताकि भारत की अन्य अदालतों के समक्ष उसका न्याय उदाहरण बने और ब्रिटिश सरकार के लिए प्रतिष्ठा व सम्मान का साधन बने।

श्रीमान, आमोद-प्रमोद तथा राग-रंग के लिए रिश्वत के संबंध में मैं यहाँ इस समय एक ही बात कहने की आपसे आज्ञा चाहूँगा। अगर मुझे समय मिलता तो मैं इस संबंध में खूब अधिक और विस्तार से कह पाता, लेकिन मैं बात को संक्षिप्त बनाना चाहता हूँ अतः मै श्रीमान के सम्मुख साधारण रूप में आपके ही सुविचार पर छोड़ दूँगा। कम्पनी और उसके कर्मचारियों के बीच समझौता था और यही नीयत थी कि इस प्रकार के आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन का किसी प्रकार अन्त हो। इसलिए यह नियम निर्धारित किया गया कि कोई भी उपहार २०० पौंड से अधिक का मनोरंजन के नाम पर स्वीकार न किया जायगा। यह नियम मनोरंजन के नाम पर लिए जाने वाले रुपयों के घूस को बन्द करने के इरादे से बनाया गया था चाहे वह किसी स्थानीय राजा व महाराजा की यात्रा से संबंधित ही क्यों न हो। लेकिन श्रीमान जानते हैं कि नवाब राजा या महाराजा न था, बल्कि वह एक गरीब, दुखी और कम्पनी पर आश्रित था। उपहार भी मिस्टर हेस्टिंग्स द्वारा स्वीकार किया गया था, जब कि वह इस कठोर कर्तव्य का पालन करने गया था कि नवाब का भत्ता ४००,००० पौंड से कम करके २६०,००० पौड कर दिया जाय और तब उसके आचरण के फलस्वरूप हजारों व्यक्ति भिखारी

बन रहे थे और रोटी के लिए नवाब के मोहताज थे और अन्य चालीस हजार लोग भी नष्ट हो रहे थे। मै इस विषय पर अधिक न कहूँगा यद्यपि सत्य यह है कि यह ऐसा विषय है पर जिस पर अधिक से अधिक रोशनी पडनी चाहिये।

अब मै इसी मे सबंधित दूसरी बात पर आता हूँ जो भ्रष्ट रिश्वतखोरी से सीधी तरह सबंधित नही है। मेरा आशय उस छल, कपट और धोखे से है जिसका प्रयोग उसने अपने भ्रष्ट कारनामो को उचित सिद्ध करने मे किया। एक समय वह उनका समर्थन करता है, अपने कारनामो की आवश्यकताओ का समर्थन करके जब वह उपहार और मनोरंजन को अपने लाभ के लिए स्वीकार करता है। एक दूसरे अवसर पर भी वह उनका समर्थन करता है, अपने इरादो की अच्छाई के समर्थन मे वह कहता है कि उसका इरादा था कि रुपया कम्पनी को दिया जाय। उसकी अन्तिम बात मे (मै ऐसा ही कहूँगा) उसका बहुत भयानक व बहुत दिलचस्प चरित्र उभरता है। भारत छोडने के पहले अपने सार्वजनिक हिसाब को निपटाने के लिए वह उधार लेता है, किसी अन्य हिसाब के नाम पर नवकिशन से एक पट्टा लेता है। फिर वह इग्लैड वापस आ जाता है, लेकिन क्या करता है ? क्या रुपये वापस करता है ? क्या कम्पनी के कर्ज वापस कर देता है ? नही। वह कहता है कि मै कम्पनी का हिसाब निपटा दूँगा और जब वह कम्पनी के रुपयो के खर्च का ब्योरा देने चलता है तब उसके ब्योरो को देख कर श्रीमान को अधिक आश्चर्य न होगा। एक बडा खर्च है, एक मुस्लिम कालेज बनाने का। यह बडी आश्चर्यजनक बात है कि राजा नवकिशन, जो एक हिन्दू है, उसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने एक मुस्लिम कालेज बनवाने को नियुक्त किया। यह हम मान सकते है कि मिस्टर हेस्टिंग्स जो एक क्रिश्चियन है, या क्रिश्चियन ही कहा जायगा, वह अन्त मे धार्मिक बन जाय और जैसा कि अनेक अन्य लोगो ने किया है कि उन्होने अपना जीवन बडी धूर्तता मे बिताया और लूटपाट व अपहरण तथा अत्याचार के कर्मो मे बिताया, वे भी पापो का प्रायश्चित करने और अपराधो से मुक्ति के लिए दान तथा पुन्य करते है। शायद, मिस्टर हेस्टिंग्स ने, हम समझते है मन मे निश्चय किया था कि वह मुसलमान हो जायगा (हिन्दू वह हो नही सकता था) इसीलिए अपने पापो को कम करने के लिए उसने मुस्लिम कालेज बनवाया। यही मान ले, पर इसके लिए नवकिशन क्यो खर्च उठाये ? चलिये, हम लोग यह विषय यहाँ पर छोड दे। परन्तु जब आप श्रीमान यह सुनेंगे कि यह कालेज किस ढग का था तो आप भी यही कहेंगे दुनिया के इतिहास मे यह नई बात है।

उसने कम्पनी को १८ अप्रैल १७८१ को बताया कि नवम्बर १७८० के आस-पास उसे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था—बड़ी तादाद में मुसलमानो द्वारा और

यह कालेज भी उन्हीं की प्रार्थना के अनुसार निर्मित लगता है। फिर यह दूसरी बार उसके वक्तव्य से ज्ञात हुआ कि आगामी अप्रेल में (यानी कालेज बनने के छ महीने के भीतर) कई विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली। आप देखें कि कितना आँख में धूल झोंकने वाली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है यह, हमारे विश्वविद्यालय एक पूरी शिक्षा छ वर्ष में भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन भारत के विद्यार्थियों ने वही शिक्षा छ महीने में ही पूरी कर ली और डिगरी भी पा गए।

मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि मैंने अब तक इसका पूरा खर्च उठाया है, मैं चाहता हूँ कि कम्पनी इसके संबन्ध में चिन्ता न करेगी। फिर वह जोड़ता है कि क्या खर्चे थे, वह जोड़ता है कि भवन की कीमत होगी ६,००० पौंड, और वह कम्पनी से ६,००० पौंड जुटाने को पट्टा प्राप्त करता है। अब इसके सीधे अर्थ हैं कि कालेज का भवन जनता के रुपयों से बना। और अब भी मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि उसने कालेज का छ महीने का सभी खर्च उठाया। फिर वह प्रस्ताव रखता है कालेज को एक जमीन दी जानी चाहिए जिसकी कीमत लगभग तीन हजार पौंड प्रति वर्ष की हो। और इस बीच उसके खर्चों के लिए कोई रकम भी निश्चित कर दी जानी चाहिये। इसके बाद मिस्टर हेस्टिंग्स गंगा के किनारे से कम्पनी को पत्र लिखता है जिसमें वह भवन के खर्च के संबन्ध में एक शब्द भी नही कहता या लिखता. पर लिखता है कि कालेज की स्थापना और समस्त खर्चो का भार उसी पर था यद्यपि यही जाना जाता था कि सभी खर्च कम्पनी का ही होता है और वह १७७६ तक खर्चे होने की बात करता है। लेकिन अंत में हम पाते है कि वह प्रोफेसर जिसे वहाँ रहना था कभी कलकत्ता न आया न वहाँ अपनी शक्ल ही दिखाई, काफी समय बाद तक। आप मिस्टर लारकिंस के व्यक्तिगत हिसाब को देखें। आप देखेंगे कि वह भी खर्चों की वसूली १७८१ तक करता है। यह गलत हिसाब नहीं है क्योंकि यह पूरा हिसाब है और लगता है कि उसने खर्च वसूले है, गलत व भ्रष्ट ढंग से ही सही। वास्तविक खर्च से एक वर्ष अधिक उसने वसूली की।

अंत में, जब वह वापस आ रहा था (मैं जल्दी ही इस बात का अंत करना चाहता हूँ यह मामला हर ओर से दूषित और भ्रष्ट है लेकिन ऐसा भी नहीं कि श्रीमान के सुविचार की सीमा से छूट जाय) तीन वर्ष तक संस्था की उपयोगिता से समस्त लाभ उठा कर, तब वह यह सिफारिश करता है कि ३०० पौंड का एक कोष बना दिया जाय। उसने गंगा गोविन्द सिंह को पहले एक हिन्दू जाति के अभिशाप के रूप में छोड़ा। अब श्रीमान, आप सुनेंगे कि समस्त मामले के भीतर क्या रहस्य था। कम्पनी ने जब बाद में सुना तो सुनने के तत्काल बाद कि कलकत्ते में यह कालेज मुसीबत का अड्डा बन गया है और समस्त जनता ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है, अपने एक कर्मचारी मिस्टर चैपमैन को गवर्नर ने नियुक्त किया और सर जान शोरे को कि इसकी जाँच-पड़ताल हो और श्रीमान देखेंगे कि इसका विस्तृत विवरण आप

की कार्यवाही मे लिखा है। श्रीमान, संक्षेप मे हम देखते है कि यह लुटेरो, गुण्डो और समाज के दूषित तत्वो का एक गिरजाघर था। इसीलिए कम्पनी विवश हुई और मास्टरो को निकाल बाहर किया और समस्त ढाँचे को फिर से बनाया। अब श्रीमान इसके गुण-दोष और इसके महत्व के बारे मे सुविचार करेंगे। यह अपराधी के बड़े कारनामो मे एक छोटा मामला है। जो हमने यहाँ प्रस्तुत किया। यह सारा काण्ड अन्याय, अपहरण से प्रारंभ हुआ और लुटेरो व गुण्डो के गिरजाघर से अंत हुआ।

अब मेरे पास ऐसा कुछ नही बचा जो मै श्रीमान के सुविचार के लिए सम्मुख उपस्थित करूँ, लेकिन भूतपूर्व गवर्नर जनरल अर्ल कार्नवालिस द्वारा दिया गया वक्तव्य कि अपने पूर्वाधिकारी और यहाँ अपराधी के रूप मे उपस्थित मिस्टर हेस्टिंग्स से जब उसे देश का अधिकार मिला तब उस देश की क्या स्थिति थी? यह अवश्य विचारणीय है। लेकिन मै समझता हूँ कि श्रीमान के धैर्य की भी एक सीमा है, यह भी जानता हूँ कि आपकी शक्ति भी ऐसी नही कि वह कभी समाप्त न हो, फिर भी आगे मुझे यही कहना है कि अब मेरी बात को अधिक समय नही चाहिये और मैं श्रीमान से प्रार्थना करूँगा कि मै समझता हूँ कि अब बस केवल एक दिन समय और लगेगा।

[कार्यवाही स्थगित]

जवाब का नौवाँ दिन

[१६ जून, सन् १७९४]

मि० बर्क का वक्तव्य

श्रीमान, मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि श्रीमान से क्षमा माँगू कि एक दिन और आपके सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक हो गया। मुझे इस समस्त व्यापार की नाप-जोख करनी है, उसकी योग्यता, इसके महत्व या अपने धैर्य या आपके धैर्य के माध्यम से। मैं जानता हूँ कि ऐसे मामलों की नाप-तौल नहीं हो सकती, लेकिन विषय की प्रकृति और अपने कर्तव्य का महत्व तो समझा ही जा सकता है। इसलिए श्रीमान, कृपया मुझे आज्ञा दें कि कुछ शब्दों में, संक्षेप में, मैं आपको वहीं ले चलूँ जहाँ हम कल की बहस में थे, इससे आज इस मामले पर अंतिम रूप से पटाक्षेप करने की सहूलियत होगी।

श्रीमान, हमने आपकी कृपा का लाभ उठा कर आपके सम्मुख बंगाल की स्थिति रखी। इसके इस प्रान्त का अधिकार लेने के पूर्व की स्थिति और वहाँ के निवासियों की हर श्रेणी की स्थिति दिखाई। पहले हम आपके सम्मुख मुसलमान निवासियों का मामला लायें जिनके हाथ में देश की न्यायिक बागडोर थी और हम उस समस्त संस्थान के नष्ट होने की कहानी भी बता चुके हैं और उनके साथ ही देश के न्याय के नष्ट होने की कहानी, क्योंकि वहाँ के न्याय को मुन्नी बेगम जैसी एक बदनाम, अयोग्य और दुश्चरित्र औरत के हाथों बेच दिया गया था और यही नष्ट होने का प्रमुख कारण था। इसके बाद हमने आपको दिखाया कि समस्त भूमि का मामला, जमीदार या देश के समस्त सम्मानित हिन्दूगण इस बात से बुरी तरह प्रभावित हुए कि उनकी भूमि दूसरों को, अनधिकार किसानों को पाँच वर्ष के लिए पट्टे पर दे दी गई। यह बड़ी क्रूरता का व्यवहार था। फिर उन जमींदारों की स्थिति भी अन्य प्रकार से नष्ट की गई, उनकी सम्पत्ति का स्वामित्व और उनके अन्य सामाजिक मामले भी एक प्रकार से अपराधजन्य दण्ड के रूप में नष्ट किए, उनका हनन किया गया और इन सबका माध्यम बनाया गया एक बदनाम और दुश्चरित्र खलनायक को जिसका नाम था गंगा गोविंद सिंह। अंत में हमने आपको यह भी बताया कि बचे हुए लोग विशेषकर अंग्रेज लोगों को भी भ्रष्ट और आचरणहीन बनाया गया। देश की पैदावार को नष्ट किया गया, कम्पनी का राजस्व घटाया गया और इस प्रकार के बेढंगे परिवर्तनों में खर्च हुआ—चार वर्ष

की लंबी अवधि और इस भ्रष्ट, खतरनाक और धूर्ततापूर्ण काम में खर्च हुई ५००,००० पौंड की एक बड़ी राशि।

हमने आगे कहा है कि कम्पनी के कर्मचारीगण ठीके व नौकरी के नाम पर भ्रष्ट किए गए। हमने सिद्ध किया कि वे जो भ्रष्ट नहीं थे उन्हें पदच्युत किया गया और नौकरी से अलग करके उनकी स्थिति समाप्त की गई। हमने आपको बताया कि प्रान्तीय कौंसिलों को तोडा गया, कौंसिल-जनरल को नष्ट किया गया और एक ऐसी कमेटी का निर्माण किया गया जिससे कोई उचित परिणाम न निकला, बल्कि उससे घूसखोरी, चोरी तथा भ्रष्टाचार बढ़ा। फिर हमने घूसखोरी के कई भयानक और बुरे परिणाम देने वाले उदाहरण भी बताए और यद्यपि हम लोग इसी सम्मति के थे कि इन बुराइयों को रोकने का उचित प्रयत्न किया जाय फिर भी हमने श्रीमान को स्मरण दिलाने का प्रयत्न किया कि जो ऐसे उदाहरण थे जिनसे लाभ के स्थान पर हानि हुई, उन्हें स्पष्ट रूप से आपके सम्मुख रखा गया।

अब जिस कार्यवाही की ओर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते है वह है उस दूसरे घूस के संबंध में जो अवध के नवाब ने मिस्टर हेस्टिंग्स को दिया था। मिस्टर हेस्टिंग्स की इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकारोक्ति और उसके अपने वक्तव्य कि यह घूस का रुपया अगर उसके उपयोग के लिए रखा गया था, यह या तो रुक्कों की शक्ल में था या नगद रूप में। मैं पहले ही कह चुका हूँ और अब मैं श्रीमान का ध्यान उस सूक्ष्म बात की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका सम्बन्ध मिस्टर मिडिलटन के महाअभियोग से है और जिसमे इस समस्त व्यापार के लिए एक जाँच की जाने वाली थी। आप श्रीमान को याद होगा कि हम आपके सम्मुख यह सिद्ध कर चुके है कि इस कार्यवाही की मौजूदगी के समक्ष देश की स्थिति नहीं बदल न सकी और मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपराधी को मुक्ति दी, सो भी अदालत की गवाही के बल पर नहीं बल्कि अदालत के नियमों के विरुद्ध। अपनी गलतियों व अपने अपराधों के नैतिक समर्थन के बल पर उसने अपराधी को मुक्त किया। इसमें भी एक चाल थी। उसने अपराधी को पूरी तरह, स्पष्ट रूप से मुक्त भी नहीं किया बल्कि मामले को विचारार्थ डायरेक्टरों की परिषद के सुपुर्द कर दिया, जो परिषद इस मामले के सम्बन्ध में कुछ भी न जानती थी। अंत में हमने आपके सामने यह भी सिद्ध किया कि उसे पाँच अभियोगों से अभियोगी सिद्ध कर के भी मामले को डायरेक्टरों की परिषद तक पहुँचाया गया। यही नहीं इस अपराधी को मिस्टर हेस्टिंग्स ने बिना उचित कारण बताए ही उसे देश के सर्वोच्च शासकीय विभाग का उच्चाधिकारी बना दिया।

यह कार्यवाहियाँ आपके सामने दो उद्देश्यों से लाई गई हैं—प्रथम कि समस्त कार्यवाही में हुई भ्रष्ट नीति व पद्धति को दिखाना—दूसरे वह उदाहरण

उपस्थित करना जिससे ज्ञात हो कि कम्पनी के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। कर्मचारियों पर अभियोग लगा कर उन्हें दण्डित किया जाता और उन्हें तब तक इसी प्रकार तंग किया जाता कि जब तक वे लोग अपना आत्म-समर्पण न कर देते। ऐसा करते ही उन्हें तमाम अभियोगों और अपराधों से मुक्ति मिल जाती। श्रीमान, यह भी मिस्टर हेस्टिंग्स की तमाम बुराइयों में से एक का ज्वलंत उदाहरण है। और श्रीमान यदि आप भी उसकी समस्त बुराइयों और अपराधों को भूल कर उसे मुक्ति प्रदान करें तो यह भी एक शासकीय सिद्धान्त बन जाएगा, चाहे जनता की दृष्टि में यह कार्य उचित हो या अनुचित ही क्यों न हो लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के न्याय इतिहास में एक यह नया व अनोखा उदाहरण होगा।

एक और मामला है जिसे अभी-अभी हमने केवल छुआ भर है। यह मामला है मनोरंजन के नाम पर बड़ी रकम का स्वीकार किया जाना। आप श्रीमान को स्मरण होगा कि जब इस मामले के सम्बन्ध में उस पर भारत में आरोप लगाया गया था तब मिस्टर हेस्टिंग्स ने न तो तथ्यों को स्वीकार किया न इन्कार ही किया। तब उससे वहाँ आत्म-स्वीकारोक्ति कराई भी नहीं जा सकती थी। फिर वह संसद के सम्मुख उपस्थित हुआ और यहाँ भी उसने स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से बचने का प्रयत्न किया। फिर अंत मे वह आपके सम्मुख उपस्थित हुआ और उस पर हमारे द्वारा लगाए गए अभियोग के उत्तर में उसने फिर पहले की तरह ही स्वीकारोक्ति और अस्वीकारोक्ति से बचने का पूरा प्रयत्न किया। उसने हमें लम्बी बहसों और लम्बी बैठकों के लिए विवश किया और उस पर आरोप स्थापित करने में काफी समय व शक्ति लगानी पड़ी और अंत में हम उस पर आरोप स्थापित करने में सफल भी हो गए। बहुत दूर और बहुत देर तक प्रमाणो को नहीं टाला या छिपाया जा सकता और जब हमने तमाम परेशानियों के बाद सिद्ध कर लिया तो यह प्रमाण कानून के लिए सहायक अस्त्र सिद्ध हो सके और उसने अपने ऊपर जितनी लज्जा ओढ़ी वह संसार के लिए एक उदाहरण हो गया। उसने स्वीकार भी, इन्कार भी किया और अपने आचरण को उचित सिद्ध करने का प्रयास भी किया। अगर अभियोग उचित ढंग से सिद्ध हो गए और न्याय के नियमों में भी खरे उतरे तो वह कार्यवाही के दौरान में हर कदम पर उन्हें स्वीकार न करके इन्कार क्यों करता रहा ? क्यों उसने हमें तथ्यों को प्रमाणित करने में इतना परेशान किया और महीनों का अमूल्य समय भी नष्ट किया और क्यों, जब हम आरोपों को सिद्ध करने में सफल हो गए तो उसने पहले ही उन्हें क्यों न स्वीकार कर लिया ?

मैं श्रीमान को अवश्य याद दिलाऊँगा कि मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के नाम पर लिया गया इतना रुपया, नंदकुमार से लिए गए घूस का एक अंशमात्र है जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वीकार किया था और जब हमने प्रमाणों के बल पर

उसे स्वीकार करने को विवश कर दिया और वह चाह कर भी इन्कार न कर सका तब वह यह भी न बता सका कि उसने ये रुपये क्यों स्वीकार किए। आप श्रीमान ही अब घूस लेने के उसके आचरण पर सुविचार करें। हम सोचते हैं कि हमने सभी प्रमाणों को संतोषजनक रूप में उपस्थित करके सिद्ध किया है। अब प्रश्न है कि क्या एक गवर्नर जनरल किसी गरीब प्रान्त का भ्रमण करके जनता से मन-माना रुपया उपहार के रूप में स्वीकार करने का अधिकारी है? वास्तविकता यह है कि नवाब एक नियमित व न्यायोचित राजा न था, न तो उसे शासकीय सम्पूर्ण अधिकार ही प्राप्त थे. लेकिन उससे भी कम्पनी के नाम पर बड़े-बड़े उपहार लिए गए। यह एक प्रकार से वहाँ के स्थानीय कर्मचारियो पर विशेषाधिकार को लादना था कि वे उस क्षेत्र के तथाकथित राजाओं से रुपये वसूले। ऐसे उपहार, जनता की कमजोरी का लाभ उठा कर वसूले गए, उनकी दुर्दिन की परिस्थिति का लाभ उठा कर। और अब आपको सुविचार करना है कि यह नियम, घूस लेने की पद्धति, जैसा कि अपराधी के वकीलों ने कहा है, कि इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि यही तो देश का नियम था, क्या इसे न्याय के क्षेत्र में मान्यता दी जायगी?

उपहारों के नाम पर जनता को जितना सताया गया और कष्ट दिया गया, कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को पहले ही इससे दूर रहने का आदेश दे दिया था, उस संबंध में श्रीमान अब सुनेंगे कि—"कि कर्मचारीगण कोई जमीन, किराया या राजस्व या किसी प्रकार की वसूली न करेंगे, चाहे वह किसी नवाब, राजा या सूबेदार से ही क्यों न प्राप्त हो, जब तक कि डायरेक्टरों से इस संबंध में स्पष्ट आदेश न प्राप्त हो।"

इसी प्रकार लार्ड क्लाइव और सर हेक्टर मुनरो और कुछ अन्य ने भी उपहार व भेंट स्वीकार की। उन्होंने जागीरों की भेंट, और राजस्व भी लिये, जिसके लिए उन्हें कम्पनी से पूर्ण अधिकार प्राप्त था पर शायद यह न्याय की दृष्टि से भी उचित था क्योंकि तब देश में पूर्ण शासन न था, लेकिन अन्य निम्नवर्ग के कर्मचारियों को जमीन या किसी अन्य रूप में कुछ भी किसी प्रकार भी पाने का अधिकार न था। बाद में पता लगा कि इस प्रकार की बुराइयां मौजूद थीं, विशेषकर (जैसा कि हम १७७३ के वर्ष के संबंध में सिद्ध कर चुके हैं और इस संसद को भी सूचित कर चुके है, मोहम्मद रजा खाँ की गवाही के रूप में) जल्दी-जल्दी और अल्प अवधि के अन्तराल में राजाओं के यहाँ की यात्रा और उनके मेहमान बन कर बड़ी रकमों के उपहार पाना। गवर्नर जनरल और उसके समस्त नौकरों को यह आदेश दिया गया—"कहीं भी सीधे या अन्य प्रकार से लेना या प्राप्त करना या लेने की स्वीकृति देना कि कोई उपहार, इनाम, नजराना, या मुआवजा जमीन के रूप में या नगद रुपयों के रूप में किसी भी भारतीय राजा, नवाब व सूबेदार

से या उनके मंत्रियों, नौकरों या दलालों से न लिया जाय जिसकी कीमत ४००० रुपयों मे अधिक हो। यह किसी भी वर्ग के भारत के कर्मचारी के लिए मान्य होगा।"

☐ ☐ ☐

लेकिन इस आज्ञा के बाद श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स को कोई उपहार लेने की मनाही थी कि कोई भी उपहार किसी भी रूप में ४००० रुपयों से अधिक न हो, यानी ४०० पाउंड से अधिक। अब वह रकम जो यहाँ ली गई, वह है १८,००० पाउंड, उपहार के रूप में भी, मनोरंजन के भत्ते के नाम पर भी। उसे अधिकार था ४०० पाउंड तक लेने को, अगर उसने इससे अधिक रुपये लिए तो वह अपराधी है। उसने यह आज्ञा न मानी और अपने मालिकों की अवहेलना की। श्रीमान. अब आप ही सोचें, आप क्या करेंगे अगर आप अपराधी को अपराध से मुक्त कर दें। आप न्याय के सिद्धान्त को मान्यता देंगे यदि तथ्य प्रमाणित हो।

हे ईश्वर! श्रीमान, हम आज कहाँ है? अगर वे उपहार व घूस को छिपाते है, तो छिपा कर वे सभी बातो से मुक्त रहते है; अगर इनकार करते है तो और अधिक सुरक्षित है। वे देश की रीति-रिवाज की दुहाई देते हैं या उस नियम की जिसे हमने वहाँ प्रचलित किया है। ऐसे नियम जो भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत करने के लिए बने है, उन्ही को इन आदेशो द्वारा समाप्त किया गया। सोचिए श्रीमान, कहाँ है? आप के सामने एक आदेश-पत्र है जिससे यह घोषित होता है कि किसी भी रूप मे उपहार प्राप्त न किया जाय यदि रकम ४०० पाउंड से अधिक है। वह कहता है कि मैंने १८,००० पौंड लिए, यही उसका वकील भी कहता है और वह चाहता है कि श्रीमान उसकी इस बात को मान्यता दे कि वह न केवल यह करने में उचित है बल्कि उसे यही करना ही चाहिए था और जब कि नियम इसके बिल्कुल विपरीत है। वह बल्कि यह भी नही कहना चाहता कि उसका प्राप्त रुपया उसके इच्छानुसार था या कम्पनी के उपयोग के लिए था। वह अपनी हर महीने ली जाने वाली तनख्वाह के अलावा यह १८,००० पाउंड अपने जेब मे भर लेता है।

अब सोचे, श्रीमान इन जाँच-पड़तालों के क्या परिणाम निकले। यदि कम्पनी का कोई कर्मचारी, उच्च वर्ग वाला, निश्चय करता है कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद जाएगा, वही मुर्शिदाबाद जो उस समय हमारे राजस्व-गवर्नर का मुख्य निवास था, या कर्मचारी अपने 'स्वास्थ लाभ के लिए हवा-पानी बदलने जाना चाहता है, या उसे मनोरंजन हेतु ही मुर्शिदाबाद जाने की इच्छा होती है, उन्हीं में से एक बजरे द्वारा जिसके सम्बन्ध में आप नंदकुमार के विरुद्ध आरोप के समय काफी सुन चुके हैं, तो वह जिस दिन चाहे अपनी जेब में २०,००० पौंड रख सकता

है और पार्लमिंट के कानून, आदेश और शासकीय नियम की अवहेलना कर सकता है।

आप क्या अपने कानून बनाते है, अपने आदेश जारी करते है, क्या इसीलिए कि उनकी अवहेलना व उनका अपमान हो ? क्या यही उद्देश्य है जिसे ले कर एक ब्रिटिश अदालत यहां बैठी है कि कथा-कहानी के लिए मसाला दे और सारे संसार के सामने हँसी का मसाला बने ? श्रीमान, विश्वास करे, इस प्रकार संसार को बेवकूफ नही बनाया जा सकता। लेकिन श्रीमान, आप भी अपने कर्तव्य से कभी गुमराह न होगे। आपके सम्मुख भ्रष्टाचार और अपवित्रता के भीषण परिणाम प्रस्तुत है, जिनकी स्वीकारोक्ति भी मिल चुकी है और जिनके संबंध मे वकीलो के दोनो पक्षो ने काफी बहस भी कर ली है। लेकिन आप मिस्टर हेस्टिंग्स के कहने पर नाराज न होगे कि हमे तो केवल मुर्शिदाबाद तक जाना था या नवाब को आदेश था कि वह मुझसे बीच रास्ते मे मिले लेकिन मै आपके आदेश और पार्लमिंट को एक किनारे खिसका दूंगा। क्या आदेश की यही शक्ति व प्रभाव है जिसके बल पर आप कम्पनी के अन्य कर्मचारियो को भ्रष्टाचार और अन्याय के कार्यो से रोकना चाहते है, और उन्हे और कुछ नही, केवल मुर्शिदाबाद की मनोरंजक यात्रा करनी है और उन्हे जितनी उनकी इच्छा हो रुपये अपनी जेबो मे भरने है।

लेकिन वे यह कह कर अपनी करनी को उचित बनाते है— ऐसी बाते पहले भी होती रही है। निश्चय ही यह बाते पहले होती रही है और आदेश भी आते रहे है कि ऐसा उन्हे नही करना चाहिये। लेकिन आप श्रीमान यही कहेंगे कि जिन बातो को नष्ट करने को आदेश बनते है— उन आदेशो को भी प्रभावहीन बनाने के अपने अस्त्र होते है। मै कहूँगा कि यह असंभव है, कि श्रीमान ऐसा कार्य करे। न्याय के सम्मुख अपराधी का अपराध कुछ महत्व नही रखता।

इस व्यक्ति के संबंध मे एक बात श्रीमान से और कहनी है कि हमारी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति के लिए कठोरतम न्याय की याद दिलावे, और आप के मन मे इस अपराधी के अपराधो से ग्रस्त मानवता के प्रति दया के भाव पैदा करे। आप स्वयं सोचे कि उस समय उस देश की जनता की क्या स्थिति रही होगी, जिनसे उसने आदेशो की अवहेलना करके रुपये छीने। क्या वे अमीर थे ? क्या तब देश अधिक समृद्धिशाली था, मिस्टर लेसनर और मिस्टर वन्सीटार्ट के समय के मुकाबले, संक्षेप मे जब मिस्टर हेस्टिंग्स के पूर्वाधिकारियों का क्या लम्बी अवधि तक शासन था ? नही वे अमीर न थे। मिस्टर हेस्टिंग्स ने इसी समय नवाब की आमदनी ४५०,००० पौड प्रतिवर्ष से घटा कर १६०,००० पौड कर दी थी। वह सचमुच मुसीबतों के बीच पिस रहा था, मुसीबतों का मारा था। उसकी आमदनी ही नही घटाई गई थी बल्कि उसकी शक्ति भी इतनी घटा दी गई थी कि अपने राज्य मे भी वह एक छोटा सा कानून भी नही बना सकता था। फिर भी मनोरंजन के नाम पर उसे १८,००० पौड

देने पड़े, संभवतः उसके पास सारी दुनिया में उस समय इतनी पूँजी ही रही होगी।

अब आप छपी कार्यवाही को देखें, तो पावेंगे कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने इसी समय के ठीक पहले कहा था, लगभग हर श्रेणी व वर्ग के दस हजार लोगों की रोटी इसी नवाब की आमदनी पर निर्भर है---यानी उसका हृदय इतने मुसलमान परिवारों को भूखों मरते देखने को तैयार था, जिनकी बची खुराक का सर्वांश वह लेने को तैयार था बल्कि ले चुका था। आप जानते हैं, और मुझे पुनः कहने के लिये आप क्षमा करेंगे कि यह तो गिद्ध का स्वभाव है कि वह जीवित और स्वस्थ शिकार पर टूटता है लेकिन ऐसे कौवे भी हैं और निम्न वर्ग की चिड़ियाँ भी है जो मृतकों व मृतप्राय पर ही हमला करती हैं। यह बिगड़े व बरबाद घरों का मामला है, जिन्हें मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपना शिकार बनाने का और उन पर हमला करने का निश्चय किया।

लेकिन हमने पुनः सुना, श्रीमान कि यह आवश्यक नियम है कि मेहमान को उपहार स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन हमे अपने को धोखा भी नहीं देना चाहिये। परन्तु मिस्टर हेस्टिंग्स की यात्रा न तो किसी उत्सव से संबंधित थी न राजनीतिक ही थी, उस समय वह उस कमेटी का मेंबर था जो देश में चालू नए राजस्व संबंधी कानून की स्थापना करने के लिए मुर्शिदाबाद गयी थी। वह वहाँ इसी कार्य विशेष के लिए कमेटी के सदस्य के रूप में गया था। उसे भी मेंबरों की तरह काफी बड़ी रकम पारिश्रमिक के रूप में मिली थी, उसके गवर्नरी की ३०,००० पौंड प्रतिवर्ष की तनख्वाह के अलावा। पर वह इतनी आमदनी से भी संतुष्ट न था, और अब जब कि उसका कोई नया खर्च भी न बढ़ा था, उसे यात्रा के लिए विशेष भत्ता मिला था जैसा कि आपके सम्मुख रखी कार्यवाही में लिखा है। वास्तविकता यह है कि वह वहाँ गया ही नही। वह तो राजस्व संबंधी अपने काम में लगा था, कमेटी में एक मेंबर के रूप में। मैं किसी प्रकार कमेटी की प्रसंशा नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर बचावे कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह कमेटी लुटेरों की थी। उस कमेटी के लुटेरों में वह भी एक था। ऐसा वर्णन करके मैं कही अनुचित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टरों की परिषद और कौंसिल दोनों ने १७८६ में घोषित किया कि पाँच वर्षीय प्रबंध (जो उसी कमेटी द्वारा चालू किया गया था) तो खरीद-बिक्री का माध्यम हैं। आप श्रीमान इसे पढ़ सकते हैं जब भी आप चाहें, उनके पत्र के ८०वें कलम में।

आप श्रीमान के अधिकार में सभी तथ्य व सत्य प्रमाण आ गए हैं, जिनके ऊपर ही हमने अपराधी पर अपहरण, बड़ी रकमों की घूसखोरी के अभियोग लगाए हैं। मैं श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लगाए अभियोग पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। यह ऐसा मामला नहीं जिसके साथ जल्दबाजी हो सकती है। क्योंकि बड़े आदमी अपने बड़े कामों में छोटी सी भूल भी करते हैं तो बड़ा अहित होता है।

पर आप ऐसा नही कर सकते । एक न्याय पंच के रूप मे, आप इन्हें उलझन व जल्द-बाजी मे कभी निर्णय न देंगे । आपको अपने से प्रश्न करना होगा कि यह अंग्रेज व्यक्ति जिसने १८,००० पौंड और अन्य रकमो को गलत ढग से प्राप्त किया, क्या यह कोई उदाहरण बनेगा ? जनरल क्लावरिंग द्वारा बिल्कुल भिन्न उदाहरण रखा गया था । श्रीमान पृष्ठ १२६६ मे पावेंगे इस योग्यतम कम्पनी कर्मचारी के संबंध मे प्रसंशा व प्रमाण पत्र । यह यो लिखा है—"इसे हम कानून की आज्ञा मानते है कि गवर्नर जनरल या कौंसिल के सदस्य कोई उपहार स्वीकार न करे, न तो किसी भारतीय प्रधान से या किसी अन्य से । उसने (जनरल क्लावरिंग) इसका सदा ही पालन किया है, जब वह यहाँ आया और जो उपहार दिये भी गए, तो उसने उन्हे वहीं वापस कर दिया है ।" यह है एक बेहतरीन सच्चाई और ईमानदारी का नमूना । दूसरी जगह वारेन हेस्टिग्स ने दिल खोल कर भ्रष्टाचार के कामो मे भाग लिया और लोगो को उपहार देने को मजबूर किया । यह सभी बाते मै श्रीमान के सामने भली-भाँति बता चुका हूँ ।

अब मै श्रीमान का ध्यान दूसरी बात की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, पर यह भी अपहरण का वैसा ही मामला है, उसी से मिलता-जुलता । उपहार लेने का दूसरा और नया ढग—मेरा आशय उस उपहार से है जो मिस्टर हेस्टिंग्स ने गंगा गोविन्द सिंह से लिया । आदेश का ऐसा अपराधजन्य उलघन करके भी वह उसी को उचित कहता है । इस संबन्ध मे श्रीमान, मै केवल इतना ही कहूँगा कि वह किसी भी रूप मे अपने इस किए को उचित नही ठहरा सकता । आपने देखा, क्या नवाब से लिए गए उपहार उचित थे ? आपने देखा कि क्या आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन के लिए लिए गए रुपये उचित थे ? अब आप देखें कि अपहरण के इस अंतिम उदाहरण को वह कैसे उचित ठहराने का प्रयत्न कर रहा है । और श्रीमान को इन दलीलो पर गभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा । अभी भी कई बाते ऐसी छूटी है जिन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है । यह प्रश्न अपने ढंग के नए है, जिस पर हम श्रीमान का ध्यान गभीरतापूर्वक आकृष्ट कराना चाहेंगे । अपहरण और कार्यालय मे जालसाजी के प्रत्येक मामले जो अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा विचार पा चुके है या किसी अन्य न्यायालयो द्वारा भी, आज के आधुनिक अपराध-शास्त्र मे आप ऐसा उदाहरण न पावेंगे ।···मेरा आशय है नवकिशन के मामले से । उससे जो रुपये लिए गए वे मनोरंजन के नाम पर नही, न तो वे राजस्व के नाम पर लिए गए, बल्कि इस बात पर कि उसे सरकार मे निश्चित आमदनी से अधिक आय थी । यह किसी अन्य प्रकार की आमदनी या आय न थी । नही, यह एक व्यक्ति विशेष से ली गई रकम थी, या जैसा कि मिस्टर लारकिंस द्वारा सिद्ध व प्रमाणित हो चुका है, यह उसका अपना मुनीम, तथा खजाँची था, जिसे उसने पट्टो व रुक्कों के काम के लिए नियुक्त किया था । मिस्टर लारकिस ने प्रमाणित किया है कि लिए गए रुपयो

के बदले उसने रुक्के दिए, और वे रुक्के सरकार से नवकिशन के हिसाब के खाते में जमा हुए। लेकिन जब मिस्टर हेस्टिंग्स से उन रुपयों के लिए पूछा गया तो वह रुक्के वापस ले लेता है, अब वह रुपये न देगा, वह रुपये देने से इनकार करता है, भारत में भी इन्कार किया, यहाँ भी इन्कार करता है, और वह अब श्रीमान के सम्मुख आ कर कहता है कि मैंने ये रुपये उधार लिये थे, मैं इनके बदले में रुक्के देना चाहता था, जैसा कि आपके सामने सिद्ध हो चुका है, लेकिन यह रुपये मुझे अपने उपयोग के लिये चाहिये थे। हमने अब तक गवर्नरों के संबन्ध में बुरी से बुरी बातें सुनी लेकिन एक गवर्नर अपने को एक साधारण धोखाबाज व चोर बना ले ऐसा संसार के इतिहास में कभी नहीं सुना गया। इसे न तो साधारण रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग या अपने अधिकार का ही दुरुपयोग कहेंगे, बल्कि यह अपने असली रूप में केवल एक चोरी है।

अब श्रीमान, हम देखें कि यह किस प्रकार उचित है ! एक चोर, एक धूर्त को खुलेआम उचित नही ठहराया जा सकता। लेकिन हे ईश्वर। हमारे सामने यहाँ उचित ठहराने को कैसी बातें कही जा रही है ! ओह, श्रीमान, देखें, इस भारतीय भ्रष्टाचार ने हमारी क्या दुर्दशा कर दी है कि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी उच्चतम न्यायालय में आकर कहे कि मैंने चोरी की, मैंने धूर्तता की, मैंने वायदा किया, रुक्के दिये और वापस ले लिए। मै स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस व्यक्ति को लूटा, लेकिन मैंने ऐसा करके लुटेरों के दल के मुखिया का कर्तव्य निबाहा है। देखिए, मैंने दल के लिये क्या किया है ? आइए, मिस्टर आरियल और प्रमाणित कीजिए कि कम्पनी को हमने कितना सुन्दर बजड़ा भेंट किया, क्या वह खूब रंगा-चुंगा, सुन्दर बना और खूब बड़ा न था ? मैं अवसर पड़ने पर उसका उपयोग भी करता था लेकिन उसे कम्पनी को दे दिया। ओह, मैंने रुपये अपनी जेब में नहीं रखे, अपने लिए प्रयोग किया। वह आगे कहता है कि मैंने एक मुस्लिम स्कूल खोला (आप श्रीमान इस शर्मनाक मामले पर थोड़ा सा पहले सुन चुके हैं)। मैंने आपके उपयोग के लिए मुस्लिम कालेज खोला और सितम्बर १७८० तक उसका समस्त खर्च उठाया, तभी एक प्रोफेसर भी रखा जिसका नाम मजीदउद्दीन था। मजीदउद्दीन का काम था कि वह आदमियों को कला व विज्ञान की शिक्षा दे और छ महीने में योग्य बना दे और स्कूल का मुख्य उद्देश्य था जैसा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं ही कहा है कि मजिस्ट्रेट और मौलवी तैयार हों, यानी न्यायाधीश और कानूनदां और उनके सहयोगी। ऐसे कालेज की स्थापना मिस्टर हेस्टिंग्स ने की थी और इसके ठीक बाद ही उसने कंपनी का राजस्व नष्ट किया, यानी प्रतिवर्ष इस कालेज की व्यवस्था के लिए ३००० पौंड का खर्च बढ़ गया। ईश्वर ही जाने कि जब उसे एक कालेज की स्थापना ही करनी थी तो उसने मुस्लिम कालेज ही क्यों चुना, क्रिश्चियन कालेज क्यों नहीं चुना ?

अब देखिए कि स्थापना करने में जो खर्च लगा उसे दो बार में उसने कैसे

वसूला—पहले तो उसने ३००० पौंड प्रति वर्ष का खर्च बाँधा। जब तक मिस्टर हेस्टिंग्स भारत मे रहा तब तक यह खर्च किस प्रकार होता था यह कोई नही जानता, लेकिन हम जानते है कि उसने आने के समय जो अन्तिम कार्य किए उनमे यह भी था कि इस कालेज को वह मजीदउद्दीन के हाथो सोपना चाहता था। फिर बाद मे उसने, जैसा कि आपने देखा, कम्पनी से अपने लिए कर्ज लिए, कालेज के खर्चों के नाम पर। अब मै श्रीमान को कालेज के अतिम मुआयने की बात कहूँगा। यह मुआयना लार्ड कार्नवालिस की आज्ञानुसार हुआ था, सन् १७८८ मे, जब कि इस कालेज के विरुद्ध शिकायत की गई जिसकी मै पहले ही श्रीमान स चर्चा कर चुका हूँ कि यह तो गदगी, दुख और भ्रष्टाचार को पनपाने वाला केन्द्र था। मिस्टर चाउमन जा मुआयना करने गया और जो मिस्टर हेस्टिंग्स का मित्र था, उसने कहा कि वह वहाँ एक मिनट को भी नही बैठ सका। उसके शब्द थे—'गदी और दीन-हीन तथा अधम आकृतिया चारो ओर स मेरी ओर दौडने लगी। वे आकृतियाँ चाहे जो रही हो पर विद्यार्थी न थी।" वास्तव मे समस्त शहर मे इसके विरुद्ध शोर मचा था। केवल गदगी और भ्रष्टाचार की बदबू ही नाको मे घूम रही थी और हर नागरिक की नैतिकता समाप्त हो रही थी। यह उस कालेज की चर्चा है जिसका प्रति वर्ष का ३००० पाउ का खच था और जिसके भवन के लिए कपनी को ५००० पाउ देना पडा था। यद्यपि इसके खर्चो की कोई रसीद मिस्टर हेस्टिंग्स ने नही दी, लेकिन यही सब कुछ नही है। जब लार्ड कार्नवालिस ने इस सबध म जाच-पडताल की तब उसने पाया कि मजीदउद्दीन ने कालेज से जोडी गई सम्पत्ति की ३००० पोड वार्षिक की आमदनी घटा कर २००० पौंड कर दी है। यानी सक्षेप मे कहा जाय तो यह भी भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया था और अध्यापक तथा विद्यार्थी सभी इस पाखण्ड मे शामिल थे। मुआयने म अच्छी तरह जाच होने पर पता लगा कि यहाँ सभी कुछ गदा और गडबड था, एक सिरे स दूसरे सिरे तक। आप श्रीमान देखेगे कि यह सब बातें मिस्टर हेस्टिंग्स को उस समय भी अवश्य ज्ञात रही होगी जब ३००० पोड के खर्च की सख्या उसने मजीदउद्दीन का सौपी। और अब श्रीमान, इस प्रकार रुपयो की बरबादी जैसी मैंने दिखाई, उसे क्या आप मान्यता देगे ?

लेकिन इस महत्वपूर्ण व्यापार के पीछे और भी रहस्यपूर्ण बात छिपी है। मेरा विश्वास है कि आप यह न समझेगे कि मै इस बात को बहुत तूल दे रहा हूँ, जब मै कहता हूँ कि जितना ही मै तह मे जाता हूँ, ब्रिटिश राष्ट्र के नाम को कलकित करने वाला उतना ही मसाला दिखाई पडता है। अब मै उसी की चर्चा करूँगा। मैं श्रीमान पर ही यह छोड दूगा कि आप ही इस वक्तव्य की ईमानदारी पर विचार करे कि जब आपके सामने अपराधी द्वारा प्रस्तुत एक कागज पढा जाय जो वह अपनी करनी को उचित कहने के लिए प्रस्तुत करता है। यह कागज मुन्नी बेगम

(जिस भ्रष्ट औरत को मिस्टर हेस्टिंग्स ने देश के न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया था) का राजीनामा है, इसी कालेज के सम्बन्ध में, जिसे उसने लार्ड कार्नवालिस द्वारा की गई जाँच के समय प्रस्तुत किया था। श्रीमान देखें कि उस देश से किस प्रकार के राजीनामे मिले हैं। यह कार्यवाही के पृष्ठ २३५० पर है। श्रीमान इन पृष्ठों को यदि आपके सुविचार से प्रभावहीन न बनाया गया तो निश्चय ही किसी न किसी दिन ये हमारे विरुद्ध विचार कराने में सफल होंगे।

□ □ □

"वह (मिस्टर हेस्टिंग्स) विद्वान और चतुर लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा करता था और विद्या तथा ज्ञान प्रचार व प्रसार के लिए उसने एक कालेज बनाया और इसे विद्यार्थियों के लिए इतना उपयोगी बनाया कि इसमे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी हर समय ईश्वर से इङ्गलैंड के राजा और कंपनी की सफलता के लिए ही प्रार्थना करते रहते थे।"

□ □ □

इसी संबंध में और इसी के प्रभाव के संबंध में मै श्रीमान का ध्यान एक दूसरे राजीनामा की ओर आकृष्ट कराऊँगा। यह दूसरा राजीनामा मोहम्मद रजा खाँ द्वारा है, जिसके सम्बन्ध मे श्रीमान को याद होगा कि मिस्टर हेस्टिंग्स ने उसे उच्चतम पद से पदच्युत करके एक निम्नवर्गीय कर्मचारी बना दिया था। यह व्यक्ति अपनी ही लज्जा का शिकार है।

मेरा विश्वास है कि श्रीमान इस अपराधी की अपराधजन्य कार्यवाहियो को नजरअंदाज न करेंगे कि उसके हर बुरे काम के सम्बन्ध में उसकी रक्षा के लिए वही लोग आगे आए हैं जो उसके साथ लाभान्वित हुए है। हे ईश्वर ? क्या एक क्षण को भी इसके चेहरे पर लज्जा न आवेगी ? मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा है कि यह संस्था (जिस पर किसी न किसी रूप में कम्पनी के ४०,००० पौंड खर्च हुए है) १७८० के अक्टूबर के पूर्व चालू नहीं हुई थी। ऐसा हमें कम्पनी के कागज-पत्रों में भी मिलता है और वह इसका मामला परिषद के सम्मुख अप्रैल १७८१ में लाता है, यानी प्रारंभ होने के लगभग ६ महीने बाद। अब उसके दूसरे कथन को देखें जहाँ वह कहता है कि यह १७७९ में ही प्रारंभ हो गया था, इस प्रकार वह पूरे एक वर्ष का खर्च वसूल कर लेता है। लेकिन मिस्टर लारकिंस जो यह पत्र रखे था वह शायद गलत था। हे ईश्वर ? हम कहाँ खड़े हैं ? मिस्टर हेस्टिंग्स जो जन्मजात मुनीम था, जो व्यापार में ही पला, वह कहता है कि उसने कोई हिसाब नहीं रखा। फिर मिस्टर लारकिंस आता है जो उसका हिसाब रखता था लेकिन वह झूठा ही हिसाब शायद रखता रहा है। सचमुच, भारत के संबंध में सभी हिसाब, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक प्रकार की भ्रष्ट शृंखला के सिवा कुछ और नहीं हैं, जहाँ भी मिस्टर हेस्टिंग्स का संबंध था। मिस्टर लारकिंस उसका व्यक्तिगत हिसाब उसी तरह रखता था जिस तरह

मिस्टर हेस्टिंग्स जनता का हिसाब रखता था और उसने कम्पनी से कालेज के नाम पर पूरे साल भर का हिसाब ऊपर लिया। मुझे इसी बात को बार-बार नही दुहराना चाहिए, पर मै चाहता हूँ कि श्रीमान प्रमाण के रूप मे दिए गए इस प्रकार के हिसाब को बहुत सावधानी से देखे और विचार करे। दो हिसाबो की उपस्थिति मे यह बडी भारी धोखाधडी है। यह मालूम नही कि क्या सच है और क्या झूठ, परन्तु आपको हिसाब के बारे मे नही सोचना है। क्योकि यह एक कानूनी सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायाधीश को किसी हिसाब को लेने का तभी अधिकार होता है जब वह उसके सबन्ध मे प्रमाण पा सके।

तब इस अपराध के सबध मे कहने के बाद अब आपकी सतर्कता के प्रति हम विश्वास करते है। अब आगे हमे श्रीमान से यही कहना है कि यह व्यक्ति मजीदउद्दीन जो मिस्टर हस्टिंग्स की सरक्षता मे यह सब करिश्मे करता रहा, उसे लार्ड कार्नवालिस ने उसके पद से अलग कर दिया।

इस सबध मे जो कुछ कहा गया उसे अब समाप्त करने के लिए मै केवल यही कहूगा कि अपराधी के आचरण से भी अधिक आपके प्रति अपमान की बात यह है कि इतनी गदी तरह उसकी सुरक्षा के लिए बाते प्रस्तुत की गई। लार्ड कार्नवालिस का वक्तव्य है कि इस सबन्ध मे सब कुछ बहुत लज्जाजनक है।

श्रीमान, इस सबन्ध मे अब हम अपनी बात का अत करते है कि उसके इस आचरण मे कपनी के राजस्व और कपनी के कर्मचारियो व शासकीय कर्मचारियो का कितना अहित हुआ। मै आपको बता चुका हूँ कि कर्मचारीगण, यही नही कि देश की ऐसी परिस्थिति मे अपना कार्य करने म असमर्थ रहे बल्कि उन्हे भी अपराध तथा उसके छिपाव म भागीदार बनाना पडा। मै अत मे इन कर्मचारियो और देश पर कुप्रभाव की भी बात कह चुका हू। अब श्रीमान मुझे आज्ञा दे कि मै लार्ड कार्नवालिस की गवाही पढ कर सुना दूँ जिसे मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी ओर से गवाह बना कर बुलवाया था।

☐ ☐ ☐

लार्ड कार्नवालिस की गवाही, पृष्ठ २७२१—

प्रश्न —क्या आपको उस हिसाब की याद है जो डायरेक्टरो की परिषद को आपके पत्र के रूप मे २ अगस्त १७८६ को दिया गया था जिसका सबंध उन प्रान्तो मे था ?

उत्तर —मै निश्चयपूर्वक किसी भी लिखे गए पत्र के संबंध मे नही कह सकता, क्योकि मै भारत से अपने किसी पत्र की प्रतिलिपि साथ नही लाया और मेरे आते समय सभी बगाल मे छूट गए।

प्रश्न —क्या आपको अपने लिखे उस पत्र की याद है जो २ अगस्त १७८६ को लिखा गया था, जो पैरा १८ मे इस प्रकार है—'मै खेद के साथ कहता हूँ कि

खेती की पैदावार और आन्तरिक उद्योग कई वर्षों से लगातार गिरते जा रहे हैं और वर्तमान में सर्राफ और बनियों के वर्ग को छोड़ कर जो अधिकांश बड़े शहरों मे रहते है, इन प्रान्तों के निवासी तेजी से भुखमरी और बरबादी की ओर बढ़ रहे है। क्या आपको याद है कि आपने इस आशय का पत्र लिखा है ?

उत्तर—पाँच वर्ष पूर्व लिखे गए किसी पत्र की शब्दावली तो मुझे स्मरण नही, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने इस प्रकार जरूर लिखा होगा।

प्रश्न—क्या आपको याद है कि ठीक उसके बाद के पैराग्राफ में यानी १९वें मे आपने यो लिखा—'इस वर्णन मे मै कम्पनी की सीमा के भीतर के सभी जमीदारो को शामिल करता हूँ जिनके कारण हमारी पहले से चली आ रही योजना का समाप्त होना पडा।' क्या आपको ऐसा याद है ?

उत्तर— मुझे याद है कि मैने ऐसा ही लिखा था।

प्रश्न—क्या आपको याद है कि आपने १८ सितम्बर १७८९ को या उसके आस-पास लिखा था कि —'मै यहाँ बिना हिचक कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान मे कंपनी की सीमा का एक तिहाई भाग अभी पूरी तरह जगल है और उसमे केवल जगली जानवार बसते है। क्या दस वर्ष के पट्टे पर कोई इन जगलो को साफ कर सकेगा और रैयत को तैयार कर सकेगा कि वे आ कर खेती करे ? क्या दस वर्ष के बाद कोई अपने परिश्रम के लाभ की चिन्ता कर जमीन छोड देगा ? क्या आपको यह भी याद है ?

उत्तर—मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा मैंने लिखा था।

प्रश्न—अब ३ नवम्बर १७८८ के पत्र के सम्बन्ध मे कि पैराग्राफ ३८ मे यह लिखा था —'अत: मै साधारण रूप मे यही कहूगा कि बार-बार नीतियो का बदलना से अधिक आवश्यक है कि देश के आन्तरिक व्यवसाय मे अच्छी पद्धति ओर नियमित पद्धति प्रचलित की जाय। जमीन के स्वामी और जमीदारो की यहा स्थिति बहुत बिगड़ी है। यद्यपि यहाँ की भूमि और व्यापार तथा उद्योग का वातावरण विश्व के अन्य स्थानों से अधिक अच्छा है, और सरकार की सतत प्रयत्नशील तथा गभीर योजनाओं और न्याय का यदि सहारा मिले तो आगे चल कर कंपनी तथा ब्रिटेन दोनों के लिए काफी लम्बी अवधि तक अच्छी आमदनी का रास्ता मिलेगा।—(पैराग्राफ ३९) मेरा विश्वास है कि यदि न्याय से राजस्व का प्रबन्ध हो तो ये प्रान्त शीघ्र ही तरक्की करेंगे और आपको लाभ होगा। बस बेकार पडी जमीन को उपजाऊ बनाना है। यहाँ के लोगों से यदि अच्छा व्यवहार रखा जाय तो वे सहायक सिद्ध होगे।' क्या आपको यह याद है ?

उत्तर—मुझे ठीक याद है कि यह अंश मैने लिखा है।

☐ ☐ ☐

श्रीमान, लार्ड कार्नवालिस को बुलाया गया और आपके समक्ष उनकी गवाही

हुई है। उनकी गवाही लेने के लिए हमलोगों ने दस दिनों तक कार्यवाही रोक रखी थी। हमें इस विलम्ब के लिए दुःख नहीं है। उसने मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकार के सम्बन्ध मे जो बाते बताई, आपने सुना है। उस देश के बारे में सुना जहां की भूमि बहुत उपजाऊ है और जहां के लोग उद्योगी, और प्रसन्न है और दूसरी ओर वहाँ की स्थिति खराब की गई, जमीदारो को भिखारी बनाया गया, इतना गरीब बनाया गया कि वे अपने बच्चो को शिक्षा भी नही दे पाते। आपने उस भले आदमी की बातें सुनी जो वहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष देख आया है—जहाँ की जनता की उन्नति के प्रयत्न के स्थान पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने वहाँ का सर्वस्व कलकत्ता के बनियो को सौप दिया। ये वे बातें है जो श्रीमान के हृदय में अपना स्थान बनावेगी। आपने सुना कि एक अच्छे देश को नष्ट और बरबाद किया गया। आपने सुना कि वहाँ की एक तिहाई भूमि जंगल है और जंगल पशुओ का निवास स्थान है। उस देश की सही स्थिति आपके सम्मुख रखी गई है और एक अन्य वक्तव्य मिस्टर हेस्टिंग्स का भी है। इस अपराधी की बाते असत्य और भ्रम से भरी है। लार्ड कार्नवालिस ने देश व उनके निवासियो की ठीक स्थिति का वर्णन किया है, वह उनकी दुर्दशा पर करुणा व्यक्त करता है। साथ ही आपके सम्मुख गंगा गोविन्द सिह जैसे दूषित मनोवृत्ति के दलालों का भी वक्तव्य है कि मिस्टर हेस्टिंग्स की सरकार आदर्श सरकार थी।

श्रीमान, आपके सम्मुख एक ओर अब लार्ड कार्नवालिस का वक्तव्य है और दूसरी ओर भारत से मँगाये गये राजीनामे भी है। लेकिन इस भाग को समाप्त करने के पूर्व मै श्रीमान का ध्यान एक अन्य सरकारी घोषणा की ओर आकृष्ट करूगा जिसमे हमारे भारतीय प्रान्तों को छोटा किया गया और मिस्टर हेस्टिंग्स के शासन काल मे वहाँ दुर्दिन फैला रहा। मेरा आशय कानून २४ से है। एक कानून जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के लाभ के लिए और भारत मे ब्रिटिश राज्य के लाभ के लिए बना था जिसमे भारत मे न्यायालय खोल कर दोषी व्यक्तियो को दण्ड देने का आदेश था।

श्रीमान, यह पार्लमेंट का बनाया हुआ कानून है। इस कानून से भारत की दुर्दशा का निश्चित रूप उपस्थित होता है। वह दुर्दशा क्या थी? कम्पनी के नाम पर लोगो की भूमि को दूसरो को दिया जाना। वह कौन व्यक्ति था जिसने दूसरो की जमीन बेची? वारेन हेस्टिंग्स! किसने उस दुर्दशा की सूचना डायरेक्टरो को दी? लार्ड कार्नवालिस ने। किस अवसर पर लार्ड कार्नवालिस ने यह पत्र लिखे? वे पत्र डायरेक्टरो द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उत्तर के रूप में थे। पार्लमेंट के एक कानून द्वारा जाँच का आदेश हुआ और उसी जांच के परिणाम के रूप में लार्ड कार्नवालिस ने डायरेक्टरों को लिखा। मेरा विश्वास है कि न तो हम संसद-सदस्य, न आप श्रीमान, न तो इस महादेश के राजा ही पार्लमेंट के कानून का एक भी

शब्द छू सकते हैं। आप श्रीमान कृपया मिस्टर हेस्टिंग्स को निर्दोष घोषित करने के पूर्व पार्लमिंट के इस कानून का अवश्य ध्यान रखेंगे।

लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स और उसके वकील ने पार्लमिंट के इस कानून के विरुद्ध प्रमाण पेश किए है, डायरेक्टरों के आदेश के विरुद्ध और पार्लमिंट के आदेश मे एक जाँच और रिपोर्ट को लार्ड कार्नवालिस ने प्रस्तुत किया। फिर भी मिस्टर हेस्टिंग्स के आदमी यही लिखते है।

☐ ☐ ☐

"बंगाल राज्य मे अकबर नगर जिसका प्रचलित नाम राजमहल है, के हम सभी जमींदारों, चौधरियो और तालुकेदारों ने यह सुना है कि इंगलैंड के महाप्रभुगण मिस्टर हेस्टिंग्स से नाराज है और उन्हें शक है कि उसने हमें सताया है, बलपूर्वक हमसे सम्पत्ति छीनी है, और देश को नष्ट किया है। अतः हमलोग अपने धर्म को साक्षी मान कर, अपना कर्तव्य समझते है कि हम प्रमाण दे कि प्रसंशनीय कार्य, न्यायप्रियता, मित्र-भाव के साथ मिस्टर हेस्टिंग्स एक महान अच्छाइयों वाला व्यक्ति है और आपके मन मे जो शंका उपस्थित की गई है वह सब निर्मूल हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स ने हमारे धर्म की रक्षा की है, दया और शांति स्थापित की है, उसने कभी गबन या धोखाधड़ी नही की, उसका दिल करुणा से ओत-प्रोत है। अपने शासन काल में किसी ने कभी अन्याय व अरक्षित अनुभव नही किया, न किसी पर कड़ाई की गई, न तो किसी गरीब पर कभी कोई अन्याय किया गया।"

"हमारे चरित्र व सम्मान की उसके द्वारा सदा रक्षा हुई है, हमें सदा न्याय मिला है। वह कभी भी हमारा सम्मान करने व दया दिखाने में संकुचित नहीं रहा बल्कि हमारे घावों पर वह सदा मलहम ही लगाता रहा। वह सदा शत्रुओ का हनन और निर्बल को शक्ति देता रहा। उसने अपनी न्यायप्रियता से अत्याचारी का हाथ सदा बाँध रखा। उसने देश में न्याय को पुनः स्थापित किया और उसके शासन काल में हम सदा सुख की नीद सोये और शांति की साँस ली। हम सभी उसके व्यवहारो से संतुष्ट और प्रसन्न है।" श्रीमान यह प्रमाणपत्र कार्यवाही के पृष्ठ २३७४ पर है।

☐ ☐ ☐

श्रीमान, मैं आपको अन्य ऐसे प्रमाण-पत्रो को पढ़ कर समय नष्ट करने की सलाह न दूँगा क्योंकि सभी पत्र एक ही शैली में लिखे गये है और श्रीमान को यह अवश्य ही बहुत आश्चर्यजनक लगेगा कि जैसा कि वे सभी पत्र स्वयं भेजे गए बताये जाते है फिर भी लगता है कि वहाँ की जनता सामूहिक रूप से ऐसे प्रमाण-पत्र देने को बेचैन है, इसी से इतनी अधिक साम्यता सभी पत्रो मे है। लगता है कि देश का प्रत्येक भाग, प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक जिला, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, सभी एक ही विषय पर एकमत ही नहीं, एक भावना के हो गए है कि उनकी

लिखावट में भाषा ही नही, एक-एक शब्द मिलते-जुलते है। यह सचमुच कितने आश्चर्य की बात है ? मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि दुनिया के इस भाग में सभ्यता नाम की चीज नही है। आपने जिस सीमा तक उनके दुख और दारुण की कथा सुनी उसी हद तक वे संतुष्ट भी है और वे भूल गए है कि कभी उनकी कुछ माँगें भी थी। लार्ड कार्नवालिस ने उन्हे दुख में पाया, डायरेक्टरो ने उन्हें दुखी पाया। ब्रिटेन की पार्लमिंट ने उन्हे दुखी पाया और यह अदालत भी उन्हे दुखी पाती है, लेकिन वे स्वयं अपने को दुखी नही पाते। उन्हे घरो से निकाला गया, उनकी जमीन दूसरो को पाच वर्ष के पट्टो पर दे दी गई, उनका सर्वस्व छीन लिया गया फिर भी वे प्रसन्नता से भरे है। मेरा विश्वास है कि वे अकेले ऐसे लोग हैं इस धरती पर जिन्हे सरकार से कोई शिकायत नही है। यदि स्वर्ग मे भी पता लगाया जाय तो वहाँ भी शिकायते सुनने को मिलेगी पर इन लोगो को कोई शिकायत नही है, उन्हें कोई कष्ट नही है। मिस्टर हेस्टिंग्स ने सुनहरे युग से अधिक स्वर्गीय वातावरण का अनुभव किया है। मुझे मानव स्वभाव पर लज्जा आती है, मुझे अपनी सरकार पर लज्जा आती है, मुझे इस न्यायालय पर लज्जा आती है, कि ये बाते हमारे सामने लायी गई।

श्रीमान, हम अपना कर्तव्य पूरा कर चुके। हम अपना मामला स्थापित कर चुके और अब मेरे लिए केवल थोडी सी बाते कहनी रह जाती है कि जो कुछ मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपने वक्तव्य मे कहा है उनके संबध, मे क्या वह हमारे अभियोगो के उत्तर मे केवल ये प्रमाण-पत्र ही पेश करेगा जो सभी पूर्णतया निरर्थक है ? आप श्रीमान देखेंगे और आप उन्हे समस्त कार्यवाही के बीच खोज सकते है कि आपको एक भी तथ्य न मिलेगा।

लेकिन मिस्टर हेस्टिंग्स को इस अवसर पर अपनी सुरक्षा मे योग्यता का प्रश्न ही नही है। यहाँ तो अपराध का सीधा आरोप है। योग्यता कभी अपराध को नही दबा सकती। उदाहरणार्थ, अगर लार्ड होवे जिनका इस देश पर बडा एहसान है, क्योंकि उनके कारण आज जो विजय हमे मिली है उससे हमारा हृदय प्रसन्नता से भरा है, फिर भी यदि लार्ड होवे पर राजा की सम्पत्ति के गबन का आरोप हो या किसी लज्जाजनक कार्य का अपराध आरोपित हो, या उन पर अपने पद का लाभ उठा कर किसी जहाज के कप्तान को सताने का आरोप हो, या किसी मित्रराष्ट्र के प्रति उन पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, जैसे वहाँ औरतो को लूटा हो या ऐसे ही दुष्कर्म किए हो तो उनकी महान विजय भी उनके अपराधो की महत्ता को कम न कर सकेगी।

हमारे लार्ड मलमेसबरी को प्रुशिया के राजा के पास भेजा गया है। हमारा विश्वास है कि उसको कूटनीति लाभ ही पहुँचाएगी और उनकी संधियो से राष्ट्र को लाभ पहुँचेगा, लेकिन लार्ड मलमेसबरी राजा को दी जाने वाली ५०,००० पौंड

की रकम को अपने जेब में रख लें तो उसके इतने अच्छे कामों के बाद भी उनको अपराधी घोषित ही किया जायेगा। मैं मानता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने महत्वपूर्ण और महान सेवाएँ की है फिर भी वे सेवायें उसे किसी अपराध से मुक्ति नहीं दिला सकतीं। यदि ऐसे लोगों के अपराधों पर विचार करना पड़ता है तो यह अवश्य विचारणीय विषय होगा कि उसकी सेवाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं या अपराध अधिक गंभीर हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इतना विचार करके भी आप उसे अपराध-मुक्त नही कर सकते। आप अवश्य उस पर कुछ दया कर सकते है, उससे दंड कुछ कम हो जा सकता है। मैं मानता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने महान सेवाएँ की हैं तो वह छोटी-मोटी भूलों को पचा सकता है, लेकिन ऐसे अपराध जैसे अपहरण, अन्याय या लूट को नही पचा सकता। सेवाएँ मानवता की आँखों में पट्टी नही बाँध सकती। निश्चित ही भूलें भी मनुष्य का एक स्वाभाविक अंग है। पर वे सब कहीं नजरअंदाज नहीं की जा सकीं।

अब हम यह भी देख लें कि मिस्टर हेस्टिंग्स की योग्यताएँ कितनी विशेष ढंग की है। अपराधी व उसके वकील के शब्दों से आपको लगेगा कि उसकी सेवाएँ बड़ी असाधारण हैं। श्रीमान इसके पूर्व उसकी सेवाओं और उसके अपराध का पूरा विवरण जान चुके हैं और इसी योग्यता का पल्ला पकड़ कर वह श्रीमान से अपने अपराधों के लिए मुक्ति की आशा करता है। उस पर जो अपराध लगाये गए हैं वे प्रमाणों द्वारा सिद्ध भी किए जा चुके हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स की कई योग्यताओं की चर्चा की गई है। पर उन योग्यताओं की भी यहाँ अच्छी तरह जांच की जा चुकी है। १७८२ के पूर्व उसकी योग्यता की भर्त्सना के लिये उसके विरुद्ध पैंतालिस प्रस्ताव पास किये जा चुके हैं। ये प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थित किये गए है जो बड़ा सम्मानित है, देश के लिये जिसके कार्य महान सिद्ध हो चुके हें, वे है मिस्टर डॅंडास, तत्कालीन स्काटलैंड के लार्ड एडवोकेट। आज वे गृह विभाग के सचिव है और ईस्ट इंडिया विभाग के प्रधान है। उन्होंने मिस्टर हेस्टिंग्स के आचरणों के विरुद्ध पैंतालिस प्रस्ताव रखे और सभी में उसके उन्हीं आचरणों की भर्त्सना की गई है जिन्हें वह योग्यता की संज्ञा देता है। संसद आपसे यही चाहती है कि आप उसके अपराधों और योग्यताओं को आपस मे मिलायेगे नही। मैं जानता हूँ कि आप बड़े दयालु व बड़े महान हैं।

अपनी योग्यता के संबन्ध में मिस्टर हेस्टिंग्स कहता है कि भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्वामित्व हमें मुगलों से मिला और उनको हमने कुछ मुआवजा देने की संधि की थी, उसने उस मुआवजे की रकम नही दी। पर यह संधि तो कम्पनी की थी, इस समस्त राष्ट्र की थी, पर उसने संधि की अवहेलना की, संधि को तोड़ा। श्रीमान, हम आज कहाँ हैं? क्या इसे योग्यता कहेंगे? हे परमात्मा! किराया न दे कर एक किरानी अपनी कलम से हिसाब काट दे तो क्या

इसे योग्यता मानेंगे ? वह कहता है कि थोडी सी धोखेबाजी से उसने वह रकम बचा ली जिसे देने को हम बाध्य थे। यह रकम साफ बच गई। उसने २५०,००० पौंड प्रति वर्ष का लाभ कराया। क्या आप ऐसे व्यक्ति को इनाम न देंगे जो आपकी इतनी महत्वपूर्ण सेवा करता है ?

लेकिन संसद इस आचरण को महान व विशेष सेवा कदापि न मानेगी। बल्कि इसके विपरीत हम इस आचरण को छल मानेंगे। हमारा इस संबन्ध में प्रस्ताव है। प्रस्ताव नं० सात—

"कम्पनी और उसके भारत मे कर्मचारियो के राजा (मुगल राजा) के प्रति आचरण, कड़ा और इलाहाबाद के इलाके को वजीर नजीर के नाम लिखे जाने को हम एक दूसरे के विपरीत आचरण मानते है। भविष्य मे ऐसे ही कार्य किए जाएँ जिससे राष्ट्र का गौरव बढे और भारत के राजाओ का विश्वास भी जीता जा सके।"

आप श्रीमान देखे कि वह अपने अपराधो को यह कह कर उचित बताता हे कि उसके कार्यो से कम्पनी को लाभ हुआ है। श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि जरा यह भी देखे कि क्या और कैसे लाभ हुआ है ? आप देखेंगे कि वह इसका भी हिसाब लगभग उसी तरह बनाता है जैसे नवकिशन का हिसाब था। वह कभी कोई भी हिसाब पूरी तरह प्रस्तुत नही कर सका है। इससे केवल अविश्वास और राष्ट्रीय अपमान भर नही हुआ है बल्कि भ्रष्टाचार के सीधे प्रमाण भी मिले हैं।

सन् १७७५ मे जब एक ऐसा समय था कि मिस्टर हेस्टिंग्स परेशानी मे था, तब जनरल क्लावरिंग, कर्नल मानसन और मिस्टर फ्रैंसिस का कौंसिल में बहुमत था, उस समय मिस्टर हेस्टिंग्स के आचरण के सम्बन्ध मे प्रश्न उठा था। उन्होंने देश के राजस्व का हिसाब पूछा, क्या प्राप्त हुआ और क्या खर्च हुआ, और जो हिसाब मिला उसमे उन्होन देखा कि मुगल राज्य के नाम अक्टूबर १७७४ मे २५०,००० पौंड की रकम की दी गई दिखाया है शुल्क के रूप मे। इस हिसाब को पहले तो सत्य ही माना गया। जब मिस्टर क्रॉफ्टस का हिसाब जाचा गया, जिस प्रधान खजाँची के बारे मे आपने कई बार सुना है तो वह सामने आ कर बोला कि हिसाब मे थोड़ी सी भूल है और वह भूल क्या थी ? उसने मुगलों को दिये गये शुल्क को दो बार लिख दिया था, जब कि भुगतान एक बार ही हुआ था। देखिए केवल २५०,००० पौंड की ही भूल है सो भी मुगलो को दी जाने वाली रकम के संबन्ध मे। यह कितनी अजीब बात है—मिस्टर क्रॉफ्ट्स कहता है कि मुझे ज्ञात नही था कि अक्टूबर १७७३ से यह भुगतान रोक दिया गया है। फिर कल मुझे यह पता लगा कि मुझे यह खाते मे नही लिखना चाहिये था। जब मिस्टर क्रॉफ्ट्स से पूछा गया कि तुम्हारी भूल की ओर किसने सर्वप्रथम ध्यान दिलाया ? किसने तुम्हे मिस्टर हेस्टिंग्स का आदेश बताया कि यह रकम हिसाब से निकाल दी जानी

चाहिए ?—उसका क्या उत्तर है ? यह उत्तर मिडिलटन के योग्य है, यह उत्तर मिस्टर लार्किंस के योग्य या मिस्टर हेस्टिंग्स के किसी भी गोरे बनिया के योग्य है। ओह, मैं भूल गया। अपने एक प्रमुख खजांची को उसने अनजान में छोड़ दिया जो २५०,००० पौंड जैसी रकम के संबन्ध में भी अनजान था, जिसने गलत हिसाब लिखा और जब पूछा गया कि किसने भूल की और ध्यान दिलाया तो कहता है कि वह भूल गया है।

श्रीमान ! मिस्टर हेस्टिंग्स के इस खजांची की तरह किसी ने कभी व्यवहार नहीं किया। एक प्राचीन दार्शनिक ने कहा था एक व्यक्ति से, जो जनता की स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहता था -"काश, तुम मुझे ही भूलना सिखा देते !" इन लोगों को स्मरण रखना नहीं सिखाया गया बल्कि वे भूल जाने की कला में प्रवीण हैं। श्रीमान इतने से ही सब समाप्त नहीं होता। मैं श्रीमान का ध्यान पूरे हिसाब की ओर आकृष्ट करूँगा। जमा की ओर आप पावेंगे कि लिखा है कि आठ लाख रुपया नवाब वजीर को शुल्क रूप मे दिया गया था वही रुपया फौज की परवरिश के लिए लिया गया। इस प्रकार यह आठ लाख का गलत हिसाब है और अट्ठारह लाख का तो हिसाब ही नही है। यह रकम, निश्चय ही मिस्टर हेस्टिंग्स ने अपनी जेब मे रखी होगी, क्योंकि जब वह एक धूर्तता से आठ लाख गायब कर देता है तो अपने लिए अट्ठारह लाख भी पचा जा सकता है।

इस संबंध मे श्रीमान से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस मामले मे अपराधी के वकील ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस प्रकार हमने आपको कम्पनी का हिसाब दिखाया। हम सभी मामलो में प्रमाणों से पूरी तरह लैस रहे है।

जहाँ तक उसकी योग्यता का प्रश्न है उस संबंध में श्रीमान के सम्मुख कोई भी प्रमाण उस ओर से प्रस्तुत नही किया गया। लेकिन इससे भी अधिक मैंने किया है, हमने आपको दिखाया है कि जिसे यह योग्यता कहता है वही तो इसके अपराध है।

दूसरी बात जिसका वह लाभ उठाना चाहता है वह है एक कानून। मुगलों ने कम्पनी को कड़ा और इलाहाबाद का इलाका दिया था। इन प्रान्तों को मिस्टर हेस्टिंग्स ने मुगलो को वापस दे दिया था। इस सम्बन्ध में भी संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि--"कड़ा और इलाहाबाद को वजीर नवाब को दिया जाना सिद्धान्त व सद्भावना के विरुद्ध है।" जब इस सम्बन्ध मे संसद की यह राय है तब इसी को मिस्टर हेस्टिंग्स अपनी योग्यता मानता है।

इन प्रान्तों की कीमत लगभग बाइस लाख के आस-पास आँकी जाती है, यानी २२०,००० पौंड प्रति वर्ष। इसे बढ़ाया भी जा सकता था पर मिस्टर हेस्टिंग्स ने क्या किया ? मुगलो से बचा कर इन प्रान्तों को कम्पनी के हित में रखने के बदले वह इन्हें अवध के नवाब के हाथो बेच देता है, जिसे राज्य नष्ट करने की

कला अच्छी तरह मालूम थी, या जो इन प्रांतो को बराबर रख सकने में असमर्थ था। और आप क्या समझते है कि उसने क्यो बेचा ? उसने इन्हें दो वर्ष के पट्टे पर बेचा। तब क्या कोई विश्वास करेगा कि इस लेन-देन मे उसने रुपये अपनी जेब में न रखे होंगे ?

अतः हमारा अभियोग है कि जिसे वह योग्यता कहता है वह विश्वास-घात है। और इन प्रांतों की बिक्री एक धोखा है। क्योंकि असली मूल्य के पाँचवें भाग पर ही इसका सौदा हुआ था।

योग्यता का दूसरा नमूना है, पेशनो को बन्द किया जाना, जिसे बराबर देना कम्पनी के लिए आवश्यक था।

योग्यता का एक और मामला है जिस पर उसे गर्व है—रोहिल्ला राज्य को उस बेकार के व्यक्ति वजीर नवाब के हाथ बेचना। उसने इस व्यक्ति को वह पूरा राज्य दे दिया जो बाग की तरह पैदावार देने वाला था, वह जल्दी ही रेगिस्तान बन गया। वहाँ के लोगों को दबाने के लिए उसने वजीर नवाब के सहायतार्थ पल्टन भी भेजी। जब डायरेक्टरो को यह बात पता लगी तो उन्होने जाँच-पडताल की और मिस्टर डुण्डास ने मिस्टर हेस्टिंग्स की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव रखा।

यही नही, हम आपको यह भी बतायेंगे कि रोहिल्ला राज्य का आधा राज्य, सर राबर्ट बारकर को पचास लाख रुपयो यानी ५००,००० पौंड पर वजीर नवाब ने देना चाहा। इसकी सूचना सर राबर्ट बारकर ने मिस्टर हेस्टिंग्स को दी, अपने २४ मार्च १७७३ के पत्र से। इस सूचना के बाद भी कम्पनी के लिए मिस्टर हेस्टिंग्स ने केवल चालीस लाख रुपये लिए। मै इससे अर्थ निकालने का काम श्रीमान पर ही छोड़ूंगा। आप जानते है कि किसी सौदे मे प्रस्तावित रकम और प्राप्त रकम का अंतर क्या अर्थ रखता है ?

श्रीमान देखेंगे कि इन तथ्यो के सम्बन्ध मे कोई प्रमाण किसी ओर से नही आए और योग्यता के प्रश्न पर मिस्टर हेस्टिंग्स और उसके वकील ने जितनी बातें कही उनका उत्तर हम दे चुके है।

अपराधी के वकील ने जिस अंतिम योग्यता पर बहुत जोर दिया है वह है मराठा संधि। उन्होने कम्पनी की दुर्दशा आपसे बताई है ताकि इस संधि मे जो अशोभनीय बाते हुई उन्हे मान्यता मिले। मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्वयं सरकार के संबंध मे ऐसी बातें कही है। यहाँ वह अपनी समस्त धूर्तताओ का प्रयोग करता है। वह अपना जाल पूरी तरह बिछा कर हर पक्षी को पकड़ता है। वह कहता है—'मैने देखा कि समस्त भारत विरोधी बन चुका है। मराठा ही नही, सैकडो राज्यो से युद्ध की नौबत आ गई थी। मैने देखा कि पेशवा, निजाम, हैदर अली और बरार का राजा सभी हमे नष्ट करने को एक हो गये है। मैने इन सभी मुसीबतो का सामना किया और आपके राज्य की रक्षा की।

श्रीमान, हम संसद के लोगो ने यह सब केवल सुना ही नही, बल्कि इस संबंध मे हर बात की परीक्षा कर के प्रमाण भी प्रस्तुत किए है। संसद-सदस्यो ने तो पहले ही प्रस्तावो द्वारा यह घोषित कर दिया था कि मिस्टर हेस्टिग्स ने डायरेक्टरो के आदेशो का सदा ही अपमान किया और कम्पनी ने जो भी भारत मे संधियाँ की है, उन्हे तोडा है। मै इस विषय मे बहुत विस्तार मे न जा कर केवल संक्षेप मे बता दूँगा कि इस प्रकार की योग्यता की चर्चा सुन कर मै तो बहुत आहत हुआ हूँ।

बबई की सरकार ने मराठा राज्य को यह दूषित प्रस्ताव भेजा। बाद मे उनमे संधि हो गई। यदि सधि कर्नल अपटन द्वारा हुई थी और यह परुण्डा की सधि के नाम से प्रसिद्ध है। मिस्टर हेस्टिग्स ने वह संधि तोडी और कारण बनाया कि युद्ध की आशंका थी। लेकिन वास्तविता यह है कि उस समय सारा भारत शातिपूर्ण था। हैदर अली हम पर हमला करने की हिम्मत नही कर सकता था। क्योकि वह अपने स्वाभाविक शत्रु-मराठो से ही त्रस्त था। निजाम भी हम पर हमला नही कर सकता था क्योकि उसे भी मराठो से डर था और मराठा राज्य अपने मे ही कई हिस्सो मे बँटा था और इस आदर्श के लिए उनका एकत्रित होना असंभव था। हाँ, यदि भारत मे कोई चीज सर्वव्यापी थी तो वह था आतंक। भारत मे एक सरकार न थी। इस परिस्थिति मे भी मिस्टर हेस्टिग्स ने जान-बूझ कर परुण्डा की सधि तोडी। फिर विश्वासघात करके उसने एक राज्य से लडाई की। उसने एक मित्र राज्य का ही वक्तव्य है, वह बरार के राजा के पत्र मे है और उसके तथ्यो को भी मिस्टर हेस्टिग्स भुठला न सका।

श्रीमान! मै हैरान हूँ कि इस कदर ऊँचे आसन पर—यानि कि भारत के गवर्नर जनरल के ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठ कर उसने कैसे इस कदर गैर-जिम्मेदारी का कार्य किया? बडे ही आश्चर्य की बात है कि वह प्रथम तो कानूनन बनी हुई काउंसिल से कोई सलाह नही करता और द्वितीय जो कुछ मनमानी वह कर बैठता है तो उसे भुठला देने की कोशिश मे लगता है। परन्तु भाग्यवश इसमे वह सफल नही हो पाता। कैसे वह इसमे सफलता प्राप्त करता? क्योकि यह पूर्णतय असत्य पर आधारित था। उसकी असत्यता के प्रमाणस्वरूप मै बेनीराम पडित का वह महत्व-पूर्ण पत्र सेवा मे उपस्थित कर रहा हूँ।

□ □ □

बेनीराम पंडित का पत्र—"हर अवसर पर और हर स्थिति मे अंग्रेजो से मित्रता, प्रथम आदर्श व कर्तव्य है, अत: मै शाति स्थापित करने मे पूरा सहयोग दूगा, क्योकि किसी भी शक्ति की महानता इसी मे है कि सबो से वह व्यवहार रखे। इस उद्देश्य के सम्मुख और सब बाते छोटी है। और अंग्रेज इस पर अवश्य ध्यान देंगे। आपने लिखा कि शाति का दायित्व पंडित प्रधान पर छोड कर जनरल गोदार्ड के साथ कुछ पलटन हेदर बेग के विरुद्ध भेजना आवश्यक है और उसका राज्य

कल्पना है। मेरा कहना है कि इस सुझाव पर वाद विवाद की आवश्यकता है क्योंकि हैदर बेग पेशवा का मित्र है और अंग्रेजो से लडने मे उसने अपना सर्वस्व लगा दिया था। हमारे लिए अभी अपनी सैन्य शक्ति का संगठन ही आवश्यक है। ऐसा न करने से सदा पछताना पडेगा। क्या कोई राजा, पीढियो तक हमसे मिलने के बाद पेशवा से भी मिल सकेगा? आप स्वयं निर्णय करें और बतावें कि ऐसा कार्य क्या उचित होगा?"

"मामला यों है—पहले हैदर बेग और पडित प्रधान मे बडी शत्रुता थी और बेग के राज्य मे फौज भेजने का निश्चय हो गया था, लेकिन बंबई के युद्ध के समाप्त होने के बाद और रघुनाथ राव की गिरफ्तारी के बाद उस क्षेत्र मे फौज भेजना निश्चित हो गया और उस संधि पर विश्वास रखा गया था जो बम्बई के युद्ध के पहले हुई थी। पर जब रघुनाथ राव फिर उसके पास गया तब जनरल गोदार्ड बहुत विरुद्ध था और जब हमारे व पडित पेशवा के मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव पर कोई ध्यान न दिया गया तब उन्होंने पूना आने से इन्कार किया और पूना के भी नागब अधिकारियो ने सीधा उत्तर भेज दिया। तब पूना के मंत्रियों ने सलाह की और नवाब निजामुद्दौला की राय के अनुसार उन्होंने समझा कि दुश्मन दोनो ही ओर से आ रहे हैं, और उनका सामना करना सभव नहीं है, फिर क्या किया जाय? किसी एक के साथ सधि करनी आवश्यक थी और दूसरे के साथ युद्ध करना आवश्यक था। तब उन्होंने अंग्रेजों से सधि करने का निश्चय किया और उनसे मिल कर हैदर बेग को दण्ड देने की बात सोची, लेकिन इन लोगों ने किसी प्रकार के आपसी समझौते पर आना सभव न होने दिया, अतः यह आवश्यक हो गया कि बहुत पुराने शत्रु—हैदर बेग के साथ ही मामला पटाया जाय--इसके सिवा और चारा भी क्या था? कुछ भी रास्ता बचा न देख वे हैदर बेग से सधि करने को विवश हो गये।"

□ □ □

श्रीमान, मिस्टर हेस्टिंग्स के नाम इस परवाने का उसने उत्तर न दिया। और इसका उत्तर भी क्या हो सकता था? क्योंकि बातें सभी स्पष्ट थी।

लेकिन, श्रीमान, देखें कि बाद में उसने कैसी सधि की। अगर मुझे यह दायित्व सौंपा जाता तो मैं सिद्ध कर देता, इसी कागज से कि जिस उसने दूसरे आशय से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर के भारी भूल की है, पागलपन किया है। वह कभी भी एक अच्छी स्थिति बन सकती थी। उसने जो संधि की वह अनुपयोगी और अस्वाभाविक थी। माधव जी सिंधिया ने इस सधि से लाभ उठाया और भारत मे हमारे लिए उसका राज्य सदा के लिए सिर दर्द बन गया और उसने हमारे और मराठों के बीच कई छोटे-छोटे राज्यों को खडा करके लाभ उठाया। मध्य भारत के ये तमाम छोटे-छोटे राज्य बहुत ऊँचे उठे और उन्होंने शक्ति संचय की। उसने मिस्टर हेस्टिंग्स से जो संधि की उसके पीछे यही रहस्य था और

मिस्टर हेस्टिंग्स के अनुचित आचरण से उसकी योजना फलीभूत हुई । आगे श्रीमान, देखिये कि उसने अन्य मित्र राज्यो के साथ क्या किया ? कर्नल अपटन द्वारा की गई परुण्डा-संधि को उसने तोड़ा, इससे हमे क्या लाभ हुआ, ईश्वर जाने । हमें मराठों को बारह लाख (११००० पौड) युद्ध के खर्च के रूप में देने पड़े और किनारे के कई द्वीप देने पड़े जिनकी आमदनी तीन लाख प्रति वर्ष की थी । हमें मराठों से रघुनाथ राव का सहयोग मिला जो युद्ध का मुख्य कारण था । इस संधि के अनुसार मिस्टर हेस्टिंग्स ने तीन लाख के राजस्व के द्वीप उसे भेंट किए और विद्रोह मे रघुनाथ राव का साथ देने वाले किसी व्यक्ति को हम दण्ड भी न दे सके । अब मैं श्रीमान से पूछूँगा कि क्या इन कामों को देखते हुए भी मिस्टर हेस्टिंग्स की योग्यता स्थिर होती है ? श्रीमान इस सम्बन्ध मे संसद-सदस्यों की राय जानते है । इसी समय मद्रास प्रान्त मे कमाण्डर सर आयर कूट ने लिखा है कि इस संधि से देश के शासन पर हैदर अली का प्रभुत्व बढ़ेगा ।

श्रीमान यह कभी समाप्त न होने वाला कार्य होगा यदि अभी भी हम इन कामो के पीछे उसकी बदनियत और स्वार्थ की खोज करें । अब आप श्रीमान भी उसकी योग्यता के महत्व को अच्छी तरह समझ गए होंगे । इस सम्बन्ध मे पार्लामेंट ने जो कानून बनाया था उसे हम एक बार आपके सम्मुख अवश्य पढ़ देते है ।

[यहाँ मिस्टर बर्क ने २४ न० का कानून पढ़ कर सुनाया]

"भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए योजनाएँ चलाने के हेतु ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, प्रतिष्ठा व आदेश को ध्यान मे रख कर, अपने अधिकार मे यह कानून घोषित किया जाय कि गवर्नर जनरल व फोर्ट विलियम स्थित कौसिल के लिए यह न्याय-संगत न होगा कि डायरेक्टरों की उच्च समिति के आदेश और सूचना के बिना किसी प्रकार की शासन व्यवस्था चालू की जाय या अन्य भारतीय राज्यो से कोई संधि की जाय या किसी युद्ध या राजकीय तनाव की घोषणा की जाय या युद्ध को चलाने के सम्बन्ध मे कोई सन्धि की जाय, चाहे वह भारत के किसी भी राज्य के विरुद्ध या पक्ष में हो, और गर्वनर जनरल या कौसिल के लिए यह भी न्यायसंगत न होगा कि कोई युद्ध घोषित किया जाय या व्यापार सम्बन्धी नए निर्णय लिए जाएँ, न किसी राज्य को मान्यता ही दी जाय । जब ऐसे किसी निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो तत्काल डायरेक्टरो की परिषद को सूचना और साथ ही समस्त सम्बन्धित जानकारी भेजनी आवश्यक होगी ।"

अपने ढंग का बना यह पहला कानून था जो इस महाराष्ट्र में बना । यह क्यो बना ? इसलिये कि भारत में हिंसा, अपहरण और अन्याय का बोलबाला था जिसे ले कर हमने आपके सम्मुख एक महाअभियोग का मामला प्रस्तुत किया है और इसे ही अपराधी अपनी योग्यता मानता है ।

श्रीमान की सेवा में मैने यह बतलाने का लगातार प्रयत्न किया है—तथ्यों तथा प्रमाणो से कि वारेन हेस्टिंग्स कितना बड़ा घूसखोर, जालिया और भ्रष्टाचारी था। और यह उसने स्वयं अपने आप नही किया बल्कि तमाम अंग्रेज लोग जो यहाँ मे भेजे जाते थे, उन्हे भ्रष्ट करके अधिकांश अनुचित कार्य वह उनसे कराता था। उन नवयुवकों के सम्मुख अपनी लालसा को पूरी करने को जैसे खुला मैदान था। इसके अतिरिक्त किस तरह उसने अपने दलालो के मार्फत तमाम घूसखोरी का चारो तरफ जाल सा फैला दिया था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब अनुभव होता है जब कि वह इसे स्वय का एक बड़ा भारी गुण व योग्यता मानता है।

अब श्रीमान को यह बताने के लिए कि यह कानून क्यों इतना आवश्यक था, यह उसी के पत्राचार को हम प्रस्तुत करते है और श्रीमान से इस मामले के सम्बन्ध मे अन्तिम बार एक कागज पढने की आज्ञा चाहते है और इस पर हम इसके सिवा कोई वार्तालाप न बढ़ावेंगे कि आप स्वय देखें कि इस व्यक्ति के हाथो ब्रिटिश राष्ट्र के विश्वासो की कैसे रक्षा हुई ? पूरी तरह ब्रिटिश विश्वास का हनन किया गया और हमारी शान्ति छीनी गई और हमे युद्धकालीन मुसीबतो के बीच ला कर खडा कर दिया गया।

श्रीमान, अब मै आपको बतलाऊँगा कि अपनी अदूरदर्शिता के कारण किस तरह की परेशानी तथा विपरीत परिस्थिति उसने लाकर खड़ी कर दी थी। वह सधि जो उसने बरार के राजा के साथ की थी, उसकी कितनी बड़ी अदूरदर्शिता प्रदर्शित करती है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रीमान, वह इसे अनुभव भी करता है। इसके प्रमाणस्वरूप मै एक कागज आपकी सेवा मे पढ़ता हूँ जिनसे आपके सम्मुख सभी बाते स्पष्ट हो जायगी।

यह उस कागज का अश है जिसे बेनीराम पडित नामक बरार के राजा के एक मन्त्री ने लिखा था, जिसके साथ उस समय मिस्टर हेस्टिंग्स सधि चर्चा चला रहा था और वह उसमे बताता है कि उस समय क्यो सधि सभव थी और क्यो उसने सधि स्वीकार की और कारण उसकी अपनी मूर्खता थी जिसका रहस्य खुलने पर उसकी बडी हास्यास्पद स्थिति हो गई और उसके माध्यम से समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को लज्जा सहनी पड़ी।

☐ ☐

"लेकिन जब बाद मे यह ज्ञात हुआ कि मुझे इतनी जल्दबाजी इस सम्बन्ध मे नही करनी चाहिये, जब तक मै कागजो को अच्छी तरह पढ़ कर समझ न लूं। मैने इसे महाराजा की उपस्थिति मे खोला। तब सभी खरीदे पत्र, संधि-पत्र की प्रतिलिपियो आदि पर अच्छी तरह विचार-विनिमय हुआ। प्रथम, उनसे हमे आपकी सत्यता और ईमानदारी पर विश्वास जमा और ज्ञात हुआ कि प्रारम्भ से ले कर

अब तक आप इन वर्तमान झगड़ों व तनाव के पक्ष में न थे और दूसरे यह कि आपने संधिपत्र के मसविदे में नहीं जोड़ा कि आपकी क्या इच्छा है। संक्षेप में यह संधि का बाग हमारे सम्मुख केवल हरा ही हरा हो कर उपस्थित हो रहा है। लेकिन इसका फल यद्यपि अमूल्य होगा फिर भी यह कर्नल अपटन की संधि से निश्चय ही भिन्न है (जिसका विवरण मैं आपको लिख चुका हूँ।) और उस फल का स्वाद बहुत कड़ुवा व भिन्न है, पहले प्रस्ताव के अनुपात में। किसी भी प्रकार कोई पुरानी परम्परा कैसे बदली या तोड़ी जा सकती है। और नए मामले जोड़े जा सकते हैं, जब कि यह स्पष्ट है कि वे अहित कर दें ! कुछ बातें जो आपने लिखी हैं, संधि के विश्वास के नाम पर, वे ऐसी हैं कि उन पूना के मन्त्रीगण कभी राजी नहीं हो सकते ? समस्त सम्बन्धों और प्रमुख मामलों में ये शब्द जैसे— लेकिन, यद्यपि, फिर भी, जैसा कि और क्यों तथा ऐसे ही अन्य शब्द शंका पैदा करते हैं। झगड़े की शुरूआत होती है और अविश्वास तथा गलतफहमी पैदा होती है। एक संधि होती है तो उसके अर्थ होते हैं कि समस्त विरोध मिटते हैं, न कि बढ़ते हैं। इसीलिए मेरी पूना की यात्रा स्थगित हो गयी।''

श्रीमान देखें कि इस राष्ट्र को कितनी भर्त्सना व कितना अपमान सहना पड़ा, किस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा पर से आवरण हटा और हमारे लिए कितना आवश्यक हो गया था कि यह कानून बनाया जाता जिसे श्रीमान ने पार्लमिंट के कानून के रूप में पास किया और उस पर महाराजा की भी सहमति प्राप्त हुई। ये शब्द — लेकिन, यद्यपि, फिर भी, जैसा कि और क्यों, तथा ऐसे ही अन्य शब्द एक नए प्रारम्भ के सूत्रपात बने। फिर उसने चाहा कि दूसरी संधि बना कर भेजें जिसे वह स्वीकार करके हस्ताक्षर कर दे। और इसके लिये उसने प्रयास भी किया। जिसे श्रीमान यहाँ इस कागज में देख सकते हैं और इसे मैं श्रीमान की सेवा में उपस्थित करूँगा।

□ □ □

''अत: मैंने बड़ी सतर्कता व सुरक्षित ढंग से इस संधिपत्र को अपने पास रख लिया है और इसकी प्रतिलिपि करा ली है और हर कलम में अपनी ओर से जोड़ा भी है जो मुझे उचित और न्याय-संगत लगा। इससे अंग्रेजों का कोई अहित व अपकार न होगा न पंडित प्रधान के पक्ष में ही कुछ अधिक हुआ है, जैसे पहले पत्र में था उतना ही है। यह मैंने आपके पास भेजा और विश्वास है कि इसी के आधार पर आप संधिपत्र तैयार करेंगे जिसमें—जैसा कि, यदि, क्यों, लेकिन और फिर भी जैसे शब्द न होंगे। और ज्यों ही यह हमें प्राप्त होगा मैं पूना के लिए चल पड़ूँगा और राव माधव जो सिंधिया और नवाब निजामुद्दौला को भी इसमें शामिल कर लूँगा। मैं सभी बिगड़ी बातें व बिगड़े मामले ठीक करने का प्रयत्न करूँगा। ज्यों ही

मुझे उनसे स्वीकृति प्राप्त होगी मैं कलकत्ता के लिए चल पड़ूँगा और सब कुछ आपके सम्मुख रख दूँगा, जो भी अभी मेरे दिमाग मे सुरक्षित है और इस संधि से ससार को लाभ होगा, अग्रजो की महानता की वृद्धि होगी और हमारे प्रधान भी शाति की साँस लेगे ओर युद्ध की धधकती अग्नि मे हम मित्रता का ठडा जल डाल देगे। इन सपनो को कार्यरूप देना पूर्णतया आपकी इच्छा व सुविचार पर निर्भर है, और यह आपके ही हाथ मे है।"

□ □ □

श्रीमान, अब तो आपने भी उस आवश्यकता का अनुभव किया होगा जिसके कारण यह कानून बना और जिसे अभी मने आपके सम्मुख पढा। ताकि भविष्य म हमारे विश्वासो के साथ खिलवाड न किया जाय, जिसके लिये मिस्टर हेस्टिंग्स पूरी तरह अपराधी ह और जिसके आचरण क कारण न केवल समस्त भारतवर्ष हमारे विरुद्ध एक हो कर उठ खडा हुआ है और लम्बी अवधि तक हमारी शाति स्थापना मे बाधा पडी हे बल्कि ब्रिटिश चरित्र का उपहास बनाया गया और इस महाराष्ट्र के समस्त नागरिकों को लज्जा उठानी पडी है।

श्रीमान इन महाअभियोग के मामले को बढाने के लिए आपने आरोपित अभियोग सुने, आपने अपराधी की योग्यता वाली दलील भी सुनी और आपने उन पर हमारे वक्तव्य भी सुने। इस महाअभियोग के मामले मे आगे आपने वह परिस्थिति देखी जिसम मिस्टर हेस्टिंग्स ने बनारस लिया, वह परिस्थिति भी देखी जिसमे मिस्टर हेस्टिंग्स न रुहिल्ला राज्य लिया, वह भी परिस्थिति देखो जिसमे मिस्टर हेस्टिंग्स ने बगाल के प्रान्त लिए, आपन वह परिस्थिति भी दखी कि देश के निवासियो की क्या स्थिति थी जब मिस्टर हेस्टिंग्स ने स्थानीय सरकार का शासन अपने हाथ मे लिया। आपने सभी निवासियो की प्रसन्नता और समृद्धि देखी। और श्रीमान न इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति भी देखी जब शासन व सरकार का दायित्व मिस्टर हेस्टिंग्स पर था। आपने देखा कि यह सुन्दर देश जगल ओर जगली जानवरो का बन गया था। आपने सम्मानित व समृद्ध परिवारो को विपत्ति व करुणा की भयानक व निम्नतम स्थिति मे भी देखा। आपने समस्त देश को ऐसी ही दयनीय स्थिति मे पहुँचते देखा। यह स्थिति उसी के शासन काल मे हुई। युद्ध हुए, अपमानजनक सधियाँ हुईं और ब्रिटिश विश्वास की प्रतिष्ठा बाजार मे बिकी। अब आप श्रीमान इन तमाम अपराधों को एक साथ देखें जिन्हे हमने सिद्ध किया है और तब विचार करे, निर्णय करे कि क्या ऐसी स्थिति मे भी संसद-सदस्य चुपचाप बैठे रहते, और यह अनैतिक व अन्यायपूर्ण मामला आपके सम्मुख न लाते ? आप जो भी निर्णय दें, वह शक्तिशाली, प्रभावशाली और कानूनी दृष्टि म उचित होगा। बिना निर्णय के कानून का महत्व नही है। इस स्थिति से तो अच्छा था कि हमारे पास कोई कानून न हो, यदि कानून को निर्णय का आधार न

मिले और अपराधियों को उचित दण्ड न मिले। श्रीमान, कृपया अब तक उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय किये हुए निर्णयों को देखें। लार्ड मेकलेसफील्ड के सम्बन्ध में हुए निर्णय को देखें, फिर उनका मिलान उन निर्णयों से करें तो आपके पूर्व न्यायाधीशों ने किए हैं और तब विचार करें कि आप के सम्मुख प्रस्तुत मामले में आप क्या निर्णय देते हैं ? मैं कहूँगा कि आपका निर्णय इस प्रकार के मामलों में हुए निर्णयों से मिलाया जायगा।

श्रीमान, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका। संसद-सदस्यों का कार्य समाप्त हुआ। हमारे बहुत दीर्घकालीन परिश्रम का अंत हुआ। श्रीमान इसे एक पवित्र कार्य के रूप में लें। अभी तक विश्व के समस्त राष्ट्रों के इतिहास में ऐसा महान मामला किसी भी अदालत के सामने नहीं आया है। ऐसा पेचीदा तथा इस तरह से जटिल मामला आज तक अदालत के सम्मुख कहीं भी उपस्थित नहीं किया गया है। साथ ही साथ इस मामले में बड़े मार्के की बात तो यह है कि अपराधी, उस पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, प्रचलित कानून का उल्लंघन ऐसे महाअभियोग लगाये गये हैं। और उन्हें प्राप्त प्रमाणों द्वारा सत्य साबित किया गया है—उसके बारे में उसका कहना है कि यह कोई अपराध नहीं है। बल्कि वह तरह-तरह के झूठे तथा जाली कागजों को तैयार करके अदालत में उपस्थित करता है, यह दिखलाने के लिये कि उस पर जो अभियोग लगाया गया है वह गलत है। वह तो यहाँ तक कहता है कि ये अभियोग जो उस पर लगाये गये हैं सब बेबुनियाद हैं बल्कि झूठ की इमारत पर खड़े हैं। अब क्या सच है। और क्या झूठ है यह फैसला तो श्रीमान के हाथों में है। मुझे तो श्रीमान से यह प्रार्थना करना है कि इतने बड़े महाअभि-योग का अभियोगी अपनी लच्छेदार बातों एवं प्रमाणों से श्रीमान को प्रभावित न कर ले। हालांकि श्रीमान के प्रति हमारे हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा है और श्रीमान के न्याय के प्रति बहुत बड़ा विश्वास भी है। बस श्रीमान मुझे तो यही भय है कि कहीं इस महाअभियोगी का जाल सफल न हो जाय।

अपनी महान योग्यता का जो हवाला वह देता है, वह श्रीमान जाल नहीं तो और क्या है ? अभियोग के वकीलों ने भी बड़ी योग्यता से तथा काफी कोशिश की है कि उसकी याने अपराधी की योग्यता का सिक्का पूरी तरह चारों तरफ धाक जमा ले। परन्तु श्रीमान मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह अपने इस जाल से अपने उन महान अपराधों को, अपहरण, भ्रष्टाचार और घूसखोरी के अभियोगों पर परदा डाल देना चाहता है। परन्तु हम ऐसा न होने देंगे। ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि इतना बड़ा अभियोगी श्रीमान की दया का लाभ उठा ले।

श्रीमान की सेवा में बराबर यह कहा गया है कि यह एक महान अभियोग है और यह भारत का भूतपूर्व गवर्नर जनरल महाशय वारेन हेस्टिंग्स एक महान अपराधी है। अब यह मामला सिर्फ उसके अभियोगों से ही संबंधित नहीं है बल्कि

हमारे इस महान ब्रिटिश राष्ट्र के कानून के लिये एक चुनौती है। क्या इस संसार के इस महान राष्ट्र की पार्लामेंट, इसकी संसद और इसके कानून के लिये यह एक बडी लज्जा की बात नही है कि ऐसा अपराधी कानूनन अपने अपराध का दण्ड न पावे ?

श्रीमान, मै क्षमा चाहता हूँ कि मै माननीय अदालत का काफी समय ले रहा हूँ। हालाँकि हम ससद-सदस्यो ने काफी परिश्रम एव ईमानदारी के साथ सभी बाते जो अभियोग से सम्बन्ध रखती है श्रीमान की सेवा मे भली-भाँति रक्खा है। परन्तु फिर भी यह कहे बिना रहा नही जाता कि जब दोषी के अभियोग के प्रमाणो पर ध्यान जाता है तो मन मे बडे विचित्र से भाव पैदा होने लगते है, मन - स्थिति अस्थिर सी होने लगती हे, यह ख्याल करके कि यही, इसी अभियोगी ने अपनी धन-लोलुपता मे वशीभूत हो कर भारत के उस समय के नवाबो तथा राजाओ को बिलकुल दरिद्रतुल्य बना डाला। उसकी इस घूसखोरी की प्रवृत्ति ने उन निरीह नवाब घराने की औरतो पर किस कदर जुल्म ढाये। उसने अपने गन्दे कार्यों तथा विचारो से उस समय के तथा उस देश की सीधी-साधी जनता की मन.स्थिति ही बदल दी। अन्त मे मुझे श्रीमान से यही प्रार्थना करनी हे कि श्रीमान अभियोगी के अभियोग पर भली-भाँति विचार करे।

श्रीमान, इस महाअभियोग के आरोप के अत मे, हमारे चारो ओर बैठे ससद-सदस्यो के नाम पर, दो पीढियो के बीच हम खडे है—हम समस्त राष्ट्र को पुकारते ह, हम समस्त ससार को साक्षी बनने को पुकारते हे कि देखे कि ससद-सदस्यो ने परिश्रम किया हे, हम पर छिपाव का कोई भी आरोप नही लग सकता, हम अपराध से कही डरे नही, हमने अपराधो से लम्बी अवधि तक युद्ध किया हे, हमने धूर्तता से युद्ध किया, हमने दौलत के दैत्य से युद्ध किया और हमने भारत मे हो रहे भयानक अपराधो से युद्ध किया। श्रीमान, यह युद्ध हमने लगातार बाइस वर्षों तक टाला, और आपकी अदालत मे पूरे सात वर्षो तक युद्ध किया। श्रीमान, बाइस वर्ष का समय मनुष्य के जीवन मे एक बडा भाग है। यह मामला जिसने इतनी लम्बी अवधि तक कौसिल और ग्रेट ब्रिटेन की उच्च अदालत को फँसा रखा, उसे आसानी से नही समाप्त किया जा सकता। और कुछ नही तो, इस मामले मे खुलने वाले तमाम रहस्यो ने मनुष्य के परम्परावादी मस्तिष्क से पुरानी परम्परा की जंजीर को तोडा है और यही नही, इस मामले ने तो प्रकृति का चेहरा भी बदल दिया है। श्रीमान, हम तो इस मामले के महत्व के कारण एक हद तक फूले नही समाते। श्रीमान मुझे यह कहने दे कि आपका घर भी आज बरबादी के खण्डहर के बीच खड़ा है और यह खण्डहर भी हमारी धरती मे आए महानतम नैतिक भूकम्प का ही परिणाम है। एक बात है, केवल एक बात कि संसार मे यही बचेगा, यह आपका न्याय। आपके निर्णय का हम सबो के हृदय मे

बड़ा श्रद्धास्पद स्थान है और जब यह ब्रह्माण्ड जल कर राख हो जायगा तब भी आपका न्याय जीवित रहेगा।

श्रीमान, संसद-सदस्य आपके साथ हर स्थिति में साथ रहेंगे। कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जो आपके साथ होगी तो हम उनसे बचे रह सकेंगे, और ऐसा हो कि हम सब किसी महान परिवर्तन के शिकार हों तो, श्रीमान अपने कठोर हाथों से उस हत्या की मशीन को सदा के लिए नष्ट कर दें जो आज तक महान राजाओं और वैभवशाली रानियों के खून बहाने का कारण रही हो।

श्रीमान, केवल एक सांत्वना की बात है, और यह बड़ी भारी सांत्वना है कि कभी-कभी पराजित योग्यता और पराजित सम्मान भी अपना प्रमाण-पत्र पा लेते हैं। मैं भी जाँच-पड़ताल के सिलसिले में बहुत तह में नहीं गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अवधि की लम्बाई भी दिलचस्पी कम कर देती है और उदाहरणों को कमजोर व प्रभावहीन बना देती है। मै वर्तमान के बहुत निकट रहने का प्रयत्न करता हूँ। श्रीमान जानते है और सुना भी है कि पेरिस की पार्लमिंट मे बड़ी नवीनता है, जैसी इस अदालत में भी है जिसके सामने मैं आज खड़ा हूं। श्रीमान, पेरिस की पार्लमिंट और इस अदालत मे बड़ा साम्य है। लेकिन वह पार्ला-मेंट अब नही है, समाप्त हो गई, एक सपने की तरह मिट गई। वहाँ तो सदस्यों ने प्रतिष्ठा के लिए प्राण तक दे दिए। प्रतिष्ठा के लिए तलवार के नीचे गर्दन रख दी, पर प्रतिष्ठा को आहत न होने दिया। उनके शत्रुओं ने उन्हें मौत की सजा दी।

हमारी संसद के कानून, हमारी पार्लामेंट कभी न मिटेगी, क्योंकि देश के जाने कितने बहादुर इसके लिए, इसकी प्रतिष्ठा के लिये अपनी जान तक देने मे भी पीछे नहीं रहे, हँसते-हँसते प्राणदान कर दिया। सत्य के लिये, न्याय के लिये और इन्साफ के लिये कानून के मार्ग पर जो राष्ट्र चलता है वह महान है। हमारा यह ब्रिटिश राष्ट्र भी महान है। हमारे यहाँ का इन्साफ व न्याय सर्वमान्य है। यह सब न्यायपूर्ण कानून के द्वारा ही सम्भव है और इसमें सन्देह नही कि माननीय श्रीमान के हाथों ही इस समय इस न्यायपूर्ण कानून की प्रतिष्ठा है और उससे भी आगे बढ़ कर इस महान राष्ट्र के न्याय की प्रतिष्ठा है।

श्रीमान, आप समस्त बाधाओं के बीच भी खड़े रहेंगे और इस प्राचीनतम राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे, यह हम जानते है। आप सदा ही इस महान देश के प्राचीन कानून के साथ रहेंगे। ईश्वर आपको बिना अभियोग के इसी सम्मान के साथ बनाए रखे। आप सदा खड़े रहें, जमे रहें। योग्यता के आप पर्यायवाची न बनें, बल्कि आप योग्यता के श्रृंगार बनें, आप योग्यता के संरक्षक बनें, और दलित राज्यों के आप मसीहा बनें, आह! आप महान व पवित्र मंदिर बनें जिसमे सदा-सदा के लिए अखण्ड न्याय का निवास बना रहे।

* समाप्त *